राजस्थान की अर्थव्यवस्था

Economy of Rajasthan

(महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रथम वर्ष कला के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित)

नरेन्द्र कुमार बढ़ाना
व्याख्याता,
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर

रतन लाल मेहरा
व्याख्याता,
राजकीय महाविद्यालय,
किशनगढ

दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
सहायक निदेशक,
कॉलेज शिक्षा,
अजमेर

संशोधित संस्करण
1999-2000

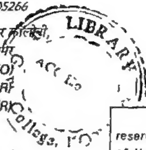


नाकोड़ा पब्लिशिंग हाउस

प्रकाशक

नाकोड़ा पब्लिशिंग हाऊस
बी-132, जनता कॉलोनी,
जयपुर फोन - 605266

ए-103 मानसरोवर कॉलोनी,
वैशाली नगर, अजमेर
फोन - 641668 (O)
428512 (R)
641275 (R)



प्रथम संस्करण 1998-1999
द्वितीय संस्करण 1999-2000

मूल्य 140/- एक सौ चालीस रुपये

लेजर टाईप सेटिंग

कम्प्यूटर सोल्यूशन्स
30, जीवन विहार कॉलोनी
अजमेर

मुद्रक

नफीस ऑफसेट प्रेस,
जयपुर

प्राक्कथन

राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थियों हेतु "राजस्थान की अर्थव्यवस्था" की यह पुस्तक प्रस्तुत करते हुये हमें अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। प्रस्तुत पुस्तक को विद्यार्थियों के लिये उपयोगी बनाने हेतु लेखको ने हर सम्भव प्रयास किया है यथा

- छात्रो के स्तर को ध्यान में रखते हुये यथासम्भव अत्यन्त सरल भाषा में पुस्तक की रचना की गई है।
- उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से विषय को बोधगम्य बनाने की चेष्टा की गई है।
- प्रामाणिक तथ्यों व आकडों का समावेश करने के लिये आर्थिक समीक्षा, स्टैटिस्टीकल एब्सट्रैक्ट नवीं पंचवर्षीय योजना, भारत (संदर्भ ग्रंथ), आर्थिक सर्वेक्षण विश्व विकास प्रतिवेदन मानव विकास प्रतिवेदन, इकॉनोमिक टाईम्स, योजना तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी पत्र–पत्रिकाओं व प्रतिवेदनों का प्रयोग किया गया है।
- यथासभव सभी आकडों व तथ्यों के स्त्रोतों को उद्धृत किया गया है।
- अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु लगभग सभी बिन्दुओ के साथ उनके अंग्रेजी पर्याय भी दिए गए हैं।
- यथेष्ट सामग्री के समावेश के लिए, आधुनिक कम्प्यूटरीकृत तकनीक द्वारा ठोस मुद्रण का प्रयोग किया गया है।
- विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली के अनुरूप परीक्षोपयोगी प्रश्नों का समावेश करने का प्रयास किया गया है।

पुस्तक की पाडुलिपि को वर्तमान स्वरूप देने, उसे समय पर प्रकाशित कराने में श्री महेश गुप्ता, प्राध्यापक, इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, श्री पी एम जैन, प्राचार्य आचार्य श्री तुलसी अमृत महाविद्यालय गगापुर (भीलवाड़ा), नाकोडा पब्लिशिंग हाऊस जयपुर–अजमेर एव कम्प्यूटर सोल्यूशन्स अजमेर का अपार सहयोग प्राप्त हुआ। उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। परिवार–जनों ईष्टमित्रों के सहयोग के बिना इस कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उन सभी के प्रति आभार।

हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी तथा कला के विद्यार्थियो की समस्त आवश्यकताओ को पूरा करने में समर्थ होगी। पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिये आपके रचनात्मक सुझावो का सदैव स्वागत है।

लेखकगण

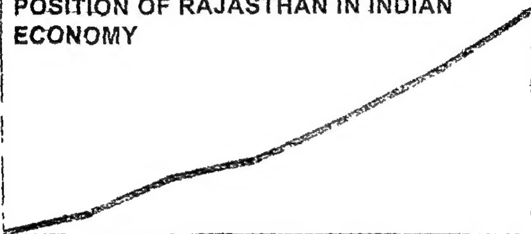
अनुक्रमणिका

(INDEX)

अध्याय - 1

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति

POSITION OF RAJASTHAN IN INDIAN ECONOMY



"राजस्थान का उल्लेख प्रागैतिहासिक समय से मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहां की संस्कृति सिन्धु घाटी सभ्यता जैसी थी।"

<u>अध्याय एक दृष्टि में</u>

- राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूचक
- भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति
- राजस्थान में आर्थिक विकास की बाधाएं
- अभ्यासार्थ प्रश्न

"राजस्थान का उल्लेख प्रागैतिहासिक समय से मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहां की संस्कृति सिन्धु घाटी सभ्यता जैसी थी।" ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गौरवमयी परम्पराओं के लिए विख्यात राजस्थान ऋग्वेद का रचना-स्थल रहा है। वीरता त्याग और बलिदान की दृष्टि से इसका गौरवमय स्थान है। भारत में आर्थिक एवं भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान का एक बड़ा भू भाग रेगिस्तानी होते हुए भी देश में कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, खनिज, जनसंख्या व क्षेत्र की दृष्टि से राज्य का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों से जूझते हुए भी यह कृषि प्रधान राज्य अपना व संपूर्ण देश का आर्थिक परिदृश्य बदलने हेतु कृतसंकल्प प्रतीत होता है अतः अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति व योगदान का अध्ययन अत्यन्त रोचक व उपयोगी है।

राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया

PROCESS OF RAJASTHAN'S FORMATION

राजस्थान का वर्तमान स्वरूप बनने की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को प्रारम्भ हुई और 1 नवम्बर 1956 को पूर्ण

हुई। इस प्रक्रिया के मध्य राजस्थान की 19 रियासतों 3 चीफशिप्स व एक केन्द्रशासित सी श्रेणी के राज्य का विलीनीकरण किया गया सबसे पहले 18 मार्च 1948 को अलवर भरतपुर धौलपुर व करौली रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया इस संघ की राजधानी अलवर थी। इसी माह 25 मार्च 1948 को ही बांसवाड़ा बूंदी डूंगरपुर टोंक झालावाड़ किशनगढ़ कोटा प्रतापगढ़ शाहपुरा रियासतों को मिला दिया गया और इन्हें राजस्थान प्रथम या पूर्व राजस्थान का नाम दिया गया राजस्थान प्रथम की राजधानी कोटा को बनाया गया अगले माह 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को सम्मिलित करके इस संघ का नाम संयुक्त राजस्थान रख दिया गया और उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया 30 मार्च 1949 को बीकानेर जयपुर जोधपुर व जैसलमेर रियासतों को संयुक्त राजस्थान के साथ मिलाकर विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया इस समय तक मत्स्य संघ का अलग अस्तित्व बना हुआ था 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को 'विशाल राजस्थान' में मिलाकर 'संयुक्त विशाल राजस्थान' की स्थापना हुई और इसकी राजधानी जयपुर बनी रही। 26 जनवरी 1950 को विशाल राजस्थान में सिरोही रियासत (आबू को छोड़कर) को सम्मिलित करके 'राजस्थान संघ' का निर्माण हुआ। इसकी राजधानी भी जयपुर ही रही। अन्तत 1 नवम्बर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के केन्द्रशासित 'सी श्रेणी के राज्य' आबू रोड और तत्कालीन मध्य भारत में स्थित मंदसौर जिले के मानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गांव को भी राजस्थान संघ में मिला लिया गया तथा राजस्थान का आधुनिक स्वरूप अस्तित्व में आया जयपुर को ही पुन इसकी राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान निर्माण प्रक्रिया को निम्नांकित तालिका से दर्शाया जा सकता है

राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया				
चरण	स्थापित संघ	राजधानी	स्थापना तिथि	सम्मिलित रियासतें
प्रथम	मत्स्य संघ	अलवर	18 मार्च 1948	अलवर भरतपुर धौलपुर करौली
द्वितीय	राजस्थान प्रथम	कोटा	25 मार्च 1948	बांसवाड़ा बूंदी डूंगरपुर टोंक झालावाड़ किशनगढ़ कोटा प्रतापगढ़ शाहपुरा
तृतीय	संयुक्त राजस्थान	उदयपुर	18 अप्रैल 1948	राजस्थान प्रथम + उदयपुर
चतुर्थ	विशाल राजस्थान	जयपुर	30 मार्च 1949	संयुक्त राजस्थान + बीकानेर जयपुर जोधपुर जैसलमेर
पंचम	संयुक्त विशाल राजस्थान	जयपुर	15 मई 1949	विशाल राजस्थान + मत्स्य संघ
षष्ठम्	राजस्थान संघ	जयपुर	26 जनवरी 1950	संयुक्त विशाल राजस्थान + सिरोही (आबू को छोड़कर)
सप्तम्	राजस्थान	जयपुर	1 नवम्बर 1956	राजस्थान संघ + अजमेर आबू सुनेल टप्पा

वर्तमान में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से राजस्थान को 6 संभागों (जयपुर अजमेर बीकानेर जोधपुर कोटा व उदयपुर) व 32 जिलों (अजमेर अलवर भरतपुर बाड़मेर बांसवाड़ा भीलवाड़ा बीकानेर बूंदी चित्तौड़गढ़ चूरू धौलपुर डूंगरपुर गंगानगर हनुमानगढ़ जयपुर जैसलमेर जालोर झालावाड़ झुंझुनू, जोधपुर कोटा नागौर पाली सवाईमाधोपुर सीकर सिरोही टोंक उदयपुर दौसा बारां करौली व राजसमन्द) में बांटा गया है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूचक					
क्र	विवरण	वर्ष	राजस्थान	भारत	टिप्पणी
	देश के कुल क्षेत्रफल में भाग		10 43	00 00	देश में [illegible]
2	भौगोलिक क्षेत्रफल	1982	342 हजार वर्ग कि मी	3287 हजार वर्ग कि मी	देश के क्षेत्रफल का 10 43 प्रतिशत
3	जनसंख्या	1991	4 40 करोड़	84 63 करोड़	देश में नवां स्थान
4	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	1991	5 2	100 00	देश में नवां स्थान
5	जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर	1991	2 50	2 14	राष्ट्रीय औसत से अधिक
6	जनसंख्या घनत्व	1991	129 व्यक्ति प्रति वर्ग कि मी	274 व्यक्ति प्रति वर्ग कि मी	देश में 15वां स्थान
7	शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	1991	22 88	25 71	राष्ट्रीय औसत से कम

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति

क्र	विवरण	वर्ष	राजस्थान	भारत	टिप्पणी
8	साक्षरता का प्रतिशत	1991	38.55	52.21	15वां स्थान
9	जनसंख्या में अनुसूचित जाति का भाग	1991	17.29%	16.33%	राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या
10	जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का भाग	1991	12.44 %	8.08%	राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक जनसंख्या
11	चालू मूल्यों पर औसत प्रति व्यक्ति राज्य आय	1995-96 की	7523	10525	देश में 11वां स्थान
12	स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय	1997 98	2306	9660	राष्ट्रीय औसत से कम आय
13.	प्रचलित मूल्यों पर राज्य आय	1995-96	33705 करोड़	967763 करोड़	देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 3.5%
14	आठवीं पंचवर्षीय योजना का व्यय	1992 97	•1500 करोड़ रु	186235 करोड़ रु	देश में 5 वां स्थान
15	प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या	सितम्बर 1998	6.4	6.7	देश में 11वां स्थान
16	प्रतिव्यक्ति बैंक निक्षेप	सितम्बर 1998	3582	6597	देश में 13वां स्थान
17	प्रति व्यक्ति बैंक साख	सितम्बर 1998	1595	3542	देश में 12 वां स्थान
18	औसत कृषि जोत	1991	4.11 हैक्टेयर	1.57 हैक्टेयर	देश में प्रथम स्थान
19	खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्र	1995-96	119 लाख हैक्टेयर	1235 लाख हैक्टेयर	राष्ट्रीय क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत
20	खाद्यान्नों का उत्पादन	1995-96	95.66 लाख टन	1850 लाख टन	खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 5 प्रतिशत
21	दाव गये क्षेत्रफल का प्रति हैक्टेयर खाद का उपभोग	1994-95	34.8 कि.ग्रा.	75.7 कि.ग्रा.	देश में 13वां स्थान
22	कुल पशु	1982	496 लाख	4195 लाख	देश के पशुधन के 10 प्रतिशत से अधिक
23	वन क्षेत्र	1991	9.3%	20%	राष्ट्रीय औसत से कम
24	पंजीकृत कार्यशील कारखाने में नियोजित क्षेत्र	जून 1990	10038	196068	देश के लगभग 5 प्रतिशत पंजीकृत को
25	कारखाना क्षेत्र द्वारा शुद्ध मूल्य सृजन	1993-94	5116	996 र	कम औद्योगिक गतिविधियां 13 वां स्थान
26	प्रति लाख जनसंख्या पर श्रमिकों का दैनिक औसत रोजगार	1995	687	1059	देश में 12वां स्थान
27	खनिज उत्पादन का मूल्य	1988	204 करोड़ रु	1148 1करोड़ रु	खनन का पर्याप्त विकास नहीं
28	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	1994-95	269.53 किलोवाट	320.10 किलोवाट	देश में 10वां स्थान
29	कुल ग्रामों से विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत	मार्च 1995	85.82	85.95	लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर देश में 6वां स्थान
30	प्रति लाख जनसंख्या पर मोटर गाड़ियों की संख्या	31 मार्च 1995	3551	3587	देश में 8 वां स्थान
31	प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग की लम्बाई	1991 92	17.02 कि.मी.	19.00 कि.मी.	देश में 12 वां स्थान
32.	सड़कों की लम्बाई	1994-95	1,30 085 कि.मी.	22 00 163 कि.मी.	देश में 7 वां स्थान
33	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सितम्बर 1998	1060	14449	
34	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	सितम्बर 1993	1969	45280	
35	अन्य अनुसूचित व्यापारिक बैंक	सितम्बर 1998	253	4918	
36	कुल बैंकों की संख्या	सितम्बर 1998	3282	64647	
37	डाकघरों की संख्या	1990-91	9870	1 48 719	

स्रोत: Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt. of Raj., Economic Review

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति

POSITION OF RAJASTHAN IN INDIAN ECONOMY

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है

स्थिति एव क्षेत्रफल

Location and Area

भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित राजस्थान 23°3' उत्तरी अक्षाश से 30°11' उत्तरी अक्षाश व 69°29' पूर्वी देशान्तर से 78°17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।[1]

1 यह पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर लबा है।[2]

2 राजस्थान की सम्पूर्ण सीमा स्थलीय है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का 1070 किलोमीटर का भाग पाकिस्तान से जुडकर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है।[3]

3 राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान पूर्व में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश उत्तर में पजाब व हरियाणा और दक्षिण में गुजरात व मध्य प्रदेश है, जो राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं।

4 राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3 42,239 वर्ग किलोमीटर है[4] जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10 43 प्रतिशत है।[5] भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश (13 50%) के पश्चात् द्वितीय स्थान राजस्थान का ही है और तीसरा,चौथा व पाचवा स्थान क्रमश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश व आन्ध्र प्रदेश का है।[6]

5 राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के अनेक राष्ट्रों की तुलना में बडा है। राजस्थान मॉरीशस से लगभग 171 गुणा, श्रीलका से लगभग पाच गुणा जोर्डन से लगभग चार गुणा, ग्रीस व इराक से लगभग साडे तीन गुणा, कुवैत से 19 गुणा, इजराइल से लगभग 16 गुणा, बेल्जियम से लगभग 11 गुणा, स्विट्जरलैण्ड से लगभग 8 गुणा, डेनमार्क का लगभग [illegible] गुणा ऑस्ट्रिया का लगभग 4 गुणा, पुर्तगाल, नेपाल व बाग्लादेश का लगभग ढाई गुणा है। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रों जैसे - ब्रिटेन, न्यूजीलैण्ड इटली नार्वे जापान आदि के क्षेत्रफल से भी अधिक है।[7]

क्षेत्रफल की स्थिति (हजार वर्ग किलोमीटर)	
राजस्थान का क्षेत्रफल	342
भारत का क्षेत्रफल	3287
राजस्थान से बडा राज्य	
मध्य प्रदेश	443
राजस्थान से भारत के छोटे प्रमुख राज्य	
महाराष्ट्र	308
उत्तर प्रदेश	294
आन्ध्र प्रदेश	275
राजस्थान से छोटे विश्व के प्रमुख विकसित राष्ट्र	
जापान	378
इटली	301
न्यूजीलैण्ड	271
ब्रिटेन	245
स्विट्जरलैण्ड	41

स्रोत *World Development Report 1997 • Statistical Abstract Rajasthan 1994*

जनसंख्या

Population

जनसख्या विकास का साधन व साध्य दोनों है। यह विकास के लिए आवश्यक श्रमशक्ति उपलब्ध कराती है। साथ में यह उपभोक्ताओं के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माग भी उत्पन्न करती है।

1991 की जनगणना पर आधारित कुछ तथ्य		
राजस्थान की जनसख्या	4 40	करोड
भारत की जनसख्या	84 63	करोड
राज्य का देश की जनसख्या में प्रतिशत भाग	5 2	प्रतिशत
राजस्थान से अधिक जनसख्या वाले भारत के प्रमुख राज्य		
उत्तर प्रदेश	13 91	करोड
बिहार	8 63	करोड
महाराष्ट्र	7 89	करोड
राजस्थान से कम जनसख्या वाले भारत के प्रमुख राज्य		
गुजरात	4 13	करोड
उडीसा	3 16	करोड
केरल	2 90	करोड

स्रोत *India 1998*

1-4 Resource Atlas of Rajasthan Govt of Rajasthan
5-6 Economic Review 1997 98 Govt of Rajasthan
7 World Development Report, 1997

1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश व राजस्थान में भारत की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 1981-91 के दशक में भारतीय जनसंख्या में जो वृद्धि हुई, उसमें 40% से अधिक भाग की वृद्धि भी इन्हीं राज्यों के कारण हुई। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 4.40 करोड़ थी और यह भारत की कुल जनसंख्या (84.63) करोड़ का 5.2% है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का नवां स्थान है।[1] 1981-91 के दशक में भारत में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.14% रही है।[2] इसकी तुलना में राजस्थान में जनसंख्या 2.50% की दर से बढ़ी है। भारत में 1990-91 में जन्म व मृत्यु दरें क्रमशः 29.2 व 10.1 प्रति हजार थी जबकि इसी वर्ष राजस्थान में ये दरें क्रमशः 35 और 10.1 प्रति हजार थी। इस प्रकार राजस्थान में जन्म व मृत्यु दरें अखिल भारतीय औसत से अधिक है। राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थलीय होने के कारण राज्य में जनसंख्या का घनत्व 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो भारत के घनत्व (267) के आधे से भी कम है।[3] भारत की भांति राजस्थान में भी ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या क्रमशः 3.39 करोड़ व 1.00 करोड़ है[4] जबकि भारत की जनसंख्या क्रमशः 62.9 करोड़ व 21.8 करोड़ है।[5] इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का भाग 5.20%, भारत की ग्रामीण जनसंख्या में राजस्थान का 5.39% एवं सम्पूर्ण राष्ट्र की शहरी जनसंख्या में राजस्थान का भाग 4.59% है। सम्पूर्ण देश की भांति राजस्थान में अशिक्षितों की एक बहुत बड़ी संख्या विद्यमान है। भारत के छः राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में भारत की 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है तो साथ ही देश के निरक्षरों का लगभग 60% भाग भी इन्हीं छः राज्यों में रहता है। राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 38.55% है जो राष्ट्रीय औसत (52.21%) से कम है।[6] राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात (910) राष्ट्रीय अनुपात (929) से कम है।[8]

जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान 1991		
क्र. सं.	विवरण	राज्यवार स्थान
1	कुल जनसंख्या	9
2.	जनसंख्या का घनत्व	15
3	नगरीय प्रतिशत	15
4	[illegible]	12
5	[illegible]	7
स्रोत India 1993 & Economic review, 1997 93		

कृषि

Agriculture

कृषि राजस्थान के जन जीवन का आधार है। कृषि-जनगणना 1990-91 के अनुसार राज्य में 51.07 लाख क्रियाशील जोतें थीं। 1980-81 में जोतों का औसत आकार 4.44 हैक्टेयर था जो 1990-91 में घटकर 4.11 हैक्टेयर रह गया है।[10] इस दृष्टि से राजस्थान की स्थिति अच्छी कही जा सकती है जबकि समग्र भारत में जोतों का औसत आकार 1.68 हैक्टेयर है। औसत कृषि जोतों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान पंजाब का एवं तीसरा गुजरात का है।[11] औसत जोत के बड़े होने के कारण राजस्थान में वैज्ञानिक कृषि की सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

प्रमुख फसलों की उत्पादकता (1994-95) किलोग्राम प्रति हेक्टेयर		
राजस्थान की प्रमुख फसलें जिनकी उत्पादकता राष्ट्रीय मौसम औसत से अधिक है		
	राजस्थान	भारत
1 चना	864	855
2 अलसी	364	337
3 कपास	919	260
राजस्थान की प्रमुख फसलें जिनकी उत्पादकता – राष्ट्रीय औसत से कम है		
	राजस्थान	भारत
1 गेहूं	2417	2553
2 चावल	1088	1921
3 मूंगफली	790	1042
4 तिल	227	304
5 मक्का	887	944
6 गन्ना	45036	71095
स्रोत Draft Ninth five year plan, 1997 2002, Govt of Raj. Raj.		

भारत के कुल फसल क्षेत्रफल का 10.45% राजस्थान में सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र कुल फसल क्षेत्र प्रतिशत में राजस्थान से आगे है।[12] इस प्रकार कुल फसल की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति अच्छी कही जा सकती है। साथ ही, राजस्थान में कुल फसल क्षेत्र के विस्तार की भावी सम्भावनाएं भी विद्यमान हैं। राजस्थान नहर के निर्माण से कुल फसल क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई। कुल फसल क्षेत्र का एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र कृषि विकास का एक सूचक बन गया है। इस दृष्टि से राजस्थान (6.94%) का स्थान

1 5 8 Economic Review 1997 98 Govt. of Rajasthan
2,9 12 Statistical Abstract, Rajasthan 1994
3 4 6 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt. of Rajasthan.
10-11 A brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1995.

क्रमश उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश,महाराष्ट्र, पश्चिम बगाल, उडीसा व पजाब के पश्चात् आता है। इससे इस बात का आभास मिलता है कि राजस्थान में अधिकाश कृषि भूमि पर केवल एक फसल ली जाती है। सिचाई साधनों की वृद्धि के साथ-साथ इस क्षेत्र में वृद्धि होगी। शुद्ध सिचित क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के कुल सिचित क्षेत्रफल का 7 70% भाग राजस्थान में विद्यमान था, जबकि उत्तरप्रदेश में शुद्ध सिचित क्षेत्र सपूर्ण भारत में सर्वाधिक था।[2] सिचित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान छठा था, द्वितीय स्थान आध्रप्रदेश का व तृतीय स्थान पजाब का, चतुर्थ मध्य प्रदेश व पाचवा बिहार का था।[3] इस प्रकार से राजस्थान का छठा स्थान सतोषप्रद प्रतीत होता है, किन्तु राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल को देखते हुए इसे सतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राजस्थान नहर के कमाण्ड क्षेत्र का पूर्ण विकास होने पर सिचित क्षेत्र सतोषजनक होने की आशा है। खाद्यान्नों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सतोषजनक कही जा सकती है। राजस्थान का प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न का त्रिवार्षिक औसत उत्पादन 194 किलोग्राम था और इस दृष्टि से राजस्थान का देश मे सातवा स्थान था। इस दृष्टि से प्रथम स्थान पजाब द्वितीय हरियाणा व तृतीय स्थान उत्तर प्रदेश का था।[4] इस प्रकार राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन में और वृद्धि की चेष्टा की जानी चाहिये। राजस्थान में कृषि उपजों के कम होने का एक बडा कारण सिचाई के अभाव में खाद का कम प्रयोग करना भी रहा है। राजस्थान में बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्रति हैक्टेयर 34 8 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर खाद का उपभोग हो रहा था, जो राष्ट्रीय औसत (75 7) किलोग्राम से कम था और वह देश मे 13 वें स्थान पर था, जबकि 174 7 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर खाद का उपयोग करके पजाब प्रथम स्थान पर था।[5] खाद का उपयोग बढाने के लिए राजस्थान में सिचाई के साधनों में वृद्धि करनी होगी।

कृषि की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान		
क्र स	विवरण	राज्यवार स्थान
1	औसत कृषि जोत (1990-91)	1
2	बोये गये क्षेत्रफल का प्रति हैक्टेयर खाद का उपभोग (1994-95)	13
3	कुल फसल क्षेत्र (1990-91)	4
4	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र (1990-91)	7
5	खाद्यान्न का उत्पादन (1990-91)	8

स्रोत Economic Review 1997 98 Rajasthan Statistical Abstract Rajasthan 1994

1992 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की सख्या 4 84 करोड थी जो राज्य की जनसख्या के लगभग 1 1 के अनुपात में थी। देश के कुल पशुओं का लगभग 7% राजस्थान में निवास करता है। राजस्थान देश के दूध उत्पादन का 10% से अधिक, मास उत्पादन का 30% और ऊन उत्पादन का 42% उपलब्ध कराता है।

उद्योग एवं खनिज

INDUSTRY & MINERALS

राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछडा हुआ है। सपूर्ण भारत के रजिस्टर्ड कारखानों का केवल [redacted] 35% ही राजस्थान में कार्यरत है। रजिस्टर्ड कारखानों की दृष्टि से राजस्थान 15वें स्थान पर है, जबकि प्रथम तीन स्थानों पर क्रमश महाराष्ट्र, आध्रप्रदेश, तमिलनाडु है।[6] सयुक्त स्कन्ध कपनियों (निजी व सार्वजनिक) की सख्या की दृष्टि से भी राजस्थान का 10वा स्थान है।[7] राजस्थान में देश में विद्यमान इन कपनियों की सख्या का मात्र 1 96% विद्यमान है।[8] कपनियों की सबसे अधिक सख्या महाराष्ट्र व पश्चिम बगाल में है। इन कपनियों में लगी दत्त पूजी की दृष्टि से भी राजस्थान बहुत पीछे है। सपूर्ण देश में राजस्थान (1 44%) का स्थान इस दृष्टि से 11वा है। सर्वाधिक पूजी क्रमश पश्चिम बगाल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में लगी हुई है।[9] खनिज उद्योग की दृष्टि से यद्यपि राजस्थान खनिजों में धनी है और अनेक खनिजों के उत्पादन में उसका प्रभुत्व भी है, किन्तु खनिज उद्योग द्वारा उत्पादित खनिजों के मूल्य के अनुसार राजस्थान 10वें (1 85%) स्थान पर था।[10] इस दृष्टि से प्रथम तीन स्थानों पर क्रमश बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात थे।[11] उद्योगों से प्रतिव्यक्ति आय-वृद्धि की दृष्टि से भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से प्रतीत होता है। इस दृष्टि से राजस्थान का 13 वा स्थान था और राजस्थान में उद्योगों की प्रतिव्यक्ति आय-वृद्धि राजस्थान में 511 रुपये थी जो राष्ट्रीय औसत (996 रूपये) से काफी कम थी। इस दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र,द्वितीय स्थान गुजरात व तृतीय स्थान तमिलनाडु का था।[12]

उद्योग एवं खनिज की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान		
क्र स	विवरण	राज्यवार स्थान
1	पजीकृत कारखानें (1988-89)	15
2	निजी व सार्वजनिक कपनियां (1996-97)	10
3	दत्त पूजी (1986-87)	11
4	उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि (1994-95)	10
5	उत्पादित खनिजों का मूल्य (1991-92)	10

स्रोत Economic Review 1998-99 Rajasthan, Statistical Abstract Rajasthan 1994.

1 2 3 6 7 8 9 [redacted] 11 Statistical Abstract, Rajasthan 1994

4 Economic Review 1996-97 Govt. of Rajasthan.

5 12 Economic Review 1997-98 Govt. of Rajasthan.

संरचनात्मक ढांचा (Infra-Structure)

सरचनात्मक ढाचा किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार होता है। इसके अन्तर्गत प्राय शक्ति, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों मे राजस्थान की स्थिति का आभास निम्नलिखित विवेचन से हो सकेगा -

1. शक्ति (Power) - राजस्थान में शक्ति का प्रमुख स्रोत, जल -विद्युत व तापीय विद्युत है। राणाप्रताप सागर बाँध पर स्थित रावतभाटा का अणुशक्ति गृह भी राज्य का महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। राजस्थान के अनेक महत्त्वपूर्ण उद्योगों में कोयले का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का भण्डार मिलने के कारण प्राकृतिक गैस भी शक्ति का महत्वपूर्ण सम्भावित साधन बन गया है। राज्य में खनिज तेल भी मिला है, किन्तु उसके वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन की स्थिति स्पष्ट नही है। शक्ति के गैर-परम्परागत साधनों में राजस्थान में सौर-ऊर्जा, वायु ऊर्जा व गोबर गैस की अच्छी सभावनाए विद्यमान है। विद्युत-उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सतोषजनक नहीं है। राजस्थान में पर्याप्त जल भण्डार नहीं होने के कारण राज्य को बाहर से जल-विद्युत का आयात करना पडता है। विद्युत-उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में दसवें स्थान पर था और देश को केवल 2 5% विद्युत उत्पादित कर रहा था। इस दृष्टि से महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश,बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्य अच्छी स्थिति में थे।[1] विद्युत का उपभोग भी आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। प्रतिव्यक्ति विद्युत-उपभोग की दृष्टि से राजस्थान दसवें स्थान (269 53 किलोवाट) पर था।[2] इस दृष्टि से प्रथम स्थान पर पजाब तथा दूसरे स्थान पर गुजरात था।[3] राजस्थान का प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग, राष्ट्रीय औसत (320 10 किलोवाट) से कम होने के कारण राज्य के पिछडेपन को दर्शाता है। मार्च 1995 में देश के औसत 85 9% गाँव विद्युतीकृत थे, जब कि राजस्थान में केवल 85 8% गाँव ही विद्युतीकृत हो पाये थे।[4] इस अवधि तक आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पजाब व तमिलनाडु शत-प्रतिशत विद्युतीकृत हो चुके थे।

शक्ति की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान

क्र स	विवरण	राज्यवार स्थान
1	विद्युत उत्पादन (1989-90)	10,
2	विद्युत उपभोग (1989-90)	10
3	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (1994-95)	10
4	कुल ग्रामों से विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत (मार्च, 1995)	5

स्रोत Economic Review 1997-98, 1998-99 Rajasthan Statistical Abstract, Rajasthan 1994

2 सिचाई (Irrigation) - राजस्थान में महत्वक्रम के अनुसार कुए (नलकूप सहित) नहरें और तालाब सिचाई के प्रमुख साधन है। राज्यों में नहरों का महत्व निरन्तर बढता जा रहा है। सिंचाई की दृष्टि से राज्य के लिए इंदिरा गाधी नहर का विशेष महत्त्व है, जो कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र की कायापलट कर देगी। सिचाई के विभिन्न साधनों से राजस्थान में सिंचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई है, फिर भी भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 7 7% ही राजस्थान में है। इस प्रकार राजस्थान का इस दृष्टि से छठा स्थान है। प्रथम तीन स्थानों पर क्रमश उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश व पजाब है।[5]

3 परिवहन (Transport) - राजस्थान की दृष्टि से सडक व रेल परिवहन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वायु परिवहन का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है और राज्य के, सभी महत्वपूर्ण नगर इससे जुड नहीं पाये है। 12 महिने बहने वाली नदियों के अभाव के कारण आतरिक जल परिवहन का विकास नहीं हो पाया,किन्तु राजस्थान नहर के निर्माण से आतरिक जल-परिवहन की सभावनाए जन्म लेने लगी है। राज्य में खनिज तेल व गैस के भण्डार मिलने से पाईपलाईन यातायात का विकास होगा। राजस्थान की दृष्टि से सडकें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वे ही राजस्थान के अधिकाश क्षेत्रों को जोडती हैं। वर्तमान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में निर्मित सडकों की लबाई 42 68 किलोमीटर थी जो कि राष्ट्रीय औसत 73 कि मी से बहुत कम है। राज्यानुसार उपलब्ध तुलनात्मक आकडों की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में देश की ▪ 06% पक्की सडकें थी और इस दृष्टि से क्रमश महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे आगे थे।[6] राजस्थान के प्रति लाख जनसख्या पर मोटरगाडियों की सख्या 31 मार्च 1996 को 3551 थी और राजस्थान का इस दृष्टि से आठवा स्थान था। राजस्थान में प्रति लाख जनसख्या पर मोटरगाडियों की सख्या राष्ट्रीय औसत 3587 से कम थी। इस दृष्टि से देश में क्रमश पजाब प्रथम स्थान पर, गुजरात द्वितीय स्थान पर और हरियाणा तृतीय स्थान पर थे।[7] राजस्थान में रेल मार्गों का अधिक विकास नहीं हो पाया है। इसी कारण राजस्थान में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग की लबाई (17 02 किलोमीटर) राष्ट्रीय औसत (19 किलोमीटर) से कम थी।[8] 3 मार्च, 1992 के इन आकडों के अनुसार प्रति हजार वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक रेलमार्ग पश्चिम बगाल में थे। द्वितीय स्थान पजाब एव तृतीय स्थान हरियाणा का था। राजस्थान रेलमार्गो की दृष्टि मे 12 वे स्थान पर था।[9]

परिवहन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान

क्र स	विवरण	राज्यवार स्थान
1	कुल पक्की सडकें (1988-89)	8
2	प्रति लाख जनसख्या पर मोटर गाड़ियों की सख्या (31 मार्च,1996)	8
3	प्रति हजार किलोमीटर पर रेल मार्ग की लबाई (1991-92)	12

स्रोत Economic Review 1997 ▪ 1998-99 Rajasthan, Statistical Abstract Rajasthan 1994

1 5 6 7 9 Statistical Abstract, Rajasthan, 1994

2 3 4 8 Economic Review 1997-98 1998-99 govt. of Rajasthan.

राजस्थान[1] के नियोजन कार्यालयों में 8 95 लाख व पूरे राष्ट्र में[2] 3 74 करोड़ रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के नाम दर्ज थे।

3 सहकारिता (Co-operation) - राजस्थान में 20255 सहकारी समितियां थी। इनकी कार्यशील पूंजी 1390 47 करोड़ रुपए थी।[3] इनमें 64 10 लाख व्यक्ति सदस्य थे। इन सहकारी समितियों की अंश-पूंजी 187 87 करोड़ रूपये थी।[4] 1988-89 के उपलब्ध राज्यवार तुलनात्मक आकड़ों के अनुसार सपूर्ण भारत की साख समितियों का 5 12% व गैर साख समितियों का 3 82% राजस्थान में विद्यमान था।[5] भारत की सर्वाधिक साख और गैर साख समितियां महाराष्ट्र में थी।[6]

4 योजनाओं की स्थिति (Planning in Rajasthan) - राज्य की योजनाओं से राज्य की वर्तमान एव भावी कार्यक्रमों का आभास होता है तो साथ ही राज्य के भावी स्वरूप का अनुमान भी लगाया जा सकता है। राजस्थान में योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति बहुत अधिक सतोषजनक नहीं कही जा सकती। प्रथम पचवर्षीय योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना - व्यय 34 रुपये था जो सभी राज्यों के औसत (38 रुपये) से कम था। राष्ट्रीय औसत राजस्थान के प्रतिव्यक्ति योजना व्यय मे आगामी योजनाओं के अतर्गत अतर बढ़ता गया। द्वितीय पचवर्षीय योजना मे अवश्य राजस्थान मे प्रतिव्यक्ति योजना व्यय राष्ट्रीय औसत (51 रुपये) मे अधिक रहा। तीसरी योजना में भी लगभग यही स्थिति रही जब राजस्थान का औसत प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (97 रुपये) राष्ट्रीय औसत (92 रुपये) अधिक रहा। चौथी पचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय औसत (142 रुपये) और राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (120 रुपये) रहा। पाचवीं योजना में भी यह व्यय (332) रुपये राष्ट्रीय औसत (362 रुपये) से कम रहा। छठी योजना के अतर्गत भी लगभग वही स्थिति बनी रही। इस योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (622 रुपये) राष्ट्रीय औसत (718 रुपये) से कम रहा। सातवीं पचवर्षीय योजना में यह अन्तराल और बढ़ा। इस योजना मे राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (875 रुपये) राष्ट्रीय औसत (1157 रुपये) से काफी कम था। इस प्रकार राष्ट्रीय औसत एव राजस्थान के प्रतिव्यक्ति आय मे अन्तर निरन्तर बढ़ रहा है। सातवीं योजना के परिव्यय की दृष्टि से राजस्थान का 11वा स्थान रहा जबकि महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश, क्रमश प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे। आठवीं योजना मे राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय 2613 रुपये था। 1998 99 के बजट अनुमानो के आधार पर राजस्थान में प्रतिव्यक्ति विकास पर किया गया व्यय 1359 88 रुपये था और इस दृष्टि से राजस्थान 9वें स्थान पर था।[7] इसी वर्ष प्रतिव्यक्ति विकास पर व्यय की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एव कश्मीर क्रमश प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर थे।

5 राजस्व (Public Finance) - पर्याप्त राजस्व उपलब्ध होने पर ही विकास कार्यों को गति दी जा सकती है। राजस्थान में प्रतिव्यक्ति राजस्व व्यय 1998-99 के अतर्गत 2250 29 रुपये था और राजस्थान इस दृष्टि से दसवें स्थान पर रहा।[8] प्रथम तीन स्थानों पर क्रमश पजाब, हिमाचल प्रदेश, व हरियाणा थे। प्रतिव्यक्ति राजस्व 1998-99 में राजस्थान में 1990 12 रुपये था और इस दृष्टि से राजस्थान का दसवा स्थान था।[9] प्रतिव्यक्ति राजस्व की दृष्टि मे जम्मू-कश्मीर, पजाब व हिमाचल प्रदेश क्रमश प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पर थे। प्रति व्यक्ति राजस्व कम होने पर भविष्य में राजस्व को बढ़ाने की अच्छी सभावनाएं विद्यमान होती है। इस दृष्टि से 1998-99 मे राजस्थान का प्रतिव्यक्ति कर राजस्व 1408 74 रुपये था और देश में दसवें स्थान पर था।[10] सर्वाधिक कर राजस्व केरल, में था। इसके पश्चात् गुजरात व तमिलनाडु थे। प्रतिव्यक्ति कर राजस्व कम होने का एक प्रमुख कारण आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना है। राजस्थान में केन्द्रीय करो का प्रतिव्यक्ति अश 1998 99 में 541 39 रुपये था और 5वे स्थान पर था। प्रथम व द्वितीय स्थान क्रमश जम्मू व कश्मीर व हिमाचल प्रदेश का था।

राजस्व की दृष्टि से भारत मे राजस्थान का स्थान

क्र स	विवरण	राज्यवार स्थान
1	प्रतिव्यक्ति राजस्व (1998-99)	10
2	प्रतिव्यक्ति कर राजस्व (1998-99)	10
3	केन्द्रीय करो का प्रति व्यक्ति अश (1998-99)	5
4	प्रतिव्यक्ति राजस्व व्यय (1998-99)	10

स्रोत Economic Review 1998 99 Rajasthan

6 कुल एव प्रतिव्यक्ति राज्य आय (Total & Per capital SDP) - राज्य की कुल एव प्रतिव्यक्ति आय से अर्थव्यवस्था की स्थिति का परिचय मिलता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण राज्य की आय पर मानसून की अनुकूलता व प्रतिकूलता का गहरा प्रभाव पड़ता रहा है। राजस्थान मे कम आय का एक महत्वपूर्ण कारण जनसख्या में तेज गति से वृद्धि होना भी रहा है। राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय वर्तमान एव स्थिर मूल्यों पर लगातार राष्ट्रीय औसत से कम रहती आई है।

1974-75 से निरतर राजस्थान में प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम रही है। विभिन्न राज्यों की तुलना में भी राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष

1 Statistical Abstract Rajasthan 1996 2 ... 1998
3 4 5 Statistical Abstract Rajasthan 1993
6 Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt of Rajasthan
7 8 9 10 11 Economic Review 1997 & 1998 99 Govt of Rajasthan

जुटाना कठिन है। तेजी से बढती हुई जनसख्या के कारण राज्य में बेरोजगारी एव निर्धनता आदि समस्याए भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। निरक्षरता व नगरीकरण से परिस्थितियां प्रतिकूल हुई है।

4 कृषि की विशिष्ट समस्याए (Problems before agriculture) - राजस्थान में कृषि का प्रमुख स्थान है। लेकिन देश के अन्य राज्यों की तुलना में कृषि अत्यधिक पिछडी हुई है। कृषि के विकास हेतु राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षाकृत कम धन का विनियोग किया गया है। राज्य में कृषि सबधी कुछ विशिष्ट समस्याए भी विद्यमान है। मानसून की अनिश्चितता एव वर्षा का अभाव, सिचाई-सुविधाओं का अभाव, जल ससाधनों व अपेक्षाकृत कम कृषि-योग्य भूमि की उपलब्धि तथा पशुधन के समुचित विकास का अभाव आदि के कारण देश के अन्य राज्यों के समान कृषि का विकास नहीं हो पाया है। कृषि सबधी उन्नत तकनीक का प्रयोग भी अन्य राज्यों की तुलना में कम हुआ है। अत राजस्थान कृषि विकास की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों से पिछडा हुआ है। भूमि सुधारों की धीमी प्रगति, उचित जल प्रबध का अभाव, क्षारीय व लवणीय मिट्टियों की समस्या और सरकारी साख की अपर्याप्तता ने कृषि विकास में बाधा उत्पन्न कर राज्य के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है।

5 प्राकृतिक ससाधनों का अपेक्षाकृत कम उपयोग (Low utilization of natural resources) - देश के अन्य राज्यों की तुलना में भूमि भूगर्भीय जल, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक ससाधनों का कम उपयोग किया गया है। भारत सरकार ने भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के विकास हेतु कम पूजी विनियोजित की है। राज्य के उत्पादक कारकों जैसे - पूजी, कुशल श्रम, उन्नत तकनीक एव उद्यमियों की कमी के कारण भी राज्य के प्राकृतिक ससाधनों का अपेक्षाकृत कम उपयोग हो पाया है। अत राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछडी हुई अवस्था में बना हुआ है।

6 औद्योगिक पिछडापन (Industrial backwardness) - राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से भी अन्य राज्यों की तुलना में पिछडा हुआ है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के औद्योगिक विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने देश के उन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया जहा पहले से ही औद्योगिक विकास की कुछ सुविधाए उपलब्ध थी ऐसी स्थिति में राजस्थान जैसे पिछडे हुए क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास न हो पाना स्वाभाविक था। यही कारण है कि राजस्थान में औद्योगिक सरचना का निर्माण कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाया है। औद्योगिक रूग्णता,श्रम सबधों व विवादों, शक्ति के साधनों के अभाव, परिवहन के अपर्याप्त साधन, कुशल श्रमिकों का अभाव, उन्नत तकनीक का अभाव तथा बीमा एव बैंकिंग सुविधा की अपर्याप्त सुविधा के कारण निजी क्षेत्र के उद्यमी भी राजस्थान में पूजी विनियोग करने का साहस नहीं कर पाते है। अत राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पिछडा हुआ है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा से औद्योगिक वातावरण बदल रहा है।

7. शक्ति के लगभग सभी प्रमुख साधनों का अभाव (Lack of power resources) - राजस्थान में शक्ति के साधनों का अन्य राज्यों की तुलना में अभाव है। अत राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछडा हुआ है। कोयले एव विद्युत शक्ति के लिए राजस्थान को देश के अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पडता है। राजस्थान में शक्ति के अपरम्परागत स्रोत जैसे- सौर ऊर्जा, व पवन ऊर्जा की प्रबल सम्भावनाए विद्यमान है लेकिन पूजी के अभाव के कारण शक्ति के इन अपरम्परागत साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। शक्ति के साधनों के अभाव के कारण राजस्थान की अर्थव्यवस्था देश के अन्य अनेक राज्यों के समान विकास नहीं हो पायी है। निजी क्षेत्र की सहभागिता से स्थिति में परिवर्तन आने की सभावना है।

8 परिवहन के साधनों का अपेक्षाकृत कम विकास (Under development of transportation facilities) - राजस्थान का अधिकाश भू-भाग रेगिस्तानी, पहाडी व पथरीला है। अत राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में सडक परिवहन का धीमी गति से विकास हुआ है। राजस्थान में रेल परिवहन का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। आज भी राजस्थान के अधिकाश क्षेत्रों में ब्रॉड गेज की सुविधा नहीं है। इसी प्रकार वायु परिवहन सुविधाए भी अन्य अनेक राज्यों की तुलना में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है।

9 सामाजिक सुविधाओं का अभाव (Lack of social facilities) - राजस्थान में विभिन्न सामाजिक सुविधाओं जैसे - शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा व पोषाहार आदि का देश के अन्य अनेक राज्यों की तुलना में अभाव है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण-सस्थाओं का आज भी पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एव चिकित्सा सुविधाए अपर्याप्त है। इन सभी तथ्यों से ज्ञात होता है कि राजस्थान देश के अन्य अनेक राज्यों की तुलना में अत्यधिक पिछडा हुआ है।

10 अंधविश्वास, भाग्यवादिता एवं परम्परागत समाज (Traditional society) - राजस्थान में प्राचीनकाल से ही सामन्तवादी व्यवस्था विद्यमान है। स्वतंत्रता के पूर्व तक यह राज्य अनेक छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न रियासतों में अनेक प्रकार की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं, कु-प्रथाओं एवं परम्पराओं का प्रचलन हो गया। राज्य में बाल विवाह, सती प्रथा पर्दा प्रथा, फिजूलखर्ची, अशिक्षा अंधविश्वास, अज्ञानता, धार्मिक व सामाजिक मान्यताएं तथा भाग्यवादिता आदि लंबे समय से चली आ रही है। ये प्रथाएं एवं परम्पराएं राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मे अत्यधिक बाधक रही है। अन्य अनेक राज्यों की तुलना में इन प्रथाओं और परम्पराओं का राजस्थान में प्रभुत्व रहा है और आज भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी स्पष्ट झलक देखी जा सकती है।

11 दोषपूर्ण नियोजन प्रक्रिया (Defective Planning) - भारत के अन्य राज्यों के समान राजस्थान में भी आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया 1950-51 में अपनायी गई। उस समय राजस्थान की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। राज्य की निर्माण प्रक्रिया ही 1956 में पूर्ण हुई। अत प्रथम पंचवर्षीय योजना संपूर्ण राज्य में लागू नहीं की जा सकी। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना तो कर दी गई लेकिन नियोजन प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर अपनाया नहीं गया। अत स्थानीय श्रमशक्ति एवं साधनों का स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समन्वय नहीं हो सका। जन सहभागिता के अभाव, परियोजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में देरी आदि से नियोजन प्रभावपूर्ण नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में दोषपूर्ण नियोजन के कारण राजस्थान का भारत के अन्य राज्यों के समान आर्थिक विकास नहीं हो पाया।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

1 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान राज्य की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए।
Discuss the present position of the State of Rajasthan in Indian Economy

2 राजस्थान राज्य का संक्षेप में भौगोलिक परिचय दीजिए।
Give in brief a geographical introduction of the state of Rajasthan

3 स्वस्थ अर्थव्यवस्था के कौन से सूचक है?
What are the indicators of healthy economy?

4 राजस्थान में रियासतों के एकीकरण के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए।
Explain the various stages of integration of the Princely States in Rajasthan

(B) निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

1 "राजस्थान के धीमे आर्थिक विकास के लिए सतत् अकाल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी श्रृंखला और रिसाव, दोषपूर्ण प्राथमिकताएँ उदासीन जन सहयोग एवं केन्द्रीय सहायता पर अत्यधिक निर्भरता ही उत्तरदायी है।" समीक्षा कीजिए।
"Slow Economic Development in Rajasthan is due to perennial famines lack of political will linkage and leakage defective priorities passive public sector and excessive dependence on central assitance " Discuss

2 राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का भारत वर्ष की अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारित कीजिए।
Determine the position of the State of Rajasthan in Indian Economy

3 राजस्थान प्रदेश की स्थिति की तुलना भारतीय स्थिति के साथ निम्न बिन्दुओं के आधार पर कीजिए

(अ) जनसंख्या (ब) क्षेत्रफल (स) कृषि व (द) उद्योग

Compare the positions of Rajasthan state with that of Indian position on the basis of the following points

a Population b Area c Agriculture and d Industry

4 "राजस्थान एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है।" इस कथन के सन्दर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति की विवेचना कीजिए।
"Rajasthan is a backward region in a backward economy " Discuss the position of Rajasthan in Indian Economy with reference to this statement

5 राजस्थान प्रदेश की आर्थिक स्थिति की तुलना सम्पूर्ण भारत की आर्थिक स्थिति से कीजिए और उन कारणों पर प्रकाश डालिए जिनके कारण यह प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ गया।

Compare th. economic position of Rajasthan state with that of India and throw light on those causes which have made it backward in comparision to other states

5 राजस्थान राज्य की आर्थिक स्थिति की तुलना भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की आर्थिक स्थिति से कीजिए।

Compare the econom c position of Rajasthan state w th that of other important states of Ind a

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(University Examination s Questions)

1 राजस्थान राज्य का अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारित कीजिए।

Determine the position of the State of Rajasthan in Indian Economy

2 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं को समझाईए। जिनसे ज्ञात होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था में है?

Explain those factors which show that the state of economy of Rajasthan is backward

3 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की जनसख्या क्षेत्रफल कृषि उद्योग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के सन्दर्भ में क्या स्थिति है?

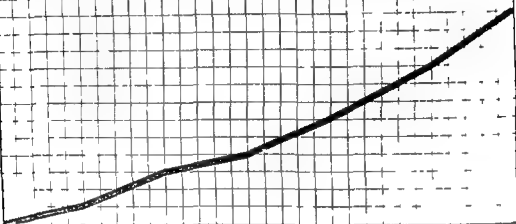
What is the population of Rajasthan in Indian Economy with reference to population Area Agriculture Industry and Infrastructure?



अध्याय – 2

राजस्थान में मानवीय संसाधन

HUMAN RESOURCES IN RAJASTHAN



"किसी राष्ट्र की वास्तविक न सम्पत्ति उसकी भूमियों व नदियो में, न उसके वनो व खानो मे, न उसके पशु व मौद्रिक सम्पत्ति मे निहित हैं, वरन उसके स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न स्त्री, पुरुष व बच्चों में निहित है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- जनसख्या का महत्व
- राजस्थान में जनसख्या का आकार एव सवृद्धि
- राजस्थान में जनसख्या वृद्धि दर
- राजस्थान में ग्रामीण व शहरी जनसख्या
- राजस्थान में जनसख्या का व्यावसायिक वितरण
- राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात
- राजस्थान में जनसख्या का घनत्व व असमान वितरण
- राजस्थान मे अनुसूचित जाति व जनजाति
- राजस्थान में मानव ससाधन विकास के तीन महत्वपूर्ण सूचक
- राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम
- अभ्यासार्थ प्रश्न

मानवीय संसाधनों का महत्व

IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES

"किसी राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति न उसकी भूमियों व नदियो मे, न उसके वनों व खानों में, न उसके पशु व मौद्रिक सम्पत्ति मे निहित है, वरन् उसके स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न स्त्री, पुरुष व बच्चों में निहित है।" **डी सी ह्विपिल** के ये शब्द जनसख्या के सदर्भ मे सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं। जनसख्या आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। **फ्रैडरिक हर्बिसन** ने इस सदर्भ में कहा है, "राष्ट्र का विकास *प्रथमत एव मुख्यत उसके लोगों की प्रगति पर निर्भर करता* है। यदि यह इनकी आत्मा और मानवीय सम्भाव्यताओं का विकास नहीं करता तो यह भौतिक, आर्थिक, राजनैतिक व सास्कृतिक रूप से अधिक विकसित भी नहीं हो सकता।" इस प्रकार जनसख्या विकास का प्रमुख आधार है और विकास के लिए प्राकृतिक ससाधनों का मानवीय ससाधनों के माध्यम से उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक ससाधनों का उपयोग जनसख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जनसख्या की कमी और वृद्धि उस देश एव राज्य के समक्ष जहा अनेक समस्याओं को जन्म देती है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास की गति को भी प्रभावित करती है। राजस्थान की जनसख्या, उसकी सरचना और उसकी अन्य विशेषताओं से परिचित

होना, राज्य के विकास के लिए अपरिहार्य हैं। संक्षेप में, जनसंख्या का संबंध और उसका महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है -

1 जनसंख्या व शक्ति (Population & Power) - जनसंख्या का आकार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा (पूर्व) सोवियत संघ, दोनों ही जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम दस राष्ट्रों में आते थे, उसी प्रकार एक राष्ट्र में एक राज्य विशेष का महत्व उसकी जनसंख्या के कारण बढ जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार आदि अपनी जनसंख्या के आकार के कारण ही अधिक महत्व प्राप्त कर सके है।

2 जनसंख्या व श्रम (Population & Labour) - जनसंख्या का सीधा संबंध देश एवं राज्य की कार्यशील जनसंख्या से है, फलस्वरूप राज्य को विकास के लिए आवश्यक श्रमशक्ति जनसंख्या से ही उपलब्ध होती है। कार्यशील जनसंख्या के निर्धारण के लिए उस राज्य में आयु के अनुसार जनसंख्या का वितरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3 जनसंख्या साधन एवं साध्य (Population as ends & Means) - उत्पादन के विभिन्न साधनों में श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। इसी कारण यह उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इस साधन में विनियोग करके इसकी उत्पादकता व गुणवत्ता को बढाया जा सकता है और इस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था का सुदृढ आधार तैयार किया जा सकता है। जनसंख्या साधन उपलब्ध कराने के साथ ही एक साध्य भी है, क्योंकि देश एवं राज्य में जो कुछ भी कार्य सम्पन्न होते है, उनका लक्ष्य जनसंख्या का अधिकतम कल्याण ही होना है।

4 माग का निर्माण (Creation of Demand) - अधिक जनसंख्या के कारण अधिक प्रभावपूर्ण माग का जन्म होता है, किसी राष्ट्र के विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण माग का निर्माण होने से विकास की गति तेज होती है, क्योंकि माग उत्पन्न होने पर ही अधिक उत्पादन संभव हो सकेगा। कीन्स ने प्रभावपूर्ण माग के महत्व पर अत्यधिक बल दिया है।

5 उत्पादन का पैमाना (Scale of Production) - यह आवश्यक तो नहीं है कि जनसंख्या अधिक होने पर कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक माग उत्पन्न होगी, किन्तु यह वास्तविकता है कि अधिक जनसंख्या होने पर, अन्य तत्वों के समान रहने पर, अधिक माग उत्पन्न होगी। इस कारण जनसंख्या अधिक होने पर देश में उत्पादन का पैमाना भी बडा होने की अधिक संभावनाए रहती है। इस कारण राष्ट्र व राज्य बडे पैमाने की आतरिक और बाह्य मितव्ययिताए प्राप्त कर सकते है।

6 शोध, अनुसंधान एवं आविष्कार (Research & Invention) - अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए अनेक प्रकार के शोधकार्य निरंतर जारी रहते है, जो कि अनेक आविष्कारों के कारण भी बनते है। इन समस्याओं का समाधान करने के क्रम में किसी राज्य विशेष पर बल दिया जाता है, फलस्वरूप उसके विकास की ओर भी ध्यान आकर्षित होता है।

7. समृद्धि का द्योतक (Indicator of Prosperity) - जनसंख्या के अध्ययन से राष्ट्र एवं राज्य की समृद्धि का पता लगाया जा सकता है। यदि किसी राष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि-दर में निरंतर गिरावट आ रही हो तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख मापदंड के रूप में प्रयुक्त किए जाने योग्य है। जनसंख्या की संरचना को जानकर जनसंख्या की गुणवत्ता को जाना जा सकता है। यदि इस गुणवत्ता में वृद्धि (जैसे-साक्षरता, स्वास्थ्य आदि) हुई है तो यह एक शुभ संकेत माना जा सकता है।

राजस्थान में जनसंख्या का आकार एवं संवृद्धि

SIZE & GROWTH OF POPULATION IN RAJASTHAN

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 4,40 05 990 थी।[1] इस प्रकार 1981 से 1991 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या में लगभग 98 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हुई। 1981 की तुलना में दशक वृद्धि दर 28 44% है।[2] 1981 में राजस्थान की जनसंख्या 3,42,61,862 थी।[3] संपूर्ण भारत की जनसंख्या 84,63,02,688 में राजस्थान का भाग 5 20% रहा।[4] विभिन्न राज्यों की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 9 वा स्थान है।[5] 1981 की जनसंख्या के अनुसार भी यह स्थान 9 वा था। इस संदर्भ में राज्य के क्षेत्रफल को देखा जाए तो यह क्षेत्रफल 3,42 239 वर्ग किलोमीटर है।[6] यह भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 10 41% है।[7] इस प्रकार राजस्थान के 10 41% भाग में देश की 5 20% जनसंख्या निवास करती है।[8] राजस्थान की जनसंख्या के आकार को निम्न तालिका में स्पष्ट किया जा सकता है -

1 3 4 5 6 7 8 Statistical Abstract, Rajasthan 1994
2 Economic Review 1997 [illegible] Govt. of Rajasthan.

भारत एवं राजस्थान में जनसंख्या का आकार

वर्ष	जनसंख्या (करोड में)		गत दशाब्दी पर प्रतिशत परिवर्तन (दशक वृद्धि दर)		
	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	कॉलम 4 व 5 का अंतर
1901	1 03	23 83	-	-	-
1911	1 10	25 21	+06 70	+05 75	0 95
1921	1 03	25 13	-06 29	-00 31	-5 98
1931	1 17	27 90	+14 14	+11 00	3 14
1941	1 39	31 87	+18 01	+14 22	3 79
1951	1 60	36 11	+15 20	+13 31	1 89
1961	2 02	43 92	+26 20	+21 51	4 69
1971	2 58	54 82	+27 83	+24 80	3 03
1981	3 43	68 52	+32 97	+25 00	7 97
1991	4 40	84 63	+28 44	+23 56	4 88
2001(सभा)	5 60	-	-	-	-

* Statistical Abstract, Rajasthan 1994

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 1921 में गत शताब्दी की तुलना में राजस्थान की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की अपेक्षा अधिक गिरावट आयी।

1931 ई से 1991 ई तक की अवधि में राजस्थान की जनसंख्या म भारत की जनसंख्या की तुलना मे तीव्र वृद्धि हुई है।

1981 मे राजस्थान एव भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक अतर किया गया है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की तुलना में 1971 की अपेक्षा 7 97% तेजी से बढी। 1991 की जनगणना के अनुसार यह अतर कुछ कम हुआ है।

राजस्थान की जनसंख्या सन् 1997 में 5 1 करोड सन् 2000 में 5 47 करोड व सन् 2001 में 5 60 करोड होने का अनुमान है।

राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक भाग जयपुर जिले की जनसंख्या का है जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10 7% है। राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर जिले में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से इस जिले का भाग मात्र 0 78% है। उदयपुर जिला (6 5%) दूसरे स्थान पर है। गगानगर व अलवर जिलों में क्रमश 5 9% व 5 2% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान के विभिन्न जिलों की जनसंख्या को निम्नलिखित क्रम में दिया गया है।

राजस्थान में जिलेवार जनसंख्या के आकार की स्थिति

राज्य की कुल जनसंख्या 4 4 करोड

(A) सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले (1991)

1 जयपुर 47 2 लाख

2 उदयपुर 28 8 लाख

1 गगानगर 26 2 लाख

(B) न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले (1991)

1 धौलपुर 7 4 लाख

2 सिरोही 6 5 लाख

3 जैसलमेर 3 4 लाख

स्रोत Statistical Abstract Raj 1994

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि -

1 राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से क्रमश जयपुर उदयपुर व गगानगर जिले क्रमश प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थानों पर है।

2 धौलपुर सिरोही और जैसलमेर जिले राजस्थान मे जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना (1991) के समय अतिम तीन स्थानों पर थे।

3 1901 से 1991 के मध्य अर्थात् 90 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या मे 3 38 करोड के लगभग वृद्धि हुई है।

4 राजस्थान की जनसंख्या में 1901 म 1951 के मध्य 50 वर्षों मे जनसंख्या की वृद्धि लगभग 57 लाख रही थी, लेकिन दूसरी ओर 1981 से 1991 के मध्य ही राजस्थान की जनसंख्या 98 लाख से अधिक बढ गई थी।

5 गत 30 वर्षों मे राजस्थान की जनसंख्या दुगने से भी अधिक हो गई है। 1961 में यह जनसंख्या 2 01 करोड थी जो 1991 में बढकर 4 40 करोड हो गई।

राजस्थान में जन्म व मृत्यु दर -

राजस्थान में जन्म व मृत्यु दरों मे निरन्तर कमी हुई है। लेकिन भारत की तुलना में ये दरें अधिक है। निम्न तालिका में राज्य की जन्म दर व मृत्यु दर को दर्शाया गया है

1 Statistical Abstract, Rajasthan 1994

राजस्थान में जन्म दर व मृत्यु दर (प्रति हजार)		
वर्ष	जन्म दर	मृत्यु दर
1980 81	37 1	14 3
1985-86	36 4	11.7
1990-91	35 8	10 1
1992 93	33 6	9 2
		स्रोत: Ninth Five Year Plan (1997-2002)

राजस्थान में ऊची जन्म दर के कारण

राज्य में ऊची जन्म दर के प्रमुख कारण निम्न है

1 विवाहित महिलाओ का अधिक भाग राजस्थान में विवाहित महिलाओं का अनुपात बहुत ऊचा है। इसलिये राज्य में जन्म दर भी ऊची है।

2 समाज का पिछडा होना राजस्थान की लगभग 30% जनसख्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछडी जातियों से सबधित है। निर्धनता एव अज्ञानता के कारण ये व्यक्ति परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग नही कर पाते है। अत सामाजिक पिछडेपन के कारण राज्य में जन्म दर ऊचा है।

3 विवाह की कम औसत आयु राज्य म विवाह की औसत आयु निर्धारित न्यूनतम स्तर (21 एव 18 वर्ष) से बहुत कम है। राजस्थान में बाल विवाह आज भी भारी मात्रा में होते है अत जन्म दर ऊची होना स्वाभाविक है।

4 ग्रामीण क्षेत्रों मे महिला साक्षरता की निम्न दर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 80% महिलायें निरक्षर है। निरक्षर महिलायें परिवार नियोजन के प्रति अपेक्षाकृत कम जागरूकय होती है। अत इन क्षेत्रों में जन्म दर ऊची होती है।

5 दम्पत्ति सुरक्षा दर कम राजस्थान म दम्पति सुरक्षा-दर (कुल दम्पत्तियों में परिवार नियोजन अपनाने वालों का अनुपात) अन्य राज्यों का तुलना में कम है। अत राज्य की जन्म दर ऊची है

राजस्थान में जनसख्या वृद्धि -दर[1]

GROWTH RATE OF POPULATION IN RAJASTHAN

जनसख्या वृद्धि-दर से आशय प्रति हजार व्यक्तियों पर जनसख्या का वृद्धि से है। जन्म व मृत्यु दरों के अतर से भी जनसख्या वृद्धि-दर ज्ञात की जा सकती है। राजस्थान मे 1921 तक सपूर्ण राष्ट्र की भाति ही जनसख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई। 1901 में राजस्थान की जनसख्या 1 02 करोड थी जिसमें 1911 में मामूली वृद्धि होकर यह 1 10 करोड हो गई। 1921 में इस जनसख्या में मामूली गिरावट आई और यह 1 04 करोड हो गई। 1921 के पश्चात् राजस्थान की जनसख्या में निरतर वृद्धि हुई है। 1931 में यह जनसख्या बढकर 1 18 हो गई और 1991 में यह 4 40 करोड तक पहुच गई है। इस प्रकार विगत 90 वर्षो में *राजस्थान की जनसख्या लगभग 326% बढा है।* जिलेवार विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इन्हीं 90 वर्षों में राजस्थान के 14 जिलों में जनसख्या का वृद्धि दर राज्य का जनसख्या वृद्धि की तुलना में अधिक रहा है। इस अवधि में गगानगर जिले में यह विकास दर सर्वाधिक 1725 77% रहा है। शेष बचे हुये 13 जिलों में जनसख्या की वृद्धि-दर राज्य की औसत वृद्धि दर की तुलना में कम ही रही है। इनमें सबसे कम वृद्धि दर धौलपुर जिलें में अकित की गई जो कि 150 66% है।

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दशक की जनसख्या वृद्धि-दर (Decade growth rate) 28 44% अकित की गइ जबकि 1981 म जनगणना के अनुसार यह वृद्धि-दर 32 97% थी 1951 में वृद्धि-दर 15 20% थी। 1961 में इसमे अत्यधिक वृद्धि हुई और यह 26 20% हो गई जो कि राष्टीय औसत से 4 69% अधिक था। 1971 में इसमें अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई और यह 27 83% हो गई किन्तु 1981 में इसमें पुन तीव्र वृद्धि हुई और यह 32 97% तक पहुच गइ जो कि राष्ट्रीय औसत से 7 97% अधिक था। 1991 की जनगणना से यह ज्ञात होता है कि राजस्थान में जनसख्या वृद्धि-दर में गिरावट आने लगी है क्योंकि यह 1991 म 28 44% रह गई जो कि 1981 की तुलना में 4 5% कम है। राजस्थान में जम्मू व कश्मीर व उत्तरी पूर्वी राज्यों को छोडकर सर्वाधिक जनसख्या वृद्धि-दर अकित की गई है। यह तथ्य राजस्थान के लिए शुभ सकेत नहा है। इसका आशय यह है कि राजस्थान सरकार का जनसख्या वृद्धि-दर को नियत्रित करने के विशेष प्रयत्न करने होंगे। यह हो सकता है कि 1991 में 1981 का अपेक्षा जनसख्या वृद्धि-दर म जो गिरावट आई है वह राजस्थान में निरन्तर जनसख्या वृद्धि दर में आने वाली गिरावट की प्रवृत्ति का एक सकेत है।

1 Various Censuses and Final Population Figures 99

राजस्थान में जनसख्या वृद्धि की दर जिलेवार स्थिति

(A) राज्य की वृद्धि दर 28 44%

(B) राज्य की औसत वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर वाले प्रमुख जिले -

1 बीकानेर 42 70%
2 जैसलमेर 41 73%
3 जयपुर 37 44%

(C) राज्य की औसत वृद्धि दर से कम वृद्धि दर वाले प्रमुख जिले

1 पाली - 18 63%
2 अजमेर - 20 05%
3 चित्तौडगढ 20 42%

स्रोत Statistical Abstract Raj 1994

1981 से 1991 के दशक में राजस्थान में 35 से अधिक की दशक जनसख्या वृद्धि-दर बीकानेर जैसलमेर और जयपुर में अकित की गई। 30 से 35 के मध्य जनसख्या वृद्धि-दर सीकर कोटा नागौर चूरू बासवाडा और अलवर जिले म रही। 25 से 30 के मध्य जनसख्या वृद्धि-दर (राजस्थान का औसत 28 44%) झुझुनु गगानगर बाडमेर डूगरपुर धौलपुर जोधपुर सवाई माधोपुर भरतपुर जालोर और बूदी में अकित की गई। 20 से अधिक व 25 तक वृद्धि दर टोंक उदयपुर झालावाड भीलवाडा सिरोही और चित्तौडगढ जिलों में रही। 20% या इससे कम जनसख्या वृद्धि दर अजमेर और पाली में पाई गई।

1991 की जनगणना के अनुसार औसत वार्षिक चक्र वृद्धि दर (Average annual exponential growth rate) राजस्थान व भारत में क्रमश 2 50 व 2 14 प्रतिशत है।

राजस्थान में जनसख्या वृद्धि-दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण

Factors Affecting Population Growth Rate in Rajasthan

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में दशक जनसख्या वृद्धि-दर व औसत वार्षिक वृद्धि दर दोनों ही 1981 91 के दशक में राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक रही है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसख्या वृद्धि दर का स्थिति अलग-अलग है। मुख्य रूप से राजस्थान में जनसख्या वृद्धि-दर राष्ट्रीय औसत से अधिक होने के निम्नलिखित कारण प्रतीत होते है

1 आर्थिक पिछडापन (Economic Backwardness)- जनसख्या वृद्धि दर और आर्थिक विकास का गहरा सबध है। आर्थिक विकास के साथ-साथ जनसख्या वृद्धि दर कम होती है। यद्यपि पूरे देश और राजस्थान में जनसख्या वृद्धि दर म 1981 91 के दशक में कमी आई थी फिर भी राजस्थान मे जनसख्या वृद्धि-दर का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है क्योकि राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पिछडा हुआ है। यह पिछडापन औद्योगिक एव सामाजिक पिछडापन है। फलस्वरूप जनसख्या वृद्धि-दर अपेक्षाकृत अधिक है।

अतिम जनगणना 1991

जनगणना को शुरूआत तो 1881 से माना जाती है लेकिन इससे पूर्व भी जनगणना को पर्याप्त महत्व दिया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में समाहर्ता नामक अधिकारी को गावों का सीमा घरा खेतों तालाबों मदिरा धर्मशालाओं आबादी की सख्या कृषक शिकारियों व्यापारियों मजदूरों दासों पुरुषों स्त्रियों बच्चों बूढ़ों आदि के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करके उसका विवरण रखना पडता था। इसी प्रकार नगर के अधिकारी का कर्तव्य था कि वह जाति गौत्र के अनुसार सभी स्त्री पुरुषों की जनगणना करे साथ ही उनके व्यवसाय आय व्यय का विवरण प्राप्त करे। कौटिल्य ने तो यह सुझाव भी दिया था कि कई बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ईसा से तीसरी व चौथी शताब्दी पूर्व मौर्यकाल में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। मुगलकाल में भी सैन्य व्यवस्था व राजस्व वसूली के लिए विस्तृत विवरण तैयार किया जाता था। अबुल फजल की आईने अकबरी म 16वी शताब्दी में जनगणना का सकेत मिलता है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में इस ओर विशेष प्रयास हुए लेकिन आधुनिक पद्धति का जनगणना का आरम्भ 1857 के स्वतत्रता सग्राम के पश्चात् ही हुआ। 1861 में जनगणना की योजना 1857 के स्वतत्रता सग्राम के कारण सभव नही हो पाई। 1865 में पश्चिमोत्तर 1866 में मध्य प्रात 1867 में पजाब तथा 1869 में अवध की जनगणना हुई। इसी काल में क्रमश मद्रास बम्बई और कलकत्ता की भी जनगणना हुई। भारत में 1991 की जनगणना वर्तमान जनगणना विधि के दृष्टिकोण से आखिरी जनगणना होगी। आगामी जनगणना सेम्पल सर्वेक्षण के अनुसार हुआ करेगी।

2 ऊष्ण जलवायु (Hot Climate) राजस्थान का लगभग समस्त प्रदेश कर्क रेखा से ऊपर स्थित है और इस प्रकार शीतोष्ण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राजस्थान का लगभग आधा भाग रेगिस्तानी होने के कारण राजस्थान की जलवायु अत्यधिक विषम है। प्रमुख रूप से ऊष्ण जलवायु के अन्तर्गत मनुष्य जल्दी परिपक्व होता है। फलस्वरूप जनसख्या वृद्धि-दर बढने की अधिक सभावना रहती है। यह सपूर्ण भारत की भाति राजस्थान के सदर्भ में भी जनसख्या वृद्धि-दर अधिक होने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

3 बाल विवाह (Children s Marriage) राजस्थान के अधिकाश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत कम उम्र में विवाह होते है जिससे कम उम्र में ही सतान होना आरभ हो जाता है। कानूनी रूप स लडके और लडकी की विवाह योग्य आयु क्रमश 21 और 18 वर्ष है किन्तु विशेषकर ग्रामीण

क्षेत्रों में इस नियम का पालन नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने बाल विवाह के जो दुष्परिणाम बतलाये थे वे राजस्थान पर बिल्कुल सही उतरते है। उन्होंने कहा था कि "बाल विवाह से असामयिक सन्तानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में सन्तान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्पायु होती है,उनकी दुर्बल और रोगी संतान देश में भिखारियों की संख्या बढाने का कारण बनती है।" उन्होंने यह भी कहा था, "आज घर-घर इतनी विधवायें पाए जाने का मूल कारण बाल विवाह ही है। यदि बाल विवाह की संख्या घट जाये तो विधवाओं की संख्या भी स्वमेव घट जायेगी।"

4. संयुक्त परिवार प्रथा (Joint Family System) - राजस्थान में भारत के अधिकांश भागों की भांति आज भी संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा में बच्चों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व परिवार के बुजुर्ग सदस्यों पर होता है। इस कारण बाल विवाह और उसके पश्चात् कम उम्र में सन्तानोत्पत्ति, साथ ही बच्चों के पालन पोषण में अल्पायु में विवाहित दम्पति को कोई विशेष कठिनाई नहीं आती। इस कारण जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है।

5 गरीबी एवं निम्न जीवन-स्तर (Poverty and Low standard of living) - राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या की आय अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इस कारण लोगों का जीवन स्तर भी नीचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर छोटे -छोटे बच्चों को भी अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से काम लगा दिया जाता है। इससे इस प्रवृत्ति का बल मिलता है कि अधिक संतान से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। यह मानसिकता जन्म दर को बढाने में सहायक होती है।

6 शिक्षा का अभाव (Lack of Education) - राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। राजस्थान की केवल 38 55 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर है।[1] सम्पूर्ण भारत में साक्षरता का यह प्रतिशत 52 21 है।[2] यह तथ्य अनेक अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि साक्षरता और जनसंख्या वृद्धि-दर में विपरीत संबंध है। इस कारण साक्षरता में कमी स्वाभाविक रूप से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर का एक महत्वपूर्ण कारण है। अशिक्षा के कारण सामान्य व्यक्ति भविष्य के प्रति सचेत नहीं होता और उसका परिवार अकारण ही बड़ा हो जाता है।

7 शिशु मृत्यु दर अधिक (Higher infant death rate) - शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण भी राजस्थान में अधिक सन्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यक्ति प्राय यह सोचता है कि वर्तमान बच्चों में से भविष्य का पता नहीं कितने बच्चे जीवित रहें, इस कारण वह परिवार को बड़ा रखना चाहता है। इसके साथ ही पुत्र का होना आवश्यक माने जाने के कारण भी परिवार में वृद्धि होती है। शिशु मृत्यु दर के अधिक होने का प्रमुख कारण राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं का पर्याप्त विकास न होना और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लोगों तक न पहुंचना है।

8 प्रकृति पर निर्भरता व भाग्यवादिता (Dependence on Nature) - देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सन्तानोत्पत्ति भाग्य भरोसे है। व्यक्तियों का साधारणत यह विश्वास रहता है कि जो जन्म लेता है, वह अपना भाग्य भी साथ लाता है। रेगिस्तान व कम वर्षा तथा प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राजस्थान का निवासी विशेष रूप से भाग्यवादी बन गया है। भाग्यवादिता के आधार पर सन्तानोत्पत्ति पर अकुंश लगाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता है।

9 परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता (Indifferent Attitude towards family planning) - राष्ट्र में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के चलते हुये एक लंबी अवधि बीत चुकी है, किन्तु फिर भी राजस्थान में और विशेषत इसके ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अपेक्षित प्रभाव नहीं हो पाया है। इसका कारण परिवार नियोजन के प्रति राजस्थान में अत्यधिक उत्साह नहीं देखा गया है। यह प्रवृत्ति जनसंख्या वृद्धि-दर को बढ़ाती है।

10 अन्य (Others) - देश के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी विवाह की अनिवार्यता, आवास समस्या, मनोरंजन के साधनों का अभाव, सामाजिक सुरक्षा की अपर्याप्तता आदि वे महत्वपूर्ण कारण है, जो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि-दर को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।

ग्रामीण व शहरी जनसंख्या
RURAL & URBAN POPULATION

राजस्थान में गांवों का आधिक्य है और राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 3 42 करोड़ की जनसंख्या में से 2 70 करोड़ लोग गांवों में और 0 70 करोड लोग शहरों में निवास कर रहे थे। इस प्रकार राजस्थान की जनसंख्या का 78 95% गाँवों में और 21 05% शहरों में निवास करता था। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 4 40 करोड़ की जनसंख्या में से 3 39 करोड़ लोग गाँवों में और 1 0 करोड़ लोग शहरों में निवास कर रहे है। इस प्रकार 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या का 77 1%

1 2 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt. of Rajasthan

की गॉवों में और 22 9% शहरों में निवास कर रहा है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में ग्रामीण एद शहरी जनसख्या का वितरण निम्न तालिका मे स्पष्ट है -

राजस्थान में जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसख्या की स्थिति (1991)

(A) राजस्थान की ग्रामीण जनसख्या 3 39 करोड

राजस्थान की शहरी जनसख्या 1 00 करोड

(B) सर्वाधिक ग्रामीण जनसख्या वाले प्रमुख जिले

1 जयपुर 28 5 लाख

[illegible] उदयपुर 23 9 लाख

3 गगानगर 20 7 लाख

(C) सर्वाधिक शहरी जनसख्या वाले प्रमुख जिले

1 जयपुर 18 6 लाख

2 जोधपुर 7 6 लाख

3 कोटा 7 3 लाख

4 अजमेर 7 [illegible] लाख

स्रोत *Statistical Abstract Raj 1994*

उपरोक्त तालिका मे ज्ञात होता है कि राजस्थान की सर्वाधिक ग्रामीण जनसख्या एव इसी भाति सर्वाधिक शहरी जनसख्या भी जयपुर जिले में निवास करती है। ग्रामीण जनसख्या की दृष्टि से उदयपुर जिले का दूसरा और गगानगर जिले का तीसरा स्थान है। राजस्थान मे सबसे कम ग्रामीण जनसख्या जैसलमेर जिले मे है। शहरी जनसख्या की दृष्टि मे जयपुर के पश्चात् जोधपुर का स्थान है। तीसरा स्थान कोटा व चौथा अजमेर जिले का है। राजस्थान में सबसे कम शहरी जनसख्या जैसलमेर जिले में है। राजस्थान में नगरीकरण की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे बढ रही है। जनसख्या के विभिन्न नगरो मे केन्द्रित हो जाने का कोई अच्छा प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। राजस्थान के साधन सीमित होने के कारण इस प्रवृत्ति का दीर्घकाल मे प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। सरकार अपनी नीति मे परिवर्तन करके और साथ ही छोटे नगरों कस्बों और ग्रामो का औद्योगिक विकास करके इस प्रवृत्ति को बडी सीमा तक रोक सकती है। राजस्थान मे नगरो की जनसख्या मे शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण तीव्र गति से वृद्धि हुई है इस तथ्य का आभास राजस्थान के प्रमुख शहरों के उपलब्ध आकडो से होता है -

राजस्थान में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर

शहर	जनसख्या			
	1961	1971	1981	1991
जयपुर(U S)	403444	615258	977165	1518235
जोधपुर	224766	317612	5^6345	666279
कोटा	120345	212991	358241	537371
बीकानेर	150634	188518	253174	416289
अजमेर	281240	264591	375593	402700
उदयपुर	111139	161278	232588	308571
अलवर(U S)	72707	100378	145795	210146
भीलवाडा	43409	32155	122625	183965
गगानगर	63854	90042	123692	161482
भरतपुर	49776	68036	105274	156880
सीकर	50636	70987	102970	148272
पाली	-	-		136842
ब्यावर (U S)	-	-	-	106721
टोंक (U S)	-		-	100235

उपरोक्त तालिका मे ज्ञात होता है कि गत 30 वर्षो में जयपुर शहर की जनसख्या 3 गुणा से भी अधिक हो गई है। इसी अवधि मे जोधपुर शहर की जनसख्या 2 [illegible] गुणा से अधिक कोटा शहर की जनसख्या 4 गुणा से अधिक बीकानेर शहर की जनसख्या 2 5 गुणा से अधिक बढी है। अजमेर शहर की जनसख्या 1 5 गुणा से भी कम की वृद्धि हुई है। उदयपुर शहर की जनसख्या 2 5 गुणा, अलवर शहर की जनसख्या लगभग 3 0 गुणा तथा भीलवाडा शहर की जनसख्या में 4 0 गुणा से भी अधिक की वृद्धि हुई है। गगानगर शहर की जनसख्या 2 5 गुणा से अधिक व भरतपुर शहर की जनसख्या 3 0 गुणा से अधिक बढी है। इस प्रकार सबसे कम वृद्धि अजमेर शहर मे हुई है।

राजस्थान में नगरीकरण के कारण- FACTORS RESPONSIBLE FOR URBANISATION IN RAJASTHAN

राजस्थान मे नगरीकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है -

1 कृषि क्षेत्रों मे बेरोजगारी (Unemployment in Agricultural Sector) - सम्पूर्ण राजस्थान में कम से कम चरागाह तो कृषक बेरोजगार ही रहते है। जिन स्थानों

पर केवल एक फसल ली जाती है, वहां पर वह लगभग ■ माह बेरोजगार रहते है। प्राकृतिक विषमताओं के कारण अकाल आदि की स्थिति में कृषक एव कृषि मजदूर दोनों ही बेरोजगार हो जाते है। इस कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए आना आरंभ हो जाते है।

2 ग्रामों में सुविधाओं का अभाव (Lack of facilities in villages) - भारत की भांति राजस्थान राज्य में भी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उन्नति के इच्छुक ग्रामवासी इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहते, अत शहरों में उपलब्ध इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वे शहरों में आकर बसना आरंभ कर देते है।

3 ग्रामों में सुरक्षा का अभाव (Lack of Security in Villages) - ग्रामीण क्षेत्रों में जान माल की सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। अत साहूकार, जमींदार तथा व्यापारी आदि धनी व्यक्ति शहरों में आकर बसने की प्रवृत्ति रखते है। आम व्यक्ति भी सुरक्षा की खोज में शहरों में आना चाहते है।

4 परिवहन साधनों का विकास (Transportation)- राजस्थान में पूरे देश की भांति परिवहन के साधन तीव्र गति से विकसित हो रहे है। इस कारण ग्रामीण लोग व व्यापारी शहरी मण्डियों एव व्यापारिक केन्द्रों से सपर्क स्थापित कर रहे है। धीरे धीरे लाभ कमाने के उद्देश्य से ये शहरी क्षेत्रों में भी व्यापार करना आरंभ कर देते है।

5 कुटीर व लघु उद्योगों की कमी (Lack of Cottage and Small Scale Industries)- ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योग पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में कृषि मजदूरों और छोटे-छोटे कारीगरों को पूर्ण कार्य नहीं मिल पाता फलत वे शहरों में आते है। शहरों में अधिक मजदूरी व स्थाई रोजगार मिल जाने पर ये व्यक्ति शहरों में ही बस जाते है।

संक्षेप में राजस्थान में सम्पूर्ण देश की भांति नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के गंभीर प्रयास किया जाना चाहिये इस हेतु गांवों, कस्बों और नगरों का एक दूसरे के पूरक के रूप में विकास होना चाहिए ताकि सभी लोगों को लगभग समान सुविधाएं व अवसर मिल सके। तभी राज्य में आर्थिक एव सामाजिक कल्याण के प्रयास सार्थक हो पाएगे।

राजस्थान में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

OCCUPATIONAL DISTRIBUTION OF POPULATION IN RAJASTHAN

राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण यहां की अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर को प्रतिबिम्बित करता है। 1971 की जनगणना में श्रमिक की परिभाषा में श्रमिक वर्ग में केवल उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया, जो मुख्य रूप से पूरे समय किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुये थे। शेष व्यक्ति गैर श्रमिक माने गये। राजस्थान में 1991 की जनगणना के आधार पर श्रमिकों का निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है -

श्रमिकों का वर्गीकरण (प्रतिशत में)[1]

वर्गीकरण		ग्रामीण	शहरी	कुल
मुख्य श्रमिक	1981	31 53	26 54	30 48
	1991	32 94	27 16	31 62
सीमान्त श्रमिक	1981	7 54	0 83	6 13
	1991	9 10	0 99	7 25
गैर श्रमिक	1981	60 93	72 63	63 39
	1991	57 96	71 83	61 13

राजस्थान में 1991 की जनगणना के आधार पर मुख्य श्रमिकों को उनके व्यवसाय के अनुसार निम्न प्रकार विभक्त किया जा सकता है -

मुख्य श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण (लाखों में)[2]

व्यवसायिक वितरण	ग्रामीण	शहरी	कुल
कुल मुख्य श्रमिक	111 79	27 35	139 15
1 कृषक	79 38	2.42	81 81
2 कृषि श्रमिक	12 90	1 01	13 91
3 पशुपालन, वन, मत्स्य, आखेट वृक्षारोपण उद्यान एव सहायक क्रियाए	2 10	0 40	2 51
4 खन एव खनन	1 06	0 37	1 43
5 विनिर्माण, विधायन सेवा एव मरम्मत घरेलू उद्योग	1 82	0 95	2 78
घरेलू उद्योग के अतिरिक्त	2 61	4 96	7 58
■ निर्माण कार्य	1 48	1 88	3 37
7 व्यापार एव वाणिज्य	3 02	5 90	8 92
8 परिवहन भण्डारण एव सचार	1 22	2 10	3 32
9 अन्य सेवाए	6 16	7 32	13 48

तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में अधिकाश व्यक्ति कृषि एव कृषि से सबधित क्रियाओं में सलग्न है। यह तथ्य राज्य में कृषि की प्रधानता को स्पष्ट करता है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम श्रमिक कार्यरत है। वस्तुत राज्य में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। अत अन्य क्षेत्रों की तुलना में राज्य के उद्योग-क्षेत्र में कम श्रम शक्ति का होना स्वाभाविक है। राज्य का सेवा क्षेत्र अनेक व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। व्यापार एव वाणिज्य सबधी क्रियाओं में भी अनेक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है।

जिलानुसार श्रमिको के वर्गीकरण की स्थिति 1991

(A) मुख्य श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले
1 चित्तौडगढ 41 45%
2 भीलवाडा 40 39%
3 झालावाड 38 25%

(B) सीमान्त श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले-
1 डूगरपुर 14 41%
2 बासवाडा 13 89%
3 बाडमेर 10 82%

(C) गैर श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले-
1 धौलपुर 70 42%
2 सीकर 68 35%
3 झुझनू 66 58%

स्रोत Final Population Figures (1991)

राजस्थान में जनसख्या के व्यावसायिक वितरण से ज्ञात होता है कि राजस्थान में प्राथमिक व्यवसायों में काफी बडी सख्या में श्रमिक लगे हुए है। इस सदर्भ म आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रो चार्ल्स स्टीवार्ट को उद्धृत किया जा सकता है। उनके अनुसार -"श्रम पक्ष के सबध में आर्थिक विकास का मूल तथ्य इसमें निहित है कि श्रमिकों का कृषि स वाणिज्यिक कार्यों में व्यवसायान्तरण किया जाए।" इस बात का समर्थन प्रो ए जी बी फिशर ने भी किया है। उनके अनुसार "प्रत्येक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में और विनियोग में एक निश्चित हस्तान्तरण प्राथमिक क्रियाओं व उससे अधिक सभी प्रकार की द्वितीयक क्रियाओं में और इससे भी अधिक सीमा में तृतीयक उत्पादन में होता है।" इस प्रकार राजस्थान में कृषि पर आश्रितता के कारण कार्यशील जनसख्या की व्यावसायिक गतिशीलता में कमी दृष्टिगोचर होती है। राजस्थान में वैकल्पिक व्यवसाय भी बहुत अधिक मात्रा में विकसित नहीं हो पाये है। इस कारण भी यह स्थिति है। राजस्थान में तीव्र गति से विकास करने के लिए जनसख्या को अन्य व्यवसायों में हस्तान्तरित करना होगा।

राजस्थान में स्त्री-पुरूष अनुपात
SEX RATIO IN RAJASTHAN

स्त्री पुरुष अनुपात से आशय प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की सख्या से है। यह एक महत्वपूर्ण सूचक है जिसका प्रभाव जन्म दर, मृत्यु दर और श्रम शक्ति पर पडता है। यदि इस अनुपात में काफी अधिक असमानता हो तो अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं के साथ जनसख्या से सबधित अनेक समस्याए भी उत्पन्न हो जाएगी। आदर्श स्थिति में स्त्री-पुरुषों का अनुपात बराबर या लगभग बराबर होना चाहिये। राजस्थान में सपूर्ण भारत की भाति स्त्री पुरुष अनुपात कभी भी समान नहीं रहा। इस बात का ज्ञान निम्न तालिका से भी होता है -

राजस्थान में स्त्री - पुरुष अनुपात[1]

वर्ष	स्त्री पुरुष	वर्ष	स्त्री-पुरुष अनुपात
1901	905	1951	921
1911	908	1961	908
1921	896	1971	911
1931	907	1981	919
1941	906	1991	910

जिलेवार स्त्री-पुरुष अनुपात की स्थिति (1991)

(A) राज्य औसत (910) स अधिक अनुपात वाले प्रमुख जिले
1 डूगरपुर 995
2 बासवाडा 969
3 उदयपुर 965

(B) राज्य औसत स कम अनुपात वाले प्रमुख जिले
1 धौलपुर 795
2 जैसलमेर 807
3 भरतपुर 832

स्रोत Statistical Abstract Raj 1994

ज्ञात होता है कि -

1 राजस्थान में गगानगर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर धौलपुर, सवाईमाधोपुर जयपुर जैसलमेर जोधपुर बाडमेर बूदी व कोटा जिलों में स्त्री पुरुष अनुपात राज्य के औसत अनुपात स कम है।

2 राजस्थान में चुरू झुझनू सीकर, अजमेर टोंक, नागौर

1 Various Censuses and Final Population Figures 1991

पाली, जालोर, सिरोही, भीलवाडा, उदयपुर, चित्तौडगढ, डूगरपुर, बासवाडा और झालावाड जिलो मे स्त्री-पुरुष अनुपात राज्य के औसत स्त्री-पुरुष अनुपात से अधिक है।

3 राजस्थान मे सर्वाधिक स्त्री-पुरुष अनुपात डूगरपुर जिले में है। तत्पश्चात् क्रमश बासवाडा, उदयपुर, पाली, चित्तौडगढ आदि का स्थान है।

4 राजस्थान में सबसे कम स्त्री-पुरुष अनुपात धौलपुर जिले मे है।

5 राजस्थान में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय स्त्री पुरुष अनुपात अधिक है। शहरी क्षेत्रों में यह राज्य के औसत से प्राय कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय अधिक है।

6 राजस्थान मे 1981 की तुलना में स्त्री-पुरुष अनुपात कम हुआ है। राज्य का स्त्री-पुरुष अनुपात सपूर्ण भारत के औसत अनुपात की तुलना में कम है।

7 1901 से 1991 तक राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं रहा, जिसमे लगातार स्त्रियो की सख्या पुरूषों से अधिक रही हो।

8 यह स्मरण कराना उपयुक्त प्रतीत होता है कि 1901 की जनगणना के समय डूगरपुर और बासवाडा ऐसे जिले थे, जहा पर स्त्री-पुरुष अनुपात स्त्रियों के अनुकूल था। डूगरपुर मे स्त्री-पुरुषों की सख्या बराबर थी और बासवाडा मे स्त्रियों की सख्या पुरुषों मे अधिक थी। 1911 की जनगणना के अनुसार डूगरपुर और बासवाडा दोनों में स्त्रियों की सख्या अधिक थी। बासवाडा में यह स्थिति केवल 1931 तक बनी रही। डूगरपुर में 1931 की जनगणना में यह स्थिति नहीं बन रह सकी। 1931 की जनगणना में उसमें पुरूषों की सख्या अधिक हो गई। यह स्थिति 1941 की जनगणना में भी रही। 1951 में डूगरपुर ने पुन 1931 से पूर्व की स्थिति प्राप्त कर ली, जिसमे स्त्रियों की सख्या पुरुषो से अधिक थी। 1961 में यह स्थिति नही रही। इस जिले में 1971 और 1981 की जनगणना मे स्त्रियों की सख्या बढी अवश्य किन्तु वह पुरूषों की सख्या से कम रही। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का डूगरपुर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की सख्या पुरुषो से अधिक है।

राजस्थान मे जनसंख्या का घनत्व एवं असमान वितरण

DENSITY & UNEVEN DISTRIBUTION OF POPULATION IN RAJASTHAN

जनसख्या के घनत्व और आर्थिक विकास में गहरा सबध है। इसी कारण जनसख्या के घनत्व का अध्ययन किया जाता है। जनसख्या के घनत्व से आशय एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत सख्या से है। कुल जनसख्या में कुल क्षेत्र का भाग देकर जनसख्या का घनत्व मालूम किया जा सकता है। घनत्व एक क्षेत्र विशेष में औसत जनसख्या की स्थिति को बताता है। इससे यह ज्ञात होता है कि किस क्षेत्र में जनसख्या कम है और किसमें अधिक है। विभिन्न जनगणनाओं के अनुसार राजस्थान व भारत में घनत्व की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है-

राजस्थान में जनसख्या का घनत्व[1]

वर्ष	राजस्थान	भारत
1901	30	77
1911	32	82
1921	30	81
1931	34	90
1941	41	103
1951	47	117
1961	59	142
1971	75	177
1981	100	216
1991	129	273
2001(अनु)	164	-

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के 10% से अधिक है, किन्तु इसमें भारत की लगभग 5% जनसख्या निवास करती है। राजस्थान के 27 जिलों के सदर्भ में 1991 की जनगणना के आकडे उपलब्ध है जिनके अनुसार सभी जिलों में जनसख्या का घनत्व अलग-अलग है।

राजस्थान मे जिलेवार क्षेत्रफल एव घनत्व की स्थिति (1991)

(A) राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले प्रमुख जिले
1. जैसलमेर - 11.22%
2 बाडमेर - 8.29%
3 बीकानेर - 7.95%

(B) राज्य के सर्वाधिक घनत्व वाले प्रमुख जिले-
1 जयपुर - 336
2. भरतपुर - 326
3 अलवर - 274

(C) राज्य के न्यूनतम घनत्व वाले प्रमुख जिले
1 जैसलमेर - 8
2 बीकानेर - 27
3 बाडमेर - 45

स्रोत Statistical Abstract Raj 1994

1 Various Censuses and Final Population Figures, 1991 & Statistical Abstract, Rajasthan 1994

राजस्थान के घनत्व के संबंध में निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है

1 राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 1931 से निरंतर बढ़ रहा है। यह 1901 व 1921 में 30 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। 1931 में यह 34 हो गया और उसके बाद निरंतर बढ़ता हुआ 1991 में 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया।

2 राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व सदैव भारत के जनसंख्या के घनत्व से कम रहा है।

3 जयपुर जिला राजस्थान का सबसे घना बसा जिला है। इसका प्रमुख कारण इसका राजधानी होना तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त आवागमन सुविधायें उपलब्ध होना है। जयपुर का व्यापारिक केन्द्र के रूप में उदित होना भी एक कारण है। जयपुर के पश्चात् भरतपुर, अलवर व झुंझुनू का स्थान है।

4 जैसलमेर जिला घनत्व की दृष्टि से सबसे नीचे है। इस के मुख्य कारण इस क्षेत्र का रेगिस्तानी होना, जलवायु विषम होना, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होना, कृषि एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा होना तथा परिवहन के साधनों का विकसित न हो पाना आदि है।

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति

SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES IN RAJASTHAN

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की संख्या 1981 में क्रमशः 58 38 लाख व 41 83 लाख थी जो 1991 में बढ़कर क्रमशः 76 07 लाख व 54 47 लाख हो गई। राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वितरण निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है

राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति

वर्ष	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1981	58 38	47 90	10 48	41 83	40 27	1 56
1991	76 07	61 02	15 05	54 74	52 20	2 54

स्रोत Various Census ... and Final Population Figures 1991

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जिलेवार स्थिति 1991

(A) अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले प्रमुख जिले

1 गंगानगर 29.56%
2 सवाईमाधोपुर 21 87%
3 भरतपुर - 21 64%

(B) अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले प्रमुख जिले -

1 बांसवाड़ा - 73 47%
2 डूंगरपुर 65 84%
3 उदयपुर 36 79%

स्रोत Statistical Abstract Raj 1994

राजस्थान में अनुसूचित जाति के व्यक्ति शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग बराबर स्थिति में है। अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित है। गंगानगर जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का एवं बांसवाड़ा जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है।

राजस्थान में धर्म के अनुसार जनसंख्या

Religionwise Population in Rajasthan

धर्मानुसार जनसंख्या का वितरण 1991 की जनगणना के आधार पर उपलब्ध नहीं हो पाया है। 1981 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में 89 32% लोग हिन्दू, 7 28% मुस्लिम, 1 28% जैन, 1 44% सिक्ख, 0 12% ईसाई एवं 0 01% बौद्ध धर्मावलम्बी थे। ज्ञात होता है कि

1 राजस्थान में धर्मानुसार सर्वाधिक हिन्दू धर्मावलम्बी है।

2 कुल जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक हिन्दू निवास करते है। राजस्थान में सबसे कम हिन्दू जनसंख्या का प्रतिशत जैसलमेर व गंगानगर जिले में है।

3 जैसलमेर जिले की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का भाग सर्वाधिक है। प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा व उदयपुर जिले में है।

4 नागौर जिले की जनसंख्या में अन्य जिलों की अपेक्षा सर्वाधिक जैन धर्मावलम्बी है तत्पश्चात् सिरोही का स्थान है।

5 सिक्खों की सर्वाधिक जनसंख्या गंगानगर व जयपुर जिले में है।

6 राजस्थान के अन्य जिलों की अपेक्षा बांसवाड़ा जिले की जनसंख्या में ईसाई धर्मावलम्बियों का प्रतिशत सबसे

अधिक है, तत्पश्चात् अजमेर का स्थान है।

7 सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलम्बी अजमेर व बासवाडा में निवास करते हैं।

राजस्थान में मानव संसाधन विकास के तीन महत्वपूर्ण सूचक

THREE IMPORTANT INDICATORS OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

(A) राजस्थान में साक्षरता (Literacy in Rajasthan) - व्यक्तियो द्वारा किसी भाषा को सामान्य रूप मे लिखने पढने तथा उसे समझने की क्षमता को प्राय साक्षरता का नाम दिया जाता है। भारत में साक्षरता का प्रतिशत अन्य राष्ट्रों की तुलना मे कम है,तो राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत अन्य राज्यो की तुलना में कम है। आधुनिक समय में साक्षरता उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितना कि आवास तथा भोजन। सामान्य तौर पर दो प्रकार की साक्षरता दरें ज्ञात की जाती है। पहली, सामान्य साक्षरता दर जो कि कुल साक्षरों और देश की कुल जनसख्या का अनुपात होती है। दूसरी, प्रभावी साक्षरता दर जो कि 1981 की जनगणना तक भारत में पाच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निरक्षर मानते हुये ज्ञात की जाती थी। 1991 की जनगणना से प्रभावी साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए सात वर्ष से कम आयु के बच्चो की सख्या को छोड दिया गया है। राजस्थान निम्नतम साक्षरता वाले राज्यो में से है। महिलाओं में साक्षरता बहुत ही कम है। इन सब तथ्यो का आभास निम्न तालिका से होता है।

राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत[1]

वर्ष	राजस्थान			भारत		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1951	13 09	2 51	8 02	24 68	7 88	16 67
1961	23 71	5 84	15 21	34 45	12 95	24 02
1971	28 74	8 46	19 07	39 45	18 72	29 46
1981	36 30	11 42	24 38	46 89	24 82	36 17
1991	54 99	20 44	38 55	64 13	39 29	52 21

उपरोक्त तालिका से निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है-

1 राजस्थान मे महिला एव पुरुष साक्षरता, दोनों ही अखिल भारतीय साक्षरता दर से कम हैं। पुरुषो में साक्षरता दर भारतीय औसत से 9 12% कम है जबकि महिलाओं में साक्षरता दर अखिल भारतीय औसत से 18 75% कम है। राजस्थान में 1981 की तुलना में 1991 में पुरुष एव महिला साक्षरता मे वृद्धि हुई है। 1981 मे राजस्थान की कुल साक्षरता दर 30 09% (7 वर्ष व उससे ऊपर की जनसख्या के आधार पर) थी जो 1991 में लगभग 8 5% बढकर 38 55% हो गई। पुरुषो मे इसी अवधि मे साक्षरता के अन्तर्गत 10% से भी अधिक वृद्धि हुई, किन्तु महिलाओं में यह वृद्धि मात्र 6 45% ही रही।

2 राजस्थान में विद्यालय जाने वाले बच्चों का प्रतिशत भी राष्ट्रीय औसत स कम है। 1989-90 में राजस्थान में 6-11 एव 11-14 वर्ष आयु वर्ग म विद्यालय जाने वाले बच्चों का औसत क्रमश 89 37 एव 51 25% था। दूसरी ओर इसी आयु वर्ग में राष्ट्रीय औसत 1986-87 में क्रमश 96 [illegible] एव 53 1% था। इसी सदर्भ मे उपरोक्त आयु वर्ग में लडकियों के विद्यालय जाने का प्रतिशत क्रमश 57 60 एव 24 93 प्रतिशत था। इस प्रकार स्पष्ट है कि महिलाओं में निरक्षरता का एक प्रमुख कारण प्रारंभिक आयु मे विद्यालय नहीं जाना भी है।

राजस्थान में जिलेवार साक्षरता दर की स्थिति 1991

(A) सर्वाधिक साक्षरता दर वाले प्रमुख जिले
1 अजमेर - 52 34%
2 जयपुर - 47 88%
3 कोटा - 47 88%

(B) न्यूनतम साक्षरता दर वाले प्रमुख जिले
1 बाडमेर - 22 98%
2 जालौर - 23 76%
3 बासवाडा 26 00%

(C) महिला साक्षरता मे अग्रणी जिले
1 अजमेर - 34 50%
2 कोटा - 29 50%
3 जयपुर 28 69%

स्रोत Statistical Abstract Raj 1994

ज्ञात होता है कि -

1 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में राज्य की औसत साक्षरता दर की अपेक्षा गगानगर, बीकानेर, झुझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, अजमेर, जोधपुर तथा कोटा जिलों में साक्षरता दर अधिक थी, जबकि अन्य जिलों मे राज्य के औसत से कम साक्षरता विद्यमान है।

2 राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर अजमेर जिले मे है, तत्पश्चात् जयपुर व कोटा जिले सयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर तथा झुझुनू जिला तृतीय स्थान पर आते हैं।

3 पुरुषो मे साक्षरता दर की दृष्टि से अजमेर जिला प्रथम स्थान पर है। झुझुनू जिला द्वितीय स्थान पर तथा जयपुर

1 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt of Rajasthan & Various Censuses and Final Population Figures 1991

विस्तार की आवश्यकता है। राजस्थान में चिकित्सा एव स्वास्थ्य पर आठवीं पचवर्षीय योजना में 445 33 करोड रूपये व्यय किये गये हैं। इसमे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ। जन्म व मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। जीवन प्रत्याशा (1995-96) लगभग 61 वर्ष हो गई है जो कि 1961 में 46 8 वर्ष थी।[4]

(ii) पोषाहार (Nutrition) - राजस्थान सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को स्वस्थ्य रखने के लिए उपयुक्त पोषाहार प्रदान करने का प्रयास कर रही है। जो महिलाओं और बच्चों को यह पोषाहार विशेष रूप से दिया जाता है ताकि गर्भवती महिलायें व बच्चे अनेक प्रकार के कुपोषण से सबधित रोगों से ग्रसित न हों। विभिन्न राष्ट्रों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं के सहयोग से भी ये कार्यक्रम चलाये जा रहे है इन कार्यक्रमों के अतर्गत विशेष रूप से निर्धन अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं व बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है। 1974 में पहली बार राष्ट्रीय नीति के अतर्गत बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया और उन्हें राष्ट्र की सर्वोपरि महत्वपूर्ण सम्पदा के रूप में मान्यता दी गई। तत्पश्चात् इनके पोषाहार पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा। भारत में बच्चों की जनसख्या कुल जनसख्या के 42% से भी अधिक है।[5] राजस्थान में 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सख्या कुल जनसख्या का लगभग 14% है।[6] बच्चों के खराब स्वास्थ्य, अस्वास्थ्यकर वातावरण और चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण यहाँ की शिशु मृत्यु दर 8 4 प्रति हजार है जबकि राष्ट्रीय औसत 79 प्रति हजार है।[7] इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान का आठवीं योजना में विभिन्न मदों के अन्तर्गत 34 90 करोड रूपये व्यय किये गये।[8] नवीं योजना में 125 5 करोड रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।[9]

राजस्थान में मानवीय साधनों के विकास की दिशा में उठाये गये सरकारी कदम

1 शिक्षा एव साक्षरता - राजस्थान में मानवीय साधनों के विकास हेतु शिक्षा के विस्तार एव साक्षरता अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में साक्षरता अभियान राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित है। 1994-95 के बजट में शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। सीडा के सहयोग से लोक-जुम्बिश योजना तथा यूनिसेफ के आर्थिक सहयोग से राज्य के पाँच जिलों में गुरू-मित्र योजना चालू है।

2 चिकित्सा एव स्वास्थ्य - स्वतत्रता के पश्चात् राज्य में चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाओं का तीव्र गति से विस्तार हुआ शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधायें बढी है लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा राज्य में स्वास्थ्य सुविधायें बहुत कम है। 1995-96 के बजट में चिकित्सा एव स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया।

3 पेयजल एव स्वच्छता - स्वतत्रता के पश्चात् राज्य मे अनेक पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया गया। राज्य के बडे नगरों मे पेयजल की पूर्ण व्यवस्था है तथा राज्य के अधिकाश गावों मे पूर्ण अथवा आशिक व्यवस्था हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की व्यवस्था नगरपालिकाओं द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पचायतों द्वारा की जाती है।

4 पोषण एव पौष्टिक आहार - राज्य की जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए राज्य सरकार अनेक पोषाहार कार्यक्रमों का सचालन करती रही है। सरकार समय-समय पर निर्धन जनता को पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराती है। महिलाओं के स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए औषधियों का वितरण किया जाता है।

5 आर्थिक विकास - स्वतत्रता के पश्चात् राज्य की जनता की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य का नियोजित ढग से आर्थिक विकास किया जा रहा है। आठ पचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है तथा नवीं पचवर्षीय योजना कार्यान्वित की जा रही है। अत राज्य में आर्थिक विकास की गति तीव्र होने से जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि हुई है।

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम
FAMILY WELFARE PROGRAMME IN RAJASTHAN

देश में तेजी से बढती हुई जनसख्या के सम्बन्ध में कौसले माइड ने लिखा है कि "बम की तुलना में गर्भाशय अधिक मन्दगामी है लेकिन उतना ही भयकर सिद्ध हो सकता है। भस्मीकरण की बजाए श्वास घुटन मानव कथा का अन्त कर सकता है।" अत परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य सोच-समझकर स्वेच्छा से, सन्तानोत्पत्ति करना एव एकाएक होने वाले जन्मों को प्रतिबन्धित करना है। वस्तुत परिवार कल्याण कार्यक्रम मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार तथा देश के विकास और खुशहाली की कुजी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाकर प्रत्येक परिवार अपने को सीमित रखते हुये अविवेकपूर्ण मातृत्व पर रोक लगा सकता है व सतानों की उचित देखभाल कर

1 2 Economic Review 1996-97 Govt. of Rajasthan & Economic Review 1995-96 Govt. of Rajasthan.
3 4 5 6 7 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt. of Rajasthan.

सकता है इस प्रकार परिवार नियोजन कार्यक्रम एक परिवार कल्याण कार्यक्रम है

परिवार नियोजन अनुसंधान एवं कार्यक्रम कमेटी ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'परिवार नियोजन की कल्पना जन्म को प्रतिबन्धित करने या बच्चों के जन्म में अंतर लाने के संकीर्ण अर्थ में नहीं की जानी चाहिये परिवार नियोजन का उद्देश्य यथासंभव परिवार का विकास समाज की एक इकाई के रूप में इस भांति निर्मित करने से होना चाहिये जिससे उन दशाओं को पूरा करने में सुविधा हो जो उस परिवार के कल्याण के लिए सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हो' इस प्रकार परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य अनियोजित जन्म को रोकना तथा सन्तानोत्पत्ति में और उचित अन्तर रखना है ताकि माँ के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव न हो साथ ही बच्चों की उचित देखभाल हो सके इस प्रकार निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम देश के अन्य विकास कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य पौष्टिक आहार शिक्षा रोजगार और सामाजिक परिवर्तन के रूप में सफल बनाने में भी मददगार है ताकि परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति संभव हो सके।

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम सन् 1952 में अपनाया गया परिवार कल्याण कार्यक्रम का विधिवत् आरम्भ मई 1963 में हुआ जबकि परिवार नियोजन अनुसंधान कार्यक्रम समिति का गठन हुआ तथा सरकारी तौर पर इसे अनुमोदित कार्यक्रम घोषित किया गया राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम का विस्तार अपेक्षानुरूप नहीं कहा जा सकता सरकार के अत्यधिक प्रचार एवं प्रयासों के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभी भी प्रभावी नहीं बन पाया है। राजस्थान में विभिन्न परिवार कल्याण विधियों के द्वारा जो व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं उनकी संख्या विगत वर्षों में निम्न प्रकार रही है

वर्ष	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1983 84	3 29 438
1984 85	364355
1985 86	555050
1986 87	625803
987 88	6767 7
1988 89	55 371
1989 90	26 70
1990 91	6 96 346
991 92	7 67 706
1992 93	8 1 274
1993 9	9 75 66
9 4 95	9 07 8
995 96	980762

राजस्थान में वैवाहिक जोड़े जो कि पुनर्उत्पादन आयु के अन्तर्गत आते हैं उनकी संख्या विगत वर्षों में निरंतर बढ़ती जा रही है साथ ही उनमें परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी कुछ सफलता मिली है इसका आभास अग्र तालिका से होता है

वर्ष	पुनर्उत्पादन आयु में वैवाहिक जोड़े (हजार)	प्रभावपूर्ण तरीके से परिवार कल्याण कार्यक्रम के साधन अपनाने वाले जोड़ों का प्रतिशत
1983 84	6603	17 9
984 85	67 9	9 4
1985 86	6822	23 1
986 87	7003	26 0
987 88	7187	27 9
1992 93	8095	29 4
993 94	8327	30 7
1995 96	8827	30 4

राजस्थान के जिन जिलों में साक्षरता का प्रसार अधिक हुआ है उनमें परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्य जिलों की तुलना में अधिक प्रभावी रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम अधिक प्रभावी रहा है राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति में निम्न बाधाएं अनुभव की जाती रही है

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के सरकारी प्रयास

राजस्थान सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाया है। राज्य की विभिन्न योजनाओं में ये कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाता रहा है इससे जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ कमी भी हुई है

1 **राजलक्ष्मी बान्ड स्कीम** सीमित परिवार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1992 93 में यह प्रस्ताव रखा गया था इस योजना के अन्तर्गत जिस परिवार में माता या पिता की आयु 35 वर्ष से कम हो और उन्होंने एक या दो बच्चों के पश्चात् नसबंदी आपरेशन कराया हो तो सरकार उस परिवार को एक लड़की या दो लड़कियों तक के लिए एक एक हजार रुपये की स्थायी जमा प्रदान करेगी। यह राशि 20 वर्ष पश्चात् की आयु तक लड़कियों के खाते में जमा रहेगी और उसके पश्चात् वे उस राशि में से निकाल सकेगी 20 वर्ष सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली लड़की को 21 हजार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाली लड़की को 31500 रुपये प्राप्त

12S a s a Abstrac R a han 99

होगा। राजलक्ष्मी बॉण्ड स्कीम का जून, 1996 मे सरलीकरण किया गया है। इसके अनुसार अब पति-पत्नी का निर्धारित आयु की सीमा को समाप्त कर दिया गया है एव बॉण्ड के लिये राशि भी 1500 रुपये निर्धारित कर दी गई है।

2 **परिवार नियोजन की नवीन विकल्प योजना** - राजस्थान मे परिवार नियोजन के लिए एक नवीन योजना 'विकल्प' के रूप म लागू की गई है। इस योजना के अतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण जिला परिवार कल्याण ब्यूरो क कर्मचारी आपसी विचार विमर्श के द्वारा निर्धारित करेंगे। नकद राशि एव वस्तुओं के रूप में दिये जाने वाले पुरस्कारों को समाप्त कर दिया गया और उनके लिये निर्धारित राशि का उपयोग उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने में किया जायगा। इस योजना में निजी चिकित्सकों को प्रोत्साहित किया जायगा। ये योजना राज्य के टोक व दौसा जिलों म प्रारभ किया गया है।

3 **पचायत चुनाव में परिवार कल्याण सबधी कानूनी प्रावधान** - 15 जून 1992 को परिवार नियोजन की दिशा में एक कानूनी प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत दो बच्चों के बाद निर्वाचन के एक साल के आगे की अवधि में तीसरा बच्चा होने पर चयनित पच अथवा सरपच स्थान हो चुनाव क लिए अयोग्य हो जायेगा। इस प्रावधान म विशेषत ग्रामीण क्षेत्र मे परिवार कल्याण कार्यक्रम क प्रति रुचि बढी है।

4 **जनमगल योजना** - जनमगल योजना का प्रमुख उद्देश्य जन्म दर पर नियत्रण करना है। इस योजना का विस्तार राज्य के सभी जिलों मे किया जा चुका है। इस योजना के अतर्गत राज्य में अपनायी गई परिवार कल्याण की नवीन पद्धति जन्म दर एव शिशु मृत्यु दर की कमी में सहायक होगी। इस योजना में जन्म दर पर नियत्रण हेतु परिवार नियोजन के सधन प्रत्येक उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र औषधालय व चिकित्सालय पर उपलब्ध करवाये गये हैं इसी के साथ प्रत्येक गाव में गर्भ निरोधक वितरण केन्द्र भी खोले जा रहे है। गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन एव सामुदायिक आधार पर गर्भ निरोध के वितरण की योजना पर विशेष बल दिया जा रहा है।

5 **शिक्षा एव साक्षरता** - परिवार कल्याण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये शिक्षण सस्थानों का तेजी से प्रसार किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों म साक्षरता कार्यक्रम लागू कर दिया गया है। यूनिसेफ की सहायता से राज्य के 5 जिलो में "मुस्कान योजना" कार्यान्वित की जा रही है। इसी कारण सीडा की वित्तीय सहायता से "लोक जुम्बिश योजना" क्रियान्वित की जा रही है।

राजस्थान मे परिवार कल्याण कार्यक्रम की कमियां एवं सुझाव

SHORTCOMINGS & SUGGESTIONS

1 **ग्रामीण क्षेत्रों मे कम प्रचार-प्रसार (Less publicity in Rural Sector)** राजस्थान की अधिकाश जनता गावों में रहती है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्र म जनसख्या अशिक्षित व निर्धन है। इस कारण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार अधिक प्रभावपूर्ण रूप में लोगों तक नहीं पहुच पाया है। इस समस्या का समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं मे वृद्धि करके किया जा सकता है।

2 **प्रशिक्षित चिकित्सकों का अभाव (Lack of Trained Doctors)** देश में चिकित्सकों का अभाव है। साथ ही उनका वितरण अत्यधिक असमान है। देश क अधिकाश चिकित्सक शहरों में काम करना चाहते है जबकि अधिकाश जनसख्या गावों में रहती है। इस कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने के इच्छुक दम्पति भी इससे वचित रह जाते है। इस समस्या का समाधान सरकार द्वारा उचित नीति का निर्माण करने में निहित है जिसमें कुछ समय तक चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों मे अनिवार्य रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाये।

3 **भ्रान्तियों का समाधान न होना (Lack of Solution of Misconvictions)** [illegible] के सदर्भ म विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अनेक [illegible] हुई है साथ ही इन क्षेत्र में [illegible] है [illegible] इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इस [illegible] को दूर करने क लिये उचित मात्रा में स्वास्थ्य कर्मचारी [illegible] चाहिये जो घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करने के साथ साथ उनकी समस्याओं पर भी समाधान कर सकें

4 **उचित देखभाल का अभाव (Lack of Proper after Care)** इस कार्यक्रम क अतर्गत भी भ्रष्टाचार और लालफीताशाही का प्रभाव देखा जा सकता है। लोगों को आपरेशन आदि क लिए प्रेरित तो किया जाता है किन्तु आपरेशन के पूर्व लेने और उसके पश्चात् उनकी देखभाल के बारे म कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे न केवल लोगों को असुविधा होती है, वरन् अन्य लोगों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पडता है। इस हेतु किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये।

5 **अपर्याप्त साधन (Lack of Resources)** - परिवार नियोजन केन्द्रों में औषधियों व अन्य साधनों का निरतर कमी रहती है। इस कारण प्रचार प्रसार से प्रेरित होकर जब लोग चिकित्सा केन्द्रों पर पहुचते है तो उन्हें निराश

हाना पडता है। यह प्रक्रिया बार-बार होने पर लोग उस कार्यक्रम से दूर होने लगते है। इस स्थिति को पर्याय पूर्ति के माध्यम से सुधरा जा सकता है।

6 अन्य कारण (Other Reasons) - परिवार कल्याण के साधन अभी भी महगे कहे जा सकते है। राजस्थान म विभिन्न स्तरों पर दी जा रही शिक्षा के पाठ्यक्रमों में परिवार कल्याण कार्यक्रम सबधी जानकारी का अभाव है। साथ ही परिवार कल्याण कार्यक्रमों मे ऑपरेशनो पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिसमे यह कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय नहीं बन पाता। इसके अतिरिक्त राजनैतिक प्रोत्साहन का भी अभाव बना हुआ है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) सक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 मानव ससाधन विकास में शिक्षा के महत्व को समझाईए।
Discuss the importance of educat on in human resource development

2 राजस्थान राज्य क वर्तमान व्यावसायिक ढाचे का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
Discuss the nature of present occupational structure of the state of Rajasthan

3 राजस्थान का भारत की जनसख्या एव क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत भाग है?
What is the percentage share of Rajasthan in India s populat on and area?

4 1981 म राजस्थान में मुख्य श्रमिकों का वितरण प्रतिशत विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के अनुसार बताईए।
Menat on the percentage of occupational distr bution of ma n workers in Rajasthan in 1981

5 राजस्थान का कुल क्षेत्रफल तथा आबादी कितनी है? आबादी का कितना प्रतिशत ग्रामों में रहता है व कितना प्रतिशत कस्बो व नगरो म?
What is the total area and populat on of Rajasthan? What is the proportion of Urban and Rural populat on in Rajasthan?

6 राजस्थान म महिला साक्षरता की दर पूरे भारत में सबसे कम है क्यों? इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम तत्काल उठाने चाहिए?
Why fema e literacy n Rajasthan is lowest in the country? What immediate steps should be taken to improve the situat on?

7 निम्नलिखित के बारे में बताए
(अ) जनगणना
Expla n the follow ng
(a) Census

(B) निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसख्या के प्रमुख लक्षण बताईए
Discuss the ma n features of Rajasthan s population accord ng to 1991 census

2 राजस्थान में जनसख्या के आकार एव वृद्धि की विवेचना कीजिए। वे कौन से घटक है जो मानव ससाधन के विकास में सहयोगी रहे है?
Discuss size and growth of populat on in Rajasthan What factors have contributed to human resource development?

3 राजस्थान में 1991 की जनगणना के प्रमुख तथ्यों का सक्षिप्त विवरण दीजिए
G ve a brief description on the factors raised in the census of 1991 about Rajasthan

4 राजस्थान राज्य की जनसख्या के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख कीजिए इसकी तीव्र वृद्धि के कारण बताईए।
D scuss the d fferent aspects of population of the state of Rajasthan Give reasons for its rap d Growth

5 राजस्थान मे जनसख्या वितरण का व्यवसाय ग्रामीण शहरी एव जिले के आधार पर उल्लेख करो। वे कौन से तत्व है जो मानव ससाधनो के विकास में सहयोगी रहे है?
Ment on the distr but on of population in Rajasthan on the basis of occupat on Rural Urban and d strict w se What factors have co buted to human resource development?

6 मानव ससाधन विकास के महत्वपूर्ण घटकों का सक्षेप में वर्णन कीजिए।
D scuss in brief the important components of human resource development

7 राजस्थान राज्य में मानवीय साधनों के विकास की समस्या की विवेचना कीजिए।
D scuss the problem of Human resource development in the state of Rajasthan

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(University Examination's Questions)

1 राजस्थान में जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि की विवेचना कीजिए। व कौन से घटक हैं जो मानव संसाधन के विकास में सहयोगी रहे हैं?
Discuss size and growth of population in Rajastha What factors have contributed to human resource development?

2 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए
(अ) राजस्थान में साक्षरता (ब) राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या
Write short notes on the following -
(a) Literacy in Rajasthan (b) Working population in Rajasthan

3 राजस्थान में जनसंख्या के आकार, वृद्धि, व्यावसायिक संरचना तथा मानव संसाधनों के विकास के निर्देशांकों का विवेचना कीजिए।
Discuss the population indicators of size, growth occupational structure and human resources development in Rajasthan

4 राजस्थान राज्य की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं बताइए।
Discuss the major characteristics of population of the state of Rajasthan

5 राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के जिलेवार वितरण का विश्लेषण कीजिए तथा उनकी वृद्धि दर का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।
Analyse the districtwise distribution of Rural and Urban population in Rajasthan and discuss their growth rate comparatively

6 राजस्थान राज्य की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख कीजिए। इसकी तीव्र वृद्धि के कारण बताईए।
Discuss the different aspects of population of the state of Rajas'han Give reasons for its rapid growth



अध्याय – 3

राजस्थान में निर्धनता की समस्या

PROBLEM OF POVERTY IN RAJASTHAN

"निर्धनता, किसी भी राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- गरीबी व अमीरी की रेखा
- निर्धनता की कैलोरी आधारित अवधारणा के दोष
- राजस्थान में निर्धनता की स्थिति
- राजस्थान में निर्धनता निवारण के लिए आवश्यक सुझाव
- राजस्थान सरकार द्वारा निर्धनता निवारण के लिए अपनाए गए कार्यक्रम
- जिला निर्धनता निवारण परियोजना
- अभ्यासार्थ प्रश्न

निर्धनता एक ज्वलन्त समस्या है। नियोजनकाल के आरंभ में यह संभावना व्यक्त की गई थी कि विकास के साथ-साथ निर्धनता की समस्या स्वतः हल हो जायेगी। किन्तु समय के साथ-साथ निर्धनों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। ऐसा नहीं था कि विकास कार्य न हुये हो, वरन् जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने इस समस्या की तीव्रता को निरंतर बनाये रखा। इसी कारण नियोजकों को गरीबी के निवारण के लिए विशेष कार्यक्रमों का निर्धारण करना पड़ा। वर्तमान में विकास कार्यों के साथ साथ निर्धनता-निवारण के जो प्रयास किये जा रहे है उनका प्रभाव दृष्टिगोचर भी होने लगा है। इसका आशय यह कदापि नहीं है कि गरीबी की समस्या की तीव्रता समाप्त हो गई है।

निर्धनता को जब न्यूनतम उपभोग या न्यूनतम आय से जोड़ दिया जाता है तो यह गरीबी की निरपेक्ष स्थिति को बताता है। दूसरी ओर एक आय वर्ग की तुलना दूसरे आय-वर्ग से की जाए या एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य से की जाये या एक राष्ट्र की आय की तुलना दूसरे राष्ट्र की आय से की जाये तो इससे निर्धनता की सापेक्ष विचारधारा को बल मिलता है। भारत एवं राजस्थान में सुविधा की दृष्टि से निर्धनता की निरपेक्ष विचारधारा को अपनाया गया है।

गरीबी की रेखा व अमीरी की रेखा
POVERTY LINE & 'AMIRI KI REKHA'

"गरीबी से तात्पर्य मूल रूप से भोजन, वस्त्र व आवास जैसी आवश्यक्ताओं के अभाव से है। अत गरीबी की रेखा निर्धारित करते समय अनाज, वस्त्र, आवास, जलापूर्ति तथा शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी उन आवश्यक्ताओं को भी ध्यान में रखना चाहिये, जिनसे आज गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले भी वंचित है।" गरीबी की रेखा के सदर्भ में विवेचन करते हुये यह बताना युक्तिसगत प्रतीत होता है कि भूतपूर्व प्रधानमत्री वी पी सिंह ने अपने कार्यकाल में 'अमीरी की रेखा' निर्धारित करने का विचार भी राष्ट्र के समक्ष रखा था, किन्तु इस सदर्भ में कुछ कार्यवाही नहीं हो सकी।

सर्वप्रथम 1960-61 मे उन लोगों को निर्धन तथा गरीब की श्रेणी में रखा गया जो न्यूनतम कैलोरीज प्राप्त करने हेतु आवश्यक आय जुटाने में असमर्थ थे। 1960-61 में 20 रुपये से कम मासिक निर्वाह क्षमता वाले लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे रखा गया। 1968-69 में न्यूनतम मासिक जीवन निर्वाह व्यय की राशि को बढाकर 40 रुपये कर दिया गया। 1973-74 की प्रचलित कीमतों पर गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 49 1 रुपये व शहरी क्षेत्र के लिये 56 ▮ रुपय प्रति व्यक्ति प्रति माह थी। 1976-77 में प्रचलित कीमतों के आधार पर योजना आयोग ने न्यूनतम जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि करते हुये ग्रामीण के लिए इस 61 50 रुपये तथा शहरी लोगों के लिये 71 30 रूपये निर्धारित किया।

1979-80 की कीमतों पर न्यूनतम जीवन निर्वाह व्यय शहरी क्षेत्र के लिये 88 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 76 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया जो ग्रामीण व्यक्ति के लिए 2400 तथा शहरी व्यक्ति के लिये 2100 कैलोरी के बराबर भोजन व अन्य सामग्री जुटाने के लिये पर्याप्त हो।

1983-84 की कीमतों पर शहरी क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 117 50 रुपये से कम तथा ग्रामीण क्षेत्र में 101 80 रुपये से कम थी तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना गया। 1991-92 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा क्रमश 181 50 रुपये व 209 50 रुपये आकी गई।

गरीब कौन है? गरीबी रेखा क्या है? इस सदर्भ में समय-समय पर विचार व्यक्त किया जाते रहे है। भारत में नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदत्त घरेलू उपभोग व्यय के पचवर्षीय सर्वे आकडों एव 1979 में योजना आयोग द्वारा गठित "न्यूनतम आवश्यकता व प्रभावी उपभोग माग अनुमान टास्क फोर्स" के प्रतिवेदन में दी गई गरीबी की रेखा को दृष्टिगत रखते हुये भारत का योजना आयोग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी की मात्रा का अनुमान लगाता है। "केन्द्रीय सांख्यिकीय सगठन (CSO)" द्वारा कुल निजी उपभोग व्यय के हाल में लगाये गये अनुमानों, "नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन" के 50 वे चक्र (1993-94) के प्रारंभिक परिणामों तथा जनगणना के नवीनतम आकडों के उपलब्ध हो जाने के कारण गरीबी के अनुमानों को सशोधित किया गया है।

गरीबी की रेखा
(रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह)

वर्ष	कीमतें	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1973-74	1973-74 की कीमतों पर	49 1	56 6
1987-88	1987-88 की कीमतों पर	132 0	152 3
1993-94	1993 94 की कीमतों पर	228 9	264 1

1987-88 के पूर्व निर्धनता सबधी अनुमान "नेशनल सेम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन" के 43 वें चक्र (जुलाई, 1987 जून 1988) के आकडों पर आधारित थे।

1993-94 के निर्धनता सबधी अनुमान "नेशनल सेम्पल सर्वे" के 50 वें चक्र के प्रारंभिक आकडों पर आधारित है। इस चक्र के सपूर्ण आकडे प्राप्त होने पर इन आकडों में सशोधन सभव है। इन अनुमानों में (1 अक्टूबर 1993) की जनसख्या को लिया गया है।

मार्च 1997 में भारतीय योजना आयोग ने गरीबी की रेखा के निर्धारण के लिए नेशनल सेम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुमानों को त्याग कर 'लकडवाला सूत्र' को अपनाया है। इस सूत्र के अनुसार शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकांक को निर्धनता आकलन के लिये आधार बनाया गया है। इस कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग निर्धनता रेखाएं होंगी। राजस्थान में निर्धन लोगों की सख्या निम्न तालिका में स्पष्ट है -1

(लाखों में)

	1987-88	1993-94
योजना आयोग की विधि के अनुसार	84 3	41 7
विशेषज्ञ समूह के अनुसार	140 3	129 8
विशेषज्ञ समूह (सशोधित) के अनुसार	142 9	128 5

1 Business Line 13 March

राजस्थान मे निर्धनता की स्थिति
PRESENT POSITION OF POVERTY IN RAJASTHAN

राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण में उपभोग-व्यय के आकडों के आधार पर, पाच वर्ष के अन्तराल से, निर्धन व्यक्तियों की सख्या ज्ञात की जाती है। कुल जनसख्या में इन निर्धन व्यक्तियों का अनुपात 'निर्धनता अनुपात' के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इन आकडों के आधार पर निर्धनता की स्थिति का ज्ञान निम्नलिखित तालिका से होता है -

राजस्थान के ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रों में निर्धनता (प्रतिशत में)

क्षेत्र	राजस्थान*	भारत**
1977-78		
ग्रामीण	33 5	51.2
शहरी	33 9	38 2
योग	33 6	48 3
1983-84		
ग्रामीण	36 6	40 1
शहरी	26 1	28 1
योग	34 3	37 4
1987-88		
ग्रामीण	24 9	33 4
शहरी	19 4	20 1
योग	23 6	29 9

*Business Line, 13 March, 1997

** Facts for You 1991 फरवरी, मई 1991

उपरोक्त तालिका से निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है-

1 1977-78 में राजस्थान के ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रों के निर्धनता-प्रतिशत में मामूली अतर है, जबकि इसी अवधि में भारत के ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रों में निर्धनता-प्रतिशत में बहुत अधिक अतर विद्यमान है। इस समय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मे निर्धनता की समस्या शहरी क्षेत्रों की तुलना मे अधिक व्यापक थी।

2 1983-84 में निर्धनता सबधी स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हो गया। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का निर्धनता-प्रतिशत भारत के समान ही बढ गया। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ।

3 1987-88 में भी निर्धनता की स्थिति में अधिक अतर नहीं हो पाया। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अधिक व्यापक रूप मे विद्यमान है।

4 तालिका के सामान्य परीक्षण से स्पष्ट है कि राजस्थान व सपूर्ण भारत में निर्धनता की समस्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रो मे अधिक व्यापक रूप से विद्यमान है। अत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास द्वारा निर्धनता की समस्या का तेजी से निराकरण किया जा सकता है।

राजस्थान में निर्धनता के कारण एवं निर्धनता के निवारण हेतु सुझाव
FACTORS RESPONSIBLE FOR POVERTY IN RAJASTHAN & SUGGESTIONS FOR ERADICATION

1 भौगोलिक कारण (Geographical Factors) - राजस्थान का आधे से अधिक भाग रेगिस्तानी है। यह क्षेत्र निरतर अकाल एव सूखे से प्रभावित होता रहता है अत इस क्षेत्र के निवासियों के समक्ष रोजगार व पेयजल की समस्या उत्पन्न होती रही है। राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी वर्षा का वितरण असमान है। मिट्टी की प्रकृति एव विषम जलवायु के कारण राजस्थान के निवासियों को निरतर अनेक बाधाओं से जूझना पडता है।

2 मानवीय ससाधन सबधी तथ्य (Factors Related to Human Resources) - राजस्थान में जनसख्या की वृद्धि-दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। इस कारण राजस्थान की जनसख्या में तीव्र गतिसे वृद्धि हुई है। जनसख्या का लगभग 3/4 भाग गाव में रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा विकास कम हुआ है, अत राजस्थान की अधिकाश ग्रामीण जनसख्या विकास के वास्तविक लाभों से वचित रही है। विभिन्न कारणों से इनमें निर्धनता अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक रही है। इस प्रकार जनसख्या से सबधित इन विभिन्न तथ्यों से ही निर्धनता की समस्या से सबधित इन विभिन्न तथ्यों से ही निर्धनता की समस्या गभीर बनी हुई है।

3 कृषि से सबधित तथ्य (Agricultural Factors)- देशी रियासतों के राजस्थान में विलय से पूर्व आम नागरिक की एव विशेषत कृषकों की दशा शोचनीय थी। भूमि सबधी व्यवस्था उनके विपरीत थी और वे सामत लोगों के शोषण का शिकार थे। उस शोषण के दुष्प्रभाव से कृषक अब तक भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीडित था। साथ ही, राजस्थान में कृषि मुख्यत वर्षा पर निर्भर रहती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण अर्थात अतिवृष्टि एव अनावृष्टि के जाल में राजस्थान में कृषि अभी तक फैली हुई है। लगातार अकाल ने भी गरीबी की समस्या को बढाया है।

4 उद्योगों से सबधी तथ्य (Industrial Factors) - राजस्थान में औद्योगिक विकास तेज गति से नहीं हो पाया है, इस कारण उत्पादन-आय व रोजगार का स्तर नीचा रहा है। इस कारण गरीबी बढी है। राजस्थान में औद्योगिक विकास भी समान रूप से नहीं हुआ है। कुछ जिले उद्योगों

की दृष्टि से काफी विकसित हो चुके है तो अनेक जिले उद्योग रहित जिलो की श्रेणी में आते है

5 सामाजिक सुविधाओं का अभाव (Lack of social infra structure) राजस्थान में सामाजिक सुविधाओं का स्तर अत्यन्त निम्न है नियोजन काल में इस ओर ध्यान देने के बाद भी ये सुविधाए अपर्याप्त है। राजस्थान मे व्यापक निरक्षरता है शिक्षा एव स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है राजस्थान के सभी गावो मे पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है। कृषि के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रो मे सिंचाई सुविधाए शक्ति के साधनो रेल व सडक मार्गों की स्थापना अपर्याप्त रही है। सामाजिक सेवाक्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षा चिकित्सा एव स्वास्थ्य एव पायपर की स्थिति सतोषजनक नहीं है।

6 सामाजिक पिछडापन (Social bacwardness)
राजस्थान मे विद्यमान परम्परागत सामाजिक रूढियों व धार्मिक अधविश्वासो ने राजस्थान के निवासियो को गरीबी की ओर धकेला है विवाह व मृत्युभोज जैसे अवसरो पर आज भी अत्यधिक धन व्यय किया जाता है। बच्चों को भगवान की देन मानने के कारण जनसख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है सयुक्त परिवार तथा भाग्यवादिता ने लोगों को पराश्रित व अकर्मण्य बना दिया है। शिक्षा की आवश्यकता अनुभव न करने के कारण ये परम्पराए समाप्त नहीं हो पा रही है। समाज मे व्याप्त खराब परम्पराओ को तुरन्त नहीं बदला जा सकता किन्तु शिक्षा के प्रसार के माध्यम से इन पर धीरे २ चोट पहुचाई जा सकती है।

7 मूल्य वृद्धि (Price rise) राजस्थान मे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति मे कमी के कारण गरीबी की समस्या बढी है। दालो एव खाद्य तेलो व खाद्यान्नो जैसी वस्तुओं के मूल्यो मे अधिक वृद्धि के कारण लोगो के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है स्थिर आयवर्ग के लोग भी गरीबी की ओर बढ रहे है। ग्रामीण क्षेत्रो मे न्यूनतम मजदूरी कानून भी प्रभावी नहीं है इस कारण मूल्यवृद्धि का प्रभाव और व्यापक हो जाता है।

(8) सामूहिक सम्पत्ति का ह्रास (Depreciation of Community Assets) सामूहिक सम्पत्ति जैसे चारागाह तालाब आदि के माध्यम से निर्धन लोगो को कुछ आय प्राप्त हो जाती है। वे कुछ श्रम करके इनसे अपनी आजीविका चलाने की चेष्टा कर सकते है। धीरे धीरे इन सामूहिक सम्पत्तियो का या तो निजीकरण होता चला गया या विभिन्न कानूनो के माध्यम से उनका प्रयोग करने की मनाही कर दी गई थी। इसका दुष्प्रभाव मुख्यत निर्धन वर्ग पर पडा। वे इससे मिलने वाली आय से वंचित हो गये और उनके समक्ष आजीविका कमाने की समस्या उत्पन्न हो गई। परिस्थिति की सतुलन के व्यापक प्रचार प्रसार से जनजातियां भी अपने पास के वनो का पूर्ण उपभोग नहीं कर पा रही है

(9) निर्धनता व आर्थिक असमानता (Poverty and Economic Inequality) राजस्थान मे आर्थिक असमानता के कारण कुछ ही लोगो के पास धन व सम्पत्ति केन्द्रित होने का क्रम निरंतर जारी है जबकि राज्य की अधिकाश जनसख्या निर्धन से निर्धनतर होती जा रही है राजस्थान में निम्न आय व उपभोग स्तर के कारण लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते है। अत राजस्थान मे गरीबी का कारण गरीबी स्वय है गरीबी के कारण राजस्थान निर्धनता के कुचक्र मे फसा हुआ है।

(10) बेरोजगारी (Unemployment) राजस्थान मे व्याप्त बेरोजगारी गरीबी की समस्या का मूल कारण है। राजस्थान के आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार के अवसरो मे वृद्धि हुइ है किन्तु जनसख्या में और भी तेजी से वृद्धि होने के कारण बेरोजगारो की सख्या तेजी से बढी है ग्रामीण क्षेत्र मे छिपी हुई बेरोजगारी एव शहरी क्षेत्रो मे शिक्षित बेरोजगारी ने गभीर रूप धारण कर लिया है।

राजस्थान में निर्धनता निवारण के लिए आवश्यक सुझाव

राजस्थान मे निर्धनता की समस्या गभीर रूप धारण कर चुकी है। अत इस समस्या के निवारण हेतु प्रभावशाली प्रयासो की आवश्यकता है। राज्य के निर्धारण निवारण हेतु निम्न सुझाव महत्वपूर्ण है

1 जनसख्या नियत्रण परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की जनसख्या को नियन्त्रित किया जाना चाहिये इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी ढग से लागू किया जाना चाहिए तथा [illegible] के सिद्धान्त को अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए

2 उद्योगों का विकास राज्य मे औद्योगिक विकास की गति तेज की जानी चाहिये ताकि राज्य के अधिकाधिक व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त हो सके। रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करने के लिए लघु एव कुटीर उद्योगो के विकास एव विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इन उद्योगो का विस्तार मुख्यत ग्रामीण क्षेत्रो मे किया जाना चाहिये

3 रोजगार नीति राज्य मे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करने के लिए एक दीर्घकालीन रोजगार नीति का निर्माण

किया जाना चाहिए। इस बात में राज्य की विशाल भूभाग व उपभोग पर बल दिया जाना चाहिए तथा शिक्षित को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा उद्योग कृषि व्यापार तथा परिवहन आदि का तीव्र गति से विस्तार किया जाना चाहिए।

4 सामाजिक स्तर में वृद्धि राज्य में निर्धनता की व्यापकता का ध्यान में रखते हुए सामाजिक स्तर में वृद्धि करना नितान्त आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। निधनों को चिकित्सा सुविधा तथा अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जानी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया जाना चाहिए

5 मरुस्थल का उपयोग राज्य का एक बहुत बड़ा भू भाग रेगिस्तान है इस विशाल भू भाग का योजनाबद्ध ढंग से उपयोग करके भी राज्य में निर्धनता की व्यापकता का कम किया जा सकता है इस क्षेत्र के उपयोग हेतु राज्य के वैज्ञानिकों का आमन्त्रण किया जाना चाहिए और इन्दिरा गांधी नहर तथा शुष्क खेती तथा कार्यक्रमों का खोज की जानी चाहिए

6 भूमि सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन एव पुनर्गठन राज्य के भूमि सुधार कार्यक्रम का विशेषज्ञों द्वारा समझा जाना चाहिए और इसकी कमियों एव दोषों का ध्यान रखते हुए इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि राज्य के अधिकांश भाग इसस लाभान्वित हो सके

7 सहकारिता का विस्तार सहकारी आन्दोलन राज्य में निर्धनता निवारण का मूल मन्त्र हो सकता है इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए सहकारी आन्दोलन का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

8 प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग पर्याप्त पूंजी के अभाव में राज्य के विशाल प्राकृतिक सम्पदा विशेषत खनिज पदार्थों का समुचित विदोहन नहीं हो पाया है अत प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग करके राज्य में निर्धनता की भयावहता को कम किया जा सकता है

9 अन्य सुझाव

( ) राज्य के कानून एवं नियम को कठोरता पूर्वक लागू किया जाना चाहिए।

( ) मरुस्थल क्षेत्र की निर्धन जनता की ओर आवश्यक प्रति ध्यान दिया जाना चाहिए

( ) सार्वजनिक निर्माण कार्यों का विस्तार करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए

(iv) राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिये।

(v) पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

राजस्थान सरकार द्वारा निर्धनता निवारण के लिए अपनाये गये कार्यक्रम

RAJASTHAN GOVERNMENT S PROGRAMMES FOR ERADICATION FO POVERTY

राजस्थान में निधनता एव बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। ये कार्यक्रम निम्नांकित है

1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2 ग्रामीण युवाओं को स्व रोजगार हेतु प्रशिक्षण
3 ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एव बाल विकास कार्यक्रम
4 जवाहर रोजगार योजना
5 जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
6 मरु विकास कार्यक्रम
7 सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम
8 अन्त्योदय योजना
9 20 सूत्री कार्यक्रम
10 बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
11 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
12 मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना
13 अरावली विकास कार्यक्रम
14 महिला विकास कार्यक्रम
15 अपना गांव-अपना काम योजना
16 कमाण्ड क्षेत्र कार्यक्रम
17 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
18 कन्दरा सुधार कार्यक्रम

उपरोक्त सभी कार्यक्रमों का विस्तृत विवेचन एक अलग अध्याय में किया गया है

जिला निर्धनता निवारण परियोजना

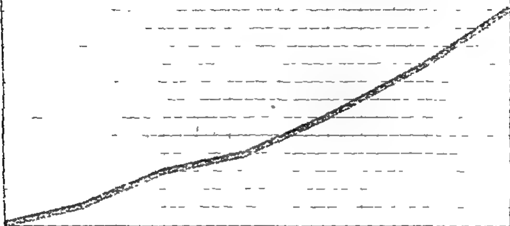
DISTRICTPOVERTYINITIATIVEPROJECT(DPIP)

यह निधनता निवारण की नवी योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम है विश्व बैंक की सहायता से राज्य के 7 जिलों राजसमन्द टोंक बारां चुरू झालावाड धौलपुर और ... में इस कार्यक्रम का प्रारम्भ करना प्रस्तावित है विश्व बैंक के नि

अध्याय – 4

राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या

PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN RAJASTHAN



"संसार में पाँच आर्थिक राक्षस मानव जाति को ग्रसित करने के लिए तत्पर हैं - निर्धनता, अज्ञानता, गंदगी, बीमारी और बेरोजगारी, परन्तु इन सबमें सबसे अधिक भयंकर बीमारी है बेरोजगारी।" – सर विलियम बेवरीज

अध्याय एक दृष्टि में

- बेरोजगारी का अर्थ एवं प्रकार
- बेरोजगारी की अवधारणाएं
- राजस्थान में श्रम शक्ति
- राजस्थान में रोजगार
- राजस्थान में बेरोजगारी का आकार
- राजस्थान में बेरोजगारी के कारण
- राजस्थान में बेरोजगारी को हल करने के सुझाव
- नवीं योजना में रोजगार सृजन की रणनीति
- राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार सृजन के कार्यक्रम
- राजस्थान में रोजगार के अवसरों की सम्भावनाएं
- राजस्थान में रोजगार पर व्यास समिति
- अभ्यासार्थ प्रश्न

बेरोजगारी का अर्थ एवं प्रकार

MEANING & TYPES OF UNEMPLOYEMENT

सर विलियम बेवरीज ने बेरोजगारी के संबंध में लिखा है कि - "संसार में पांच आर्थिक राक्षस मानव जाति को ग्रसित करने के लिये तैयार है - निर्धनता, अज्ञानता, गंदगी, बीमारी और बेरोजगारी, परन्तु इन सबमें सबसे अधिक भयंकर बेरोजगारी है। बेरोजगारी की स्थिति न केवल बेरोजगार व्यक्ति के लिए खतरनाक होती है, वरन् इससे समाज व राष्ट्र को भी हानि होती है।" बेरोजगारी का आशय उस स्थिति से होता है जिसमें काम चाहने वाले सक्षम व्यक्तियों की सेवाओं की पूर्ति उनकी माँग की तुलना में अधिक होती है। राजस्थान में मुख्यतः ग्रामीण बेरोजगारी एवं शिक्षित बेरोजगारी की समस्या गम्भीर है। ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक व्यापक रूप धारण करती जा रही है, तो दूसरी ओर साक्षरता में हो रही निरंतर वृद्धि के कारण शिक्षित बेरोजगारी की समस्या भी विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस प्रकार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या है तो शहरों में शिक्षित बेरोजगारी के रूप में खुली बेरोजगारी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित व अकुशल श्रम की बेरोजगारी की समस्या है तो शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर, इंजीनियर व उच्च शिक्षित व्यक्ति भी बेरोजगारी के शिकार है। राजस्थान के ग्रामीण

उससे अधिक के आयु वर्ग की श्रम-शक्ति में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार 1992 97 के मध्य अर्थात् आठवीं योजना के अंतर्गत राजस्थान में श्रम-शक्ति में 26 33 लाख व्यक्तियों की वृद्धि होने का अनुमान था।[1] राजस्थान में श्रम-शक्ति का आयु एवं लिंग के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभाजन इस विश्लेषण से स्पष्ट है-

1 राज्य के शहरी क्षेत्रों में मार्च 1997 में महिला श्रम-शक्ति की अपेक्षा पुरुष श्रम-शक्ति अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भी प्राय एसी ही है। पुरुष व महिला श्रम शक्ति में इतना अधिक अंतर होने का प्रमुख कारण यह है कि राजस्थान में स्त्रियों की शिक्षा एवं पालन पोषण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है और वे प्राय घरों तक ही सीमित रहती हैं।

2 आयु वर्ग के अनुसार श्रम-शक्ति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि शहरी व ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में अधिकांश श्रम शक्ति 15 29 आयु-वर्ग में है।

3 नवीं योजना के अंत के अनुमान का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पुरुष एवं महिला श्रम-शक्ति में बढोत्तरी के अतिरिक्त कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इस समय भी पुरुष श्रम का बाहुल्य बना रहेगा।

राजस्थान में रोजगार की स्थिति

EMPLOYMENT SITUATION IN RAJASTHAN

राजस्थान में लोगों की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार की स्थिति निम्नवत है -

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति (लाख व्यक्तियों में)			
		राजस्थान	
वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1985	8 30	1 97	10.27
1988	9 12	2 00	11 12
1990	9 27	23 1	11 58
1992	9 73	23 1	12 04
1994	10 05	2.43	12 48
1995	10 09	2 55	12 64
1996	10 17	2 67	12 84
1997	10 13	2.63	12 76
1998	10 15	2 62	12 77
(जन 98 तक)			

स्रोत Budget study 1997 98 & Economic Review 1995-96,1996-97 1998-99 Rajasthan

उपरोक्त तालिका में निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होता है -

1 राजस्थान में निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इसका प्रमुख कारण यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य व केन्द्र सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है।

2 राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है तथा अन्य राज्य के निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढे हैं।

3 नवीं पंचवर्षीय योजना के निजी क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। अत निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है।

राजस्थान में पंजीकृत निर्माणियों की संख्या और उनमें उपलब्ध रोजगार की स्थिति अग्रलिखित विवरण के अनुसार है -

पंजीकृत निर्माणियों की संख्या तथा रोजगार		
वर्ष	पंजीकृत निर्माणियों की संख्या	कुल रोजगार (लाख में)
1981	6608	1 66
1991	10797	2 60
1993	12580	-

स्रोत Budget study 1992 93

पंजीकृत निर्माणियां एवं रोजगार की कमी का कारण भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 85 में मुद्रणालयों को हटाया जाना है।

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होता है -

1981 से 1993 के मध्य पंजीकृत निर्माणियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अत रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

2 1990 में निर्माणियों की संख्या में पुन वृद्धि हो गई। अत रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। 1981 की तुलना में पंजीकृत उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 1993 में रोजगार के अवसर लगभग दुगने हो गये। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों में रोजगार की स्थिति निम्न प्रकार थी -

सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार (31-12-1996)	
शाखा/उद्योग	कर्मचारियों की संख्या
राजस्थान	1017532
1 शाखाओं का वर्गीकरण	
a केन्द्र सरकार	172801
b राज्य सरकार	528353
c अर्द्ध-सरकारी	192001
d स्थानीय निकाय	124377
2 कृषि, पशु-सम्पदा, मत्स्य आदि	23431
3 उद्योगों का वर्गीकरण	
a खानें और खनन	19540
b-c उत्पादन	26443

स्रोत Eight Five Year Plan 1992-97 Govt of Rajasthan

d	विद्युत गैस जल एवं सफाई	79809
e	निर्माण	45080
f	व्यापारिक एवं वाणिज्य	5974
g	परिवहन भण्डारण व संचार	164641
h	वित्तीय बीमा जायदाद एवं सेवा	54071
i	सामुदायिक सामाजिक व कार्मिक सेवा	599343

स्रोत S a Ah 6 R

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि

1 राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र में 1996 के अंत में 12980 संस्थाओं में 1017532 व्यक्ति कार्यरत थे।

2 1996 में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में क्रमश 179801 व 528353 व्यक्ति कार्यरत थे इस समय अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों में 192001 व्यक्ति और स्थानीय निकायों में 124377 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था।

3 कृषि एवं उससे सम्बंधित सेवाओं में राज्य के 22431 व्यक्ति कार्यरत थे

4 मार्च 1996 में सामुदायिक विकास सामाजिक एवं कार्मिक सेवा में सर्वाधिक व्यक्ति कार्यरत थे जबकि इसी समय व्यापार एवं वाणिज्य में केवल 5974 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था।

खादी व ग्रामीण उद्योग भी रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसमें उपलब्ध रोजगार की स्थिति इस प्रकार थी

खादी उद्योग में रोजगार

(संख्या)

वर्ष	कताई करने वाले	बुनकर	अन्य	योग
1987 88	126760	8003	7619	42392
1993 94	149958	7769	61 1	63818
1995 96	118293	6339	5245	293

ग्रामीण उद्योगों में रोजगार

क्र स	उद्योग	1995 96		
		पूर्ण	आंशिक	योग
1	तेल घाणी	1156	1002	2158
2	गुड खाण्डसारी	504	403	907
3	हाथ से बना कागज	171	179	0
4	अखाद्य तेलों से बना साबुन	459	13747	420
5	चमड़ा	73463	58225	31638
6	माटी	18780	15145	33925
7	रेशे	11366	10428	2 94
8	एल्युमिनियम	4	3	7
9	सूता निर्माण	5312	5067	1.379
10	फल संरक्षण	29	25	54
11	मधुमक्खी पालन	18	25	[illegible]
12	चूना	495	1495	2990
13	बांस एवं बेंत	16236	18 8	24354
14	लुहारी एवं बढ़ईगिरी	13884	10301	24185

स्रोत St a Ab a 97 & 996 Rata than

उपरोक्त तालिकाओं से ज्ञात होता है कि

1 1995 96 में खादी व्यवसाय के अन्तर्गत 129917 व्यक्ति कार्यरत थे। 1995 96 में ग्रामीण उद्योगों में भी अनेक व्यक्तियों को पूर्णकालिक व अंशकालिक रोजगार प्राप्त हो रहा था।

2 1995 96 में ग्रामीण उद्योगों में चमड़ा व्यवसाय के अन्तर्गत सर्वाधिक व्यक्ति कार्यरत थे।

3 1995 96 में तेल घाणी हाथ से बना कागज साबुन हाथ से कूटा धान कुम्हार एवं बढ़ई का कार्य तथा बेंत व बांस आदि से सम्बंधित कार्यों में पर्याप्त व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

राजस्थान में रोजगार की दृष्टि से खनन क्षेत्र का विशेष महत्व है इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की स्थिति इस प्रकार थी

खनन क्षेत्र में प्राप्त रोजगार (1995 96)

खनिज	प्रतिदिन औसतन रोजगार प्राप्त व्यक्ति
A मुख्य खनिज	
1 लौह धातु	
खनिज लौह	160
2 अलौह धातु	
(अ) सीसा जस्ता	7195
(ब) सीसा जस्ता व चाँदी	11827
B अधातु खनिज	
1 एस्बेस्टस	737
2 बालक्ले	163
3 कैल्साइट	146
4 चीनी मिट्टी	752
फेल्सपार	10
6 फ्लोराइट	419
7 फ्लोराइड	226
8 गार्नेट	45
9 ग्रेफाइट	60
10 जिप्सम	2162
11 मार्बल (कुल)	224
12 क्वार्ट्ज	710
13 फॉस्फेट	403
14 लाइमस्टोन	101 5
15 सोप स्टोन (घीया पत्थर)	1218
16 सैण्ड स्टोन	970
17 वैरीमाइक्युलाइट	150
18 वुल्फ्रेमाइट	101

	19	सिलिका बालू	908
	20.	फायरक्ले	248
	21	मैग्नेसाइट	1
	22	वाल्लस्टोनाइट	1925
	23	रॉक फास्फेट	3932
C		भवन-निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खनिज	
	1	भवन निर्माण मे (कंकर बजरी व पत्थर)	107817
	2	चूना बनाने के लिए चूना पत्थर	22577
	3	मार्बल	73319
	4	बन्टोनाइट	105
	5	फुलर्स अर्थ	104
	6	विक्स अर्थ व ऑर्डिनरी क्ले	12116

Source Statistical Abstract 1996, Rajasthan.

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि -

1 खनन क्षेत्र मे भवन-निर्माण कार्यों मे प्रयुक्त होने वाले खनिजों मे रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सख्या सर्वाधिक है।

2 मारबल, चूना बनाने, सोप स्टोन, क्वार्ट्ज,फेल्सपार, सीसा-जस्ता व चाँदी तथा खनिज ताबा आदि से अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त होता है। लोहा, डोलोमाइट, गारनेट, वेरमिक्यूलाइट तथा बेन्टोनाइट आदि से अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है।

राजस्थान में बेरोजगारी का आकार

SIZE OF UNEMPLOYMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान में श्रम शक्ति के आकार की तुलना में रोजगार के अवसरो से तुलना करने से ज्ञात होता है कि राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना 2 04 लाख लोगों की बेरोजगारी के साथ आरभ होगी। सामान्य स्थिति के 2 04 लाख व्यक्ति ग्रामीण-शहरी, स्त्री-पुरूष एव आयु-वर्ग के अनुसार इस प्रकार है।

राजस्थान में सामान्य स्थिति के बेरोजगारो का अनुमान

(1 मार्च 1997) (हजार में)

आयु	शहरी		ग्रामीण		कुल
	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	कुल
5-9	-	-	-	-	-
10 14	2 7	18 3	7 6	-	28 6
15 29	217 4	46 8	128 6	9 2	402 0
30-44	51 6	54 1	6 5	5 0	117 2
45 59	16 9	16 7	3 8	-	37 4
60+	0 5	-	-	-	0 5
कुल	263 1	135 9	146 5	14 2	585 7

स्रोत Draft Ninth Five Year Plan, 1997-2000, Govt. of Raj.

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि -

1 राजस्थान में मार्च, 1997 में शहरी क्षेत्रों के 15-29 आयु वर्ग के 264 2 स्त्री व पुरूष थे, जबकि इसी समय इसी आयु वर्ग के 137 8 हजार व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार थे। अत इस आयु-वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना मे शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या अधिक गभीर थी।

2 तालिका के सामान्य विवेचन से ज्ञात होता है कि 1997 मे ग्रामीण क्षेत्रो की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के पुरूष अधिक सख्या मे बेरोजगार थे।

3 स्त्रियों की तुलना मे पुरूष अधिक सख्या में बेरोजगार थे। विभिन्न आयु वर्गों की तुलना में 15-29 आयु वर्ग के पुरूष एव स्त्री अधिक मात्रा मे बेरोजगार थे। यद्यपि शहरी महिलाए 30-48 आयु वर्ग में अधिक बेरोजगार थीं।

रोजगार कार्यालयों में जिलेवार पंजीकृत व्यक्ति

DISTRICTWISE REGISTERED APPLICANTS IN EMPLOYMENT EXCHANGES

राजस्थान के विभिन्न जिलों में रोजगार के इच्छुक लोगों की रोजगार कार्यालयों में पजीकृत सख्या निम्नलिखित थी -

राजस्थान के रोजगार कार्यालयों की जिलेवार स्थिति

मद	वर्ष के अन्त में रोजगारकार्यालयों में पजीकृत रोजगार चाहने वालों की सख्या
दिसम्बर 1985	686341
दिसम्बर 1990	915018
दिसम्बर 1995	8 95 213

स्रोत Statistical Abstract 1998 1993 & 1998 some facts about Rajasthan & Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt. of Rajasthan.

विश्लेषण से ज्ञात होता है कि

1 रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की सख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

2 रोजगार के इच्छुक आवेदकों के जिलेवार आकडों से स्पष्ट है कि जयपुर जिले मे रोजगार चाहने वालों की सख्या सर्वाधिक थी।

3 अजमेर, उदयपुर,अलवर, भरतपुर, गगानगर, जोधपुर आदि राज्यो में भी रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की समुचित पजीकृत सख्या थी।

4 राज्य के जैसलमेर, जालोर, सिरोही, झालावाड, धौलपुर,

ग्राइमर अ[illegible] म [illegible] म रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्य[illegible] [illegible] अपेक्षाकृत बहुत कम थी।

5 तालिका से स्पष्ट है कि राज्य के प्राय सभी जिलों मे रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक [illegible] व्यक्ति बड़ी मात्रा में विद्यमान है

राजस्थान में रोजगार के अवसरों की सम्भावनाएं

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN RAJASTHAN

राजस्थान सरकार ने रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए श्रम प्रधान कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देने का निश्चय किया है। इस हेतु विभिन्न प्रकार के रोजगार कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना नेहरू रोजगार योजना आदि के क्रियान्वयन पर अधिक बल दिया जायगा राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग को भी प्रोत्साहित किया जायगा। राजस्थान सरकार ने रोजगार की सम्भावना वाले क्षेत्रों का पता लगाकर उनमें अधिक विनियोग करने की चेष्टा की है। रोजगार सृजन की दृष्टि से कृषि एव उससे सम्बधित सेवाए ग्रामीण एव लघु उद्योग लघु एव मध्यम सिंचाई योजनाए खान एव खनन ग्रामीण सड़क ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम तथा शिक्षा चिकित्सा एव स्वास्थ्य गृह निर्माण कार्यक्रम आदि सामाजिक सेवाए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माने गये है

राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जो मापदण्ड निर्धारित किए है उनके अनुसार प्रति एक लाख रुपये के व्यय पर विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार से रोजगार के अवसर सृजित होंगे

अतिरिक्त रोजगार सृजन के अनुमानों के लिए निर्धारित मापदण्ड

(प्रति एक लाख रुपये के व्यय पर व्यक्तियों की संख्या)

क्षेत्र		निर्माण	लगातार या स्थायी
1	कृषि		
	[illegible]	2 73	
	कमाण्ड क्षेत्र विकास [illegible]	3 07	0 79
2	लघु सिंचाई	5 97	0 0
3	पशुपालन	2	[illegible]
4	[illegible]	8	[illegible]
5	[illegible]	8 3	0 0
6	मत्स्य पालन	[illegible]	0 76
	सहकारिता	3 41	1 12
8	[illegible]		
	विकास	3 07	0 79
9	सिंचाई		
	(अ) इंदिरा गांधी नहर परियोजना	2 90	0 03
	(ब) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अतिरिक्त	5 62	0 03
10	ऊर्जा	0 34	0 34
11	उद्योग		
	(अ) वृहद् एव मध्यम	1 58	1 19
	(ब) ग्रामीण एव लघु	3 58	2 21
12	खनन	5 97	0 61
13	[illegible]	5 97	0 61
14	[illegible]	3 07	4 प्रति बस
15	[illegible]	3 58	0 38
16	शिक्षा	3 07	1 08
17	चिकित्सा	3 75	0 90
18	जल आपूर्ति		
	(अ) ग्रामीण	3 41	1 03
	(ब) शहरी	2 39	1 03
19	आवास	3 07	
20	समाज कल्याण	3 07	0 52
21	श्रम एव श्रम कल्याण	2 73	0 87
22	प्रचार	3 07	0 17
23	आर्थिक सेवाए	2 73	0 75
24	आयुर्वेद	3 75	1 92
25	नगर नियोजन	3 07	0 60
26	पिछड़े वर्गों का कल्याण	2 73	0 33

स्रोत D aft N nth F ve Yea P an 1997 2002 Govt of Raj

रोजगार के अवसरों के सृजन के सदर्भ में उपरोक्त तालिका से इन तथ्यों का ज्ञान होता है

1 मछली पालन एव वृक्षारोपण में एक एक लाख रुपये के विनियोजन के फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर सृजित [illegible] लेकिन इस विनियोजन के कारण स्थायी रोजगार के अवसर नगण्य रहेंगे। यदि सरकार अस्थायी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना चाहती है तो [illegible] कार्यों में अधिक विनियोजन करना उपयुक्त रहेगा।

ग्रामीण एव लघु उद्योगों में प्रति एक लाख रुपये के व्यय से [illegible] 3 58 व्यक्तियों को ही रोजगार प्राप्त होगा [illegible] 2 21 व्यक्तियों को स्थायी रोजगार भी प्राप्त [illegible] सरकार स्थायी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना चाहती है तो उसे ग्रामीण एव लघु उद्योगों पर अधिक व्यय करना चाहिए। 3 अस्थायी रोजगार के अवसरों में [illegible] सरकार लघु सिंचाई [illegible] वृक्षारोपण सिंचाई खनन [illegible] अधि पर अधिक व्यय कर सकती [illegible] रोजगार के स्थाई अवसर [illegible] अपेक्षाकृत कम [illegible]। 4 यदि सरकार स्थाई रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना

चाहती है तो उसे लघु व ग्रामीण उद्योग, सहकारिता, वृहद् एव मध्यम उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जलापूर्ति, श्रम एव श्रम-कल्याण आदि पर अधिक धन व्यय करना चाहिए।

राजस्थान में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत अतिरिक्त रोजगार के अवसरो के सृजन के अनुमान हेतु जो मानदण्ड निर्धारित किए गए है, वे इस प्रकार है -

कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोज़गार के अवसरों के सृजन हेतु निर्धारित मानदण्ड

क्र स	फसलें	मानवीय श्रम की आवश्यकता (मानव दिवस प्रति हैक्टेयर)
1	धान	81
2	ज्वार	48
3	बाजरा	35
4	मक्का	
	(अ) सिंचित	59
	(ब) असिंचित	50
5	गेहू	
	(अ) सिंचित	95
	(ब) असिंचित	40
6	जौ	89
7	दालें (चना मूग आदि)	32
8	तिल	35
9	मूगफली	52
10	गन्ना	150
11	कपास	147
12	मिर्च	120
13	ग्वार	25

स्रोत Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002 Govt. of Raj

उपरोक्त तालिका में निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होता है -

1 निर्धारित मापदण्ड के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गन्ने की खेती के विस्तार के फलस्वरूप रोजगार के अधिक अवसर सृजित होने की सभावना है, लेकिन राज्य में गन्ने की खेती के लिए आवश्यक दशाए सीमित क्षेत्र में ही उपलब्ध है। अत वर्तमान में गन्ने की खेती का अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में गन्ने की खेती के लिए आवश्यक दशाए उपलब्ध है। यदि नहर निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाये तो गन्ने की खेती का विस्तार करके अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

2 कपास एव मिर्च की खेती के विस्तार से भी रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक अवसर सृजित होने की सभावना है। राज्य में सिचाई सुविधाए सीमित क्षेत्र में उपलब्ध है। यही कारण है कि इन फसलों के उत्पादन क्षेत्र में अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती। सिचाई-सुविधाओं में वृद्धि करके ही इन फसलों के क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

3 धान की खेती के विस्तार से भी रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होते है, लेकिन राज्य के वर्षा के अभाव एव सिचाई के साधनों की अपर्याप्तता के कारण धान की खेती का क्षेत्र सीमित है। अत सिचाई सुविधाओं का विस्तार करके ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। ज्वार, बाजरा, दालों, ग्वार व तिलहन की खेती में अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की सभावना है लेकिन इन फसलों की खेती के लिए प्राय सिचाई के साधनों की अधिक आवश्यकता नहीं होती। इनकी खेती मुख्यत वर्षा पर निर्भर करती है। अत पर्याप्त वर्षा की स्थिति में इन फसलों की खेती का विस्तार करके रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक अवसर सृजित किये जा सकते है

राजस्थान में रोजगार पर व्यास समिति
VYAS COMMITTEE ON EMPLOYMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान सरकार ने 10 अक्टूबर, 1990 को विकास अध्ययन सस्थान के निदेशक डॉ वी एस व्यास की अध्यक्षता म एक समिति का गठन किया था। इस समिति को मुख्यत निम्नलिखित कार्य सौपे गये थे -

1 रोजगार की स्थिति की समीक्षा करना आगामी 10 वर्षो मे श्रम-शक्ति की सभावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये आगामी 10 वर्षो में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए रोजगार की दर निर्धारित करने का सुझाव देना।

2 ऐसे क्षेत्रों, विभागो और क्रियाओ की जॉच करना, जिनमें बेरोजगारी की स्थिति अधिक गभीर है और आने वाले 10 वर्षों में और अधिक गभीर होने की सभावना है।

3 ऐसे गतिशील क्षेत्रों, क्रियाओं आदि का पता लगाना, जिनमें प्रभावी रूप से उत्पादक रोजगार की सभावनाए विद्यमान है।

4 निम्नलिखित के सदर्भ में उचित नीति एव उपाय का सुझाव देना -

(अ) कर एव अनुदान

(ब) विनियोग के स्वरूप में परिवर्तन

(स) कच्चे माल की पूर्ति के लिए आधारभूत सुविधाए सृजित करना

(द) प्रशिक्षण एव कुशलता का निर्माण

व्यास समिति के प्रथम दो बिन्दुओं के सदर्भ में अपना सर्वप्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख बातें निम्नानुसार है -

1 राजस्थान को रोजगार सरचना में कृषि का आधिपत्य है और इसके अन्तर्गत रोजगार के स्वरूप के विविधीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन की सभावना नही है। गैर कृषि-क्षेत्र में राज्य सरकार सबसे बडी नियोक्ता है।

2 1980 के दशक में राजस्थान में रोजगार सृजन की दर राष्ट्रीय औसत से कम रही है। दूसरी ओर, राजस्थान में श्रम-शक्ति राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक बढी है। यही कारण है कि राजस्थान में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर से अधिक है।

3 क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से राजस्थान के दक्षिणी और उत्तरी-पूर्वी जिलो में बेरोजगारी की समस्या अधिक गभीर है।

4 राजस्थान में अल्परोजगार की समस्या भी एक प्रमुख समस्या है। अल्परोजगार की दर भी राजस्थान में राष्ट्रीय दर से अधिक है।

5 राजस्थान मे उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जैसे- इजीनियर, चिकित्सक आदि वर्गों में भी बेरोजगारी की दर अत्यधिक है।

6 समिति का मत है कि यदि सन् 2000 तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना है तो विकास दर को 1980 के दशक की विकास दर 2 1 प्रतिशत से बढकर 2 5% करना होगा।

व्यास समिति ने "राजस्थान में रोजगार समस्या की व्यापकता और भावी सभावनाए" शीर्षक के अन्तर्गत अतरिम रिपोर्ट जुलाई, 1993 में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में 1980 के दशक में रोजगार सृजन की दर भारत की दर से कम रही है। राजस्थान में श्रमशक्ति में वृद्धि की गति भी भारत की तुलना में अधिक रही है। *समिति के अनुसार ग्रामीण पुरुषों दक्षिणी पूर्वी जिलों* तथा शिक्षा के निम्न स्तर पर बेरोजगारी की समस्या अधिक गभीर है। इस समस्या से सबसे ज्यादा महिलाए पीडित है और वे इसकी गभीरता को महसूस करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बडे पैमाने पर 5-14 वर्ष तक के बच्चों से काम लिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी बाल श्रमिक अधिक है। समिति के अनुसार राज्य में बेरोजगारी के अतिरिक्त सबसे अधिक समस्या अर्द्ध रोजगार की है। राज्य में अर्द्ध रोजगार की दरें सपूर्ण भारत की दरों से अधिक है। राज्य के जिलों में केवल गगानगर को छोडकर शेष सभी जिले अर्द्ध रोजगार की समस्या से ग्रसित है। मध्यवर्ती व दक्षिणी जिलों की स्थिति अधिक खराब है।

राजस्थान में रोजगार का ढाँचा मुख्यत कृषि पर आधारित है। इसे बहुआयामी बनाने के प्रयास नहीं किये गये है। राज्य का सगठित क्षेत्र बहुत कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र में आज भी सरकार ही सबसे बडी विनियोजक है। कारखानों में जितने लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक रोजगार राज्य के शिक्षा व पुलिस विभाग ही दे देते है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी रोजगार के अधिक अवसर सृजित नहीं कर पाये है। राज्य के केवल दो सरकारी उपक्रमों -राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को छोडकर शेष सभी सार्वजनिक उपक्रमों में सबको मिलाकर भी नाममात्र का ही रोजगार मिल पाता है। राज्य के खनिज क्षेत्र के बडे पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

1990 91 में राज्य में बेरोजगारी का "बैकलॉग" लगभग 3 5 लाख से 4 8 लाख रहा है अर्थात् इतनी सख्या में लोगों को रोजगार नहीं मिला। समिति ने योजना निर्माण के लिए बैक लॉग के अधिकतम आकडों के प्रयोग का सुझाव दिया है। सन् 2000 तक सबको रोजगार देने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समिति ने राज्य के सार्वजनिक एव निजी क्षेत्र में रोजगार के लगभग 50 लाख नये अवसर सृजित करने की आवश्यकता बतायी। ऐसा करने पर ही सन् 2000 तक 4 8 लाख रोजगारों के बैक लॉग को पूरा किया जा सकेगा। इससे 15-59 वर्ष तक की आयु के बेरोजगारों को भी रोजगार दिया जा सकेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 2 5% की दर से रोजगार में वृद्धि करनी होगी। 1980 के दशक में राज्य में रोजगार की बढोतरी की दर 2 1% रही है। समिति ने रोजगार के सख्यात्मक पहलुओं के अतिरिक्त गुणात्मक पहलुओं पर भी विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। इसके लिए शिक्षित एव तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना चाहिये और महिलाओं को रोजगार देने के साथ-साथ उनके कार्य की स्थितियों को अच्छा बनाया जाना चाहिये। समिति के अनुसार राज्य के दक्षिणी जिलों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि वहा बेरोजगारी के अनुपात और अर्द्ध-बेरोजगारी की व्यापकता को कम किया जा सके।

राजस्थान में बेरोजगारी के कारण
FACTORS RESPONSIBLE FOR UMEMPLOYMENT IN RAJASTHAN

1 जनसंख्या मे तीव्र वृद्धि - राजस्थान में जनसख्या राष्ट्रीय औसत से भी अधिक गति से बढ रही है जबकि

इस दर म रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो पा रहा है। इस कारण बेरोजगारी का मात्रा निरंतर बढ़ रही है। शिक्षा के व्यापक प्रसार से जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाना चाहिये।

2 रेगिस्तानी क्षेत्र व विषम जलवायु राजस्थान में अरावली पर्वत-शृंखला के पश्चिम में थार का मरुस्थल विद्यमान है जो कि राजस्थान के समस्त क्षेत्रफल का एक बड़ा भाग है। इस क्षेत्र में जलवायु अत्यन्त विषम है एवं कृषि भी कम वर्षा व सिंचाई साधनों के अभाव में पिछड़ी अवस्था में है। कृषि के पिछड़ेपन के कारण कृषि सहायक उद्योगों, पर्याप्त मात्रा में कृषि उपज मंडियों एवं रोजगार सृजित करने वाले अन्य कार्यों का अभाव है। फलस्वरूप बेरोजगारी है।

3 कृषि का पिछड़ापन राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है लेकिन इस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या गंभीर है। भूमि के प्रति प्रेम, मानसून की अनिश्चितता, कृषि पर अधिक जनभार, खेतों का छोटा आकार, खेतों का बिखरा होना, अवैज्ञानिक भूमि उत्तराधिकार के नियम, कृषि में यंत्रीकरण एवं सहायक क्रियाओं का अभाव आदि कारणों से ग्रामीण बेरोजगारी निरंतर बढ़ी है।

4 उद्योगों का अभाव राजस्थान अनेक राज्यों की तुलना में उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहां तक कि बड़े उद्योगों के अतिरिक्त ग्रामीण व कुटीर उद्योग भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाये हैं। इन सबका एक प्रमुख कारण इनके लिए पर्याप्त मूलभूत साधनों का अभाव होना चाहिये

5 रोजगार नीति का अभाव राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या के समाधान करने के लिए समय-समय पर कुछ रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किये गये, लेकिन अपर्याप्त प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में बेकारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वस्तुतः राज्य में बेरोजगारी का प्रमुख कारण रोजगार नीति का अभाव रहा है। एक व्यापक एवं प्रभावशाली रोजगार नीति के द्वारा राज्य की बेरोजगारी की समस्या का हल किया जा सकता है।

6 शिक्षा प्रणाली स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में भी लार्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली अपनाई गई जो आज भी जारी है। इससे राज्य में नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की भीड़ जमा हो गई। व्यावसायिक शिक्षा के अभाव के कारण बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि हो रही है

7 लघु व कुटीर उद्योगों का समाप्त होना लघु व कुटीर उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। अतः राज्य के अनेक लघु व कुटीर उद्योग समाप्त हो चुके हैं। अतः बेरोजगारी में वृद्धि हुई है

8 बेरोजगारों की विचारधारा राज्य में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण उनकी यह विचारधारा है कि वे केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। अन्य कोई व्यवसाय नहीं करना चाहते, इस कारण राज्य सरकार के स्वरोजगार कार्यक्रम सफल नहीं हो पाये हैं

9 मानव शक्ति नियोजन न होना राजस्थान में मानव शक्ति नियोजन के प्रयासों का अभाव रहा है। अतः राज्य में बेरोजगारी होना स्वाभाविक है

10 अन्य कारण उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त व्यापक निरक्षरता, ऋणग्रस्तता, सामाजिक रूढ़ियां व अधोसंरचना, पूंजीनिवेश का अभाव आदि कारणों से भी राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है

राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के सुझाव

1 जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी जनसंख्या नियोजन के द्वारा न केवल रोजगार की मांग करने वाले भावी व्यक्तियों की भीड़ को रोका जा सकता है वरन् विद्यमान बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है

2 कृषि विकास कृषि राज्य अर्थव्यवस्था का एक व्यापक क्षेत्र है। अतः कृषि क्षेत्र एवं सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करके रोजगार के अधिक अवसर सृजित किये जा सकते हैं

3 औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास के द्वारा भी बेरोजगारी की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। बड़े उद्योगों के विकास के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या को हल करने में लघु व कुटीर उद्योग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

4 इंदिरा गांधी नहर-क्षेत्र का विकास इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाभ उठाकर राज्य की पश्चिमी क्षेत्र एवं विषम जलवायु की परिस्थितियों को कुछ हद तक अनुकूल बनाया जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर के कमाण्ड क्षेत्र में कृषि का विकास होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अतः इंदिरा गांधी नहर को संपूर्ण राजस्थान एवं विशेषतः राजस्थान के क्षेत्र के लिए वरदान माना जा सकता है

5 पर्यटन उद्योग का विकास पर्यटन उद्योग रोजगार

वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकता है। राज्य में इस उद्योग के विकास की पर्याप्त सभावनाए विद्यमान है। अत इन सभावनाओं का वास्तविक रूप प्रदान किया जाना चाहिये।

6 रोजगार नीति - बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये ऐसी रोजगार नीति का निर्धारण किया जाना चाहिये जिसमे राज्य अर्थव्यवस्था के सभी साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

7 आधारभूत सरचना का निर्माण - राज्य की आधारभूत सरचना कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्रो का आधारभूत ढाचा नगण्य है। अत सपूर्ण राज्य में आधारभूत ढाचे को सुदृढ करके रोजगार के नवीन अवसर सृजित किये जा सकते है।

8 अन्य सुझाव -

(i)राज्य मे मानव शक्ति नियोजन के प्रयास किये जाने चाहिये।

(ii)पशुपालन का तीव्र गति से विकास करके रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किये जा सकते है।

(iii)सामाजिक वानिकी का विकास भी रोजगार वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकता है।

(iv)आर्थिक उदारीकरण के द्वारा भी रोजगार में वृद्धि सभव है।

(v)बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु राज्य के विभिन्न कार्यक्रमो एव नीतियो में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।

नवीं योजना में रोजगार सृजन की रणनीति

राजस्थान की नवी पचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन की निम्न व्यूह रचना अपनाई गई

(i)श्रम प्रधान कार्यक्रमो को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ii)रोजगार प्रदान करने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों (जवाहर रोजगार योजना सुनिश्चित रोजगार योजना आदि), के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जायेगा।

(iii)ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (अपना गाव अपना काम आदि) मे जनसहभागिता को बढावा दिया जायेगा।

(iv)ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण एव रोजगार सृजन के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जायेंगे।

(v)ग्रामीण नवयुवकों को विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रमों (गोपाल सरस्वती स्वास्थ्य कर्मी आदि) का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(vi)औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जायेगा।

(vii)स्वरोजगार योजनाओं के क्षेत्र में वृद्धि हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(viii)ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिये आर्थिक विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायगी। ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत ढाचे को सुदृढ किया जायेगा तथा ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी।

राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार-सृजन के कार्यक्रम

RAJASTHAN GOVERNMENT'S PROGRAMMES FOR EMPLOYMENT GENERATION

राजस्थान में बेरोजगारी एव निर्धनता के उन्मूलन के उद्देश्य से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये राजस्थान मे विभिन्न कार्यक्रम सचालित किये जा रहे है। ये कार्यक्रम निम्नानुसार है

1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2 ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण
3 ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एव बाल विकास कार्यक्रम
4 जवाहर रोजगार योजना
5 जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
6 मरू विकास कार्यक्रम
7 सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम
8 अन्त्योदय योजना
9 बीस सूत्री कार्यक्रम
10 बजर भूमि विकास कार्यक्रम
11 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
12 मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना
13 अरावली विकास कार्यक्रम
14 महिला विकास कार्यक्रम
15 अपना गाव अपना काम योजना
16 कन्दरा सुधार कार्यक्रम
17 कमाण्ड क्षेत्र कार्यक्रम
18 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए।
Define Unemployment

2 छिपी हुई बेरोजगारी क्या है?
What is disguised unemployment

3 बेरोजगारी की निम्न अवधारणाओं को समझाईये
(i) सामान्य स्थिति (ii) साप्ताहिक स्थिति (iii) दैनिक स्थिति
Explain the following concepts of unemployment
(i) Usual Status (ii) Weekly Status (iii) Daily Status

4 राजस्थान में रोजगार की वर्तमान स्थिति बताइए।
Explain the present position of employment in Rajasthan

5 राजस्थान में बेरोजगारी का आकार बताईए।
Explain the size of unemployment in Rajasthan

11C661

6 राजस्थान में रोजगार पर व्यास समिति पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Vyas committee on employment in Rajasthan

7 राजस्थान में रोजगार के अवसरों की सम्भावनाओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the employment opportunities in Rajasthan

B निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 बेरोजगारी क्या है? राजस्थान में बेरोजगारी के क्या कारण है?
What is unemployment? What are the causes of unemployment in Rajasthan?

2 राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on unemployment in Rajasthan.

3 राजस्थान में बेरोजगारी के निम्न तत्वों को स्पष्ट कीजिए
(i) बेरोजगारी का आकार (ii) बेरोजगारी के कारण
Mention the following factors of unemployment in Rajasthan -
(i) Size of Unemployment (ii) Causes of Unemployment

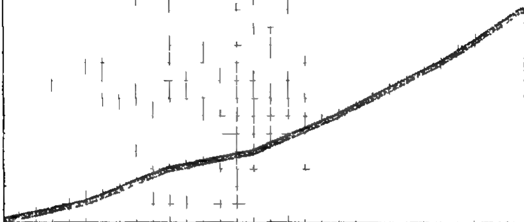
4 राजस्थान में बेरोजगारी के क्या कारण है? व्यास समिति की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए।
What are the causes of unemployment in Rajasthan Mention the main features of Vyas Committee



अध्याय – 5

राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन

NATURAL RESOURCES OF RAJASTHAN



"प्राकृतिक ससाधन प्रगति की आधारशिला हैं।"

अध्याय एक दृष्टि में

- प्राकृतिक ससाधनों से आशय
- प्राकृतिक ससाधनों के महत्व
- राजस्थान की भूमि सम्पदा
- राजस्थान की जलवायु
- राजस्थान के प्राकृतिक भाग
- राजस्थान की मिट्टिया
- राजस्थान की वन सम्पदा
- राजस्थन की जन सम्पदा
- राजस्थान की पशु सम्पदा
- राजस्थान की खनिज सम्पदा
- अभ्यासार्थ प्रश्न

प्राकृतिक ससाधनों से आशय

MEANING OF NATURAL RESOURCES

प्राकृतिक समाधनों से आशय प्रकृति द्वारा प्रदत्त उन उपहारों से है जो मानव के लिए प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होते है। इस दृष्टि से प्राकृतिक वातावरण का प्रत्येक तत्व ससाधन है। भूमि जल वनस्पति खनिज जीव जन्तु जलवायु आदि मानव उपयोगी होने के कारण ससाधन है। कई तत्व परस्पर मिलकर या अलग-अलग भी ससाधन बनते है। प्राकृतिक समाधनो के उपभोक्ता के रूप में मनुष्य स्वय सबसे महत्वपूर्ण ससाधन है। किसी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला भी प्राकृतिक ससाधन ही है। इन पर ही राष्ट्र का विकास व भविष्य निर्भर करता है। समाधनों में जितनी विविधता होगी उन्नति की सभावनाए उतनी ही अधिक होगा। मानवीय व प्राकृतिक तत्वो द्वारा उनका परस्पर सबध मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिये मनुष्य को कृषि करने के लिए भूमि मिट्टी व जलवायु को दृष्टिगत रखना होगा। इसी प्रकार यह भी सभव है कि मनुष्य को एक दूसरे के प्रतिस्पर्द्धी ससाधन एक ही स्थान पर मिल जाये जैसे कोयला और प्राकृतिक गैस का एक स्थान पर मिलना ऐसी दशा में इनकी सापेक्षिक महत्व के अनुसार मनुष्य यह निर्णय लेता है कि

किस समाधन का, कैसे और कितना उपयोग करेगा। प्राकृतिक समाधनों में भूमि, मिट्टी, जलवायु,जल, खनिज वनस्पति पशु-सम्पदा आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ससाधन है।

प्राकृतिक ससाधनों में भूमि खनिज वन पशु जन ससाधनों आदि का समावेश किया जाता है। इनका विस्तृत विवेचन इस अध्याय में किया गया है।

प्राकृतिक संसाधनों का महत्व
IMPORTANCE OF NATURAL RESOURCES

1 कृषि (Agriculture) - कृषि फसलों की विविधता का कारण मुख्यत जलवायु की भिन्नता है। मानसूनी, जलवायु वाले राष्ट्रों में मानसून पर्याप्त व समय पर आने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। प्राकृतिक ससाधनों के कारण ही कृषि में सिंचाई हेतु सतत् बहने वाली नदिया प्राप्त होती है। कृषि से सबधित विभिन्न आदान, जैसे रासायनिक खाद आदि, प्राकृतिक ससाधनों की ही देन है। उपजाऊ मिट्टी कृषि की उत्पादकता बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2 उद्योग (Industry) - उद्योगों पर स्थिति का कवशष प्रभाव पडता है। मानसूनी जलवायु और कृषि-प्रधान क्षेत्रों में कृषि-जन्य कच्चे पदार्थों पर आधारित उद्योग पाये जाते है। इनमें नदियों से प्राप्त जल विद्युत, शक्ति का प्रमुख स्रोत होती है। वन-सम्पदा अधिक होने पर उन पर आधारित उद्योग विकसित होते चले जाते है। खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में खनिजों पर आधारित उद्योग पनपने लगते है। शक्ति का जो साधन आसानी से उपलब्ध होता है वही शक्ति का प्रमुख साधन बन जाता है। कुछ कवशष प्रकार के उद्योग जलवयु के अनुरूप स्थापित होते है, मुख्य रूप से फिल्म उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि।

3 व्यापार (Trade) - *यदि राष्ट्र अविकसित पडौसी राष्ट्रों* से घिरा हो तो उनके बाजारों में प्रवेश की अच्छी सभावनाए होती है। इसी प्रकार सामुद्रिक जल मार्ग उपलब्ध होने पर दूसरे राष्ट्रों से सपर्क कार्य सरल हो जाता है। भौगोलिक स्थिति के परिणामस्वरूप स्थल क्षेत्र से भी व्यापार सभव है। यदि राष्ट्र प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रों के मध्य है तो प्राय प्रत्येक राष्ट्र के व्यापारियों से सपर्क बढता है। इससे व्यापार प्रोत्साहित होता है। जलवायु की विविधता के कारण विभिन्न कृषि फसलें लेना सभव हो जाता है। फलस्वरूप व्यापार बढने की सभावना रहती है। राष्ट्र की प्राकृतिक सरचना जनसख्या को भी प्रभावित करती है। फलस्वरूप आतरिक व्यापार भी प्रभावित होता है। प्राकृतिक ससाधनों की कमी और आधिक्य में प्राय देशी व विदेशी व्यापारों में भी कमी व वृद्धि होती है।

4 परिवहन (Transport) - विशेष रूप से धरातल की अनुकूलता के कारण स्थल, वायु तथा आतरिक जल यातायात विकसित होते है। समुद्र होने पर सामुद्रिक यातायात प्रभावित बढता है। आसमान साफ होने पर वायु परिवहन में वृद्धि होती है। स्थिति के कारण कटे-फटे होने पर प्राकृतिक बदरगाह उपलब्ध होते है। प्राकृतिक ससाधनों के अधिक होने पर भी देशी व विदेशी व्यापार अधिक होता है। फलस्वरूप परिवहन के साधनों के विकास की गति भी बढ जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थल यातायात काफी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार मुसलाधार वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थल परिवहन में अनेक बाधाए खडी हो जाती है।

5 कार्यक्षमता (Efficiency) - गर्म जलवायु होने पर *शीत-प्रधान राष्ट्रों की तुलना में कार्य क्षमता कम देखी गयी* है क्योंकि गर्म प्रदेशों में जल्दी ही थकान का अनुभव होने लगता है। एक राष्ट्र में अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों और ठडे प्रदेशों में निवासियों की कार्य-क्षमता का अतर आ जाता है। कार्यक्षमता पर जनसख्या की स्वास्थ्य सबधी गुणवत्ता का भी प्रभाव पडता है। स्वास्थ्य काफी सीमा तक देश के प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है।

6 उपभोग (Consumption) - प्राकृतिक ससाधनों की विविधता के साथ-साथ उपभोग में भी प्राय विविधता देखी गई है। खनिजों में विविधता विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास का कारण बनती है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु से भिन्न-भिन्न कृषि फसलें प्राप्त होती है। वन-उत्पादों के कारण अनेक वस्तुए उपलब्ध होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक ससाधना उत्पादों में विविधता का औ" फलस्वरूप उपभोग में विविधता का एक महत्वपूर्ण कारण है।

7 पर्यावरण (Environment) - एक राष्ट्र का पर्यावरण किस प्रकार का होगा यह अनेक बातों पर निर्भर करता है। वह राष्ट्र विषुवत रेखा के किस ओर व कितनी दूर स्थित है, राष्ट्र समुद्र से घिरा है अथवा उसके कितना दूर या पास है, उस राष्ट्र की प्राकृतिक सरचना किस प्रकार की है, वनस्पति, कृषि, उद्योग,परिवहन, जीवन-स्तर आदि किस प्रकार के है ये सब तत्व मिलकर उस राष्ट्र के प्राकृतिक एव सामाजिक पर्यावरण की रचना करते है। प्राकृतिक ससाधनों पर क्योंकि मानव का नियत्रण नहीं होता इस कारण प्राकृतिक पर्यावरण की रचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

8. सचार (Communication) - अधिक वर्षा, पहाडी क्षेत्र बर्फीले क्षेत्र, राष्ट्र की अत्यधिक बिखरी हुई स्थिति ये राष्ट्रों की सचार व्यवस्था को प्रतिकूल ढग से प्रभावित

करते है और इसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। विभिन प्रतिकूल प्राकृतिक तथ्यों के कारण संचार में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। प्राय मैदानी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था अधिक प्रभावपूर्ण होती है। संचार के विभिन्न उपकरणों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल भी प्रकृति की ही देन है।

9 अन्तर्राष्ट्रीय साख (International credit) - विस्तार की दृष्टि से अधिक बडा राष्ट्र, प्राय प्राकृतिक ससाधनों में भी सम्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में स्वय उसे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर देती है। इसके साथ ही यदि सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से वह अनुकूल स्थिति में हो तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में वह पर्याप्त सम्मान अर्जित कर लेता है। पिछडे राष्ट्रों मे घिरा एक विकसित राष्ट्र प्राय उनके नेता के रूप में स्वीकार्य हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक ससाधनो की बहुलता, अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा उस राष्ट्र को अच्छी स्थिति में ला देती है।

10 सुरक्षा (Defence) - प्राय वृहद् आकार के राष्ट्र बाह्य आक्रमणों व दुश्मनों के लिए प्राय अजेय रहते है। समुद्र का लाभ मिलने पर नौसेना का गठन सभव हो पाता है। सीमाओं का विस्तार अधिक होने पर सुरक्षा व्यय बढ जाता है। भारत भी हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण विदेशी आक्रमणों से काफी सीमा तक सुरक्षित रहा है। भारत में द्वीपों की स्थिति ने भारत का सामरिक महत्व बढा दिया है। प्राकृतिक ससाधनो के माध्यम से सम्पन्नता प्राप्त करने वाले राष्ट्र को अपनी सम्पन्नता को बनाए रखने के लिए स्वत ही सुरक्षा व्यवस्था की रचना करनी होती है। फलस्वरूप वह इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है।

11 आत्मनिर्भरता (Self-Sufficiency) - प्रत्येक राष्ट्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने से उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड सकता है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति करनी होती है। यह प्रगति प्राकृतिक ससाधनों के बाहुल्य और उनकी विविधता पर काफी सीमा तक निर्भर रहती है। इस प्रकार प्राकृतिक ससाधन राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

12 जन-जीवन (Life Style) किसी राष्ट्र में जन जीवन कैसा होगा इस पर प्रकृति का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जीवन प्राय विषम होगा। बर्फीले भागों मे रहने वाले लोगों का जीवन और भी अधिक कठिन होगा। मैदानी भागों के लोग प्राय अधिक सुविधापूर्ण स्थिति में देखे जाते है। इस प्रकार की विविधताए लोगों के जन-जीवन पर तो प्रभाव डालती ही है, उनके जीने के तरीके और उनका जीवन-स्तर भी इससे प्रभावित होता है।

13 पर्यटन (Tourism) - विश्व में पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित होता चला जा रहा है। पर्यटन क्षेत्रों के विकास में प्रमुख भूमिका प्रकृति की ही कही जा सकती है। प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त राष्ट्र पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित हो जाते है। अच्छा समुद्र तट, घने जगल, नदिया व झीलें, अनुकूल जलवायु आदि मिलकर पर्यटन स्थलों की रचना करते है। इस प्रकार स्विट्जरलैण्ड जैसे अच्छे पर्यटक स्थलों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है। यह मान्यता उनकी आय को अत्यधिक बढाने में सहायक होती है

14 जनसख्या (Population) - किसी भी राष्ट्र की जलवायु जनसख्या की वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करती है। गर्म जलवायु वाले राष्ट्रों में जनसख्या तीव्र गति से बढती है क्योंकि गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग शीघ्र परिपक्वता को प्राप्त कर लेते है। शीत राष्ट्रों में जनसख्या वृद्धि दर प्राय कम होती है। जनसख्या के घनत्व पर भी प्राकृतिक ससाधन अत्यधिक प्रभाव डालते है। उपजाऊ क्षेत्रों, शक्ति के पर्याप्त साधन वाले क्षेत्रों प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त क्षेत्रों में रहना लोग अधिक पसन्द करते है। फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों का घनत्व बढ जाता है। प्राकृतिक ससाधनों के कारण रोजगार के साधन उपलब्ध होने से भी घनत्व प्रभावित होता है।

15 रोजगार (Employment) - विकास के लिए प्राकृतिक ससाधनों का विदोहन किया जाता है। विदोहन की यह प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों से पूरी होती है, जिनमे उद्योग प्रमुख है। ऐसी स्थिति में अधिक प्राकृतिक ससाधनों के होने पर रोजगार की अधिक सभावनाए उत्पन्न होती है। अनुकूल प्राकृतिक स्थिति होने पर व्यापार उन्नत अवस्था में होता है। जलवायु की अनुकूलता के कारण कृषि प्रधान राष्ट्र हो जाने से भी, अधिकाश जनसख्या को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक ससाधन अधिक होने पर अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है।

16 भण्डारण (Storage) - राष्ट्र में जो प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध है, उनकी भिन्नता विभिन्न वस्तुओं के भण्डारण को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इनमे से मुख्य रूप से जलवायु का भण्डारण पर प्रभाव देखा जा सकता है। शीत प्रदेशों में प्रकृति वस्तुओं को स्वय अधिक समय तक सुरक्षित रखने की क्षमता रखती है जबकि गर्म प्रदेशों में उनको सुरक्षित रखने के लिए शीत भण्डारों की व्यवस्था करनी पडती है। इसी प्रकार अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में भी यह व्यवस्था अनिवार्य सी हो जाती है।

भण्डारण की व्यवस्था के कारण वस्तुओं की लागतें बढ़ जाती हैं जिसका प्रभाव व्यापार व अन्य उत्पादन क्षेत्रों पर भी पड़ता है।

17 क्षेत्रीय विकास व विषमता (Regional development & disparities) - एक राष्ट्र में ही विभिन्न प्रदेशों अथवा क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की बाहुल्यता या कमी हो सकती है। इस प्रकार की कमी और बाहुल्यता विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आर्थिक विषमता व अनेक प्रकार की असमानताएं उत्पन्न कर देती है। प्राकृतिक संसाधनों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में उद्योग परिवहन व्यापार, कृषि आदि उन्नत अवस्था में होते हैं। ऐसी स्थिति में इन उन्नत व पिछड़े क्षेत्रों के मध्य खाई निरंतर बढ़ती चली जाती है।

18 सभ्यता व संस्कृति (Civilizations & Culture)- किसी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन उसे अन्य राष्ट्रों से कितना निकट संपर्क में ला देते है अथवा उसे कितना अलग कर देते है, इस बात का प्रभाव उनकी सभ्यता व संस्कृति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत की प्राकृतिक सीमा व क्वशषकर हिमालय द्वारा शेष विश्व से अलग-अलग रहने के कारण भारत ने अपनी स्वय की सभ्यता व संस्कृति को अपनाये रखा। यहां तक कि जो आक्रमणकारी विदेशों से आकर बसे वे भी इसी देश की सभ्यता व संस्कृति के अभिन्न अंग बन गये। विभिन्न लोगों व राष्ट्रों के संपर्क में आने का प्रभाव कुछ हद तक भारतवासियों पर भी पड़ा। वर्तमान में इस संदर्भ में पश्चिमी संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।

19 राजनीति (Politics) - देश के अत्यधिक विस्तार प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता आदि के कारण उत्पन्न भिन्नताओं से राजनीतिज्ञों के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो जाती है। विस्तृत राष्ट्र होने के कारण अनेक प्रादेशिक समस्याओं का सामना सरकार को करना पड़ता है। राष्ट्र की परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों का निर्धारण कर, सपूर्ण राष्ट्र को सन्तुष्टि प्रदान करने की चेष्टा की जाती है। जब संपूर्ण राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों में सम्पन्न हो तो विकास की समस्याएं, प्राय अभाव की समस्याओं की अपेक्षा कम तीव्र होती है। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों की कमी सरकार की समस्याओं में प्राय वृद्धि ही करती है।

20 विकास (Development) - राष्ट्र की प्राकृतिक बनावट उसकी खनिज-सम्पदा, वन सम्पदा, जल-स्रोत जलवायु तथा साथ ही उनका प्रयोग करने वाले मानवीय संसाधन विकास की गति को निर्धारित करते है। यदि ये तत्व अनुकूल है तो विकास की गति तीव्र होती है। कृषि, उद्योग, व्यापार परिवहन रोजगार आदि का तीव्र गति से विस्तार व विकास होता है। फलस्वरूप वर्तमान विकास की दर बढ़ जाती है। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी से प्राय वर्तमान के साथ-साथ भावी विकास की संभावनाएं भी कम हो जाती है।

राजस्थान की भूमि-सम्पदा
LAND RESOURCES OF RAJASTHAN

भूमि सम्पदा में मुख्यत भू-आकृति (*Relief*) भू-गर्भशास्त्र मिट्टी कन्दराएं व खाईयां, नदी-घाटियां, वनस्पति एव वन, राष्ट्रीय उद्यान एव वन्य जीव अभयारण्य और भू-उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है।[1] इनका विवेचन निम्न प्रकार है -

1 भू-आकृति (*Relief*) - *आरंभ में विश्व में गोंडवाना* क्षेत्र व अंगारा क्षेत्र नामक दो भू-खण्ड विद्यमान थे और इन दोनों भूखण्डों के मध्य टैथिस महासागर विद्यमान था। राजस्थान का कुछ भाग गोंडवाना क्षेत्र का व शेष टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान में विद्यमान अरावली पर्वत-श्रृंखलायें तथा दक्षिण-पूर्वी पठार गोंडवाना प्रदेश के प्राचीनतम भू-क्षेत्रों में से है। अनुमान है कि शेष राजस्थान के स्थान पर टेथिस महासागर विद्यमान था जिसकी गहराई को कालान्तर में अनेक नदियों ने पाट दिया। राजस्थान की दृष्टि से इसमें सर्वाधिक योग सरस्वती नदी का रहा। यह नदी भी कालान्तर में लुप्त हो गई। राजस्थान को सुविधा की दृष्टि से चार प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है (i) उत्तरी-पश्चिमी रेगिस्तान (ii) पूर्वी मैदान (iii) मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र अथवा अरावली प्रदेश और (iv) दक्षिणी-पूर्वी पठार। इन प्राकृतिक प्रदेशों का विस्तृत विवेचन राजस्थान के भौगोलिक परिचय के अन्तर्गत किया गया है।

2 भू-गर्भशास्त्र (Geology) - राजस्थान को प्रकृति ने अनेक प्राचीन चट्टानों की श्रेणियाँ उपहार स्वरूप प्रदान का है। इनमें से कुछ श्रेणियां लगभग 250 करोड वर्ष पुरानी है। राज्य के पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी भाग थार के मरूस्थल की मिट्टी से ढक हुये है। शेष भाग में अनेक प्रकार की कठोर चट्टाने पाई जाती है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतिम भाग में भूरे रंग की चट्टानों की श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला में अनेक प्रकार की प्राचीन चट्टानें पाई जाती है। राज्य में मिट्टी और चूना पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्राचीन काल में राजस्थान के पश्चिमी भाग में चूना पत्थर के विशाल भण्डार थे।

3 वन एव वनस्पति (Forests & Vegetation) - भारत में उपलब्ध आकडों के अनुसार भारत में वनों का

1 *Resource Atlas of Rajasthan, Govt. of Rajasthan.*

से अधिक होता है।

(C) सर्दी राज्य में सर्दी का मौसम प्राय नवम्बर से मार्च के मध्य रहता है। राजस्थान में सर्दी के मौसम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है -

1 राजस्थान में शीत ऋतु का सर्वाधिक प्रभाव जनवरी माह मे होता है। इस माह में राज्य के कुछ जिलों (सीकर, अलवर, चुरु गगानगर, बीकानेर आदि) का औसत दैनिक तापमान 12° से से 14° से तक रहता है।

2 इस मौसम मे राज्य के जैसलमेर, चुरु, गगानगर,फलौदी व बीकानेर आदि शहरों में तापमान पानी के जमाव बिन्दु से भी कम हो जाता है।

3 इस मौसम मे राज्य के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में औसतन 5 से मी से 10 से मी तक वर्षा (महावट) होती है। यह वर्षा राज्य की रबी की फसलों (गेहू, चना, जौ व सरसों आदि) के लिये अत्यधिक लाभदायक होती है। इस वर्षा मे तापमान में उतार-चढाव की स्थिति बनी रहती है।

राजस्थान के जलवायु आधारित प्रदेश

राज्य के जलवायु प्रदेश का निर्धारण तापक्रम वर्षा एव आर्द्रता के आधार पर निम्न रूप में किया जा सकता है -

(A) शुष्क प्रदेश (Dry Region) इसकी प्रमुख विशेषताए निम्न हैं-

1 *जलवायु* - इस प्रदेश की जलवायु गर्म एव शुष्क होती है।

2 *तापमान* - इस प्रदेश का औसत दैनिक तापमान गर्मी में 34° से एव सर्दी में 12° से रहता है।

3 *वर्षा* शुष्क प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 10 से मी से 25 से मी तक रहता है।

4 *वन* - वन सीमित मात्रा में होते है।

5 *विस्तार* - शुष्क जलवायु प्रदेश में गगानगर जिले का दक्षिण भाग बाडमेर, जैसलमेर व जोधपुर का उत्तरी भाग तथा बीकानेर जिले का पश्चिमी भाग सम्मिलित है।

(B) अर्द्ध-शुष्क प्रदेश (Semi-Dry Region) इस प्रदेश की विशेषताए निम्न है -

1 *जलवायु* - इस प्रदेश की जलवायु अर्द्ध-शुष्क है।

2 *वर्षा* इस प्रदेश में 25 से मी से 50 से मी तक वार्षिक वर्षा होती है।

3 *वन* - इस प्रदेश में घास के मैदान व रेगिस्तानी पेड-पौधे व झाडिया पाई जाती है।

4 *विस्तार* - यह प्रदेश बीकानेर, जोधपुर, सीकर, नागौर, पाली, जालौर, गगानगर तथा बाडमेर जिलों तक विस्तृत है।

(C) आर्द्र प्रदेश (Humid Region) इस प्रदेश की विशेषताए निम्न है -

1 *जलवायु* - इस प्रदेश की जलवायु आर्द्र होती है।

2 *वर्षा* - इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 80 से मी से अधिक रहता है।

3 *वन* - वनों की स्थिति राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अच्छी होती है। पहाडी क्षेत्रों में घने वन है।

4 *विस्तार* - यह क्षेत्र राज्य के बासवाडा, डूगरपुर तथा झालावाड तक विस्तृत है।

(D) उप-आर्द्र प्रदेश (Sub-Humid Region) इस प्रदेश की विशेषताए निम्न है -

1 *जलवायु* - इस प्रदेश में उप-आर्द्र जलवायु पाई जाती है।

2 *वर्षा* - इस प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत 50 से मी से 80 से मी तक रहता है।

3 *वन* - इस प्रदेश में पर्याप्त वन पाये जाते है।

4 *विस्तार* - यह प्रदेश जयपुर, अजमेर,धौलपुर,अलवर, भरतपुर, भीलवाडा, टोंक,कोटा, बून्दी, सवाईमाधोपुर तथा चित्तौडगढ तक विस्तृत है।

राजस्थान के प्राकृतिक भाग
NATURAL DIVISIONS OF RAJASTHAN

आरभ में विश्व मे गोंडवाना क्षेत्र व अगारा क्षेत्र नामक दो भू-खण्ड विद्यमान थे और इन दोनों भूखण्डों के मध्य टैथिस महासागर विद्यमान था। राजस्थान का कुछ भाग गोंडवाना क्षेत्र का व शेष टैथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान में विद्यमान अरावली पर्वत-श्रृखलाये तथा दक्षिणी-पूर्वी पठार गोंडवाना प्रदेश के प्राचीनतम भू-क्षेत्रों में से है। अनुमान है कि शेष राजस्थान के स्थान पर टैथिस महासागर विद्यमान था जिसकी गहराई को कालान्तर में अनेक नदियों ने पाट दिया। राजस्थान की दृष्टि से इसमें सर्वाधिक योग सरस्वती नदी का रहा। यह नदी भी कालान्तर में लुप्त हो गई। राजस्थान की सुविधा की दृष्टि से चार प्राकृतिक भागो में बाटा जा सकता है - (1)उत्तरी-पश्चिमी रेगिस्तान (2) पूर्वी मैदान (3) मध्यवर्ती पहाडी क्षेत्र अथवा अरावली प्रदेश और (4) दक्षिणी-पूर्वी पठार। इन प्राकृतिक प्रदेशों का परिचय निम्न विवेचन से स्पष्ट है

प्राकृतिक प्रदेश	भू भाग का प्रतिशत	जनसंख्या का प्रतिशत	प्रमुख जिले
1 उत्तर पूर्वी रेगिस्तान	57 8 (61 11)*	30 (40%)**	जैसलमेर बाडमेर जोधपुर हनुमानगढ बीकानेर जालौर गंगानगर चुरू नागौर पाली सीकर झुझुनू
2 पूर्वी मैदान	23 9	40	अलवर भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर जयपुर दौसा धौलपुर
3 मध्यवर्ती पहाडी प्रदेश	9 3	17	बांसवाडा डूगरपुर उदयपुर चित्तौड भीलवाडा अजमेर सिरोही राजसमन्द
4 दक्षिण पूर्वी पठार	9 3	13	कोटा बूदी झालावाड बारा

** Econom c Rev ew 1995-96 Govt. of Rajasthan

(अ) उत्तरी-पश्चिमी रेगिस्तान
North West Desert

कहा जाता है कि इस भाग म टैथिस महासागर विद्यमान था जो कालान्तर म लुप्त हो गया। सांभर डीडवाना व पचभदरा की खारी झीलें उसी सागर का अवशेष मानी जाती है। यह प्रदेश प्राचीनकाल में काफी समृद्ध था और उस समय यहा सरस्वती नदी बहा करती थी। इस प्रदेश के हरा भरा होने का आभास हाल म मिले वन-अवशेषों से भी होता है। हेनसाग क समय यह प्रदेश गुर्जर देश के नाम स जाना जाता था। वर्तमान में यह थार का मरुस्थल नाम स जाना जाता है। विश्व में एसा कोई दूसरा मरुस्थल नही है जहा राजस्थान के थार मरुस्थल जितनी सख्या में मनुष्य व पशु रहते है। यह प्रदेश बीकानेर जैसलमेर चुरू पश्चिमी नागौर पाली जालौर और सिरोही तक विस्तृत है। जैसलमेर बाडमेर बीकानेर जोधपुर तथा चुरू जिले के कुछ हिस्से को मिला कर बने पश्चिमी मरुक्षेत्र के जोन प्रथम ए कहा है। इसका क्षेत्रफल 1 244 करोड हेक्टयर है राज्य के अधिकाश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत स ढकी हुई है। यहा रेत क 100 मीटर तक की ऊचाई के टीले बने हुये है। इस क्षत्र म वर्षा का अभाव रहता है। अत वनस्पति बहुत कम है। फलत तेज हवाओं क कारण कटाव से मिट्टी एक स्थान स दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसस उपजाऊ भूमि बजर भूमि म बदल जाती है और सडक और मकान रेत म दब जाते है।

उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान का दो प्रमुख भागो म विभक्त किया जा सकता है

1 पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान यह प्रदेश बीकानेर जैसलमेर चुरू और पश्चिमी नागौर तक विस्तृत है। यहा अरावली चीस शिस्ट मलानी ग्रेनाइट तथा विध्यन क्रम की चट्टान है। जैसलमेर बाडमेर बीकानेर और चुरू गगानगर जिलो म चूने के पत्थर की प्रधानता है। यह बालू का स्तूपयुक्त प्रदेश कहलाता है

2 अर्द्धशुष्क मैदान या राजस्थान बागड इसम लूनी बेसिन शेखावाटी भू भाग नागौर उच्च भूमि तथा घग्घर नदी के मैदान को सम्मिलित किया जाता है। लूनी बेसिन अजमेर के दक्षिणी पूर्वी भाग पाली जालौर व सिरोही तक विस्तृत है। यहा तीव ढालवाली पहाडिया व विस्तृत जलोढ मैदान है। शेखावाटी भू भाग राजस्थान बागड के अतर्गत लूनी बेसिन के उत्तर व राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। यह क्षेत्र ऊबड खाबड और बालू मिट्टी के टीलों का है। यहा कान्तली नदी बहती है।

उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित है

1 सीमा (Boundary) इस प्राकृतिक प्रदेश क उत्तर म पजाब का मैदान व दक्षिण में कच्छ की खाडी है। पूर्व में अरावली पर्वत-श्रृखला है तथा पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा है। यह प्रदेश अरावली पर्वत-श्रेणियों के पश्चिम में स्थित है।

2 स्थल-आकृति (Topography) इस प्रदेश का ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर पूर्वी भाग की ऊचाई लगभग 300 मीटर व दक्षिणी भाग 150 मीटर ऊचा है। इस क्षत्र म बालू रेत के टीले विद्यमान है और य आधियो क कारण अपना स्थान बदलत रहते है।

3 जिले (Districts) लगभग 1 88 206 वर्ग किलोमीटर क्षत्र म विस्तृत इस प्रदेश म राजस्थान के गगानगर बीकानेर चुरू नागौर जोधपुर जैसलमेर बाडमेर पाली हनुमानगढ जालौर सीकर और झुझुनू जिले सम्मिलित है।

4 जलवायु (Climate) इस क्षत्र की जलवायु विषम है रात और दिन तथा सर्दी व गर्मी क तापक्रम म अत्यधिक अतर पाया जाता है। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 34° से अधिक तथा शीत ऋतु म 12° स कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु म सापेक्षिक आर्द्रता 16% स भी कम हो जाती है। वर्षा का सामान्य औसत 12 से मी स 15 स मी रहता है।

5 वनस्पति (Vegetation) उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान म काटेदार झाडियो की बहुलता है। वनस्पति बहुत कम व बिखरी हुई है यहा पाये जाने वाले अधिकाश वृक्ष भी काटदार व लम्बी जडो वाले होते है जैसे खजूर खैर आदि।

6 मिट्टी (Soils) इस क्षत्र में मुख्यत बालू मिट्टी विद्यमान है। मिट्टी म वनस्पति-अश की कमी है तथा मिट्टी

के कण मोटे व असंगठित हैं। मिट्टी उपजाऊ होते हुये भी जल के अभाव में बेकार पड़ी है। गंगानगर जिले की सम्पन्नता भी इस बात का द्योतक है।

7 खनिज (Minerals) लिग्नाइट कोयला जिप्सम मुलतानी मिट्टी इमारती पत्थर व प्राकृतिक गैस इस क्षेत्र में मिलते हैं। इस क्षेत्र में खनिज तेल की खोज की जा रही है।

8 भू क्षेत्र व जनसंख्या (Area & Population) राजस्थान का 1 88 लाख वर्ग किलोमीटर भू भाग इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का यह 57 8% भाग है और राजस्थान की 30% जनसंख्या यहां निवास करती है।

9 नदियां व झीलें (Rivers & Lakes) लूनी सूकड़ी जवाइ व बाड़ी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां है तथा इस क्षेत्र में सांभर पचपदरा व डीडवाना की प्रसिद्ध खारी झीलें स्थित हैं।

11 कृषि (Agriculture) इस प्रदेश के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय खेती व पशुपालन है। यहां मुख्यत मोटे अनाज उत्पन्न होते हैं। ज्वार बाजरा मूंग मोठ आदि प्रमुख फसलें है लेकिन गंगानगर जिले में सिंचाई के कारण गेहूं जौ कपास गन्ना आदि फसलें भी उगाई जाती है।

(ब) पूर्वी मैदान

Eastern Plain

राजस्थान के पूर्व में स्थित यह मैदान वास्तव में गंगा-सतलज के मैदान का ही भाग है इस सम्पूर्ण प्रदेश को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है

1 चम्बल का बेसिन (Chambal basin) यह कोटा बूंदी टोंक सवाईमाधोपुर तथा धौलपुर जिलों के लगभग 50 026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चंबल नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो विंध्य पठार के उत्तरी-पश्चिमी तथा अरावली पठार के मध्यवर्ती भाग में होकर बहती है। इस क्षेत्र में दरों के मैदान नदी कगार व बीहड़ है। कोटा बूंदी टोंक सवाई माधोपुर व धौलपुर आदि जिलों में 4530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बीहड़ फैले हुए हैं। समुद्र तल से इस प्रदेश की ऊंचाई 350 मीटर से अधिक है यहां 60 से मी से 100 से मी के मध्य वर्षा होती है मिट्टी उपजाऊ व कृषि के उपयुक्त है

2 बनास बेसिन (Banas basin) बनास व उसकी सहायक नदियों का यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है खारी मोरेल एवं मेनाल नदियां बनास की सहायक नदियां है। इन नदियों के द्वारा एक विशाल मैदान का निर्माण किया गया है जो उदयपुर के पूर्वी भाग पश्चिमी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा टोंक जयपुर पश्चिमी सवाईमाधोपुर और अलवर के दक्षिणी भागों तक फैला हुआ है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर के मध्य है। यहां 60 से मी से 90 से मी वर्षा होती है। उपजाऊ मिट्टी व पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है।

3 मध्य माही बेसिन (Central Mahi basin) माही नदी द्वारा निर्मित यह मैदान दक्षिण पूर्वी बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भागों तक फैला हुआ है यह मैदान 7056 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर है एवं वर्षा का औसत 100 से मी है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी भू भाग को स्थानीय भाषा में बागड़ कहा जाता है।

पूर्वी मैदान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं

1 सीमा (Boundary) पूर्वी मैदान के उत्तर व पूर्व में सतलज गंगा का मैदान व दक्षिण में पठारी प्रदेश विद्यमान हैं। पश्चिम में अरावली पर्वत-श्रृंखला उत्तर पश्चिमी मरुस्थल से इसे अलग करती है

2 स्थल आकृति (Topography) यह लगभग समतल मैदान है और भूमि का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है इस कारण अनेक नदियां इस ओर प्रवाहित होकर गंगा या यमुना में मिलती है

3 जिले (Districts) इस प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख जिले अलवर भरतपुर धौलपुर टोंक दौसा सवाई माधोपुर तथा जयपुर है

4 जलवायु (Climate) मैदानी भाग पूर्व में अधिक आर्द्र तथा पश्चिम में अधिक शुष्क है। इस क्षेत्र का वर्षा का मान औसत 40 80 से मी के मध्य है।

5 वनस्पति (Vegetation) अधिकांश भूमि नग्न व वनस्पति से रिक्त हुई है। जगह जगह घास के चरागाह भी पाये जाते है वृक्षों में नीम बबूल बरगद आम आदि प्रमुख है

6 मिट्टी (Soil) मिट्टी दोमट व उपजाऊ है। नदियों द्वारा निर्मित यह मिट्टी अधिकांशत संगठित व बारीक किस्म की है।

7 खनिज (Minerals) यह मैदान इन खनिजों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

8 भू-क्षेत्र व जनसख्या (Area & Population) - पूर्वी मैदान का कुल क्षेत्रफल राजस्थान का 23 9% भाग है तथा जनसख्या का 40% भाग इसमे निवास करता है।

9 नदिया (Rivers) - मावसी,मोरेल, वडेच बजाई व गोलवा नदिया बनास की प्रमुख सहायक नदिया है।

10 कृषि (Agriculture) - भूमि उपजाऊ होने के कारण *खाद्यान्न व व्यावसायिक* फसलें उत्पन्न करना सभव है। इस क्षेत्र में मुख्यत गेहू जौ चना बाजरा तिलहन कपास गन्ना आदि वस्तुए उत्पन्न की जाती है।

11 उद्योग (Industry) - इस प्रदेश मे सूती वस्त्र, वनस्पति तेल, चीनी व इजीनियरिंग उद्योग विद्यमान है।

(स) मध्यवर्ती पहाडी प्रदेश अथवा पर्वतीय प्रदेश

Middle Mountain Region

यह पहाडी क्षेत्र विश्व के प्राचीनतम भू-भागों में स एक है। अरावली पर्वत-श्रृखला गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर लबी है।[1] दिल्ली की ओर इसकी ऊचाई क्रमश कम होती चली गई और दिल्ली के पास यह लगभग लुप्त हो गई है। कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर-पूर्व को फैली यह पर्वत-श्रृखला समुद्र के अन्दर तक चली गई है और लक्षद्वीप समूह इसी का भू भाग है।

यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत-श्रृखलाओ म से एक है। भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि स अरावली श्रृखला धारवाड समय के समाप्त होने के समय से सबधित है। विध्यनकाल के अन्त तक यह पर्वत श्रृखला अपने अस्तित्व में आई। इस प्रदेश को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है

1 उत्तरी-पूर्वी पहाडी प्रदेश (North-East Mountain region) - *यह प्रदेश जयपुर जिले के उत्तरी-पश्चिमी* भागो मे तथा अलवर जिले के अधिकाश भागों मे फैला हुआ है। इस क्षत्र फाईलाइट एव क्वार्ट्ज से निर्मित है। इनमे पर्वतों का निर्माण तेजी म होता है। क्वार्ट्ज के कारण ऊची चोटियों का निर्माण होता है। अलवर की पहाडियों की ऊचाई 550 मीटर स 670 मीटर के मध्य है। इनकी शाखायें सीकर, नीम का थाना श्रीमाधोपुर और खेतडी तहसीलों तक फैली हुई है। इन पहाडियो के मध्य चौडी चौडी घाटिया है। अलवर में भैरव घाटी की उचाई 792 मीटर व बैराठ चोटी की ऊचाई 204 मीटर है। जयपुर में *बारई घाटी की ऊंचाई 792 मीटर व खो घाटी की ऊँचाई* 920 मीटर है। सीकर जिले मे रघुनाथ गढ घाटी की ऊचाई 1055 मीटर है।

2 मध्य अरावली श्रेणी (Middle Aravali range) - इसमें अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों के दक्षिण-पश्चिम में स्थित पहाडियों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतर्गत पश्चिम मे बिखरे कटक अलवर की पहाडियों, करौली उच्च भूमि और बनास मैदान सम्मिलित है। इस प्रदेश को दो भागो में बाटा जा सकता है - *(अ) शेखावाटी निम्न पहाडिया* इस क्षेत्र मे बालू रेत की पहाडियों व गहरे गर्तो का बाहुल्य है। पहाडी श्रृखला साभर झील स प्रारभ होकर झुझुनू जिले मे सिंहना तक चली गई है। यह इस क्षेत्र की सबसे लम्बी पर्वत-श्रेणी है। घाट गढ नाहर गहाडी, आडा डूगर तथा तोरावटी इस क्षेत्र की छोटी पहाडिया है। इस क्षेत्र की पहाडिया की औसत ऊचाई लगभग 400 मीटर है। साभर झील के पश्चिमी क्षेत्र की अरावली श्रेणी की पहाडियो की औसत ऊचाई लगभग 500 मीटर है। *(ब) मेरवाडा पहाडिया* ये पहाडिया अजमेर शहजर व उसके समीपवर्ती भागों में फैली हुई है। तारागढ इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणी है जिसकी समुद्रतल से ऊचाई लगभग 914 मीटर है। तारागढ के पश्चिम में नाग पहाड है। मेरवाडा पहाडिया का यह क्षेत्र कुकरा से अजमेर जिले के अतिम सिर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई लगभग 550 मीटर है।

3 मेवाड पहाडिया व भोराठ पठार (Mewar Hills & Bharot plateau) - यह क्षेत्र पूर्वी सिरोही उदयपुर (कुछ पूर्वी भाग को छोडकर) और डूगरपुर जिलो में फैला हुआ है। उत्तर-पश्चिम में कुम्भलगढ व गोमुन्दा के मध्य के पठार को स्थानीय भाषा मे भोराठ पठार कहा जाता है। इस पठार की औसत ऊचाई लगभग 1225 मीटर है। सिरोही क्षेत्र की पहाडियो को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है।

4 आबू-पर्वत-क्रम (Abu Mountain range) - *यह क्षेत्र अरावली पर्वत-श्रृखला के दक्षिण पश्चिम मे स्थित है* जो आबू के निकट प्राय पृथक पहाडी के रूप में है। आबू पर्वत लगभग 19 किलोमीटर लबा व 8 किलोमीटर चौडा पठार है। इसमें गुरुशिखर (1728 मीटर) सेर (1597 मीटर) और अचलगढ (1380 मीटर) प्रमुख शिखर है। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू सिरोही पर्वत श्रेणिया है जिनकी ऊचाई आबू पर्वत की तुलना मे कम है।

विशेषताए (Characteristics)

1 सीमा (Boundary) - इस प्रदेश के उत्तर म गगा का मैदान व दक्षिण में गुजरात का समुद्री तट है। पूर्व म मैदानी तथा पश्चिम म रेगिस्तानी भाग विद्यमान है।

1 *Economic Review 1995-96 Govt of Rajasthan*

2 स्थल आकृति (Topography) विश्व की प्राचीनतम पर्वत-श्रेणियों में इनकी गणना होती है। यह पर्वत-श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक क्रमबद्ध नहीं है वरन् बीच-बीच में यह काफी कटी फटी है। इसकी ऊंचाई व चौड़ाई भी सर्वत्र एक समान नहीं है। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 3000 फीट है। इसकी प्रमुख चोटियां गुरुशिखर (1723 मीटर) जरगा (1310 मीटर) कुम्भलगढ़ (1244 मीटर) गोरम (936 मीटर) माउमगढ़ (930 मीटर) व नागपहाड़ (914 मीटर) है। अरावली पर्वत-श्रृंखला के दो प्रमुख दर्रे क्रमश देसूरी दर्रा व हाथी दर्रा है।

3 जिले (Districts) अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के लगभग मध्य में है तथा इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले बांसवाड़ा डूंगरपुर सिरोही उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा तथा अजमेर है।

4 जलवायु (Climate) यह पर्वतीय प्रदेश पूर्व में आर्द्र तथा पश्चिम में शुष्क जलवायु के मध्य विद्यमान है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम पाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा 20 से 90 से मी तक होती है।

5 वनस्पति (Vegetation) अधिकांश पहाड़ी-श्रृंखलाओं पर वनस्पति विरल है वनस्पति में वर्षा की भिन्नता के अनुसार अंतर पाया जाता है।

6 मिट्टी (Soil) इस प्रदेश में पर्वत-श्रृंखलाओं के बीच-बीच में विद्यमान मैदानों व पहाड़ी क्षेत्र में जलोढ़ काली भूरी लाल तथा कंकरीली मिट्टी पाई जाती है।

7 खनिज (Minerals) राजस्थान का मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। यहां लोहा तांबा जस्ता अभ्रक आदि खनिज विद्यमान है।

8 भू क्षेत्र व जनसंख्या (Area & Population) राजस्थान के कुल भू भाग का 9 3 प्रतिशत भाग इस प्रदेश के अन्तर्गत आता है तथा सम्पूर्ण जनसंख्या का 17 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र में निवास करता है

9 नदियां (Rivers) अरावली पर्वत-श्रृंखला से अनेक नदियां निकलती है। लूनी माही सावरमती सूकड़ी बाण्डी बनास खारी बेड़च साबरी आकल व जाखम क्षेत्र की प्रमुख नदियां है

10 कृषि (Agriculture) पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर तथा बीच-बीच में स्थित मैदानों में प्राय सभी प्रकार की फसल उत्पन्न की जाती है

11 उद्योग (Industry) इस पर्वत-श्रेणी से प्राप्त खनिजों के उपयोग के लिए खेतड़ी तथा देबारी व जिंक स्मेल्टर उदयपुर में स्थापित किया गया है।

अरावली पर्वत श्रृंखला से लाभ (Advantages of Aravali Mountain Range)

1 उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में सहायक है।

2 अनेक नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण सिंचाई व पीने हेतु जल उपलब्ध करवाता है।

3 पर्वतों की ऊंची चोटियां पर्यटन केन्द्रों के रूप में विख्यात है जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है।

4 पर्वत श्रेणियों में विद्यमान वनों से अनेक प्रकार की वन-उपजें प्राप्त होती है।

5 खनिज की दृष्टि से यह एक समृद्ध क्षेत्र है इस कारण राजस्थान के भावी विकास की सम्भावनाएं बढ़ गई है।

6 पर्वत श्रृंखलाओं से उपलब्ध वनस्पति के कारण पशु चराने का कार्य भी होता है।

7 मानसून के मार्ग में कुछ अवरोध उत्पन्न कर अधिक वर्षा को प्रेरित करता है।

8 इस प्रदेश के वनों में अनेक वन्य जीव जन्तु भी बहुलता से मिलते है

(द) दक्षिणी पूर्वी पठार
South East Plateau

यह भारत के दक्षिण में स्थित पठार का ही एक भाग है यह हाड़ौती या मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है इसे दो भाग में विभक्त किया जा सकता है

1 विंध्यन कगार भूमि इस प्रदेश की भूमि बलुआ पत्थरों से बनी है। चम्बल व बनास नदी के मध्य कगारों का निर्माण हुआ है जो बुन्देलखण्ड तक विस्तृत है एक कगार धौलपुर व करौली क्षेत्र में फैला हुआ है। इन कगारों की ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर के मध्य है।

2 दक्कन लावा पठार यह प्रदेश मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिम में फैला हुआ है जहां विंध्यन कगारों के आधारभूत क्षेत्रों पर दक्कन ट्रेप लावा के प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते है कोटा-बूंदी का पठार इस भाग में सम्मिलित है। इस प्रदेश में नदी-घाटियों में कहीं-कहीं पर काली मिट्टी के क्षेत्र मिलते है।

दक्षिणी पूर्वी पठार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है

1 सीमा (Boundary) इस पठारी भाग के पूर्व में दक्षिण पठार तथा पश्चिम में अरावली पर्वत है। उत्तर में राजस्थान का पूर्वी मैदान तथा दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत है।

घग्घर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि राज्य में नहरों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला है। इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर, गंगानहर व घग्घर नदी की नहरों के कारण सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है। फलत कृषि पदार्थों का उत्पादन तेजी से बढा है। राजस्थान की बनावट विषम है अत यहां अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है।

राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार

Types of Soils in Rajasthan

1 रेतीली मिट्टी यह मिट्टी राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है। इसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवण की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी के कण मोटे होते है। अत यह पानी को अधिक मात्रा में सोख लेती है लेकिन इसमें नमी रोकने की शक्ति नहीं होती है। रेतीली मिट्टी को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है -

(i) रेतीली बालू मिट्टी . यह मिट्टी 90 से 95% बालूमय होती है। इसमें घुलनशील लवण अधिक मात्रा में होते है। रेतीली बालू मिट्टी मुख्यत गंगानगर चुरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जोधपुर, जैसलमेर तथा झुंझुनू जिले में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है तथा वायु का वेग तीव्र होता है अत मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इन क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां चलती है।

(ii) लाल रेतीली मिट्टी इसका रंग लाल अथवा गहरा भूरा होता है। यह मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अत जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं है वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है। लाल रेतीली मिट्टी राज्य के नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर चुरू और झुंझुनू जिले के कुछ भाग में पाई जाती है।

(iii) पीली-भूरी रेतीली मिट्टी यह मिट्टी पीली भूरी रेतीली से बालू दोमट व बालू मटियार दोमट के रूप में मिलती है। यह राज्य के मुख्यत नागौर व पाली जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। पीली भूरी मिट्टी के लगभग 100 से 150 से मी नीचे चूना मिश्रित मिट्टी मिलती है। यह उपजाऊ होती है अत कृषि कार्यों के लिए ठीक रहती है।

(iv) खारी मिट्टी - इस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है अत कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इस मिट्टी में कुछ घास अवश्य उत्पन्न हो जाती है। यह मिट्टी राज्य के नागौर, बाड़मेर जैसलमेर व बीकानेर की निम्न भूमि व गर्तों में मिलती है।

2 भूरी रेतीली मिट्टी - इसका रंग भूरा होता है अत इसे भूरी रेतीली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी रेतीली मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। भूरी रेतीली मिट्टी राज्य के मुख्यत पाली, सिरोही, सीकर तथा झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। यह इन राज्यों के लगभग 36400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी में फॉस्फेट तत्व का बाहुल्य है। अत इस क्षेत्र में मक्का, ज्वार, बाजरा तथा मोठ आदि की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में पानी का अभाव है। अत भूमिगत जल के द्वारा सिंचाई की जाती है।

3 भूरी रेतीली कछारी मिट्टी - इसका रंग कुछ लाल व भूरा होता है। यह मिट्टी अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य भाग में मिलती है। इसमें चूना, फॉस्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में कपास व गेहू की खेती की जाती है। गंगानगर जिले में कपास व गेहू की खेती इसी मिट्टी पर निर्भर है।

4 लाल मिट्टी- इस मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में होता है। अत इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस, चूना व पोटाश आदि पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। यह मिट्टी मुख्यत उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, सिरोही व बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें गेहू, कपास, मूंगफली तथा मक्का आदि की खेती की जाती है।

5 लाल व पीली मिट्टी- यह लाल मिट्टी व पीली मिट्टी का मिश्रण होती है। इसमें उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी मुख्यत भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर व उदयपुर जिलों में पाई जाती है। इसमें मूंगफली व कपास आदि की खेती की जाती है। इस मिट्टी के अन्तर्गत रेतीली मिट्टी, छिछली या सतही गहरी मध्यम भारी मिट्टी सम्मिलित है। जो अजमेर व सवाई माधोपुर जिलों के कुछ भाग तथा अरावली के पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है।

6 दुमट व कच्छारी मिट्टी- यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इसमें चूना, फॉस्फोरस, पोटाश तथा लोहा आदि अधिक मात्रा में पाये जाते है जबकि नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है। यह मिट्टी मुख्यत अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक व बूंदी तथा गंगानगर आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें गेहू, चना, गन्ना तथा कपास आदि की खेती की जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है लेकिन टोंक, सवाईमाधोपुर व भरतपुर की मिट्टी लाल-पीले रंग की है।

7 काली या रेगर मिट्टी- यह मिट्टी काले रंग की होती है। इसमें चूना व पोटाश की मात्रा अधिक होती है। अत अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पानी सोखकर रखने की शक्ति अधिक होती है। यह मिट्टी मुख्यत झालावाड़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, उदयपुर प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर में पाई जाती है। इसमें विशेषत कपास की खेती की जाती है। इस मिट्टी में

फास्फेट नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी होती है।

8 लाल व काली मिट्टी यह मिट्टी लाल व काली मिट्टी का मिश्रण होती है। इसमे उपजाऊ तत्व अधिक मात्रा मे पाये जाते है। यह मिट्टी मुख्यत भीलवाडा उदयपुर चित्तौडगढ डूगरपुर तथा बासवाडा आदि जिलो में पाई जाती है। इसमें प्राय सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती है।

राजस्थान में मिट्टी की समस्यायें (Problems of Soils in Rajasthan)

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और मिट्टी यहा की कृषि का आधार है। राजस्थान मे मिट्टी की प्रमुख समस्या मिट्टी के कटाव की समस्या है मिट्टी का स्थान परिवर्तन ही मिट्टी का कटाव कहलाता है चाहे परिवर्तन का कारण कुछ भी क्यों न हो। राजस्थान में मिट्टी का धीमा या चादरदार कटाव हवा व पानी के माध्यम से लगभग सभी स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है जबकि मिट्टी का गहरा व नालीदार कटाव अत्यधिक वर्षा व तेज हवाओं वाले क्षेत्र मे होता है। चम्बल के बीहड इसके अच्छे उदाहरण है। राजस्थान मे चम्बल बनास व घग्घर बाणगगा आदि नदिया मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। इनसे राज्य की लगभग 4 5 लाख हैक्टेयर भूमि कटाव की समस्या से ग्रसित है। अरावली पर्वत-श्रृखला के तीव्र ढाल वाले क्षेत्रो मे भी जल द्वारा कटाव होता है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र मे वायु के द्वारा मिट्टी का बहुत अधिक कटाव होता है। राजस्थान मे वन क्षेत्र कम होने के कारण मिट्टी के कटाव की गति तीव्र है। अनुमान है कि वन क्षेत्रो मे मिट्टी का कटाव 9 ग्राम प्रतिवर्ष होता है। उसी भूमि पर कृषि करते रहने पर यह 288 ग्राम प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष हो सकता है। पशु चराने की दोषपूर्ण पद्धति से भी मिट्टी का कटाव बढा है। मनुष्य स्वय निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी के कटाव का दोषी है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में मिट्टी की दूसरी प्रमुख समस्या जलाधिक्य की है। केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड की विशेष समिति के अनुसार 'एक क्षेत्र मे जलाधिक्य उस समय होगा जबकि जल का स्तर उस सीमा तक पहुच जायेगा जिससे फसल के जल क्षेत्र में स्थित मिट्टी को भिगो दे तथा जिसके परिणाम स्वरूप वायु के सामान्य प्रवाह पर रोक लग जाने से आक्सीजन की कमी तथा कार्बनडाई आक्साईड की अधिकता हो जाये। गेहू और चना 0 ■ मीटर मक्का बाजरा व कपास 1 2 मीटर तथा गन्ना और जौ 0 9 मीटर के भीतर जल स्तर होने पर प्रभावित होने लगता है। राजस्थान की 3 5 लाख हैक्टेयर भूमि जल प्रसार है। राजस्थान में मिट्टियों की तीसरी समस्या क्षारीयता व लवणीयता की है। राजस्थान में गुगनार बनास चम्बल व माही आदि नदिया के क्षेत्र में यह समस्या प्रमुख है। भारतीय मिट्टी की एक और गभीर समस्या मरुस्थल प्रसार की समस्या है। यह रेगिस्तान राजस्थान के उत्तर पश्चिम से अरावली पर्वत-श्रृखला के कुछ भागों को पार करते हुए अन्य क्षेत्रों की ओर बढ रहा है। इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। इस समस्या के निराकरण हेतु जोधपुर में स्थित केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसधान सस्थान (काजरी) मुख्य रूप से कार्य कर रहा है।

राजस्थान की वन सम्पदा

FORESTS IN RAJASTHAN

मनुष्य के लिए वन प्रकृति का ऐसा वरदान है जिस पर उसका अस्तित्व उन्नति एव समृद्धि निर्भर है। के एम मुशी के अनुसार "यदि हम जीवित रहना चाहते है तो हमारे जीवन का दर्शन फिर से लिखा जाना चाहिये। वृक्षों का अर्थ है जल और जल का अर्थ है रोटी और रोटी से हम जीवित रहते है। विश्व में वन सम्पदा के ह्रास से होने वाली चिंता और वन क्षेत्र को बढाने के लिए किये जाने वाले प्रयत्न इसके महत्व के परिचायक है। प्राचीनकाल से ही इसकी महत्ता को स्वीकार किया जाता रहा है। मत्स्य पुराण के अनुसार "10 कुए खोदना एक तालाब बनाने 10 तालाब बनाना एक झील बनाने 10 झील बनाना एक गुणवान पुत्र प्राप्त करने एव 10 गुणवान पुत्र प्राप्त करना एक वृक्ष लगाने के बराबर पुण्य का भागी है। ब्रिटिश कामनवैल्थ वन शब्दकोष के अनुसार "पौधों की विशेष जाति को जिनमें वृक्षों का आधिक्य हो और अन्य पौधे छत्ते की भाति उगते हो वन कहते है।"

आर्थिक विकास एव पारिस्थितिक सतुलन के लिए वनों का महत्व सर्वविदित है। राजस्थान में रेगिस्तानी एव पहाडी क्षेत्रों के विकास के लिए वृक्षारोपण का सहारा लिया जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 33% भूमि मे वन होने चाहियें किन्तु राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 9 32% वनों के अन्तर्गत आता है। इन 9 32% वनों में से केवल एक तिहाई वन ही वास्तव मे वन कहे जा सकते है शेष में बिखरे हुये वृक्ष एव पेड पौधे पाये जाते है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन काटेदार पेडो एव झाडियों के रूप में है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षाकृत घने जगल है और वन्य जीवों की दृष्टि से भी यह समृद्ध है। राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बडा राज्य है। इसमें बजर भूमि का क्षेत्रफल 13 मिलियन हैक्टर है। राजस्थान की बजर भूमि का यह क्षेत्र सपूर्ण भारत की बजर भूमि का 1/6 भाग है। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो कि शुष्क एव अर्द्ध शुष्क क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल 20 मिलियन हैक्टर है। इसमें से 50% क्षेत्र में क्रियाशील रेत व टीले है इन परिस्थितियों का राजस्थान मे जनजीवन एव परिस्थितियों

पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ है वे जल के कटाव से ग्रसित है। चम्बल व उसकी सहायक नदियों में यहा की गहरी खाइया निर्मित कर दी है। इन खाइयों के कटाव से धीरे धीरे आसपास के कृषि उपजाऊ क्षेत्र भी प्रभावित होते जा रहे है। इन कन्दराओं एवं खाइयों का क्षेत्रफल लगभग 4 5 हैक्टेयर है। अरावली और विन्ध्याचल पर्वत-श्रृंखलाओं में भी मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण होने वाला वन विनाश स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। बिरला इन्स्टीट्यूट आफ साइंटिफिक रिसर्च द्वारा अरावली पर्वत-श्रृंखला से सबधित 16 जिलों के 1972 75 से 1982 83 की अवधि के अतर्गत किये गये अध्ययन से इस बात का ज्ञान होता है कि इस क्षेत्र म वन क्षेत्र के अतर्गत 41 5% की कमी आई है। दूसरी ओर वन प्रतिवेदन 1989 के अनुसार राजस्थान के वन क्षेत्र में सुधार आया है। राजस्थान मे ईंधन के लिए वन काटने से वनों को सर्वाधिक नुकसान पहुचा है। मुख्यत बडे नगरों या कस्बों जैसे जयपुर अलवर बूदी उदयपुर कोटा आदि के आस पास की पहाडिया लगभग वनविहीन होती जा रही है। राजस्थान में 1981 1991 व 2001 में ईंधन की आर्थिक औसत माग का अनुमान क्रमश 51 21 लाख टन 56 03 लाख टन और 67 62 लाख टन लगाया गया है।[1] राजस्थान में वनो से बिना वन क्षेत्र को नुकसान पहुचाये 6 लाख टन ईंधन की लकडी प्राप्त की जा सकती है किन्तु वनों से 7 25 लाख टन ईंधन प्रतिवर्ष काटा जाता है।[2] इन आकडों से ज्ञात होता है कि 1 25 लाख टन अतिरिक्त काटने के कारण वनों को भारी नुकसान पहुचा रहा है। सन् 2001 में ईंधन की माग एव पूर्ति में 62 लाख टन का अतराल रहने की सभावना है। इस अतराल को पाटने के लिए लगभग 1 लाख 40000 हैक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड 37 लाख पेड प्रतिवर्ष लगाने होगे।

इस सदर्भ में यह महत्त्वपूर्ण है कि वन व पर्यावरण मत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल से जो आकाशीय अनुमान आधारित वन स्थिति प्रतिवेदन की जाता है उसके अनुसार 1991 1993 व 1995 के प्रतिवेदन में राजस्थान राज्य के वन क्षेत्र म क्रमश 5 वर्ग किलोमीटर 210 वर्ग किलोमीटर व 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होना दर्शाया गया है।

इस प्रकार के वर्षों में वन क्षेत्र में 396 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि अंकित की गई है।[3]

राजस्थान में वनों की स्थिति

(A) राजस्थान का कुल वन क्षेत्र 31972 90 वर्ग किलोमीटर

(B) सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले प्रमुख जिले 31 3 94

(i) उदयपुर	4701 38 वर्ग किलोमीटर
(ii) सवाईमाधोपुर	2745 77
(iii) चित्तौडगढ	2632 77

(C) न्यूनतम वन क्षेत्र वाले प्रमुख जिले (31 3 94)

(i) चुरू	80 17 वर्ग किलोमीटर
(ii) नागौर	221 41
(iii) दौसा	282 39
(iv) जयपुर	314 85

[illegible] Statistical Abstract Raj 1994

राजस्थान के वनस्पति प्रदेश

VEGETATION REGIONS OF RAJASTHAN

1997 98 में राजस्थान के 31 90 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे वन विद्यमान थे।[4] राजस्थान की वनस्पति मुख्यत मरुस्थलीय है। राजस्थान में उदयपुर जिले में सर्वाधिक और जोधपुर जिले म सबसे कम वन है। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को अग्रलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है

महत्वपूर्ण तथ्य

(1) राजस्थान म वन क्षेत्र केवल 9% ही रह गया है इसमें से भी पूर्ण म आच्छादित क्षेत्र तो केवल 3% ही है।

(2) राजस्थान में सर्वाधिक वनों की स्थिति निम्नलिखित है [illegible]

(i) धोक वन	5000
(ii) सागवान वन	1500
(iii) मिश्रित वन	3900
(iv) [illegible] वन	<u>21150</u>
योग	<u>311^0</u>

(3) ईंधन की लकडी की वार्षिक माग 55 लाख टन [illegible] है जो वर्ष 2000 तक 73 लाख टन हो जाने का अनुमान है।

(4) प्रदेश के वन क्षेत्र से लगभग 30 लाख व्यक्तियों को लकडी [illegible] एव [illegible] को [illegible] मिलता है।

(5) [illegible] लगभग 50 [illegible] एव 25 लाख भेड-बकरिया वनों म [illegible] है

(6) वन क्षेत्र मे 21 000 हैक्टेयर भूमि पर कृषि हेतु अतिक्रमण है।

(7) प्रदेश म लगभग 23 000 [illegible] अतिक्रमण [illegible] है जिससे [illegible] है।

(8) 21 वीं सदी के लिए [illegible]

(i) ईंधन के लिए (50 लाख टन प्रतिवर्ष)	15 लाख हैक्टेयर
(ii) चारे के लिए	60 लाख हैक्टेयर
	75 लाख हैक्टेयर

1,2 Eight Five Year Plan 1992 97 Govt. of Rajasthan.
3 Economic Review 1996-97 Govt. of Rajasthan.
4 Economic Review 1997 98 Govt. of Rajasthan.
[illegible]

1 शुष्क अथवा मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र यह क्षेत्र राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी भाग में गगानगर, जोधपुर, चुरू बाडमेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 20-30 से मी है। यहा के वृक्ष प्राय काटेदार, मोटी व कडी छाल तथा छोटी-छोटी पत्तियों वाले होते है। खैर, बबूल, खेजडा रूझा, काटेदार झाडिया आदि इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष है।

2 अर्द्ध-शुष्क अथवा अर्द्ध-मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र इस क्षेत्र में सिरोही, सीकर पाली, झुझुनू व बाडमेर के कुछ भाग सम्मिलित है। यहा वर्षा का औसत 30-35 से मी है। इस क्षेत्र के वृक्ष भी प्राय काटेदार है। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र की तुलना में ये अधिक सघन हैं। इनमें आडू इमली काटदार झाडिया आदि प्रमुख वृक्ष है।

3 शुष्क व आर्द्र वनस्पति क्षेत्र यह क्षेत्र राजस्थान के अलवर टोंक भरतपुर, कोटा आदि जिलों में फैला हुआ है। यहा वर्षा का औसत 60-90 से मी तक है अत वनस्पति सघन है और अधिक क्षेत्र म पाई जाती है। आम नीम पीपल शीशम पलास धौक बास आदि यहा के प्रमुख वृक्ष है।

4 आर्द्र-वनस्पति क्षेत्र इस क्षेत्र मे राज्य उदयपुर, बासवाडा डूगरपुर, सिरोही, चित्तौडगढ कोटा, बूदी व झालावाड को सम्मिलित किया गया है। यहा वर्षा का औसत 90 से मी से अधिक है। इस क्षेत्र मे साल तेन्दू, खैर *आवला सागवान गूलर व महुआ आदि वृक्ष पाये* जाते है।

राजस्थान में वनों का प्रशासनिक विभाजन
Administrative Division of Forests in Rajasthan

राजस्थान म वैधानिक दृष्टि से वना के लिए जोध पुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर टोंक बूदी कोटा झालावाड, चित्तौडगढ,उदयपुर, सिरोही व बासवाडा मण्डलों का निर्माण किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वनों को निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त किया गया है -

1 सुरक्षित वन (Reserved) ये वन 1997-98 में 12 30 लाख हैक्टेयर (38 6%) क्षेत्र मे विद्यमान है।[1] ये वन बाढों पर नियत्रण भू-सरक्षण मरुस्थल के प्रसार पर रोक तथा जलवायु की दृष्टि म महत्वपूर्ण होते है। अत इनमें लकडी काटने व पशु चराने पर प्रतिबध होता है।

2 रक्षित वन (Protected) ये वन 1997-98 म राज्य के 16 06 लाख हैक्टेयर (50 3%) क्षेत्र में फैले हुये है। इनमें पशु चराने व लकडी काटने पर सरकार प्रतिबध नहीं लगाती है।

3 अवर्गीकृत वन (Unclassified) · ये वन 1997-98 में राज्य के 3 54 लाख हैक्टेयर (11 1%) में विद्यमान है।[2] इन वनों में लकडी काटने व पशु चराने की सुविधा दी जाती है। इसके लिए सरकार कुछ शुल्क प्राप्त करती है।

राजस्थान में वनों का प्रशासनिक विभाजन

आरक्षित वन	12 30 लाख हैक्टेयर
रक्षित वन	16 06 लाख हैक्टेयर
अवर्गीकृत वन	3 54 लाख हैक्टेयर
राज्य का कुल वन क्षेत्रफल	31 90 लाख हैक्टेयर

स्रोत *Economic Review 1997 98 Raj*

राजस्थान में वनों के प्रकार
Types of forests in rajasthan

राजस्थान की जलवायु, स्थिति एव मिट्टियों में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। अत राजस्थान में वनों की भिन्नता होना भी स्वाभाविक है। राज्य के वनों को अग्र भागों मे विभक्त किया जा सकता है -

1 शुष्क सागवान वन सागवान के वन मुख्यत बासवाडा वन क्षेत्र में पाये जाते है। चित्तौड, उदयपुर व कोटा के वन क्षेत्रों में भी सागवान के वृक्ष पाये जाते है। मिट्टी की भिन्नता के कारण सागवान के वृक्षों की ऊचाई में अतर पाया जाता है। इनकी ऊचाई 9 से 13 मीटर के मध्य है। सागवान का उपयोग मुख्यत इमारती लकडी, फर्नीचर व मकान निर्माण में किया जाता है।

2 सालर वन सालर के वन राज्य के अलवर, उदयपुर, चित्तौडगढ सिरोही, जयपुर व जोधपुर जिलों में पाये जाते है। सालर के वृक्ष मुख्यत अरावली श्रेणियों के ऊपरी टीलों में मिलते है। यहा वर्षा का वार्षिक औसत 50-100 से मी है। इन वृक्षों की ऊचाई 12-15 मीटर होती है। इनकी लकडी का उपयोग सामान की पैकिंग के लिए किया जाता है।

3 ढाक अथवा प्लास वन ये वन मुख्यत उन सभी नदी-घाटियों में पाये जाते है जहा सागवान के वृक्ष विद्यमान है। नदियों की घाटियो व नालों में काली मटियार मिट्टी पाई जाती है जो गहरी व उपजाऊ होती है उस मिट्टी के क्षेत्र में प्राय महुआ बहेडा करज, सफेद सिरिस, धारम, पीपल तथा गूलर आदि के वृक्ष पाये जाते है ये वन सीमित मात्रा में विद्यमान है।

4 शुष्क पतझड वन ये वन अरावली श्रेणी के उदयपुर व बासवाडा क्षेत्र में 270 से 720 मीटर की ऊचाई पर पाये जाते है। इस क्षेत्र में मुख्यत धौकडा, खैर, खिरनी तेन्दू

1,2 Economic Review 1997 98 Govt. of Rajasthan
3 Economic Review 1996-97 Govt. of Rajasthan

आदि वृक्ष पाये जाते है। धौकडा की लकडी कृषि उपकरण व कोयला बनाने के काम आती है। खैर से कत्था एवं खिरनी से खिलौने बनाये जाते है। तेन्दू के पत्ते से बीडी बनाई जाती है। इस क्षेत्र में आम, बबूल, नीम, बहेडा, टिमरु, सेमल, ओक, आवला, बास आदि के वृक्ष भी पाये जाते है।

5 मिश्रित पतझड़ वन : ये वन मुख्यत उदयपुर, सिरोही, कोटा, बूंदी व चित्तौडगढ के कुछ भागों में पाये जाते है। इस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 35 से.मी. है। इस क्षेत्र में आम, जामुन, धौकडा, बरगद, गूलर, खैर, बबूल आदि के वृक्ष पाये जाते है। इन वृक्षों की लकडी का उपयोग मुख्यत ईधन के रूप में कोयला बनाने के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में उपयुक्त वर्षा व उपजाऊ मिट्टी वाले भागों में सागवान के वृक्ष भी मिलते है।

6 उष्ण कटिबन्धीय कांटेदार वन : ये वन बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाडमेर, नागौर, झुझुनू जयपुर व अजमेर जिलों में मिलते है। इस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 25-50 से.मी. है। यहा की जलवायु शुष्क है और भूमि रेतीली है। अत सूखे व झाडीदार वृक्ष पाये जाते है। यहा मुख्यत खेजडा, बेर, रोहिडा, जाल, खैर और बबूल आदि वृक्ष पाये जाते हैं। खेजडा इस क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है। इस क्षेत्र में घास भी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती है।

7 उपोषण कटिबन्धीय सदाबहार वन . ये वन आबू पर्वत के लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विद्यमान है। यहा वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 150 से.मी. है। यह क्षेत्र राजस्थान में वनस्पति की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। यहा मुख्यत आम, बास, जामुन, रोहिडा आदि वृक्ष पाये जाते है। यह वन पर्यटकों के लिए आकर्षण केन्द्र बन गया है।

राजस्थान की वन उपजें

FOREST PRODUCTS IN RAJASTHAN

1 इमारती लकडी - राजस्थान के वनों में सागवान, सालर बबूल, धौकडा आदि वृक्षों की प्रधानता है। इनसे प्राप्त लकडी का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। सागवान की लकडी मुलायम, चिकनी मजबूत व सुन्दर होती है। इसका प्रयोग मुख्यत रेल के डिब्बे, जहाज और फर्नीचर आदि में किया जाता है।

2 ईंधन व कोयला - राजस्थान के वनों की अधिकाश लकडी का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। राज्य के वनों में 50% से अधिक धौकडा पाया जाता है। जिसका प्रयोग ईंधन व कोयला बनाने में किया जाता है। बबूल, कीकर, खैर, खेजडा आदि वृक्षों की लकडियों का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। राज्य से कोयले का निर्यात भी किया जाता है।

3 गोंद - बबूल, खेजडा, नीम, पीपल, ढाक आदि वृक्षों से गोंद की प्राप्ति होती है। चौहटन क्षेत्र का मरुस्थलीय भू-भाग गोंद के लिए प्रसिद्ध है। गोंद का उपयोग अनेक बीमारियों में किया जाता है। राजस्थान से गोंद प्राय मुम्बई भेजा जाता है।

4 बास- राज्य के उदयपुर,बासवाडा, भरतपुर, सिरोही व चित्तौडगढ जिलों के वनों से बास प्राप्त होता है। इसका उपयोग मुख्यत कागज, टोकरियां, चारपाई व झोपडिया बनाने में किया जाता है। राज्य के वनों से बहुत कम बास प्राप्त होता है।

5 घास - राजस्थान के वनों में अनेक प्रकार की घास उत्पन्न होती है। इसका उपयोग मुख्यत पशुओं के चारे तथा झाडू व रस्सियां बनाने में किया जाता है। मूज की रस्सी का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है।

6 कत्था - राज्य के उदयपुर, चित्तौडगढ, जयपुर, बूंदी व झालावाड जिलों में कत्थे का उत्पादन किया जाता है। कत्था खैर वृक्ष के तने से बनाया जाता है। राज्य में कत्था बनाने की प्राचीन विधि का प्रयोग किया जाता है। अत वैज्ञानिक विधि की तुलना में कम उत्पादन होता है।

7 तेन्दू पत्ता - तेन्दू के पत्तों का उपयोग बीडी बनाने में किया जाता है। राजस्थान के उदयपुर, झालावाड, बारा व बासवाडा क्षेत्र में वनों में तेन्दू के वृक्ष पाये जाते है। तेन्दू पत्तों के उत्पादन के लगभग आधे भाग का उपयोग राज्य में ही कर लिया जाता है। राज्य के जयपुर, अजमेर, नसीराबाद भीलवाडा, ब्यावर, पाली व कोटा आदि शहरों में बीडी बनाने का कार्य विशेष रूप से किया जाता है।

8 आवल - आवल की झाडियों की छाल का उपयोग चमडा साफ करने में किया जाता है। राज्य के पाली सिरोही जोधपुर, बासवाडा व उदयपुर जिलों में आवल की झाडिया पाई जाती है। आवल की छाल मुख्यत कानपुर, मुम्बई, मद्रास अहमदाबाद आदि शहरों में भेजी जाती है।

9 महुआ - महुआ के फलों का उपयोग मुख्यत देशी शराब बनाने के किया जाता है। महुआ के वृक्ष मुख्यत उदयपुर, डूगरपुर सिरोही, झालावाड व चित्तौडगढ जिलों में पाये जाते है।

10 शहद व मोम - मधुमक्खियां प्राय वृक्षों पर छत्तों का निर्माण करती है। इनसे शहद व मोम की प्राप्ति होती है। राज्य के अलवर, सिरोही, भरतपुर जोधपुर, बासवाडा

चित्तोडगढ व उदयपुर जिला के वनों से शहद की प्राप्ति होती है।

11 खस खस एक विशेष प्रकार की घास होती है। इसकी जडो से तेल निकाला जाता है। यह घास मुख्यत टोंक सवाईमाधोपुर व भरतपुर जिलों के वनों में उत्पन्न होती है। खस से मुख्यत इत्र का निर्माण किया जाता है। इसका शर्बत भी बनता है। इसके तनो का उपयोग कमरों को ठडा करने म किया जाता है।

राजस्थान की वन-उपजा की मात्रा को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है

राजस्थान में वन-उपज

वन उपज	इकाई	1988 89	1989 90
जलाने की लकडी	लाख क्विन्टल	6 05	2 20
इमारती लकड़ी	लाख क्यूबिक फीट	1 20	0 16
बास	लाखों में	13 00	19 00
कत्था	क्विन्टल	396 00	12 00
तन्दू पत्ता	लाख बोरिया	2 09	3 94
शहद एव मोम	क्विटल	32 00	98 34
घास	क्विटल	35885 00	50169 00

स्रोत Some Facts About Rajasthan

पचवर्षीय योजनाए व वन विकास

Forest Development Under Five Year Plans

पचवर्षीय योजनाओं में वन विकास

योजना	बजट आवंटन (लाख रुपये)	कुल विकास (हैक्टेयर)
प्रथम	1 76	960
द्वितीय	15 31	20708
तृतीय	22 30	68257
चतुर्थ	70 20	142953
पचम	[redacted] 78	102268
छठी	381 45	139194
सातवी	476 85	270000
आठवी	3265 50	492000
नवी	6750 00	——

स्रोत Draft Ninth Five Year Plan (1997 2002) Govt of Raj
राजस्थान सुजस जनवरी 1998

राजस्थान म पाचवी योजना से पूर्व वनों का विकास साधनों की कमी के कारण सीमित रहा था। पाचवी योजना के अतर्गत सामाजिक वानिकी सहित अन्य कार्यक्रम केन्द्र की सहायता से आरभ किय गये। छठी योजना के अतर्गत ग्रामीण लोगो की ईंधन की आवश्यकता पूर्ति हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया साथ ही एन आर ई पी और आर एल ई जे पी कार्यक्रम आरभ किये गये। सातवीं योजना में सामाजिक वानिकी को और गति प्राप्त हुई। इसके अतर्गत सामुदायिक सहयोग से फार्म वानिकी पचायत वानिकी भूमि मे वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम आरभ किये गये। सातवीं योजना के अतर्गत वन सबधी कार्यक्रमों से 8 करोड मानव दिवसों का रोजगार सृजित हुआ। सातवीं योजना में वन विकास और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से और अधिक धन की प्राप्ति के कारण वृक्षारोपण के कार्यक्रम में गति आई। छठी योजना मे 1 3 लाख हैक्टर भूमि में वृक्षारोपण किया गया और [redacted] 7 लाख करोड पौधे वितरित किये गये थे। इसकी तुलना मे सातवीं योजना में 2 75 लाख हैक्टर लाख क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया और 31 70 करोड पौधे वितरित किये गये। 1990 91 एव 1991 92 मे क्रमश 52 हजार 147 और 65 हजार 50 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। इसी अवधि में क्रमश 3 99 करोड व 5 00 करोड पौधे फार्म वानिकी कार्यक्रम के अतर्गत वितरित किये गये। 1985 86 में विश्व बैंक की सहायता से आरभ की गई राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना मे एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यह परियोजना 16 गैर मरुस्थलीय क्षेत्रो मे चलायी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बढती हुई ईंधन व चारे आदि की माग को पूरा करने की चेष्टा करना है। इस परियोजना के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण एव भूमिहीनो की आय व रोजगार को बढाने का प्रयास किया जायगा। इनके माध्यम से भूमि के कटाव को रोकने की चेष्टा की जायेगी तथा बजर भूमि का और क्षरण होने से रोका जा सकेगा। इसी परियोजना के अतर्गत किसान एव स्कूल नर्सरी वन चेतना केन्द्र बर म्राप्टिग पारिवारिक फार्म वानिकी आदि कार्य भी हाथ में लिये गये है।

राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना में ईंधन चारा व लकडी की माग को दृष्टिगत रखते हुये दीर्घकालीन उपाय किये जायेंगे एव वातावरण सरक्षण का प्रयास किया जायेगा। राजस्थान में विद्यमान पौधा की किस्मों व वन्य जीवों की नस्लों को नष्ट होने से बचाया जायगा वन क्षेत्र का पुन विकास किया जायेगा। मुख्यत अरावली क्षेत्र के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। ग्रामीण लोगो की आवश्यकता पूर्ति के लिए पचायत एव स्थानीय निकायों का चयन किया जायगा। जल्दी बढने वाले एव राजस्थान की जलवायु के लिए उपयुक्त वृक्ष लगाये जायेंगे इदिरा गाधी नहर एव रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के टीलों के स्थिरीकरण के प्रयास किये जायेंगे। शहरों एव कस्बों के अदर तथा

उनके चारों ओर वृक्ष लगाये जायेंगे ताकि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वन क्षेत्र में वानिकी शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस बात को दृष्टिगत करते हुये कि राजस्थान मे वनों से चारा प्राप्ति की दर 3 लाख टन प्रतिवर्ष है जबकि चारे की अनुमानित आवश्यकता 632 5 लाख टन है। इस अन्तराल को कम करने की चेष्टा की जायेगी। यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकारी वनों में राज्य के 47 लाख पशु चरते है। अत योजनाबद्ध तरीके से वन विकास करना होगा। आठवीं पचवर्षीय योजना में वन विकास की विभिन्न कार्यक्रमों पर निम्नानुसार 326 55 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था।

राजस्थान में वन विकास की समस्यायें

1 वनों का असमान वितरण - राज्य में वनों का वितरण अत्यधिक असमान है। राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम वन है। जबकि शेष राजस्थान में वनों का अधिकाश भाग केन्द्रित है।

2 अपर्याप्त वन - पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से राज्य का वन क्षेत्र अत्यधिक सीमित है। कुल भू- क्षेत्र का लगभग 9 प्रतिशत वन है। राज्य का वन-क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम है।

3 वनों के व्यावसायिक उपयोग की सीमित सम्भावनायें - राज्य में वनों का व्यावसायिक उपयोग नगण्य है क्योंकि वनों में वृक्षों के प्रकार अत्यधिक है। अत एक प्रकार के वन सीमित व अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

4 समन्वय का अभाव - राज्य में वन विकास के अनेक कार्यक्रम सचालित किये जा रहे है। लेकिन उनमें समन्वय का अभाव है। अत विकास की गति धीमी है।

5 यातायात की समस्या - वन क्षेत्रों मे यातायात सुविधाओं का अभाव है। अत वन के वैज्ञानिक कार्यों की गति धीमी है। पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात मार्गो का नितान्त अभाव है।

6 प्राकृतिक विपत्तियों एव आग के कारण वन विनाश - वनों में प्राय लोगों की लापरवाही एव आधी तूफान के कारण आग लग जाती है। अत राज्य की मूल्यवान वन सम्पदा कुछ समय में ही नष्ट हो जाती है। कीड़े-मकोड़े एव दीमक आदि कारणों से भी वन नष्ट होते है।

7 भ्रष्टाचार वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार भी वन विनाश का प्रमुख कारण है। भ्रष्टाचार के कारण मूल्यवान वृक्षों का तेजी से विनाश हो रहा है।

8 वनों की अनियन्त्रित कटाई - राज्य की जनसख्या में वृद्धि के साथ-साथ ईंधन एव इमारती कार्यों के लिये लकड़ी की माग में तेजी से वृद्धि हुई है। अत वनों की तेजी से कटाई हो रही है। कृषि एव आवास के उद्देश्यों से भी वनों का विनाश किया जा रहा है।

9 अनियन्त्रित चराई - राज्य के वनों का चरागाह के रूपमें अत्यधिक उपयोग किया जाता है। भेड-बकरियों की चराई के कारण वन विनाश तीव्र गति से होता है।

वनों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

1 वनों की अनियन्त्रित कटाई पर प्रभावी रोक लगाई जानी चाहिये।

2 वनों के विस्तार हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों व योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिये।

3 वन विकास कार्यक्रमों में पर्याप्त समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।

4 वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिये।

5 वनों में लगने वाली आग पर नियन्त्रण हेतु विशिष्ट प्रयास किये जाने चाहिये।

6 वनों में यातायात सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये।

7 वन अनुसन्धान कार्यों को बढावा दिया जाना चाहिये।

8 जनता को वनों के महत्व की जानकारी दी जानी चाहियें और विकास कार्यों में जनसहयोग को बढावा दिया जाना चाहिये।

9 वन विकास हेतु पचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त व्यय का प्रावधान किया जाना चाहिये।

10 वन क्षेत्रों में पशुओं की चराई पर रोक लगाई जानी चाहिए।

11 मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनों के विस्तार हेतु विशिष्ट कार्यक्रम सचालित किये जाने चाहिये।

वन विकास के सरकारी कार्यक्रम

1 सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों एव पचायती राज सस्थाओं को पौधे दिये जाते है जो बजर भूमि रेल सडक-वन व नहरों के किनारे लगाये जाते है।

2 फार्म वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को अपने खेतों में वृक्षारोपण हेतु पौधे दिये जाते है।

3 अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत राज्य के दस जिलों - पाली, उदयपुर, चित्तौडगढ, सिरोही, बासवाडा, नागौर झुझुनू, सीकर अलवर एव जयपूर में 1992-93 से वृक्षारोपण किया जा रहा है।

4 इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में जापान की सहायता से वृक्षारोपण और चरागाह विकास का कार्य किया जाता है।

5 वृक्षारोपण एव चरागाह विकास परियोजना के अन्तर्गत जापान सरकार के सहयोग से राज्य के 14 जिलों में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है।

6 वन विकास में जन सहयोग को बढावा देने के उद्देश्य मे राज्य के ग्राम स्तर पर वन सरक्षण एव प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है।

7 *विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वानिकी कार्यक्रम* में सलग्न व्यक्तियों को खाद्य पदार्थो का वितरण किया जाता है।

8 स्कूलों में प्रत्येक छात्र द्वारा एक वृक्ष लगाने की व्यवस्था की गई है।

9 पहाडी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु पर्यावरण विकास दलों का गठन किया गया है।

10 राज्य का वन विभाग वन-अनुसन्धान पर विशेष बल देता है।

11 महाविद्यालयो एव विश्वविद्यालयो के छात्रों द्वारा पर्यावरण विकास कैम्प कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण करते है।

राजस्थान सरकार की वन नीति

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का अनुसरण करते हुये 20% वन क्षेत्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये निम्न रणनीति निर्धारित की है -

1 राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल के 9 32% क्षेत्र में वन है। इनमें से 1 32% वनों को प्रथम श्रेणी के वन कहा जा सकता है। शेष 8% वन निम्न श्रेणी के है। इन निम्न श्रेणी के वनों मे पारिस्थितिकी की पुर्नस्थापना विभिन्न उपायों से करने का निश्चय किया गया है।

2 वनस्पति के प्राकृतिक पुनरुत्पादन को प्रोत्साहित करने और इस सम्बन्ध में पूरक उपाय करने का निश्चय किया गया।

3 बज़ट और अनुपजाऊ भूमि मे गहन वनीकरण और वनो की पुन स्थापना का कार्य स्थानीय समुदाय और गैर सरकारी सगठनो के सहयोग से किया जायेगा।

4 ग्रामीण क्षेत्र में लकडी और चरागाह क्षेत्र विकसित करने का प्रयास विशेषत पचायत और राजस्व विभाग की बेकार पडी भूमि पर किया जायेगा।

5 सडक, रेल और नहरों के किनारो पर वृक्षारोपण किया जायेगा ताकि स्थानीय आवश्यकताए भी पूर्ण हो सकें।

6 निजी भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया जायेगा। राजस्थान में लगभग 61% भूमि इसी श्रेणी के अन्तर्गत आती है।

7 प्रमुख शहरी केन्द्रों में शहरी वानिकी को प्रोत्साहित किया जायेगा।

राजस्थान की जल-सम्पदा
WATER RESOURCES OF RAJASTHAN

राजस्थान की जल-सम्पदा को राजस्थान की अर्थव्यवस्था रूपी शरीर में बहने वाला रक्त कहा जा सकता है। राज्य में जल के बिना विकास की कल्पना भी नही की जा सकती। राजस्थान में 12 महीने बहने वाली कोई भी नदी नहीं है किन्तु राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से चबल नदी गुजरती है जिसने जल ससाधनों की दृष्टि से राजस्थान को कुछ राहत प्रदान की है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल देश का 10 4% है। इसी प्रकार देश का 10 6% भाग कृषि के अतर्गत है किन्तु देश के जल ससाधनों का केवल 1 04% भाग ही राजस्थान में उपलब्ध है। इन आकडों से राजस्थान मे जल ससाधनो की कमी का ज्ञान होता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में भूमिगत जल के पर्याप्त स्रोत है क्योंकि यह भाग नदियो द्वारा लाई गई मिट्टियों मे बना है। इस क्षेत्र मे प्राय 15 20 मीटर की गहराई पर पानी मिल जाता है। यहा पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। उत्तरी-पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र में भी भूमि के नीचे अथाह जल भण्डार होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में प्राचीनकाल के सरस्वती और हाकरा नदियों का लुप्त हुआ जल भूमि के नीचे पाए जाने का अनुमान है। जैसलमेर व पोकरण नगरों के मध्य 112 किलोमीटर लबे क्षेत्र में मीठे जल के पर्याप्त होने का अनुमान है। मरुस्थल के अधिकाश भाग में भूमिगत जल प्राय खारा है। जैसलमेर जिले के लाठी बेसिन में केन्द्रीय भू जल बोर्ड द्वारा किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस क्षेत्र म भू जल स्रोत की वार्षिक खनन क्षमता 143 मिलियन क्यूबिक मीटर है। जल निगम के अनुसार राज्य के पूर्वी भाग (जयपुर सवाई माधोपुर, भरतपुर धौलपुर के अतिरिक्त सीकर व झुझुनू जैसे मरुस्थलीय जिलो सहित) मे बडी मात्रा म भू जल उपलब्ध है। राजस्थान मे आज भी कुए ही सिचाई व प्रमुख

साधन है। राजस्थान सरकार द्वारा जल संसाधनों पर गठित कमेटी के अनुसार राजस्थान में भूमिगत जल-स्रोत लगभग 10.18 मिलियन एकड फीट है, जिसमें से उपयोग योग्य भूमिगत जल का 50% विदोहित किया जा चुका है। भूमिगत जल की सिंचाई, घरेलू एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बढती हुई माग और लगातार अत्यधिक दोहन के कारण जून, 1988 में राज्य के 237 खण्डों में से है। 81 खण्डों को डार्क जोन तथा 31 खण्डों को ग्रे जोन खण्डों के अतर्गत रखा गया है।

राजस्थान की नदियॉ
RIVERS OF RAJASTHAN

A चम्बल नदी - यह मध्यप्रदेश राज्य के मऊ नामक स्थान के पास "जनापाव पहाड़ी" से निकलती है। यह पहाडी 616 मीटर ऊची है। यह नदी उत्तर-पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मदसौर आदि जिलों से लगभग 325 किलोमीटर बहने के पश्चात् चौरासीगढ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। राज्य की केवल यह नदी ही वर्षपर्यन्त बहती है। इसका प्राचीन नाम चर्मण्वती है और इसे कामधेनु के नाम से पुकारा जाता है। यह राजस्थान में कोटा सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में लगभग 210 कि.मी. बहती है। बामनी, बनास, काली सिन्ध, पार्वती, कुराई, कुदाल व परवान नदिया इसकी सहायक है। इस नदी पर गाधी सागर, राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर बाध बनाये गये है। धौलपुर के दक्षिण में इस नदी के किनारों पर गलीदार गर्तों का निर्माण हुआ है। अन्त में यह नदी उत्तरप्रदेश राज्य के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चम्बल की प्रमुख सहायक नदिया निम्नाकित प्रकार है -

1 काली सिन्ध नदी - इस नदी का उद्गम-स्थल मध्य प्रदेश राज्य में देवास के पास बागली गाव है। मध्य प्रदेश में कुछ दूरी तक बहने के पश्चात् यह नदी राजस्थान के झालावाड व कोटा जिलों में बहती है। अन्त में यह नोनेरा नामक एक स्थान पर चम्बल नदी में मिल जाती है। आहू, परवन व निवाज इसकी सहायक नदिया है।

2 बनास नदी - यह नदी अरावली पर्वत श्रेणियों की खमनौर पहाडियों से, कुम्भलगढ के पास से निकलती है। यह प्राय वर्षपर्यन्त बहती है लेकिन कभी-कभी गर्मी के मौसम में सूख जाती है। इस नदी को "वन की आशा" के नाम से पुकारा जाता है। यह नदी मेवाड के मैदान के बीच में से गुजरती है। यह लगभग 480 किलोमीटर बहने के पश्चात् सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा के पास इस नदी के ऊपरी क्षेत्र पहाडी है। अत यहा वर्षा ठीक होती है नदी घाटी का क्षेत्र उपजाऊ है। कोठारी, बेडच, मोरेल, धुन्ध, मावसी, मैनाल व खारी बनास की सहायक नदिया है। बनास की प्रमुख सहायक नदिया निम्नलिखित है।

(i) बेडच नदी : यह बनास नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम-स्थल उदयपुर के उत्तर में गोगुन्दा की पहाडिया है। गोगुन्दा की पहाडियों से उदयपुर झील तक इसे आयड नदी कहा जाता है। 190 किलोमीटर बहने के पश्चात् यह नदी बिगोद नाम स्थान के निकट बनास नदी में मिल जाती है। गंभीरी बेडच की एक सहायक नदी है। *गंभीरी नदी* - यह बेडच नदी की सहायक नदी है। यह उदयपुर जिले में बहती है और अन्त में चित्तौडगढ के चटियावली नामक स्थान के पास बेडच नदी में मिल जाती है। इस नदी पर निम्बाहेडा के निकट गंभीरी बाध का निर्माण किया गया है।

(ii) कोठारी नदी : यह नदी उदयपुर जिले के दिवेर नामक स्थान से निकलती है। 145 किलोमीटर बहने के पश्चात् यह भीलवाडा जिले में बनास नदी से मिल जाती है।

(iii) खारी नदी यह उदयपुर जिले के उत्तरी भाग में स्थित बिजराल गाव के निकट की पहाडियों से निकलती है और टोंक जिले के देवली नामक स्थान के पास बनास नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लबाई 80 किलोमीटर है।

(3) पार्वती नदी - यह नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और मध्यप्रदेश में कुछ दूर बहने के पश्चात् कन्याहट नामक स्थान के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। यह कोटा व पाली जिलों में लगभग 65 किलोमीटर बहने के बाद चबल नदी में मिल जाती है

B लूनी नदी - यह नदी अजमेर के निकट नागपहाड से निकलकर जोधपुर सभाग में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और अन्त में कच्छ की खाडी में गिर जाती है। यह मौसमी नदी है। बालोतरा तक इसका जल मीठा रहता है लेकिन उसके पश्चात् खारा हो जाता है। बिलाडा के निकट इस पर एक बाध बनाया गया है। इस नदी की लम्बाई 330 किमी है। गुहिया, सुकडी, बाडी, मिठडी, लीलडी, जोजडी, जवाई तथा सगाई इसकी प्रमुख सहायक नदिया है।

C माही नदी - यह नदी मध्यप्रदेश की विंध्य पहाडियों से निकलकर राजस्थान में से होकर गुजरात में प्रवेश करती है, जहा यह खम्भात की खाडी में जा मिलती है। लगभग 583 किमी लबी यह नदी मध्यप्रदेश, राजस्थान व गुजरात में क्रमश 167 किमी, 174 किमी व 242 किमी बहती है। यह नदी डूगरपुर व बासवाडा जिलों के मध्य सीमा का निर्माण भी करती है। बासवाडा में इस नदी पर

1,2. Eighth Five Year Plan, 1992-97

माही बजाज सागर बाध का निर्माण किया गया है। सोम, चाप मोरन व अनास इसकी सहाययक नदिया है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी सोम है।

(i) सोम नदी यह नदी उदयपुर जिले के बीघामेडा नामक स्थान से निकलती है। प्रारभ में दक्षिण-पूर्व दिशा में बहने के बाद यह डूगरपुर की सीमा के साथ साथ पूर्व मे बहती है और बेणश्वर के निकट माही नदी में मिल जाती है। जाखम गामती व सारनी इसकी सहायक नदिया है।

(ii) जाखम नदी यह सोम नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल छोटी सादडी के निकट है। यह नदी प्रतापगढ जिले में बहती हुई उदयपुर की धारियावद तहसील म प्रवेश करती है तथा सोम नदी में मिल जाती है। इस नदी पर एक बाध बनाया जाता है और 4 5 मेगावाट क्षमता का एक विद्युतगृह भी निर्माणाधीन है।

D साबरमती नदी - यह नदी उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग म (अरावली पहाडियो से) निकलकर दक्षिण की ओर बहती है। कुछ दूरी तक उदयपुर जिले में बहती है और फिर गुजरात राज्य मे प्रवेश कर जाती है। वतरक मेश्वा हथमति माजम व बाकल इसकी प्रमुख सहायक नदिया है।

E बाणगगा नदी - यह नदी जयपुर जिले के बैराठ का पहाडिया म निकलती है तथा राजस्थान के भरतपुर जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहाबाद के पास यमुना नदी मे मिल जाती है। इस नदी की कुल लबाई 380 किमी है। इस नदी पर जमवा रामगढ क पास एक छोटा बाध बनाया गया है जिससे जयपुर शहर को पीने का पानी मिलता है।

F घग्घर नदी - यह नदी कालिका के पास हिमालय मे निकलती है और पजाब और हरियाणा मे बहती हुई राजस्थान के श्रीगगानगर जिले में प्रवेश करती है। उसके आगे यह नदी मरुस्थलीय भाग म लुप्त हो जाती है। इस नदी में प्राय बाढ आती है अत फसलों को नुकसान होता है और यातायात मे रुकावट आ जाती है। इसकी तलहटी म चावल की खेती की जाती है।

G काकनी या काकनेय नदी - यह नदी जैसलमेर मे 27 किमी दूर कोटरी गाव की पहाडियों स निकलती है। यहा से उत्तर पश्चिम म लगभग 40 किमी बहने के पश्चात् यह भुज्ज झील म गिर जाता है। यह मौसमी नदी है।

H काटली या कातली नदी - यह नदी झुझुनू जिले की उत्तरी सीमा के मध्य से दक्षिण दिशा की ओर बहती है व झुझुनू जिले को लगभग दो भागों में विभक्त करती है। लगभग 95 किमी बहने के पश्चात् यह लुप्त हो जाती है।

I पश्चिमी बनास - यह नदी अरावली पर्वत के पश्चिमी ढालो से निकलती है। यह सिरोही जिले में बहती है और अन्त में कच्छ की खाडी मे गिर जाती है।

J साबी या साहबी नदी - यह नदी जयपुर जिले की सेवर पहाडियों से निकलती है। बानसूर, बहरोड, किशनगढ मण्डावर तथा तिजारा तहसीलो में बहती है और हरियाणा के गुडगाव जिले में प्रवेश करती है। इस जिले में कुछ दूरी तक बहने के पश्चात् यह लुप्त हो जाती है।

K मन्था नदी - यह नदी जयपुर जिले के मनोहर थाना नामक स्थान मे निकलती है और अन्त में साभर झील में गिरती है।

राजस्थान की झीलें
LAKES OF RAJASTHAN

राजस्थान में खारे व मीठे पानी की झीलें है। खारे पानी की झीलो में नमक बनाया जाता है और मीठे पानी की झीलो के जल का उपयोग सिचाई व पीने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ झीलें प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम है। इन झीलों में मछलिया भी पकडी जाती है। कुछ झीलें पर्यटन स्थलो का रूप धारण कर चुकी है। राज्य की झीलो को दो भागो में बाटा जा सकता है। (अ) मीठे पानी की झीलें (ब) खारे पानी की झीलें

A मीठे पानी की झीलें

(i) जयसमन्द झील - यह झील उदयपुर शहर से 51 किमी दक्षिण पूर्व में है। इसका निर्माण राजा जयसिह ने सन् 1685 से 1691 के मध्य करवाया था। इस झील का निर्माण गोमती नदी पर 375 मीटर लबा व 35 मीटर ऊचा बाध बनवाकर किया गया। झील की लबाई व चौडाई क्रमश 15 किमी व 8 किमी है। इस झील में लगभग 8 टापू है। इन टापुओं में भील व मीणा लोग रहते है। सबसे बडे टापू का नाम बाबा का भागडा व छोटे टापू का नाम प्यारी है। झील का क्षेत्रफल लगभग 55 किमी है। यह मीठे पानी की सबसे बडी झील है और विश्व की कृत्रिम झीलों में इसका दूसरा स्थान है। इस झील में 6 कलात्मक छतरिया व प्रासाद बनाये गये है। इस झील के चारों तरफ पहाडिया है। अत इसका प्राकृतिक सौन्दर्य अत्यधिक मोहक है। यही कारण है कि यह पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख

केन्द्र बन गई है। इस झील से सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई है।

(ii) पिछोला झील - यह उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध व अत्यधिक सुन्दर झील है। इसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। राजा उदयसिंह ने इसे ठीक करवाया। यह झील उदयपुर के पिछोली गाव के पास स्थित है अत इसे पिछोला झील कहा जाता है। झील की लबाई व चौडाई क्रमश 7 किलोमीटर व 2 किलोमीटर है। इसमें दो टापू है। एक टापू पर जगमंदिर और दूसरे पर जगनिवास नामक महलों का निर्माण किया गया है। बादशाह बनने से पहले शाहजहा भी इस झील के महलों में आकर ठहरा था। अब इन महलों में पाच सितारा होटल स्थापित है।

(iii) राजसमन्द झील - यह झील उदयपुर से 64 किमी दूर काकरोली रेल्वे स्टेशन के निकट स्थित है। इसका निर्माण महाराणा राजसिंह ने 1662 में करवाया था। इस झील को जल की प्राप्ति गोमती नदी से होती है। इसके पानी का उपयोग सिंचाई व पीने के लिए किया जाता है। झील की लबाई व चौडाई क्रमश 6 5 किमी व 3 किमी है। झील के उत्तरी भाग को "नौ चौकी" कहा जाता है, जहा सगमरमर के 25 शिलालेखो पर मेवाड का इतिहास सस्कृत भाषा में अंकित है।

(iv) आनासागर झील यह झील अजमेर शहर में दो पहाडियों के मध्य स्थित है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज के दादा अन्नाजी ने 1137 में करवाया था। इसकी परिधि 8 मील है। शाहजहा ने इस पर एक बारादरी का निर्माण कराया था तथा जहागीर ने झील के पूर्व में एक उद्यान 'दौलत बाग' बनवाया। वर्तमान में इस उद्यान को सुभाष उद्यान कहा जाता है यह झील पूर्णमासी की रात्रि को चादनी में अत्यधिक सुन्दर लगती है।

(v) फाई सागर यह झील अजमेर में स्थित है। इसमे प्राय वर्षपर्यन्त पानी रहता है। इसका जल आनासागर में आता है। झील प्राकृतिक दृष्टि से सुन्दर है अत शहर के लोग प्राय पिकनिक के लिये यहा आते रहते है।

(vi) पुष्कर झील यह झील अजमेर से 11 किमी दूर पुष्कर में स्थित है। इसके तीन ओर पहाडिया है और झील के चारों तरफ स्नान घाट बने हुए है। इसके चारो तरफ मदिर है। ब्रह्मा का मंदिर सर्वाधिक प्राचीन है। वस्तुत यह एक पवित्र झील व तीर्थस्थल है जहा कार्तिक पूर्णिमा पर मेला भी लगता है। यहा देश के विभिन्न भागो से तीर्थयात्री आते है।

(vii) फतह सागर इस झील का उदयपुर फतहसिंह ने बनवाया था। यह पिछोला झील से लगभग एक मील दूर स्थित है। यह झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से मिली हुई है। इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई है।

(viii) सिलीसेढ झील . यह झील दिल्ली-जयपुर मार्ग पर, अलवर से लगभग 12 किमी दूर स्थित है। यह पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। यहा पर्यटक मुख्यत मछली पकडने व नौका विहार के लिए आते है।

(ix) बालसमन्द झील यह झील जोधपुर के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके जल का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता है। 110661

(x) उदय सागर इसे उदयसिंह ने बनवाया था। यह झील उदयपुर नगर से 13 किमी दूर स्थित है।

(xi) कोलायत झील यह झील बीकानेर से 48 किमी दूर स्थित है। यहा अनेक मंदिर है। इस झील में वर्षपर्यन्त पानी रहता है। यहा वर्ष में एक बार मेला भी लगता है।

(xii) नक्की झील · यह झील सिरोही जिले में रघुनाथजी के मंदिर के पास स्थित है। यह कृत्रिम झील शान्त व स्थिर वातावरण में पवित्रता का आभास देती है। यहा पर्यटक प्राय नौका विहार करते है। इस झील के एक ओर प्रसिद्ध टॉड रॉक (Tod Rock) है।

(xiii) गैब सागर · यह झील डूगरपुर जिले में स्थित है।

(xiv) कैलाना झील यह झील जोधपुर जिले में है। इसे महाराणा प्रताप ने बनवाया था।

(xv) नवलखा झील यह झील बूदी जिले में स्थित है। यह पहाडियों से घिरी हुई है।

B. खारे पानी की झीलें

(i) सांभर झील यह भारत की सबसे बडी खारे पानी की झील है। यह जोधपुर-जयपुर मार्ग पर जयपुर जिले के फुलेरा जक्शन से 8 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह झील 26°9' उत्तरी अक्षाश से 27°2' उत्तरी अक्षाश पर तथा 74°3' पूर्वी देशान्तर से 75°3' पूर्वी देशान्तर तक विस्तृत है। इसकी लबाई लगभग 32 किमी और चौडाई 3 25 किमी से 11 25 किलोमीटर तक है। समुद्र तल से इसकी ऊचाई 360 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 145 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 5720 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पानी आकर एकत्रित हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार इस झील में लगभग 650 लाख टन नमक है। भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8 7% इस झील से प्राप्त होता है। इस झील के क्षेत्र में 50 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। झील के उत्तरी तट पर सांभर व नावा नामक शहर है, जहा

नमक का व्यापार व नमक बनाने का काम होता है। साम्भर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। यहा से नमक का निर्यात भी होता है।

(ii) डीडवाना झील यह झील नागौर जिले मे डीडवाना शहर के निकट स्थित है। यह झील 27°24 उत्तरी अक्षाश एव 74°34 पूर्वी देशान्तरो पर स्थित है और 10 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैली हुई है। इस झील मे लगभग वर्षभर नमक तैयार किया जाता है। इसके नमक का उपयोग बीकानेर व जोधपुर जिला में होता है तथा शेष नमक बाहर भेज दिया जाता है। डीडवाना नगर से 8 किमी दूरी पर सोडियम बनाने का एक सयत्र लगाया गया है।

(iii) पचपदरा झील यह झील बाडमेर जिले के पचपदरा नामक नगर में स्थित है। लगभग 25 किमी क्षेत्र में फैली हुई है और इसमे 1040 किमी क्षेत्र का पानी एकत्रित होता है। इस झील म तैयार किये गये नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है। यह नमक उत्तम श्रेणी का होता है।

(iv) लूनकरनसर झील यह झील बीकानेर से 80 किमी दूर लूनकरनसर मे स्थित है। इससे बहुत कम मात्रा में नमक तैयार किया जाता है क्योंकि इसके पानी में लवणीयता की कमी है।

(v) अन्य झीलें फलौदी रेवासा व कछोर में भी खारे पानी की झीलें है।

राजस्थान की पशु-सम्पदा

ANIMAL WEALTH IN RAJASTHAN

पशुधन से तात्पर्य उन समस्त पशुओं से लगाया जाता है जिनसे मनुष्य प्रत्यक्ष रूप व अप्रत्यक्ष रूप से जीवन निर्वाह हेतु कुछ न कुछ वस्तुए प्राप्त करता है। इस प्रकार इसमें प्राय सभी प्रकार के पशुओ को सम्मिलित किया जाता है। पशुओं से न केवल विभिन्न प्रकार की वस्तुए प्राप्त होती है वरन् इन्हे विभिन्न उपयोगों में भी लाया जा सकता है। राजस्थान में पशु सम्पदा कृषि कार्यो के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। राजस्थान में यह लोगों को पौष्टिक पदार्थों की पूर्ति कर उचित पोषाहार उपलब्ध कराने में भी सहायता करती है। यह रोजगार का भी महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त इसमें चमडा खाल ऊन खाद आदि भी बहुतायत म प्राप्त किये जाते है। ये यातायात के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

राजस्थान मे पशुओं की संख्या

Live stock in Rajasthan

राजस्थान मे पशुओं की सख्या में निरतर वृद्धि हो रही है। 1988 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में 4 करोड 9 लाख पशु थे जो 1992 की पशुगणना के अनुसार 4 करोड 77 लाख व 1997 में 5 करोड 43 लाख स अधिक हो गये हैं। 1988 व 1992 में राजस्थान में विभिन्न पशुओं की स्थिति निम्नलिखित थी -

पशु	पशुओं की सख्या (लाखों में)		
	1988	1992	1997
गाय	109 1	116 42	121 58
भैस	63 3	77 76	97 56
भेड	99 1	124 91	143 12
बकरा	125 9	152 85	169 36
घोडे एव टट्टू	0 2	0 2	0 2
गधे व खच्चर	1 8	1 9	1 66
ऊट	7 2	7 46	6 68
सुअर	2.0	2 4	3 03
योग	409 0	477 73	543 48

स्रोत Board of Revenue for Rajasthan Live stock Census 1997 & Statistical Abstract Raj 1996

राजस्थान में पशुधन की जिलेवार स्थिति (1997)

(लाख में)

(A) राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाले प्रमुख जिले -

(i) बाडमेर 41 77 लाख
(ii) जोधपुर 37 59 लाख
(iii) नागौर 32 27 लाख

(B) 1997 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में विभिन्न पशुओं की सख्या की दृष्टि स प्रथम स्थान वाले जिले

गाय	उदयपुर	9 7 लाख
भैस	जयपुर	7 7 लाख
भेड़	जोधपुर	15 6 लाख
बकरी	बाडमेर	18 [illegible] लाख
ऊट	बाडमेर	1 1 लाख
कुक्कुट	अजमेर	14 9 लाख

स्रोत Board of Revenue fo Rajasthan Live stock Census 1997 & Statistical Abstract Raj 1996

राजस्थान में पशु-पालन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पशु

राजस्थान में अनेक प्रकार क पशु पाले जाते है। इनमें से कुछ विशेष महत्त्व के पशु निम्नलिखित है

(1) भैंस (Buffalo) राजस्थान में दूध प्राप्ति के लिए भैंस बहुतायात म पाली जाती है। राजस्थान में जो भैंसे

पाली जाती है। उनकी मुख्यत चार नस्लें है - मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी और बदावरी। इनमें से मुर्रा एक महत्वपूर्ण नस्ल है। यह नस्ल दूध की दृष्टि से उपयुक्त मानी जाती है और लगभग सारे उत्तरी भारत में बहुतायत से देखी जा सकती है। जाफराबादी नस्ल काठियावाड और जाफराबाद से सबधित होने के कारण जाफराबादी कहलाती है। इसे भी दूध के लिए पाला जाता है। नागपुरी नस्ल और बादवरी नस्लें भी दूध के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

राजस्थान मे सबसे अधिक भैंसे जयपुर में पाली जाती है। तत्पश्चात् क्रमश अलवर, सवाईमाधोपुर और उदयपुर का स्थान है। राजस्थान में सबसे कम भैंसे जैसलमेर जिले में है। राजस्थान के सभी जिलों में भैंस पालन का मुख्य उद्देश्य दुग्ध-उत्पादन है।

(2) गाय (Cattle) राजस्थान में गाय की मुख्य नस्लें साहीवाल, लालसिंधी, गिर, थारपारकर, मेवाती, नागौरी, मालवी आदि है। राजस्थान के जोधपुर एव जैसलमेर जिलों में थारपारकर नस्ल बहुतायत में पाई जाती है तो जोधपुर क्षेत्र की ओर नागौरी गाय अधिक मिलती है। मालवा के पठारी क्षेत्र में मालवी और राजस्थान के अलवर तथा भरतपुर क्षेत्र में मेवाती नस्ल अधिक पाई जाती है। राजस्थान मे गौ पालन का मुख्य उद्देश्य दूध-उत्पादन तो है ही, साथ में कृषि-कार्यों के लिए बैलों का प्रयोग करना भी है। राजस्थान में धीरे धीरे देशी नस्लो के साथ-साथ विदेशी नस्लें भी पनपने लगी है।

भैंसों की भांति सर्वाधिक गाये भी जयपुर जिले में पाई जाती है। गौ-पालन की दृष्टि से अन्य जिले क्रमश उदयपुर, गगानगर, चित्तौडगढ कोटा नागौर, भीलवाडा, बीकानेर आदि है। राजस्थान में सबसे कम गायें धौलपुर जिले में है। विदेशी नस्ल की गायों की दृष्टि से भी जयपुर जिला प्रथम स्थान पर है। महत्व के अनुसार अन्य जिले क्रमश गगानगर, उदयपुर, भीलवाडा तथा अजमेर है। विदेशी नस्लों में हॉलिस्टीन व जर्सी प्रमुख है

(3) भेड (Sheep) राजस्थान के अधिकाश ग्रामीण लोग कृषि की भांति पशुपालन पर भी निर्भर है और इसमें भेडपालन का एक विशेष स्थान है। राजस्थान के पश्चिमी एव उत्तर-पश्चिमी भागों में तो भेडपालन आजीविका का प्रमुख आधार है। राजस्थान में उपलब्ध भेडों की आठ मुख्य नस्लें है। ये नस्लें है - चौकला, मगरा, पूगल, नाली मारवाडी जैसलमेर मालपुरी एव सोनाडी। चौकला नस्ल मुख्य रूप से चूरू, झुझुनू व सीकर जिलों में तथा बीकानेर, जयपुर एव नागौर जिलों की सीमाओं पर पाई जाती है। मगरा नस्ल बीकानेर जिले में तथा नागौर एव जैसलमेर जिलों की सीमाओं पर पाई जाती है। पूगल नस्ल बीकानेर जिले के पश्चिमी भाग, पूगल क्षेत्र, पश्चिमी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र एव जैसलमेर जिले के उत्तरी भाग मे मिलती है। नाली नस्ल राजस्थान के उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी भागों में पाई जाती है। मारवाडी नस्ल बाडमेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, भीलवाडा, अजमेर, जयपुर एव नागौर जिलों म देखी जा सकती है। जैसलमेरी नस्ल जैसलमेर जिला तथा जोधपुर एव बाडमेर की पश्चिमी सीमाओं पर बहुतायत से मिलती है। मालपुरी नस्ल जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में तथा इनके साथ लगी अजमेर भीलवाडा एव बून्दी जिलों की सीमाओं पर मिलती है। सोनाडी नस्ल उदयपुर खण्ड में पाई जाती है।

राजस्थान में भेड मुख्यत ऊन एव मास उत्पादन के लिए पाली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक भेडें पाली जिले में है, तत्पश्चात् क्रमश नागौर, बीकानेर और जोधपुर का स्थान है। राजस्थान में सबसे कम भेडें धौलपुर जिले में है।

4 बकरी (Goat) - राजस्थान में बकरी पालन मुख्यत गरीब वर्ग द्वारा दूध-उत्पादन के लिए किया जाता है। बकरी पालन के पीछे एक उद्देश्य मास प्राप्त करना भी है। राजस्थान में बकरी की जो प्रमुख नस्लें पाई जाती है उनमें जमुनापारी व बारबरी नस्लें प्रमुख है।

इस प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां उदयपुर जिले में पाई जाती है तत्पश्चात् जयपुर एव नागौर जिलों का स्थान है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों मे ये बडी मात्रा में पाई जाती है। सबसे कम बकरियां धौलपुर जिले में है।

5 ऊँट (Camel) राजस्थान में ऊँट मुख्यत आवागमन मे सुविधा की दृष्टि से पाला जाता है, साथ ही इसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए भी बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान में सम्पूर्ण देश में सख्या की दृष्टि से सर्वाधिक ऊँट है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट गगानगर जिले में है। तत्पश्चात् क्रमश बाडमेर चूरू बीकानेर जैसलमेर व जोधपुर का स्थान है। राजस्थान मे सबसे कम ऊँट धौलपुर जिले में है।

6 कुक्कुट (Poultry) - राजस्थान में मुर्गीपालन का महत्व निरन्तर बढता जा रहा है। कृषकों को खाली समय में रोजगार प्राप्त करने का यह एक प्रभावी माध्यम है। इस व्यवसाय ने शहरी क्षेत्र के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। मुर्गीपालन का मुख्य उद्देश्य अण्डा व मास उत्पादन है।

अजमेर जिला अपनी जलवायु की उपयुक्तता के कारण मुर्गीपालन में प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर बांसवाडा एव तृतीय स्थान पर उदयपुर जिला है। तत्पश्चात् क्रमश गगानगर, अलवर, डूगरपुर व जयपुर जिलों का

स्थान है। मुर्गीपालन की दृष्टि से बीकानेर जिला सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। संकर नस्ल की मुर्गियों में भी अजमेर जिले का प्रमुख स्थान है जबकि इस दृष्टि से बीकानेर जिला सबसे पीछे है।

राजस्थान की खनिज-सम्पदा
MINERAL WEALTH IN RAJASTHAN

खनिज पदार्थ आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। ये *अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए* अनिवार्य होते है। कृषि, परिवहन, संचार, उद्योग आदि की प्रत में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। शक्ति के साधन, आधुनिक युद्ध एवं अन्तरिक्ष विज्ञान का विकास खनिज संसाधनों के बिना सम्भव नहीं है इसलिए खनिज संसाधनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अर्ल बी शॉ के अनुसार, "खनिज प्राकृतिक रूप से उत्पन्न अजैविक तत्व है जिसकी निश्चित भौतिक विशेषताएं होती है और जिसे रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है।" खनिज पदार्थों को मुख्यत तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है (1) धात्विक खनिज धात्विक खनिजों के दो भाग है (अ) लौह धातु इसमें खनिज लोहा, टंगस्टन, मैगनीज, क्रोमाइट आदि खनिजों को सम्मिलित किया जाता है। (ब) अलौह धातु इसमें जस्ता, तांबा, बाक्साइट, टिन, सीसा, स्वर्ण व चांदी को सम्मिलित करते है। (2) अधात्विक खनिज इसमें अभ्रक, नमक, चूने का पत्थर आदि का समावेश किया जाता है। (3) शक्ति-उत्पादक खनिज इसमें खनिज तेल, थोरियम, यूरेनियम, जिरकोनियम, बेरीलियम आदि खनिजों को सम्मिलित किया जाता है।

राजस्थान के प्रमुख खनिज
Important Minerals of Rajasthan

"राज्य ज्ञात खनिज भण्डारों तथा उनकी सम्भाव्यताओं की दृष्टि से धनी नहीं है लेकिन बाद के सर्वेक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि राजस्थान निश्चित रूप से देश के मुख्य खनिज उत्पादकों में से एक है और खनिज संसाधनों की अधिकतम औद्योगिक सम्भाव्यताओं से परिपूर्ण व धनी है।" डा हेरोन के इन विचारों से स्पष्ट है कि राजस्थान खनिज पदार्थों की दृष्टि से एक सम्पन्न राज्य है। यहां अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते है, अत राजस्थान को खनिज पदार्थों के अजायबघर की संज्ञा दी जाती है। राज्य के खनिजों से न केवल राज्य सरकार की आय में वृद्धि होती है वरन् इनसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में अनेक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। कुछ खनिजों के उत्पादन में तो राज्य को पूर्ण एकाधिकार प्राप्त है। राजस्थान से जिन महत्वपूर्ण खनिजों से राज्य का नाम बहुलता के साथ जुड़ा है, उनमें अलौह धातु (सीसा, जस्ता एवं तांबा) तथा लौह धातु जैसे, टंगस्टन एवं उनके औद्योगिक खनिज सम्मिलित है।[1] लघु खनिज विशेषत सजावटी पत्थर जैसे, मार्बल, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन आदि के क्षेत्र में राजस्थान का विशेष स्थान है।[2] खनिजों की दृष्टि से *राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है।*

राजस्थान में विभिन्न खनिजों के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से प्रथम स्थान वाले जिले 1993-94

A धात्विक खनिज	
तांबा	झुंझुनू
लोहा	जयपुर
जस्ता एवं सीसा	भीलवाड़ा
B अधात्विक खनिज	
ऐस्बेस्टोस	उदयपुर
कैल्साइट	सिरोही
फैल्सपार	अजमेर
जिप्सम	गंगानगर
चूना पत्थर	चित्तौड़गढ़
अभ्रक	भीलवाड़ा
रॉक फास्फेट	उदयपुर

स्रोत - Statistical Abstract Raj 1994

राजस्थान के प्रमुख खनिजों का वर्णन निम्नवत है

लोहा (Iron)

ऐतिहासिक खोज व प्राचीन खण्डरों से यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीनकाल में भी राज्य में लोहे का विदोहन किया जाता था। वर्तमान में यहां लोहे का बहुत कम विदोहन किया जाता है यहां के लोहे की किस्म भी निम्न है। राज्य में लोहा सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

अ उपयोगिता अथवा महत्व (Utility or Importance) - खनिज लोहा कृषि, उद्योग, परिवहन एवं संचार का प्रमुख आधार है यह अनेक दृष्टि से उपयोगी है (i) औद्योगिक क्षेत्र इस्पात व मशीनों का निर्माण, (ii) कृषि क्षेत्र - ट्रैक्टर, हल बैलगाड़ी एवं अन्य मशीनें तथा कृषि उपकरण, (iii) परिवहन क्षेत्र रेल जहाज व हवाई जहाज आदि, (iv) संचार टेलिफोन व वायरलैस आदि, (v) अन्तरिक्ष विज्ञान रॉकेट व राडार आदि, (vi) विद्युत

1 2 *Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt. of Rajasthan*

टरबाइन व जेट, (vii) मामरिक दृष्टि से तोप, टैंक मशीनगन आदि, (viii) विशाल बांधो के निर्माण मे उपयोग, (ix) कम्प्यूटर व नवीन खोजों में उपयोग, (x) दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं का निर्माण।

(ब) लोहा-उत्पादन क्षेत्र (Production Areas) *(i) मोरीजा-चानोला क्षेत्र* यह क्षेत्र राजस्थान में खनिज लोहा उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । यह चौमू-सामोद रेल्वे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूरी पर है। यहा की खानो से प्राय हेमेटाइट किस्म के लोहे का विदोहन किया जाता है । यहा की खानों में प्राय उच्च किस्म का लोहा पाया जाता है । इस क्षेत्र के लोहे की शुद्धता 65 प्रतिशत तक है । इस क्षेत्र में लगभग 25 लाख टन खनिज लोहे के भण्डार होने का अनुमान है (ii) नीमला क्षेत्र - इस क्षेत्र में उच्च किस्म का लोहा पाया जाता है । यह क्षेत्र जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है । यहा के लोहे में 72 प्रतिशत शुद्धता होती है इस क्षेत्र में लगभग 10 5 लाख टन खनिज लोहे के भण्डारों का अनुमान है । (iii) डाबला क्षेत्र - यह क्षेत्र खेतडी के पूर्व में मावडा रेल्वे स्टेशन से लगभग 1015 किलोमीटर दूर है इस क्षेत्र हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है इस क्षेत्र मे लगभग 7 लाख टन खनिज लोहे के भण्डार होने का अनुमान है। (iv) नाथरा पोल क्षेत्र यह स्थान उदयपुर से लगभग 61 किलोमीटर दूर है । यहाँ हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है । इस लोहे में 52 प्रतिशत शुद्धता होती है। इस क्षेत्र में 1 10 करोड टन खनिज लोहे के भण्डार होने का अनुमान है जिसमें से लगभग 20 लाख टन के भण्डार उत्तम किस्म के है। (v) अन्य क्षेत्र राजस्थान के झालावाड बून्दी, बासवाडा, भीलवाडा आदि जिलों में भी लोहा पाया जाता है।

(स) उत्पादन (Production) *राजस्थान में घटिया किस्म का लोहा मिलता है । परिवहन के साधनों का अभाव है और राजस्थान में लोहा-इस्पात के कारखाने भी नहीं है। अत लोहे का उत्पादन बहुत कम होता है। 1984 में लोहे का कुल उत्पादन 12 8 हजार टन था जो 1988 में 35 हजार टन हो गया। उत्पादन का सर्वाधिक भाग जयपुर जिले से प्राप्त होता है। 1991 में कच्चे लोहे का उत्पादन 27 2 हजार टन था जो 1995-96 में बढ़कर 59 03 हजार टन हो गया ।*[1]

ताबा (Copper)

ताबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है । चौथी योजना में खेतडी नामक स्थान पर ताबा साफ करने का एक कारखाना स्थापित किया गया। राज्य में 13 11 करोड टन ताबे के भण्डार होने का अनुमान है। ताबे से सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

(अ) उपयोगिता अथवा महत्त्व (Utility or Importance) - *प्रस्तर युग के पश्चात मानव ने सर्वप्रथम* ताबे की धातु का ही प्रयोग किया । ताबे के अनेक उपयोग है जैसे (i) ताबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर कुछ नवीन धातुएँ बनाई जाती है, उदाहरण के लिये, ताबा+जस्ता =पीतल, ताबा+सोना रोल्ड गोल्ड ,ताबा+रांगा =कासा आदि। (ii) विद्युत तारों टेलीग्राम, टेलिफोन, रेडियो टेलीविजन बिजली के बल्बों, परिवहन इजनों, घडियों, सिक्कों (Coins), रासायनिक उद्योगों व बर्तन आदि में ताबे का उपयोग किया जाता है। 40 प्रतिशत ताबे का उपयोग विद्युत उपकरणों में, 45 प्रतिशत ताबे का उपयोग अन्य धातुओं का निर्माण करने में और शेष 15 प्रतिशत ताबे का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है।

(ब) ताबा उत्पादन क्षेत्र (Production Areas) - **खेतडी सिंघाना क्षेत्र** इस क्षेत्र में राज्य का सबसे अधिक ताबा मिलता है । इस क्षेत्र में आकवाली, कोलिहान, माधव कूदन *तथा सतकुई धनोला में ताबे की खाने है इन खानों में ताबे के भण्डारों व उसकी शुद्धता सम्बन्धी अनुमान निम्नवत है*

क्षेत्र	खनिज ताबे के भण्डार	शुद्धता
माधव कूदन	3 करोड टन	8% म 1%
सतकुई धनोला	9 टन	8% म 1%
आकवाली	10 लाख टन	1%
कोलिहान	8 करोड टन	2 5%

(ii) अलवर क्षेत्र इस क्षेत्र में विशेष रूप से भगोली व दरीबा क्षेत्रा से खनिज ताबे का विदोहन किया जाता है । दरीबा क्षेत्र में उत्तम किस्म का ताबा मिलता है जिसमे शुद्धता प्राय 2 5% होती है । यहा ताबे के 50 लाख टन भण्डारों का अनुमान है । भगोली क्षेत्र में ताबे के 20 लाख टन भण्डार है और इसमें शुद्धता का अश लगभग 1 से 8% तक है। (iii) भीलवाडा क्षेत्र भीलवाडा से लगभग 9 5 किलोमीटर दूरी पर पुरदरीबा क्षेत्र में 3 किलोमीटर लम्बी व 5 किलोमीटर चौडी पट्टी से ताबे का विदोहन किया जाता है । इस क्षेत्र में ताबे के लगभग 20 लाख टन भण्डार है । (iv) अन्य क्षेत्र राजस्थान में देलवाडा-देबागे (उदयपुर), सेनपुरी (अलवर), दौदामर (चुरू), झालावाड, सलूम्बर, डूगरपुर, भेम (उदयपुर) आदि स्थानों पर ताबे का विदोहन किया जाता है ।

(स) उत्पादन (Production) - राज्य में खनिज ताबे के

1 Statistical Abstract, Rajasthan, 1996
Statistical Abstract, Rajasthan, 1993
Statistical Abstract, Rajasthan, 1988

उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है निम्नांकित तालिका में खनिज ताबे के उत्पादन को दर्शाया गया है।

राजस्थान में खनिज ताबे का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	1502 00
1988	1790 30
1991	1730 80
1993-94	1686 90
1995 96	1577 80

स्रोत Statistical Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

राजस्थान के कच्चे ताबे का सर्वाधिक भाग झुझनू जिले से प्राप्त हो रहा है ।

मैंगनीज (Manganese)

मैगनीज सामरिक एव औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण खनिज है। फलत इसकी माग निरन्तर बढ रही है । राजस्थान में मैगनीज का अध्ययन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है ।

(अ) उपयोगिता अथवा महत्त्व (Utility or Importance) (i) मैगनीज का उपयोग मुख्यत खनिज लोहे स इस्पात क निर्माण में किया जाता है। एक टन इस्पात का निर्माण करने के लिये लगभग ▮ किलो मैगनीज की आवश्यकता पडती है मेगनीज से बनाये गये इस्पात का उपयोग मुख्यत मशीनो, रेल पटरियो व सडक कूटने के इजनो आदि के निर्माण में किया जाता है । (ii) इसका प्रयोग शुष्क बैटरी रग रोगन, कीटाणु-नाशक औषधियो चीनी मिटटी के बर्तन तथा मैगनीज साल्ट के निर्माण आदि में किया जाता है ।

(ब) मैगनीज उत्पादक क्षेत्र (Production Areas) राज्य के बासवाडा जिले में सर्वाधिक मैगनीज पाया जाता है। उदयपुर व जयपुर जिलो में भी कुछ मैगनीज निकाला जाता है। राजस्थान का मैगनीज प्राय घटिया किस्म का होता है।

(स) उत्पादन (Production) राजस्थान मे 1989 में 0 3 हजार टन मैगनीज का उत्पादन होता था जो 1991 में 0 17 हजार टन और 1992 94 मे 0 20 हजार टन हो गया।[1]

सीसा व जस्ता (Lead & Zink)

सीसा व जस्ता मिश्रित रूप म मिलता है। इनके उत्पादन मे राज्य को एकाधिकार प्राप्त है। इसका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

(अ) उपयोगिता अथवा महत्त्व (Utility or Importance) इन धातुओं का उपयोग मुख्यत सिमेंटों के ढकने व▮ सफेद वर्क बन्दूक की गोलियों तथा साइकिल के पत्थर जोडने के सोल्यूशन का टयूब आदि वस्तुओं के निर्माण मे किया जाता है।

(ब) उत्पादन क्षेत्र (Production Areas)
(i) राजपुरा-देवारी इस क्षेत्र से प्राप्त खनिज में 5 5% जस्ता व 2 2% सीसा पाया जाता है। यहा के खनिज में सीसे व जस्ते के अलावा ताबा, चाँदी व एण्टीमनी आदि वस्तुएँ भी पाई जाती है। इस क्षेत्र में खनिज के 1 26 करोड टन भण्डार होने का अनुमान है। (ii) जावर क्षेत्र यह क्षेत्र जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यहा लगभग 20 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में सीसा व जस्ता पाया जाता है। यहा के खनिज में 5 प्रतिशत सीसा व 7 प्रतिशत जस्ता होता है। (iii) सवाई माधोपुर क्षेत्र यहा चौथ का बरवाडा नामक क्षेत्र में सीसा व जस्ता पाया जाता है। यह क्षेत्र 100 मीटर लम्बा व 8 मीटर गहरा है। भीलवाडा जिले के आगूचा क्षेत्र में बडी मात्रा में जस्ते व सीसे के भडार है। अजमेर जिले मे अजमेर शहर के पास ही इनके भडार मिले है। (iv) अन्य क्षेत्र राजस्थान में गुढा व किशोरदास (अलवर), लोहाखान सागर (अजमेर), बडालिडा (बासवाडा) तथा सिरोही जिले में सीसा व जस्ता पाया जाता है।

(स) उत्पादन (Production) राजस्थान में सीसे व जस्ते के पर्याप्त भण्डार है अत इनके उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विगत कुछ वर्षो के उत्पादन को निम्न तालिका में बताया गया है

राजस्थान में सीसा व जस्ता का उत्पादन उत्पादन (हजार टनों में)		
वर्ष	सीसा	जस्ता
1985	25 8	66 6
1988	29 8	117 2
1991	29 0	111 8
1992 93	32 0	98 2
1993 94	42 9	289 4
1995 96	45 6	276 8

Statistical Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

सीसे व जस्ते का सबसे बडा उत्पादन क्षेत्र उदयपुर जिला है।

अभ्रक (Mica)

राजस्थान का अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है। भारतीय ग्रन्थों में इस खनिज का उल्लेख 'अभ्र' नाम से मिलता है। प्राचीनकाल में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता था। वर्तमान में भी अभ्रक भस्म नामक चूर्ण आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक प्राय सफेद गुलाबी, काले व हरे रगों में उपलब्ध होता है। यह पारदर्शी, लचीला, चिकना, ताप- अवरोधन एव विद्युत कुचालक पदार्थ है। जल आग्नि व तेजाब का

1 Statistical Abstract Rajasthan 1996

इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है और यह 500° से ऊपर ताप को भी आसानी से वहन कर सकता है। राजस्थान में अभ्रक सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन इन बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(अ) उपयोगिता या महत्त्व (*Utility or Importance*) अभ्रक का प्रयोग मुख्यत औषधि निर्माण, विद्युत संचालन, रेडियो विज्ञान, विद्युत भट्टियाँ, डायनेमो, तार व टेलीफोन, वायरलैस, वायुयान, कम्प्यूटरों, परिवहन, मकान की छतों, चश्मों, सजावट का सामान व रंग रोगन आदि में किया जाता है।

(ब) उत्पादक क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान के भीलवाडा, उदयपुर, अजमेर जयपुर, टोंक, सीकर, ब्यावर आदि जिलो मे अभ्रक पाया जाता है, राज्य में जयपुर से उदयपुर तक के 320 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में अभ्रक मिलता है।

(स) उत्पादन (Production) राज्य में अभ्रक का उत्पादन कम होता जा रहा है। 1984 में अभ्रक का उत्पादन 0 8 हजार टन रह गया। 1988 मे अभ्रक का उत्पादन 0 9 हजार टन हुआ था जिसमे भीलवाडा जिले का भाग 98 74% था। 1991 में अभ्रक का उत्पादन 0 55 हजार टन 1993 94 में 0 085 हजार टन व1995-96 में 67 84 हजार टन था।[1]

रॉक फॉस्फेट (Rock Phosphate)

यह एक महत्त्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। राज्य में रॉकफॉस्फेट सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है

(अ) उत्पादक क्षेत्र (Production Areas) राजस्थान में यह खनिज मुख्यत बांसवाड़ा, जैसलमेर व उदयपुर जिलो मे पाया जाता है। उदयपुर जिले मे माटोन, कानपुर, डाकनकिक्ष, सीसारमा नीमच, माटा बारगाव तथा झामर-कोटरा आदि स्थानों पर अभ्रक के भण्डार है। जैसलमेर जिले के विरमानिया व लाठी नामक स्थानो पर भी रॉक फॉस्फेट के भण्डार है। सीकर जिले में कपुरा नामक स्थान पर रॉकफॉस्फेट के भण्डार है।

(ब) उत्पादन (Production) निम्नांकित तालिका मे राजस्थान के रॉकफॉस्फेट उत्पादन को बताया गया है

राजस्थान में रॉकफॉस्फेट का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	716 90
1986	451 5
1988	459 4
1991	265 0
1993 94	977 98
1995-96	900 87

Source Statistical Abstract, Raj 1989 1993 1994 & 1996

एस्बेस्टोज (Asbestos)

यह खनिज औद्योगिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। यह एक रेशेदार धातु होती है जिसका निर्माण कैल्शियम मैग्नीशियम से होता है। राजस्थानमें एम्फीबॉल किस्म का एस्बेस्टोज पाया जाता है जो घटिया श्रेणी का होता है। यह अघुलनशील व ताप अवरोधक होताहै। इसका प्रयोग मुख्यत सीमेन्ट की चादरें, सीमेन्ट पाइप, फिल्टर्स, बॉयलर्स, टाईले व अन्य ताप-निरोधक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। एस्बेस्टोज सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्न है

(अ) उत्पादक क्षेत्र (Production Areas) (i) उदयपुर जिले के ऋषभदेव, खेरवाडा, नाथद्वारा, आसीन्द, कानखल, सलूम्बर, डेवलिया व गुडान आदि स्थानो पर ऐस्बेस्टोज की खाने है। (ii) डूगरपुर जिले के पीपरदा, देवल मलवा खेमारू, जकोल, डूगरमारथ आदि स्थानों पर भी यह खनिज पाया जाता है। (iii) अजमेर, जोधपुर व पाली जिलों में भी यह खनिज कुछ मात्रा में पाया जाता है।

(ब) उत्पादन (Production) स्वतत्रता के पश्चात राजस्थान में एस्बेस्टोज के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भारत में सबसे अधिक एस्बेस्टोज राजस्थान मे ही पाया जाता है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% भाग राजस्थान में होता है। 1985 में एस्बस्टोज का कुल उत्पादन 28 0 हजार टन था जो बढकर 1988 में 30 1 हजार टन हो गया। 1988 मे कुल उत्पादन का 79% उदयपुर जिला 9 69% अजमेर जिला व 7 92%पाली उत्पादित कर रहा था। 1991 में उत्पादन बढ़कर 26 5 हजार टन व 1993-94 मे 34 2 हजार टन तथा 1995-96 मे 20 69 हजार हो गया।[2]

जिप्सम (Gypsum)

इसे सनखडी हरसोट व खडिया भी कहा जाता है। यह एक औद्योगिक महत्व का खनिज है। भारत के कुल जिप्सम भडारों का लगभग 94% भाग राजस्थान में उपलब्ध है। इससे चीनी मिट्टी क बर्तन, उर्वरक चॉक स्टिक, रग रोगन आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राजस्थान मे जिप्सम सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है

(अ) उत्पादन के क्षेत्र (Production Areas)

(i) नागौर क्षेत्र भारत मे सबसे अधिक जिप्सम इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ जिप्सम के लगभग 95 3 करोड टन के भडार उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र मे नागौर मगदाना, मायलोड, गोटवासी, खैरट व मालपू आदि स्थानो पर जिप्सम की खाने हैं। (ii) बीकानेर क्षेत्र इस क्षेत्र का जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में द्वितीय स्थान है। यहा मुख्यत जामसर, लूनकरणसर रायसर आदि क्षेत्रों म जिप्सम की

1,2 Statistical Abstract, Rajasthan, 1986,1996

खाने है। इस क्षेत्र मे लगभग 10 करोड टन जिप्सम का भण्डार होने का अनुमान है। (iii) **अन्य क्षेत्र** राज्य के पाली, जोधपुर, जैसलमेर व बाडमेर आदि जिलो में भी जिप्सम की खाने है।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में जिप्सम के उत्पादन म निरन्तर वृद्धि हो रही है कुछ वर्षो के उत्पादन को निम्नलिखित तालिका मे दर्शाया गया है

राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	1132 2
1988	1313 0
1991	1618 9
1993 94	1626 78
1995 96	2042 03

स्रोत Statistical Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

1988 मे राजस्थान के जिप्सम का उत्पादन 69 79% गगानगर जिला 11 34% नागौर जिला व 11 29% बाडमेर जिला उत्पादित कर रहा था।

घीया पत्थर (Soap Stone)

इस खनिज के उत्पादन म राजस्थान को लगभग एकाधिकार प्राप्त है। यहा भारत के कुल उत्पादन का लगभग 9% घीया पत्थर निकाला जाता है। इससे पेन्सिलें, टेल्कम पाउडर खिलौने विद्युत उपकरण कागज टाइलो आदि वस्तुआ का निर्माण किया जाता है। कीटनाशक औषधिया व रबड मे निर्मित वस्तुओं म भी इसका उपयोग होता है।

राज्य मे घीया पत्थर के उत्पादन से सम्बन्धित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production Areas) राजस्थान के उदयपुर भीलवाडा डूगरपुर जयपुर सवाईमाधोपुर आदि जिला में घीया पत्थर की खानें है। उत्तम किस्म का घीया पत्थर भीलवाडा जिले के चेवरिया दिगाढाथारबा चादपुरा तथा उदयपुर जिले के मृगावत दवली देवपुरी आदि स्थानो में मिलता है। भीलवाडा उदयपुर अलवर डूगरपुर आदि जिलो म घीया पत्थर की पीसन की अनेक इकाइया कार्यरत है लेकिन राज्य में इसका महीन चूर्ण बनाने का कोई भी संयत्र नही है राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 40% उदयपुर जिले से प्राप्त होता है। घीया पत्थर को टैल्क साप स्टोन तथा स्टिएटाइट भी कहा जाता है।

(ब) उत्पादन (Production) राज्य म घीया पत्थर के उत्पादन म निरन्तर वृद्धि हो रही है कुछ वर्षो के घीया पत्थर के उत्पादन को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है -

राजस्थान में घीया पत्थर का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	366 30
1988	335 20
1991	395 60
1993 94	385 26
1995 96	794 72

स्रोत Statistical Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

चूने का पत्थर (Lime Stone)

राजस्थान में चूने का पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यहा सीमेन्ट बनाने योग्य और रासायनिक पदार्थ व अन्य वस्तुओं का निर्माण करने योग्य पत्थर के भण्डार क्रमश 300 करोड टन व 5 करोड टन है। राजस्थान में चूने के पत्थर सम्बन्धी विवरण निम्नवत है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) राजस्थान के कोटा जयपुर बून्दी, सीकर, सवाईमाधोपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, बासवाडा, चित्तौडगढ उदयपुर आदि जिलों में चूने का पत्थर पाया जाता है। इस पत्थर का उपयोग मुख्यत राज्य के सीमेन्ट कारखानों द्वारा किया जाता है। यह पत्थर भवन निर्माण उद्योग का प्रमुख आधार है।

(ब) उत्पादन (Production) - राजस्थान में चूने के पत्थर का पर्याप्त उत्पादन होता है। विगत् कुछ वर्षो के उत्पादन का निम्न तालिका मे दर्शाया गया है

राजस्थान में चूने के पत्थर का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार टन म)
1985	4259 70
1988	6527 30
1991	7879 50
1993 94	7906 40
1995 96	11898 94

स्रोत -Statistical Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

1988 मे चूना पत्थर के कुल उत्पादन का 43 20% चित्तौडगढ जिला 13 50% अजमेर जिला 10 73% सिरोही जिला, 9 13% उदयपुर जिला, 8 87% कोटा जिला व 4 67% बून्दी जिला उत्पादित कर रहा था।

सगमरमर (Marble)

यह बहुमूल्य पत्थर है जिसका उपयोग मुख्यत भवनो व मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। सगमरमर के उत्पादन में राज्य को लगभग एकाधिकार प्राप्त है। यहा का सगमरमर सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सगमरमर के उत्पादन

सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नानुसार है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) (i) नागौर क्षेत्र इस क्षेत्र में मकराना नामक स्थान संगमरमर के लिये प्रसिद्ध है। यहा उत्तम किस्म का गुलाबी सफेद व काले रंगों का संगमरमर पाया जाता है। यहा लगभग 20 किलोमीटर लम्बी पट्टी में संगमरमर के भण्डार है। मकराना व किशनगढ में संगमरमर की बारीक पटिटया तैयार करने के अनेक कारखाने है। (ii) अन्य क्षेत्र राज्य के पाली सीकर जयपुर अजमेर उदयपुर अलवर आदि जिलों में भी संगमरमर पाया जाता है लेकिन यह निम्न श्रेणी का होता है।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में देश का सबसे अधिक संगमरमर उत्पन्न होता है। विगत् कुछ वर्षो के उत्पादन को निम्न तालिका में बताया गया है

राजस्थान में संगमरमर (ब्लॉक)का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन(हजार टन में)
1988	704 7
1991	1740 1
1993 94	1875 6
1995-96	2840 1

स्रोत Statistical Abstract Raj 1988 1993,1994 & 1996

टंगस्टन (Tungston)

यह सामरिक महत्व का एक खनिज है जो मुख्यत राजस्थान में पाया जाता है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 75% भाग राजस्थान से मिलता है। इसका उपयोग बिजली के बल्बों व सुरक्षा सामग्री के निर्माण में किया जाता है। इससे कडी से कडी वस्तु को काटा जा सकता है। राज्य मे टंगस्टन के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत-

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Producbon areas) राज्य मे नागौर जिले के डेगाना नामक स्थान पर टंगस्टन की खाने है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस क्षेत्र का सर्वे किया गया है। यहा टंगस्टन के पर्याप्त भण्डारों का अनुमान है । टंगस्टन विकास निगम इन खानों के विकास हेतु अनेक कार्य कर रहा है जयपुर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। यहा टंगस्टन का विदोहन रक्षा मत्रालय के नियत्रण में किया जाता है ।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में 1974 में टंगस्टन का उत्पादन 17000 किलोग्राम [redacted] जो बढकर 1988 में 24018 किलोग्राम हो गया। 1993-94 में 5 45 हजार टन टंगस्टन का उत्पादन हुआ। 1988 का समस्त उत्पादन नागौर जिले से प्राप्त हो रहा था। 1991 92 में सिरोही जिले में 1 7 हजार टन व 1995-96 में नागौर जिले से 6 45 हजार टन टंगस्टन का उत्पादन हुआ।

फ्लोराइट (Flcunte)

यह औद्योगिक महत्व का एक खनिज है जिसका उपयोग मुख्यत लोहा व इस्पात तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। भारत में फ्लोराइट का सबस अधिक उत्पादन राजस्थान में हा हाता है। यहा फ्लोराइट के पर्याप्त भण्डार का अनुमान है। राज्य में फ्लोराइट उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नानुसार है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) यह खनिज राज्य के डूगरपुर जिले में माण्डव की पाल नामक पर्वत-श्रृखलाओं में पाया जाता है इस क्षेत्र की खानो से फ्लोराइट का उत्पादन 1959 से हो रहा है यहा लगभग 150 लाख टन फ्लोराइट के भण्डार है ये खानें 24 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है राज्य के अनेक क्षेत्रों में भी फ्लोराइट की खोज का कार्य जारी है ।

(ब) उत्पादन (Production) राज्य में फ्लोराइट का पर्याप्त उत्पादन होता है लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण फ्लोराइट के उत्पादन में कमी होती गई। अत 1975 में फ्लोराइट की खानों का आधुनिकरण किया गया। राज्य के फ्लोराइट उत्पादन को अग्र तालिका में बताया गया है

राजस्थान में फ्लोराइट का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	3 8
1988	6 8
1991	3 7
1993 94	2 4
1995 96	1 69

स्रोत Statistical Abstract, Raj. 1988, 1993 1994 & 1996

वर्ष 1995-96 में उत्पादन का लगभग 14% भाग डूगरपुर जिले व 49 1% भाग जालोर जिले से प्राप्त हो रहा था।[1]

बेरिलियम (Banlumme)

यह एक अणु खनिज है जिसका निर्माण बेरील धातु से किया जाता है बेरी धातु षटकोणीय आकृति में पाई जाती है और अनेक रंगों की होती है । बेरील मुख्यत राजस्थान व बिहार में ही पाई जाती है। राजस्थान में 11% तक शुद्धता बेरील पाई जाती है। राज्य में बेरिलियम के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्न है

1 Statistical Abstract, Raj. 1996

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) (i) उदयपुर इस जिले के सिलेका गुढा , शिकारवाडी, रानआमेट आदि स्थानों पर बेरील की खाने है। (ii) भीलवाडा इस क्षेत्र में देवडा, तिलोली गुढा, मेजा, एकलिंगपुरा व शिवराती आदि स्थानों में बेरील की खाने है (iii) अन्य डूगरपुर जिले में पदेरी, सीकर जिले के बूकरा, चुरला, सावलपुरा व टोरडा तथा टोंक जिले के घोली, सकरवाडा व माधोराजपुरा में भी बेरील की खाने है।

(ब) उत्पादन (Production) राज्य के सपूर्ण बेरील उत्पाद को अणु शक्ति आयोग को बेच दिया जाता है। राज्य में लगभग 5-7 टन बेरील का वार्षिक उत्पादन होता है।

बेराइटज (Barytes)

यह औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण खनिज है। इससे नाइट्रोजन, रासायनिक पदार्थ, पेंट बेरियम कारबोनेट, क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है । राजस्थान मे बेराइट्ज के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों में बेराइट्ज की खाने है उदयपुर जिले के जगतपुर नामक स्थान के पास बेराइट्ज के भण्डार मिले है जो अब तक खोजे गये भण्डारों में सबसे बडे है।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में बेराइट्ज के उत्पादन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्थान में बेराइट्ज का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	11 00
1988	8 20
1991	6 10
1993-94	2 48
1995-96	3 25

स्रोत Statistical Abstract, Raj 1988 1993 1994 & 1996

1996 में कुल उत्पादन का लगभग 80% उदयपुर जिले एव 20 25% अलवर जिले में उतपादित किया जा रहा था।

कैल्साइट (Calcite)

यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग मुख्यत कैल्साइट काच, कैल्शियम कारबाइड, सिरेमिक का सामान, ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाई ऑक्साइड, विस्फोट पदार्थ आदि वस्तुओं के निर्माण मे किया जाता है। राज्य मे कैल्साइट के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत है -

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) (i) सीकर जिला इस जिले के माडवा, रायपुर, बालूपुरा झामर आदि स्थानों पर कैल्साइट की खाने है, (ii) सिरोही जिला यहा के सिआबा, राजपुरा, पिपटसाल, पिडवासी व जनकिया आदि स्थानों पर केल्साइट पाया जाता है। (iii) पाली जिला इस जिले के बेरी, जनवेडा, दौरेरा व सिरामावरी में कैल्साइट की खाने है । (iv) झुझुनू जिला इस जिले के पापराना व माधोगढ नामक स्थानों पर कैल्साइट पाया जाता है। (v) जयपुर जिला इस जिले में बरना की चौकी, शखून व तासकोला नामक स्थानों पर कैल्साइट की खाने है।

(ब) उत्पादन (Production) - देश के कैल्साइट उतपादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है । राज्य का सबसे अधिक उत्पादन (लगभग 70%) सीकर जिले में होता है । कैल्साइट के उत्पादन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्थान में कैल्साइट का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	16 5
1988	25 6
1991	89 01
1993-94	75 73
1995 96	75 89

स्रोत Statistical Abstract, Raj. 1988 1993 1994 & 1996

एमरॉल्ड अथवा पन्ना (Emerald)

यह एक बहुमूल्य जवाहरात है जिसके उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है । यह एक हरे रग का रत्न है । अत इसे हरी अग्नि की सज्ञा दी जाती है। इसका उपयोग गहनों के निर्माण में किया जाता है । राज्य में पन्ना उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) यह खनिज राज्य के उदयपुर व अजमेर जिलों में पाया जाता है । उदयपुर जिले में पन्ना के सर्वाधिक भण्डार है । इस जिले में पन्ना के तीन क्षेत्र है कालगुमान क्षेत्र यह यखाने कालगुमान नामक स्थान से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है । टिखी क्षेत्र ये खाने देवगढ स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर टिखी नामक स्थान के पास स्थित है । गोगुन्दा क्षेत्र - यह क्षेत्र नाथद्वारा स्टेशन से लगभग 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ।

(ब) उत्पादन (Production) - वर्तमान में पन्ना का उत्पादन प्राय बन्द है 1973 व 1980 में पन्ना का उत्पादन क्रमश 0 7 व 2 9 हजार टन था। 1995-96 में 3 81 कि ग्रा पन्ना का उत्पादन हुआ।

फेल्सपार (Felspar)

यह एक औद्योगिक महत्व का खनिज पदार्थ है जिसका उपयोग मुख्यत काँच, मीनाकारी व चीनी मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है । राजस्थान देश के कुल फेल्सपार उत्पादन का लगभग 60% भाग उत्पन्न करता है । इसका उपयोग मुख्यत पड़ौसी राज्यों द्वारा किया जाता है । राजस्थान में फेल्सपार के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्न है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) : (i) अजमेर जिला इस जिले में राज्य के लगभग 95 प्रतिशत फेल्सपार का उत्पादन होता है। अजमेर व ब्यावर में इसे पीसने के अनेक संयत्र है। (ii) जयपुर जिला इस जिले में दादिया, डूगरपुर, गुजरवाडा व बन्देरबेनरी में फेल्सपार की खाने है । (iii) पाली जिला इस जिले के बाडा, डिगौर, चावण्डिया, प्रतापगढ आदि स्थानों पर फेल्सपार की छोटी खाने है। (iv) अन्य राज्य के सीकर, टोंक पासवाडा, उदयपुर आदि जिलों में भी फेल्सपार की खानें है।

(ब) उत्पादन (Production) - राज्य में फेल्सपार का पर्याप्त उत्पादन होता है । विगत कुछ वर्षों के फेल्सपार उत्पादन को निम्न तालिका में बताया गया है ।

राजस्थान में फेल्सपार का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार टनों)
1985	42.70
1988	33 90
1991	72 50
1993-94	86 55
1995-96	71 06

स्रोत Statistical Abstract, Raj 1989 1993 & 1996

1988 में फेल्सपार के कुल उत्पादन में अजमेर जिले का भाग 64 83% व भीलवाडा जिले का भाग 17 33% था।

काच बालुका अथवा सिलिका रेत (Silica Sand)

यह काच-उद्योग का कच्चा माल है । यहा पर्याप्त मात्रा में काच बालुका प्राप्त होती है । काच बालुका के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में द्वितीय स्थान है। राज्य में काच बालुका के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) : (i) बून्दी जिला इसी जिले के बागेदिया नामक स्थान पर काच बालुका प्राप्त होती है। (ii) जयपुर जिला यहा के सागोट, कुण्डला, चितैडी, झर, बासखों, बर्याल, मनोता तथा भूलाथोपुर आदि स्थानों पर काच बालुका प्राप्त होती है। (iii) सवाईमाधोपुर जिला इस जिले के नारायणपुर, ऐलानपुर, सायोलय, टट्टवाय, नरोली आदि स्थानों पर काच बालुका मिलती है। (iv) भरतपुर ,बीकानेर व कोटा जिलों में भी काच बालुका मिलती है।

(ब) उत्पादन (Production) - राज्य के कोटा, बून्दी व जयपुर जिलों में काच बालुका के विशाल भण्डार है। कोटा जिले में श्रेष्ठ किस्म की काच बालुका प्राप्त होती है। राज्य के धौलपुर के काच कारखाने में इसका उपयोग किया जाता है तथा शेष बालुका अन्य राज्यों को भेज दी जाती है। 1985 व 1988 में काच बालुका का उत्पादन क्रमश 215 7 व 172 0 हजार टन था। 1993-94 मे सिलिकासैण्ड का उत्पादन 215.23 हजार टन तथा 1995-96 में 234 75 हजार टन था। अधिकाश उत्पादन अलवर, बून्दी, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, टोंक तथा बाडमेर जिलों में प्राप्त होता है।

चीनी मिट्टी (China Clay)

यह अन्य सभी मिट्टियों से मूल्यवान होती है । यह प्राय सफेद व पीले रग की होती है । इसका उपयोग सिरेमिक सिलिकेट उद्योग द्वारा किया जाता है । इसका उपयोग करने के पूर्व इसकी धुलाई की जाती है । राज्य के नीम का थाना नामक स्थान पर चीनी मिट्टी की धुलाई का एक कारखाना है इसके उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) : सवाई माधोपुर जिला इस जिले के रायसीना व बसुव नामक स्थानों पर चीनी मिट्टी पाई जाती है सीकर जिला यहा के पुरुषोत्तमपुरा, मावडा, टोरडा, बुवरा आदि स्थानों पर चीनी मिट्टी पाई जाती है । अन्य जालौर, अलवर तथा उदयपुर जिलों में भी चीनी मिट्टी के पर्याप्त भण्डार है ।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में चीनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 1990 1993-94 व 1995-96 में इसका उत्पादन क्रमश 248 9, 334 1 व 433 [illegible] हजार टन था।

अन्य खनिज (Other Minerals)

(i) डोलोमाइट (Dolomite) : इस खनिज का उपयोग मुख्यत मकान निर्माण, कृषि कार्यों कागज निर्माण की सल्फाइट विधि में तथा अम्लीय द्रव बनाने में किया जाता है।

1 Statistical Abstract, Raj 1996

यह राज्य के सीकर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर तथा अलवर जिलों में पाया जाता है। जयपुर जिले में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 1985 व 1988 में इसका उत्पादन क्रमश 8 5 व 2 3 हजार टन था। 1988 में उत्पादन का 46 07% जैसलमेर जिले व 44 6% सीकर जिले से प्राप्त हो रहा था।[1] 1993-94 में इसका उत्पादन 7 3 हजार टन तथा 1995-96 में 17000 टन था।[2]

(ii) तामड़ा (Tamra) - इस खनिज के उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। यहा का तामडा (राजमहल व सरवाड) विश्व में प्रसिद्ध है। राज्य के अजमेर, टोंक, भीलवाडा व सीकर जिलों में तामडा की खाने है। अजमेर जिले के सरवाड व टोंक जिले के राजमहल नामक स्थानों पर श्रेष्ठ किस्म का तामडा पाया जाता है। 1982 में तामडा का उत्पादन 780 टन तथा 1995-96 में 1700 टन था।[3]

(iii) बेन्टोनाइट (Bentonite) यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने तथा वनस्पति तेलों व खनिज तेल को साफ करने में किया जाता है। यह राज्य के बाडमेर, बीकानेर तथा सवाईमाधोपुर जिलों में पाया जाता है। बाडमेर जिले म बेन्टोनाइट के सर्वाधिक भण्डार है। 1986, 1988 1993-94 व 1995-96 में इसका उत्पादन क्रमश 36 8, 76 8, 31 8 व 54 5 हजार टन था।

(iv) मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में मुलतानी मिट्टी के विशाल भण्डार है। यह मुख्यत बीकानेर व बाडमेर जिले में पाई जाती है। इसका उपयोग मुख्यत वनस्पति व खनिज तेलो को साफ करने तथा कागज, साबुन व प्रसाधन सामग्री बनाने में किया जाता है। 1991 में 12 7 तथा 1995 96 में 14 88 हजार टन उत्पादन हुआ।

(v) स्लेट पत्थर (Slate Stone) इस पत्थर का उपयोग मुख्यत स्लेट बनाने में किया जाता है। यह राजस्थान के अलवर में बहरोड रासलाना, मीगलाना खुण्डरोड, भाढणा तथा भोयासर आदि स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान स्लेट पत्थर विदेशों को निर्यात भी करता है। यह मुख्यत हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा जर्मनी को भेजा जाता है। अत यह खनिज विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

राजस्थान में खनिज विकास की वर्तमान स्थिति एव भावी सम्भावनाएं

(PRESENT SITUATION AND FUTRUE PROSPECTS OF MINERAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN)

देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोडने की सरकारी नीति के अन्तर्गत भारत सरकार ने देश की खनिज सम्पदा को खोज निकालने का कार्य गैर सरकारी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी सौपने का निर्णय नई राष्ट्रीय खनिज नीति में लिया है। सरकार ने यह अनुभव किया है कि देश में कई खनिजों का पर्याप्त दोहन नही हो पा रहा है और इसके लिए विदेशी तकनीक का अपनाया जाना आवश्यक है। सोना, हीरा, ताबा, जस्ता, निकल, टगस्टन और रासायनिक खाद बनाने के काम आने वाले रॉक फास्फेट, पोटाश तथा सल्फर उन 13 खनिजों म से है जो गेर सरकारी उद्यमियों के लिए खोल दिये गये है। इस नीति में सामरिक महत्व के खनिजों के विकास पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव भी है। राजस्थान विभिन्न खनिज स्रोतों से भरपूर प्रदेश है और इन खनिज भण्डारों के लिए इसे देश में महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त है। यही कारण है कि राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता है। राजस्थान में 42 प्रकार के प्रधान खनिजों का एव 23 प्रकार के अप्रधान खनिजों का उत्पादन होता है।[3] 1950 में केवल 15 प्रकार के प्रधान एव 6 प्रकार के लघु खनिजों का ही विदोहन किया जाता था।[4] देश के कुल लघु खनिज के उत्पादन मूल्य में राजस्थान का लगभग 30 प्रतिशत योगदान है। राजस्थान की अरावली पर्वत-श्रृखला में शताब्दियों पुराने खनिज खनन के अवशेष विद्यमान है जो इस तथ्य को प्रमाणित करते है कि इस प्रदेश में खनिजों के खनन का अति प्राचीन इतिहास है। विद्यमान खनिज सम्पदा में कुछ खनिजों के उत्पादन में तो राजस्थान का एकाधिकार है जैसे, गारनेट जेस्टार व वोलस्टोनाइट। इससे अतिरिक्त भी अन्य अनेक खनिजों में राजस्थान का प्रथम या द्वितीय स्थान है। इतनी विशाल खनिज सम्पदा होने के बावजूद भी इसका समुचित दोहन व उत्खनन नही हो पाया है। यह भी एक विरोधाभास प्रतीत होता है कि बिहार और राजस्थान जैसे खनिज सम्पदा में समृद्ध राज्य निर्धन व पिछडे हुए है।

राजस्थान में 1950 में मुख्यत अभ्रक, घीया पत्थर, बेराइटस, कैलासाइट, एमरल्ड, सिलिका सैन्ड, फूलर्सअर्थ, बैन्टोनाइट जिप्सम आदि खनिजों का कार्य किया गया। इस शताब्दी के मध्य से ही बीकानेर जिले के कोयला क्षेत्र पलाना मे लिग्नाइट पर कार्य आरम्भ हो चुका था। डेगाना (नागौर जिला) के वोलफ्रेमाइट भण्डारों से टगस्टन अयस्क के दोहन का सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार जावर (उदयपुर) स्थित जस्ता शीशा निक्षेपों के दोहन हेतु मैटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा पुन कार्य आरम्भ किया गया। खेतड़ी के ताबा भण्डारों का सर्वेक्षण कार्य भी निजी फर्म द्वारा प्रारम्भ कराया गया। वास्तव में स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के खनिज क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन आया है और खनिजों की खोज की

1-3 Statistical Abstract Raj 1994 1993 1988 & 1996
4 Economic Times, 14 May 1993 5-8 Economic Review 1995-96 Govt of Raj

दिशा में किये जाने वाले विकास कार्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। राजस्थान की महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा लगभग 250 करोड वर्ष से भी अधिक पुरानी प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से लेकर सबरिसेन्ट या रिसेन्ट चट्टानों में उपलब्ध है। यह धात्विक व अधात्विक और रत्न श्रेणी के साथ ही इमारती और नक्काशी के पत्थरों तथा ग्रेनाइट व मार्बल आदि के विपुल खनिज भण्डार उपलब्ध है। धात्विक खनिजों जैसे तांबा जस्ता शीशा व टंगस्टन अयस्क तथा अधात्विक खनिजों जैसे, रॉक फास्फेट जिप्सम, सोप स्टोन, एसबेस्टॉस फ्लसपार, गार्नेट, वोलेस्टोनाइट आदि के उत्पादन में राजस्थान का देश में अग्रणी स्थान है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में चूना-पत्थर, बैराइट्स, फ्लोराइट, चाइना क्ले फायरक्ले, बेन्टोनाइट फलर्सअर्थ, सिलिका सेन्ड, माइका आदि खनिजों का विस्तृत पैमाने पर खनन होता है। नागौर जिले के मेडता रोड, बाडमेर जिले के कपूरडी, बीकानेर जिले के गुडा क्षेत्रों में लिग्नाइट की खोज के साथ राजस्थान देश में तमिलनाडु के बाद लिग्नाइट भण्डारों के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान की ओर अग्रसर हो रहा है। अप्रधान खनिजों में मकराना का मार्बल पूरे देश में प्रसिद्ध है। उसके अतिरिक्त जालौर के ग्रेनाइट भण्डार तथा जोधपुर बूंदी व धौलपुर के सैन्डस्टोन के भण्डार भी सर्वविदित है। बासवाडा जिले में लगभग 20 लाख टन मैगनीज अयस्क भण्डार होने का अनुमान है। बाडमेर जिले में लगभग 17 लाख टन सैलेनाइट के खनिज भण्डार का अनुमान लगाया गया है। डूगरपुर जिले की माण्डु की पाल क्षेत्र में 15 लाख टन फ्लोराइट खनिज के भण्डार होने का अनुमान है। जयपुर जिले के चौमू क्षेत्र में 55 लाख टन लोह अयस्क के भण्डार सिद्ध हो चुके है। अजमेर जिले के मरूपाल्फा क्षेत्र के पास मैगनेसाइट खनिज का पता लगाया गया है। सिरोही जिले के दमनगढ क्षेत्र में 35 लाख टन ताबा अयस्क के भण्डार सिद्ध हो चुके है। उदयपुर जिले में जाह - रेलपातलिया क्षेत्र में 10 लाख टन बैराइट्ज के भण्डार विद्यमान है। आगूचा (जिला भीलवाडा) में 13 4 प्रतिशत जस्ता व 1 9 प्रतिशत शीशायुक्त 610 लाख टन भण्डारों के निक्षेप सिद्ध किए गए है। सिरोही जिले के पिपला क्षेत्र मे 12 लाख टन ताबे के भण्डारों का पता चला है। जैसलमेर जिले के हाबूर-खुडयाला क्षेत्र में 50-54% कैलशियम ऑक्साइड युक्त 100 लाख टन उच्च श्रेणी का चूना-पत्थर मिला है। उदयपुर जिले के अगार, देल की कुई कुण आदि स्थानों पर ताबा मिला है। उदयपुर जिले के ही झामर कोटडा क्षेत्र में। 1968 में देश का सबसे बडा रॉक फॉस्फेट भण्डार खोजा गया जो इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। रॉक फास्फेट की 16 किलोमीटर लम्बी पट्टी में 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक फॉस्फेट तत्व के कुल 750 लाख टन भण्डार सिद्ध किए गए है। इस खनिज की खोज से कृषि उत्पादन के क्षेत्र को अत्यधिक लाभ पहुचेगा। चित्तौडगढ जिले की प्रतापगढ तहसील के केसपुरा गाव के समीप हीरा मिलने के सकेत है। इसी प्रकार झालावाड व सवाईमाधोपुर जिलों में भी हीरे की खोज जारी है। बासवाडा व सिरोही जिलों में सोना मिलने की सभावना है। राजस्थान में कई मूल्यवान व अर्द्धमूल्यवान तथा नक्काशी के काम के पत्थर उपलब्ध है। राजस्थान के पन्ने की किस्म कोलम्बिया के पन्ने से अच्छी है। अजमेर जिले में सरवाड (किशनगढ) का गारनेट देश में सबसे अच्छा माना जाता है। राजस्थान में यूरेनियम भी उपलब्ध है।

राजस्थान मे तांबा, जस्ता, टंगस्टन, रॉकफास्फेट, सोना व हीरा उपलब्ध है। ये वे खनिज है, जिन्हें नई राष्ट्रीय खनिज नीति के अन्तर्गत गैर सरकारी उद्यमियों के लिए खोल दिया गया है। टंगस्टन सामरिक महत्व का खनिज है और ऐसे खनिजों के विकास पर इस नीति में विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। नई नीति के अन्तर्गत खनिजों के सर्वेक्षण और खोज पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। विशेष रूप से ऐसे खनिजों का विकास किया जायेगा जो अभी देश में बहुत कम मात्रा में या केवल आवश्यक पूर्ति भर के लिए ही उपलब्ध होते है। ऐसी धातु और खनिजों की खोज पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा उच्च तकनीक में काम में आते है। इन खनिजो और धातुओं में राजस्थान में उपलब्ध टगस्टन यूरेनियम जस्ता, शीशा, पन्ना, हीरा माणक नीलम तॉबा आदि की गणना की जा सकती है। अभी तक इन खनिजों और धातु की उपलब्धता के पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण, दोहन शोधन आदि कार्य भली प्रकार नहीं किए गए है। अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाए ताकि सर्वेक्षण तथा खोज करने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके और खनिजों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित हो सके।

199.. की राष्ट्रीय खनिज नीति को मूर्त रूप देने के लिए खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम 1957 में आवश्यक सशोधन करने का प्रस्ताव है। इस नई नीति के अन्तर्गत यूरेनियम, कोयला और खनिज तेल को छोडकर सम्पूर्ण खनिज उद्योग को गैर सरकारी उद्यमियों के लिए खोल देने की योजना है। सशोधित नीति के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियो के

साथ खनिज उद्योग में विदेशियों की भागीदारी की सीमा बढाकर 50 प्रतिशत कर दी गई। इस नीति के अन्तर्गत उन खनिज और धातु शोधन इकाइयों को अपनी स्वय की खानें रखने की सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया ताकि कच्चा माल उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके। विदेशी भागीदारी में चलने वाली खनिज परियोजनाओं में विदेशी पूजी निवेश सामान्यत 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगा किन्तु यह सीमा खनिज शोधन उद्योगों की खानों पर लागू होगी। बढी हुई भागीदारी का निर्णय अलग-अलग मामलों मे अलग-अलग किया जायेगा। नई खनिज नीति में विदेशी पूजी निवेश को इतनी सुविधाए उपलब्ध कराए जाने से विदेशी उद्यमी राजस्थान की खनिज सम्पदा के दोहन व शोधन की ओर आकर्षित होगे। राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों की स्थापना से विकास की सम्भावनाए भी बढ गई है। विदेशी पूजी के आगमन से वर्तमान खान मालिको से प्रतिस्पर्द्धा की सम्भावना भी प्रतीत होती है जिससे कुशलता में वृद्धि होने की सम्भावना है। खनिज नीति सम्बन्धी दस्तावेज मे यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि खानों के पट्टे उस समय तक जारी नहीं किए जाने चाहिए जब तक पर्यावरण सरक्षण के पर्याप्त उपाय नही कर लिए जाए। इस नीति के लागू होने से अब सरकार एवम् खान मालिको पर विशेष उत्तरदायित्व आ गया है। भारत की इस नई नीति के पश्चात खनिज क्षेत्र में रूचि रखने वाले अनेक राष्ट्रो ने पूछताछ आरम्भ कर दी है जिसमें आस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका भी सम्मिलित है। अन्तर्राष्ट्रीय खनिज कम्पनियों और भारत मे विद्यमान कई गैर सरकारी कम्पनियो ने खनिज क्षेत्र में पूजी निवेश करने में रूचि दिखाई है। सक्षेप म खनिज विकास की इस नई उदार नीति के कारण राजस्थान में खनिज विकास का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है। यह आशा की जाती है कि राज्य में मूलभूत सरचना के विकास के साथ ही खनिज भण्डारों के समुचित दोहन म खनिज आधारित उद्योगो की स्थापना होगी एवम् औद्योगिक विकास के फलस्वरूप विभिन्न उद्योगों के माध्यम से बडी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे सरकार की आय में वृद्धि होगी और राज्य में समृद्धि एवम् सम्पन्नता का नया अध्याय आरम्भ होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 1993 में जारी पर्यावरणीय अधिसूचना म राजस्थान के खनिज विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

नई खनिज नीति के अन्तर्गत आगत विकास मे सम्बन्धित कार्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को सौपे गये है और तदनुसार खनन क्षेत्र में सडक विद्युत आदि बुनियादी सुविधाए निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। पट्टेधारी खनिज सम्पदा के आधारभूत विकास हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान निगम को करते है।

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम[1]

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम सयुक्त क्षेत्र अथवा स्वय के खनिज आधारित उद्योगो परियोजनाओ एव उपक्रमों को प्रोन्नत करने उनका विकास करने एव सचालित करने मे कार्यरत है। निगम खनिज कार्य के अतिरिक्त खानो के विकास एव खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु परामर्श का भी कार्य करता है निगम राज्य के 13 जिलों में विभिन्न स्थानों पर रॉक की खानो का व्यावसायिक रूप स सचालन तथा लाइम स्टोन रॉक फॉस्फेट जिप्सम फेल्सपार एव ग्रेनाइट के उत्पादन व विपणन का कार्य कर रहा है। निगम ने 1995 96 तक 92 15 लाख रुपये का विनियोजन सयुक्त/सहायक क्षेत्र की कम्पनियों में किया है। निगम द्वारा वर्ष 1994 95 मे राज्यकोष में 10 60 करोड रुपये का भुगतान रायल्टी एव भूमिकर के रूप मे किया गया है।

राजस्थान में खनन क्षेत्र के सुधार[2]

राज्य सरकार अगस्त 1994 म खनिज नीति की घोषणा कर चुकी है जिसमे आधुनिक खनन तकनीक को अपनाना खनिज-आधारित उद्योगों व प्रक्रियाकरण द्वारा मूल्य सवर्धन वैज्ञानिक पद्धति स खनन करना तथा खनिजों के निर्यात को बढाने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने मार्बल एव ग्रेनाइट के पट्टे -आवटन हेतु पृथक से नीतिया घोषित की है ताकि वैज्ञानिक एव व्यवस्थित उत्खनन व खनिज सरक्षण सम्भव हो सके। खनिजों के अध्ययन को सम करने एव वैज्ञानिक विधियो से खनन को बढावा देने हेतु प्लॉट का आकार एक हैक्टेयर से बढाकर 2 25 हैक्टेयर कर दिया गया है। बडे सीमेन्ट प्लाटों की स्थापना की दृष्टि स राज्य में सीमेन्ट ग्रेड लाईमस्टोन क्षेत्रो की पहचान की जा रही है। निकट भविष्य में 5000 करोड रुपए के निवेश स 13 बडे सीमेन्ट प्लाटों की स्थापना होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर जिले में खिंया खोरसर भाग में तीन सीमेन्ट सयत्र स्थापित किए जाएगे। नागौर जिले के गिरल क्षेत्र में मैसर्स राजस्थान मिनरल डवलपमेन्ट

1 2 Economic Review 1995-96 Govt of Rajasthan

कॉरपोरेशन द्वारा लिग्नाइट का उत्खान शुरू किया जा चुका है। यह सीमेन्ट सयत्रो एव अन्य उद्योगो को ईधन की आपूर्ति करेगा जिससे कोयले पर निर्भरता में कमी आएगी। बरसिंगसर, कपूरडी एव जालिया के लिग्नाइट भण्डारों पर आधारित 1980 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह की स्थापना की कार्यवाही जारी है।

राजस्थान सरकार की नई खनिज नीति (1994)

राजस्थान सरकार ने अगस्त, 1994 में खनिज नीति की घोषणा की। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य आधुनिकतम खनन तकनीक को अपनाना, खनिज आधारित उद्योगों की प्रक्रिया और मूल्य वृद्धि को लक्ष्य बनाना, वैज्ञानिक पद्धति को प्रोत्साहित करना तथा खनिजों के निर्यात को बढाने पर जोर दिया गया। इस नीति के अन्तर्गत नये खनिज भण्डारों की खोज करना, खनिज से आधारित उद्योगो की स्थापना को प्रोत्साहित करना और खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना ही इस खनिज नीति का लक्ष्य है। इस नीति के अर्न्तगत खनिज उत्पादन से सम्बन्धित विद्यमान खनन नियमों और उससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी किया जायेगा। उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार ने मार्बल एव ग्रेनाइट के पट्टे आवटन हेतु पृथक से नीतिया घोषित की है ताकि वैज्ञानिक एव व्यवस्थित उत्खनन व खनिज सरक्षण सभव हो सके। खनिजों के अपव्यय को कम करने एव वैज्ञानिक विधियों से खनन को बढावा देने हेतु प्लाटों का आकार एक हेक्टेयर से बढाकर 2 25 हेक्टेयर कर दिया गया है। बडे सीमेंट सयत्रों की स्थापना की दृष्टि से राज्य में सीमेंट के योग्य चूना -पत्थरों के क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। इस प्रकार राज्य की नई खनिज नीति मुख्यत निम्न बिन्दुओं से सबधित है।

1. खनिजों की खोज - खनन से सबधित विभिन्न सस्थाओं में समन्वय स्थापित करते हुये सर्वेक्षण की दो स्तरीय नीति बनाई गयी है- पहला उन खनिजों के लिये जिनका निर्यात किया जा सकता है और उनसे सम्बन्धित उद्योग अति शीघ्रता से स्थापित किये जा सकते है। दूसरी नीति उन खनिजों के लिये है जिनको खोजने और उनका विदोहन आरम्भ करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। दूसरे वर्ग मे आने वाले खनिजों हेतु सरकार विदेशी निवेशकों को अकर्षित करने का प्रयास करती है।

2. व्यवस्थित खनन - खनिज नीति के अन्तर्गत यंत्रीकरण और वैज्ञानिक ढग से खनिज कार्य करना सम्मिलित है यही कारण है कि सगमरमर ओर ग्रेनाइट के पट्टों की सीमा बढाई गई है। निर्यात आधुनिक [illegible] और खनन विधायन से सम्बन्धित उद्यमियो के [illegible] पट्टे स्वीकृत करने में प्राथमिकता देने का निश्च[illegible] है। कोटा स्टोन और स्लेट स्टोन के अन्तर्गत [illegible] नये पट्टे उन्ही उद्यमियों को प्रदान किये जाने जो आधुनिक यत्रो द्वारा सम्पूर्ण ब्लाक का विदोहन करने को तैयार है। कोटा स्टोन के बेकार बचे हुए भाग को य४दि कोई औद्योगिक इकाई कच्चे पदार्थ के रूप में क्रम में लेती है तो उन पर रायल्टी नहीं ली जायेगी। राज्य सरकार ने श्रमिक एव साव उद्योग की ऐसी इकाइयों हेतु जिनमे 5 करोड से 25 करोड के मध्य पूजी लगने का अनुमान होता है उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बिक्री कर आदि मे लाभ की अवधि 7 वर्ष से 9 वर्ष कर दी गई है। यदि ऐसे उद्योगो में 25 से 100 करोड के मध्य पूजी लगने की सम्भावना हो तो उन्हें बिक्रीकर आदि में प्राप्त लाभ 9 वर्ष की बजाय 11 वर्ष तक प्राप्त होगा। सरकार जब भी पट्टों का नवीनीकरण करेगी तब विशेष रूप से यह देखा जायेगा कि खान का विकास व्यवस्थित रूप से किया गया है या नहीं। सरकार ने अवधि ऋण प्राप्त करने के लिये पट्टाधारकों को खनन पट्टों को बधक रखने की भी अनुमति दी है। छोटे खनिज और ऐसे खनिज जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है उनके परस्पर सटे हुए छोटे-छोटे पट्टों को आपस में मिलाया जा सकेगा लेकिन ऐसे मिले हुए पट्टे 5 हेक्टेयर से अधिक बडे नहीं होंगे। सरकार ने खनिज आधारित उद्योगों को स्थापित करने और खनिजों की खोज और खनन करने के लिये ऐसे उद्यमियो को सिगल खिडकी सेवा और पथ प्रदर्शन सेवा प्रदान करेगी जिन्होंने उपरोक्त में [illegible] करोड से अधिक की राशि विनियोजित करने का निश्चिय किया है।

3. प्रोत्साहन एव सुविधाए - निर्यात उद्योगो की स्थापना करने पर प्राथमिकता के आधार पर खनिज पट्टा आवटित किया जायेगा। सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से खानों को सडकों से जोडा जायेगा। यदि खनिज पट्टाधारक अपने श्रमिकों के हित के लिये चिकित्सालय और विद्यालय आदि निर्मित करेंगे तो सरकार उस पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत वहन करेगी। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाए प्रदान करेगा जहा पर एक साथ पट्टे दिये गये हो। खनन कार्यों के कारण होने वाले वन विनाश की क्षतिपूर्ति कम से कम 100 हेक्टेयर भूमि खान विभाग को दी जायेगी जिस पर खनिज पट्टधारी प्रति हेक्टेयर कम से कम 400 पौधे लगायेंगे। राज्य सरकार प्रदर्शनियो, मेलो और सेमीनारों के माध्यम से खनिज पदार्थो के निर्यात एव आधुनिकतम यत्रीकरण को प्रोत्साहित करेगी।

4 सरलीकरण - खनन पट्टों की खोज उनकी स्वीकृति और नवीनीकरण प्रक्रिया का शीघ्र निपटाया जायगा। चरागाह भूमि म खनन पट्टे के लिये आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। खनिज सम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाओ के लिये समय सीमा भी निर्धारित की गई है ताकि सभी कार्य समय पर निपटाया जा सके। राजस्व और वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता आदि म ढील दी गई है।

5 खनिज नियमों मे सशोधन खनन पट्टे अब न्यूनतम 25 हेक्टेयर घटाकर न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के कर दिय गये है। खनिज पट्टों की अवधि में 10 स 20 वर्ष कर दी गई। खनिज पट्टों का जब नवीनीकरण किया जायेगा तो वह भी 20 वर्षों के लिये होगा। खदान लाईसेन्स की अवधि भी अब 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है। वार्षिक किराय को अधिक न्याययुक्त बनान के उद्देश्य स सशोधित किया गया है। सरकार अब खनिज पट्टों के आशिक परित्याग को स्वीकार करेगी। आरक्षित हेतु खनिज क्षेत्रों की नीति म भी सशोधन किया गया है। लम्बे समय से खाने बद होने पर निरतर करने की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी। अवैध खनन को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये है।

6 अन्य उद्यमियों और सरकार म समन्वय व परस्पर वार्तालाप के उद्देश्य खनिज परामर्शदात्री परिषद का गठन का निर्णय लिया गया है। इस परिषद में किये गय निर्णय की क्रियान्वयन का कार्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति देखेगी। खान आवटन म अब अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायगी। ऐसा अनुमान है कि इस नीति के कारण लगभग 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A सक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 राजस्थान में खनिज पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Wr te a short note on M nerals in Rajasthan

2 राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Present Posit on of Mineral Based Industries ion Rajasthan

3 राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Wr ■ a short note on the Rajasthan State M neral Development Corporation (RSMDC)

4 प्राकृतिक ससाधनों का महत्त्व बताइए।
Explain the importance of Natural Resources

5 प्राकृतिक साधनों की प्रकृति बताईए।
Expla n the Nature of Natural Resources

6 राजस्थान में प्रचुर प्राकृतिक साधन है। समझाईए।
Rajasthan is endowed w th abundant natural resources Expla n

7 राजस्थान राज्य के जल स्रोत पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Wr te a short note on Water Resources of Rajasthan

8 राजस्थान म 'मिट्टी-अवक्रमण' पर एक सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए।
Present a short account of so l-degradation in Rajasthan

9 पश्चिमी राजस्थान म वार्षिक वर्षा की मात्रा क्यों कम प्राप्त होती है।
Why does Western Rajasthan receive low amount of annual ra nfall?

10 राजस्थान की चार प्रमुख नदियों के नाम बताये।
Name four important rivers of Rajasthan

11 चम्बल नदी की दो मुख्य सहायक नदियों के नामों का उल्लेख कीजिए।
Ment on the names of two major tr butar es of Chambal river

12 समझाईए काली मिट्टी एव इसका महत्त्व।
Explain The Black Cotton So l and its importance

B निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक साधनों का विवरण दीजिए और बताईए कि वे राजस्थान के आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है।
Describe the important Natural Resources of Rajasthan and d scuss how t ey a e important in

Economic Development of Rajasthan

2 प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Natural Resources? Explain the importance of Natural Resouces in Rajasthan

3 राजस्थान के प्राकृतिक विभागों पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on Natural regions of Rajasthan

4 जल सम्पदा से आप क्या समझते हैं? राजस्थान में जल सम्पदा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। राजस्थान की जल सम्पदा की वर्तमान स्थिति क्या है?
What do you understand by water resources? Explain its importance in Rajasthan. Discuss the present position of Water Resources in Rajasthan

5 राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन से हैं? किन्हीं दो खनिजों के महत्व, उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
What are the principle minerals in Rajasthan? Describe the importance, production and area of production of any two minerals of Rajasthan

6 राजस्थान में खनिज उत्पादन की प्रमुख समस्याओं एवं उनके समाधान पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on the problem of Mineral Production and suggestions for their removal in Rajasthan

7 राजस्थान की वन सम्पदा का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए, साथ ही इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
Explain in detail the Forest Wealth of Rajasthan. Also discuss its importance

8 राजस्थान के वनों के प्रकार बताइए और इनके गुण अथवा लाभों का भी वर्णन कीजिए।
Explain the types of forest of Rajasthan and also discuss their merits or advantages

9 राजस्थान में औद्योगिक विस्तार के लिए आवश्यक आधारभूत खनिज उपलब्ध हैं। समझाईए।
Rajasthan is endowed with the basic minerals needed for industrial expansion. Discuss

10 राजस्थान में निम्नलिखित खनिज सम्पदा पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए
(i) टंगस्टन (ii) मैंगनीज (iii) जस्ता (iv) तांबा (v) फ्लस्पार
Write briefly about the following mineral wealth in Rajasthan -
(i) Tungsten (ii) Manganese (iii) Zinc (iv) Copper (v) Felspar

11 भारत का भौतिक स्वरूपों के आधार पर विभाजन कीजिए एवं दक्षिण पठार का भौगोलिक वर्णन कीजिए।
Divide India according to its physical features and give a geographical account of Deccan Plateau

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

1 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति तथा क्षेत्रफल, इसके प्राकृतिक विभाग, मिट्टियों तथा भूमि उपयोग पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on the Geographical position, area, Natural regions, soil and land utilization in Rajasthan

2 राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक साधनों का विवरण कीजिए और बताइए कि ये राजस्थान के आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण है।
Describe the important natural resources of Rajasthan and discuss how they are important in economic development of Rajasthan

3 राजस्थान में प्रचुर प्राकृतिक साधन हैं। समझाइए।
Rajasthan is endowed with abundant natural resources. Explain

4 प्राकृतिक संसाधन निधियों में राजस्थान किस सीमा तक धनी है?
To what extent Rajasthan is rich in Natural Resource endowments?

5 राजस्थान के आर्थिक विकास में खनिजों के महत्व या भूमिका का विवेचन कीजिए।
Discuss the importance (role) of the minerals in the economic development of Rajasthan

6 राजस्थान सरकार की खनिज नीति तथा प्रमुख खनिज आधारित उद्योग के विकास का संक्षिप्त विवेचन कीजिए।
Describe in brief Mineral Policy and development of Mineral based industries in Rajasthan

7 राजस्थान के खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए और बताईए कि वे राज्य की औद्योगिक प्रगति में किस प्रकार महत्वपूर्ण है?
Explain the mineral products of Rajasthan and discuss how they are important in industrial advancement of the state

8 पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में वनों के विकास के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं? बताईए।
What efforts have been made by the Government of Rajasthan during the Five Year Plans in the State? Discuss

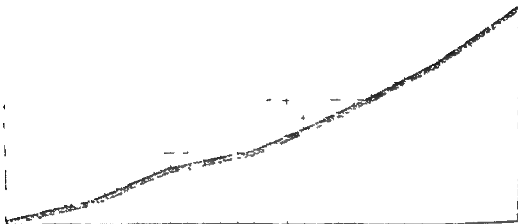
9 राजस्थान में वन विकास की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए, साथ ही इनके समाधान के सुझाव दीजिए।
Explain the main problems of Forest Development in Rajasthan. Also give suggestions to solve them

❑ ❑ ❑

अध्याय – 6

राज्य का घरेलू उत्पाद

STATE DOMESTIC PRODUCT



"यह विचार अर्थव्यवस्था के विकास मे सहायक है।"

<u>अध्याय एक दृष्टि मे</u>

- घरेलू उत्पाद का अर्थ
- राजस्थान के घरेलू उत्पाद की विशेषताए व प्रवृत्तिया
- राज्य के घरेलू उत्पाद की धारणा एवं उसकी गणना
- राज्य के घरेलू उत्पाद को मापने की विधिया
- राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना मे आने वाली कठिनाईया
- राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना का महत्व अथवा उपयोग
- राज्य के घरेलू उत्पाद मे तीव्र वृद्धि के लिए सुझाव
- अभ्यासार्थ प्रश्न

देश की राष्ट्रीय आय, सभी राज्यो के घरेलू उत्पादो का योग होती है। राष्ट्रीय आय का विचार सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया था लेकिन उस समय इसे अधिक महत्व नही दिया गया था। बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय आय की अवधारणा पर उचित ढग से विचार किया जाने लगा। वर्तमान में तो राष्ट्रीय आय का विचार अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी राष्ट्र या राज्य के आर्थिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना आर्थिक समस्याओं का समाधान करना, दो राष्ट्रो या राज्यो का तुलनात्मक अध्ययन करने और देश की तथा राज्य की आर्थिक सामाजिक व राजनैतिक समस्याओ का समाधान करने मे राष्ट्रीय एवं राज्यीय घरेलू उत्पादों की जानकारी होना अत्यावश्यक होता है। यह विचार अर्थव्यवस्था के विकास मे भी सहायक होता है क्योंकि इससे देश के उत्पादन स्तर को तो मापा ही जा सकता है आर्थिक विकास की समीक्षा भी की जा सकती है और भावी अनुमान लगाये जा सकते है। विकास की दिशा प्रकृति और विकास दर ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार घरेलू उत्पाद के बढ़ते हुए महत्व के कारण इसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय का अर्थ व परिभाषा

MEANING & DEFINITION OF DOMESTIC PRODUCT OR NATIONAL INCOME

घरेलू उत्पाद के विचार को ठीक प्रकार से समझने के लिए प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू और प्रोफेसर फिशर द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। मार्शल ने अपनी परिभाषा में विस्तृत दृष्टिकोण को, प्रो पीगू ने मौद्रिक दृष्टिकोण को और प्रो फिशर ने उपभोग को अपनी परिभाषा का आधार बनाया है।

प्रो मार्शल के अनुसार "देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम एव पूजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष जो भौतिक व अभौतिक वस्तुओं एव सेवाओं का उत्पादन होता है इन सबकी शुद्ध उत्पत्ति के योग को ही देश का आगम अथवा राष्ट्रीय लाभाश कहते है।"

प्रो पीगू के अनुसार "राष्ट्रीय आय किसी देश के लोगों की आय का वह भाग है जिसमे विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है और जिसे द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है।"

प्रो फिशर के अनुसार "राष्ट्रीय लाभाश अथवा राष्ट्रीय आय केवल उन सेवाओं द्वारा निरूपित होती है जो अन्तिम उपभोक्ताओं को भौतिक अथवा मानवीय वातावरण से प्राप्त होती है। अत एक पियानो या एक ओवरकोट जो कि मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है इस वर्ष की आय का भाग नहीं है अपितु पूजी में वृद्धि है। केवल वे सेवाए जो कि इनके प्रयोग से इस वर्ष मिलेंगी राष्ट्रीय आय होंगी।"

उपरोक्त परिभाषाओं से घरेलू उत्पाद अथवा राष्ट्रीय लाभाश अथवा राष्ट्रीय आय का अर्थ समझने में सहायता मिलती है। उपरोक्त परिभाषा से ज्ञात होता है कि घरेलू उत्पादन की गणना अनेक प्रकार से की जा सकती है किन्तु व्यवहार में उत्पादन तथा आय के आधार पर यह गणना की जाती है।

राजस्थान के घरेलू उत्पाद की विशेषताए व प्रवृत्तिया

CHARACTERISTICS & TRENDS OF STATE'S DOMESTIC PRODOUCT

राज्य की समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग राज्य का घरेलू उत्पाद है। इसे सकल और शुद्ध घरेलू उत्पाद में विभक्त किया जा सकता है। एक निश्चित समय में, बिना ह्रास का प्रावधान किए हुए, राज्य की समस्त वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है।[1] राजस्थान के घरेलू उत्पाद को समझने में निम्नलिखित बिन्दु सहायक सिद्ध होंगे -

1 राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान राजस्थान में आर्थिक एव साख्यिकी निदेशालय द्वारा लगाए जाते है। ऐसा सन 1954-55 से किया जा रहा है।

2 राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद को राज्य आय के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान की प्रगति को मापने का एक उचित मापदण्ड माना जाता है।

3 राज्य में घरेलू उत्पाद का की गणना और इससे सम्बन्धित विचार वही है जो कि केन्द्रीय साख्यिकी सगठन *(सी एस ओ) द्वारा अनुमोदित किए जाते है।*

4 राज्य के घरेलू उत्पादन की दृष्टि से राज्य की अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में विभक्त कर लिया जाता है।

5 राज्य में घरेलू उत्पाद के जो अनुमान लगाये जाते है, वे राज्य के आर्थिक एव साख्यिकी निदेशालय और केन्द्रीय साख्यिकी सगठन द्वारा अलग-अलग एक साथ तैयार किए जाते है। इनको परस्पर मिलाया जाता है और आवश्यक होने पर सुधार भी किए जाते है। ऐसा इस कारण से किया जाता है ताकि अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार के आकडे सामने आए जिनकी एक-दूसरे से तुलना भी की जा सके।

6 राजस्थान में घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन, आय और व्यय से सम्बन्धित आकडों का एक साथ प्रयोग किया जाता है।

7 राज्य के घरेलू उत्पाद को चालू एव स्थिर कीमतो पर निकाला जाता है। राज्य में इस प्रकार का पहला अनुमान 1954-55 को आधारवर्ष मानते हुए 1958 में जारी किया गया था। इस आधार वर्ष 1959-60 तक चला रहा। इसके पश्चात् आधारवर्ष 1960-61 हो गया और इसके आधार पर 1978-79 तक आकडे जारी किए जाते रहे। इसके पश्चात् 1970-71 को आधारवर्ष बनाया गया जो कि 1987-88 तक चलता रहा। इसके पश्चात 1980-81 को आधारवर्ष के रूप में अपनाया गया और यह आधार वर्ष वर्तमान में भी क्रियाशील है।

8 राज्य की घरेलू आय की गणना के लिए राजस्थान की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को सत्रह भागों में विभक्त किया गया

1 Economic Review 1995 96 Govt. of Rajasthan

है जो इस प्रकार है (i) कृषि (ii) वन (iii) मत्स्य पालन (iv) खनन (v) विनिर्माण (पंजीकृत) (vi) विनिर्माण (गैर पंजीकृत) (vii) निर्माण कार्य (viii) विद्युत गैस तथा जलापूर्ति (ix) रेलवे (x) अन्य यातायात तथा संग्रहण (xi) संचार (xii) व्यापार होटल तथा जलपान गृह (xiii) बैंक व्यापार तथा बीमा अनुभाग (xiv) स्थावर सम्पदा आवासीय गृह का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें (xv) सार्वजनिक प्रशासन (xvi) अन्य सेवायें।

9 राज्य के घरेलू उत्पाद का अनुमान प्रचलित मूल्यों एवं स्थिर मूल्यों के आधार पर लगाया जाता है। जब लम्बी अवधि में राज्य के घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया जाता है तो यह अनुमान स्थिर मूल्यों पर आधारित होता है। इससे राज्य अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस गणना के लिए राज्य अर्थव्यवस्था को मुख्यत तीन भागों में बांटा जाता है यथा (1) प्राथमिक क्षेत्र (2) द्वितीयक क्षेत्र व (3) तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र। इस गणना से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बदलती हुई स्थिति का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए राज्य की कुल आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा पहले की तुलना में कितना कम हुआ और अन्य किसी क्षेत्र के हिस्से में कितनी वृद्धि हुई ? इससे किसी क्षेत्र विशेष के विभिन्न कारकों की सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की भी जानकारी मिल जाती है। राज्य के घरेलू उत्पाद सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर ही आर्थिक नियोजन का निर्माण किया जाता है और इन्हीं आकडो के आधार पर आर्थिक योजना की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।

10 विभिन्न क्षेत्रों का घरेलू उत्पाद में योगदान राजस्थान के घरेलू उत्पाद का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा किन्तु इसका योगदान निरन्तर गिर रहा है। सामान्यत आर्थिक विकास में तीव्रता आने पर कृषि का भाग स्वत ही कम होता चला जाता है। इसके विपरीत उद्योग का घरेलू उत्पादन में योगदान विकास के साथ साथ बढता है। राजस्थान में औद्योगीकरण की अपर्याप्तता के कारण उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग स्थिर बना हुआ है। राजस्थान के घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान निरन्तर बढ रहा है।

11 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (Net state Domestic Product) सकल राज्य घरेलू उत्पादन में से ह्रास के मूल्य का समायोजन करने के पश्चात शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस दृष्टि से राजस्थान की स्थिति इस प्रकार थी

राजस्थान मे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	प्रचलित मूल्यों पर	स्थिर कीमतों पर 1980 81
1980 81	4125 71	4125 71
1989 90	15463 11	7492 27
1995 96	36442	9561
1996 97 (अस्थाई अनुमान)	44107	11307
1997 98 (त्वरित अनुमान)	47355	11599
1998 99 (अग्रिम अनुमान)	50271	11649

[illegible]

तालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान का घरेलू उत्पादन 1980 81 में 4125 71 रूपये था जो बढकर 1998-99 में 50271 रुपये हो गया। अत घरेलू उत्पाद में लगभग 12 गुना वृद्धि हुई। इसी अवधि में स्थिर कीमतों पर राज्य का घरेलू उत्पाद 4125 71 रूपये से बढकर 11648 रूपये हो गया। अत स्थिर कीमतों की दृष्टि से राज्य के घरेलू उत्पाद में लगभग 2 5 गुना वृद्धि हुई।

12 प्रतिव्यक्ति आय (Per Capita Income) - शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का भाग देकर प्रतिव्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। निम्न आकडो के आधार पर भारत व राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय की तुलना की जा सकती है

राजस्थान एव भारत मे प्रतिव्यक्ति आय

वर्ष	प्रचलित मूल्यों पर		स्थिर मूल्यों पर (1980 81)	
	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत
1971 72	660	587	626	548
1980 81	1222	1627	1222	1627
1989 90	3595	4252	1742	2142
1996 97 (त्वरित अनुमान)	8481		2247	-
1997 98 (अग्रिम अनुमान)	9215		2215	

[illegible]

तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय जो 1971 72 में 660 रूपये थी 1996 97 में बढकर 8481 रूपये हो गई। इस अवधि में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय में लगभग 13 प्रतिशत गुना वृद्धि हुई।

स्थिर मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय 1971 72 में 626 रूपये थी जो बढकर 1996 97 में 2247 रूपये हो गई। अत इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 3.5 गुना से अधिक वृद्धि हुई।

14. विकास दर (Growth Rate) – राजस्थान मे कुल राज्य आय व प्रतिव्यक्ति आय की विकास दरो का अनुमान निम्न तालिका से होता है–

राजस्थान की शुद्ध राज्य आय एवं प्रतिव्यक्ति आय की समग्र विकास दर

अवधि	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	प्रतिव्यक्ति आय (1980–81 के मूल्यों पर)
तृतीय योजना(1961 66)	1.36	0 98
वार्षिक योजना(1966 69)	0.77	–3 02
चतुर्थ योजना(1969 74)	7 08	3 81
पाँचवी योजना(1974 79)	5 18	2.22
छठी योजना(1980–85)	5 94	3 01
सातवी योजना(1985 90)	7 55	4 78
दीर्घावधि(1961-90,	3 99	1 22

स्रोत– Draft Eight Five Year Plan 1992-97

इस तालिका से ज्ञात होता है कि

(i) राजस्थान मे चतुर्थ योजना से सातवीं योजना तक शुद्ध राज्य आय मे सतोषजनक वृद्धि हुई है।

(ii) उपरोक्त अवधि मे प्रतिव्यक्ति आय मे सतोषजनक वृद्धि नहीं हो पाई क्योंकि राजस्थान में जनसख्या वृद्धि दर काफी अधिक रही है।

(iii) दीर्घावधि दर को दृष्टि से भी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना मे प्रतिव्यक्ति आय मे कम वृद्धि होना, जनसख्या वृद्धि दर अधिक होने का परिचायक है।

15 अन्य राज्यो से तुलना (Comparison with other states)- *निम्न तालिका से कुल आय एव* प्रतिव्यक्ति आय की राज्यवार स्थिति का ज्ञान होता है–

राजस्थान एव अन्य राज्यों मे वर्तमान एव प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

(1996 97)

A राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद- 41872 करोड रु

B भारत में सर्वाधिक शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाले प्रमुख राज्य–

(i)	महाराष्ट्र	152179 करोड रुपये
(ii)	उत्तरप्रदेश	133170 करोड रुपये
(iii)	आन्ध्र प्रदेश	72195 करोड रुपये

C. राजस्थान की प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद– 8481 रुपए

D. भारत मे सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाले प्रमुख राज्य

(i)	महाराष्ट्र	17296
(ii)	केरल	18719
(iii)	पजाब	18213

Source Economic Survey 1998-99

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि:

(i) 1980–81 में शुद्ध घरेलू उत्पाद की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान था। इस समय सबसे कम शुद्ध उत्पाद सिक्किम का था। राजस्थान की घरेलू आय अरूणाचलप्रदेश, असम, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उडीसा, सिक्किम व त्रिपुरा से अधिक थी।

(ii) 1980–81,में राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद 4126 करोड रूपए था जो बढकर 1996–97 में 41872 करोड रूपये हो गया। 1996–97 में भी शुद्ध घरेलू उत्पाद की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य का ही था। राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद अरूणाचल प्रदेश, असम, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उडीसा, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर से अधिक था।

(iii) 1980–81 मे राजस्थान का प्रतिव्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 1022 रूपए था। इस समय प्रतिव्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद की दृष्टि से गोआ राज्य का प्रथम स्थान था। राजस्थान मे प्रतिव्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद असम बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश राज्यो से अधिक था।

(iv) 1980–81 मे राजस्थान का प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 1222 रूपए था जो बढकर 1996–97 मे 8481 रू हो गया। इस समय प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था। बिहार, केरल, उडीसा व उत्तर प्रदेश की तुलना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अधिक था।

राज्य के घरेलू उत्पाद का ढांचा एवं उसकी गणना

STRUCTURE AND MEASUREMENT OF STATE'S DOMESTIC PRODUCT

राज्य को घरेलू आय को ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था को सोलह भागों म विभक्त किया गया है। अथव्यवस्था के ये समस्त भाग मिलकर राज्य के घरेलू उत्पाद के ढाँचे का निर्माण करते हैं। राज्य के घरलू उत्पादन के ढाँचे को निम्नांकित बिन्दुओं में दर्शाया जा सकता है–

1. कृषि (Agriculture)- कृषि क्षेत्र को भी सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बाट दिया गया है। प्रथम- कृषि, द्वितीय-पशु सम्पदा एव उसके उत्पादन और तृतीय

सिंचाई। कृषि के अंतर्गत कृषि फसलों, चाय, कॉफी, खेती का प्रबंध, कृषि से सम्बन्धित संस्थाओं तथा कृषकों से सम्बन्धित विभिन्न सहायक क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। पशु सम्पदा और उससे सम्बन्धित उत्पादन यथा, दूध उत्पादन, चमड़ा एव खाले, अण्डे, शहद रेशम के कीड़े, मुर्गीपालन आदि को सम्मिलित किया जाता है। सिंचाई से सम्बन्धित क्रियाओं में विभिन्न सरकारी स्रोतो से कृषकों को की गई जलापूर्ति सम्मिलित है। इसकी गणना के लिये उत्पादन विधि को अपनाते हुए अतिरिक्त मूल्य सृजन *(Value added)* ज्ञात किया जाता है।

2 वन (Forest) - वनों के अंतर्गत इसकी क्रियाओं को पुन तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम वन, द्वितीय लकड़ी एकत्रित करना तथा तृतीय वनों से बाहर लकड़ी एकत्रित करना। वनों के अंतर्गत वृक्षारोपण और उनका संरक्षण तथा वन उत्पादों को एकत्रित करना आदि सम्मिलित है। लकड़ी एकत्रित करने के अंतर्गत सामान्य वनों से लकड़ी प्राप्त करना और वन उत्पादों को विक्रय केन्द्रों तक पहुंचाना आदि सम्मिलित किए जाते है। इसी प्रकार सामान्य वनों के बाहर उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त औद्योगिक लकड़ी और जलाने योग्य लकड़ी आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसकी गणना भी उत्पादन विधि से की जाती है।

3 मत्स्य पालन (Fisheries) - मत्स्य के क्षेत्र को घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिये पुन चार भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम - व्यापारिक मत्स्य पालन जो कि उपलब्ध स्थानीय जल में किया जाता है। उसमें नदियों, नहरों, तालाबों, झीलों, खेतों आदि में पकड़े जाने वाली मछलियां सम्मिलित है। द्वितीय - जीवन निर्वाह हेतु मत्स्य पालन किया जाता है। जो कि छोटे-छोटे कृत्रिम तालाब बनाकर या इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं से सम्भव हो पाता है। तृतीय - क्षेत्र के अन्तर्गत समुद्री क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पादो को एकत्रित करना सम्मिलित है। इसकी गणना उत्पादन विधि द्वारा होती है।

4 खनन (Mining) - इस क्षेत्र के अंतर्गत खनिज निकालना तथा निकाले गए खनिजों को सहायक क्रियाओं के माध्यम से ठीक करना आदि सम्मिलित है। ये सभी प्रकार की क्रियाएं खनन की जगह पर ही होनी चाहिए। ये क्रियाएं खनिजों को तोड़ने, धोने, साफ करने, पिसाई व श्रेणीकरण आदि से सम्बन्धित हो सकती है। यदि खान की स्थिति पर विभिन्न क्रियाओं पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है तो फिर उसे क्षेत्र में सम्मिलित न करके विनिर्माण कार्य में सम्मिलित किया जाता है। इसकी गणना उत्पादन विधि द्वारा होती है।

5 विनिर्माण - पंजीकृत (Manufacturing - Regd)- घरेलू उत्पादन की गणना के लिए विनिर्माण की क्रियाओं को दो बड़े भागों में विभक्त किया गया है जो क्रमश रजिस्टर्ड एव अनरजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। रजिस्टर्ड विनिर्माण क्रियाओं में उन फैक्ट्रियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें 10 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे है और जो विद्युत का प्रयोग भी कर रहे है। इसी प्रकार वे फैक्ट्रियां भी इसमे सम्मिलित है जिनमे 20 या अधिक श्रमिक कार्य कर रहे है लेकिन वे विद्युत का प्रयोग नहीं कर रहे है। इस कार्य हेतु विगत 12 महीनो का विवरण देखा जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया में वस्तुओं को बनाना, सुधारना, पैकिंग करना, तोड़ना आदि अनेक क्रियाएं सम्मिलित होती है। इन सब क्रियाओं का उद्देश्य उस वस्तु को और अधिक उपयोगी बनाना होता है। इसी प्रकार प्रिंटिंग, शीतगृहों में वस्तुओं को रखना आदि भी इसी के अंतर्गत आते है। इसकी गणना में उत्पादन विधि प्रयुक्त होती है।

6 विनिर्माण - (गैर पंजीकृत) (Manufacturing - Unregistered) - रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र मिलकर समग्र निर्माण क्षेत्र की रचना करते है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के विनिर्माण, विधायन, मरम्मत और हर प्रकार के रखरखाव से सम्बन्धित सेवाएं आ जाती है। जो क्षेत्र रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र में नहीं आते, उन्हें अनरजिस्टर्ड क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसकी गणना में उत्पादन विधि से अतिरिक्त मूल्य सृजन ज्ञात किया जाता है।

7 निर्माण कार्य (Construction) - निर्माण क्रियाओं के अन्तर्गत भवन निर्माता, सिविल इंजीनियर और अन्य विशेष ठेकेदार द्वारा ठेके पर किए जाने वाले कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न संगठनो द्वारा अपने स्तर पर कराए जाने वाले कार्यों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत नये वृक्षारोपण, फलों के बगीचे आदि के लिए किए गए निर्माण कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न निर्माणों व मूल्यों के आधार पर इसे प्राप्त घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है।

8 विद्युत, गैस और जलापूर्ति (Electricity, Gas and Water supply) - विद्युत के अंतर्गत विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और उसका वितरण सम्मिलित किया जाता है। गैस के निर्माण के अंतर्गत इससे संबंधित कार्य, जिसमे गोबर गैस भी सम्मिलित है का वितरण सम्मिलित है। यह गैस घरेलू कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत एल.पी.जी. गैस को भी सम्मिलित किया जाता है। जलापूर्ति के अंतर्गत जल के संग्रहण उसको शुद्ध करने और उसके वितरण के कार्य को सम्मिलित किया जाता है।

विद्युत के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य विद्युत मंडल और एटॉमिक पावर प्लाण्ट (आर ए पी पी) मुख्य संगठन है। गैस उत्पादन के संबंध में खादी ग्रामोद्योग महत्वपूर्ण है। घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए विद्युत व जलापूर्ति के अंतर्गत सकल आय जोडी जाती है। गैस के लिये उत्पादन विधि का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त मूल्य सृजन ज्ञात किया जाता है।

9 व्यापार, होटल एवं जलपानगृह (Trade, Hotels and Restaurants) - इसके अंतर्गत सभी प्रकार की वस्तुओं का फुटकर एवं थोक व्यापार सम्मिलित है। इसके अंतर्गत आयात निर्यात को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एजेन्ट, दलाल आदि की क्रियाएं भी सम्मिलित है। ऐसे स्थान जहां पर ठहरा जा सकता है और जहां खाने -पीने की सुविधाएं उपलब्ध है, ऐसे होटल एवं रेस्टोरेन्ट भी इसके अंतर्गत आते है। गणना में उत्पादन विधि से मूल्य सृजन ज्ञात किया जाता है।

10 रेल, अन्य परिवहन, संग्रहण और संचार (Railway, Other Transport, Storage & Communication) - यातायात के अंतर्गत रेल्वे, सडक जल व वायु यातायात और उसमें सम्बन्धित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के भण्डारण से सम्बन्धित कार्य भी इसके अंतर्गत आते है। डाक तार तथा इसी प्रकार के अन्य विभागों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को संचार सेवाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें आय विधि का प्रयोग कर घरेलू उत्पाद में योगदान ज्ञात किया जाता है।

11 बैंकिंग एवं बीमा (Banking & Insurance) - बैंकिंग के अंतर्गत व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के बैंकिंग विभाग तथा अंश पत्रों, विभिन्न प्रकार के विनियोगों व ऋणों आदि से सम्बन्धित क्रियाओं में लगी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भी इसमें सम्मिलित की जाती है। इसकी गणना में आय विधि प्रयुक्त होती है।

12 स्थाई सम्पत्ति, आवासीय गृहो का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं (Real Estate, Ownership of Dwelling & Business Services) - जायदाद से सम्बन्धित सेवाओं के अंतर्गत इसमें सम्बन्धित एजेन्टों और इसी भांति कार्य करने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आवास के अंतर्गत आवासीय भवनों को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक सेवाएं भी इसके अंतर्गत आती है। जायदाद के लिये आय विधि और आवासीय भवनों के लिये वार्षिक किराया ज्ञात किया जाता है। वार्षिक किराये में मरम्मत आदि के व्यय कम कर दिये जाते है।

13. सार्वजनिक प्रशासन (Public Administration)- इसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें, केन्द्रशासित प्रदेशों, नगर परिषदें, हाउसिंग बोर्ड, जिला परिषदों, पंचायत राज से सम्बन्धित संस्थाओं आदि द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा सेवाएं सम्मिलित होती है। इन सेवाओं में करों का संग्रहण, पुलिस, जेल, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं तथा कृषि, उद्योग आदि से सम्बन्धित आर्थिक सेवाएं सम्मिलित होती है। इसकी गणना में आय विधि प्रयुक्त होती है।

14 अन्य सेवाएं (Other services) - इस क्षेत्र में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य वैज्ञानिक सेवाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तियों द्वारा दी जानेवाली अनेक प्रकार की सेवाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। मनोरंजन के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे, टी.वी. और रेडियो, भी इसी के अंतर्गत आते है। इसकी गणना आय विधि से होती है।

राज्य के घरेलू उत्पाद को मापने की विधियां

METHODS TO MEASURE S.D P

राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना मुख्यतः उत्पादन विधि और आय विधि के द्वारा की जाती है। व्यय विधि का प्रयोग कम होता है। घरेलू उत्पाद के मापन की प्रमुख विधियां निम्नवत है -

1 उत्पत्ति विधि (Product Method) - राजस्थान में कृषि, वन,मत्स्य उद्योग, पशुपालन, पंजीकृत निर्माण कार्यों व खनन आदि क्षेत्र मे घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाने के लिए 'उत्पत्ति विधि' का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र की अंतिम उत्पत्ति का बाजार मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसमें से उत्पत्ति के साधनों का कुल मूल्य (शक्ति, श्रम व कच्चे माल आदि के व्यय) घटा दिया जाता है। इससे सकल आय ज्ञात हो जाती है। इसमें से मूल्य ह्रास घटाने पर शुद्ध आय प्राप्त हो जाती है।

2 आय विधि (Income Method) - इस विधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की आय को जोड लिया जाता है, यह उस क्षेत्र की आय होती है। आय विधि का प्रयोग निम्नांकित दो तरीकों से किया जाता है -

(अ) प्रत्यक्ष आय विधि (Direct Income Method) - इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों की आय की गणना हेतु किया जाता है जिनके आय सम्बन्धी आंकडे आसानी से उपलब्ध

हो जाते है। रेल व सडक परिवहन, बीमा बैंकिंग, जलापूर्ति तथा विद्युत आदि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विधि आसानी से अपनाई जा सकती है क्योंकि इन क्षेत्रों के आकडे वार्षिक लेखों में उपलब्ध हो जाते है।

(ब) परोक्ष आय विधि (Indirect Income Method) - इस विधि के अतर्गत (i) किसी क्षेत्र विशेष की श्रम शक्ति ज्ञात की जाती है (ii) प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिव्यक्ति औसत आय का अनुमान लगाया जाता है और तत्पश्चात (iii) श्रम शक्ति को प्रतिव्यक्ति औसत आय से गुणा करके उस क्षेत्र की आय ज्ञात कर ली जाती है। लघु कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, घरेलू सेवायें, होटल तथा असगठित क्षेत्रों की आय की गणना हेतु परोक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है।

3 व्यय विधि (Expenditure Method) - इस विधि के अतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के व्ययों को जोड कर उस क्षेत्र की आय ज्ञात की जाती है। यह विधि मुख्यत निर्माण कार्यो की आय का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। निर्माण कार्यो के अतर्गत ईट, पत्थर चूना, सीमेन्ट इमारती लकडी व इस्पात आदि का मूल्य सैम्पल सर्वे के आधार पर ज्ञात कर लिया जाता है ।

राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना में आने वाली कठिनाइयां

DIFFICULTIES IN THE MEASUREMENT OF S D P

राज्य की घरेलू आय की त्रुटिहीन तरीके से गणना अभी भी सम्भव नहीं हो पाई है, इसके अनेक कारण है प्रमुख कारण इस प्रकार है -

1 अशिक्षा एवं अज्ञानता (Illiteracy & Lack of Knowledge) - राजस्थान में देश के अन्य भागों की अपेक्षा अशिक्षा अधिक है। यही स्थिति अज्ञानता की है। अशिक्षा के कारण विभिन्न व्यवसायों व कार्यो में लगे लोग पूरा हिसाब किताब नही रखते। अनेक प्रकार की भ्रातियों के कारण वे गणना करने वालो को पूरी जानकारी भी उपलब्ध नही करवाते है।

2 मूल्य स्तर मे परिवर्तन (Change in Price Level)- राज्य की आर्थिक क्रियाओं की गणना इस कारण भी कठिन हो जाती है कि मूल्यों मे निरन्तर परिवर्तन होता रहता है । इस कठिनाई से बचने के लिए किसी आधारवर्ष को लेकर चलना पडता है। राजस्थान तथा भारत में जो निर्देशाक बनाए जाते है और उनमें विभिन्न वस्तुओ को जो भार प्रदान किया जाता है वह पूर्णत त्रुटिहीन नहीं है।

3 दोहरी गणना की सभावना (Possibility of Double Counting) - राज्य के घरेलू उत्पाद की *गणना में दोहरी गणना की सभावना हमेशा बनी रहती है।* ऐसा सम्भव है कि व्यक्ति की आय को कई स्थानो पर जोड लिय जाए। यही स्थिति उत्पादन के सदर्भ मे हो सकती है इस कारण राज्य का घरेलू उत्पादन बढा हुआ प्रतीत होता है किन्तु वास्तविकता वह नहीं होती।

4 विश्वसनीय आकडों का अभाव (Lack of Reliable Data) - राजस्थान में ही नहीं समस्त भारत में घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित आकडे एकत्रित करने में अनेक दोष विद्यमान है। इस कारण इन्हें पूर्णत विश्वसनीय नही कहा जा सकता। ज्यादातर आकडे सरकारीर कर्मचारियों *द्वारा एकत्रित किए जाते है जो अधिक कार्यभार के कारण* अथवा शिथिलता के कारण आकडे एकत्रित करने में पूरा समय नहीं दे पाते। अत त्रुटियों की सभावना बनी रहती है।

5 क्षेत्रों का वर्गीकरण (Classification) - राजस्थान में घरेलू उत्पाद की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्र बनाए गये है। इन विभिन्न क्षेत्रों के लिए घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है किन्तु इन विभिन्न क्षेत्रों के मध्य स्पष्ट अतर नही किया जा सकता। ये क्षेत्र तथा इनकी क्रियाए परस्पर इस प्रकार से सम्बन्धित होती है कि उन्हें अलग करना दुष्कर हो जात है।

6 गणना की विधि (Methods of Measurement)- राजस्थान में घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अर्थव्यस्था के विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू उत्पाद निकालने के लिए अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक ही क्षेत्र में कुछ उपक्षेत्रों के लिए उत्पादन विधि तो कुछ उपक्षेत्रों के लिए आय विधि आदि का प्रयोग होता है। गणना की विधि बदलने से कुल उत्पाद की गणना में कुछ असगति उत्पन्न हो जाती है ।

राजस्थान के घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि के लिए सुझाव

1 कृषि क्षेत्र - राजस्थान में कृषि का विकास करक घरेलू उत्पत्ति में वृद्धि की जा सकती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य में सिचाई सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक है। राज्य में वर्षा के अभाव को देखते हुए फव्वारा सिचाई, बूद-बूद सिचाई व सूखी खेती की विधियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिय। राज्य में पशुपालन,वन विकास फल विकास आदि कार्यक्रमों को

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 राज्य घरेलू उत्पत्ति की प्रवृत्तिया व सरचना पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write ■ short note on Trends and Structure of S D P

2 राज्य आय या राज्य घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते है?
What do you understand by State Income of State Domestic Product?

3 'राजस्थान की राज्य आय में अभी भी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक है। समझाईए।
Contribution of Primary Sector is still more in the State Income of Rajasthan Discuss

4 राज्य घरेलू उत्पाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
Explain the concept of State Domestic Product

5 राजस्थान के घरेलू उत्पाद की आधुनिक प्रवृत्तिया बताईए।
Mention the recent trends of Rajasthan s Domestic Product

■ राज्य घरेलू उत्पाद की गणना का महत्व बताईए।
Mention the importance of measuring State Domestic Product

B. निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 'राज्य घरेलू उत्पाद' से आप क्या समझते है? राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति एव बनावट का वर्णन कीजिए।
What do you understand by State Domestic Product'? Discuss the trend and structure of State Domestic *Product of Rajasthan*

2 राजस्थान राज्य के घरेलू उत्पाद की सरचना या स्वरूप का स्पष्ट कीजिए। इस सरचना (स्वरूप) में पिछले 30 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए है और उनकी मुख्य प्रवृत्तिया क्या है?
Explain the structure of State Domestic Product (S ■ P) in Rajasthan State Discuss its changes which have been made in last thirty years and its salient trends

3 राजस्थान राज्य की घरलू उत्पत्ति के अनुमानों की विवेचना कीजिए और उसके ढाचे में होने वाले परिवर्तनों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए।
Discuss the estimates of the Domestic Products of Rajasthan state and critically examine the changes occurring in its structure

4 राज्य घरेलू आय पर एक निबंध लिखिए।
Write an essay on State Domestic Product

■ राज्य घरलू उत्पाद की प्रमुख विशेषताओं एव आधुनिक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए।
Explain the main characteristics and recent trends of State Domestic Product

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

1 राज्य घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते है? राजस्थान में राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ एव सरचना समझाईए।
What do you understand by State Domestic Product? *Give the trends and structure of State Domestic* Product in Rajasthan



अध्याय - 7

पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थाई विकास की समस्याएं

ENVIRONMENTAL POLLUTION & PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT



<u>अध्याय एक दृष्टि में</u>

- पारिस्थितिकी का सतुलन
- प्रदूषण
- विश्व में प्रदूषण की स्थिति तथा पारिस्थितिकी सतुलन के प्रयास
- भारत में प्रदूषण की स्थिति व पारिस्थितिकी सतुलन के प्रयास
- राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति व पारिस्थितिकी सतुलन के प्रयास
- सुस्थिर विकास की अवधारणा
- पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थाई विकास की समस्याएं
- अभ्यासार्थ प्रश्न

पारिस्थितिकी संतुलन
ECOLOGICAL BALANCE

मानव पर्यावरण में सदैव से ही रूचि लेता रहा है। इस कारण उसके वातावरण सम्बन्धी ज्ञान में इतनी वृद्धि हो गई है कि इसे व्यवस्थित रूप देने के लिए पर्यावरण विज्ञान या पारिस्थितिकी विज्ञान का विकास हुआ। यह विज्ञान इस तथ्य पर टिका हुआ है कि पौधे तथा प्राणी, दोनों ही एक एकीकृत या समन्वित समुदाय के अभिन्न अंग है। पारिस्थितिकी (Ecology) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 में अर्नस्ट हीकल (Ernst Haechel) नामक एक जर्मन जीव विज्ञानी ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओइकॉस (Oiks) से लिया गया है जिसका अर्थ है 'घर' या 'रहने का स्थान'। इस दृष्टि से पारिस्थितिकी या इकोलॉजी में प्राणियों का उनके रहने के स्थान पर अध्ययन किया जाता है।

विश्व में सभी प्राणी एक साथ रहते और एक दूसरे को प्रभावित करते है। वे अपने आस-पास के वातावरण से भी प्रभावित होते है। इस प्रकार ये प्राणी और वातावरण एक तंत्र के अंग बन जाते है। इस तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। प्रकृति के अन्तर्गत जैव और अजैव वातावरण में पदार्थों का निर्माण एवं विनिमय चलता ही रहता है। यह इस

तंत्र के अंतर्गत पदार्थों का चक्रीकरण कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र स्वचालित होता है। यदि वातावरण में कोई भी बदलाव आता है तो जीवों पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। यदि वातावरण में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है तो भी पारिस्थितिकी तंत्र अपनी क्षमता के फलस्वरूप संतुलन को बनाये रखता है। इस भांति पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा परिवर्तन का विरोध करते हुये, संतुलन में बने रहने की प्रवृत्ति को ही पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है।

सौभाग्य या दुर्भाग्य से मानव मस्तिष्क अत्यन्त विकसित हो चुका है। अपनी क्रियाओं के द्वारा वह पारिस्थितिकी संतुलन को नष्ट करने पर तुला हुआ है और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वह प्राकृतिक संतुलन के स्थान पर अपना कृत्रिम संतुलन स्थापित करने की चेष्टा, जाने या अनजाने में, निरंतर कर रहा है। मनुष्य में अभी तक वह क्षमता विकसित नहीं हो पाई है जिससे वह पारिस्थितिकी संतुलन के स्थान पर कृत्रिम संतुलन स्थापित कर सके। न ही मनुष्य को इस बात का पूरा ज्ञान है कि वह पारिस्थितिकी संतुलन से जो छेड़छाड़ कर रहा है, भविष्य में उसके क्या परिणाम हो सकते है। भविष्य को पूरा का पूरा जान पाना मनुष्य की क्षमता और योग्यता से बाहर की बात है। इस कारण पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव की कोई भी चेष्टा उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है, विशेषकर प्रदूषण के माध्यम से इस पारिस्थितिकी तंत्र को तोड़ने का जो प्रयास मानव कर रहा है, वह प्रयास अंतत उसी के लिए घातक होगा।

प्रदूषण
POLLUTION

प्रकृति के पर्यावरण की रचना वायु, पानी, मिट्टी वनस्पति, पशु पक्षी एवं समस्त प्राणी जगत् मिलकर करते है। ये सभी घटक पारस्परिक संतुलन बनाये रखने के लिए एक - दूसरे को प्रभावित करते रहते है। जब मानव द्वारा प्रकृति का उपयोग किया जाता है और ऐसा करते समय यदि प्रकृति के संतुलन और विकास की गति में सामजस्य नहीं बनाये रखा जाता तो पर्यावरण में ऐसा भीषण असंतुलन उत्पन्न होने लगता है जिससे पृथ्वी पर विद्यमान प्राणियों पर संकट मंडराने लगता है। इसी असंतुलन से वायु, जल आदि के माध्यम से पर्यावरण की प्राकृतिक जीवन शक्ति में एक विष सा घुलन लगता है। प्राकृतिक असंतुलन से उत्पन्न इसा घातक विष का नाम प्रदूषण है। स्व. श्रीमति इंदिरा गांधी के अनुसार - "यह दु ख की बात है कि प्रगति प्रकृति पर आक्रमण की पर्यायवाची बन जाए।" इस संदर्भ में ठीक ही कहा गया है, "यदि हम पियानो पर संगीत की मधुर धुन सुनना चाहे तो हमे हमारे दोनों हाथों की दसों अंगुलियों का एक साथ प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम उन अंगुलियों को क्रमबद्ध न चलाए तो पियानो से निकलने वाली धुन कोलाहल में बदल जायेगी। पर्यावरण में जीवन जीने का जो संगीत है, वह भी इसी प्रकार का है।"

स्वच्छ पर्यावरण प्रकृति का अनुशासित व संतुलित रूप है। यह अनुशासन भंग होने अथवा संतुलन बिगड़ने से प्रदूषण उत्पन्न होता है। अत पर्यावरण या पारिस्थितिकीय तंत्र के किसी भी घटक में भौतिक अथवा रासायनिक तत्व जो अन्य घटक (जीव या निर्जीव) पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करें प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण एक ऐसी अवांछनीय स्थिति है जब भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तनों के द्वारा हवा जल और धरातल अपनी गुणवत्ता खो बैठते है। ये मानव के लिए हानिकारक होते है। प्रगति रुक जाती है और सांस्कृतिक जीवन को क्षति पहुंचती है। आजकल मनुष्य स्वयं ही अनेक प्रकार के जहरीले तत्व पर्यावरण में फैला कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक वातावरण और वायुमण्डल को दोषपूर्ण बना रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण आधुनिकता की देन है। इसके प्रहार से वायु व जल जैसे जीवनदायी तत्व भी अपने गुण खोते जा रहे है वनस्पतियां विनष्ट हो रही है और मौसम का स्वभाव बदल रहा है। वस्तुत प्रदूषण आज की सर्वाधिक ज्वलन्त समस्या है और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है।

प्रदूषण के प्रकार
Forms of Pollution

प्रदूषण की विविधता और इनकी उपस्थिति की विविध परिस्थितियां पर्यावरणीय परिवर्तनों व व्यवस्थाओं तथा प्रकृति के तत्वों की सहन सीमा के आधार पर प्रदूषण को मुख्यत निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है -

1 वायु प्रदूषण 2 जल प्रदूषण
3 ध्वनि प्रदूषण 4 भू प्रदूषण

(अ) वायु प्रदूषण
Air pollution

यह सभी प्रदूषणों में अधिक हानिकारक प्रदूषण है। पृथ्वी से एक मील ऊपर और एक मील नीचे तक सृष्टि के

लगभग 90% जीव सास लेते है। पृथ्वी के इस कटिबंध में उपयोगी गैसों जैसे-ऑक्सीजन, कार्बनडाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि का स्वतंत्र रूप से संतुलन चक्र निरंतर गतिशील रहता है। जनसंख्या के अधिक दबाव, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के कारण यह चक्र असंतुलित होता जा रहा है। डॉ. रघुवंशी के अनुसार- "वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों, जीवन परिस्थितियों, हमारे औद्योगिक उपक्रमों तथा हमारी सांस्कृतिक संपत्ति का हानि पहुँचे या हमारी प्राकृतिक सम्पदा नष्ट हो या उसको हानि पहुँचे, वायु प्रदूषण कहलाता है।" एक सामान्य मनुष्य अपनी सास के माध्यम से 16 किलो हवा रोजाना ग्रहण करने के लिए 22000 बार सास लेता है। अतः मानव जीवन में वायु प्रदूषण का अर्थ मानव जीवन को नष्ट करना ही होता है। इसके एक सटीक उदाहरण का वर्णन करते हुये लिखा गया है "एक सुबह आयी, वह अधकारमय सुबह 3 दिसम्बर 1984 की थी। इस दिन एक भी चिड़िया नहीं चहचहाई। ऐसा सन्नाटा घिर आया कि धड़कन बंद हो गई। अजीब सी तड़पन से स्त्री-पुरुष ही नहीं, नन्हे मुन्ने जो पल भर पहले मजे से खेल रहे थे, अचानक कराहकर दम तोड़ गये, सब कुछ वीरान हो चुका था। तमाम जानवर गाय, भैंस और बकरियां चुपचाप बे-आवाज मौत की गोद में लुढ़क गये। नहीं यह किसी दैत्य का श्राप नहीं था, किसी चुड़ैल या जिन्न का कारनामा नहीं था, न ही किसी दुश्मन से जंग छेड़ी थी। यह हैरतनाक कहर हमने खुद अपने ऊपर ढाया था। यह हकीकत किसी और देश की नहीं, बल्कि हमारे ही शहर भोपाल की है।" वायु प्रदूषण से होने वाली क्षति की तो यह घटना एक संकेत मात्र है, वास्तविक क्षति का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता

जब वायु में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है। वायु प्रदूषकों का मिश्रण अनेक प्रकार के से होता है, जैसे - बड़े-बड़े कारखानों की चिमनियों से उठने वाला विषैला धुआं, स्कूटर, कार, ट्रक, बस रेल्वे इंजिनों से निकलने वाली गैस व धुए भट्टियों व घर में जलने वाले कोयले से निकलता धुआं, कार्बन डाइ-ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक-ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि से युक्त होता है। मानवीय गतिविधियों से उड़ने वाली धूल आदि भी हमारे आस-पास की वायु को निरंतर दूषित कर रही है। इसमें सास व दिल संबंधी अनेक बीमारियां होने की संभावना रहती है। सल्फर-डाइ-ऑक्साइड फेफड़ों, आंखों तथा त्वचा के लिए घातक है। जिन नगरों की वायु में कैडमियम कणों की सांद्रता अधिक है, वहां हृदय रोग से मरने वालों की संख्या भी अधिक है। जापान के टोकियो शहर में उद्योगों से इतनी अधिक मात्रा में धुआ निकलता है कि फ्यूजी पर्वत वर्ष में केवल 40 दिन ही दिखाई देता है।

वायु प्रदूषण के कारण
Causes of Air Pollution

1 प्राकृतिक कारण (Natural Factors) - वनों में आग लगने के कारण उत्पन्न धुआ तथा तूफान व आंधी के कारण उड़ती हुई धूल और ज्वालामुखियों में निकली राख आदि के कारण वायु प्रदूषित होती है। दलदल भी वायु को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक कारणों से हुये वायु प्रदूषण का मानव समाज पर प्रभाव बहुत कम होता है, क्योंकि यह प्रदूषण बहुत कम होता है और प्रकृति स्वयं ही कुछ समय में इसका उपचार कर लेती है।

2 उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण (By Industries) औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। उद्योग वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत है। वस्त्र उद्योग धातुकर्म संबंधी उद्योग, रासायनिक उद्योग, तेल-शोधन उद्योग, गत्ता उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, चमड़ा उद्योग तथा शक्कर उद्योग आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है। इन उद्योगों द्वारा त्यागी गई गैस, धुआ आदि वायुमंडल में पहुंचकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। उद्योगों के कारण अमेरिका का वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। वहां स्कूलों के खुले मैदानों पर लिखी यह चेतावनी, "सावधान! अत्यधिक धुए की स्थिति में कसरत न करें या गहरी सास न लें।" वायु प्रदूषण का स्पष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार जापान के टोकियो शहर के बच्चों को अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण जालीदार मुखौटा पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। भारत में मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर आदि शहरों में उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है।

2 3 दिसम्बर, 1984 की मध्यरात्रि में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड के कारखाने के एक संयंत्र से दुर्घटना के कारण निकली गैसों से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस घटना को "भोपाल गैस त्रासदी" की संज्ञा दी जाती है। सरकारी आकड़ों के अनुसार इस घटना में लगभग 2000 व्यक्ति मारे गये। उस रात भोपाल ने मानों एक गैस चैम्बर का रूप ले लिया था। लोग कीड़े-मकौड़े की तरह मर रहे थे।

3 वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण (By Vehicles) आधुनिक वाहनों जैसे - मोटरकार, बस ट्रक स्कूटर आदि

में पैटोल व डीजल आदि ईधनों का प्रयोग हाता है जिनके जलन म निकला धुआ वायु को प्रदूषित करता है। वाहनों के धुए म विभिन्न प्रकार का जहरीला गैस होती है जा मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। 1952 में लदन शहर वायु प्रदूषण के कारण भूरे रग के रासायनिक धुए की हरी चादर म 5 दिना तक घिरा रहा। इसस लगभग 4000 व्यक्तियो का मृत्यु हो गई और अनक लोग श्वास व हृदय रोग म पीडित हो गये। जापान की राजधानी टोकियो में वाहनो से इतना अधिक वायु प्रदूषण होता है कि यातायात सिपाहो को थोडी-थोडी देर म आक्सीजन ग्रहण करने के लिए आक्सीजन मशीन के पास जाना पडता है। भारत के सभी बडे शहरो में भी वायु प्रदूषण की समस्या निरतर गभीर होती जा रही है।

4 घरेलू कार्यो से वायु प्रदूषण (By Domestic work) भोजन पकाने व पानी गर्म करने जैसे घरलू कार्यों म कोयला मिट्टी का तेल गैस आदि का प्रयोग किया जाता है। इनक कारण उत्पन्न धुए में कार्बन डाई-आक्साइड सल्फर डाई-आक्साइड और कार्बन-मोनो आक्साइड आदि गैसें होती है जो वायु का प्रदूषित करती है। दहन प्रक्रिया में वायु की आक्सीजन भी उपयोग में लाई जाती ह अत इससे वातावरण म आक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है। घरलू कार्यो म उत्पन्न धुए के कारण वायु प्रदूषण बहुत बडी मात्रा म होता है। इस सबध म सयुक्त राष्ट्र सघ के पर्यावरण सम्मेलन (1972) म कहा गया था "ईधन की लकडी गोबर कडे खेतों का कचरा और घास फूस आदि जलाने मे कार्बन मोनो-आक्साइड सल्फर डाई-आक्साइड नाइट्रोजन-आक्साइड आर्गेनिक्स आदि तत्व निकलते है व (अन्य तत्वो की तुलना म) बहुत ज्यादा है।"

5 ताप विजलीघरों से वायु प्रदूषण (By Thermal Power Stations) ताप विद्युतगृह म अत्यधिक मात्रा म कोयले का प्रयोग होता है। इसम उत्पन्न धुए म सल्फर डाइ-आक्साइड आदि गैस होता है। कोयले की राख को प्राय बाहर फैंक दिया जाता है जो वायु को प्रदूषित करती है। उदाहरण के लिए केवल दिल्ली म इन्द्रप्रस्थ स्थित ताप विद्युतगृह म प्रतिदिन 45 टन कार्बन 60 टन सल्फर डाइ-आक्साइड और 85 टन फ्लाई एश आदि व्यर्थ पदार्थ उत्पन्न होत है भारत म यह वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है क्यो कि देश के अधिकाश ताप विद्युतगृह कोयले स ही चलत है। विद्युतगृहो स निकले व्यर्थ पदार्थों को फैंकने की समस्या भी गभीर रूप धारण कर चुकी है।

6 कृषि कार्यों से वायु प्रदूषण (By Agricultural Works) आधुनिक युग में फसलो को नुकसान पहुचाने वाले कीटों आदि को समाप्त करने के लिए कीटनाशक औषधियों का छिडकाव किया जाता है। ऐसा छिडकाव वायुयानों के द्वारा भी किया जाता है। अत इस छिडकाव से विषैले रसायन वायुमण्डल में फैल कर वायु को प्रदूषित कर देते है। इसके अतिरिक्त खेतो का कचरा जलाने व अनाज साफ करने आदि से भी कुछ मात्रा में प्रदूषण होता है

7 दुर्घटना से वायु प्रदूषण (By Accident) दुर्घटना के कारण होने वाला वायु प्रदूषण प्रलय की सी स्थिति उत्पन्न कर सकता है क्योंकि रसायन कारखाना आणविक स्टेशन व आयुध निर्माण करने वाले कारखानों में इतनी अधिक विषैली सामग्री होती है कि थोडी सी गलती के कारण हुई दुर्घटना से जन जीवन अस्तव्यस्त हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इसका उदाहरण है। इस गैस काण्ड म यहा की वायु इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसे सुधरने में बहुत समय लगेगा।

8 रेडियोधर्मी प्रदूषण (Radio Activity) परमाणु शक्ति का प्रयोग मानव कल्याण हेतु किया जा सकता है लेकिन अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में इस शक्ति का प्रयोग करके जापान के नागासाकी व हिरोशिमा को क्षणभर म दो बमो स नष्ट कर दिया। इसम अनेक किलोमीटर तक समस्त वनस्पतियो व जीव जतु समाप्त हो गये और लाखो व्यक्ति मृत्यु के शिकार हुये। इस विस्फोट का प्रभाव आज तक विद्यमान है। इस सबध म आईस्टीन ने कहा था "मानव परमाणु शक्ति के योग्य नहीं है। विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी किरणे निकलती है जो वायु तथा जल तरगों द्वारा बहुत दूर-दूर तक फैल जाती है और रेडियोधर्मी प्रदूषण पैदा करता है। इस विकिरण के प्रभाव स जीवधारियों को सतानें विकृत पैदा होती है। यह विकिरण पौधों तथा जानवरो म होकर मानव शरीर म पहुचकर स्थाई तौर म क्षति पहुचाता है।

9 अन्य कारण (Others) वायु प्रदूषण के अन्य महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है

( ) महानगरों की स्थिति व विस्तार वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण बन गये है।

( ) कचरे को एकत्रित कर जलाने स उत्पन्न धुए के कारण वायु प्रदूषण होता है।

( ) त्यौहारो व विवाह के अवसरो पर पटाखे आदि जलाने स रासायनिक गैस व धुए के कारण वायु प्रदूषित होता है।

(iv) स्प्रे पेन्टिग व पॉलिश के कारण भी वायु प्रदूषित होती है।

(v) परमाण्विक ऊर्जा परियोजनाओं के कारण भी वायु

प्रदूषित होती है।

(vi) कच्ची सड़कों पर आवागमन के कारण वायु प्रदूषित होती है।

(vii) धूम्रपान से भी वायु प्रदूषित होती है।

(viii) सार्वजनिक स्थलो में पर्याप्त सफाई व्यवस्था न होने के कारण वायु प्रदूषित होती है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
Remedies

1 घरेलू कार्यो के लिए धुआरहित ईंधन जैसे- विद्युत हीटर कुकिंग गैस आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

2 उद्योगों में कम प्रदूषण वाली तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिये।

3 कोयल से चलने वाले रेल इंजिनों के स्थान पर विद्युत इंजिनों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

4 कारखानो की चिमनियों की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिये ताकि आस-पास के क्षेत्रो में कम से कम प्रदूषण हो।

5 वाहनों का उपयोग मितव्ययतापूर्वक किया जाना चाहिये तथा पुराने वाहनों को मुख्य मार्गों पर चलाने की पाबंदी लगा देनी चाहिये।

6 वाहनो के धुए को एक निश्चित स्तर तक सीमित रखने के लिए सर्वधित कानून बनाया जाना चाहिये।

7 नवीन तकनीक के द्वारा ऐसे वाहनो का निर्माण किया जाना चाहिये जिनसे कम-से-कम प्रदूषण हो। भारत में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु केन्द्र सरकार ने 1981 में वायु प्रदूषण (निवारण व नियंत्रण) अधिनियम पारित किया। इसके अतिरिक्त अनेक अनुसंधान व शोध संस्थानों में वायु प्रदूषण से संबंधित शोध कार्य भी चल रहे है।

(ब) जल प्रदूषण
Water Pollution

यह ज्ञात होना आवश्यक है कि पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जल है। स्थानीय भू-संरचना एवं स्थितियों के अनुसार जल में विभिन्न लवण घुले रहते है। कल-कारखानों द्वारा प्रयोग के बाद प्रवाहित जल में अनेक लवण क्षार एवं विषैली गैसें घुल जाती है जो जल को दूषित कर प्राणी मात्र की शारीरिक क्रिया पर दुष्प्रभाव डालने लगती है। गोथे के अनुसार- "प्रत्येक वस्तु जल में ही उत्पन्न हुई है तथा प्रत्येक वस्तु जल द्वारा ही प्रतिपालित होती है" संक्षेप में जल के बिना जीवन संभव भी नहीं है। मानव रक्त का 80% भाग भी पानी ही है। यह मानव शरीर में परिभ्रमण करते हुवे मानव के शरीर को स्वस्थ रखता है। जब जल में किसी बाहरी अवांछित पदार्थ का प्रवेश होने से उसके गुणों में कमी आ जाती है तो वह जल प्रदूषण की स्थिति में होता है। औद्योगिक एवं कृषि अवशिष्ट, तेल आदि पदार्थ जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। जल प्रदूषण से मानव तो प्रभावित होता ही है, पौधे व जलीय जीव भी नष्ट हो जाते है। डॉ रघुवंशी ने जल प्रदूषण को अनेक दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है

(अ) "प्राकृतिक जल में किसी अवांछित बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की गुणवत्ता मे अवनति आती हो जल प्रदूषण कहलाता है।"

(ब) "विशिष्ट रूप में किसी जलाशय के प्रदूषण की परिभाषा उसमें ऐसे लक्षणों वाले पदार्थो के प्रवेश तथा इतनी मात्रा में प्रवेश से दी जा सकती है जो उसे दिखावट, गंध या स्वाद में आपत्तिजनक बना दें।"

(स) "जल में किसी ऐसे बाहरी पदार्थ अथवा लक्षण की उपस्थिति को जल प्रदूषण कहते है जो उसके गुणों को इस प्रकार प्रभावित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाये अथवा उसकी उपयोगिता कम हो जाये।"

(द) "मानवकृत परिवर्तनों से जल की वास्तविक अथवा संभावित उपयुक्तता में ह्रास ही जल प्रदूषण है।"

(य) "जल मे किसी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ का योग जो जल के भौतिक, रसायनिक व जैविक गुणो को प्रभावित कर, उसे उपयोग विशेष के लिए अनुपयुक्त बना दे जल प्रदूषण कहलाता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर जल प्रदूषण को चार भागों में बांटा जा सकता है -

1 भौतिक प्रदूषण इससे जल की गंध, स्वाद व ऊष्मीय गुणो में परिवर्तन हो जाता है।

2 रासायनिक प्रदूषण यह मुख्यत जल में विभिन्न उद्योगों से मिलने वाले रसायनिक पदार्थो के कारण होता है।

3 जैव प्रदूषण यह जल में विभिन्न रोगजनक जीवों के प्रवेश के कारण होता है। इससे जल मानव के लिए उपयोगी नहीं रहता है।

4 शरीर क्रियात्मक प्रदूषण इसका आशय जल के गुणों में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो मानव शरीर की क्रियाविधि को हानि पहुचाते हैं।

जल प्रदूषण के कारण
Causes of Water Pollution

(1) घरेलू कार्यो मे जल प्रदूषण (By Domestic works) - घरेलू कार्यों (खाना पकाना, नहाना, धोना, सफाई

आदि) से जल प्रदूषित होता है। फल व सब्जियों के छिलके, चूल्हे की राख, कूड़ा-करकट, कपडो के टुकडे गदा जल आदि नालियों मे बहा दिये जाते है। ऐसे जल को मलिन जल कहा जाता है। यह जल जब नालियों द्वारा जलस्रोतों में मिल जाता है तो वहा के जल को भी दूषित कर देता है। घरों मे मच्छरो आदि के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इससे जल में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिल जाते है। ऐसे पदार्थ यदि किसी जलस्रोत में पहुच जाते है तो वहा काफी समय तक बने रहते है।

2 मलमूत्र से जल प्रदूषण (By Human waste) - घरेलू व सार्वजनिक शौचालयों से निकला हुआ मलमूत्र व जल नालियों के द्वारा किसी जल स्रोत में मिलता है तो गभीर जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। ऐसे प्रदूषण को जैवीय प्रदूषण कहा जाता है। ऐसे जल से टाइफाइड बुखार, पोलियो, हैजा, पेचिश व आत्रशोथ आदि रोग हो जाते है। यह जल लार्वा रोग को भी बढावा देता है। उष्ण कटिबधीय राष्ट्रों में इस रोग से लगभग 35 करोड व्यक्ति ग्रसित है। विश्व की अधिकाश नदिया व झील, महानगरों से निकले हुये गदे जल व मल-मूत्र से कूडापात्र बन गयी है। अनेक नदिया व झीलें तो इतनी अधिक प्रदूषित हो चुकी है कि उनमें मछलियों का जीवन दूभर हो गया है।

3 उद्योगो द्वारा जल प्रदूषण (By Industries) - अधिकाश उद्योगों में जल का अत्यधिक उपयोग होता है। ऐसे उद्योग प्राय नदियों या जलाशयों के किनारे स्थापित किये जाते है। इन उद्योगों का व्यर्थ जल को नदियों व जलाशयों में ही बहा दिया जाता है जिससे उनका जल प्रदूषित हो जाता है। यही कारण है कि भौगोलिक प्रगति के साथ-साथ जलस्रोत गभीर रूप से प्रदूषित हो चुके है। उद्योगों से निकले व्यर्थ जल में पारा व लवण जैसे पदार्थ अत्यधिक मात्रा में होते है, जो अनेक रोगों को जन्म देते है। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार टन पारे का उत्पादन होता है, लेकिन इसमें से लगभग 5 हजार किसी-न-किसी रूप में पर्यावरण में प्रविष्ट हो जाता है। मिनीमेटा खाडी की दुर्घटना पारा विषकरण की घटना का एक ज्वलन्त उदाहरण है। यह खाडी जापान के समुद्री तट की खाडी है। 1950 में इस क्षेत्र के मछुआरे मछलियों का उपयोग करने से, अचानक अनेक रोगों से ग्रसित हो गये थे।

4 कृषि कार्यों से जल प्रदूषण (By Agricultural work) - दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों के कारण मिट्टी के कटाव को बढावा मिलता है, वर्षा होने पर जल के साथ मिट्टी बहकर नदियों व जलाशयो म पहुच जाती है जो न केवल जल को प्रदूषित करती है, वरन् जलमार्गों को भी अवरूद्ध कर देती है। उर्वरको व कीटनाशक औषधियों के प्रयोग से भी जल प्रदूषित हो जाता है। रेचल कारसन ने अपनी पुस्तक 'साइलेन्ट स्प्रिंग' में लिखा है, ''हमारे द्वारा बिना विचार किये जाने वाले कीटनाशक औषधियों के अधाधुध लगातार उपयोग से एक वर्ष ऐसी बसन्त ऋतु आ सकती है, जिसमे एक भयावह स्तब्धता व्याप्त हो। उदाहरण के लिए, सब चिड़िया कहा गई, लोग उनके बारे में चिन्तित होकर आपस मे यह प्रश्न पूछेगें।''

5 तापीय प्रदूषण (Thermal pollution) - अनेक रिएक्टरों के अति-तापन के निवारण हेतु नदियों व जलाशयों के जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया से गर्म हुआ जल पुन नदियो व तालाबों में छोड दिया जाता है जिससे नदियो व तालाबो का जल प्रदूषित हो जाता है। इसे तापीय प्रदूषण कहा जाता है। इससे जलस्रोतों के जल का तापमान भी बढ जाता है। परमाणु शक्ति चलित विद्युतउत्पादक सयत्रों मे भी तापीय प्रदूषण होता है।

6 तैलीय प्रदूषण (Pollution by Oil) - विभिन्न उद्योगों से निकले तेल व तैलीय पदार्थो के जल स्रोतो में मिलने से तैलीय प्रदूषण होता है। अमेरिका की क्वाहोगा नदी में इतना अधिक तैलीय प्रदूषण हो चुका है कि इसे ज्वलनशील नदी कहा जाता है। समुद्र में तेल प्रदूषण की सभावना अधिक रहती है। जलयानो द्वारा व्यर्थ पदार्थ का त्याग, तेलवाहक जहाजों में दुर्घटना तथा समुद्र मे तेल की खोज आदि कारणों से तेल प्रदूषण बढता है। इराक - अमेरिका युद्ध के कारण खाडी क्षेत्र में खनिज तेल के फैलाव के कारण वहा का जल अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। इससे समुद्री जीवो का जीवन दूभर हो गया है।

जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
Remedies

1 गदे जल को नदियों व जलाशयों में मिलने नहीं दिया जाना चाहिये।

2 पेयजल स्रोतों के चारों ओर दीवार बनानी चाहिये, ताकि गदा जल प्रवेश न कर पाये।

3 नदियों व तालाबो में पशुओं को नहलाने पर रोक लगा देनी चाहिये।

4 जल स्रोतों में नहाने व कपडे धोने पर रोक लगा देनी चाहिये।

5 घरों से निकलने वाले गदे जल को शोधन करने के पश्चात् ही जल स्रोतो में छोडा जाये।

6 कृषि कार्यो में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक नहीं किया जाना चाहिये।

7 जल स्रोतों के निकट उद्योगों की स्थापना नहीं करनी चाहिये तथा पहले से स्थापित उद्योगों के व्यर्थ जल को शोधन के पश्चात् ही जल स्रोत मे छोडना चाहिये।

8 जनसाधारण को जल प्रदूषण के रोकथाम की विधियो की जानकारी दी जानी चाहिये।

9 समय समय पर जल स्रोतों की सफाई की जानी चाहिये।

10 ऐसी मछलियां जल स्रोतों में छोड़ी जानी चाहिये जो विषैले जीवों (लार्वा व मच्छरों के अंडे आदि का) भक्षण करती हों।

भारत में जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1974 के अनुसार एक केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई है। अनेक राज्यों म भी ऐसे मंडलों की स्थापना की गइ है। 1981 90 के दशक को भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल व स्वच्छता दशक ' के रूप में मनाया था।

(स) ध्वनि प्रदूषण

Noise Pollution

कल-कारखानों यातायात आदि के कारण उत्पन्न शोर पर्यावरण की शान्ति को भंग करता है व मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। "ध्वनि प्रदूषण निश्चय ही मानव के कार्य आराम नींद व वार्तालाप में व्यवधान डालता है। यह मानव की श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचाता है तथा उसमें अनेक प्रकार की मनौवैज्ञानिक व शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। किन्तु ध्वनि प्रदूषण की जटिल प्रकृति विभिन्न प्रकार एवं इसके अन्य पर्यावरणीय तत्वो से अन्तर्सम्बन्ध के कारण स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव को आसानी से नहीं जान गा सकता।" यह तो सत्य है कि यदि व्यक्ति बहुत देर तक शोर में रहे तो कुछ शारीरिक व मानसिक बीमारियां घर कर लेती है। उपलब्ध आकडों के अनुसार - शयनकक्ष में 35 डेसिबल बाहरी वातावरण मे 55 डेसिबल तथा सभागार कक्ष व कक्षाओं में 45 डेसिबल से अधिक शोर नहीं होना चाहिये। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि शोर के कारण व्यक्ति मे श्रवण शक्ति के ह्रास के अतिरिक्त पौष्टिक अल्सर व तनाव आदि भी विकसित हुये। इस प्रकार मनुष्य के लिए अवांछित ध्वनि है। नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक राबर्ट कॉच का इस सदर्भ मे यह कथन कितना सत्य है कि "एक दिन ऐसा आयेगा जब मनुष्य के स्वास्थ्य के सबसे बुरे शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा।"

अवांछित तेज आवाज जो मानव की श्रवणशक्ति, स्वास्थ्य व आराम को कष्टदायी बनाती है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते है। ध्वनि प्रदूषण नगरीकरण की देन है। मोटर-कारों, उद्योगों आदि के कारण उत्पन्न शोर मानव जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण का मानव की नाडियों पर बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड रहा है। उसमें हृदय रोग, रक्तचाप आदि कष्ट होने की प्रबल संभावना रहती है। विश्व के महानगर ध्वनि प्रदूषण से इतने आक्रांत है कि एक बड़ी जनसंख्या बहरी होती जा रही है। डॉ समुअल रोजन ने ठीक ही कहा है, "आप चाहे शोर को क्षमा कर दें पर आपकी धमनियां नहीं करेंगी।" शोर की अधिकता से वार्तालाप में विघ्न, कार्यक्षमता में कमी, सनानहीनता आदि दोष भी उत्पन्न हो सकते है। डॉ लेविस सोन्टेन के अनुसार- अजन्मे बच्चे पर भी ध्वनि प्रदूषण के घातक प्रभाव हो सकते है। प्रबल तीखे शोर द्वारा अजन्मे भ्रूण का समूचा आचरण तथा जीवन के भावी समायोजन का तरीका तक परिवर्तित किया जा सकता है। वस्तुत शोर मनुष्य को समय से पूर्व ही बूढ़ा कर देता है।

ध्वनि प्रदूषण के कारण

Causes of Noise Pollution

1 **प्राकृतिक कारण (Natural Factors)** बादलों की गडगडाहट बिजली की कडक, भूकम्प व ज्वालामुखियों से उत्पन्न ध्वनियां तूफानी हवाएं तथा पहाडों से तीव्र गति से जल गिरने की ध्वनि आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है लेकिन वह शोर क्षणिक होता है, अत बहुत अधिक हानिकारक नहीं होता है।

2 **उद्योगों व मशीनो से ध्वनि प्रदूषण (Industry & Machines)** · आधुनिक युग में कल-कारखानों में विशाल मशीनों व सयत्रों के प्रयोग के कारण शोर प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। इसमे मजदूर वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण व सडक निर्माण आदि कार्यो में प्रयोग की जाने वाली मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

3 **परिवहन के साधनो से ध्वनि प्रदूषण (Means of transportation)** · सडक परिवहन के अतर्गत मोटर-कार बस, ट्रक रेल व स्कूटर आदि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है। महानगरों में यातायात बढ़ने के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण की समस्या गभीर रूप धारण करती जा रही है। सबसे अधिक शोर ट्रकों व भारी वाहनों से होता है। हवाई अड्डो के आस पास वायुयानों का शोर अत्यधिक तीव्र होता

है। जैट विमानों तथा सुपरसोनिक विमानों का शोर क्षेत्र में अधिक व्यापक होता है।

4 मनोरंजन के साधन व सामाजिक कार्यों से ध्वनि प्रदूषण (Entertainment & social work)

ध्वनि जो किसी मानव के लिए आनंददायक होती है, किसी दूसरे के लिए शोर सिद्ध हो सकती है कुछ लोग तेज आवाज में रेडियों व टेप आदि सुनते है जो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। सामाजिक उत्सवों में प्राय तेज आवाज मे संगीत व भजन प्रसारित करने का प्रचलन है। विभिन्न अवसरों पर पटाखे भी चलाये जाते है, जो भीषण व कर्कश शोर उत्पन्न करते है। चुनाव व हड़तालों के समय तेज आवाज में लाउडस्पीकरों के द्वारा भाषण दिये जाते है। इन सबसे शोर बढ़ जाता है जो मानव के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
Remedies

1 पुराने वाहनों के मुख्य मार्गो से निकलने पर रोक लगा देनी चाहिये।

2 कारखानों की स्थापना शहरों से पर्याप्त दूरी वाले स्थानों पर की जानी चाहिये।

3 वाहनों में तेज ध्वनि एवं बहुध्वनि वाले हॉर्न पर रोक लगाई जानी चाहिये।

4 उद्योगों से उत्पन्न शोर कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

5 मशीनों के सही रख रखाव से शोर को कम किया जा सकता है।

6 जिन कारखानो में शोर में कमी करना असंभव हो, वहा के श्रमिकों के लिए कर्ण प्लग व कर्ण बन्दकों का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिये।

7 विमानों को विशेष ढाल पर उतारा जाना चाहिये तथा हवाई अड्डों पर अधिकतम शोर सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

8 कार्यालयो व आवासगृहों में उचित निर्माण सामग्री व उपयुक्त बनावट से शोर को कम किया जाना चाहिये।

9 ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाने चाहिये।

(द) भू- प्रदूषण
Land Pollution

शब्द भूमि में मिट्टी व स्थलाकृति का सम्मिलित किया जाता है, लेकिन विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें किसी स्थान विशेष के सभी भौतिक लक्षणों का समावेश किया जा सकता है। हेनरी फ्रैड्रिक एमिल के अनुसार- "कोई भी दृश्य भूमि आत्मा की स्थिति की ही अभिव्यक्ति है।" जब भूमि में प्रदूषित जल रसायनयुक्त कीचड़, कूड़ा, कीटनाशक दवा और उर्वरक अत्यधिक मात्रा मे प्रवेश कर जाते है तो उसमे भूमि की गुणवत्ता घट जाती है। इसे भू-प्रदूषण कहा जाता है। भू- प्रदूषण की घटना भी आधुनिकता की देन है। डॉ रघुवंशी के शब्दों में "भूमि के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, भू-प्रदूषण कहलाता है।" पृथ्वी के धरातल का लगभग चौथाई भाग ही भूमि है, लेकिन इसका केवल 280 लाख वर्ग मील क्षेत्र ही आबाद व खेती योग्य भूमि के रूप में है। अत पृथ्वी पर उपयोग योग्य भूमि सीमित है। हर दृष्टि से मानव का भूमि के प्रति दृष्टिकोण समझदारी पूर्ण होना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं है। मानव अनेक प्रकार से भूमि को प्रदूषित कर रहा है अत भू-प्रदूषण मानव का भूमि के प्रति अविवेकपूर्ण व्यवहार का ही एक उदाहरण है।

वायु से भू-प्रदूषण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। रेगिस्तान में टीलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु के वेग से स्थानान्तरण एक सामान्य बात है। अधिक आर्द्रता व वर्षा वाले क्षेत्रों में भू-क्षरण हो जाता है। वायु के वेग से भूमि की कई ऊपरी परतें अपने स्थान से मीलों दूर चली जाती है। अत भू-प्रदूषण तीव्र गति से होता है।

भू-प्रदूषण के कारण
Causes of Land Pollution

1 कीटनाशक व उर्वरक (Pesticides & fertilizers) - कीटनाशक व उर्वरक भू-प्रदूषण के प्रमुख कारण है। इनके प्रयोग से फसलों की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन जब ये तत्व भूमि मे एकत्रित हो जाते है तो मिट्टी के सूक्ष्म जीवो का विनाश कर देते है। इससे मिट्टी का तापमान प्रभावित होता है और उसके पोषक तत्वों के गुण समाप्त हो जाते है। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या व कृषि के व्यापारीकरण के साथ-साथ कीटनाशकों व उर्वरकों के प्रयोग में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार कीटनाशक अपना रूप बदल कर फसलों से होते हुये मानव के शरीर में पहुच रहे है और स्वास्थ्य को क्षति पहुचा रहे है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष कीटनाशकों के कारण मर जाते है।

2 घरेलू अपशिष्ट (Domestic waste) - कूड़ा - करकट, गन्दा जूठन, सब्जियों की पत्तियाँ, गन्दा अपशिष्ट, लकड़ी, काँच व चीनी मिट्टी के टूटे हुए बर्तन, वृक्ष की

राख, कपड़े के टुकड़े, टीन के डिब्बे, सड़े गले फल व सब्जियां, अंडों के छिलके आदि अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ मिट्टी में मिलकर भू-प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में ऐसे अनेक पदार्थों की मात्रा लगभग डेढ़ करोड़ टन प्रतिवर्ष होती है। मुस्तफा कमाल तोल्बा के अनुसार ... नगर इस दिशा में अर्न्तराष्ट्रीय कचरा टोकरियां बन गये हैं।

3 औद्योगिक अपशिष्ट (Industrial waste) उद्योगों से निकले व्यर्थ पदार्थ किसी न किसी रूप में भू प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये पदार्थ ज्वलनशील, विषैले व दुर्गन्धयुक्त होते हैं और स्थान घेरते हैं। उद्योगों के प्रबन्धक इन पदार्थों को यूं ही भूमि पर फैंक देते हैं। अतः औद्योगिक क्षेत्रों के आस पास व्यर्थ पदार्थों का ढेर लग जाता है। वर्षा जल के साथ बहकर आये ये पदार्थ दूर-दूर तक की भूमि को प्रदूषित कर देते हैं अतः भूमि की गुणवत्ता में कमी होने लगती है। विकसित राष्ट्रों के महानगरों की कृषि भूमि इतनी अधिक प्रदूषित हो गई है कि वहां विकास के प्रति आन्दोलन उभरने लगा है।

4 नगरपालिका अपशिष्ट (Municipal waste) इसके अंतर्गत मुख्यतः कूड़ा-करकट, मानव मल, सब्जी बाजार के सड़े गले फल व सब्जियों का कचरा, बाग-बगीचों का कचरा, उद्योग, सड़कों, नालियों व गटरों का कचरा, मांस व मछली बाजार का कचरा, मरे हुये जानवर व चमशोधन का कचरा आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन सबसे भू प्रदूषण होता है। इन अपशिष्टों के समापन की व्यवस्था के लिए नगरपालिकाओं को अत्यधिक धन भी व्यय करना पड़ता है।

5 अन्य कारण (Other Causes)

(i) कृषि अपशिष्टों (व्यर्थ घास फूस तथा उर्वरक और कीटनाशक औषधियों) के कारण भी भू प्रदूषण होता है।

( ) नमी की कमी व अधिकता से भी भूमि प्रदूषित होती है। ऐसी स्थिति में लवणों की मात्रा बढ़ जाती है अतः भूमि में ऊसर के गुण आ जाते हैं।

( ) भू प्रदूषण के लिए कुछ सूक्ष्म जीव भी उत्तरदायी होते हैं। इनमें बैक्टीरिया प्रमुख हैं।

भू प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

Remedies

(1) ... व अपशिष्टों का ... किया जाना चाहिये।

(2) ... में ... तथा ... चाहिये।

(3) नागरिकों को चाहिये कि वे कूड़ा-करकट सड़क पर न फैंके।

(4) अस्वच्छ शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना चाहिये।

(5) अपशिष्टों के निक्षेपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(6) नागरिकों में सफाई के प्रति चेतना जागृत करनी चाहिये।

(7) भू-क्षरण को रोकने के उपाय करने चाहिये।

विश्व में प्रदूषण की स्थिति तथा पारिस्थितिकी संतुलन के प्रयास

POLLUTION IN THE WORLD AND EFFORTS FOR ECOLOGICAL BALANCE

स्थिति

Position

विश्व बैंक के एक शोध पत्र 'आटोमोटिव एयर पाल्यूशन इश्यूज एण्ड ऑप्शंस फार डैवलपिंग कंट्रीज' के अनुसार, तीसरी दुनिया के देशों में तेजी से शहरीकरण और मोटरवाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण खतरनाक सीमा तक पहुंच रहा है और सन् 2000 तक इन देशों के कुछ बड़े शहरों में प्रदूषण अब से दो गुना हो जाएगा।

शोध पत्र के अनुसार विश्व जनसंख्या 1985 ई. की 4 अरब 800 लाख से बढ़कर 2000 ई. तक 6 अरब हो जाने का अनुमान है, जिसकी अधिकतर बाढ़ विकासशील देशों पर पड़ेगी। सन् 1985 में विश्व में एक करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 12 महानगर थे, जिनमें से आठ महानगर विकासशील देशों में थे। सन् 2000 तक इनकी संख्या दोगुनी हो जाने की संभावना है। मोटरवाहनों की संख्या भी इसी अनुपात में बढ़ेगी। यदि समय रहते इनके कारण वायु प्रदूषण रोकने के लिए कदम नहीं उठाये गये तो इस शताब्दी के अन्त तक तीसरी दुनिया के 40 करोड़ से अधिक लोग खतरनाक हद तक प्रदूषण से प्रभावित होंगे।

शोध पत्र के अनुसार अध्ययन से यह पता चला है कि तीसरी दुनिया के बहुत से महानगरों में मोटरगाड़ियों से निकलने वाले सल्फरडाईऑक्साइड पदार्थों की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्देशित सुरक्षित मात्रा से बहुत अधिक है। ये शहर हैं - मुम्बई, मनीला, सिओल, साओ पाउलो, तेहरान, बैंकाक, जकार्ता, मनीला, साल ... कलकत्ता, तेहरान, बगदाद, बुडापेस्ट और इस्ताम्बूल, मैक्सिको

1 ... 4 ... 6 मई 1993 हिन्दुस्तान ... मई 1993

सिटी जहां जनसंख्या दो करोड से अधिक है विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है।

अध्ययन में बताया गया है कि हालांकि प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिंगापुर भारत थाईलैण्ड और हांगकांग में गाडियों से कार्बनडाई आक्साइड और अन्य हानिकारक तत्वों के निस्सरण की जांच की जाती है लेकिन यह बड़े शिथिल ढंग से ही हो पाती है।

शोध पत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए तीन सूत्री कार्यक्रम पर जोर दिया गया है ईंधन की बचत करने वाली स्वच्छ गाडियों का इस्तेमाल साफ ईंधन का प्रयोग और कुशल यातायात प्रबंध।

इस शताब्दी के अंत तक विकासशील देशों के 40 करोड से भी अधिक शहरी लोगों को वायु प्रदूषण के खतरनाक प्रभाव का सामना करना पडेगा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व की सडकों पर 60 करोड मोटर वाहन दौड रहे है और अगले लगभग 22 23 वर्षों में इनकी संख्या दुगनी होने की संभावना है। वाहनों की संख्या में अधिकांश वृद्धि विकासशील देशों में हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार कुछ देशों में तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता ही नहीं है। कुछ लोगों को वायु प्रदूषण से पर्यावरण या स्वास्थ्य को हानि यानी हानि के बारे में कोई जानकारी नहीं है हालांकि प्रत्येक देश में प्रदूषण उसके शहरों की समस्याओं भौगोलिक प जलवायु और वहां इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों पर निर्भर करता है।

वर्ष 2000 तक एक करोड की जनसंख्या वाले विश्व के शहरों में से तीन चौथाई शहर विकासशील देशों के होंगे। रिपोर्ट के अनुसार कई विकासशील देशों में मोटरवाहनों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपकरण नहीं लगे हुये है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वायु में सल्फर और नाइट्रोजन आक्साइड्स जैसे गैसों से हुए अम्लीय तेजाबी वर्षा से वन नष्ट हो सकते है और इमारतों को भी हानि पहुंच सकती है। विकसित देशों ने प्रकृति का बहुत बेदर्दी से शोषण किया है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 60% उपयोग इन्हीं देशों द्वारा होता है तथा ग्रीन हाउस (पादप गृह) प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों की बढोतरी के लिए भी पिछले पचास साल में यही प्रमुख दोषी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी विश्व की कुल आबादी की केवल छह प्रतिशत है पर वायुमण्डल में कार्बन डाई ऑक्साइड की कुल वृद्धि में से 23% वृद्धि केवल अमेरिका के कारण है। विश्व के सभी विकसित देश मिलकर 80 प्रतिशत कार्बन डाई-ऑक्साइड के लिए जिम्मेदार है जबकि सभी विकासशील देश मिलकर भी 20% की वृद्धि करते है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज के दिन लगभग 50 करोड पैट्रोल डीजल वाहन हर समय सडकों पर निरन्तर चल रहे है जिनमें से 80% वाहन समृद्ध देशों के है। यही हाल वायुयानों का है। इन सभी का कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा बढाने में योगदान रहता है।

प्रयास
Efforts

पृथ्वी सम्मेलन (Earth summit)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन 3 14 जून 1992 के दौरान रियो दी जनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व पर्यावरण और वन मंत्री ने किया। रियो सम्मेलन ने पर्यावरण और विकास के परस्पर संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करने और विकास नीतियों में उनको एकीकृत करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद मिली। सतत उपभोग पद्धतियां पर्यावरण और विकास के बीच संबंधों को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में बेहतर ढंग से महसूस किया गया। इस सम्मेलन से विश्वव्यापी भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त कर विकसित देशों के बीच सामान्य जानकारी के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ

पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र में सरकारों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के घोषणा पत्र के रूप में सतत विकास के सिद्धान्त दिये गये है। एजेण्डा 21 को अपनाया जाना जो पर्यावरण की सुरक्षा और विकास के साथ इसके मिलान के लिए कार्रवाई का व्यापक कार्यक्रम का एक सैट है। सभी प्रकार के वनों के प्रबंध संरक्षण और सतत् विकास के विश्वव्यापी सहमति के लिए सिद्धान्तों के कानूनी रूप से अबाध्यकर प्राधिकृत विवरण संबंधी रियो सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी कन्वेंशन और जैविक विविधता के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में उनके सीधे लाभ नहीं हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किये गये भारत ने रियो दि जनेरो में इन दोनों कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किये।

इसी सम्मेलन से हमारे देश में पर्यावरण की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है इस पर विचार करने से पहले हम पिछले कुछ वर्षों में घटी कुछ घटनाओं का सिंहावलोकन करते हैं तो हमें स्पष्ट संकेत मिलता है

1 राजस्थान पत्रिका, 16 मई 1993

6 जनवरी 1993 को प्रकाशित एक समाचार के अनुसार मालदीव का एक छोटा टापू समुद्र के गर्भ में विलीन हो गया। मालदीव में 1,196 टापू हैं और इनमें से कई सागर सतह से कुल 2 से 4 मीटर ऊपर हैं। ग्रीनहाउस प्रभाव से विश्व के औसत तापमान में बढोत्तरी होने से ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ अधिक पिघलती है जिससे समुद्र का जल स्तर बढ रहा है। पिछली एक शताब्दी के दौरान समुद्र के जल स्तर में केवल 15 सेंटीमीटर बढोतरी हुई थी पर वर्तमान दर के अनुसार सन् 2075 तक यह 30 से 219 सेंटीमीटर हो जायेगी। इससे बाग्लादेश, मालदीव, अमेरिका के तटवर्ती प्रदेश, नील डेल्टा, बगाल, उडीसा के तटप्रदेश सभी जलमग्न हो सकते है। बाग्लादेश का आधा भाग सागर तट से केवल 4 5 मीटर ऊपर है और सन् 2100 तक इसका 34% भाग जलमग्न हो सकता है। विश्व के कुछ प्रमुख नगर जैसे- न्यूयार्क, लदन, बबई, कोचीन, मद्रास, गोआ के तट आदि अतीत के गर्भ में डूब जायेंगे।

जनवरी, 1993 में बगाल की खाडी में निकोबार द्वीप समूह के पास डेनमार्क के एक तेलवाहक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने से इस क्षेत्र के समुद्रीय जीवन के लिए गभीर खतरा हो गया। जहाज में तीन लाख टन तेल लदा था। इसकी एक बडी मात्रा समुद्र के जल से रिस गयी और इस तेल की परत को नष्ट करने के लिये विशेष अपमार्जकों (डेटरजेंट) का छिडकाव किया गया। इस क्षेत्र में अनेक दुर्लभ समुद्री जीव-जन्तु व पौधे पाये जाते है। इनको तेल की मोटी परत से नुकसान होता है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार- हाल के वर्षो में बगाल की खाडी समुद्री जहाजों के लिए एक बडे कूडा-घर का काम दे रही है। जला हुआ स्नेहक, भट्टी का तेल और अन्य फालतू सामान यहा फैक दिया जाता है। इससे सुन्दर वन के तटों तथा समुद्री मछलियों के लिए भारी खतरा पैदा हो गया है।

6 अप्रैल 1993 को साइबेरिया के टॉमस्क-7 नामक नगर में एक भूमिगत स्टोरेज टैंक में रखे रेडियोधर्मी उत्सृष्ट पदार्थ विशेषकर यूरेनियम के मलबे में विस्फोट होने से एक बार फिर परमाणु विकिरण में पर्यावरण के प्रति गभीर खतरे की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। स्मरण रहे कि 26 अप्रेल 1986 को तत्कालीन सोवियत सघ के चैरनोबिल परमाणु रिएक्टर में भयकर दुर्घटना हुई थी। इससे न केवल आसपास के भू-भाग में भारी विनाश हुआ बल्कि दुर्घटना के कई दिन बाद तक आण्विक बादल यूरोप के बडे हिस्से में छाये रहे और पर्यावरण सतुलन के लिए महत्वपूर्ण पशुओं और पौधों की अनेक प्रजातियों का अस्तित्व ही खतरे में पड गया। भारत में समय-समय पर परमाणु ऊर्जा सयत्रों में गडबडियों भारी पानी के रिसने आदि के समाचार आदि आते रहते है। 31 मार्च 1993 को नरौरा परमाणु रिएक्टर के यूनिट प्रथम के जेनरेटर में आग लगने से एक बडी दुर्घटना होते-होते टल गई, क्योंकि आग मुख्य सयत्र से केवल 200 मीटर दूर लगी थी। इसके दो वर्ष पहले काकरापार रिएक्टर में भी आग लग चुकी थी। यद्यपि परमाणु ऊर्जा कमीशन के अध्यक्ष डॉ पी के आयगर के अनुसार - भारतीय परमाणु सयत्रों की रचना में चैरनोबिल की तुलना में बहुत अधिक सावधानी बरती गई है पर साथ ही एक सरकारी आकलन में परमाणु कार्यक्रम से भूमिगत प्राकृतिक जल भण्डारों को खतरे की चेतावनी दी गई है। यदि भूमिगत जल में रेडियोएक्टिव पदार्थ बढते है तो यह चिन्ता का विषय है, क्योंकि देश की आधी जनसख्या के लिए भूमिगत जल ही पेयजल का मुख्य स्रोत है। 17 मई, 1993 को बबई हाई तेल पाइपलाईन के फटने से समुद्र में 2 मील लबे और 400 मीटर चौडे क्षेत्र में तेल फैल गया।[1]

विश्व स्वास्थ्य सगठन(डब्ल्यू एच ओ) की हाल ही की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली बबई और कलकत्ता विश्व के उन प्रमुख नगरों में से है जहा का वायुमडल अत्यन्त दूषित हो चुका है। नेशनल एन्वयारनमेंटल इजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट की सालाना रिपार्ट के अनुसार- राजधानी दिल्ली ने वायु प्रदूषण में भारत में पहला व विश्व मे चौथाई स्थान ले लिया है। दिल्ली में पैट्रोल डीजल से चलने वाले 19 67 लाख वाहन है, जो प्रतिदिन वायुमडल म 250 टन कार्बन मोनो ऑक्साइड, 6 टन सल्फर डाई ऑक्साइड 400 टन हाईड्रोकार्बन व 600 किलो सीसा छोडते है। इन वाहनों के अलावा दिल्ली के थर्मल पॉवर स्टेशन सल्फर डाई ऑक्साइड तथा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर(एस पी एम) उगलते है। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कार्बन मोनो ऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ गई है कि ट्रैफिक पुलिस को गैस मास्क देने की योजना बनी है। इन गैसों के बढने से छाती में दर्द, सास लेने में तकलीफ कफ इत्यादि लक्षण प्रकट होते है।

भारत में प्रदूषण की स्थिति व पारिस्थितिकी संतुलन के प्रयास
POLLUTION IN INDIA & EFFORTS FOR ECOLOGICAL BALANCE

स्थिति :-

भारत सरकार के पर्यावरण एव वन मत्रालय की 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पजाब का गोविन्दगढ देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। राजस्थान का पाली नगर देश के दूसरे नगर का प्रदूषित शहर है। इनके

1 नवभारत टाईम्स 18 मई 1993

अतिरिक्त दुर्गापुर (पश्चिम बगाल) हावडा (पश्चिम बगाल) तलचर अगूल (उडीसा) डिगबोई (असम) धनबाद (बिहार) नजफगढ (दिल्ली) वापी (गुजरात) आदि देश के अन्य प्रदूषित शहरों के अतर्गत आते है। महानगरों में होने वाले कुल वायु प्रदूषण का 50 से 60% प्रदूषण वाहनों के माध्यम से होता है। वाहनों के धुए मे कार्बन मोनो आक्साइड और सल्फर डिआक्साइड जैसी जहरीली गैसें और सीसा होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 1987 के आकडों के अनुसार देश के 12 महानगरों में कुल मिलाकर लगभग 3000 टन प्रदूषणकारी तत्व वाहनों के धुए के रूप मे वायुमडल में छूटते है। 1976 की एक रिपोर्ट के अनुसार बबई में कपडा मिलों के कारण वायु प्रदूषण की मात्रा काफी अधिक है। दिल्ली में अनेक छोटे बडे 70 000 से अधिक उद्योग वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रकृति वनों के माध्यम से कार्बन डाइ आक्साइड के एक अश को वृक्षों के भोजन के रूप में काम में लेकर उसके स्थान पर आक्सीजन छोडती है जिससे वायुमडल म इन गैसों के मध्य सतुलन बना रहता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि एक हक्टेयर वन क्षेत्र लगभग 3 टन कार्बन डाई आक्साइड ग्रहण करके दो टन आक्सीजन वायुमडल में छोडता है। दुर्भाग्य से भारत में पर्याप्त वन भी नही है। प्रदूषित भूमिगत जल के कारण भारत में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख लोगो की अकाल मृत्यु होती है। इस प्रदूषित भूमिगत जल का कृषि पर भी बुरा असर पडता है। भारत में सतही जल भी भारी मात्रा में प्रदूषित है। इसका प्रमुख कारण नदियो व तालाबो मे उद्योगो नगरपालिकाओं आदि के दूषित अवशिष्ट को डाल देना है।

प्रयास -

1 भारत में पर्यावरण सरक्षण हेतु सरकारी अभिकरण Govt Agencies for Environmental Protection in India

पर्यावरण और वन मत्रालय (Ministry of Environ mental & Forest) पर्यावरण और वन सवर्द्धन की आवश्यकता का ध्यान म रखते हुये जनवरी 1985 म केन्द्र सरकार में पर्यावरण और वन मत्रालय की अलग से स्थापना कर दी गई थी इसके अधीन पर्यावरण विभाग और वन तथा वन्य जीव विभाग कायरत है।

पर्यावरण विभाग (Department of Environment) पर्यावरण विभाग पर्यावरण सबधी कार्यक्रमों के नियोजन प्रोत्साहन एव उनके समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड (The Central Pollu tion Control Board) यह बोर्ड जल और वायु प्रदूषण का पता लगाने और उस पर नियत्रण करने के लिए सर्वोपरि राष्ट्रीय निकाय है। यह राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्डो के कार्यकलापों को भी समन्वित करता है। बोर्ड के पास अपनी एक प्रयोगशाला है जो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थो तथा सामान्य पानी की कोटि पर निगरानी रखती है। बोर्ड द्वारा देश में पानी की कोटि की मासिक जाच के लिए केन्द्र स्थापित किये गये है। जल और वायु प्रदूषण के निवारण और नियत्रण से सबधित अधिनियमों को लागू करने से सबधित प्रशासनिक दायित्व भी केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्डो पर है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान सग्रहालय, नई दिल्ली (Na tional Natural Science Museum) इस सग्रहालय की स्थापना पर्यावरण सबधी मसलों के बारे में जनता को शिक्षित करने तथा उसमें जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई है।

केन्द्रीय गगा प्राधिकरण (Central Ganga authority) गगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य योजना के क्रियान्वयन तथा इस योजना में केन्द्र तथा राज्य स्तर पर सबधित एजेन्सियों को सम्मिलित करने का दायित्व केन्द्रीय गगा प्राधिकरण पर है। इस प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 1985 में की गई थी।

पारिस्थितकीय विकास बोर्ड (Ecological Develop ment Board) इस बोर्ड की स्थापना पर्यावरण की दृष्टि से गिरावट वाले क्षेत्रों का सम्पोषण करने की विधियों का प्रदर्शन करने पर्यावरण सबधी समस्याओं को हल करने में जनता की भागीदारी को बढावा देने तथा छात्रों ग्रामीण युवाओ व महिलाओं में पर्यावरण के बारे में सामान्य जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई है।

भारतीय राष्ट्रीय मानव तथा जीवमडल समिति और पर्यावरण अनुसधान समिति (Indian Nat onal Hu man & Biosphere Comm ttee & Environment Research Committee) यह समिति पर्यावरण सबधी अनुसधान करने अन्य सस्थानो से प्राप्त अनुसधान प्रस्तावो की समीक्षा करने तथा परियोजना की प्रगति का मूल्याकन करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे म सिफारिश करता है और अनुसधान के परिणामो के उचित क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त सुझाव भी देता है।

2 भारत में वन्य जीव सरक्षण Wild Life Protection in India

वन्य जीव से तात्पर्य वन म स्वच्छन्द विचरण करने वाले प्राणियो म है वन्य जीव [illegible]

कला सिखलाते है। स्वावलम्बन उनका गुण है। सुमधुर वन्य-जीवन के परितोषक है। उनका कलरव गुजन हमारे जीवन में स्फूर्ति का नव सचार करता है। वन्य जीव हमें प्रकृति के सौन्दर्य और उसके साथ जीवन क्रिया को आबद्ध कर नैसर्गिक जीवन जीने की प्रेरणा देते है।

हमारी गौरवशाली संस्कृति में वनों के विकास के साथ वन्य जीवों के सरक्षण को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है परन्तु पिछले कुछ दशकों में वन्य-जीवों के साथ मानव जाति का क्रूर व्यवहार हुआ है और हो रहा है। अवैध शिकार, वनों की कटाई आदि के परिणामस्वरूप कई वन्य-जीवों की प्रजातिया विलुप्त हो गई है अथवा उनकी सख्या में भारी गिरावट आई है। भारत में जिन वन्य-जीवों का सर्वाधिक ह्रास हुआ है, उनमें नीलगाय, कस्तूरी मृग सिंह गैंडा सफेद शेर, जंगली भैसा, गोडावण आदि के नाम प्रमुखता से लिये जा सकते है। वन्य जीवों का सरक्षण राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुका है। वन्य-जीव हमारी ही तरह समान रूप से प्रकृति में विचरने और स्वतत्रतापूर्वक जीने के अधिकारी है। गत वर्षों में राजकीय स्तर पर वन्य-जीव सरक्षण के लिए कई योजनाए प्रारभ की गई है।

राजकीय प्रावधान एव अभिकरण

वन्य जीव सरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्र सरकार ने 'इण्डियन वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972' पारित करके सर्वप्रथम प्रभावी कदम उठाया। इस अधिनियम में उन वन्य जीवों के सरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनकी जाति या उपजाति विलुप्त होने को है। साथ ही, राष्ट्रीय महत्व के अन्य पशु पक्षियों के सरक्षण का प्रावधान भी किया गया है तथा इसे एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

42 वें सविधान सशोधन द्वारा सविधान में सम्मिलित मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण एव वन्य जीव सरक्षण से सम्बंधित कर्तव्य भी सम्मिलित किया गया है। "प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसमें वन झील नदी और वन्य जीव सम्मिलित है रक्षा करे और सवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।"

वर्ष 1983 में वन्य जीवन सरक्षण एव सवर्द्धन हेतु एक राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना अपनाई गई। इस कार्य योजना के अतर्गत यह कदम उठाये गये है (i) सभी राष्ट्रीय उद्यानों वन्य जीव अभयारण्यों एव अन्य क्षेत्रों, जिनका सरक्षण अपेक्षित है का सर्वेक्षण किया गया है। (ii) वन्य जीव भण्डारों की प्रबंध योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गए है और उन्हें राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू किया गया है। (iii) राष्ट्रीय वन नीति का पुनर्रक्षण करने तथा उसमें सशोधन करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। (iv) वन्य जीव (सरक्षण) अधिनियम 1972 में किये गये सशोधनों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। और (v) सरक्षित प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

उपर्युक्त कार्ययोजना में निर्दिष्ट कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को आरभ कर उन पर निगरानी रखने के लिए 'केन्द्रीय वन्य-जीव सरक्षण निदेशालय और भारतीय वन्य जीव संस्थान', देहरादून केन्द्रीय अभिकरणों के रूप में कार्यरत है। वे यह कार्य राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों, जो देश में वन्य जीवों के सरक्षण और प्रबन्ध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है, की सहायता से करते है।

3 केन्द्र सरकार की प्रदूषण निवारण नीति, 1992 *Central Govt Policy of 1992*[1]

केन्द्र सरकार ने प्रदूषण को रोकने हेतु फरवरी 1992 में एक नई प्रदूषण निवारण नीति की घोषणा की। इस नीति के अतर्गत उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों द्वारा फैलाये जाने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु नए उपाय किये गये है। इस नीति के अतर्गत उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाने से रोकने हेतु किये गये मुख्य सुझाव इस प्रकार है

(i) उद्योगों की निर्माण-प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पर्यावरणीय विषयों को शामिल किया गया है।

(ii) इस नीति में प्रदूषण को स्रोत पर ही रोकने पर बल दिया गया है। इस हेतु सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उपाय अपनाने पर जोर दिया गया है।

(iii) प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई से क्षतिपूर्ति वसूल करने की बात भी नई प्रदूषण निवारण नीति के अतर्गत कही गई है।

(iv) इस नीति में यह भी कहा गया है कि बुरी तरह से प्रदूषित क्षेत्रों की समुचित सुरक्षा की जायेगी ताकि इन क्षेत्रों की जनता प्रदूषण से प्रभावित नहीं हो।

(v) इस नीति में पर्यावरण प्रदूषण से सबंधित मामलों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

(vi) पर्यावरण ऑडिट के बारे में कहा गया है कि औद्योगिक इकाइयों के अपने वार्षिक वित्तीय ब्यौरे की भांति पर्यावरण का भी ब्यौरा देना अनिवार्य होगा।

1 दैनिक राजस्थान पत्रिका 2 मई 1993

(vii) प्रदूषण पर नियंत्रण रखने वाले तरीके अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की गई है।

प्रदूषण निवारण नीति में औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए भी कुछ व्यवस्थाए की गई है, जिनका उद्देश्य उद्योगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में फैलने वाले प्रदूषण को रोकना है। ऐसी मुख्य बातें निम्नलिखित है -

(i) पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक किस्म के कीटनाशकों को क्रमबद्ध तरीके स प्रचलन से हटा लिया जायेगा।

(ii) उर्वरकों के प्रयोग व उत्पादन हेतु एक नई उर्वरक नीति बनाने की व्यवस्था की गई है।

(iii) जिन क्षेत्रों में खनन कार्य होता है यदि उनमें कोई क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से सवेदनशील प्रतीत होता है तो वहा खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iv) वाहनो के धुए से होने वाल प्रदूषण को रोकने हेतु कडे उपाय किये जायेंगे।

इस प्रकार नई प्रदूषण निवारण नीति में उद्योगों तथा अन्य माध्यमों में फैलने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु प्रभावी उपाय सुझाए गये है। पर्यावरण प्रदूषण की विकराल स्थिति को देखते हुये इन उपायों को लागू करना एक आवश्यता है। इन उपायों को कडाई से लागू किया जाना चाहिये। स्वय उद्योगों को भी चाहिये कि वे अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझते हुये पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली मशीनों व उपकरणों का प्रयोग रोके। उद्योगों में धूल धुआ गदा पानी व कचरा आदि हेतु ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि इनके द्वारा फैला हुआ प्रदूषण आसपास के वातावरण को दूषित नही करे। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसी मशीनों के उपयोग की आवश्यकता है जिनमें आवाज कम से कम हो। जिन मशीनों की आवाज अधिक हो उनम साइलेंसर जैसे उपकरणों को लगाया जाना चाहिये ताकि अनावश्यक ध्वनि को नियंत्रित किया जा सके।

इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों मे भी पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु प्रभावी प्रयासो की आवश्यक्ता है चाहे वह खतरनाक कीटनाशकों के माध्यम से फैलता हो अथवा उर्वरक उत्पादन से। हमारे हल्के तथा भारी वाहनों के माध्यम से निकलने वाली ध्वनि तथा धुए के माध्यम से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु प्रयासो करने जरूरी है। यद्यपि प्रदूषण रोकने हेतु कानून भी है परन्तु पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु स्व प्रयासों की नितात आवश्यकता है। कोई भी नीति या कानून तब तक पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं कर सकते है जब तक कि लोग उनमें बताई गई बातों को अपने जीवन के आत्मगात न कर लें। यही बात पर्यावरण प्रदूषण निवारण नीति व कानूनो के साथ लागू होती है। इन नीति की सफलता व्यक्ति, समाज तथा सरकार के सामूहिक प्रयासों पर ही निर्भर है। इस दिशा में गभीर प्रयासों की आवश्यकता है, तभी हम पर्यावरण प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण स्वय अपने लिए तथा हमारी भावी पीढियों के लिए कर सकेंगे।

राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति एव पारिस्थितिकीय संतुलन के प्रयास
POLLUTION IN RAJASTHAN & EFFORTS OF ECOLOGICAL BALANCE

राजस्थान मे प्रदूषण की स्थिति
Position of pollution in Rajasthan

भारत सरकार के पर्यावरण एव वन मत्रालय के 1992 93 क वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान का पाली शहर देश का दूसरे नबर का प्रदूषित शहर है। प्रदूषण की दृष्टि से देश में जोधपुर का 22 वा स्थान है। इस प्रकार राजस्थान में रगाई-छपाई तथा वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात शहर पाली राजस्थान में प्रदूषण की दृष्टि से प्रथम एव जोधपुर द्वितीय स्थान पर है।[1]

रेगिस्तानी क्षेत्र के इन शहरों की इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित रासायनिक जल से बाडी नदी के प्रभाव क्षेत्र के किनारे बसे लगभग 20 गाव 10 लाख से अधिक आबादी एव हजारो पशु प्रभावित हुये है। 45 किलोमीटर तक नदी के दोनो किनारों और 50 फीट तक के गहरे कुओं का पानी रगीन हो चुका है। 150 फीट तक भूमिगत जल प्रदूषित होकर पीने योग्य भी नहीं रहा है। राजस्थान का जयपुर शहर वायु प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है। जयपुर की शीतकालीन शाम व सुबह सीमा से अधिक प्रदूषित होती है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि झोटवाडा औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में त्रिपोलिया की हवा मानव जीवन के लिए अधिक हानिकारक है। इसका प्रमुख कारण त्रिपोलिया में मोटर वाहनों का आवागमन और इनके इजनों से निकलने वाला दूषित धुआ है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसधान सस्थान (नीरी) के तथ्यों के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि जयपुर में वायु प्रदूषण की यही स्थिति रही तो आगामी 5 वर्षों में जयपुर शहर भी अहमदाबाद व कानपुर जैसे दूषित शहरों की श्रेणी मे आ जायेगा और जयपुर वासी भी दिल्ली वालों की तरह फेफडो की बीमारियों व कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी स ग्रसित हो जायेंगे। नीरी जयपुर में 1978 स वायु प्रदूषण जाच के कार्य में लगा हुआ है। वैज्ञानिक श्री सेठ

1 राजस्थान टाइम्स, 18 अप्रेल 1993

का मानना है कि प्रथम में इस शहर का वायु अधिक प्रदूषित नहा थी। आज भी महानगरों की दृष्टि से इसका नाम निदते क्रम के शहरा में ही है। लेकिन प्रदूषण वृद्धि का गति को देख । हुये खतरा बहुत नजदीक है। राजस्थान के कोय शहर म प्रदूषण का समस्या विकराल रूप धारण कर चुका है। यह एक औद्योगिक नगरी है। अत यह शहर जल प्रदूषण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का समस्या मे ग्रसित है। कोयला कारखाना व काजन स्लज और इट भटटों का प्रदूषित वायु न शहर के पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित कर दिया है। इस प्रदूषण के फलस्वरूप शहर के अनेक व्यक्ति सिर दद आखो में जलन खासी दमा और पेट की बीमारियों म ग्रस्त हो रहे है। इसी प्रकार उदयपुर शहर क समीप रसायन उत्पादक उद्योगों के कारण लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में सभी जलस्रोत विषैले हो गये है एव कुओं का पानी लाल व बैंगनी हो गया है। एक जाच रिपोर्ट के अनुसार इस पानी से नलकूप खराब हो गए है भूमि का उर्वरापन समाप्त हो रहा है तथा एक लम्बे चौड इलाके म रंगीन बदबूदार पानी फैलकर धरती पर अपनी परत बिछा गया है। इससे कुछ स्थानों पर धरती पूरी तरह बंजर हो गई है। धातुमिश्रित इस पानी ने जमीन के नीचे स्थित जल भडार पर भी बुरा असर पडा है। पानी म सोडियम हाइड्रो आक्साइड भी मिला होना है। जाच क अनुसार उद्योगों के अव्यवहारिक जल अवशिष्ट मानसी नाला म बहकर घातक असर करता है। इस प्रकार पब्लिक कमीशन आफ एनवायरमन्ट एण्ड डैवलपमन्ट के अनुसार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों म पारिस्थितिकीय सतुलन का प्रदूषण के कारण गभीर खतरा का सामना करना पड रहा है।

राजस्थान में पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के संतुलन हेतु संस्थाएं

Agencies for Ecological Balance in *Rajasthan*

विश्व म पहली बार इस समस्या के बारे में 5 जून 1972 को स्टाकहोम म मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन म स्थापना प्रारंभ किया गया। 1975 म इंग्लैण्ड में विभिन्न राष्ट्रों ने यह तय किया कि सभी राष्ट्रो का राष्ट्रीय पर्यावरण नीति निर्मित करना चाहिये। इसी विचार के कारण पर्यावरण मुद्दा विश्व म वर्तमान स्थिति तक पहुचा है। भारत ने अपना राष्ट्रीय पर्यावरण नीति तय की है तथा राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र म पर्यावरण विभाग एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप म कार्यरत है राजस्थान म भी अक्टूबर 1983 म राज्य स्तर पर पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। इस प्रकार राजस्थान म पर्यावरण संभाग के लिए दो प्रमुख संस्थाए है

(अ) पर्यावरण विभाग राजस्थान

(ब) राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल

(अ) राजस्थान का पर्यावरण विभाग (Department of Environment in Rajasthan) अक्टूबर 1983 मे राज्य स्तर पर स्थापित पर्यावरण विभाग राजस्थान में प्राकृतिक ससाधनो के सरक्षण एव उनके कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यह वायु जल भूमि आदि के प्रदूषण निवारण एव नियंत्रण का प्रयास करता है तथा वन्य जीव वन राष्ट्रीय उद्यान एव अभयारण्यों का देखभाल करता है। यह विभाग पर्यावरणीय चेतना जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है और भारत सरकार के पर्यावरणीय विभाग द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों को भी संचालित करता है। राजस्थान के पर्यावरण विभाग की सभी योजनाओ का प्रारूप 'राज्य पर्यावरणीय योजना एवं समन्वय मण्डल' द्वारा निश्चित किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते है। 4 जून 1984 को इस मण्डल का विधिवत् गठन हुआ। पर्यावरण विभाग के विशेषाधिकारी इस मंडल के पदेन सचिव होते है। इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्थायी समिति गठित की गई। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समितियां बनाई गई है। राजस्थान के पर्यावरण विभाग ने 24 जुलाई 1983 से पारिस्थितिकी टास्क फोर्स राजस्थान द्वारा राजस्थान नहर के बायें किनार पर 150 किलोमीटर की लंबाई में वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास का कार्य आरंभ किया गया। पारिस्थितिकीय टॉस्क फोर्स ने इस योजना के अन्तर्गत नहर के बायें तट पर आधा किलोमीटर चौड़ाई में सघन वृक्षारोपण तथा उसके बाहर डेढ किलोमीटर चौड़ाई में चरागाह विकास का कार्य किया। इस कार्य से वन्य जीवों की वृद्धि हुई तथा अच्छे किस्म का चारा उपलब्ध हुआ एवं पर्यावरण में स्पष्ट सुधार दृष्टिगोचर हुआ। पर्यावरण विभाग ने पर्यावरणीय जनचेतना जागृत करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के माध्यम से पारिस्थितिकीय विकास शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों म पर्यावरण के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों का समावेश होता है शिक्षकों एवं अधिकारियों के लिए पर्यावरण विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि लोगों को पर्यावरण असंतुलन की जानकारी हो सके तथा उससे बचने के प्रभावी प्रयास किये जा सके। पर्यावरण से संबंधित विविध समस्याओं के निवारण हेतु सेमीनार एवं कार्य गोष्ठियों का आयोजन किया गया। पर्यावरण विभाग राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता है जिनसे पर्यावरणीय चेतना जागृत हो सके। इन

प्रतियोगिताओं में प्राथमिक विद्यालयों के लिए बालचित्रकला प्रतियोगिता माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निबन्ध प्रतियोगिता महाविद्यालय एव विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एव सभी लोगों के लिए फोटोग्राफी प्रतियोगिता प्रमुख है। पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण के प्रमुख घटकों की जानकारी प्रदान करने के लिए साहित्य तैयार किया जाता है एव वितरित किया गया है। विभाग के पुस्तकालय मे भी पारिस्थितकीय से सबधित पुस्तकें एकत्रित की गई है। पर्यावरण विभाग फिल्मों कठपुतली प्रदर्शन स्टिकर आदि के माध्यम से प्रचार कार्य करता है। यह पर्यावरण स सबधित कार्यक्रमों के सचालन हेतु स्वयसेवी सस्थाओ का सहयोग भी प्राप्त कर रहा है। पर्यावरण विभाग द्वारा पारिस्थितिकीय समस्याओ का अध्ययन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ चुने हुये धार्मिक पर्यटन एव ऐतिहासिक क्षेत्रों के पर्यावरणाय विकास का लक्ष्य निर्धारित कर उस पर कार्य किया जाता है। इसके अतर्गत गलता (जयपुर) पुष्कर (अजमेर) गागरोन दरगाह (झालावाड) पूछरी गिरी गोवर्धन (भरतपुर) माधला पगरा (उदयपुर) हनुमान जी की खेजडी (सूरतगढ) राडी के हनुमानजी (झालावाड) जैन मदिर (झालावाड) क्यासरा महादेवजी का मदिर (झालावाड) अचलगढ (माउण्ट आबू) ढाई दिन का झोपडा (अजमेर) ब्रह्माजी का मदिर (पुष्कर अजमेर) रानीजी की बावडी (बूदी) प्रमुख है पर्यावरण विभाग पर्यावरणीय अनुसधान प्रोजेक्ट निर्माण एव उनकी क्रियान्विति औद्योगिक इकाइयो के स्थल चयन मे सबधित अनापत्ति प्रमाण पत्र पर्यावरण माह का आयोजन विश्व एव राष्ट्रीय पर्यावरण दिवसों आदि का आयोजन भी करता है। यह भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के दिशा निर्देशो के अनुरूप समन्वय तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से नियमित सपर्क कर उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के पर्यावरण में सुधार लाने का कार्य भी करता है। सातवी योजना के अतर्गत इस विभाग पर 112 57 करोड रुपये व्यय किये गये। 1990 91 में पर्यावरण से सबधित एक कार्ट की स्थापना भी की गई ताकि इससे सबधित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। आठवीं योजना के अतर्गत राजस्थान के पर्यावरण विभाग पर 546 00 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान है। आठवी योजना के अन्तर्गत 3394 हैक्टयर भूमि पर भू सरक्षण का कार्य किया जायेगा। लगभग 460 पर्यावरणीय शिक्षा व चेतना कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे तथा 52 प्रसार एव विस्तार कार्यक्रम आयोजित किये जाने की योजना है। आठवी योजना में 30 नई पर्यावरणीय शोध तथा म ली जायेगी। केन्द्र सरकार की 1993 की पर्यावरणीय अधिसूचना से राजस्थान के पर्यावरणीय विभाग का कार्य अत्यन्त व्यापक एव महत्त्वपूर्ण हो गया है।

(ब) राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एव नियत्रण मडल

राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एव नियत्रण मडल की समस्त गतिविधियों का समन्वय प्रशासनिक दृष्टि से पर्यावरण विभाग द्वारा किया जाता है। इस मडल ने पाली झुझनू कोटा जोधपुर उदयपुर अलवर व भीलवाडा जिले में पर्यावरणीय स्थिति का गहन अध्ययन किया है। राजस्थान मे प्रदूषण की बढती हुई समस्या से सभी चिंतित है। प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पडता है तो इससे विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष दूषित परिणाम जैसे भूमि की उत्पादकता मे ह्रास आदि भी वहन करने होते है। वायु एव जल प्रदूषण पर प्रभावी नियत्रण के लिए यह मडल कार्य करता है कुछ ही समय पूर्व इसे नुकसान देह पदार्थों एव बेकार पदार्थों के प्रबध का कार्य भी सौंपा गया है। यह अपने विभिन्न कार्यों का सपादन विभिन्न प्रदूषण अधिनियमो के अन्तर्गत करता है। इसकी प्रमुख क्रियाओं में प्रदूषण का न्यूनतम करना शहर के गदे पानी को उचित प्रकार से नियत्रित करना गदे पानी का उचित क्रियाविधि से सिचाई एव औद्योगिक कार्यों में उपयोग में लाना नये उद्योगों का इस प्रकार स्थान निर्धारण करने की सलाह देना जिससे प्रदूषण न्यूनतम हो। यदि आवश्यक हो तो विद्यमान उद्योगों को भी नये स्थान पर स्थापित करने की सलाह दी जा सकती है। मडल ऐसे उद्योगों का भी पता लगाता है जो नुकसान देह पदार्थों का उपयोग या उनका उत्पादन कर रहे है। उनसे निकलने वाले नुकसान देह पदार्थ कौन से है और उनका भली भाति डिस्पोजल किया जा रहा है अथवा नही इसका मूल्याकन भी किया जाता है। इस मडल द्वारा घरेलू बेकार पानी उत्पन्न प्रदूषण को नियत्रित करने के लिए निम्नलिखित को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी (i) ऐसे सभी शहर जिनकी जनसख्या एक लाख से ऊपर है। (ii) ऐसे शहर जहा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के कारण प्रदूषण है तथा (iii) ऐसे शहर जो धार्मिक महत्व के है। मण्डल यह प्रयास करेगा कि सभी वृहद् एव मध्यम स्तर के उद्योग प्रदूषण को नियत्रित करने के उचित प्रयास करे तथा लघु उद्योगों को भी प्रदूषण नियत्रण के उचित उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। आठवी पचवर्षीय योजना में राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एव नियत्रण मडल के लिए 750 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान मे पारिस्थितिकी सतुलन हेतु वन विकास (Forest Development for Ecological Balance in Rajasthan)

वैज्ञानिकों की मान्यता है कि जिन क्षेत्रों में 6% से कम वन होते है उन क्षेत्रों में सभ्यताए नष्ट हो जाती है एव

पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये राज्य में वन विकास के प्रयास किये गये है। इस हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जापान सरकार की सहायता से वृक्षारोपण योजना क्रियान्वित की जा रही है। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में वन विकास के लिए भी जापान सरकार की सहायता से 176 करोड़ रूपये की एक योजना स्वीकृत की गई है। डूंगरपुर जिले में स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से वन विकास तथा वृक्षारोपण का एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के माध्यम से चल रही वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियों की परियोजना पर लगभग 20 करोड़ रूपये का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मिलना संभावित है। तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन में आदिवासियों को विशेष लाभ देने के उद्देश्य से तेंदूपत्ता संग्रहण व विपणन का कार्य आदिवासियों की सहकारी समितियों को निर्धारित राशि पर देने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश को हरा भरा करने के उद्देश्य से 'हरित राजस्थान' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार के आकलन के अनुसार वृक्षारोपण की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। वृक्षारोपण एवं वन विकास कार्य में जनता की भागीदारी स्थापित करने के उद्देश्य से ग्रामस्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है, ताकि स्थानीय लोग वनों की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले सकें। इन समितियों को अंतिम विदोहन से प्राप्त होने वाली राशि का 50% हिस्सा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, लघु वन उपज,फल-फूल घास आदि का लाभ भी समिति के सदस्यों को मिलेगा। राजस्व रिकार्ड में सही अंकन नहीं होने के फलस्वरूप कई स्थानों पर वन भूमि को राजस्व भूमि समझकर उसका आवंटन आदिवासियों तथा अन्य किसानों को कर दिया गया। ऐसी भूमियों के कब्जों को लेकर आवंटियों के खिलाफ जो मुकदमे चलाये गये थे वे वापस ले लिये गये है तथा ऐसी भूमियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। कृषि वानिकी के अंतर्गत लगाये गये वृक्षों को काटने व उनकी लकड़ी बेचने पर लगे प्रतिबंधों का शिथिलीकरण किया गया है। अब मान वृक्ष प्रजातियों की लकड़ी को काटने तथा बेचने की छूट दे दी गई है। तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए मजदूरी को दुगना बढ़ाया गया। इससे आदिवासी श्रमिकों को 5 करोड़ रूपये के अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त हुई।

संविधान निर्माताओं ने 'वन' विषय को राज्य सूची में रखा गया था परन्तु आपातकाल के दौरान इस विषय को समवर्ती सूची में ले लिया गया और इसके फलस्वरूप भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू किया। इस अधिनियम के कारण वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है। वन भूमियों में नहर निकालने, बिजली के तार ले जाने और तालाब व सड़क निर्माण सरीखे जनोपयोगी कार्यों को भारत सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। केन्द्र सरकार से अनुमति मिलना कठिन होने के कारण इन कार्यों के सम्पादन में विलम्ब होता है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से इस विषय को पुनः राज्य सूची में रखने हेतु अनुरोध किया है। राजस्थान के वनों का विस्तृत विवेचन एक अन्य अध्याय में किया गया है।

राजस्थान में वन्य जीवन एवं उनका संरक्षण

WILD LIFE &THEIR PROTECTION IN RAJASTHAN

प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन-चक्र में वन्य जीवों की अपरिहार्य भूमिका है। मनुष्य पर कई प्रकार से उपकार करने वाले ये पशु-पक्षी वनस्पति जगत की आवश्यक प्रक्रियाओं का केन्द्र है और हमारे जीवन का आधार खाद्यान्न भी उपलब्ध कराते है। इसीलिये ये जीव हमारी संस्कृति से अभिन्न रूप में जुड़े हुये है।

राजस्थान ने प्रकृति की अमूल्य धरोहर इन वन्य जीवों को यथासंभव सहेज कर रखा है। यही कारण है कि राज्य में वनों का क्षेत्रफल देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में कम होने के बावजूद राजस्थान वन्य जीवों की दृष्टि से देश में असम के बाद, दूसरे स्थान पर है।

राजस्थान में वन्य जीव मुख्यत निम्नांकित जिलों के वनक्षेत्रों में है

चीता	उदयपुर सिरोही भीलवाड़ा झालावाड़, डूंगरपुर तथा सवाईमाधोपुर तथा अजमेर।
बाघ	भरतपुर, धौलपुर अलवर करौली, प्रतापगढ़ डूंगरपुर कोटा झालावाड़ बूंदी उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़।
तेंदुआ	अलवर भरतपुर [illegible] उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़
[illegible]	भरतपुर अलवर सवाईमाधोपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर अजमेर कोटा एवं झालावाड़।
[illegible]	भरतपुर सवाईमाधोपुर सिरोही उदयपुर भीलवाड़ा तथा [illegible]।
[illegible]	सवाईमाधोपुर भरतपुर उदयपुर सिरोही [illegible] तथा जोधपुर।

काला हिरण	भरतपुर जयपुर अजमेर सिरोही बाड़मेर और कोटा।
नील गाय	भरतपुर सवाईमाधोपुर अजमेर कोटा जोधपुर तथा झालावाड़।
चौसिंघा हिरण	सिरोही और भरतपुर।
खरगोश	भरतपुर करौली सवाईमाधोपुर कोटा सिरोही भीलवाड़ा व अजमेर।
खेवरा	बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर और जालौर।
गोडावन	बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर।
कुलकुच	जालौर बाड़मेर जोधपुर जैसलमेर और श्रीगंगानगर।
तीतर	भरतपुर सिरोही टोंक भीलवाड़ा बांसवाड़ा जालौर और अजमेर।
बटेर	जालौर, सिरोही डूंगरपुर और जोधपुर।

संरक्षण

देश की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान वन्य जीवों की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि तत्कालीन देशी राज्य 'शिकारियों का स्वर्ग' माने जाते थे तथापि रियासती शासक वनों एवं वन्य जीवों के संवर्धन को भी प्रोत्साहित करते थे लेकिन स्वतंत्रता पश्चात् राज्य में वनों तथा वन्य जीवों पर मनुष्य के भयंकर अतिक्रमण के परिणामस्वरूप पशु पक्षियों का तेजी से विनाश होने लगा। वनों की अनियंत्रित कटाई और वन्य जीवों के निष्प्रयोजित शिकार की प्रवृत्ति से वनों में विचरण करने वाले पशु पक्षियों की संख्या में तीव्र ह्रास होने लगा। चीता गोडावन सिकमं पिंक हैडेड डक आदि वन्य जीव लुप्त हो गये। अतः इस शर्मनाक स्थिति से आगाह होकर राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण को समुचित महत्व दिया वन्य जीव संरक्षण को राज्य की योजना में अनिवार्य स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का कड़ाई से पालन करते हुये वन्य जीव के शिकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा दिया गया है। दुर्लभ पशु-पक्षियों के संरक्षण के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि के लिए भी योजनाबद्ध प्रयास किये जा रहे है।

वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण तथा उनकी संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 2 राष्ट्रीय उद्यान तथा 23 वन्य जीव अभ्यारण्य विकसित किए जा चुके है।[1] जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर व बीकानेर में एक-एक जंतुशाला भी स्थापित की गई है। राज्य के 32 वन्य-क्षेत्रों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सींग खाल तथा परों का निर्यात भी प्रतिबन्धित किया जा चुका है।

राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य-जीव अभयारण्य

NATIONAL PARKS & WILD LIFE SANCTUARIES IN RAJASTHAN

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर जिले में प्रख्यात रणथम्भौर दुर्ग के चारों ओर विस्तृत इस प्राकृतिक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भारत के अन्य वन्य जीव अभयारण्यों की तुलना में सर्वाधिक वन्य जीव विचरण करते हैं। वर्ष 1974 में इसे 'प्रोजेक्ट टाइगर' के अंतर्गत चयनित किया गया। भारत सरकार विश्व वन्य जीव कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन के सहयोग से यहां बाघ संरक्षण की योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रीय निदेशक प्रोजेक्ट टाइगर रणथम्भौर सवाईमाधोपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में है। 'प्रोजेक्ट टाईगर' के अन्तर्गत यहां बाघों के संरक्षण संवर्द्धन के साथ साथ अन्य वन्य जीवों तथा वन सम्पदा और पर्यावरण के संरक्षण का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 20 बाघों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में चीतल साभर जंगली सूअर नीलगाय लकड़बग्घा और सियार आदि भी विचरण करते है। उद्यानों में विभिन्न किस्म के पक्षी भी उपलब्ध है।

केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान यह उद्यान घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह पक्षी विहार भरतपुर से दो किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में लगभग 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इस पक्षी विहार में उथले पानी की झील का फैलाव है जिसमें जलीय वनस्पतियां उगा रहती है। झील के साथ साथ भूमि पर भी कदम्ब और अकेशिया के पेड़ों के घने जंगल पक्षियों को आकर्षित करते है। पक्षी अपना भोजन जलीय वनस्पति एवं जलजीवों से आसानी से प्राप्त कर लेते है।

> इस विश्व प्रसिद्ध पक्षी विहार में 332 प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। इस अभयारण्य में साइबेरिया ताशकन्द नेपाल चीन जापान मंगोलिया आदि स्थानों से हजारों मील की दूरी तय कर विदेशी पक्षी शीतकालीन प्रवास के लिए आते है। ये नवम्बर से मार्च तक यहां रहते है। प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन क्रेन (साइबेरिया का सारस) प्रमुख आकर्षण का केन्द्र रहता है। इसके अतिरिक्त यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों में व्हाइट स्टार्क पिनटल मलार्ड कूट पार्पल हेरान गार्ड वीजन मैडवाल शावलर्स लैपविंग पोचर्डस आदि प्रमुख है। देशी प्रजातियों में बगुले रूबा डीत पेन्टेड स्टॉर्क ओपन बिल स्टॉर्क स्पूनबिल काल्स कोरमोरेन्ट कठफोड़वा बुलबुल पानी मुर्गा भारतीय सारस आदि प्रमुख है। इस उद्यान में पक्षियों के अतिरिक्त सांभर चीतल नीलगाय सियार आदि वन्य जीव भी है।

1 1. Economic Review 1997-98 Govt. of Rajasthan

राष्ट्रीय मरू उद्यान : मरूभूमि में प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखने, वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने और करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में दबे हुये जीवावशेषों (Fossils) को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 1981 में राष्ट्रीय मरू उद्यान की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया। इसे जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के 3 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय मरू उद्यान की योजना पर कुल 2.47 करोड़ रूपये का व्यय का प्रावधान है।

इस उद्यान में गोडावण (ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड), चिंकारा, काला हिरण, चौसिंघा आदि वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। गोडावण (राजस्थान का राज्य पक्षी) शर्मीले स्वभाव का और एकान्त में घूमना पसंद करने वाला पक्षी है। राष्ट्रीय मरू उद्यान में आवश्यक वातावरण व सुविधाएं उपलब्ध कराके इस दुर्लभ पक्षी की वंशवृद्धि के विशेष प्रयास किये जा रहे है।

रेगिस्तान के इस भू-भाग पर लाखों वर्ष पूर्व विविधतापूर्ण वृक्षों से सम्पन्न सघन वन थे, जिनके अवशेष यहां की भूमि के नीचे दबे हुये मिलते है उद्यान में 'अकाल' नामक क्षेत्र में ऐसे विशाल जीवाश्म प्राप्त हुये है। इन जीवाश्मों का संरक्षण भी मरू उद्यान योजना का प्रमुख प्रयोजन है।

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य : अलवर जिले में, अलवर से 35 मील दूर स्थित सरिस्का अभयारण्य 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभयारण्य को भी बाघ संरक्षण के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट टाईगर' में सम्मिलित कर लिया गया है। इस अभयारण्य में शेरों व बाघों के अतिरिक्त साभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंघा, खरगोश, जंगली सूअर आदि वन्य पशु स्वच्छन्द विचरण करते है।

दर्रा वन्य-जीव अभयारण्य : कोटा से 48 किलोमीटर दूर विन्ध्य पर्वत श्रृंखला की सुरम्य घाटियों में 200 वर्ग किलोमीटर में दर्रा अभयारण्य विस्तृत है। इस अभयारण्य में साभर, नीलगाय, चीतल, हिरण और जंगली सूअर अच्छी संख्या में है। यहां कुछेक बाघ व शेर भी है। इसमें अनेक किस्म के पक्षी भी है।

कुम्भलगढ़ वन्य-जीव अभयारण्य : उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर कुम्भलगढ़ के निकट 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस वन्य जीव अभयारण्य के निकट राणकपुर के मंदिर और कुम्भलगढ़ दुर्ग भी पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र है। इस अभयारण्य में लंगूर बहुतायात से मिलते है। इनके अतिरिक्त साभर, चीतल, चौसिंघा, जंगली सुअर, तेंदुआ, रीछ आदि वन्य जीव भी विचरण करते है।

जयसमन्द वन्य जीव अभयारण्य : उदयपुर से लगभग 53 किलोमीटर दूर स्थित इस अभयारण्य में चीतल, काला भालू, साभर, जंगली सूअर, तेंदुआ आदि वन्य जीव मिलते है। यह अभयारण्य जयसमंद झील के निकट अरावली की घाटी में लगभग 52 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।

तालछापर मृग अभयारण्य : चुरू जिले में सुजानगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित इस अभयारण्य में मुख्यतः काले हिरणों को संरक्षण दिया जा रहा है। यहां काले हिरणों की संख्या 500 से भी अधिक है।

आबू पर्वत वन्य जीव अभयारण्य : सिरोही जिले में माउण्ट आबू के समीप लगभग 115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस पर्वतीय अभयारण्य में जंगली सुअर, रीछ साभर, नीलगाय, तीतर, जंगली मुर्गा एवं विविध जातियों के पक्षी मिलते है।

धौलपुर वन विहार अभयारण्य : धौलपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर लगभग 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस पर्वतीय अभयारण्य में साभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, मोर आदि मिलते है। समीप स्थित झील के किनारे विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे जा सकते है।

सीता माता अभयारण्य : यह अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहां साभर, हिरण, भेड़िया, चौसिंघा, लंगूर, जंगली भालू, नील गाय, जंगली सूअर और बाघ आदि वन्य जीव देखे जा सकते है।

नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य : जयपुर जिले में स्थित इस अभयारण्य में मुख्यतः चिंकारे ही विचरण करते है।

जमवा रामगढ़ वन्य-जीव अभयारण्य : जयपुर जिले में जमवा रामगढ़ के समीप लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस अभयारण्य में चिंकारा, नीलगाय, लंगूर, चीतल, मोर आदि वन्य जीव देखे जा सकते है।

रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य : बूंदी जिले में लगभग 300 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस अभयारण्य में कई साधारण वन्य जीवों के अतिरिक्त कुछ बाघ भी उपस्थित है।

चम्बल राष्ट्रीय अभयारण्य : कोटा में चंबल नदी पर स्थित इस अभयारण्य में मगरमच्छ और जलचरों का संरक्षण दिया जा रहा है।

अमृतादेवी कृष्णमृग पार्क . जोधपुर जिले के खेजडली में लुप्त हो रही हिरण प्रजाति के लगभग 500 काले हिरण हैं, जिनके संरक्षण के लिए यह मृग वन लगभग 50 हैक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इस पार्क का नामकरण आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण देने वाली अमर शहीद अमृतादेवी के नाम पर किया गया है।

सुस्थिर या स्थायी विकास की अवधारणा
CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

सुस्थिर विकास से अभिप्राय उस विकास से होता है जिसे भविष्य में भी जारी रखा जा सके। दूसरे शब्दों में आज का मानव वर्तमान विकास का लाभ उठाते समय यह ध्यान रखे कि वर्तमान विकास के फलस्वरूप भावी पीढ़ी को पर्यावरण के पतन की हानियां वहन न करनी पड़े। अतः वर्तमान पीढ़ी को अपनी आवश्यकतायें इस प्रकार पूर्ण करना चाहिये कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इसलिये सुस्थिर विकास की अवधारणा के अनुसार वर्तमान एवं भावी मानव के हितों को ध्यान में रखते हुये प्राकृतिक साधनों का विदोहन, विकास एवं संरक्षण किया जाता है। इससे न केवल भावी मानव के हितों की रक्षा होगी वरन् मानव कल्याण भी अधिकतम हो जायगा।

पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थायी विकास की समस्याएं
Environmental Pollution & Problems of Sustainable Development

(अ) विश्वव्यापी समस्याएं (Global Problems)
(ब) राष्ट्रीय समस्याएं (National Problems)
(स) राज्य की विशिष्ट समस्याएं (State Problems)

(अ) विश्वव्यापी समस्याएं
Global Problems

1 सल्फर से प्रदूषण (Pollution by sulphur emissions) विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व की सड़कों पर 60 करोड़ मोटरवाहन चल रहे हैं और आगामी 22-23 वर्षों में इनकी संख्या दुगनी होने की संभावना है। वाहनों की संख्या में अधिकांश वृद्धि विकासशील देशों में हो रही है। किसी देश में इन वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण की गंभीरता का ज्ञान उस शहर विशेष की समस्याओं, भौगोलिक पक्षों, जलवायु और वहां प्रयोग किए जाने वाले वाहनों पर निर्भर करता है। अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में मोटरवाहनों में प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरणों का प्रयोग नहीं होता है। विश्व बैंक के प्रतिवेदन में यह चेतावनी दी गई है कि इन वाहनों (जो कि निश्चय ही विकास के साथ-साथ बढ़ते चले जायेंगे) के कारण वायु में सल्फर और नाइट्रोजन आक्साइड जैसे रसायनों की मात्रा वातावरण में घुलती चली जायेगी। वाहनों से निकला हुआ सल्फर डाई ऑक्साइड आंखों व श्वास नलिका पर बुरा प्रभाव डालेगा। इससे मनुष्य की संवेदनशीलता कम हो जाती है। इस गैस के कारण लोगों में कैंसर और हृदयरोग जैसी घातक बिमारियां हो जाती है। औद्योगिकीकरण के कारण शहर में रहने वाले औद्योगिक अवशिष्टों में भी सल्फर डाई ऑक्साइड जैसी घातक गैस निकलती है। यदि वायुमंडल में कोहरा व आर्द्रता होती है तो इस गैस का घातक प्रभाव और भी बढ़ जाता है। मोटरगाड़ियों की बढ़ती संख्या से विशेष रूप से महानगरों में, प्रदूषण गम्भीर रूप धारण कर रहा है। मोटरगाड़ियों के चलने से कई प्रकार के प्रदूषित तत्व धुएं के रूप में वातावरण में मिलते रहते है। 1980 से 1987 के मध्य विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों के नगरों न्यूयॉर्क (अमेरिका), सिडनी (आस्ट्रेलिया), ग्लासगो (ब्रिटेन), फ्रेंकफर्ट (जर्मनी) हेलसिंकी (फिनलैण्ड) बुसैल्स (बेल्जियम) मिलान (इटली) तथा मेड्रिड (स्पेन) में सल्फर का उत्सर्जन निर्धारित स्तर से अधिक रहा।

औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र जहां पर अधिकांश लोग प्रदूषण के प्रति अत्यन्त जागरूक है वहां भी प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। विकासशील राष्ट्रों में तो अधिकांश लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक ही नहीं है। उनमें प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है। ऐसी स्थिति में विकास के कारण परिवहन साधनों में तीव्र गति से वृद्धि होना स्वाभाविक है। फलस्वरूप इनके कारण होने वाला प्रदूषण भी भविष्य में मानव के लिए चुनौती सिद्ध होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि समुद्र के किनारे बसे शहरों और अत्यधिक हरियाली वाले क्षेत्रों में प्रदूषण का प्रभाव कम दृष्टिगोचर होता है क्योंकि वहां जल एवं वृक्ष प्रदूषणकारी गैसों का काफी बड़ी मात्रा में सोख लेते है। इसलिये लोगों पर विषैली गैसों का घातक प्रभाव कुछ कम हो जाता है। जिन क्षेत्रों में हरियाली हो और न ही गैसों के फैलने के लिए खुला जगह हो वहां प्रदूषण का प्रभाव घातक होता चला जाता है। गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में वायु प्रदूषण का असर और बढ़ जाता है क्यों कि सर्दी के कारण गैसें वातावरण में फैल नहीं पाती और नीचे ही रह जाती है। ये नीचे रहने वाली गैसें अधिक

घातक प्रभाव डालती है। अतः इस समस्या का हल इस बात में निहित है कि मोटर परिवहन प्रदूषण से मुक्त हो। आरंभ में प्रदूषण का एक न्यूनतम स्तर स्वीकार किया जा सकता है किन्तु अन्ततः वे पूर्णतः प्रदूषणमुक्त हों, ऐसी अवस्था आवश्यक है। इसके लिए आरंभ में सभी वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। बाद में धीरे धीरे बिजली चालित व सौर चालित आदि प्रदूषणमुक्त शक्ति के साधनों से चलने वाले वाहनों का विकास किया जा सकता है।

2 पारम्परिक वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन (Emissions of Traditional Pollutants) : पारम्परिक प्रदूषकों में धूल, धुएं व गैसों का प्रमुख स्थान है। विकास के साथ-साथ इनमें तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इस प्रकार के प्रदूषण से धीरे धीरे इमारतों और स्मारकों को भी नुकसान पहुंचा है।

औद्योगिक राष्ट्रों के अंतर्गत कनाडा में परम्परागत वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन सर्वाधिक है। तत्पश्चात् क्रमशः अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। परम्परागत वायु प्रदूषकों की स्थिति विकासशील राष्ट्रों में और भी गंभीर है। जिन स्थानों पर छोटे-बड़े उद्योग केन्द्रित हो गये हैं, उन स्थानों पर तो धुएं, धूल, गैस और बदबू से संपूर्ण वातावरण प्रदूषित रहता है। इन स्थानों पर सदैव शोरगुल रहता है। इस ध्वनि प्रदूषण के कारण हृदयगति और श्वासक्रिया तेज हो जाती है। उच्च रक्तचाप और अल्सर की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार- यदि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो सन् 2000 तक महानगरों में रहने वाले अधिकांश नागरिक या तो ऊंचा सुनने लगेंगे या पूर्णतया बहरेपन के शिकार हो जायेंगे।

पर्वतों की स्वच्छ हवा और जीवनदायी जल दूर-दूर से लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए यहां पर रहने व आने के लिए आकर्षित करते थे, लेकिन अब तो पर्वतों पर भी प्रदूषण का आगमन हुआ है। पर्यटन ने नदियों के उद्गम-स्थलों और पहाड़ों की चोटियों पर कूड़े के ढेर जमा कर दिये हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से नदियों के तट मल से दूषित हो रहे हैं। भूस्खलन और भूक्षरण से जल की शुद्धता समाप्त हो जाती है। खनन जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है क्योंकि खनन क्षेत्रों से खनिजों के अवशेष पानी के साथ बहकर आते हैं। इनमें जहां एक ओर चूना पत्थर निकालने से धरती के वनस्पति कवच का ह्रास हुआ है, जो पानी का संरक्षण व शुद्धिकरण करता था, तो दूसरी ओर चूलकण हवा में मिल गए हैं। वनों की कटाई, निर्माण कार्यों और खनिज कार्यों से वातावरण में धूल की मात्रा बढ़ी है। भोजन पकाने, ईंधन, विद्युत का उत्पादन करने और यहां तक कि श्वास क्रिया से भी पर्यावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। इस कारण पारम्परिक प्रदूषकों की स्थिति की दृष्टि से, विकसित एवं विकासशील, दोनों ही राष्ट्रों के समक्ष लगभग एक जैसी समस्या विद्यमान है।

परम्परागत वायु प्रदूषकों पर नियंत्रण पाने के लिए लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। इसके साथ ही उद्योगों के केन्द्रीयकरण, शहरीकरण की प्रवृत्ति और वन विनाश को रोकना होगा, शक्ति के साधनों के रूप में कोयला व लकड़ी आदि का उपयोग धीरे धीरे घट करना होगा। वृक्षारोपण की गति बढ़ानी होगी और विद्यमान वनों को बचाना होगा।

3 बढ़ती जनसंख्या व शहरीकरण (Growing Population & Urbanisation) : विकास की धुरी प्रायः वनों के दोहन से प्रारंभ होती है। बढ़ती जनसंख्या, शहरों के विस्तार, कृषि भूमि, बांधों के निर्माण आदि के कारण वनों की अंधाधुन्ध कटाई से आज पर्यावरण-असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रकृति ने मानव को पाला-पोसा एवं संवारा है, परन्तु आज विज्ञान का युग है जिसमें मनुष्य प्रकृति की गोद छोड़कर रोजी-रोटी व अपनी बढ़ती आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शहर की ओर भागा चला जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या से विवश होकर मानव ने बहुत तीव्रता से वन और पर्वत काटकर बहुउपयोगी तथा आवासीय भूखण्डों का निर्माण किया है। इसमें पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण का संकट गहरा होता जा रहा है। इसी के अनुरूप गांवों व शहरीकरण से भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मानव द्वारा विसर्जित मल-मूत्र तथा असंयमित व्यवहार के फलस्वरूप जल, वायु एवं ध्वनि, सभी प्रकार के प्रदूषणों में वृद्धि हुई है।

आज शहरी वातावरण विषाक्त व तनावग्रस्त रखने वाला बन गया है। इससे अधिक और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जीवनपयोगी और मुफ्त में प्राप्त वायु भी अब शुद्ध व स्वच्छ नहीं मिल पा रही है। वाहनों व मशीनों की बढ़ती संख्या से वातावरण में अवांछनीय शोर भर गया है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार - विश्व के 630 करोड़ लोग प्रदूषित वातावरण में सांस ले रहे हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण नई तकनीक का विकास एवं उसका उपभोगवाद है। जनसंख्या वृद्धि से शहरीकरण, मशीनीकरण, भूमि की कमी, वैज्ञानिक आविष्कारों का परीक्षण एवं वन का अंधाधुन्ध विनाश ही प्रदूषण के कारण हैं। प्राकृतिक साधनों के अत्यधिक उपयोग के फलस्वरूप ही पर्यावरण संतुलन गड़बड़ाने से प्रदूषण बढ़ने लगा है। चूंकि जल, वायु, भूमि और वृक्ष सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः आज बढ़ता

जनसख्या व शहरीकरण नि सदह मानवीय जन जावन के लिय एक चुनौती बन गया है। इस प्रकार जनसख्या व शहरीकरण बढते हुए प्रदूषण का एक बडा कारण बन गय है।

नगर निगम अवशिष्ट का शहर की जनसख्या स गहरा सबध है। इन अवशिष्टों का किस प्रकार से प्रयाग किया जाता है इसी पर प्रदूषण की मात्रा निर्भर करती है। यदि यह अवशिष्ट अधिकाश विकासशील राष्ट्रों की तरह शहरा म गदे नालों के रूप म खुला रहता है तो इससे गन्धक डाइ आक्साइड और कार्बन मानो आक्साइड जैसी गैस निकलती रहती है जा कि मनुष्य के लिए घातक है। मनुष्य के असयमित व्यवहार के कारण शहरा मे जल की शुद्धता का स्तर भी कम होता जा रहा है। जल प्रदूषण के प्रभाव के कारण मनुष्य व पशु अनेक प्रकार के रोगा स ग्रसित हो रहे है। उनम हैजा टाइफाइड पेचिश मलेरिया आदि रोग प्रमुख है इस प्रदूषण म बचने के लिए सरकार व नगर निगमा का प्रयास करना होंगे स्वय मनुष्य का भी मर्यादित व्यवहार करना होगा। उसको अपन आस पास के सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना होगा सार्वजनिक जल प्राप्ति के स्थाना पर गदगी फैलाने स बचना होगा। इन स्थाना पर कूडा करकट फैकने थूकने आदि की प्रवृत्ति म बचना होगा। इसके साथ ही सभी राष्ट्रो का उचित जनसख्या नीति का पालन करना होगा।

4 औद्योगिक अपशिष्ट (Industrial Waste) विश्व म प्रदूषण का एक प्रमुख कारण औद्योगीकरण की प्रवृति है। औद्योगिक कारखाना एव फैक्ट्रियो की चिमनियो से निकलने वाले धुए एव गन्दे पानी से वायु व जल प्रदूषण म निरन्तर वृद्धि हो रही है यहा तक कि औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास का भूमिगत जल भी अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है औद्योगिक नगरो के आसपास से निकलनेवाली नदिया भी प्रदूषित होती जा रही है कीटनाशक उद्योग उर्वरक उद्योग कागज पेपर चमडा सोडियम पोटेशियम रेयन बैटरिया एसिड प्लास्टिक रबड सीमेन्ट एस्बेस्टस आदि अनेक उद्योग प्रदूषण म अपेक्षाकृत अधिक योगदान देते है। औद्योगिक क्षेत्रों म निकलने वाले जल के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती जा रही है। विभिन्न उद्योगो द्वारा वैज्ञानिक तरीको का उचित उपयोग नहीं किए जाने से भी प्रदूषण की स्थिति गभीर हुई है। औद्योगिक प्रदूषण के कारण विश्व में जीव जन्तुओ एव वनस्पतियो की कुल 17 लाख प्रजातियों म से जीवो की 1 हजार तथा वनस्पतियो की 20 हजार प्रजातिया विलुप्त होने की स्थिति म है। इस प्रदूषण म एक दिन म लगभग 25 हजार व्यक्ति मौत के शिकार हो रहे है। औद्योगीकरण के कारण ठोस अवशेषों की मात्रा निरन्तर बढ रहा है और शुद्ध जल एव वायु की कमी होती जा रहा है।

5 अणु ईंधन (Spent Nuclear Fuel) अणुशक्ति को आने वाले वर्षों का प्रमुख शक्ति स्रोत माना जाता रहा है। अणुशक्ति एक ऐसा साधन है जिसके अन्तर्गत बहुत कम ईंधन प्रयुक्त करके भी बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। शक्ति के अनेक साधनो की तुलना में यह सस्ता भी है। विश्व की अणुशक्ति का पूर्ण विदोहन भी अब तक नहीं हो पाया है इस कारण भविष्य में अणुशक्ति के विकास की सम्भावनाए व्यक्त की जा रही है अणुशक्ति को एक दुधारी तलवार माना जा सकता है जो मनुष्य को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। अणुशक्ति के उत्पादन के पश्चात् बचे अपशिष्टो को फैकने में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है किन्तु अपशिष्ट पदार्थो को जिस प्रकार से फैका जाता है वह प्रक्रिया निर्विवाद नहीं है। इन अधिकाश अपशिष्टो को लोहे की पेटियों में बद करके समुद्र म फैका जाता रहा है। कुछ समय पूर्व रूस ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। ज्ञातव्य है कि 1945 स जो एक हजार से अधिक अणु विस्फोट हुए है। उनम से 638 अमरिका व 398 रूस द्वारा किए गए अणुशक्ति का प्रयोग अधिकाशत विकसित राष्ट्रो द्वारा किया जा रहा है किन्तु इनके दुष्प्रभाव केवल इन्हीं राष्ट्रो तक सीमित नहीं रहते वरन् सम्पूर्ण विश्व को क्षति उठानी पड सकती है। इस तथ्य का सभी को ज्ञान है कि 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत सघ के चैर्नोबिल परमाणु रिएक्टर म भयकर दुर्घटना घटित हुई थी। इससे आसपास के क्षेत्र म भारी विनाश तो हुआ ही दुर्घटना के बाद कई दिनो तक आणविक बादल यूरोप के एक बहुत बडे हिस्से म छाए रहे जिससे पर्यावरण सतुलन पर दुष्प्रभाव पडा पशुओ और पौधो की प्रजातियो का अस्तित्व ही खतरे म पड गया। इसी प्रकार 6 अप्रैल 1993 को साइबेरिया के तामस्क 7 नामक एक भूमिगत स्टोरेज टैंक म रखे रेडियोधर्मी विशेषकर यूरेनियम के मलबे म विस्फोट होने स एक बार फिर परमाणु पदार्थ विकिरण सहित पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हुआ 131 मार्च 1993 को भारत के नरौरा परमाणु रिएक्टर के यूनिट प्रथम के जनरेटर में आग लगने से एक बडा दुर्घटना होते-होते बच गयी। वैज्ञानिकों का कहना है कि परमाणु कार्यक्रमो स भूमिगत प्राकृतिक जल भण्डार दूषित हो सकते है और अनेक राष्ट्रों में तो भूमिगत जल ही पेयजल का मुख्य स्रोत है।

इसम कोई सन्देह नहीं कि विकास की प्रक्रिया शक्ति के साधनो के बिना रूक-सी जाएगी आवश्यकता इस बात की है कि शक्ति के परम्परागत साधनो का विकास

किया जाए विशेष रूप से सौर ऊर्जा व वायु ऊर्जा के वाणिज्यिक उत्पादन पर बल दिया जाए। विश्वव्यापी समझौतों के माध्यम से विनाशक प्रौद्योगिकियों के हस्तान्तरण पर रोक लगा देनी चाहिए तथा परमाणु परीक्षणों को तुरन्त प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिए।

■ **ग्रीन हाउस प्रभाव एवं ओजोन की परत में छेद (Green House Effect & Hole in Ozone Layer)** - ग्रीन हाउस से आशय एक ऐसे हाउस अथवा घर से होता है, जिसकी दीवारें और छतें कांच अथवा पारदर्शी प्लास्टिक जैसे सूक्ष्म तापरोधी पदार्थों से बनायी जाती है। यदि इस गृह में कोई पौधा लगाया जाता है तो वह हरा-भरा रहता है। ऐसे गृहों का प्रयोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फल व सब्जियों के पौधे लगाने में किया जाता है। शीत ऋतु में इन गृहों में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाली सब्जियाँ व फसलें उगाई जा सकती है। इन गृहों में सूर्य की किरणें ऊष्मा विरोधी दीवारों को भेदकर तापमान बढा देती है। इस प्रकार शीत ऋतु में भी ऐसे गृहों का तापक्रम बाहरी वातावरण की अपेक्षा अधिक रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदूषण के कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और मीथेन आदि गैसों की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है अतः वायुमण्डल में ऑक्सीजन की कमी हुई है। विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने इस तथ्य को मान लिया है कि ये गैसें सूर्य की गर्मी को पृथ्वी पर ही कैद कर रही है। फलतः धरातल के तापमान में वृद्धि हो रही है और पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। ग्रीन हाउस प्रभाव की समस्या विश्व के समक्ष एक गम्भीर चुनौती है। इस प्रभाव से आर्कटिक सागर और अण्टार्कटिका महाद्वीप के विशाल बर्फीले भूखण्ड के पिघल जाने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इसके फलस्वरूप पृथ्वी के अनेक भू भाग जलमग्न हो जाएंगे। सूर्य की किरणों से गर्म होने के पश्चात् जब पृथ्वी ठण्डी होने लगती है तो ऊष्मा पृथ्वी से बाहर की ओर विकरित होना प्रारम्भ हो जाती है लेकिन वातावरण में विद्यमान विभिन्न गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग सोख लेती है और इसे पुनः वायुमण्डल में छोड़ देती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वायुमण्डल में अतिरिक्त ऊष्मा जमा होती रहती है। विगत वर्षों में इन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण पृथ्वी के तापक्रम में तेजी से वृद्धि हुई है। 1998 में नेशनल ऐरोनॉटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) अमेरिका ने विगत 100 वर्षों के तापक्रम का अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला गया कि विगत 100 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.6-1.2 सेन्टीग्रेड की वृद्धि हुई। इसी प्रकार नई दिल्ली में आयोजित 'अन्तर्राष्ट्रीय योजना सम्मेलन, 1990'[1] में वैज्ञानिकों ने कहा था कि ग्रीन हाउस गैसों का स्तर जैसे-जैसे बढ़ेगा, वैसे-वैसे वह सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर वातावरण का तापक्रम बढ़ायेंगी। इससे जलवायु में परिवर्तनों के फलस्वरूप बाढ़ व सूखा जैसे प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि होगी और उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलने से भारत के तटवर्ती क्षेत्र, मालदीव और बंगलादेश जैसे अनेक राष्ट्रों के काफी भू-भाग जल में समाहित हो जायेंगे।

वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के दो मुख्य कारण है प्रथम, औद्योगीकरण और द्वितीय वनों की तेजी से कटाई। आधुनिक युग में उद्योगों के अंतर्गत मुख्यतः कोयला व पैट्रोलियम पदार्थों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अतः वायुमण्डल में अनेक प्रकार की गैसें पहुंच रही है। इन गैसों में से कार्बन डाई ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी मात्रा में औद्योगीकरण के फलस्वरूप तेजी से वृद्धि हो रही है। मीथेन और क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी ग्रीन हाउस गैसें है। कार्बन डाइ ऑक्साइड के पश्चात क्लोरोफ्लोरो कार्बन ही एक ऐसी गैस है, जो पृथ्वी के तापमान को बढाती है और जो ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। औद्योगीकरण के कारण वातावरण में सल्फर डाइ ऑक्साइड गैस की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्रों के समीप वर्षा का जल धरातल पर पहुंचने से पूर्व वायुमण्डल में फैली गैसों से संयोग करके तेजाब में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी वर्षा से अनेक पर्यावरणीय एवं जैविकीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इससे जल एवं मिट्टी में तेजाब की मात्रा बढ़ने से वनस्पति एवं जीवों के मृत अवशेष से दुर्गन्ध फैल जाती है। इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी। फलतः अनेक पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों की प्रजातियाँ विलुप्त हो जायेंगी। इन सबके फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसों में तेजी से वृद्धि होगी। आधुनिक युग में औद्योगीकरण के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से कमी हो रही है। सम्पूर्ण विश्व में वनविनाश एवं मिट्टी के कटाव के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई होगी। पेड़-पौधे वायुमण्डल में कार्बन-चक्र को सन्तुलित करने का काम करते है। हरे पौधे प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड को ग्रहण करके अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते है और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते है। अतः वृक्षों के अभाव में संश्लेषण क्रिया में कमी हो जाती है और कार्बन डाई ऑक्साइड में वृद्धि। इसके अतिरिक्त, वृक्षों से प्राप्त लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से भी कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती

1 प्रतियोगिता दर्पण

है जब वृक्षा को काटा जाता है तो पृथ्वी के अन्दर का कुछ कार्बन आक्सीकृत होकर वायुमण्डल में प्रवेश कर जाता है। अत वायुमण्डल में कार्बन डाई आक्साईड की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है यह कार्बन डाई-आक्साइड पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है

वायुमण्डल विभिन्न हल्की एवं भारी गैसों के समायोजन से बना है। इसे छः भागों में बाटा जा सकता है। इनके अंतर्गत ओजोन मण्डल पृथ्वीवासियों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है। यदि यह परत नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवधारियों का रहना कठिन हो जाता इस परत की ऊंचाई 32 से 80 किलोमीटर है। इस प्रकार ओजोन परत जीव जन्तुओं के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है और पृथ्वी की जलवायु एवं मौसम प्रणाली को नियंत्रित करती है ... औद्योगीकरण के फलस्वरूप बढ़ते प्रदूषण के कारण इस परत का क्षरण होना प्रारम्भ हो गया है। प्रदूषण के फलस्वरूप क्लोराफ्लोरो कार्बन की मात्रा में तेजी से वृद्धि होने के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है अण्टार्कटिका महाद्वीप में ओजोन परत में पाया गया छेद एक महाद्वीप जितना बड़ा हो गया है अत सूर्य की पराबैंगनी किरण सीधे पृथ्वी पर पहुंचने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है इसका दुष्प्रभाव मानव की आंखों एवं त्वचा पर भी दृष्टिगोचर हो रहा है वैज्ञानिकों के अनुसार इस छेद में प्रत्येक 1 सेन्टीमीटर की वृद्धि से लगभग 40 हजार व्यक्ति पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न रोगों के शिकार हो सकते हैं यदि इस छेद में वृद्धि होती रही तो पृथ्वी का ग्रीन हाउस ... में अधिक समय नहीं लगेगा इसके फलस्वरूप पृथ्वी की जलवायु और इसकी मौसम प्रणाली में अनेक परिवर्तन हो जाएंगे

राष्ट्रीय समस्याएं
NATIONAL PROBLEMS

1 कृषि विकास एवं प्रदूषण (Agricultural Development & Pollution) कृषि एवं पर्यावरण का गहरा सम्बन्ध है तथा भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषक किस प्रकार से फसल उत्पन्न करता है इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राष्ट्र विकास की किस अवस्था में है ... प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो कृषि व्यवस्था ... अपना स्वयं का पारिस्थितिकी तंत्र है ... में विद्यमान पौधे उसमें निवास करने वाले जीव जन्तु जीवाणु आदि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं मनुष्य जब इन घटकों में कृत्रिम रूप से परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है तो पारिस्थितिकी तंत्र टूट जाता है अथवा असंतुलित हो जाता है। मनुष्य ने विकास के साथ साथ कृषि विकास के लिए अनेक प्रकार के खाद व बीजों की व्यवस्था की है। प्राकृतिक खादों का उपयोग निरन्तर कम होता जा रहा है। खेतों में विद्यमान फसलों को रोगों से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए भी कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है भूमि की क्षमता का अधिक-से-अधिक उपयोग करने के लिए उसमें तीन तीन चार चार फसलें लिए जाने की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रही है इन सभी कारणों से भूमि का मूल स्वरूप ही परिवर्तित होने लगा है। कृषि भूमि का अकृषि कार्यों में उपयोग भी बढ़ा है। मनुष्य ने क्षेत्रों की हरियाली को नष्ट करके भवन रूपी ... स्थापित कर दिए हैं जो चूना सीमेंट कंकर पत्थर से वातावरण को असंतुलित ही करते हैं जल और वायु से भूमि का बड़े पैमाने पर कटाव भी होने लगा है और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है भूमि के कटाव से भी भूमि का मूल स्वरूप बदल रहा है भूमि के कटाव के कारण नदियों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है जो विभिन्न प्रकार से प्रदूषण को जन्म देती है हरित क्रांति के पश्चात् भारत में कृषि के अन्तर्गत मानव का हस्तक्षेप बढ़ा है रासायनिक उर्वरकों से भूमिगत जल के प्रदूषण के बारे में इंडियन सोसायटी आफ एग्रोकेमिकल इकोनॉमिक्स द्वारा बंगाई में आयोजित सम्मेलन में महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया था इसमें पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के तीन वैज्ञानिकों एच एस ... इंदरपाल सिंह और विजय सिंह ने रहस्योद्घाटन किया कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से पंजाब में भूमिगत जल के प्रदूषण में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है इनके अनुसार पंजाब में कृषि योग्य भूमि में नाईट्रेट नाईट्रोजन की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय की गई और सुरक्षित माना जाने वाली मात्रा से अधिक पाई गई है यह उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक नाईट्रेट के रूप में 10 पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) नाईट्रोजन वाला पानी पीना ही ... नुकसानदेह ... जिससे दम घुटने जैसी घातक स्थिति पैदा हो जाती ... इन ... के अनुसार अधिक ... पैदावार लेने के लिए किसान जरूरत से ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे भूमिगत जल का प्रदूषण ... बढ़ रहा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि रासायनिक उर्वरक का 50 प्रतिशत भाग ही फसल का पोषण करता है इसका 25 प्रतिशत भाग मिट्टी में मिलकर नाईट्रोजन गैस में बदल जाता है और बाकी 25 प्रतिशत भाग भूमिगत जल में मिलकर उसे प्रदूषित कर देता है ... विश्व स्वास्थ्य संगठन

की एक पत्रिका के अनुसार रासायनिक तत्वों के मिलने से भूमिगत जल का अम्लीकरण हो जाता है। इस अम्लीकरण को वजह से भूमिगत जल मनुष्य द्वारा पिए जाने पर शरीर म विकार पैदा कर सकता है। ऐसे प्रदूषित जल में कैडियम, अल्यूमीनियम, जस्ता और सीसा आदि होते हैं जो शरीर में डायरिया सरीखे रोग पैदा कर सकते है। इतना ही नहीं इस जल मे मौजूद नाईट्रेट पेट के कैंसर जैसे घातक रोगों को भी पैदा कर सकता है।

यह सत्य है कि भारत में कृषि विकास के बिना अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि फसलों में रासायनिक कीट नाशकों के स्थान पर प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए। रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक व प्राकृतिक खाद का उपयोग बढाया जाए तथा भूमि का क्षरण रोका जाए।

2 औद्योगिक विकास एवं प्रदूषण (Industrial Development & Pollution) - भारत के औद्योगिक विकास ने जहा वायु में विद्यमान जल को सल्फर डाई आक्साईड के जरिए तेजाबी बनाया है, वहीं पृथ्वी पर विद्यमान पानी को विभिन्न किस्मों के कचरे तथा अपशिष्ट से और भी प्रदूषित किया है। अपने देश में भूमिगत जल-सपदा एक मोटे अनुमान के अनुसार यहा हर साल होने वाली वर्षा से दस गुना ज्यादा है। भूमिगत जल सपदा के पूरे आकडे यहा उपलब्ध नहीं है फिर भी अनुमान है कि भारत में 300 मीटर की गहराई में करीब 3 अरब 70 करोड हैक्टयर मीटर जल भडार मौजूद है। इस जल भडार पर रासायनिक उर्वरकों के अलावा उद्योगों कारखानों से भी प्रदूषण का खतरा तेजी से बढ रहा है।

केरल में रेशा उद्योग और तमिलनाडु में चमडा शोधन केन्द्र बडी मात्रा मे भूमिगत जल को प्रदूषित कर रहे हैं। केरल व कन्नकोने में नारियल के रेशे को साफ करने के लिए पानी म डुबा कर रखा जाता है। इस प्रक्रिया में हाईड्रोजन सल्फाईड और ऑर्गेनिक तेजाबों से भूमिगत जल जहरीला हो जाता है। सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज स्टडीज, त्रिवेंद्रम के निदेशक डॉ सी कस्माकरण के अनुसार, उथल भू जल भडार बारिश के पानी से धुलकर साफ हो जाता है मगर गहरे भू जल भडार की समस्या गभीर है। भविष्य में पानी का यही स्रोत काम आएगा। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भूगर्भ वैज्ञानिक डॉ गिरीश चन्द्र चौधरी ने भी एक अध्ययन में पाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों म भूमिगत जल मे रेडियोधर्मी तत्व मौजूद थे। बनारस हिन्दू वि. के एक कुए में यूरेनियम के प्रति बिलियन 1/6 अश मिले और दूसरे कुए में 15 अश प्रति बिलियन थे। ज्ञातव्य है कि यूरेनियम का मान्य स्तर प्रति बिलियन 1 5 अश है। गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और मिर्जापुर जिलों में डॉ चौधरी ने भूमिगत जल में नाईट्रोजन, पोटेशियम, फास्फेट, सीसा, जस्ता, मैगनीज आदि जहरीली धातुओं को अधिक मात्रा में पाया। देश में इस समय कीटनाशक, उर्वरक, कागज, पेंट्स, चमडा, सोडियम, पोटेशियम, रेयन, कुछ दवाइयाँ, फाउड्रीज, बैटरिया, एसिड, एल्कली, प्लास्टिक, रबड, सीमेंट, एसबेस्टर आदि सत्रह ऐसे उद्योग है, जिन्हें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में घोषित किया गया है। इनमें सर्वाधिक खतरनाक सिद्ध हो रहा है, कीटनाशक औषधि-उद्योग जिसमे हर दो मिनट में प्रभावित होने वाला एक व्यक्ति भारतीय है। 1971 में कीटनाशक के उपयोग से तमिलनाडु में करीब तीन हजार तथा महाराष्ट्र में 400 लोग मारे गये। भारत जैसे उष्ण देश में कीटनाशक का प्रभाव ज्यादा प्रबल है। आई टी आर सी , लखनऊ की एक रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती भारतीय महिलाओं में क्लोरीनयुक्त हाईड्रोकार्बन का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है। भारत के छिडकाव-कर्मचारियों में और लोगों के मुकाबले इसके अवशेष ग्यारह गुणा अधिक होते हैं। कीटनाशकयुक्त चारा खाने वाली मुर्गियों द्वारा दिए गए 10 अडों में से ■ में डीडीटी के अवशेष पाये जाते हैं। दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों में जापान को छोडकर भारत पेस्टिसाईड्स का सबसे बडा निर्माता है। जाहिर है प्रदूषण भी यहाँ सर्वाधिक है।

1993 में सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा आयोजित सगोष्ठी के प्रस्तावों में कहा गया कि औद्योगिक अपशिष्टों के निकास एव रासायनिक अपशिष्ट को निष्क्रिय करने के लिए नवीनतम तकनीकी का विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किया जाए वैकल्पिक ऊर्जा-स्रोतों का प्रयोग बढाया जाए नये उद्योगों की स्थापना से पहले यह सुनिश्चत किया जाए कि दुर्घटना की अवस्था मे वहा चिकित्सकीय सुविधाए उपलब्ध हों। अन्य प्रस्तावों में कहा गया है कि वानिकी को उद्योग घोषित किया जाए तथा प्रत्येक उद्योग को आवटित भूमि का एक तिहाई भाग वानिकी के लिए सुरक्षित रहे। जनता को उद्योगों के बारे में जानकारी का अधिकार दिया जाए तथा उद्योगों द्वारा स्वय की ओर से प्रदूषण सबधी सभी उपलब्ध जानकारियाँ हर तीसरे माह अखबारों में प्रकाशित कराना आवश्यक किया जाए। इसके साथ ही पर्यावरण ऑडिट में स्वैच्छिक सगठन, प्रदूषण नियत्रण मडल, विधिवेत्ता एव पर्यावरण वैज्ञानिकों को शमिल कर रिपार्ट तैयार कराई जाए।

3 परिवहन विकास एवं प्रदूषण (Development of Transport & Pollution) औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य ने अपना सुख सुविधा के लिए अनेक साधन एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात् औद्योगिक विकास की दर तीव्र होना प्रारंभ हो गई। औद्योगिक विकास के साथ देश में मोटरगाडियों की संख्या तेजी से बढने लगा। मोटरगाडिया एक ऐसा साधन है जो शहरी क्षेत्रों में समाज को गति प्रदान करता है। ये औद्योगिक विकास के लिए आधारस्तम्भ भी है। प्रयोग की दृष्टि से इन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम पैटोल से चलने वाले वाहन जैसे स्कूटर मोटर साईकिल कार व मोपेड और द्वितीय डीजल से चलने वाले वाहन जैसे बस ट्रक व मैटाडार आदि। भारत के शहरी क्षेत्रों की जनसख्या तेजी से बढ रही है अत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बढ़ती हुई जनसख्या की आवश्यकताओ को पूर्ण नहीं कर पाती है। फलत व्यक्तिगत वाहनों की सख्या मे तीव्र गति से वृद्धि हुई है। उद्योगों का तेजी से विस्तार तथा महानगरों का सुनियोजित विस्तार नहीं होने के कारण भी व्यक्तिगत वाहनों की सख्या तीव्र गति से बढी है। उपलब्ध आकडों से ज्ञात होता है कि स्कूटर मोटर साइकिल व कारो की सख्या म सबसे अधिक वृद्धि हुई है सम्पूर्ण भारत में कुल मोटर साइकिलो का 60% भाग स्कूटर मोटर साइकिलों और मोपड आदि वाहनो का है इनका लगभग 40% महानगरों म है। मोटरगाडियों की सख्या म वृद्धि के साथ साथ महानगरो म प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ रही है। सम्पूर्ण भारत में पजीकृत कुल मोटरगाडिया का लगभग 35% महानगरो की सडकों पर गतिमान रहता है। इनसे अनेक प्रकार के प्रदूषक धुए के रूप में उत्पन्न होते हैं। पैटोल से चलने वाली गाडिया से मुख्यत कार्बन मानो आक्साईड हाईड्रोकार्बन तथा सीसा आदि निकलते हैं। इसी प्रकार डीजल से चलने वाली गाडियों म मुख्यत नाइट्रोजन के आक्साइड और आक्साइड हाईड्रो कार्बन निकलते हैं इसके अतिरिक्त मोटरगाडिया के धुए म सल्फर डाई आक्साइड कार्बन मोनो आक्साइड व हाइड्रोकार्बन आदि तत्व निकलते है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा 1980 में किए गए अध्ययन के अनुसार दिल्ली म उत्पन्न होने वाले 1172 729 टन वायु में स 670 605 टन वायु प्रदूषक प्रतिदिन दिल्ली की सडकों पर दौडने वाली 13 लाख गाडिया से उत्पन्न होता था। 1981 82 म पैटोल के उपयोग से 24 5 टन शीशा पर्यावरण म उत्सर्जित हुआ 1991 92 में यह मात्रा बढकर 52 2 लाख टन होने का अनुमान था। दिल्ली में मोटरगाडियो से उत्पन्न वायु प्रदूषण से लगभग 90 ग्राम प्रदूषक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सासो म जाने के लिए पर्यावरण में उपलब्ध रहते है। वायु प्रदूषकों की यह मात्रा अत्यधिक यातायात वाले क्षेत्रो मे और भी अधिक हो सकती है।

1987 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई में पजीकृत कुल मोटरगाडियों की सख्या 520838 थी जिसमें आधी से अधिक कारें और जीपें थी। इन गाडियों से मुम्बई में प्रतिदिन 548 81 टन वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। मुम्बई में पैटोल के उपयोग से 1981 82 म 25 ▪ टन सीसा पर्यावरण म उत्सर्जित हुआ जिसकी मात्रा 1991 92 म बढकर 52 5 टन होने की सभावना थी। मुम्बई म लगभग 53 ग्राम वायु प्रदूषक प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मोटरगाडियो से उत्सर्जित होकर पर्यावरण म तैरते है। इस महानगर म बिजली से चलने वाली तीव्र गति की लोकल गाडियो की सुविधा होने के बावजूद भी यहा के मार्गों पर मोटरगाडियो का दबाव बहुत अधिक है।

भारत में कलकत्ता सर्वाधिक जनसख्या वाले महानगरों म स एक है। यहा भी बहुत अधिक सख्या म मोटरगाडिया के यातायात से निकलने वाले वायु प्रदूषक घातक रूप धारण कर चुके है। इनके उपयोग से 1981 82 में 14 टन सीसा पर्यावरण में उत्सर्जित हुआ। 1991 92 म यह मात्रा बढकर 28 7 टन होने का अनुमान था। कलकत्ता म मोटरगाडियों से उत्सर्जित 23 31 ग्राम प्रति व्यक्ति वायु प्रदूषक पर्यावरण में मिलते हैं।

मद्रास देश का चौथा सबसे अधिक जनसख्या वाला महानगर है। मद्रास म दो तिहाई से अधिक सख्या हल्की मोटरगाडिया की है। इनसे 188 54 टन वायु प्रदूषक प्रतिदिन उत्सर्जित होते हैं यहा प्रतिव्यक्ति 48 58 ग्राम वायु प्रदूषक मोटरगाडियों से उत्सर्जित होकर हवा म मौजूद रहते है। पैटोल की मोटरगाडियों के उपयोग से मद्रास में 1981 82 म 5 6 टन सीसा पर्यावरण म उत्सर्जित हुआ।

लखनऊ म मोटरगाडियों से 69 50 टन वायु-प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। इस नगर मे प्रतिव्यक्ति 65 88 ग्राम वायु प्रदूषक मोटरगाडिया से उत्सर्जित होकर वायु द्वारा सासो में घुलते है। कानपुर में भी मोटरगाडियो से निकली जहरीली गैस गभीर रूप धारण कर रही है कानपुर म मोटरगाडिया से 71 80 टन वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है।

सडकों पर चलने वाली गाडियों से उत्सर्जित गैसो का मनुष्य जानवरों और पेड पौधों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप म प्रभाव पडता है। मोटरगाडियों द्वारा उत्सर्जित कार्बन मोनो आक्साइड एक जहरीली गैस है। इस गैस की उपस्थिति म रक्त में आक्सीजन की कमी हो जाती है। रक्त के द्वारा हो

शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी का सबसे बुरा प्रभाव केन्द्रीय स्नायुतंत्र पर पड़ता है। इससे स्नायुदुर्बलता तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव होता है। हाईड्रो कार्बन के वातावरण में उत्सर्जित होने से आंख और गले में जलन तथा कैंसर होने की सम्भावना रहती है। नाईट्रोजन के ऑक्साईड की उपस्थिति से खांसी, सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों के खराब होने का भय रहता है। इन गैसों से मिलकर बने फोटोकैमिकल्स कोहरे से सांस की बीमारी, आंखों में जलन और गले में खराबी होती है। सल्फर डाई ऑक्साइड कई तत्वों से मिलकर जहरीले और कैंसर कारक तत्वों को जन्म देते हैं। पैट्रोल की गाड़ियों से उत्सर्जित होने वाला सीसा फेफड़ों, यकृत, गुर्दे और बच्चों के मस्तिष्क को हानि पहुँचाता है तथा महिलाओं की प्रजनन क्षमता को भी क्षीण करता है।

1987 के आकड़ों के अनुसार देश के 12 महानगरों में कुल मिलाकर लगभग 3 हजार टन प्रदूषणकारी तत्व वाहनों के धुएं के रूप में वायुमण्डल में छूटते है। प्रायः यह माना जाता है कि सबसे अधिक प्रदूषण डीजल की गाड़ियों से होता है, लेकिन स्वास्थ्य को सबसे अधिक हानि दुपहिया व तिपहिया वाहनों की वजह से होती है। पैट्रोल से निकलने वाला सीसा भारत में प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है जबकि यूरोपीय राष्ट्रों में ऐसे इंजन वाहनों में लगाए जा रहे है जिन्हें सीसा मिले पैट्रोल की जरूरत नहीं होती। हमारे देश में यह जहर वाहनों के इंजनों की जरूरत के लिए मिलाना पड़ता है। मुम्बई में अनेक स्थानों पर तिपहिया वाहनों को चलाने की मनाही है पर दिल्ली में कोई स्थान उनसे अछूता नहीं है। दिल्ली के वाहनों की कुल संख्या में 70% से अधिक दुपहिया वाहन है। इनमें से 2 स्ट्रोक इंजन होने के कारण कार्बन मोनो आक्साइड जैसी जहरीली गैसों का उत्सर्जन बहुत अधिक होता है। नई दिल्ली में निर्धारित किए गए प्रदूषणों के स्तर से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यातायात चौराहों पर धूल एवं धुएं का स्तर लगातार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित सीमाओं से भी अधिक बढ़ता जा रहा है। मुम्बई में समुद्र और बंगलौर की घनी हरियाली बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषणकारी तत्वों को सोख लेती है इसलिए उनका अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। कलकत्ता और अहमदाबाद में न तो हरियाली है और न ही बहुत अधिक खुला स्थान है अतः सारी गैसें सिमट कर रह जाती है और प्रदूषण बढ़ता जाता है। सर्दियों में वायु-प्रदूषण की समस्या अधिक गम्भीर हो जाती है क्योंकि कम तापमान के कारण गैसें फैल नहीं पाती और नीचे ही रह जाती है।

4 शक्ति के साधन एवं प्रदूषण (Sources of Energy & Pollution) - भारत में पैट्रोलियम-शोधन ताप-विद्युत, गैस व अणु-शक्ति आदि शक्ति के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है। शक्ति के साधनों से भी प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ी है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय डिगबोई तेल शोधनशाला की स्थापना के साथ भारत में तेलशोधन उद्योग प्रारम्भ हुआ। वर्तमान में अनेक तेलशोधन शालाएं कार्यरत है। कच्चे तेल की शोधन-प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के तरल, गैसीय और ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकलते है। ये पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। 'नवभारत टाइम्स-मोड सर्वेक्षण' से ज्ञात हुआ है कि दिल्ली के दो तापबिजलीघरों का भी वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान है। इनसे 25 हजार टन से भी अधिक सल्फर डाई ऑक्साइड और राख प्रतिवर्ष वायुमण्डल में पहुँचती है। दिल्ली के बदरपुर तापबिजलीघर में प्रदूषण को कम करने वाले बहुमूल्य उपकरण लगाये गए हैं, लेकिन इसकी चिमनियों से निरन्तर काला धुआ निकलता रहता है। इससे आसपास के क्षेत्रों के घरों में कालिख जम जाती है। देश के प्रायः प्रत्येक बड़े शहर में अथवा उनके आसपास ताप बिजलीघर होता है। अधिकांश प्रदूषण इसी से होता है। हमारे देश में तेल के साथ निकलने वाली प्राकृतिक गैस की काफी बड़ी मात्रा जलकर नष्ट कर दी जाती है, क्योंकि उसका भंडारण संभव नहीं है। वायुमण्डल में सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर यह नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो बारिश के पानी को अम्लीय बना देता है। ऐसी बारिश से पेड़-पौधों, भूमि की उर्वरता और भवनों पर बुरा असर पड़ता है। मुम्बई के चेंबूर और कल्याण क्षेत्रों में वर्ष 1974 से लगातार अम्लीय बारिश की खबरें आती रही है। दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ तापबिजलीघर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ वर्ष पूर्व अम्लीय वर्षा हुई थी।

भारत में समय-समय पर परमाणु ऊर्जा संयत्रों में खराबी के कारण भी प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती रही है। 31 मार्च, 1993 को नरोरा परमाणु रिएक्टर के यूनिट प्रथम के जेनेरेटर में आग लगने से एक बड़ी दुर्घटना होने-होते टल गयी थी, क्योंकि आग मुख्य संयत्र से केवल दो सौ मीटर दूर लगी थी। उसके दो वर्ष पूर्व काकरापार रिएक्टर में भी आग लग चुकी थी। सरकारी आकलन में परमाणु कार्यक्रम से भूमिगत प्राकृतिक जल भण्डारों को खतरे की चेतावनी दी गई है। यदि भूमिगत जल में रेडियोएक्टिव पदार्थ बढ़ते है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि देश की आधी जनसंख्या के लिए भूमिगत जल ही पेयजल का मुख्य स्रोत है।

5 खनिजों का विदोहन एवं प्रदूषण (Exploitation of Minerals & Pollution) - औद्योगिक विकास की

दृष्टि से खनिज पदार्थों का अधिक महत्व होता है। स्वतत्रता के पश्चात् भारत में खनिज पदार्थों का तेजी से विदोहन किया जा रहा है अत इससे पर्यावरण का सकट गहरा होता जा रहा है। खनिज प्राप्त करने हेतु वन काट दिए जाते हैं। इससे न केवल पर्यावरण में असतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वरन् मिट्टी के कटाव की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। औद्योगीकरण के साथ-साथ खनिज पदार्थों की माग में तेजी से वृद्धि हुई है अत देश के प्राय अनेक भागो में खनिजों के विदोहन का कार्य बहुत बडे पैमाने पर किया जाता है। खनिज प्राप्ति हेतु वन काट दिए जाते है। अत पर्यावरण असतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खान क्षेत्र में मलवे के बहुत बडे क्षेत्र में ढेर लग जाते हैं। इससे न केवल कृषि विकास व वन विकास में बाधा उत्पन्न होती है, वरन् कुछ खनिजों के अवशेष वायु के साथ उडकर एक बहुत बडे क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न कर देते है, उदाहरण के लिए, देश के जिन क्षेत्रों में कोयले की खानें है, वहा के आस-पास के क्षेत्रों मे कोयल की राख के छोट-छोटे कण वातावरण मे फैल जाते हैं। अत सास लेने में कठिनाई होती है और उन क्षेत्रों के अनेक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के चर्म रोग व श्वास रोगों से पीडित हो जाते हैं। खनिज प्राप्ति वाले क्षेत्रों में वन-विनाश के कारण मिट्टी का कटाव होना प्रारभ हो जाता है। उन क्षेत्रों की भूमि कृषि के योग्य भी नहीं रह पाती है। अत पर्यावरण असतुलन की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

मानव ने औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार क प्राकृतिक ससाधनो जैसे भूमि खनिज पदार्थ, पशु-सम्पदा वन-सम्पदा एव जल आदि का तेजी से उपयोग किया है। जनसख्या में वृद्धि के साथ साथ भूमि का उपयोग आवासीय एव औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसमे न केवल कृषिभूमि के क्षेत्रफल में कमी हुई वरन् अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने हेतु वन काट दिए जाते है। अत वनों क क्षेत्र म तेजी से कमी हो रही है।

6 शहरीकरण, जनसख्या में वृद्धि एव प्रदूषण (Urbanisation Growth of Population & Pollution) - विकास के साथ साथ शहरों के आकार म तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इस प्रकार बढती जनसख्या शहरों का विकास बाधों का निर्माण एव औद्योगीकरण के लिए वनों की अधाधुध कटाई से पर्यावरण असतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगीकरण के कारण रोजगार के अवसरों मे वृद्धि होती है। अत ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति रोजगार प्राप्ति हेतु शहरो मे आकर बस जाते है। इससे शहरों की जनसख्या तेजी मे बढी है। बढती हुई जनसख्या से विवश होकर मानव ने बहुत तीव्रता से वन एव पर्वत काटकर बहु-उपयोगी तथा आवासीय इमारतो का निर्माण किया है। इससे पिछले कुछ दशकों में ही पर्यावरण का सकट गम्भीर रूप धारण कर चुका है। शहरीकरण से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। मानव द्वारा विसर्जित मलमूत्र, धुआ, गैस, धूल के कण और अशुद्ध जल के फलस्वरूप वायु जल एव ध्वनि आदि प्रदूषणो मे वृद्धि हुई है।

वाहनो व मशीनो की बढती सख्या से वातावरण में अवाछनीय शोर भर गया है। जनसख्या-वृद्धि से शहरीकरण मशीनीकरण औद्योगीकरण, भूमि की कमी, वैज्ञानिक आविष्कारों का परीक्षण एव वनो का अधाधुध विनाश ही प्रदूषण के कारण है। प्राकृतिक साधनो के अत्यधिक उपयोग के फलस्वरूप ही पर्यावरण सतुलन बिगडने से प्रदूषण बढने लगा है। इस प्रकार बढता हुआ प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक चुनौती बन गया है। इस समस्या का समाधान वनो के विकास म ही निहित है। वैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि जिन इलाकों में वन क्षेत्र 6% से कम हो जाता है वहाँ सम्भाव्यताए नष्ट हो जाती है। स्वतत्रता के पश्चात् भारत के वन-क्षेत्रों म तेजी से कमी हुई है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों के अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि वनो से आच्छादित क्षेत्र मे तेजी से कमी हुई है। अत आवश्यकता इस बात की है कि वन-क्षेत्रों का तेजी से विस्तार किया जाए।

स्वतत्रता के पश्चात् भारत के शहरो की जनसख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। शहरी जनसख्या मे भारत का स्थान विश्व म चौथा है।[1] एक अनुमान के अनुसार सन् 2000 तक भारत की शहरी जनसख्या 35-40 करोड के लगभग हो जाएगी। यूनिसेफ के अनुसार बम्बई मद्रास कलकत्ता व दिल्ली विश्व के 30 बडे नगरो म गिन जाएगे तथा इनमे प्रत्येक की जनसख्या एक करोड से भी अधिक हो जाएगी। अनियत्रित शहरीकरण के कारण भूमि की उपलब्धता आवास गन्दी बस्तिया, निगम सडके परिवहन, जल सेवाए स्वच्छता आदि की गम्भीर समस्याए उत्पन्न हो गई है। शहरो में गावो से अत्यधिक पलायन के कारण शहरी सुविधाओ म भी कमी आई है। विश्व बैंक के एक शोध-पत्र 'ऑटोमोटिव एयर पाल्यूशन इश्यूज एड ऑप्शन्स फार डेवलपिग कट्रीज' के अनुसार तीसरी दुनिया के देशों म तेजी से शहरीकरण के कारण प्रदूषण खतरनाक सीमा तक पहुच रहा है। सन् 2000 तक इन देशों के बडे नगरो म प्रदूषण अब से दुगना हो जाएगा।

1 Economic Times 19 Dec 1992

(स) राजस्थान की विशिष्ट समस्याए
SPECIAL PROBLEMS OF THE STATE

1 राजस्थान में औद्योगिक विकास एव प्रदूषण (Industrial Development in Rajasthan & Pollution) - स्वतत्रता के पश्चात् राजस्थान में भी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया प्रारभ हुई। राज्य के जयपुर, कोटा, अलवर अजमेर, पाली भीलवाडा, जोधपुर, बीकानेर व गगानगर आदि क्षेत्रो में औद्योगिक विकास की दर अन्य क्षेत्रो की तुलना में अधिक रही है। औद्योगीकरण के कारण इन क्षेत्रो का तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन साथ ही साथ इन क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या ने भी गम्भीर रूप धारण कर लिया। राज्य के पाली क्षेत्रो में वस्त्रों की रगाई एव छपाई का कार्य प्राचीनकाल से होता आ रहा है। विगत कुछ वर्षों मे इस शहर मे रगाई एव छपाई उद्योग का तेजी से प्रसार हुआ है। इन कारणों से लगभग 40 लाख गैलन अपशिष्ट जल प्रतिदिन विसर्जित होता है। शहर के निकट बाडी नदी है जिसने शहर को तीन ओर से घेर रखा है। शहर के कारखानों का जल इस नदी में आता है। इस जल में सोडियम सिलिकेट हाइड्रोऑक्साइड क्लोराइड-डाइ-कार्बोनेट कैरोसीन एव बोरेट आदि तत्व होते है। धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार के रसायनों की मात्रा बढती जा रही है। कुछ व्यक्ति इस अपशिष्ट जल से कैरोसीन निकालने का कार्य करते है। इस अपशिष्ट जल के कारण नदीक्षेत्र की भूमि की उर्वराशक्ति समाप्त हो गयी है और एक बहुत बडे भू-भाग का भूगर्भीय जल भी रगीन तथा प्रदूषित हो गया है। इस जल के सेवन के कारण अनेक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगो के शिकार हो चुके है। इन कारखानों मे काम करने वाले अधिकाश श्रमिक अशिक्षित एव अप्रशिक्षित है। ये प्राय अदाज से ही रगो व रसायनों का मिश्रण तैयार करते है, अत कुछ रग व रसायन आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग में लाए जाते है जो प्रदूषण की समस्या को अधिक गम्भीर बनाते है। सरकार द्वारा जल प्रदूषण के निवारण हेतु कुछ प्रयास किए गए है लेकिन इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसके विपरीत राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु अनेक कारखाने ही बद कर दिए है लेकिन यह उपाय उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इससे राज्य के औद्योगिक विकास की गति धीमी हो जाएगी।

राजस्थान की राजधानी जयपुर का औद्योगिक विकास राज्य के प्राय सभी औद्योगिक क्षेत्रो की तुलना में तीव्र गति से हुआ है। कोटा शहर राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। यहा कोयला कारखानों के कार्बन-स्लज और ईटभट्टों की प्रदूषित वायु ने शहर के पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित कर दिया है। राज्य के उदयपुर शहर के निकट रसायन उद्योगो का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन इन कारखानों के अपशिष्ट जल के कारण लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्रफल में भू-गर्भीय जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। इस क्षेत्र की भूमि की उर्वराशक्ति भी समाप्त हो चुकी है। राजस्थान में बढते हुए औद्योगीकरण के फलस्वरूप चम्बल, पार्वती, कालीसिध, अलनिया, बाडी और लूणी आदि नदिया प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं।

2 खनिज विदोहन एव पर्यावरण अधिसूचना (Mining & Environmental Notification)' - राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते है। राज्य के अधिकाश खनिज क्षेत्र पहाडो व वन क्षेत्रों में स्थित है। अत खनिजों का विदोहन करने पर पर्यावरण को क्षति पहुचती है और यदि खनिजों का विदोहन नहीं किया जाए तो विकास अवरूद्ध होता है। अत केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 1993 में जारी अधिसूचना का सर्वाधिक प्रभाव खनिज एव उद्योग क्षेत्र पर पडेगा। केन्द्र द्वारा जारी इस अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि वन्य-जीवों के लिए आरक्षित अभ्यारण्यों के 5 किलोमीटर क्षेत्र में खनन, भवन निर्माण व व्यवसाय को निषिद्ध क्षेत्र करार दिया है। राज्य में अधिकाश खनन कार्य अरावली पर्वत श्रृखला में पट्टे-धारकों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। जहा इस पर्वत श्रृखला में सोना, चादी, ताबा आदि बहुमूल्य धातुए पाई जाती है, वहा 30-35 अन्य किस्म के अप्रधान खनिज भी मिलते है, जिनमें बजरी व पत्थर आदि भी शामिल है।

निदेशालय, खान एव भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर की ओर से जारी वार्षिक प्रतिवेदन में प्रधान खनिजों के पट्टों की सख्या 1413 है, वहीं अप्रधान खनिजों के पट्टो की सख्या 8809 है। पर्वतश्रृखला में प्राप्त होने वाली धातुओं के जिलेवार आकडों की स्थिति से स्वत ही स्पष्ट हो जाता है कि खनन कार्य प्रत्यक्ष तौर से प्रदेश के अभ्यारण्यों के अन्दर या नजदीक ही पट्टेधारकों द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में होने वाला खनन कार्य राष्ट्रीय परियोजना व अभ्यारण्यों से सीधे तौर पर जुडा है। वन एव पर्यावरण विभाग ने राज्य में दो राष्ट्रीय पार्क व 23 अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर रखे है। यह तमाम अभ्यारण्य शत प्रतिशत तौर पर अरावली पर्वत श्रृखला में पडते है जहा कि हरियाली का आभास होता है। राष्ट्रीय पार्क में रणथम्भौर नेशनल पार्क व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इनका क्षेत्रफल क्रमश 392 व 28 73 वर्ग किलोमीटर है। अभ्यारण्य में अलवर स्थित सरिस्का का 492 कोटा स्थित दर्रा 265 धौलपुर स्थित वन विहार 59 93 उदयपुर स्थित जयसमद 52 सिरोही स्थित माउण्ट

आबू 288 84, उदयपुर स्थित कुम्भलगढ 578 25, चूरू स्थित तालछापर 7 90 चित्तौडगढ स्थित सीतामाता 422, कोटा स्थित राष्ट्रीय चम्बल 280, जयपुर स्थित नाहरगढ 50 रामगढ 300, कोटा स्थित जवाहर सागर 100, जैसलमेर स्थित डेजर्ट 3162, बूदी स्थित रामगढ विषधारी 307, चित्तौडगढ स्थित भैंसरोडगढ 229 14, सवाईमाधोपुर स्थित कैलादेवी 676 38, कोटा स्थित शेरगढ 98 71, अजमेर स्थित टाडगढ रावली 495 27, पाली एव उदयपुर स्थित फुलवती की नाल 511 41, सवाईमाधोपुर स्थित सवाई मानसिह 403 25, भरतपुर स्थित बन्ध बराठा 192 76 तथा उदयपुर स्थित सज्जनगढ 5 19 वर्ग किलोमीटर मे फैले हुए है। वैसे विभाग ने बीकानेर स्थित गजनेर को भी गत कुछ वर्ष पूर्व अभ्यारण्य घोषित कर दिया है।

खनन कार्य व अभ्यारण्य की स्थिति का अवलोकन करने पर विदित होता है कि बहुत कम भू-भाग शेष रहता है, जहा कि खनन कार्य शुरू किया जा सकता है। वस्तुत 5 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से भौगोलिक दृष्टि पर गौर करने पर ज्ञात होता है कि खनन कार्य हेतु कहीं भी भू-भाग शेष नहीं रहता है। खनन कार्य के भू-भाग का प्रश्न है, उसमें निदेशालय के आकडो के मुताबिक कच्चे ताबे की खदानें अलवर व नीम का थाना क्षेत्रों में सात की सख्या में कार्यरत हैं। इसके अलावा पास ही खेतडी ताबा परियोजना भी स्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र में होने के बावजूद नये खननस्त्रोतो की मजूरी प्राप्त करने के लिए उसे भी अधिसूचना का पालन करना होगा,

पट्टेधारक खदानों के क्षेत्रों मे स्पष्ट पता लग जाता है कि तमाम पट्टेधारकों को या तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र मे गुजरना पडेगा या फिर उनके दावे खारिज हो जाएगे। अगर उक्त खनन पट्टे पर्यावरण की ओट में खारिज होते है तो देश का विकास तो अवरूद्ध होगा ही, साथ ही प्रदेश को दो अरब से भी ज्यादा आय से हाथ धोना पडेगा। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र सबसे ज्यादा घाटे में रहेगे।

केन्द्र के वन एव पर्यावरण विभाग की अधिसूचना की गिरफ्त में राजस्थान औद्योगिक विकास एव विनियोग निगम (रीको) भी आ चुका है। निगम ने उद्योग विस्तार के उद्देश्य से खनिजप्रधान उद्योगों मे प्रवर्तकों के सहयोग से करीब 92 करोड की पूजी फँसा रखी है। लगता है कि इस राशि पर भी अधिसूचना का असर होगा। इनके अलावा अन्य खनिज आधारित उद्योगों पर कुल मिलाकर तीन-चार सौ करोड की पूजी लगी हुई है। अब अधिसूचना के अकुश ने इतनी बडी पूजी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

रीको के सहयोग मे स्थापित खनिजप्रधान उद्योगों की सख्या 59 है, जिसमें अवधि ऋण के अलावा रीको की भागीदारी भी है। रीको की भागीदारी वाले इन उद्योगों मे ऋण की राशि 26 55 करोड है, वही हिस्सा राशि 152 25 लाख है। उद्योगों में 5556 व्यक्तियों को सीधा रोजगार भी मिला हुआ है।

खनिज तत्वो से भरपूर जिलों के आसपास स्थापित औद्योगिक इकाइयों के केन्द्रों में आबू रोड, उदयपुर, मकराना, राजसमन्द, झालावाड, अलवर, सिरोही अजमेर, जयपुर बहरोड, काकरोली, कुम्भलगढ, बोरावड नाथद्वारा, चित्तौडगढ, जोधपुर आदि प्रमुख है। ये तमाम औद्योगिक क्षेत्र न केवल इस अधिसूचना की चपेट में है वरन् प्रदेश में अभ्यारण्यों की महत्ता को देखते हुए कच्चे माल की खरीद के भी उद्योगपतियों को लाले पड सकते है। ऐसे खनिज-आधारित उद्योगों की सख्या 56 के आसपास है।

रीको के सहयोग से क्रियान्वित उक्त तमाम उद्योगों में अधिकतम ग्रेनाइट - आधारित इकाइयों की है। ग्रेनाइट उद्योग वर्तमान में शैशवकाल के दौर से गुजर रहा है। अप्रधान खनिज की इकाइयों की भरमार गत वर्ष से ही ज्यादा बढी है, खासकर तब से जबकि सरकार ने ग्रेनाइट के भण्डारों के बारे मे बढ चढकर प्रचार-प्रसार किया है। अब इस खनिज-आधारित इकाइयो की स्थिति यह है कि ये शत-प्रतिशत तौर पर टाइल्स का निर्यात कर रही है। इसके अलावा, रीको से सम्बन्धित कैमिकल व क्वार्टज आधारित कई उद्योग भी 300-400 करोड की पूजी से उत्पादन कार्य कर रहे है।

3 विकास एवं वन विनाश (Development & Deforestaton) - वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक ससाधन है जो आर्थिक विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन-सरक्षण के फलस्वरूप वातावरण में सतुलन बना रहता है। वस्तुओं एव सेवाओं के निरन्तर उत्पादन हेतु वनो की समुचित सुरक्षा एव प्रबध की आवश्यकता होती है। यदि मानव औद्योगीकरण, शहरीकरण और आर्थिक विकास सम्बन्धी आवश्यकताए पूरी करने के लिए वनों का अत्यधिक प्रयोग करता है तो वनों का विनाश प्रारम्भ हो जाता है। इसके फलस्वरूप अनेक पर्यावरणीय समस्याए उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मे वनों का क्षेत्रफल केवल 9 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के 33 33 प्रतिशत मे वन होने चाहिए। राज्य के कुल वनक्षेत्र के लगभग 1/3 भाग मे सघन वन पाए जाते है और शेष भाग में झाडीदार वनों की प्रमुखता है। राज्य का लगभग 20 मिलियन हैक्टयर क्षेत्र

शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में है। इसके लगभग 50 प्रतिशत भाग में बालू रेत के टीले विद्यमान हैं। यह क्षेत्र राज्य के सामाजिक-आर्थिक जीवन और पारिस्थिकी पर विपरीत प्रभाव डालते है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ है, लेकिन इस क्षेत्र में मिट्टी के कटाव की समस्या एक बहुत बड़े भू-भाग में विद्यमान है। इन क्षेत्रों की लगभग 4 5 लाख हैक्टेयर भूमि में चम्बल के गहरे गर्त विद्यमान है। इसके अलावा राज्य का विशाल भू-भाग अरावली, विन्ध्याचल पर्वतमालाओं के अंतर्गत आता है। विकास कार्यो के फलस्वरूप वनों का तेजी से विनाश हुआ है। इससे मिट्टी के कटाव की समस्या और भी गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। बिरला इस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के अध्ययन के अनुसार 1972-75 से 1982-84 के मध्य राज्य के 16 जिलों (अरावली पर्वतश्रृंखला के अंतर्गत आने वाले जिलों) में 41 5 प्रतिशत वनों की कमी आई। वनविनाश की यह गति राज्य के पर्यावरणीय सतुलन के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो सकती है। राज्य में वनों का विनाश मुख्यत वनों की तेजी से कटाई, अत्यधिक चराई वन उपजों का दोषपूर्ण तरीकों से एकत्रीकरण खनिजों का विदोहन, ईंधन हेतु लकडी की प्राप्ति तथा वनक्षेत्रों में सडकों के निर्माण आदि के कारण है। राजस्थान में केवल ईंधन हेतु लकडी की प्राप्ति ही वन विनाश का एक बहुत बडा कारण है। राज्य के बडे शहरों और कस्बों के आसपास के पहाडी क्षेत्र लगभग वनविहीन हो चुके हैं। फलत राज्य में पर्यावरणीय असतुलन की समस्या अत्यधिक गंभीर हो गई है। राज्य में घरेलू उपयोग हेतु ईंधन-लकडी की माग में निरंतर वृद्धि हो रही है और भविष्य में भी इसमें वृद्धि होने की सम्भावना है। राजस्थान में 1981, 1991 व 2001 के लिए लकडी की माग का पूर्वानुमान क्रमश 51 21 लाख टन 56 03 लाख टन और 67 62 लाख टन निर्धारित किया गया है। राज्य में वन विनाश के कारण ही विगत वर्षो में सामान्य तापक्रम में तेजी से वृद्धि हुई है।

4 शक्ति के साधनों का विकास एवं प्रदूषण (Sources of Energy [redacted] Pollution) - राजस्थान में स्वतन्त्रता के पश्चात् शक्ति के साधनों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इन साधनों के विकास से औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है लेकिन इसके साथ साथ इन साधनों ने प्रदूषण की समस्या को बहुत ही गम्भीर बना दिया है। राजस्थान में लगभग 55 हजार टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जाता है जिसका उपयोग मुख्यत ईंट के भट्टा सीमेंट के कारखाना रसायन उद्योगों सूती मिलों, रक्षा सेवाओं व घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कोयला बाहर से मंगवाया जाता है। राज्य के ये सभी उद्योग प्रदूषण समस्या को अधिक गम्भीर बना रहे है। औद्योगिक विकास के लिए शक्ति के साधनों का विकास करना आवश्यक होता है और यदि शक्ति के साधन विकसित नहीं किए जाते है तो औद्योगिक विकास का मार्ग भी अवरूद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। राज्य में लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप विद्युतगृह की स्थापना में केवल इस कारण बाधा आई कि इससे आगरा स्थित ताजमहल को क्षति पहुचने की सम्भावना थी। आठवीं पचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार ने कोटा थर्मल पॉवर प्रोजैक्ट सूरतगढ थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट धौलपुर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट चित्तौडगढ थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट मा ण्डलगढ थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे गए। इनमें से केवल कोटा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई। राजस्थान में अणुशक्ति का भी प्रसार हुआ है। इस हेतु प्राकृतिक यूरेनियम तथा भारी पानी के उपयोग के लिए राणा प्रताप सागर अणुशक्ति गृह की स्थापना रावतभाटा नामक स्थान पर की गई। अणुशक्ति का विस्तार करके शक्ति के साधनों की माग पूर्ण की जा सकती है लेकिन समुचित प्रबंध के अभाव में यह साधन भयकर प्रदूषण एवं मानव विनाश का प्रमुख कारण भी बन सकता है। नरोरा अणुशक्ति गृह में आग लगने की दुर्घटना इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Question)

1 "आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय सुरक्षा में अंतर्भूत सम्बंध" की विवेचना कीजिए।
"Economic growth and environment protection intextrically linked " Discuss

2 समझाईए पर्यावरण अवक्रमण
Explain - Enviornment degration

3 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए पाली में प्रदूषण की समस्या
W short note on the following - Pollution Problem in Pali

4 पारिस्थितिकी सन्तुलन का अवक्रमण को स्पष्ट कीजिए।

Explain the concept of Econogical Balance

5 वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on air pollution

6 ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते है?
What do you mean by NoisePollution ?

7 भू प्रदूषण स आप क्या समझते है?
Define land pollution

8 राजस्थान में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति बताईए।
Mention the present positon of Pollution in Rajasthan

9 राजस्थान क पर्यावरण विभाग पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the department of Environment in Rajasthan

10 राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों का उल्लेख कीजिए।
Write a note on the department in Rajasthan

B निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Question)

1 पर्यावरण प्रदूषण क्या है? इसके रूप कारण और प्रभावों की विवेचना कीजिए।
What is Environment POllution ? Discuss its forms causes and effets

2 राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण पर एक लेख लिखिए।
Wr te an essay on Environment pollution in Rajasthan

3 राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी निम्न घटकों को समझाईए
(i) जल प्रदूषण (ii) औद्योगिक विकास एव प्रदूषण
Explain the following factors of Environmental pollution in Rajasthan
(i) Water Pollution (ii) Industrial Development & Pollution

4 राजस्थान में पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के सन्तुलन की संस्थाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the Agencies for Ecological Balance in Rajasthan

5 पर्यावरणीय प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए है?
What steps have been taken to control Environment Pollutoin by you of Rajasthan

C विश्वविद्यालय परीक्षाओ के प्रश्न

(University Questions)

1 पारिस्थितिकीय सन्तुलन स क्या आशय है? पारिस्थितिकीय सन्तुलन का बनाय रखने के लिए कौन से पाय किए जाने चाहिए?
What is meant by ecological balance ? What measures can be adopted to maintain ecological balance?

2 राजस्थान में औद्योगिक क्षत्र के मुख्य लक्षणों का विवरण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दीजिए
(i) आकार (ii) वस्तुगत ढाचा (iii) प्रादेशिक फैलाव
(iv) उद्योगों का राज्य के घरेलु उत्पत्ति में योगदान (v) उद्योगों का राज्य के रोजगार में अंशदान
Describe under the following heading the main features of industrial sector in Rajastthan
(i) Size (ii) Commodity structure (iii) Regional spread
(iv) Share of industries in total S D P (v) Share of industries in total employment

3 प्रदूषण स आप क्या समझते है। प्रदूषण पर नियन्त्रण के उपाय बताईए।
What do you mean by piollution ? Describe the measures of control on pollution Discuss the effects of ollution in detail

4 "पर्यावरण प्रदूषण विभिन्न रूप कारण एवं परिणाम" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on " Environment Polluion - Its different forms causes and effects "

❑ ❑ ❑

अध्याय – 8

कृषि, भू-उपयोग, फसल प्रारूप एवं प्रमुख फसलें

AGRICULTURE, LAND UTILISATION, CROPPING PATTERN & MAJOR CROPS

"पुराने समय से ही खेती हमारे देश की जिदगी रही है और अभी बहुत दिना तक यही हमारी रगो मे दौडन वाला और हमे शक्ति देने वाला खून रहेगा।"

अध्याय एक दृष्टि मे

- राजस्थान में फसलों का प्रारूप
- राजस्थान में कृषि जलवायु खंड
- राजस्थान में कृषि का महत्व
- राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताए
- राजस्थान की महत्वपूर्ण कृषि फसलें
- राजस्थान में कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना/हरित क्रांति हेतु अपनाए गए कार्यक्रम
- राजस्थान मे योजनाकाल के अन्तर्गत कृषि विकास
- राजस्थान की आठवीं योजना में कृषि विकास की व्यूह रचना
- राजस्थान की नवीं योजना में कृषि विकास की व्यूह रचना
- राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याए एव उनके समाधान
- अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान मे कृषि का महत्त्व

IMPORTANCE OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

डॉ जाकिर हुसैन के अनुसार "पुराने समय से ही खेती हमारे देश की जिदगी रही है और अभी बहुत दिनों तक यही हमारी रगों मे दोडने वाला और हमें शक्ति देने वाला खून रहेगा।" ये शब्द भारत के सदर्भ में कृषि के महत्व को स्पष्ट करते है। लगभग यही स्थिति राजस्थान के सदर्भ में है। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। नवी योजना मे राजस्थान की कृषि का निम्न प्रमुख विशेषताए बतलाई गई है[1] -

1 राजस्थान में कृषि मुख्यत वर्षा पर निर्भर करती है।

2 अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में मानसून का समय लगभग 3 माह है। मानसून देर से आता है और जल्दी समाप्त हो जाता है।

3 राज्य की कुल वर्षा का लगभग 90% वर्षा मानसून से होती है।

4 राज्य की कुल खेती का लगभग 65% भाग खरीफ की फसल के अतर्गत है और अधिकाश वर्षा पर निर्भर करता है।

5 राज्य के सिचित क्षेत्र का 60% भाग कुओं और नलकूपों

1 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt. of Rajasthan

नीतियां अपनाने का साहस नहीं करती। सामाजिक व राजनैतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण ही यह क्षेत्र राजस्थान में ही नहीं सपूर्ण भारत में भी आयकर जैसी व्यवस्था से मुक्त है।

9 परिवहन का विकास (Development of transportation) - यदि परिवहन की दृष्टि से राज्य का अध्ययन किया जावे तो यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि जो क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित है वे प्राय परिवहन की दृष्टि से भी अधिक विकसित होंगे। औद्योगिक विकास के लिए परिवहन का विकास एक मूलभूत आवश्यकता है। इस आवश्यता की पूर्ति करने के लिए कृषि विकास का काफी महत्वपूर्ण योगदान है।

10 बीमा एव बैंकिंग का विकास (Development of insurance & banking) - सपूर्ण देश की भांति राजस्थान में भी बीमा एव बैंकिंग का विकास कृषि विकास से जुडा हुआ है। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकार की नीति के अनुरूप कृषि क्षेत्र को बहुत बडी मात्रा मे ऋण प्रदान किये गये। कृषि के विकास के साथ-साथ कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। कृषकों द्वारा इन वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए बैंक की शाखाओं का ग्रामीण क्षेत्रों मे तेजी से विस्तार किया गया। इस प्रकार कृषि विकास के साथ-साथ ग्रामीण बैंकों की शाखाए बढी है। इसी प्रकार धीरे-धीरे कृषि उपजों पशुधन आदि का बीमा कराने म भी लोग रूचि लेने लगे है। इससे बीमा के क्षेत्र म नई सभावनाए बनी है।

राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताएं
MAIN CHARACTERISTICS OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

राजस्थान में कृषि क्षेत्र का गहन अध्ययन व विश्लेषण करन पर राजस्थान की कृषि की कुछ विशेषताए स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इन विशेषताओं को इन बिन्दुओं के अतर्गत रखा जा सकता है -

(1) कृषि जोत का बड़ा होना (Large Agricultural Land Holding) - 1985-86 की कृषि गणना क अनुसार राजस्थान में 4 74 करोड क्रियाशील जोतें विद्यमान थी और इनके अतर्गत 205 89 लाख हेक्टेयर भूमि थी। 1990-91 की कृषि गणना के अनुसार ये जोतें बढकर 5 10 करोड और क्षेत्र 209 71 लाख हैक्टेयर हो गया।[1] राजस्थान में 1980-81 म भू-जोत का औसत आकार 4 44 हैक्टयर था जो 1985-86 में कुछ कम होकर 4 34 हैक्टेयर और 1990-91 म 4 11 हैक्टेयर रह गया।[2] 1990-91 क उपलब्ध आकड़ा के अनुसार राजस्थान में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में औसत कृषि जोत बडी है। कृषि जोत की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। औसत कृषि जोतों का अखिल भारतीय ओसत 1 57 हैक्टेयर है।[3] इस प्रकार राजस्थान में कृषि जोतें राष्ट्रीय औसत की लगभग ढाई गुना है। दूसरा व तीसरा स्थान क्रमश पजाब व गुजरात का है। 1990-91 में राजस्थान की सीमान्त (1 हैक्टेयर से कम) व लघु (1से2हैक्टेयर के मध्य)जोतों के अतर्गत कुल जोतों का लगभग 49 6% भाग आता है किन्तु उसके अतर्गत कुल कृषि भूमि की केवल 10 5% भूमि ही आती है।[4] बडी जोतों (10 हैक्टेयर एव उससे अधिक) की सख्या कुल जोतों की लगभग 9 6% है किन्तु उनके अतर्गत लगभग 45% भूमि आती है। शेष बची हुई लगभग 41% जोतों में लगभग 44% कृषि क्षेत्र में आता है।[5]

(2) भू-उपयोग (Land Utilization) - राजस्थान में प्रथम योजना (औसत) में कुल फसल क्षेत्र 113 लाख हैक्टेयर था जो 1993-94 में 192 लाख हैक्टेयर रहा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी इस अवधि में 106 लाख हैक्टयर से 162 लाख हेक्टयर के मध्य रहा।[6] स्थायी चारागाहों एव चराई क्षेत्रों के अतर्गत भूमि की मात्रा न केवल कम है बल्कि गत 20 वर्षो से लगभग स्थिर बनी हुई है जबकि पशुओं की सख्या में वृद्धि हुई है इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों की चराई भूमि पर निरन्तर बोझ बढता जा रहा है।

(3) वृहद् रेगिस्तानी एव पहाडी क्षेत्र (Desert & Hilly Area) - राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग पहाड एव रेगिस्तान के अतर्गत है। राजस्थन का लगभग 10% भाग पहाडी एव 60% रेगिस्तानी है। रेगिस्तानी क्षेत्र की मिट्टी में पर्याप्त उपजाऊपन विद्यमान है किन्तु जल के अभाव में यह क्षेत्र कृषियोग्य होते हुए भी बेकार पडा है। इसी प्रकार पहाडी क्षेत्र मे वनों की कटाई के कारण भूमि लगभग बजर होकर बेकार होती जा रही है। इस प्रकार राजस्थान के एक बहुत बडे कृषि क्षेत्र का उपयोग नहीं हो पा रहा है। राजस्थान नहर परियोजना के पूरा होने पर रेगिस्तानी क्षेत्र का एक बहुत बडा भाग उपजाऊ भूमि में परिवर्तित होने की सम्भावना है।

(4) शुष्क कृषि एव प्रकृति पर निर्भरता (Dependece on nature & dry farming) - जल ससाधनों के अभाव में राजस्थान के लिए शुष्क भूमि का महत्व बढ गया है। शुष्क कृषि के अतर्गत उपलब्ध जल ससाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है कि कम से कम जल से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त की जा सके। इस हेतु अनुसधान व शोध के माध्यम से राजस्थान की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये नये बीजों आदि का विकास किया जा रहा है, विशेषत राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए शुष्क खेती अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है।

1,2,4,5,6 A brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec 1995
3 Economic Review 1997 ■ Govt. of Rajasthan

(5) उन्नत कृषि की स्थिति (Situation of improved Agriculture) - उन्नत कृषि के लिए कृषि के नवीन साधनो जैसे-उन्नत बीज, रासायनिक खाद परिष्कृत औजार आदि का प्रयोग करना होता है। राजस्थान में इन चीजों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम रहा है क्योकि उपलब्ध सभी नवीन तकनीको में प्राय पर्याप्त जल की आवश्यकता पडती है। यही कारण है कि 1994-95 मे राजस्थान मे प्रति हैक्टेयर खाद का उपयोग 34 8 किलोग्राम था जो कि विभिन्न राज्यो की तुलना मे अत्यधिक कम है। इसी अवधि मे पजाब में 174 7 किलोग्राम खाद प्रति हैक्टेयर उपभोग में ली जा रही थी। खाद के उपभोग का राष्ट्रीय औसत भी इस समय 75 7 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर था।[1] खाद के उपभोग की दृष्टि मे देश मे राजस्थान का 13 वा स्थान था।[2] अन्य नवीन साधनों की दृष्टि से भी लगभग यही स्थिति है

(6) महत्वपूर्ण फसलें (Important Crops) - राजस्थान में लगभग सभी प्रकार की फसलें बोयी जाती है किन्तु समग्र दृष्टि से देखा जाये तो राजस्थान में खाद्यान्न फसलें सबसे अधिक बोयी जाती है। 1970 71 से 1990-91 तक खाद्यान्नों के अतर्गत बोया गया क्षेत्र लगभग स्थिर बना हुआ था और यह कुल फसल क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग था। राजस्थान देश म एक मुख्य तिलहन उत्पादक राज्य के रूप मे उभरा है। सरसों के उत्पादन में तो इसने देश में पहला स्थान भी प्राप्त किया है। राजस्थान में तिलहन उत्पादन की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये दलहन फसलो के सदर्भ में भी विशेष प्रयास किये जा रह है। राजस्थान म व्यावसायिक फसल सामान्यत उन क्षेत्रों मे ही सीमित है जहा पर्याप्त सिचाई साधन उपलब्ध है। राजस्थान में चारे की फसलो पर विशेष ध्यान नही दिया जा रहा है। साथ ही केवल चारा उत्पादन के लिए दी जाने वाली कृषि भी अत्यन्त सीमित है।

(7) एक व दो फसलों के क्षेत्र (Areas of one or two crops) - राजस्थान में 1993 94 में 192 5 लाख हैक्टेयर भूमि फसलों के अतर्गत थी। उसमे से केवल 30 2 लाख हैक्टेयर भूमि में एक म अधिक फसल ली जा रही थी।[3] इस प्रकार राजस्थान में लगभग 85% कृषि क्षेत्र म केवल एक फसल ली जाती है[4] और लगभग 15% क्षेत्र म एक से अधिक फसलें ली जाती है। इसका प्रमुख कारण राजस्थान मे सिंचाई की सुविधाओं का कम होना है। राजस्थान मे कुल बोये गये क्षेत्र का एक चौथाई के लगभग सिंचित क्षेत्रफल है। राज्य में सिचाई के चार प्रमुख स्रोत अर्थात् नहरें तालाब, कुए व नलकूप है। कुल सिंचित क्षेत्रफल का 62 76% क्षेत्रफल कुआ तथा नलकूपों से और 33 24% नहरों से सिंचित होता है।[5]

(8) फसलों की उत्पादकता (Productivity of crops)- राजस्थान में अधिकाश फसलों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है। 1989-90 मे राष्ट्रीय औसत की तुलना मे केवल मक्का गेहू, सरसो व राई तथा कपास का प्रति हैक्टेयर उत्पादन राजस्थान म राष्ट्रीय औसत से अधिक था।[6] 1989-90 म ही चावल, ज्वार बाजरा, चना, मूगफली, गन्ना आदि का प्रति हैक्टेयर उत्पादन राष्ट्रीय औसत से कम था। निकट भविष्य मे राजस्थान में तिलहन व दलहन की उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि होने की सभावना है। सिचाई सुविधाओं के विस्तार एव कृषि में उन्नत आदानों के उपयोग के साथ साथ राजस्थान मे फसलों की उत्पादकता मे वृद्धि की वृहद् सभावनाए विद्यमान है।

(9) पशुपालन-प्रमुख सहायक उद्योग (Animal Husbandry - main Allied activity) - राजस्थान में कृषि अर्थव्यवस्था के अतर्गत पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के शुष्क एव अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में निरतर पडते अकालो के कारण कृषको की दृष्टि मे पशुपालन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1992 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में 4 78 करोड पशु थे। इनमें से 60% से भी अधिक सख्या भेड व बकरियों की है। राजस्थान में प्राय पडने वाले अकालों से पशु सम्पदा पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। 1983 की पशुगणना की अपेक्षा 1988 में पशुओं की सख्या लगभग 87 लाख कम हुई। इसका प्रमुख कारण 1987-88 का भयकर अकाल था जिसे इस शताब्दी का सबसे भीषण अकाल कहा गया है। इस अकाल के कारण गायो की सख्या मे लगभग 19% भेडो की सख्या मे लगभग 26% और बकरियो की सख्या मे लगभग 18% की कमी हुई है। 1992 की पशुगणना से ज्ञात होता है कि राज्य में पशुओ की सख्या बढी है। राजस्थान में कृषि के अतर्गत आज भी मुख्यत पशुशक्ति का उपयोग होता है और विभिन्न पौष्टिक पदार्थों के लिए सामान्यत पशुओं पर ही निर्भर है। फसलें खराब हो जाने पर भी उसकी आजीविका का साधन भी पशु ही है।

(10) कृषि जलवायु क्षेत्र (Agricultural climate zone) सपूर्ण देश को 14 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बाटा गया है और 14 क्षेत्रों में से 4 क्षेत्रों के अतर्गत राजस्थान को सम्मिलित किया गया है। इस वर्गीकरण के अनुरूप राजस्थान राज्य को 9 खण्डों व उपखण्डो में विभाजित किया गया है। भविष्य मे कृषि के लिए बनाई जाने वाली योजनाए इसी वर्गीकरण को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जायेगी। राजस्थान में जैसलमेर पश्चिमी बाडमेर पश्चिमी जोधपुर बीकानेर और पश्चिमी चूरू के शुष्क मैदानी क्षेत्र को खण्ड 1 ए व

1 2 5 7 Economic Review 1997 98 Govt of Rajasthan
3 4 A brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec 1995
6 Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt of Rajasthan

केवल 2 51 लाख टन था जो 1989 90 में 18 45 लाख टन तक पहुच गया। इस प्रकार 10 वर्षो की अवधि में तिलहनो का उत्पादन 7 गुणा बढा है। राजस्थान में तिलहन उत्पादन की प्रगति भारत के अन्य किसी भी राज्य से कहीं अधिक तीव्र है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है कुल तिलहन उत्पादन की दृष्टि से भी भारत मे इसका विशिष्ट स्थान है। राजस्थान में सूरजमुखी और होबा की खेती को भी लोकप्रिय बनाने का प्रयास किये जा रहे है। राजस्थान में तिलहन फसलो का उत्पादन बढाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से विशेष प्रयास किये जाते रहे है। आरभ म राजस्थान में इससे सबधित केन्द्र प्रवर्तित योजना विद्यमान थी। 1984 85 से 1985 86 तक शत प्रतिशत केन्द्रीय अश के आधार पर आर 86 87 से 50 50 केन्द्रीय एव राज्य अशो के आधार पर राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना आरभ की गई 1987 88 में तिलहन फसलो का उत्पादन बढाने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय अश के आधार पर एक अतिरिक्त योजना तिलहन उत्पादन थ्रस्ट कार्यक्रम के नाम स आरभ की गई थी ये दोनों योजनायें 1989 90 तक लागू रही। इन दोनो योजनाओं को मिलाकर 1990 91 में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम आरभ किया गया। इस योजना के अतर्गत 75% व्यय केन्द्र सरकार एव 25% व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है इस कार्यक्रम के अतर्गत किसानो का वृहद प्रदर्शन मिनिकिट उन्नत कृषि यत्र पौध सरक्षण यत्र दवाइयो तथा जिप्सम के उपयोग पर अनुदान उपलब्ध है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अतर्गत भारत सरकार ने 24 जिलों का चयन किया जिनमे अजमेर अलवर बाडमेर भरतपुर भीलवाडा बीकानेर बूदी चित्तौडगढ धौलपुर श्रीगगानगर जालौर जयपुर झालावाड झुझुनु जोधपुर कोटा नागौर बाम्सवाडा पाली सिरोही सीकर सवाइमाधोपुर टोक और उदयपुर जिले सम्मिलित है। राज्य सरकार ने भी दो अतिरिक्त जिलो का चयन किया जिनमे डूगरपुर व चूरू जिले सम्मिलित है राजस्थान में कोटा बूदी झालावाड व चित्तौडगढ जिलो में सोयाबीन की खेती को लोकप्रिय बनाने की चेष्टा की जा रही है। राजस्थान मे सरसो के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए नमी सरक्षण तकनीक जीवाणु खाद का उपयोग समय पर बुवाई खरपतवार नियत्रण पौध सरक्षण आदि उपाय काम म लिए जा रहे है। सरकार के प्रयासो के फलस्वरूप तिलहन की फसलों में जिप्सम का उपयोग बढ रहा है और इसके उपयोग से तिलहन फसलो के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तिलहनों के तेल प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणित बीजो के वितरण हेतु खुदरा बिक्री केन्द्रो की स्थापना की गई है इसी प्रकार खरीफ की फसल के लिए सोयाबीन तिल अरडी सूरजमुखी मूगफली तथा रबी की फसलों के लिए तारामीरा एव सरसो के मिनिकिट वितरण किये जा रहे है। भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम का वितरण किया जा रहा है। कृषको को स्प्रिकलर सैट उपलब्ध करवाने की चेष्टा की जा रही है तिलहन कार्यक्रम के अतर्गत ही पौध सरक्षण का कार्य भी हाथ म लिया गया है।

(3) शुष्क खेती (Dry Farming) राजस्थान मे कृषि योग्य भूमि का लगभग 3/4 भाग बारानी एव असिंचित है। 250 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि मुख्यत वर्षा पर निर्भर करती है राजस्थान के अधिकाश भागों में 600 मिलीमीटर से कम ही वर्षा प्रतिवर्ष होती है इस कारण इतनी कम अनिश्चित और असामयिक वर्षा वाले क्षेत्रो म फसलो की विभिन्न अवस्थाओ मे पानी की कमी के कारण सूखे का सामना करना पडता है और इसका फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। धन के अभाव और किसानों के रूढिवादी और परम्परागत विधिया अपनाने से यह समस्या और भी गभीर हो जाती है। राजस्थान का लगभग 1/4 भाग ही सिंचित है। ऐसा अनुमान है कि यदि बहुत अधिक प्रयास किये जाय तो भी निकट भविष्य मे 40% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराना सभव नहीं हो पायेगा। अत क्षेत्र विशेष के अनुसार शुष्क खेती की उन्नत व उपयुक्त तकनीक के आधार पर ही सुनिश्चित उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान मे वर्षा का औसत कम ही है इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान के लिए शुष्क खेती का महत्व बढ जाता है। वैज्ञानिकों ने पानी की कमी के पश्चात् भी अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत कृषि विधिया विकसित की है इन विधियों में से अधिक से अधिक विधियों को कृषको द्वारा अपनाने पर बल दिया जाता है। इन विधियों मे गर्मी में गहरी जुताई ढलान के विपरीत बुवाई बुवाई के पूर्व उर्वरकों का प्रयोग सूखा सहन करने की क्षमता बढाने बीजोपचार भूमि उपचार आदि बातो पर विशेष ध्यान दिया जाता है शुष्क खेती की विभिन्न विधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्येक पचायत समिति के चयनित गाव म 10 10 हैक्टेयर म एक एक प्रदर्शन का आयोजित किया जाता है। ऐसे गावो का चयन किया जाता है जिनमे कृषक उन्नत शुष्क कृषि विधिया अपनाने म रूचि रखते हो तथा जिन क्षेत्रो म पहले ऐसे प्रदर्शनों का आयोजन नही किया गया हो। कृषको के चयन में लघु सीमान्त अनुसूचित जाति व जनजाति के कृषको को प्राथमिकता दी जाती है। बीज उर्वरक आदि पर कृषको का अनुदान भी दिया जाता है। शुष्क खेती के लिए औजारों की व्यवस्था भारतीय क्रय विक्रय सहकारी समिति ग्राम स्तर

सहकारी समिति या किसी भी अधिकृत सहकारी संस्था से की जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में उपयुक्त उन्नत विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। इस हेतु कृषकों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षण शिविरों में शुष्क खेती की तकनीकी जानकारी दी जाती है।

(4) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (Special Foodgrain production programme) योजना आयोग की सातवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा करते हुये यह अनुभव किया कि सातवीं योजना के अंत तक खाद्यान्नों का उत्पादन 17 [illegible] करोड़ टन होना चाहिये। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 14 राज्यों के 169 जिलों में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम आरंभ किये गये। आरंभ में यह 1988-89 व 1989-90 के लिए तैयार किया गया था किन्तु यह कार्यक्रम 1990-91 में भी जारी रखा गया। 1990-91 में क्रियाशील कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 14 जिलों का चयन करके गेहूं, चना, मक्का व बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया। गेहूं उत्पादन में विशेष वृद्धि के प्रयास के लिए अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, टोंक, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, सीकर व पाली जिलों का चुना गया। चने के उत्पादन में विशेष वृद्धि के लिए अलवर, भरतपुर, चुरू, जयपुर, श्रीगंगानगर, टोंक, कोटा व सवाईमाधोपुर जिलों का चयन किया गया। मक्का के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ व अजमेर जिलों का चयन किया गया। बाजरे के उत्पादन में वृद्धि के लिये अलवर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर, चुरू और बाड़मेर जिला को उपयुक्त समझा गया। विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना के अंतर्गत फसलों से संबंधित विभिन्न आदानों पर अनुदान का भी प्रावधान रखा गया।

(5) चारा उत्पादन एवं कृषि वानिकी विकास (Fodder Production & Agricultural forestry development) - इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चारे की विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों के मिनिकिट का कृषकों में नि:शुल्क वितरण किया जाता है जिससे कृषक को इनके संबंध में जानकारी मिले तथा साथ ही साथ क्षेत्र के पशुओं के लिए पौष्टिक चारा भी उपलब्ध हो सके। इस हेतु विभाग के विभिन्न प्राइड प्रशिक्षण केन्द्रों एवं किसानों के खेतों पर हरे चारे की नई किस्म के तुलनात्मक अध्ययन एवं प्रदर्शन हेतु परीक्षण किये जाते है। इस कार्यक्रम में हरे चारे की फसलों की उन्नत किस्मों के बीज कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है। वर्तमान में अधिकतर क्षेत्रों में जानवरों को चारा काटकर खिलाने का प्रचलन नहीं है जिससे काफी मात्रा में चारा बेकार हो जाता है। चारा काटकर खिलाने के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए हाथ से चलने वाली कुट्टी की मशीनों के लिए कृषकों को अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में कृषि वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को पौधे उपलब्ध करवाने के लिए पॉलिथीन की थैलियों व बीज की नि:शुल्क व्यवस्था की जा रही है। ऐसे तैयार पौधों का आम - खास के क्षेत्र के कृषकों में वितरण किया जाता है। इन पौधशालाओं की स्थापना में ग्रामीण कृषक महिलाओं को भी उचित प्रशिक्षण देकर सम्मिलित किया जाता है। घास व वानिकी के बीज संग्रहित करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों तथा बेरोजगार युवकों को बीज एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार एकत्रित किये गये बीजों को उचित मूल्य पर क्रय कर लिया जाता है। चारे की फसलों पर विभाग द्वारा आयोजित अन्य फसलों की तरह वृहद् प्रदर्शन आयोजित किये जाने का प्रस्ताव भी है। इसके लिए आदानों का कृषि वानिकी के संदर्भ में मुख्यतः तीन प्रकार से प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। प्रथम, जलग्रहण क्षेत्र एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर सामान्य फसल उगाये जाने वाले खेतों में उपयुक्त किस्म के पेड़ों का कतारों में रोपण किया जाता है। इसमें वृक्षों एवं फसलों का साथ-साथ लगाना होता है एवं वृक्षों की जातियों का इस प्रकार चयन किया जाता है जिससे फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। द्वितीय, जीवित बाड़ लगाना है जिसके अंतर्गत पर्यावरण में सुधार एवं खेतों में जीवित पौधों के बाड़ कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए कांटेदार एवं अन्य उपयुक्त पौधे लगाये जाते है। इन पौधों के रोपण के बाद बाढ़ के रूप में स्थाई विकास किये जाने हेतु वृक्षारोपण पर अनुदान प्राप्त होता है। तृतीय, वन एवं चरागाहों के सम्मिलित विकास की चेष्टा की जाती है। इस हेतु शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में कृषकों के खेतों पर चरागाहों में उन्नत घास के लिए एवं वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(6) जल बजट योजना (Water Budget Plan) - जल की आपूर्ति एवं सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान कमी वाला क्षेत्र है। राजस्थान में राष्ट्रीय जल संसाधनों का मात्र 1% ही उपलब्ध है जबकि देश के क्षेत्रफल का लगभग 10% भू-भाग यहां है जिसमें लगभग 5% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के बाद भी राजस्थान के लगभग 1/4 कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है। राजस्थान में किसी न किसी भाग में अनियमित व अपर्याप्त वर्षा के कारण निरन्तर अकाल की सी स्थिति बनी रहती है।

(9) भू-सर्वेक्षण एवं मिट्टी परीक्षण (Land survey & soil testing) - भू-सर्वेक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। भूमि की क्षमता का पता लगाया जाता है। सिंचाई से संबंधित मिट्टी व पानी के विभिन्न प्रकार के गुणों की जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि भूमि की विशेषताओं के अनुरूप उचित फसलों की सिफारिश की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के संदर्भ में सिंचाई विभाग को भी नवीन सिंचाई योजना बनाने के संदर्भ में उपयोगी जानकारी प्रदान की जा सकती है। भूमि- सर्वेक्षण एवं परीक्षण का कार्य दुर्गापुरा (जयपुर), कोटा, सीकर व जोधपुर के केन्द्रों में संचालित किया जाता है, भू-सर्वेक्षण संगठन राजस्थान नहर व चम्बल नहर के क्षेत्रों में कार्यरत है। मिट्टी व पानी के नमूनों के परीक्षण हेतु 6 स्थायी प्रयोगशालायें है जो दुर्गापुरा (जयपुर), जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, बासवाड़ा व अलवर में कार्यरत है। इनके अतिरिक्त छ: भ्रमणशील प्रयोगशालायें दुर्गापुरा,पाली, सीकर, भरतपुर, भीलवाड़ा व सिरोही में कार्यरत है।[1] 1989-90 में दो और स्थायी प्रयोगशालाओं झालावाड़ व डूंगरपुर में तथा 4 और भ्रमणशील प्रयोगशालाएं सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर व चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई। 1990-91 में दो और भ्रमणशील प्रयोगशालायें टोंक व उदयपुर जिले में स्थापित की गई।[1]

(10) मिट्टी एवं जलवायु के अनुसार 9 खण्डो में विभाजन (Agriculutral Zone) - राजस्थान में सघन कृषि विकास के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये जल एवं मिट्टी के आधार पर संपूर्ण राजस्थान को 9 खण्डों व उपखण्डों में इस प्रकार विभाजित किया गया है -

(i) खण्ड 1- ए शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र

(ii) खण्ड 1- बी सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र

(iii) खण्ड 2- ए अन्त: स्थलीय जलास्रवण के अन्तर्वर्ती मैदानी क्षेत्र

(iv) खण्ड 2- बी लूनी नदी का अन्तर्वर्ती मैदानी क्षेत्र

(v) खण्ड 3 - ए अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र

(vi) खण्ड 3 - बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र

(vii) खण्ड 4 - ए अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र

(viii) खण्ड 4 - बी आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र

(ix) खण्ड 5 - आर्द्र-दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र

(11) राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम एवं कृषक प्रशिक्षण (National Agriculture Extension Programme and Farmers Training) - कृषि से संबंधित नवीनतम ज्ञान को समयबद्ध योजनाबद्ध व नियमित रूप से किसानों तक पहुंचाने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं भ्रमण पद्धति पर आधारित कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना नवम्बर, 1977 से अक्टूबर 1982 तक विश्व बैंक की सहायता से आरंभ की गई थी। टी एन वी सिस्टम के नाम से प्रसिद्ध यह प्रणाली कृषि विकास को गति देने में सहायक रही है। इस कार्यक्रम की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये ही 1984-85 से राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व के 18 जिलों के अतिरिक्त 6 और जिले सम्मिलित किये गये। इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य में अधिक उपज देने वाले उर्वरकों बीजों तथा संरक्षण औषधियों आदि के उपयोग पर बल दिया गया और कृषि तकनीक का भी प्रसार हुआ जिससे उत्पादकता बढ़ी। विस्तार कार्यक्रम के कारण राज्य में उर्वरकों की खपत दुगुनी से भी अधिक हो गई। पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग तेजी से बढ़ा। उन्नत कृषि विधियों का प्रयोग होने लगा जिनमें बीज उपचार, उन्नत किस्मों का प्रयोग, उचित पौध संख्या बुवाई के पूर्व उर्वरकों का प्रयोग, खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग, समयपर खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण सम्मिलित है। इस प्रकार राज्य में कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि विस्तार परियोजना एक शीर्ष एवं प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से विभिन्न कृषि विकास परियोजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित व क्रियान्वित किये जाते है। कृषि विस्तार कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से कृषि से संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे नवीनतम ज्ञान के संपर्क में रहे और उसे किसानों तक पहुंचा सकें। दुर्गापुरा एवं टोंक में कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इसके अतिरिक्त काजरा, कृषि विश्वविद्यालय, सिंचाई प्रबन्ध संस्थान आदि में भी प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है। राज्य के बाहर सरकार के विभिन्न संस्थानों में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

(12) प्रबोधन प्रशिक्षण (Managenal Training) - विश्व बैंक के मार्गदर्शन में राज्य में चल रहे कृषि विस्तार कार्यक्रम की प्रगति का समीक्षात्मक विवरण तैयार करने के लिए प्रबोधन एवं मूल्यांकन एक सशक्त माध्यम है। इसके अन्तर्गत कृषकों द्वारा अपनाई गई उन्नत कृषि विधियों से संबंधित कार्यों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा प्राप्त निष्कर्षों से परियोजना प्रबन्धकों को आगामी फसल की बुवाई से पूर्व अवगत करा दिया जाता है ताकि विकास कार्य में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। इन निष्कर्षों की विस्तृत रिपोर्ट विश्व बैंक, भारत सरकार, राजस्थान के समस्त जिलों, उपजिलों एवं उन सब स्थानों, जहां विस्तार कार्य चल रहा है, पर भेजी जाती है ताकि प्राप्त सुझावों के

1 राजस्थान में कृषि विकास प्रगति 1991 92.

आधार पर कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विस्तार कार्यक्रम से स्पष्ट होता है कि ग्राम विस्तार कार्यकर्ता कृषकों से सम्पर्क करने के लिए उनके खेतों का भ्रमण करने लगा है। कृषक भी उपयोगी जानकारी के लिए उससे सम्पर्क करने लगे है। प्रबोधन सर्वेक्षण के निष्कर्षों से विस्तार परियोजना प्रबन्धकों को कार्यक्रम में निरंतर सुधार एवं उचित क्रियान्वयन में मदद मिली है जिसके कारण उन्नत कृषि विधियों के कुछ बिन्दुओं का तो लगभग शत-प्रतिशत अनुसरण होने लगा है। जैसे - बीज की दर, समय पर निराई-गुड़ाई आदि। राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों में मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किये गये है। मूल्यांकन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक फसल मौसम में कृषि प्रसार कार्यक्रम के फलस्वरूप कृषकों द्वारा प्राप्त उपज, आमद व रहन-सहन का प्रभाव आंका जाता है। प्रबोधन एवं मूल्यांकन दोनों सर्वेक्षण परस्पर सम्बंधित है एवं अलग-अलग तरीकों से प्रशासन को लाभान्वित करते है। प्रबोधन एवं मूल्यांकन सर्वेक्षणों के अतिरिक्त प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर कृषि से सम्बंधित आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन भी किये जाते है।

(13) बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण एवं परीक्षण (Seed production, Standardization & Testing) - विभिन्न फसलों एवं किस्मों के बीज किसानों को समय पर उपलब्ध करवाने का कार्य राजस्थान बीज निगम, जयपुर करता है। यह निगम अपने स्वयं के फार्मों तथा कृषकों के खेतों पर बीज का उत्पादन करता है। आवश्यकता होने पर बीज निगम अन्य प्रान्तों एवं संस्थानों से भी बीज मंगवाता है। बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी, जयपुर के माध्यम से तथा बीज अंकुरण सम्बंधी जांच विभाग की बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में की जाती है। अच्छे बीज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बीज उत्पादन करने वाले कृषकों को बीज के बाजार भाव से अधिक दर प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के अनाज बीजों का उपयोग राजस्थान में 1966-67 में आरम्भ हुआ। अन्य प्रकार की दलहन, तिलहन, ज्वार व कपास आदि फसलों के सुधरे हुये बीजों का उपयोग 1978-79 से प्रारम्भ हुआ। राज्य में इन बीजों के बढ़ते हुये उपयोग का पता इस तथ्य से लगता है कि प्रारम्भ में मात्र 2% क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों की बुवाई की गई थी जबकि सातवीं योजना अवधि में इन फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल के 31.94% क्षेत्र में बुवाई की गई। बीज, उर्वरक व कीटनाशक औषधियों की मांग व दरों में वृद्धि के कारण इनमें मिलावट की सम्भावना बढ़ती जा रही है। इस सम्भावना को रोकने तथा दोषी संस्थाओं व व्यवसायियों को दंडित करने हेतु भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, अनावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 बीज अधिनियम, 1966, बीज कानून, 1968, बीज नियंत्रण अध्यादेश, 1983 व कीटनाशक अध्यादेश 1968 पारित किये है। इन सभी का मुख्य उद्देश्य असामान्य कृषि आदानों की बिक्री पर रोक लगाना व दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाई करके किसानों को उचित मूल्य व मानक स्तर के बीज, खाद व कीटनाशक औषधियां उपलब्ध कराना है। बीज वितरण हेतु राजस्थान में राजस्थान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, केन्द्रीय फार्म निगम, तिलहन संघ राजस्थान, निजी संस्थाएं, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, जनजाति संघ आदि कार्यरत है। उर्वरक व कीटनाशक औषधियों के वितरण हेतु राजफैड, सहकारी समितियां, राजस्थान जनजाति संघ, कृषि उद्योग निगम तथा निजी संस्थाएं व क्रय-विक्रय सहकारी समितियां कार्यरत है। उपरोक्त अध्यादेशों व नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने गुण नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से तीन इकाइयां - एनफोर्समेन्ट एजेन्सीज, बीज विश्लेषण इकाई व उड़न दस्ता कायम है। बीज, उर्वरक व कीटनाशक औषधियों के विश्लेषण के लिए जयपुर व बीकानेर में प्रयोगशालाएं है जो राज्य सरकार द्वारा विश्लेषण के लिए अधिकृत है। उर्वरक विश्लेषण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाएं जोधपुर व जयपुर में कार्यरत है। बीज विश्लेषण हेतु तीन प्रयोगशालाएं जयपुर, श्रीगंगानगर व कोटा में स्थित है। बीज गुण नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला दुर्गापुरा में कार्यरत है।

(14) वर्षा की विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि विधियों का निर्धारण (Suitable Agricultural Stratogy in Various Rain Conditions) वर्षा आधारित खेती हेतु विभागीय सिफारिशों के अनुसार शुष्क खेती करने की सिफारिश की गई है। इन में हो नमी व भू-संरक्षण के उपाय सुझाये जाते है। शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा सामान्यतः कम, अनियमित व अनिश्चित होती है तथा प्रायः जल्दी समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में जलवायु व मिट्टी के अनुरूप फसलों के पौधों की संख्या निश्चित क्षेत्र के मुकाबले सीमित रखी जानी चाहिए तथा उर्वरक का प्रयोग भी आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से फसल में फूल आने व दाना बनने की अवस्था में यदि वर्षा जल्दी भी समाप्त हो जाती है तो भी पौधों को उपयुक्त नमी मिल पायेगी। जिन क्षेत्रों में रेतीली या दोमट बलुई मिट्टी है वहां इस तथ्य का विशेष महत्व है। यह सिफारिश की गई है कि यथासम्भव खेत के निचले भाग में जलकुण्ड बनाकर वर्षा के जल को एकत्रित करें। इस

प्रकार के जल का उपयोग वर्षा के अभाव में फसलों की जीवन-दायिनी सिंचाई के रूप में किया जा सकता है। प्रारंभ में मानसून देरी से प्रारंभ हो तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर भूमि को समतल करके मक्का मूंगफली व सोयाबीन की बुवाई समय पर करनी चाहिये तथा आवश्यक हो तो फसल के दाना बनने की प्रारंभिक अवस्था पर भी सिंचाई करनी चाहिये। वर्षा की विभिन्न परिस्थितियों के लिए अलग-अलग कृषि विधियों को अपनाने की सिफारिश की गई है।

(15) जैविक एवं जीवाणु खाद रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती हुई कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने का निश्चय किया है। जैविक खाद के अन्तर्गत शहरी खाद ग्रामीण खाद व हरी खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीवाणु खाद दलहनी एवं तिलहनी फसलों के साथ साथ अनाज वाली फसलों के उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक रहेगी। इनके उपयोग से उपज में 15-20% की वृद्धि हो जाती है तथा प्रति हेक्टेयर 25 कि ग्रा नाइट्रोजन खाद की बचत हो जाती है। इसके अतिरिक्त जीवाणु खाद से पौधों की जड़ मजबूत होती है तथा इसका फैलाव अधिक होता है। छोटे व सामान्य कृषक के लिए उत्पादन बढ़ाने का यह एक सस्ता साधन है। जीवाणु कल्चर की मांग की पूर्ति विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा पूरी नहीं हो पाने के कारण विभाग ने यह निश्चय किया है कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम इस कमी को पूरा करने की चेष्टा करेगा।

(16) भू संरक्षण कार्यक्रम (Land Conservat on)- राजस्थान में शुष्क खेती को आधार प्रदान करने के उद्देश्य से भू संरक्षण कार्यों की क्रियान्विति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भू एवं जल संरक्षण कार्यों को पूरे राज्य में विस्तार करने तथा उनके कार्यों में गति लाने के लिये भू संरक्षण संगठन को नया रूप दिया गया है। इसके अन्तर्गत राजस्थान में भू संरक्षण का कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम राष्ट्रीय जल ग्रहण कार्यक्रम सैमिच कार्यक्रम बीहड़ सुधार कार्यक्रम अकाल सहायता एवं एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है।

(17) कृषि सूचना सेवा (Agncultural informa tion service) अनुसंधान पर आधारित कृषि से सम्बन्धित नवीनतम ज्ञान को कृषकों व प्रसार कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि सूचना सेवा संगठन कार्यरत है। राजस्थान कृषि सूचना इकाई एक ओर जहां विभिन्न जन संचार साधनों जैसे समाचार पत्रों कृषि पत्र पत्रिकाओं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से तकनीकी ज्ञान का प्रसार कर रही है वहीं दूसरी ओर तकनीकी साहित्य का प्रकाशन तथा श्रव्य दृश्य माध्यमों का प्रभावी उपयोग भी कर रही है। राज्य कृषि सूचना इकाई 1986 87 से 1988 89 के मध्य राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की गई। इसे कृषि सूचना उपयोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ बनाया गया है। राज्य में कृषि विस्तार कार्यक्रम के प्रशिक्षण पक्ष को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1987 88 से वीडियो का उपयोग किया जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन की तकनीकी सहायता से वीडियो फिल्मों के निर्माण हेतु वीडियो इकाई स्थापित की गई है। इस विडियो इकाई द्वारा कृषि तकनीकी शोधक वीडियो फिल्मों का निर्माण किया जाता है। विभाग की वीडियो इकाई द्वारा दूरदर्शन के कृषि कार्यक्रमों पर भी रचनात्मक योगदान किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचारों में कृषि समाचारों के वीडियो अंश व कृषि कार्यक्रमों में प्रभावोत्पादकता लाने हेतु लघु वीडियो कार्यक्रम तैयार करके प्रसारित कराये जाते हैं।

(18) सहभागी कृषि विकास योजना (Part c patory agncultural development plan) यह अनुभव किया गया कि वर्तमान में कृषि योजना बनाने की प्रक्रिया में कृषि वर्ग की सहभागिता नगण्य है इसलिए 1990 91 में सहभागी कृषि विकास योजना बनाने का एक नया प्रयास आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये दिसम्बर 1989 में 5 दिन की एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विभिन्न जिलों से आये अधिकारियों को सहभागी योजना बनाने के लिए विचार-विमर्श करके प्रशिक्षण दिया गया। मार्गदर्शी निर्देश प्रपत्र भी जारी किये गये। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर की योजनाएं ग्राम विस्तार कार्यकर्ता एवं सहायक कृषि अधिकारी द्वारा निर्मित की जायेंगी। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत की बैठक में उस पर चर्चा होगी। इस चर्चा में अग्रणी किसानों से विचार विमर्श कर योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा। इस प्रकार ग्राम स्तर पर निर्मित योजनाओं को सकलित करके उपजिला स्तर पर पंचायत समिति स्तर की योजनाएं तैयार की जाएंगी। इन योजनाओं को पंचायत समिति की बैठक में रखा जाएगा अथवा कृषि स्थायी समिति की सहमति प्राप्त करके योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा। उपजिला स्तर पर बनी योजनाओं को जिला स्तर पर संकलित करके पंचायत समिति के परस्पर्शिक मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए जिले की योजना तैयार की जायेगी जिस पर जिला परिषद् की बैठक में सहमति प्राप्त की जायेगी। इस प्रकार निर्मित योजना से राज्य स्तर पर कृषि निदेशक राज्य स्तरीय योजना तैयार करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक उत्पादन की संभावनाओं की पहचान करके उपलब्ध स्रोतों से

अधिकतम उत्पान लेने का प्रयास करता है। इस योजना में ग्राम विस्तार कार्यकर्ता द्वारा स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे जिन्हें प्राप्त करने की उसकी अधिक प्रतिबद्धता रहेगी।

(19) राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं समन्वित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा उन जिलों में आरंभ किया गया है जिनकी वार्षिक औसत वर्षा 500 मि मी से 1125 मि मि तक होती है। यह कार्यक्रम राजस्थान के अलवर अजमेर भरतपुर बांसवाडा डूंगरपुर झालावाड कोटा सवाई माधोपुर सिरोही टोंक धौलपुर बूंदी भीलवाडा पाली जयपुर चित्तौड़गढ सीकर व उदयपुर जिलों में कृषि विभाग के साथ साथ वन पशुपालन उद्यान तथा अन्य विभागों के कार्यक्रमों को विभागों की भागीदारी के साथ समन्वित रूप से सम्पादित किया जाता है कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से भू एवं जल संरक्षण तथा इनका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग कृषि प्रदर्शन बागानी फसल उत्पादन तकनीक चारा उत्पादन एवं कृषि वानिकी तथा कृषि विकास से सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम भी सम्मिलित है। समन्वित जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रमों की भांति कार्यक्रमों के सम्पादन के लिए अजमेर भीलवाडा उदयपुर व जयपुर जिले चयनित किये गये है

(20) राजस्थान की सर्वांगीण कृषि विकास योजना (Overall agricultural development plan of Rajasthan) कृषि एवं सबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने 514 37 करोड रुपए की योजना बना कर भारत सरकार के माध्यम से विश्व बंक की सहायता हेतु प्रस्तुत की थी। इस योजना मे फसल उत्पादन भूमि सुधार जल विकास चरा विकास फल व सब्जी विकास भू जल उपयोग सिचाई व्यवस्था पशुपालन भेडपालन मछलीपालन सहकारिता आदि के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गए थे। विश्व बैंक मिशन ने परियोजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने से पूर्व कुछ अध्ययन प्रस्तावित किए थे। राजस्थान सरकार ने उन पर विचार विमर्श किया और यह योजना अब करीब 300 करोड रूपये की होगी। इस योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्यक्रम पर भी विचार विमर्श किया गया। इस परियोजना के शीघ्र लागू होने की सभावना व्यक्त की जा रही है।

(21) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसधान संस्थान (काजरी) जोधपुर (Central Arid Zone Research Institute (CAZARI)) राजस्थान राज्य का अधिकांश भू भाग रेगिस्तानी है। इस क्षेत्र की कुछ विशिष्ट समस्याएं है। सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात् रेगिस्तानी क्षेत्रों की समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट प्रयास किये है। भारत सरकार ने सर्वप्रथम अक्तूबर 1952 के मरूस्थल वनीकरण शोध केन्द्र जोधपुर की (Desert Afforestation Research Station Jodhpur) स्थापना की। 1957 में इसके अंतर्गत मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम को भी सम्मिलित कर लिया गया और इस केन्द्र का नाम मरूस्थल वनीकरण एवं मिट्टी संरक्षण केन्द्र कर दिया गया। वस्तुतः रेगिस्तानी क्षेत्र की विभिन्न गंभीर समस्याओं के अनुसार एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो एक शोध संस्थान के रूप में कार्य कर सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये 1959 में मरूस्थल वनीकरण एवं मिट्टी संरक्षण केन्द्र का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के पश्चात् इस केन्द्र को केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसधान संस्थान जोधपुर (काजरी) के नाम से जाना जाता है। 1966 के पूर्व इस संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता था लेकिन इसके पश्चात् इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किया जाता है। आस्ट्रेलिया सरकार एवं यूनस्को ने इस संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। यह संस्थान काजरी के नाम से संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वन सम्पदा का विकास करने हेतु पेड पौधा मिट्टी जल व भूमि आदि के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना है। यह भूमिगत जल तथा वर्षा व बाढ के जल के उपयोग की व्यवस्था करता है। *यह क्षेत्रीय पर्यावरण का अध्ययन* करता है और उसमें सुधार के प्रयास करता है उपयोगी पेड पौधों एवं वनस्पतियों के उपयोग का प्रयास भी करता है भूमि व जल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे वन व *चरागाहों का विकास सिंचित फसलों का विकास व पशु* सम्पदा विकास आदि की दृष्टि से किया जाता है। इस संस्थान के अंतर्गत पौध अध्ययन विभाग प्राकृतिक सम्पदाओं *का अध्ययन करने वाला विभाग वायु ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग अध्ययन विभाग कृषि आर्थिक एवं सांख्यिकी* विभाग पशु अध्ययन विभाग कृषि अभियांत्रिकी विभाग मिट्टी पानी व पौध सम्बन्धी अध्ययन विभाग मानवीय संसाधन अध्ययन विभाग तथा प्रसार व प्रशिक्षण विभाग है। ये सभी विभाग संस्थान के विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनेक परियोजनाओं का संचालन करता है। इन परियोजनाओं में मोटे अनाज व तिलहन का अखिल भारतीय समन्वित परियोजना *तृण नियंत्रण के लिए* अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना का समन्वित केन्द्र हार्टीकल्चरल फसलों पर शोध परियोजना हॉर्टि

एव पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक पर शोध परियोजना, शुष्क खेती भूमि खेती के लिए अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना, जल प्रबन्ध और मृदा लवणीयता के अनुसधान पर एकीकृत परियोजना बूंद-बूंद सिचाई और शुष्क भूमि प्रबध पर ऑपरेशनल शोध परियोजना, पौधों की खोज तथा उपयोगिता के तहत अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना, एग्रो-फॉरेस्ट्री पर शोध परियोजना एव ऊर्जा ससाधनो पर अनुसधान की परियोजना प्रमुख है

गुनग्को एव देश की अनेक सस्थाओं व सगठनो के सहयोग स काजरी में अनेक शोध परियोजनाए सचालित की जा रही है। यहा के वैज्ञानिको ने अनेक क्षेत्रों में अनुसधान कार्य किया है। यह सस्थान इन अनुसधानो को कृषको पशुपालकों और सबधित क्षेत्रों तक पहुचाने का प्रयास कर रहा है।

(22) भागीरथ योजना (Bhagirath Yojna) -

परिचय (Introduction) राजस्थान सरकार ने भागीरथ योजना का श्रीगणेश कृषि एव सहकारिता विभागों में किया है। भागीरथ योजना का शुभारम्भ 24 मई, 1990 को कृषि प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर में किया गया। राजस्थान सरकार की इस योजना में राजकीय कार्यों के लिए ऐसे परिश्रमी और दृढ इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का आव्हान् करने की चेष्टा की गई है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अदम्य साहस का कार्य कर सकें। वे व्यक्ति जो कुछ असामान्य कार्य का स्वप्न देखते है उनके स्वप्नों को कार्यरूप देने की यह योजना है। इसके अतर्गत सामान्यत तक कोई अच्छी योजना बनाई जाती है और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता है। यह एक स्वैच्छिक प्रयास है जिसके अतर्गत व्यक्ति असामान्य और असाधारण कार्य करने का सकल्प ले, है जैसा कि प्राचीन युग में भागीरथ ने किया था। वही व्यक्ति अकेला उस योजना का सूत्रधार होता है। इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा विभाग के उन कर्मठ कर्मचारियों को जो अपने क्षेत्र की परिस्थिति व स्वय की क्षमता तथा विभागीय प्रवृत्तियों को देखते हुये स्वेच्छा से कार्य करना चाहते है उनसे कहा गया है कि वे अपनी योजना के लिए असामान्य लक्ष्यों का निर्धारण करें और योजना को पूर्णरूपेण क्रियान्वित करें। सबधित विकास विभाग ऐसे भागीरथों को उन असामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन व सुविधाए उपलब्ध करवाता है।

मुख्य तथ्य (Main Elements) - इन असाधारण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए न तो कोई नया पद सृजित किया जाता है और न ही भवन निर्माण के लिए कोई राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में चयनित व्यक्ति को किसी प्रकार का वित्तीय लाभ भी प्रदान नहीं किया जाता है। यह कार्य तो चयनित व्यक्ति को केवल नि स्वार्थ और समर्पण भावना से करना होता है ताकि वह अपना असामान्य और असाधारण योजना को साकार रूप दे सके। भागीरथ योजना के अन्तर्गत विभागीय कार्यक्रमों से सबधित प्रवृत्तिया सम्मिलित की जाती है। कृषि विभाग में कार्यरत कर्मचारी, जिन्हें कृषि भागीरथ कहा जा सकता है, फसलो के लिए उन्नत बीज वितरण, बीजोपचार उर्वरक पौधों के वितरण, किसान नर्सरी, जलोपयोग कार्यक्रम, शुष्क खेती कार्यक्रम भूमि सुधार कार्यक्रम आदि से जुडे हुये रहेंगे।

भागीरथ योजना में चयनित व्यक्तियों को विभागीय प्रवृत्तियों में समुचित प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है। भागीरथ विकेन्द्रित रूप से कार्य करन , अपनी योजना स्वय बनाने एव उसकी क्रियान्विति भी स्वय करने के लिए स्वतत्र है। कार्यक्रम के लिए सुविधा सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व जिला स्तर पर, जिलास्तरीय विभागीय अधिकारी एव विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष का है। राज्यस्तर पर विभागीय सचिव द्वारा कार्यक्रम की क्रियान्विति की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है। इसी प्रकार जिलास्तर पर जिलास्तरीय अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा का कार्य किया जाता है।

विभिन्न कार्यक्रम (Various Programmes) - कृषि विभाग में भागीरथों द्वारा इस योजना के अतर्गत विभिन्न प्रवृत्तिया हाथ से ली गई है जिनमें से कुछ निम्नाकित से सबधित है

(1) जल ससाधन (Water Resources) - राजस्थान में जल ससाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश में उपलब्ध जल ससाधनो का केवल एक प्रतिशत राजस्थान म उपलब्ध है। वर्षा का अधिकाश जल भी बह चला जाता है। जल ससाधनों के लगभग 70% सतही जल तथा 50% भू जल का दोहन किया गया है जिससे कुल कृषि क्षेत्र क लगभग 24% भाग में ही सिंचाई सुविधाए उपलब्ध है। सिंचित क्षेत्र की उत्पादकता 1 8 से 2 0 टन प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष है जबकि इस क्षेत्र की उत्पादकता 4 से ■ टन प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष होनी चाहिये। जल की आवश्यकता से अधिक उपयोग अपव्यय एव जल की कमी का कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अनुमान है कि उपलब्ध जल का 50% भाग फसल तक पहुचते-पहुचते अपव्यय हो जाता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये जल के अनावश्यक उपयोग तथा अपव्यय को रोकने के लिए भागीरथ कृषि विभाग द्वारा अनुशसित शुष्क खेती की तकनीक का व्यापक उपयोग करवाकर कृषि उत्पादन की

वृद्धि में योगदान करता है। सतही जल एवं भू जल स्रोतों से उपलब्ध जल का भागीरथ द्वारा समुचित उपयोग करने का प्रयास अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है।

(2) फव्वारा सिंचाई प्रणाली (Sprinkler Irrigation System) फव्वारा सिंचाई राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालोर, पाली, जोधपुर व बाड़मेर जिला तथा अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ इस योजना के लिए आदर्श परिस्थितियां विद्यमान है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को फव्वारा सैट उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में सामान्य कृषकों को 33.33% तथा लघु व सीमान्त कृषकों को 50 % अनुदान दिया जाता है। प्रति सैट अनुदान की सीमा 7000 रुपए तक निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत यदि कृषक बैंकों से ऋण प्राप्त करके सैट लेता है तो अनुदान कृषक श्रेणी के अनुसार उसके खाते में जमा करा दिया जाता है। यदि कृषक अपने स्वयं के साधनों से यह सैट क्रय करता है तो अनुदान राशि सम्बन्धित कृषि उपनिदेशक से निरीक्षण करवाकर नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाती है।

(3) पक्की नालियों का निर्माण (Drainage) सिंचाई हेतु उपलब्ध जल को फसल तक पहुंचाने के लिए सिंचाई की नालियां को पक्का करने तथा पी.वी.सी. पाइप लगाने के लिए भी कृषकों को अनुदान दिया जाता है। अनुमान है कि सिंचाई हेतु उपलब्ध जल का लगभग 50% फसल तक पहुँचने पहले अपव्यय हो जाता है। इस प्रकार बचाये हुये पानी से लगभग 48% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी तथा जल का अपव्यय रूकेगा। इस योजना के अंतर्गत सामान्य कृषकों को 25% तथा लघु व सीमान्त कृषकों को 50% अनुदान सुलभ कराया जाता है। एक कृषक को 100 मीटर नाली बनाने हेतु यह सुविधा उपलब्ध है।

(4) सामुदायिक नलकूप योजना (Communitiy Tubewell Project) भू जल का विदोहन कर अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए कृषि विभाग द्वारा सामुदायिक नलकूप योजना आरम्भ की गई है। भू जल विभाग के अनुसार सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, नागौर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा टोंक जिले इस योजना के लिए उपयुक्त है। एक सामुदायिक नलकूप के लिए चार या अधिक कृषकों का समूह बनाना होता है जिसमें लघु एवं सामान्य कृषक होते है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस क्षेत्र में जहां नलकूप लगाया जाता है विद्युत उपलब्ध है तथा सम्बन्धित कृषकों की भूमि उस कुए पर स्थित है। योजना के अंतर्गत कृषकों को 50% अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा शेष का 50% व्यय कृषक अपनी-अपनी भूमि के अनुपात में स्वयं वहन करते है।

(5) फसल परियोजना (Crop Project) राजस्थान जैसे सीमित ससाधन वाले प्रदेश में जरूरी है कि बोई जाने वाली फसलों की किस्मों में परिवर्तन किया जाये। उदाहरण के लिए, अधिक जल चाहने वाली फसलों तथा गेहू और जौ की बजाय कम पानी में पकने वाली चना, सरसों, धनिया, अलसी जैसी फसलें बोना अधिक लाभप्रद है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फसल परिवर्तनों के प्रदर्शन आयोजित किये जाते है। इनके लिए उर्वरक, बीज, पौध संरक्षण आदि पर होने वाले व्यय के लिए एक हजार रुपए हैक्टेयर की दर से किसानों को अनुदान दिया जाता है। उर्वरकों तथा बीजों का उपयोग कृषि विभाग की सिफारिशों के अनुसार दिया जाता है।

(6) कृषि यत्रों का वितरण (Distribution of Agricutural Implements) कृषि में यत्रों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। भागीरथ अपने क्षेत्र में ऐसे उन्नत कृषि यत्रों के उचित उपयोग, रखरखाव आदि की जानकारी देते है तथा उनके वितरण पर कृषकों के श्रम एवं समय को बचाते है और उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते है।

(7) कृषि वानिकी एवं चारा उत्पादन (Agricultural Forestry & Fodder Production) कृषक की आर्थिक स्थिति मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में कृषि भूमि के अतिरिक्त सीमान्त भूमि पर ही फसल उत्पादन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य के पशुओं को वांछित मात्रा में चारा भी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार को हर वर्ष पड़ौसी प्रदेशों से लाखों टन चारा मंगवाना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार ने किसानों को स्वयं अधिक से अधिक चारा उत्पादन करने तथा कृषि वानिकी के माध्यम से ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन देने का कार्य भागीरथ योजना में सम्मिलित किया है। राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा किसानों को 50% अनुदानित दर पर चारे वाली फसलों का प्रमाणित बीज दिया जाता है। इसी प्रकार कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए छोटी पत्तो वाले वृक्षों की पौध 10 पैसे तथा चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की पौध 20 पैसे प्रति पौध की दर से उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को जीवित पौधों के लिए एक रुपया प्रति पौधे की दर से भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों के खेतों पर भी पौधशालाएं विकसित की जाती है। पौधशाला तैयार करने वाले किसान को 50 पैसे प्रति पौध की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। एक किसान अधिकतम 25 000 पौध की एक पौधशाला में तैयार कर सकता है।

(8) खाद एवं बीज का वितरण (Distribution of Fertilizer &Seeds) - उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, दलहनों के बीजों, खरीफ बीजों, रबी बीजों तथा कल्चर पैकेट्स का वितरण किसानों में किया जाता है। इसी प्रकार प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए डी ए पी , यूरिया सुपर फास्फेट तथा जिप्सम उर्वरक का वितरण भी भागीरथी योजना के अंतर्गत किया जाता है।

राजस्थान में योजनाकाल के अंतर्गत कृषि विकास

AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN UNDER FIVE - YEAR PLANS

राजस्थान की सभी योजनाओं में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि कृषि फसलों के अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र आ सकें। दूसरी योजना में कृषि के संतुलित विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिसके अंतर्गत उपयुक्त कृषि आदानों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम के विचार को क्रियान्वित करने की चेष्टा की गई। इसके अंतर्गत कुछ चयनित क्षेत्रों और कुछ चयनित फसलों का कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया। 1966 से 1969 के मध्य की वार्षिक योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धि हरित क्रान्ति का आरंभ होना रहा है। इस काल में अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग आरंभ किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी इसी नीति को जारी रखा गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समन्वित क्षेत्र की नीति को लागू किया गया। विभिन्न कृषि आदानों तथा उन्नत फसल प्रबन्ध को किसानों के खेतों तक पहुंचाने के विचार को कार्यरूप दिया गया। छठी योजना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि आदानों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि मौसम सम्बन्धी परिवर्तनों का कृषि उत्पादन पर अधिक प्रतिकूल असर न पड़ सके। यह भी चेष्टा की गई कि कृषि सबंधी नई तकनीक को कमजोर वर्ग तक पहुंचाया जाये। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करने, विद्यमान सिंचाई क्षेत्रों में कुशलतम सिंचाई प्रबंध विकसित करने, उन्नत बीजों, खादों व कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ाने एवं शुष्क खेती को लोकप्रिय बनाने तथा कृषि विस्तार सेवाओं के कुशल उपयोग का उद्देश्य निर्धारित किया गया। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल अधिग्रहण विकास कार्यक्रम और बीहड़ सुधार कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया। इस योजना में कृषि आदानों को मिनिकिट्स के रूप में लघु व सीमान्त कृषकों को उपलब्ध कराना भी एक उल्लेखनीय तथ्य है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन विकास और राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम भी हाथ में लिये गये जिनका अत्यधिक अनुकूल प्रभाव पड़ा। इस योजना के अंतर्गत ही कुछ चयनित फसलों के संदर्भ में अच्छी संभावनाओं वाले जिलों में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम आरंभ किया गया।

(1) कृषि विकास दर (Agriculture Growth Rate)

1951 से 1990 तक लगभग 40 वर्षों में विभिन्न फसलों के क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता से संबंधित निम्नलिखित विकास दरें प्राप्त की गई

प्रथम योजना से सातवीं योजना के मध्य विकास दर (प्रतिशत में)

विवरण	प्रथम योजना से सातवीं योजना के मध्य प्राप्त विकास दर		
	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
अनाज	3 6	11 4	7 5
दालें	3 4	8 0	4 6
कुल खाद्यान्न	3 6	10 9	6 9
तिलहन	11 2	22 0	13 7
गन्ना	5 4	20 2	14 0
कपास	10 2	24 4	12 1

स्रोत Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt. of Rajasthan & Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से निम्नांकित तथ्यों का ज्ञान होता है -

1 उपरोक्त सभी फसलों में क्षेत्र की तुलना में उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है।

2 खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता तिलहन, गन्ना व कपास से लगभग आधी रही है।

3 राजस्थान में तिलहन व कपास के अधिक उत्पादन का एक कारण तो इसके क्षेत्रफल में अधिक वृद्धि होना है तो दूसरी ओर इसकी उत्पादकता भी खाद्य फसलों की तुलना में लगभग दुगुनी होना है।

4 गन्ने के उत्पादक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने के बाद भी इसका उत्पादन मुख्यतः इस कारण से बढ़ा है कि इसकी उत्पादकता बढ़ गई है।

(2) महत्वपूर्ण कृषि फसलों का उत्पादन (Production of Important Agricutural Crops) - राजस्थान में खाद्यान्नों, तिलहनों, कपास, ग्वार, गन्ना आदि के उत्पादन में हुई वृद्धि को योजनावार अग्र तालिका में प्रदर्शित किया जा सकता है -

महत्वपूर्ण कृषि फसलों का उत्पादन (उत्पादन लाख टन/गाठों में)

योजना अवधि के अत मे	फसलें अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न	तिलहन	कपास	गन्ना	ग्वार
1950 51	28 88	4 98	33 86	1 34	1 03	4 14	
प्रथम याजना (1951 56)	32 37	7 61	39 98	2 09	1 31	4 48	
द्वितीय योजना (1956-61)	33 67	12 73	46 40	2 27	1 63	4 91	
तृतीय याजना (1961 66)	37 06	10 51	47 57	2 56	1 72	7 54	
3 वार्षिक याजनाए (1966 69)	28 76	6 73	35 49	1 52	1 72	5 24	
चतुर्थ याजना (1969 74)	50 56	12 94	63 50	3 72	2 62	12 82	
पाचवी योजना (1974 79)	52 42	17 94	70 35	4 43	4 31	21 49	5 79
छठी याजना (1980 85)	65 27	14 67	78 94	7 97	4 77	13 76	3 87
सातवी याजना (1985 90)	73 77	11 55	85 32	18 45	9 86	7 16	4 45
आठवी याजना (1992 97)	108 06	22 13	130 19	40 49	13 63	12 90	7 31
नवी याजना (1997 2002) लक्ष्य	115 85	18 80	134 65	39 50	15 25	10 00	

स्रोत E ghth F ve Yea P an 1992 97 & D aft N n Five Yea an 1997 2002 Govt of Rajasthan

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होना है कि

1 1950 51 से कुल खाद्यान्न उत्पादन में कमी वृद्धि होती रही है किन्तु आम तौर पर खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृत्ति बढने की रही है

2 राजस्थान मे सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन 1994 95 में 117 लाख टन अकित किया गया ।

3 1980 90 क मध्य 1987 88 म कुल खाद्यान्न का उत्पादन सबसे कम 47 81 लाख टन हुआ। इसका प्रमुख *कारण 1987 88 के वर्ष का सर्वाधिक अकालग्रस्त वर्ष* होना था।

4 चालीस वर्ष की अवधि में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग तीन गुना हुआ है जबकि इसी अवधि में तिलहनों के उत्पादन में 17 गुना स भी अधिक वृद्धि हुई है। 1986 87 से 1995 96 क मध्य *ही तिलहन का उत्पादन लगभग चार* गुना स अधिक हा गया है। तिलहनों में भी सरसों के उत्पादन में विशेष वृद्धि अकित की गई है।

5 दलहनों मे अभी तक 1978 79 के उत्पादन 17 94 लाख टन को 1994 95 तक ही पुन प्राप्त किया जा सका है।

6 कपास के उत्पादन म 1989 90 में विशेष उत्पादन वृद्धि दखने में आ रही है। इस वृद्धि का निरतर बने रहने की सभावना है।

7 गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन 1978 79 मे 21 49 लाख टन हुआ था जबकि 1995 96 में उत्पादन उसका लगभग आधा है।

(3) कृषि आदानों का उपभोग (Consumption of Agricultural Inputs) कृषि विकास म कृषि आदानो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें खाद उन्नत बीज कीटनाशक आदि क सदर्भ मे हुई प्रगति को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है

राजस्थान में कृषि आदानों का उपभोग

याजना	रासायनिक खाद का उपयोग हजार टन	रासायनिक खाद का उपयोग किलोग्राम प्रति हैक्टेयर	उन्नत बीजों का वितरण (हजार क्विंटल)	अन्य सुधरे हुए बीज (हजार क्विंटल)	कीटनाशक (टन)
द्वितीय याजना (1956-61)	1 30	0 09			129
तृतीय योजना (1961 66)	7 28	0 48			229
वर्षिक याजनाए (1966-69)	30 20	2 12	25 1		
चौथा याजना (969-74)	57 34	3 51	26 8		915
पाचवा योजना (1974 79)	96 36	5 72	48 1	8 1	1511

छठी योजना (1980-85)	170 96	9 44	125 9	31 8	2004
सातवीं योजना (1985-90)	285 59	15 95	130 9	52.7	2685
आठवीं योजना (1992-97)	701 15	33 81	264 75	137 36	2569
नवीं योजना (1997-2002 लक्ष्य)	1138 50	56 08	446 5		5000

स्रोत - Eighth Five Year Plan 1992-97 & Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan

तालिका से ज्ञात होता है कि -

1- राजस्थान में अधिक उपज देने वाले बीजों का वितरण 1966-67 से आरम्भ हुआ, तत्पश्चात् विभिन्न योजनाओं में इनका उपयोग बढ़ा है।

2- अन्य सुधरे हुये बीजों का उपयोग पाचवीं पंचवर्षीय योजना से आरम्भ हुआ और इसका उपयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है।

3- रासायनिक खाद का उपभोग भी 1995-96 में विगत 35 वर्षों की अपेक्षा लगभग 350 गुना हो गया है। प्रति हैक्टेयर रासायनिक खाद के उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 1961 में 0.09 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 1990-91 में 19.75 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गया है। इस प्रकार इसमें लगभग 217 गुना वृद्धि हुई है।

4- 1968-69 की तुलना में 1995-96 मे अधिक उपज देने वाले बीजों का वितरण लगभग 8 गुना हो गया है।

5- 1974-79 की तुलना में 1995-96 में अन्य सुधरे हुये बीजों का उपयोग 13 गुना बढ़ गया था। कीटनाशकों का प्रयोग 1961 की तुलना में 1990-91 तक लगभग 25 गुना हो गया था।

(4) राज्य की महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता में वृद्धि (Increase in productivity of important crops) - राजस्थान में उन्नत एवं सुधरे हुए कृषि आदानों के उपयोग से महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

राजस्थान में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

फसल	राज्य का उत्पादकता औसत			
	पांचवीं योजना 1974-79	छठी योजना 1980-85	सातवीं योजना 1985-90	आठवीं योजना 1992-97
चावल	1202	1066	1008	1073
ज्वार	377	442	351	375
बाजरा	240	306	277	419
गेहूं	1334	1642	22053	2340
मक्का	834	1007	900	958
जौ	1302	1362	1613	1773
चना	768	666	701	722
मूंगफली	640	649	751	901

तिल	140	127	125	174
सरसों व राई	541	759	875	890
अलसी	340	380	368	402
कपास	223	215	285	334
कुल	42137	40471	42273	47543

स्रोत Eighth Five Year Plan 1992-97 & Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से फसलों की उत्पादकता के संदर्भ में इन तथ्यों का पता चलता है -

1- राज्य की महत्वपूर्ण फसलों में से अधिकांश फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अभी भी कम है।

2- विगत तीन योजनाओं में चावल का प्रति हैक्टेयर उत्पादन अधिक नहीं बढ़ा है।

3- गेहूं की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में विगत तीन योजनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। लगभग यही स्थिति सरसों व राई के उत्पादन में रही है।

(5) राजस्थान में कृषि पर व्यय (Expenditure on Agriculture in Rajasthan) - राजस्थान की विभिन्न योजनाओं में कृषि एवं उसकी सहायक सेवाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना से वर्तमान तक किये गये प्रावधान एवं वास्तविक व्यय को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है-

राजस्थान की योजनाओं में कृषि हेतु प्रावधान एवं व्यय

योजना	प्रावधान (करोड़ रुपये)	योजना के कुल प्रावधान का प्रतिशत	व्यय (करोड़ रुपये)	योजना के कुल व्यय का प्रतिशत
प्रथम योजना	3.24	5 02	2 82	4 84
द्वितीय योजना	6 70	6 36	6 32	6 15
तृतीय योजना	16 30	6 91	12 40	5 83
तीन वार्षिक योजनाएं	11 01	8 00	10 02	7 33
चतुर्थ योजना	10 95	3 85	10 28	3 33
पांचवीं योजना	32 83	3 88	31 44	3 67
वार्षिक योजना 1979-80	12 67	4 61	15 60	5.38
छठी योजना	82 33	4 07	96 55	4 55
सातवीं योजना	144 74	4 82	161 90	5 21
आठवीं योजना	1236 92	11 19		

स्रोत Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि -

1 राजस्थान की विभिन्न योजनाओ मे तो कृषि के लिए किया गया प्रावधान और न ही योजनाकाल मे स्पष्ट किया गया वास्तविक व्यय निरतर बढा है, चतुर्थ योजना के पश्चात् यद्यपि इन दोनो मे ही निरतर वृद्धि अकित की गई है।

2 योजना काल में कृषि पर किये गये प्रावधान एव वास्तविक व्यय के प्रतिशत के सदर्भ मे ही चतुर्थ योजना के पश्चात् ही निरतर वृद्धि हुई है।

(6) राजस्थान में योजनाकाल में कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय (Per Capita Expenditure on Agriculture under plans) - राजस्थान की विभिन्न योजनाओ के अतर्गत किये गय कुल प्रतिव्यक्ति व्यय एव कृषि व सबधित सेवाओ पर किया गया प्रतिव्यक्ति व्यय इस तालिका म स्पष्ट है

राजस्थान में योजनाकाल में कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय

योजना	प्रतिव्यक्ति कुल व्यय (रुपए में)	प्रतिव्यक्ति कृषि पर व्यय (रुपए में)
प्रथम योजना	34	1 64
द्वितीय योजना	65	3 99
तृतीय योजना	97	5 65
चतुर्थ योजना	120	3 99
पाचवी योजना	332	12 18
छठी योजना	622	28 30
सातवी योजना	875	45 58

स्रोत Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राजस्थान की प्रथम पचवर्षीय योजना मे कृषि पर प्रतिव्यक्ति नगण्य राशि व्यय की गई। द्वितीय व तृतीय पचवर्षीय योजनाओं मे कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय बढा किन्तु चतुर्थ पचवर्षीय योजना में यह पुन द्वितीय पचवर्षीय योजना के स्तर पर आ गया। चौथी पचवर्षीय योजना की अपेक्षा पाचवी पचवर्षीय योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति व्यय तीन गुने से अधिक हो गया। पाचवी पचवर्षीय योजना की अपेक्षा छठी योजना में प्रतिव्यक्ति व्यय दुगुने से अधिक रहा किन्तु सातवीं पचवर्षीय योजना में यह डेढ गुने से कुछ अधिक रहा। आठवीं पचवर्षीय योजना में कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय राजस्थान म सातवी योजना की अपेक्षा चार गुना अधिक होने की सभावना है।

राजस्थान की आठवी योजना में कृषि विकास की व्यूह-रचना

AGRICULTURAL DEVELOPMENT STRATEGY IN VIII PLAN

आठवीं योजना म कृषि पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित किया गया है। कृषि विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमो पर विशेष ध्यान दिया गया है

1 राजस्थान में शुष्क कृषि को अधिक लोकप्रिय बनाने की चेष्टा की गई। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 70-75% ऐसा क्षेत्र है जहा शुष्क खेती को अपनाया जा सकता है। अत शुष्क कृषि को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया।

2 योजना के अतर्गत बजर व पडत भूमि का उपयोग करने के लिए कृषि वानिकी कार्यक्रमो को प्रोत्साहित किया गया।

3 इस योजना के अतर्गत राजस्थान की 17 94 लाख हैक्टेयर समस्याग्रस्त भूमि को दृष्टिगत रखते हुये सुधार की चेष्टा की गई।

4 रसायनिक कृषि क्षेत्र म रासायनिक खाद के साथ साथ भूमि की उत्पादकता बनाये रखने के लिए जैविक और हरे खाद का प्रयोग किये जाने के प्रयास किये गये। राजस्थान में पानी की कमी को दृष्टिगत रखते हुये कृषि उपजो का विविधीकरण कर ऐसी फसलें लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती हो। भूमिगत जल के कुशल उपयोग के लिए बूद-बूद सिचाई पद्धति व फव्वारा सिचाई को प्रोत्साहित किया गया

5 सातवी योजना के अतर्गत कृषि नियोजन में कृषि जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। राजस्थान को कृषि जलवायु की दृष्टि से 9 खण्डो तथा उपखण्डो में विभाजित किया गया। आठवीं योजना में कृषि जलवायु क्षेत्रो को दृष्टिगत रखते हुए ही कृषि विकास सबधी निर्णय लिए गये।

6 कृषि एव उसके सहायक क्षेत्रों के लिए एक विस्तृत कृषि विकास योजना बना कर विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई।

7 राजस्थान म वर्षा की अनिश्चितता व कमी को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को जोखिम से बचाने के उद्देश्य से फसल बीमा का विस्तार किया गया।

राजस्थान में आठवीं योजना के अतर्गत खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 113 90 लाख टन निर्धारित किया

गया था जबकि वास्तविक उत्पादन 130 19 लाख टन हुआ। तिलहन का उत्पादन लक्ष्य 39 90 लाख टन, गन्ने का उत्पादन लक्ष्य 11 25 लाख टन एव कपास का उत्पादन लक्ष्य 11 90 लाख गाठें निर्धारित किया गया। जबकि वास्तविक उत्पादन क्रमश 40 49 लाख टन, 12 90 लाख टन व 13 63 लाख टन गाठ हुआ। आठवीं योजना मे 38 54 लाख हैक्टैयर क्षेत्र को उन्नत बीजों क अतर्गत लाया गया। योजना की अवधि में 402 1 हजार क्विटल उन्नत बीज वितरित किये गये। 'रसायनिक खाद' का उपयोग भी योजना अवधि मे 701 1 हजार टन हुआ।[1]

नवी पंचवर्षीय योजना मे कृषि विकास की व्यूह-रचना

राजस्थान मे इस योजना म कृषि व सबधित सेवाओं पर 1880 03 करोड रुपए व्यय करने का प्रावधान है। इस योजना की प्रमुख बाते निम्न प्रकार है -

1 प्राकृतिक ससाधनों के विकास तथा सामुदायिक ढाचागत आधार क निर्माण हेतु सार्वजनिक एव निजी विनियोगो को बढावा देना। इस कार्य हेतु निम्न प्रयास किये जायगे -

(i) सामान्य उपायों टेक्नालॉजी पार्क उच्च तकनीकी प्रदर्शन एव उत्पादक फर्मों की स्थापना हेतु निजी उद्यमियों को सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

(ii) कृषि विपणन को बढावा देने वाली फर्मों को विशिष्ट सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(iii) वाहन एव सेवाओं की आपूर्ति करने वाली तथा गैर परम्परागत आदानों का उत्पादन करने वाली निजी फर्मों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(iv) फर्मों के ढाचागत विकास हेतु वित्तीय सस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा

2 फर्मों के ढाचागत विकास हेतु विभिन्न प्रकार की साख सुविधाओं मे वृद्धि की जायगी और कार्य हेतु वित्तीय सस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

3 छोटे सामान्य एव स्त्री कृषकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम सचालित किये जायेंगे।

4 कृषि व्यवस्था एव प्रबन्ध में सुधार हेतु निम्न कार्य किये जायेंगे

(i) कृषि विभाग को सुदृढ करने तथा प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु स्थानीय व्यक्तियो एव गैर सरकारी सस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

(ii) कृषि समुदाय के प्रशिक्षण व तकनीकी स्तर को उच्च करने के लिए सस्थागत ढाचे को सुदृढ किया जायेगा।

(iii) निजी एव सार्वजनिक क्षेत्र मे श्रेष्ठ किस्म के बीजों के उत्पादन को बढावा दिया जायेगा।

(iv) कृषि आदानों की गुणवत्ता पर विशिष्ट ध्यान दिया जायेगा।

(v) कृषि क्षेत्र में तकनीकी खोज एव अनुसधान पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(vi) कृषि विस्तार में सचार के साधनों का पूर्ण उपयोग किया जायेगा।

राजस्थान में भू-उपयोग
LAND UTILIZATION IN RAJASTHAN

प्राकृतिक ससाधनों मे भूमि अत्यन्त महत्वपूर्ण ससाधन है। अत उसका उचित उपयोग होना चाहिये। भूमि को अनेक प्रयोगों में लिया जा सकता है इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चाहे जिस कार्य में भूमि का प्रयोग हो, वह उसका सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिये। इस तथ्य को दृष्टिगत रखना चाहिये कि सभी भूमि एक जैसी नहीं होती। इस कारण उनका महत्व भी अलग-अलग होता है। भूमि की स्थिति, उसकी बनावट उसका ढाल आदि उसकी उपयोगिता को निर्धारित करने वाले तत्व होते है। यह भूमि व मिट्टी के ससाधनों का दुरुपयोग होता है तो इससे राज्य की समग्र उत्पादकता मे ह्रास होता है। राज्य के भू ससाधनों के उपयोग की दृष्टि से जलवायु का भी विशेष महत्व है। इस कारण भूमि के उपयोग का अनेक दृष्टिकोणो से परखा जाना चाहिये। इनमें भू-सरक्षण, भूमि की उत्पादकता, पूजी-उत्पाद अनुपात तथा उत्पादक व अनुत्पादक उपयोग सम्मिलित होने चाहियें। भूमि का पूरा उपयोग उसकी उत्पादकता को बनाये रखना है व राज्य को लाभ पहुचाना है। भूमि का बुरा उपयोग या दुरुपयोग भूमि का अच्छी विशेषताओं को नष्ट कर राज्य का हानि पहुचाता है। इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में भूमि-उत्पादकता सर्वेक्षण किया जाये। राज्य में वर्तमान में समस्त भूमि किन-किन कार्यों मे प्रयोग में लाई जा रही है इसका विस्तृत अध्ययन करके भूमि के प्रभावी उपयोग के लिए भावी नीति निर्धारित की जानी चाहिये।

राजस्थान मे भू-उपयोग से सबधित प्रमुख तथ्य निम्नवत है -

1 Draft Ninth Five Year Plan, 1997-2002, Govt. of Rajasthan

(1) कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (Total Geographical Area) कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आशय उस क्षेत्र से है जिसके सबध में भूमि उपयोग वर्गीकरण उपलब्ध है। भूमि उपयोग सबधी आकडे ग्राम पटवारी द्वारा राजस्व के उद्देश्य से निर्मित रिटर्न्स के आधार पर तैयार किये जाते है। राजस्थान का भू-उपयोग की दृष्टि से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल व उसका विभिन्न कार्यों में उपयोग निम्न तालिका से स्पष्ट है।

राजस्थान में भू-उपयोग (हजार हैक्टेयर)

विवरण	1970 71	1979 80	1989 90	1994-95	1995-96
1 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (भू उपयोग के उद्देश्य से)	34109	34234	34248	34243	34243
2 वन	1355	2068	2324	2450	2458
3 कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि					
(अ) भूमि का अकृषि कार्यों में उपयोग	162	1509	1624	1667	1680
(ब) बंजर तथा अकृषि भूमि	4716	2931	2819	26"0	2657
4 अन्य अकृषि भूमि					
(अ) स्थाई चरागाह तथा अन्य चराई भूमि	1807	1841	1802	1751	1745
(ब) विभिन्न वृक्ष फसलों आदि के अंतर्गत भूमि	9	9	23	17	16
5 बंजर भूमि (परन्तु कृषि को					
6 पडत भूमि (खारबंजर)	6112	6406	5628	5165	5103
(अ) पडत भूमि (चालू पडत के अतिरिक्त)	2326	2275	2082	1832	1972
(ब) चालू पडत भूमि	1443	2988	2340	1670	2036
7 शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल	15179	14207	15606	17021	16575
8 एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	1550	2164	2297	3359	3098
9 कुल बोया गया क्षेत्रफल	16729	16371	17903	20380	19673

Source Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt of Raj A Broucher on some facts on Agriculture in Raj Ninth five Year plan 1997 2002 Govt of Raj & Statistical Abstract Rajasthan 1998

(2) वन (Forest) - वनो के अतर्गत वह समस्त भूमि सम्मिलित की जाती है जो किसी भी वैधानिक अधिनियम के द्वारा वन के रूप में वर्गीकृत की गयी हो चाहे वह सरकारी स्वामित्व में हो या निजी स्वामित्व के अतर्गत हो चाहे उस भूमि के वृक्ष हो या वह भूमि वनों की सभावना से युक्त हो। वनो के मध्य आने वाले कृषि क्षेत्र एव चरागाहो को भी वन क्षेत्र के अतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कृषि विभाग व वन विभाग द्वारा दिये गये वन क्षेत्र के आकडो मे सदैव अतर बना रहता है। राजस्थान में द्वितीय योजना के अन्तर्गत औसतन 1067 हजार हैक्टेयर क्षेत्र मे वन था। सातवीं योजना के अतर्गत यह औसत दुगने से भी अधिक होकर 2276 हजार हैक्टेयर हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर जिले में है। राजस्थान में वनो की स्थिति एव जिलेवार वन निम्न प्रकार है

योजना काल मे राजस्थान में वन क्षेत्र

योजना	वन (हजार हैक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	1302
द्वितीय योजना का औसत	1067
तृतीय योजना का औसत	975
वार्षिक योजनाओ का औसत (1966 69)	1182
चौथी योजना का औसत	1417
पाचवी योजना का औसत	2069
छठी योजना का औसत	2135
सातवी योजना का औसत	2276
1995 96	2458

Source Economic Review 1997 98 1998-99 Govt of Rajasthan Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95, Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec 1995

(3) भूमि का अकृषि कार्यों में उपयोग (Area Under Non Agricultural Use)- इस वर्गीकरण के अन्तर्गत वह समस्त भूमि सम्मिलित है जो भवनों सडकों रेलमार्गों नदियों नहरो तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रयुक्त हो रही है। राजस्थान मे अकृषि कार्यों में उपयोग की जाने वाली भूमि का क्षेत्र निरतर बढ रहा है। द्वितीय योजना मे यह औसतन 1164 हजार हैक्टेयर था जो सातवीं योजना में 1613 हजार हैक्टेयर हो गया है। राजस्थान में अकृषि कार्यों के अतर्गत सर्वाधिक भूमि उदयपुर जिले म और तत्पश्चात् श्रीगगानगर जिले में प्रयुक्त की जा रही थी। राजस्थान म योजनावधि मे तथा जिलेवार भूमि का अकृषि कार्यों मे उपयोग निम्न तालिका मे दर्शाया गया है

योजना काल में राजस्थान भूमि का अकृषि कार्यों में उपभोग

योजना	वन (हजार हैक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	NA
द्वितीय योजना का औसत	1164
तृतीय योजना का औसत	1137
वार्षिक योजनाओ का औसत (1966-69)	1186
चौथी योजना का औसत	1289
पाचवीं योजना का औसत	1509
छठी योजना का औसत	1509
सातवीं योजना का औसत	1613
1995 96	1679

Source Economic Review 1997-98 1998-99 Govt of Rajasthan Trends in Land use Statistics in Rajasthan vital Agricultural Statistics 1994 95, Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec 1995

(4) बंजर एवं अकृषि भूमि (Barren & Un-Cultivable land) - इसके अंतर्गत वह समस्त बंजर एवं अकृषि भूमि सम्मिलित है जो पहाड़ों, रेगिस्तान आदि के अंतर्गत आती है। यह वह भूमि है जो बहुत अधिक लागत लगाये बिना कृषि के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। ऐसी भूमि कृषि जोतों के बीच में हो या उनसे दूर हो सकती है। राजस्थान में 1995-96 में इस प्रकार की 2656 हजार हैक्टेयर भूमि थी जबकि द्वितीय योजना का औसत 4952 हजार हेक्टेयर का था। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि की मात्रा निरंतर कम होती जा रही है। इस प्रकार की सर्वाधिक भूमि राजस्थान के उदयपुर जिले में है। तत्पश्चात् जैसलमेर जिले का स्थान है। राजस्थान में बंजर भूमि एवं अकृषि भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है -

बंजर एवम् अकृषि भूमि	
योजना	वर्ग(हजार हैक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	NA
द्वितीय योजना का औसत	4953
तृतीय योजना का औसत	5087
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	4811
चौथी योजना का औसत	4684
पांचवीं योजना का औसत	2931
छठी योजना का औसत	2899
सातवीं योजना का औसत	2821
1995 96	2656

*Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan.
Source Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics, 1994-95, Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec 1995

(5) कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र (Area Not Available For Cultivation) - कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र के अंतर्गत अकृषि कार्यों में उपयोग में लायी जा रही भूमि, बंजर एवं अकृषि भूमि को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र में गिरावट की प्रवृत्ति देखने में आ रही है। यह अच्छी स्थिति कही जा सकती है। राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक अनुपलब्ध भूमि क्रमशः उदयपुर एवं जैसलमेर जिलों में है। राजस्थान में कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र को निम्न तालिका में दर्शाया गया है

योजना काल में राजस्थान में कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र	
योजना	वर्ग(हजार हैक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	7644
द्वितीय योजना का औसत	6117
तृतीय योजना का औसत	6225
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	5977
चौथी योजना का औसत	5972
पांचवीं योजना का औसत	5440
छठी योजना का औसत	4412
सातवीं योजना का औसत	4434
1994 95*	4337

Economic Review 1998-99 Govt of Rajasthan.
Source Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics, 1994-95, Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1995

(6) स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमि (Permanent Pastures and other Grazing land) - इस भूमि के अंतर्गत सभी चरागाह क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे स्थायी प्रवृत्ति के हों अथवा नहीं। गांव की सामान्य चराई भूमि को भी इस वर्गीकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में इस भूमि का क्षेत्रफल धीमी गति से बढ़ रहा है। राजस्थान में इस प्रकार की सर्वाधिक भूमि बाड़मेर व बीकानेर जिलों में उपलब्ध है। राजस्थान में स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमि की स्थिति निम्न प्रकार से है

योजना काल में राजस्थान में स्थाई चरागाह एवं अन्य चराई भूमि	
योजना	वर्ग(हजार हैक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	1528
तृतीय योजना का औसत	1771
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	1818
चौथी योजना का औसत	1811
पांचवीं योजना का औसत	1841
छठी योजना का औसत	1841
सातवीं योजना का औसत	1817
1995-96	1745

**Economic Review 1998-99 Govt of Rajasthan.
Source Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95, Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture In Rajasthan Dec. 1995

(7) विभिन्न वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि (Land Under Miscellaneous Tree Crops etc) - इसमें वह समस्त कृषि भूमि सम्मिलित है जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है लेकिन वह कुछ अन्य कृषि उपयोग में ली जा रही है। वृक्षों, घासों, बांस के झुण्डों एवं ईंधन इत्यादि के लिए प्रयुक्त भूमि, जो बगीचों के अंतर्गत नहीं आती, इस श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल चौथी योजना में औसतन 9 2 हजार हैक्टेयर रह गया था। सातवीं योजना में यह औसत बढ़कर 28 2 हजार हैक्टेयर हो गया था। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है

योजना काल में भूमि का अकृषि कार्यों में उपभोग	
योजना	वर्ग(हजार हैक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	24
तृतीय योजना का औसत	14
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	13
चौथी योजना का औसत	9
पांचवीं योजना का औसत	9
छठी योजना का औसत	43
सातवीं योजना का औसत	28
1995-96	15 6

*Economic Review 1998-99 Govt of Rajasthan
Source Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics, 1994-95 Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec 1995

(8) बंजर भूमि (Cultivable Waste) - इस वर्गीकरण के अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित है जिस पर कभी कृषि होती थी लेकिन बाद में किसी कारण से कृषि कार्य बंद करना पड़ा।

ये भूमि निश्चित तौर पर कृषि भूमि रही होती है। इन भूमियों को उचित लागत लगाकर एवं उचित प्रयास करके सुधारा जा सकता है। ऐसी भूमि पडत भूमि हो सकती है या झाडियों और जंगल से भरी हो सकती है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है राजस्थान सरकार के प्रयासों के कारण इस प्रकार की भूमि का मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। द्वितीय योजना में इस प्रकार का क्षेत्र औसतन 7078 हजार हैक्टेयर था तो सातवीं योजना में घटकर औसतन 5815 हजार हैक्टेयर रह गया। राजस्थान में सर्वाधिक बजर भूमि क्रमश जैसलमेर और बीकानेर जिलों में है। राजस्थान में बजर भूमि की स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है

योजना काल में राजस्थान में बजर भूमि

योजना	वन(हजार हैक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	7078
तृतीय योजना का औसत	6561
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966 69)	6316
चौथी योजना का औसत	6024
पाचवी योजना का औसत	6406
छठी योजना का औसत	6123
सातवी योजना का औसत	5815
1995 96	5103

Economic Review 1998-99 Govt of Rajasthan
Source Trends n Land use Stat stics In Ra asthan Vital Agricultural Stat stics 1994-95 Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture In Rajasthan Dec 1995

(9) अन्य अकृषि भूमि (पडत भूमि को छोडकर) (Other Uncultivated Land excluding Fallow Land)- इसके अतर्गत स्थायी चरागाह एव अन्य चराई भूमि विभिन्न वृक्ष फसलों के अतर्गत भूमि एव बजर भूमि का योग सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की भूमि राजस्थान में बडी मात्रा मे उपलब्ध है तथा इसकी मात्रा जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक है। राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति निम्न प्रकार से है।

योजना काल मे अन्य अकृषि भूमि (पडत को छोडकर)

योजना	वन(हजार हैक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	8924
द्वितीय योजना का औसत	8628
तृतीय योजना का औसत	8348
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	8148
चौथी योजना का औसत	7844
पाचवी योजना का औसत	8256
छठी योजना का औसत	8007
सातवी योजना का औसत	7659
1995 96	6933

Economic Review 1998-99 Govt of Rajasthan
Source Trends in Land use Statistics In Ra asthan Vital Agricultural Statistics 1994-95 Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture In Rajasthan Dec 1995

(10) पडत भूमि (चालू पडत के अतिरिक्त) (Fallow Land other current fallows) - इसमे वह समस्त भूमि सम्मिलित है जो कृषि में प्रयुक्त की जा रही थी लेकिन जिस पर अस्थाई तौर पर खेती नहीं की जा रही है। खेती न किये जाने की अवधि एक वर्ष से कम और पाच वर्ष से अधिक नहीं होती। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि बडी मात्रा मे उपलब्ध है। द्वितीय योजना मे यह क्षेत्र औसतन 3438 हजार हैक्टेयर था। सातवीं योजना में यह क्षेत्र कम होने के बावजूद भी औसतन 2368 हजार हैक्टेयर था जो कि एक बहुत बडा क्षेत्र है। राजस्थान के जोधपुर एव बाडमेर जिलों में इस प्रकार की भूमि बडी मात्रा में विद्यमान है। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि की स्थिति को निम्न तालिका की सहायता से समझा जा सकता है

योजना काल में पडत भूमि (चालू पडत के अतिरिक्त)

योजना	वन(हजार हैक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	3438
तृतीय योजना का औसत	2651
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	2146
चौथी योजना का औसत	2227
पाचवी योजना का औसत	2275
छठी योजना का औसत	1990
सातवीं योजना का औसत	2356
1995 96	1972

*Economic Review 1998-99 Govt of Rajasthan
Source Trends in Land use Stat stics In Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95 Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture In Rajasthan Dec 1995

(11) चालू पडत भूमि (Current Fallow Land) - इसमें ऐसे फसल क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जो चालू वर्ष के अतर्गत पडत रहा हो। राजस्थान में पडत भूमि की मात्रा में सामान्यत अधिक परिवर्तन नही आया है। तृतीय योजना में औसत चालू पडत भूमि 1880 हजार हैक्टेयर थी। 1995 96 में भी यह क्षेत्र 2036 हजार हैक्टेयर था। राजस्थान में सर्वाधिक पडत जैसलमेर बाडमेर तथा बीकानेर जिलों में विद्यमान है। राजस्थान मे चालू पडत भूमि की स्थिति को निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है -

योजना काल में चालू पडत भूमि

योजना	वन(हजार हैक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	2078
तृतीय योजना का औसत	1880
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	2244
चौथी योजना का औसत	1878
पाचवी योजना का औसत	2988
छठी योजना का औसत	2099
सातवीं योजना का औसत	2656
1995 96	2036

Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
Source Trends in Landuse Statistics In Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95 Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture In Rajasthan Dec 1995

(12) कुल पडत भूमि (Total Fallow Land) - इस भूमि के अतर्गत पडत भूमि (चालू पडत के अतिरिक्त) एव चालू पडत भूमि का योग सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में कुल पडत भूमि निम्न प्रकार उपलब्ध है -

योजना काल में कुल पड़त भूमि	
योजना	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	5741
द्वितीय योजना का औसत	5517
तृतीय योजना का औसत	4531
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	4390
चौथी योजना का औसत	4105
पांचवीं योजना का औसत	5263
छठी योजना का औसत	4089
सातवीं योजना का औसत	5024
1995-96	4008

*Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan.
Source Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics, 1994-95 Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1995

(13) बोया गया शुद्ध क्षेत्र (Net Area Sown) - इसके अंतर्गत वह समस्त क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है जिसमें फसलें बोयी जाती है। ऐसा क्षेत्र जिसमें एक दो वर्ष में दो फसलें ली जा रही हों, उस क्षेत्र को एक ही बार जोड़ा जाता है। राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र निरन्तर बढ़ रहा है। द्वितीय योजना में यह औसतन 12689 हजार हैक्टेयर था, जो 1995-96 में बढ़कर 16575 हजार हैक्टेयर हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र बाड़मेर, श्रीगंगानगर, व चुरू जिलों में था। राजस्थान में शुद्ध बोये गये क्षेत्र की स्थिति निम्न प्रकार है -

योजना काल में बोया गया शुद्ध क्षेत्र	
योजना	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	10619
द्वितीय योजना का औसत	12689
तृतीय योजना का औसत	13929
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	14335
चौथी योजना का औसत	14873
पांचवीं योजना का औसत	14207
छठी योजना का औसत	15591
सातवीं योजना का औसत	14847
1995-96	16575

*Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
Source Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95, Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1995

(14) कुल बोया गया क्षेत्र (Total Cropped Area) - इसके अंतर्गत वह समस्त क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है जिसमें फसलें बोयी गयी है और इसमें व्यक्तिगत फसलों के क्षेत्र को भी जोड़ लिया जाता है। ऐसी फसलें जो वर्ष में एक से अधिक बार ली जाती है, उस क्षेत्र को हर फसल के लिए अलग क्षेत्र मानकर जोड़ लिया जाता है। राजस्थान में कृषि विकास के साथ साथ बोये गये क्षेत्रफल में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। द्वितीय योजनाकाल में राजस्थान में औसतन 13772 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फसल बोयी गयी। 1995-96 में यह क्षेत्रफल 19672 हजार हैक्टेयर हो गया। जिले की दृष्टि से कुल बोया गया क्षेत्रफल सबसे अधिक श्रीगंगानगर जिले में है। इसका एक प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण एक से अधिक फसलें लिया जाना है। राजस्थान में कुल बोया गया क्षेत्र निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

योजना काल में कुल बोया गया क्षेत्र (सकल बोया गया क्षेत्र)	
योजना	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	11322
द्वितीय योजना का औसत	13772
तृतीय योजना का औसत	14963
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	15453
चौथी योजना का औसत	16350
पांचवीं योजना का औसत	16371
छठी योजना का औसत	18101
सातवीं योजना का औसत	17166
1995-96	19672

*Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
Source Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics, 1994-95, Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1995

(15) एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र (Area sown more than once) इस क्षेत्रफल से इस बात का आभास होता है कि सिंचाई सुविधाओं का कितना विस्तार हुआ है। राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण द्वितीय योजना में इस प्रकार का औसत क्षेत्र 1084 हजार हैक्टेयर था जबकि 1995-96 में राजस्थान में वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र लगभग तिगुना होकर 3098 हजार हैक्टेयर हो गया। राजस्थान में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल सिंचाई सुविधाओं के कारण श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक है।

राजस्थान में इस क्षेत्र की स्थिति निम्न तालिका से दर्शायी गई है -

योजना काल में एक से अधिक बार बोयागया क्षेत्र	
योजना	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	703
द्वितीय योजना का औसत	1084
तृतीय योजना का औसत	1034
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	1118
चौथी योजना का औसत	1478
पांचवीं योजना का औसत	2164
छठी योजना का औसत	2510
सातवीं योजना का औसत	2318
1995-96	3098

*Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
Source Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics, 1994-95, Raj & A Brouchure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1995

राजस्थान में फसलों का प्रारूप
CROPPING PATTERN IN RAJASTHAN

राज्य में फसलीय क्रम में प्रथम योजनाकाल से अब तक काफी परिवर्तन हुआ है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है -

फसलें	प्रथम योजना		छठी योजना		सातवीं योजना		आठवी योजना	
	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनाज	65 64	56 04	91 03	50 29	87 14	50 91	90 74	-
मोटा अनाज	55 74	47 58	70 81	39 12	69 45	40 58	-	-
गेहू	9 22	7 88	18 70	10 33	16 50	9 64	-	-
धान	0 68	0 58	1 52	0 84	1 18	0 69	-	-
दलहन	24 60	21 00	35 09	19 39	29 39	17 17	37 96	-
तिलहन	7 23	6 16	14 85	8 20	25 28	14 72	38 77	-
तिल	4 36	3 72	4 20	2 32	4 39	2 56	-	-
मूगफली	0 38	0 32	1 99	1 10	2 76	1 61	-	-
राई व सरसों	1 63	1 39	6 45	3 56	14 64	8 55	-	-
अन्य	19 67	16 80	40 04	22 12	29 43	17 20	-	-
कपास	1 93	1 65	3 77	2 08	4 34	2 54	6 54	-
ग्वार, चारा फल सब्जी व मसाले	17 74	15 15	36 27	20 04	25 09	14 66	-	-
योग	117 14	100 00	181 01	100 00	171 16	100 00	207 41	

1 राजस्थान मे कृषि विकास प्रगति 1991 92 & Economic Rewew 1997 98 Govt of Rajasthan

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि राज्य मे अन्न फसलों के प्रतिशत क्षेत्रफल म कमी आई है आर यह कमी मुख्यत मोटे अनाजो मे हुई। प्रथम योजना अवधि मे छठी योजना में करीब 8 % की कमी आई जबकि गेहू व चावल का प्रतिशत क्षत्रफल लगभग अपरिवर्तित है।

राज्य मे दलहनी फसलो क प्रतिशत क्षेत्रफल मे भी गिरावट का रूख रहा। मात्र पाचवी योजना अवधि को छोडकर सभी योजनाओं मे प्रथम योजना की तुलना मे क्षेत्रफल कम रहा। प्रथम योजना म 21 प्रतिशत क्षत्रफल मे दलहनो की खेती की गई थी, वह घटकर सातवी योजना क अत में 17 17% ही रह गई। दलहनों मे कमी का मुख्य कारण इसका बारानी क्षेत्रो में बोया जाना है जो पूर्णत वर्षा पर निर्भर है। दलहनो का प्रति हैक्टेयर उत्पादन कम होना भी इसके क्षेत्रफल में कमी का एक कारण है। दलहनो के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए ऐसी किस्मो के विकास की आवश्यकता है जो सूखे से प्रभावित हुये बिना भरपूर उत्पादन दे सकें।

राज्य मे तिलहनो के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। छठी योजना से काफी तीव्र गति से वृद्धि हुई। राज्य म प्रथम योजना मे मात्र 6 16 प्रतिशत क्षत्र मे इसकी खेती की जाती थी वह बढकर छठी योजना म 8 20 प्रतिशत हो गई। सातवीं योजना में यह प्रतिशत 14 72 हो गया। यह वृद्धि मुख्यत राई व सरसो के क्षेत्र म वृद्धि होने से हुई जो छठी योजना म 3 56 प्रतिशत से बढकर सातवीं योजना में 8 55 प्रतिशत हो गई। सरसो के साथ साथ सागरू के अन्तर्गत सोयाबीन की खेती की जाने लगी। वर्ष 1980-81 म जहा मात्र 8000 हैक्टेयर म सोयाबीन की खेती की गई थी वह बढकर 1989-90 मे 1 69 लाख हेक्टेयर के सर्वोच्च स्तर पर पहुच गई।

मोटे अनाजो मे दलहनी फसलो के क्षेत्रफल में हुई कमी को कृपक ने कपास ग्वार चारा, फल व सब्जिया तथा मसालो क क्षेत्रो मे वृद्धि कर पूरा किया। प्रथम योजना अवधि में जहा 16 80 प्रतिशत क्षेत्र मे इनकी खेती की गई वह बढकर छठी योजना मे 22 12 प्रतिशत एव सातवी योजना के 1989-90 वर्ष मे 17 20 प्रतिशत रही। राज्य मे कपास,ग्वार व मसालो के उत्पादन की पर्याप्त सभावनाए है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुछ फसलो के प्रतिशत क्षेत्रफल मे कमी हुई है। यह कमी मुख्यत मोटे अनाजो, जैसे- ज्वार जौ, चावल दालो व चना आदि में हुई है। गेहू के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। छठी योजना के पश्चात् चावल के क्षेत्रफल म भी गिरावट का रूख रहा। द्वितीय पचवर्षीय योजना मे चावल की खेती 0 6% क्षेत्र म ही होती थी जो बढकर पाचवी योजना म 1% हो गई। इसके पश्चात् चावल के प्रतिशत क्षेत्रफल मे गिरावट हुई। गेहूं के प्रतिशत क्षेत्रफल मे भी पाचवी योजना के पश्चात् कमी होना प्रारभ हो गया। मूगफली तथा सरसों व राई के प्रतिशत क्षेत्रफल मे छठी योजना के पश्चात् वृद्धि का रूख रहा।

राज्य म तिलहनो के क्षेत्रफल मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। छठी योजना के अन्तर्गत प्राय सभी प्रकार के तिलहनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई लेकिन सातवीं योजना में कुछ तिलहनो के क्षेत्रफल म गिरावट का रूख रहा।

मोटे अनाजों व दलहनी फसलों के क्षेत्रफल में हुई कमी को कृषकों ने कपास, ज्वार, व चारा फलों व सब्जियों तथा मसालों के क्षेत्र में वृद्धि कर पूरा किया। राज्य में कपास, ग्वार व मसालों के उत्पादन में वृद्धि की पर्याप्त सभावनाएं विद्यमान हैं।

राजस्थान के कृषि जलवायु खण्ड
AGRICULTURAL CLIMATE ZONES OF RAJASTHAN

सपूर्ण भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों की दृष्टि से 14 भागों में बाटा गया है। इन क्षेत्रों में से क्षेत्र सख्या 6, 8, 9 और 14 के अतर्गत राजस्थान को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय आधार पर राजस्थान के सदर्भ में यह वर्गीकरण *अग्र तालिका के रूप में प्रकट है -*

राष्ट्रीय कृषि जलवायु क्षेत्र		
	राजस्थान से संबंधित राष्ट्रीय कृषि जलवायु क्षेत्र	कृषि जलवायु क्षेत्रों मे आने वाले राजस्थान के जिले
जोन 6	ट्रास-गगा मैदान क्षेत्र	श्रीगगानगर
6 3	राजस्थान डिवीजन	
जोन 8	मध्य पठारी एव पहाडी क्षेत्र	
8 5	पूर्वी राजस्थान मैदानी एव पहाडी सभाग	जयपुर, अजमेर, पाली, टोंक, सवाईमाधोपुर अलवर, धौलपुर बूदी, कोटा, भीलवाडा भरतपुर, चित्तोडगढ
8 6	दक्षिणी राजस्थानी पठार एव पहाडी सभाग	बासवाडा, डूगरपुर सिरोही, उदयपुर
जोन 9 4	राजस्थान मालवा पठार सभाग	झालावाड
जोन 14	पश्चिमी शुष्क क्षेत्र	
14 1	राजस्थान शुष्क सभाग	बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर सीकर, नागौर, चुरू, झुझनू, बाड़मेर, जालोर

राजस्थान में इस वर्गीकरण को दृष्टिगत रखते हुये, इन्हीं के अनुरूप राजस्थान को पाच प्रमुख खण्डों में विभक्त किया गया है। इन पाच प्रमुख खण्डों में से 4 खण्डों को पुन 2-2 उपखण्डों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार राजस्थान का कृषि जलवायु की दृष्टि से कुल 9 खण्डों व उपखण्डों में *विभक्त किया गया है और आठवीं योजना में इन खण्डों* -उपखण्डों की कृषि जलवायु को दृष्टिगत रखते हुये ही कृषि से सबधित निर्णय लिये जायेंगे। राजस्थान के इन 9 खण्डों व उपखण्डों का सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है

(1) शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र (खण्ड - 1ए) इस खण्ड में जैसलमेर, पश्चिमी बाडमेर, पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर और पश्चिमी चुरू शुष्क मैदानी क्षेत्र सम्मिलित है। *इस खण्ड का कुल क्षेत्रफल लगभग 124 37 लाख हैक्टेयर* है। और इसका अधिकाश भाग मरूस्थली मिट्टी और रेतीले टीले से युक्त है। यहा की मिट्टी बारीक बलुई दोमट से मोटी रेतीली तक है। इस खण्ड के पश्चिमी भाग में लगभग 100 *मि मी और पूर्वी भाग में लगभग 300 मि मी वर्षा होती है।* यहा पर खेती वर्षा ऋतु में निम्न से लेकर मध्यम ऊचाई वाले टीलों के ढलान पर होती है। प्राय बरानी स्थितियों में बाजरा तथा खरीफ दालें जैसे मोठ, मूग आदि उगाई जाती है। जिन क्षेत्रों में भू-जल स्रोतों से पानी उपलब्ध हो जाता है, वहा पर कुओं द्वारा सिचाई करके रबी अनाजों की ऐसी फसलें भी ली जाती है जो लवणता को सहन करती है।

(2) सिंचित मैदानी उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र (खण्ड -बी 1)- *लगभग 20 63 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल वाले इस* खण्ड में श्रीगगानगर जिले के नहर अधिकृत क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र की मिट्टी दोमट से चिकनी दोमट, पीले भूरे रग की ओर चुना युक्त है। अनेक स्थानों पर इन मिट्टियों में *रेतीली मिट्टिया भी मिली हुई है। सामान्यत यहा की* मिट्टियों में घुलनशील लवण एव सोडियम की मात्रा काफी अधिक है। इस क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी भाग में लगभग 100 मि मी और पूर्वी भाग में लगभग 350 मि मी वर्षा होती है। श्रीगगानगर में उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 20 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून में 42 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसी प्रकार निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी *में 4 7 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून में 28 डिग्री सेन्टीग्रेड तक* रहता है। नहरी सिंचाई सुविधाओं के कारण क्षेत्र में आवश्यक भूमि विकास के पश्चात् गेहू, चना सरसों कपास, गन्ना आदि अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती है।

***(3) अन्त स्थलीय जलोत्सरण के अन्तरवर्ती मैदानी क्षेत्र* (खण्ड- 2ए)** इस क्षेत्र में नागौर पूर्वी चुरू, झुझनू, सीकर और अलवर जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग है। अरावली पर्वत-श्रृखलाओं के पश्चिम में स्थित इस खण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल 36 20 लाख हैक्टेयर है। इस क्षेत्र की मिट्टिया बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट तक है। ये मिट्टिया खराब जलोत्सरण और क्षारीयता की समस्याओं से ग्रसित है। *इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में 300 मि मी और पूर्वी भाग में* 500 मि मी तक वर्षा होती है। सीकर के उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 22 डिग्री सेंटीग्रेड से मई में *39 7 सेण्टीग्रेड तक है।* इसी प्रकार निम्नतम औसत तापमान जनवरी में 5 3 डिग्री सेंटीग्रेड से जून 27 5 डिग्री सेण्टीग्रेड तक रहता है। इस क्षेत्र में कृषि की सभावनायें सीमित है

क्योंकि यहा की भूमि कम गहरी और चट्टानी धरातल से युक्त है। यहा खरीफ मे बाजरा, मोठ चवला व मूगफली तथा रबी में गेहूँ व जौ प्रमुख फसले है।

(4) लूनी नदी का अन्तरवर्ती मैदानी क्षेत्र (खण्ड-बी 2) : *इस खण्ड म पश्चिमी सिरोही पूर्वी जोधपुर, पाली एव* जालोर जिले और अरावली पर्वत-श्रृखलाओ के पश्चिमी तलहटी वाले क्षेत्र आते है। इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 29 42 लाख हैक्टैयर है। जोधपुर, जालौर और पाली क्षेत्र की मिट्टिया लाल मरुस्थली है, जालोर क्षेत्र की मिट्टी क्षारीय है। इस क्षेत्र मे वर्षा पश्चिम में 300 मि मी से पूर्व में 500 मि मी तक होती है। कुल फसली क्षेत्र के 27% क्षेत्र में कुओं और नहरो मे सिचाई होती है इस खण्ड की मुख्य फसल खरीफ मे बाजरा, मक्का तिल व खरीफ फसलें है। रबी मे गेहू,जौ सरसों व चना को बुवाई प्रमुखता से की जाती है।

(5) अर्द्ध-शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (खण्ड- ए3) इस क्षेत्र *मे अजमेर जयपुर और टोक जिले आते है। इस खण्ड का* कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 29 48 लाख हेक्टेयर है। जयपुर जिले के पश्चिमी तथा उत्तरी-पश्चिमी भाग एव अजमेर जिले की भूमि दोमट किस्म की है। टोंक जिले के कुछ भागो म भी भूरी मिट्टी पाई जाती है इस खण्ड का पश्चिमी व उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र म वर्षा 500 मि मी एव दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में 600 मि मी होती है। उच्चतम दैनिक औसत तापमान *जनवरी म 22 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई में 40 6 डिग्री सेन्टीग्रेड* रहता है। निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 8 3 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून मे 27 3 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है। इस क्षेत्र मे कुल फसली क्षेत्रफल के 28% भाग मे सिचाई सुविधाय उपलब्ध है। खरीफ में बाजरा मूग, चवला व मूगफली तथा रबी मे गेहू, जौ व चना प्रमुख फसलें है। अजमेर जिले में ज्वार मक्का तथा कपास की फसले भी ली जाती है।

(6) *बाढ- सभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र (खण्ड-बी 3)* इस खण्ड मे दक्षिणी-पूर्वी अलवर भरतपुर, धौलपुर और सवाई *माधोपुर जिले के दक्षिणी भाग आते हैं। इस खण्ड का क्षेत्रफल* लगभग 23 60 लाख हैक्टेयर है। इस क्षेत्र की मिट्टिया मुख्यत दोमट मिट्टिया है कुछ स्थानो पर चूनायुक्त दोमट भी पाई जाती है यहा उत्तरी-पश्चिमी भाग में 500 मि मी से दक्षिणी पूर्वी भाग में 650मि मी तक वर्षा होती है। इस खण्ड का 14% फसली क्षेत्र सिंचित है। यहा बाजरा, गेहू, अरहर चना व सरसों की खेती प्रमुखता से की जाती है।

(7) अर्द्ध-आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (खण्ड - ए4) : इस खण्ड में पूर्वी सिरोही, उदयपुर भीलवाडा व चित्तौडगढ जिले आते है। इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 33 59 लाख हेक्टेयर है। उदयपुर और चित्तौडगढ जिलो की अरावली पहाडियो की तलहटी वाली मिट्टी लिथोसोल्स किस्म की है। मैदानी क्षेत्र की मिट्टिया पुरानी दोमट किस्म की है। इस खण्ड के पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भागो मे 500 मि मी दक्षिणी पूर्वी *भागो मे 700 मि मी और दक्षिणी पश्चिमी भागो मे 900* मि मी तक वर्षा होती है। उदयपुर में उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी म 24 2 डिग्री सेन्टिग्रेड से मई मे 38 5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी म 7 8 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून में 25 3 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। इस खण्ड के कुल फसली क्षेत्रफल का लगभग 38% भाग सिंचित है। यहा की प्रमुख फसलो मे *खरीफ मक्का, ज्वार मूगफली व कपास तथा रबी में* गेहू, जौ चना व सरसों प्रमुख फसलें है। खरीफ मे अधिकाश क्षेत्र मे मक्का व रबी में अधिकाश क्षेत्र मे गेहू व जौ की फसलें ली जाती है।

(8) आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (खण्ड- बी 4) : इस खण्ड *का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 17 21 लाख हैक्टेयर* है। इसमें डूगरपुर व बासवाडा जिले के अतिरिक्त उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग व चित्तौडगढ जिले के दक्षिणी भाग भी सम्मिलित है। इस क्षेत्र की अधिकाश मिट्टिया मध्यम गठन व अच्छे जल निकास वाली और चूना युक्त है। पहाडी ढलानो वाले क्षेत्र की मिट्टिया कम गहरी और घाटियों वाले क्षेत्रो की मिट्टिया गहरी है। इस खण्ड के कुल फसली क्षेत्र का 16% क्षेत्र सिंचित है। धान कपास व मक्का की खेती यहा प्रमुखता से की जाती है। खरीफ मे मोटे अनाज व खरीफ *दालों की फसले ली जाती है। रबी में चने की खेती भी की* जाती है।

(9) आर्द्र- दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (खण्ड-5) . इस खण्ड में झालावाड कोटा बूदी और सवाईमाधोपुर का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस खण्ड का कुल भौगोलिक *क्षेत्रफल लगभग 29 13 लाख हैक्टेयर है।* इस खण्ड की मिट्टिया मूलत दोमट मूल की है और कुछ स्थानो मे भूमि *क्षारीय है। कुछ क्षेत्रो में भूमि का जल क्षारीयता लिये हुए है।* यहा वर्षा उत्तर-पश्चिम म 650 मि मी से दक्षिण पूर्व में *1000 मि मी तक होती है। यहा म उच्चतम दैनिक औसत* तापमान जनवरी म 24 5 डिग्री सेन्टीग्रेड म मई म 42 6 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 10 6 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई मे 29 7 डिग्री सेन्टीग्रेड के मध्य पाया जाता है। कुल फसली क्षेत्र का लगभग 26 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। यहा फसल मे प्रमुखत ज्वार मक्का कपास चावल व धान की खेती की जाती है। रबी म गेहू, चना व अलसी की खेती प्रमुख है।

राजस्थान की महत्वपूर्ण कृषि फसलें
IMPORTANT AGRICULTURAL CROPS

राष्ट्रीय उत्पादन में राजस्थान का स्थान (1995-96)

फसलें	स्थान
सरसों	प्रथम
ज्वार	"
ग्वार	"
धनिया	"
मोठ	"
बाजरा	द्वितीय
मक्का	"
जौ	"
खरीफ फसलें	तृतीय
चना	"
सोयाबीन	"
तिलहन	"
तिल	चतुर्थ
मिर्च	पंचम
गेहूं	षष्ठम्
कपास	"
लहसुन	"

स्रोत निदेशालय सूचना एवं जनसंपर्क राजस्थान जयपुर

राजस्थान में विभिन्न फसलों के सर्वाधिक उत्पादक जिले (1993-94)

बाजरा	नागौर
ज्वार	झालावाड़
मक्का	चित्तौड़गढ़
गेहू	गंगानगर
जौ	जयपुर
चावल	गंगानगर
चना	गंगानगर
तिल	नागौर
सरसों व राई	भरतपुर
अलसी	बारां
मूंगफली	चित्तौड़गढ़
अरण्डी	सिरोही
गन्ना	बूंदी
कपास	गंगानगर
तम्बाकू	झुंझुनू

स्रोत Statistical Abstract, Raj., 1994

राजस्थान में विभिन्न फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले प्रमुख जिले (1993-94)

बाजरा	बाड़मेर
ज्वार	अजमेर
मक्का	उदयपुर
गेहूँ	गंगानगर
जौ	जयपुर
चावल	बांसवाड़ा
चना	गंगानगर
तिल	नागौर
सरसों व राई	सवाईमाधोपुर
अलसी	बारां
मूंगफली	चित्तौड़गढ़
अरण्डी	सिरोही
गन्ना	बूंदी
कपास	गंगानगर
तम्बाकू	अलवर

स्रोत Statistical Abstract, Raj., 1994

(अ) राजस्थान में रबी की प्रमुख फसलें - गेहूँ, जौ, चना, सरसों, गन्ना, चुकन्दर, तारामीरा, अलसी, तोरिया, कुसुम, जीरा, धनिया, सौंफ, मसूर, मटर, ईसबगोल, आलू, अफीम, आदि।

(ब) राजस्थान की प्रमुख खरीफ फसलें - बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरण्डी, सूरजमुखी, खरीफ दालें (अरहड, मूंग, मोठ आदि), ग्वार, चावल, गन्ना आदि।

राजस्थान की प्रमुख फसलें
MAIN CROPS OF RAJASTHAN

(1) गेहूँ (Wheat)

परिचय व महत्व (Introduction) - राजस्थान में गेहू की फसल अत्यधिक होती है। यह रबी की एक महत्वपूर्ण फसल है। गेहू का प्रयोग मैदा, सूजी, डबलरोटी बिस्कुट आदि में किया जाता है। गेहू में विटामिन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होने के कारण भोजन सतुलित हो जाता है। गेहू के तने तथा भूसे का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र में गेहू की खेती की जाती है।

उपज की दशाएं (Condition) गेहू के लिए 15 डिग्री से से 26 डिग्री से तक वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। गेहू बोते समय नमी की आवश्यकता होती है। अंकुरण के समय 8 डिग्री से तापक्रम उपयुक्त रहता है। गेहू पकाते समय शुष्क मौसम होना चाहिये लेकिन ऊंचे तापक्रम की अवधि अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे गेहू अतिशीघ्र पक जाता है। पकते समय 21 डिग्री से से 26 डिग्री से तापक्रम ठीक रहता है। गेहू रबी

की फसल है। जिन क्षेत्रों में 50से मी से 100 से मी तक वर्षा होती है, वे क्षेत्र गेहू उत्पादन के लिए उत्तम माने जाते है जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिचाई की आवश्यकता होती है। जनवरी तथा फरवरी में शीतकालीन वर्षा गेहू की खेती के लिए लाभप्रद होती है। गेहू अनेक प्रकार की मिट्टियाँ में पैदा हो सकता है किन्तु दोमट तथा हल्की चिकनी मिट्टी, जिसमें नाइट्रोजन तत्त्व अधिक होता है, सर्वोत्तम मानी जाती है। गेहू उत्पादन हेतु राजस्थान के अधिकाश जिलों में उपयुक्त तापक्रम पाया जाता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों व गगानगर जिले में अधिकाश गेहू उत्पन्न होता है। गगानगर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूदी, अजमेर, पाली, सिरोही, सीकर, भीलवाडा,चित्तौडगढ, टोंक, उदयपुर आदि जिलों में व्यापक क्षेत्र में गेहू की फसल बोई जाती है। 1995-96 में गगानगर जिले में गेहू की सर्वाधिक उपज ली जाती थी। राजस्थान में 1989 90 में गेहू की प्रति हैक्टेयर उपज 2060 किलोमीटर थी जो राष्ट्रीय औसत (1998 किग्रा) से अधिक थी।[1] 1994-95 (अतिम अनुमान) में राजस्थान में गेहू की प्रति हैक्टेयर उपज 2417 किग्रा थी और इसी वर्ष गेहू का उत्पादन क्षेत्र 23 2 लाख हैक्टेयर था।[2] गेहू की उत्पादकता का 1992-97 का राज्य में औसत 2340 किग्रा प्रति हैक्टेयर रहा।[3]

उत्पादन (Prouduction) गेहू में मुख्यत सोना कल्याण, मैक्सिकन, शरबती, कोहिनूर, आदि किस्में बोई जाती है। राजस्थान में गेहू का उत्पादन विभिन्न वर्षो में अग्रानुसार रहा -

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	39 1
1989-90	34 0
1995-96	54 9
1996-97	67 8
1997-98(अनुमानित)	67 0
1998 99(अनुमानित)	64 4

Source Statistical Abstract Rajasthan 1993 & Statistical Abstract Rajasthan 1998 & Economic Review 1998-99 Govt of Rajasthan

राजस्थान में गेहूं का जिलेवार क्षेत्रफल एव उत्पादन(1995-96)

(A) गेहू सबसे अधिक निम्न जिलो में बोया जाता है -
(1) गगानगर
(2) हनुमानगढ
(3) जयपुर
(4) अलवर

(B) सर्वाधिक गेहू का उत्पादन निम्न जिलो में होता है -
(1) गगानगर
(2) हनुमानगढ
(3) अलवर
(4) जयपुर

Source Statistical Abstract Rajasthan 1996

(2) चावल (Rice)

परिचय व महत्त्व (Introduction) - चावल दक्षिण भारतीयों का प्रमुख भोजन है। उत्तर भारत में चावल का प्रयोग प्राय विशेष अवसरों तथा त्यौहारों पर ही किया जाता है। चावल को साफ करने, इससे तेल निकालने आदि कार्यो में कुटीर व लघु उद्योग कार्यरत है। चावल के पौधे का तिनका काफी सख्त होता है। अत इसका प्रयोग छप्पर, रूई , कागज, झाडू आदि बनाने में किया जाता है। चावल के भूसे को सीमेन्ट में मिलाकर ध्वनिरोधक दीवारें बनाई जाती है।

उपज की दशाए (Conditions) - चावल उष्ण कटिबन्ध का पौधा है अत इसे ऊचे तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए वार्षिक तापक्रम 25° सें 26° सें तक होना आवश्यक है। पौधे के अकुरित होने की दशा में 20°से से मध्य में 24° से तथा चावल पकाने के समय 25° से से तापकम आदर्श मानते है। चावल के पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका पौधा उगने के पश्चात् भी कई दिनों तक पानी में डूबा रहना चाहिये। इसके लिए 124 सेमी से 200 सेमी तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है अन्यथा सिचाई द्वारा पर्याप्त पानी देना पडता है। इसके लिए हल्की चिकनी, दलदली और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। चावल की खेती में अधिक सख्या में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) बासवाड़ा, गगानगर, कोटा, बूदी, डूगरपुर, उदयपुर आदि जिलो में प्रमुख रूप से चावल उत्पन्न किया जाता है। चित्तौडगढ, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, बारा, झालावाड आदि जिलों में चावल की खेती होती है। राजस्थान में 1995 96 में 139 हजार हैक्टेयर क्षेत्र मे चावल बोया गया था। 1992-97 में राजस्थान में चावल की प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादकता 1073 कि ग्रा थी जो राष्ट्रीय औसत से कम थी।

उत्पादन (Production) - राजस्थान में चावल का उत्पादन विभिन्न वर्षो में निम्नलिखित प्रकार रहा है -

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	1 1
1989 90	1 5
1993-94	1 4
1994-95	1 7
1995-96	1 2
1996-97(अनुमानित)	1 7
1997-98(अनुमानित)	1 9

Source Statistical Abstract Rajasthan 1998 & 1994 Vital Agricultural Statistics 1994 95 Rajasthan & Indian Economic Survey 1998-99

राजस्थान में चावल का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) चावल सबसे अधिक निम्न जिलो में बोया जाता है
(1) बासवाड़ा
(2) डूगरपुर

1 2 Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt of Rajasthan
3 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002 Govt of Rajasthan

(3) हनुमानगढ

(B) सर्वाधिक चावल का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

(1) हनुमानगढ

(2) बूंदी

(3) बांसवाडा

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(3) ज्वार (Jowar)

परिचय एवं महत्त्व (Introduction) - यह खरीफ की फसल है और वर्षा पर आधारित है। राजस्थान की शुष्क जलवायु में कम वर्षा के बावजूद ज्वार की अच्छी फसल ली जा सकती है। निर्धन व्यक्ति भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं यह पशुओं के लिए चारे की मुख्य फसल है।

उपज की दशाए (Conditions) - यह उष्ण कटिबंधीय खरीफ की फसल है। यह 30 से मी से 100 से मी तक की वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न की जा सकती है। यह फसल कम वर्षा का सामना करने की भी क्षमता रखती है। लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी फसल ली जा सकती है किन्तु दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। 22° से से 32° से तक का तापक्रम इस फसल हेतु उपयुक्त रहता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान के प्रत्येक जिले में ज्वार बोई जाती है किन्तु कोटा, बूंदी, झालावाड, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाडा, नागौर आदि जिलों में यह बहुतायत में बोई जाती है। राजस्थान में 1995-96 में 5 9 लाख हैक्टेयर भूमि में इसकी खेती की गई थी। 1992 97 में राजस्थान में ज्वार की औसत उत्पादकता 375 कि.ग्रा प्रति हैक्टेयर थी जो राष्ट्रीय औसत किग्रा से कम थी।

उत्पादन(Production) - निरन्तर अकाल के कारण ज्वार की फसलें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। विगत वर्षों में ज्वार का उत्पादन इस प्रकार रहा -

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	9 8	3 7
1989-90	8.2	3 2
1993-94	6 6	1 6
1994 95	6 7	2 7
1995-96	5 9	1 4

Source Statistical Abstract Raj., 1993 Vital Agricultural Statistics, 1994, Rajasthan Indian Economic Survey 1998-99.

राजस्थान में ज्वार का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) ज्वार सबसे अधिक निम्न जिले में बोयी जाती है

(1) अजमेर

(2) पाली

(3) टोंक

(B) सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

(1) झालावाड

(2) कोटा

(3) बारा

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1994

(4) बाजरा (Bajra)

परिचय एवं महत्त्व (Introduction) - राजस्थान में पश्चिमी भाग में यह प्रमुख फसल खरीफ की फसल है। राजस्थान में खाद्यान्न के रूप में इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। इस पौधे को पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। मोटे अनाजों की इस फसल को अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है।

उपज की दशाए (Conditions) - खरीफ की फसल को कम वर्षा वाले व कम उपजाऊ क्षेत्रों में भी आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इस फसल के लिए 40-50 से मी वर्षा आदर्श रहती है लेकिन यह फसल थोडे सूखे का भी सामना कर पाती है। राजस्थान में प्राय यह समस्त फसल मानसून पर निर्भर करती है। इसको बोते समय भूमि में कुछ नमी व पकते समय ऊंचा तापक्रम उपयुक्त रहता है। यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में उत्पन्न किया जा सकता है किन्तु हल्की दोमट मिट्टी इसके लिये उपयुक्त रहती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - सपूर्ण राजस्थान बाजरे का उत्पादन क्षेत्र है। पश्चिमी राजस्थान में यह विशेष रूप से बोया जाता है। बाडमेर, जैसलमेर, सीकर, नागौर, जोधपुर आदि के अतिरिक्त अलवर, जयपुर भरतपुर सवाई माधोपुर आदि जिलों में बहुतायत मे उत्पन्न होता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाए है वहा सिंचाई के माध्यम से भी बाजरा उत्पन्न किया जाने लगा है। 1995-96 में राजस्थान के 42 7 लाख हैक्टेयर भूमि मे बाजरा बोया जाता था। 1992 97 में राजस्थान में बाजरे का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 419 कि ग्रा था।

उत्पादन (Production)- भारत मे सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में ही होता है। विभिन्न वर्षों में राजस्थान में

बाजरे का उत्पादन इस प्रकार रहा

वर्ष	उत्पादन(लाख टन में)
1985-86	7 3
1989-90	18 2
1994-95	25 6
1995-96	11 6
1996 97	21 0
1997-98	25 11
1998-99	11 34

Source Statistical Abstract Rajasthan 1989 1993 & 1996 Vital Agricultural Statistics, 1994-95 Rajasthan Economic Review 1998-99 Raj

राजस्थान में बाजरे का जिलेवार क्षेत्रफल एव उत्पादन (1995-96)

(A) बाजरा सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है
(1) बाड़मेर
(2) जोधपुर
(3) नागौर

(B) सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) नागौर
(2) चूरू
(4) सीकर

Source Statistical Abstract Rajasthan 1996

(5) मक्का (Maize)

परिचय एव महत्व (Introduction) - यह राजस्थान में बोई जाने वाली खरीफ की फसलों में से एक महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल को भी बाजरा, ज्वार आदि की भाति प्राय सपूर्ण राजस्थान में थोड़ा-बहुत अवश्य बोया जाता है। मक्का खाद्य के रूप में बहुतायत से प्रयोग में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त मक्का का प्रयोग ग्लूकोज स्टार्च, एल्कोहल आदि निर्मित करने में भी किया जाता है। मक्का को पशुओं के चारे के रूप में भी काम में लिया जाता है।

उपज की दशाए (Conditions) - मक्का के उत्पादन के लिए 20° से से 27° से तक का तापक्रम उपयुक्त रहता है। 50 से मी से 100 से मी वर्षा वाले क्षेत्रों में मक्का आसानी से उत्पन्न की जा सकती है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। दोमट मिट्टी में मक्का की अच्छी उपज प्राप्त होती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, झालावाड, बासवाड़ा, पाली, जयपुर, बूदी, कोटा, अलवर, टोंक, सिरोही, डूगरपुर आदि क्षेत्रों में बहुतायत से मक्का उत्पन्न की जाती है।

उत्पादन (Production) - 1995-96 में 9 11 लाख हैक्टेयर भूमि में मक्का बोई जा रही थी। राजस्थान में मक्का का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 1989-90 में 1393 किग्रा था जो राष्ट्रीय औसत 1270 किग्रा से अधिक था। 1994-95 (अतिम अनुमान) में मक्का की उत्पादकता राजस्थान में 7.28 किग्रा प्रति हैक्टेयर थी। 1992-97 की अवधि में मक्का की प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादकता 958 किग्रा थी।

राजस्थान में मक्का का उत्पादन इस प्रकार रहा है-

वर्ष	उत्पादन(लाख टन में)
1985-86	6 4
1989 90	1 3
1994 95	6 7
1995-96	8 1
1996 97	10 1
1997-98	12 17
1998 99	6 42

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1988 & 1993 Vital Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan, Economic Review 1998-99 Raj

राजस्थान में मक्का का जिलेवार क्षेत्रफल एव उत्पादन (1995-96)

(A) मक्का सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है
(1) उदयपुर
(2) भीलवाड़ा
(3) चित्तौड़गढ़

(B) सर्वाधिक मक्का का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) चित्तौड़गढ़
(2) भीलवाड़ा
(3) उदयपुर

Source Statistical Abstract Rajasthan 1996

(6) जौ (Barley)

परिचय एव महत्व (Introduction) - जौ राजस्थान की एक प्रमुख खाद्य फसल होने के साथ साथ पशुओं का भी एक प्रमुख पौष्टिक आहार है। राजस्थान में गेहू जौ चना आदि मिलाकर खाने के काम में लिया जाता है। जौ का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इससे शराब भी बनाई जाती है। उन्नत किस्म के बीजों के कारण उच्च कोटि का जौ भी उत्पन्न किया जाने लगा है।

उपज की दशाए (Conditions) - जौ रबी की एक प्रमुख फसल है और शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए नम ठडी जलवायु उपयुक्त रहती है। 15° से से 18° से तापमान आदर्श रहता है। गेहू के समान ही उत्पादन दशाए होने के कारण गेहू उत्पन्न न

करने की दशा में प्राय जौ का उत्पादन किया जाता है इसके लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है किन्तु कुछ उपजाऊ भूमि में भी इसकी फसल ली जा सकती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area)- अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, पाली, भीलवाडा, टोंक, झुन्झुनू, गगानगर, नागौर, सीकर, उदयपुर आदि जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी जौ उत्पन्न किया जाता है। 1995-96 में 1 96 लाख हैक्टेयर में जौ की खेती की गई। 1989-90 में जौ का उत्पादन 1587 कि ग्रा प्रति हैक्टेयर था। 1994-95(अतिम अनुमान) में जौ की प्रति हैक्टेयर उपज राजस्थान में 1850 कि.ग्रा थी। 1992 97 की अवधि में राज्य में जौ की प्रति हैक्टैयर औसत उत्पादकता 1773 किग्रा रही।

उत्पादन(Production) - जौ का शराब उत्पादन में प्रयोग बढने के कारण इसकी उन्नत किस्मों का प्रयोग तथा उत्पादन निरन्तर बढने रहने की सभावना है। विगत वर्षों में जौ का उत्पादन इस प्रकार रहा

वर्ष	उत्पादन(लाख टन में)
1985-86	57
1989-90	34
1994 95	44
1995-96	39
1996-97	51
1997 98	50
1998 99	59

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1993 1993 &1996 Economic Review 1998-99,Raj

राजस्थान में जौ का जिलेवार क्षेत्रफल एव उत्पादन (1995-96)

(A) जौ सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है
(1) जयपुर
(2) भीलवाडा
(3) अजमेर

(B) सर्वाधिक जौ का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) जयपुर
(2) भीलवाडा
(3) अजमेर

Source Statistical Abstract Rajasthan 1996

(7) चना (Gram)

परिचय एव महत्व (Introduction) - यह रबी में उत्पन्न होने वाली दलहन की एक प्रमुख फसल है। यह राजस्थान के व्यापक क्षेत्र में बोई जाती है और विभिन्न प्रकार से इसे खाने क काम में लिया जाता है। दाल के अतिरिक्त नमकीन, मिठाई, बेसन आदि में प्रयोग किया जाता है। पशुओं के दाने के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है।

उपज की दशाए (Conditions) - यह कम पानी में भी आसानी से उत्पन्न किया जाता है। ठडे क्षेत्रों में, जहा तापक्रम प्राय 20° से से 25° से के मध्य रहता है, चने की अच्छी फसल ली जा सकती है। इसके लिए दोमट या बलुई मिश्रित दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल होते समय जमीन में नमी होना आवश्यक होता है। इसमें खाद का प्रयोग बहुत ही कम होता है।

उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र (Production & Production Areas) - गगानगर अलवर, जयपुर, चुरू, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, टॉक, भीलवाडा, बासवाडा, डूगरपुर, कोटा, बूदी, अजमेर झालावाड, सीकर झुन्झुनू आदि में चने की अच्छी फसल ली जाती है। शेष जिलों में अल्प मात्रा में चना बोया जाता है। 1989-90 में राजस्थान में चने का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 622 कि ग्रा था जो राष्ट्रीय औसत 658 कि ग्रा मे कम था। 1994-95 (अतिम अनुमान) में राजस्थान में चने की उत्पादकता 864 कि ग्रा प्रति हैक्टेयर थी। विगत वर्षों में राजस्थान में चने का उत्पादन इस प्रकार रहा-

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	उत्पादन (लाख टन में)
1983-84	17 9	10 8
1985-86	19 4	16 2
1987-88	6 8	5 1
1989-90	11 43	7 11
1991 92	11 0	8 1
1992 93	12 2	7 4
1994 95	15 9	13 7
1995-96	16 2	10 9
1997 98	19 3	-
1998-99	17.3	-

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1968 1989 & 1996 Vital Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan, Economic Review 1998-99,Raj

राजस्थान में चने का जिलेवार क्षेत्रफल एव उत्पादन (1995 96)

(A) चना सबसे अधिक निम्न जिले में बोया जाता है
(1) हनुमानगढ
(2) चुरू
(3) श्री गगानगर

(B) सर्वाधिक चने का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) हनुमानगढ
(2) चूरु
(3) अलवर

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(8) कपास (Cotton)

परिचय व महत्त्व (Introduction) - रेशे वाली फसलों में कपास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास ही है। कपास के बीज (बिनौला) का प्रयोग पशुओं के पौष्टिक आहार के रूप में किया जाता है। इसका तेल भी निकाला जाता है। कपास के पौधे के तने का प्रयोग छप्पर बनाने व ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कपास के निर्यात से हमें महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है।

उपज की दशाए (Conditions) - कपास के लिए 20° से से 40° से के मध्य तापक्रम रहना चाहिये। ऊचे तापक्रम व धूप से रेशे में अच्छी चमक आती है। इन पौधों के लिए पाला हानिकारक होता है। कपास खरीफ की फसल है। इसके लिए 70 से 100 से तक की वर्षा ठीक रहती है। अधिक वर्षा से फसल खराब हो जाती है। कम वर्षा होने पर सिचाई का सहारा लिया जा सकता है। इसके लिए उपजाऊ तथा नमी बनाये रखने की भी क्षमता वाली मिट्टी उपयोगी रहती है। मिट्टी में चूने की भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिये। अत कपास के लिए काली मिट्टी व नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी विशेष उपयोगी होती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में गगानगर व हनुमानगढ जिले के अतिरिक्त अजमेर भीलवाडा झालावाड चित्तौडगढ उदयपुर पाली कोटा बूदी बासवाडा आदि जिलों में कपास उत्पन्न की जाती है। सर्वाधिक फसल गगानगर जिले में होती है। 1998 99 में 6 38 लाख हैक्टेयर भूमि में कपास की खेती का अनुमान है। 1989 90 में राजस्थान में प्रति हैक्टेयर कपास का उत्पादन 386 किलोग्राम था जो राष्ट्रीय औसत 169 किलोग्राम के दुगुने से भी अधिक था। 1994 95 (अतिम अनुमान) में कपास का प्रति हैक्टेयर उत्पादन राजस्थान में 306 किलोग्राम था। 1992 97 की अवधि में राज्य में कपास की प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादकता 334 किलोग्राम रही जबकि 1952 53 में वार्षिक उत्पादकता मात्र 121 किलोग्राम थी।

वर्ष	उत्पादन (लाख गाठें)
1985 86	4 7
1989-90	1 6
1994 95	1 4
1995 96	2 3
1996 97	13 6
1997 98	8 7
1998 99(अनुमानित)	9 8

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1988 & 1993 Vital Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan, Economic Review 1998-99 Raj

राजस्थान में कपास का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995 96)

(A) कपास सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

(1) गगानगर
(2) हनुमानगढ
(3) बीकानेर

(B) सर्वाधिक कपास का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

(1) गगानगर
(2) हनुमानगढ
(3) बीकानेर

Source Statistical Abstract Rajasthan 1996

(9) तिलहन (Oilseeds)

परिचय एव महत्त्व (Introduction) - जिन फसलों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, उन्हें तिलहनों में सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में तिल सरसों मूगफली राई अलसी तारामीरा अरण्डी आदि मुख्य तिलहन फसलें है। तिलहन तेल व खली बनाने के प्रमुख साधन है। इनकी माग खाद्य तेलों के अलावा वार्निश साबुन दवाइया वनस्पति घी सौन्दर्य प्रसाधन रग रोगन आदि के लिए भी की जाती है।

(क) मूगफली (Groundnut) - मूगफली के लिए 20° से से 30° से तापक्रम तथा 50 से 75 से मी वर्षा और हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में 1989 90 में मूगफली का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 775 किलोग्राम था जो कि राष्ट्रीय औसत 847 किग्रा से कम था। 1994 95 वर्ष (अतिम अनुमान) में राज्य में मूगफली का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 790 किग्रा था।1992 97 की अवधि में राज्य में मूंगफली की औसत उत्पादकता 901 कि ग्रा रही। राजस्थान में मूगफली का उत्पादन विगत वर्षों में अग्रलिखित प्रकार से रहा।

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
1985 86	1 4
1989 90	2 1
1993 94	2 1
1994 95	1 9
1995 96	1 6

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1988, 1996, 1993 Vital Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan, Economic Review 1998-99 Raj

राजस्थान में मूंगफली का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) मूंगफली सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

(1) चित्तौडगढ

(2) जयपुर

(3) बीकानेर

(B) सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

(1) चित्तौडगढ

(2) बीकानेर

(3) जयपुर

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(ख) सरसों व राई (Musturd & Rape seed) - सरसों तथा राई के लिए 100 सेमी. तक की वार्षिक वर्षा और 15° से से 26° से तक का तापक्रम तथा साथ ही दोमट व हल्की मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में 1989-90 में सरसों व राई का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 872 किग्रा था जो राष्ट्रीय औसत 714 किग्रा से अधिक था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में सरसों व राई का प्रति हैक्टेयर उत्पादन राजस्थान में 887 किग्रा था। 1992 97 की अवधि में सरसों व राई की प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादकता 890 किग्रा रही। राजस्थान में विगत वर्षों में इसका उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार रहा-

वर्ष	उत्पादन(लाख टनों)
1985-86	5 9
1989-90	12 7
1995-96	23 6
1996-97	31 0
1997 98	24 4
1998-99 (अनुमान)	24 3

राजस्थान में सरसों व राई का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) सरसों व राई सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

(1) अलवर

(2) गंगानगर

(3) भरतपुर

(B) सर्वाधिक सरसों व राई का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

(1) गंगानगर

(2) अलवर

(3) भरतपुर

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1996

Economic Review Raj. 1998-1999

(ग) तिल (Sesame) तिल की फसल के लिए 20° से से 22° से तापक्रम और 50 से 75 सेमी वर्षा व हल्की बलुई मिट्टी उपयुक्त रहती है। 1989-90 में राजस्थान का प्रति हैक्टेयर तिल उत्पादन 287 किग्रा था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में राजस्थान में तिल की प्रति हैक्टेयर उपज 227 किग्रा हुई। 1992 97 की अवधि में तिल का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन 174 किग्रा रहा। राजस्थान में विगत वर्षों में इसका उत्पादन इस प्रकार रहा-

वर्ष	उत्पादन(लाख टनों)
1985-86	0 2
1989-90	1 26
1993 94	0 54
1994 95	0 92
1995-96	0 34

राजस्थान में तिल का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995 96)

(A) तिल सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

(1) पाली

(2) नागौर

(3) जोधपुर

(B) सर्वाधिक तिल का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

(1) नागौर

(2) बीकानेर

(3) पाली

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(घ) अलसी (Linseed) - अलसी के लिए 75 से 100 सेमी वर्षा तथा काली व दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में अलसी का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 1989-90 में 277 किग्रा था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में राजस्थान में अलसी का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 364 किग्रा था। 1992 97 के अंतर्गत अलसी का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन 402 किग्रा रहा। राजस्थान में विगत वर्षों में अलसी का उत्पादन इस प्रकार रहा।

वर्ष	उत्पादन(लाख टनों)
1985-86	0 3
1989-90	0 1
1993-94	0 1
1994-95	0 6
1995-96	0 07

राजस्थान में अलसी का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995 96)

(A) अलसी सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

(1) [illegible]

(2) टोंक
(3) कोटा

(B) सर्वाधिक अलसी का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) बारा
(2) कोटा
(3) चित्तौड़गढ़

Source Statistical Abstract Rajasthan 1996

(ठ) अरंडी (Castor Seed) - अरंडी के लिए 20° से 25° से तापक्रम व 60 से 65 सेमी वर्षा व दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में 1994-95(अंतिम अनुमान) में अरंडी का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 816 किग्रा रहा। विगत वर्षों में अरंडी का उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार रहा है -

वर्ष	उत्पादन(लाख टन)
1985 86	0 02
1989 90	0 23
1993 94	0 09
1994 95	0 20
1995 96	0 44

स्रोत : Statistical Abstract 1988 1993 & 1996, Vital agricultural Statistics, 1994-95, Raj

राजस्थान में अरंडी का जिलेवार क्षेत्रफल एव उत्पादन (1995-96)

(A) अरंडी सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है
(1) सिरोही
(2) जालौर
(3) बाड़मेर

(B) सर्वाधिक अरंडी का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) सिरोही
(2) जालौर
(3) बाड़मेर

Source Statistical Abstract Rajasthan 1996

(10) गन्ना (Sugarcane)

गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। प्रमुख रूप से गन्ने का उपयोग गुड़, शक्कर, खाण्ड आदि बनाने में किया जाता है। इसका जो शेष भाग बचता है वह शराब एवं स्प्रिट बनाने के काम आता है। पशुओं को खिलाने, और जलाने के लिए भी इस बचे हुये शेष भाग को काम में लिया जाता है। इस बचे हुये भाग का उपयोग कागज, खिलौना आदि बनाने में भी होता है। चीनी का निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है।

उपज की दशाए (Conditions) - गन्ने की खेती के लिए 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त रहता है। कटाई के समय उष्ण जलवायु ठीक रहती है। पाला व सर्दी इस फसल के लिए हानिकारक है। 100 से 200 सेमी तक वार्षिक वर्षा अथवा पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में लगभग सभी जिलों में कम या अधिक मात्रा में गन्ना बोया जाता है। इस दृष्टि से बूंदी, चुरू, गंगानगर, उदयपुर आदि जिले विशेष महत्वपूर्ण है। 1996-97 में लगभग 27,000 हैक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की गई। 1992-97 में राजस्थान में प्रति हैक्टेयर उत्पादन 47543 किलोग्राम था जो राष्ट्रीय औसत से कम था।

उत्पादन(Production) - राजस्थान में विगत वर्षों में गन्ने का उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार रहा -

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)	उत्पादन (हजार टन में)
1983 84	33 6	14 8
1985-86	26 4	10 0
1987 88	26 6	9 4
1989 90	15 8	7 1
1991 92	31 2	13 6
1993 94	20 5	10 2
1994 95	21 9	9 8
1996 97	27 0	12 9
1997 98	23 0	11 6
1998 99	20 0	9 5

Source Statistical Abstract 1988 &1993 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002 Govt of Rajasthan Economic Survey 1998-99 Raj

राजस्थान में गन्ने का जिलेवार क्षेत्रफल एव उत्पादन (1995-96)

(A) गन्ना सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है
(1) बूंदी
(2) चित्तौड़गढ़
(3) गंगानगर

(B) सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) बूंदी
(2) चित्तौड़गढ़
(3) गंगानगर

Source Statistical Abstract Rajasthan 1996

(11) तंबाकू (Tobacco)

तंबाकू एक मादक पदार्थ है। इसे विभिन्न प्रकार से खाने-पीने, सूंघने आदि के काम में लिया जाता है। तंबाकू के विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है।

उपज की दशाए (Conditions) - तंबाकू के लिये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापक्रम होना चाहिये। इसको उगाते समय 20 से से तापक्रम उपयुक्त रहता है। पकते समय मौसम शुष्क और तापक्रम ऊंचा हो तो अच्छा रहता है। तंबाकू के लिए 50 से 100 सेमी की वर्षा उपयुक्त रहती है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की जाती है। तंबाकू के खेत प्राय ढालू जमीन पर बनाये जाते है क्योंकि इसकी जड़ों में यदि पानी का जमाव

हो तो वह इसके लिए हानिकारक रहता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, गंगानगर, झुझुनू, सवाई माधोपुर, सीकर आदि जिलों में तबाकू की खेती की जाती है। 1995-96 में 1 3 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में तबाकू की खेती की गई थी और उस समय राज्य का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 1610 किग्रा था।

उत्पादन (Production) - विगत वर्षों में राजस्थान में तबाकू का उत्पादन क्षेत्र निम्नांकित प्रकार से रहा -

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)	उत्पादन (हजार टन में)
1983-84	2.5	2 5
1985-86	2.7	2 7
1987-88	1 8	2 2
1989-90	3 6	4 3
1991 92	1 8	2.2
1993-94	1 4	2 4
1994-95	1 7	2 7
1995-96	1 3	2 1

Source Statistical Abstract Rajasthan 1988, 1994 1996, Vital Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan

राजस्थान में तबाकू का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) तबाकू सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है
(1) अलवर
(2) झुझुनू
(3) दौसा

(B) सर्वाधिक तबाकू का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) झुझुनू
(2) अलवर
(3) जयपुर

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(12) दलहन या दालें (Puls_s)

राजस्थान के विभिन्न जिलों में दालों के अंतर्गत मूंग, मोठ, उडद, चना , मसूर, मटर , तूअर, अरहर आदि की खेती की जाती है।

(अ) खरीफ की दालें (Kharif Pulses) राजस्थान में खरीफ दालों में मूंग, उडद, मोठ तथा चवला की खेती सामान्यतः बारानी क्षेत्रों में की जाती है। दालों के ये पौधे अपनी जडों से भूमि में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते है। इन फसलों में सूखे की स्थिति को सहन करने की क्षमता होती है। क्षारीय व लवणीय भूमि में भी दालों की खेती की जा सकती है अच्छे जल निकास वाली हल्की या दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त र..नी है। सभव हो तो खेत में नमी की कमी होने पर सिंचाई करना उपयुक्त रहता है। 1995-96 में 3 22 लाख टन खरीफ की दालों का उत्पादन हुआ।

(ब) रबी की दालें (Rabi Pulses) - राजस्थान में रबी के दालों में चना, मसूर, मटर, आदि की खेती की जाती है।

(i) मटर (Pea) - मटर एक दलहनी फसल है। इसमें फसल सरक्षण के उपाय आवश्यक है। मटर के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है भारी मिट्टी व ऐसे स्थान जहा पानी का निकास नहीं होता हो, फसल अच्छी नहीं होती और सिंचाई के बाद पौधे पीले पडकर नष्ट हो जाते है। *मटर के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। पाले से* इसके फूलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचता है। बुवाई करते समय भूमि का तापक्रम 22 सेंटीग्रेड होना चाहिये।

(ii) मसूर (Lentil) - मसूर के लिए आरभ में उष्ण एव तर और पक्ते समय ठंडा लेकिन खुली धूप वाला वातावरण उपयुक्त रहता है। यह फसल पाले को सहन नहीं कर पाती। मसूर की असिंचित फसल के लिए भूमि में उपलब्ध नमी एव सर्दी के मौसम में ओस की बूंदे पर्याप्त होती है। भारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है किन्तु जल भराव वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है।

राजस्थान में 1995-96 में अरहर या तूअर का सबसे ज्यादा उत्पादन अलवर जिले में हुआ था। तत्पश्चात् बांसवाडा और उदयपुर का स्थान रहा। इसी प्रकार, मूंग का उत्पादन मुख्य रूप से नागौर, झुझुनू व अजमेर जिलों में होता है। मोठ उत्पादन की दृष्टि से बाडमेर, चूरू और बीकानेर जिले प्रमुख है। सर्वाधिक उडद चित्तौडगढ जिले में होता है। तत्पश्चात् बांसवाडा, डूगरपुर और उदयपुर का स्थान है। चवले का सर्वाधिक उत्पादन सीकर, जयपुर, नागौर व झुझुनू जिलों में होता है। सबसे अधिक मसूर भरतपुर जिले में होती है। तत्पश्चात् भीलवाडा, बूंदी और झालावाड जिलों का स्थान आता है। सबसे ज्यादा मटर जयपुर जिले में पैदा होते है। तत्पश्चात् धारा व कोटा का स्थान है। 1995 96 में दालों का उत्पादन 14 56 लाख टन हुआ।

रबी की प्रमुख फसलें
(Other Rabi Crops)

(*) तारामीरा - इस फसल को अनुपजाऊ एवं अनुपयोगी भूमि पर भी बोया जा सकता है। इसमें 35% तेल की मात्रा होती है। इससे सबंधित उपयुक्त किस्मों में टी 27 व आर

टी एम ए प्रमुख है। टी-27 किस्म की औसत उपज 6.5 क्विटल प्रति हैक्टेयर है तथा इस किस्म में 36% तेल की मात्रा पाई जाती है। बारानी क्षेत्रों में बुवाई के लिए उपयुक्त यह किस्म सूखे के प्रति सहनशील है। आर टी एस ए भी बारानी क्षेत्र की किस्म है और इसकी उपज भी 6.8 क्विटल प्रति हैक्टेयर है। यह सूखे के प्रति भी सहनशील है किन्तु इसमें तेल की मात्रा 35% होती है। इस फसल से सबंधित रोगों में मोयला, जुसला, तुलासीता एव सफेद रोली प्रमुख है

(2) तोरिया - तिलहनी फसलों में यह सबसे कम समय में पकने वाली और सबसे पहले बोई जाने वाली फसल है। इसकी खेती फसल की कटाई एव रबी फसल की बुवाई के बीच के समय में की जाती है। इसमें 42% से 45% तक तेल होता है। यह फसल राजस्थान के सभी जिलों में होती है। किन्तु अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर एव गगानगर जिलों में इसकी फसल काफी क्षेत्र में की जाती है।

(3) कुसुम - यह एक नई तिलहनी फसल है। इसका तेल पौष्टिक एव गुणकारी होता है। हृदय रोग के लिए इस तेल को उपयुक्त माना जाता है कुसुम के बीजों में 30 - 35% तक तेल होता है। इसमें 3% खनिज लवण 18 से 20 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त विटामिन 'ए' और 'बी' प्रचुर मात्रा में होते है। इसके तेल का उपयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। तेल निकालने के पश्चात् बची हुई कुसुम की खली में 30-35% प्रोटीन होता है अत इसका उपयोग पौष्टिक आहार के रूप में भी किया जाता है। राजस्थान का अधिकाश भाग बारानी है। और यहा पर सिचाई के साधन भी उपलब्ध नही है। ऐसे क्षेत्रों मे किसान एक से अधिक फसल नही ले पाता। इस कारण कुसुम की खेती का विशेष महत्त्व है कुसुम की जडें जमीन में डेढ से दो मीटर तक गहरी जाती है। इस कारण सूखे की स्थिति आने पर यह भूमि की गहराई मे नमी पी सकती है। इसके साथ ही इस फसल के पत्तों से वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है। रबी तिलहनों में यह एक ऐसी फसल है जिसे जल की कम आवश्यकता पडती है। बारानी क्षेत्रों में कुसुम को चने के साथ 4.6 (कुसुम चना)के अनुपात में कतारों में 30 सेन्टीमीटर की दूरी पर बुवाई करना लाभदायक रहता है।

(4) चुकन्दर - चुकन्दर की खेती के लिए राजस्थान उपयुक्त है। श्रीगगानगर में चुकन्दर से चीनी बनाने का कारखाना भी है। चुकन्दर की अच्छी वृद्धि के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान होना चाहिये। चुकन्दर की खेती उन सभी क्षेत्रों में की जा सकती है जहा पर शीत ऋतु में करीब तीन महीने रहती है। गन्ने की तुलना में यह फसल पाले को सहन कर सकती है किन्तु गर्मी जल्दी आने और तापमान बढने से इसके जडों की वृद्धि रूक जाती है और रोगों का प्रकोप बढ जाता है। चुकन्दर उन सभी मिट्टियो मे पैदा हो सकता है जिनका जलनिकास अच्छा है तथा पानी सोखने की क्षमता अच्छी है अच्छी वृद्धि के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। क्षारीय मिट्टियों में इसे उगाया जा सकता है। एक खेत में चुकन्दर 3 वर्ष में एक बार ही बोई जानी चाहिये।

(5) ईसबगोल - राजस्थान में ईसबगोल की खेती जालोर व सिरोही जिलों में प्रमुखता से की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ईसबगोल की भूसी, जिसकी मात्रा बीज के भार में 30 प्रतिशत होती है, सबसे कीमती व उपयोगी भाग है। बाकी भाग एव चारा पशुओं को खिलाने के काम आते है। साधारणत ईसबगोल की फसल में कीट एव रोगों का प्रकोप नहीं होता है किन्तु कभी-कभी चूर्णी फफूद रोग की रोकथाम करनी होती है।

(6) अफीम - राजस्थान के लिए अफीम की तेलिया, रम्मजाटक एव चितौडगढ सलेक्शन किस्में उपयुक्त पाई गई है। अफीम के लिए चिकनी या चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। यह फसल अक्टूबर के अतिम सप्ताह से लेकर नवम्बर के पहले सप्ताह तक बोई जाती है। अफीम निकालने के समय सिचाई बद कर दी जाती है। अफीम के डोडों पर चीरा लगाना शुरू करने के बाद सिचाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक हैक्टेयर मे अफीम के लगभग 3 लाख पौधे होने चाहिए। अफीम निकालने के लिए डोडो पर कुल मिलाकर 3-4 बार चीरा लगाना होता है। अफीम की उपज 35 किग्रा प्रति हेक्टेयर हो जाती है। इसके अतिरिक्त 5 क्विटल बीज एव 5 क्विटल डोडे भी प्राप्त हो जाते है।

अफीम के डोडो में भूमिगत कीड़े, मृदु रोमिल, फफूद, चूर्णी-फफूद व डोडा लट आदि से बचाव किया जाना चाहिये।

(7) जीरा - जीरा एक प्रमुख नकदी फसल है। कम समय में पकने के साथ ही यह अधिक आमदनी भी प्रदान करती है। राजस्थान में जीरे की खेती मुख्य रूप से अजमेर, पाली, जालोर, सिरोही, बाडमेर, नागौर, टोंक व जयपुर जिलों में होती है।

(8) धनिया - राजस्थान मे धनिये की खेती मुख्यत कोटा झालावाड, बूदी, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिलो में होती है। सिंचित क्षेत्रों मे जैविक खाद की दृष्टि से भरी सभी प्रकार की मिट्टियों में इसे बोया जा सकता है। बारानी फसल के लिए काली व अन्य मिट्टी जिसमें पानी का रोक रखने की क्षमता हो, उपयुक्त है।

(9) सौंफ - शरद् एवं शुष्क वातावरण इसकी फसल के लिए उपयुक्त है। बलुई मिट्टी को छोडकर ऐसी सभी मिट्टियां में जहां जीवांश पर्याप्त मात्रा में हो,इसकी खेती की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए चूना-युक्त दोमट व काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में सौंफ अधिकांशतः टोंक, सिरोही, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाडा कोटा एवं पाली जिलों में उगाई जाती है। राजस्थान में बुवाई के लिए सौंफ की उन्नत किस्म यू.एफ 32 उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को झुलसा, छाछ्या व मोयला रोग से बचाया जाना चाहिये।

खरीफ की अन्य महत्वपूर्ण फसलें
Other Kharif Crops

(1) सोयाबीन - सोयाबीन एक महत्वपूर्ण तिलहनी एवं दलहनी फसल है। इसमें 80% प्रोटीन एवं 20% तेल होता है। वनस्पति घी बनाने के अतिरिक्त इसका उपयोग पेन्ट, वार्निश, साबुन, स्याही, रबर, ग्लिसरिन आदि उद्योगों में भी किया जाता है। सोयाबीन से दूध, दही व मक्खन बनाये जाते है। इसका दूध रासायनिक विश्लेषण की दृष्टि से गाय के दूध के बराबर होता है। 750 से 1250 मि.मी. वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त रहती है।

(2) ग्वार की फसल- इस फसल को प्रमुख रूप से चारे की फसल के रूप में उगाया जाता है किन्तु गोंद के रूप में इसका विशेष औद्योगिक महत्व है। ग्वार की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा सकती है।

(3) सूरजमुखी - सूरजमुखी के लिए मध्यम किस्म की भूमि उपयुक्त रहती है। किन्तु पानी से भरे रहने वाले खेत इसकी खेती के लिए अनुपयुक्त है। सूरजमुखी का तेल जैसे जैसे खाद्य तेल के रूप में लोकप्रिय होता जा रहा है वैसे-वैसे सूरजमुखी की खेती लोकप्रिय होती जा रही है। राजस्थान में सूरजमुखी की उन्नत किस्मों में एम एस एफ एच 8, एम एस एफ एच 17, एम्मसन रिकोर्ड व ई सी 68415 प्रमुख है। ये किस्में खरीफ ऋतु में 90 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। जायद (बसंत ऋतु) में 100 से 115 दिन व रबी में 125 से 135 दिन की अवधि लेती है। इस फसल के कटवर्म, पत्ते कुतरने वाली लट,हरातेला, सफेद मक्खी व पक्षियों से बचाना चाहिये।

(4) होहोबा- यह एक विदेशी पौधा है जो मैक्सिको, कैलिफोर्निया और ऐरिजोना के रेगिस्तान में पाया जाता है। उस क्षेत्र की पथरीली और कंकर वाली भूमि में यह प्राकृतिक रूप से उगता है। यह दीर्घायु (40 से 200 वर्ष), हमेशा हरा रहने व बहुत धीमी गति से बढने वाला पौधा है। इसकी ऊंचाई एक से तीन मीटर तक होती है।

यह पौधा एकलिंगी होता है अर्थात् नर व मादा फूल अलग-अलग पौधों पर लगते है। नर फूल हमेशा गुच्छों में लगते हैं जिनकी संख्या 7 से 36 तक होती है। मादा फूल शाखा के एक नोड से एक ही निकलता है। फूल प्रायः अक्तूबर या नवम्बर माह में आते है जिनमें अप्रेल-मई तक बीज बन जाते है। कभी-कभी अप्रेल-मई में भी फूल खिलते हैं, जिनसे अक्तूबर तक बीज प्राप्त हो जाता है परन्तु अप्रेल मई के बीजों की पैदावार अधिक होती है। इसके बीज की संरचना, आकार, रंग तथा भार में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। बीज प्रायः लंबा, गोलाईयुक्त व नुकीला होता है। इसके बीजों से करीब 45-55 प्रतिशत तक तेल प्राप्त किया जा सकता है। यह तेल उच्च तापक्रम व बहुत भारी दबाव वाली मशीनों के गियर्स आदि में प्रयुक्त होता है। इसके तेल के गुण 'स्पर्मव्हेल' से निकले तेल के समान है। प्रसाधन सामग्री उद्योग एवं चिपकाने वाले पदार्थों के निर्माण में भी यह तेल प्रयुक्त होता है।

मूलतः रेगिस्तानी क्षेत्र का पौधा होने के फलस्वरूप इसकी खेती के लिए बहुत कम वार्षिक वर्षा वाले (100 से 300 मि.मी.) स्थान, जहां गर्मियों में 40 डिग्री सेन्टीग्रेड से भी अधिक व सर्दियों में 5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। खारे पानी को भी इसकी सिंचाई हेतु उपयुक्त पाया गया है। पथरीले, पहाडी, ढलवा स्थान जहां वर्षा अधिक होती हो, वे भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। इस विदेशी झाडी के फूल अलग-अलग मौसम में आते है। अतः फल पकाव के समय पर सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिये। जलवायु की ऐसी परिस्थितियों को देखने से लगता है कि राजस्थान में इसकी खेती के लिए पर्याप्त संभावनाएं है।

अन्य फसलों की तरह होहोबा के बीज की बुवाई सीधे जमीन में नहीं की जानी चाहिये क्योंकि इससे अंकुरण बहुत कम होता है। साथ ही भूमि की ऊपरी सतह को हमेशा नम रखना पडता है। अतः पहले पौधशाला में इसकी पौध तैयार कर बाद में खेत मे प्रतिरोपण किया जाना चाहिये।

राज्य में अभी होहोबा का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर प्रारंभ नहीं हुआ है फिर भी मोटे तौर पर प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन से आमदनी का आकलन किया जा सकता है। खेत में 3x2 मीटर की दूरी पर पौधरोपण करने एवं अच्छे रख-रखाव से पांच वर्ष बाद प्रति पौधे में करीब 125 से 200 ग्राम बीज एवं दस वर्ष बाद प्रति पौधे से एक

किलोग्राम बीज प्राप्त होने लगता है। खेत में नर व मादा पौधों का अनुपात 1 4 रखने पर प्रति हैक्टेयर करीब (दस वर्ष बाद) 1080 किलोग्राम बीज की प्राप्ति हो सकती है। यदि न्यूनतम दर एक सौ रुपये प्रति किलोग्राम भी बेचा जाये तो प्रतिवर्ष एक हैक्टेयर से करीब 1 08 000 रुपये की आमदनी होती है जो अन्य फसलो की तुलना मे ज्यादा लाभप्रद है। आठवीं योजना में इसकी खेती को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे है।

अन्य फसलें
Other Crops

(1) मसाले (Spices) राजस्थान में मसालों से सबधित फसलों में मिर्च, अदरक हल्दी धनिया जीरा अजवाइन सौफ मेथी आदि का उत्पादन किया जाता है

राजस्थान में मिर्ची का सबसे ज्यादा (1994-95) जोधपुर जिले में होता है और तत्पश्चात् भीलवाडा व सवाई माधोपुर जिले आते है। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन (1994-95) उदयपुर में और तत्पश्चात् डूगरपुर जिले मे होता है। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन (1994-95) उदयपुर जिले मे होता है उसके पश्चात् क्रमश भीलवाडा, बूदी व डूगरपुर का स्थान है। राजस्थान में सबसे अधिक (1994-95) धनिया बारा जिले मे होता है। उसके पश्चात् झालावाड व कोटा जिलों का स्थान है। जीरे का सबसे अधिक उत्पादन (1994-95) जालोर जिले मे और उसके पश्चात् नागौर जिले में होता है। लहसुन मुख्यत चित्तौडगढ, भीलवाडा और कोटा जिले मे होता है। सौफ का उत्पादन सिरोही व जोधपुर जिलो मे होता है। मेथी के उत्पादन 1994-95 में सर्वप्रथम सीकर और तत्पश्चात् चित्तौडगढ झालावाड व जयपुर जिलों का स्थान है।

(2) फल एवं सब्जिया (Fruits & Vegetables) राजस्थान में बासवाडा जिले में केला और गगानगर जिले में अगूर की खेती की जाती है। अमरूद की खेती अजमेर, बूदी, गगानगर, जालोर, जोधपुर और उदयपुर जिलो मे होती है। पपीते मुख्यत अजमेर, बूदी और उदयपुर जिलो म बोये जाते है। सब्जिया के अतर्गत आलू मुख्यत अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूदी, धौलपुर गगानगर, जयपुर, जालोर झालावाड, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही आदि जिलो में होते है। आम मुख्यत भरतपुर और गगानगर जिले में होते है। इसके अतिरिक्त अजमेर, अलवर, भीलवाडा, जालोर बूदी जोधपुर जिलो मे भी थोडा बहुत आम उत्पादित किया जाता है। सतरे राजस्थान मे झालावाड जिले में उत्पन्न किये जाते है। इसी प्रकार मौसमी व माल्टा गगानगर जिलों में होते है। नींबू क्रमश भरतपुर गगानगर और पाली जिलों में होता है। इसके अतिरिक्त, अलवर, बूदी, भीलवाडा, अजमेर, डूगरपुर, जालोर, जयपुर, झालावाड, जोधपुर, उदयपुर, नागौर व सिरोही जिलों में भी नींबू का उत्पादन होता है।

(3) मादक पदार्थ (Intoxicants) - मादक पदार्थो मे राजस्थान मे मुख्यत अफीम, सिकोना, भाग-गाजा व तबाकू का उत्पादन होता है। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले उनके महत्व के अनुसार क्रमश चित्तौडगढ, झालावाड, कोटा व भीलवाडा रहे है। सर्वाधिक तम्बाकू अलवर जिले में उत्पादित की जाती है। तम्बाकू का वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। मादक द्रव्यों के अतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला जालोर और तत्पश्चात् बाडमेर जिले का स्थान रहा है।

राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएं
MAJOR PROBLEMS OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

राज्य में कृषि की समस्याओं का अध्ययन निम्न शीर्षको के अनतर्गत किया जा सकता है।

(a) प्राकृतिक बाधाएं (Natural constraints)

1 राजस्थान में वर्षा अत्यधिक अपर्याप्त और अनिश्चित प्रकृति की है।

2 राज्य का 61 प्रतिशत भाग मरूस्थलीय और अर्द्ध मरूस्थलीय है।

3 इस क्षेत्र की मिट्टी उत्पादकता की दृष्टि से कमजोर है। इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता कम होती है और यह अपना स्थान बदलती रहती है।

4 वर्षा की कमी के कारण भूगर्भीय जल की उपलब्धता सीमित है।

5 उच्च तापमान और वायु की तीव्र गति फसलों को नुकसान पहुचाती है।

(b) सामाजिक बाधाएं (Social Constraints)

1 राजस्थान में जनसख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

2 जोतों के उपविभाजन में वृद्धि हुई है। 1980 81 में जोतों की सख्या 44 87 लाख थी जो बढकर 1990-91 मे 51 07 लाख हो गई।

3 साक्षरता का स्तर (38%) विशेषत महिला साक्षरता (20%) कम है।

4 महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा कम है।

5 महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि कृषि कार्यों

में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है।

■ जनसख्या का अधिकाश भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (30%) से सम्बन्धित है। इनमें से अधिकाश व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ऐसे व्यक्तियों की जोखिम उठाने की क्षमता कम होती है और ये लोग नवीन प्रौद्योगिकी को जल्दी नही समझ पाते है।

(c) शोध सम्बन्धी बाधाए (Research Constraints)

1 अकाल से लड़ने के उपयुक्त तरीकों का अभाव।

2 कृषि विधायन, बागवानी और चारा फ़सलों के विशेषज्ञ सीमित है।

3 फसल काटने के पश्चात की क्रियाओं के प्रबन्ध सम्बन्धी साहित्य और जानकारी सीमित मात्रा में उपलब्ध है।

4 बायो टेक्नोलोजी और टीशू कल्चर शोध सुविधाओं का अभाव है।

5 विभिन्न प्रकार की जलवायु में कृषि करने सबधी जानकारी कम है।

6 ओरगेनिक फार्मिंग सबधी शोध का नितान्त अभाव है।

7 अनेक फसलों के लिए समन्वित रोग प्रबन्ध का अभाव है।

8 जल की बचत करने वाले प्राचीन उपायों जैसे - बूद-बूद कृषि, फव्वारा सिचाई आदि के क्षेत्र में शोध का अभाव है।

9 समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रभावी प्रबन्ध की व्यूह रचना का अभाव है।

(d) सरचनात्मक बाधाए (Research Constraints)

1 कृषि पदार्थो सबधी फुटकर दुकानें अपर्याप्त (2450 व्यक्तियों पर एक) है।

2 बैंकिंग सुविधाओं (सितम्बर, 1993 तक एक लाख जनसख्या पर 6 5 बैंक) का अभाव है।

3 शक्ति की पूर्ति अपर्याप्त है।

4 कृषि विपणन और विधायन सरचना का अभाव है।

5 कृषि में यत्रीकरण की गति धीमी है।

6 राजस्थान में सड़कों की लम्बाई प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में उपलब्ध राष्ट्रीय औसत का 55 प्रतिशत है।

7 बागवानी और सब्जियों सम्बन्धी फसलों के विपणन की सरचना का अभाव है।

8 पशु चिकित्सकों की माग और पूर्ति के मध्य अन्तराल बहुत अधिक है साथ ही पशु बाजार असगठित है। इसमें पशु पालकों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

(e) कृषक की अशिक्षा एवं अज्ञानता (Illiteracy & *Lack of Knowledge*) - यदि भारत के सदर्भ में राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान का कृषक अधिक अशिक्षित प्रतीत होता है। इसी कारण राजस्थान में कृषि के अन्तर्गत नवीन विधियों का अधिक प्रयोग नहीं हो पाया है। अशिक्षा के कारण कृषक साहूकारों के चगुल में फसे हुए है। अशिक्षा के कारण ही राजस्थान में सहकारी आदोलन अधिक *गति प्राप्त नहीं कर पाया है। अशिक्षित कृषक अधविश्वासों* और सामाजिक कुरीतियों के आसानी से शिकार हो जाते है। सामाजिक रीति-रिवाजों को निभाने के लिए उन्हें वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसमे कृषि विकास अवरूद्ध हो जाता है। इस समस्या का समाधान कृषकों में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना है। इस प्रक्रिया में प्रौढ़ शिक्षा का विशेष महत्व हो सकता है।

(f) अपर्याप्त वित्त एव ऋणग्रस्तता (Lack of Finance & Indebtness) - राजस्थान का कृषक अशिक्षित होने के साथ-साथ निर्धन भी है। इस कारण वह अपने स्वय के साधनों के कृषि विकास के लिए पर्याप्त वित्त नहीं जुटा पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सस्थाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। इस कारण उसे साहूकारों द्वारा ऊची ब्याज दरों पर ऋण पड़ता है। ये ऋण भी मुख्यत अनुत्पादक ऋण होते है और इन अनुत्पादक ऋणों के कारण कृषक पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस ऋण का बोझ बढ़ता चला जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पलता बढ़ता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वह अपना ऋण आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ जाता है। राजस्थान में कृषकों में असतोष का एक बड़ा कारण उनकी ऋणग्रस्तता है। डॉ टॉमस ने ऋणग्रस्तता के सदर्भ में उपयुक्त ही कहा है, "ऋणग्रस्त समाज अनिवार्य रूप से एक सामाजिक ज्वालामुखी होता है। इस प्रकार के समाज में विभिन्न वर्गों में असतोष उत्पन्न होना अनिवार्य है और भीतर ही भीतर बढ़ता हुआ असतोष सदैव खतरनाक होता है।" वित्तीय साधनों की कमी के सदर्भ में सहकारिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अखिल भारतीय ग्रामीण *साख सर्वेक्षण समिति ने ठीक ही कहा है कि "सहकारिता असफल हो चुकी है लेकिन सहकारिता सफल होनी चाहिए।"* ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा, आवश्यकता पड़ने पर अनुत्पादक ऋण भी प्रदान किए जाने चाहिए।

(g) सिचाई साधनों की अपर्याप्तता (Lack of Irrigation Facilities) - राजस्थान में जल ससाधनों का अभाव है। नदिया कम है और लगभग सभी नदिया मानसूनी है। मानसून के अभाव में इनमें भी पानी नहीं रहता है। अनेक स्थानों पर भू-जल का स्तर बहुत नीचा होने के कारण भी कृषि कार्यों में उसका अधिक उपयोग नहीं हो पाता। इस कारण जल के अभाव में राजस्थान में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत में कृषि

उत्पादन लगभग ▪ गुना बढ जाएगा। रेगिस्तानी भूमि में जल की और भी आवश्यकता होती है। अत जल के अभाव में प्राय ऐसे क्षेत्रों में खेती नहीं की जाती है। सिंचाई साधनों के अभाव को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जल समझौते अधिक महत्वपूर्ण हो सकते है। राजस्थान नहर ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास है।

(h) कुटीर व लघु उद्योगों का अभाव (Lack of Cottage & Small industries) - *राजस्थान का कृषक* सामान्यत एक फसल लेता है और इस प्रकार वर्ष के लगभग 4 माह कार्य करता है। शेष अवधि में वह बेकार बैठा रहता है। ऐसा इस कारण से है कि राजस्थान मे पर्याप्त मात्रा में कुटीर एव लघु उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गाधी ने कहा था, "यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होती है तो भारत ही नष्ट हो जाएगा। ग्रामीण उद्योगों का विनाश भारत के सात लाख ग्रामों को नष्ट कर देगा।" कुटीर व लघु उद्योग न होने के कारण बहुत बडी मात्रा में श्रम-शक्ति नष्ट हो जाती है। इसका उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि सरकारी एव निजी प्रयासो मे कुटीर एव लघु उद्योगो का विकास हो। इस हेतु सरकार को आकर्षक औद्योगिक नीति बनाकर लोगों को इस ओर आकर्षित करना होगा।

(i) कृषि श्रमिकों की समस्याए (Problems of Agricultural Labour) - राजस्थान में जनसख्या का एक बहुत बडा भाग कृषि में लगा हुआ है। इनमें से भी बहुत बडी सख्या उन लोगो की है जिनके पास स्वय की भूमि नहीं है। इस कारण वे दूसरों की भूमि पर कार्य करते है। ये लोग कृषि कार्य में निपुण होते हुए भी अत्यन्त दीन-हीन स्थिति मे जीवन-यापन कर रहे है। इस कारण इनसे सबधित समस्याओं के समाधान से ही कृषि का विकास सम्भव हो सकता है। कृषि सुधार समिति, 1950 ने कहा था "कृषि सुधार सबधी किसी योजना में से कृषि श्रमिकों की समस्या को छोड देना, देश की समस्या को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। राजस्थान मे बेकार पडी भूमि को आर्थिक जोतों के अतर्गत कृषि श्रमिकों में बाट दिया जाना चाहिए।

***(j) आदानों का बढता मूल्य* (Increasing Prices of Agricultural Inputs)** - कृषि में काम आने वाले सभी साधनों का मूल्य तेजी से बढ रहा है। कृषि में प्रयुक्त होने वाले खाद बीज औजार आदि की कीमतें निरन्तर बढी है। सरकारी प्रयासों के बाद भी यह प्रवृत्ति बनी हुई है। रासायनिक खाद के मूल्य में तेजी से वृद्धि होने के कारण उपभोग की गति तीव्र नहीं हो पाई है। कृषि आदानों के बढते मूल्यों के कारण एक ओर साधनो की लागत तो बढ गई है किन्तु दूसरी ओर उसकी तुलना में कृषि उपजों का मूल्य नहीं बढ पाया है। कृषि उपजों के मूल्यों में अनुपातिक वृद्धि न हो पाने के कारण कृषि को हानि वहन करनी पडती है। इस कारण कृषक प्राय घाटे में रहते है। यह सरकार का दायित्व है कि वह साधनों की कीमत को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करे।

(k) अपर्याप्त भूमि सुधार (Lack of Sufficient Land Reforms) - राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी अनेक कानून बनाए है। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि सभी समस्याए हल हो गई है। वर्षो से खेती करते आ रहे किसान आज भी भूमिहीन किसानों की तरह खातेदारी के अधिकारों से वचित है। व्यवस्था के दोषपूर्ण होने के कारण ही कृषकों में भूमि का वितरण अत्यन्त असमान है। भूमि का उप-विभाजन और उप-खण्डन अनेक प्रकार की समस्याए उत्पन्न करता है। जनसख्या बढने के साथ-साथ जोत का आकार छोटा होता चला जाता है और एक समय के बाद वह अनार्थिक जोत में बदल जाती है। ऐसी भूमि पर अनन्त कृषि करना भी बद कर दिया जाता है। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए यही कहा जा सकता है कि समस्याओं का व्यावहारिक हल निकाला जाना चाहिए ओर उन्हें वास्तव में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। चकबन्दी के माध्यम से भी अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में बदला जा सकता है।

राजस्थान में कृषि की समस्याओं का समाधान

राजस्थान में कृषि की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते है -

1 सतही एव भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने के लिए बाधों का निर्माण किया जाना चाहिए।

2 *क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जाना* चाहिए।

3 भूमि पर बढते हुए भार को कम करने के लिए जनसख्या नियत्रण के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।

4 कृषि जोतों के उपविभाजन की प्रक्रिया को रोकने के लिए कानून का निर्माण करके उसे प्रभावी ढग से लागू किया जाना चाहिए।

5 कृषि कार्य में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए।

6 निर्धन, निरक्षर एव पिछडे वर्गों के कृषकों को कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी से अवगत कराना चाहिए।

7 कृषि विशेषज्ञों की सख्या में वृद्धि करने के लिए कृषि शिक्षा का तेजी से प्रसार किया जाना चाहिए।

8 कृषि सबंधी साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

9 कृषि शोध कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए।

10 कृषि विकास के लिए सिंचाई के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

11 समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रभावी प्रबन्ध की व्यवस्था की जानी चाहिए।

12 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

13 कृषि कार्यों के लिए शक्ति की पर्याप्त पूर्ति की जानी चाहिए।

14 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन एवं विधायन संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए।

15 ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

16 कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

17 ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों का विस्तार किया जाना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 "राजस्थान में फसल प्रारूप" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short noe on " Cropping Pattern in Rajasthan

2 'राजस्थान में भूमि उपयोग' पर एक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।
Give an analysis on the land uti ity in Rajasthan

3 फसल प्रतिरूप से आप क्या समझते है?
What do you mean by Croppng pattern

4 राजस्थान में फसल प्रतिरूप का वर्णन कीजिए।
Explainthe cropping pattern in Rajasthan

5 राजस्थान में भूमि उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on the land utlisation in Rajasthan

6 राजस्थान में भूमि उपयोग की प्रवृत्तियाँ किन बातों की ओर संकेत करती है?
What are the indications froms the land utilisation trends in Rajasthan

7 भूमि उपयोग से आप क्या समझते है?
What do you mean by land utilisation?

8 राजस्थान की प्रमुख रबी और खरीफ फसलें बताईए।
Name the pnncple Rabi and hanf crops of Rajasthan

9 राजस्थान किस फसल का मुख्य उत्पादक है?
Rajasthan is the chief producer of which crop?

10 राजस्थान की प्रमुख रबी और खरीफ फसलें बताईए।
Name the pnncple Rabi & Kharif crops of Rajasthan

निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 योजनाकाल में राजस्थान में कृषि विकास की समीक्षा कीजिए।
Review the agriculture development dunng plan penod in Rajasthan

2 "राजस्थान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्य व अखाद्य फसलों" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on " Important Food and Non Foof crops in Rajasthan

3 राजस्थान में फसल प्रतिरूप नवजदहच्ंजजमतदद्ध से आप क्या समझते है और यहां की प्रमुख फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन का विवेचन कीजिए।
What do you understand by cropping pattern in Rajasthan and discuss the production and area of major crops in Rajasthan

4 राजस्थान में भूमि उपयोग पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the land utility in Rajasthan

5 राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याओं व बाधाओं का विवेचन कीजिए तथा उनके समाधान के सुझाव बताईए।
Discuss the problems and hindrance of agriculture development strategies in Rajasthan and suggest its remedies

6 राजस्थान में कृषि विकास व्यूह रचना की प्रमुख विशेषताएं बताईए तथा पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान के कृषि विकास का विवेचन कीजिए।
Describe the salient features of Agriculture development stratenes in Rajasthan and d scuss the agri culture development of Rajasthan in the Five years plans

7 "राजस्थान हरित क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है।" समझाईए।
"Rajasthan is marching towards green revolut on" Explain

8 राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में तिलहन विकास कार्यक्रम की प्रगति एवं उसके प्रभाव की समीक्षा कीजिए
Assess the programe of oil seeds product on and its impact on Rajasthan in last Five years

विश्वविद्यालय प्रश्न
(Questions of University Examinations)

1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान स्पष्ट कीजिए। समझाईए कि राजस्थान हरित क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है।
Describe the role of agriculture in the economy of Rajasthan Explain that Rajasthan is marching towards green revolution

2 राजस्थान में भूमि प्रयोग, फसल चक्र (Cropp ng Pattern) एवं मुख्य कृषि उपजों का उल्लेख करें।
Mention the land ut lisation cropping pattern and major agriculture products in Rajasthan

3 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान स्पष्ट कीजिए। समझाईए कि राजस्थान हरित क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है।
Descnbe the role of agriculture in the economy of Rajasthan Explain the Rajasthan is marching towards green revolut on

4 राज्य के कृषिगत विकास में बाधायें पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Constraints in the agncuture development if the state"

5 राजस्थान में अपनायी गई कृषि व्यूह रचना की विवेचना करें एवं इसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें।
Discuss the Agriculture strategy as adopted in Rajasthan and evalute its performance

6 राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याओं व बाधाओं का विवेचन कीजिए तथा उनके समाधान के सुझाव बताईए।
D scuss the problem and hindrances of agriculture development in Rajasthan and suggesst its rmedies

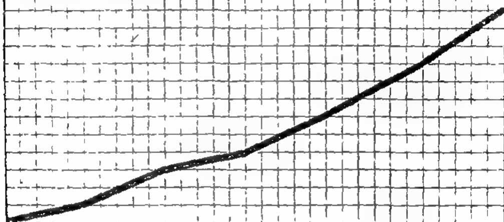
7 राजस्थान राज्य में कृषि की विशेषताएं तथा समस्याओं का वर्णन कीजिए तथा उनको हल करने के उपाय भी सुझाईए।
D scuss the s elent features and problems of agncultural development in Rajasthan also give some suggestions for agricultural development in Rajasthan



अध्याय – 9

राजस्थान में भूमि सुधार

LAND REFORMS IN RAJASTHAN



"राजस्थान का उल्लेख प्रागैतिहासिक समय से मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहां की संस्कृति सिन्धु घाटी सभ्यता जैसी थी।"

<u>अध्याय एक दृष्टि में</u>

- भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य
- राजस्थान में भू-सुधारों की पृष्ठभूमि
- राजस्थान में विभिन्न रियासतों के विलय के पूर्व प्रचलित भू-धारण प्रणालियां
- राजस्थान में भूमि सुधार के प्रयास एवं क्रियान्वयन
- भूमि सुधारों की प्रगति
- राजस्थान में भूमि सुधारों की समीक्षा, समस्याएं व सुझाव
- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
- अभ्यासार्थ प्रश्न

भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य

MEANING & OBJECTS OF LAND REFORM

भूमि सुधार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भू-स्वामी काश्तकार के अधिकार, कर्तव्यों एवं दायित्वों तथा राज्य व भू-स्वामी के संबंधों की विवेचना की जाती है। यह व्यवस्था भूमि के उपयोग एवं प्रबंध की वैज्ञानिक विधियों को जन्म देती है। इस प्रकार भूमि सुधारों का संबंध संस्थागत सुधारों में होता है। ये सुधार भू-स्वामी, काश्तकार व सरकार के संबंधों को स्पष्ट करते है। इन सुधारों से सामाजिक न्याय का वातावरण भी निर्मित होता है। भूमि सुधारों के द्वारा कृषि के ढांचे व संगठन में तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। भूमि सुधार संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों एवं सुधारों के द्वारा एक नवीन भूमि व्यवस्था विकसित होती है जो पहले की तुलना में अधिक न्यायपूर्ण व कार्यकुशल होती है। अतः भूमि सुधारों से उत्पादन एवं आय में वृद्धि होना स्वाभाविक है। यह सामाजिक न्याय, समानता, एवं निर्धनता व शोषण के निवारण में भी सहयोग देते है। भूमि सुधारों के द्वारा कृषि विकास की वृद्धि तीव्र हो जाती है। राजस्थान में भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित रहे है -

(1) उत्पादन वृद्धि (Increased Production) - कृषि राज्य अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। कृषि के विकास से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग व्यापार,परिवहन आदि का विकास जुड़ा होता है। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करना हो तो कृषि से सबंधित विभिन्न समस्याओं का निवारण करना अत्यावश्यक होता है। भूमि सुधार व्यवस्था के अंतर्गत कृषि सबंधी विभिन्न समस्याओं एवं संरचनात्मक बाधाओं का निवारण करके कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा सकती है। राजस्थान मे कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भूमि सुधारो को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(2) सामाजिक न्याय (Social Justice) स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में अनेक प्रकार की भू व्यवस्थाएं एवं प्रणालियां प्रचलित थी। इन व्यवस्थाओं के द्वारा काश्तकार का सर्वाधिक शोषण किया जाता था। ये प्रणालियां मुख्यतः अंग्रेजी शासनकाल की देन रही है। राज्य में सामाजिक न्याय एवं समानता का वातावरण निर्मित करने के लिए इन दोषपूर्ण व्यवस्थाओं को समाप्त करना आवश्यक था। स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा दोषपूर्ण व्यवस्थाओं को समाप्त करने हेतु अनेक नियम एवं अधिनियम लागू किये गये। इमसे शोषण की समाप्ति एवं सामाजिक न्याय में वृद्धि हुई है।

(3) तकनीकी परिवर्तनों के आधार (Basis of Technical Changes) भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इन नवीन तकनीकों को कुशलता पूर्वक लागू करने और इन तकनीकों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि सुधारों के दौरान भूमि सबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य में भूमि सुधारों को तेजी से लागू किया गया और उसके पश्चात् विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू किया गया। अतः भूमि सुधारों को तकनीकी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण आधार कहा जाता है।

राजस्थान में भू- सुधारों की पृष्ठभूमि

BACK GROUND OF LAND REFORMS IN RAJASTHAN

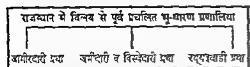
सामन्ती प्रथा को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान में भूमि सुधार को एक क्रान्तिकारी कदम कहा जा सकता है। राजस्थान में शासन तंत्र बदलने पर भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं जारी रहीं कि कृषक अपनी भूमि का मालिक नहीं बन पाया। भूमि का स्वामित्व सदैव शासकों के पास ही रहा। और उन्होंने कृषकों को केवल जीवनयापन करने के उद्देश्य से भूमि प्रदान की ताकि वह अपने जीवनयापन के साथ अपने मालिकों को पर्याप्त लाभ प्रदान कर सकें। स्वतंत्रता के बाद भी यह स्थिति तुरन्त नहीं बदली। राजस्थान में जिन शासकों ने भूमि को अपने आधिपत्य में कर रखा था। उन्होंने अपने सहायकों को जागीरें प्रदान की। सहायकों की सहायता करने वाले को भी भूमि प्रदान की गई ताकि वे अपने जीवनयापन के साथ अपने स्वामी की भी सेवा व रक्षा कर सकें। राजस्थान में भूमि सुधार लागू होने तक सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन्हीं शासकों, जागीरदारों आदि के द्वारा निर्देशित होती थी और उनके आदेश ही कानून बन चुके थे। राजस्थान में अनेक रियासतें थी। इस कारण प्रत्येक रियासत के अपने नियम थे जिससे भूमि से सबंधित कानून एक रूप न होकर भिन्नता के कारण अत्यन्त जटिल हो चुके थे। सारी भूमि पर शासकों का स्वामित्व था, किसान को तो केवल पट्टे पर भूमि दी जाती थी और उसके बदले में उसकी उपज का अधिकांश भाग ले लिया जाता था। अनेक स्थानों पर किसानों को कुछ खातेदारी अधिकार भी मिले हुये थे। इनके अंतर्गत उन्हें वारिसाना अधिकार तो प्राप्त था किन्तु वे भूमि को दूसरों को हस्तांतरित नहीं कर सकते थे भूमि का स्वामित्व सबंधित शासक का ही होता था। भू स्वामियों तथा कृषकों में मालिक व नौकर का सबंध होता था और मालिक काश्तकार को जब चाहे, भूमि से बेदखल कर सकता था। राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद इस प्रकार की विचारधारा ने जन्म लिया कि भूमि जोतने वाले को भूमि का अधिकार मिलना ही चाहिये। साथ ही भूमि का वितरण समान हो और जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित हो तथा विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रचलित कानूनों को बदलकर सम्पूर्ण राज्य में एकरूपता लाई जानी चाहिये।

राजस्थान में विभिन्न रियासतों के विलय के पूर्व प्रचलित भू-धारण प्रणालियां

LAND TENURIAL SYSTEM OF RAJASTHAN BEFORE MERGER OF VARIOUS STATES

स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान राज्य में अनेक रियासतें थी। वर्तमान राजस्थान में विलय से पूर्व इन रियासतों के

शासकों ने अपनी -अपनी रियासतों की भूमि को जमींदारों, जागीरदारों व बिस्वेदारों को दे रखा था। ये व्यक्ति काश्तकारों से लगान वसूल करने का कार्य करते थे उस समय राज्य में निम्नलिखित भू-धारण प्रणालियां प्रचलित थी -



(1) जागीरदारी प्रथा (Jagirdari system) - राजस्थान में विभिन्न रियासतों के विलय से पूर्व जागीरदारी प्रथा राज्य के अधिकांश भागों में प्रचलित थी। जागीरदारों को भू-वसूली के अधिकार प्राप्त थे। वस्तुत जागीरदार काश्तकार व शासक के मध्य एक कडी के रूप में कार्य कर रहा था। वह व्यक्ति काश्तकार से उसकी उपज का एक बडा हिस्सा लगान के रूप में वसूल कर लेता था। इसके अतिरिक्त, बेगार आदि के रूप में काश्तकारों का शोषण करता था। जागीरदार को बेदखली का अधिकार भी प्राप्त था। वह अपने क्षेत्र में काश्तकारों को भूमि से बेदखल कर सकता था। जागीरदारों को भूमि बेचने का अधिकार नहीं था। लेकिन वे फौजदारी व दीवानी अधिकारों तथा उस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व के कारण काश्तकारों व कृषि-श्रमिकों पर अनेक अत्याचार करते थे। जागीरदार, काश्तकारों के सम्मुख अपने आपको भू-स्वामी के रूप में प्रकट करता था। जागीरदार द्वारा शासक को कुछ भेंट प्रदान की जाती थी लेकिन इस भेंट का भू-राजस्व से कोई संबंध नहीं था। भेंट की राशि का निर्धारण जागीरदारी प्राप्त होते समय किया जाता था। धीरे-धीरे जागीरों की आय में अतिरिक्त वृद्धि हो जाती थी जबकि भेंट की राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता था अत लगान वसूली में जागीरदार प्राय मनमानी किया करते थे। राज्य की अनेक रियासतों में उपज के अंश के रूप में लगान वसूल किया जाता था। जागीरदार प्राय उपज का आधे से अधिक भाग लगान के रूप में प्राप्त कर लेता था। काश्तकारों द्वारा इस व्यवस्था का समय-समय पर विरोध भी किया जाता था। लेकिन अधिकांश काश्तकारों को तत्कालीन भू नियमों की जानकारी नहीं होती थी। काश्तकारों में स्वैच्छिक काश्तकारों की संख्या अधिक थी। भूमि का आवंटन प्राय उन काश्तकारों को कर दिया जाता था जो सबसे अधिक लगान देने के लिए तैयार थे।

(2) जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथा (Jamindari & Biswedari System) - राज्य के कुछ भागों में जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथाएं प्रचलित थी। इन प्रथाओं के अंतर्गत जमींदार अथवा बिस्वेदार काश्तकारों से लगान वसूल करने का कार्य करते थे। जमींदार अथवा बिस्वेदार शासकों को प्राय निर्धारित भू-राजस्व का भुगतान करते थे लेकिन काश्तकारों से प्राप्त किये जाने वाले लगान की राशि का निर्धारण नहीं होता था। अत ये व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार लगान वसूल करते थे। इस भू-व्यवस्था के कारण जमींदारों व बिस्वेदारों को काश्तकारों के शोषण का अवसर मिल जाता था। ये व्यक्ति प्राय कृषकों से उनकी उपज का लगभग आधे से अधिक भाग लगान के रूप में प्राप्त कर लेते थे। यदि कोई काश्तकार इनका विरोध करता था तो उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। यह प्रथा राज्य के अलवर, भीलवाडा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, सीकर, कोटा व भरतपुर जिलों में प्रचलित थी।

(3) रय्यतवाडी प्रथा (Raiyatwari System) - इस व्यवस्था के अंतर्गत काश्तकार अपनी इच्छा के अनुसार लगान वसूल करता था। वह काश्तकार को कभी भी भूमि से बेदखल कर सकता था।

राजस्थान में भूमि सुधार के प्रयास एवं क्रियान्वयन

STEPS FOR LAND REFORMS & THEIR IMPLEMENTATION IN RAJASTHAN

राजस्थान के निर्माण के समय अनेक दोषपूर्ण भू-व्यवस्थाएं प्रचलित थी। राज्य में कृषि के विकास हेतु इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन आवश्यक था। अत स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये है। यह क्रम प्राथमिकताओं में परिवर्तन के साथ साथ आज भी जारी है। राजस्थान में भूमि सुधारों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयास किये गये है -

(1) भूमि पर किसानों की बेदखली को रोकना (Stoppage interfere of farmers on land) 1949 में जमींदारों द्वारा काश्तकारों को भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। अत सरकार द्वारा काश्तकारों की बेदखली रोकने के लिए 'राजस्थान (काश्तकार संरक्षण) अध्यादेश 1949' पारित किया गया। यह भूमि सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास था। इसका उद्देश्य किसान को किसी भी रूप में मिली हुई भूमि से बेदखल होने से रोकना था। इसमें कहा गया कि जब तक यह अध्यादेश लागू रहेगा काश्तकारों को उनकी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। इस अध्यादेश के अनुसार अवैधानिक ढंग से बेदखल किये गये किसानों को भू-स्वामी के अधिकार पुन प्रदान कर दिये गये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में भी उक्त

अध्यादेश सबंधी प्रमुख व्यवस्थाओं को प्रतिस्थापित कर लिया गया।

(2) लगान का निर्धारण (Determination of Rent) पुरानी व्यवस्थाओं के अतर्गत मनमाने ढग से बहुत अधिक लगान वसूल किया जाता था। अत काश्तकारों को शोषण से बचाने तथा राज्य के सभी क्षेत्रों में लगान वसूली में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम 1951' पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार कृषकों से वसूल किया गया लगान उनकी कुल उपज के 1/6 भाग से अधिक नहीं हो सकता था। 1952 में राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कृषि लगान नियत्रण अधिनियम 1952 पास किया गया। इस अधिनियम के *अतर्गत एक जोत पर अधिकतम लगान की मात्रा भू राजस्व* के दुगने तक निश्चित की गई। इस अधिनियम को रद्द करके 1954 में एक नया अधिनियम *'राजस्थान कृषि लगान नियत्रण अधिनियम, 1954 पारित किया गया।* इस अधिनियम के अनुसार मध्यस्थों द्वारा मालगुजारी के दुगने से अधिक की लगान वसूली पर प्रतिबध लगा दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 म काश्तकारों को लगान की वसूली में होने वाले शोषण से मुक्त करवाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण व्यवस्थाय की गई

(3) मध्यस्थों की समाप्ति (Abolition of Mediators) राजस्थान सरकार ने मध्यस्थों की समाप्ति हेतु *निम्नलिखित प्रयास किये गए -*

(i) जागीरदारी प्रथा का अत (Abolition of Jagirdari System) - राजस्थान सरकार ने कृषकों और सरकार के मध्य से मध्यस्थों को हटाने के लिए 'राजस्थान भूमि सुधार *एव जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952' पारित किया। इस* अधिकार के अनुसार जमींदारों के पास भी केवल वही भूमि छोडी गई जो उनकी निजी काश्त के अतर्गत थी। बाकी भूमि इस अधिनियम के कारण सरकार की हो गई। राजस्थान में जागीरदारों को विलय के लिए पूर्णत तैयार करने का श्रेय तत्कालीन गृहमत्री वल्लभभाइ पटेल को जाता है। जागीरदारी समाप्त करने के लिए राजस्थान सरकार को जागीरों की आय निर्धारित करनी पडी तथा आय के कुछ गुणा तक राशि मुआवजे के रूप में भी देनी पड़ी। उन्हें प्रत्येक प्रकार की परेशानी से बचाने की कोशिश की गई और खुदकाश्त जमीन कम होने पर जागीरदारों को पर्याप्त जमीन देकर उनका पुनर्वास करने की कोशिश की गई। समस्त कार्य को व्यवस्थित रूप देने के लिए भू प्रबध विभाग की स्थापना की गई। जागीरदारों के मुआवजे की राशि किश्तों में दी गई और बकाया राशि पर ब्याज भी देना पडा। इस प्रक्रिया मे राज्य सरकार को नकद ब्याज व बॉण्ड्स के रूप में लगभग [illegible] करोड रूपये देने पडे। साथ ही उस समय के जागीरदारों के अतर्गत कार्य कर रहे लोगों की पेंशन बाधी गई और उपयुक्त लोगों को सरकार की सेवा में लिया गया। इस *अधिनियम के लागू हो जाने पर खुदकाश्त के अतिरिक्त* बची भूमि पर सरकार का कब्जा हो गया। इस अधिनियम के समय जो व्यक्ति भूमि पर खेती कर रहे थे उन्हें खातेदारी के अधिकार मिल गये।

(ii) जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथाओं का अत (Abolition of Jamindari & biswedari System) राजस्थान के लगभग 77 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में 2 99 लाख जागीरें और 3 83 लाख बिस्वेदारिया विद्यमान थीं। *इन व्यवस्थाओं के उन्मूलन हेतु "राजस्थान जमींदारी व* बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सरकार व काश्तकारों के मध्य *बिचौलियों का काम करने वाले जागीरदार व बिस्वेदार* अधिकारी विहीन हो गये और कृषकों व राज्य सरकार का सीधा सपर्क स्थापित हो गया। जागीर समाप्त हो जाने के बाद भी राज्य में सामती व्यवस्था एकदम समाप्त नहीं हुई थी। इन लोगों ने बडी बडी भूमि अपने अधिकार में ले ली थी और इस पर वे खुदकाश्त नहीं करते थे वरन् छोटे किसानों से काश्त करवाते थे तथा उनकी उपज में से अपना हिस्सा ले लेते थे। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये मध्यस्थों से बची हुई कडी को समाप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने "राजस्थान भूमि सुधार एव भू स्वामियों की सम्पदा अवाप्ति अधिनियम 1963" पारित किया। इस कानून के अतर्गत राजा महाराजाओं की भूमि पर आवास कर लिया गया एव काश्तकार द्वारा जोती जाने वाली भूमि *पर प्रत्येक सबधित काश्तकार को खातेदारी अधिकार मिल* गये। इस प्रकार मध्यस्थों की अतिम कडी भी समाप्त हो गई।

(4) खातेदारी अधिकार - *'राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1962' के अतर्गत अधिनियम के प्रभावी* होने की तिथि से भूमि पर काश्त करने वाले लोगों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे किन्तु ऐसा सभी काश्तकारों *के सबध में नहीं हुआ क्योंकि कुछ श्रेणियों के काश्तकारों* को यह अधिकार मिल थे। इस कारण राजस्थान के सभी काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने और राजस्थान *में भूमि से सबधित महत्वपूर्ण कानूनों का निर्धारण करने के* लिए 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955' के माध्यम से मूलभूत परिवर्तन किये गये। इसके अतर्गत सभी काश्तकारों

को खातेदारी अधिनियम प्राप्त हो गये। इस प्रकार इन्हें वारिसाना और मालिकाना हक तो मिला ही, भूमि के हस्तांतरण का अधिकार भी मिल गया। जो व्यक्ति भूमि का गैर खातेदार होता है उसे अपने जोत पर केवल पैतृक अधिकार प्राप्त होता है। 'राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवटन नियम, 1970' के अंतर्गत कृषक को भूमि गैर काश्तकारी अधिकार देकर आवंटित की जाती है और जो कृषक आवटन की शर्तों का उल्लंघन नहीं करते उन्हें 10 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खातेदारी के अधिकार दे दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किराये पर भूमि जोतने से सबंधित प्रतिबंध लगाये गए लेकिन सैनिकों, विधवाओं, अपाहिजों अल्प वयस्कों आदि को कुछ छूट दी गई। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था भी की गई कि किसान अपनी भूमि के कुछ भाग पर कृषि के विकास के लिए व अपनी सुविधा हेतु कुछ निर्माण कार्य कर सके। अनुसूचित जातियों एव जनजातियों के व्यक्तियों की जमीनें अन्य व्यक्तियों को स्थानान्तरित न हो पाए, इस बात की व्यवस्था की गई। अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार से भूमि हस्तान्तरित करने को अवैध बताकर प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि इसके बाद भी भूमि हस्तांतरित की जाती है तो खरीददारों को बेदखल किया जा सकता है। इसके संबंधित प्रावधानों में हाल में ही कुछ परिवर्तन किये गये। इसी प्रकार लोगों को शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके भूमि को रहन आदि रखने की अवधि 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी है। अब काश्तकार की भूमि को 5 वर्ष से अधिक रहन नहीं रखा जा सकता। 5 वर्ष पूरे होने पर भूमि रहन से मुक्त मानी जायेगी और यदि कोई ऐसी मुक्त भूमि को वापस नहीं लौटाता तो उसे दण्ड या कारावास अथवा दोनों हो सकते है। यह भी व्यवस्था की गई कि जिस भूमि को रहन रखने की अवधि खत्म हो चुकी है उस भूमि को पुनः दो वर्ष तक रहन नहीं रखा जा सकता है। इस अधिनियम में काश्तकारों को भूमि की अदलाबदली और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु जोत में सुधार करने के अधिकार भी दिये गये। जमीन केवल जमीन जोतने वाले व्यक्तियों के पास ही रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुये खातेदार काश्तकार को एक बार में अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए अपनी जमीन मब लीज पर देने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार गैर खातेदार काश्तकार को अपनी जोत की भूमि को केवल एक वर्ष तक के लिए सब लीज पर देने का अधिकार दिया। इस बात को भी व्यवस्था की गई कि एक बार लीज देने के पश्चात् दो वर्ष तक वह भूमि पुनः लीज पर नहीं दी जा सकती।

(5) कृषि व अकृषि भूमि के अन्य उपयोगों की छूट - कृषकों, बेरोजगारों युवकों व कारीगरों को आवास सुविधा देने एव छोटे उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से ही 'कृषि भूमि का आवासीय एव वाणिज्यक प्रयोजनार्थ आवटन नियम, 1971' एव 'कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग अधिनियम, 1961' बनाये गये। इन नियमों के अनुसार किसान अपनी भूमि आवास तथा छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए परिवर्तित करा सकता है। पर्यावरण को सतुलित बनाये रखने के लिए किसानों की जोतों पर लगाये गये पेड़ों को काटने पर 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955' में कुछ प्रतिबंध लगाये गये। इन प्रतिबंधों के अनुसार- कृषक एक कलैण्डर वर्ष में उसकी भूमि पर लगे हुये वृक्षों के 10 प्रतिशत से अधिक वृक्ष नहीं काट सकता है। राजकीय बजर भूमि, अनुपजाऊ व अकृषि भूमि पर वन विकास योजना के अंतर्गत 'निजी वन विकास हेतु बजर भूमि का आवटन नियम, 1986' बनाया गया। इन नियमों के अनुसार भूमि के आवटन में ग्रामीण निर्धनों, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों, सहकारी समितियों व अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देने हेतु काश्तकारी अधिनियम में कुछ प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के अनुसार, सड़क के किनारे लगाए गये पेड़ों व उनकी उपज पर किसानों को मालिकाना हक दिया जाता है।

(6) चकबंदी कृषकों के खेतों की अनार्थिक जोत एव उनकी जोतों का बिखरा होना, कृषि भूमि की एक महत्वपूर्ण बाधा थी। इस बाधा को चकबंदी अधिनियम लागू करके दूर करने की कोशिश की गई। इसके माध्यम से दूर-दूर बिखरे हुये तथा छोटे-छोटे भूमि के टुकड़ों की समस्याओं को निपटाने का प्रयास किया गया। इससे कृषि में नवीन विधियों को प्रोत्साहन मिला और कृषि विकास की गति तीव्र हुई। 1982-83 तक लगभग 60 लाख हैक्टेयर भूमि चकबंदी के अंतर्गत आ चुकी थी।

(7) भूमि की अधिकतम सीमा भूमि सुधार के अंतर्गत राजस्थान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कृषि भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना है। इस अधिकतम सीमा के पश्चात् अधिग्रहण योग्य भूमि को भूमिहीनों में बाट दिया जाता है। इस हेतु 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955' के अंतर्गत 1963 में संशोधन किया गया। भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग सीमा निर्धारित की गई। इस प्रावधान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1973 में एक नया सीलिंग अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार

परिवार की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। पुराने काश्तकारी अधिनियम में परिवार से आशय एक ऐसे परिवार से था जिसमें पति,पत्नी, उनके बच्चे और उन पर निर्भर पौत्र, पौत्रिया तथा पति की विधवा मा, जो उन पर आश्रित हो, को सम्मिलित किया जाता था। 1973 के अधिनियम के अनुसार अब 'परिवार' से आशय पति-पत्नी व अवयस्क सतानों (नाबालिग विवाहित पुत्री को सम्मिलित न करते हुये) मे है। पिछले कानून की तुलना में अब परिवार के सदस्यों की सख्या कम हो गई है, जिससे राज्य सरकार द्वारा सीलिग अधिनियम के अतर्गत कृषिभूमि का अधिग्रहण करना सभव हो सका है। अधिग्रहण की गई भूमि को भूमिहीन कृषकों, भूतपूर्व सैनिकों, कमजोर वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों व ग्रामीणों में आवटन हेतु 'राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि आवटन नियम, 1970' बनाया गया।

राजस्थान में भूमि सुधार सबधी महत्वपूर्ण नियम व अधिनियम
1 राजस्थान (प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स) अध्यादेश 1949
2. राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952
3 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
4 राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959
5 1963 का 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955' में सशोधन
6 सीलिग अधिनियम, 1973
7 राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का आवटन नियम, 1970
8 कृषि भूमि का आवासीय एव वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवटन नियम 1971
9 कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नियम, 1961
10 निजी वन विकास हेतु बजर भूमि का आवटन नियम, 1986

राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम' में 1966 में सशोधन करके राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र को छोडकर पूरे राजस्थान में सीलिग कानून क्रियान्वित कर दिया। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अर्थदण्ड व भूमि से बेदखली का प्रावधान किया गया। नये सीलिग कानून के अतर्गत व्यक्ति अपने वयस्क पुत्र के लिए भी अपनी भूमि में से निर्धारित सीमा तक भूमि का चुनाव कर सकता है। राजस्थान सीलिग कानून के अतर्गत जो भूमि अधिग्रहण की गई है वह अधिकाशत घटिया किस्म की है। अत जिन लोगों को ऐसी भूमि आवटित की जाती है, उन्हें भूमि के विकास के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। 30 सितम्बर, 1986 तक इस अधिनियम के अतर्गत 86,156 मामले निपटाये गये और 5 95,874 एकड भूमि को अधिग्रहण योग्य माना गया। इसमें से 5,40,149 एकड भूमि का अधिग्रहण करके लगभग सवा चार लाख एकड भूमि को आवटित भी कर दिया गया। इस आवटन में अनुसूचित जातियों व जनजातियों को प्राथमिकता दी गई।

(8) पास बुक अधिनियम खातेदारों द्वारा खुदकाशत की भूमि, भूमि सीमा तथा लगान के लिए 'राजस्थान पासबुक अधिनियम, 1983' पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसानों को उनकी भूमि के सबध में सपूर्ण जानकारी के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। इससे कृषकों को अपनी भूमि का विकास करने हेतु वित्तीय सस्थाओं व बैंकों से ऋण लेने में सुविधा हो गई है। इस प्रकार अब कृषकों को भूमि सबधी रिकार्ड प्राप्त करने की एक लबी प्रक्रिया से मुक्ति मिल गई है। कृषकों के भूमि-अभिलेखों को सही रखने के लिए राजस्व अभियान आयोजित किए जाते है। इन अभियानो में कृषकों द्वारा किये गये भूमि के हस्तातरणों व विरासत आदि के परिवर्तनों को उसकी पास बुक में अकित किया जाता है।

(9) राजस्व प्रबंध व्यवस्था का आधुनिकीकरण (Modernization of Revenue Administration) - रेवेन्यू बोर्ड जिला प्रशासन की प्रमुख सस्था होती है। राज्य में राजस्व प्रशासन को सुदृढ करने के लिए आठवीं पचवर्षीय योजना में भनोत समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति ने कोषों की व्यवस्था के लिए अनेक सुझाव दिए है। सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को सिद्धान्त स्वीकार करके नवीं योजना में राजस्व प्रबन्ध को सुदृढ करने के लिए 1294 78 लाख रूपये का प्रावधान कर दिया है।

(10) राजस्थान राजस्व शोध प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर (Rajasthan Revenue Research Training Institute, Ajmer - RRRTI) - इस सस्था की स्थापना मार्च 1996 में प्रशिक्षण सस्थाओं की एक शीर्ष सस्था के रूप में की गई। यह सस्था टोंक, गजसिहपुर(श्रीगगानगर) डेबारी, उदयपुर,अलवर, कोटा और जोधपुर की राजस्व शोध प्रशिक्षण सस्थाओं को नियत्रित करेगी। नवीं योजना में इस सस्था के निर्माण हेतु 412 लाख रूपये कम करने का प्रावधान किया गया है। इससे राजस्व प्रबन्ध को सुदृढ किया जा सकेगा।

भूमि सुधारों की प्रगति

भूमि सुधार कानूनों को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य भूमि का समान वितरण करना है क्योंकि ग्रामीण

1 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002 Govt. of Raj

पूर्ति हेतु भूमि सुधारों में 30 जून, 1997 तक निम्न प्रगति हुई है -

आधिक्य घोषित क्षेत्र	608163 एकड़
अधिग्रहित क्षेत्र	565432 एकड़
वितरित क्षेत्र	454961 एकड़
लाभ उठाने वालों की संख्या	79009

भूमि के मूल्यों में वृद्धि तथा भूमि का अधिकतम उपयोग करने के लिए उपग्रह क्रियाओं का महत्व बढ़ा है। राज्य के प्रत्येक तहसील में 20 वर्ष पश्चात् उपग्रह क्रियाओं की आवश्यकता होती है लेकिन राज्य में उपग्रह संसाधनों का अभाव होने के कारण 107 तहसीलों का उपग्रह सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। वर्तमान में 14 उपग्रह दल क्रमश: जयपुर, सीकर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, टोंक, कोटा, भरतपुर, सीकर, बांसवाड़ा, सिरोही और डूंगरपुर मुख्यालय से कार्यरत है। शेष उपग्रह कार्यों को पूर्ण करने के लिए 4 उपग्रह दल बनाये जायेंगे जिनके मुख्यालय बाड़मेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, और पाली होंगे। नवीं पंचवर्षीय योजना में उपग्रह कार्यों पर 968 लाख रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में भूमि सुधारों की समीक्षा, समस्याएं एवं सुझाव

EVALUATION OF LAND REFORMS IN RAJASTHAN, PROBLEMS & SUGGESTIONS

राजस्थान में भूमि सुधार हेतु राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय प्रयास किये है इन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य से जमींदारी, जागीरदारी एवं बिस्वेदारी प्रथाओं का उन्मूलन हो चुका है। भू-धारण की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। लागत वसूली सम्बंधी दोषों एवं समस्याओं का निवारण हो चुका है लेकिन फिर भी बदली हुई परिस्थितियों के कारण अनेक नवीन समस्याएं एवं दोष उत्पन्न हो गये है। कृषि के समुचित विकास हेतु भूमि सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत इन दोषों एवं समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत राजस्थान में भूमि सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की जा सकती है -

(1) काश्तकारों की स्थिति में सुधार Improvement in tenant's condition - स्वतंत्रता से पूर्व कृषि क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न प्रथाओं व रीतियों के कारण कृषक समुदाय का अत्यधिक शोषण होता था। राज्य सरकार ने विभिन्न अधिनियम पारित करके कृषकों को शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया लेकिन इन अधिनियमों का समुचित ढंग से क्रियान्वयन न होने के कारण आज भी कृषक वर्ग के शोषण की प्रक्रिया जारी है। उपकाश्तकारों के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है, प्रमुख काश्तकार आज भी उपकाश्तकारों का जमींदारों व जागीरदारों के समान शोषण करते है। प्रमुख काश्तकार आज भी ऊंची लगान वसूल करता है और कभी भी उपकाश्तकार को भूमि से बेदखल कर सकता है। अत: इस समस्या के निवारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये और काश्तकार को सही अर्थ में भूमि का स्वामी बनने का अवसर देना चाहिये। राज्य में फसल बंटाई प्रथा आज भी प्रचलित है। राज्य सरकार के पास अनेक महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं है, उदाहरण के लिए, मध्यस्थों के पास कितनी भूमि है, कितनी भूमि पर काश्तकारों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है आदि। वस्तुत: भूमि सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण इसी प्रक्रिया में निहित है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार को चाहिये कि भूमि सुधार संबंधी विभिन्न समस्याओं का निवारण करे। ऐसा करके ही राज्य सरकार कृषकों को शोषण से मुक्ति दिलाकर सामाजिक न्याय में वृद्धि कर सकेगी

(2) राजस्व में वृद्धि Increase in Revenue - भूमि सुधार संबंधी प्राचीन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भू-राजस्व का अधिकांश भाग मध्यस्थों को प्राप्त होता था अत: भूमि की इस आय का समुचित उपयोग नहीं हो सका। यह धन मध्यस्थों द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्यों में उपयोग कर लिया जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात् नवीन व्यवस्थाओं के अनुसार राजस्व की प्राप्ति, राज्य की आय का अंग है। भू-राजस्व से सरकार को पर्याप्त आय की प्राप्ति होती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों, विशेषत: छोटे कृषकों व खेतीहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अत: सरकार भू राजस्व संबंधी आय का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, विशेषत: कृषि विकास हेतु कर सकती है। विगत कुछ वर्षो के आर्थिक योजनाओं संबंधी लक्ष्यों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार भू-राजस्व का उपयोग कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कर रही है। राज्य सरकार को इस तथ्य का मूल्यांकन करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भू-राजस्व की राशि को व्यय करने के कारण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में कितनी वृद्धि हुई है।

(3) जागीरदारों की आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव Impact on Economic activities of Jagirdars - स्वतंत्रता के पूर्व भू-राजस्व जागीरदारों की आय का प्रमुख साधन था।

भूमि सुधार प्रक्रिया के अतर्गत जागीरदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया। इससे जागीरदारों का आर्थिक जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ। अनेक जागीरदार पहले से ही ऋणी थे। अत जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् वे और अधिक ऋणी हो गये। ये व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं पर अत्यधिक व्यय करते थे। जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के पश्चात् भी उन्होंने अपने खर्चों में मितव्ययता नहीं बरती। अत इनके ऋणों की मात्रा में निरतर वृद्धि होती रही। कुछ जागीरदारों ने कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया। अत उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। कुछ जागीरदार व्यावसायिक कार्यों में भी सलग्न हो गये। उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में ठीक हो गई लेकिन कुछ जागीरदारों का ऋण ग्रसता के कारण नैतिक व मानसिक दृष्टि से पतन हो गया। राज्य के कुछ क्षेत्रों में सुदृढ आर्थिक स्थिति वाले जागीरदारों अथवा उनके वशजों का आज भी प्रभुत्व बना हुआ है। कुछ जागीरदारों ने राजनीति में भाग लेना आरभ कर दिया। अत वे आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पहले की तुलना में अधिक सशक्त हो गये। ऐसे अनेक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कृषकों का अनेक तरीकों से शोषण करते है। व्यापक सर्वेक्षण करके इनकी दोषपूर्ण क्रियाओं पर प्रभावशाली ढग से नियत्रण स्थापित करना चाहिये। ऐसा करके ही कृषकों को पुरानी जागीरदारी व्यवस्था के चगुल से पूर्णत मुक्त किया जा सकता है।

(4) भूमि का असतोषजनक वितरण Unsatisfactory Distribution of land स्वतत्रता के पूर्व जमीदार एव जागीरदार स्वय को भूमि का मालिक मानते थे। भूमि सुधार कानूनों के अतर्गत काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिल गये। अत वैधानिक दृष्टि से काश्तकार भूमि के मालिक बन गये। जागीरदारों एव जमींदारों ने इस नवीन व्यवस्था का अत्यधिक विरोध किया और इसके विरूद्ध उन्होंने न्यायालय में शरण ली। अत लबे समय तक भूमि सुधारों को कानूनी बाधाओं के कारण लागू नहीं किया जा सका। इस अवधि में जमींदारों व जागीरदारों ने अपनी अधिकाश भूमि बेच दी उपहार में दे दी अथवा अन्य तरीकों से भूमि का हस्तान्तरण कर दिया। भूमि सुधार कानून लागू होने के पश्चात् भूमि उपजाऊ उन्होंने अपने पास रखी और शेष बजर एव कृषि योग्य भूमि सरकार को प्राप्त हुई। इस प्रकार भूमि सुधारों के अतर्गत किये गये भू वितरण से विभिन्न वर्गों में असतोष बढा। जमींदारों व जागीरदारों ने प्रत्येक स्थिति में लाभ उठाने का प्रयास किया। अत भू वितरण से काश्तकारों में असतोष की भावना बढ गई। वर्तमान कानूनों के अतर्गत अन्य वर्गों व्यापारियों अधिकारियों राजनीतिज्ञों आदि को भी खुदकाश्त के लिए भूमि का अधिकार प्रदान करती है। यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये और भू स्वामित्व का अधिकार वास्तविक कृषकों को ही दिया जाना चाहिये। वास्तविक कृषक से आशय उस व्यक्ति से होता है जो स्वय खेत जोतता है और प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य करता है। भूमि सुधार कानूनों के अतर्गत वितरित की गई भूमि का पुन एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये और विभिन्न अनियमितताओं एव समस्याओं का नियमों के अनुसार निवारण किया जाना चाहिये।

(5) क्रियाशील भूमि जोत (Operational Holding)- राजस्थान में कार्यशील जोतों का वितरण अत्यधिक असमान है। इस तथ्य की जानकारी निम्नलिखित तालिका से होती है

क्रियाशील भूमि जोत

विवरण	सीमान्त (1 हैक्टेयर से कम)	लघु (1 से 2 हेक्टेयर)	अर्द्ध मध्यम (2 से 4 हेक्टेयर)	मध्यम (4 से 10 हेक्टेयर)	वृहद (10 हैक्टेयर से ऊपर)	योग (हैक्टेयर)
1980-81						
जोतों की सख्या(हजार में)	1317	877	917	894	489	4487
क्रियाशील क्षेत्र(हजार हैक्टेयर)	633	1276	2620	5524	9884	19932
औसत आकार (हैक्टेयर में)	0 48	1 45	2 86	6 24	20 18	4 44
1985-86						
जोतों की सख्या(हजार में)	1357	920	978	986	500	4742
क्रियाशील क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)	641	1325	2791	6152	9679	20589
औसत आकार(हैक्टेयर में)	0 47	1 44	2 85	6 24	19 34	4 34
1990 91**						
जोतों की सख्या(हजार में)	1517	1019	1067	1017	493	5107
क्रियाशील क्षेत्र(हजार हैक्टेयर में)	725	1469	3021	6334	9422	20971
औसत आकार(हैक्टेयर में)	0 48	1 44	2 85	6 23	19 13	

* Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt. of Rajasthan & Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt of Raj
** Vital Agriculture Statistics, 1994 [illegible] Rajasthan

तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि

1 राज्य में कार्यशील जोतों का वितरण असमान है।

2 1980-81 से 1985-86 के मध्य 1 हैक्टेयर से कम की जोतों की संख्या में 3.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में क्रियाशील क्षेत्र में 1.31 प्रतिशत की वृद्धि हो गई लेकिन जोतों के औसत आकार में 2.08 प्रतिशत की कमी हो गई। 1991 में क्रियाशील क्षेत्र में वृद्धि हुई।

3 1-2, 2-4 व 4-10 हेक्टेयर तक की जोतों की संख्या व कार्यशील क्षेत्रफल में वृद्धि हुई लेकिन जोतों का औसत आकार नहीं बढ़ा।

4 10 हैक्टेयर से अधिक की जोतों की संख्या लगभग स्थिर रही लेकिन क्रियाशील क्षेत्र तथा औसत आकार में कमी हुई।

5 1980-81 व 1990-91 के मध्य जोतों की संख्या व क्रियाशील क्षेत्र में प्राय वृद्धि हुई लेकिन जोतों का औसत आकार कम हो गया।

6 फसल बटाई प्रथा द्वारा शोषण (Exploitation by Crop Sharing System) - राजस्थान में पर्याप्त भूमि सुधारों की व्यापक व्यवस्था के पश्चात् भी फसल बटाई प्रथा राज्य के प्राय सभी भागों में आज भी जारी है। राज्य सरकार ने समय-समय पर इस सबध में अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये है। इन स्पष्टीकरणों से ज्ञात होता है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियो (जैसे भू-स्वामी का बीमार होना तथा काश्तकार द्वारा अन्य काश्तकार से भूमि सबधी उपकरण व कच्चे माल प्राप्त करना आदि) के कारण फसल बटाई प्रथा पर रोक लगाना सर्दै- सम्भव नहीं है। सरकारी सर्वेक्षण से भी ज्ञात होता है कि राज्य मे फसल बटाई प्रथा जारी है। इस व्यवस्था के अतर्गत बटाईदार प्राय कुल उपज का 50 प्रतिशत लगान के रूप में देता है अत शोषण की प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए फसल बटाई प्रथा को समाप्त किया जाना आवश्यक है। मनमाने ढग से लगान वसूली पर कड़ी सजा की व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे भूमिहीन कृषकों की रक्षा की जा सकती है।

7. बेनामी हस्तातरण (Ficticious Transfers) - भूमि के समुचित वितरण हेतु सीलिंग कानून लागू किया गया लेकिन इस कानून की राज्य में अत्यधिक अवहेलना हुई। सीलिंग व्यवस्था लागू होने के पूर्व ही जमींदारों, जागीरदारों व बड़े भू-स्वामियों ने अपनी भूमि का बेनामी हस्तान्तरण कर दिया। यह कार्य व्यापक पैमाने पर किया गया था। अत राज्य सरकार को तुलनात्मक रूप से कम भूमि प्राप्त हुई। वास्तव में सरकार को बजर एव कृषि के अयोग्य भूमि ही अधिक मात्रा में प्राप्त हुई। भू-स्वामियों द्वारा ऐसी भूमि का मुआवजा उपजाऊ भूमि के बराबर प्राप्त कर लिया गया था। इससे भू-स्वामी लाभ में रहा लेकिन सरकार पर इसका अनावश्यक भार बढ गया। 3 नवम्बर 1969 को अनूपगढ में भूमि की नीलामी के द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से वृद्धि करना चाहती थी लेकिन कृषकों ने आदोलन प्रारभ कर दिया। ऐसी स्थितियो के कारण भूमि के वितरण में अनेक समस्याऐं उदित हुई। इस कार्य में अनेक अनियमितताएं भी बरती गई। इससे काश्तकारों को अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त हुआ। इन्हीं समस्याओं, बाधाओं व अनियमितताओं के कारण राज्य की कार्यशील जोतों में आज भी अत्यधिक असमानता देखने को मिलती है। सीलिंग नियमों में आवश्यक सुधार एव सशोधनों के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

8 भूमि के नवीनतम रिकॉर्ड उपलब्ध न होना (Non- Availability of New Land Records)- राज्य में भूमि के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था अत्यधिक प्राचीन एव दोषपूर्ण है। इस व्यवस्था मे भूमि सबधी नवीनतम तथ्यों की जानकारी नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार में हर रिकॉर्ड की एक लघु, नवीन एव वैज्ञानिक दृष्टि से श्रेष्ठ विधि को अपनाना चाहिये, ताकि आवश्यक तथ्यों की कभी भी जानकारी प्राप्त की जा सके।

9 प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव (Lack of Effective Implementation) - राजस्थान में भूमि सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया लबे समय तक जारी रहेगी। वास्तव मे भूमि सुधार सम्बन्धी विभिन्न कानूनों को प्रभावशाली ढग मे लागू नहीं किया जा सकता है। इसका एक कारण सरकारी निर्णयो को न्यायालय में चुनौती देना भी रहा है। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही एव भ्रष्टाचार के कारण भी भूमि सुधार सबधी विभिन्न कानूनों को समुचित रूप से लागू नहीं किया जा सका है। कुछ अधिनियमों मे अपूर्णता भी है। इन अपूर्णताओं का अनुचित लाभ प्राप्त किया गया और कानून से बचने हेतु उपाय अपनाये गये। भूमि सुधार कानूनों को प्रभावशाली ढग से लागू करने के लिए इन्हें अदालतों में चुनौती देने के अधिकार को पूर्णत समाप्त किया जाना चाहिये। भूमि सुधार कानूनों को अविलम्ब लागू किया जाना चाहिये। राज्य प्रशासन को अधिक कुशल बनाया जाना चाहिये। कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये तथा भ्रष्टाचार पर कठोर नियत्रण लगाया चाहिये।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
RAJASTHAN TENANCY ACT , 1955

भारतीय किसान सदियों से अज्ञान व अधविश्वास से ग्रसित रहा है। उसका दृष्टिकोण भी सदैव भाग्यवादी रहा है। अपने मालिक के आदेश को उसने कानून के रूप में स्वीकार किया और शोषण का शिकार होता रहा। समय के परिवर्तन के साथ-साथ उसे अपने अधिकार का ज्ञान हुआ और 'जो बोये उसकी जमीन' का नारा लोकप्रिय होने लगा। इस कारण से कानून बदलने लगे। 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955' उन्ही में से एक है। इस अधिनियम का उद्देश्य कृषि भूमि से सबधित कानूनों को एक जगह एकत्रित करना तथा उनमें सशोधन करना रहा है। यह अधिनियम 15 अक्टूबर, 1955 से सपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है। इसके अतर्गत भूमि सुधारों के सबध में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है -

प्रमुख परिभाषाए :

1 इस अधिनियम में अनेक महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है। 'कृषि' के अतर्गत पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन और उद्यान कार्य को सम्मिलित किया गया। 'कृषि वर्ष' 1 जुलाई से 30 जून तक माना गया। 'कृषक' अथवा 'काश्तकार' से आशय ऐसे व्यक्ति से लिया गया जो मुख्यत कृषि से अपना व आश्रितो का जीवन निर्वाह करता है। 'बिस्वेदार' ऐसे व्यक्ति को माना गया जिसे कोई गाव या उसका भाग बिस्वेदारी प्रथा के अनुसार दिया गया हो। भूमि के सदर्भ में 'सुधार' का अभिप्राय भूमि क्षेत्र में रहने के लिए बनाये गये मकान तथा पशुओं के बाडा, भण्डारगृह या कृषि कार्यो के लिए किये गये निर्माण से है। 'सुधार' से आशय ऐसे कार्य से भी लिया गया जिसे करने पर उसे भूमि के मूल्य में वृद्धि हो। इसमें बाध तालाब व कुओ आदि का निर्माण, भूमि को समतल करना, बाड बनाना आदि कार्य सम्मिलित है। 'जागीरदार' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी जागीर कानून के अतर्गत जागीरदार के रूप में मान्यता प्राप्त हो और 'जागीर भूमि' ऐसी भूमि कहलायगी जिसमें जागीरदार को भू-राजस्व या अन्य राजस्व के विषय में अधिकार प्राप्त हो। 'खुदकाश्त' से आशय भू सम्पधकारी द्वारा स्वय काश्त की गई भूमि से है।

2 इस अधिनियम के अतर्गत राजस्थान में किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये।

3 अधिनियम के अनुसार कृषकों को तीन भागों में विभक्त किया गया- खातेदार काश्तकार, खुदकाश्त के लिए काश्तकार एव गैर खातेदार काश्तकार।

4 काश्तकारों को रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए नि शुल्क भूमि आवटित करने का प्रावधान किया गया।

5 भू-स्वामियों से लीज पर भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था की गई।

6 बेगार व नजराने पर प्रतिबध लगा दिया गया।

7 खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि को भूमि बधक बैंक तथा सहकारी समिति के पास गिरवी रखने का अधिकार दिया गया।

8 काश्तकार को उसकी भूमि को भूमि बधक बैंक तथा सहकारी समिति के पास गिरवी रखने का अधिकार दिया गया।

9 अधिनियम के अनुसार खातेदार काश्तकार पाच वर्ष तक की अवधि के लिए भूमि को किराये पर दे सकते है।

10 लगान का भुगतान नकद रूप में करने की व्यवस्था की गई। लगान की राशि कुल उपज के 1/6 भाग से अधिक नही होनी चाहिये। लगान का भुगतान नहीं करने पर काश्तकार को भूमि से बेदखल करने की व्यवस्था की गई।

राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 को सपूर्ण राजस्थान में 15 अक्टूबर , 1955 से लागू कर दिया गया। लेकिन उसके पश्चात् इस अधिनियम मे तत्कालीन *आवश्यक्ताओं को दृष्टिगत रखते हुये अनेक सशोधन भी* किये गये।

अधिनियम की महत्वपूर्ण उपलब्धिया

यह अधिनियम राजस्थान के काश्तकारी कानूनों में समानता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। इसने राज्य के काश्तकारों के अधिकारों व दायित्वों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह इस अधिनियम की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि सपूर्ण राज्य में एक साथ ही अनेक काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इस व्यवस्था से राज्य के काश्तकार भूमि के मालिक बन गये। काश्तकारी अधिनियम, 1955 ने राज्य के काश्तकारों की अनेक अनुचित व्यवहारों से भी रक्षा की। अब भू-स्वामी काश्तकार को भूमि से बेदखल नहीं कर सकता।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 आर्थिक जोत का अर्थ बताईए।
Define economic holding
2. भू-जोत की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the different concept of land holding
3 भूमि-सुधार से आप क्या समझते है?
What so you mean by land reforms?
4 राजस्थान में भू जोतो पर सीमा निर्धारण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write short note on fixation of land ceilling in Rajasthan
5 राज्य में भूमि सुधारो की धीमी प्रगति के कारण बताइए।
Explain the causes for the show progress of land reforms in Rajasthan

B निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 राजस्थान में भूमि सुधार के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। इस दिशा में राज्य को कहाँ तक सफलता मिली है? समझाईए।
Expalin various efforts made for Land Reforms in Rajasthan How far the State succeded in this direction? Discuss
2. "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राज्य में भूमि सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" समीक्षा कीजिए।
"Rajasthan Tenancy Act, 1995 is the important step in the direction of land reforms in the state" Comment.
3 भूमि सुधार उपायों से आप क्या समझते है? स्वाधीनता के पश्चात् राजस्थान में भूमि सुधार नीति की आलोचना कीजिए।
What do you mean by Land Reforms ? Give a critical account of the land reforms programme in Rajasthan after independemce

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

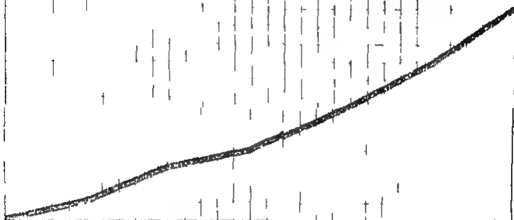
1 जागीरदारी उन्मूलन, राजस्थान काश्तकार अधिनियम तथा भू-जोतों पर सीमा निर्धारण पर टिप्पणियां लिखिए।
Write short noters on the following - Abolition of Jagirdary; Rajasthan Tenancy Act, Ceiling on land
2 स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान में किए गए भूमि सुधारो उपायो का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
Expl ain the criticslly the measures adopted for land reforms in Rajasthan after independence
3 निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए
(i) ग्राम आधार योजना। (ii) गोपाल योजना।
Write short note on the following
(i) Village base programme (ii) Gopal Yozana
4 कृषि जोत के सम्बन्ध में राजस्थान की स्थिति की विवेचना कीजिए।
Examine the positon of Rajasthan in respect of agriculture holdings
5 राजस्थान में भूमि सुधार की समस्या और उसको हल करने के लिए किए गए उपायों का वर्णन कीजिए।
Explain the problem of land reforms in Rajasthan and the measures adopted to solve these problems



अध्याय – 10

राजस्थान में पशु-पालन

ANIMAL HUSBANDRY IN RAJASTHAN



"राजस्थान का उल्लेख प्रागैतिहासिक समय से मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहाँ की संस्कृति सिन्धु घाटी सभ्यता जैसी थी।"

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में पशुओं की संख्या व पशु गणना 1997
- राजस्थान में पशुधन का जिलानुसार वितरण
- राजस्थान में पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु
- राजस्थान में पशुपालन के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम व सुविधाएं
- योजनाकाल में पशु पालन का विकास
- राजस्थान में शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशु सम्पदा का महत्व
- राजस्थान में कुक्कुट पालन
- राजस्थान में मत्स्य पालन
- अभ्यासार्थ प्रश्न

"भारत में बिना पशुओं के खेत जोते व बोये बिना पड़े रहते हैं, खलिहान खाद्यान्न के अभाव में खाली पड़े रहते हैं तथा एक शाकाहारी देश में इससे अधिक दुखदायी बात क्या हो सकती है कि यहाँ पशुओं के अभाव में घी, दूध आदि पौष्टिक पदार्थ भी मिलना कठिन हो जाता है। डार्लिंग की इन पंक्तियों से पशुपालन का महत्व स्पष्ट होता है। राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। पशुधन से तात्पर्य उन सभी पशुओं से लगाया जाता है जिनसे मनुष्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जीवन निर्वाह हेतु कुछ न कुछ वस्तुएं प्राप्त करता है। इस प्रकार इसमें सभी प्रकार के पशुओं को सम्मिलित कर लिया जाता है। राजस्थान में पशुपालन एक जीवनशैली बन गया है अतः पशुधन के सर्वांगीण विकास एवं विस्तार के लिए प्रयास करना एक अनिवार्यता हो गयी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी कहा गया है "पशुधन का विकास कृषि की सर्वांगीण प्रगति का एक आवश्यक अंग है। कृषि का पशुपालन के साथ उचित सामंजस्य अत्यन्त आवश्यक है।" रोजगार, परिवहन, अकाल, कृषि कार्य, पौष्टिक पदार्थों की उपलब्धता आदि के संदर्भ में पशुपालन राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राजस्थान में पशुओं की सख्या व पशुगणना, 1997
LIVESTOCK IN RAJASTHAN & LIVESTOCK CENSUS, 1997

राजस्थान में पशुओं की सख्या में 1951 से 1983 तक निरंतर वृद्धि हुई है। 1988 की पशुगणना से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में पशुओं की संख्या 87 लाख के लगभग कम हुई लेकिन 1992 में लगभग 69 लाख की वृद्धि हुई। 1997 में पशुओं की सख्या लगभग 66 लाख बढी। निम्न तालिका से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है

राजस्थान में पशुओं की संख्या

संख्या (लाख में) और कुल पशु संख्या का प्रतिशत (कोष्ठक में)

पशु	1951	1961	1972	1977	1983	1988	1992	1997
गाय	107 87	131.36	124 70	128 96	135 04	109 18	115 95	121 58
	(42.26)	(39.20)	(32 07)	(31 18)	(27.20)	(26 69)	(24 27)	(22 37)
भैंस	30 45	40 19	45 93	50 72	60 43	63 40	77 46	97 56
	(11 93)	(11 99)	(11 81)	(12.26)	(12 17)	(15 50)	(16 21)	(17 95)
भेड़	53 87	73.61	85 56	9 38	134.31	99 13	121 68	143 12
	(21 11)	(21 97)	(22 01)	(24 03)	(27 05)	(24 24)	(25 47)	(26 33)
बकरी	55 62	80 52	121 62	123 07	154 80	125 93	150 62	169 35
	(21 80)	(24 03)	(31 28)	(29 76)	(31 18)	(30 79)	(3* 52)	(31 16)
ऊंट	3 41	5 70	7 45	7 52	7 56	7.21	7 30	6.68
	(1 34)	(1 70)	(1 92)	(1 82)	(1 52)	(1 76)	(1 52)	(1 22)
अन्य	3.99	3 71	3 53	3 94	4 36	4 18	4 74	5 45
	(1 56)	(1 11)	(0 90)	(0 95)	(0 89)	(1.02)	(1 01)	(0 97)
योग	255.21	335 09	388.78	413 59	496 50	409 01	477 73	543 48
	(100 00)	(100 00)	(100 00)	(100 00)	(100 00)	(100 00)	(100 00)	(100 00)

स्रोत Board of Revenue for Rajasthan Livestock Census, 1997 & various Statistical Abstracts of Raj

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि -

(1) गाय एव बैलों की सख्या मे 1951 से निरंतर उतार-चढाव होता रहा है किन्तु 1988 की पशुगणना के आधार पर इनकी सख्या 1983 की तुलना में 26 लाख कम हुई है। 1951 में कुल पशुओं में इनका अनुपात 42 26 प्रतिशत था जो 1988 में घटकर 26 69 और 1992 में 24 27 और 1997 म 22 37 प्रतिशत रह गया।

(2) भैंसों (नर एव मादा) की सख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1951 की तुलना में इनकी सख्या दुगने से भी अधिक हो गई है जबकि इसी अवधि में गाय व बैलों की सख्या लगभग समान रही है। पशुओं की कुल सख्या में भैंसों का अनुपात 1951 में 11 93 प्रतिशत था जो 1988 में 15 50 प्रतिशत हो गया। 1992 व 1997 में इनकी सख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

(3) भेडों की सख्या में 1951 से 1983 तक निरन्तर वृद्धि हुई है किन्तु 1988 की पशुगणना के आधार पर 1983 की अपेक्षा लगभग 35 लाख भेडें कम रहीं। कुल पशुओं में भेडों का अनुपात लगभग स्थिर रहा है। 1951 में यह 21 11 प्रतिशत था जो 1988 में बढकर 24 24 प्रतिशत हो गया। 1992 व 1997 में भी भेडों की सख्या में लगभग 22 लाख की वृद्धि हुई।

(4) भेडों की भाति बकरियों की सख्या भी 1951 से 1983 तक निरन्तर बढी किन्तु 1988 में इसमें लगभग 29 लाख की कमी अंकित की गई। पशु-सम्पदा में बकरियों की सख्या का अनुपात 1951 के 21 80 प्रतिशत की तुलना में बढकर 30 79 प्रतिशत हो गया। 1992 में बकरियों की सख्या में लगभग 25 लाख और 1997 में लगभग 19 लाख बढोत्तरी हुई।

(5) ऊँटों की सख्या 1951 से 1972 तक निरतर बढी किन्तु उसके पश्चात् 1992 तक यह लगभग स्थिर बनी हुई है। कुल पशु-सख्या में इनका योगदान 1951 में 1 34 प्रतिशत था जो 1988 मे 1 76 प्रतिशत हो गया। 1992 व 1997 में घट कर यह क्रमश 1 52% व 1 22% रह गया।

(6) राजस्थान में पशुओं की कुल सख्या 1951 में 255 21 लाख थी जो निरन्तर बढते हुए 1983 तक 496 50 लाख हो गई। 1988 में यह गिरकर केवल 409 01 लाख रह गई। 1992 में पशुओं की सख्या बढकर 477 73 लाख हो गई। 1997 में यह सख्या 543 48 लाख थी।

(7) 1997 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल सख्या का 55 49 प्रतिशत से अधिक भेड व बकरियों का है।

राजस्थान में पशुधन का जिलानुसार वितरण

DISTRICTIWISE DISTRIBUTION OF LIVE STOCK IN RAJASTHAN

राजस्थान की पशु सम्पदा का जिलानुसार वितरण एक समान नहीं है और न ही सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के पशुओं का एकसा महत्व है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को अधिक महत्व देते हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पशुओं का जिलानुसार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है

- 1997 की पशुगणना के आधार पर बाड़मेर जिले में सर्वाधिक पशु है। दूसरा व तीसरा स्थान क्रमश नागौर व भीलवाड़ा जिलों का है। राजस्थान में सबसे कम पशु धौलपुर जिले में है।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक गाय-बैल उदयपुर जिले में है। दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः कोटा एव भीलवाड़ा एव चित्तौड़गढ़ जिलों का है। इनकी सबसे कम संख्या धौलपुर जिले में है।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान की सर्वाधिक भैंसे जयपुर जिले में एव सबसे कम जैसलमेर जिले में है।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान की सर्वाधिक भेड़ें जोधपुर जिले में तथा सबसे कम धौलपुर जिले में है।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान की सर्वाधिक बकरियाँ बाड़मेर जिले में है एव सबसे कम धौलपुर जिले में है।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर जिले में एव सबसे कम धौलपुर जिले में है।

स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997

राजस्थान में पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु

IMPORTANT ANIMALS IN RAJASTHAN

1 भैंस (Buffalo) - राजस्थान में दूध प्राप्ति के लिए भैंसे बहुतायत में पाली जाती है। राजस्थान में जो भैंस पाली जाती है उनकी मुख्यत चार नस्लें है मुर्रा, जाफराबादी नागपुरी और बदावरी। इनमें से मुर्रा एक महत्वपूर्ण नस्ल है। यह नस्ल दूध की दृष्टि से उपयुक्त मानी जाती है और लगभग सारे उत्तरी भारत में बहुतायत से देखी जा सकती है। जाफराबादी नस्ल, काठियावाड और जाफराबाद से सम्बन्धित होने के कारण जाफराबादी कहलाती है। इसे भी दूध के लिए पाला जाता है। नागपुरी नस्ल और बदावरी नस्ल भी दूध के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

भैंसो की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)

जिला	संख्या (लाख)
जयपुर	77
अलवर	76
भरतपुर	52

स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997

2. गाय (Cattle) - राजस्थान में गाय की मुख्य नस्लें साहीवाल, लालसिंधी, गिर, थारपरकर, मेवाती, नागौरी, मालवी आदि है। राजस्थान के जोधपुर एव जैसलमेर जिलों में थारपरकर नस्ल बहुतायत से पाई जाती है तो जोधपुर क्षेत्र की ओर नागौरी गाय अधिक मिलती है। मालवा के पठारी क्षेत्र में मालवी और राजस्थान को अलवर एव भरतपुर क्षेत्र में मेवाती नस्ल अधिक पाई जाती है। राजस्थान में गौ पालन का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन तो है ही साथ में कृषि कार्यों के लिए बैलो का प्रयोग करना भी है। राजस्थान में धीरे-धीरे देशी नस्लों के साथ-साथ विदेशी नस्लें भी पनपने लगी है। गौ-पालन की दृष्टि से भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, नागौर आदि प्रमुख है। विदेशी नस्लों में हॉलिस्टीन व जर्सी प्रमुख है।

गायों की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)

जिला	संख्या (लाख)
उदयपुर	97
भीलवाड़ा	69
चित्तौड़गढ़	75

स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997

राजस्थान में गौ वंश की प्रमुख नस्लें (Main Breeds of Cattles) निम्नलिखित है -

नागौरी (Nagauri) - मुख्यत नागौर जिले में प्राप्त होने वाले गाय व बैल, इसी जिले में वंश उत्पत्ति के कारण 'नागौरी नस्ल' के नाम से प्रसिद्ध है। इनका रंग सफेद या भूरा होता है। ये लंबे मुह तथा पतली लेकिन मजबूत टांगों वाले होते हैं। नागौरी बैल दौड़ने में तेज और कृषि कार्यों में उत्तम क्षमता एव मजबूती वाला है। इसके अद्वितीय गुणों तथा कार्यक्षमता के कारण इनकी मांग सम्पूर्ण देश में सर्वाधिक है लेकिन इस नस्ल की गायें अपेक्षाकृत कम दूध देती है। नागौरी नस्ल जोधपुर जिले के पूर्वी भाग, बीकानेर जिले की नोखा तहसील तथा जयपुर के निकट रूपनगढ़ तक फैली हुई है।

कांकरेज (Kankrej) - यह नस्ल भारवहन के साथ ही दुग्ध-उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस नस्ल के बैल अधिक बोझा ढोने, कठोर भूमि को जोतने तथा तीव्र गति के लिए प्रसिद्ध है। गाय सामान्यत 5 से 10 किलोग्राम दूध

प्रतिदिन देता है। इनके सींग मजबूत तथा काफी ऊंचाई तक खाल से ढके हुये होते है। भारत के केन्द्रीय तथा पश्चिमी भागों में यह नस्ल मुख्यत जालौर बाडमेर सिरोही तथा पाली जिलों में मिलती है।

थारपारकर(**Tharparkar**) - इस नस्ल के बैल भारवहन के अधिक उपयुक्त नहीं है। बैलों की तुलना में गायों की बहुत मांग रहती है। क्योंकि ये अच्छी मात्रा में दूध देती है। यह नस्ल पश्चिमी शुष्क प्रदेश विशेषत पूर्वी जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर बाडमेर तथा साचौर (जालौर) में ही मुख्यत पाई जाती है। जैसलमेर का मालाणी ग्राम इसका मूल उत्पत्ति स्थल होन के कारण यह नस्ल मालाणी नस्ल भी कहलाती है। इस नस्ल के मवेशी अपने प्रदेश की प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार शुष्क वनस्पति पर निर्भर करते है।

साचौरी (**Sanchori**) - कांकरेज नस्ल से मिलती-जुलती साचौरी नस्ल की गाय, बैल की तुलना मे अधिक प्रसिद्ध है परन्तु यह दूध कम देती है। यह नस्ल मुख्यत जालौर जिले की साचौर तहसील और उदयपुर पाली तथा सिरोही जिलों में मिलती है।

राठी (**Rathi**) - इस नस्ल के पशु श्रीगंगानगर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग जैसलमेर जिले के उत्तरी-पूर्वी भाग और बीकानेर जिले के पश्चिमी भाग में बहुतायत में है। राठी बैल कम भार ढो पाते है लेकिन राठी गाय आहार कम लेने तथा अधिक दूध देने के कारण अत्यन्त उपयोगी है। यह नस्ल साहिवाल और लालसिंधी नस्लों की मिश्रित जाति है।

हरियाणा (**Hariyana**) - इस नस्ल के पशुओं का गठन आकर्षक होता है। बैल परिश्रमी होने के कारण सिंचाई,जुताई तथा भारवहन के लिए उपयुक्त है। गाय भी औसत से अधिक दूध देता है। श्रीगंगानगर चुरू सीकर जयपुर टोंक तथा नागौर जिलों में हरियाणा नस्ल के पशु अधिक है

मालवी (**Malwi**) इस नस्ल के गाय व बैल मध्यम [illegible] और [illegible] है अत यह [illegible] धरती में जुताई और [illegible] के लिए [illegible] उपयुक्त है। इस नस्ल की [illegible] नस्ल के [illegible] मध्यप्रदेश से [illegible] है। [illegible] डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ जिले मालवा [illegible] के लिए प्रसिद्ध है

गीर (**Gir**) [illegible] अजमेर [illegible] से पुकारी जाने वाली [illegible] नस्ल अजमेर [illegible] पाली कोटा तथा उदयपुर

जिलों में पाई जाती है। मूलत यह गुजरात के गिर वन में पायी जाने वाली जाति है। इस नस्ल के बैल सुदृढ़ है परन्तु धीरे-धीरे काम करते है। गायें अधिक दुधारू है और प्रतिदिन 5 से 9 किलोग्राम तक दूध देती है।

मेवाती (**Mewati**) - इस नस्ल के बैल परिश्रमी होते है और गाये भी दुधारू होती है। मेवाती जाति के पशु मुख्यत भरतपुर और अलवर जिलों में मिलते है।

3 भेड़ (**Sheep**) - राजस्थान के अधिकांश ग्रामीण लोग कृषि की भांति पशुपालन पर भी निर्भर है और इसमें भेड़पालन का एक विशेष स्थान है। राजस्थान के पश्चिमी एव उत्तरी पश्चिमी भागों में तो भेड़पालन आजीविका का प्रमुख आधार है। राजस्थान में उपलब्ध भेड़ों की आठ मुख्य नस्लें है चौकला, मगरा, पूगल, नाली, मारवाड़ी, जैसलमेर मालपुरी एव सोनाड़ी। चौकला नस्ल मुख्य रूप से चुरू, झुन्झुनू व सीकर जिलों में तथा बीकानेर जयपुर एव नागौर जिलों की सीमाओं पर पाई जाती है। मगरा नस्ल बीकानेर जिले में तथा नागौर एव जैसलमेर जिलों की सीमाओं में पाई जाती है। पूगल नस्ल बीकानेर जिले के पश्चिमी भाग पूगल क्षेत्र, पश्चिमी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र एव जैसलमेर जिले के उत्तरी भाग में मिलती है। नाली नस्ल राजस्थान के उत्तरी-पूर्वी भागों में पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल बाड़मेर जोधपुर, जालौर, उदयपुर, भीलवाड़ा अजमेर, जयपुर एव नागौर जिलों में देखी जा सकती है। जैसलमेरी नस्ल जैसलमेर जिला तथा जोधपुर एव बाड़मेर की पश्चिमी सीमाओं पर बहुतायत से मिलती है। मालपुरा नस्ल जयपुर, टोंक सवाईमाधोपुर आदि जिलों में तथा इनके साथ लगे अजमेर, भीलवाड़ा एव बूंदी जिलों की सीमाओं पर मिलती है। सोनाड़ी नस्ल उदयपुर खण्ड में पाई जाती है। राजस्थान में भेड मुख्यत ऊन एव मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है।

भेड़ो की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)	
जिला	संख्या (लाख)
जयपुर	15 6
बाड़मेर	15 1
पाली	13 0

स्रोत Board of Revenue, Livestock Census 1997

4 बकरी (**Goats**) - राजस्थान में बकरीपालन मुख्यत [illegible] द्वारा दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। बकरी [illegible] एक [illegible] है। [illegible] प्रमुख नस्लें पाई जाती है उनमें [illegible] सभी जिलों में य बड़ी संख्या में पाई जाती

बकरी की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)	
जिला	संख्या (लाख)
बाड़मेर	186
जोधपुर	129
नागौर	108
स्रोत Board of Revenue, Livestock Census 1997	

5 ऊँट (Camel) - राजस्थान में ऊट मुख्यत आवागमन में सुविधा की दृष्टि से पाला जाता है, साथ ही इसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए भी बहुतायत से किया जाता है। सम्पूर्ण देश में ऊटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक ऊट है।

राजस्थान में जैसलमेर व निकट स्थित नाचना नामक स्थान का ऊट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस क्षेत्र का ऊट सुन्दर व लंबे समय तक तेज दौड़ने वाला होता है। यही कारण है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में सवारी के लिए इस नस्ल के ऊट का अधिक प्रयोग किया जाता है। फलौदी के पास गोमट नामक स्थान का ऊट भी सवारी के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त कैरू, बाल व गुडा आदि स्थानों के ऊट भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। जोधपुरी, बीकानेरी व जैसलमेरी ऊट अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इन ऊटों का प्रयोग मुख्यत बोझा ढोने के लिए किया जाता है।

ऊँट की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)	
जिला	संख्या (लाख)
बाड़मेर	11
चुरू	07
बीकानेर	06
स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997	

6 कुक्कुट (Poultry) - राजस्थान में मुर्गीपालन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। कृषकों को खाली समय में रोजगार प्रदान करने का यह एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। इस व्यवसाय ने शहरी क्षेत्र व लोगों का भी अपनी ओर आकर्षित किया है। मुर्गीपालन का मुख्य उद्देश्य अण्डा व मांस उत्पादन है। राजस्थान में अजमेर जिला अपनी जलवायु की उपयुक्तता के कारण मुर्गीपालन में प्रथम स्थान पर है।

कुक्कुट की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)	
जिला	संख्या (लाख)
अजमेर	14 9
उदयपुर	4 3
बांसवाड़ा	4 2
स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997	

राजस्थान में पशुपालन के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम व सुविधायें

VARIOUS PLANS , PROGRAMMES & FACILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY IN RAJASTHAN

1 एकीकृत पशुधन विकास योजना (Integrated Live stock Development Project) - आठवीं पंचवर्षीय योजना से यह योजना जयपुर एवं बीकानेर संभाग में लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गोपाल योजना की तरह पशुधन के स्वास्थ्य के अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान, बेकार पशुओं का बधियाकरण एवं अधिक चारे के लिए उन्नत चारा बीजों का वितरण सम्मिलित है। इस योजना में पशुओं के संतुलित आहार पर बल दिया जायेगा। अब तक जो विभिन्न योजनाएं कार्यरत थी वे प्राय पशु स्वास्थ्य को ही अधिक महत्व देती थी किन्तु यह योजना पशुओं के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक 2000 प्रजनन योग्य पशुओं पर सघन रूप से नस्ल सुधार का कार्य किया जायेगा। इस कार्य हेतु सभी प्रकार के आवश्यक उपकरण प्रदान किये जायेंगे। डेयरी एवं पशुपालन विभाग के समन्वित प्रयासों से यह एकीकृत पशु विकास योजना निर्मित कर क्रियान्वित की जा रही है। डेयरी फैडरेशन इस योजना के अधीन अपनी पुरानी डेयरी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करेगा और कुछ नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन करेगा। डेयरी द्वारा गोपाल योजना की भांति प्रजनन योग्य पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यत डेयरी एवं पशुपालन विभाग की साझेदारी से क्रियान्वित होगा।

2 देशी गौ नस्ल सुधार परियोजना (Indigenous Breed Development Project) - राजस्थान के प्रमुख गौ वंश में नागौरी, कांकरेज, थारपारकर, राठी आदि सुविख्यात नस्ल है। ये वंश मुख्यत राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रित है। यहां के पशुपालकों का जीवन सामान्यत इन्हीं पर निर्भर है इसलिए पशुपालन विभाग ने देशी गौ नस्ल सुधार परियोजना बनायी है। इस योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ नस्ल के सांडो के माध्यम से नस्ल सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम को जिस गांव में अपनाया जायेगा उसी गांव के शिक्षित ग्रामीण युवक का चयन करके, उसे कृत्रिम गर्भाधान एवं बधियाकरण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। चयनित ग्रामीण

युवक को 2000 प्रजनन योग्य पशुओं में यह सुविधा प्रदान करनी होगी। इस योजना के तहत बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर और अजमेर जिलों में गौ-वंश का विकास कार्य हाथ में लिया जायेगा।

3 ग्राम आधार योजना(Village Based Project) - ग्राम आधार योजना राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें पशुपालन के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास द्वारा पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाना है। ग्राम आधार योजना एक सघन योजना है जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित पांच बातों को सम्मिलित किया गया है -

a प्रजनन (Breeding) - उन्नत नस्ल के पशु विकसित करने के लिए वैज्ञानिक प्रजनन को मुख्य आधार बनाया गया है। इससे नस्ल सुधारने के साथ-साथ उत्पादन भी सुधारा जा सकता है। इस प्रकार का प्रयास 1966-67 से ही किया जा रहा है। आरंभ में यह राज्य के कुछ क्षेत्र में ही लागू किया गया था किंतु बाद में पूरे राजस्थान को इसके अन्तर्गत ले लिया गया। राजस्थान में प्रजनन कार्यक्रम को भली-भांति चलाने के लिये 1984 में एक प्रजनन नीति अनुमोदित की गई। यदि कोई अन्य संस्था इस प्रकार का प्रजनन कार्य करती है तो उसे भी इस नीति के अनुरूप कार्य करना होगा। राज्य में पशुओं की उन्नत नस्ल का विकास करने के लिए उन्नत नस्ल के नर पशु उपलब्ध करवाये गये। कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी प्रदान की गई। 1956 से ही कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम आरंभ हो गया था। इसके अंतर्गत अनेक कठिनाइयां थी। इनको दूर करने के लिए धीरे-धीरे प्रयास किये गये। इस प्रकार की चेष्टा की गई कि उन्नत नस्ल में किसी प्रकार की विकृति न आये अथवा वह बर्बाद न हो। 1979-80 से 1983-84 तक मरू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 11 जिलों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए 108 उपकेन्द्रों की स्थापना की गई। तत्पश्चात् 1983-84 से भारत सरकार के अनुदान द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना आरंभ की गई। इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़, राजसमन्द, उदयपुर, नागौर आदि जिलों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयास से वर्तमान में एक लाख से भी ज्यादा कृत्रिम गर्भाधान प्रतिवर्ष किये जा रहे है।

b संतुलित पशु आहार व्यवस्था एवं चारा उत्पादन (Balanced Diet & Fodder Production) - पशुओं में शारीरिक वृद्धि तथा उत्पादन में प्रजनन क्षमता को बनाये रखने के लिए संतुलित आहार अत्यन्त आवश्यक है। संतुलित आहार का आशय पशु को आवश्यकतानुसार प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल (खनिज) और विटामिन का नियमित रूप से व उचित मात्रा में मिलना है। सन् 1980-81 से ग्राम आधार योजना के अंतर्गत इसकी समस्त इकाइयों के माध्यम से बिना लाभ बिना हानि के आधार पर पशु आहार वितरित करने की व्यवस्था की गई। उन्नत किस्म का पौष्टिक चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चारा उत्पादन एवं संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गये। अच्छे बीजों के उत्पादन के लिए राजस्थान में छः बीज गुणनखण्ड लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में बीज उत्पादन का कार्य कर रहे है जिनसे 300 क्विंटल से भी अधिक बीज प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। ग्राम आधार योजना की इकाइयां इस बीज का वितरण करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रबी व खरीफ की फसलों के अनुसार पशुपालकों की भूमि पर उन्नत किस्म के चारा प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। इस हेतु निःशुल्क बीज वितरित किये जाते है जिससे फसलों के उत्पादन और उनकी उपयोगिता को पशुपालक स्वयं परख सके और भविष्य में उच्च उत्पादन के लिए प्रेरित हो सके। चारा उत्पादन अधिक से अधिक हो और उसकी उन्नत किस्में लगाई जायें। इस उद्देश्य से भारत सरकार भी 1979-80 से ¼ एकड़ क्षेत्र में निजी पशुपालकों के यहां प्रदर्शन लगाने हेतु योगदान दे रही है। इसमें निःशुल्क बीज वितरण व तकनीकी जानकारी दी जाती है। प्रतिवर्ष इस प्रकार के लगभग 2500 मिनीकिट लगाये जाते है। बीजों के परीक्षण एवं प्रमाणित होने के पश्चात् ही वितरित किया जाता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे वृक्ष लगाने पर भी बल दिया गया है जिससे पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध हो सके। इस कार्य के लिए वन विभाग के अतिरिक्त पशुपालन विभाग भी वृक्ष एवं बीज निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग एक लाख वृक्ष प्रतिवर्ष लगाये जाते है।

c उचित प्रबन्ध व्यवस्था (Management) - उन्नत प्रजाति के पशुओं को स्वस्थ रखना भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस हेतु संक्रामक रोगों के प्रकोप से बचाने के लिये पशुओं को समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीका लगाया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग दो लाख टीके लगाये जाते है। ऐसे पशु जो बेकार हो गये है उनका बध्याकरण कर दिया जाता है ताकि दूसरे पशुओं की नस्ल खराब न हो। प्रजनन योग्य पशुओं में से अनेक पशु रोगग्रस्त होने के कारण समय पर प्रजनन नहीं कर पाते। इस हेतु उन्हें चिकित्सा प्रदान कर प्रजनन योग्य बनाया जाता है। इस आशय से प्रत्येक ग्राम आधार योजना के अंतर्गत समय-समय पर शिविर आयोजित किये जाते है ताकि ग्रामीण पशुपालकों को उनके निवास के समीप ही यह सुविधा उपलब्ध हो सके।

पशुओं का दिन प्रतिदिन का होने वाली बीमारियों का भी पूरा ध्यान रखने का चेष्टा की जाती है। इन इकाइयों द्वारा लगभग एक लाख रोगी पशुओं का उपचार प्रतिवर्ष किया जाता है

d समुचित विपणन व्यवस्था (Marketing) इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारना भी है। यह तभी सम्भव है जबकि पशुपालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह चेष्टा की जाती है कि दूध के बिना मध्यस्थों के सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सके। यह चेष्टा की जाती है कि दूध का विक्रय दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से हो पशुओं के विक्रय के लिए पशु मेलों का आयोजन किया जाता है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता सीधे सम्पर्क कर सकें और यह क्रय-विक्रय उचित मूल्य पर सम्भव हो सके अब अनेक ग्राम पंचायत व पंचायत समितियां भी इस प्रकार के मेलों का आयोजन करने लगी है राज्य में 10 राज्यस्तरीय मेला में ढाई लाख पशु एकत्रित होते है। इन मेलों में पशुपालकों को प्रतिवर्ष 10 करोड रूपए के क्रय विक्रय का लाभ मिलता है

e शिक्षा एवं प्रसारण(Education & Extention) पशुपालकों को आधुनिक वैज्ञानिक रीति से परिचित रखने के लिए समय समय पर प्रदर्शनी शिविर एवं गोष्ठियां आयोजित की जाती है। इनके अतिरिक्त आकाशवाणी से वार्ता हैण्डबिल आदि के वितरण से ज्ञानवर्द्धन के प्रयास किये जाते है। दूरदर्शन से भी ग्राम आधार पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा प्रसारित की जाती है। विभिन्न राज्य स्तरीय पशु मेलों के अवसर पर स्थानीय नस्लों की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जो पशुपालकों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखिल राजस्थान गीर एवं सकर पशु प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है इसे प्रतिवर्ष पुष्कर मेले के अवसर पर आयोजित किया जाता है इस प्रदर्शनी से गीर वंश की उत्पत्ति उत्पादन शक्ति एवं नस्ल के संरक्षण का उद्देश्य पूरा होता है इस प्रदर्शन के परिणामस्वरूप अजमेर के गीर गौ वंश ने देश और विदेश में लोकप्रियता प्राप्त की है बहुत सी गीर पशुओं को विदेशों में विशेषकर ब्राजील में भेजा गया जहां इसकी सकर जाति इन्डु ब्राजील के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। सकर प्रजनन के प्रोत्साहन के लिए और अधिक प्रचार प्रसार के लिए सन् 1972 में अखिल राजस्थान स्तर की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताओं को गीर प्रदर्शनी के साथ जोड़ा गया इसके बहुत उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए और राज्यों में सकर नस्ल के पशुओं के प्रति भ्रम दूर हुआ सन् 19 4 65 से ही अखिल भारतीय प्रदर्शनियों में भाग लेकर पशुपालकों ने पशुओं का भजन का स्था ती है। इससे पशुपालकों को अन्य राज्यों में पशु विकास के प्रयत्न तकनीकी ज्ञान व अन्य राज्यों के पशुपालकों के विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलता है। राजस्थान में अखिल भारतीय पशु प्रतियोगिता 1957 में नागौर में 1973 में जयपुर में तथा 1981 में भरतपुर में आयोजित की गई थी। उन्नत किस्म के पशुओं का प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है एवं विभिन्न नस्ल के अनुसार अधिकतम दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं को पुरस्कृत किया जाता है। पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन सबंधी ज्ञान नवीनतम तकनीक की जानकारी उनके विचारों को जानने व उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समय समय पर शिविर एवं गोष्ठी का आयोजन किया जाता है ग्राम आधार योजना इकाइयां आयोजित की जाती है इस कार्यक्रम में सबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीक का ज्ञान कराने के लिए 1963 64 में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र पर पशु चिकित्सकों को एक माह व पशुधन सहायक को 45 दिन का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार ने पशुपालकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने की चेष्टा की है पशुओं की नस्ल एवं उत्पादन शक्ति में वृद्धि के साथ साथ पशुपालकों की आर्थिक स्थिति ता सुधरी ही है ग्रामीण विकास को भी बल मिला है

4 गोपाल योजना (Gopal Yojna) राज्य में श्वेत क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण और उपयोगी मानते हुये राज्य सरकार द्वारा यह योजना बनाई गई इसके अंतर्गत गाय व पशुओं को उन्नत करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों का सहयोग लिया जाता है राज्य सरकार ने पशुधन के विकास एवं उसके संवर्द्धन के लिए 1989 90 में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में यह योजना लागू की इस योजना के अंतर्गत चयन समिति द्वारा चयनित जिलों के शिक्षित युवकों जिनकी आयु 20 से 25 वर्ष मध्य है को प्रशिक्षित करके पशुधन विकास में भागीदार बनाया गया है इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति युवकों को चयन में प्राथमिकता दी गई है।

a उद्देश्य (Object) गोपाल योजना का प्रमुख उद्देश्य पशुनस्ल के सुधार द्वारा पशुपालकों के आर्थिक स्तर को उन्नत करना है ऐसा अनुभव किया जाता है कि इस योजना के माध्यम से किसान अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करके आर्थिक रूप से अधिक सम्पन्न बन सकेंगे इस

लोगों को नस्ल सुधार के लिए पर्याप्त कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। अत पशुपालन विभाग इस रेगिस्तानी क्षेत्र में विशेषत जैसलमेर, बाडमेर और बीकानेर जिले में पशुपालकों को नस्ल सुधार के लिए उन्नत नस्ल के साण्ड उपलब्ध कराता है।

6 सूअर विकास कार्यक्रम (Pig Development Project) - पशुपालन विभाग ने कमजोर आय वर्ग के परिवारो को उन्नत नस्ल के विदेशी सूअर अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से आरभ की है। अलवर एव भरतपुर जिले में सूअर पालकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से अलवर में एक सूअर विकास फार्म भी स्थापित किया गया है। इस फार्म में विदेशी नस्ल के सफेद सूअरो का आधुनिक तरीके से पालन-पोषण करके उन्हे निजी सूअरपालकों को वितरित किया जाता है। राजस्थान में प्रयोग के तौर पर अलवर व भरतपुर में प्रारभ की गई। इस योजना के अतर्गत 924 निर्धन परिवारों को बैक से ऋण अनुदान दिलाकर विदेशी नस्ल की सूअर इकाइया वितरित की गई।

7 बकरी विकास परियोजना (Goat Development Project) - बकरीपालन से आर्थिक स्रोतो का विकास करना और बकरीपालक परिवारों को कुपोषण से बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने स्विट्जरलैण्ड सरकार के सहयोग से राज्य में बकरी विकास एव चारा उत्पादन परियोजना आरभ की है। अजमेर जिले के रामसर गाव में इस परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। स्विट्जरलैण्ड से अल्पाईन एव टोगन किस्म की उन्नत नस्ल को राजस्थान की सिरोही नस्ल से मिलाकर उन्नत बकरे-बकरियो का उत्पादन कर बकरीपालकों को दिया जा रहा है परियोजना के प्रथम चरण मे यह कार्यक्रम अजमेर भीलवाडा एव सिरोही जिलो में आरभ किया गया है।

8 अश्व विकास कार्यक्रम (Horse Development Project) - भारत मे मालानी और काठियावाडी नस्ल के घोडे सर्वाधिक लोकप्रिय है। इनमें से मालानी नस्ल के घोडे बाडमेर जिले की सिवाना तहसील में पाये जाते है। ये शारीरिक दृष्टि से सुडौल व ताकतवर होते है। राजस्थान का पशुपालन विभाग विभिन्न क्षेत्रों में जहा घोडों का आधिक्य है अच्छी नस्ल के घोडे उपलब्ध कराने की चेष्टा कर रहा है ताकि उन्नत नस्ल के ह्रास को रोका जा सके। विभाग द्वारा इस सदर्भ में विभिन्न पशु चिकित्सालयों मे सुविधाये प्रदान की जा रही है अभी तक उदयपुर पॉलिक्लिनिक तथा झालावाड जालौर तथा पाली स्थित पशु चिकित्सालयों को मालानी नस्ल के घोडे उपलब्ध कराये गये है। यही सुविधा गुडामालानी (बाडमेर), जयपुर पॉलिक्लिनिक, बिलाड (जोधपुर) तथा बाली (पाली) पशु चिकित्सालय को उपलब्ध कराई गई है। इनसे सबधित रोगों के उन्मूलन और स्वास्थ्य के परीक्षण का कार्य भी किया जाता है।

9 ऊँट विकास कार्यक्रम (Camel Development Project) - भारत के कुल ऊँटों का 70 प्रतिशत राजस्थान में है। यहा ऊँटों की दो मुख्य नस्लें है जैसलमेरी और बीकानेरी। बीकानेरी नस्ल के ऊट भार वहन करने की दृष्टि से उपयुक्त माने जाते है और जैसलमेरी ऊट तेज रफ्तार के लिये विख्यात है। ऊँटो में आमतौर पर रोग कम होते है। इनमें मुख्यत सर्रा रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने सर्रा नियत्रण इकाइया स्थापित की है। इस सदर्भ मे पशुपालको को भी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। ऊँटों का प्रजनन कार्य शीत ऋतु में नवम्बर से फरवरी तक होता है। ऊँटो की उन्नत नस्ल को विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसधान परिषद् द्वारा बीकानेर के समीप जोहड बीड में ऊट प्रजनन कार्य सचालित किया जा रहा है।

10 खाद्य एव चारा विकास योजना (Food & Fodder Development Project) - नस्ल सुधार के साथ साथ पौष्टिक आहार पर भी विशेष बल दिया जाना आवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुये पशुपालन विभाग द्वारा 1959 से खाद्य एव चारा विकास योजना चलायी जा रही है। इस योजना के द्वारा पशुओं के लिए पौष्टिक एव सतुलित आहार और चारा उत्पादन की नवीनतम तथा उपयोगी जानकारी पशुपालको को दी जाती है। माग के अनुसार उन्नत किस्म के प्रमाणित चारा बीज खरीद कर खरीद मूल्य पर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। राजस्थान में उन्नत चारे के बीजों की कमी की पूर्ति के लिए 1990-91 में इदिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र मे एक वृहद् चारा बीज उत्पादन फार्म की स्थापना ग्राम मोहनगढ (जैसलमेर) में की गई है और 100 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध करायी गई है। पशु प्रजनन केन्द्रो एव गौशालाओं के माध्यम से उन्नत चारा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। चारा प्रदर्शन योजना के अतर्गत मिनिकिट्स भारत सरकार तथा क्षेत्रीय चारा उत्पादन एव प्रदर्शन केन्द्र सूरतगढ से भी प्राप्त होते है। इनसे प्राप्त बीज पशुपालकों को नि शुल्क वितरित किये जाते है अच्छे उपलब्ध चारे की गुणवत्ता बढाने के लिए उस उपचारित करने के प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते है।

व्यवस्था की है। पशुपालन विभाग में कार्य कर रहे पशु चिकित्सकों को देश तथा विदेश में प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिए 1 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक कम्प्यूटर की व्यवस्था की जा रही है। सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों को आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजनाकाल में पशुपालन का विकास
DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY IN PLANS

1 पहली योजना से छठी योजना तक पशुधन का विकास (Development of Animal Husbandry from First to Sixth Plans) - पहली से छठी पंचवर्षीय योजनाओं तक राजस्थान में पशु विकास संबंधी अनेक आधारभूत एवं विकासात्मक कार्य सम्पन्न किए गये। इस अवधि में नस्ल सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। गाय व बैलों की नस्लें उन्नत करने हेतु राज्य के अनेक भागों में गौ-शालाएं स्थापित की गईं। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में मेवात, हरियाणा और नागौरी नस्लों के विकास हेतु नागौर, बस्सी और अलवर में शाखाओं की स्थापना की गई। कुम्हेर संवर्द्धन फार्म में हरियाणा नस्ल विकसित की जाती है। 1964 में जैसलमेर जिले के चांदन ग्राम में बुलमदर फॉर्म की स्थापना की गई। इस फॉर्म में थारपारकर नस्ल के सांड तैयार किये जाते है। नस्ल सुधार कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से बुलमदर फॉर्म को मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर को सौंप दिया गया है। नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत रामसर व चन्दनवेल (जैसलमेर) मे शाखाओं की स्थापना की गई है। सांड विकास के लिए शहर में गौवत्स परिपालन केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र द्वारा तैयार किये [illegible] सांड पंचायतों को वितरित कर दिए जाते है।

इस अवधि में पशुधन की बीमारियों से रक्षा एवं रोकथाम के अनेक प्रयास किये गये। राज्य के विभिन्न भागों में चिकित्सालयों, चल चिकित्सालयों एवं चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की गई। रिन्डर पेस्ट के नियन्त्रण हेतु केन्द्रों की स्थापना की गई। इसके अलावा पंचायत समितियों द्वारा भी पशु चिकित्सालयों का संचालन किया जाता है। द्वितीय योजना में जयपुर व बीकानेर में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की गई। जोधपुर में ऊन व भेड प्रशिक्षण स्कूल प्रारंभ किया गया। सूरतगढ व बीकानेर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा भेड अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया। इससे पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। विदेशी नस्ल के सांण्डों के उपयोग में वृद्धि हुई लेकिन भारतीय परिस्थितियों में इनका पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सुमेरपुर, रायसिंह नगर, ब्यावर, किशनगढ-बास, झालावाड, केकडी, बस्सी, अलवर व नागौर आदि में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना की गई। द्वितीय व तृतीय योजनाओं में भी कुछ केन्द्र, उपकेन्द्र व विशिष्ट इकाइयों की स्थापना की गई। चतुर्थ योजना से छठी योजना के मध्य पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। 1959 में चारा विकास की एक विशिष्ट योजना निर्मित की गई जिसके अंतर्गत चारे की विशेष फसलें उत्पन्न करने पर जोर दिया गया। इससे राज्य में चारे के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई।

2 सातवीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन का विकास (Animal Husbandry Development in Seventh Plan) - सातवीं योजना में विभिन्न पशुओं की नस्ल सुधार, पशुओं के चारे की व्यवस्था तथा देशी पशुओं के सुधार पर बल दिया गया। इस योजना में पशुपालन विकास हेतु 31 82 करोड रूपए का प्रावधान किया गया था जबकि योजनाकाल में वास्तविक व्यय 37 62 करोड रुपए हुआ। लक्ष्य से अधिक व्यय का प्रमुख कारण केन्द्र सरकार द्वारा कुछ पशुपालन कार्यक्रमों का हस्तांतरण था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन पर किये गये वास्तविक व्यय में पशुपालन पर 2180 30 लाख रुपए, विश्वविद्यालय पर 101 05 लाख रुपए, भेड व ऊन पर 234 64 लाख रुपए, मत्स्य पर 295 12 लाख रुपए व डेयरी विकास पर 915 00 लाख रुपए व्यय किये गये।

3 आठवीं पंचवर्षीय योजना (Animal Husbandry in Eighth plan) - आठवीं योजना में पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादकता में तेजी से वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया [illegible] सुधार कार्यक्रम मुख्यतः पर्याप्त चारे की उपलब्धता [illegible] उन क्षेत्र में नस्ल सुधार पर अधिक बल दिया गया जहां चारे का [illegible] उत्पादन [illegible] सकता है। पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम [illegible] लागू [illegible] निर्धारण किया गया। पशु टीका व्यवस्था का व्यापक पैमाने पर लागू किया गया पशुपालन संबंधी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने तथा आवश्यकतानुसार उसका विस्तार करने का निश्चय किया गया। पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम तथा पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के द्वारा पशुओं की श्रेष्ठ किस्में विकसित करने की चेष्टा की गई। चरागाहों का विकास करने, चारे के उन्नत बीजों का उत्पादन बढाने तथा एकीकृत कृषि व्यवस्था का प्रचलन बढाया गया। मुर्गी पालन का तेजी से विस्तार किया गया ताकि

लोगो को रोजगार की प्राप्ति हो सके। योजनाकाल में पशु विकास हेतु 8500 लाख रुपए व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

4 नवी योजना में पशुपालन (Animal Husbandry in Ninth plan) - पशु नस्ल सुधार पशु आहार और पशु प्रबंध मे आधुनिकतम वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुये पशुओं की किस्म को सुधार कर पशु उत्पादकता मे वृद्धि करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। नवी योजना में पशुपालन पर 12429 92 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशु-सम्पदा का महत्व

IMPORTANCE OF ANIMAL HUSBADRY IN ARID AND SEMI ARID REGIONS

राजस्थान में पशुओं का कृषि परिवहन व पशु उत्पाद की दृष्टि से विशेष महत्व है। राजस्थान का एक बहुत बडा भू-भाग शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रो के अन्तर्गत आता है। ऐसे स्थानों पर तो पशुपालन का महत्व और भी बढ गया है। इन क्षेत्रों में पशु पालन के महत्व का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है।

1 रोजगार (Employment) - राजस्थान में शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में लोग मुर्गीपालन दुग्ध व्यवसाय, चमडा उद्योग आदि मे लगे है। परिवहन के साधन के रूप मे भी पशुओं का प्रयोग कर रोजगार प्राप्त किया जाता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रो म जहा कृषि के लिए अत्यन्त विषम परिस्थितियो तथा अर्द्धशुष्क क्षेत्रों मे कृषि उपज लेना अन्य क्षेत्रो की अपेक्षा कठिन है उन क्षेत्रों में पशुपालन द्वारा लोगों को रोजगार मिला है।

2 परिवहन (Transport) - राजस्थान के शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में ऊंट परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त बैल भी बडी मात्रा मे प्रयुक्त होते है। मुख्यत ऊँटो का प्रयोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने पर बहुतायत से होता है। ऊटो का अकेले और ऊटगाडियों के अंतर्गत परिवहन के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है।

3 अकाल एव कम वर्षा (Famines & Draughts)- राजस्थान के शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रो मे अकाल एव सूखे की स्थिति प्राय बनी रहती है। वर्षा कम होने से अकाल व सूखे की स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में अच्छी फसलें लेना सभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में प्राय पशु ही इनके जीवन का आधार बनते है। ऐसे क्षेत्र जहा पर अकाल एव सूखे की स्थिति होना है तथा वनस्पति प्राय नहीं के बराबर पाई जाती है उन क्षेत्रों में भेड व बकरियों का विशेष महत्व हो जाता है। भेड एव बकरियाँ अत्यन्त बारीक घास तथा विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में भी स्वस्थ रह सकती है और अपने पालकों को पर्याप्त सर्वोत्तम लाभ दे सकती है। जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की परिस्थितियों पाई जाती है, उन्हीं क्षेत्रों में ऊन की किस्म सर्वोत्तम होती है। ऐसे क्षेत्र जिनमें पर्याप्त वर्षा होती है और जो हरे-भरे होते है, वहा ऊन की किस्म निम्न कोटि की होती है। इस प्रकार शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशुओं ने मनुष्य को जीवित रहने का आधार प्रदान किया है। यही कारण है कि राजस्थान के शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में अन्य पशुओं की अपेक्षा भेड एव बकरिया अधिक मात्रा में पाले जाते है। राजस्थान के शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा के उपलब्ध आकडो से स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों मे कृषि की अपेक्षा पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण है।

राजस्थान के शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों मे वर्षा प्राय सामान्य से कम होती है। कम वर्षा के कारण फसलें प्रतिकूल रूप से कम होती है। कम वर्षा के कारण फसलें प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में पशुपालन एक महत्वपूर्ण विकल्प बन जाता है।

4 कृषि कार्य (Agricultural work) - राजस्थान के शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में ही नहीं वरन् सपूर्ण प्रदेश में पशु कृषि कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देते है। राजस्थान में पशु भूमि को जोतने कुए से पानी निकालने फसले पकने पर अनाज निकालने तथा कृषि फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में इनका बहुतायत से काम आते है। इन पशुओं के कारण ही किसानो को अधिक मशीनो एव उपकरणो की आवश्यकता नहीं रहती। ये पशु निरतर कार्य करते रहते है। इस कारण मशीनों के रखरखाव में आने वाली समस्याओं से किसान बचा रहता है। इन पशुओ का गोबर कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण आदान होता है इस खाद को अन्य रासायनिक खादों की अपेक्षा उत्तम माना जाता है। पशुओं के गोबर के अतिरिक्त उनकी हड्डिया व खून आदि भी खाद का कार्य करती है। इन पशुओं से प्राप्त खाद का प्रयोग करने मे सिचाई की आवश्यकता रासायनिक पदार्थों खादों की अपेक्षा कम होती है। यह खाद भूमि की उर्वरता को भी बनाये रखती है।

5 पौष्टिक पदार्थ (Nutrition) - राजस्थान के अधिकाश लोग शाकाहारी होते है। इस कारण पशुओं से प्राप्त होने वाले पौष्टिक पदार्थ जैसे - दूध, दही, घी आदि का महत्व बढ जाता है। शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में जहा जीवन की परिस्थितिया विषम है, वहा इन पौष्टिक पदार्थों का महत्व अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। ये पौष्टिक पदार्थ मनुष्य को सतुलित आहार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रो मे जहा अधिकाशत मोटे अनाज का प्रयोग किया जाता है उन क्षेत्रों के लिये पशु उत्पाद प्रोटीन के अच्छे

स्रोत सिद्ध हुए है। खाद्यान्नों के अभाव की स्थिति में पशुओं से प्राप्त अनेक पदार्थ जैसे दूध, मास व अण्डे आदि खाद्यान्नों के विकल्प का कार्य कर सकते है। इस प्रकार राजस्थान के लोगों को स्वस्थ बनाये रखने में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

चमडा, खाल व ऊन आदि (Hides Skin & Wool) - राजस्थान में पशुओं की एक विशाल सख्या विद्यमान है। साथ ही राजस्थान के शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में भी बहुत बडी सख्या में विभिन्न प्रकार के पशु पाये जाते है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पशुओं के आकडे पहले दिये जा चुके है। सपूर्ण राजस्थान में विभिन्न पशुओं की स्थिति के आधार पर ही इनसे प्राप्त पदार्थों का आभास मिल सकता है, उसकी समीक्षा की जा सकती है।

राजस्थान में लगभग 5 43 करोड पशु है। इन पशुओं से बडी मात्रा में चमडा, खाल एव ऊन प्राप्त होते है जिनसे अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुए बनाई जा सकती है। इस कार्य से जहा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है वहा विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इसके माध्यम से चमडा उद्योग पनपता है। चमडे एव खालों के जूते, पानी खींचने के चरस, दस्ताने, रस्से, थैले अटेची, कोट आदि अनेक प्रकार की वस्तुए बनाना सभव है। ऊन से दुशाले, कबल स्वेटर गर्म कपडे आदि बनाये जाते है। पशुओं से प्राप्त सींग व बालों का भी प्रयोग किया जाता है। इनके बाल ब्रुश आदि बनाने के काम आते है तो इनके सींग व हड्डिया बटन खाद, कघे खेल का सामान आदि बनाने में प्रयुक्त होते है। इस प्रकार पशु जहा शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है वहीं स्थिति सपूर्ण राजस्थान के लिए भी है

राजस्थान में पशु पालन की समस्याएं तथा सुझाव

PROBLEMS & SUGGESTIONS ABOUT ANIMAL HUSBANDRY IN RAJASTHAN

राजस्थान में यहा की कुल जनसख्या के लगभग बराबर ही पशुओं की सख्या है। यह स्थिति सरकार का पशुपालन के विकास के लिए प्रेरित करने के लिये पर्याप्त है। इस सदर्भ में सरकार ने अनेक प्रयास किय है। किन्तु फिर भी राजस्थान में पशुओं की विभिन्न समस्याए विद्यमान है। इनमें से प्रमुख समस्याए निम्नलिखित है

1 अनार्थिक पशु (Uneconomic Live Stock) - राजस्थान के अधिकाश पशुओं की उत्पादकता इतनी कम है कि वे अपने मालिकों पर बोझ बन जाते है। इस प्रकार के अनार्थिक पशुओं के कारण पशुपालन व्यवसाय को भी धक्का पहुचता है। राजस्थान सरकार ने सकर नस्लों का विकास करके इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है। राजस्थान में सकर नस्लों के पशुओं की सख्या मुख्यत गायों से बढी है।

2 अपर्याप्त चरागाह (Lack of Grazing Lands) - राजस्थान का एक बहुत बडा भाग रेगिस्तानी है। इसके पश्चात्, काफी अधिक क्षेत्र में कृषि की जाती है। इस कारण ऐसे चरागाहों का अभाव है जो पूरे वर्ष भर चरागाह का काम दे सके। पर्याप्त चरागाह न होने के कारण पशु अस्वस्थ रहते है। सरकार को चाहिये कि वह उन वन क्षेत्रों में, जहा वृक्ष पर्याप्त रूप से पनप चुके है तथा उन क्षेत्रों में जहा पशुओं से अधिक हानि होने की सभावना नहीं है, चरागाहों के लिए भूमि उपलब्ध कराये।

3 अपर्याप्त पोषाहार (Lack of Nutrient Food) - पशुओं को उचित पोषाहार उपलब्ध नहीं होता। उन्हें बहुत कम चारा उपलब्ध करवाया जाता है तथा चारे के साथ बाटा तथा पर्याप्त खनिज नहीं दिये जाते है। वर्षा काल को छोडकर प्राय उन्हें हरा चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाता। इन सब कारणों से दूध का उत्पादन कम हो जाता है। इन दोषों को दूर करने के लिए सरकार को पर्याप्त चारे की व्यवस्था करनी चाहिये तथा घास के अच्छे मैदान उपलब्ध कराये जाने चाहिये। हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए पशुपालकों को अपने चारे का उपचारित करने की विधि में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

4 मिश्रित फसलें (Mixed Cropping) - कृषक अपनी स्वय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये फसलों का चयन करता है। इस सदर्भ में वह पशुओं की आवश्यकताओं पर प्राय ध्यान नहीं देता। उनके लिए कुछ चारा प्राप्त करने के लिए अपनी फसलों में ही कुछ और फसलों का मिश्रण कर लेता है। इस कारण उसे उत्पादन कम मिलता है और पशुओं के लिये चारा कम उपलब्ध होता है। इन फसलों के बीच-बीच में कुछ जहरीले पौधे भी उग आते है जो कि फसल के साथ ही कट जाते है। इनको खाने से पशुओं का हानि पहुचती है। अनेक बार अज्ञानवश कुछ ऐसे पौधे पशुओं को खिला दिये जाते है जो उन्हें फसल की प्रारंभिक अवधि में नहीं खिलाने चाहियें। उदाहरण के लिये - छोटी अवस्था में ज्वार के पौधे खिलाना पशुओं के लिये घातक सिद्ध हो सकता है और यहा तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सरकार को चाहिए कि वह मिश्रित फसलों की उचित रूप रेखा कृषक के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे एक ओर तो उसकी आवश्यकता पूरी होगी और दूसरी ओर पशुओं को पर्याप्त

पौष्टिक चारा उपलब्ध हो सकेगा।

5 पशु स्वास्थ्य (Animal Health) राजस्थान में पशु सामान्यत अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं अधिकाश पशु असतुलित भोजन के कारण अस्वस्थ हो जाते हैं असतुलित पोषण के कारण कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सतुलन नहीं बना रह पाता इस कारण पशुओं के खून म कीटोस नामक पदार्थ की मात्रा बढ जाती है और वह बीमारी म ग्रसित हो जाता है इसी प्रकार केवल सूखा चारा खाते रहने से भी वह स्वस्थ नहीं रह पाता पशु को प्राय खुला छोड दिया जाता है और वे अनेक प्रकार की अवाछित वस्तुओं को खा कर रोगग्रस्त हो जाते हैं इन सब समस्याओं का समाधान पशुपालकों म जागृति उत्पन्न करके एव उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर किया जा सकता है

6 वैज्ञानिक प्रबन्ध का अभाव (Lack of Scient fic Management) राजस्थान म पशुपालक पशुओं को पालते समय व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते इसका कारण है कि उन्हें पशुओं से सबधित पूर्ण विवरण ज्ञात नहीं होता पशुओं से आय प्राप्त करने के लिए कितनी लागत आती है इसका भी उन्हें पूरा आभास नहीं होता वे अनुत्पादक पशुओं को भी निरन्तर अपने पास रखते हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण पूर्णत व्यावसायिक नहीं होता वैज्ञानिक प्रबध के अभाव म अपव्यय अधिक होता है और आय कम हो जाती है पशुपालकों में इस सदर्भ में रुचि उत्पन्न करने के लिए पशुपालन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को पशुपालकों से व्यक्तिगत सपर्क करना चाहिये

7 निर्धनता एव अशिक्षा (Poverty & Illiteracy) राजस्थान में ही नहीं बल्कि सपूर्ण भारत म पशुपालक आर्थिक दृष्टि से निर्धन [illegible] इस कारण वह इस क्षेत्र म होने वाले परिवर्तनों से स्वय को अवगत बनाये नहीं रख पाता और [illegible] के कारण उसे पशुओं की [illegible] के बारे में जानकारी नहीं मिलती पशुओं के रख रखाव की वैज्ञानिक विधियों से उसका परिचय नहीं होता वह गरीबी [illegible] पौष्टिक [illegible] पाता इस प्रकार की परिस्थितिया [illegible] सरकार को चाहिये कि वह पशुपालकों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे साथ ही [illegible] पशुपालकों को अपने स्तर पर वस्तुस्थिति म अ[illegible] न करवायें

8 सरकारी कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ न मिलना (Lack of full use of Govt Programme) सरकार पशुपालन के सदर्भ म [illegible] एव अनुसधान कार्य करवाता है [illegible] बहुत [illegible] समय तक पशुपालकों तक नहीं पहुच पाते इसी प्रकार सरकार पशुपालकों के लिए पशुपालन विकास हेतु जो योजनाए बनाती है उनकी जानकारी भी पशुपालकों को नहीं होती कुछ जागरूक पशुपालक ही इन योजनाओं का लाभ उठाते रहते हैं जबकि एक बहुत बडी सख्या इन सुविधाओं से वचित रहती है। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार को अपने कार्यक्रमों का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना चाहिये

9 सहकारिता का अपर्याप्त विकास (Under Development Co operataives) राजस्थान में पशुपालन के क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका अत्यन्त सीमित रही है यदि दूध के विक्रय को छोड दिया जाये तो सहकारिता की भूमिका नगण्य सी हो जाती है सामूहिक रूप से आर्थिक आधार पर एव वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के लिये सहकारिता को नहीं अपनाया गया इस समस्या का समाधान पशुपालकों [illegible] सहकारिता [illegible] जागरूक किया जा [illegible] कार्य सरकार और स्वयसेवी सस्थाओं द्वारा हाथ म लिया [illegible] सकता है

10 कम उत्पादकता (Low Prod ict vity) राजस्थान म पशुओं की उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम है यदि राजस्थान की तुलना विदेशों स [illegible] उत्पादकता बहुत ही कम प्रतीत होती है इसका कारण पशु के स्वास्थ्य एव पोषाहार पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना नस्ल सुधार की विशेष चेष्टा न करना तथा इस सदर्भ में शोध एव अनुसधान का अभाव रहा है कम उत्पादकता की प्रवृत्ति को बदलने के लिये प्रचार प्रसार के माध्यम से पशुपालकों की मनोवृत्ति को बदलना [illegible]

11 सूखा एव अकाल (Drought and Famine) राजस्थान म [illegible] कम वर्षा होती है अत राज्य के अधिकाश क्षेत्रों में प्राय सूखा एव अकाल की स्थिति बनी रहती है सूखा एव अकाल के क्षेत्रों के पशु चारे व पानी की तलाश म राज्य के अन्य जिलों में चले जाते हैं जल व चारे के अभाव म अनेक पशुओं की मृत्यु हो जाती है पशुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण के कारण भी अनेक समस्याए उत्पन्न होती है इस समस्या का समाधान [illegible] आवश्यक है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों म पर्याप्त जल एव चारे की व्यवस्था की जाय

12 उत्पादन एव वितरण में समन्वय न होना (Lack of Co ordination between Production & Distribution) पशुओं से मुख्यत दूध माँस ऊन चमडा आदि वस्तुए प्राप्त होती है इन वस्तुओं के समुचित वितरण का अभाव बना रहता है [illegible] ग्रामीण क्षेत्रों म दूध समय पर निर्धारित स्थानों पर [illegible] पाता अत

दूध के खराब होने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं जिससे पशुपालकों को हानि उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में पशुओं से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन व वितरण में समुचित समन्वय स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

13 पशु आधारित उद्योगों की कमी (Lack of Animal Based Industries) - राज्य में पशु आधारित उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। अतः पशुओं से प्राप्त वस्तुओं को प्रायः कच्चे रूप में ही देश के अन्य राज्यों एवं विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। इससे पशुपालकों को अपेक्षाकृत कम मूल्य प्राप्त होता है। राजस्थान सरकार को पशु आधारित उद्योगों के विकास पर पर्याप्त बल देना चाहिए ताकि पशुपालकों की आय व राज्य की आय में वृद्धि हो सके।

राजस्थान में कुक्कुट पालन

POULTRY IN RAJASTHAN

यह पशुपालन विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राजस्थान में कुक्कुट सम्पदा का सुनियोजित एवं आदर्श ढंग से विकास दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि 1983 की अपेक्षा 1988 में जब अधिकांश पशुओं की संख्या कम हुई तो उस समय भी कुक्कुट सम्पदा में वृद्धि अंकित की गई। राजस्थान में कुक्कुट विकास के लिए स्वतंत्रता के पश्चात् भी विशेष प्रयास किये गये। 1960 में जयपुर और अजमेर में राजकीय कुक्कुट शालाओं की स्थापना की गई। इस समय तक आधुनिक तरीकों से कुक्कुटपालन नहीं करके घरों में थोड़ी-बहुत मुर्गियां पाली जाती थीं इसी कारण अण्डों का उत्पादन सीमित था। 1960 के दशक में उन्नत किस्म की नस्लों का पालन शुरू किया गया और कुक्कुट सम्पदा निरन्तर बढ़ने लगी। राजस्थान में कुक्कुट सम्पदा का विकास निम्न तालिका में दृष्टिगोचर होता है

राजस्थान की कुक्कुट सम्पदा (लाख में)			
वर्ष	संख्या	वर्ष	संख्या
1966	1 65	1983	22 12
1972	12 90	1988	25 85
1977	15 35	1992	29 86
		1997	43 80

स्रोत *Board of Revenue for Raj Livestock Census 1997 & Statistical Abstract*

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुक्कुट सम्पदा में निरन्तर वृद्धि हो रही है एवं उन्नत किस्म की मुर्गियों के पालन की प्रवृत्ति बढ़ रही है राजस्थान के विभिन्न जिलों में कुक्कुट सम्पदा की स्थिति की दृष्टि से अजमेर जिले में सर्वाधिक कुक्कुट सम्पदा विद्यमान है। सर्वाधिक उन्नत नस्ल की मुर्गियां अजमेर जिले में और सर्वाधिक देशी मुर्गियां बांसवाड़ा जिले में हैं। देशी मुर्गियों की दृष्टि से उदयपुर का दूसरा, श्रीगंगानगर का तीसरा और डूंगरपुर का चौथा स्थान है। उन्नत नस्ल की मुर्गियों की दृष्टि से उदयपुर का दूसरा, भीलवाड़ा का तीसरा, जयपुर का चौथा और अलवर का पांचवां स्थान है। राजस्थान में 1983 की कुक्कुट सम्पदा 22 12 लाख से 25 करोड़ अण्डों का उत्पादन प्राप्त हो रहा था। 1988 में 25 85 लाख मुर्गियों से 61 92 करोड़ अण्डों का उत्पादन प्राप्त हुआ। यह आकड़े कुक्कुट सम्पदा की नस्लों में अपेक्षित सुधार की ओर संकेत करते है। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से ब्रॉयलर (मांस के लिए मुर्गीपालन) के उत्पादन में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। बड़े-बड़े शहरों के आस पास ब्रॉयलर पालन का महत्व बढ़ता जा रहा है। ब्रायलर की निरन्तर बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुये राज्य की चार कुक्कुट शालाओं में ब्रॉयलर की उन्नत नस्ल के एक-दिवसीय चूजों का उत्पादन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में भी यह उत्पादन आरम्भ किया गया है।

राजस्थान निर्माण के समय राज्य में केवल एक ही कुक्कुटशाला जयपुर में कार्यरत थी। अजमेर राज्य के राजस्थान में विलय के साथ 1956 में इसमें और एक कुक्कुट शाला जुड़ गई। राजस्थान में जयपुर और अजमेर की कुक्कुट शालाएं राज्य स्तरीय हैं। अजमेर कुक्कुटशाला में उन्नत नस्ल का पेरेंट स्टाक और जयपुर में ब्रायलर के उन्नत नस्ल का पेरेंट स्टॉक रखा गया है। राज्य में 4 जिलास्तरीय कुक्कुटशालाएं अलवर, जोधपुर, कोटा और टोंक जिलों में कार्यरत हैं। इनमें से अलवर, जोधपुर व कोटा में उन्नत नस्ल का ब्रॉयलर पेरेंट करके रखा जा रहा है। राजकीय कुक्कुटशाला टोंक के एकदिवसीय चूजों को पालकर बड़ा करके निजी कुक्कुटपालकों को वितरित किया जाता है। जनजाति क्षेत्र के निजी कुक्कुट पालकों को एक दिवसीय चूजे पालकर एवं बड़ा करके वितरित करने की दृष्टि से दो चूजापालन केन्द्र क्रमशः डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र के कुक्कुटपालकों को तकनीकी सेवायें, विपणन व्यवस्था का मार्गदर्शन, बैंक ऋण की स्वीकृति में अपेक्षित सहयोग, प्रशिक्षण तथा कुक्कुट पालकों का पंजीयन करने के उद्देश्य से 1963 में क्रैश कार्यक्रम के अन्तर्गत कुक्कुट विकास खण्डों की स्थापना की गई। राज्य के जयपुर, अलवर, डूंगरपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, जोधपुर, पाली, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, आबू रोड (सिरोही) और बीकानेर में सघन कुक्कुट विकास खण्ड कार्यरत हैं। ब्यावर (अजमेर) में एक नया विकास खण्ड तथा झुंझुनू में भी प्रयोग के रूप में

कुक्कुट पालन केन्द्र स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे है। विकास खण्डो के माध्यम से कुक्कुटपालकों को चूजो के रख-रखाव उनके पालन-पोषण , टीकाकरण आदि की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर कुक्कुट सम्पदा के सवर्द्धन एव विकास के लिए गोष्ठियों का आयोजन करके कुक्कुटपालको को नवीनतम जानकारी दी जाती है।

राजस्थान मे अण्डो और कुक्कुट पक्षियों के विपणन का कार्य सम्पादित करने के लिए जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा एव अजमेर में सहकारी समितिया कार्यरत है। राजस्थान वर्तमान मे 10 से 12 अण्डे प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष प्राप्त करता है जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 23 अण्डें प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। इससे राजस्थान में कुक्कुट विकास की भावी सभावनाओ का ज्ञान होता है। कुक्कुटपालन के माध्यम से लोगो को प्रोटीनयुक्त आहार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1965-66 में राज्य सरकार द्वारा पचायत समितियो के माध्यम से एव यूनीसेफ के सहयोग से पोषाहार कार्यक्रम के अतर्गत कुक्कुट शालाए स्थापित की थी अब केवल ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डार (जोधपुर) में ही यह कार्यक्रम चल रहा है। इस केन्द्र से स्कूली बच्चो और गर्भवती माताओ को अण्डो का वितरण किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग के आधार पर सन् 1976 में राजस्थान के दो जिलो उदयपुर व अजमेर मे विशिष्ट पशुधन उत्पादन कार्यक्रम आरभ किया गया। जिसके अतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से 200 मुर्गियों की इकाइया स्थापित करने का लक्ष्य है। 1981 म जयपुर एव टोंक म पायलट प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्राप्त हुई जिसे 1983 से क्रियान्वित किया गया। इस योजना के अतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो, विशेषकर अनुसूचित जाति के व्यक्तियो का चयन करके 200 मुर्गियों की कुक्कुटशाला के लिए ऋण एव अनुदान दिलवाया जाता है। इस योजना में लघु सीमान्त एव भूमिहीन कृषक श्रमिको का चयन करके प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्व-रोजगार के अतर्गत भी 500 मुर्गियो की इकाई या 850 ब्रॉयलर चूजों से कुक्कुटशाला स्थापित करने का प्रावधान है।

ग्रामीण कुक्कुट सम्पदा के सवर्द्धन एव विकास की विभिन्न योजनाए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणा के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। सन् 1974 में 'हाफ एक मिलियन जाब प्रोग्राम' के अतर्गत बेरोजगार स्नातकों को जीवनयापन के लिए कुक्कुटपालन व्यवसाय प्रारभ करने के उद्देश्य से राज्य के जयपुर व कोटा में भूखडो का आवटन किया गया तथा बैंको से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर कुक्कुट शालाए स्थापित की गई। कुक्कुट पक्षियों मे विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिये जयपुर मे एक राज्य स्तरीय रोग निदान केन्द्र है। कुक्कुटपालकों की सुविधा के लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रोग-निदान, जाच आदि के लिए प्रयोगशाला विद्यमान है। कुक्कुटपालकों को प्रशिक्षण देने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। नियमित कुक्कुट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से अजमेर में एक विद्यालय कार्यरत है।

कुक्कुट पालको को दिये जाने वाले प्रशिक्षण 3 दिवसीय 10 दिवसीय तथा एक माह के होते है। पशुपालन विभाग द्वारा कुक्कुट विकास एव उससे सबधित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एव सुधार के लिए उत्पादन सर्वेक्षण की प्रक्रिया निरन्तर अपनाई जाती है। इस सर्वेक्षण के आधार पर भावी नीतिया एव कार्यक्रम निर्धारित किये जाते है।

वर्तमान मे बतखपालन भी कुक्कुटपालन का एक महत्वपूर्ण अग बनता जा रहा है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में बतखपालन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सहयोग से बासवाड़ा में बतख चूजा उत्पादन केन्द्र की स्थापना का निश्चय किया है। इसके स्थापित हो जाने पर चूजा उत्पादन फार्म, हिसार गट्टा (बगलौर) पर राजस्थान की निर्भरता लगभग समाप्त हो जावेगी। राज्य के ऐसे क्षेत्रों में जहा मत्स्य जलक्षेत्र उपलब्ध है उन्ही क्षेत्रो में बतख पालन व्यवसाय अच्छा पनप सकता है। इसके लिए कैम्पबैल नस्ल की खाकी बतखें अण्डों के उत्पादन की दृष्टि मे लाभदायक मानी जा रही है जो कि एक वर्ष म 300 और इससे अधिक अण्डे देती है। राज्य के डूगरपुर, बासवाडा, चित्तौड़गढ, आबूरोड (सिरोही) एव उदयपुर के जनजाति क्षेत्रों के निर्धन परिवारो को पाच मादा एव नर पक्षी बडा करके उपलब्ध कराये जा रहे है। यह कार्यक्रम 1987-88 मे चल रहा है।

राजस्थान मे मत्स्य पालन
FISHERIES IN RAJASTHAN

प्राचीनकाल से ही मत्स्य उद्योग का प्रचलन रहा है। रामायण व महाभारत युगों में तो मछुआरे अत्यधिक सम्पन्न थे। मत्स्यपालन व्यवसाय का समाज में एक विशिष्ट स्थान था। यह तथ्य मत्स्य उद्योग की उन्नति का परिचायक है। सम्राट अशोक के समय में शिलालेखों से भी स्पष्ट होता है कि भारत में मत्स्य उद्योग को विशेष मान्यता प्राप्त थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मत्स्यपालन व्यवसाय का

उल्लख मिलता है। दैनिक सामाजिक जावन में मत्स्य की अत्यधिक महिमा थी। भारत नदियों का देश है। अत अन्तर स्थानीय जल मधना के आधार पर इस उद्योग का व्यापक प्रसार हुआ है। देश का लगभग 5000 किलोमीटर विस्तृत समुद्रा तट मत्स्य व्यवसाय में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। पश्चिम बंगाल बिहार उडीसा आदि राज्यों म मत्स्य व्यवसाय का पर्याप्त विकास हो चुका है। राजस्थान म भी जहा जलस्रत्र उपलब्ध है वहा मत्स्य व्यवसाय निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य में मछली उत्पादन म वृद्धि करने तथा इस उद्योग का पूर्ण विकास करने के उद्देश्य म 1982 में मत्स्य निदेशालय की स्थापना की गई है।

राजस्थान म वर्षा का अभाव है। अत इस राज्य में मत्स्यपालन व्यवसाय अन्य राज्यों की तुलना म कम विकसित है यहा के उपलब्ध जलक्षेत्रों का उपयोग कर इसका बढाने की पर्याप्त सभावनाए विद्यमान है। राज्य के आदिवासी क्षेत्रा म मत्स्यपालन व्यवसाय को एक आदर्श उद्योग के रूप में अपनाया जा चुका है लेकिन अभी तक अनेक क्षेत्रा म इसका विकास करना बाकी है। सरकार न स्वतत्रता के पश्चात् इस उद्योग के विकास पर पर्याप्त ध्यान देना प्रारम्भ किया। राज्य म मत्स्यपालन सदैव विकसित तकनीक का अभाव रहा है। अत मत्स्य वैज्ञानिकों का दायित्व है कि वे राज्य के निर्धन कमजोर एव जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए मत्स्य उद्योग की नवीन तकनीक एव ज्ञान प्रदान करके इसे एक लाभकारी व्यवसाय के रूप म विकसित करे। राजस्थान में वर्षपर्यन्त बहन वाली नदियो एव जलस्रोतो का अभाव है लेकिन सिंचाई एव बिजली उत्पादन तथा पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्मित विभिन्न जलाशयों में नदियो की बाढ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न सिंचाई योजनाओ इंदिरागाधी नहर परियोजना तथा कोटा क्षेत्र में उपलब्ध नहरी पानी का मत्स्यपालन के लिए उपयोग किया जा सकता है। राज्य म मत्स्यपालन व्यवसाय के क्रमिक विकास हेतु विभिन्न जिलों में मत्स्यपालन विकास अभिकरणों की स्थापना की गई इनके द्वारा राज्य म मत्स्य व्यवसाय के विकास की गति तेज करने का उद्देश्य है।

राजस्थान में मत्स्य उत्पादन

Fish Production in Rajasthan

मत्स्य उत्पादन हेतु राजस्थान म कुल 725 जलाशय है। इनम स अ श्रेणी ब श्रेणी तथा स श्रेणी के जलाशयों की संख्या क्रमश 82 88 तथा 555 है। वर्षा के अभाव के कारण राज्य के अनेक जलाशय सूख जाते है अत मछली उत्पादन में अप्रत्याशित रूप से कमी हो जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष जून 1988 89 स पूर्व निरंतर 3-4 वर्षों तक अकाल व सूखे की स्थिति के कारण मई जून 1988 में राज्य के बडे-बडे जलाशय सूख गये थे। इनमें रामगढ व जवाई बाध जैसे जलाशय भी सम्मिलित थे। अकाल व सूखे की स्थिति के कारण 1988 में राज्य के मत्स्य उत्पादन में अत्यधिक कमी हो गई। सरकार द्वारा 1988 89 में मत्स्य विकास हेतु अनेक प्रयास किये गये। अत 1987 88 की तुलना में 1988 89 में मत्स्य उत्पादन में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई। 1990 91 में सरकार द्वारा लीज पद्धति में अनेक सुधार किये गये। केवल अ श्रेणी के 63 जलाशयों को लीज पर देने से ही सरकार को 1 89 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

राजस्थान में 1990 91 के अतर्गत 6020 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। 1995-96 में दिसम्बर 1995 तक 6000 मैट्रिक टन का ही उत्पादन हुआ।

राजस्थान में मत्स्य उत्पादन हेतु जलाशय

Reservoirs for Fish Production in Rajasthan

राजस्थान म वृहद् जलाशय चित्तौडगढ श्रीगगानगर बीकानेर बासवाडा डूगरपुर व उदयपुर जिलों में पाये जाते है मध्यम जलाशय मुख्यत पाली धौलपुर, भीलवाडा चित्तौडगढ उदयपुर बूदी टोंक सवाई माधोपुर जयपुर अलवर व भरतपुर जिलों में है। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि म राजस्थान के कुछ प्रमुख जलाशय व उनके जल फैलाव क्षेत्रफल के अनुसार निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है

(1) अ श्रेणी के सर्वाधिक जलाशय उदयपुर जिले म है। तत्पश्चात् क्रमश सवाईमाधोपुर व चित्तौडगढ जिले आते है

(2) 'ब' श्रेणी के सर्वाधिक जलाशय बूदी जिले में है तथा 'स' श्रेणी के सर्वाधिक जलाशय टोंक जिले में है।

(3) 'स' श्रेणी के सर्वाधिक जलाशयों की संख्या पाली जिले म है। तत्पश्चात् उदयपुर व राजसमन्द का स्थान है।

(4) राजस्थान के प्रमुख नदी-बेसिन चम्बल बनास और लूनी म सबद्ध है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1. राजस्थान में पशु पालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
   Write a short note on Animal Husbandry in Rajasthan
2. राजस्थान में पशु गणना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
   Describe the salient features of live stock census in Rajasthan
3. राजस्थान में पाई जाने वाली गौ वंश की चार महत्वपूर्ण किस्म बताईए तथा वे भाग बताईए जहां वे पाई जाती है।
   Name four famous breeds of cattle in Rajasthan and area where they are found ?
4. राजस्थान के लिए पशुधन के महत्व पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
   Write short note on economic importance of cattle wealth for Rajasthan
5. राजस्थान में पशुधन की वर्तमान स्थिति बताईए
   Mention their present position of live stock in Rajasthan
6. राजस्थान में पशुधन का जिलानुसार वितरण बताईए।
   Explain the districtwise distribution of live stock in Rajasthan
7. राजस्थान में कुक्कुट पर एक टिप्पणी लिखिए।
   Write a note on Poultry in Rajasthan
8. गोपाल योजना क्या है?
   What is Gopal Yojna?
9. राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में पशु सम्पदा का महत्व स्पष्ट कीजिए।
   Explain the importance of Animal Husbandry in Arid and semi arid regions of Rajasthan
10. राजस्थान में मत्स्य पालन पर टिप्पणी लिखिए।
    Write a note on fisheries in Rajasthan

B निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1. राजस्थान में पशु पालन के महत्व पर शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में प्रकाश डालिए।
   Explain their importance of Animal Husbandry in te special reference of arid and semi arid regions of Rajasthan
2. राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन क्यों महत्वपूर्ण है और भेड़ एवं बकरी पालन की क्या समस्याएं है?
   Why live stock is important in arid and semi arid regions of Rajasthan and what are the problems of sheep and goat Husbandry?
3. ग्राम आधार योजना व गोपाल योजना के विशेष संदर्भ में पशु धन विकास में राजस्थान सरकार के प्रयत्नों की विवेचना कीजिए।
   Discuss the efforts of Govt of Rajasthan for the development of live-stock in the context of Gopal Yojna and village base programme
4. राजस्थान में पशु धन के विकास की समस्याएं क्या है? पशु पालन के विकास में सरकार ने क्या प्रयत्न किए है? इसके समाधान के सुझाव दीजिए।
   What are the problems of live-stock development in Rajasthan? What efforts are masde for the development of livestock by the Govt of Rajasthan? Give suggestions for the solution of this problem
5. राजस्थान राज्य में पशुधन सुधार के लिए अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए
   Describe the different programme adopted in state of Rajasthan to improve the lives stocks
6. पशुधन विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए।
   Describe the programme adopted for the development of live stock in Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

1. राजस्थान में शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशुपालन का महत्व स्पष्ट कीजिए। राज्य ... के ... क्या कारण है?
   Explain the importance of Animal Husbandry in arid and semi arid regions of Rajasthan. What are the reasons for inferior conditions of cattle wealth in the state?

2 राजस्थान में पशुधन की वृद्धि की स्थिति को स्पष्ट कीजिए तथा यहां के शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में पशुधन वृद्धि के क्या कारण हैं? स्पष्ट कीजिए।

Explain the position of Growth of live stock in Rajasthan What are the reasons for the growth of live stock in the *and and semi-and regions of Rajasthan?*

3 राजस्थान में पशुपालन की समस्याओं पर भेड़-बकरी पालन की विशिष्ट समस्याओं सहित प्रकाश डालिए।

Give a focus on the problems of Animal Husbandry with special context of sheep and goat problems in Rajasthan

4 राजस्थान में पशुधन की संरचना पर एक निबन्ध लिखिए।

Write an essay on the structure of live stock in Rajasthan

5 राजस्थान में पशुपालन की संरचना पर एक निबन्ध लिखिए।

Critically analyse the steps of Govt. for the development of Animal Husbandry in Rajasthan

6 राजस्थान में पशुओं की हीन दशा के कारणों को बताइए। राजस्थान सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इनके लिए किए गए कार्यों का विवरण दीजिए।

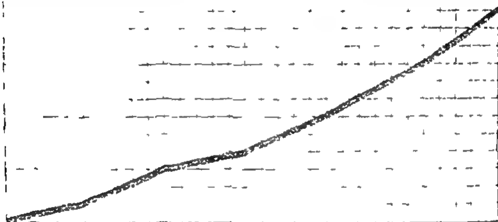
Explain the reasons for the inferior conditions of cattle wealth in Rajasthan Describe the programmes adopted by the government in various plans to improve their conditions



अध्याय - 11

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम

DIARY DEVELOPMENT PROGRAMME IN RAJASTHAN



"दूध सन्तुलित आहार का एक आवश्यक अंग है।"

<u>अध्याय एक दृष्टि में</u>

- राजस्थान में डेयरी विकास की पृष्ठभूमि
- राजस्थान के डेयरी संयंत्र
- राजस्थान के पशु आहार संयंत्र
- विश्व दुग्ध उत्पादन एवं राजस्थान सम्बन्धी परिस्थिति
- डेयरी विकास में सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम
- आठवीं व नवी योजना में डेयरी विकास
- राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याएं व समाधान के उपाय
- अभ्यास प्रश्न

उचित मूल्य दिलाना है। साथ ही उपभोक्ताओं तक अच्छे दूध का वितरण सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। ऑपरेशन फ्लड को आनन्द सहकारी संघ से प्रेरणा लेकर आरम्भ किया गया। यह सम्पूर्ण भारत में डेयरी के विकास हेतु एक समन्वित योजना है।

राजस्थान में डेयरी विकास अथवा श्वेत क्रांति की पृष्ठभूमि

BACKGROUND OF DAIRY DEVELOPMENT OR WHITE REVOLUTION IN RAJASTHAN

ऑपरेशन फ्लड ने सम्पूर्ण भारत में श्वेत क्रांति और डेयरी विकास की नींव रखी। भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 10 राज्यों में 117 करोड रुपये व्यय करके आरम्भ किया। इन दस राज्यों में राजस्थान भी एक है। अत ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण से राजस्थान में भी श्वेत क्रांति और डेयरी विकास की नींव रखी गयी। 1978 में भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण आरम्भ किया जिसमें विश्व बैंक की सहायता से पशु व डेयरी विकास योजनायें चलाई गई। इस समय ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। राजस्थान को इस परियोजना का पूरा लाभ मिला है क्योंकि इस राज्य में डेयरी विकास के लिए उपर्युक्त वातावरण पहले से ही विद्यमान था। राजस्थान में लगभग 5 करोड पशु है और पशुधन की दृष्टि से भारत में इसका तीसरा स्थान है। उत्पादक पशुओं की दृष्टि से देखा जाये तो राजस्थान का देश में छठा स्थान है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से राजस्थान को डेयरी विकास का पर्याप्त अवसर मिला। राजस्थान में डेयरी विकास को गति देने के लिए 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना की गई। राज्य में डेयरी विकास का कार्यक्रम गुजरात में आनन्द के अनुभवों के आधार पर चल रहा है। इस कारण राजस्थान में ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां है। ये समितियां जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी परिसंघ के सदस्य होती है। सभी जिला सहकारी संघ राज्य स्तर के राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ के सदस्य होते है। इस प्रकार राज्य में सभी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ एक दूसरे से परस्पर सम्बद्ध होती है। राजस्थान में डेयरी विकास को गति देने में ऑपरेशन फ्लड के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कारण राजस्थान में उत्पादित अतिरिक्त दूध आसानी से देश के अन्य क्षेत्रों में इस ग्रिड के माध्यम से भेजा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा डेयरी विकास के लिए गठित टेक्नोलॉजी मिशन भी राजस्थान में डेयरी विकास को प्रोत्साहित करता है। इस मिशन का उद्देश्य डेयरी उद्योग की क्षमता का अधिक से अधिक दोहन करना है। इसलिए डेयरी उद्योग में प्रौद्योगिकियों के प्रयोग की आवश्यकता को देखते हुए यह मिशन आरम्भ किया गया। इस मिशन के अन्तर्गत देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य सहकारी दूध परिसंघों आदि की गतिविधियों में समन्वय लाने की चेष्टा की जा रही है। इस प्रयास के बाद जो नई तकनीक विकसित होगी, उसका मानकीकरण किया जायेगा और इस तकनीक को ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी से सम्बन्धित लोगों तक पहुँचाया जायेगा। इस प्रयास से राजस्थान के डेयरी विकास को बल मिलेगा। राजस्थान में डेयरी विकास का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है

(अ) राजस्थान के डेयरी संयत्र
(ब) राजस्थान में पशु आहार संयत्र
(स) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एवं राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ
(द) डेयरी विकास में सहायक प्रमुख कार्यक्रम
(य) आठवीं योजना में डेयरी विकास के प्रयास
(र) डेयरी विकास की समस्याए व समाधान के उपाय

राजस्थान के डेयरी संयंत्र

DAIRY PLANTS IN RAJASTHAN

दिसम्बर, 1997 तक राजस्थान में 10 डेयरी संयत्र कार्य कर रहे थे।[1] ये अजमेर, अलवर, भीलवाडा, बीकानेर, हनुमानगढ जयपुर, जोधपुर, कोटा रानीवाडा व उदयपुर में स्थित थे। राजस्थान में दूध को सुखाने की सुविधा अजमेर, अलवर, जयपुर, बीकानेर श्रीगंगानगर, जालौर व जोधपुर में उपलब्ध थी। राजस्थान के डेयरी संयत्रों की कुल विधायन क्षमता 9 लाख लीटर दूध प्रतिदिन विधायन करने की थी। इनकी कुल अवशीतन क्षमता 4 8 लाख लीटर दूध ठण्डा करने की थी। राजस्थान में दूध को सुखाने की कुल क्षमता 6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन की थी। राजस्थान में 25 अवशीतन केन्द्र थे। राजस्थान के डेयरी संयत्रों के सदर्भ में उपलब्ध आकडों के अनुसार राजस्थान में स्थानीय माग की अपेक्षा अधिक दूध एकत्र होता है। इस दूध का लगभग ¼ भाग राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड हेतु दिल्ली भेज दिया जाता है। राजस्थान

1 Economics Review 1997-98 Rajasthan

पास दौसा, मालपुरा, कोटपूतली और गंगापुर सिटी में चार अवशीतन केन्द्र है। इस दूध में से अधिकांश दूध स्थानीय बाजार में ही विक्रय कर दिया गया। राजस्थान में इस डेयरी संयत्र की स्थानीय मांग सर्वाधिक है। इस संयत्र द्वारा लगभग सभी प्रकार के प्रचलित दुग्ध उत्पाद निर्मित किए जाते है।

7 जोधपुर डेयरी संयत्र (*Jodhpur Dairy Plant*) : इस डेयरी संयत्र की स्थापना 1975-76 के वित्तीय वर्ष में की गई। इसकी क्षमता प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध प्राप्त करने की है। इसे जोधपुर संघ द्वारा दूध प्राप्त होता है। इसके पास पोकरण, नागौर, मेड़ता सिटी, बाड़मेर, बालोतरा, और फलौदी में 6 अवशीतन केन्द्र है। जिसमें से अधिकांश दूध का उपयोग स्थानीय मांग का पूरा करने के लिए किया गया। इस संयत्र में विभिन्न प्रकार के दूध उत्पादन भी निर्मित होते है।

8 कोटा डेयरी संयत्र (Kota Dairy Plant) . इस संयत्र की स्थापना 1984 में हुई। इसकी दूध प्राप्ति की क्षमता केवल 0 25 लाख टन प्रतिदिन की है। यह कोटा दुग्ध संघ से प्राप्त करता है। इसके पास कोई अवशीतन केन्द्र नहीं है। जिसका प्रयोग मुख्यत स्थानीय मांग के लिए किया गया। इसमें सभी प्रमुख प्रकार के दूध उत्पादन निर्मित किए जाते है।

9 रानीवाड़ा डेयरी संयत्र (Raniwara Dairy Plant) यह संयत्र 1986 में निजी व्यक्तियों से प्राप्त किया गया। इसकी क्षमता 0 5 लाख लीटर दूध प्राप्त करने की है। यह *जालौर व पाली दुग्ध संघों से दूध प्राप्त करता है। इसके पास* फालना में एक अवशीतन केन्द्र है। यह अनेक प्रकार के दुग्ध उत्पाद भी बनाता है।

10 उदयपुर डेयरी संयत्र (Udaipur Dairy Plant) इस संयत्र की स्थापना 1983 में की गई। इसकी क्षमता मात्र 0 25 लाख लीटर दूध प्रतिदिन एकत्र करने की है। *यह उदयपुर और बांसवाड़ा दुग्ध संघों से दूध प्राप्त करता है।* इसके पास बांसवाड़ा व डूंगरपुर में दो अवशीतन केन्द्र है। इस संयत्र की स्थानीय मांग इसके द्वारा एकत्र दूध की तुलना में अधिक है। यह अनेक प्रकार के दूध उत्पादों का निर्माण भी करता है।

राजस्थान में पशु आहार संयंत्र
ANIMAL FEED PLANTS IN RAJASTHAN

राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास के लिए यह आवश्यक है कि पशुओं को पोषक तत्वों से युक्त आहार व चारा मिले। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में 4 पशु आहार संयत्र लगाए गए है। केन्द्र सरकार ने भी इस दृष्टिकोण से प्रयास किए है। वैज्ञानिक विधि से चारा उत्पादन की तकनीक विकसित करने के लिए देश के विभिन्न जलवायु वाले प्रदेशों में सात क्षेत्रीय केंद्र खोले गये है, इनमें से एक राजस्थान के सूरतगढ़ में है। केंद्र सरकार चारे के अच्छी किस्म के प्रमाणित बीज विकसित करने के अतिरिक्त गांवों में उनके प्रदर्शन की योजना भी बना रही है। इस प्रकार राजस्थान में केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास से उपयुक्त पशु आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की संभावना है। राजस्थान में पशु आहार के क्षेत्र में ये संयत्र कार्य कर रहे है

1 झोटवाड़ा (जयपुर) पशु आहार संयत्र [Jhotwara (Jaipur) animal feed plant] यह संयत्र 1 अप्रैल, 1978 को लीज पर लिया गया। नवंबर 1988 में इस संयत्र को राजफेड (RAJFED) को हस्तांतरित कर दिया गया। इस संयत्र की पशु आहार निर्मित करने की क्षमता 40 मीट्रिक टन प्रतिदिन है।

2 नदबई (भरतपुर) पशु आहार संयत्र [Nadbai (Bharatpur) animal feed plant] इस संयत्र की स्थापना 1979-80 में हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन है।

3 तबीजी (अजमेर) पशु आहार संयत्र [Tabiji (Ajmer) Animal Feed Plant] इस संयत्र की स्थापना 1980-81 में की गई। इसकी पशु आहार उत्पादन क्षमता 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। यह संयत्र U. _A MOLASSES BRICK का भी उत्पादन करता है।

4 जोधपुर पशु आहार संयत्र [Jodhpur Animal Feed Plant] यह संयत्र 1982 में स्थापित हुआ। इसकी क्षमता 100 मीट्रिक टन पशु आहार प्रतिदिन निर्मित करने की है।

राजस्थान में इस प्रकार इन संयत्रों द्वारा पशु आहार का विक्रय एवं उत्पादन विभिन्न वर्षों में इस प्रकार रहा

वर्ष	पशु आहार का उत्पादन	पशु आहार का विक्रय
1987-88	93420 (मीट्रिक टन)	94685 (मीट्रिक टन)
1997-98	44795 (मीट्रिक टन)	44472 (मीट्रिक टन)
(दिसम्बर 97 तक)		

स्रोत Economics Review 1997-98 Rajasthan

जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ एवं राजस्थान सहकारी परिसंघ लि.
DISTRICT DIARY CO OPERATIVES & RAJASTHAN CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION LTD

राजस्थान में ग्राम स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियां है। 31 दिसम्बर, 1997 को इनकी संख्या 3797 थी जिनमें

3 85 लाख सदस्य थे।[1] सभी सहकारी समितिया राजस्थान में विद्यमान 16 जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी सघो की सदस्य है।[2] ये सघ अजमेर, बासवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चूरू, गगानगर, जयपुर, जालौर - सिरोही, जोधपुर, कोटा पाली सीकर, टोंक, सवाईमाधोपुर और उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ पशु आहार के वितरण के अतिरिक्त, पशु चिकित्सा पशु चिकित्सा हेतु चल चिकित्सालय कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, उन्नत चारे के बीजों का विक्रय, किसान व ग्राम वन आदि को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करते है। सभी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ राज्य स्तर के राजस्थान सहकारी डेयरी परिसघ लिमिटेड के सदस्य है। राजस्थान में यह परिसघ डेयरी विकास एव दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष सस्था है। परिसघ का मुख्य कार्यालय जयपुर में है।

डेयरी विकास में सहायक प्रमुख कार्यक्रम
MAIN PROGRAMMES OF DAIRY DEVELOPMENT

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों में ऑपरेशन फ्लड एव पशु विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहे है। इनका विवेचन इस प्रकार है

1 ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood) - ऑपरेशन फ्लड विश्व में डेयरी विकास का सबसे बडा कार्यक्रम है। यह आनन्द डेयरी सहकारी समितियों के स्वरूप का आधारित है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण दुग्ध उत्पादको एवम् शहरी उपभोक्ताओं में सम्बन्ध स्थापित करना है। भारत में श्वेत क्राति का आगमन इसी कार्यक्रम के द्वारा हुआ है। इस कार्यक्रम के दो चरण पूर्ण हो चुके है और तीसरा चरण भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। दिसम्बर, 1990 में यह कार्यक्रम भारत के 22 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में चल रहा था। 62600 डेयरी सहकारी समितियों के अन्तर्गत देश के 73 लाख कृषि परिवारों को कार्यक्रम के अतर्गत सम्मिलित किया गया। डेयरी सहकारी समितियो के सदस्यों में लगभग 14 प्रतिशत स्त्रिया है। ये समितिया प्रतिदिन औसतन 94 7 लाख किलोग्राम दूध एकत्रित करती है।

ऑपरेशन फ्लड I (Operation Flood I)

भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1970 में प्रारम्भ हुआ। भारत सरकार ने देश के 10 राज्यों में इस कार्यक्रम हेतु 117 करोड रुपये व्यय किए। इन 10 राज्यों में राजस्थान भी एक है। अत ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण से ही राजस्थान में श्वेत क्राति और डेयरी विकास की नींव रखी गई। राजस्थान में पर्याप्त पशुधन है अत ऑपरेशन फ्लड के द्वारा डेयरी विकास का पर्याप्त अवसर मिला है। डेयरी विकास को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान में 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना हुई। यह चरण 1981 में पूर्ण हुआ।[3]

ऑपरेशन फ्लड II (Operation Flood II)

भारत सरकार ने 1978 में ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया। द्वितीय चरण के अतर्गत विश्व बैंक की सहायता से पशु व डेयरी विकास योजनाए चालू की गई। राज्य में यह कार्यक्रम विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो जाने के पश्चात् 1980 में आरभ किया गया। यह चरण 1985 में पूर्ण हो गया।[4]

ऑपरेशन फ्लड-III (Operation Flood-III)

ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण राजस्थान में भी सातवें योजनाकाल में क्रियान्वित किया गया।[5] ऑपरेशन फ्लड तृतीय का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का विस्तार करना था। भारत सरकार ने आठवीं पचवर्षीय योजना में डेयरी विकास के लिए टेकनोलॉजी मिशन प्रारम्भ किया। अत आठवीं योजना में ऑपरेशन फ्लड III के कार्यक्रमों को टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया गया।

2 विश्व बैंक की सहायता से पशुपालन विकास (Development of Animal Husbandry with the Assistance of World Bank) राजस्थान में पशुपालन के विकास हेतु विश्व बैंक के सहयोग से एक योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य का मरुस्थलीय क्षेत्र कृषि की तुलना में पशुपालन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के अधिकारियों ने सम्पूर्ण कृषि विकास की समीक्षा करते हुए यह अनुभव किया कि कृषि विकास के साथ साथ पशुपालन का विकास करना भी आवश्यक है अन्यथा कृषि विकास कार्य पूर्ण नहीं होगा। राजस्थान में 1983 की पशुगणना के अनुसार 496 लाख पशु उपलब्ध थे लेकिन 1985 व 1987 के अकालों के कारण पशुओं की सख्या घटकर 1988 में 409 लाख रह गई। 1983 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में देश का लगभग 7 प्रतिशत पशुधन उपलब्ध था। देश के दुग्ध उत्पादन में राज्य का हिस्सा 10 9 प्रतिशत था। देश के मास उत्पादन का 40 प्रतिशत राजस्थान उपलब्ध कराता है। इन्ही विशेषताओं के कारण विश्व बैंक ने राजस्थान को पशुपालन के विकास हेतु

1 2 *Economics Review 1997 98 Rajasthan*
3 4 5 *India 1995*

लगभग 24 करोड रुपए की सहायता प्रदान की है। विश्व बैंक ने मुख्यतः पशु नस्ल सुधार, पशु चिकित्सकों एवम् कर्मचारियों के प्रशिक्षण, शिक्षा आदि के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। यह राशि 4 वर्षों में उपलब्ध कराई जायेगी। बीकानेर पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय को 4.31 करोड रुपये की सहायता भी प्रदान की गई है। एक विशाल पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए एक करोड की सहायता भी प्रदान की गई है। पशुपालन विभाग के अन्तर्गत राज्य में 4 पशुपालन विद्यालय क्रमशः जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर में विद्यमान है। इन विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। अतः विश्व बैंक द्वारा पशुपालन विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 1.30 करोड रुपये की राशि प्रदान की गई है। विश्व बैंक के अनुसार पशु चिकित्सा का भार मुख्यतः निजी क्षेत्र में रहना चाहिए। अतः विश्व बैंक की सहायता से निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा संस्थाएं स्थापित करने के लिए पशु चिकित्सकों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। एक पशु चिकित्सा संस्था के लिए 50 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से "गोपाल योजना" को राज्य के प्रत्येक जिले में फैलाने की व्यवस्था की गई है, गोपाल योजना संबंधी कार्यक्रमों पर लगभग 2.5 करोड रुपए व्यय किए जायेंगे। कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से पशुपालन विभाग ने एक योजना विश्व बैंक से स्वीकृत कराई है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पंचायत समिति स्तर से राज्यस्तरीय मेलों तक के स्थान पर पशुओं के क्रय विक्रय विपणन की एक विशाल योजना तैयार की गई है। विश्व बैंक ने इस योजना के लिए 5 करोड रुपए की सहायता दी है। पशु चिकित्सकों की ज्ञानवृद्धि के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्सकों को देश व विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा। इस योजना के लिए एक करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्व बैंक ने निदेशालय स्तर से जिला स्तर तक प्रचार प्रसार सामग्री व उपकरण की व्यवस्था हेतु एक करोड रुपए की सहायता प्रदान की है।

आठवीं व नवी योजना में डेयरी विकास

DAIRY DEVELOPEMENT IN EIGHTH & NINTH PLAN

आठवी योजना में डेयरी विकास - इसके लिए निम्नलिखित उद्देश्यों व व्यूह रचना का निर्धारण किया गया था।

उद्देश्य (Objects) अब तक प्राप्त किए गए लाभों को सुनिश्चित करना। अब तक विनियोग की गई धनराशि का अधिकाधिक प्रयोग करना। सहकारी आधार को और अधिक सुदृढ करने के लिए सहकारी समितियां, दुध संगठनों और फैडरेशन को आर्थिक सहायता प्रदान करना। विभिन्न तकनीकों का आधुनिकीकरण करना। डेयरी पशुपालन और इनसे संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करके लागतों में कमी करना।

भारत सरकार ने डेयरी विकास हेतु टेक्नोलॉजी मिशन प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। आधुनिक तकनीक को अपनाकर उत्पादकता में वृद्धि करना तथा परिवहन लागतों में कमी करना और दूध व दुग्ध उत्पादों की उपलब्धि में तेजी से वृद्धि करना भी इसका लक्ष्य है।

आठवीं योजना के लिए व्यूह रचना (Strategy for Eighth Plan) आठवीं योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का डेयरी व्यवस्था के साथ इस प्रकार समन्वय किया जा रहा है कि सहकारी संरचना के द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को उनके द्वारा किए गये विनियोजन का अधिकाधिक प्रतिफल प्राप्त हो सके। डेयरी व्यवस्था छोटे एवं सीमान्त कृषकों को लाभदायक रोजगार प्रदान करती है। आठवी पंचवर्षीय योजना में सदस्य संख्या 4.6 लाख से बढ़ाकर 5.60 लाख तक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डेयरी विकास के साथ-साथ रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसरों में भी वृद्धि हुई है। आठवी योजना के अंत तक 50000 से अधिक जनसंख्या वाले जिला मुख्यालयों पर विभिन्न डेयरी उत्पादों को वाजिब दामों पर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जायेंगे। आठवीं योजना में पशु सुधार पर विशेष बल दिया जायेगा। उन क्षेत्रों में जहां दुग्ध विधायन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई, वहां प्रोजन सीमन टेक्नालॉजी के द्वारा क्रॉस प्रजनन का विकास किया जायेगा। राठी, थारपारकर और नागौरी नस्लों का तेजी से विकास किया जायेगा। अनुसूचित जाति-बहुलता वाले दक्षिणी जिलों में पशुओं की नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जायगा। डेयरी विकास कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिए जनसहयोग प्राप्त किया जायेगा। विधायन सुविधाएँ अब तक फैडरेशन द्वारा सम्पन्न की जा रही है इन्हें दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। इससे हजारों दुग्ध उत्पादक विधायन सुविधाओं के स्वामी हो जायेंगे और वे दूध की प्राप्ति, उत्पादन, पशु विकास और विपणन आदि के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लेने में सक्षम होगा। चारा विकास कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जायेगा। वर्तमान में चारा का उत्पादन आवश्यकता से कम है। अतः चारा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की जायेगी। कृषकों को मिश्रित खेती की जानकारी दी जायेगी तथा बंजर भूमि में चारे की खेती पर बल दिया जायेगा। चारे के उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जायेंगे। टेक्नोलॉजी मिशन कार्यक्रम को उन क्षेत्रों में तेजी से लागू किया जायेगा जहाँ ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम लागू नहीं

किए गये है। ये वे क्षेत्र है जहाँ परिवहन की पर्याप्त सुविधाए नहीं है अत दूध को एकत्रित करना कठिन होता है। दूध शीघ्र नाशवान वस्तु है अत इसे अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए ठण्डा रखना पडता है। अत सहकारी समितियों को परिवहन एवम् शीत सुविधाओं का अभाव होने के कारण हानि उठानी पडती है। दुग्ध सघ एव फैडरेशन भी पूँजीगत खर्चों, उँची ब्याज दर एव क्षमताओं के अपूर्ण उपयोग के कारण हानि की स्थिति मे है। राज्य मे किसी भी नये कार्यक्रम को लागू करने से पूर्व ऐसी स्थितियों को समाप्त किया जायेगा। अत आठवीं योजना में डेयरी विकास के लिये 26 करोड रुपये का प्रावधान किया गया था।

नवी योजना मे डेयरी विकास (Dairy Development in 9th Plan) - नवी योजना में डेयरी प्रबन्ध को सुदृढ करने, तकनीकों का आधुनिकीकरण करने, दूध उत्पादनक्षमता मे वृद्धि करने तथा डेयरी उद्योग को उद्यमियो के लिए आकर्षक बनाने के उददेश्य निर्धारित किये गये। योजनाकाल में डेयरी विकास कार्यक्रमों पर 2000 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया।[1] योजनाकाल में दूध विपणन व्यवस्था पर 134 लाख रुपए, प्लाट व मशीनरी पर 350 लाख रुपए, प्रशिक्षण पर 90 लाख रुपए पशु विकास पर 75 लाख रुपए और राजौरी फार्म विकास पर 48 लाख रुपए व्यय किये जायेंगे।

राज्य का लगभग 2/3 भाग शुष्क एव अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में आता है। इन क्षेत्रों में श्रेष्ठ किस्म के पशुधन का विकास हुआ है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि की तुलना में पशुधन का विकास अधिक हुआ है। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में पशुधन का अशदान 28% से अधिक है तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो यह और भी अधिक है। रेगिस्तानी अर्थव्यवस्था में पशु सम्पदा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अत मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अतर्गत अधिक धन के प्रावधान की आवश्यकता है।

राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याएं व समाधान के उपाय

PROBLEMS & SOLUTIONS OF DAIRY DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

1 पशुओं से सम्बधित समस्यायें (Problems Relating to Animals) राजस्थान में पशुओं की उत्पादकता कम है क्यों कि राज्य में अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव है। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित रहते है। उनकी देखभाल व आवास व्यवस्था भी निम्न स्तर की होती है। पशुओं की चिकित्सा के लिए पर्याप्त पशु चिकित्सालय भी नहीं है। यही स्थिति कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के सदर्भ में भी है। इस समस्या का निवारण पशुपालकों में शिक्षा व पशुपालन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके किया जा सकता है। पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था उचित मूल्यों पर की जा सकती है।

2. मूल्यो की समस्या (Problems of Prices) पशुपालन में प्रयुक्त चारा, पशु आहार चिकित्सा व्यय आदि के मूल्यो में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसकी तुलना में दूध के मूल्यो में उचित वृद्धि नहीं हो रही है। इस कारण पशुपालक को पशु पालना अनार्थिक प्रतीत होता है। इस समस्या का समाधान दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं की समितिया बनाने एव दोनों पक्षों की राय का व्यापक सर्वेक्षण कर किया जा सकता है।

3 दुग्ध उत्पादों की सीमित मांग (Limited demand of milk products) . दूध के अनेक उत्पादों की माग केवल बडे शहरों तक ही सीमित है। इस कारण दूध के विभिन्न उत्पादों को प्रोत्साहन नहीं मिला है। इस समस्या के लिए सम्बन्धित उत्पाद का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये तथा उनके मूल्य भी उचित होने चाहियें।

4 परिवहन की समस्या (Problem of transportation) : दूध उत्पाद केन्द्रों से दूध को डेयरी सयत्र तक लाने में परिवहन सुविधाओं के अभाव में कठिनाई अनुभव होती है। इस कार्य के लिए जो वाहन प्रयोग में लिए जाते है उनके खराब होने या देरी से पहुँचने के कारण, दूध खराब हो सकता है। ऐसे वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जो अवशीतन कार्य भी कर सकें।

5 सहकारी समितियों के दर्शन को न समझना (Lack of understanding of co-operative philosophy) : राजस्थान मे डेयरी विकास का आधार सहकारिता की मूल भावना के अनुरूप किया गया है। इन सहकारी समितियों की सदस्य सख्या बहुत कम है। साथ ही इसके सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों से परिचित नहीं होते। इस कारण इस व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त हो गये है। दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों, कर्मचारियों व अधिकारियों को इससे सम्बद्ध होने से पूर्व एक अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये।

6 भ्रष्टाचार (Corruption) : इससे सम्बधित सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्य अनुचित तरीके अपना कर अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते है। इस कार्य में कुछ भ्रष्ट कर्मचारी भी उनका साथ देते है। भ्रष्टाचार, पक्षपात व राजनीति के प्रवेश से प्रबध अक्षम हो जाता है और दोष पनपने लगते है। इस प्रक्रिया को तभी उलटा जा सकता है जबकि सहकारी समितियों के सदस्य जागरूक और अपने हितों के लिए सघर्ष करने वाले हों।

7. अन्य (Others) . डेयरी सयत्रों के अन्तर्गत अवशीतन केन्द्रों का अभाव है। इसे दूर किया जाना चाहिये। जिला सघों

1 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt of Raj

के द्वारा दूध का उचित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये। जिला संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधायें वास्तव में सभी सदस्यों तक पहुँचनी चाहियें। डेयरी से सम्बन्धित उपकरणों व पशुओं से सम्बधित शोध व अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा उनके लाभों को ग्रामों तक पहुँचाना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1. राज्य की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिए।
   Determine the role of dairy industry in the Economy of Rajasthan
2. राजस्थान में श्वेत क्रान्ति पर टिप्पणी लिखिए।
   Write a note on white revolution in Rajasthan
3. संक्षेप में राजस्थान के डेयरी संयन्त्रों का विवरण दीजिए।
   Describe the dairy plants in Rajasthan
4. ऑपरेशन फ्लड क्या है?
   What is operation flood?
5. राजस्थान में डेयरी विकास की क्या समस्याएं हैं?
   What are the problems of dairy development in Rajasthan
6. राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना में डेयरी विकास के उद्देश्य बताईए?
   Expalin the objectives of dairy development in Eighth Five Years Plan of Rajasthan
7. राजस्थान सहकारी परिसंघ लि. पर टिप्पणी लिखिए।
   Write a note on Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd

B. निबंधात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1. "राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
   Write a *short note on "Role of Dairy Industry in the Economy of Rajasthan"*
2. "राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
   Write a *short note "Dairy Development Programme in Rajasthan"*
3. राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याओं तथा उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
   Decribe the problems and achievement of Dairy Development in Rajasthan
4. राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास, वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए।
   Explain the development, present position and problems of Dairy Industry of Rajasthan
5. राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
   Describe the programmes of Dairy Development in Rajasthan

C. विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

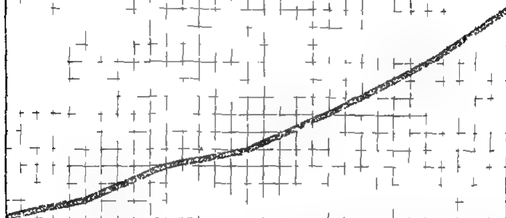
1. राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम पर एक लेख लिखिए। (अजमेर 1992)
   Write an essay on *Dairy Development Programme in Rajasthan*
2. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिए।
   Determine the role of Dairy Industry in the Economy of Rajasthan Describe the efforts made by the State Govt. for Dairy Development.
3. टिप्पणी लिखिए
   (i) राजस्थान में पशु आहार संयन्त्र (ii) राजस्थान के डेयरी संयन्त्र
   Write note on
   (i) Animal feed plants in Rajasthan (ii) Dairy plants in Rajasthan

❑ ❑ ❑

अध्याय – 12

राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन

SHEEP & GOAT HUSBANDRY IN RAJASTHAN



"राजस्थान में पाये जाने वाले पशुओं में आधे से अधिक भाग भेड़ बकरियों का है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में भेड़ों व बकरियों का महत्व
- भेड़ों व बकरियों का जिलानुसार वितरण
- राजस्थान में भेड़ों की प्रमुख नस्लें
- भेड़ व बकरी पालन से संबंधित विभिन्न योजनाएं कार्यक्रम व सुविधाएं
- भेड़ व बकरी पालन की विशिष्ट समस्याएं व सुझाव
- अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान के अधिकांश भाग में रेगिस्तान है अतः राजस्थान की शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक बनावट व जलवायु आदि भेड़ व बकरी पालन के लिए उपयुक्त है। भेड़ व बकरी पालन व्यवसाय से राज्य में अनेक व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जीवन निर्वाह की अनेक वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। भेड़ों से मुख्यतः ऊन की प्राप्ति होती है। भेड़ व बकरियां अत्यधिक खारक घास और विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में भी स्वस्थ रह सकती हैं और अपने पालकों को पर्याप्त लाभ दे सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में भेड़ों से श्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होता है। राजस्थान राज्य के अधिकांश भाग में ऐसी परिस्थितियां पाई जाती हैं। यही कारण है कि राज्य के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में अन्य पशुओं की अपेक्षा भेड़ एवं बकरियां अधिक संख्या में पाली जाती हैं। राज्य की भेड़ों से पर्याप्त मात्रा में ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन से न केवल कम्बल, गर्म कपड़े, दुशाले आदि बनाए जाते हैं वरन् ऊन का निर्यात भी किया जाता है। यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। भेड़ व बकरी पालन से राज्य के चमड़ा उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। चमड़े व खाल से जूते, दस्ताने, पर्स, बेल्ट, कोट व अटैचियां आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। राज्य में अनेक स्थानों पर ऐसी वस्तुएं बनाने के कारखाने

स्थापित किये गये है। राज्य से चमडे का निर्यात भी किया जाता है। भेड व बकरियों से प्राप्त सींग, हड्डियों व बालों का प्रयोग भी किया जाता है। बालों से ब्रुश बनाये जाते है और सींग व हड्डियों का प्रयोग मुख्यत बटन, कंघे व तेल का सामान तथा खाद आदि वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अत स्पष्ट है कि भेड व बकरियाँ न केवल राज्य के शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रों के निवासियों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है वरन् राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास मे महत्वपूर्ण सहयोग भी दे रही है।

राजस्थान में भेड़ों व बकरियों की संख्या

NUMBER OF SHEEP & GOATS

राज्य में 1951 के पश्चात् भेड व बकरियां दोनों की सख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही लेकिन 1983 के पश्चात् भेड व बकरियों की सख्या मे अत्यधिक कमी हुई है। इसका प्रमुख कारण राज्य मे निरन्तर सूखे व अकाल की स्थिति का बने रहना है। भेडों व बकरियों की दृष्टि से 1987-88 का वर्ष इस शताब्दी का निकृष्टतम वर्ष रहा था। 1983 की तुलना मे 1988 में भेडों की सख्या में 26 19 प्रतिशत तथा बकरियों की सख्या में 18 65 प्रतिशत की कमी हुई। अग्र तालिका में भेडों व बकरियों की सख्या को दर्शाया गया है।

राजस्थान मे भेडो व बकरियो की सख्या

वर्ष	भेडो की सख्या (लाखो मे)	कुल पशुधन का प्रतिशत	बकरियो की सख्या (लाखो मे)	कुल पशुधन का प्रतिशत
1951	53 87	21 11	55 62	21 80
1961	73 61	21 97	80 52	24 03
1972	85 56	22 01	121 62	31 28
1977	99 38	24 03	123 07	29 76
1983	134 31	27 05	154 80	31 18
1988	99 13	24 24	125 93	30 79
1992	121 [redacted]	25 47	150 62	31 53
1997	143 12	26 33	169 36	31 16

स्रोत Board of Revenue Rajasthan Livestock Census 1997

भेड़ों व बकरियों का जिलानुसार वितरण

DISTRICTWISE DISTRIBUTION OF SHEEP & GOAT

राज्य के प्राय प्रत्येक जिले में भेडे पाली जाती है लेकिन राज्य के शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में भेडपालन व्यवसाय अधिक उन्नत है। पश्चिमी राजस्थान में प्रतिवर्ष अकाल एव सूखे की स्थिति बनी रहती है अत इन क्षेत्रों की भेडे चारे व पानी की तलाश में राज्य के अन्य जिलों में ले जायी जाती है। भेडों व बकरियों के जिलानुसार वितरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है

भेड व बकरियो की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)

जिला		संख्या (लाख)
अ भेड		
1	जोधपुर	15 6
2	बाडमेर	15 1
3	पाली	13 6
ब बकरी		
1	बाडमेर	18 6
2	जोधपुर	12.9
3	नागौर	10 8

स्रोत Board of Revenue Rajasthan, Livestock Census 1997

राजस्थान में भेड़ों की प्रमुख नस्लें

MAIN BREEDS OF SHEEP

1 **चोकला (Chokla)** अधिकतर यह नस्ल शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, अत इस नस्ल को शेखावटी नस्ल भी कहते है। झुझुनू और सीकर जिलों में यह काफी अधिक सख्या में विद्यमान है। इस नस्ल की भेड के चेहरे पर गहरे भूरे व काले धब्बे होते है। इसके ऊन के रेशे की लम्बाई 5 5 सेंटीमीटर होती है।

2 **जैसलमेरी (Jaisalmeri)** इस नस्ल की भेड मुख्यत जैसलमेर तथा जोधपुर के पश्चिमी भागों में मिलती है। यह लम्बे कानों वाली व पुष्ट शरीर की होती है। देशी नस्लों में यह सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल है। इसका रेशा 5 7 सेंटीमीटर लम्बा होता है।

3 **पूगल (Pugal)** . इसका मूल स्थान पूगल होने के कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। पूगल, बीकानेर जिले की एक तहसील है। यह भेडे जैसलमेर व बीकानेर जिलों में पाई जाती है। जोधपुर व नागौर के कुछ क्षेत्रों मे भी ये विद्यमान है। ये शारीरिक रूप से मजबूत होती है। इनसे प्राप्त ऊन का रेशा 5 9 सेंटीमीटर लम्बा होता है।

4 **मगरा (Magra)** जैसलमेर बीकानेर व नागौर जिलों में पाई जाने वाली यह नस्ल सुन्दर व मजबूत होती है। इसकी ऊन का रेशा 5 9 सेंटीमीटर लम्बा होता है।

5 **मारवाडी (Marwari)** राजस्थान की अधिकाश भेडे इसी नस्ल से सम्बन्धित है। ये भेडे जोधपुर, पाली नागौर जयपुर, बाडमेर, झुझुनू, सीकर आदि जिलों मे पाई जाती है। यह राजस्थान की अन्य नस्लों की अपेक्षा रोग प्रतिरोधी है। इस भेड के कान लम्बे तथा मुह काला होता है।

म्वास्थ्य की दृष्टि से यह पुष्ट होती है। इसकी की ऊन के रेशे की लम्बाई 2 सेंटीमीटर होती है।

6 नाली (Nal) श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में मुख्यत यह नस्ल विद्यमान है। इस नस्ल की भेडों का चेहरा हल्का भूरापन लिए हुए होता है। इसके कान लम्बे होते है। इस नस्ल की ऊन के रेशे की लम्बाई 6 5 सेंटामीटर होती है।

7 मालपुरा (Malpura) जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में यह नस्ल पाई जाती है। टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों में भी यह पाई जाती है। इसका मुह हल्के भूरे रग का तथा कान छोटे होते है। इसके ऊन के रेशे की लम्बाई 6 2 सेंटीमीटर होती है।

8 सोनाडी (Sonari) अपेक्षाकृत लम्बी पूछ वाली यह नस्ल राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। चित्तौडगढ बासवाडा उदयपुर डूगरपुर भीलवाडा आदि जिलो म यह पाई जाती है। इस नस्ल के ऊन के रेशे की लम्बाई 7 2 सेंटीमीटर होती है।

भेड व बकरी पालन के विकास से सबधित विभिन्न योजनाएँ, कार्यक्रम व सुविधायें
VARIOUS PLANS PROGRAMMES & FACILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF SHEEP & GOAT HUSBANDRY IN RAJASTHAN

अ भेडपालन
Sheep Husbandry

राज्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भेडपालन तेजी से एक महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है क्योंकि यह व्यवसाय राज्य की जनसख्या के बहुत बडे भाग विशेषत समाज के कमजोर वर्गों को अतिरिक्त आय एव रोजगार के अवसर प्रदान करता है। राज्य के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भागों में कमजोर वर्गों के लिए भेडपालन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। वर्ष 1997 की पशु गणना के अनुसार राज्य म 143 12 लाख भेडें थी जो कि देश में भेडो की कुल सख्या का लगभग 25 प्रतिशत है राज्य म प्रतिवर्ष लगभग 170 लाख कि ग्रा ऊन का उत्पादन होता है। भेडों में बीमारियो की रोकथाम हेतु दवाइयों की खुराकें छिडकाव एव टीकाकरण आदि कार्यक्रम बडे पैमाने पर चलाए जा रहे है। बीमारियो की रोकथाम के उपायो के अतिरिक्त अच्छी किस्म के ऊन उत्पादन के लिए उन्नत भेड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयनित एव वर्णसकर नस्लो के प्रजनन एव प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी राज्य में तीव्रता से चलाए जा रहे है। पानी व चारे की कमी के कारण भेडे पश्चिमी राजस्थान से राज्य की सीमा से जुडे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एव गुजरात में चली जाती है। भेडों के ठहराव के दौरान उचित एव तुरत उपचार देने हेतु अनेक स्थाई निगरानी चौकिया स्थापित की गई है।

1 स्वास्थ्य रक्षा (Health Protection) भेड व ऊन विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत भेडपालको को भेडो की उचित देखभाल हेतु जानकारी दी जाती है। इस जानकारी के अन्तर्गत भेडपालको को उन्नत एव नवीन विधियों के बारे म बताया जाता है। भेडों को स्वस्थ रखने तथा रोगों से बचाव के लिए नियमित रूप से दवा देने व टीके लगाने की जानकारी भी दी जाती है। औषधि वितरण एव टीके लगाने का कार्य विभागीय अधिकारियो द्वारा भी किया जाता है। भेड व ऊन विभाग के कर्मचारी भेडपालकों के घरों पर ये सुविधाये उपलब्ध कराते है।

2 भेडपालक प्रशिक्षक (Training) भेडपालकों को प्रशिक्षित करने हेतु भेड व ऊन विभाग द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य भेडपालकों को भेडपालन सम्बधी नवीनतम जानकारी से अवगत कराना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है। भेड व ऊन विभाग के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा भेडों की स्वास्थ्य रक्षा प्रजनन उत्पादन विपणन चरागाह विकास तथा वृक्षारोपण एव सहकारिता आदि की जानकारी दी जाती है।

3 चल रोग अनुसधान कार्यशाला (Mobile Disease Research Workshop) राज्य में भेड विकास का ध्यान में रखते हुए जयपुर कोटा बीकानेर जोधपुर भीलवाडा तथा उदयपुर म एक एक चल रोग-अनुसधानशाला स्थापित की गई है। ये अनुसधानशालायें टीके लगाना दवा पिलाना दवा छिडकना तथा वधियाकरण आदि कार्य करती है। इनके द्वारा ऊन प्रशिक्षण ऊन की जाच तथा पोस्टमार्टम आदि कार्य भी किये जाते है। ये नियमित भेडो की स्वास्थ्य रक्षा का भी कार्य करता है

4 सकर प्रजनन कार्यक्रम (Cross Breeding) देशी नस्ल की भेडो से बहुत कम ऊन प्राप्त होता है। इनसे प्राप्त ऊन घटिया किस्म की होती है। अत श्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त करने के उद्देश्य से भेड नस्ल सुधार हेतु सकर प्रजनन कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। विदेशी नस्लों के मेढों से देशी नस्ल की भेडों से सकर प्रजनन कार्य किया जाता है। यह कार्य राज्य के 4 भेड प्रजनन फार्मों पर किया

जाता है। कार्यक्रम के अनुसार भेडपालकों को सकर मेढे दिये जाते है। इन सकर मेढों से देशी नस्ल की भेडों के माध्यम से 25 प्रतिशत विदेशी रक्त को सकर सतति प्राप्त की जाती है। सकर नस्ल की भेडों से न केवल अधिक ऊन प्राप्त होती है वरन् उनसे प्राप्त ऊन श्रेष्ठ किस्म की भी होती है। भेड व ऊन विभाग द्वारा सकर प्रजनन का कार्यक्रम राज्य के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भीलवाडा, पाली, जालौर, बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक तथा श्रीगंगानगर जिलो में चलाया जा रहा है।

5 चयनित प्रजनन (Selective Reproduction) यह कार्यक्रम बाडमेर, पाली जालौर, जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर जिलों में प्रारभ किया गया है। कार्यक्रम सम्बधी प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है

(i) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊन भेडपालको का पजीकरण किया जाता है जिनके पास 50 से 100 भेडे है।

(ii) भेड व ऊन विभाग द्वारा भेडपालकों को मारवाडी जैसलमेरी तथा मगरा नस्ल के मेढे प्रजनन हेतु दिये जाते है।

(iii) मेढों के लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी विभाग द्वारा नि शुल्क की जाती है। इन मेढो से उत्पन्न मेमनों को भी 18 माह तक पौष्टिक आहार नि शुल्क दिया जाता है।

(iv) जब मेमने प्रजनन योग्य हो जाते है तो विभाग इन्हे 17 रुपये प्रति किलोग्राम के जीवित भार की दर से क्रय कर लेता है और इन्हें अन्य भेडपालको को वितरित कर देता है।

(v) श्रेष्ठ किस्म के व अधिक ऊन वाले 20 प्रतिशत चयनित नर मेमनों का भेडपालकों द्वारा बीमा करवाना आवश्यक होता है।

6 भेड प्रजनन केन्द्र (Sheep Reproduction Centre) सकर प्रजनन कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से राज्य के चार स्थानों पर भेड प्रजनन फार्मो की स्थापना की गई है। इन केन्द्रो पर विदेशी नस्ल की भेड एव मेढे खरीदकर प्रजनन के उद्देश्य से पाले जाते है। राज्य के चार भेड प्रजनन केन्द्र निम्नलिखित है

(i) भेड प्रजनन फॉर्म, फतेहपुर (सीकर)

(ii) भेड प्रजनन फॉर्म, जयपुर

(iii) भेड प्रजनन फॉर्म चित्तौडगढ

(iv) भेड प्रजनन फॉर्म, बाकलिया (नागौर)

7 भेड इकाइयाँ (Sheep Units) : यह योजना गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि हेतु लागू होती है। यह कार्यक्रम 1976-77 से प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत व्यक्तियों को 30 भेडें और एक मेढे की इकाई उपलब्ध कराई जाती है। भेडपालक को भेडों की कुल राशि में से लघु कृषकों को 25 प्रतिशत, सीमान्त कृषकों एव कृषि श्रमिकों को 33 33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के लोगों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। यह कार्यक्रम अनेक निर्धन व्यक्तियों की जीविका का प्रमुख साधन बन चुका है।

8 जनजाति हेतु भेड विकास सुविधाये (Facilities for Tribes) आदिवासी परिवारों को ऊन व भेडपालन सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिए उदयपुर व बासवाडा में 2 जिला भेड व ऊन कार्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, तीन नये कृत्रिम गर्भाधान प्रसार केन्द्रों की स्थापना भी की गयी है। अनेक स्थानों पर सकर प्रजनन के लिए विदेशी एव सकर मेढों के पालन पोषण की व्यवस्था भी की गई है।

9 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला (Wool Analysis Laboratory) : ऊन की विभिन्न किस्मों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से बीकानेर में एक ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। यहा पर ऊन के नमूनों की वैज्ञानिक विधि से भौतिक एव रासायनिक जाँच की जाती है। ऊन की किस्म की जाँच के आधार पर भेडपालकों को श्रेष्ठ नस्ल के मेढे वितरित किये जाते है।

10. भेड व ऊन प्रशिक्षण सस्थान (Sheep & Wool Training Institute) : भेड व ऊन सम्बन्धी तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिये एक भेड व ऊन प्रशिक्षण सस्थान कार्यरत है। यह सस्थान भेड व ऊन विभाग द्वारा सचालित किया जाता है। इसमें विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भेड व ऊन सम्बधी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य राज्यों से आने वाले कर्मचारियों एव अधिकारियों को भी भेड व ऊन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ विदेशों से भी अनेक व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये आते है।

11 भेडों का निष्क्रमण एव चरागाह कार्यक्रम (Outgoing Sheep & Pastures) राजस्थान में भेडों की सख्या अधिक है जबकि चरागाह सीमित है। अत अकाल व सूखे की स्थिति में भेडपालकों का निष्क्रमण होता है। राज्य की लगभग 30-35 लाख भेडें प्रतिवर्ष मरुक्षेत्रों से राज्य के अन्य जिलों व अन्य प्रदेशों को निष्क्रमण कर जाती है। भेडों की यह सख्या अकाल की स्थिति पर निर्भर करती है। भेडों के निष्क्रमण से कानून व व्यवस्था सबधी अनेक समस्यायें भी उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से इंदिरा गाधी नहर परियोजना पर चरागाह विकास के लिये एक योजना प्रस्तावित की गई है। यदि यह योजना समुचित रूप से पूर्ण हो जाये तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

12 सघन जलग्रहण परियोजना सघन जलग्रहण परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से बनाई गई है। इस योजना में भेड व ऊन विकास कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अनुसार भेड विकास सबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के लिये ऋण एव अनुदान उपलब्ध करवाना भी प्रस्तावित है।

13 इदिरा गाधी नहर परियोजना मे भेड व ऊन विकास कार्यक्रम (Sheep & Wool Development Programme in Indira Gandhi Canal Project) इदिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र के अतर्गत बीकानेर व जैसलमेर जिलो म लगभग 2 50 लाख भेडो के लिये भेड व ऊन विकास कार्यक्रम की एक योजना प्रस्तावित है।

14 मरु विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चरागाह विकास के लिये 160 हैक्टेयर क्षेत्र मे चारा उत्पन्न किया जाता है 1991 92 मे भेड व ऊन विभाग के अधीन यह योजना सीकर फतेहपुर तथा चूरू मे लागू की गयी।

15 सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (Draught Prone Area Programme) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत डूगरपुर तथा बासवाडा जिले मे 1991 92 मे चरागाह विकास कार्यक्रम चालू किया गया

16 राजस्थान राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन फैडरेशन लिमिटेड इस संस्थान की स्थापना 1977 में की गई है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भेडपालकों को सहकारिता के माध्यम से उनके ऊन व मेढा का उचित मूल्य प्रदान करना था। फैडरेशन की वित्तीय स्थिति सुदृढ नहीं है अत उचित विपणन व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था की जाना है।

17 भेड जिले (Sheep Districts) राजस्थान को 17 भेड जिलों में विभक्त किया गया है। ये भेड जिले है अजमेर जयपुर बासवाडा टोंक बाडमेर भीलवाडा बीकानेर टोंक चूरू चित्तौडगढ जालौर झुन्झुनू जोधपुर नागौर पाली उदयपुर व सीकर। भेड प्रजनन फार्मो की स्थापना चित्तौडगढ जयपुर व फतेहपुर में की गई है। जयपुर में भेड व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। जोधपुर में भेड व बकरियों की बीमारियों के लिये प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ब्यावर व बीकानेर म ऊन विश्लेषण प्रयोगशालाए स्थापित की गयी है। अजमेर भीलवाडा बीकानेर जोधपुर कोटा नागौर उदयपुर बाडमेर व सवाई माधोपुर में प्रयोगशालाए भी कार्यरत है।

अ बकरीपालन
Goat Husbandry

राजस्थान के अधिकाश क्षेत्रों में बकरिया पाली जाती है। अरावली पर्वतमालाओं के निकटस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तथा अलवर व गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में बकरीपालन एक प्रमुख व्यवसाय है। यह व्यवसाय प्राय निर्धन एव कमजोर वर्गो द्वारा अपनाया जाता है। यही कारण है कि बकरी को गरीब की गाय की सज्ञा प्रदान की जाती है। बकरियो से दूध मास चमडा बाल आदि वस्तुए प्राप्त होती है। बकरी का दूध बच्चों के स्वास्थ्य हेतु श्रेष्ठ माना जाता है। राज्य के शुष्क व अर्द्धशुष्क भागों में बकरियों की सख्या अधिक है। राज्य में पाये जाने वाली बकरियों को उन की नस्ल की दृष्टि से दो भागों में बाटा जा सकता है। प्रथम दुधारू नस्ल की बकरिया और द्वितीय मास वाली नस्ल की बकरिया दुधारू नस्ल के अन्तर्गत जमनापारी अलवरी सिरोही जखराना व बरबरी नस्लें अधिक लोकप्रिय है। मास वाली नस्लों के अतर्गत लोही और मारवाडी नस्ले प्रमुख है। स्थानीय नस्ल की बकरियों की उत्पादन क्षमता कम होने से पशुपालकों को पर्याप्त लाभ नहीं होता है अत राज्य में उन्नत किस्म की बकरिया की नस्लें तैयार की जाना चाहियें। इसके लिये उत्तम किस्म के बकरे वितरित किए जाने चाहिये। नस्लसुधार हेतु विदेशी नस्लो के द्वारा सकर प्रजनन से भी बकरियों की नस्ल में सुधार किया जा सकता है। बकरियो हेतु चारे की व्यवस्था हेतु सामाजिक वानिकी कार्यक्रम म ऐसे पेड पौधे व झाडिया लगाने पर विशिष्ट बल दिया जाना चाहिये जो बकरियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ हों। खेजडी बोरडी अरडू आदि पौधे बकरियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ माने जाते है। राजस्थान में मासाहारी व्यक्तियों द्वारा मुख्यत बकरे के मास का सेवन किया जाता है। बकरों का व्यापार बडे पैमाने पर होता है। राज्य के प्रमुख शहरों में इसकी मण्डिया है। बकरियों के बालों से कम्बल व दरिया आदि वस्तुए बनाई जाती है इनके चमडे से भी अनेक प्रकार की वस्तुए बनाई जाती है। राज्य सरकार ने बकरियों के विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया है अत इनसे सबधित अनेक समस्याये विद्यमान है।

बकरीपालन से आर्थिक स्रोतों का विकास करने और बकरीपालक परिवारों को कुपोषण से बचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्विट्जरलैण्ड सरकार के सहयोग से राजस्थान में बकरी विकास एव चारा उत्पादन परियोजना प्रारम्भ की है। अजमेर जिले के रामसर ग्राम में इस परियोजना पर कार्य करने के लिये एक फार्म का विकास किया गया है। अल्पाईन एव टोगन वर्ग के उन्नत नस्ल के बकरों एव

राजस्थान की सिरोही नस्ल की बकरियों के माध्यम से उन्नत नस्ल के बकरे बकरियों का उत्पादन कर इन्हें राज्य के बकरी पालकों को वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में अजमेर, भीलवाडा एव सिरोही जिलों को लिया गया है। इसके अतर्गत उन्नत नस्ल के बकरे व बकरियों का वितरण करने के साथ ही चारा विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

भेड़ व बकरी पालन की विशिष्ट समस्यायें एवं सुझाव

SPECIAL PROBLEMS RELATING TO SHEEP & GOAT AND SUGGESTIONS

1 निष्क्रमण राजस्थान मे भेड व बकरी पालक अपने पशुओं को लगभग प्रतिवर्ष 6-7 माह राज्य से बाहर तथा राज्य में ही ऊन स्थानों पर घुमाते रहते है जहाँ उन्हें पर्याप्त चारा उपलब्ध हो जाता है। चारा समाप्त होने पर पुन वे अन्य स्थानों के लिये चल देते है। यह क्रिया लगातार दोहराई जाती है। इस स्थिति के कारण भेड एव बकरी पालकों पर विशेष ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाता। सरकार इस समस्या का समाधान पर्याप्त मात्रा मे चारा एव चरागाह उपलब्ध कराकर कर सकती है।

2 अपर्याप्त चरागाह (Inadequate Pastures) जो लोग बाहर निष्क्रमण नहीं करते, उन लोगों के लिये भी पर्याप्त चरागाह नही है। भेड एव बकरी पालकों को काफी बडे क्षेत्र मे चरागाह की आवश्यकता होती है। वृक्षारोपण अभियान के कारण, जब तक पेड छोटे होते है उस समय वे क्षेत्र भी जो उनके नियमित चरागाह रहे है, बद हो जाते है। ऐसी स्थिति में इन पशुपालकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पडता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को चाहिए कि वह भेड एव बकरी पालकों के लिये चरागाह निर्धारित कर दे और यदि इन क्षेत्रों मे वृक्षारोपण किया जाए तो वृक्षों की रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

3 विकास कार्यक्रमो की अनुपालना न हो पाना (Lack of Implementation of Development Programmes) राजस्थान मे भेड एव बकरी पालन के विकास के लिये जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते है वे कार्यक्रम सरकारी प्रयासों मे एक बार आरम्भ तो हो जाते है लेकिन उन्हें निरन्तर बनाए नहीं रखा जा सकता क्योंकि भेड एव बकरी पालक वर्ष में लगभग 6 माह तो अपने स्थान पर रहते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में, आरम्भ किये गये कार्यक्रम का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। इस स्थिति को बदलने के लिये सरकार द्वारा पशुओं के निष्क्रमण को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिये ताकि कार्यक्रम को प्रभावी ढग से लागू किया जा सके।

4 अच्छी नस्ल का अभाव (Lack of good Breeds). राजस्थान में भेड एव बकरियों की अनेक नस्लें पाई जाती है किन्तु इनमें से जो सर्वोत्तम नस्ल है उसे नहीं अपनाया गया है। भेड एव बकरियों में उनकी नस्ल की अपेक्षा उनकी अधिक मात्रा पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इससे पशुपालक हानि में रहते है। विदेशी नस्लों को मिला कर जो सकर नस्लें तैयार की जाती है उन पर भी भेड एव बकरी पालक अधिक ध्यान नहीं देते है इस कारण उनके पशुओं की नस्ल खराब बनी रहती है। इस समस्या का समाधान पशुपालकों से निरन्तर सम्पर्क करके उन्हें सकर नस्लों और उन्नत नस्लों की जानकारी देना है।

5 पर्याप्त देखभाल का अभाव एव बीमारियां (Lack of Proper Maintenance and Diseases) भेड एव बकरी पालकों का दृष्टिकोण व्यावसायिक नही है। इस कारण वे अपने पशुओं की देखभाल पर पर्याप्त ध्यान नही देते ओर जो कुछ भी उन पशुओं से मिल जाता है, उसी में सन्तुष्ट रहते है। अपर्याप्त देखभाल की वजह से उनके पशु रोगग्रस्त भी हो जाते है। ये रोग कई बार तो उनके समस्त पशुओं में फैल जाते है। समय पर दवाइया और टीके आदि लगाने पर भी ये ध्यान नहीं देते। इसमें एक बाधा उनका प्रतिवर्ष दूसरे स्थानों को निष्क्रमण भी है। इस समस्या का समाधान तो पशुपालकों में जागरूकता उत्पन्न करके ही किया जा सकता है।

6 निर्धनता एव अशिक्षा (Poverty and Illiteracy) अन्य पशुपालकों की अपेक्षा भेड एव बकरी पालक अधिक निर्धन है साथ ही वे अशिक्षित भी है। इन दोनों कारणों से उनके विकास के लगभग सभी मार्ग अवरूद्ध हो जाते है। भेड एव बकरियों के आवास की उचित व्यवस्था, उनको पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध करवाना, अच्छी नस्ल का विकास करना आदि कार्यों में कुछ धन की भी आवश्यकता होती है। ये पशुपालक ऐसे कार्यों को स्थगित करते रहते है, जिनमें धन लगाना आवश्यक हो। सरकार को चाहिये कि वह पहले भेड एव बकरी पालन के विकास के लिये पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करे। इससे पशुपालकों की पशु विकास में रूचि जागृत होगी तथा वे सम्पन्नता की ओर अग्रसर होंगे।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 राज्य की अर्थव्यवस्था में भेड़ एवं ऊन का महत्व बताईए।
Explain the importance of Sheep and Wool in the economy of Rajasthan

2 चालू योजना की अवधि में राजस्थान में भेड़पालन एवं ऊन उत्पादन के महत्व को उजागर कीजिए।
Highlight the importance of Sheep rearing and Wool production in Rajasthan during the current plan period

3 राजस्थान में भेड़ों व बकरियों की वर्तमान स्थिति बताईए।
Mention the present position of Sheep and goats in Rajasthan

4 राजस्थान में भेड़ों का जिलानुसार वितरण बताईए।
Mention the districtwise distribution of Sheep

5 भेड़ों की प्रमुख नस्लें क्या है?
What are the main breeds of Sheep

6 राजस्थान के भेड़ प्रजनन केन्द्रों का उल्लेख कीजिए।
Mention the Sheep reproduction centres of Rajasthan

7 राजस्थान में बकरी पालन पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on "Goat Husbandry in Rajasthan."

8 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन की विशिष्ट समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the special problems of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan

B निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन क्यों महत्वपूर्ण है और भेड़ एवं बकरी पालन की क्या समस्यायें है?
Why livestok is important in arid and semi arid regions of Rajasthan and what are the problems of Sheep and Goat Husbandry

2 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन का क्या महत्व है और उसके पालन में प्रमुख समस्यायें क्या है? विवेचन कीजिए।
What is the importance of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan and what are the problems of Sheep and Goat Husbandry? Discuss

3 राज्य सरकार द्वारा भेड़ व ऊन विकास पर किए गए कार्यों की व्याख्या कीजिए।
Examine the efforts made by Govt. of Rajasthan for Sheep and Wool development

4 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on Sheep and goad Husbandry in Rajasthan

5 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन के विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सुविधाओं का वर्णन कीजिए।
Expalin the various plans programmes & facilities for the development of Sheep-Goat Husbandry in Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

1 राजस्थान में भेड़ बकरी पालन के विकास तथा उनकी समस्याओं के निवारण हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।
Critically analyse the Govt. efforts for the development and solution of problems of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan

2 "राजस्थान में भेड़ एवं बकरी पालन की समस्याओं" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए विवेचना कीजिए।
Write a short note on "Problems of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan"

3 "राज्य के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में भेड़ एवं बकरी पालन की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Role of Sheep and Goat Husbandry in arid and semi arid regions of the state."

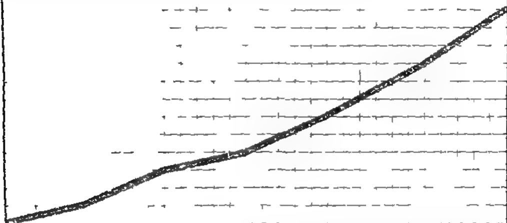
4 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन के निम्न तथ्यों का वर्णन कीजिए
(i) भेड़ों व बकरियों की संख्या (ii) भेड़ों का जिलानुसार वितरण
(iii) भेड़ों की प्रमुख नस्लें (iv) भेड़ व बकरी पालन की समस्यायें
Describe the following factors of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan
(i) Number of Sheep & Goat *(ii) Districtwise Distribution of Sheep*
(iii) Breeds of Sheep (iv) Problems of Sheep and Goat Husbandry



अध्याय – 13

राजस्थान का संरचनात्मक विकास

INFRA STRUCTURAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN



"सरंचनात्मक ढाचा विकास का आधार है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में सिंचाई
- राजस्थान नहर अथवा इंदिरा गांधी नहर परियोजना
- राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाए
- योजनाकाल में सिंचाई का विकास
- राजस्थान में सिंचाई की वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में सिंचाई सम्बधी समस्याए व सुझाव
- राजस्थान में शक्ति
- राजस्थान में ऊर्जा विकास के सदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका
- ऊर्जा के साधनों की समस्याएँ और समाधान
- राजस्थान में सडकों का विकास
- राजस्थान में रेल परिवहन
- अभ्यासार्थ प्रश्न

संरचनात्मक ढाचा विकास का आधार होता है। इसके सुदृढ होने पर ही बहुमुखी उन्नति सभव होती है। सरचनात्मक ढाचे के अतर्गत सिचाई शक्ति परिवहन आदि को सम्मिलित किया जाता है। व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा स्वास्थ्य आदि भी इसके महत्वपूर्ण अग माने जाते हैं क्योंकि मानव-सम्पदा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक होती है। राजस्थान में ढाचागत विकास जैसे ऊर्जा सडक एव पुल आदि क्षेत्रों में समझौतों एव अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र के योगदान को बढावा देने के लिये बडे पैमाने पर प्रयास किये गये है। प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान के सरचनात्मक ढाचे से सबधित निम्नलिखित बिन्दुओं का अध्ययन किया गया है -

(अ) राजस्थान में सिंचाई

(ब) राजस्थान में शक्ति

(स) राजस्थान में सडकें व परिवहन के अन्य साधन

राजस्थान मे सिंचाई

IRRIGATION IN RAJASTHAN

राजस्थान के विकास के लिए जल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में स्थलीय व भूमिगत जल की कमी

(iii) मीठा पानी (*Potable Water*)- कुए प्राय मीठे पानी वाले क्षेत्रो मे खोदना उपयुक्त रहता है क्योंकि मीठे पानी से सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती है। खारे पानी से कुछ ही फसले उत्पन्न की जा सकती है तथा खारे पानी से लगातार सिचाई करने से कुछ समय पश्चात् भूमि कृषि के अयोग्य हो जाती है।

(iv) ऊँचा जल स्तर (High Water Level) कुए प्राय ऊचे जलस्तर वाले क्षेत्रो मे खोदना उपयुक्त रहता है क्योंकि पानी भूमि को सतह से अधिक गहराई पर होने से कुए खोदन की लागत भी अधिक आती है और सिचाई में भी कठिनाइ होता है।

(v) उपजाऊ मिट्टी (Fertile Soil) उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रो मे कुए खोदकर सिचाई करने पर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है जबकि अनुपजाऊ और बेकार भूमि वाले क्षेत्रो मे कुए खोदना लाभदायक नहीं होता हैं।

क्षेत्र (Area)

कुओ से सिचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आन्ध्र प्रदेश पजाब हरियाणा महाराष्ट्र और राजस्थान प्रमुख है।

नलकूपो का अधिक प्रयोग उत्तर प्रदेश पजाब गुजरात बिहार मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बगाल मे होता है।

लाभ (Merits)-

(1) कुआँ स्वतत्र व विश्वसनीय साधन है।
(2) कम व्यय के कारण किसान के लिए सिचाई का सरल व सुगम साधन है।
(3) खेतो में पानी भरने व लवणीकरण की समस्या उत्पन्न नही हो पाती।
(4) जल का उपयोग आवश्यकतानुसार हो होता है।
(5) कृषक फसलो के चुनाव के लिए स्वतत्र होता है।
(6) मानसून प्रतिकूल होने पर नहरो व तालाबो मे पानी नहीं होने उस समय कुओ से सिचाई की जा सकती है।
(7) नलकूपो के माध्यम से विस्तृत क्षेत्र में सिचाई की जा सकती है।
(8) कुओ के लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पडती।

दोष (Demerits)

(1) सिचाइ का क्षेत्र सीमित ही होता है।
(2) वर्षा अपर्याप्त होने पर सामान्यत कुए भी सूख जाते हैं।
(3) यदि कुए में खारा जल निकल आये तो सिचाइ की दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं होता।
(4) अन्य साधनो की अपेक्षा इसमे अधिक परिश्रम व व्यय करना होता है।
(5) नलकूप मे शक्ति के साधनो का प्रयोग होने के कारण सचालन व्यय अधिक आता है।

राजस्थान मे नलकूपो द्वारा विभिन्न वर्षों में सिचाइ की प्रगति अग्रानुसार रही हैं

वर्ष	1959 [illegible]	1996 97
सिचित क्षत्र (लाख हैक्टेयर)	9.85	4.66

राजस्थान के विभिन्न जिलो म कुओ और नलकूपो द्वारा सिचाई की स्थिति 1995 96 मे इस प्रकार रही है

कुओ से सवाधिक सिचाइ करन वाले प्रमुख जिले-1995 96	
(1) अलवर	3.46 लाख हैक्टेयर
(2) जयपुर	3.23 लाख हैक्टेयर
(3) जालौर	2.91 लाख हैक्टेयर
(4) नागौर	2.14 लाख हैक्टेयर

(स्रोत Statistical abstract Raj 1996)

(2) तालाब (Tanks) वे भू भाग जहाँ वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है तालाब कहलाते है। यदि भू भाग काफी बडा हो तो वह झील के नाम से जाना जाता है। तालाब व झीले कृत्रिम या प्राकृतिक हो सकती हैं।

उपयुक्त भौगोलिक दशाए या तत्व

(Favourable Geographical Conditions)-

तालाबो के निर्माण हेतु प्राय निम्नलिखित अनुकूल भौगोलिक दशाओ का होना आवश्यक है

(i) पथरीली जमीन (Rocky land)- पथरीली भूमि वाले क्षेत्रो मे तालाब का निर्माण कराना उपयुक्त रहता है क्योंकि पथरीली भूमि अधिक पानी नहीं सोख पाता है जिससे तालाबो मे पानी अधिक समय तक भरा रहता है।

(ii) प्राकृतिक ढाल (Natural Slope) तालाबो का निर्माण भूमि के प्राकृतिक ढाल वाले स्थानों पर किया जाना चाहिय ताकि वर्षा होने पर पर्याप्त मात्रा में जल बहकर आ सकें।

(iii) प्राकृतिक गड्ढे (Natural Depression) तालाबों का निर्माण ऐसे स्थानो पर किया जाना चाहिय जहाँ पहले से ही प्राकृतिक गड्ढे विद्यमान हों ताकि निर्माण-लागत कम हो जाये।

1 Trends in land use statistics & Draft Ninth Five Year Plan, 1997-2002, Govt. of Raj.

(iv) पर्याप्त वर्षा (Sufficient Rain) तालाबो का निर्माण करत समय वषा की पर्याप्तता का भी ध्यान रखना चाहिये। एसे स्थान जहाँ वषा कम समय कम मात्रा तथा मूसलाधार रूप में हाती हों तालाबो क लिए उपयुक्त रहते ह।

(v) सिचाई के अन्य साधन न हा (Other Sources of Irrigation are not Available) तालाबा के निमाण उन स्थाना पर भी उपयुक्त हे जहाँ सिचाई के अन्य साधना का विकास न हुआ हों या वे अत्यन्त महगे हा।

लाभ (Merits)

(1) प्राकृतिक बनावट के कारण थोडे से प्रयत्नो स भू भाग का तालाब का रूप दिया जा सकता हे।

(2) खेता का क्षत्र पर्याप्त विस्तृत नहीं हा ता सिचाई के लिए तालाब पर्याप्त हे।

(3) चट्टानी भूमि के कारण जल सग्रह क्षमता अधिक होती हैं।

(4) धरातल असमतल व चट्टानी होने के कारण वहा न तो कुआ और न ही नहरा के लिए उपयुक्त धरातल विद्यमान होता है।

(5) नदिया बरसाती होती हैं अत वषभर सिचाइ हतु स्थान स्थान पर जल सग्रह करना आवश्यक हाना है जा तालाबा द्वारा हा सभव होना है।

(6) तालाबा का निमाण कम व्यय म मभव है।

(7) वर्षा का पानी तालाया म एकत्र हाता है अत सदैव माठा जल हा उपलब्ध हाता है।

(8) तालाबा स वषभर सिचाइ सभव है।

(9) कम लागत वाले प्राकृतिक तालाबा स सिचाइ काय सभव है।

(10) तालाबा म मछली पालन व्यवसाय भा पनप मकता है जा स्थानाय आवश्यकताओ का पूर्ति कर सक।

(11) वर्षा का पाना जो बहकर समुद्र म चला जाता ह उसका उपयाग मभव हो सकता ह।

(12) पाने क लिय माठा पाना उपलब्ध हा जाता हे।

(13) बेकार पठारा और चट्टाना भूमि का भी उपयोग मभव हो पाता है।

(14) जहाँ अन्य साधन सफल न हा तालाब सिचाइ सुविधा उपलब्ध करवाते हैं।

दाष (Demerits)

(1) यदि तालाब ऊपर नीचे की आर एक क्रम म हा तो उपर का एक भी तालाब टूटने पर नाच के अन्य तालाबा के टूटने का भय रहता है जिससे जन धन की हानि सभव हे।

(2) ढालू भूमि पर स पानी बहकर आने से मिट्टी का कटाव होता रहता है और मिट्टी एकत्र होती रहती ह जिसस तालाब उथले हो जाते ह।

(3) वर्षा कम हाने पर तालाबा मे पर्याप्त पाना एकत्र नहीं हो पाता आर वर्षभर सिचाई नहीं हो पाती।

(4) तालाब खुल होने के कारण सूर्य के प्रत्यक्ष सपर्क म आते हे अत जल का एक बडा भाग वाष्प बनकर उड जाता है।

(5) तालाबा का अनक कार्यो मे उपयाग करन स बामारियो क फैलने का भय सदैव बना रहता है।

(6) अधिक विस्तृत क्षत्र म सिचाइ सभव नही है।

(7) तालाबा से खेता तक पानी पहुचाने में व्यय अधिक होता है।

(8) तालाब बहुत अधिक स्थान घरते है।

राजस्थान म तालाबा द्वारा विभिन्न वर्षो म सिचाई का स्थिति अग्रानुसार रही है

वर्ष	1959-60	1996 97
सिंचित क्षत्र(लाख हेक्टयर)	2.55	2 18

राजस्थान क विभिन्न जिला म तालाबा द्वारा सिचाइ का स्थिति वष 1995 96 म इस प्रकार रहा

तालाबा स सर्वाधिक सिचाई करन वाले प्रमुख जिल 1995 96	
(1) पाली	0.55 लाख हैक्टेयर
(2) भीलवाडा	0.36 लाख हैक्टेयर
(3) उदयपुर	0.23 लाख हैक्टेयर
(4) टोंक	0 13 लाख हैक्टयर

(स्रोत Statistical abstract, Raj. 1996)

(२) नहर (Canals) सिचाइ क कृत्रिम साधना मे नहर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। नहर मुख्यत निम्नलिखित प्रकार का हाती हैं

(1) बरसाती नहर (Rainy Canals) ये केवल वर्षाकाल म सिचाई करता हैं। नदिया के अतिरिक्त जल का निकालन क लिए भा इनका प्रयाग किया जाता है।

(2) नित्यवाही नहर (Perennial Canals)- इनमें नियमित रूप से वषभर जल प्रवाह बना रहता ह। एसा नहर वष भर बहन वाला नदिया स निकाली जाती है।

(3) पोषक नहर (Feeder Canals)- ऐसी नहरों का निमाण दूसरा नहरा को पाना उपलब्ध कराने हेतु किया जाता

1 Trands is land use statistics & Draft Ninth Five Year Plan, 1997 2002, Govt. of Raj Statistical Abstract 1998 Raj.

है। इन नहरो से बीच मे पानी लिया जाता है।

(4) बद नहरे (Covered Canals)- वाष्पीकरण से होने वाली हानि से बचने के लिये नहरो को ऊपर से बद भी कर दिया जाता है।

(5) लिफ्ट नहरे (Lift Canals)- इन नहरो मे जलापूर्ति हेतु बाधो का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि नदी के पानी को मशीनो से ऊचा उठाकर सिचाई की जाती है।

उपयुक्त भौगोलिक दशाए या तत्त्व (Favourable Geographical Conditions)-

(i) समतल भूमि (Plain Land)- नहरो का निर्माण समतल भूमि मे किया जाना उपयुक्त रहता है क्योकि असमतल भूमि होने पर ऊपरी भागो मे सिचाई नहीं की जा सकती है। अत. सिचाई के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये नहरो का निर्माण समतल भूमि म किया जाना आवश्यक है।

(ii) जमीन पथरीली न हो (Absence of Rocky Land) - नहरो के निर्माण वाले क्षेत्रो की भूमि पथरीली नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे नहरो की निर्माण लागत बहुत अधिक बढ जाती है। अत नहरो के निर्माण के लिए नर्म धरातल होना उपयुक्त रहता है।

(iii) नित्यवाही नदिया (Perennial Rivers)- नहरो की जल की प्राप्ति मुख्यत नदियो या बाधो से होती है। यदि नहरो या बाधों का निर्माण नित्यवाही नदियो पर नहीं किया गया तो नहरो को सदव पानी नही प्राप्त हो पाता है। अत नहरो से वर्ष पर्यन्त जल की प्राप्ति हेतु नहरो का निर्माण नित्यवाही नदिया पर ही किया जाना उपयुक्त रहता है।

(iv) उपजाऊ भूमि (Fertile Land)- नहरो का निर्माण उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रा मे ही किया जाना चाहिये ताकि भूमि निमाण व्यय वहन कर सके।

(v) पर्याप्त श्रमशक्ति (Adequate Manpower)- नहरों के निमाण क्षेत्रो मे पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध होने से नहरो के निर्माण की लागत मे कमी आ सकती है। नहरी क्षेत्र मे पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध न होने पर अन्य स्थानों से श्रमिको को बुलाना पडता है जिससे लागत मे वृद्धि हो जाती है।

(vi) भूमि का ढाल (Gentle Slope of Land)- ढालू भूमि वाले क्षेत्रो मे नहरो से सिचाई की सुविधा रहती है, अत नहरों का निमाण ढालू भूमि वाले क्षेत्रो में करना उपयुक्त रहता है।

लाभ (Merits)

(1) यह एक स्थायी व्यवस्था है जो वर्षा की अनिश्चितता से बचाती है।

(2) बाधो के निर्माण से सिचाई के अतिरिक्त जलविद्युत, मछलीपालन आदि लाभ भी प्राप्त होते हैं।

(3) नहरो के किनारे वृक्षारोपण व चरागाहो का निर्माण सभव है।

(4) इससे विस्तृत क्षेत्र सींचा जा सकता है- अत. खेतो का आकार बढाया जा सकता है।

(5) अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलो को उगाना सभव हो सकता है।

(6) नहरो मे मीठा पानी होने से पानी की समस्या भी हल हो जाती है।

(7) इनका उपयोग आतरिक परिवहन मे किया जा सकता है।

(8) बाढ का पानी नहरो से निकल कर जन-धन की हानि से बचा जा सकता है।

(9) रेगिस्तान मे अन्य सिचाई के साधन सफल नहीं हो पाते अत नहर निर्माण आवश्यक हो जाता है।

(10) वर्ष भर मे इच्छानुसार दो-तीन फसले ली जा सकती हैं।

(11) हरित क्रांति को सफल बनाने मे नहरों का योगदान सराहनीय रहा है।

(12) उपयुक्त परिस्थितियो वाले क्षेत्रों मे नहरों से सिचाई सस्ती व सुगम होती है।

(13) क्षेत्र के विकास और राष्ट्रीय एव सरकारी आय मे वृद्धि होती है।

(14) इनके द्वारा अकालो का निवारण सभव है।

दोष (Demerits)-

(1) नहरो के स्थान-स्थान पर टूट जाने के कारण आस-पास के क्षेत्र मे पानी भर जाता है और वहा कृषि सभव नहीं हो पाती।

(2) लवणीकरण की समस्या नहरो का मुख्य दोष है।

(3) नहरो से सिचाई के लिए दूसरो पर निर्भर रहना होता है और स्वतत्रता नहीं रहती।

(4) जलप्रसार से बीमारियों का भय बना रहता है।

(5) कृषको मे आपसी झगडो और मुकदमेबाजी की सभावना बढती है।

(6) नदियो के मार्ग-परिवर्तन पर विद्यमान नहरे बेकार हो जाती हैं।

(7) शुल्क निश्चित होने के कारण पानी के दुरूपयोग की सभावना रहती है।

राजस्थान में नहरों द्वारा विभिन्न वर्षो मे सिचाई की स्थिति निम्न प्रकार रही है।[1]

---

1 Trends in land use Statistical & Draft [illegible] th Five Year Plan 1997-2002 Govt. of Rajasthan.

वर्ष	1959-60	1996-97
सिंचित क्षेत्र(लाख हैक्टेयर)	4 21	22 0

नहरो से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले प्रमुख जिले 1995 96	
(1) गगानगर	5 46 लाख हैक्टेयर
(2) हनुमानगढ़	3 09 लाख हैक्टेयर
(3) कोटा	1 19 लाख हैक्टेयर
(4) बूंदी	1 09 लाख हैक्टेयर
	(स्रोत S a s cal abs ra t Raj 1996

(4) अन्य साधन (Other Sources)- उपर्युक्त मुख्य साधनो के अतिरिक्त नदियो मे वहते जल को खेतो मे मोडकर भी सिचाई की जाती है। वर्षाकाल मे नदियो का पाट बहुत चोडा हो जाता है लेकिन इस ऋतु की समाप्ति के पश्चात् पाट बहुत ही सकरा हो जाता है। अत पाट के शेष भाग मे नमी के कारण कृषि की जाती है। छोटे-छोटे पहाडी झरनो और नदियो से पम्प द्वारा जल उठाकर भी सिचाई होती है।

अन्य साधन मे सर्वाधिक सिचाई करने वाले प्रमुख जिले 1995 96	
(1) बांसवाड़ा	0 लाख हैक्टेयर
(2) टोंक	0 08 लाख हैक्टेयर
(3) कोटा	0 07 लाख हैक्टेयर
(4) भरतपुर	0 03 लाख हैक्टेयर
	(स्रोत S n . ca abs a Ra 1998

राजस्थान की प्रमुख नहर
(Important canals of Rajasthan)

1 गग नहर (Gang Canal) इस नहर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गगसिह ने करवाया था। इनके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान म सिचाई की सुविधाए उपलब्ध करवाना था। इसका निर्माण कार्य 1927 ई मे प्रारम्भ हुआ। यह नहर फिरोजपुर के निकट हुई हुसेनीवाला से निकाली गई है। यह नहर पजाब राज्य मे बहने के पश्चात् खखा के पास बीकानेर गगानगर मे प्रवेश करती है। इसके निर्माण पर 3 30 76,336 रूपए खर्च हुये। यह नहर शिवपुर गगानगर जोरावरपुर पदमपुर रायसिह नगर और सरूपसर के पास अनूपगढ तक जाती है। फिरोजपुर हैडवक्स से नहर की कुल लबाई 292 किलोमीटर है यह 144 किलोमीटर तक पक्की है। इसकी अनेक शाखाए व उपशाखाएं हैं सन 1980 मे 9) किलोमीटर लम्बी एक लिंक नहर का निर्माण किया गया। इस गग नहर लिक चैनल कहते हैं। यह चैनल इंदिरा गांधी मुख्य नहर से जोडी जायेगी। उद्घाटन के समय गगनहर विश्व की सबसे लम्बी पक्की नहर था। पाकिस्तान के बहावलपुर प्रदेश से होती हुई यह नहर गगनहर पहुचती है। इस नहर से बीकानेर व गगनहर क्षेत्र की लगभग 3.28 लाख हेक्टेयर भूमि की सिचाई की जाती है। अब यह नहर जर्जर हो चुकी है अत इसका पुन निर्माण कराया जाना चाहिये।

गगनहर द्वारा सिंचित सकल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर म)			
जिला	1980 81	1990 91	1993 94
गगानगर	331 42	328 99	320 14
स्रोत Trends n Land ... & Vas 1994 95 Raja han			

2 भरतपुर नहर (Bharatpur Canal)- इस नहर का निर्माण 1906 ई मे प्रारम्भ हुआ और यह 1963-64 ई मे बनकर तैयार हुई थी। यह नहर यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से निकाला गई थी। इस नहर की कुल लम्बाई 28 किलोमीटर है और इससे राज्य के पूर्वी भागो की लगभग 11000 हैक्टेयर भूमि पर सिचाई की जाती है इससे खाद्यानों के उत्पादन म वृद्धि हुई है।

3 गुडगाव नहर (Gurgaon Canal)- यह नहर यमुना नदी से ओखला नामक स्थान के पास से निकाली गई है। यह राजस्थान व हरियाणा के सयुक्त प्रयासो का परिणाम है। इससे राजस्थान को 500 क्युसेक जल की प्राप्ति होगा। यह नहर भरतपुर जिले की कामा तहसील मे जुरेस गाव के निकट राजस्थान मे प्रवेश करती है। इस नहर से राज्य की लगभग 28.2 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिचाई होने का अनुमान है। गुडगाव नहर का प्रमुख उद्देश्य यमुना नदी के वर्षाकालीन जल का उपयोग करना है नहर का निमाण 1985 मे पूर्ण हो चुका है। राजस्थान म इस नहर की कुल लबाई 58 किलोमीटर है।

4 इदिरा गाधी नहर परियोजना (Indira Gandhi Canal Project)- प्रारम्भ मे इसे राजस्थान नहर परियोजना कहा जाता था। यह नहर पजाब म सतलज व व्यास नदियो के सगम पर स्थित हरि के बाध से निकाली गई। इसका विस्तृत विवेचन अगले पृष्ठों में किया गया है।

राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाए
MAIN RIVER VALLEY PROJECTS OF RAJASTHAN

राजस्थान नहर अथवा इदिरा गाधी नहर
RAJASTHAN CANAL OR INDIRA GANDHI CANAL

राजस्थान नहर परियोजना विश्व की विशालतम नहरो मे से एक है। यह मानवीय श्रम के माध्यम से एक बडे

भू-भाग मे फैले थार मरूस्थल को पुन- हरे-भरे क्षेत्र मे बदलने का एक प्रयास है। सदियो से वीरान पडे इस रेगिस्तान के लिए मानव का यह प्रयास सफल होगा, इस बात की आशा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी जागृत होती है। राजस्थान नहर परियोजना जिस भू-भाग पर बनी है वह मरूस्थलीय क्षेत्र वास्तव मे उपजाऊ भूमि है। यह केवल जल के अभाव मे बेकार पडी रहती है। इस क्षेत्र मे वर्षा कम होने से ही जल का अभाव बना हुआ है। एक समय था जबकि इस क्षेत्र मे सरस्वती नदी बहा करती थी और यह क्षेत्र सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से काफी उन्नत था। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी के इन्ही किनारो पर वेदो की रचना की गई। इस क्षेत्र मे कालीबगा की सभ्यता के जो अवशेष मिले है, वे मोहन-जो-दडो की सभ्यता के समकालीन है और इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह एक विकसित व समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र के विकास के लिए 1951 मे केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा प्रथम सर्वेक्षण किया गया। 1954 और 1956 मे राजस्थान सरकार ने स्वय इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया। इन सर्वेक्षणो के आधार पर 1957 मे प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार किया गया और 31 मार्च, 1958 को इस परियोजना पर औपचारिक रूप से कार्य आरम्भ हुआ। 31 मार्च, 1958 को इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन गृहमंत्री गोविन्द वल्लभ पंत ने किया था।

हिमालय के पानी को थार रेगिस्तान मे लाने का पहला प्रयास बीकानेर के महाराजा गगासिह ने 1920 मे गगनहर के निर्माण के द्वारा किया। 1948 मे राजस्थान नहर परियोजना के जनक कवरसेन ने अपने पत्र 'बीकानेर राज्य के लिए जल आवश्यकता' मे इस बात पर बल दिया कि इस क्षेत्र मे अच्छी फसले ली जा सकती हैं बशर्ते यहाँ पानी उपलब्ध हो। भारत एव पाकिस्तान के विभाजन के समय जब दोनो देशो की नदियो के पानी को बाटने के सम्बन्ध में विचार विमर्श चल रहा था उसी समय भारत में भाखडा नागल परियोजना पर कार्य हो रहा था जो कि सतलज नदी पर बनाई गई है। यह पजाब और राजस्थान के क्षेत्रो की सिंचाई की योजना थी। 1955 मे अन्तर्राज्यीय समझौते के माध्यम से रावी और व्यास के पानी मे राजस्थान का हिस्सा तय किया गया और राजस्थान नहर परियोजना का हिस्सा तय किया गया। उसी के पश्चात् राजस्थान नहर परियोजना को सुदृढ आधार मिला। राजस्थान नहर परियोजना का नाम स्व. श्रीमती इंदिरा गाधी के नाम पर इंदिरा गाधी नहर कर दिया गया है।

परियोजना के उद्देश्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले कार्य

OBJECTS & MAIN WORKS

इंदिरा गाधी परियोजना के मुख्य उद्देश्यों को निम्नलिखित बिन्दुओ के अतर्गत दर्शाया जा सकता है--

1 इंदिरा गाधी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के बहुत बडे रेगिस्तान को पुन- पुरातन स्वरूप प्रदान करना है जिसके अतर्गत यह क्षेत्र एक हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस परियोजना के माध्यम से पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

2 इस मरूभूमि मे बहुत दूर-दूर तक पानी उपलब्ध नहीं है। कुओ मे पानी का स्तर अत्यधिक गहरा है। लोगो को पीने के पानी की खोज म दूर-दूर तक जाना पडता है। इस कारण इस परियोजना के माध्यम से लोगो को पेयजल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य है।

3 इस रेगिस्तानी क्षेत्र मे जनसख्या का घनत्व बहुत कम है। कृषि और उद्योग धन्धे भी अधिक नही पनप पाये हैं। इस कारण इस परियोजना के माध्यम से कृषि एव उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे जनसख्या की विरलता भी कम होगी।

4 इस परियोजन के अतर्गत यथासभव जल विद्युत उपलब्ध कराने की चेष्टा भी की जायेगी। इस हेतु इस परियोजना मे मुख्य रूप से लिफ्ट सिचाई योजनाओ का प्रयोग किया जायगा और उन पर लघु जल विद्युत उत्पादन सयत्र स्थापित किये जायेंगे।

5 इस परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र मे जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओ को जुटाने का प्रयास किया जायेगा जिनमे मुख्य रूप से सडक, विद्युत एव सिचाई तथा सचार व्यवस्था प्रमुख है।

उपरोक्त उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिये इस परियोजना मे यह कदम उठाना प्रस्तावित है।

1 सर्वप्रथम राजस्थान फीडर का निर्माण किया जाना ताकि राजस्थान नहर को जल उपलब्ध हो सके।

2 राजस्थान नहर का निर्माण किया जाना ताकि एक बडे भू-भाग को जल उपलब्ध करवाया जा सके।

3 परियोजना के पूरे कमाड क्षेत्र तक पहुचने के लिये राजस्थान नहर की शाखाओ और उपशाखाओं का जाल बिछाना।

4 ऐसे क्षेत्र जो जल के सामान्य प्रवाह क्षेत्र के अतर्गत नही

आ पाते उन क्षेत्रों तक पहुंचने तक लिफ्ट सिचाई परियोजना का सहारा लिया जायेगा।

5 परियोजना के अंतर्गत लघु जल विद्युतगृहों का निर्माण भी किया जायेगा ताकि कुछ सीमा तक अन्य स्रोतों से विद्युत आपूर्ति पर निर्भरता कम हो सके। इन लघु जल विद्युत गृहों का निर्माण लिफ्ट सिचाई योजनाओं के स्थान पर किया जा सकता है।

इंदिरा गाधी परियोजना की प्रमुख बातें Important Features

1 उद्गम (Origin) - 1952-53 में जब हरिके बैराज बनकर तैयार हो गया तो केन्द्रीय जल एव विद्युत आयोग द्वारा राजस्थान नहर परियोजना को व्यावहारिक रूप देने के लिये प्रयास किये गये। वैसे केन्द्रीय जल एव विद्युत आयोग ने 1951 में इस परियोजना हेतु सर्वेक्षण किया था। इस परियोजना का श्रेय बीकानेर रियासत के मुख्य अभियता श्री कवरसेन को भी दिया जाता है क्योंकि उन्हें इस परियोजना के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिये कहा गया था। 1927 में निर्मित गगनहर के प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुये उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। राजस्थान सरकार ने भी इस परियोजना का सर्वेक्षण करवाया और अन्त में 31 मार्च 1958 को इस नहर का शिलान्यास तत्कालीन गृहमत्री के हाथों हुआ। आरभ म जब यह योजना बनाई गई थी तो उस समय इस परियोजना के अतर्गत पजाब हरियाणा राजस्थान को काडला बदरगाह से जोडने का लक्ष्य था। अपर्याप्त साधनो और वित्तीय कठिनाइयो के कारण इस प्रयास को छोड दिया गया।

2 जल आवटन (Water Allocation) - जनवरी 1955 में हुए अन्तर्राज्यीय समझौतो के अनुसार राजस्थान को रावी और व्यास के उपलब्ध 19568 मिलियन क्यूबिक मीटर जल में से 9876 मिलियन क्यूबिक मीटर जल आवटित किया गया। रावी और व्यास नदियों के प्रवाह के सदर्भ मे 1921 22 मे 1970 71 तक उपलब्ध आकडों के अनुसार राजस्थान का भाग 10617 मिलियन क्यूबिक मीटर है। राजस्थान नहर परियोजना के अतर्गत 9383 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपयोग होगा।

3 परियोजना के दो चरण (Two Stages) - इदिरा गाधी नहर परियोजना का क्रियान्वयन चुरू जैसलमेर, श्रीगगानगर बीकानेर जोधपुर और बाडमेर जिलो मे किया जा रहा है। आठवीं पचवर्षीय योजना के अनुसार राजस्थान को रावी और व्यास नदियों के जल से 8 6 मिलियन एकड फुट जल प्राप्त हुआ है। इसमें से इस परियोजना के माध्यम से 7 59 मिलियन एकड फुट जल के उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के पूर्ण होने पर इसका कमाण्ड क्षेत्र 15 37 लाख हैक्टेयर का होगा जिसमें से प्रतिवर्ष 13 88 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

प्रथम चरण (First Stage)[1] .- इदिरा गाधी परियोजना के प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लबी फीडर नहर का निर्माण किया गया है। यह फीडर नहर पजाब के हरिके बैराज से निकलकर राजस्थान में मसीतावाली तक बनाई गई है। प्रथम चरण के अतर्गत राजस्थान के मसीतावाली से लेकर छतरगढ तक 189 किलोमीटर लबी मुख्य नहर का निर्माण किया गया है। इसकी वितरण प्रणाली 3075 किलोमीटर लबी है। इसका कमाण्ड क्षेत्र 5 25 लाख हैक्टेयर का है। इस चरण का कार्य 1991-92 में पूरा हो गया है। इस चरण के अतर्गत तीन प्रमुख शाखाओं सूरतगढ शाखा अनुपगढ शाखा नौहेरा शाखा एव लूनकरनसर बीकानेर लिफ्ट नहर का निर्माण सम्मिलित है।

द्वितीय चरण (Second Stage)[2] - द्वितीय चरण में छतरगढ से जैसलमेर जिले के मोहनगढ तक 256 किलोमीटर लबी मुख्य नहर का निर्माण प्रस्तावित था। दिसम्बर 1986 में इसका निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही इदिरा गाधी परियोजना की 649 किलोमीटर लबी मुख्य नहर पूरी हो गई। इस मुख्य नहर को पूरी करने मे लगभग 28 वर्ष लगे। द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर की वितरण प्रणाली 3152 किलोमीटर लम्बी है और इसका कमाण्ड क्षेत्र 7 लाख हैक्टेयर है। इसी चरण मे 6 लिफ्ट सिचाई योजनाओ की वितरण प्रणाली 1960 किलोमीटर है और उनका कमाण्ड क्षेत्र 3 21 लाख हैक्टेयर है। इस प्रकार द्वितीय चरण मे 256 किलोमीटर लबी मुख्य नहर है व 5112 किलोमीटर लबी वितरण प्रणाली है और कुल कमाण्ड क्षेत्र 10 12 लाख हैक्टेयर है। 80% सिचाई गहनता पर इस चरण की सिचाई क्षमता 8 10 लाख हैक्टेयर है। परियोजना के द्वितीय चरण के अतर्गत 256 किलोमीटर लबी मुख्य नहर दिसम्बर 1986 में पूरी हुई एव 1 जनवरी 1987 को तत्कालीन केन्द्रीय वित्तमत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह द्वारा इसमे जल प्रवाहित किया गया।

आठवीं योजना में परियोजना के प्रथम व द्वितीय चरण पर 700 करोड (284 करोड रुपए की केन्द्रीय सहायता सहित) उपलब्ध कराये गये।[3] नवीं योजना मे 1000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।[4] द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रथम चरण की 189 किलोमीटर लम्बी नहर के अतिरिक्त शेष बची मुख्य नहर दत्तोर शाखा, गिगिलपुर शाखा

1&2 Data from Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt of Raj
3&4 Draft Ninth Five Year Plan, 1997 2002, Govt of Raj

चारणवाली शाखा भाचना शाखा गडरा रोड उपशाखा लिफ्ट योजनाये व वितरण प्रणाली का कार्य सम्मिलित था। मार्च 98 तक 6256 कि मी लम्बी शाखाओ तथा वितरिकाओ का निर्माण किया जा चुका है जबकि लक्ष्य 9180 कि मी तक का था इस कार्य पर 1746 करोड रु का (प्रथम चरण पर 343 करोड तथा द्वितीय चरण पर 1403 करोड रुपये) व्यय किये जा चुके है।

4 इदिरा गाधी नहर के प्रथम चरण की जलोत्थान सिचाई याजना (Lift Irrigation Projects in First Stage) कवरसेन लिफ्ट सिचाई योजना (लूनकरणसर बीकानेर जलोत्थान नहर)(Kanwarsen Lift Irr gat on Project) यह प्रथम चरण की एक महत्त्वपूर्ण योजना ह जिसके माध्य से बीकानेर को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ ही 46 हजार हैक्टेयर क्षेत्र मे सिचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इस नहर मे पानी को 60 मीटर ऊचा उठाया गया है।

5 इदिरा गाधी नहर के द्वितीय चरण म लिफ्ट सिचाई याजनाए (Lift Irrigation Projects in Second Stage)

(i) नोहर साहवा लिफ्ट सिचाई योजना (Nohar Sahawa Lift Irrigation Project)- इस नहर से गगानगर व चुरू जिलो को लाभ पहुचेगा। इस जलोत्थान नहर मे पाच स्थानो पर पानी को पपो मे उठाया जायेगा। साहवा नहर से 750 मीटर लबी वितरण प्रणाली से प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख हैक्टेयर भूमि सींची जायेगी। यह नहर 109 किलोमीटर लबी है।

(ii) गजनेर लिफ्ट सिचाई योजना (Gajner Lift Irrigation Project)- बीकानेर जिले के अतगत 32 किलोमीटर लबी इस नहर की वितरण प्रणाली 240 किलोमीटर होगी। इसमे 1.2 लाख हैक्टेयर भूमि में सिचाई की जायेगी तथा इस योजना मे पानी को छ स्थानो पर ऊचा उठाया जायेगा।

(iii) कोलायत लिफ्ट सिचाई योजना (Kolayat Lift Irrigation Project) बीकानेर जिले की यह नहर 31 किलोमीटर लबी होगी। इसकी वितरण प्रणाली की लबाई 382 किलोमीटर होगी। इससे 2 1 लाख हैक्टेयर भूमि सींचा जा सकेगा। इस नहर मे भी जल को छ स्थानो पर ऊचा उठाया जायेगा।

(iv) फलौदा लिफ्ट सिचाई योजना (Phalodi Lift Irrigation Project) जोधपुर जिले की यह नहर 32 किलोमीटर लम्बी होगी। इसकी वितरण प्रणाली की लबाई 400 किलोमीटर तथा इसकी सिचाई क्षमता 1 4 लाख हैक्टेयर भूमि होगी। इस योजना मे जल को 7 स्थानो पर ऊचा उठाया जायेगा।

(V) पोकरण लिफ्ट सिचाई योजना (Pokharan Lift Irrigation Project)- जैसलमेर जिले की यह नहर 26 किलोमीटर लबी होगी। इसकी वितरण प्रणालिया 170 किलोमीटर लबी होगी इससे 23 हजार हैक्टेयर क्षेत्र सींचा जा सकेगा।

(vi) बागडसर लिफ्ट सिचाई योजना (Bangarsar Lift Irrigation Project) यह परियोजना सन् 2004 में 2500 करोड की लागत स पूरी होने की सभावना है।[1]

6 लागत (Cost)- 1957 में इस परियोजना के निर्माण की लागत 66 46 करोड रूपए आने की सभावना थी। परियोजना के क्षेत्र मे परिवर्तन और कीमतो मे वृद्धि के कारण 1970 मे इस योजना के पूरा होने पर 207 70 करोड रुपये लगने की सभावना थी। 1975 मे यह लागत बढकर 331 10 करोड रुपय तक आकी गई। 1978 मे यह पुन 415 करोड रुपये हो गई। परियोजना के प्रथम चरण के कार्यो पर 31 मार्च 1992 तक 277 करोड रुपये व्यय हो चुके थे।[2] राजस्थान नहर परियोजना का द्वितीय चरण सन् 2005 मे लगभग 2267 करोड रूपये की लागत से पूरा होने की सभावना है।[3]

7 राजस्थान फीडर (Rajasthan Feeder) *सतलज और व्यास नदियों के सगम स्थल पर हरिके बाध बनाया गया है। वहा से राजस्थान फीडर निकाली गयी इस राजस्थान फीडर की लबाई 204 किलोमीटर है। इस फीडर का 150 किलोमीटर तक का भाग पजाब में और उसके पश्चात् 19 किलोमीटर तक का भाग हरियाणा राज्य में है। राजस्थान फीडर का उद्देश्य राजस्थान नहर को पानी उपलब्ध कराना है। इस फीडर मे पजाब और हरियाणा मे कहीं भी पानी नहा लिया जाता। राजस्थान फीडर एक पक्का और पलस्तरयुक्त नहर है जो कि प्रथम श्रेणी चरण के अतगत पूरी हो चुकी है।*

8 राजस्थान नहर (Rajasthan Canal) *जहाँ राजस्थान फीडर समाप्त होती है वहा से राजस्थान नहर का कार्य आरम्भ हो जाता है। राजस्थान नहर की कुल लबाई 445 किलोमीटर है। प्रथम चरण म राजस्थान नहर का 189 किलोमीटर का भाग और द्वितीय चरण मे 256 किलोमीटर नहर का निर्माण कार्य पूरा करना था। राजस्थान की मुख्य नहर का कार्य अर्थात् सम्पूर्ण 445 किलोमीटर लबी मुख्य नहर पूर्ण हो चुकी है। राजस्थान नहर का पैदे की चौडाई 38 मीटर और नहर के ऊपरी भाग म इसकी चौडाई 67 मीटर है। राजस्थान नहर की गहराई 6 4 मीटर है। इस कारण इस नहर मे 523 घन मीटर पानी प्रति सैकेण्ड प्रवाहित हो सकता है।*

9 प्रवाह एव जलोत्थान क्षेत्र (Flow and Lift Area)- राजस्थान नहर परियोजना के समस्त क्षेत्र में लाभ पहुचाने का कार्य दो प्रकार क प्रवाह क्षेत्र म बटा हुआ है। सामान्य प्रवाह क्षेत्र के अतर्गत पानी स्वत अपने ढाल पर बहता है। राजस्थान

1 Econom c Survey 1998 99 Ra

2 नवभारत टाइम्स 5 मार्च 1993

3 Draft Nin II Five Yea Plan 1997 2000 Govt of Ra

नहर परियोजना का पश्चिमी भाग स्वत ढाल लिये हुये है। इस कारण उस क्षेत्र मे शाखाओ और उपशाखाओ का जाल आसानी से सामान्य प्रवाह क्षेत्र के माध्यम से बिछाया जा सकता है। इस परियोजना म ऐसा भी किया या है। राजस्थान नहर परियोजना का पूर्वी क्षेत्र सामान्य प्रवाह क्षेत्र मे नहीं आता है। इस कारण जलोत्थान योजनाए बनाई गई है। जलोत्थान योजनाओ के अतर्गत प्रथम चरण मे लूणकरणसर बीकानेर लिफ्ट सिचाई द्वारा पानी उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई। इसके अतर्गत जल को चार पम्पिग स्टेशनो के द्वारा 60 मीटर तक उठाया गया। द्वितीय चरण के अतर्गत नोहर साहवा गजनेर कोलायत फलौदी पोकरण तथा बागडसर लिफ्ट नहरे मुख्य जलोत्थान परियोजनाए है।

10 वितरण प्रणाली (Distribution System) राजस्थान नहर परियोजना के अतर्गत कुल 9 शाखाओ और 21 उपशाखाओ का निमाण किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण के अतर्गत प्रथम 3 शाखाओ अर्थात् सूरतगढ अनूपगढ और नाशेरा शाखा का कार्य किया गया। द्वितीय चरण म शेष सभी शाखाओ पर कार्य करना था। राजस्थान नहर परियोजना के अतर्गत वितरण प्रणाली का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है

विवरण	इकाई	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	कुल योग
सामान्य प्रवाह क्षेत्र	कि मी	2743	3 52	5895
जलोत्थान क्षेत्र	कि मी	332	1960	2292
योग	कि मी	3075	51 2	8187

11 कमाण्ड क्षेत्र विकास (Command Area Development) विदेशी सहायता से प्रथम चरण के अतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास का कार्यक्रम आरभ किया। इसके अतर्गत सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता से जून 1983 तक 1 87 लाख हक्टेयर भूमि मे पक्के जल प्रवाहर मार्ग बनाये गये। द्वितीय कृषि विकास के अन्तर्राष्ट्रीय कोष की सहायता से दिसम्बर 1988 तक 1 73 लाख हक्टेयर भूमि को पुन इसी प्रकार के कार्य के अतर्गत लाया गया द्वितीय चरण के अतर्गत 92911 हैक्टयर भूमि पर इसी प्रकार का कार्य पूरा किया गया। रेत के टीलो को स्थिर करने और नहरो मे रेत उडकर एकत्रित होने जैसी स्थिति को समाप्त करने की चेष्टा की गई। वृक्षारोपण का कार्य हाथ मे लिया गया। कमाण्ड विकास क्षेत्र म सडको की स्थिति म सुधार किया गया। चरागाहो का विकास किया गया। उपलब्ध सिचाई क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिये पर्याप्त कृषि सहायक सेवाए प्रदान करने की कोशिश की गई। वितरण नहरो को पक्का किया गया। पेयजल उपलब्ध करवाया गया। भूमि को समतल बनाने की चेष्टा की गइ। क्षारीय। भूमि को सुधारने की चेष्टा की गई। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यों और कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिये अनेक विकास योजनाओ पर कार्य किया जा रहा है।

12 विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme) 1968 से विश्व खाद्य कार्यक्रम सगठन द्वारा राजस्थान नहर परियोजना के अतर्गत नि शुल्क खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जा रहे है ताकि इन पदार्थो को श्रमिको व कम वेतन वाले कर्मचारियो और उनके आश्रितो को बाजार मूल्य की आधी दर से बेचा जा सके। इस विक्रय से जो राशि प्राप्त होगी उस राशि से एक कोष निर्मित किया जाएगा। इस कोष पर ब्याज भी देय होगा। इस कोष की राशि श्रमिको के कल्याण के विभिन्न कार्यो और कमाण्ड क्षेत्र के अतर्गत सामाजिक आर्थिक सरचना को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकेगा।

1968 मे विश्व खाद्य कार्यक्रम आरभ होने से लेकर मार्च 1990 तक खाद्य पदार्थों के विक्रय 24 14 करोड के कोष निर्मित किये गये। इस राशि मे से विद्यालयो अस्पतालो पशु चिकित्सालयो बच्चो के उद्यान सामुदायिक केन्द्र विपणन केन्द्र शरण स्थली डिग्गी खाली सडके नालियां वृक्षारोपण चरागाह विकास और चलती फिरती चिकित्सा इकाइया आदि पर 19 62 करोड रूपए व्यय किये गये। दो करोड रूपए का एक ऐसा कोष भी बनाया गया है जिससे क्षेत्र मे बसने वाले लोगो को बिना ब्याज के ऋण प्रदान किये जायेगे जो कि उन्हे दो वर्षों की अवधि के पश्चात् चार किस्तो मे चुकाने होगे।

13 आवास (Housing) राजस्थान नहर परियोजना के अनेक उद्देश्यो म से एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि लोगो को उस क्षेत्र म बसने को प्रेरित करे। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये इस क्षेत्र मे 112437 लोगो को 8 39 लाख हेक्टेयर भूमि आवटित की गई। ऐसा किया जाने के पश्चात् भी इस दशा म इसकी प्रगति धीमी है। इसका कारण इस क्षेत्र मे जलवायु की विषमताओ के साथ साथ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओ का विद्यमान न होना है। इन बाधाओ को दूर करने का हर सभव प्रयास किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र मे लोग बडी मात्रा मे बसने हेतु प्रेरित हो सके।

14 पेयजल आपूर्ति (supply of Drinking Water) इस परियोजना के अतर्गत जो जल उपलब्ध है उसका 11 5 प्रतिशत भाग पेयजल के लिए निर्धारित किया गया है। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए

1 Da a from E ght F ve yea Plan 1992 97 Govt of Raj

जन- स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग लिफ्ट योजनाओ के माध्यम से 11 मरूस्थलीय जिलो का पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। कवर सेन लिफ्ट सिचाई योजना के माध्यम से जोधपुर के 10 ओर जेसलमेर के 30 गावो सहित कुल 140 गावो को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जोधपुर जल-आपूर्ति योजना के पूर्ण होने पर जोधपुर शहर ओर इसके आस-पास के 158 गावो को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। वर्तमान मे गगानगर, बीकानेर, जेसलमेर और जोधपुर जिलो को इदिरा गाधी नहर से पानी मिल रहा है।

15 परियोजना अध्ययन (Project study) - राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण के सदर्भ मे जल एव विद्युत कन्सल्टेन्सी सेवा द्वारा सम्भाव्य सहायता के लिय सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा हे ताकि इस प्रतिवेदन को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिये प्रस्तुत किया जा सके। इस परियोजना पर 15 ओर भी प्रतिवेदन हाथ मे लिये जा चुके हैं ताकि इस परियोजना क्षेत्र की स्थिति एव निवेदन को ओर प्रभावी बनाया जा सके। साथ ही उपलब्ध जल का अधिकतम प्रयोग इन सभी अध्ययनों को जल एव विद्युत कन्सल्टेन्सी सर्विसेज द्वारा बनाये गये प्रतिवेदन मे स्थान दिया जावेगा।

16 लघु जल विद्युत गृह (Small Hydroelectricity Projects) - परियोजना के अतगत आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करके बडी मात्रा मे जल-विद्युत उत्पन्न का जा सकती है। वर्तमान मे इस परियोजना के अन्तर्गत अनूपगढ व सूरतगढ शाखाओ पर जल विद्युतगृह निर्मित किय जा रहे हैं। इन विद्युतगृहो की कुल क्षमता 13 मेगावाट होगी। जल विद्युत उत्पादन को गति प्रदान करने के लिये चारणवाली और शहीद बीरबल शाखा को भी इस उद्देश्य से जाचा परखा जा रहा है।

17 रोचक तथ्य (Interesting facts) - राजस्थान नहर परियोजना की विशालता का अनुमान इस बात से लगता ह कि इसके निर्माण मे की जाने वाली खुदाइ व ढुलाई लगभग 1200 करोड घन फुट है। इस मिट्टी से विश्व के चारों ओर चार फुट मोटी और 20 फुट चौडी सडक निर्मित की जा सकती हें। इस नहर मे जो ईंटे लगी ह, उन पर लगभग 72 पेसे प्रति इट की औसत लागत आइ है। इस परियोजना के अन्तर्गत सूरतगढ म एक स्थान पर नीचे घग्गर नदी की डाइवर्जन चनल का पानी प्रवाहित हो रहा है और उसके ऊपर राजस्थान नहर का पानी प्रवाहित हो रहा हे। इस परियोजना मे मुख्य नहर क ऊपर हर दाइ किलो मीटर की दूरी पर पुल हैं। हरपुल पर एक घाट भी बनाया गया ह। परियोजना के अतर्गत हर 5000 फुट पर सीढिया बनाई गई हैं। नहर के साथ-साथ टेलीफोन सुविधा ओर पक्की सडके बनाई गई हैं। इस परियोजना पर यदि 15 20 करोड रूपये ओर व्यय किये जायें तो इस परियोजना को आतरिक जल परिवहन के योग्य भी बनाया जा सकता है।

इंदिरा गांधी परियोजना की सफलताएं या इसके लाभ

ADVANTAGES

इदिरा गाधी परियोजना मानवीय परिश्रम से प्राकृतिक प्रतिकूलताओ को अपने पक्ष मे करने का अनुपम उदाहरण है। परियोजना के पूरा होने पर इस क्षेत्र की स्थिति क्या होगी इसका आभास वर्तमान मे प्राप्त लाभो से हो सकता हे। राजस्थान नहर परियोजना की सफलताए और उसके लाभो का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओ के अतर्गत किया जा सकता ह-

1 सिचाई (Irrigation)- राजस्थान नहर परियोजना के पूरा होने पर लगभग 14 77 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचा जा सकगा। सिचाई के कारण अधिक फसल ली जा सकती हैं, साथ ही वनस्पति की मात्रा भी बढेगी। फलस्वरूप रेगिस्तानी मिट्टी म जीवाशो का प्रतिशत बढेगा। इस परियोजना के अतगत अभी तक 10.38 लाख हेक्टेयर सिचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है ओर उसके माध्यम से 8.76 लाख हेक्टेयर भूमि म सिचाई को जा रही हैं।[1] इस परियोजना के विद्यमान सिचाई क्षमता ओर सिचित क्षेत्र इस प्रकार हैं

(लाख हेक्टयर मे)

विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	कुल योग
निर्मित सिचाइ क्षमता	5 76	1 50	7 26
सिंचित क्षेत्र	5 53	0 17	5 70

इदिरा गाधी नहर परियोजना से सिचित सकल क्षेत्रफल

(हजार हेक्टयर)

जिला	1980-81	1985-86	1990-91	1993 94
गगानगर	292 79	342 47	406 20	262 14
हनुमानगढ	-	-	-	129 80
बीकानेर	33 70	64 16	124 00	141 47
जैसलमेर		0 002	1 52	6 20
योग	326 49	406.63	531 72	539.56

Trends in Land Use Statistics & VAS 193- 95 Raj

2 कृषि उत्पादन (Agricultural Production)- राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण गगनहर क माध्यम स हुये विकास को दृष्टिगत रखते हुये किया गया था। गगनहर ने यह सिद्ध कर दिया था कि रेगिस्तान प्राकृतिक नहीं वरन्

1 Economic Review 1998-99 Raj.

कृत्रिम है। यहाँ की भूमि पहले काफी उपजाऊ रही है। इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र मे सिचाई सभव हो सकेगी। इस प्रकार इस क्षेत्र मे गेहू जौ गन्ना कपास और अनेक प्रकार की व्यवसायिक और खाद्य फसले लेना सभव हो सकेगा। जैसा अनुमान है कि परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 1200 करोड रूपए के कृषि सम्बन्धित वस्तुओ का उत्पादन होता है। इस परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र मे कषि भूमि की लागत लगभग 5000 करोड रूपए आकी गई हैं। इस परियोजना मे खाद्यानो का उत्पादन प्रथम चरण के अतर्गत 14.5 लाख टन द्वितीय चरण मे 22 5 लाख टन और इस प्रकार सपूर्ण परियोजना के द्वारा 37 लाख टन खाद्य फसले लेना सभव हो सकेगा।

3 सूखे व अकाल का सामना (Check on Draughts & Famines)- राजस्थान का यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सदैव ही अकाल व सूखे से ग्रस्त रहा है। राजस्थान के गठन के पश्चात् के 4 5 वर्षो को छोड दिया जाये तो शेष सभी वर्षो मे यह क्षेत्र अकाल व सूखे से पीडित रहा हे। इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र म फसल एव वनस्पतियो के माध्यम से जीवाश की मात्रा बढने की सभावना है। ऐसा होने पर क्षेत्र को मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तन होगा। इस क्षेत्र की जलवायु भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। इस प्रक्रिया मे काफी लबा समय लग सकता है लेकिन अल्पावधि मे सूखे एव अकाल की समस्या का सामना करने की क्षमता इस परियोजना ने प्रदान कर दी है।

4 रेगिस्तान प्रसार पर रोक (Control over Desert)- इस परियोजना के अतर्गत व्यापक रूप से किये जा रह वृक्षारोपण के माध्यम से मरुस्थल के प्रसार का रोका जा सकेगा। मिट्टी के टीलो को स्थिर बनाया जा सकेगा। वनो के माध्यम से वर्षा के आकर्षित होने से यह क्षेत्र धीरे धीरे जलवायु की विषमता से मुक्त हो सकेगा। रगिस्तान प्रसार को रोकने का सर्वाधिक ज्ञात एव प्रभावी उपाय वृक्षारोपण ही है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये विश्व मे पहली बार यहाँ एक वन सेना गठित की गई है जो समर्पित होकर वृक्षारोपण का कार्य कर रहा है। इस वृक्षारोपण का प्रभाव आगामी 15 20 वर्षो मे स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा।

5 रोजगार (Employment) राजस्थान नहर परियोजना एक बहुत बडी परियोजना है। इस परियोजना पर पिछले 30 स भी अधिक वर्षो से कार्य चल रहा है। आगामी 10 वर्षो तक तो इस पर कार्य चलने की सभावना ह। ऐसी स्थिति मे यह परियोजना बहुत बडी सख्या में रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखती है। इस परियोजना के माध्यम स अन्य क्षेत्रा का जो विकास होगा उन प्रभावो के कारण भी रोजगार के साधनो मे वृद्धि होगी। इस परियोजना मे बहुत बडी सख्या मे श्रमिको ऊटगाडिया गधों आदि का मिट्टी ढलाई मे प्रयोग किया गया है और किया जा रहा है।

6 जलापूर्ति (Water supply)- जैसा की सभी को ज्ञात है कि रेगिस्तानी क्षेत्र मे पेयजल की सदैव कठिनाई रहती है इसका कारण जलस्तर का बहुत नीचा होना है। इस प्रकार एक ओर तो इस क्षेत्र मे पेयजल उपलब्ध नहीं है तथा दूसरी ओर औद्योगिक कार्यों के लिये भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता इस कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान नहर परियोजना के अतर्गत 1200 घन मीटर जल पेयजल और औद्योगिक कार्यो के लिये निर्धारित किया गया है। परियोजना के प्रथम चरण मे 300 और द्वितीय चरण मे 900 घन मीटर जल उपरोक्त उद्देश्यो के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। कँवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर व पास के 99 गावा तथा गधेली महावा लिफ्ट योजना चूरू जिले के 175 गावों तथा जोधपुर लिफ्ट योजना से जोधपुर शहर तथा गावो को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।[2]

7 कस्बो व मडियो का विकास (Development of Towns & Mandis)- उत्तरी पश्चिमी रगिस्तान मे जनसख्या का घनत्व बहुत कम है। इस कारण इस क्षेत्र मे कस्बो व मडियो का विकास नहीं हो पाया। मडिया का विकास न होने का एक कारण इस क्षेत्र म कृषि और औद्योगिक विकास का भी अभाव रहा है। राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से कृषि एव औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इस प्रकार इस परियोजना के अतगत आवास को प्रोत्साहित करने क लिये जो सुविधाए दा जा रही हैं उससे लोग उस क्षेत्र म बसने को प्रेरित होग। इस प्रक्रिया म कस्बा व मडिया का विकास होगा तथा जनसख्या का घनत्व बढेगा।

8 औद्योगिक विकास की सभावनाए (Possibilities of Industrial Development) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र मे वर्तमान मे कोयला और नमक दो प्रमुख खनिज विद्यमान है। तेल की खोज के लिये जो प्रयास किये गये है उनसे इस क्षेत्र मे खनिज तेल मिलने की सभावनाए और बढी है। इस क्षेत्र मे गस तो मिली ही हैं भविष्य मे बडी मात्रा मे तेल भी मिल सकता है। इस तथ्य का दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र म औद्योगिक विकास की सभावनाए बढी है। साथ ही राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र मे जो आधारभूत सरचना विकसित की जा रही है उसका लाभ भी उद्योगो को प्राप्त होगा। कृषि के विकास के साथ साथ कृषि पर आधारित उद्योग भी विकसित होग। इस क्षेत्र मे जनसख्या का घनत्व बढने से भी औद्योगिक विकास प्रोत्साहित होगा।

9 सचार साधना का विकास (Development of Communication)- राजस्थान नहर परियोजना की

1 2 Economic Survey 1998 99 (Raj)

प्रगति के साथ-साथ इस क्षेत्र में विशेषकर नहर के आस-पास के क्षेत्रों में टेलीफोन और सड़कों की सुविधा का विकास किया जा रहा है। यह किसी भी विकास के लिये मूलभूत आवश्यकता कही जा सकती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में परिवहन के साधनों के विकसित न होने का मूल कारण रेगिस्तानी क्षेत्र की प्रकृति है। इसे भी धीरे-धीरे परिवर्तित किया जा सकेगा और उसके साथ-साथ ही सचार के साधन विकसित हो पाएंगे।

10 सीमा सुरक्षा (Border Security) - राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र जैसे जैसे विकसित होगा, वैसे वैसे लोग यहा बसने के लिये आकर्षित होंगे। परियोजना के क्षेत्र में अवकाश प्राप्त सैनिकों व अन्य लोगों को भूमि आवटित की जा रही है। इससे पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर वर्तमान मे क्षेत्र के निर्जन होने के कारण जो समस्याए आ रही है, उनका समाधान हो सकेगा। इस क्षेत्र में सचार साधनों का पर्याप्त विकास होने के पश्चात् सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाया जा सकेगा। साथ ही घनत्व में वृद्धि के साथ-साथ प्रशासनिक एव पुलिस व्यवस्था विकसित होने से सीमा सुरक्षा उपायों को बल मिलेगा।

11 जल-विद्युत (Hydro-electricity) - जिस प्रकार समुद्र में लहरों से विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसी प्रकार नहर के बहते हुये पानी से आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जल-विद्युत उत्पादित करना सभव है। राजस्थान नहर परियोजना के अतर्गत इस तकनीक का प्रयोग कर परियोजना की पूर्ण जल-विद्युत उत्पादन क्षमता न तो विकसित हो गई है, न उसमे सबधित पूर्ण योजना बनाई गई है। वर्तमान में परियोजना के लिए आवश्यक जल-विद्युत प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। यदि सम्पूर्ण परियोजना में विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जाये तो इस परियोजना से कम से कम रेगिस्तानी क्षेत्र का तो जल-विद्युत उपलब्ध कराई ही जा सकती है।

12 पशुपालन व मत्स्यपालन (Animal Husbandry & Fisheries) - इस परियोजना के अतर्गत पशुपालन को प्रेरित करने के लिये चरागाहों को विकसित करने का प्रयास किया गया है। खेलियों का निर्माण किया गया, डिग्गिया बनाई गई वृक्षारोपण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया घनत्व की विरलता को दूर करने की कोशिश की गई। इन सभी कारणों से पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्याप्त जल उपलब्ध होने से नहर के अतिरिक्त, डिग्गियों व परियोजना के जल से निर्मित छोटे-छोटे तालाबों आदि में मत्स्यपालन भी सभव हो सकेगा।

13 पर्यटन विकास (Tourism Development) - मरूभूमि हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। साथ ही जैसलमेर, जोधपुर आदि की स्थापत्य कला भी उनके आकर्षण का केंद्र है। यह परियोजना रेगिस्तान में उन्हें स्वर्ग का सा अहसास करायेगी। वैसे भी यह परियोजना अपने आप में एक आकर्षण का केन्द्र होगी क्योंकि यह मानव के महत्तम् प्रयासों में से एक है। इस कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों की सख्या बढने की सभावना है।

14 भूमि सुधार (Land Reforms) - इस परियोजना के अतर्गत इसके कमाण्ड क्षेत्र में भूमि को समतल करने की चेष्टा की जा रही है इस क्षेत्र की क्षारीय भूमि को ठीक करने की चेष्टा की गई है। कमाण्ड क्षेत्र में पक्की नालियों का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों को जो भूमि आवटित की गई है, उसका आकार, आर्थिक आकार रखा गया है। यह सभी प्रयास भूमि सुधार की ओर सराहनीय प्रयास कहे जा सकते है।

15 समग्र विकास (Overall Development) - इस परियोजना के पूर्ण होने पर सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास होने की सभावनाए बनी है। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि का विकास होगा। इसके फलस्वरूप सरकारी व राष्ट्रीय आय बढेगी। क्षेत्र के निवासियों का पिछड़ापन व गरीबी दूर हो सकेगी, लोगों का जीवन स्तर ऊचा होगा। सक्षेप में यह परियोजना उस क्षेत्र के निवासियों के लिये ही नहीं वरन् सपूर्ण देश के लिये वरदान सिद्ध होगी।

राजस्थान की अन्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं

OTHER IMPORTANT IRRIGATION PROJECTS OF RAJASTHAN

1. चम्बल नदी - घाटी परियोजना

Chambal River - River Valley Project

पृष्ठभूमि व परिचय (Background & Introduction) - चबल नदी मध्य प्रदेश राज्य में विध्याचल पर्वत से निकलकर 1045 किलोमीटर बहने के पश्चात् यमुना नदी में मिल जाती है। वर्षा ऋतु के समय इस नदी में प्राय बाढें आती थीं। नदी के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण आस-पास के क्षेत्रों में गहरे गर्तो का निर्माण हो गया था। अत चबल की विनाशलीला पर प्रतिबध लगाने के उद्देश्य से चबल नदी घाटी परियोजना के निर्माण का निर्णय किया गया। 1943 व 1946 में इसके निर्माण का प्रयास किया गया लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुये। 1950 में केन्द्रीय

जल शक्ति व नौकायान आयोग ने इस परियोजना को अंतिम रूप प्रदान किया। वर्ष 1953 54 मे चम्बल नदी घाटी परियोजना प्रारम्भ हुई। वह राजस्थान तथा मध्यप्रदेश राज्यो की समन्वित परियोजना है।

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य (Main Object)- चबल नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे

(1) बाढा पर नियत्रण लगाकर जल धन की हानि को रोकना।

(2) मिट्टी के कटाव की समस्या का समाधान करना।

(3) बाधो व नहरा के निर्माण से राज्य मे सिचाई सुविधाओ का विस्तार करना।

(4) जल विद्युत की पूर्ति मे वृद्धि करना ताकि राज्य की विद्युत सबधी आवश्यकता पूर्ण की जा सके।

(5) मलेरिया नियत्रण व मछली पालन को बढावा देना।

(6) चबल क्षत्र की जनजातियो के जीवन स्तर को ऊचा उठाना।

(7) अकाल पर रोक लगाना तथा कृषि का स्थायी स्वरूप प्रदान करना।

परियोजना के प्रमुख कार्य (Main Works) उपर्युक्त उद्देश्यो को पूर्ण करने के लिए चबल नदी घाटी परियोजना क अतर्गत निम्नलिखित कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

() मध्यप्रदेश राज्य के मदसार जिले म चबल नदी पर गाधीसागर बाध का निर्माण करना।

( ) चबल नदी पर कोटा नगर मे कोटा सिचाई बाध का निर्माण करना

( )कोटा सिचाई बाध के दोनो तरफ दो नहरे बनाना।

(v) राणासागर बाध का निर्माण करना।

(1) जवाहर सागर बाध बनाना।

(vi) सभी बाधो (कोटा सिचाई बाध के अलावा) पर जल विद्युतगृहो का निर्माण कराना।

चबल नदी घाटी परियोजना सबधी प्रमुख तथ्य

(Main Features of the Project)

(अ) परियोजना का प्रथम चरण (First Stage of the Project) परियोजना के प्रथम चरण म गाधीसागर बाध कोटा सिचाई बाध व कोटा सिचाई बाध के दोनो तरफ दो नहरो के निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया। प्रथम चरण म निम्नलिखित कार्य पूर्ण किये गये

(i) गाधीसागर बाध (Gandhi Sagar Dam) चबल नदी पर मध्यप्रदेश राज्य के मदसौर जिले मे राजस्थान राज्य की सीमा के निकट गाधी सागर नामक बाध का निर्माण किया गया। इस बाध की लबाई 513.5 मीटर व चौडाई 62 मीटर है। इस बाध के जलाशय का कुल क्षेत्रफल 380 वर्ग किलोमीटर ह। इसका निर्माण कार्य 1959 मे पूर्ण हुआ था। इस बाध पर 5 मीटर चौडा एक सडक भी बनाई गई। बाध से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु 10 फाटक बनाये गये हैं।

(ii) कोटा सिचाई बाध (Kota Barrage) कोटा के पास चबल नदी पर एक बाध का निर्माण किया गया जिसकी लबाई व ऊचाई क्रमश 438 मीटर व 42 मीटर है। यह बाध 1960 मे बनकर तैयार हुआ। इस बाध से दो नहरें निकाली गई हैं। दाई मुख्य नहर की लम्बाई 372 कि मी तथा बाई मुख्य नहर की लम्बाई 170 कि मी है।

(iii) नहरो का निर्माण (Construction of Canals) कोटा बाध के दोनो ओर नहरो का निर्माण किया गया। बाय किनारे की नहर 95 किलोमीटर लबी है और इस नहर की शाखाओ एव उपशाखाओ सहित कुल लबाई 182 किलोमीटर है। यह नहर बूदी नगर के निकट मेजा नदी मे मिल जाती है। दाये किनारे की नहर की लबाई 425 किलोमीटर है। शाखाओ व उपशाखाओ सहित इस नहर की कुल लबाई 560 किलोमीटर है। राजस्थान मे यह 120 किलोमीटर बहने क पश्चात् मध्यप्रदेश मे प्रवेश करता है।

(ब) परियोजना का द्वितीय चरण (Second Stage of the Project) इस चरण म राणाप्रताप सागर बाध तथा विद्युत गृह बनाने का निश्चय किया गया। यह कार्य पूर्ण हो चुका है। राणाप्रताप सागर बाध गाधी सागर बाध के उत्तर म 33 किलोमीटर दूर चबल नदी पर बनाया गया। इस बाध की लबाई व ऊचाई क्रमश 1100 मीटर व 41 मीटर है।

(स) परियोजना का तीसरा चरण (Third Stage of the Project) इस चरण म जवाहर सागर अथवा कोटा बाध तथा इसक विद्युत गृह का निर्माण किया गया। जवाहर सागर बाध अथवा कोटा बाध कोटा सिचाई बाध से 16 किलोमीटर दक्षिण म बनाया गया है। इसकी लबाई व ऊचाई क्रमश 440 मीटर व 45 मीटर है।

(द) परियोजना से सिचाई (Irrigation)- चबल नदी घाटी परियोजना क कोटा सिचाई बाध म निकाली गई बाय किनारे की नहर स राज्य की 1 70 लाख हैक्टयर भूमि म सिचाई की जाती है दाये व बाये किनारो स नहरो स राजस्थान व मध्यप्रदेश की 4.5 लाख हैक्टयर भूमि म सिचाई की गई। इन नहरो की सभावित सिचाई क्षमता 4 98 लाख हैक्टयर है।

चबल की नहरो से कोटा और बूदी जिलों की सिचित भूमि इस प्रकार है

चंबल नहर से सिंचित सकल क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)				
जिले	1980-81	1985-86	1990-91	1993-94
कोटा	121 14	145 73	152.70	131 49
बारां	-	-	-	45 19
बूंदी	95 05	101 87	92.36	107 50
कुल योग	216 19	247 61	245 06	284.20

(य) परियोजना में जल-विद्युत का उत्पादन (Hydro- electricity) - गांधीसागर बांध में 5 विद्युत जनन इकाइयां है जिनकी विद्युत - उत्पादन क्षमता 1,15,000 किलोवाट है। राणाप्रताप सागर बांध में 4 विद्युत जनन इकाइयां है, जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1,72,000 किलोवाट है। इसी प्रकार जवाहरसागर बांध के 3 विद्युत जनन इकाइयां है जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 000 किलोवाट है। इस प्रकार चंबल नदी घाटी परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3,86,000 किलोवाट है।

(र) नवी योजना (1997-2002) में चम्बल परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों पर 67 8 करोड रुपए व्यय किये जायेंगे।[1]

परियोजना के लाभ (Advantages) - प्रमुख लाभ निम्नलिखित है -

(i) सिंचाई एवं जलापूर्ति (Irrigation and Supply of water) - इस परियोजना के अंतर्गत कोटा सिंचाई बांध से निकाली गई नहरों से लगभग 45 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। अतः राज्य में खाद्यान्नों व व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। चंबल के पानी से कोटा बारां, बूंदी व सवाई माधोपुर की जलापूर्ति होती है।[2]

(ii) बाढों पर नियंत्रण (Flood Control) - इस परियोजना से चंबल नदी की बाढों पर नियंत्रण कर लिया गया है। अतः क्षेत्र के जन धन व कृषि फसलों को सुरक्षा प्राप्त हुई है। इससे वर्षा के जल का अधिकतम उपयोग संभव हुआ है।

(iii) कटाव पर रोक (Check on Soil Erosion) - चंबल नदी ने लगभग 40 लाख हैक्टेयर भूमि में कटाव की समस्या उत्पन्न कर दी थी। कटाव वाली भूमि के क्षेत्र में गहरे गर्तों का निर्माण हो चुका है। इस भूमि को समतल करने में लगभग 3000 करोड रुपए व्यय होने का अनुमान है लेकिन इस परियोजना के कारण भूमि के कटाव पर रोक लग चुकी है।

(iv) विद्युत उत्पादन (Electricity Generation) - यह परियोजना कृषि विकास के साथ साथ राज्य के औद्योगिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। इससे राजस्थान व मध्यप्रदेश को 3 86 लाख किलोवाट जल-विद्युत प्राप्त हुई है तथा इससे विद्युत संबंधी घरेलू आवश्यकताएं भी पूर्ण हो रही है।

(v) मण्डियों का विकास (Development of Mandies) - इस परियोजना से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होने के कारण राज्य में तेजी से कृषि का विकास हुआ है। अतः अनेक कृषि मंडियों की स्थापना हो चुकी है। इससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने लगा है।

(vi) औद्योगिक विकास (Industrial Development) - इस परियोजना का क्षेत्र विद्युत साधनों की कमी के कारण पिछडा हुआ था लेकिन इस योजना से पर्याप्त जल विद्युत प्राप्त होने के कारण इस क्षेत्र का तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है। राज्य का कोटा शहर एक प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र बन चुका है।

(vii) वनों व चरागाह का विकास (Development of Forests & Pastures) - चंबल नदी घाटी परियोजना से जल की पर्याप्त पूर्ति के कारण वनों व चरागाहों का तेजी से विकास हो रहा है इससे पशुपालन व्यवसाय भी प्रगति कर रहा है। इस परियोजना क्षेत्र में फलों की बागवानी भी संभव हुई।

(viii) मछलीपालन (Fisheries) - चंबल नदी घाटी परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड रुपय की मछलियां पकडना संभव हो सकेगा। इससे न केवल खाद्य पदार्थों की पूर्ति में वृद्धि होगी वरन् अनेक लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी होगी।

2 भांखड़ा-नांगल परियोजना
Bhakra Nangal Project

पृष्ठभूमि व परिचय (Background & Introduction) यह राजस्थान पंजाब व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह एक विशाल परियोजना है जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर भाखडा व नांगल नामक स्थानों पर दो बांध बनाये गये है। सर्वप्रथम सन् 1909 में पंजाब के तत्कालीन गवर्नर लुईस डेन ने सतलज नदी पर एक बांध बनाने का विचार प्रस्तुत किया लेकिन इस परियोजना पर स्वतंत्रता के पश्चात् ही कार्य आरंभ हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना के संबंध में कहा था "भाखडा बांध का निर्माण एक चमत्कार एक विराट वस्तु है इसे देख कर रोमांचित हो जाता हूं। इस योजना पर 236 करोड रुपए व्यय किये गए जिसमें व्यय का वहन पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था।

परियोजना के उद्देश्य (Objects) :- इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है -

1 Draft Ninth Five Year Plan, 19997 2002, Govt. of Raj
2. Economic Review 1995-95 Rajasthan

(i) सिचाई सुविधाओं के लिए नहरो का निर्माण आदि व सरहिंद नहर को जल की पर्याप्त पूर्ति करना।

(ii) बाढो पर रोक लगाना।

(iii) राजस्थान पजाब व हरियाणा के लिए पर्याप्त जल विद्युत का उत्पादन करना।

(iv) राजस्थान में सिचाई सुविधाओं का विस्तार करके रेगिस्तान के प्रसार पर रोक लगाना।

(v) वनों व चरागाहों का विकास करना।

(vi) मछलीपालन व्यवसाय का विकास करना।

(vii) सतलज के मैदानी क्षेत्रों में नहरों का निर्माण करके खेती के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना।

परियोजना के प्रमुख कार्य *(Main Works)* :-

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भाखड़ा-नागल परियोजना के अतर्गत ये कार्य करने का निश्चय किया गया-

(i) भाखड़ा नामक स्थान पर भाखड़ा बाध का निर्माण करना।

(ii) भाखडा बाध पर दो विद्युत गृहों का निर्माण करना।

(iii) नागल नामक स्थान पर नागल बाध का निर्माण करना।

(iv) नागल बाध पर जल-विद्युत उत्पादन के लिए नहर का निर्माण करना।

(v) नागल जल विद्युत नहर पर तीन विद्युत गृहों का निर्माण करना।

(vi) नागल बाध की मुख्य नहर शाखाओं व उपशाखाओं का निर्माण करना।

(vii) बिस्त दो-आब तथा सरहिन्द नहर का विकास करना।

परियोजना की प्रमुख बातें (Main Features of the Project)

(अ) बाधों का निर्माण (Construction of Dams) इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बाधों का निर्माण किया गया -

(i) भाखड़ा बाध (Bhakra Dam) - यह बाध पजाब राज्य के सतलज नदी पर भाखडा नामक स्थान पर बनाया गया है। इस बाध की लबाई 518 मीटर है और नदी तल से बाध की ऊचाई 226 मीटर है। इसके जलाशय का नाम गोविन्दसागर है। इस जलाशय में जल एकत्र होने की क्षमता एक करोड़ घन मीटर है। इसकी लबाई 96 किलोमीटर है।

(ii) नागल बाध (Nangal Dam) - भाखड़ा बाध से 12 किलोमीटर नीचे की ओर नागल नामक स्थान पर नागल बाध का निर्माण किया गया है। बाध की लबाई व ऊचाई क्रमश 305 मीटर व 29 मीटर है। इस बाध के जलाशय मे 26000 एकड फुट पानी एकत्रित किया जा सकता है। इस बाध से 64 किलोमीटर लबी जल विद्युत नहर निकाली गई है। यह नहर न केवल जल विद्युत उत्पन्न करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वरन् भाखडा बाध की मुख्य नहर व शाखाओं को जल की पूर्ति भी करती है।

(ब) परियोजना की नहरी व्यवस्था (Canal System of the Project) -

(i) भाखड़ा की मुख्य नहर (Main Bhakra Canal)- यह नहर रोपड नामक स्थान से निकाली गई है। इसकी कुल लबाई 175 किलोमीटर है। यह पजाब राज्य में बहती हुई हरियाणा के हिसार जिले में टोहाना कस्बे तक जाती है। मुख्य नहर व शाखाओं की कुल लबाई 1100 किलोमीटर है और उपशाखाओं की लबाई लगभग 3400 किलोमीटर है। 565 किलोमीटर नहर पलस्तर युक्त है।

(ii) सरहिंद नहर (Sarhind Canal) - भाखड़ा नागल परियोजना मे सरहिंद नहर में लगभग 10 गुना पानी बढ गया है। इसमें पूर्वी पजाब के क्षेत्रो में सिचाई की जाती है। अत इस क्षेत्र में कृषि का तेजी से विकास हुआ है।

(iii) नरवाना शाखा नहर (Narwana Branch) - यह नहर भाखडा की मुख्य नहर के 50वें किलोमीटर मे निकाली गई है यह नहर पलस्तरयुक्त है और इसकी लबाई 104 किलोमीटर है। इसका प्रमुख उद्देश्य सिरसा नहर को जल प्रदान करना है लेकिन इससे हरियाणा राज्य के करनाल जिले में कुछ सिचाई भी की जाती है।

(iv) बिस्त-दो-आब नहर (Bist-do-Aab Canal) - यह नहर रोपड के दाहिनी ओर से निकाली गई है। इसमे पजाब राज्य के जालन्धर व होशियार पुर जिलो में सिचाई की जाती है।

(स) परियोजना से जल-विद्युत का उत्पादन (Generation of Hydro-Electricity) -

(i) भाखडा बांध के जल विद्युत केन्द्र (Hydro Electricity Power Station of Bhakra Dam)- भाखडा बाध के दोनों ओर दो विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। बाई ओर के विद्युतगृह म 4 5 लाख किलोवाट क्षमता की 5 इकाइया है। दाई ओर के विद्युत गृह में 1 20 लाख किलोवाट क्षमता की 5 इकाइया है।

(ii) नागल बाध के जल-विद्युत केन्द्र (Hydro-Electricity Stations of Nangal Dam) - नागल बाध से विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से एक नहर निकाली गई है। इस नहर की लबाई 64 किलोमीटर है। इस पर विद्युत जनन केन्द्र स्थापित किया गया है गगूवाल नागल बाध से

15 किलोमीटर दूर एक विद्युत जनन केन्द्र स्थापित किया गया है जिसका जनन क्षमता 77 000 किलोवाट है। कोटला बाध से 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित विद्युत केन्द्र की क्षमता भी 77 000 किलोवाट है। भाखडा व नागल बाधों पर बनाय गये विद्युत जनन केन्द्रों की कुल क्षमता 12 04 लाख किलोवाट है।

(द) परियोजना के रोचक तथ्य (Interesting Facts of Project) भाखडा नागल परियोजना के कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार है

(i) बाधों का नाव कहीं कहीं पर 67 मीटर तक गहरी है।

(ii) भाखडा बाध की ऊचाइ कुतुबमीनार से लगभग तीन गुना है

(iii) भाखडा बाध के क्षेत्रफल म एक लाख कमरों वाली 60-मजिला इमारत का निर्माण किया जा सकता है।

(iv) यदि भाखडा बाध में लगाई गइ ईटों को एक सीध में रख दिया जाये तो पृथ्वी का लगभग सात परिक्रमाए हो जायेगी।

(v) भाखडा की नहरें आदि के लिये खोदी गई मिट्टी मे 18 मीटर चौडी व 1 मीटर ऊची सडक नई दिल्ली से न्यूयार्क तक बनाई जा सकती है।

(vi) भाखडा बाध में जितनी ककरीट का प्रयोग किया गया है उससे भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के चारों तरफ आठ फुट चौडी सडक का निर्माण किया जा सकता है।

(य) परियोजना के लाभ (Advantage) भाखडा नागल परियोजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है

(i) कृषि विकास (Agricultural Development) सिचाई सुविधाओं में वृद्धि व जल विद्युत पूर्ति में वृद्धि के कारण विभिन्न कृषि फसलों क उत्पादन में वृद्धि हुई। खाद्यान्न कपास व तिलहना क उत्पादन में क्रमश 1 14 लाख टन 3 8 लाख टन तथा 4 1 लाख टन का वृद्धि हुई है।

(ii) सिचाई (Irrigation) इस परियोजना से हरियाणा पजाब व राजस्थान को सिचाइ सुविधा प्राप्त हो रही है। परियोजना की कुल सिचाइ क्षमता लगभग 28 लाख हैक्टेयर है।

भाखडा नहर द्वारा राजस्थान का सिचित सकल क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)				
जिले	1980-81	1985-85	1990 91	1993-94
गंगानगर	331 4?	3?0 64	422 63	85.29
हनुमानगढ				328 63
कुल योग	331 4?	360 64	422.63	413 ?9

स्रोत Trends in Land Use Statistics & V&S, 1994-95, Rajasthan.

(iii) सिचाई लागत कम होना (Low Cost of Irrigation) - इस परियोजना की सिचाई लागत अन्य परियोजनाओं की तुलना में बहुत कम है। इस परियोजना की प्रति एकड सिचाई लागत केवल 287 रूपये है जबकि नागार्जुन व तुगभद्रा परियोजनाओं की प्रति एकड सिचाई लागत क्रमश 798 रुपए व 717 रुपए है।

(iv) जल विद्युत (Hydro Electricity) भाखडा नागल परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 12 04 लाख किलोवाट है। इसका प्रयोग मुख्यत उद्योगों में किया जाता है। विद्युत उपयोग अग्रलिखित प्रकार किया जाता है

भाखडा नागल परियोजना की विद्युत का उपयोग	
उपयोगकर्ता	विद्युत उपयोग (किलोवाट)
धावला-नागल उवरक कारखाना	1 75 600
दिल्ली	80 000
कश्मीर	10 000
राजस्थान	66 680
हिमाचल प्रदेश	14 330
पजाब	2 03 350
हरियाणा	1 47 360
चडीगढ	13 070

(v) अकालों पर नियत्रण (Control of Famines) भाखडा नागल परियोजना से जल का पर्याप्त पूर्ति के कारण इस क्षेत्र म कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है। इस क्षेत्र पर मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव नहा पडता है। इस प्रकार अकालों पर नियत्रण सभव हो गया है।

(vi) चरागाह (Pastures) इस परियोजना के कारण पजाब हरियाणा आदि राज्यों के पशुओं को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा म हरा चारा प्राप्त हो जाता है। इसी के कारण पजाब में श्वेत क्राति सफल हुई है।

(vii) औद्योगिक विकास (Industrial Development) कृषि विकास एव जल विद्युत की पर्याप्त पूर्ति के कारण औद्योगिक विकास का बढावा मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की पूर्ति के कारण लघु एव कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है।

(viii) रोजगार में वृद्धि (Employment) इस परियोजना में अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इसके अतिरिक्त कृषि एव औद्योगिक क्षेत्रों में भी रोजगार क अवसर बढ़े है।

(ix) मण्डियों का विकास (Development of Mandies) इस योजना के कारण कृषि एव उद्योगों के क्षेत्रों म वृद्धि से व्यापारिक मडियों का भी तेजी मे विस्तार

एन्सी से निकास हुआ।

(x) जीवन स्तर मे वृद्धि (Rise In Standard of living)-परियोजना क्षेत्र के निवासियो की आय मे वृद्धि हुई है। अत लोगो के जीवन स्तर मे पर्याप्त सुधार हुआ है।

3 माही बजाज सागर परियोजना

Mahi Bajaj Sagar Dam

माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात राज्यो के सहयोग से निर्मित की गई है। यह एक सिचाई व जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना का लाभ मुख्यत राजस्थान के बासवाडा जिले को होगा। सर्वप्रथम 1958 मे योजना आयोग ने इस परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना का शिलान्यास 1960 मे एक मध्यम सिचाई परियोजना के रूप मे हुआ था लेकिन 1971 मे योजना आयोग ने इसके वर्तमान स्वरूप को स्वीकृति प्रदान की। इसके पश्चात् परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। परियोजना द्वारा सिचाई का शुभारभ नवम्बर 1983 में किया गया। सशोधित स्वरूप के अनुसार इस परियोजना से 500 हैक्टेयर क्षेत्र मे सिचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

माही नदी मध्यप्रदेश राज्य के धार जिले मे विन्ध्याचल पर्वत से निकलती है। 169 किलोमीटर बहने के पश्चात् यह नदी बासवाडा व निकट राजस्थान मे प्रवेश करती है। राजस्थान मे यह नदी लगभग 171 किलोमीटर बहती है। चनास सोम इराऊ इसकी सहायक नदिया हैं। यह नदी राजस्थान से होकर गुजरात मे प्रवेश करती है। अत मे यह खम्भात की खाडी मे जाकर अरब सागर मे विलीन हो जाती है। राज्य का बासवाडा जिला पथरीली मिट्टी भूमि वाला है। यहा वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 80 सेंटीमीटर है। जिले की मिट्टी उपजाऊ है लेकिन पर्याप्त सिचाई सुविधाओं के अभाव मे मुख्यत खरीफ की फसल की जाती है। इस सिचाई परियोजना के निर्माण के पश्चात् भू जल की सतह ऊची होने एव सिचाई के साधनो मे पर्याप्त वृद्धि होने की सभावना है अत बासवाडा क्षेत्र मे कृषि एव उद्योगो का भविष्य उज्ज्वल होने की सभावना है। माही बजाज सागर परियोजना को तीन भागो मे विभक्त किया जा सकता है।

(i) प्रथम इकाई (First Unit) योजना की प्रथम इकाई के अतर्गत बासवाडा क्षेत्र से लगभग 18 किलोमीटर दूर बोरखेडा नामक स्थान पर एक बाध का निर्माण किया गया है। इस बाध की लम्बाई 3109 मीटर है। बाध की जलग्रहण क्षमता 1830 लाख घन मीटर है। इस बाध से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर एक मिट्टी का बाध का निर्माण भी किया गया है।

(ii) द्वितीय इकाई (नहरे जल परिवहन और नालियो का कार्य आदि) **(Second Unit)**-सिचाई सुविधाओ मे वृद्धि करने के उद्देश्य से बाध से नहरे निकाली गई हैं। बासवाडा के पास कागदी पिकअप वियर से दो नहरें निकाली गई है-प्रथम-दाँई मुख्य नहर जिसकी लबाई 71 72 किलोमीटर है द्वितीय बाँई मुख्य नहर जिसकी लबाई 36 12 किलोमीटर है। इन दोनो नहरो की वितरिकाओ की कुल लबाई 851 किलोमीटर है। इन नहरों से बासवाडा जिले की लगभग 90800 हैक्टेयर भूमि मे सिचाई होने लगी है।

(iii) तृतीय इकाई (Third Unit)-माही परियोजना की तृतीय इकाई के अतर्गत 2 विद्युत इकाइयो का निर्माण किया गया है। इन विद्युतगृहो की विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है। इन विद्युतगृहो से विद्युत आरम्भ हो चुका है। योजना आयोग ने माही बजाज सागर की स्वीकृति 12-11-1971 को दी थी। इसकी अनुमानित लागत 3036 लाख रूपए निर्धारित की गयी जो प्रथम इकाई के कार्यों के लिए 2293 लाख रूपये द्वितीय इकाई के कार्यों के लिये 743 लाख रूपए तथा तृतीय इकाई के कार्यों के लिये 100 लाख रूपयो मे विभक्त है। कच्चे माल व श्रम आदि की लागत मे वृद्धि हो जाने के कारण योजना की अनुमानित लागत में वृद्धि हो गई। 1976 मे योजना की नवीन लागत इस प्रकार निर्धारित की गई प्रथम इकाई 6735 लाख रूपए द्वितीय इकाई 3581 लाख रूपए व तृतीय इकाई-3823 लाख रूपए तथा कुल योग-14137 लाख रूपए।

श्रम व कच्चा माल आदि के मूल्यो मे पुन वृद्धि हो जाने के कारण योजना की लागत मे वृद्धि हो गई। छठी पचवर्षीय योजना के निर्माण के समय परियोजना की प्रथम इकाई की लागत 80 02 करोड रूपए निश्चित की गई। अग्र तालिका मे योजना की अनुमानित लागत एव व्ययो को दर्शाया गया है।

आठवीं योजना मे माही बजाज सागर परियोजना पर 120 करोड रूपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। यह समस्त धनराशि निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय की जानी थी। आठवी योजना मे 20 हजार हैक्टेयर मे सिचाई की क्षमता का निर्माण प्रस्तावित था। 1997-98 के अत मे 98 8 हजार हैक्टेयर मे सिचाई सुविधाए उपलब्ध होने लगी है। नवी योजना में इस परियोजना पर 40 करोड रूपये व्यय करने का प्रावधान है।[1] मार्च 1997 तक परियोजना के विभिन्न कार्यों पर 530 92 करोड रुपये व्यय किये जा चुके है।

1 D a Ninth Five Year Plan 1997 200 Govt of Raj

2 राजस्थान विकास शोध अगस्त 91 सूचना तथा जनसम्पर्क निदेशालय राजस्थान द्वारा प्रकाशित

माही बजाज सागर परियोजना
अनुमानित लागत एवं सातवीं योजना तक व्यय (लाख रुपयों में)

	अनुमानित लागत				सातवीं योजना तक व्यय			
	सिंचाई		विद्युत	योग	सिंचाई		विद्युत	योग
	राजस्थान	गुजरात			राजस्थान	गुजरात		
प्रथम इकाई	4512	5812	244	10568	4354	5620	244	10218
द्वितीय इकाई	30350	-	3150	33500	12212	-	772	12984
तृतीय इकाई	-	-	7752	7752	(-)23	-	6626	6603
चतुर्थ इकाई	200	-	-	200	292	-	-	292
पंचम इकाई	-	-	-		500	-	-	500
योग	35062	5812	11146	52020	17335	5620	7642	30597

स्रोत *Eighth Five Year Plan, 1991 97, Govt. of Rajasthan.*

4 व्यास परियोजना
Beas Project

यह पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सतलज, रावी एवं व्यास नदियों के जल का उपयोग करना है।

इस परियोजना को दो चरणों में पूर्ण किया गया है

(i) प्रथम चरण (First Stage) - योजना के प्रथम चरण में व्यास-सतलज लिंक नहर का निर्माण किया गया है।

(ii) द्वितीय चरण (Second Stage) योजना के द्वितीय चरण में व्यास नदी पर पोंग नामक स्थान पर पोंग बांध बनाया गया है। पोंग बांध का निर्माण हो चुका है। इस बांध की नहरों से पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की भूमि पर सिंचाई की जाती है तथा जल विद्युत का उत्पादन भी किया जायेगा। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर को शीतकाल में जल की आपूर्ति नियमित बनाये रखना है। व्यास व सतलज पर दो बांधों के निर्माण की योजना भी है।

रावी-व्यास जल विवाद (Conflict over Ravi-Beas Water)

रावी-व्यास जल विवाद लंबे समय से चल रहा है। सर्वप्रथम इस विवाद को समाप्त करने के लिये 1955 में एक समझौता किया गया। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर तथा दिल्ली के लिए जल का आवंटन किया गया। 1981 में पुनः एक समझौता हुआ जिसके अनुसार विभिन्न राज्यों के हिस्से का पुनः निर्धारण किया गया। जुलाई 1985 में यह विवाद पुनः उभरा। भारत सरकार ने 23 जनवरी 1986 को इस विवाद के स्थायी समाधान हेतु न्यायाधिकरण का गठन किया। यह आयोग न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 1987 में प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब का हिस्सा 50 लाख एकड़ फुट जल निश्चित किया गया जबकि इस राज्य का पूर्व अंश 42.2 लाख एकड़ फुट था। हरियाणा राज्य के लिये 38 लाख 30 हजार एकड़ फुट जल का निर्धारण किया गया जबकि इसका पूर्व अंश 35 लाख एकड़ फुट था। राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ फुट जल का निर्धारण किया गया, पूर्व अंश भी 86 लाख एकड़ फुट था। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पंजाब व हरियाणा के हिस्से में वृद्धि हो रही है जबकि राजस्थान के जल हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इससे राज्य में असंतोष बढ़ा है। वास्तव में राज्य में सूखा व अकाल की स्थिति को देखते हुये राजस्थान के जल हिस्से में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक था।

5. जाखम परियोजना
Jakham Project

प्रतापगढ़ तहसील में छोटी सादड़ी के निकट जाखम नदी का उद्गम-स्थल है। इस नदी के जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिये जाखम परियोजना बनाई गई। राज्य सरकार ने 1962 में जाखम परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी। इस परियोजना से चित्तौड़गढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे न केवल कृषि का विकास होगा वरन् योजना से जल-विद्युत की प्राप्ति होने के फलस्वरूप इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी तीव्रगति से हो सकेगा।

जाखम परियोजना के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ तहसील के अनूपपुरा गांव के निकट एक मुख्य बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की लम्बाई 253 मीटर व चौड़ाई 81 मीटर है। पिक-अप वियर (छोटा बांध) का निर्माण

मुख्य बाँध से पानी को सिंचाई नहरों तक लाने के लिए किया गया है। मुख्य बाध व पिक-अप वियर के मध्य लगभग 13 किलोमीटर की दूरी है। 1969 70 में मुख्य बाध एव नहरों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। छोटे बाध की रूपरेखा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई है इस बाध से दो नहरें निकाली गई है दायीं व बायीं नहर की लम्बाई क्रमश 24 व 40 किलोमीटर है। परिवहन सुविधा में वृद्धि करने के उद्देश्य से सडकों का निर्माण किया गया है उदयपुर से भगियाखेड़ और प्रतापगढ से मुख्य बाध तक पक्की सडकों का निर्माण किया गया है। यह परियोजना आदिवासी क्षेत्रों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इस योजना से सिंचाई सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मुख्य बाध पर 4 ■ मेगावाट क्षमता का एक विद्युतगृह बनाने का भी प्रस्ताव है इस परियोजना पर 43 करोड रुपए व्यय होने का अनुमान है।

6 बीसलपुर परियोजना
Bisalpur Project

बीसलपुर परियोजना सिंचाई एव पीने योग्य जल की पूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाई गई। राजस्थान सरकार ने 1982 में इस योजना का प्रोजेक्ट केन्द्रीय जल आयोग को भेजा। इस परियोजना से 60 हजार हैक्टेयर में सिंचाई तथा अजमेर किशनगढ व ब्यावर आदि नगरों में पीने योग्य पानी की उपलब्धि हो सकेगी। योजना के प्रथम चरण के अतर्गत बनास नदी पर बीसलपुर नामक स्थान पर एक बाध का निर्माण किया जा रहा है। बनास नदी पर बीसलपुर नामक स्थान पर एक बाध का निर्माण किया जा रहा है। इस चरण के अतर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एक पेयजल योजना का निर्माण भी किया गया। योजना की अनुमानित लागत 327 03 करोड रुपए है। योजना की प्रथम इकाई पर 202 03 करोड रुपए एव द्वितीय इकाई पर 125 करोड रुपए व्यय होने का अनुमान है। बीसलपुर योजना के प्रथम चरण के अतर्गत पेयजल योजना को भी पूर्ण करने का प्रस्ताव है। इस पेयजल योजना के अतर्गत अजमेर ब्यावर किशनगढ आदि शहरों को पेयजल की पूर्ति की जायेगी। पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारभ किया जा चुका है। नसीराबाद से ब्यावर व किशनगढ तक पाइपलाईन बिछाने का अधिकाश कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना पर बाध के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। योजना का प्रथम चरण (इकाई प्रथम बाध का निर्माण एव उससे सम्बधित कार्य) आठवीं योजनाकाल में पूर्ण हो जायेगा। योजना का द्वितीय चरण (इकाई द्वितीय नहरी व्यवस्था का निर्माण) 1999 2000 तक पूर्ण होने की सभावना है। द्वितीय इकाई की अनुमानित लागत 125 करोड रुपए है जिसमें से 97 78 करोड रुपए आठवीं योजना के अत तक व्यय किये जाने का प्रावधान है शेष 27 22 करोड रुपए नवीं योजना में व्यय किये जायगे। इस परियोजना से 69300 हैक्टेयर भू-क्षेत्र में सिंचाई सुविधाए होने का अनुमान है। आठवीं योजना के अत तक लगभग 20 000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाए उपलब्ध हो जायेगी। बीसलपुर योजना दो दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है प्रथम इससे राज्य के एक विशाल भू भाग में सिंचाई की सुविधाए उपलब्ध हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कृषि एव उद्योगों का तेजी से विकास हो सकेगा। द्वितीय योजना के अतर्गत राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नगरों में पेयजल की पूर्ति की जायेगी। ये सभी नगर औद्योगिक दृष्टि से जल की पूर्ति में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप इन नगरों का तेजी से औद्योगीकरण होने की सभावना है। योजना के कारण राज्य के अनेक लोगों को रोजगार मिल रहा है और सपूर्ण योजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात् राज्य में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित होने की पर्याप्त सभावनाए है।

7 नर्मदा परियोजना
Narmada Project

इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी के 5 लाख एकड फुट जल का उपयोग करने के लिये किया गया। इस जल का आवटन नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल द्वारा किया गया। इस परियोजना से 1 35 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाए उपलब्ध हो सकेगी और इससे कमाण्ड एरिया साचौर व गुडामालानी होगा। जल की प्राप्ति हेतु सरदार सरोवर परियोजना (गुजरात राज्य में निर्मित) से 460 किलोमीटर नर्मदा मुख्य नहर के द्वारा की जायेगी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र व राजस्थान का सयुक्त प्रयास है। राजस्थान इस परियोजना की प्रथम इकाई पर कुल लागत का ■ 31 प्रतिशत तथा द्वितीय इकाई की कुल लागत का 11 प्रतिशत वहन करेगा। नर्मदा परियोजना के लिए 64 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना से जालौर जिले के 76 एव बाडमेर जिले के 7 गावों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

8 सिद्धमुख परियोजना
Sidmukh Project

इस परियोजना के अतर्गत राजस्थान राज्य रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग कर सकेगा। यह जल राजस्थान के हिस्से में पजाब हरियाणा व राजस्थान के बीच 1981 में एक समझौते के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह जल भाखडा नागल हैडवर्क्स से भाखडा मुख्य नहर पजाब राज्य में होते हुये फतेहाबाद शाखा व किशनगढ उपशाखा हरियाणा के समान्तर नहर द्वारा लाया जायगा। इस परियोजना से

गगानगर जिले की भादरा व नोहर तहसीलों तथा चुरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों को जल की प्राप्ति हो सकेगी। इस जल का उपयोग मुख्यत: सिंचाई के लिए किया जायेगा। सिद्धमुख परियोजना की अनुमानित लागत 103 करोड रूपए है। इस परियोजना से गगानगर व चुरू जिलों में कृषि का विकास होगा।

9. नोहर परियोजना

NOHAR PROJECT

यह परियोजना भी सिद्धमुख परियोजना का एक अग है। परियोजना के अतर्गत श्रीगगानगर जिले मे नोहर तहसील को जल की प्राप्ति होगी। यह जल भी रावी एव व्यास नदियों से प्राप्त अतिरिक्त जल होगा। इस परियोजना की कुल लागत 40.60 लाख रूपए होने का अनुमान है।

10. इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना

INDIRA LIFT IRRIGATION PROJECT

यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की प्रस्तावित सिचाई योजना है। इस योजना के अतगत चबल नदी के जल को कसेड ग्राम के निकट 124 मीटर ऊचा उठाकर हिण्डौन, करौली, गगानगा, टोडाभीम, नादौती, बामनवास, बयाना आदि स्थानों पर पहुचाया जाना है। इस लिफ्ट योजना का प्रमुख उद्देश्य सिचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इस लिफ्ट योजना का प्रारंभिक सर्वेक्षण कर लिया गया है। इस क्षेत्र मे अनेक पहाडिया हैं। अत: जल को कृषि योग्य भूमि तक पहुचाने के लिये लगभग 10 किलोमीटर लंबी सुरग बनाना आवश्यक है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग पचास करोड रूपए है। जलोत्थान के लिये पर्याप्त विद्युत की भी आवश्यकता होगी। परियोजना से राज्य मे कृषि विकास को बढावा मिलेगा।

11.पीपल ..ा लिफ्ट सिचाई परियोजना

PIPLADA LIFT IRRIGATION PROJECT

यह सवाईमाधोपुर जिले की प्रस्तावित सिचाई योजना है। इस योजना के अतर्गत चबल नदी से गण्डावर गाव के निकट जल को 58 मीटर ऊचा उठाया जायेगा। इस योजना से खण्डार तहसील (सवाईमाधोपुर जिला) के लगभग 34 गावो मे सिचाई सुविधाए उपलब्ध कराइ जायेगी। खण्डार तहसील में लगभग 13000 हैक्टेयर भूमि में सिचाई हो सकेगी। इस सिचाई योजना की अनुमानित लागत 5.29 करोड रूपए हे।

12. सोम-कमला-अम्बा सिंचाई योजना

SOM KAMLA- AMBA IRRIGATION PROJECT

इस परियोजना का निमाण राज्य के डूगरपुर जिले मे किया गया है। इससे डूगरपुर जिले की लगभग 18 हजार हैक्टेयर भूमि मे सिचाई सुविधाए उपलब्ध हो सकेगी।

13. पांचना परियोजना

PANCHNA PROJECT

यह सवाईमाधोपुर जिले की एक महत्त्वपूर्ण सिचाई परियोजना है। पाचना सिचाई क्षेत्र गुडला गाव के निकट है। इस स्थान पर पाच नदियो का सगम हैं। भदरावती, अटा, बरखेडा, भेसावट और माची इस क्षेत्र की प्रमुख नदिया हैं।

14. बिलास सिंचाई योजना

BILLAS IRRIGATION PROJECT

यह कोटा जिले की एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है। इसके अतर्गत मानगढ गाव के पास बिलास नदी पर एक बाध का निर्माण किया जा रहा है। बिलास नदी पार्वती नदी की सहायक नदी है। इस बाध से एक नहर भी निकाली गई है। यह बाध मिट्टी से बनाया गया है। मुख्य नहर की लबाई 20 किलोमीटर है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 25 हजार हैक्टेयर भूमि में सिचाई की सुविधाए उपलब्ध हो सकगी।

15. छापी सिचाई परियोजना

CHAPPI IRRIGATION PROJECT

यह झालावाड जिले की महत्त्वपूर्ण सिचाई परियोजना है। अकरला के पास एक बाध का निर्माण किया जा रहा है। इस बाध की प्रस्तावित लबाई 344 फुट और ऊचाई 120 फुट है। इस परियोजना से झालावाड जिले की लगभग 7000 हैक्टेयर भूमि में सिचाई सुविधाए उपलब्ध हो जायेंगी।

16. जवाई बांध परियोजना

JAWAI DAM PROJECT

1956 मे पाली जिले मे एरिनपुरा रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर जवाई बाध का निर्माण किया गया। इस बाध की लबाई व ऊचाई क्रमश 923 मीटर व 34 मीटर हैं। इस बाध से 24 किलोमीटर लबी नहर निकाली गई है। वितरिकाएँ 224 किलोमीटर लबी हैं। इस बाध की जल की आवक बढाने के लिए 1971 मे सेई बाघ बनाया गया। सेई बाध का पानी जवाई बाध मे लाने हेतु, पहाड से 7 कि मी लम्बी सुरग तैयार की गई है। इससे पाली व जालौर में क्रमश 26,550 हैक्टेयर व 14,860 हैक्टेयर भूमि की सिचाई की जाती हैं। इसकी नहरों का विस्तार और उन्हें पक्का करने का कार्य किया जा रहा है।

17. पार्वती परियोजना

Parwati Project

1959 में धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर 122 लाख रुपए की लागत से एक बाध का निर्माण किया गया। इस बाध की लबाई 7 किलोमीटर है तथा इसकी मुख्य नहर की कुल लबाई 56 किलोमीटर है। इससे लगभग 12 100 हेक्टेयर भूमि पर सिचाई की जाती है।

18. ओरई परियोजना

Orai Project

चित्तौडगढ जिले में ओरई नदी पर एक बाध बनाया जायेगा जिससे भीलवाडा व चित्तौडगढ जिलों की सिचाई होगी।

19 अन्य परियोजनाए

Other Project

उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य में अनेक बाधों का निर्माण किया गया है। इनमें बाकली बाध (नागौर व पाली) मौरेल बाध (सवाई माधोपुर) गुढा बाध (बूदी) खारी बाध (आसीन्द के पास) मेजा बाध (भीलवाडा) पश्चिमी बनास योजना (सिरोही) अडवान बाध (शाहपुरा) गम्भीरी योजना(चित्तौडगढ) इदिरा लिफ्ट सिचाई योजना (सवाईमाधोपुर) विलास सिचाई योजना (कोटा) सेम कागदर सिचाई योजना (उदयपुर) पीपलदा लिफ्ट सिचाई योजना (सवाई माधोपुर) बीसलपुर परियोजना (टोंक) सोम-कमला-अम्बा सिचाई परियोजना (डूगरपुर) व पाचना परियोजना (सवाई माधोपुर) आदि प्रमुख है।

प्रमुख नहरों से सकल सिंचित क्षेत्र

(हजार हैक्टेयर)

नहरें	1980-81	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989 90	1990 91	1993-94
1 इदिरा गाधी नहर परियोजना	328 46	406 63	459 97	332 30	530 15	490 67	531 72	539 56
2 गंग नहर	275 97	299 12	336 06	262 88	319 96	322 44	328 99	320 14
3 भाखला नहर	331 42	360 64	357 43	326 67	397 67	389 51	422 63	413 98
4 चम्बल की नहरें	216 19	247 61	273 15	278 44	267 67	295 60	245 06	284 20
5 अन्य नहरें	107 72	197 04	207 98	176 74	217 54	172 53	239 74	277 43
योग	1257 81	1511 06	1634 61	1377 04	1733 01	1670 97	1768 18	1835.32

स्रोत *Trends in Land Use Statistics & VAS 1994-95, Rajasthan.*

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि

1 राजस्थान की नहरों से सिचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इदिरा गाधी नहर परियोजना मे सिचित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1987 88 मे सिचित क्षेत्र में अत्यधिक कमी हो गई लेकिन इसके पश्चात् वृद्धि का क्रम पुन आरभ हो गया।

2 गग नहर से सिचित क्षेत्र में 1987 88 तक उतार चढाव होता रहा लेकिन इसके पश्चात् सिचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई।

3 चम्बल की नहरो से भी राज्य के पर्याप्त क्षेत्र में सिचाई होती है। सिचाई क्षेत्र में कमी वृद्धि होती रही है। सिचाई की दृष्टि मे इदिरा गाधी नहर का प्रमुख स्थान है।

उपर्युक्त तालिका स स्पष्ट है कि राज्य की प्रमुख नहरों के अतिरिक्त अन्य नहरों से भी सिचाई की जाती है। अन्य नहरें राज्य के प्राय सभी जिलों में विद्यमान है। अन्य नहरों से 1980-81 में सिचित क्षेत्रफल 107 72 हजार हैक्टेयर था जो 1990 91 में 239 74 हजारा हैक्टेयर हो गया।

योजनाकाल में सिचाई का विकास

DEVELOPMENT OF IRRIGATION IN PLAN PERIOD

प्रथम योजना (First Plan) इस योजना में सिचाई व बाढ नियत्रण पर 31 31 करोड रुपए व्यय किये गये। भाखडा नागल चबल नदी घाटी परियोजना तथा अनेक छोटी योजनाओं का निर्माण प्रारभ किया गया। 1950 51 में सिचित क्षेत्र 11 74 लाख हेक्टेयर था जो बढकर 1955-56 में 13 6 लाख हैक्टेयर हो गया।

द्वितीय योजना (Second plan) इस योजना में सिचाई व बाढ नियत्रण पर 27 88 करोड रुपए व्यय किये गये। योजनाकाल में इदिरागाधी नहर का निर्माण प्रारभ किया गया तथा अधूरी योजनाओं को पूर्ण किया गया। योजना के अत में कुल सिचित क्षेत्र 17 6 लाख हैक्टेयर हो गया।

तृतीय योजना (Third plan) - इस योजना में सिचाई व बाढ नियत्रण पर 87 88 करोड रुपए व्यय किये गये। अधूरी योजनाओ को पूर्ण किया गया। योजना के अत में कुल सिंचित क्षेत्र 22 6 लाख हैक्टेयर हो गया।

तीन वार्षिक योजनाए (1966-69) (Three One-Year Plans) - इस अवधि मे सिचाई व बाढ नियत्रण पर 46 59 करोड रुपए व्यय किये गये। इन योजनाओं के अत मे सिंचित क्षेत्र 23 5 लाख हैक्टेयर हो गया।

चतुर्थ योजना (Fourth plan) - इस योजना में सिचाई व बाढ नियत्रण का 105 26 करोड रुपए व्यय किये गये। योजना के अत में सिंचित क्षेत्र 26 24 लाख हेक्टेयर हो गया।

पाचवी योजना (Fifth plan) - योजनाकाल में सिचाई व बाढ नियत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में सिचाई व बाढ नियत्रण पर 271 17 करोड रुपए व्यय किये गये। योजना के अत में सिंचित क्षेत्र 30 लाख हैक्टेयर हो गया।

छठी योजना (Sixth plan) - छठी योजना में सिचाई व बाढ नियत्रण पर 547 08 करोड रुपए व्यय किये गये।

सातवी योजना (Seventh Plan) - इस योजना में सिचाई व बाढ नियत्रण पर 690 51 करोड रुपए व्यय किये गये। योजना के अत में सिंचित क्षेत्र 44 61 लाख हैक्टेयर हो गया।

आठवी पचवर्षीय योजना (Eighth Plan - 1992-97) - आठवीं पचवर्षीय योजना में 1,70 623 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिचाई क्षमता सृजित करने का निश्चय किया गया। वास्तव में आठवीं योजना के अतर्गत 3 07 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिचाई क्षमता सृजित की गई।

नवी पचवर्षीय योजना में सिचाई विकास (1997-2002) - कृषि विकास के लिये सिंचाई का नियोजित ढग से विकास करना नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति का ध्यान मे रखते हुए सिचाई के क्षेत्र में निम्न व्यूह रचना अपनाई गई

(i) सिचाई की विद्यमान क्षमता में पर्याप्त मरम्मत के द्वारा वृद्धि करना।

(ii) सिचाई क्षमता का विस्तार करना।

(iii) सिचाई की चालू परियोजनाओं को पूर्ण करना।

(iv) छोटी मध्यम एव बड़े आकार की चयनित सिचाई परियोजना का कार्य आरभ करना।

(v) विदेशी सहयोग से प्रारभ की जाने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करना।

(vi) इस योजना में 1336 02 करोड रुपये कम करके 470 62 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त सिचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

राजस्थान में सिंचाई की वर्तमान स्थिति
PRESENT POSITION OF IRRIGATION IN RAJASTHAN

(i) सिचाई क्षमता (Irrigation Potential) - राजस्थान में सिचाई सुविधाओं का तेजी से विकास - विस्तार कर एक सुदृढ आधार तैयार करने के लिये अनेक बहु-उद्देश्यीय, वृहद्, मध्यम तथा लघु सिचाई परियोजनाए पूरी की जा चुकी है और कई परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। मार्च, 1992 तक 99 वृहद् और मध्यम श्रेणी की सिचाई परियोजनाए तथा 4307 लघु सिचाई परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका था। इन वृहद् एव मध्यम दर्जे की सिचाई परियोजनाओं से अर्जित 20 17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिचाई क्षमता का 96 8 प्रतिशत उपयोग किया जा चुका था। उपयोग का यह प्रतिशत देश में अधिकतम था। इसी प्रकार लघु सिचाई परियोजनाओं से 3 34 लाख हैक्टेयर में सिचाई क्षमता अर्जित की जा चुकी थी। किन्तु 50% क्षमता का ही उपयोग किया जा सकता है। सृजित एव उपयोग हुई क्षमता मे अन्तर का मुख्य कारण सीमित वर्षा के कारण राज्य के बाधों में पानी की भराव क्षमता से अपेक्षाकृत कम जलसग्रह होना रहा।

राज्य में पूरी हुई सिचाई परियोजनाओं से लगभग 25 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिचाई क्षमता अर्जित की चुकी थी। प्रथम पचवर्षीय योजना के आरभ होने से पूर्व यहा मात्र 4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिचाई सुविधा उपलब्ध थी।

(ii) चालू परियोजनाए (Ongoing Project) - प्रदेश के सिंचित रकबे में और बढोतरी हो सके, इसके लिये तेजी से प्रयास जारी है। वर्तमान में कई बहु-उद्देशीय, वृहद्, मध्यम और लघु सिचाई परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। इनके अतिरिक्त, विभिन्न सिंचाई परियोजनाए विशिष्ट योजनाओं और पचायतों द्वारा हाथ में लिये गये विकास कार्यों के तहत क्रियान्वित की जा रही है।

वर्तमान में बहु-उद्देशीय परियोजनाओं के तहत माही बजाज सागर, राजप्रताप सागर, जवाहर सागर और चबल परियोजना के शेष कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

इनमें माही बजाज सागर का कार्य नवी पचवर्षीय योजना तक पूरा होने का अनुमान है जब कि शेष परियोजनाओं का आठवीं पचवर्षीय योजना में पूरा होने के प्रयास है। इसी प्रकार वृहद् परियोजनाओं के अतर्गत इदिरा गाधी नहर परियोजनाओं के अतिरिक्त सिचाई क्षमता के तहत 6 परियोजनाए प्रगति पर है। इनमें जाखम, गुडगाव, बीसलपुर, नर्मदा, नोहर व सिद्धमुख नहरें मुख्य हैं। जाखम व गुडगाव परियोजनाए आठवें पचवर्षीय योजनाकाल में पूरा होगी जबकि नर्मदा सिद्धमुख व नोहर परियोजनाओं के नवी पचवर्षीय योजना में पूरा होने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त , मध्यम श्रेणी की सिचाई परियोजना के तहत जिन परियोजनाओं का काम प्रगति पर है उनमें भीमसागर सोम कागदर, विलास, सोम-अम्बा-कमला, पाचना, सावन भादों, छापी, हरीशचन्द्र सागर और परवान लिफ्ट योजना मुख्य है। इन सभी परियोजनाओं को आठवें योजनाकाल में पूरा होने का प्रयास जारी है। राज्य में चल रही 88 लघु सिचाई परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं को आठवीं योजना में पूरा करने के कार्यक्रम है।

(iii) सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम (Community Lifts Irrigation Programme) - राजस्थान में सीमित जलस्रोत है। राज्य के लघु व सीमान्त कृषक इन जलस्रोतों का उपयोग नही कर पाते है। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में नदियों, नालों एव नदी क्षेत्र आदि के रूप में पर्याप्त जलस्स्रोत विद्यमान है । सीमान्त व लघु कृषकों की सहायतार्थ इन जलस्रोतों का समुचित उपयोग करने के लिए राजस्थान सरकार ने 1980 81 मे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतर्गत सामुदायिक लिफ्ट सिचाई कार्यक्रम आरभ किया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लघु व सीमान्त कृषकों को सिचाई सुविधाए प्रदान करना है ताकि वे गरीबी रेखा को पार कर सकें। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता यह है कि सीमात व लघु कृषक किसी समिति अथवा समूह के अतर्गत इस योजना को सचालित करेंगे। योजना की लागत का 10 प्रतिशत भाग कृषक द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा शेष राशि के लिये सरकार अनुदान प्रदान करेगी। इस कार्य के लिये वित्तीय सस्थाओं से ऋण की व्यवस्था भी की गई है। यह योजना ग्रामीण जिला विकास सस्थाओं के तकनीकी विभाग द्वारा बनाई जाती है तथा इसका सचालन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। यह योजना कोटा बूदी, झालावाड, उदयपुर डूगरपुर, बासवाडा, भीलवाडा, चित्तौडगढ सिरोही, धौलपुर टोंक आदि जिलों में आसानी से चालू की जा सकती है।

(iv) राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड - यह निगम 1984 में स्थापित किया गया। इसका प्रमुख कार्य भू-जल एव सतही जल के विभिन् कार्यो मे उपयोगों को निर्धारित करना है। यह जल को निर्धारित स्थानों तक पहुचाने के लिये ऊर्जा स्रोतों की भी व्यवस्था करता है। इस निगम को प्रभावी बनाने हेतु इसकी स्थिति एव प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये।

राजस्थान में सिंचाई संबंधी समस्यायें व सुझाव

PROBLEMS & SUGGESTIONS REGARDING IRRIGATION IN RAJASTHAN

(1) अपर्याप्त जल संसाधन (Inadequate Water Resources) - राज्य में वर्षा बहुत कम होती है अत जल ससाधन अपर्याप्त है। इसलिये जल ससाधनों का कुशलता व मितव्ययिता से प्रयोग करना चाहिये।

(2) कुंओं मे पर्याप्त जल (Inadequate Water in Wells) - राज्य में कुओं में कम पानी की समस्या है। पानी बहुत अधिक गहराई पर मिलता है। अत कुओं वाले क्षेत्रों में बांधों का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि जल स्तर ऊचा हो सके।

(3) मरम्मत सुविधा का अभाव (Lack of Repair Facilities) - राज्य में तालाबों, नहरों व बांधों की मरम्मत की पर्याप्त सुविधा नही है अत जल का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। इसके लिए तालाबों, नहरों व बांधों के निरीक्षण व सुधार सबधी व्यवस्था की जानी चाहिये।

(4) वित्तीय साधनों का अभाव (Lack of Financial Resources) - राज्य में वित्तीय साधनों के अभाव के कारण सिचाई योजनाओं के पूर्ण होने से बहुत अधिक समय लग जाता है अत केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये।

(5) सामग्री का अभाव (Lack of Material) - राज्य में नदी-घाटी परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का अभाव रहा है। इदिरा गाधी नहर परियोजना की धीमी प्रगति का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अत ऐसी सामग्री का वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये।

(6) भ्रष्टाचार (Corruption) - सिचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु स्थान के चयन, उसके निर्माण एव जल के वितरण आदि के पक्षपात, भ्रष्टाचार व लालफीताशाही का

बोलबाला है। जन-जागरण ही इस समस्या से बचने का एकमात्र उपाय है।

(7) जल ससाधनों का दुरूपयोग (Misuse of Water Resources) - किसानों द्वारा जल संसाधनों का दुरूपयोग किया जाता है। इसके जलाधिक्य व लवणीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अत आवश्कतानुसार ही जल का वितरण व प्रयोग किया जाना चाहिये।

(8) कृषकों के विवाद (Conflicts in Farmers) - जल ससाधनों के वितरण को लेकर कृषकों में प्राय विवाद बना रहता है। कभी-कभी इसका कारण अधिकारियों की पक्षपात पूर्ण नीति भी होती है। निश्चित समय पर पर्याप्त जल का वितरण न करने पर भी विवाद उत्पन्न हो जाते है। अत इसके लिये निश्चित नियमों का निर्माण किया जाना चाहिये।

(9) रोगों का प्रकोप (Diseases) - तालाबों व नहरों के क्षेत्र में मच्छरों के कारण मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से बढती है। इस समस्या के समाधान हेतु कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिये तथा जल ससाधनों का सदुपयोग करना चाहिये।

(10) विद्युत प्रयोग का अभाव (Lack of Power Utilization) - डीजल पम्प की तुलना में विद्युत पम्प मितव्ययी होते हैं अत उपभोक्ताओं को विद्युत पम्प से अधिक प्रयोग के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये तथा विद्युत की पूर्ति लगातार बनाये रखनी चाहिये।

(11) अनुसधान की दीर्घकालीन प्रक्रिया (Longrun Process of Reseach) - सिंचाई परियोजनाओं के अनुसधान में काफी लंबा समय लगता है। अत पहले से जांची हुई योजनाओं को तैयार रखना चाहिये ताकि साधनों के अनुसार उनमें से किसी का भी चयन किया जा सके।

(12) भौगोलिक विकास (Geographical Dispanties) - सिंचाई की आवश्यकता व साधन क्षेत्र विशेष की मिट्टी, जलवायु, वर्षा, कृषि, फसलों के प्रकार आदि द्वारा निर्धारित होते है। अत विभिन्न क्षेत्रों में नहरों आदि का निर्माण करते समय इन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये, न कि सभी क्षेत्रों के लिये समान मानक निर्धारित किये जाने चाहियें।

(13) जनसहयोग का अभाव (Lack of Public Co-operation) - सिंचाई साधनों के विकास के अर्तगत विशेष रूप से बांधों व नहरों के निर्माण में जनसहयोग का अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कहीं-कहीं तो जन विरोध का भी सामना करना पडता है। सिंचाई परियोजना सबधी सभी वास्तविक तथ्यों को अवगत कराते हुये जन सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिये।

(14) जन-धन की हानि (Loss of Property & Lives) - बांधों, नहरों या तालाब आदि के टूट जाने पर जन-धन की हानि अत्यधिक क्षति होती है। इन साधनों के निर्माण में पर्याप्त सावधानी बरतकर व उचित देख-रेख से इस समस्या का समाधान सम्भव है।

(15) अन्तर्राज्यीय विवाद (Inter State Disputes)- विभिन्न जलस्रोतो को लेकर विभिन्न राज्यों में मतभेद उत्पन्न हो जाते है जिससे सिचाई साधनों के विकास में बाधा पडती है। राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुये इसका कोई हल निकाला जाना चाहिये।

(16) अधिक सिंचाई लागतें (High Irrigation Cost)- मुद्रा प्रसार के कारण निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की लागतों में तेजी से वृद्धि हुई है। सिंचाई साधनों के दुरूपयोग से ये लागतें और भी बढ गई है। बढी हुई लागतों की पूर्ति सिंचाई शुल्क वृद्धि करके की जानी चाहिये।

राजस्थान में शक्ति
POWER IN RAJASTHAN

सभी आर्थिक कार्यकलापों में ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होती है। ऊर्जा का उत्पादन एक बहुत ही खर्चीला कार्य है और ऊर्जा की मांग के अनुसार उसकी आपूर्ति के लिये भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इस कारण राज्य की योजना मद में ऊर्जा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना प्रावधान का लगभग 28 31 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र के लिये निर्धारित था।[1]

प्रतिस्पर्धात्मक एव अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित खुले बाजार की अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिये राज्य के लिग्नाइट भडारों को खोल दिया गया है। लगभग 18,000 करोड रुपए की लागत से निजी क्षेत्र में 4280 मेगावाट क्षमता के विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।[2] विद्युत की कमी, जो राज्य की विकास गतिविधियों को प्रभावित कर रही थी, वह निकट भविष्य में हल कर ली जायेगी।

दिसम्बर, 1997 तक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

1 & 2. Economic Review 1995-96 Rajasthan

के अन्तर्गत राज्य में 34528 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1997 तक 5.44 लाख कुओं को भी विद्युतीकृत किया गया है।

राजस्थान ऊर्जा विकास एजेन्सी (REDA) - राजस्थान में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के उद्देश्य से जनवरी 1995 में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेन्सी (REDA) की स्थापना की गई। यह संस्था राज्य में सौर-ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बायो गैस के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के मरूस्थलीय क्षेत्र विशेषत जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में राज्य सरकार एक सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र (सोज) की स्थापना कर रही है।

राजस्थान विद्युत मंडल (RSEB) - यह मंडल विभिन्न बिजली परियोजनाओं की स्थापना, खोज एवं उनके क्रियान्वयन तथा विद्युत संवहन एवं वितरण के कार्यों में संलग्न है। कोटा ताप बिजलीघर, माही जल विद्युत परियोजना, व्यास, चंबल एवं सतपुड़ा परियोजनाएं राज्य में विद्युत आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के राजस्थान अणुशक्ति, सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना, रिहन्द, अन्ता, औरैया, नरौरा एवं दादरी गैस, ऊंचाहार ताप विद्युत एवं टनकपुर परियोजना राज्य को विद्युत आपूर्ति में योगदान करते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के अंत तक राज्य में 33827 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 में, दिसम्बर 96 तक 188 ग्रामों का और विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार दिसम्बर 96 तक कुल 34015 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसी तरह वर्ष 1996-97 में दिसम्बर 96 तक 25535 कुओं का विद्युतीकृत किया गया। अब तक कुल ▪ 26 लाख कुओं का विद्युतीकृत किया जा चुका है।

वर्ष 1995-96 में 13079.73 मिलियन विद्युत उपभोग की तुलना में वर्ष 1996-97 में 14213.43 मिलियन यूनिट होने की संभावना है। इस प्रकार प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 1995-96 में 265 यूनिट की तुलना में वर्ष 1996-97 में 281 यूनिट होने का अनुमान है।

1950-51 में विद्युत की स्थापित क्षमता 13 मेगावाट थी जो सातवीं योजना के अंत तक बढ़कर 2711.42 मेगावाट हो गई। 1995-96 में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 3049 मेगावाट थी।

आठवीं योजना में शक्ति पर वास्तविक व्यय 3081.4 करोड़ रुपए हुआ है और नवीं योजना में 5510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के सुधार
POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

राजस्थान देश के उन राज्यों में से एक है जिसने अपने राज्य बिजली बोर्ड की क्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऑपरेशनल एवं फाइनेंशियल एक्शन प्लान (ओफैप) अपनाना स्वीकार किया है। विश्व बैंक एवं ऊर्जा वित्त निगम को दिए गए आश्वासन की अनुपालना हेतु कृषि कनेक्शनों के लिए खम्भों पर अनुदान में क्रमिक कमी सहित कुछ अन्य उपाय प्रारम्भ कर दिए गए हैं।

राजस्थान में शक्ति के साधन
POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

(1) कोयला (Coal) - राजस्थान में उत्तम किस्म के कोयले के अधिक भण्डार नहीं है। कोयला मुख्यत तीन प्रकार का होता है। लिग्नाइट, बिटुमिनस और एन्थ्रेसाइट। एन्थ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का माना जाता है। इसमें कार्बन का अंश 80% से 95% तक होता है। इसका रंग चमकीला काला होता है तथा इसमें कम धुआं तथा अधिक ताप प्राप्त होता है। बिटुमिनस कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश 75% से 80% के मध्य होता है। इसका रंग काला होता है। इसमें भी अधिक ताप व कम धुआं प्राप्त होता है। लिग्नाइट निम्न किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश 45% से 55% के मध्य होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें ताप व शक्ति अपेक्षाकृत कम व धुआं अधिक होता है। राजस्थान में यही निम्न किस्म का कोयला अर्थात् लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र को जब दो भागों में बांटा जाता है तो क्रमश: गोंडवाना क्षेत्र और टरशियरी क्षेत्र हमारे समक्ष आते है। राजस्थान इसी टरशियरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है जिसके अंतर्गत पलाना, खारी आदि क्षेत्र आते है। इसके अतिरिक्त, जोधपुर जिले में गंगासरोवर क्षेत्र प्रमुख है। राजस्थान में सबसे अधिक कोयला पलाना की कोयला खानों से प्राप्त होता है। लिग्नाइट कोयला यद्यपि निम्न श्रेणी का कोयला होता है किन्तु लिग्नाइट श्रेणी के कोयलों में तो राजस्थान में प्राप्त

1 Economic Review 1997 98 Rajasthan • 2 7 Economic Review 1996-97 Rajasthan 8 Ninth Five Year Plan 1997 • 12 Govt. of Raj

लिग्नाइट श्रेष्ठ किस्म का माना जाता है पलाना में औसतन 6 मीटर मोटी कोयले की परतें है। यहाँ पर लगभग 2 करोड टन कोयले के भण्डार होने का अनुमान है। पलाना के अतिरिक्त गगासरोवर, चानेरी, खारी केसर, दसेर आदि स्थानों पर कोयले के भण्डार मिले है किन्तु व्यापारिक स्तर पर उत्पादित नही किये जा रहे है। मेडता में भी लिग्नाइट कोयला मिलने की सभावना है। इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।

उत्पादन (Production)

राजस्थान में लगभग 55,000 टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जा रहा है। कोयले के निम्न श्रेणी के होने के बावजूद भी इन भण्डारों को यों ही नहीं छोडा जा सकता। इस कारण इन क्षेत्रों के आस-पास विद्युतगृहो की स्थापना के प्रयास किये जा रहे है। शक्ति के साधनों की कमी के साथ-साथ राजस्थान के इन अविदोहित कोयला भण्डारों का भी प्रयोग होने लगेगा, ऐसी सभावना है। राजस्थान में अभी भी विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बाहर से कोयला मगवाया जाता है। विगत कुछ वर्षो में ईंटों के भट्टे, सीमेंट के कारखाने, रसायन उद्योगों, सूती मिलों,रक्षा सेवाओं, घरेलू कार्यों आदि विभिन्न उपयोगों के लिय कोयला वितरित किया गया जो इस बात का द्योतक है राजस्थान में कोयले की पर्याप्त माग है।

(2) खनिज तेल (Crude Oil) - खनिज तेल सपूर्ण विश्व में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। तेल राजनीति ने जिस प्रकार से विश्व को प्रभावित किया है वह इसके महत्व का परिचायक है। खनिज तेल ऐसा सुविधाजनक ऊर्जा साधन है जो विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होकर मानव को महत्वपूर्ण सेवाए प्रदान कर रहा है। करोडों वर्ष पूर्व जीव-जतुओं और वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने के कारण प्रकृति ने अपनी प्रक्रिया से उसे खनिज तेल में परिवर्तित कर अपनी परतदार चट्टानों में सचित करके रखा है। खनिज तेल की बढती कीमतों के कारण राजस्थान में तेल मिलने की सभावनाओं का महत्व और अधिक बढ गया है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में तेल एव गैस के भडार होने का अनुमान है। हाल ही में ऑयल इण्डिया लिमिटेड की राजस्थान परियोजना द्वारा बीकानेर नागौर बेसिन में खोदे जा रहे पहले कुए में खनिज तेल मिलने के सकेत मिले है। आठवी पचवर्षीय योजना काल में 20 कुए खोदे जाने की योजना है। इस हेतु राजस्थान परियोजना को कुल 135 करोड रुपये का बजट भी आवटित किया गया है। बीकानेर - नागौर बेसिन के बागेवाला कुआ न - 1 में चूने की छिद्रदार सरचना में खनिज तेल मिलने की पूरी आशका है। यदि ऐसा होता है तो राजस्थान की कायापलट हो सकती है। यह तथ्य सर्वविदित है कि राजस्थान की इस प्रकार की सरचना अरब राष्ट्रों की तेल सरचना से मिलती जुलती है। इस कारण, इस क्षेत्र में तेल मिलने की सभावना बढ गई है। बीकानेर के पश्चिम में 140 किमी दूर बागेवाला में 1 जुलाई, 1991 को खुदाई का कार्य आरभ हुआ है। खुदाई के मध्य किये गये परीक्षण से भारी मात्रा में खनिज तेल मिलने का सकेत मिला है। नागौर बेसिन के इस कुए में करीब 920 मीटर की गहराई पर काफी मात्रा में तेल के सकेत मिले है। लगभग 1095 मीटर गहराई में कुछ मात्रा में खनिज तेल भी प्रवाहित हुआ है। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार इस खनिज तेल का रग डामर जैसा है और यह अति उच्च लसीलापन किये हुये है। इस कुए की 1380 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है और आगे खुदाई का कार्य चल रहा है। जिन चट्टानों में यह तेल मिला है, वे सम्भवत कैम्बरियन युग की है जो लगभग 60 करोड वर्ष पुरानी है। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार ऐसी चट्टानें भारत में तटीय तलहटी बेसिन की होती है। बागेवाले सरचना का हवाई विस्तार लगभग 18 वर्ग कि मी है और 70 वर्ग किमी क्षेत्र में सरचनाओं के समूह बने हुये है। बागेवाला सरचना में, निगम के अनुसार 3 करोड टन खनिज तेल के भण्डार होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस क्षेत्र में खनिज तेल का भडार 18 करोड टन हो सकता है। निगम के अनुसार इस खनिज तेल का उत्पादन कार्य आसान नहीं है। उनके दृष्टिकोण में यह उत्तरी गुजरात में उत्पादित किये जा रहे खनिज तेल से मिलता -जुलता है। इस क्षेत्र में गाढे खनिज तेल के उत्पादन तथा परिवहन के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। बागेवाला में खनिज तेल मिलने से पूर्व जैसलमेर क्षेत्र के दो कुओं में भी खनिज तेल के भण्डार होने के सकेत मिले है। डाडेवाला के कुआ न 1 तथा 2 में खनिज तेल के सकेत प्राप्त हुए है। इन कुओं में प्राप्त प्राकृतिक गैस के साथ ही थोडी मात्रा में हल्के किस्म का खनिज तेल भी मिला है। जैसलमेर बेसिन में अब तक 10 कुओं की खुदाई पूरी हो चुकी है। जैसलमेर बेसिन में तनोट तथा अन्य पूर्वी तनोट सरचना में कुए खोद गये है। खोदे गए कुओं में से 3 का विस्तृत परीक्षण भी किया जा चुका है। परीक्षण से पता चलता है कि इन कुओं में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस के भण्डार उपलब्ध है। तनोट क्षेत्र के चौथे कुए का परीक्षण जारी है किन्तु खुदाई के दौरान मिले सकेतों से ज्ञात होता है कि इस कुए में भी प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। तनोट के दक्षिण में

के अतर्गत राज्य में 34528 गावों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1997 तक 5.44 लाख कुओं को भी विद्युतीकृत किया गया है।

राजस्थान ऊर्जा विकास एजेन्सी (REDA) - राजस्थान में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के उद्देश्य से जनवरी, 1995 में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेन्सी (REDA) की स्थापना की गई। यह संस्था राज्य में सौर-ऊर्जा, वायु-ऊर्जा और बायो गैस के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। सौर ऊर्जा को बढावा देने हेतु राज्य के मरूस्थलीय क्षेत्र विशेषत जैसलमेर, जोधपुर एव बाडमेर जिलों में राज्य सरकार एक सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र (सीज) की स्थापना कर रही है।

राजस्थान विद्युत मडल (RSEB) - यह मडल विभिन्न बिजली परियोजनाओ की स्थापना, खोज एव उनके क्रियान्वयन तथा विद्युत सवहन एव वितरण के कार्यो में सलग्न है। कोटा ताप बिजलीघर माही जल विद्युत परियोजना, व्यास, चबल एव सतपुडा परियोजनाए राज्य में विद्युत आपूर्ति के प्रमुख स्रोत है। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के राजस्थान अणुशक्ति, सिगरोली ताप विद्युत परियोजना, रिहन्द अन्ता औरैया नरौरा एव दादरी गैस, ऊँचाहार ताप विद्युत एव टनकपुर परियोजना राज्य की विद्युत आपूर्ति में योगदान करते है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के अत तक राज्य में 33827 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। इनके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 में, दिसम्बर 96 तक 188 ग्रामों का और विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार दिसम्बर 96 तक कुल 34015 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसी तरह वर्ष 1996-97 में, दिसम्बर 96 तक 25635 कुओं को विद्युतीकृत किया गया। अब तक कुल 5.26 लाख कुओं का विद्युतीकृत किया जा चुका है।

वर्ष 1995-96 में 13079.73 मिलियन विद्युत उपभोग की तुलना में वर्ष 1996-97 में 14213.43 मिलियन यूनिट होने की सभावना है। इस प्रकार प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 1995-96 में 265 यूनिट की तुलना में वर्ष 1996-97 में 281 यूनिट होने का अनुमान है।

1950-51 में विद्युत की स्थापित क्षमता 13 मेगावाट थी जो सातवी योजना के अत तक बढकर 2711.42 मेगावाट हो गई। 1995-96 में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 3049 मेगावाट थी।

आठवी योजना में शक्ति पर वास्तविक व्यय 3081.4 करोड रुपए हुआ है और नवीं योजना में 5510 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के सुधार
POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

राजस्थान देश के उन राज्यों में से एक है जिसने अपने राज्य बिजली बोर्ड की क्षमता एव कार्यकुशलता बढाने के उद्देश्य से एक ऑपरेशनल एव फाइनेन्शियल एक्शन प्लान (ओफेप) अपनाना स्वीकार किया है। विश्व बैंक एव ऊर्जा वित्त निगम को दिए गए आश्वासन की अनुपालना हेतु कृषि कनेक्शनो के लिए खम्भो पर अनुदान में क्रमिक कमी सहित कुछ अन्य उपाय प्रारम्भ कर दिए है।

राजस्थान में शक्ति के साधन
POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

(1) कोयला (Coal) - राजस्थान में उत्तम किस्म के कोयले के अधिक भण्डार नहीं है। कोयला मुख्यत तीन प्रकार का होता है। लिग्नाइट, विटुमिन्स और एन्थ्रेसाइट। एन्थ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का माना जाता है। इसमें कार्बन का अश 80% से 95% तक होता है। इसका रग चमकीला काला होता है तथा इससे कम धुआ तथा अधिक ताप प्राप्त होता है। विटुमिनस कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन का अश 75% से 80% के मध्य होता है। इसका रग काला होता है। इसमें भी अधिक ताप व कम धुआ प्राप्त होता है। लिग्नाइट निम्न किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन का अश 45% से 55% के मध्य होता है। इसका रग भूरा होता है। इसमें ताप व शक्ति अपेक्षाकृत कम व धुआ अधिक होता है। राजस्थान में यही निम्न किस्म का कोयला अर्थात् लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। सपूर्ण भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रो को जब दो भागों में बाटा जाता है तो क्रमश गोंडवाना क्षेत्र और टरशियरी क्षेत्र हमारे समक्ष आते है। राजस्थान इसी टरशियरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र मे सर्वाधिक कोयला पाया जाता है जिसके अतर्गत पलाना, खारी आदि क्षेत्र आते है। इसके अतिरिक्त, जोधपुर जिले में मगासरोवर क्षेत्र प्रमुख है। राजस्थान में सबसे अधिक कोयला पलाना की कोयला खानों से प्राप्त होता है। लिग्नाइट कोयला यद्यपि निम्न श्रेणी का कोयला होता है किन्तु लिग्नाइट श्रेणी के कोयलों मे तो राजस्थान में प्राप्त

1 Economic Review 1997 98 Rajasthan • 2 7 Economic Review 1996-97 Rajasthan • 8 Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt of Raj

लिग्नाइट श्रेष्ठ किस्म का माना जाता है पलाना में औसतन 6 मीटर मोटी कोयले की परतें है। यहा पर लगभग 2 करोड टन कोयले के भण्डार होने का अनुमान है। पलाना के अतिरिक्त गगासरोवर, बानेरी, खारी केसर, दसेर आदि स्थानों पर कोयले के भण्डार मिले है किन्तु व्यापारिक स्तर पर उत्पादित नहीं किये जा रहे है। मेडता में भी लिग्नाइट कोयला मिलने की सभावना है। इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।

उत्पादन (Production)

राजस्थान में लगभग 55,000 टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जा रहा है। कोयले के निम्न श्रेणी के होने के बावजूद भी इन भण्डारों को यो ही नहीं छोडा जा सकता। इस कारण इन क्षेत्रों के आस-पास विद्युतगृहों की स्थापना के प्रयास किये जा रहे है। शक्ति के साधनों की कमी के साथ-साथ राजस्थान के इन अविदोहित कोयला भण्डारों का भी प्रयोग होने लगेगा, ऐसी सभावना है। राजस्थान में अभी भी विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बाहर से कोयला मगवाया जाता है। विगत कुछ वर्षो में ईटो के भट्टे, सीमेंट के कारखाने, रसायन उद्योगों, सूती मिलों,रक्षा सेवाओं, घरेलू कार्यों आदि विभिन्न उपयोगों के लिये कोयला निर्गत किया गया जो इस बात का द्योतक है राजस्थान मे कोयले की पर्याप्त माग है।

(2) खनिज तेल (Crude Oil) - खनिज तेल सपूर्ण विश्व में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। तेल राजनीति ने जिस प्रकार से विश्व को प्रभावित किया है वह इसके महत्व का परिचायक है। खनिज तेल ऐसा सुविधाजनक ऊर्जा साधन है जो विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होकर मानव को महत्वपूर्ण सेवाए प्रदान कर रहा है। करोडों वर्ष पूर्व जीव-जतुओ और वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने के कारण प्रकृति ने अपनी प्रक्रिया से उसे खनिज तेल में परिवर्तित कर अपनी परतदार चट्टानों में सचित करके रखा है। खनिज तेल की बढती कीमतों के कारण राजस्थान में तेल मिलने की सभावनाओ का महत्व और अधिक बढ गया है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में तेल एव गैस के भडार होने का अनुमान है। हाल ही में ऑयल इण्डिया लिमिटेड की राजस्थान परियोजना द्वारा बीकानेर नागौर बेसिन में खोदे जा रहे पहले कुए में खनिज तेल मिलने के सकेत मिले है। आठवीं पचवर्षीय योजना काल में 20 कुए खोदे जाने की योजना है। इस हेतु राजस्थान परियोजना को कुल 135 करोड रूपये का बजट भी आवटित किया गया है। बीकानेर - नागौर बेसिन के बागेवाला कुआ न -1 में चूने की छिद्रदार सरचना में खनिज तेल मिलने की पूरी आशका है। यदि ऐसा होता है तो राजस्थान की कायापलट हो सकती है। यह तथ्य सर्वविदित है कि राजस्थान की इस प्रकार की सरचना अरब राष्ट्रों की तेल सरचना से मिलती जुलती है। इस कारण, इस क्षेत्र में तेल मिलने की सभावना बढ गई है। बीकानेर के पश्चिम में 140 किमी दूर बागेवाला में 1 जुलाई, 1991 को खुदाई का कार्य आरभ हुआ है। खुदाई के मध्य किये गये परीक्षण से भारी मात्रा मे खनिज तेल मिलने का सकेत मिला है। नागौर बेसिन के इस कुए में करीब 920 मीटर की गहराई पर काफी मात्रा में तेल के सकेत मिले हैं। लगभग 1095 मीटर गहराई में कुछ मात्रा में खनिज तेल भी प्रवाहित हुआ है। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार इस खनिज तेल का रग डामर जैसा है और यह अति उच्च लसीलापन किये हुये है। इस कुए की 1380 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है और आगे खुदाई का कार्य चल रहा है। जिन चट्टानों में यह तेल मिला है, वे सम्भवत कैम्ब्रियन युग की है जो लगभग 60 करोड वर्ष पुरानी है। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार ऐसी चट्टानें भारत में तटीय तलहटी बेसिन की होती है। बागेवाले सरचना का हवाई विस्तार लगभग 18 वर्ग कि मी है और 70 वर्ग किमी क्षेत्र में सरचनाओं के समूह बने हुये है। बागेवाला सरचना में, निगम के अनुसार 3 करोड टन खनिज तेल के भण्डार होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस क्षेत्र में खनिज तेल का भडार 18 करोड टन हो सकता है। निगम के अनुसार इस खनिज तेल का उत्पादन कार्य आसान नहीं है। उनके दृष्टिकोण में यह उत्तरी गुजरात में उत्पादित किये जा रहे खनिज तेल से मिलता -जुलता है। इस क्षेत्र में गाढे खनिज तेल के उत्पादन तथा परिवहन के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। बागेवाला में खनिज तेल मिलने से पूर्व जैसलमेर क्षेत्र के दो कुओं में भी खनिज तेल के भण्डार होने के सकेत मिले है। डाडेवाला के कुआ न 1 तथा 2 में खनिज तेल के सकेत प्राप्त हुए है। इन कुओं में प्राप्त प्राकृतिक गैस के साथ ही थोडी मात्रा में हल्के किस्म का खनिज तेल भी मिला है। जैसलमेर बेसिन में अब तक 10 कुओं की खुदाई पूरी हो चुकी है। जैसलमेर बेसिन में तनोट तथा अन्य पूर्वी तनोट सरचना में कुए खोद गये है। खोदे गए कुओं में से 3 का विस्तृत परीक्षण भी किया जा चुका है। परीक्षण से पता चलता है कि इन कुओं में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस के भण्डार उपलब्ध है। तनोट क्षेत्र के चौथे कुए का परीक्षण जारी है किन्तु खुदाई के दौरान मिले सकेतों से ज्ञात होता है कि इस कुए में भी प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। तनोट के दक्षिण में

करीब 4 किलोमीटर पर स्थित जलालवाला में खोदा गया पहला कुआ सफल साबित होने की सभावना है। आयल इण्डिया लिमिटेड ने पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेल और गैस की खान के प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में एक और रिंग को गतिशील किया है। यही रिग बागेवाला कुआ न 1 की खुदाई का कार्य कर रही है।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा मई 1991 में फ्रास की भूकम्पी कम्पनी 'कम्पैजाइन जनरल डी जिओफिजिक' द्वारा भूकम्पों के सर्वेक्षण के द्वितीय चरण का कार्य आरभ किया गया है। इस चरण में भूकम्पी सर्वेक्षण के लिये लगभग 2500 वर्ग किमी क्षेत्र मे सर्वेक्षण का कार्य करने की योजना है। इन सर्वेक्षणों से तनोट डाडेवाला एव इसके आस पास के क्षेत्र में हाइड्रो-कार्बन गैस भण्डार का पता लगाया जा सकेगा। आयल इण्डिया लिमिटेड ने पश्चिमी राजस्थान के थार के भू गर्भ में तेल खोजने का कार्य 1982 ई में आरभ किया था। इस पर अब तक ११५ करोड रुपये व्यय हो चुका है।

उत्पादन (Production) आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अभी तक राजस्थान में दो जगह तेल मिलने की घोषणा की जा चुकी जा है। प्रथम डाडेवाला में और द्वितीय बागेवाला में। डाडेवाला में गैस के साथ तेल भी मिला है परन्तु इसकी मात्रा बहुत कम है। इस क्षेत्र में खोजे गये भारी खनिज तेल का उपयोग सदिग्ध है। ऐसा अनुमान है कि इसका उपयोग आर्थिक दृष्टि से महगा पडेगा। बागेवाला में खनिज तेल उत्पादन होने की सभावना है। यद्यपि वह खनिज तेल पैट्रोल एव मिट्टी का तेल उत्पादन करने योग्य नहीं है। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार बागेवाला में मिला तेल पैट्रो-केमिकल्स उद्योग के काम आ सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान में खनिज तेल के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन की सभावनाए बढी है।

जल विद्युत (Hydro-electricity) - राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राजस्थान में कोयले का अधिक उत्पादन नहीं होता और इसी प्रकार अभी तक खनिज तेल का उत्पादन भी आरभ हो पाया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के पास जो विकल्प विद्यमान है उनमें जल विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में कोयले के अभाव के कारण तापीय विद्युत गृह निर्मित नहीं किये जा सकते थे और न ही खनिज तेल पर आधारित विद्युत गृह विकसित किये जा सकते थे। इस कारण राजस्थान सरकार ने अपने ससाधनों को दृष्टिगत रखते हुये अपने पडौसी राज्यों से इस प्रकार के समझौते किये कि उसे पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत प्राप्त होती रहे। जल विद्युत कभी समाप्त न होने वाला साधन है। इससे वातावरण का प्रदूषण भी नहीं होता किन्तु दुर्भाग्य से राजस्थान में 12 महीने बहने वाली अधिक नदिया नहीं है। इस कारण राजस्थान की अपेक्षा के अनुसार जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाया है। जल विद्युत उत्पादन की कम लागत इसका कभी समाप्त न होने वाला स्वरूप प्रदूषण रहित और कम पूजी के कारण इसका महत्व बढ गया है। राजस्थान में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास और रेगिस्तान में सिचाई साधनों के विकास के लिये जल विद्युत उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करना राजस्थान सरकार के लिये अनिवार्य हो गया है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) राजस्थान सरकार ने अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुये विभिन्न राज्यों से साझेदारी में जो योजनाए बनाई है उनसे राजस्थान को जल विद्युत उपलब्ध होती है। इनमें भाखडा नागल परियोजना चम्बल परियोजना व्यास परियोजना और सतपुडा विद्युतगृहों की स्थापना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त राजस्थान का इंदिरा गाधी नहर परियोजना माही विद्युत परियोजना अन्ता विद्युत परियोजना रामगढ़/सगरोली विद्युतगृह एव कवई हाई गैस पर आधारित योजनाओं से ही विद्युत प्राप्त हो रही है अथवा होने की सभावना है।

[illegible] विभिन्न परियोजनाओं से 1995 1996 में प्राप्त विद्युत

विद्युत गृह	विद्युत उत्पादन (किलोवाट) तापीय यत्र	जल विद्युत गैस	कुल प्राप्त विद्युत विद्युत-क्रय/प्राप्ति (किलोवाट)	उत्पादन व क्रय
(अ) विद्युत गृह				
1 [illegible]	[illegible]			4081 4
2 माही जल विद्युत		329 7		388 9
3 अनूपगढ़		4 8		4 8
4 सूरतगढ़		0 8		3 4
5 पूगल		1 3		1 0
6 मगरोड		11 8		8 1
(ब) जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान का भाग)				
1 भाखडा नागल			1024 2	1024 2

2 चम्बल परियोजना		-	790 9	790 9
3 सतपुड़ा परियोजना	650 0	-	-	650 0
4 व्यास परियोजना	-	1690 9	1690 9	1690 9
5 [illegible]	-	-	1593 0	1593 0
6 [illegible]	14 8	-	-	-
7 विद्युत क्रय			9985 5	9985 5

Source Statistical Abstract 1996, Govt of Raj

2. अणु शक्ति (Atomic Power) - डॉ राजा रमन्ना के अनुसार, अणुशक्ति भविष्य में अनेक वर्षों तक शक्ति का प्रमुख स्रोत रहेगी। डॉ एच एन सेठना के अनुसार 'वर्तमान ज्ञान अवशेषों के दबने से बने ईंधन सन् 2010 तक समाप्त हो जायेंगे। अतः डॉ सेठना के अनुसार अणुशक्ति भविष्य का एक महत्वपूर्ण शक्तिस्रोत हो गया है। अणुशक्ति एक ऐसा साधन है जिसके अन्तर्गत बहुत कम ईंधन से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। शक्ति के अन्य साधनों की तुलना में यह सस्ता भी है। इसके द्वारा निर्मित प्रति किलोवाट विद्युत लागत खनिज तेल तथा कोयले की अपेक्षा कम है तथा इसमें विनियोग भी कम होता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में कोयले एवं तेल के अभाव होने तथा राज्य में 12 महीने बहने वाली नदियों के न होने के कारण अणुशक्ति के विकास की भी चेष्टा की गई है। इस हेतु प्राकृतिक यूरेनियम तथा भारी पानी के उपयोग के लिये राणा प्रताप सागर अणुशक्तिगृह की स्थापना, राणा प्रतापसागर बांध पर रावतभाटा नामक स्थान पर की गई है। इसमें 220-220 मेगावाट के दो रिएक्टर हैं जिनमें से एक 1973 में और दूसरा 1978 में आरम्भ हो चुका है। राजस्थान में स्थापित इन दो इकाइयों में से प्रथम इकाई प्रायः खराब होती रहती है। इस कारण यह अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही है। राजस्थान में बांसवाड़ा के पास एक परमाणु विद्युतगृह स्थापित करने की योजना थी जो अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाई है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा अणुशक्ति उत्पादन की चार इकाइयां और लगाकर कोटा अणु-विद्युतगृह का विस्तार किये जाने की भी योजना है।

3. सौर ऊर्जा (Solar Energy) - सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के अनेक सौर मण्डलों में हमारा सौर मण्डल है, जिसमें सबसे बड़ा केन्द्र सूर्य है। सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और जिसका वजन पृथ्वी से 3 30,000 गुना अधिक है। आकार में यह पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। सूर्य अनेक गैसों का भण्डार है जिसकी परत 16 000 किलोमीटर मोटी है। सूर्य प्रति क्षण अपनी 56 करोड़ 40 लाख टन हाइड्रोजन को जलाकर 56 करोड़ टन हीलियम में परिवर्तित करता रहता है।[1] अनुमानतः यह प्रक्रिया पिछले पांच अरब वर्षों से चल रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रोजन के नष्ट होने तथा अपनी शक्ति को वितरित करने की अगर यही गति अगले 150 वर्षों तक और चलती रही तो भी सूर्य अपनी शक्ति का एक प्रतिशत से कम खर्च कर पायेगा।[2] इस विवरण से सूर्य की प्रचण्ड ऊर्जा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

सूर्य के प्रकाश में मौजूद सात रंगों में से लाल रंग के पास अवरक्त विकिरण (इन्फ्रा रेड) ही सूर्य के प्रकाश को उष्णता देने वाला घटक है। हमारी पृथ्वी को सूर्य से 46,70,000 अश्व शक्ति की ऊर्जा शक्ति प्रति वर्ग मील प्राप्त होती है।[3] सूर्य से पृथ्वी को दी जाने वाली वास्तविक शक्ति इससे भी लगभग चार गुना अधिक है मगर इसके तीन-चौथाई से अधिक भाग को वायुमण्डल सोख लेता है। अनुमान लगाया जाता है कि यदि विश्व में उपलब्ध सम्पूर्ण ईंधन को एक साथ जलाया जाये तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उतनी ऊर्जा सूर्य से केवल दस दिनों में प्राप्त हो जाती है।[4]

सौर ऊर्जा एक न समाप्त होने वाला शक्ति का साधन है। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के सूर्य ताप से 162 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। विश्व में इससे 17 5 करोड़ मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है जबकि इसका 2% ही विश्व की ऊर्जा-आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। हमारे देश में जहां सूर्य 300 से अधिक दिन आकाश में साफ चमकता है, सौर ऊर्जा के प्रयोग की अच्छी संभावनाएं विद्यमान हैं। भारत में उत्पन्न सम्पूर्ण सौर ऊर्जा का प्रयोग होने पर प्रति व्यक्ति 8000 किलोवाट विद्युत उपलब्ध हो सकती है। डॉ सेठना के अनुसार - "भारत की सौर शक्ति प्रकृति का वरदान है।" राजस्थान में विशेषतः उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में सौर शक्ति के उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं। अनुमान है कि थार का यह मरुस्थल सौर ऊर्जा के माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम हो सकता है। दुर्भाग्य से अभी तक कोई ऐसी तकनीक विकसित नहीं की जा सकी है जिससे सौर ऊर्जा को कम लागत में विद्युत में परिवर्तित किया जा सके और आवश्यकता पर उसे संग्रहित किया जा सके। इस दृष्टिकोण से अनेक अनुसंधान कार्य सम्पूर्ण विश्व में चल रहे हैं।

राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाएं हैं। राजस्थान एक बंजर एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों की बहुलता

1-4 Environment Perception - [illegible]

ऊर्जाशास्त्री पापण वैज्ञानिक का कहना है कि मनुष्य एक आश्चर्यजनक ऊर्जा मितव्ययी मशीन है। वह दिनभर जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है वह औसतन एक 100 वॉट को बिजली के बल्ब के लिये आवश्यक ऊर्जा से अधिक नहीं होता। भोजन के रूप में पचाई गई इस ऊर्जा से ही वह सारे शारीरिक काम करता है। जहा तक मानसिक कार्यों का प्रश्न है, तो इसमें लगभग नहीं के बराबर ऊर्जा खपती है किन्तु प्रश्न यह है कि संसार के उन्नत औद्योगिक देश '100 वॉट की मानवीय बत्ती' को जलाये रखने के कितनी ऊर्जा खर्च करते है?

वाला प्रदेश है जहा गर्मी बहुत अधिक पडती है। ऐसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से विद्युत प्राप्ति की विपुल सभावनाए है।[1] जनवरी 1996 तक जोधपुर, जैसलमेर तथा बाडमेर जिलों मे क्रमश 200 मेगावाट 50 मेगावाट एव 50 मेगावाट क्षमता के 3 सोर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी किये गये है। ग्रामीण विद्युतीकरण सौर ऊर्जा के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य हुये है, इनमे सौर ऊर्जा चालित पम्पों, सामुदायिक टेलिविजन सैटो की स्थापना, एस पी वी लाइट आदि मुख्य है। राज्य मे गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास एव सौर ऊर्जा सुलभ कराने का कार्य राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण (रेडा) द्वारा किया जा रहा है। सौर शक्ति के क्षेत्र में 300 मेगावाट की शक्ति परियोजनाओं के लिए 3 कम्पनियों को आमन्त्रित किया गया है। ये सभी कम्पनियाँ सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र (Solar Energy Enterprises Zone) बाडमेर जैसलमेर और जोधपुर जिलों मे स्थापित की जाएगी। राजस्थान सरकार ने मथानिया और तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए नवीं योजना में 980 करोड रुपए का प्रावधान किया है।[2]

4 वायु शक्ति (Wind Power) - विश्व मोटिअरोलॉजी सगठन के अनुसार विश्व मे अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्रों मे 20 बिलियन किलोवाट विद्युत, वायुशक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किये गये अध्ययन से वायुशक्ति के सबध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये है

वायु का गति कि मी प्रति घटा	वार्षिक विद्युत उत्पाद प्रति घटा
13- 17	10 200
9 5 - 12 5	8,000
6 5 - 9 6	4 500

यह ध्यान रखने योग्य है कि एक पवन चक्की उस समय कार्य करती है जबकि वायु की गति 8 कि मी प्रति घटा हो। गर्मी और मानसूनों में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, प बगाल, असम, पजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को छोडकर सभी राज्यों में वायु का शक्ति के रूप में प्रयोग सभव है। इस काल में महाराष्ट्र गुजरात व राजस्थान के कुछ क्षेत्र तथा उडीसा व प बगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गति 15 कि मी प्रति घटा से भी अधिक होती है। गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र तथा राजस्थान में जैसलमेर-फलौदी क्षेत्रों में तो विद्युत उत्पादन भी सभव है। शीत ऋतु तथा मानसून के पश्चात् के समय में वायु से कम उत्पादन प्राप्त होगा। भारत में राजस्थान का शुष्क प्रदेश तथा दक्षिण भारत के तटीय प्रदेश वायुशक्ति प्रजनन के लिये आदर्श है।

राजस्थान में ऊर्जा-विकास के संदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका

ROLE OF PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF POWER SECTOR IN RAJASTHAN

राजस्थान सरकार ने 4300 मेघावाट के अतिरिक्त विद्युत क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ परियोजनाओं पर कार्य आरभ कर दिया है जो निम्न प्रकार है -

1 कपूरडी परियोजना - 1800 करोड रुपए की लागत से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की जायेगी। इसमें विद्यमान दो इकाइया में से प्रत्येक की क्षमता 250 मेगावाट होगी। यह परियोजना लिग्नाइट पर आधारित होगी।

2 जालीपा परियोजना - इस परियोजना में 3600 करोड रुपए की लागत से 1000 मेगावाट की क्षमता प्राप्त की जायेगी। इस परियोजना में विद्यमान 4 इकाइयों में से प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट होगी। यह परियोजना भी लिग्नाइट पर आधारित होगी।

3 सूरतगढ ताप बिजलीघर - कोयले पर आधारित इस परियोजना की प्रथम इकाई का कार्य राज्य विद्युत मडल पूरा करेगा। जिसकी क्षमता 250 मेगावाट होगी। इसके दूसरे चरण के अतर्गत विद्युत उत्पादन क्षमता की दो इकाइया होगी — जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 250 मेगावाट होगी। - इस पर 1600 करोड रुपए की लागत आने की सभावना है। द्वितीय चरण के लिये निजी क्षेत्रों से सपर्क किया जा रहा है।

4 धौलपुर ताप बिजलीघर - ताजमहल की सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुये विवाद के कारण प्रसिद्ध धौलपुर ताप बिजलीघर को अब केन्द्र की स्वीकृति मिल गई है। 1300 करोड रुपये की लागत से पूरी होने वाली इस परियोजना की क्षमता 788 50 मेगावाट है। इसे निजी क्षेत्र के द्वारा पूरा किया जाएगा और तरल ईंधन (Liquid Fuel) से विद्युत उत्पन्न की जायेगी।

5 बीसलपुर बिजलीघर - 1800 करोड रुपए की लागत से 480 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जायगी, इसमें दो विद्युत

1 Economic Review 1995-96 Rajasthan • 2 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt. of Raj

इकाइया होगी जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 240 मेगावाट होगी। इसमें लिग्नाइट के भडारों का प्रयोग किया जायेगा।

6. नेप्था आधारित विद्युत सयत्र - राजस्थान सरकार मे हुये समझौते के अनुसार ब्रिटिश पावर इण्डस्ट्रीज कपनी 40 मेगावाट क्षमता के 10 विद्युत सयत्र लगायेगी। इनमें से प्रत्येक की लागत 100 करोड रुपए होने का अनुमान है। इस प्रकार 1000 करोड रुपए की लागत से 400 मेगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है।

7 सौर ऊर्जा - सौर ऊर्जा को बढावा देने हेतु राज्य के मरूस्थलीय क्षेत्र विशेषत जैसलमेर, जोधपुर एव बाडमेर जिलों मे राज्य सरकार एक सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र स्थापित कर रही है। इसके अतर्गत 3 परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है। बाडमेर के आसोरिया गाव के सनमोर्म इडिया लिमिटेड द्वारा 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा सयत्र की स्थापना की जा रही है। जिस पर लगभग 400 करोड रुपए की लागत आयेगी। जैसलमेर में एनरान इटरनेशनल कपनी 200 मेगावाट का एक सयत्र लगायेगी। जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट होगी। जोधपुर से मथानिया गाव में एनको तथा एनरान कपनी साझा रूप से 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा सयत्र स्थापित करेंगे।

8 राज्य विद्युत मडल मे निजीकरण की प्रवृत्ति - राजस्थान राज्य मडल को सरकारी नियत्रण से मुक्त करने के लिए राज्य विद्युत निगम में बदला जा रहा है। मडल में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लिये जा रहे हैं। बिजली का उत्पादन उसका वितरण तथा बिल वसूली आदि कार्य निजी क्षेत्र को ठके पर देने के प्रयास किये जा रहे है।

ऊर्जा के साधनों की समस्याएं और उनका समाधान :-

ऊर्जा की पूर्ति एक राष्ट्रीय समस्या है। अत ऐसी समस्याओं का समाधान जन-साधारण के सहयोग से ही किया जा सकता है। राज्य में पारपरिक ऊर्जा स्रोतों का निरतर प्रयोग हो रहा है। लेकिन उनकी क्षमता सीमित है। अत अपारपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाना चाहिये। शक्ति के साधनों की प्रमुख समस्याए निम्न है -

1 शक्ति के प्रमुख स्रोतों का अभाव - राज्य में शक्ति की माग की तुलना में शक्ति स्रोतों की पूर्ति बहुत कम है। राज्य में कुछ मात्रा में कोयले पर निर्भर किया जाता है। वर्षा की कमी के कारण जल विद्युत परियोजनाओं की निर्माण की गति धीमी है। प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भडार भी सीमित है। अत राज्य में अशक्ति के अभाव को दूर करने के लिये सूर्य शक्ति के स्रोत का पूर्णत उपयोग किया जाना चाहिये।

2 परिवहन के साधनों का अभाव - राज्य में रेल एव सडक यातायात का धीमी गति से विकास हुआ है। अत ऊर्जा स्रोतों विशेषत कोयले के आवागमन में कठिनाई होती है। फलत ऊर्जा सबधी अनेक कार्य अवरूद्ध हो जाते है। इस समस्या का समाधान राज्य में परिवहन के साधनों का विकास करके ही किया जा सकता है।

3 वर्षा का अभाव - राज्य के एक बहुत बडे भू-भाग मरूस्थल में वर्षा का नितान्त अभाव रहता है। राज्य के पूर्वी भाग में वर्षा का सामान्य क्रम प्राय जारी रहता है। अत इस क्षेत्र में बाधों का निर्माण करके जल विद्युत की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। इस कार्य में बडी मात्रा में पूजी की आवश्यकता होती है। राज्य में पूजी ससाधनों का भी अभाव है। अत केन्द्र सरकार एव अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं से ऋण प्राप्त करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

4 शक्ति सरचना का अभाव - राज्य मे पूजी के ससाधनों की अपर्याप्तता के कारण शक्ति के साधनों का आधारभूत ढाचा अत्यधिक कमजोर है। यही कारण है कि राज्य में शक्ति की पूर्ति की तुलना में माग निरतर बनी रहती है। इस समस्या का समाधान करने के लिये निजी विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

5 अपव्यय एव चोरी - राज्य मे शक्ति के साधनों का वितरण मुख्यत सरकारी सस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण शक्ति स्रोतों की चोरी होना एक आम बात हो गई है। इस समस्या के समाधान के लिये शक्ति सबधी सस्थाओं का पुनगर्ठन किया जाना चाहिये तथा नियमन एव नियत्रण प्रक्रिया सुदृढ किया जाना चाहिये। शक्ति के साधनों के मितव्ययतापूर्ण प्रयोग को बढावा दिया जाना चाहिये।

6 शक्ति की बढती हुई माग की समस्या - राज्य में बढती हुई जनसख्या और औद्योगिक विकास की तीव्र गति ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास तथा कृषि क्षेत्र में बढते हुये यत्रीकरण के फलस्वरूप राज्य में शक्ति की माग में निरतर वृद्धि हो रही है। बडे नगरों में विशेषत औद्योगिक नगरों में आये दिन शक्ति कटौती के कारण न केवल उत्पादन कार्य अवरूद्ध हो जाता है वरन् नगर में अंधेरे का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस समस्या को समाधान के लिये शक्ति आपूर्ति की एक दीर्घकालीन योजना निर्मित की

जानी चाहिये और उसी के अनुरूप शक्ति के साधनों का विकास किया जाना चाहिये।

7. अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास न हो पाना - राज्य में शक्ति के अपरम्परागत साधनों का धीमी गति से विकास हुआ है। राज्य में सौर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है लेकिन आधारभूत संरचना एवं पूंजी के अभाव के कारण इस शक्ति का उपयोग नगण्य रहा है। सौर ऊर्जा के विकास हेतु निजी विनियोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये तथा सौर ऊर्जा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये केन्द्र सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये।

निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि ये शक्ति के साधन राज्य अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले है। इनका विकास करके ही राज्य अर्थव्यवस्था का चौमुखी विकास किया जा सकता है। फलत शक्ति के साधनों का विकास प्राथमिकता क्रम में किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान मे सडको का विकास

DEVELOPMENT OF ROADS IN RAJASTHAN

1. सडकों की लबाई (Length of Roads) - राजस्थान भारत के उन कुछ राज्यों में से एक है जहा सडको की लबाई राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। वर्ष 1998 99 के अत तक राज्य में सडको की लबाई प्रति 100 वर्ग किमी तक मात्र 42 68 कि मी होने का अनुमान है जो कि राष्ट्रीय औसत 73 कि मी प्रति 100 वर्ग कि मी से बहुत कम थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सडको की कुल लबाई वर्ष 1998 99 मे बढ़कर 84958 कि मी होने की सभावना है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों व अभिकरणों द्वारा भी 64403 कि मी सडकों का निर्माण किया गया है। नागपुर योजना के अनुसार प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 42 किलोमीटर लबी सडकें होनी चाहिये थी और यह लक्ष्य 1961 तक प्राप्त किया जाना था किन्तु राजस्थान में यह लक्ष्य 1998-99 तक प्राप्त किया जा सका है। नवीं योजना के अतर्गत परिवहन पर 1353 करोड रुपये सडक क्षेत्र के लिये रखे गये है। राजस्थान में श्रेणीवार सडकों की लम्बाई इस प्रकार है -

राज्य में विभिन्न प्रकार की सडकों की लम्बाई

क्र स	सड़कों के प्रकार	1998-99 पक्की	कच्ची	योग
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	2464	-	2464
2	राज्य राजमार्ग	9956	34	9990
3	मुख्य जिला सड़कें	5660	129	5789
4	अन्य जिला सडक ग्रामीण सडकें	52345	11631	63976
5	सीमावर्ती सडकें	2229	-	2239
	योग	73164	11794	84958
	अन्य विभागों द्वारा निर्मित सडकें			64403
	योग			149361

Source Economic Review 1998 III Rajasthan

2 जिले वार सडक (Districtwise Roads) - राजस्थान मे सडकों की सर्वाधिक लम्बाई जोधपुर जिले में है। द्वितीय स्थान उदयपुर जिले का है और तृतीय स्थान पाली जिले का है। राजस्थान मे विभिन्न जिलों में सबसे कम सडकें धौलपुर व टोंक जिले में है।

3. सडक मार्ग का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Routes) - राजस्थान मे अक्टूबर 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। साथ ही राष्ट्रीय मार्गों पर निगम की ही परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई। विशेषत माल परिवहन का कार्य मुख्यत निजी क्षेत्र द्वारा ही सचालित किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्री परिवहन का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा ही सचालित किया जा रहा है।

4 मोटर परिवहन (Motor Transport) - वर्ष 1996 मे कुल 19 29 लाख पंजीकृत मोटर वाहनों की तुलना में वर्ष 1997 मे बढ़कर यह सख्या 21 27 लाख हो गई है जो कि 10 3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। विगत वर्षों मे राज्य में परिवहन विभाग मे पजीकृत विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनो की सख्या अग्र तालिका म दर्शाई गई है-

राजस्थान में पजीकृत वाहनों की सख्या

क्र सं	परिवहन साधनो का प्रकार	वर्ष में वाहनों की सचयी सख्या 1997	1998
1	मोटर रिक्शा	90	90
2	मोटर कार (लाख) साइकिल एवं स्कूटर	14 24	14 73
3	ऑटो रिक्शा	[illegible]346	5486
4	टेम्पो (सामान ढोने वाले) टेम्पो (यात्री वाहन)	2672	2[illegible]2
5	कार व स्टेशन वैगन (लाख)	0 96	1 2
6	जीप लाख	0 82	0 85
7.	ट्रेक्टर लाख	2 87	2 78
8	ट्रेलर लाख	0 47	0 48

स्रोत Economic Review 1998 99 Govt of Raj

की तुलना में कम है। अत राज्य में सरचनात्मक परिवर्तनों के द्वारा अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगीकरण विकास आवश्यक है। राज्य में प्राकृतिक ससाधनों की प्रचुरता है लेकिन आधारभूत सुविधाओं (जल एव शक्ति) के अभाव के कारण औद्योगिक उत्पादन पिछडा हुआ है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए राज्य का औद्योगिक विभाग, रीको, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, खादी एव ग्राम उद्योग मण्डल निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। रीको औद्योगिक परियोजनाओ को वित्तीय महायता उपलब्ध कराने मे महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। यह निगम आधारभूत सुविधाओं जैसे भूमि का आवटन आदि कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करता है। नवीन औद्योगिक नीति के अतर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा आधारभूत सुविधाए उपलब्ध की जा रही है। राज्य में औद्योगिक भूमि की माग निरन्तर बढ रही है अत रीको द्वारा अनेक नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और पूर्वस्थापित क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने भी ६ ढौलपुर, बीकानेर, भीलवाडा, झालावाड व आबूरोड में विकास केन्द्रों की स्थापना की है। इन विकास केन्द्रों पर दो चरणों में लगभग 5800 एकड भूमि आवटित करने की योजना है। प्रथम चरण में 85 करोड रुपए और द्वितीय चरण में 65 करोड रुपये का विनियोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना के अतर्गत भिवाडी चरण-3 परियोजना का प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस परियोजना के लिए 9 57 करोड रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। राजस्थान वित्त निगम लघु एव मध्यम स्तर के उद्योगों को वित्तीय महायता प्रदान करता है। यह निगम कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को सरल शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है। निगम ने खनिज आधारित उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया है। इसके अतिरिक्त निगम शिल्पियों महिला उद्यमियों, भूतपूर्व सैनिकों अनुसूचित जाति एव जनजाति के व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्यशील पूँजी की व्यवस्था हेतु निगम 'सिगल विण्डो स्कीम' का सचालन करता है। निगम द्वारा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुन उत्पादन में लाने का भी प्रयास किया जाता है। निम्न तालिका में राज्य में उद्योगों का कुल राज्याय आय में भाग दर्शाया गया है

उद्योगो का कुल राज्याय आय मे भाग				
वर्ष	विनिर्माण प्रचलित कीमतो पर	पजीकृत स्थिर कीमतो पर	विनिर्माण प्रचलित कीमतो पर	गैर पजीकृत स्थिर कीमतो पर
1990-91	85998	40478	76804	43682
	(4 89)	(4 93)	(4 37)	(5 32)
1998 [illegible]	257532	82769	133560	47342
[illegible]	(5 12)	(6 97)	(2 86)	(4 08)

[illegible] Budget Study 1992 93 & Economic Review 1998 99 Rs

उपर्युक्त तालिका का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि -

1 प्रचलित कीमतों पर पजीकृत कारखानों की आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्यीय आय में इन कारखानों का प्रतिशत भाग कम हो रहा है ।

2 प्रचलित कीमतों पर पजीकृत विनिर्माण का राज्यीय आय में योगदान कुल राशि की दृष्टि से निरन्तर बढ रहा है किन्तु प्रचलित कीमतों पर यह वृद्धि स्थिर कीमतों की अपेक्षा अधिक रही है।

3 गैर पजीकृत विनिर्माण का कुल राशि की दृष्टि से राज्यीय आय में योगदान निरन्तर बढा है किन्तु प्रचलित एव स्थिर कीमतों पर इन दोनों का ही राज्यीय आय में प्रतिशत भाग कम हुआ है।

4 विनिर्माण (पजीकृत एव अपजीकृत) का 1990-91 में राज्य आय में भाग प्रचलित कीमतों पर 9 26 था जो 1998-99 में 7 78 रह गया। लगभग यही स्थिति स्थिर कीमतों पर इनके योगदान की रही है। इस दृष्टि से 1990-91 में इन दोनों का कुल राज्यीय आय में योगदान 10 25 था जो 1998-99 में 11 01 हो गया ।

2. उद्योगों का रोजगार में भाग अथवा रोजगार सृजन

Contribution of Industries in Employment or Employement Generation

बडे उद्योगों की अपेक्षा लघु औद्योगिक इकाइयों की लागत कम होती है और इनमें अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। इस दृष्टि से औद्योगिक विकास में इनका विशिष्ट स्थान है। औद्योगिक इकाइयों का तेजी से विकास करने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन, रियायतें और विभिन्न कार्यक्रमों के अतर्गत सहायता प्रदान कर रही है। इन इकाइयों के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जिला उद्योग केन्द्र 'सिगल विण्डो' योजना के अतर्गत इन इकाइयों को निरन्तर सुविधाए प्रदान कर रहे हैं। नाबार्ड पुनर्वित योजना तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अतर्गत पर्याप्त ऋण स्वीकृत किए जाते है। पूजी विनियोजन अनुदान योजना के अतर्गत भी इन इकाइयों को ऋण दिया जाता है। अनेक इकाइयों का भारतीय मानक सस्थान में पजीकरण हो चुका है। खादी व ग्रामोद्योग कम पूजी विनियोजन से अपेक्षाकृत अधिक रोजगार सृजित करते है। इस बात की पुष्टि सरकार द्वारा गठित व्यास समिति ने भी की है। आठवीं पचवर्षीय योजना में

खादी व ग्रामोद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे लाखों व्यक्तियों को खादी उद्योग में रोजगार उपलब्ध हुआ है और इसी प्रकार ग्रामोद्योगों में भी अनेक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है।

कुल रोजगार में धीमी गति से निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1981 में पजीकृत विनिर्माण मे कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की सख्या 1 66 लाख थी जो बढकर 1991 में 2 60 लाख हो गई। अत रोजगार की दृष्टि से उद्योगों का महत्त्व निरन्तर बढ रहा है। दिसम्बर 1997 तक ग्रामीण एव लघु औद्योगिक इकाइयों मे 7 39 लाख व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त था।[१]

राजस्थान मे औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताए

CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL SECTOR OF RAJASTHAN

1 आकार (Size) - स्वतन्त्रता के पश्चात् राजस्थान के औद्योगिक आकार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। बडे उद्योगो के साथ साथ मध्यम व लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी की गई है।

पजीकृत कारखाना की सख्या की दृष्टि मे राजस्थान क औद्योगिक आकार में तीव्रगति ~ ~द्धि हुई है। 1981 म पजीकृत कारखाना की सख ‘6u8 थी जो बढकर 1996 म 13665 हो गई। राज्य म रोजगार की दृष्टि से ग्रामीण एव लघु औद्योगिक इकाइया को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। अत इन इकाइयों की सख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 1990 91 में ग्रामीण एव लघु औद्योगिक इकाइया की सख्या 1 53 लाख थी जो बढकर दिसम्बर 1997 में 1 90 लाख हो गई।[2]

रोजगार की दृष्टि म भी राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि का आभास होता है। 1981 म पजीकृत निर्माणी की कुल सख्या 6608 थी जिनमें 1 66 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा था।[3] 1991 म पजीकृत निर्माणी की सख्या 10792 हो गई जिनम 2 60 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था।[4] इस प्रकार रोजगार म वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र के आकार में वृद्धि को बताती है। ग्रामीण एव लघु औद्योगिक इकाइयों में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ है। 1990 91 में ग्रामीण एव लघु औद्योगिक इकाइया म 5 71 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था जो बढकर दिसम्बर 1997 मे 7 39 लाख व्यक्ति हो गए।[5]

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से भी राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के आकार में वृद्धि का आभास होता है। 1971 में राज्य में चीनी का कुल उत्पादन 11 [redacted] हजार टन था जो बढकर 1998 में 58 7 हजार टन हो गया। 1984 मे राज्य का सीमेन्ट का उत्पादन 3 01 लाख मीट्रिक टन था जो बढकर 1998 में 6206 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस प्रकार 1984 में राजस्थान में नमक का उत्पादन 8 20 लाख टन था जो बढकर 1998 में 11 00 लाख टन हो गया। इस प्रकार राज्य के प्राय विभिन्न छोटे व बडे उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह उत्पादन वृद्धि राज्य के औद्योगिक आकार में वृद्धि को दर्शाती है।

राज्य में पूजी के विनियोजन सम्बधी गतिविधियो से भी औद्योगिक आकार में वृद्धि का आभास होता है। राज्य के पजीकृत उद्योगों के साथ लघु व ग्रामोद्योग इकाइयों में भी पूजी विनियोजन तेजी से बढ रहा है। राज्य के विभिन्न औद्योगिक सस्थान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से पूजी विनियोजन को बढावा दे रहे है। दिसम्बर 1997 तक 1 90 704 ग्रामीण एव लघु औद्योगिक इकाइयों का पजीयन किया जा चुका था और इनमें 2184 43 करोड रुपये का पूजीनिवेश हुआ था तथा 7 39 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।[6]

2 वस्तुगत ढाचा (Commodity Structure) राजस्थान में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये वस्तुए मुख्यत फैक्ट्री क्षेत्र व गैर फैक्ट्री क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की जाती है। फैक्ट्री क्षेत्र सम्बन्धी जानकारी उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण से हो जाती है। विभिन्न उद्योगों द्वारा भरे गए विवरणों[7] के अनुसार राजस्थान में 1994 के अन्त में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में 606 उद्योग सलग्न थे। इनमे सर्वाधिक खाद्य तेल म सबधित कारखाने थे। सूती वस्त्र के निर्माण मे सबधित 1250 कारखाने थे जिनमें स अधिकाश सूती वस्त्र की छपाई स सबधित थे। अधातु खनिजो म सबधित 1045 कारखानों में लगभग 40 प्रतिशत पत्थर के सामान के निर्माण म सबधित थे। मशीन और मशीन उपकरण बनाने वाले 310 कारखाने थे जिनमे से एक-तिहाई कृषि उपकरणों का उत्पादन कर रहे थे। विद्युत उपकरण से सबधित कार्यों में 151 कारखाने कार्यरत थे जिनमें से अधिकाश बिजली के तारों के उत्पादन म लगे हुए थे।

राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाइया कार्यरत है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है अत राज्य के औद्योगिक उत्पादन

1 6 Budget s udy 1992 93 & Economic Review 1998 99 Ra

7 Sta istical Abst act 1994 Ra asthan

में विविधता दृष्टिगोचर होती है। केन्द्रीय साख्यिकी सगठन ने उद्योगों को पाच समूहों में विभक्त किया है। राज्य के उद्योगों को भी इन्हीं समूहों के अनुसार बाटा जा सकता है। प्रथम समूह, गैर धात्विक खनिज पदार्थो से बनी वस्तुए इसके अतर्गत ग्रेफाइट, मार्बल, सीमेन्ट, चीनी मिट्टी, अभ्रक से बनी वस्तुए तथा काच आदि को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय, बेसिक धातु व अलॉय उद्योग इसके अतर्गत ताबा, जस्ता, लोहा, एल्युमीनियम व अन्य अलौह धातु उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। तृतीय, रेशम, ऊन तथा सिन्थेटिक रेशों के वस्त्र इसके अतर्गत ऊन की बनाई तथा कताई रेशम व सिन्थेटिक वस्त्रों से सबधित क्रियाए आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थ, सूती वस्त्र। इसके अतर्गत कताई, बुनाई, रगाई व छपाई आदि कार्यों का समावेश किया जाता है। पचम, परिवहन उपकरण एव कलपुर्जे इसके अतर्गत रेल, सडक के उपकरण तथा स्कूटर व साइकिलों आदि के कल-पुर्जे सम्मिलित किए जाते है। इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूध तथा खाद्यान्न से बनी वस्तुओं गुड-चीनी नमक-तेल आदि का उत्पादन किया जाता है। राज्य में विभिन्न प्रकार के रसायन व रासायनिक पदार्थो, प्लास्टिक एव रबड आदि का उत्पादन किया जाता है। विगत् वर्षों में विभिन्न प्रकार की मशीनें एव इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं का उत्पादन भी प्रारभ हो गया है। भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार उद्योगों के वस्तुगत ढाचे को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है

(i) खाद्य वस्तुओं का निर्माण (Manufacturing of Food Products) दूध पाउडर, आइसक्रीम, घी फलों का जूस, आटा दाल ब्रैड बिस्कुट आदि गुड व खाण्डसारी शक्कर, नमक वनस्पति तेल एव घी पशुओं के खाद्य पदार्थ पापड व खाद्य पदार्थो से सबधित अन्य विधायन क्रियाए।

(ii) तम्बाकू (Manufacturing of Beverages, Tobacco & Tobacco Products) स्प्रिट शराब, तम्बाकू और इनसे सबधित अन्य वस्तुए ।

(iii) सूती वस्त्र (Manufacturing of Cotton Textiles) बिनौले निकालना, कपास की गाठें बाधना कपास को साफ करना, कताई-बुनाई धागा बनाना रगाई-छपाई खादी के वस्त्र और वस्त्रों को अन्तिम रूप देने सबधी क्रियाए सम्पन्न करना ।

(iv) ऊन रेशम व सिन्थेटिक धागे का निर्माण (Manufacturing of Wool Silk and Synthetic Fibre Textile) ऊन को साफ करना, धागे बनाना, बुनाई तथा कताई, कम्बल व शॉल बनाना, सिन्थेटिक धागे बनवाना और उनसे सबधित विधायन क्रियाए आदि रेशम और रेशम सबधी चीजें ।

(v) जूट (Manufacturing of Jute Hemp & Mesta Textile) जूट से सबधित वस्तुओं का निर्माण एव हेम्प व मेस्टा सबधी वस्तुए बनाना ।

(vi) टैक्सटाइल्स सबधी वस्तुओं का निर्माण (Manufacturing of Textiles Products) कपास की कताई, कपडा बनाना, धागा बनाना, जूट व हैम्प से रस्सी आदि बनाना, दरिया बनाना, वस्त्र बनाना, छतरियां बनाना आदि ।

(vii) लकडी व लकडी से बनी वस्तुए (Manufacturing of Wood and Wood Products) प्लाईवुड बनाना और प्लाईवुड से विभिन्न निर्माण तथा अन्य प्रकार की लकडी से औद्योगिक वस्तुए बनाना ।

(viii) कागज बनाना (Manufacturing of Paper & Paper Products,Printing,Publishing etc) छपाई व प्रकाशन कागज व कागज से सबधित वस्तुओं का निर्माण, छपाई व प्रकाशन अध्ययन ।

(ix) चमडा व चमडे से बनी वस्तुए (Manufacturing of Leather & Fur Products) चमडा तैयार करना और चमडे से विभिन्न प्रकार की वस्तुए बनाना ।

(x) रबड प्लास्टिक, पैट्रोलियम व कोयला उत्पाद (Manufacturing of Rubber, Plastic, Petroleum & Coal Products) टायर-ट्यूब बनाना, रबड के जूते, प्लास्टिक और पी वी सी सबधित वस्तुए। रबड व प्लास्टिक शीट्स पॉलिथिन बैग्स आदि वस्तुए बनाना।

(xi) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद (Manufacturing of Chemicals & Chemical Products) विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद, कीटनाशक औषधियॉ, पेंट, वार्निश एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एव यूनानी औषधियां डिटर्जेंट, विभिन्न प्रकार के तेल, पेट्रो रसायन आदि।

(xii) गैर धातु उत्पाद (Manufacturing of Non-metallic Mineral Products) ईंटे, टाइल्स, कॉच व कॉच का विभिन्न प्रकार का सामान, सीमेंट, चूना, अभ्रक व अभ्रक से बनी वस्तुए, पत्थर व पत्थरों के विभिन्न उत्पाद, एस्बेस्टोज, सीमेंट एव एस्बेस्टॉस सबधी विभिन्न उत्पाद, लोहा एव इस्पात एव इनसे सबधित वस्तुओं का निर्माण, धातुओं को शुद्ध करना, स्टोव बनाना, औजार बनाना, बर्तन बनाना, विभिन्न प्रकार की वस्तुए, जैसे प्रैशर कुकर, रेजर ब्लेड, मशीनें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बॉयलर्स, विभिन्न उद्योग सबधी मशीनें।

(xiii) विद्युत मशीनें एवं सबंधित उपकरण (Manufacturing of Electrical Apparatus & Appliances) ट्रासफॉर्मर्स, इलैक्ट्रिक मोटर्स, पावर केबल्स एण्ड वायर्स, ड्राई सैल, पखे, लैम्प्स, रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ सबधी उपकरण, कम्प्यूटर आदि।

(xiv) परिवहन सम्बन्धी उत्पाद (Manufacturing of Transport Equipments & Parts) रेलवे वैगन और रेलवे सबधी उपकरण साइकिल एव सबधित उपकरण तथा परिवहन सबधी अन्य उपकरण।

3 विकास केन्द्र (Growth Centres) अक्टूबर, 1989 में भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 70 विकास केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी। राजस्थान में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य में 5 विकास केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया है। इन चार विकास केन्द्रों के लिए क्रमश भीलवाडा, बीकानेर व आबूरोड व धौलपुर का चयन किया गया है। भारत सरकार प्रत्येक विकास केन्द्र पर विद्युत, रेल, सडक आदि परिवहन के साधन, सचार एव अन्य आधारभूत सुविधाए विकसित करने हेतु 30 30 करोड रुपये प्रदान करेगी। इन औद्योगिक केन्द्रों पर सरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ-साथ न केवल इन केन्द्रों पर औद्योगिक गतिविधियां तीव्र हो जाएगी। वरन् इन केन्द्रों के आस-पास के क्षेत्रों का भी विकास हो सकेगा। इन औद्योगिक केन्द्रों का विकास दो चरणों में किया जाएगा। इसके लिए लगभग 5800 एकड भूमि प्राप्त करने की योजना है। योजना के प्रथम चरण पर 85 करोड रुपये एव द्वितीय चरण पर भी 85 करोड रुपये विनियोजित किए जाने की सभावना है। वर्ष 1995-96 में केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत चार औद्योगिक विकास केन्द्रों-बीकानेर, धौलपुर, झालावाड एव आबूरोड पर कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है तथा 1995-96 में माह दिसम्बर तक 11 78 करोड रुपये खर्च किये गये। जोधपुर में एक लघु विकास केन्द्र स्वीकृत किया गया तथा माह दिसम्बर 1995 तक 1 05 करोड रुपये व्यय किये गये। भीलवाडा में भी विकास केन्द्र की शीघ्र ही केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की आशा है।

4 औद्योगिक नीति (Industrial Policy) अर्थव्यवस्था के समुचित विकास के लिए उपयुक्त औद्योगिक नीति का होना आवश्यक है। स्वतत्रता के पश्चात् राजस्थान में केन्द्र के समान औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया। राज्य में औद्योगिक नीति की घोषणा सन् 1977 में की गई लेकिन औद्योगिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हो जाने के कारण राजस्थान सरकार के नवीन औद्योगिक नीति, 1990 की घोषणा की। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करना, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन एव वित्तीय स्रोतों में वृद्धि करके आर्थिक विकास को बढावा देना है। नीति के प्रस्ताव के अतर्गत खादी, ग्रामीण उद्योग, दस्तकारी व चमडा उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों पर सरचनात्मक सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाएगा। मानवीय ससाधनों के विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएगे। भौतिक स्रोतों की जानकारी हेतु एक नवीन सर्वेक्षण किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के विनियोग के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनके अतिरिक्त विभिन्न करों म रियायते प्रदान की जाएगी, विपणन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, औद्योगिक उत्पादों के किस्म नियत्रण पर विशेष बल दिया जाएगा तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

5 औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) राजस्थान सरकार रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुन उत्पादन योग्य बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रुग्ण इकाइयों को न्यूनतम शुल्क और पॉवर कट से मुक्त कर दिया गया है। रुग्ण औद्योगिक इकाई को पॉवर कट से छूट दी जाएगी। राज्य मे रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करवाया जाएगा और इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के प्रयास किए जाएगे। 1990 की औद्योगिक नीति में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुन उत्पादन योग्य बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

6 सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) राजस्थान में केन्द्र सरकार के कुछ उपक्रम कार्यरत है। इन उपक्रमों के अतर्गत हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर, इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड कोटा, साभर साल्ट्स लिमिटेड तथा मॉडर्न बेकरीज इण्डिया लिमिटेड आदि सम्मिलित है। राजस्थान सरकार ने भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ उपक्रमों की स्थापना की है। दी गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना, राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना, पचपदरा व जावदीनगर, राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड, स्टेट वूलन मिल्स लिमिटेड, बीकानेर, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, चूरू व लाडनू, फ्लोसपार इस्पात बेनिफिशियेशन सयत्र, गैस्ट्रल इडिया मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी आदि राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए सार्वजनिक उपक्रम है। इसके अतिरिक्त राज्य में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य टगस्टन विकास लिमिटेड और राजस्थान राज्य खान एव खनिज विकास निगम लिमिटेड भी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख सस्थाए है।

7 औद्योगिक विकास में योगदान देने वाली सस्थाए (Organisations for Industrial Development) राजस्थान म औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट सस्थाओं की स्थापना की गई है। इनमें से राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एव विनियोग निगम (रीको) राजस्थान लघु उद्योग निगम उल्लेखनीय है। इन सस्थाओं द्वारा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किए जाते है। बड व मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास में राजस्थान वित्त निगम व रीको तथा लघु व कुटीर उद्योगों के विकास म राजस्थान लघु उद्योग निगम महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। इन सस्थाओं के सक्रिय प्रयासो के फलस्वरूप ही राजस्थान म औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई है।

8 राज्य के प्रमुख उद्योग (Major Industries of Rajasthan) राजस्थान मे बडे व मध्यम उद्योगों के साथ साथ लघु व ग्रामीण उद्योगो का पर्याप्त विकास हुआ है। बड उद्योगो के अतर्गत ग्रेनाइट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, नमक उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, काच उद्योग ऊन उद्योग सगमरमर उद्योग, इजीनियरिंग उद्योग रसायनिक उद्योग आदि उल्लेखनीय है। राज्य में खादी उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त तेल घाणी उद्योग, गुड व खाडसारी उद्योग लोहे व लकडी का कार्य, बेंत व बास उद्योग ताड व गुड उद्योग माचिस व अगरबत्ती उद्योग, फलों व सब्जियों का सरक्षण चूना उद्योग अल्यूमीनियम उद्योग, रेशा उद्योग धान कूटने का उद्योग, मधुमक्खी पालन, पॉट्रिज उद्योग, चमडा उद्योग अखाद्य तेल से बना साबुन उद्योग, हाथ से बना कागज रेशम उद्योग दाल बनाने का उद्योग, ग्वार गम उद्योग हथकरघा उद्योग हड्डी पीसना ऊनी वस्त्र उद्योग दरी व निवार उद्योग पीतल व ताबे के वर्तन बनाना एव पीतल की खुदाई हाथी दात का कार्य बीडी उद्योग स्वर्ण व चादी के आभूषण व बर्तन बनाना चित्रकारी गोटा उद्योग हस्तशिल्प आदि लघु व ग्रामीण उद्योगो का भी पर्याप्त विकास हुआ है।

राजस्थान में औद्योगिक विकास

INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

(अ) स्वतत्रता के पूर्व औद्योगिक विकास

Industrial Development Before Independence

स्वतत्रता के पूर्व राज्य के अनेक क्षेत्रों में लघु एव कुटीर उद्योगो के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में 1889 का वर्ष औद्योगिक विकास के शुभारभ का वर्ष रहा। इस वर्ष राज्य के ब्यावर शहर में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। यह राज्य में प्रथम सगठित औद्योगिक इकाई थी। यह 19वीं शताब्दी की एक मात्र पजीकृत औद्योगिक सस्था थी। वर्तमान शताब्दी में राजस्थान के विभिन्न भागों में अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। 1908 में कृष्णा मिल्स, ब्यावर, 1915 में एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी तथा 1938 में महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर की स्थापना की गई। इसके पश्चात् वर्तमान राजस्थान निर्माण के पूर्व, स्टेट महाराजा मिल्स लिमिटेड पाली, जयपुर स्पिनिंग मिल्स, जयपुर, श्री गोपाल इण्डस्ट्रीज, कोटा तथा मेवाड टैक्सटाइल मिल्स भीलवाडा आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। स्वतत्रता के समय राज्य के विभिन्न भागों में अनेक छोटे-छोटे कारखाने कार्यरत थे।

(ब) स्वतंत्रता के पश्चात् औद्योगिक विकास

Industrial Development after Independence

स्वतत्रता के पूर्व राज्य में अनेक उद्योगों का विकास हुआ लेकिन राज्य के औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह नगण्य था। राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछडा हुआ था। अत राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने व लोगों के जीवनस्तर में सुधार करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तथा राज्य में औद्योगिक सरचना का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं के अतर्गत अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।

1 प्रथम पचवर्षीय योजना (First Plan) प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक सरचना के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। योजनाकाल में 46 लाख रुपये उद्योग व खनिज पर व्यय किए गए। राज्य मे शक्ति के अभाव के कारण अधिक औद्योगिक इकाइयो की स्थापना नहीं हो सकी। 1951 में पजीकृत कारखानों की सख्या 207 थी जो बढकर योजना के अत में 365 हो गई।

2 द्वितीय पचवर्षीय योजना (Second Plan) द्वितीय योजनाकाल में आधारभूत एव भारी उद्योग का तीव्रगति से विकास करने का निश्चय किया गया। इस योजना में भरतपुर में वैगन फैक्ट्री की स्थापना तथा सवाईमाधोपुर में

सीमेन्ट फैक्ट्री का विस्तार किया गया। योजनाकाल में औद्योगिक विकास एवं नियम व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 51 नए लाइसेंस जारी किए गए। अत राज्य में रासायनिक खाद कारखाना, कोटा, जिंक स्मेल्टर प्लान्ट उदयपुर, नायलॉन फैक्ट्री, कैल्शियम कार्बाइड फैक्ट्री पी वी सी तथा कास्टिक सोडा प्लान्ट कोटा सीमेन्ट फैक्ट्री चित्तौड़गढ आदि की स्थापना की गई। 1960 के अन्त में पंजीकृत कारखानों की संख्या 885 हो गई। इस योजना में उद्योग व खनिज पर 3 37 करोड रुपये व्यय किए गए।

3 तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Plan) तृतीय योजना में भाखडा-नांगल व चम्बल परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया गया। 1955 में विद्युत की कुल प्राप्ति केवल 15 मेगावाट थी जो बढकर 1960 में 65 मेगावाट हो गई। राज्य में सडक यातायात का भी पर्याप्त विकास हो चुका था। इसी प्रकार विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के कारण जल की पूर्ति में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। अत राज्य में औद्योगिक विकास की पर्याप्त सम्भावनाए दृष्टिगोचर हो रही थीं। योजना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में देश का तेजी से विकास हुआ लेकिन इसके पश्चात् राज्य में मानसून का अभाव तथा चीन व पाकिस्तान से युद्धों के कारण औद्योगिक विकास कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पडा। योजनाकाल में उद्योग व खनिज पर 3 31 करोड रुपये व्यय किए गए।

4 वार्षिक योजनाएं 1966-69 (Annual Plans 1966-69) इस अवधि में लघु एवं वृहद उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र-जयपुर, जोधपुर कोटा अलवर एवं भीलवाडा के विकास हेतु अनेक सुविधाओं की घोषणाएं की गई। निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनेक रियायतों एवं प्रोत्साहनों की घोषणा की। अत राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास प्रारम्भ हो गया। 1986 के अन्त में पंजीकृत कारखानों की संख्या 1846 हो गई। वार्षिक योजनाओं में उद्योग व खनिज पर 2-06 करोड रुपये व्यय किए गए।

5 चौथी पंचवर्षीय योजना (Fourth Plan) इस योजना में राज्य का तीव्र गति से विकास हुआ। योजनाकाल में वनस्पति तेल सीमेंट फोर्ज वस्त्र सूती धागे मशीन टूल्स चीनी और नायलान के धागे आदि से सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना की गई। इस अवधि में विद्युत का अभाव बना रहा लेकिन फिर भी कुछ वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। चतुर्थ योजनाकाल में राज्य की 1065 इकाइयों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा 15 37 करोड रुपये की सहायता स्वीकृत की गई। राज्य सरकार ने इस योजना में भी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का क्रम जारी रखा अत राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछडा घोषित किया गया। इन जिलों में रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इनमें से 6 जिलों में सब्सिडी भी प्रदान की गई। चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में राज्य में पंजीकृत कारखानों की संख्या 1846 थी जो बढकर योजना के अन्त में लगभग 2800 हो गई।

6 पांचवी पंचवर्षीय योजना (Fifth Plan) पांचवी योजना काल में औद्योगिक विकास हेतु अनेक उपाय किए गए। सस्ती साख-सुविधाएं, कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति, तकनीकी सहायता तथा रियायती दरों पर जल व शक्ति की पर्याप्त पूर्ति की व्यवस्था की गई। योजनाकाल में उद्योग व खनिज पर 34 53 करोड रुपये व्यय किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत सोडियम सल्फेट फैक्ट्री डीडवाना हाईटेंशन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर राजस्थान वूलन मिल्स बीकानेर वर्स्टेड वूलन मिल्स, चूरू तथा लाडनू के विकास पर बल दिया गया। गंगानगर शुगर मिल्स का विस्तार किया गया और टोंक में लेदर टेनरी की स्थापना की गई। निजी क्षेत्र में पांचवी योजना के अन्तर्गत अनेक विकासात्मक कार्य किए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य में केवल 7 सूती वस्त्र मिलें थीं तथा 1967 के अन्त तक 3 सीमेंट कारखाने थे लेकिन चतुर्थ योजना के अन्त में सीमेंट कारखानों की संख्या बढकर 10 हो गई। 1967 तक राज्य में केवल एक वनस्पति मिल भीलवाडा में था। पांचवी योजनावधि में जयपुर में 4 चित्तौडगढ में 1 तथा उदयपुर में 1 वनस्पति घी के कारखाने स्थापित किए गए। योजना के अन्त तक 1814 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया 13 औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया और 252 औद्योगिक क्षेत्र *निर्मित किए गए।*

7 छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Plan) छठी योजना में उद्योग व खनिज पर 83 66 करोड रुपये वास्तविक व्यय हुआ। योजनाकाल में औद्योगिक विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए जैसे कि ब्याज मार्जिन मनी पावर सब्सिडी टैस्टिंग इक्यूपमेंट सब्सिडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी डीजल जनरेटर सैट्स खरीदने हेतु सब्सिडी। घरेलू उद्योगों का विकास तथा सहकारी क्षेत्र में हैण्डलूम उद्योग के विकास पर बल दिया गया। स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत 1983-84 में 15045 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ। 1984-85 में इस योजना के अन्तर्गत 15382 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

इस दृष्टि से इस वर्ष देश में राजस्थान का द्वितीय स्थान रहा। 1984-85 के अंत में पंजीकृत कारखानों की संख्या 1,12,241 हो गई। योजनाकाल में संगमरमर व ग्रेनाइट उद्योग का तेजी से विकास हुआ। इन उद्योगों के अंतर्गत 13 मध्यम श्रेणी की इकाइयों की स्थापना की गई। इस अवधि में उदयपुर, राजसमंद, अलवर, किशनगढ़ और आबूरोड में संगमरमर व ग्रेनाइट उद्योग का तेजी से विकास हुआ। योजनाकाल में 6 बड़ी इकाइयों की स्थापना की गई। भीलवाड़ा का वस्त्र उद्योग की दृष्टि से विकास हुआ और यह राज्य के वस्त्र उद्योग का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बन गया।

8 सातवीं पंचवर्षीय योजना (Seventh Plan) सातवीं पंचवर्षीय योजना में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा पशुओं पर आधारित औद्योगिक इकाइयों पर विशेष बल दिया गया। इन उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक सुविधाओं एवं रियायतों की घोषणा की गई। 1987-88 में दस्तकारों की सहायतार्थ एक योजना 'रिफाइनेंस स्कीम' प्रारंभ की गई। 1985-90 की अवधि में 35112 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। अतः योजनाकाल के अंत में औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या 1,48,353 हो गई जिनमें 5,39,487 व्यक्ति कार्यरत थे। इस समय इन पंजीकृत कारखानों में 761.53 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित थी। योजनाकाल में वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास हुआ। इस अवधि में स्पिनिंग मिलों व विधायन गृहों का पर्याप्त विकास हुआ। पावरलूम व्यवसाय किशनगढ़ के अतिरिक्त भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, अलवर, जयपुर, उदयपुर तथा पाली आदि स्थानों पर विस्तृत हो गया। योजनाकाल में 97 बड़ी एवं मध्यम श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। इनमें से 23 औद्योगिक इकाइयां भिवाड़ी में, 12 उदयपुर में, 8 अलवर में, 8 भीलवाड़ा में तथा शेष राज्य के अन्य भागों में स्थापित की गई। उद्योग व खनिज पर इस योजना में 145.57 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

9 1990-92 की वार्षिक योजनाएं (Annual Plans 1990-92) 1990-91 के अंत में छोटे पैमाने की पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1,53,060 थी जिनमें 5.17 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था और इन इकाइयों में 85,993 लाख रुपये विनियोजित थे। 1990-91 तक 1,13,055 इकाइयों को खादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई। ये 2,85,000 व्यक्तियों को आंशिक रोजगार उपलब्ध करा रहे थे। इस समय राज्य में 30,000 हैण्डलूम कार्यरत थे जिनमें लगभग 90,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 3197 व्यक्तियों को राजस्थान लघु उद्योग द्वारा आयोजित गलीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 1991 तक राज्य में 181 औद्योगिक केंद्रों का विकास किया गया। राज्य की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का संबंध सीमेंट, सिंथेटिक यार्न, कागज, प्लायोवसोल इलैक्ट्रॉनिक्स, ट्रक चेसिस, कॉपर फॉइल्स, टी.वी. अन्य इलैक्ट्रॉनिक्स सामान, घड़िया और रसायन से था। राज्य-स्वामित्व की औद्योगिक इकाइयों में सोडियम सल्फेट, नमक व्यापार, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, गोटन स्पिनिंग व चीनी इकाइयां प्रमुख हैं। उद्योग व खनिज पर इन योजनाओं में क्रमशः 88.72 व 62.22 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

10 आठवीं पंचवर्षीय योजना (Eighth Plan) आठवीं योजना में उपभोक्ता सामान का विशाल स्तर पर उत्पादन करने, राज्य में संरचनात्मक सुविधाओं का पर्याप्त विकास करने, पूंजीगत माल की आवश्यकता को पूर्ण करने तथा निर्यातयोग्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने का निश्चय किया गया। राज्य के औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी उद्योग निदेशालय, खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, राजस्थान हथकरघा विकास निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, ब्यूरो ऑफ स्टेट एन्टरप्राइजेज, राजस्थान वित्त निगम तथा रीको पर है।

राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों और श्रेष्ठ विनियोग नीतियों के कारण राज्य की औद्योगिक स्थिति का स्वरूप बदल चुका है। वर्तमान में राजस्थान में 515 से अधिक बड़ी और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें लगभग 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इसी प्रकार राज्य में 1.84 लाख लघु उद्योग इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। 8 वीं पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों में निजी क्षेत्र का कुल विनियोग 1032.16 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार बड़े व मध्यम आकार की इकाइयों में निजी क्षेत्र का कुल विनियोग 8963.54 करोड़ रुपये था। इस प्रकार 223 बड़ी व मध्यम इकाइयों और 27468 छोटी इकाइयों में निजी क्षेत्र का कुल विनियोग 9995.70 करोड़ रुपये हो गया। राज्य की सुदृढ़ औद्योगिक स्थिति को देखते हुए निजी उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश के लिये उत्सुक हैं। ऐसे निजी उद्योगपतियों की संख्या 1545 है। जिनमें से 344 ने 8 वीं पंचवर्षीय योजना में अपनी औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ कर दी हैं। शेष 1201 उद्यमियों के 9वीं योजना में औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ करने की संभावना है। इनमें से 602 उद्यमियों के औद्योगिक कार्यकलाप प्रारम्भ हो चुके हैं जिनमें लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का विनियोग होगा। 9 वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे उद्यमियों की

संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 300 की वृद्धि होने की सम्भावना है।

11 नवी पचवर्षीय योजना (Ninth Plan) नवी पचवर्षीय योजना में राज्य व बड़े व मध्यम उद्योगों में लगभग 27000 करोड रुपये निजी क्षेत्रो द्वारा विनियोजित किये जायेंगे। इसी प्रकार नवीं योजना मे छोटे उद्योगो में निजी क्षेत्र का विनियोग लगभग 3000 करोड रुपये होगा। इस प्रकार नवीं योजना मे राज्य की औद्योगिक क्षेत्र में कुल विनियोग 30000 करोड रुपये होगा जो 8 वीं पचवर्षीय योजना के विनियोग का 3 गुन से भी अधिक है ।

नवी योजना में औद्योगिक विकास की व्यूह रचना

राज्य की नवीं पचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की निम्न व्यूह रचना अपनाने का निश्चय किया गया -

1 राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत भाग निर्माण क्षेत्र से प्राप्त करना ।

2 रोजगार के अतिरिक्त एव पर्याप्त अवसर सृजित करना ।

3 राज्य के औद्योगिक क्षेत्र म विनियोग का वातावरण निर्मित करना ।

4 राज्य की आय एव सम्पत्ति में वृद्धि करना ।

5 राज्य के साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना ।

6 राज्य के उद्योगों की तकनीकी क्षमता मे वृद्धि करना ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धी बन सके।

7 राज्य की औद्योगिक सरचना को सुदृढ करने के लिये समाज का सहयोग प्राप्त करना ।

8 मानवीय ससाधनो के विकास पर बल देना।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं

POSSIBILITIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान के उद्योगों के समक्ष अनेक समस्याएं विद्यमान होते हुए भी भविष्य में राजस्थान के औद्योगिक विकास की अच्छी सम्भावनाए विद्यमान हैं। राजस्थान में औद्योगिकीकरण की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है-

1 खनिज (Minerals) खनिज उत्पादन मे राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान 8 धात्विक व 25 अधात्विक खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जस्ता, सीसा, टगस्टन, चादी ताबा रॉक फॉस्फेट, चूना, पत्थर, फेल्सपार, एस्बेस्टोस, कैल्साइट, गारनेट, जिप्सम, सोप स्टोन ग्रेनाइट, सगमरमर व अन्य इमारती पत्थर की दृष्टि से राजस्थान महत्वपूर्ण राज्य है। देश मे उत्पादित जस्ता, सीसा, एमरल्ड, रॉक फास्फेट का लगभग शत प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में ही होता है। भारत के कुल सोपस्टोन व जिप्सम का 90 प्रतिशत एस्बेस्टोस का 83 प्रतिशत फेल्सपार का 76 प्रतिशत व चादी का 94 5 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान से ही प्राप्त होता है ।

2 पशुधन (Animal Wealth) पशु सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का देश मे महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य की आय का 15 प्रतिशत भाग पशु-सम्पदा से ही प्राप्त होता है। देश के दुग्ध उत्पादन का 10 प्रतिशत से भी अधिक भाग राज्य के पशुओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। देश में मास उत्पादन का 30 प्रतिशत और ऊन उत्पादन का 40 प्रतिशत राजस्थान के पशुओं द्वारा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य के पशुओं से चमडा व हड्डी आदि वस्तुए भी प्राप्त होती है। पशुओं से प्राप्त वस्तुए कच्चे रूप में देश के अन्य राज्यों को भेज दी जाती है। अत राज्य म पशुओं पर आधारित उद्योगों की स्थापना की पर्याप्त सम्भावना है ।

3 कृषि फसलें (Agricultural Crops) राजस्थान नहर और अन्य वृहद्, मध्यम एव लघु सिचाई योजनाओं व कुओं के व्यापक विद्युतीकरण से खाद्यान्नों व व्यावसायिक फसलो का अधिक उत्पादन सम्भव हो सकेगा। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन मे राजस्थान का भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1950 51 मे राजस्थान मे 33 8 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता था जो 1997-98 में बढकर अनुमानत 128 55 लाख टन हो गया।[1]

4 वन-सम्पदा (Forests) वन सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछडा हुआ है। वनों से अनेक प्रकार की वस्तुए प्राप्त होती है। राज्य मे इन वस्तुओं सम्बन्धी उद्योगों का अभाव है। अत राज्य के विभिन्न भागों विशेषत आदिवासी क्षेत्रों मे वन आधारित उद्योगो की स्थापना की पर्याप्त सम्भावनाए विद्यमान हैं ।

5 कुशल श्रमिक (Skilled Labour) राज्य के विभिन्न क्षेत्रो में विभिन्न उद्योगों के लिए कुशल श्रमिक परम्परागत रूप से उपलब्ध हैं, उदाहरणार्थ, जयपुर सागानेर व बाडमेर म रगाई छपाई गोटा, जयपुर, जोधपुर आदि मे बधेज

1 *Economic Review 1997 98 Rajasthan*

9	टैक्सी	15172	15593
10	बस एव मिनि बस	38764	40233
11	ट्रक एव अन्य माल ढोने वाले वाहन (लाख)	1 13	1 66
12	अन्य	2945	2962
	योग	2127494	2199799

Source Economic Review 1998 99 Govt of Raj

उपलब्ध जिलेवार आकडों के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक वाहन जयपुर जिले में है। इसके पश्चात क्रमश जोधपुर, कोटा गगानगर, उदयपुर, अजमेर व अलवर का स्थान है।

5 सडक दुर्घटना (Road Accidents) - राजस्थान मे सडक दुर्घटनाओ की सख्या वाहनों की सख्या के साथ-साथ निरन्तर बढती जा रही है। राजस्थान में सडक दुर्घटना की स्थिति अग्र तालिका में स्पष्ट है-[1]

वर्ष	दुर्घटनाए	मृत व्यक्ति	घायल व्यक्ति
1993	12757	3893	15325
1994	13920	4129	16756
1995	16610	4863	20432
1996	18891	5430	24214

Source Statistical Abstract 1996 Rajasthan

राजस्थान मे सबस अधिक सडक दुर्घटनाए जयपुर जिले में हुई, इसके पश्चात अजमेर और कोटा का स्थान है।

6 सडक नीति (Road Policy) - सडकों के सर्वागीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 1994 में सडक नीति की घोषणा की गई है जिसकी मुख्य विशेषताए निम्न प्रकार है-

(i) 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 या इससे अधिक आबादी वाले ग्रामों को आठवी पचवर्षीय योजना के अन्त तक बी टी सडको से जोडना।

(ii) 1981 एव 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 या अधिक आबादी वाले ग्रामों को नवी पचवर्षीय योजना के अन्त तक सडकों से जोडना।

(iii) नवी पचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी पचायत मुख्यालयों को बी टी सडकों से जोडना।

(iv) ऐसे सभी जनजाति/मरूस्थल क्षेत्र के गाव जिनकी जनसख्या 750 से अधिक है को नवीं पचवर्षीय योजना के अन्त तक बी टी सडकों से जोडना।

(v) मुख्य शहरी केन्द्रों का बाई पास निर्माण।

(vi) राज्य उच्च मार्ग (हाइवे) एव जिला मार्गो को चौडा करना।

(vii) राज्य उच्च मार्गो पर अन्तर्राज्यीय सडकें, मिसिंग लिक्स एव सी डी वर्क्स का निर्माण।

सडक निर्माण के उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य में क्रियान्वित विभिन्न विकास योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार योजना, रोजगार गारन्टी योजना, तीस जिले तीस काम आदि मे उपलब्ध वित्तीय ससाधनों का उपयोग भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य पुलो, सुरगों एव बाई पास आदि के निर्माण हेतु वित्तीय सस्थाओं एव निजी विनियोजकों का भी सहयोग लिया जायेगा। इस कार्य में लगी पूजी की वसूली टोल टैक्स के माध्यम से की जाएगी। विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत चार राज्य उच्च मार्गो को चौडा करने एव उनका दर्जा बढाने का कार्य भी प्रगति पर है।

सडक विकास का मास्टर प्लान (1981-2001)

सडक विकास के मास्टर प्लान की प्रमुख विशेषतायें निम्न है -

1 राज्य के पचायत मुख्यालयों को सडक मार्गो से जोडना।

2 दो मार्ग वाली सडकों का निर्माण करना।

3 एक हजार और इससे अधिक जनसख्या (1971 की जनगणना के अनुसार) वाले ग्रामों को सडक मार्गो से जोडना।

4 अन्तर्राज्यीय सडकें बनाना।

5 जिला सडकों पर पुल बनाना।

6 धार्मिक स्थलों को सडक मार्ग से जोडना।

7 पर्यटन की दृष्टि से सडकों का निर्माण करना।

8 रेल्वे स्टेशनो को सडक मार्ग से जोडना।

9 खनन-सडकों का निर्माण करना।

10 मण्डियों को सडक मार्गो से जोडना।

11 औद्योगिक केन्द्रों को सडक मार्गो से जोडना।

राजस्थान में सडक क्षेत्र के सुधार[2]

सडक तन्त्र के श्रेष्ठ प्रबन्धन, अतिक्रमण रोकने एव उच्च मार्ग के साथ-साथ पट्टिका विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान हाइवे अधिनियम, 1994 पारित किया गया है। सडकों के विकास हेतु धन की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिडकॉर ने हुडको एव बैंकों से सस्थागत वित्त प्राप्त करने की व्यवस्था की है। पुलों, सुरगों एव बाई पासों के लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी परियोजनायें बनाकर उन्हें निर्दिष्ट सस्थाओ के समक्ष ऋण प्राप्ति हेतु रखा गया है। सडक परियोजनाओं के निर्माण हेतु सीड मनी उपलब्ध कराने

1 2 Statistical Abstract 1995-1996 Rajasthan

के उद्देश्य से राज्य में एक स्टेट रोड इम्प्रूवमेंट फण्ड बनाया गया है। टोल टैक्स के रूप में प्राप्त धन राशि को इस कोष में जमा कर फिर इस राशि को इस कोष द्वारा सीड मनी के रूप में सड़क परियोजनाओं के निर्माण के काम में लिया जाएगा।

नवीं योजना में सड़क विकास

राज्य की नवीं योजना में सड़क विकास हेतु 1353 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। राज्य में 1996-97 में कुल सड़क मार्गों की लम्बाई 74229 किलोमीटर थी जो बढ़कर नवीं योजना के अन्त में 94229 किलोमीटर हो जायेगी। अतः योजना काल में 20,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

इस निगम की स्थापना 1964 में की गई। निगम के प्रमुख कार्य इस प्रकार है - (i) राजस्थान में सड़क परिवहन का विकास करके राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित करना। (ii) परिवहन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करना। (iii) राज्य में सड़क परिवहन का विस्तार करना और सड़क परिवहन सेवा को कुशलता पूर्वक सचालित करना।

राजस्थान में रेल परिवहन

रेल की लाइनें मात्र लौह पटरियां नहीं है अपितु विकास के वर्तमान सदर्भों में ये हमारी जीवन रेखाएं है। जहां-जहां से जीवन रेखाएं गुजरी, उस भू भाग और अर्थशास्त्र के साथ-साथ निवासियों का भाग्य ही बदल गया। वहां के जन जीवन को जीने की सजीवनी मिली और इन भाग्य रेखाओं से जुड़े गांव, कस्बे और शहर विकास की नई हलचल में आनन्दित हो उठे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि धरती के जिस हिस्से की हथेली पर ये फौलादी भाग्य रेखाएं खींची गई, वहां के बेरोजगार हाथों को रोजगार का दस्तक मिला विकास की क्षीण रेखाएं भी प्रवाह की प्रबल धारा बन गई और वह क्षेत्र विकासात्मक गतिविधियों का सगम बन गया। इन निर्जीव पटरियों पर बहु-आयामी विकास के पहिये दौड़ने लगे और इनसे जुड़ा छोटा सा गांव कस्बे में, कस्बा शहर के और शहर महानगर के रूप में अगड़ाई लेने लगा।

राजस्थान में रेल परिवहन का इतिहास

राजस्थान में रेल विकास की प्रक्रिया 1842 ई में प्रारम्भ हुई। अंग्रेज सरकार एव देशी रियासतों के मध्य बातचीत के कारण रेल विकास का कार्य धीमा रहा। राज्य में प्रथम मीटर गेज रेल्वे लाइन 14 फरवरी, 1873 को दिल्ली से रेवाड़ी एव फर्रुखनगर के बीच राजपूत रेल्वे के रूप में प्रारम्भ की गई। अजमेर में मीटर गेज लाईन मार्ग अगस्त, 1875 को, अजमेर, ब्यावर राजपूताना लाइन 15 मई, 1878 को एव ब्यावर-हरिपुर-सोजत रेलमार्ग पर कार्य शुरू किया गया। राजपूताना रेल्वे के दक्षिणी भाग में अहमदाबाद - पालनपुर मार्ग 15 नवम्बर, 1879 को खोला गया। जोधपुर रेल्वे के अधीन खरची-पाली 20 मील रेल निर्माण का कार्य 16 फरवरी, 1881 को शुरू हुआ तथा 28 फरवरी, 1882 को पूरा कर लिया गया। 24 जून, 1982 को यह मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया।

जून, 1884 में 25 मील लम्बे पाली लूनी मार्ग पर यातायात शुरू हो गया। 9 मार्च, 1885 को जोधपुर शहर रेल से जुड़ गया। जोधपुर-मेड़ता रोड रेलमार्ग को 8 अप्रेल, 1891 तथा नागौर-बीकानेर 72 मील रेलमार्ग को 9 दिसम्बर 1891 को प्रारम्भ कर दिया गया। जोधपुर दरबार ने मेड़ता रोड से कुचामन रोड तक 73 मील लम्बी लाइन का निर्माण करवाया। इसे 13 मार्च, 1893 को यातायात के लिए खोल दिया गया। बीकानेर-दुलमेरा 42 मील लम्बा रेलमार्ग 2 जून, 1896 को, दुलमेरा -सूरतगढ 72 मील रेलमार्ग 1 जनवरी, 1901 को तथा सूरतगढ भटिण्डा 88 मील रेलमार्ग 9 सितम्बर, 1902 को यातायात के लिए प्रारम्भ कर दिया गया। जोधपुर दरबार तक बालोतरा-बाड़मेर 60 मील रेलमार्ग 15 मई, 1899 को तथा बाड़मेर-शादीपल्ली 143 मार्ग को 2 दिसम्बर, 1900 को यातायात के लिए खोल दिया गया। इस प्रकार स्वतन्त्रता के पूर्व राज्य में रेल परिवहन का पर्याप्त विकास हुआ। अप्रेल 1950 में जोधपुर रेल्वे का प्रबन्ध राजस्थान सरकार को हस्तान्तरित कर दिया गया। इसे 14 अप्रेल 1952 को उत्तरी रेल्वे में सम्मिलित कर दिया गया।

राजस्थान में रेल परिवहन की वर्तमान स्थिति

(1) रेलमार्ग - राज्य में रेलमार्ग का तेजी से विकास हुआ है राज्य के अनेक स्थानों पर छोटी रेल्वे लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का कार्य चल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को, मुम्बई, दिल्ली एवं कलकत्ता से जोड़ दिया गया है तथा जोधपुर और बीकानेर भी बड़ी लाइन से जुड़ चुके है। अग्र तालिका में राज्य में रेलमार्गों की स्थिति को दर्शाया गया है -

1 राजस्थान पत्रिका, 8 जनवरी 1998

राजस्थान में रेलमार्ग		
गेज	रेलमार्ग की लम्बाई (किलोमीटर)	
	1990-91	1993-94
1 ब्राड गेज	1235 37	1950 04
2 मीटर गेज	4505 52	3773 57
3 नेरो गेज	86 51	84 45

स्रोत Statistical Abstract, Rajasthan 1994

(2) भरतपुर सिमको लिमिटेड - यह कम्पनी 31 जनवरी, 1957 को भरतपुर में प्रारम्भ की गई। यह कम्पनी प्रतिवर्ष लगभग 3000 मालवाहन डिब्बों का निर्माण करती है यह मालवाहक डिब्बों की लगभग एक-तिहाई माग पूरी करती है।

(3) रेल बस - राजस्थान के नागौर जिले के मेडता शहर से मेडता रोड के बीच 12 अक्तुबर, 1994 को देश की पहली ब्रॉड गेज रेल-बस सेवा प्रारम्भ हुई। इस रेल बस में 71 यात्री बैठकर तथा 15 खडे होकर यात्रा कर सकते है। इस रेल बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घण्टा है।

(4) जयपुर-सियालदाह एक्सप्रेस - 3 जुलाई, 1994 को जयपुर -सियालदाह एक्सप्रेस का शुभारम्भ किया गया। यह प्रतिदिन दुर्गापुर सवाईमाधोपुर, आगरा-किला, टुडला, कानपुर, इलाहाबाद मुगलसराय और पटना होती हुई 36 घण्टों में अपनी यात्रा पूरी करती है।

इससे राजस्थान के प्रवासी उद्यमियों का राज्य में उद्योग लगाने के प्रति रूझान बढेगा और परिवहन की सुविधा के विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी।

(5) आठवी पचवर्षीय योजना मे परिवहन विकास - बांदीकुई-आगरा तक बडी लाईन का कार्य आठवीं योजना में पूरा कर लिया जायेगा। वर्ष 1994-95 में मीटर गेज का बडी लाईन में बदलने के कार्यक्रम में जोधपुर-जैसलमेर के लिए 109 करोड रुपए, फुलेरा-मारवाड-अहमदाबाद-मेहसाणा के लिए 92 करोड रुपए लुनी-मारवाड के लिए 30 करोड रुपए, सवाई-माधोपुर-जयपुर फुलेरा के लिए 26 करोड रुपए, जोधपुर-बीकानेर-मेडता के लिए 8 करोड रुपए तथा मथुरा-अलवर नई बडी रेल लाइन के लिए 5 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।

राजस्थान में मीटर रेल लाइन से बडी रेल लाइन में परिवर्तन	
1991-92	1994-95
सूरतगढ़ भटिंडा [redacted] कि मी	फुलेरा अजमेर-81 कि मी
सूरतगढ़-अनूपगढ़ 78 कि मी	रेवाडी जयपुर 225 कि मी
सूरतगढ़-बीकानेर 178 कि मी	जोधपुर जैसलमेर 295 कि मी
1992-94	1995-96
रतनगढ़-मेडता रोड 177 कि मी	अजमेर मारवाड 140 कि मी
[illegible]-45 कि मी	मारवाड-मेहसाणा-203 कि मी
सवाई माधोपुर जयपुर 125 कि मी	[illegible] 113 कि मी
जयपुर फुलेरा-55- कि मी	नवीं पचवर्षीय योजना
फुलेरा-जोधपुर-254- कि मी	लूनी-मुनाबाव-297 कि मी
मेडता रोड-मेडता सिटी-14 कि मी	सूरतगढ़-हनुमानगढ़ (रेनाल-लूप) - 205- कि मी

स्रोत राजस्थान सुजस

(6) राजस्थान में नई रेल लाइनें - स्वतन्त्रता के पश्चात, राजस्थान राज्य में नवीन रेलमार्गों के निर्माण का कार्य निरन्तर जारी रहा। राज्य में 1947 की अवधि में मावली खेरदा (1947-48), खेरदा-कानोड (1948-49), सांगानेर-फागी (1949-50), कानोड-बडी सादडी (1949-50), फागी-डिग्गी (1950-51), डिग्गी-टोडा रायसिह (1953-54) फतेहपुर-चुरू (1956-57), रानीवाडा-भीलडी (1957-58), उदयपुर-उदयपुर सिटी (1961-62) उदयपुर हिम्मतनगर (1965-66) पोकरन-जैसलमेर (1966-67), हिन्दुमलकोट श्रीगंगानगर (1969-70), डाबला-सिघना (1974-75) कोटा-चन्देरिया (1988-89), चन्देरिया-चित्तौडगढ (1989-90), चित्तौडगढ -नीमच (1990-91), मथुरा-डीग (1992-93), तथा डीग- अलवर (193-94) नवीन रेलमार्ग बनाये गये।

(7) अजमेर का रेल्वे वर्कशाप - इस वर्कशाप का निर्माण 1877 में प्रारम्भ हुआ जो सन् 1879 के अन्त तक पूरा हो गया। यहा इजनों, माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की सभी प्रकार की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य किया जाने लगा। 1881 में भण्डार विभाग तथा 1884 में माल डिब्बो और सवारी डिब्बों को अलग किया गया। 1885 में लुहारी कार्य, चक्का (Wheel) तथा बायलर शाप की अलग से कार्यशालाए स्थापित की गई। यह भारत का एक मात्र रेल्वे वर्कशाप है जहा इजन बनते थे। 1937 तक यहा 375 रेल इजनो का निर्माण किया गया। वर्तमान में भी रेल मरम्मत एव नवीनीकरण की दृष्टि से रेल्वे वर्कशाप, अजमेर का महत्वपूर्ण स्थान है।

(8) रेल्वे ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर - *इस स्कूल का शिलान्यास* 25 मार्च 1955 को महाराणा भूपाल सिंह ने किया तथा 9 अक्तूबर 1956 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने इसका उदघाटन किया। यह स्कूल न केवल पश्चिम रेल्वे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है वरन् अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों अधिकारियों और विदेशी रेल कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। यहा भारत का सबसे बडा रेलवे मॉडल कक्ष है। 1993-94 में 5713 देशी तथा 246 विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(9) बच्चो की रेल - यह रेल उदयपुर में है इसका सचालन नगर परिषद उदयपुर द्वारा किया जाता है। इस रेल

का कार्य 5 मई, 1972 को प्रारम्भ हुआ और 8 अप्रेल, 1973 को भारत सरकार के तत्कालीन रेलमंत्री बाबू जगजीवन राम ने इसका उद्घाटन किया। इस रेलमार्ग की लम्बाई 1 79 कि मी है। यह रेल गुलाब बाग में बच्चों के मनोरंजन का प्रमुख साधन है।

(10) धौलपुर की नैरो गेज रेल - धौलपुर जिले में यह रेल लाइन धौलपुर से बाडी होते हुए आगरा जिले के तांतपुर तक तथा इसदा धौलपुर से सरमथुरा तक जाती है इस क्षेत्र के लोग इसे डी बी आर कहते है यह राजस्थान की एक मात्र नैरो गेज लाइन है। इस रेल लाइन का निर्माण 1908 (धौलपुर रियासत के महाराजा रामसिंह के शासनकाल में) प्रारम्भ हुआ और 1929 में पूर्ण हो गया। अभी तक इस रेल के मौलिक स्वरूप एव सचालन में परिवर्तन नहीं आया है।

(11) कोटा-चित्तोड-नीमच रेलमार्ग - कोटा चित्तौड-नीमच बडी रेल लाइन के निर्माण से राजस्थान में प्रगति का एक और मार्ग खुल गया। इस रेलमार्ग पर 30 मार्च, 1968 से ही मालगाडियों का आवागमन शुरू हो गया तथा अक्तूबर, 1989 में पहली बार सवारी गाडी चली। राजस्थान के कोटा, बूदी, भीलवाडा और चित्तोडगढ जिलो से होकर यह लाइन मध्यप्रदेश में नीचम तक जाती है। इस रेल मार्ग से सीमेन्ट, कोयला, इमारती पत्थर और अन्य वस्तुओ की सप्लाई में सुविधा हो गई। यह रेल मार्ग चित्तोडगढ जिले के पिछडे इलाको के लिए वरदान सिद्ध हुई है।

(12) पैलेस ऑन व्हील्स अथवा पहियो पर राजमहल - यह रेल 1982 में प्रारम्भ हुई। इसका निर्माण पुरानी रियासतो के शासकों द्वारा उपयोग में लाये गए विभिन्न रेलों के डिब्बो से किया गया। इसकी लोकप्रियता के कारण 1991 में नवीन पैलेस ऑन व्हील्स का निर्माण किया गया। इस रेल की लागत लगभग 8 करोड रुपए आई। यह रेल प्रत्येक बुधवार को दिल्ली से रवाना होकर जयपुर, चित्तोडगढ, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा होते हुए पुन बुधवार की प्रात दिल्ली पहुँचती थी। लेकिन सितम्बर, 1994 से यह आगरा-भरतपुर के स्थान पर बीकानेर जाने लगी है और इसमें 13 डिब्बे है। इस रेल में प्राय सभी सुविधायें उपलब्ध है।

(13) प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग - राजस्थान में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग की लम्बाई 17 02 किलोमीटर है। इस दृष्टि से राजस्थान का भारत में 12 वा स्थान है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमश पश्चिम बगाल, पजाब और हरियाणा राज्यो का है। प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्गो का अखिल भारतीय औसत 19 00 कि मी है। अत स्पष्ट है कि राजस्थान में रेलों का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है।

(14) नया रेल क्षेत्र - 1996-97 के केन्द्रीय बजट में 6 नये रेल क्षेत्रों की स्थापना की गई, जिनमें उत्तर पश्चिम रेल्वे भी एक है। इसका मुख्यालय जयपुर को बनाया गया है।

राजस्थान के प्रमुख रेलमार्ग

राज्य के प्रमुख रेलामार्ग निम्नलिखित है -

(1) दिल्ली-अहमदाबाद रेलमार्ग यह रेलमार्ग राजस्थान के अलवर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर तथा आबू रोड आदि नगरो से होकर गुजरता है। यह एक व्यस्त रेलमार्ग है। इस मार्ग का अब बडी लाइन में परिवर्तन किया जा रहा है।

(2) बीकानेर-दिल्ली रेलमार्ग यह रेलमार्ग बीकानेर से आरम्भ होकर चूरू लोहारू होता हुआ दिल्ली पहुचता है।

(3) जोधपुर-दिल्ली रेलमार्ग यह रेलमार्ग जोधपुर, फुलेरा, रिंगस होता हुआ दिल्ली जाता है।

(4) अजमेर-खण्डवा रेलमार्ग . यह रेलमार्ग अजमेर से आरम्भ होकर नसीराबाद, भीलवाडा, चित्तौडगढ, निम्बाहेडा व इन्दौर होता हुआ खण्डवा पहुचता है।

(5) जोधपुर-आगरा रेलमार्ग यह रेलमार्ग जोधपुर से फुलेरा, जयपुर, बादीकुई तथा भरतपुर होता हुआ आगरा पहुचता है।

(6) कोटा-चित्तोडगढ-नीमच रेलमार्ग - यह रेलमार्ग कोटा, बूदी भीलवाडा और चित्तौडगढ जिलों से होकर मध्य प्रदेश में नीमच तक जाता है।

राज्य में भीलवाडा-केकडी-टोडा रेलमार्ग का सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है। इसके अतिरिक्त (i) अजमेर कोटा रेलमार्ग (ii) बाडमेर-जैसलमेर रेलमार्ग (iii) फालना-बडी सादडी रेलमार्ग तथा (iv) रतलाम बासवाडा-डूगरपुर रेलमार्ग के निर्माण की योजनाए विचाराधीन है।

राजस्थान में रेल परिवहन की समस्यायें

यद्यपि रेलो के माध्यम से राजस्थान देश के सभी प्रमुख नगरों से जुड चुका है किन्तु कुछ ऐसे जिले है जो इस सेवा से नहीं जुड पाये है। राज्य में रेलों की प्रमुख समस्यायें निम्नलिखित है

(i) राजस्थान का अधिकाश भू-भाग रेगिस्तानी एव पहाडी है। समतल क्षेत्र एव मैदानों का अभाव। अत रेलमार्गों का

1 राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 1997 98

निर्माण करना कठिन होता है। रेलमार्गों के निर्माण की लागत भी अधिक आती है।

(ii) राज्य के पूर्वी भाग में प्रायः वर्षा ऋतु में रेलमार्ग जल में डूब जाते हैं अतः रेल यातायात अवरूद्ध हो जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में रेलमार्ग बालू मिट्टी के कारण अवरूद्ध हो जाते हैं।

(iii) रेल दुर्घटनाओं के कारण जान-माल की हानि होती है। इसका दुष्प्रभाव रेल व्यवस्था पर आर्थिक एवं प्रशासनिक दोनों ही प्रकार से पड़ता है।

(iv) राज्य में रेलमार्गों की लम्बाई आवश्यकता से बहुत कम है। रेलमार्गों की लम्बाई की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 12 वां स्थान है।

(v) राज्य में रेलमार्गों के वितरण में असमानता है। पश्चिमी मरूस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम रेलमार्ग है जबकि पूर्वी मैदानी भागों में रेलमार्गों का विस्तार अधिक हुआ है। पहाड़ी जिलों में भी रेलों का विकास नहीं हुआ है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1. चम्बल घाटी परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए।
   Write a note on Chamble Valley Project
2. राजस्थान नहर या इन्दिरा गांधी नहर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
   Write a short note on Rajasthan Canal or Indira Gandhi Canal
3. इन्दिरा गांधी नहर से मिलने वाले सम्भावित लाभों का वर्णन कीजिए।
   Explain the possible gains out of Indira Gandhi Canal
4. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का सम्भावित कमाण्ड क्षेत्र कितना है?
   What is the expected command area of Indira Gandhi Canal Project?
5. "इन्दिरा गांधी नहर सैनिक अभियन्ताओं को समय पाबन्द-कार्यक्रम के साथ सुपुर्द कर दी जानी चाहिए।" क्यों?
   "Indira Gandhi Canal should be handed over to military engineers with a timebound programme." Why?
6. आणविक शक्ति क्या है? ताप ऊर्जा से यह किस प्रकार भिन्न है?
   What is Nuclear Power? How does it differ form Thermal Power?
7. राजस्थान में ऊर्जा के एक अच्छे संसाधन के रूप में सौर ऊर्जा की व्याख्या कीजिए।
   Explain Solar Energy as a good source of energy in Rajasthan
8. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के एक अच्छे संसाधन के रूप में 'बायो गैस' की व्याख्या कीजिए।
   Explain Bio-Gas as a good source of energy in the rural areas of Rajasthan
9. राजस्थान में कहां-कहां विद्युत उत्पादन हो रहा है?
   Where are the sources of power located in Rajasthan?
8. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।
   Examine critically the alternative sources of energy

B. निबंधात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1. चम्बल घाटी परियोजना का एक विवरण दीजिए। इससे राजस्थान को क्या आर्थिक लाभ है?
   Give an account of the Chambal Valley Project. What are its economic benefits to Rajasthan
2. राजस्थान नहर परियोजना का विवरण दीजिए। इसके क्या आर्थिक लाभ है? व्याख्या कीजिए।
   Give details of Rajasthan (Indira Gandhi) Canal Project. What are its economic achivements? Explain
3. राजस्थान में आधारभूत आर्थिक संरचना के विकास के लिए किए गए विद्युत के विकास पर प्रकाश डालिए।
   Discuss the development of Irrigation, Power and Road in the light of infrastructural development in Rajasthan

4 राजस्थान में आधारभूत आर्थिक संरचना के विकास के लिए किए गए विद्युत के विकास पर प्रकाश डालिए।

Discuss the development of Power in the light of Infrastructural Development in Rajasthan

5 राजस्थान राज्य के आधारभूत संरचना विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write a short note on the structure facilities of the State of Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

1 राजस्थान नहर परियोजना के क्या उद्देश्य है? इसकी प्रमुख बातें क्या है? राजस्थान को इससे क्या लाभ होगा?

What are the objects of Rajasthan (Indira Gandhi) Canal Project? What re the salient features? What will be its utility for the economic development of Rajasthan

2 योजनाकाल में राजस्थान में सिंचाई सम्भाव्यता के विकास पर एक लेख लिखिए।

Write an eassy on the development of irrigation potential in the plan-era in Rajasthan

3 *राजस्थान में ऊर्जा तथा सड़कों के विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।*

Critically analyse the development of Roads and Power sectors in Rajasthan

4 इन्दिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान के लिए वरदान सिद्ध होगी।" समझाइए।

Indira Gandhi Nahar will be a blessing for Western Rajasthan " Discuss

5 "राजस्थान में आधारभूत संरचना का विकास अभी शिशु अवस्था में है।" विवेचना कीजिए।

"Infra structural facilities in Rajasthan is in its infant stage," Discuss



अध्याय – 14

राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं उद्योग

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INDUSTRIES IN RAJASTHAN

"प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही राजस्थान औद्योगीकरण की प्रथम अवस्था में प्रवेश कर गया।"

अध्याय एक दृष्टि में

- औद्योगीकरण का अर्थ
- राजस्थान में आय एवं रोजगार की दृष्टि से औद्योगीकरण का महत्व
- राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताएं
- राजस्थान में औद्योगिक विकास
- राजस्थान में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं
- राजस्थान में उद्योगों का क्षेत्रीय वितरण/फैलाव/असमानताएं
- राजस्थान में औद्योगिक विकास की जिलेवार क्षेत्रीय असमानताएं
- राजस्थान के वृहद उद्योग
- राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग
- अभ्यासार्थ प्रश्न

औद्योगीकरण का अर्थ

MEANING OF INDUSTRIALIZATION

औद्योगीकरण का सम्बन्ध उद्योग से लगाया जाता है। उद्योग से आशय किसी वस्तु अथवा सेवा के निर्माण से होता है परन्तु मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण अथवा सृजन नहीं कर सकता है। मानव केवल किसी वस्तु की रूप उपयोगिता में वृद्धि करके उसे अधिक उपयोगी बना सकता है। मानव जब इस प्रक्रिया को व्यापक रूप प्रदान कर देता है तो औद्योगीकरण की संज्ञा प्रदान की जाती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से औद्योगीकरण की तीन अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक वस्तुओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती है उदाहरण के लिए, चमड़ा रंगना, गेहूं पीसना, सूत कातना आदि। द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत कच्चे माल के रूप में परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है, उदाहरण के लिए जूते बनाना, भोजन तैयार करना, कपड़ा व फर्नीचर बनाना आदि। तृतीय अवस्था के अन्तर्गत ऐसी मशीनों एवं पूंजीगत यंत्रों के निर्माण को सम्मिलित किया जाता है जो भावी उत्पादन क्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाती है। औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण उत्पादन कार्यों में परिवर्तन की एक श्रृंखला का जन्म होता है। औद्योगीकरण में

उन सभी परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी प्रतिष्ठान के यंत्रीकरण किसी नवीन उद्योग की स्थापना, किसी नवीन बाजार में प्रवेश एवं किसी नवीन क्षेत्र के विदोहन के कारण घटित होते हैं। हॉफमैन के अनुसार औद्योगीकरण की अवस्थाओं के क्रम में औद्योगीकरण की प्रथम अवस्था में उपभोग वस्तु उद्योगों का सर्वाधिक महत्व रहता है और शुद्ध उत्पादन पूँजी वस्तु उद्योगों के उत्पादन से पाच गुना होता है। द्वितीय अवस्था में यह अनुपात 2 5 1 हो जाता है और तीसरी अवस्था में यह केवल 1 1 हो जाता है। इस प्रकार औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूंजी का गहनतम उपयोग करके यंत्रीकरण एवं बड़े पैमाने के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान अनेक छोटी-छोटी रियासतों में विभक्त था। उस समय यह राज्य औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ था लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य का पुनर्गठन हो गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही राजस्थान औद्योगीकरण की प्रथम अवस्था में प्रवेश कर गया। प्रथम योजना में तत्कालीन समस्याओं व परिस्थितियों के कारण राज्य का औद्योगीकरण तीव्र गति से नहीं हो पाया लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना से राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। राजस्थान में अनेक उद्योग स्थापित किए गए है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में राज्य का औद्योगिक विकास अधिक नहीं हो पाया है। यहाँ औद्योगिक विकास की पर्याप्त सभावनाए विद्यमान है अत राजस्थान में उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन निर्यातोन्मुखी इकाइयो का स्थापना और विशेष रूप से विद्युत शक्ति के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है। राज्य में टेक्सटाइल चीनी सीमेन्ट, ग्लास सोडियम कीटनाशक कॉस्टिक सोडा और औद्योगिक रसायन, जैसे उद्योग आदर्श रूप में स्थापित किए जा सकते है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान में निर्यात सवर्द्धन क्षेत्र स्थापित किए जा सकते है। राज्य में औद्योगीकरण का समुचित ढांचा विद्यमान है। यहाँ प्राय सभी प्रकार की अनुकूलताए भी विद्यमान है। अत राज्य के अनेक क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकता है। इससे विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में सुविधा होगी। यह हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डे का सहायक भी हो सकता है। राज्य में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करके तथा कार्यदिवसों में कमी करके राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में प्रतियोगितात्मक स्थिति में आ सकता है। इसके लिए प्रबधकों को श्रमशक्ति सहित ईस्तग्रत संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे विदेशी निवेश के आकर्षित होने की सम्भावना भी बढ़ जाएगी। राज्य में जिस प्रकार के प्राकृतिक स्रोत विद्यमान है उन्हें देखते हुए यह देश के ही नहीं वरन् विदेश के उद्योगपतियों को भी आकर्षित करने में सक्षम है।

व्यापार एवं उद्योग को गति प्रदान करने के लिए अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आर्थिक नीति में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए श्रम कानूनों में भी सुधार किया जाना चाहिए। भारत सरकार की तरह राज्यस्तर पर भी औद्योगिक नीति में उदारीकरण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। रीको राजस्थान वित्त निगम उद्योग निदेशालय तथा ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रयासों से राज्य में औद्योगिक निवेश के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए है। पैट्रोकैमिकल क्षेत्र की प्रमुख कम्पनी स्पिक ने राजस्थान में 70 करोड़ रुपए की लागत से फूड ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड सयत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य में रॉक फॉस्फेट के प्रचुर भण्डार उपलब्ध है। अत इस कम्पनी के भावी विकास की पर्याप्त सम्भावनाए विद्यमान हैं। इसी प्रकार कार्बोरण्डम यूनीवर्सल लिमिटेड ने राजस्थान में 100 करोड़ रुपए की लागत की रिफ्रेक्टरी इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। प्रमुख कपड़ा उत्पादक बिन्नी लिमिटेड ने भी सीमेन्ट क्षेत्र में प्रवेश की इच्छा प्रकट की है। यह कम्पनी राजस्थान में 10 करोड़ रुपये की लागत से एक सीमेन्ट कारखाना स्थापित करना चाहती है। मद्रासी सीमेन्ट लिमिटेड ने भी राजस्थान में 350 करोड़ रुपये की लागत से पोर्टलैण्ड सीमेन्ट उत्पादन की एक परियोजना बनाई है। तूतीकोरन अल्कालिज भी राजस्थान में 500 करोड़ रुपये की लागत का एक सोडा-ऐश कारखाना स्थापित करना चाहती है। इसके अतिरिक्त अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनिया भी राज्य में अपने उद्योग स्थापित करना चाहती है। राजस्थान में औद्योगीकरण की आवश्यकता एवं महत्व को अग्रलिखित बिन्दुओं के तहत स्पष्ट किया जा सकता है।

राजस्थान में आय एवं रोजगार की दृष्टि से औद्योगीकरण का महत्व

IMPORTANCE OF INDUSTRIALIZATION FROM INCOME & EMPLOYMENT POINT OF VIEW

1. उद्योगों का कुल राज्यीय आय में भाग

Contribution of Industries in SDP of *Rajasthan*

राज्य की अधिकाश आय कृषि व उससे सम्बन्धित कार्यों से होती है। राज्यीय आय में उद्योगों का भाग कृषि क्षेत्र

कैथून में कोटा डोरिया, नागौर में हाथ के औजार तथा बीगोद व डीग आदि में लुहारी उद्योग के कुशल दस्तकार व श्रमिक उपलब्ध हैं।

6 अनुकूल औद्योगिक नीति (Favourable Industrial Policy)- राज्य के औद्योगिक विकास के इतिहास में 1990 की नई औद्योगिक नीति विकासोन्मुखी सिद्ध हो रही है। इस नीति में आय-वृद्धि, रोजगार के अवसर बढ़ाने, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने भारत सरकार की औद्योगिक नीति, 1991 को ध्यान में रखकर कार्यप्रणाली को सरल एवं उदार बनाया है। 50 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत करने तथा वितरित करने के अधिकार जिलास्तर तक दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक इकाई स्थापित करने के लिए राज्यस्तरीय समिति से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भू-आवंटन हेतु एक लाख-डॉड जारी करने के अधिकार जिला उद्योग केन्द्र को दिए गए हैं। इन संशोधनों के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास की गतिविधियाँ तीव्र हुई हैं।

7 मानव-सम्पदा (Human Wealth) राजस्थान की जनसंख्या 4.4 करोड़ है। राज्य की प्रतिव्यक्ति आय भी देश के अनेक राज्यों की तुलना में अधिक है। अत औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य में पर्याप्त श्रमशक्ति विद्यमान है। इसके अतिरिक्त राज्य की जनशक्ति विभिन्न औद्योगिक उत्पादनों के लिए पर्याप्त माँग उत्पन्न करने में भी सक्षम है।

8 वृहद् क्षेत्रफल (Large Area) राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,214 वर्ग किलोमीटर है जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 11 प्रतिशत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश के पश्चात् इसका द्वितीय स्थान है। अनुभव यह बताता है कि विस्तृत क्षेत्रफल विस्तृत सम्भावनाओं का जनक है।

9 पर्याप्त पूँजी (Sufficient Capital) राजस्थान की पूँजी देश के अनेक राज्यों में विनियोजित है। पर्याप्त सुविधाएँ व प्रेरणाएं देकर इस पूँजी के प्रवाह की दिशा राजस्थान की ओर भी मोड़ी जा सकती है। नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार ने विभिन्न रियायतें देकर राज्य के औद्योगीकरण के लिए उद्यमियों को आकर्षित किया है। राज्य में अधिक विनियोजन के लिए सरकार ने उद्यमियों को उदार वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

10 विख्यात उद्यमी (Famous Industrialists) भारत के प्रसिद्ध औद्योगिक घराने, यथा बिड़ला, पोद्दार गोलेछा, साहू जैन आदि, राजस्थान के ही मूल निवासी हैं अत यदि इन्हें प्रेरित किया जाए तो ये राजस्थान के प्रभावी औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

11 प्राकृतिक गैस व तेल के वृहद् भण्डारों की सम्भावना (Possibilities of Large Deposits of Oil & Natural Gas) जैसलमेर से 180 किलोमीटर दूर घोटारू नामक स्थान पर 10 अप्रैल 1983 को 3554 मीटर की गहराई पर गैस के पर्याप्त भण्डार मिले थे। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने जो खुदाई कार्य आरम्भ किए हैं उनसे भी अच्छे संकेत मिले हैं। गैस का प्रयोग शक्तिगृह स्थापित करने, लघु उद्योगों के लिए व खाना पकाने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध होते हुए भी कुछ बाधाओं के कारण औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। सरकार की वर्तमान औद्योगिक एवं खनिज नीति राजस्थान के औद्योगीकरण के उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करती है।

राजस्थान में उद्योगों का क्षेत्रीय वितरण / फैलाव / असमानताएं

REGIONAL SPREAD OF INDUSTRIES

1 राजस्थान की औद्योगिक स्थिति

प्राप्त रिटर्न्स के आधार पर- 1993-94

अ राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रमुख जिले 1993-94

1 जयपुर	4 जोधपुर
2 पाली	5 उदयपुर
3 गंगानगर	6 भीलवाड़ा

ब राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रमुख जिले 1993-94

1 डूंगरपुर	4 [illegible]
2 जैसलमेर	5 [illegible]
3 जालौर	

स्रोत *Statistical Abstract, Raj 1995*

1993-94 उपलब्ध रिटर्न्स के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि -

1 राज्य में कारखानों का वितरण समान नहीं है।

2 सर्वाधिक कारखाने जयपुर जिले में हैं। तत्पश्चात् क्रमश पाली, गंगानगर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर व बीकानेर जिलों का स्थान है।

3 राजस्थान म उद्योग प्रमुख रूप से खतडी जयपुर क्षेत्र मकराना-अजमेर ब्यावर क्षेत्र अलवर क्षेत्र भीलवाडा चित्तौडगढ क्षेत्र कोटा बूंदी सवाईमाधोपुर क्षेत्र उदयपुर क्षेत्र व नाकारा क्षेत्र म केन्द्रित हैं

4 राज्य के डूंगरपुर जालोर जैसलमेर व धौलपुर जिलों का औद्योगिक दृष्टि से बहुत कम विकास हुआ है ।

5 टोंक सिरोही सीकर सवाईमाधोपुर झालावाड बाडमेर बांसवाडा चूरू आदि जिलों में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है अत अन्य जिलों की तुलना मे इन जिलों का भावी औद्योगिक विकास अधिक नहीं हो पाया है।

2 राजस्थान म उत्पादक पूंजी की स्थिति

अ पंजीकृत उद्योगों मे सर्वाधिक पूंजी विनियोजन वाले प्रमुख जिले 1993 94			
1	जयपुर	3473	करोड रु
2	[illegible]	1376	करोड रु
3	[illegible]	1156	करोड रु
4	उदयपुर	1069	करोड रु
5	चित्तौडगढ	946	करोड रु
ब पंजीकृत उद्योगों में न्यूनतम पूंजी विनियोजन वाले प्रमुख जिले 1993 94			
1	जैसलमेर	2 42	करोड रु
2	[illegible]	4 6	करोड रु
3	[illegible]	5 3	करोड रु
4	जालोर	6 7	
	स्रोत	[illegible]	Ra 996

राजस्थान के विभिन्न पंजीकृत उद्योगों मे 1993 94 में 5065 81 करोड रुपय की पूंजी लगी हुई थी पूंजी विनियोजन की दृष्टि से भी राज्य म अत्यधिक विषमता दृष्टिगोचर होती है। इस तथ्य का ज्ञान निम्न तथ्यों से होता है

1 राजस्थान में 1993 94 म पंजीकृत उद्योगों म कुल पूंजी विनियोजन का लगभग 40 प्रतिशत भाग केवल जयपुर जिले म विनियोजित था इस तथ्य स ज्ञात होता है कि राज्य में पूंजी विनियोजन की दृष्टि स अत्यधिक आर्थिक विषमता विद्यमान है।

2 राज्य म सबसे कम पूंजी जैसलमेर जिले म विनियोजित है जबकि पूंजी की दृष्टि स जालोर चूरू जैसलमेर सवाईमाधोपुर डूंगरपुर धौलपुर बांसवाडा बाडमेर आदि जिलों म बहुत कम विकास हुआ है ।

3 जयपुर के अतिरिक्त चित्तौडगढ कोटा उदयपुर अजमेर आदि जिलों म भी पर्याप्त पूंजी विनियोजित की गई है ।

दिसम्बर 1997 में 1 90 704 लघु उद्योग स्थापित हो चुके थे जिनमें 2184 43 करोड रुपये की पूंजी विनियोजित थी। ये लघु उद्योग 7 3 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ करा रहे थे।[1]

3 औद्योगिक उत्पादन एव आदान

अ सर्वाधिक सकल औद्योगिक उत्पादन वाले प्रमुख जिले 1993 94			
1	जयपुर	3633	करोड रुपये
2	[illegible]	1561	करोड रुपये
3	कोटा	1401	करोड रुपये
4	उदयपुर	1241	करोड रुपये
5	भीलवाडा	1075	करोड रुपये
ब सर्वाधिक सकल आदानों के प्रयोग वाले प्रमुख जिले 1993 94			
1	जयपुर	2566	करोड रुपये
2	[illegible]	1267	करोड रुपये
3	[illegible]	1123	करोड रुपये
4	[illegible]	913	करोड रुपये
	(स्रोत S [illegible] stical Abst ac Raj 1996)		

सकल आदान व सकल उत्पादन के आकडों स स्पष्ट होता है कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्र म अत्यधिक विषमता व्याप्त है। इस तथ्य की जानकारी निम्न तथ्यों से होती है

1 राजस्थान के पंजीकृत उद्योगों ने 1993 94 म 11013 करोड रुपये के विभिन्न आदानों का प्रयोग करके 13957 करोड रुपये का उत्पादन किया [2]

2 सर्वाधिक मूल्य के आदानों का प्रयोग जयपुर जिले द्वारा किया गया राज्य म सर्वाधिक मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन भी इसी जिले द्वारा किया गया

3 अनेक जिलों म अपेक्षाकृत कम मूल्य के आदानों का प्रयोग करके अपेक्षाकृत अधिक मूल्य का उत्पादन प्राप्त किया ।

4 कुछ जिलों जैसे चूरू धौलपुर जैसलमेर जालोर आदि ने बहुत कम आदानों का प्रयोग किया और उनका उत्पादन भी कम रहा

5 आदान व उत्पादन की दृष्टि स भी राज्य म आर्थिक विषमता की स्थिति दृष्टिगोचर होती है ।

राजस्थान मे औद्योगिक विकास की जिलावार क्षेत्रीय असमानताए व वर्तमान स्थिति[3]

DISTRICTWISE REGIONAL DISPARITIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & PRESENT SITUATION OF RAJASTHAN

राजस्थान के कुछ क्षेत्रों म औद्योगिक विकास म तीव्र गति से वृद्धि हुई है तो कुछ क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि स पिछड गए हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों की

1 Economic Review 1997 98 Ra 2 S a s a Abs ac Ra 3 Econom R w 1997 98 [illegible] han & S a ica Ab e Ra a an 996

समीक्षा कर औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति व विषमता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

1 अजमेर जिला (Ajmer District) 1993-94 में अजमेर में 8 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका क्षेत्रफल 732 87 एकड था इसमे से 377 95 एकड का विकास किया जा चुका था। अजमेर जिले की औद्योगिक बस्तियों में माखुपुरा दादुपुरा परबतपुरा एच एम टी ,ब्यावर किशनगढ केकडी और विजयनगर हैं। अजमेर जिले की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों मे से वैगन एण्ड वेगन वर्कशॉप, एच एम टी , एडवर्ड मिल्स महालक्ष्मी मिल्स व कृष्णा मिल्स प्रमुख हैं।

2 टोंक जिला (Tonk District) 1993-94 में टोंक जिले मे 4 औद्योगिक क्षेत्र थे। इनका कुल क्षेत्रफल 328 30 एकड था जिसमें से 163 17 एकड क्षेत्र का विकास किया जा चुका था। इस जिले में मालपुरा टोक, निवाई आदि औद्योगिक क्षेत्र हैं। रीको द्वारा निवाई (टोक) में एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र मिनी ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किया गया है।

3 उदयपुर जिला (Udaipur District) 1993-94 में उदयपुर जिले में 6 औद्योगिक बस्तिया थी। इनका कुल क्षेत्रफल 1308 54 एकड था। जिसमे से 765 78 एकड का विकास किया जा चुका था। राजनगर सुखेर मेवाड फतहनगर आदि जिले की औद्योगिक बस्तिया हैं। इस जिले मे कपास कताई मिल शराब फैक्ट्री, जिंक स्मेल्टर, लकडी के खिलौने बनाने के कारखाने तथा रसायन व औषधियों के निर्माण के कारखाने है। उदयपुर सूती मिल व आयुर्वेद सेवाश्रम प्राइवेट लिमिटेड यहाँ के प्रमुख सस्थान है। इसके अतिरिक्त सीमेंट व चूने मे अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। लोहे व स्टील की ढलाई के द्वारा बर्तनों का निर्माण भी किया जाता है। रीको द्वारा कालरवास (उदयपुर) मे एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र स्वीकृत किया गया है।

4 जोधपुर जिला (Jodhpur District) 1993-94 में जोधपुर जिले मे 12 औद्योगिक बस्तियाँ थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 2323 41 एकड था। इसमें से 2245 29 एकड क्षेत्रफल का विकास किया जा चुका था। जिले में मथानिया फलोदी मण्डोर प्रिंचन, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया बोरून्दा मण्डोर भोपाल की कोठी आदि औद्योगिक बस्तिया थीं। उत्तर रेलवे कार्यशाला जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक सस्थान है। जिले में जोधपुर कॉटन मिल्स हीरा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड एम्बा कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक लिमिटेड आदि प्रमुख सस्थान है। जिले में सूती वस्त्र, खाद्य तेल, रसायन निर्माण आदि के कारखाने भी कार्यरत है। लघु उद्योगों का विकास करने हेतु राज्य में इंजीनियरिंग व प्लास्टिक उद्योगों का एक इंजीनियरिंग कॉम्पलैक्स निर्मित किया गया है। रीको द्वारा 5 करोड रुपये की लागत से जोधपुर में एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र (मिनी ग्रोथ सेंटर) विकसित किया जा रहा हे ।

5 कोटा जिला (Kota District) 1993-94 में कोटा जिले में 12 औद्योगिक बस्तियां थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 2279 11 एकड था। इसमें से 2140 27 एकड का विकास किया जा चुका था। जिले मे सुमरगंज मण्डी, गोविन्दपुर बावडी इन्द्रप्रस्थ रेल्वे क्रॉसिंग, रामगंज मण्डी आदि औद्योगिक बस्तिया थीं। यह जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से उन्नत है। यहा श्रीराम रेयन्स जे के सिन्थेटिक्स लिमिटेड, ओरियन्ट पॉवर केबिल्स, श्रीराम वायनिल एण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज आदि प्रमुख औद्योगिक सस्थान हैं। भारत सरकार द्वारा कोटा मे सूक्ष्म यत्र बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है। यहाँ दूध की बोतलो का निर्माण, चावल व दाल मिलें खाण्डसारी व तेल का उत्पादन, वस्त्र निर्माण सम्बन्धी कारखाने पत्थरों का निर्माण कागज बोर्ड का निर्माण प्लास्टिक के सामान का निर्माण रासायनिक खाद का निर्माण, सीमेंट व चूना फर्नीचर भारी मशीनें कृषि उपकरण आदि के कारखान हैं।

6 नागौर जिला (Nagaur District) 1993-94 में नागौर जिले में 3 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 383 87 एकड था इसमे से 383 87 एकड क्षेत्र का विकास किया जा चुका था। मकराना नागौर व मेड़ता सिटी जिले की औद्योगिक बस्तिया है। कारखाने मुख्यत मार्बल चूना नमक प्रिंटिंग प्रेस ऑयल मशीन, इंजीनियरिंग वर्क्स बसों के निर्माण कैमिकल्स वर्क्स, ऊनी मिल, फर्नीचर तथा प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण से सम्बन्धित थे। रीको द्वारा 5 करोड रुपये की लागत से नागौर में एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र (मिनी ग्रोथ सेंटर) विकसित किया जा रहा है।

7 जैसलमेर जिला (Jaisalmer District) 1993-94 मे जैसलमेर जिले मे 3 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 161 86 एकड था। इसमे से 52 66 एकड का विकास किया जा चुका था। इस जिले की प्रमुख औद्योगिक बस्ती जैसलमेर ही है। कारखाने मुख्यत पत्थर खुदाई व दुग्ध उत्पादन से सम्बन्धित थे।

8 जालौर जिला (Jalore District) 1993-94 में

जालौर जिले में 4 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 393 40 एकड़ था। इसमें से 128 82 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में बिशनगढ़ सांचौर व जालौर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। कारखाने मुख्यतः दुग्ध बोतल निर्माण तेल मिलें सूती वस्त्रों की बुनाई लकड़ी का काम मुद्रण व प्रकाशन तथा उत्पादन के कार्यों से सम्बन्धित थे।

9 झालावाड़ जिला (Jhalawar District) 1993 94 में झालावाड़ में 9 औद्योगिक बस्तियां थी जिनका कुल क्षेत्रफल 787 38 एकड़ था। इसमें से 4 20 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में झालरापाटन भवानी मण्डी झालावाड़ आदि औद्योगिक बस्तियां थी। कारखाने में मुख्यतः घी व तेल उत्पादन कॉटन क्लीनिंग कॉटन जिनिंग व बेलिंग बिटिंग मशीनों के निर्माण स्टोन टेंमिंग एण्ड क्रशिंग तथा स्टोव निर्माण से सम्बन्धित थे। केन्द्र सरकार ने 22 अक्टूबर 1989 की विकास केन्द्रों की नीति के अन्तर्गत झालावाड़ का 30 करोड़ रुपये की लागत से विकास किया जा रहा है।

10 झुंझुनू जिला (Jhunjhunu District) 1993 94 में झुंझुनू जिले में 4 औद्योगिक बस्तियां थी जिनका कुल क्षेत्रफल 253 73 एकड़ था इसमें से 173 67 एकड़ का विकास जा चुका था। जिले में पिलानी चिड़ावा झुंझुनू व सिंघाणा (खेतड़ी) औद्योगिक बस्तियां थी। क्षेत्रीय खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स तथा तांबा परियोजना इस जिले के प्रमुख औद्योगिक संस्थान है। इस जिले में शीतल कोल्ड ड्रिंक्स लकड़ी का काम बेसिक हैवी आर्गेनिक कैमिकल्स इनार्गेनिक फर्टिलाईजर आदि के पंजीकृत कारखाने थे।

11 डूंगरपुर जिला (Dungarpur District) 1993 94 में डूंगरपुर जिले में 2 औद्योगिक बस्तियां थी जिनका कुल क्षेत्रफल 75 60 एकड़ था इसमें से 54 93 एकड़ क्षेत्रफल का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में औद्योगिक बस्तियां सागवाड़ा व डूंगरपुर है कारखाने सीमेंट उत्पादन तथा रिपेयर आफ मोटरसाईकिल एण्ड मोटर साईकिल से सम्बन्धित थे।

12 गंगानगर जिला (Ganganagar District) 1993 94 में गंगानगर जिले में 15 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 1482 83 एकड़ था। इसमें से 779 17 एकड़ का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सूरतगढ़ गजसिंहपुर रायसिंहनगर पदमपुर सादुलशहर नोहर अनूपगढ़ आदि औद्योगिक बस्तियां थी। इस जिले में सार्दुल टैक्सटाइल्स मिल्स गंगानगर शुगर मिल्स डिस्टिलरी गंगानगर फर्टिलाईजर्स कॉर्पोरेशन तथा गुप्ता इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन आदि प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं। कारखाने मुख्यतः दाल चीनी मैटल आयरन फर्नीचर मिल तथा उत्पादन आदि से सम्बन्धित थे।

13 जयपुर जिला (Jaipur District) 1993 94 में जयपुर जिले में 19 औद्योगिक बस्तियां थी जिनका कुल क्षेत्रफल 4131 72 एकड़ था। इसमें से 2893 22 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में विश्वकर्मा झोटवाड़ा मालवीय सुदर्शनपुरा बगरू सांगानेर शाहपुरा दौसा कालाडेरा दूदू फुलेरा कानोता जैतपुरा आदि औद्योगिक बस्तियां थी। जिले में इंजीनियरिंग उद्योग मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड सांभर लिमिटेड पोद्दार स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड राजस्थान इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा जयपुर मैटल एण्ड इलैक्ट्रिकल्स आदि प्रमुख औद्योगिक संस्थान है। इस जिले में अनेक प्रकार के छोटे एवं बड़े आकार के उद्योगों का विकास हुआ है। देश का प्रथम निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (EPIP) की स्थापना जयपुर के सीतापुरा में 47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा चुका है। निर्यातोन्मुखी इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

14 चित्तौड़गढ़ जिला (Chittorgarh District) 1993 94 में चित्तौड़गढ़ जिले में 7 औद्योगिक बस्तियां थी जिनका कुल क्षेत्रफल 605 98 एकड़ था। इसमें 406 73 एकड़ क्षेत्रफल का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा कपासन आदि औद्योगिक बस्तियां थी। इस जिले में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ जे के सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा मेवाड़ शुगर मिल्स भूपालसागर तथा मेहता वजिटेबिल प्रोडक्ट्स चन्देरिया आदि प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं कारखाने मुख्यतः गारमेन्ट्स प्रिंटिंग एण्ड टाईज वाश्ड मिल्स स्टोन क्रशिंग सीमेन्ट कंक्रीट एग्रो मशीनरी तथा पाइप निर्माण आदि से सम्बन्धित थे।

15 चुरू जिला (Churu District) 1993 94 में चुरू जिले में 6 औद्योगिक बस्तियां थी जिनका कुल क्षेत्रफल 556 96 एकड़ था इसमें से 259 68 एकड़ क्षेत्रफल का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। यहां सरदारशहर रतनगढ़ चुरू सुजानगढ़ सादुलपुर आदि औद्योगिक बस्तियां थी। ये कारखाने मुख्यतः दूध (डिब्बाबंद) व खाद्य तेल गम गार्मेंट पापड़ भुजिया प्रकार बरतन व ऊन आदि वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित थे।

16 धौलपुर जिला (Dholpur District) 1993 94 मे धौलपुर जिले में 4 औद्योगिक बस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 351 64 एकड था। इसमें से 98 42 एकड क्षेत्रफल का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले के औद्योगिक क्षेत्र धौलपुर व बाडी है। धौलपुर का काँच उद्योग प्रसिद्ध है। यहा धौलपुर ग्लास वर्क्स हाईटैक ग्लास फैक्ट्री तथा राजस्थान एक्सप्लोसिव एव कैमिकल लिमिटेड प्रमुख औद्योगिक सस्थान है। जिले में फायरबर्ग विद्युत उत्पादन दाल व तेल मिल प्रिंटिंग प्रेस तथा बर्फ फैक्ट्री आदि औद्योगिक इकाइया कार्यरत है। धौलपुर को केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 30 करोड रुपये की लागत से औद्योगिक विकास केन्द्र के रूप मे विकसित किया जा रहा है।

17 भीलवाडा जिला (Bhilwara District) 1993 94 में भीलवाडा में 6 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 619 24 एकड था। इसमें से 379 82 एकड क्षेत्रफल का विकास किया जा चुका था। इस जिले मे भीलवाडा जहाजपुर बिगोद रायला आदि औद्योगिक बस्तिया थी। भीलवाडा राज्य का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बनता जा रहा है। यहा सूती वस्त्र मिलें ऊनी मिल स्पिनिंग एव वीविंग मिल वनस्पति घी के कारखाने अभ्रक आरा मशीन ईंटो का उद्योग दाल फैक्ट्री आदि औद्योगिक इकाइया है।

22 अक्टूबर 1989 की केन्द्र सरकार की नीति (विकास केन्द्रो की स्थापना) के अनुसार भीलवाडा का भी विकास केन्द्र के लिए चयन किया गया। इस क्षेत्र में 30 करोड रुपये की लागत से जल विद्युत परिवहन व सचार आदि सरचनात्मक सुविधाए विकसित की जाएगी और वस्त्र नगरी के रूप मे इसका विकास किया जायगा।

18 बीकानेर जिला (Bikaner District) 1993 94 मे बीकानेर जिले में 7 औद्योगिक बस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 1390 03 एकड था। इसमे से 512 95 एकड का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में बिछवाल नापासर लूनकरणसर आदि औद्योगिक बस्तिया थी। ऊनी डयंग तथा ऊन बूलन मिल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक सस्थान है। इस जिले मे बिजली के उपकरण बैटरी का निर्माण परिष्कृत जल आयुर्वेदिक फार्मेसी तथा ऊन धुलन व रसायन आदि बनाने के कारखाने है।

22 अक्टूबर 1989 को विकास केन्द्रो की केन्द्र प्रवर्तित नीति के अन्तर्गत बीकानेर का भी चयन किया गया है। इस विकास केन्द्र पर 30 करोड रुपए की लागत से सरचनात्मक सुविधाए विकसित की जाएगी।

19 बूदी जिला (Bundi District) 1993 94 में बूदी जिले में 5 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 151 76 एकड था। इसमें से 71 22 एकड का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले मे बूदी (वी सी आर) बूदी (बी एन आर), बूदी (बी पी आर) आदि औद्योगिक बस्तिया थी। इस जिले में सीमेंट के दो प्रमुख कारखाने लाखेरी मे कार्यरत है। जिले मे मुख्यत तेल मिलें चावल मिलें पावरलूम आदि औद्योगिक सस्थान कार्यरत है।

20 अलवर जिला (Alwar District) 1993 94 में 10 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 6043 11 एकड था। इसमें से 4169 07 एकड का विकास किया जा चुका था। इस जिले की औद्योगिक बस्तियों में भिवाडी शाहजहापुर, खैरथल बहरोड मत्स्य राजगढ व खेरथल है। राठी अलॉयज एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड जयपुर सिन्थेटिक, मॉडर्न सिन्थेटिक इण्डिया लिमिटेड, अरावली फार्म ट्रिक्स लिमिटेड सुपर टूल्स इण्डिया भारत एलम्स एण्ड कैमिकल लिमिटेड अलवर इजन प्लान्ट तथा यूनिवर्सल मिलगड्र लिमिटेड आदि जिले के प्रमुख औद्योगिक सस्थान है। देश का दूसरा निर्यात सवद्धन औद्योगिक पार्क भिवाडी (अलवर) में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इसकी लागत लगभग 55 34 करोड रुपय होगी।

21 बासवाडा जिला (Banswara District) 1993 94 में बासवाडा जिले मे 4 औद्योगिक क्षेत्र थे। जिले का कुल औद्योगिक क्षेत्र 366 08 एकड था। जिसमें से 207 13 एकड का विकास किया जा चुका था। कुशलगढ यहा की प्रमुख औद्योगिक बस्ती है। इस जिले में कॉटन जिनिंग एण्ड बेलिंग खाने योग्य तेल व घी सिलाई उद्योग गैमशक्ति आपूर्ति राइस मीलिंग स्टोन कटिंग एव क्रशिंग सिन्थेटिक फाइबर्स दवाइयो का निर्माण आदि पजीकृत कारखाने है।

22 बाडमेर जिला (Barmer District) 1993 94 में बाडमेर जिले में 5 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 733 80 एकड था। इसमें से 383 89 एकड का विकास किया जा चुका था। इस जिले मे बाडमेर बालोतरा समदडी आदि औद्योगिक क्षेत्र थे। कॉटन जिनिंग एण्ड बेलिंग डाइग एण्ड प्रिंटिंग आफ कॉटन टैक्सटाइल आयल मिल प्रिंटिंग प्रेस मिलन एव फिनिशिंग निर्माण तथा यमित्र हैवी इलेक्ट्रिक कैमिकल्स आदि पजीकृत कारखाने थे।

23 भरतपुर जिला (Bharatpur District) 1993 94 म भरतपुर जिले म 5 औद्योगिक बस्तिया थीं। जिनका कुल क्षेत्रफल 511 50 एकड था। इसमे से 398 44 एकड क्षेत्रफल का विकास किया जा चुका है। भरतपुर डीग व बयाना आदि इस जिले की औद्योगिक बस्तिया हैं। परफैक्टम पाटीज लिमिटेड तथा सैन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (सिमको) इस जिले के प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं। कारखाने मुख्यत दूध व दूध से बना वस्तुए दाल मिल खाद्य तेल बर्फ टायर ट्यूब आयुर्वेदिक व यूनानी रसायन आयरन एण्ड स्टील आदि से सम्बन्धित थे

24 पाली जिला (Pali District) 1993 94 में पाली जिले में 9 औद्योगिक बस्तिया थीं। इनका कुल क्षेत्रफल 829 18 एकड था। इसमें से 829 18 एकड का विकास किया जा चुका था जिले मे मारवाड सिटी मारवाड जक्शन सुमेरपुर पाली मण्डिया रोड तख्तगढ आदि प्रमुख औद्योगिक बस्तिया है कारखाने मुख्यत दुग्ध बोतलों का निर्माण खाद्य तेल शक्कर निर्माण छाता व वस्त्र निर्माण लकडी का काम पत्ता का निर्माण पेपर बोर्ड गत्ते का निर्माण रसायन व औषधियो का निर्माण विद्युत लैम्प का निर्माण पेन व बाल पेन का निर्माण रेडियो निर्माण आदि से सम्बन्धित है

25 सवाईमाधोपुर जिला (Sawai Madhopur District) 1993 94 मे सवाईमाधोपुर जिले मे 8 औद्योगिक बस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 606 48 एकड था। इसमें से 468 75 एकड का विकास किया जा सका था। जिले म गगापुर सिटी खेरडा रोड हिण्डौन रणथम्भौर आदि औद्योगिक बस्तिया थी जिले मे चावल मिलें दाल मिल खाद्य तेल मिलें लकडी का काम प्रिंटिंग प्रेस सीमेंट निर्माण सीमेंट की वस्तुओं का निर्माण आदि उद्योग कार्यरत थे।

26 सीकर जिला (Sikar District) 1993 94 म सीकर जिले म 6 औद्योगिक बस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 431 56 एकड था। इसम से 288 97 एकड का विकास किया जा चुका था। जिले म सीकर खण्डेला श्रीमाधोपुर रामगढ नामकथाना आदि औद्योगिक बस्तिया थीं। ये कारखाने चर्म उत्पादन खाद्य तेल का उत्पादन खादी उत्पादन चूना व पत्थर आदि वस्तुओ के निर्माण से सम्बन्धित थे।

27 सिरोही जिला (Sirohi District) 1993 94 म सिरोही जिले में 7 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 818 02 एकड था। इसमें से 724 80 एकड का विकास किया जा चुका था। शिवगज सिरोही रोड स्वरूपगज आबूरोड मण्डार सिरोही आदि इस जिले की प्रमुख औद्योगिक बस्तिया है। कारखाने तेल दाल व खाद्य पदार्थों का निर्माण कपास की सफाई व गाठे बनाने कपडे व रेशम की रगाई सूती वस्त्रों की बुनाई लकडी का काम मुद्रण व प्रकाशन प्लास्टिक का उत्पादन पत्थरो की कटाई व छटाई सीमेंट व कक्रीट का उत्पादन तथा विद्युत उत्पादन आदि से सम्बन्धित थे। भारत सरकार ने 22 अक्टूबर 1989 को विकास केन्द्रो की नीति के अन्तर्गत आबूरोड का चयन किया है। इस क्षेत्र म 30 करोड रुपये की लागत से सरचनात्मक सुविधाओ का विस्तार किया जाएगा।

28 बारा जिला (Baran District) 1993 94 में बारा जिले म 2 औद्योगिक बस्तिया थी जिसका कुल क्षेत्रफल 211 16 एकड था। इसम से विकसित किये गये क्षेत्र के आकडे उपलब्ध नहीं हैं।

29 दौसा जिला (Dausa District) 1993 94 में दौसा जिले मे 6 औद्योगिक क्षेत्र थे। इनका कुल क्षेत्रफल 490 93 एकड था। इसमे से 291 38 एकड का विकास किया गया।

30 राजसमन्द जिला (Rajsamand District) 1993-94 म राजसमन्द जिले में 2 औद्योगिक क्षेत्र थे। इनका कुल क्षेत्रफल 278 49 एकड था। इसमें से 191 73 एकड का विकास कार्य हाथ में लिया गया।

31 हनुमानगढ जिला (Hanumangarh District) हाल ही म गगानगर जिले को विभाजित कर अलग किए गए इस जिले के पृथक से आकडे उपलब्ध नहीं है।

32 करौली जिला (Karauli District) हाल ही में सवाईमाधोपुर जिले को विभाजित कर बनाये गये इस नये जिले के पृथक आकडे उपलब्ध नहीं हैं।

राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन[1]

राज्य में चयनित महत्वपूर्ण वस्तुओं के वर्ष 1997 एव 1998 के उत्पादन की तुलनात्मक स्थिति निम्नांकित सारणी में दर्शाई गई है।

1 Economic Review, 1997 98 Rajasthan

चयनित मदों का औद्योगिक उत्पादन

क्र.स.	मद	इकाई	उत्पादन 1997	उत्पादन 1998 (प्रावधानिक)	1996 की तुलना में 1997 से प्रतिशत वृद्धि / कमी
1	शक्कर	टन	26375	58695	+122 54
2.	स्प्रिट (सभी प्रकार)	000 लीटर	24525	29278	+19 38
3	वनस्पति घी	टन	24995	24935	0 20
4	नमक	लाख टन	12	11	-8 33
5	यूरिया	000 टन	398	385	3 27
6	सुपर फॉस्फेट	000 टन	25	9	-64 00
7.	सीमेन्ट	000 टन	6493	6206	-4 17
8	अभ्रक की ईंटें	000 संख्या	472	202	57 20
9	जस्ते की छड़ें	000 टन	90	104	+15 56
10	कैडमियम अंतिम उत्पाद	टन	149	154	+3 36
11	रेल्वे वैगन	संख्या	1754	1700	-2 57
12	बाल बियरिंग	लाख संख्या	228	214	-6 14
13	पानी के मीटर	संख्या	40770	40883	+19 88
14	रेडियेटर्स	संख्या	4186	1839	-56 07
15	लेपित एवं पुनः लेपित पत्थर	000 स्क्वायर मीटर	167	165	-1 20
16	बिजली के मीटर	लाख संख्या	4 80	1 95	59 36
17	नायलोन धागा	टन	2121	-	--
18	पोलिएस्टर धागा	टन	4473	-	--
19	कास्टिक सोडा	टन	38767	39735	+2 50
20	कैलशियम कार्बाइड	टन	37951	35677	-5 99
21	पी.वी.सी. रेजिन	टन	29318	25458	13 17
22	पी.वी.सी. कम्पाउण्ड	टन	3199	5030	57 24
23	सल्फ्यूरिक एसिड	000 टन	213	249	16 90
24	कॉपर कैथोड्स	टन	26238	26232	-0 02
25	सूती कपड़ा	लाख मीटर	505	472	6 53
26	सूती धागा	000 टन	77	75	-2 60

Source Economic Review, 1998 99, Govt of Rajsthan

उपरोक्त सारणी से प्रकट होता है कि वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में चयनित वस्तुओं के उत्पादन में मिश्रित प्रवृत्ति रही।

राजस्थान के वृहद् उद्योग

LARGE SCALE INDUSTRIES IN RAJASTHAN

राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में 11 वृहद् इकाइयां और 207 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीयाँ थी।[1] मार्च, 1998 में वृहद् एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों की संख्या 531 थी जिनमें 13740 करोड़ रुपये विनियोजित थे और 1 70 लाख व्यक्ति कार्यरत थे।[2] राजस्थान के प्रमुख वृहद् उद्योग निम्न प्रकार है -

राजस्थान के वृहद् उद्योग मुख्यतः कृषि एवं खनिज सम्पदा पर आधारित हैं। राज्य के इन उद्योगों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है-

अ कृषि पर आधारित उद्योग (Agriculture Based Industrels)
1 सूती वस्त्र उद्योग
2. चीनी उद्योग
3 वनस्पति घी उद्योग

ब खनिजों पर आधारित उद्योग (Mineral Based Industries)
1 सीमेंट उद्योग
2. नमक उद्योग
3 कांच उद्योग
4 संगमरमर उद्योग
5 [illegible] उद्योग

स अन्य उद्योग (Other Industries)
1 ऊन उद्योग
2. इंजीनियरिंग उद्योग
3. रसायनिक उद्योग

1 Draft Ninth Five Year Plan, 1997 2002, Govt. of Raj
2. Economic Review, 1998-99 Govt. of Raj.

(अ) कृषि पर आधारित उद्योग
Agriculture-Based Industries
सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industries)

1 इतिहास एवं विकास (History & Development) सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का अति प्राचीन उद्योग है। प्रारम्भ में यह उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था लेकिन राज्य में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना के पश्चात् यह दोनों ही रूपों में विद्यमान है। लघु उद्योग के रूप में यह मुख्यत दरियों, निवार आदि वस्तुओं के निर्माण तक ही सीमित रह गया है। राजस्थान राज्य के बड़े उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है लेकिन देश के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग काफी पिछड़ा हुआ है।

राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास 19 वीं शताब्दी के अंत में प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम ब्यावर नगर में सन् 1889 ई में दी कृष्णा मिल्स लि की स्थापना की गई। इसके पश्चात् ब्यावर नगर में ही सन् 1908 और 1925 में क्रमश एडवर्ड मिल्स लिमिटेड तथा महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। सन् 1938 में मेवाड टैक्सटाइल्स मिल्स, भीलवाडा तथा 1942 में महाराज उम्मेद मिल्स लिमिटेड, पाली की स्थापना हुई। 1946 में सार्दुल टैक्सटाइल्स लिमिटेड गगानगर की स्थापना की गई। कृष्णा मिल्स व एडवर्ड मिल्स, ब्यावर रुग्ण इकाइया घोषित कर दी गई। अत इनकी प्रबन्ध व्यवस्था को राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंप दिया गया। इस प्रकार ये मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित हो गईं। इसके पश्चात् राज्य में बीकानेर उदयपुर, जयपुर, कोटा तथा भवानीमण्डी स्थानों पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। वर्ष 1956 में जब अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया राजस्थान में 11 सूती वस्त्र मिलें थीं।

2 इकाइयों की सख्या एव इनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में सूती वस्त्र मिलें गगानगर, भीलवाडा, गुलाबपुरा, पाली, जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, कोटा विजयनगर, बीकानेर, उदयपुर, किशनगढ तथा भवानीमण्डी आदि स्थानों पर स्थापित की गई है। राज्य की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें इस प्रकार है

राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें - 1

कृष्णा मिल्स, ब्यावर 2 एडवर्ड मिल्स, ब्यावर 3 महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर 4 कॉटन स्पिनिंग मिल्स, भवानीमडी 5 स्वदेशी कॉटन मिल्स, उदयपुर 6 श्री गोयल इण्डस्ट्रीज, कोटा 7 जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग लिमिटेड, जयपुर 8 विजयनगर कॉटन मिल्स, विजयनगर 9 राजस्थान भीलवाडा मिल्स लिमिटेड, भीलवाडा 10 मेवाड टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भीलवाडा 11 राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, भीलवाडा 12 महाराज उम्मेद मिल्स लिमिटेड, पाली 13 पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर 14 सार्दूल टैक्सटाइल मिल्स, श्रीगगानगर 15 राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गुलाबपुरा भीलवाडा 16 गगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गगापुर 17 गगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गगानगर 18 आदित्य मिल्स, किशनगढ 19 बासवाडा फैब्रिक्स, बासवाडा 20 बासवाडा सिन्टैक्स, बासवाडा 21 मॉडर्न सिन्टैक्स, अलवर 22 राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, खारीग्राम, भीलवाडा 23 सुदर्शन टैक्सटाइल्स, कोटा 24 मॉडर्न थ्रेड्स, रायला भीलवाडा 25 डबी टैक्सटाइल्स, जयपुर 26 भीलवाडा सिन्थेटिक्स, भीलवाडा 27 राजस्थान पॉलियेस्टर्स लिमिटेड, भिवाडी-अलवर 28 आधुनिक पॉलिटैक्स आबूरोड।

सार्दूल टैक्सटाइल लिमिटेड, गगानगर की स्थापना 1946 में की गई। कोटा टैक्सटाइल्स 1956 से श्री निवास कॉटन मिल्स मुम्बई की सहायक कम्पनी के रूप में कार्य कर रही है। राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, भीलवाडा की स्थापना 1960 में की गई थी। आदित्य मिल्स, किशनगढ की स्थापना 1960 में की गई थी। यह मुम्बई में स्थित पोद्दार मिल्स लिमिटेड की इकाई है। जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स भी इसकी सहायक मिल के रूप में कार्य कर रही है। उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर की स्थापना 1961 में की गई। यह स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर की इकाई के रूप में कार्य कर रही है। सन् 1968 में भवानी मण्डी में एक सूती मिल की स्थापना की गई। अत स्पष्ट है कि राज्य का सूती वस्त्र उद्योग मुख्यत ब्यावर, पाली, जयपुर, भीलवाडा, किशनगढ, श्रीगगानगर, विजयनगर, उदयपुर, भवानी मण्डी एवं कोटा में स्थित है।

निम्न तालिका में राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों के विकास को बताया गया है

राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों का विकास[1]

वर्ष	स्पिनिंग मिल्स	कम्पोजिट मिल्स	कुल मिलें	स्थापित क्षमता स्पाइण्डल्स	रोटोर्स	लूम हजारों में	श्रमिकों की संख्या
1982	16	7	23	651	-	2939	40319
1988	26	8	34	824266	-	3024	51543
1994	32	6	38	905368	3080	2232	50613
1995	34	7	41	986116	3944	2262	52330
1996	38	7	45	1084980	8712	2145	66176

Source Statistical Abstract, 1988 1994 & 1996

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि-

1 राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों की सख्या निरन्तर बढ रही है। यह स्थिति राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के पर्याप्त विकास की द्योतक है ।

2 राज्य में कम्पोजिट मिल्स की सख्या में कमी हुई है। इसका प्रमुख कारण राज्य में पूजी का अभाव होना है ।

3 राजस्थान में स्पिनिंग मिल्स की सख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

4 राज्य की मिलों में अनेक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। 1996 के अत में राज्य की 38 मिलों में 56176 व्यक्ति कार्यरत थे।

5 राजस्थान में समस्त सूती व्यवसाय में लगभग दो तिहाई विनियोग राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एव विनियोग निगम लिमिटेड रीको के माध्यम से किया गया है।

3 प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास है। राजस्थान में गगानगर के अतिरिक्त अजमेर, भीलवाडा, झालावाड, चित्तौडगढ, पाली, कोटा, बूदी, बासवाडा आदि जिलों में कपास उत्पन्न की जाती है। सर्वाधिक फसल गगानगर जिले में होती है। गगानगर जिले में श्रेष्ठ किस्म की लम्बे रेशों वाली कपास भी उत्पन्न की जाती है ।

राज्य के गगानगर जिले में सर्वाधिक कपास उत्पन्न होती है। इसके पश्चात् भीलवाडा, बीकानेर, बासवाडा, नागौर, पाली व अजमेर जिले प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। *राज्य की अधिकाश मिले इन्हीं जिलों में स्थापित की* गई है। इन जिलों में कपास के बढते हुए उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि उद्योग का भावी विकास इन्हीं क्षेत्रों में होगा। 1996-97 में राजस्थान में कपास का उत्पादन 13 6 लाख गाठे था[1] राजस्थान कपास उत्पादन की दृष्टि से निरन्तर विकास कर रहा है अत यहा सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है।

राज्य की जनसख्या में स्वतत्रता के पश्चात् तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 1981 में राज्य की कुल जनसख्या 3 42 करोड थी जो बढकर 1991 में 4 40 करोड हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति रोजगार की तलाश में प्राय शहरों में आते है अत राज्य के सूती वस्त्र उद्योग की श्रम सम्बन्धी आवश्यकताए आसानी से पूरी हो जाती है। उद्योग को प्राय सस्ता श्रम प्राप्त होता है।

4 राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्त्व (Factors of Localisation) राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है अत सूती वस्त्र उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। उदाहरण के लिए, श्रीगगानगर में कपास की सर्वाधिक खेती होती है अत *सार्दूल टैक्सटाईल मिल्स, श्रीगगानगर को पर्याप्त* मात्रा में कपास स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो जाता है। भीलवाडा अजमेर, झालावाड, चित्तौडगढ, जयपुर आदि जिलों में भी कपास की पर्याप्त खेती की जाती है। अत इन क्षेत्रों की मिलों को भी कच्चे माल की आवक आसानी से हो जाती है। माही सिचाई परियोजना के फलस्वरूप बासवाडा जिले में सिचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है। अत इस जिले में भी कपास की खेती को प्रोत्साहन मिला है। बासवाडा *फैब्रिक्स को कच्चे माल की प्राप्ति स्थानीय एव बाहरी* दोनो स्रोतों में होती है। इसी प्रकार ब्यावर, विजयनगर व गुलाबपुरा की मिलों को भी स्थानीय स्तर पर ही कपास उपलब्ध हो जाती है ।

राज्य की मिलों को सस्ता श्रम भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति प्राय रोजगार की तलाश में आते है। राज्यों में मिलों की स्थापना प्राय शहरी क्षेत्रों में की गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जल की पर्याप्त पूर्ति है और बैंकिग सुविधाए भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये क्षेत्र परिवहन के साधनों की दृष्टि से भी धनी है। अत निर्मित माल देश एव विदेश की मण्डियों तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। मिलों को कोयला बाहर से मगाना पडता है लेकिन राज्य में विद्युत शक्ति की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। राज्य में डीजल की पूर्ति भी पर्याप्त है। अत राज्य के मिलों की शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताए आसानी से पूर्ण हो जाती है। राज्य के मिल क्षेत्र विशाल बाजारों के रूप में परिवर्तित हो रहे है अत मिलों द्वारा उत्पन्न वस्त्रों की बिक्री स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में हो जाती है ।

5 राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन (Production) राज्य की मिलों द्वारा मुख्यत धागे एव सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। विगत कुछ वर्षों के उत्पादन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है

1 *Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt of Raj.*

राजस्थान में सूती वस्त्र एव धागे का उत्पादन				
वर्ष इकाई	वस्त्र उत्पादन (हजार मीटर)	धागे का उत्पादन (मैट्रिक टन)	पॉलियस्टर धागे (हजार मैट्रिक टन)	नायलोन धागे (हजार मैट्रिक टन)
1985	43972	51308	5 46	-
1992	41100	54000	14 59	3 99
1997	50500	77000	4 47	2 12
1998 (अनुमानित)	47200	75000		

Source S atistical Abstract 1988 Ra asthan & Economic Review 1998 99 Raj

6 रूई एव सूती वस्त्रों का आयात निर्यात (Import and Export) राजस्थान के श्रेष्ठ किस्म की कपास का उत्पादन सीमित मात्रा में होता है अत श्रेष्ठ किस्म की कपास अन्य राज्यों से आयात करनी पडती है। देशी किस्म की रूई अन्य राज्यों को निर्यात की जाती है ।

7 राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की समस्याए व समाधान (Problems & Solutions)

(i) कच्चे माल का अभाव (Lack of Raw Material) राजस्थान में अच्छी किस्म की कपास मुख्यत श्रीगगानगर जिले में बोई जाती है। शेष क्षेत्रों में आज भी प्राय अच्छी किस्म की कपास बोई जा रही है। देशी किस्म की कपास के रेशे छोटे जबकि विदेशी कपास के धागे प्राय बडे होते है। इसके साथ ही विदेशी किस्में उच्च स्तर की व मुलायम होती है। इस कारण ऐसी कपास से बने वस्त्र अच्छी किस्म के एव अधिक मूल्य के होते है। इस कारण राजस्थान में अच्छी किस्म की कपास के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में अच्छी किस्म की कपास बोये जाने की पर्याप्त सम्भावनाए भी विद्यमान है। अच्छी किस्म की कपास का उत्पादन बढ जाने से इसके लिए विदेशों पर निर्भरता भी कम होगी।

(ii) शक्ति के साधनों का अभाव (Lack of Power Resources) राजस्थान मे शक्ति के साधनों का अभाव है अत राज्य की कुल मिलें तो प्राय बद रहती है। राज्य की सभी मिलों को विद्युत शक्ति की सुविधा प्राप्त नहीं है। अनेक मिलें स्टीम प्लान्ट तथा डीजल जनरेटिंग सैट से विद्युत उत्पन्न करती है अत उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाता है। इस समस्या के हल के लिये देशी व विदेशी विनियोजकों को राजस्थान में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(iii) नवीनीकरण का अभाव (Lack of Modernisation) राज्य की अधिकाश मिलों की मशीनें अत्यन्त पुरानी है जिनसे न केवल वस्त्रों का कम उत्पादन होता है वरन् ये बार-बार खराब भी होती रहती है। अत वस्त्र उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाती है। राज्य में पूजी के अभाव के कारण ही वस्त्र उद्योग सम्बन्धी नवीनीकरण कार्य सम्भव नही हो पा रहा है। नवीनीकरण के इस कार्य के लिए विशेषत राजस्थान के प्रवासी उद्योगपतियों से सहायता ली जा सकती है।

(iv) शुष्क जलवायु (Dry Climate) राजस्थान की जलवायु प्राय शुष्क है जबकि सूती वस्त्र उत्पादन के लिए आर्द्र या नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अत राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग को कृत्रिम साधनों के द्वारा कृत्रिम वातावरण निर्मित करना पडता है जिससे वस्त्र उत्पादन की लागत बढ जाती है। इस क्षेत्र में शोध अनुसधान की आवश्यकता है।

(v) कम उत्पादकता (Low Productivity) राज्य की सूती वस्त्र मिलों में कार्यरत श्रमिकों की उत्पादकता अन्य राज्यों के श्रमिकों की तुलना में बहुत कम है। यहाँ 100 तकुओं के पीछे 12 15 श्रमिक कार्य करते है जबकि अन्य राज्यों में इस कार्य हेतु केवल 8 9 श्रमिक ही रखने पडते है। इसी प्रकार यहा 100 करघों के लिये लगभग 80 85 श्रमिक रखने पडते है जबकि अन्य राज्यों में केवल 60 66 श्रमिक ही रखे जाते है। राज्य में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(vi) अन्य (Others) दोषपूर्ण प्रबध के कारण अनेक सूती वस्त्र मिलें बद पडी रहती है। राज्य की कुछ मिलें ही लाभाश की घोषणा कर पाती है। इसी प्रकार मिलों का छोटा आकार भी समस्या का एक कारण है। छोटे आकार के कारण ये मिलें बडे पैमाने की बचतें प्राप्त नहीं कर पातीं, अत सूती वस्त्र की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इन मिलों के समक्ष सदैव पूजी की समस्या बनी रहती है अत उपरोक्त सभी समस्याओं का उचित समाधान किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान में सहकारी मिलें (Co-operative Mills)

1 राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गुलाबपुरा भीलवाडा 1965 में स्थापित यह मिल कपास का उत्पादन

करने वाले सदस्य-कृषकों व अन्य कृषकों से कपास खरीदने तथा कताई-बुनाई व रगाई आदि कार्यो को सम्पन्न करती है। यह मिल धागे की बिक्री करके कृषकों को उनके द्वारा उत्पन्न कपास के लाभप्रद मूल्य दिलाने का कार्य करती है।

2. गगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, श्रीगगानगर 1978 में स्थापित की गई इस मिल का कार्यालय हनुमानगढ जक्शन नगर में है। यह मिल गगानगर जिले में उत्पन्न कपास का उपयोग करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। इस मिल द्वारा पॉवरलूम व हथकरघों को भी कच्चे माल की पूर्ति की जाती है ।

3. गगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गगापुर भीलवाडा जिले के गगापुर कस्बे में गगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड की स्थापना सन् 1981 में की गई है। इस मिल का प्रमुख उद्देश्य समिति के सदस्यों के लाभ के लिए सहायक उद्योगों का सचालन करना है ।

चीनी उद्योग
SUGAR INDUSTRY

1 इतिहास एव विकास *(History & Development)* राजस्थान में सर्वप्रथम सन् 1932 में मेवाड शुगर मिल की स्थापना भोपालसागर चित्तौडगढ में की गई है। इस मिल में उदयपुर सम्भाग में उत्पन्न गन्ने का उपयोग किया जाता है। राज्य में चीनी का दूसरा कारखाना 1937 में श्रीगगानगर में स्थापित किया गया। इस कारखाने का नाम गगानगर शुगर मिल है। इस मिल में सन् 1946 में उत्पादन कार्य प्रारभ हुआ। प्रारभ में बीकानेर के श्री लाल व्यास व श्री पोखरदास ने गगानगर शुगर मिल्स में 3 लाख रुपये की पूजी विनियोजित की लेकिन 8 वर्षो तक इस मिल में उत्पादन कार्य प्रारभ नहीं हो सका। 1946 में इसे बीकानेर इण्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने खरीद लिया। मिल में उत्पादन कार्य तो प्रारभ हो गया लेकिन फिर भी इस मिल का सचालन असतोषजनक रहा। अत 1953 के अत मे राजस्थान सरकार ने इस मिल को लीज पर ले लिया। इस प्रकार वर्तमान में यह मिल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस मिल में चुकन्दर से चीनी बनाने की योजना 1968 मे प्रारभ की गई। यह प्रयोग अत्यधिक सफल रहा है और चुकन्दर से चीनी बनाने का कार्य निरन्तर बढ रहा है। राज्य में चुकन्दर की खेती को बढावा देने के लिये जापान जर्मनी तथा युगोस्लाविया आदि राष्ट्रों से चुकन्दर के उन्नत किस्म के बीज आयात किये जाते है। राज्य के बूदी जिले के केशोरायपाटन में भी सन् 1932 में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना की गई।

2. इकाइयों की सख्या एव उनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में अग्रलिखित चीनी मिलें कार्यरत है

(i) दी मेवाड शुगर मिल्स, भोपालसागर (चित्तौडगढ)- इस मिल की स्थापना 1932 में की गई थी। यह राज्य की सबसे पुरानी चीनी मिल है। इसमें राज्य क उदयपुर सम्भाग में उत्पन्न गन्ने से चीनी बनाई जाती है ।

(ii) दी गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड- यह चीनी मिल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। इसके 97 प्रतिशत अशों का राज्य सरकार का तथा शेष 3 प्रतिशत पर निजी व्यक्तियों का अधिकार है। इस मिल में गन्ने व चुकन्दर से चीनी बनाई जाती है। मिल के अधीन एक शराब बनाने का कारखाना भी है जिसके केन्द्र अजमेर, अटरू, प्रतापगढ व जोधपुर में है। यह कारखाना स्प्रिट बनाने का कार्य भी करता है। राज्य की अन्य चीनी मिलें इनके द्वारा उत्पन्न शीरा शराब कारखानों को बेच देती है। मिल के अधीन धौलपुर में एक ग्लास फैक्ट्री भी कार्यरत है जिसमें काच का सामान व बोतलें आदि बनाई जाती है।

(iii) श्री केशोरायपाटन शुगर मिल्स लिमिटेड (बूदी)- सहकारी क्षेत्र की इस मिल की सहकारी स्थापना 1970 में की गई। गन्ना उत्पादक कृषक इसके सदस्य है। अत इस मिल का एक उद्देश्य गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करना है।

3. प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) राज्य की अधिकाश चीनी मिलें चीनी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ने का प्रयोग करती है लेकिन गगानगर शुगर मिल में चुकन्दर से भी चीनी बनाई जाती है। राजस्थान गन्ना उत्पादन की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछडा हुआ है। यहा कुल कृषिक्षेत्र से 1 प्रतिशत से भी कम भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। राज्य में गन्ने का कुल उत्पादन सम्पूर्ण भारत का लगभग 1 प्रतिशत है लेकिन मानसून की अनिश्चितताओ के कारण राज्य के गन्ना उत्पादन में भी उतार चढाव होता रहता है। राज्य में गन्ने का उत्पादन मुख्यत कोटा बूदी भरतपुर, गगानगर, उदयपुर, टोंक, चित्तौडगढ तथा भीलवाडा जिलों में होता है। अग्रतालिका में विगत् कुछ वर्षों के गन्ना उत्पादन को दर्शाया गया है

[illegible] का उत्पादन : लाख टन में

वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
1950-51	4 14	1980-85	13 76
1951-56	4 48	1985-86	10 10
1956-61	4 91	-	-
1961-66	7.64	-	-
1966-67	3 93	-	-
1967-68	3 12	1989-90	7 16
1968-69	5 24	1990-91	12 01
1969-74	12 82	-	-
1974-79	21 49	1996-97 अंतिम	12 00
1979-80	11 60	1997-98	11 59
		1998-99 (सम्भावित)	9 54

Source Eighth Five year plan 1992 97 Govt of Raj & Economic Review 1997 98 Raj

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि-

(i) राज्य के गन्ना उत्पादन में अत्यधिक उतार चढाव होते रहे है। 1967-68 के पश्चात् गन्ना उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई और 1979 में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। इसके पश्चात् गन्ना उत्पादन में अत्यधिक उतार चढाव होते रहे है ।

(ii) गन्ने का उत्पादन मुख्यत वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। जिस वर्ष राज्य में वर्षा अच्छी हो जाती है, गन्ने का उत्पादन भी अधिक होता है लेकिन वर्षा के अभाव में गन्ने का उत्पादन भी कम होता है।

(iii) गन्ने का उत्पादन इसके मूल्य से भी प्रभावित होता है। राज्य की मिलें अपनी क्षमता के अनुसार ही गन्ना खरीदती है अत जिस वर्ष राज्य में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन होता है तो कृषकों को बाध्य होकर कम मूल्य पर गन्ना बेचना पडता है1979 में राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हुआ जिसके फलस्वरूप कृषकों को बहुत कम मूल्यों पर गन्ना बेचना पडा। इस प्रवृत्ति के कारण भी गन्ने की खेती पर विपरीत प्रभाव पडता है ।

(iv) राजस्थान में सिचाई साधनों का विस्तार करके गन्ने के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। 1951, 1956 और 1961 की तुलना में विगत् कुछ वर्षों में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन हुआ है। इसका प्रमुख कारण राज्य में सिचाई सुविधाओं का विस्तार होना है। राजस्थान नहर परियोजना के पूर्ण हो जाने पर गन्ने के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की सम्भावना है।

(4) राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) गन्ना चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। यह ऐसा पदार्थ है जो निर्माण प्रक्रिया में अत्यधिक भाग खो देता है। लगभग 10 टन गन्ने से 1 टन चीनी का उत्पादन होता है। इसका भार अधिक होता है। अत इसे अधिक दूरी तक लाना-ले जाना अनार्थिक होता है। गन्ने को काटने के पश्चात् चीनी बनाने के लिये इसका प्रयोग भी शीघ्र करना पडता है, क्योंकि काटने से एक दिन के पश्चात् ही इसमें उपलब्ध रस की मात्रा में कमी प्रारम्भ हो जाती है। यही कारण है कि चीनी मिलें मुख्यत गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आस-पास ही स्थापित की जाती है। राज्य की चीनी मिलें मुख्यत इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई है। श्रीगंगानगर, चित्तौडगढ, बूंदी, उदयपुर आदि जिलों में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन होता है। चीनी मिलों को ईंधन चूना-पत्थर व सल्फर आदि की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। राज्य के चीनी मिल क्षेत्रों में जनसंख्या भी पर्याप्त है अत चीनी मिलों को सस्ते श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते है। गन्ने की खेती के कार्य में भी अनेक व्यक्ति सलग्न है। विगत् कुछ वर्षों से राज्य में चुकन्दर की खेती भी होने लगी है। चीनी मिल क्षेत्रों में जल पूर्ति व बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध हैं और ये क्षेत्र देश व विदेश के प्राय सभी औद्योगिक एव व्यापारिक केन्द्रों से तीव्रगामी परिवहन के साधनों के द्वारा जुडे हुए है। अत इन मिलों द्वारा उत्पन्न चीनी को देश एव विदेश की मण्डियों तक पहुँचाया जा सकता है। स्वय राजस्थान चीनी का बहुत बडा उपभोक्ता है। अत चीनी मिलों द्वारा उत्पन्न चीनी का आसानी से विक्रय हो जाता है। राज्य में विद्युत शक्ति की पर्याप्त सुविधा है लेकिन कोयला अन्य राज्यों से मगवाना पडता है।

4. चीनी उद्योग का उत्पादन (Production) राज्य की चीनी मिलों द्वारा मुख्यत चीनी एव शराब का उत्पादन किया जाता है। अग्र तालिका में राज्य की चीनी मिलों के उत्पादन को दर्शाया गया है

राजस्थान में चीनी का उत्पादन

(हजार मीट्रिक टन)

वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
1985	19 6	1990	13 27
1986	-	1997	26 37
		1998	[illegible]8 69

Source Eighth Five year plan 1992 97 Govt of Raj & Economic Review, 1997 98, Raj

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि

(i) 1984 के पश्चात् राजस्थान में चीनी के उत्पादन में कमी हुई। 1987 में चीनी का उत्पादन विगत् कुछ वर्षों की तुलना में अधिक रहा लेकिन 1988 में चीनी के उत्पादन में अत्यधिक कमी हो गयी। इसके पश्चात् चीनी के उत्पादन में पुन तीव्र गति से वृद्धि होना प्रारम्भ हो गया। वस्तुत चीनी का

उत्पादन वर्षा का प्रवृत्ति और गन्ने के उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। गन्ने के उत्पादन में उतार चढ़ाव के साथ-साथ चीनी के उत्पादन में भी कमी अथवा वृद्धि होती रहती है।

(ii) राजस्थान में चीनी के उत्पादन के साथ-साथ शराब व स्प्रिट का उत्पादन भी किया जाता है। यह कार्य मुख्यत गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा किया जाता है। इस मिल के द्वारा शराब बनाने के अनेक कारखाने संचालित किये जाते है।

6 गन्ना एव चीनी का आयात व निर्यात (Import & Export) राज्य चीनी मिलों द्वारा मुख्यत अपने-अपने क्षेत्रों में उत्पन्न गन्ने का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिक दूरी में गन्ने का परिवहन करना अनार्थिक होता है राज्य की चीनी मिल चीनी की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है अत राज्य को चीनी की माग की पूर्ति हेतु अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पडता है। विगत् कुछ वर्षों से गंगानगर क्षेत्र कोटा व बूंदी क्षेत्र तथा बांसवाडा व उदयपुर क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं होने के कारण गन्ना एव चुकन्दर की पर्याप्त खेती होने लगी है। भविष्य में राज्य के गन्ना एव चुकन्दर उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है।

7 राजस्थान में चीनी उद्योग की समस्यायें व समाधान (Problems & Solutions)

(i) गौण पदार्थों का उपयोग (Use of Minor Products) राज्य की चीनी मिलों में प्राप्त शीरा का प्रयोग शराब व स्प्रिट बनाने तथा खोई का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। वस्तुत खोई का प्रयोग कागज स्ट्रा बोर्ड तथा खाद बनाने में किया जाना चाहिये। इन कार्यों के लिए पृथक कारखानों की स्थापना की जा सकती है लेकिन राज्य में पूंजी के अभाव के कारण ही यह कार्य अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है अत राज्य के चीनी उद्योग के सहायक कारखानों की स्थापना की पर्याप्त सम्भावनाये विद्यमान है।

(ii) सरकारी नियन्त्रण एव नीति (Govt Control & Policy) स्वतन्त्रता के पश्चात् सन् 1947 1949 1954 58 तथा 1961 62 के वर्षों को छोडकर प्रायः शेष वर्षों में चीनी पर प्राय पूर्ण अथवा आंशिक नियन्त्रण रहा है। चीनी पर आंशिक नियन्त्रण के फलस्वरूप चीनी उत्पादन में कुछ समय के लिए सुधार हो जाता है लेकिन इसमें अनेक समस्यायें उत्पन्न हो जाती है वास्तव में इस समस्या के समाधान हेतु एक निश्चित एव दीर्घकालीन नीति का निर्माण किया जाना चाहिये। सरकार चीनी के मूल्य पर नियन्त्रण रखती है जबकि गुड व खाडसारी पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता है। अत इन दोनों उद्योगों में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा रहती है। सरकारी नियन्त्रण के कारण चीनी के मूल्यों में वृद्धि नहीं हो पाती। वास्तव में इस समस्या के समाधान हेतु एक उचित नीति का निर्माण किया जाना चाहिए।

(iii) गन्ना उत्पादन एव मूल्य सम्बन्धी समस्या (Problems of Relation Between Sugarcane Production and Price) जिस वर्ष राज्य में वर्षा अच्छी हो जाता है तो गन्ने का उत्पादन भी अधिक होता है जबकि जिस वर्ष वर्षा कम होता है तो राज्य में गन्ने का अभाव हो जाता है। राज्य में कम गन्ना उत्पन्न होने पर चीनी मिलों को गन्ने का अधिक मूल्य चुकाना पडता है जबकि गन्ने का अधिक उत्पादन होने पर कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। सन् 1977 78 में राज्य में गन्ने का अत्यधिक उत्पादन हुआ जिसके फलस्वरूप कृषकों को कम मूल्यों पर गन्ना बेचना पडा। वस्तुत सरकार को गन्ने का नियन्त्रण मूल्य निर्धारित कर देना चाहिये जिससे न तो कृषकों को और न चीनी मिलों को हानि उठानी पड़े

(iv) कम उपभोग (Low Consumption) राज्य में चीनी का प्रतिव्यक्ति उपभोग लगभग 5 00 किलोग्राम है। यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इसके लिए गुड व खाडसारी के स्थान पर चीनी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

8 भावी सम्भावनाए (Future Prospects) राज्य की सभी चीनी मिलों द्वारा क्षमता का पूरा प्रयोग करने के पश्चात् भी राज्य के सम्पूर्ण गन्ने के उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त चीनी मिलों की स्थापना की जा सकती है। इससे न केवल चीनी के उत्पादन में वृद्धि होगी वरन् हजारों व्यक्तियों को रोजगार भी प्रदान किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त राज्य में चुकन्दर की खेती के सफलतापूर्वक प्रयोग किए जा चुके है। यहा की भूमि एव जलवायु चुकन्दर की खेती के लिए लाभप्रद उपयुक्त है। अत चुकन्दर के उत्पादन में होने वाली भावी वृद्धि को मध्यनजर रखते हुए राज्य में नई मिलों की स्थापना की प्रबल सम्भावनाए विद्यमान है। राज्य सरकार को चुकन्दर की खेती के लिए विशिष्ट कार्यक्रम अभियान चलाना चाहिए।

वनस्पति घी उद्योग
VEGETABLE GHEE INDUSTRY

1 इतिहास एव विकास (History & Location) भारत में वनस्पति घी का उत्पादन सन् 1950 में ही प्रारम्भ हो गया था लेकिन राजस्थान में उद्योग का प्रारम्भ तीसरी योजना में ही हुआ है। सर्वप्रथम भीलवाडा में एक वनस्पति घी का कारखाना खोला गया। इसके पश्चात् जयपुर डिस्ट्रिक्ट

उदयपुर कोटा भरतपुर, गगानगर, अलवर आदि नगरों में इस उद्योग का विकास हुआ।

2 इकाइयों की सख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में वनस्पति घी के नौ कारखाने कार्यरत है जो राज्य के भीलवाडा, जयपुर, चित्तौडगढ, उदयपुर और गगानगर आदि स्थानों पर स्थित हैं ।

3 प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) राजस्थान में तिलहन व कपास की खेती पर्याप्त मात्रा मे होती है। तिलहनो के अतर्गत सरसों, तिल, मूगफली आदि प्रमुख है। कपास से प्राप्त बिनौले मे भी वनस्पति घी बनाया जाता है। तिल राज्य के अजमेर भीलवाडा बूदी चित्तौडगढ जालोर झालावाड, कोटा पाली आदि जिलो में पर्याप्त मात्रा में बोया जाता है। मूगफली व बिनौला राज्य के जयपुर, गगानगर भीलवाडा, टोंक चित्तौडगढ, पाली अजमेर कोटा बूदी आदि क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा मे उत्पन्न होते है। विगत् कुछ वर्षों में सरसों के उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि हुई है। अग्रतालिका में तिलहन उत्पादन को दर्शाया गया है

राजस्थान में तिलहन का उत्पादन
(लाख टन में)

वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
1950 51	1 34	1979 80	2 51
1951 [illegible]	2 09	1980 85	7 97
1956 61	2 27	1985 86	9 12
1961 66	2 56	1986 87	8 81
1966 67	2 01	1987 88	12 56
1967 68	3 29	1988 89	19 12
1968 69	1 52	1989 90	19 45
1969 74	3 72	1990 91	23 51
1974 79	4 43	1996-97	35 24
		1997-98	32 96
		1998 99 (अनुमानित)	35 58

Source Eighth Five year plan 1992 97 Govt of Raj & Economic Review 1998 99 Raj

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में तिलहन का पर्याप्त मात्रा मे उत्पादन होता है। 1987-88 के पश्चात् तिलहन उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई।

4 राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation)

राजस्थान का वनस्पति घी उद्योग मुख्यत भीलवाडा, चित्तौडगढ, उदयपुर और गगानगर में केन्द्रित है। इन जिलों में तिलहन का पर्याप्त उत्पादन होता है। अत वनस्पति घी उद्योग के लिए कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। राज्य में प्राय विद्युत की पूर्ति बनी रहती है। लेकिन वनस्पति घी कारखानों में जेनरेटर सैट्स की व्यवस्था भी की गई है। राज्य के विभिन्न कारखानों को सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है, क्योकि इन क्षेत्रों में जनसख्या भी राज्य के अनेक जिलों की अपेक्षा अधिक है। यह सभी क्षेत्र परिवहन की दृष्टि से उन्नत है और राज्य व देश की प्राय सभी मण्डियों एव व्यावसायिक केन्द्रों से जुडे हुए है। अत माल का आवागमन भी आसानी से हो जाता है। इन क्षेत्रों में बीमा व बैंकिंग व्यवसाय भी उन्नत है अत वनस्पति घी उत्पन्न करने वाली औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील पूजी भी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं।

5 राजस्थान में वनस्पति घी का उत्पादन (Production) राजस्थान में वनस्पति घी की माग में निरन्तर वृद्धि हो रही है अत राज्य में इसका उत्पादन भी तेजी से बढा है। निम्न तालिका में विगत् कुछ वर्षों के वनस्पति घी उत्पादन को दर्शाया गया है

राजस्थान में वनस्पति घी उत्पादन
(हजार टन में)

वर्ष	1971	1975	1985	1988	1990	1994	1997	1998 (अ)
उत्पादन	19 8	26 7	66 7	62 0	55 3	35 61	24 98	[illegible]

स्रोत Statistical Abstract Raj 1995) Economic Review 1998 [illegible] Raj

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में 1985 में वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, लेकिन उसके पश्चात् घी के उत्पादन में क्रमश कमी होती चली गई। वनस्पति घी के उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण राज्य में वर्षा की अनिश्चितता से मूगफली व बिनौले के उत्पादन में कमी होना रहा है।

6 वनस्पति घी का आयात-निर्यात (Import & Export) राजस्थान में वनस्पति घी की माग की तुलना में *इसका उत्पादन कम होता है, अत वनस्पति घी देश के* अन्य राज्यों से तथा विदेशों से आयात किया जाता है। राज्य में वनस्पति घी मुख्यत गुजरात, महाराष्ट्र, केरल तथा उत्तरप्रदेश आदि राज्यों से मगवाया जाता है ।

7 राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग की समस्याए एव समाधान (Problems & Solutions)

1 कच्चे माल का अभाव (Lack of Raw Material) राज्य के वनस्पति घी कारखानों को मूगफली व बिनौले तेल का देश के अन्य राज्यों से आयात करना पडता है। ऐसी स्थिति में घी उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है और वे देश के अन्य राज्यों के वनस्पति घी उत्पादक कारखानों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाते है। इस

समस्या के समाधान हेतु राज्य में मूगफली व कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ii) रासायनिक पदार्थों का अभाव (Lack of Chemicals) तेलशोधन हेतु विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। भारत में रासायनिक उद्योग का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है अत राजस्थान में भी रासायनिक पदार्थों की कमी बनी रहती है। इसमें वनस्पति घी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडता है। इस समस्या का समाधान रासायनिक उद्योग के विकास मे ही है ।

(iii) कुशल श्रमिकों का अभाव (Lack of Efficient Labour) राजस्थान में कुशल श्रमिकों का अभाव है जिससे घी उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती रहती है। राज्य के घी उत्पादक कारखाने प्राय देश के अन्य राज्यो से कुशल श्रमिक लाते है। उन्हें अधिक वतन देना पडता ह अत वनस्पति घी लागत म वृद्धि हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उन्हे समुचित सुविधाए प्रदान की जानी चाहिये।

(iv) घी की किस्म (Quality of Ghee) वनस्पति घी उत्पादकों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही घी का विक्रय करना पडता है। इससे घी उत्पादकों के लाभ में कमी आ जाती है अत व घी की किस्म गिरा दत है। इस समस्या क समाधान हतु वनस्पति घी के उचित मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। घी के किस्म की उच्च की पदार्थ व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) सहायक उद्योगों का अभाव (Lack of Sub-Industries) राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग के सहायक उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है अत वनस्पति घी उत्पादकों को तुलनात्मक रूप में हानि उठानी पडती है। वनस्पति घी के निर्माण के साथ-साथ यदि साबुन आदि का उत्पादन भी किया जाए तो लाभ में वृद्धि हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य में घी के निर्माण के साथ-साथ उसस सम्बन्धित सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए।

(vi) पूजी का अभाव (Lack of Capital) राजस्थान में पूजी का अभाव है अत घी उद्योग का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा इस उद्योग में पूजी विनियोजन हतु विशेष प्रोत्साहनो एव सुविधाओं की घोषणा की जाना चाहिए।

5. भावी सम्भावनाए (Future Prospects) राजस्थान मे घी की माग म निरन्तर वृद्धि हो रही है अत इसके भावी विकास की पर्याप्त सम्भावनाए है। राजस्थान नहर के पूर्ण हो जाने पर राज्य में मूगफली के उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी। वर्तमान मूगफली उत्पादन क्षेत्रों में भी उत्पादन बढाया जा रहा है। कच्चे माल के अतिरिक्त राज्य में शक्ति के साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है अत इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है ।

व खनिजो पर आधारित उद्योग
Industries based on Minerals

सीमेन्ट उद्योग (Cement Industry)

1. इतिहास एव विकास (History & Development) राजस्थान में चूने का पत्थर व जिप्सम पर्याप्त मात्रा में पाये जाते है अत राज्य में सीमेन्ट उद्योग की पर्याप्त सम्भावना विद्यमान है। स्वतत्रता के पूर्व राजस्थान में सीमेंट बनाने का कारखाना सन् 1915 मे बूदी के निकट लाखेरी में स्थापित किया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात् विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में सीमेंट उद्योग क विकास पर विशेष जोर दिया गया। अत राज्य में अनेक सीमन्ट उत्पादक इकाइयों की स्थापना हुई। 1953 म जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा सवाई माधोपुर में एक सीमेन्ट कारखाने की स्थापना की गई। सन् 1967 1970 तथा 1974 में क्रमश चित्तौडगढ उदयपुर तथा निम्बाहेडा में सीमेंट कारखानों की स्थापना हुई। 1981 में मोडक (कोटा) में एक सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त राज्य में मिनी सीमेंट प्लान्ट भी स्थापित किए गए है ।

2. इकाइयो की सख्या एव उनकी स्थिति (Units & Location) सीमेंट कारखानों में प्रयुक्त माल अत्यधिक भारयुक्त होता है अत सीमेंट कारखानों की स्थापना कच्चे माल की प्राप्ति स्थलों के निकट करने का प्रयास किया जाता है। राजस्थान में सीमेंट कारखाने लाखेरी सवाईमाधोपुर निम्बाहेडा मोडक ब्यावर तथा कोटा आदि स्थानों पर स्थापित किए गए। इन क्षेत्रों क आसपास चूना पत्थर व जिप्सम के पर्याप्त भण्डार विद्यमान है। जैसलमेर जिले म तुलसराम की ढाणी खीया खिनसर क्षेत्रों में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का दोहन किया जा रहा है और 261 33 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन सरक्षित पाये गए है।[1] अनुमान क आधार पर जैसलमर जिले क खीया खीनसर क्षेत्र में 3 बड सीमेंट सयत्र स्थापित किये जायेंगे।[2] राजस्थान में मुख्यत निम्नलिखित सीमेंट कारखाने कार्यरत है

(i) ए सी सी लिमिटेड, लाखेरी (बूदी)· यह ए सी सी ग्रुप का कारखाना है जो 1915 में स्थापित किया गया

1,2 Economic Review 1995-96 Rajasthan

है।

(ii) सवाईमाधोपुर सीमेंट कारखाना यह कारखाना 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। यह साहू जैन समूह का है और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। यह कारखाना त्रिशूल छाप सीमेन्ट का निर्माण करता है

(iii) बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ यह कारखाना बिड़ला समूह का है

(iv) चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ यह कारखाना चेतक छाप सीमेंट उत्पादित करता है।

(v) मंगलम् सीमेंट मोड़क (कोटा) यह कारखाना बिड़ला समूह द्वारा स्थापित किया गया।

(vi) श्री सीमेंट ब्यावर यह कारखाना बागड़ प्रतिष्ठान का है

(vii) जे के सीमेंट निम्बाहेड़ा यह कारखाना जे के समूह का है इसमें उत्पादन कार्य 1982 में प्रारम्भ हुआ।

(viii) स्टा प्राडक्ट्स बनास (सिरोही जिला)

(ix) श्रीराम सीमेंट श्रीरामनगर कोटा

(x) डी एल एफ बिनानी आदि और भी बड़े सीमेंट संयत्र स्थापित हुए है ।

(xi) मिनी सीमेंट प्लान्टस राज्य के सिरोही नीमकाथाना (सीकर) तथा खरगड़ (अलवर) में मिनी सीमेंट प्लान्ट भी स्थापित किए गए हैं

3 औद्योगिक प्रयुक्त कच्चा माल (Industrial Raw Material) सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम व चूने के पत्थर की आवश्यकता होती है जिप्सम व चूने पत्थर का *1350 डिग्री से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड की क्षमता वाली* भट्टियो मे डालकर सीमेंट बनाई जाती है। अतः सीमेंट बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और राज्य में उच्च किस्म का चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यही कारण है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। नाखरी सीमेंट कारखानों में शैल मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इस क्षेत्र में पाया जाने वाला चूना पत्थर शैल मिट्टी की जगह काम में ले लिया जाता है। जिप्सम राजस्थान के बाड़मेर बीकानेर गंगानगर जैसलमेर नागौर नागौर व पाली क्षेत्र में पाया जाता है। चूना पत्थर राज्य के अजमेर बासवाड़ा बूंदी चित्तौड़गढ़ चूरू जयपुर जैसलमेर झुंझुनू, जोधपुर कोटा नागौर पाली सवाईमाधोपुर सीकर सिरोही व उदयपुर जिलों में पाया जाता है। राज्य में सीमेंट कारखानों की स्थापना चूना पत्थर क्षेत्रों के आस पास ही की गई है। चित्तौड़गढ़ सीमेंट उद्योग के लिए अधिक उपयुक्त है। यहां श्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है तथा चूने के पत्थर की परतें भी मोटी है। यहां चम्बल की जल विद्युत शक्ति भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

राज्य में जिप्सम व चूना पत्थर का पर्याप्त विदोहन होता है। राज्य में सीमेंट कारखाने में जिप्सम व चूना पत्थर की आवश्यकताएं स्थानीय स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है लेकिन सीमेंट कारखानों को कोयले का आयात करना पड़ता है। कोयला मुख्यतः बिहार की खानों से मंगवाया जाता है। राज्य के सीमेंट कारखाने चूना पत्थर प्राप्ति स्थलों के नजदीक ही स्थापित किए गए हैं और जिप्सम की प्राप्ति राज्य के विभिन्न जिलों से हो जाती है ।

विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राज्य में सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है जो चित्तौड़ में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण रहा है। राज्य के अन्य सीमेंट कारखाने भी चूना-उत्पादक जिलों में ही स्थापित किए गए है। जिप्सम भी राज्य के विभिन्न जिलों से आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। सर्वाधिक जिप्सम गंगानगर जिले से प्राप्त की जाती है। चूना पत्थर के उत्पादन तथा जिप्सम व अन्य आवश्यक पदार्थों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य में राजस्थान में सीमेंट उद्योग का तीव्र विकास होगा

4 राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारण स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) राजस्थान में चूने का पत्थर व जिप्सम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है चूने का पत्थर अत्यधिक भारयुक्त होता है अतः सीमेंट कारखानों की स्थापना प्रायः उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहां पर चूना पत्थर निकाला जाता है। राज्य में चित्तौड़गढ़ में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण श्रेष्ठ किस्म के चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना है। राज्य के अन्य सीमेंट कारखानों की स्थापना भी चूना पत्थर उत्पादन क्षेत्रों में ही की गयी है राज्य के प्रायः सभी जिले परिवहन के साधनों की दृष्टि से देश के प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों एवं मण्डियों से जुड़े हुए है अतः सीमेंट का आवागमन आसानी से हो जाता है चित्तौड़गढ़ के ब्राडगेज से जुड़ जाने के कारण परिवहन सुविधा में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। इससे सीमेंट का आवागमन आसान व अधिक गतिशील हो गया है। राज्य के सीमेंट कारखानों को कोयले के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर

रहना पड़ता है। कोयले का आयात मुख्यत बिहार से किया जाता है। कारखानों को विद्युत-शक्ति भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। राजस्थान में विद्युत की पूर्ति में होने वाले उच्चावचनों से बचने के लिए सीमेंट कारखानों ने अपने विद्युत उत्पादन सैट्स भी लगा रखे हैं। राजस्थान में पर्याप्त जनसंख्या होने के कारण सस्ता श्रम भी उपलब्ध हो जाता है। राज्य के प्राय सभी जिले बीमा व बैंकिंग सस्थानों की दृष्टि से भी विकसित है। राजस्थान में नागौर जिले मे उच्च कोटि का चूना-पत्थर उपलब्ध होने के कारण सफेद सीमेंट का कारखाना इसी क्षेत्र में केन्द्रित हो गया है।

5 राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन (Production) सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रमुख स्थान है। अग्र तालिका में विगत् कुछ वर्षों के सीमेंट उत्पादन को दर्शाया गया है

राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन

(हजार मीट्रिक टन में)

वर्ष	1985	1990	1995	1997	1998
उत्पादन	3903 70	426340	6459 00	6493 00	6208 00

Rajasthan Statistical Abstract, 1986, Raj. Budget Study, 1992 & Economic Review 1995-96, 1997 98 & 1998 99 Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राज्य में सीमेंट के उत्पादन में 1984 से 1988 के मध्य उतार चढाव आता रहा है। 1985-88 के मध्य सीमेंट का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है, किन्तु 1990 के पश्चात् इसके उत्पादन में तीव्र गति आई है। 1998 में सीमेंट के उत्पादन में 1990 की अपेक्षा लगभग 20 लाख टन की वृद्धि हुई। राजस्थान में मिनी सीमेंट प्लान्ट की कई इकाइयाँ आरम्भ की गई है। इनके कारण चूने के पत्थर के छोटे भण्डारों का भी उपयोग सम्भव हो सकेगा। 1 अप्रैल, 1989 से सरकार द्वारा सभी नियत्रण हटा लिए गए है। 1994 की नई औद्योगिक नीति स भी इस उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी।

6 सीमेंट का आयात-निर्यात (Import & Export) राजस्थान से सीमेंट पर्याप्त मात्रा में देश के अन्य राज्यों में भेजी जाती है। राज्य मे कुछ मात्रा में सीमेंट अन्य राज्यों से भी मगायी जाती है। मार्च 1995 मे 26 लाख क्विटल सीमेंट देश के अन्य राज्यो में भेजी गई तथा 1 47 लाख क्विटल सीमेंट देश के अन्य राज्यों से आयात की गई।

7 राजस्थान में सीमेंट उद्योग की समस्याए एव समाधान (Problems & Solutions)

(i) पूंजी का अभाव (Lack of Capital) सीमेंट कारखाने की स्थापना के लिए अत्यधिक पूजी की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में अन्य उद्योगों की तुलना में लाभ भी कम होता है। अत उद्योगपति सीमेंट उद्योग में पूजी विनियोजित नहीं करना चाहते है। राजस्थान में पूजी का अभाव है अत नए कारखानों की स्थापना करना कठिन होता है। अत राज्य में सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग मे पर्याप्त पूजी विनियोजित की जानी चाहिए। राज्य में पूजी के अभाव को देखते हुए मिनी सीमेंट प्लान्ट लगाना भी उपयुक्त रहेगा। इन कारखानो में अपेक्षाकृत कम पूजी की आवश्यकता होती है और कच्चे माल के छोटे छोटे स्रोतों का आसानी से उपयोग किया जा सकता है। अत मिनी सीमेंट प्लान्ट्स की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ii) शक्ति का अभाव (Lack of Power) राजस्थान में कोयले का अभाव है, यहा कोयला मुख्यत पश्चिम बगाल बिहार व उडीसा आदि राज्यों से मगाया जाता है। अत कोयले पर अत्यधिक परिवहन व्यय आता है जिसके कारण सीमेंट की लागत में वृद्धि हो जाती है। परिवहन लागतों में वृद्धि होने के साथ-साथ सीमेंट की कीमतों में वृद्धि होती रही है। इसके अतिरिक्त, समय पर रेलवे वैगन नहीं मिलने के कारण भी राज्य में कोयले का अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में सीमेंट निर्माण में अनेक कठिनाइया उठानी पडती है। कभी-कभी कोयला के अभाव में सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो जाती है। इस समस्या के समाधान परिवहन व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करके ही किया जा सकता है।

(iii) दोषपूर्ण नीति (Defective Policy) सीमेंट के मूल्य एव वितरण सम्बन्धी सरकारी नीति बार-बार बदलती रहती है। अत सीमेंट उद्योग में अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। राज्य में प्राय सीमेंट का अभाव बना रहता है। अत उपभोक्ताओं को ऊचे मूल्यों पर खरीदनी पडती है। इस समस्या का समाधान एक निश्चित एव उचित नीति के निर्माण में निहित है।

(iv) कुशल श्रमिकों का अभाव (Lack of Trained Labour) राज्य में अकुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते है लेकिन कुशल एव प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव है। अत कुशल श्रमिकों के लिए भी अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पडता है। इससे भी सीमेंट की लागत में वृद्धि हो जाती है। राज्य में कुशल श्रमिकों का अभाव दूर करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

(v) कम उत्पादन क्षमता (Low Production Capacity) राजस्थान में अनेक सीमेंट कारखाने पुराने है। उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है अत सीमेंट के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान

Statistical Abstract 1998 Raj

हेतु पुराने सीमेंट कारखानों का नवीनीकरण किया जाना चाहिए एवं उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।

8 भावी सम्भावनाएं (Future Prospects) राजस्थान में सीमेंट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि इसकी माग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यहां पर चूने का पत्थर जिप्सम तथा जनशक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान में तीन और मिनी सीमेंट प्लाट लगाये जाने के प्रस्ताव आये है। इनमें से दो प्रस्ताव इण्डियन केमिकल्स इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली के है और एक अन्य मैसर्स जयन्तीलाल नानचन्द शाह का है इण्डियन कैमिकल्स ने अपने प्लाण्ट क्रमश भिवाडी और आबूरोड मे लगाने का प्रस्ताव किया है इन दोनो की क्षमता नौ नौ हजार टन वार्षिक रखने की योजना है मैसर्स शाह अपना प्लान्ट किवार्ली में लगाना चाहते है जिसकी वार्षिक क्षमता 50 हजार टन रखने का कार्यक्रम है। मैसर्स केसाट सीमेंट का उदयपुर जिले का एक प्रस्ताव भी है जिसकी क्षमता 20 हजार टन वार्षिक रखने की योजना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम के नाम 5 मिनी सीमेंट प्लाण्ट के लिए आशय पत्र जारी किये जा चुके है। यह प्लाण्ट क्रमश जयपुर पाली जोधपुर सीकर तथा सिरोही जिलों मे लगाये जायेगे। राजस्थान में छठा सीमेंट कारखाना मगलम् सीमेंट लिमिटेड के नाम से कोटा से 70 किलोमीटर दूर मोडक में स्थापित हो चुका है और इसमे 1 मार्च 1981 से उत्पादन भी आरम्भ हो गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है। इसका निर्माण कार्य रिकार्ड समय अर्थात 24 महीनों मे पूरा हुआ और इस पर 24 करोड रुपये लागत आई है। विगत कुछ वर्षों में अनेक नई सीमेंट इकाईयो की स्थापना हुई है और विद्यमान उत्पादन क्षमता का भी विस्तार हुआ है।

नमक उद्योग

Salt Industry

1 इतिहास एवं विकास (History & Development) राजस्थान मे साभी रेनासा भरतपुर तथा लूणी और लूणकरण आदि स्थानों पर देशी तरीकों से नमक उत्पन्न किया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा साभर पचपदरा व डीडवाना मे आधुनिक तरीकों से नमक उत्पादन सन् 1887 में आरम्भ हुआ। नमक उद्योग राज्य के बड़े उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख स्थान है। यह देश के कुल उत्पादन का लगभग 10% नमक उत्पन्न किया जाता है वास्तव में यह उद्योग एक प्रकार की खेती के समान है। वर्षा अथवा खारे कुओ के जल को क्यारियों में एकत्र कर लिया जाता है। पानी तो भाप बनकर उड जाता है और पपडी के रूप में नमक रह जाता है जिसे नमक कारखाना मे शुद्ध कर दिया जाता है। शुद्ध नमक का उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है जबकि अशुद्ध नमक का उपयोग पशुओं व अन्य कार्यों के लिए किया जाता है।

2 इकाइयों की संख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में खारे पानी की झीलें है जिनमे नमक बनाया जाता है। राज्य के नमक कारखाने सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्र में कार्यरत है। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने डीडवाना पचपदरा व साभर में है। कुचामन व फलौदी सुजानगढ पोकरण आदि में छोटे आकार के कारखाने निजी क्षेत्रो में स्थापित किए गए है। राज्य के कुल नमक उत्पादन का लगभग 70% भाग सार्वजनिक क्षेत्र से व शेष निजी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी साभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है।

3 औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) राजस्थान में नमक प्राप्ति के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है

(i) साभर झील (Sambhar Lake) यह राज्य का सबसे बड़ा नमक स्रोत है। यहां राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत नमक उत्पन्न किया जाता है। यहां नमक आधुनिक मशीनों की सहायता से निकाला जाता है। यहां उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन किया जाता है साभर झील जयपुर जोधपुर रेलमार्ग पर जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस झील मे 65 मिलियन टन नमक होने का अनुमान है। यहां नमक उत्पादन का कार्य साभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है जिसकी स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में 1964 मे की गई। इस प्रतिष्ठान के नियत्रण में 4200 हैक्टेयर भूमि है

(ii) पंचपदरा झील (Pachpadra Lake) जोधपुर से लगभग 128 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित इस झील का विस्तार लगभग 83 वर्ग कि मी है। यहा तिलवाड़ा साम्भरा पीपावी आदि स्थानो पर नमक के कारखाने है। यहां का नमक समुद्री नमक के समान होता है। यहां खारवाल जाति के लोग नमक बनाने का कार्य करते है।

(iii) डीडवाना झील (Didwana Lake) यह झील साभर झील से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 10 वर्ग कि मी है यहां पर बांध बनाए गए है। यहां नमक उत्पादन का कार्य निजि

संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिन्हें देवल के नाम से जाना जाता है। नमक उत्पादन का कार्य पुराने तरीकों से किया जाता है। यह क्षेत्र नमक उत्पादन की दृष्टि से इसलिए अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यहा नमक उत्पादन की लागत अन्य क्षेत्रों से कम आती है।

(iv) पोकरण झील (Pokaran Lake) - यहा उत्तम किस्म का नमक प्राप्त होता है जो कि देश के प्राय सभी भागों में भेजा जाता है। यहा प्रतिवर्ष लगभग 6000 टन नमक तैयार किया जाता है।

(v) फलौदी झील (Phalodi Lake) इसी झील में प्रतिवर्ष में लगभग एक लाख टन नमक का उत्पादन होता है।

(vi) कुचामन झील (Kuchaman Lake) यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 12000 टन नमक का उत्पादन होता है।

(vii) सुजानगढ़ झील (Sujangarh Lake) इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग 24000 टन नमक प्राप्त होता है।

4 राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के नमक कारखाने (Public Sector Salt Industries)

(i) राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फाईड फैक्ट्री) इस कारखाने की स्थापना 1966 में की गई। यहा सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। सोडियम सल्फेट का उपयोग चमड़े व रगाई उद्योग में किया जाता है।

(ii) राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स)- इस कारखाने की स्थापना सन् 1964 में की गई। यहाँ क्रूड सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है जिसका उपयोग सोडियम सल्फाईड फैक्ट्री द्वारा किया जाता है।

(iii) राजस्थान सरकार साल्ट्स वर्क्स, डीडवाना - इस कारखाने की स्थापना सन् 1960 में विभागीय उपक्रम के रूप में की गई। यहा मुख्यत चार प्रकार का नमक बनाया जाता है (1) खाद्य नमक (2) अखाद्य नमक (3) औद्योगिक नमक (4) आयोडिन-युक्त नमक

(iv) राजस्थान सरकार साल्ट्स वर्क्स, पचपदरा - इस कारखाने की स्थापना 1960 में की गई। इस कारखाने में भी खाद्य-अखाद्य औद्योगिक तथा आयोडीन युक्त नमक तैयार किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में नमक का उत्पादन साभर झील, पचपदरा व डीडवाना में किया जाता है। निजी क्षेत्र में फलौदी, पोकरण, कुचामन सिटी और सुजानगढ इसके प्रमुख स्थान है। कुचामन, फलौदी और सुजानगढ में कुओं से भी नमक प्राप्त किया जाता है।

(5) नमक उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation)- राज्य की खारे पानी की झीलें राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में केन्द्रित हैं। अत नमक उद्योग का विकास भी इस क्षेत्र में हुआ है। इस क्षेत्र में नमक उद्योग के अन्तर्गत कार्य करने वाले विशेष प्रकार के श्रमिक भी पर्याप्त सख्या में उपलब्ध है। इन खारे पानी की झीलों में वर्षा का जल एकत्रित होता है, वह प्रतिवर्ष नमक के नए भण्डार अपने साथ बहाकर लाता है। अत ये क्षेत्र नमक के अक्षय भण्डार कहे जा सकते हैं। फलस्वरूप नमक उद्योग का भावी विकास इन्हीं केन्द्रों में केन्द्रित रहेगा।

6 राजस्थान में नमक का उत्पादन[1] (Production) निम्न तालिका में राजस्थान के नमक उत्पादन को बताया गया है

राजस्थान में नमक उत्पादन

(लाख टन)

वर्ष	1985	1990	1995	1997	1998 (प्रत्य)
उत्पादन	10 92	10 55	14 93	12.00	11 00

1 statistical Abstract 1988 Raj Budget Study, 1992 93 Economic Review 1995 96 & 1998 99 Rajasthan

राजस्थान का सर्वाधिक नमक साभर झील से प्राप्त होता है। साभर का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध रहा है।

7. नमक का आयात-निर्यात (Import & Export) मार्च, 1995 में 3 9 लाख क्विटल नमक अन्य राज्यों को भेजा गया तथा देश के अन्य राज्यों से 0 14 लाख क्विटल नमक आयात किया गया।

8 नमक उद्योग की समस्याए व सुझाव (Problems & Suggestions)

(i) **वर्षा (Rain)** नमक उद्योग के लिए कम व अधिक वर्षा, दोनों ही हानिकारक है। राजस्थान में प्राय अकाल की स्थिति रहती है। इस कारण नमक का उत्पादन भी सूखे की इस स्थिति से प्रभावित होता रहा है।

(ii) परिवहन (Transport) राजस्थान नमक का सबसे बडा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर उत्पादित नमक को विभिन्न राज्यों में भेजना होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में परिवहन सुविधाओं के अभाव से नमक को नियमित रूप से भेजे जाने में असुविधा अनुभव की जाती है। समस्या के समाधान के लिए नमक उत्पादन केन्द्रों को रेल व सडक मार्गों से जोडना चाहिये तथा पर्याप्त मात्रा में वैगन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

1 statistical Abstract, 1988, Raj Budget Study, 1992 93, Economic Review, 1997 98, Rajasthan.
* 2. Statistical Abstract, Rajasthan, 1996

(iii) निश्चित नीति का अभाव (Lack of Firm Policy) राजस्थान सरकार ने नमक उद्योग के विकास के लिए कोई भी भू-सरचना निर्धारित नही की है। इस कारण नमक के स्रोतो का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस उद्योग में लगे कर्मचारियो में भी निरन्तर असतोष की स्थिति बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि इस उद्योग के विकास के लिए कोई निश्चित कार्ययोजना निर्धारित करें।

(iv) लीज की प्रवृत्ति (Lease Tendency) नमक उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों को निजी क्षेत्र को लीज पर उपलब्ध कराया जाता है। निजी क्षेत्र द्वारा समय पर लीज का भुगतान नही करने से उद्योग के समक्ष वित्तीय सकट उपस्थित हो जाता है और उसे उत्पादन बद करना होता है या उसे स्थगित करना पडता है। अत लीज पर दिये जाने की प्रवृत्ति की समीक्षा कर इसमें विद्यमान दोषो को दूर किया जाना चाहिये ।

काँच उद्योग
Glass Industry

1. इतिहास एव विकास (History & Development) राजस्थान म छोटे पैमाने पर काँच का सामान जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली , जोधपुर आदि स्थानों पर समय-समय मे किया जा रहा है। बडे पैमाने पर काच का सामान धौलपुर के कारखानो में बनाया जाता है। राज्य में काँच बनाने मे प्रयुक्त होने वाले विभिन्न कच्चे पदार्थों का बाहुल्य है। अत राज्य मे इस उद्योग के विकास की पर्याप्त सम्भावनाए विद्यमान है।

2. इकाइयों की सख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) काँच का सामान जयपुर कोटा, भरतपुर उदयपुर पाली व बीकानेर आदि स्थानों पर बनाया जाता है। राज्य मे काँच उद्योग की दो इकाइयाँ कार्यरत है

(i) धौलपुर ग्लास वर्क्स यह कारखाना निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसमें 90 लाख रुपये की पूजी विनियोजित की गई है। इस कारखाने मे प्रतिवर्ष लगभग 1000 टन काच के सामान का उत्पादन किया जाता है। इसमें 800 से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त है। यहाँ मुख्यत काँच की बोतलें बनाई जाती है।

(ii) दी हाईटैक्नीकल प्रीसीजन ग्लास वर्क्स, धौलपुर यह कारखाना 50 लाख रुपये की अधिकृत पूजी से सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी अभिदत्त पूजी 10 लाख रुपये है। कारखाने मे काच के सामान का उत्पादन मार्च 1964 स किया जा रहा है। यहाँ मुख्यत बोतलें, बीकर्स, बॉयलर्स, कवर ग्लास व फ्लास्क आदि का निमार्ण किया जाता है। 1965-66 के औद्योगिक सघर्ष के कारण कारखाने को 1967 मे बन्द करना पडा, लेकिन 1968 में इसे पुन चालू कर दिया गया। वर्तमान में यहाँ 750 व्यक्ति कार्य कर रहे है।

3 प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) काँच का सामान बनाने के लिए बालू मिट्टी, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ एव शक्ति के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। बालू मिट्टी अत्यधिक भारी होती है। अत काँच के कारखाने मुख्यत बालू मिट्टी के प्राप्तिस्थलो के नजदीक ही स्थापित किए जाते है। काच का सामान बनाने के लिए श्रेष्ठ किस्म की बालू की आवश्यकता होती है। राजस्थान बालू मिट्टी उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक धनी है। राज्य के जयपुर, बीकानेर, बूदी धौलपुर आदि जिलो में श्रेष्ठ किस्म की बालू मिट्टी पायी जाती है। काच का सामान बनाने के लिए बालू मिट्टी को 1600 सेंटीग्रेड से 1650 सेंटीग्रेड ताप पर पिघलना पडता है। अत पर्याप्त विद्युत-शक्ति अथवा कोयले की आवश्यकता होती है। राज्य मे कोयले का आयात मुख्यत बिहार से किया जाता है। काच बनाने में सोडा मिट्टी, सोडा सल्फेट और शोरे की आवश्यकता होती है। ये वस्तुए मुख्यत राज्य के रेगिस्तानी जिलो से प्राप्त हो जाती है। राज्य में चूने का पत्थर चित्तौडगढ, लाखेरी तथा सवाईमाधोपुर में बहुतायत से पाया जाता है।

4 राजस्थान मे काच उद्योग के स्थानीयकरण के कारण स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) राज्य का काच उद्योग मुख्यत धौलपुर मे केन्द्रित है। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में श्रेष्ठ किस्म की बालू मिट्टी पाया जाना है। यह शहर परिवहन की दृष्टि से भी उन्नत है और राज्य क प्राय सभी प्रमुख केन्द्रों से जुडा हुआ है। धौलपुर के कारखानों को कुशल श्रमिक भी आगरा से प्राप्त हो जाते है। आगरा शहर की विभिन्न जातियाँ प्राचीनकाल से ही काँच का सामान बना रही है। व लोग इस कार्य में प्रवीण है। काँच का सामान बनाने में काम आने वाली वस्तुएँ भी राज्य के विभिन्न भागों से आसानी से प्राप्त हो जाती है। कोयला मुख्यत बिहार की खानों से मगाया जाता है ।

5 राजस्थान मे काँच उद्योग का उत्पादन (Production) धौलपुर ग्लास वर्क्स में प्रतिवर्ष लगभग 1000 टन काँच का सामान तैयार किया जाता है। दी हाईटैक्नीकल प्रीसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर न 1988 89 में 65 लाख बोतलों का उत्पादन किया।

6 काँच के सामान का आयात-निर्यात (Import & Export) राजस्थान से काँच का सामान देश के विभिन्न राज्यों को भेजा जाता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार काँच का सामान देश के विभिन्न राज्यों से आयात किया जाता है। सन् 1987 में 613 क्विंटल काँच का सामान देश के विभिन्न राज्यों में भेजा गया तथा देश के विभिन्न राज्यों से 524 क्विंटल काँच का सामान आयात किया गया।

7. राजस्थान में काँच उद्योग की समस्याएं एवं समाधान (Problems & Solutions) राजस्थान में काँच का सामान बनाने सम्बन्धी विभिन्न वस्तुयें पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है फिर भी राज्य में इस उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। राज्य में पूंजी का अभाव इसका प्रमुख कारण है। अतः राज्य सरकार को इस उद्योग में पूंजी विनियोजित करनी चाहिए तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों को पूंजी विनियोजन हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस उद्योग में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। राज्य में कुशल श्रमिकों का नितान्त अभाव है अतः कुशल श्रमिकों की उपलब्धि हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य के दोनों काँच उत्पादक कारखानों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है और इनकी प्लान्ट तथा मशीनरी भी अत्यधिक पुरानी है। अतः इन कारखानों का नवीनीकरण किया जाना चाहिए तथा इनकी क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।

संगमरमर उद्योग

(Marble Industry)

1 परिचय (Introduction) मकराना में उपलब्ध संगमरमर अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में इटली के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ का संगमरमर देश के हर हिस्से में जाने के साथ विदेशों को भी निर्यात किया जाता रहा है। लगभग 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सीधी खड़ी पहाड़ियों में संगमरमर के अथाह भण्डार मौजूद है। नवीं शताब्दी में निर्मित सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के अलावा अपनी वास्तुकला से पर्यटकों को आकर्षित करने वाले विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल व कलकत्ता का प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल में लगा मार्बल इसी मकराना की ही देन है। मकराना क्षेत्र में गुनावटी, धौली, डूगरी, काली डूगरी व कुमारी पहाड़ियों में प्रमुखतः मिलने वाले संगमरमर की लगभग सैकड़ों खानों में पाया जाने वाला यह संगमरमर तीन तरह का होता है। इसमें 45 प्रतिशत सफेद, इतना ही गुलाबी व शेष 10 प्रतिशत संगमरमर काला होता है। मकराना कस्बे में लघु व मध्यम श्रेणियों के उद्योग स्थापित हैं। इनमें पच्चीस हजार श्रमिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत है। इस उद्योग में 2 अरब 13 करोड़ से अधिक की पूंजी विनियोजित है तथा इस उद्योग में सरकार को बिक्री कर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व रॉयल्टी के रूप में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की आय होती है। मकराना में संगमरमर की चिराई, पॉलिशिंग का काम बहुतायत से होता है जिससे ऐतिहासिक स्मारकों व मूर्तियों के निर्माण में संगमरमर का काम काफी बढ़ा है। संगमरमर के निर्यात संवर्द्धन की काफी सम्भावनाएं मौजूद हैं और सरकार की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उद्योगों के विकास के लिए बनाई गई नीतियों से मकराना के इस खनिज उद्योग को बल मिलेगा। वहाँ के मार्बल उद्योग को व्यवस्थित करने के लिए एक मार्बल मण्डी की परिकल्पना की गई है, जिसका प्रारूप बनकर तैयार है।[1]

2 प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) - संगमरमर ब्लॉक्स इस उद्योग का कच्चा माल है। ब्लाक्स की प्राप्ति मुख्यतः मकराना, भैंसलाना व राजनगर से होती है। इस उद्योग में पर्याप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर उद्योग को सस्ते श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अग्र तालिका में संगमरमर ब्लॉक्स के उत्पादन को दर्शाया गया है

संगमरमर ब्लॉक्स का उत्पादन		
वर्ष	उत्पादन (हजार टन)	कीमत (रुपये)
1985	712 80	1130391 70
1990	949 00	557494 00
1993 94	1875 40	1923327 68
1994-95	2324.24	2407899 39
1995-96	2840 08	3099884 00

1-Statistical Abstract, 1985, Raj. Budget Study 1992-93.

3 संगमरमर उद्योग के स्थानीयकरण के कारण / स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) मकराना की खानों से संगमरमर प्राचीनकाल से प्राप्त किया जाता रहा है अतः इन खानों से संगमरमर सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन भैंसलाना व राजनगर में संगमरमर की खानों की खोज के पश्चात् कच्चे माल की पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। यह उद्योग मुख्यतः मकराना व किशनगढ़ में केन्द्रित है। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मकराना से इस उद्योग के किशनगढ़ की ओर आने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। विगत् कुछ वर्षों में भी किशनगढ़ में अनेक डायमण्ड कटर-मशीनों की स्थापना की जा चुकी है। यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण संगमरमर की एक बड़ी मण्डी के रूप में विकसित होता जा रहा है।

1 Statistical Abstract, 1985, Raj. Budget Study 1992 93

4 संगमरमर का उत्पादन (Production) संगमरमर ब्लाक्स को चीरने व चिराई करने के पश्चात् अनेक प्रकार की इमारती वस्तुओं (सामान) का निर्माण किया जाता है। संगमरमर से अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। संगमरमर उद्योग द्वारा संगमरमर ब्लाक्स का उपयोग करके उपयोग में लाए जाने योग्य जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उनमें निर्माण में प्रयुक्त होने वाले संगमरमर स्लैब्स प्रमुख हैं।

5 संगमरमर का आयात निर्यात (Import & Export) संगमरमर से बनी वस्तुओं का देश एवं विदेश के अनेक भागों को निर्यात भी किया जाता है।

6 संगमरमर उद्योग की समस्याएं एवं समाधान (Problems & Solutions) राज्य में पूंजी का अभाव उद्योग के विकास में बाधक रहा है। पूंजी के अभाव के कारण उच्च तकनीकी मशीनों का प्रयोग सम्भव नहीं हो पा रहा है इस उद्योग में शोध एवं अनुसंधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है इस उद्योग द्वारा मुख्यतः मोटर परिवहन का उपयोग किया जाता है। समय पर मोटर गाड़ियां की प्राप्ति न होने के कारण माल के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। ट्रक यूनियन एवं मालिकों के मध्य भाड़े को लेकर प्रायः विवाद की स्थिति बनी रहती है इस उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षित श्रमिकों का भी अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। उद्योग के पर्याप्त विकास हेतु विदेशी पूंजी को आकर्षित किया जाना चाहिये परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये तथा सरकारी स्तर पर शोध एवं अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग्रेनाइट उद्योग[1]
Granite Industry

राजस्थान के बारह जिलों में 1120 मिलियन घन मीटर ग्रेनाइट के भण्डार पाये गये हैं। इनके रंग आकार तथा गुण भिन्न भिन्न हैं। कुछ रंग व डिजाइन तो इतने आकर्षक हैं कि मन को मोहित कर देते हैं जैसे माकलसर (बाड़मेर) रायल ग्रे (अजमेर) पैथर पिंक हरसोरा (अलवर) लहरिया पिंक जेबरा ग्रे (भीलवाड़ा) सीमा पिंक-एश ग्रे तथा राजा पिंक (जालौर) सजीला क्लासिक-शेखावटी पिंक व इपीरियन रैड (मारुर झुंझुनू) गोल्ड यलो एवं सनफ्लावर (पाली) सिल्वर एवं प्लेटिनम व्हाइट (पिपेहा) रूबी मरूधी रैड व मालपुरा ग्रे (टोंक) आदि प्रमुख हैं

राजस्थान में ग्रेनाइट के विशाल भण्डार है लेकिन अभी तक मात्र 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक (कुल ग्रेनाइट भण्डार का) ही खनन हेतु उपयोग हो रहा है। यह राजस्थान के लिए एक विकासशील उद्योग है। आशा है कि अगले 10 वर्षों में राजस्थान में ग्रेनाइट पत्थर का सर्वोत्तम बाजार तैयार हो जायेगा और ग्रेनाइट टाइलों के अलावा ग्रेनाइट से निर्मित अन्य सामान का भी निर्माण होने लगेगा

राजस्थान में हाल ही में ग्रेनाइट खनन के पट्टों के आवंटन की नयी नीति तैयार की गयी है। इसके तहत पट्टे उन्हीं को दिये जाने का प्रावधान है जो खनन के साथ साथ चीरने एवं पॉलिशिंग करने के उद्योग भी स्थापित करेंगे। खान एवं भू विज्ञान निदेशालय ने निर्धारित नीति के तहत ही खनन पट्टों का आवंटन किया है और आशा की जाती है कि इस उद्योग में 350 करोड़ रुपये से भी अधिक पूंजी का विनियोजन होगा। इसमें निर्यातोन्मुखी व्यवसाय को अधिक प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रेनाइट के खनन एवं पॉलिशिंग का काम करने की एकीकृत परियोजनाओं की स्थापना का काम राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) के माध्यम से किया जायेगा।

ग्रेनाइट प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) उद्योग

राजस्थान में लगभग 215 करोड़ रुपये की लागत से दस ग्रेनाइट प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) परियोजनाएं लगाने के समझौते बड़े उद्योगपतियों से किये गये हैं। यहां पर अभी तक ग्रेनाइट उद्योगों के जरिये 45 करोड़ रुपये के पूंजी विनियोजन का काम हुआ है। इनमें नौ ब्लाक काटने की नौ गोला आरी की तथा 3000 टाइल बनाने के कारखाने हैं।

राजस्थान में वर्तमान में ग्रेनाइट टाइल व ब्लाक काटने आदि के लगभग 1000 उद्योग कार्यरत हैं। ये उद्योग शाहपुरा (जयपुर) सीकर मदनगंज (किशनगढ़) एवं ब्यावर (अजमेर) उदयपुर झुंझुनू जालौर चित्तौड़ भीलवाड़ा बोरावड़ एवं मकराना (नागौर) जयपुर आदि स्थानों पर कार्यरत हैं। इनमें से अधिकतर उद्योग राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राजस्थान के राजमार्ग पर हैं तथा ये ग्रेनाइट के मुख्य बाजारों तथा देश के बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान वित्त निगम रीको तथा वाणिज्यिक बैंक इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं जिस पर ये नियमानुसार ब्याज लेते हैं। इन उद्योगों को विद्युत पानी एवं कैरोसिन तेल की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

राजस्थान में पहली स्वदेशी ग्रेनाइट गैंगसा मशीन का 125 दिन तक सफल परीक्षण किया गया है। इससे देश को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इस भारतीय ग्रेनाइट गैंगसा मशीन का निर्माण सौ प्रतिशत भारतीय पुर्जों और माल

1 The Economic Times 21st May 1993

से किया गया है। इस गेंगसा की इकाई लगाने वाले उद्यमियों का काम और पैसा कभी भी आयातित पुर्जों के इन्तजार में बेकार नहीं होगा क्योंकि इस गेंगसा के स्पेयर पार्ट्स और कम्पोनेंट्स भारतीय बाजार में ही उपलब्ध हैं। ग्रेनाइट के झांसी ब्लॉक या इलगान ब्लॉक पर परीक्षण करने पर औसगेंग मशीन का प्रयोग केवल 3.8 किलोग्राम स्टील शॉट्स और केवल 1.8 किलोग्राम ब्लेड का प्रयोग होगा। साथ ही इस गेंगसा की कार्यक्षमता आयातित विदेशी मशीन के समकक्ष 10 हजार से 12 हजार वर्गफीट प्रतिमाह होगी। इस मशीन की लागत लगभग 37 लाख रुपये आती है। आशा है कि भविष्य में इसका निर्यात किया जा सकेगा।

विश्व में ग्रेनाइट पत्थरों की खपत 75 हजार करोड रुपये सालाना है जिसमें भारतीय निर्यात 1990-91 में 150 करोड रुपये तथा वर्ष 1991-92 में 175 करोड रुपये हुआ। यह निर्यात प्रतिवर्ष 2500 करोड रुपये का होना चाहिये।

राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का निरन्तर विकास तो हो रहा है लेकिन इस उद्योग से जुड़े हुए खनन करवाने वाले ठेकेदारों एवं उद्यमियों की अनेकानेक समस्यायें एवं परेशानियां हैं।

राजस्थान में किसी केन्द्र स्थान पर ग्रेनाइट उद्योग से सम्बन्धित मजदूरों एवं मशीन ऑपरेटरों तथा पत्थर की कटाई करने के मशीन ऑपरेटरों, पॉलिशिंग करने वाली मशीन के ऑपरेटरों की ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिये। एक प्रयोगशाला स्थापित की जाये जिसमें ग्रेनाइट पत्थर की गुणवत्ता की जांच की जा सके। इन उद्योगों की पानी, बिजली और कैप्टेनिन तत्व की समस्या का समाधान किया जाना चाहिये। कम ब्याज दर पर राजस्थान वित्त निगम तथा बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिये। ग्रेनाइट से विविध प्रकार के आइटम (सामान) बनाने हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जावे। वर्तमान समय में यदि सरकार द्वारा ये सुविधाएं दिलवाई जायेगी तो हम चीन, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात तथा ताइवान जैसे देशों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं और इससे देश के ग्रेनाइट निर्यात से हम अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करके अपने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।

(स) अन्य उद्योग

OTHER INDUSTRY

ऊन उद्योग

Wool Industry

1. इतिहास एवं विकास (History & Development) : राजस्थान में ऊन का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 48 प्रतिशत है। राज्य में लगभग 1 करोड भेड़ें है लेकिन फिर भी राजस्थान में ऊन उद्योग अधिक विकसित नहीं हो पाया है। यहाँ का ऊन मोटा एवं अधिक खुरदुरा होता है। राजस्थान में ऊन की प्रमुख मण्डियाँ बीकानेर, पाली, केकड़ी, ओसियाँ और ब्यावर में हैं। राज्य सरकार ने सन् 1963 में पृथक रूप से भेड व ऊन विभाग की स्थापना की है। जिसके अन्तर्गत 14 जिलों में भेड विकास कार्य चल रहा है। ये जिले हैं : बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, जयपुर, पाली, उदयपुर, बाडमेर, अजमेर, भीलवाडा, जालौर, कोटा व जोधपुर। जोधपुर में भेड व ऊन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। फतेहपुर (जिला सीकर) में भी एक भेड व ऊन प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहा है। मालपुरा के निकट अविकानगर भेड प्रजनन केन्द्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का प्रमुख केन्द्र है। विदेशों से उन्नत किस्म के मेंढे भी यहां मंगाये गये हैं। अतः क्रॉस-ब्रीडिंग से देशी नस्ल की भेडों में सुधार हुआ है।

2. इकाइयों की संख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) : राजस्थान में ऊन उद्योग के अनेक संस्थान कार्यरत हैं। राज्य की प्रमुख इकाइयां निम्नलिखित हैं :

(i) स्टेट वूलन मिल्स, बीकानेर : यह मिल बीकानेर शहर में सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई है। इस मिल में ऊनी धागा तैयार किया जाता है।

(ii) जोधपुर वूलन मिल्स, जोधपुर : इस मिल की स्थापना जोधपुर शहर में की गई। यहाँ ऊनी धागा, कालीन व कम्बल बनाए जाते हैं।

(iii) वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, चुरू : यह मिल राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा चूरू में स्थापित की गई है।

(iv) वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, लाडनूं : यह मिल राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा लाडनूं में स्थापित की गयी है।

(v) जयपाल कॉम्बिंग मिल्स, कोटा

(vi) राजस्थान वूलन मिल्स, बीकानेर

(vii) बीकानेर वूलन मिल्स, बीकानेर

(viii) फ्रेण्ड्स वूलन मिल्स, बीकानेर

(ix) भारत वूलन मिल्स, बीकानेर

(x) फॉरेन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट मिल्स, कोटा

राजस्थान में ऊनी कपडा बनने के छः कारखाने कार्यरत हैं जिनमें से 3 कारखाने भीलवाडा में हैं जो कम्बल लिन के धागे का उत्पादन करते हैं। इन कारखानों में शॉल, स्वेटर्स, ट्वीड्स आदि ऊनी वस्त्रों के लिए धागा तैयार किया जाता है। राजस्थान में उत्पादित कुल ऊनी धागे में

भीलवाडा की मिलों का भाग लगभग 50 प्रतिशत है। राज्य में ऊनी कपडे के विधायन का एक भी कारखाना नहीं है अत ऊनी कपडे को विधायन हेतु लुधियाना व अमृतसर ले जाया जाता है। भीलवाडा में एक विधायन घर की स्थापना की गई है जिसकी विधायन क्षमता 6 लाख कम्बल प्रतिवर्ष है। जोधपुर में केन्द्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना की गई है अत ऊन उद्योग का व्यवस्थित विकास हो सकेगा।

3. प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) ऊन इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है जो भेडों से प्राप्त की जाती है राजस्थान में भेड-पालन व्यवसाय अत्यधिक विकसित है। राज्य के कृषक खेती कार्य के साथ-साथ भेडें पालने का व्यवसाय भी करते हैं। राज्य की भेडों से मुख्यत मोटे व खुरदरे ऊन की प्राप्ति होती है लेकिन श्रेष्ठ किस्म की ऊन के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से नस्ल सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है।

राजस्थान में भेडे मुख्यत अजमेर, बाडमेर, भीलवाडा, बीकानेर, चित्तौडगढ, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर व पाली जिलों में पाली जाती हैं। इन जिलों से राज्य के ऊन उद्योग को ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन का उपयोग करने हेतु बीकानेर, जोधपुर, नवलगढ, कोटा, चूरू, लाडनू, भीलवाडा आदि स्थानों पर कारखानों की स्थापना की गयी है।

4 राजस्थान में ऊन उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) राज्य में ऊन उद्योग का केन्द्रीयकरण मुख्यत ऊन उत्पादक क्षेत्रों में ही हुआ है। बीकानेर, भीलवाडा व जोधपुर आदि स्थानों पर ऊन उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। कच्चे माल के अतिरिक्त इन स्थानों पर सस्ते श्रमिक, बीमा व बैंकिंग सुविधाएं, परिवहन की सुविधा एव शक्ति के साधनों की सुविधा होना है। इन क्षेत्रों में वस्त्र व्यवसाय पहले से ही उन्नत है। अत ऊन उद्योग के लिए आवश्यक मशीनें व उपकरण तथा प्रशिक्षित श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते है। भीलवाडा में अन्य स्थानों की अपेक्षा ऊनी वस्त्र व्यवसाय का तेजी से स्थानीयकरण हुआ है। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र का औद्योगिक दृष्टि से विशेषत वस्त्र उद्योग की दृष्टि से विकसित होना है। शक्ति जल, परिवहन तथा बीमा व बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अत उद्योग को इस स्थान पर आन्तरिक व बाह्य दोनों ही प्रकार की बचत प्राप्त हो जाती है। भीलवाडा में ऊन उद्योग के विकास हेतु विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा यहाँ पर विधायन घरों की स्थापना की जानी चाहिये। वूलन कॉम्पलेक्स का निर्माण भी करना चाहिये ताकि ऊन उद्योग का तेजी से विकास हो सके।

5. ऊन उद्योग का उत्पादन (Production) खादी उद्योग के उपलब्ध आकडों के अनुसार ऊनी वस्त्रों का उत्पादन 1984-85 में 28 37 लाख स्कवायर मीटर था। जिसका कुल मूल्य 17 78 करोड रुपये था। खादी उद्योग के ऊनी उत्पाद 1993-94 में 22 73 लाख वर्ग मीटर और इनका मूल्य 21 97 करोड रुपये ही रहा[1] इससे इस प्रवृत्ति का आभास मिलता है कि विगत् वर्षों में ऊनी उत्पादों की कीमतों में कमी आयी है।

6 ऊन का आयात-निर्यात (Import & Export). राजस्थान में वस्त्रों का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है। अत कुछ ऊनी वस्त्र देश के अन्य राज्यों को भेजा गया तथा अधिक ऊनी उत्पाद देश के अन्य राज्यों से मगवाया गया।

7. राजस्थान में ऊन उद्योग की समस्याएँ एवं समाधान (Problems & Solutions). राजस्थान में अच्छी नस्ल की भेडों का अभाव है, इस कारण ऊन उद्योग को मोटी एव खुरदरी ऊन प्राप्त होती है, जिसका विक्रय मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है। सरकार को चाहिए कि विदेशी सरकारों की मदद से भेड की नस्ल सुधार कार्यक्रम को गति प्रदान करे ताकि अच्छी किस्म की मुलायम व लम्बे रेशे वाली ऊन प्राप्त हो सके। इस हेतु भेडपालकों को भी विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भेडों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, विशेष रूप से अकाल के समय में, विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। ऊन उद्योग में ऊन के विधायन की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इजीनियरिंग उद्योग
Engineering Industry

1. परिचय (Introduction) राजस्थान में सर्वप्रथम 1943 में जयपुर मैटल की स्थापना हुई और इसके पश्चात् बॉलबियरिंग बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। राजस्थान में इजीनियरिंग उद्योग का वास्तविक विकास स्वतत्रता के पश्चात् प्रारम्भ हुआ। पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया। अत योजनकाल में राज्य के विभिन्न भागों में इजीनियरिंग उद्योग सम्बन्धी अनेक कारखानों की स्थापना की गई।

प्रमुख इकाइयां - इजीनियरिंग उद्योग की प्रमुख इकाइया अग्रलिखित है

(i) कैप्स्टन मीटर कम्पनी, जयपुर व पाली : यह कम्पनी

1 *Statistical Abstract, 1994 Rajasthan*

पानी के मीटर बनाती है ।

(ii) जयपुर मैटल्स, जयपुर यह कम्पनी बिजली के मीटर बनाती है ।

(iii) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा - यह मशीनों एव यत्रों का उत्पादन करती है।

(iv) मान इडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जयपुर यह लोहे का सामान तथा इमारती खिडकियाँ आदि वस्तुए बनाने का कार्य करती है।

(v) सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर इस कारखाने में रेल के डिब्बे बनाए जाते है।

(vi) नेशनल इजीनियरिग इण्डस्ट्रीज, जयपुर - यह कम्पनी बियरिंग बनाती है और बियरिंग बनाने की दृष्टि से यह एशिया की सबसे बडी कम्पनी है।

(vii) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, जयपुर इस कम्पनी में टेलीविजन बनाये जाते है।

(viii) फ्लोर्सपार सयत्र, डूगरपुर इस कारखाने में स्लार्क, एल्यूमीनियम व फ्लोराइड बनाने के लिए फ्लोर्सपार का निर्माण किया जाता है।

उपर्युक्त कारखानों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि उपकरणों का उत्पादन करने के उद्देश्य से आबूरोड, सिरोही, चित्तौडगढ व सोजत आदि में कारखाने स्थापित किए गए है। राज्य का इजीनियरिंग उद्योग निरन्तर प्रगति कर रहा है। कारखानों की सख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।

उत्पादन- अग्र तालिका में कुछ प्रमुख इजीनियरिग उत्पादों का उत्पादन दर्शाया गया है

राजस्थान मे बिजली के मीटर, बॉल-बियरिंग्स व पानी के मीटर, टेलीविजन सेट्स व रेलवे वैगन का उत्पादन

क स.	मद इकाई	1990	1997	1998
1	विद्युत के मीटर (हजारों मे)	1908.29	480.01	195.10
2	पानी के मीटर (सख्या)	30115	40776	44883
3	बॉल-बियरिंग्स (लाख)	157.13	229.00	214
4	टेलीविजन सेट्स (सख्या)	654	एन ए	-
5	रेलवे वैगन (सख्या)	1954	1754	1709

Source Statistical Abstract, 1988 Raj Budget Study 1997 98, Economic Review 1998-99 Raj

रासायनिक उद्योग (Chemical Industry)

योजनाकाल में रासायनिक उद्योग का तीव्र गति से विकास हुआ है। राज्य में सोडियम सल्फेट, रासायनिक खाद, सल्फ्यूरिक एसिड, पी वी सी कम्पाउण्ड, कास्टिक सोडा आदि वस्तुओं के कारखाने स्थापित किए गए है। सोडियम सल्फेट का कारखाना राज्य सरकार द्वारा डीडवाना में स्थापित किया गया है। सोडियम सल्फेट का प्रयोग सूती, रेशमी व ऊनी कपडों तथा काँच बनाने में किया जाता है। डीडवाना व साभर की झीलों से वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है। पहले सोडियम सल्फेट निकाला जाता है और शेष बचे हुए जल से शुद्ध नमक बनाया जाता है। श्रीराम फर्टिलाइजर्स, कोटा की स्थापना निजी क्षेत्र में की गई। इसमें रासायनिक खाद बनाई जाती है। उदयपुर के निकट देबारी जिंक स्मेल्टर तथा खेतडी कॉपर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भी रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। हाल ही में कोटा में चम्बल फर्टिलाइजर्स की स्थापना की गई है ।

राजस्थान में प्रमुख रासायनिक पदार्थो का उत्पादन (मीट्रिक टन)

क स मद	1987	1990	1997	1998
रासायनिक पदार्थ				
1 कास्टिक सोडा	25757	39418	36767	39736
2 कैल्शियम कार्बाइड	23445	39819	37951	35677
3 पी वी सी कम्पाउड	6499	3494	3199	5000
4 एस एस पी टैंक	17575	29963	29016	25458
5 सल्फ्यूरिक एसिड	123619	198120	206000	249000
6 रासायनिक खाद				
यूरिया	291946	371980	398000	385000
सिंगल सुपर फास्फेट	89054	76360	25000	9000
				(कुल फास्फेट)

I Statistical Abstract, 1988 Raj Budget Study 1997 98
I Economic Review 1998 99 Rajasthan

राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

Public Sector Undertakings of Rajasthan

राजस्थान में कार्यरत उपक्रमों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है

(अ) राजस्थान मे केन्द्र सरकार के उपक्रम

(ब) राजस्थान सरकार के उपक्रम

(स) सहकारी उपक्रम

(अ) राजस्थान में केन्द्र सरकार के उपक्रम

(Undertakings of Central Govt. in Rajasthan)

(अ) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (Hindustan Zinc Ltd) सीसा व जस्ता सामरिक महत्त्व की धातुए है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए 10 जनवरी, 1966 को भारत सरकार ने मैटर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया का अधिग्रहण

कर लिया और इस संस्था के स्थान पर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई वर्तमान मे यह कम्पनी जावर, रीसा आदि खानों से जस्ता निकालकर देबारी स्थित परिशोधन संस्थान में इसका परिशोधन कर रही है। यहा प्रतिवर्ष लगभग एक हजार टन शुद्ध जस्ता तैयार किया जाता। इसका प्रधान कार्यालय उदयपुर में है। देबारी का शोधन संयत्र पांच भाग फ्लूओसोलिड रोस्टर सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लीचिंग और प्यूरीफिकेशन प्लांट इलेक्ट्रोलाईसिस और मैल्टिंग प्लान्ट तथा सुपर फास्फेट प्लांट मे विभक्त है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों की इकाइयों को भी संचालित करता है। इसके अन्तर्गत चार इकाइया है (1) जावर की खानें (राज) (2) जस्ता संयत्र देबारी (राज) (3) बिहार का सीसा संयत्र (4) राजपुर देबारी खानें (5) शोधन संयत्र विशाखापट्टनम् (आन्ध्रप्रदेश)। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने एक नवीन एकीकृत परियोजना के अन्तर्गत इन परिशोधन संयत्रों की स्थापना की है (1) रामपुरा-आगुचा खनन परिसर यह भीलवाडा जिले में स्थित है और इसकी दैनिक क्षमता 3 हजार टन है। (2) चन्देरिया सीसा व जस्ता परिशोधन संयत्र यह चित्तौडगढ जिले में स्थित है और इसकी वार्षिक शोधन क्षमता 70 हजार टन जस्ता व 35 हजार टन सीसे की है इस परियोजना की अनुमानित लागत 670 करोड रुपए है। इस परियोजना के फलस्वरूप हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की गणना विश्व की सीसा व जस्ता परिशोधन करने वाली बडी कम्पनियों मे हो गई है।

(ii) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Ltd) इसकी स्थापना 1967 में झुन्झुनू जिले के खेतडी नामक स्थान पर हुई। इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की वैस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कम्पनी की सहायता से की गई। यह उपक्रम राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी परियोजनाओं का सम्पादन करता है। खेतडी के दो ताम्र भण्डारो माधनराधन और कोलीहान मे तांबे का उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड रुपये व्यय किए गए है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड कलकत्ता के अधीन निम्नलिखित परियोजनाए है

- राजस्थान की योजनाए

  खेतडी कॉपर काम्पलैक्स खेतडीनगर (जिला झुन्झुनू)

  दरीबा ताम्र परियोजना अलवर

  चान्दमारी ताम्र परियोजना झुन्झुनू

खेतडी ताम्र परियोजना हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की सबसे बडी इकाई है।

- बिहार मे घाटशिला नामक स्थान पर हिन्दुस्तान ताम्र संयत्र
- आन्ध्रप्रदेश में अग्निगुण्डाला ताम्र सीसा परियोजना
- मध्यप्रदेश मे मलाजखण्ड ताम्र सीसा परियोजना

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मुख्यत वायर बार ब्लिस्टर कापर वायर रोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड सेलेनियम स्वर्ण व चांदी सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा निकल सॉल्फेट आदि वस्तुओं का निर्माण करती है। यह उपक्रम निरन्तर प्रगति कर रहा है।

(iii) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अजमेर (Hindustan Machine Tools , Ajmer) इस कारखाने की स्थापना 1967 में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई। इस कारखाने में विभिन्न प्रकार की प्रीसीजन ग्राइण्डिग मशीनों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान मे यहाँ ग्राइण्डिग मशीनों के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के यत्र व मशीन बनाई जाती है। इन मशीनों का उपयोग मुख्यत इंजीनियरिंग व आटोमोबाइल उद्योगो में किया जाता है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की समस्त भारत में छ इकाइया है और यदि घडी व डेयरी मशीनों को सम्मिलित कर लिया जाये तो इसकी समस्त भारत में 13 इकाइया है।

(iv) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा (Instrumentation Ltd Kota) इस उपक्रम की स्थापना मार्च 1964 मे राज्य के कोटा नगर में की गई। राज्य में इस उपक्रम की स्थापना के साथ ही उन्नततम तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास प्रारम्भ हो गया। इस कारखाने में शक्ति उत्पन्न करने वाले व रासायनिक संयत्रो के लिए यत्रों का निर्माण किया जाता है। मुख्यत मैगनेटिक न्यूमैटिक इन्स्ट्रूमेन्ट्स रिकॉर्डिंग एण्ड कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेन्टस इलेक्ट्रानिक ऑटोमैटिक इन्डीकेटर्स ट्रासमीटर्स तथा थर्मल पावर व कैमिकल प्लान्टों मे काम आने वाले यत्रों का निर्माण किया जाता है। इस कम्पनी ने बडी बडी इस्पात परियोजनाओं को प्रक्रिया नियत्रण इन्स्ट्रूमेन्टेशन प्रणालिया उपलब्ध कराई है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड जयपुर इसकी एक सहायक कम्पनी है। इस सहायक कम्पनी की स्थापना 1982 83 में की गई। इसकी एक इकाई केरल राज्य में भी कार्यरत है।

(v) साभर साल्ट्स लिमिटेड सांभर (Sambhar Salts Ltd Sambhar) 1964 में हिन्दुस्तान साल्ट्स की सहायक संस्था के रूप मे साभर साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना की गई। इसमें 40 प्रतिशत अंश राजस्थान सरकार के है। यह संस्थान विभिन्न प्रकार के नमक का उत्पादन करता

है। इस उपक्रम के नियत्रण में 4200 हैक्टेयर भूमि है।

(vi) मॉडर्न बेकरीज इण्डिया लिमिटेड, जयपुर (Modern Bakeries India Ltd , Jaipur) इसकी स्थापना मॉडर्न फूड्स इण्डिया लिमिटेड के अधीन जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में की गई है। इस सस्था द्वारा भारत में अनेक इकाइयों का सचालन किया जाता है।

(व) राजस्थान सरकार के उपक्रम
Undertakings of Rajasthan Govt

राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख उपक्रम *निम्नलिखित है*

(i) *दी गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्रीगगानगर* इस सस्थान के अन्तर्गत राजस्थान में ये इकाइया कार्य कर रही है -

- **दी गगानगर शुगर मिल्स** इस मिल में चुकन्दर व गन्ने से चीनी का उत्पादन किया जाता है ।

श्रीगगानगर व अटरू में स्थापित कारखानों में मदिरा व स्प्रिट का उत्पादन होता है। अटरू का कारखाना लम्बे समय से बद है।

- कोटा व उदयपुर क्षेत्र के जनजाति क्षेत्रों में गगानगर शुगर मिल्स द्वारा शराब की दुकानों का सचालन किया जाता है।

- **हाईटैक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर** इस कारखाने में मुख्यत बोतलों काच के सामान रेलवे जार तथा प्रयोगशालाओं में काम आने वाले उपकरणों का उत्पादन किया जाता है ।

(ii) राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना इस सस्थान के अतर्गत ये कारखाने कार्यरत है

- **सोडियम सल्फेट वर्क्स** इस कारखाने में क्रूड सोडियम सल्फेट से सल्फेट सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है।

- **सोडियम सल्फेट सयत्र** इस कारखाने द्वारा शुद्ध नमक का निर्माण किया जाता है ।

- **सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री** इस कारखाने में सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है। सोडियम सल्फाइड का मुख्यत उपयोग रगाई उद्योग व चमडा उद्योग में होता है ।

(iii) राजकीय लवणस्रोत - राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित लवणस्रोत हैं

- **राजकीय लवणस्रोत डीडवाना** प्रारम्भ में यह लवणस्रोत केन्द्र सरकार के अधीन था लेकिन 1965 में इसे *राजकीय उपक्रम विभाग को सौंप दिया गया है।* यहाँ मुख्यत अखाद्य नमक और सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। सोडियम सल्फेट भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है।

- **राजकीय लवणस्रोत, जावदीनगर** यहा खाद्य नमक बनाया जाता है।

- **राजकीय लवणस्रोत, पचपदरा** यहा खाद्य नमक का उत्पादन किया जाता है।

(iv) राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड इस उपक्रम का प्रधान कार्यालय जयपुर में स्थित है तथा यह टोंक में स्थित कारखाने का सचालन करता है। कारखाने में मुख्यत चमडा फोम व खालें आदि का निर्माण किया जाता है। इन वस्तुओं के निर्माण में मुख्य रूप से भेड की खाल का उपयोग किया जाता है। इस कारखाने द्वारा उत्पादित अधिकाश माल निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ के चमडे का उपयोग मुख्यत बैग, दस्ताने व चमडे के वस्त्र बनाने में किया जाता है। राज्य में पशुओं की पर्याप्तता के कारण कारखाने को कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है।

(v) स्टेट वूलन मिल्स, बीकानेर इस मिल की स्थापना मुख्यत ऊनी धागा बनाने के लिए की गई। यह इकाई घाटे में चल रही है अत इसे रुग्ण औद्योगिक इकाई घोषित कर दिया गया है।

(vi) वर्स्टेट स्पिनिंग मिल्स, चूरू व लाडनू राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा चूरू व लाडनू में दो स्पिनिंग मिल्स की स्थापना की गई। इन मिलों में मुख्यत ऊन की कताई की जाती है।

(vii) फ्लोर्सपार इस्पात बेनीफीसिएशन सयत्र, डूगरपुर यह कारखाना माण्डों की पाल डूगरपुर में स्थापित किया गया। इस कारखाने में स्टील व फाउण्ड्री में काम आने वाला एसिड किस्म का फ्लोर्सपार इस्पात तैयार किया जाता है।

(viii) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड इस निगम की स्थापना 1979 में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई। निगम का प्रमुख कार्य राजस्थान में खनिज सम्पदा का विदोहन एव विपणन करना है।

(ix) राजस्थान राज्य टगस्टन विकास निगम लिमिटेड
इस निगम की स्थापना 1983 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की सहायक कम्पनी के रूप में की गई। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य डेगाना की टगस्टन खानों को आधुनिकतम तकनीक से विकसित करना है। यह टगस्टन एव इसके साथ पाये जाने वाले सभी खनिज पदार्थों के नये भण्डारों को खोज करने का कार्य करता है।

(x) राजस्थान राज्य खान एव खनिज निगम लिमिटेड
इस निगम की स्थापना भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई। निगम का प्रमुख कार्य उदयपुर जिले के झामर, कोटडा क्षेत्र से रॉक फास्फेट का विदोहन, परिशोधन एव विपणन करना है। यह निगम चूरू, बीकानेर श्रीगगानगर व पाली जिलों में जिप्सम एव सैलेनाइट के विदोहन एव विपणन का कार्य भी करता है। उच्च श्रेणी के प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति निगम द्वारा विदोहित सैलेनाइट से होती है।

(स) सहकारी उपक्रम
Co-Operative Undertakings

राज्य के सहकारी क्षेत्र में निम्नलिखित संस्थान कार्यरत है

- केशोरायपाटन शुगर मिल्स, केशोरायपाटन (बूदी)
- राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा (भीलवाडा)
- पशु आहार कारखाना, जयपुर
- चावल मिलें -बारा उदयपुर बूदी, बामवाडा कोटा हनुमानगढ
- शीत भण्डार-जयपुर अलवर
- कीटनाशक जयपुर

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) सक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 राजस्थान के औद्योगिक ढाचे का वर्णन कीजिए।
Explain the industrial structure of Rajasthan
2 *पचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान की औद्योगिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।*
Examine the progress made by industries of Rajasthan during the plan period
3 राज्य के औद्योगिक विकास की क्या सम्भावनाए है?
What are the potentials of industrial development in Rajastha?
4 योजनाकाल में राजस्थान के औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों की जाच कीजिए।
Examine the main trends of industrial development of Rajasthan during plan period
5 राज्य के औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए।
What are the main problems of Industrialisation in Rajasthan?
6 राजस्थान सरकार के तीन औद्योगिक उपक्रमों के नाम बताईए।
Name the three industrial undertakings of Rajasthan Government
7 राजस्थान में कृषि पर आधारित कौन कौन से प्रमुख उद्योग धन्धे स्थापित किए जा सकते है?
What are the important agro based industries which can be set up in Rajasthan?
8 राजस्थान में स्थित चार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के नाम बताईए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए।
Name four Central Public Sector undertakings located in Rajasthan and describe their functions

(B) निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 'राजस्थान के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय भिन्नता' विषय पर सक्षिप्त एव आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
Write a brief and capital essay on Regional variation in industrial development of Rajasthan
2 राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए।
Discuss the main features of Industrial sector in Rajasthan
3 *राजस्थान में 'कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों' पर एक टिप्पणी लिखिए।*
Write a note on Agriculture based and mineral based industries
4 आजादी के बाद राजस्थान में हुए औद्योगिक विकास का आलोचनात्मक मूल्याकन कीजिए। राजस्थान में औद्योगिक विकास में कौनसी प्रमुख बाधाए है।

Critically evaluate the industrial development of Rajasthan since independence. List out main obstacles in industrial development in Rajasthan.

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(University Examinations Questions)

1 राजस्थान के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय (प्रादेशिक) भिन्नता विषय पर संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
Write a brief and critical essay on Regional Variation in Industrial Development of Rajasthan.

2 राजस्थान के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन को विस्तारपूर्वक समझाइए।
Explain in detail the regional imbalance in industrial development of Rajasthan.

3 राज्य में औद्योगिक विकास के स्तर व रोजगार सृजन में उद्योगों के हिस्से का विस्तार से विवेचन कीजिए।
Discuss in detail the level of industrial development in the state and share of industries in employment generation.

4 राज्य में औद्योगिक विकास के स्तर व रोजगार सृजन में उद्योगों के हिस्से का विस्तार से विवेचन कीजिए।
Discuss in detail the level of industrial development in the state and share of industries in employment generation.

5 राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए।
Discuss the main features of Industrial sector in Rajasthan.

6 राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों का विवरण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दीजिए

(i) आकार (ii) वस्तुगत ढाँचा
(iii) क्षेत्रीय फैलाव (iv) उद्योगों का राज्य के घरेलू उत्पत्ति में योगदान
(v) उद्योगों का रोजगार में योगदान

Describe under the following headings the main features of industrial sector in Rajasthan.
(i) Size (ii) Commodity structure
(iii) Regional spread (iv) Share of industries in total S D P
(v) Share of industries in total employment



अध्याय - 15

राजस्थान में लघु व ग्रामीण उद्योग तथा हस्तकलाएं

SMALL SCALE & VILLAGE INDUSTRIES AND HANDICRAFTS IN RAJASTHAN

"कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्णकालिक या अशकालिक व्यवसाय के रूप मे पूर्णत या मुख्यत परिवार के सदस्यो की सहायता से चलाया जाता है।"

अध्याय एक दृष्टि मे

- लघु व कुटीर उद्योग का अर्थ
- लघु व कुटीर उद्योग म अतर
- लघु व कुटीर उद्योगो का महत्व या भूमिका
- लघु व कुटीर उद्योगो के विकास में सहायक सस्थाए
- राजस्थान के प्रमुख लघु व कुटीर उद्योग
- राजस्थान में हस्तशिल्प
- राजस्थान म लघु व कुटीर उद्योगो की समस्याए
- अभ्यासार्थ प्रश्न

लघु व कुटीर उद्योग
SMALL SCALE & COTTAGE INDUSTRY

प्रशुल्क आयोग 1949 50 के अनुसार *'कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्णकालिक या अशकालिक व्यवसाय के रूप मे पूर्णत या मुख्यत परिवार के सदस्यो की सहायता से चलाया जाता है।"* दूसरी ओर *"लघु उद्योग वह उद्योग है जो मुख्यत भाडे के मजदूरो सामान्यत 10 से 53 मजदूरो के द्वारा चलाए जाते हैं। ये श्रमिक के घर पर नहीं चलाए जाते । इसमे वे सब इकाइया शामिल हैं जिनमे 7.5 लाख रुपए से कम पूजी लगी होगी।"* इन परिभाषाओं म समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। इन परिवर्तनो के अनुसार साढे सात लाख रुपये से कम पूजी वाले सभी सस्थानो चाहे उनमे कितने ही कम श्रमिक काम क्यो न करते हो को लघु उद्योग कहा गया है। 1975 से पूर्व की इस परिभाषा मे साढे सात लाख से कम पूजी विनियोजन को मापदड बनाया गया तो 1975 म भारत सरकार ने 10 लाख रुपए तक पूजी वाले औद्योगिक उपक्रमो को लघु उद्योग कहा। 1980 म घोषित औद्योगिक नीति म अति लघु क्षेत्र Tiny Sector मे विनियोग की सीमा एक लाख से बढाकर दो लाख रुपये कर दी गई। लघु इकाइयों मे

विनियोग की सीमा 10 लाख रुपए से बढाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। सहायक उद्यमों (Ancillaries) मे विनियोग की सीमा 15 लाख मे बढाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। मार्च 1985 मे भारत सरकार ने लघु उद्यमो का विनियोग सीमा 20 लाख रुपए से बढाकर 35 लाख रुपए की दी। सहायक उद्योगो मे यह सीमा 25 लाख रुपए स बढाकर 45 लाख रुपए कर दी गई। 1990 मे भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगो के अतर्गत सयत्र एव मशीनरी मे विनियोग की सीमा 35 लाख रुपए से बढाकर 60 लाख रुपए की दी गई। अति लघु क्षेत्र के लिए यह सीमा दो लाख रुपए से बढाकर पाच लाख रुपए कर दी गई।

जनवरी 1997 के अन्तिम सप्ताह मे लघु उद्योगो के सबध म गठित डा आबिद हुसैन समिति ने लघु उद्योगो के लिये निवेश सीमा मे वृद्धि करने सेवाओ सबधी लघु उद्योगो के लिये निवेश सीमा समाप्त करने किसी क्षेत्रीय बैंक के अन्तर्गत आने वाली समान प्रकृति की इकाइयो को एक समूह मानने लघु उद्योगो के लिय बुनियादी सेवा ढाचे मे सशोधन करने बैंको को अपने प्राथमिकता वाले ऋणो का 70% अश लघु उद्योगो के लिये सुरक्षित रखने एव लघु उद्योग इकाइयो की वर्ष म केवल एक बार जाच करने आदि के सबध मे प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण सिफारिशे की है।

डा आबिद हुसैन समिति की सिफारिशो के आधार पर 7 फरवरी 1997 को केन्द्रीय मत्री मडल की आर्थिक मामला की समिति ने लघु उद्योगो के अन्तर्गत सयत्र एव मशीनरी मे निवेश की सीमा 60 लाख रुपय से बढाकर 3 करोड रुपये कर दी। इसी प्रकार सहायक उद्योगो म निवेश की सीमा 75 लाख रुपय म बढाकर 3 करोड रुपय तथा अति लघु उद्योग म 5 लाख रुपये म बढाकर 25 लाख रुपये कर दी है। इसके अतिरिक्त लघु क्षेत्र के लिये निर्यात की बाध्यता 75% से घटाकर 50% कर दी। इसके अलावा सरकार लघु उद्योग मे उत्पादन के लिये वस्तुओ का आरक्षण समाप्त करने पर भी विचार कर रही है।

29 अप्रल 1998 को प्रधानमत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लघु उद्योगो मे निवेश की सीमा को 3 करोड रुपय से घटाकर 1 करोड रुपये करने की घोषणा की। साथ ही उन्होने आश्वासन दिया कि लघु उद्योगो के लिये उत्पादनो के आरक्षण की व्यवस्था आबिद हुसेन समिति की सिफारिशो के अनुसार समाप्त नही की जायेगी। इस घोषणा पर 5 अगस्त 1998 तक क्रियान्वयन नहीं हुआ था।

आठ उपक्षेत्र
Eight Sub-Sectors

ग्रामीण और लघु उद्योग आठ उपक्षेत्रो म बटे हुए है जो क्रमश खादी ग्रामीण उद्योग हथकरघा रेशम उद्योग हस्तकला जरी लघु उद्योग और विद्युत चालित करघा क्षेत्र हैं। इनमे से अतिम दो आधुनिक लघु उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि शेष छ उपक्षेत्र परम्परागत उद्योगो के अन्तर्गत आते है। आधुनिक लघुस्तरीय उद्योग और हथकरघा क्षेत्र आधुनिक तकनीको का प्रयोग करते हैं। ये सामान्यत शहरी क्षेत्रो मे विद्यमान हैं और श्रमिकों को पूर्णकालिक रोजगार उपलब्ध करा रहे है। दूसरी ओर परम्परागत उद्योग मुख्यत ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों मे विद्यमान हैं जो कि पूर्णकालिक अथवा अशकालिक रोजगार प्रदान करते है ये भारतीय कलाओ को सुरक्षित रखते है और इन्हीं के माध्यम से आय भी प्राप्त करते ह।

लघु एव कुटीर उद्योगो मे अन्तर
DIFFERENCE BETWEEN SMALL SCALE & COTTAGE INDUSTRY

कुटीर उद्योग प्राय परिवार के सदस्यो द्वारा सचालित किए जाते है जबकि लघु उद्योग मुख्य व्यवसाय के रूप से चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योगो म अधिकाश कार्य हाथ से किया जाता है लेकिन लघु उद्योगों म मशीनो का प्रयोग भी किया जाता है। कुटीर उद्योग द्वारा मुख्यत परम्परागत वस्तुओ का निर्माण किया जाता ह और ये उद्योग मुख्यत स्थानीय माग की पूर्ति करते ह इसके विपरीत लघु उद्योगो द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुए बनाई जाती हैं और ये उद्योग विस्तृत क्षेत्र की माग को पूरी करते ह। कुटीर उद्योगो म बहुत कम मात्रा में पूजी विनियोजित की जाती है जबकि लघु उद्योगो मे अपेक्षाकृत अधिक पूजी का विनियोजन किया जाता है। कुटीर उद्योगो द्वारा प्राय स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत लघु उद्योग के लिए प्राय अन्य स्थानो से कच्चा माल मगवाया जाता है।

राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की भूमिका या महत्त्व
ROLE OR IMPORTANCE OF SMALL SCALE & COTTAGE INDUSTRIES IN RAJASTHAN

1 रोजगार (Employment) · राजस्थान मे विद्यमान अत्यधिक बेरोजगारी का समाधान बडे पैमाने के उद्योगो के विकास मे निहित नहीं है। इनके विकास से कुछ ही क्षेत्रो मे श्रमिको का केन्द्रीयकरण होना सम्भव है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याए जन्म लेगी। इस समस्या को लघु एव कुटीर उद्योगों के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। इस क्षेत्र द्वारा उपलब्ध रोजगार कृषि को छोडकर अन्य सभी क्षेत्रो से अधिक है। इस कारण इन उद्योगों का विकास राजस्थान की बेरोजगारी समस्या को दूर करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान मे दिसम्बर 1997 तक कुल पजीकृत लघु एव दस्तकारी इकाइया 1,90,704 हो गई हैं जिनमे 2184.3 करोड रुपये के विनियोजन से 7.39 लाख व्यक्तियो के लिये रोजगार सृजित हुआ।[1]

2. उत्पादन (Production) · राजस्थान में 1983–84 मे ग्रामीण उद्योगों का कुल उत्पादन 59 18 करोड रुपये था जो बढकर 1995–1996 मे 357.67 करोड रुपये हो गया।[2] इन उद्योगो द्वारा परम्परागत वस्तुओ के निर्माण के साथ नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओ का निर्माण भी किया जा रहा है। उत्पादन में विभिन्न प्रकार के शोध एव अनुसधान के माध्यम से निरन्तर विविधता दृष्टिगोचर हो रही है। उत्पाद की इस विविधता के कारण यह क्षेत्र राजस्थानवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन जाएगा, ऐसी सम्भावना है।

3 निर्यात (Export) राजस्थान ने लघु क्षेत्र में कुछ विशेष सफलताए प्राप्त की हैं। इस क्षेत्र द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओ का निर्यात किया जाता है। इस क्षेत्र के द्वारा सिलेसिलाये वस्त्रों, दस्तकारी वस्तुओं, चमडे का सामान, रत्न, आभूषण, आदि का निर्यात किया जा रहा है। इस उद्योग को विशेष श्रेय दिया जा सकता है कि यह परम्परागत निर्यातों के बदले गैर परम्परागत वस्तुओ के निर्यात का एक बहुत बडा केन्द्र बन गया है। निर्यात सामान मे पर्याप्त विविधता होने के कारण इस क्षेत्र का महत्त्व निरन्तर बढने की सम्भावना है।

4 औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों का विकेन्द्रीयकरण (Decentralization of Industrial & Economic Activities) . ग्रामीण व लघु उद्योग क्षेत्र ने राज्य को औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को शहरी केन्द्र में केन्द्रित होने से बचाया है। राज्य की अधिकाश इकाइया ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इस विकेन्द्रीयकरण के कारण राज्य आय के वितरण की विषमता मे कमी आई है और राज्य बडे उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण की बुराइयों से बच सका है।

5. स्थानीय ससाधनो व कुशलता का उपयोग (Use of Local Resources & Efficiency) : लघु एव कुटीर उद्योग राज्य के बहुत बडे क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस कारण यह उन क्षेत्रों में उपलब्ध मानवीय एव प्राकृतिक साधनों व उनकी कुशलता का उपयोग करने की स्थिति मे है। राजस्थान में विद्यमान समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए लघु व कुटीर उद्योगो ने जहाँ साहसियो को राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया है, वहीं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक साधनों व मानवीय कलापूर्ण चातुर्य का भरपूर उपयोग भी किया है।

6 ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था मे संतुलन (Balance between Rural & Urban Economies) : योजनाकाल के प्रारम्भ से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के विकास का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के कुल साधनो का अधिकाश भाग ग्रामीण क्षेत्रो को उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है। इस प्रकार सरकार की नीति ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था में सतुलन लाने की है। लघु व ग्रामीण उद्योग इस क्षेत्र मे पहले से ही अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार की इस नीति के कारण उनका विकास प्रोत्साहित होगा।

7 पिछड़े क्षेत्रो की प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि (Increase In Per Capita Income of Backward Regions) राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाली जनसख्या विभिन्न अनुमानों के अनुसार 1.25 करोड से 1.50 करोड के मध्य है। इसमें से अधिकाश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार को ग्रामीण व अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल देना होगा। लघु एव ग्रामीण उद्योगो का कार्यक्षेत्र भी मुख्यत: यही है। अत सरकार की नीतियो के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

8 कृषि जनसख्या का भार कम करना (Lessening Load of Population on Agricultural Sector). राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और यहा के अधिकाश व्यक्ति कृषि पर आश्रित हैं। कृषि क्षेत्र की मानसून पर निर्भरता व पर्याप्त सिचाई सुविधाओं के अभाव में कृषक वर्ष भर खेती के काम में नहीं लगा रह सकता। वे प्राय. 4 से 6 माह तक बेकार रहते हैं। इस अवधि का उपयोग कुटीर एव लघु उद्योगों के विकास से किया जा सकता है। इससे जहां उनके बेकार समय का उपयोग होगा वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। इन उद्योगों के विकास के

1 Economic Review , 1997 98 Rajasthan
2 Statistical Abstract, 1988 & 1994 Rajasthan

साथ साथ लोगों की मनोवृत्ति मे भी परिवर्तन आएगा और धीरे धीरे जनसख्या कृषि क्षेत्र की अपेक्षा इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रेरित होगी। भारत मे कृषि क्षेत्र मे आवश्यकता से अधिक श्रम लगा हुआ है इस कारण कृषि पर से जनसख्या के भार को इन क्षेत्रो के विकास से कम किया जा सकता है।

9 पूजी उत्पादन अनुपात (Capital Output Ratio) बडे उद्योगों की भाति कुटीर उद्योगो मे बहुत अधिक पूजी की आवश्यकता नहीं होती। वे पूजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान होते है। भारत एक निर्धन राष्ट्र है इस कारण यहा सदैव ही पूजी की कमी रही है। इस कारण राज्य मे लघु एव कुटीर उद्योगो का महत्व और भी बढ जाता है। इस क्षेत्र द्वारा राजस्थान मे न केवल बडी मात्रा म रोजगार उपलब्ध कराया जाता है वरन् साथ ही उपलब्ध साधनो का सर्वोत्तम उपयोग करने की चेष्टा की जाती है। यही कारण है कि बडे उद्योगो म श्रम की कुशलता की तुलना मे लघु एव कुटीर उद्योगो को विकसित करना एक उचित कदम है।

10 आपातकाल म सहायक (Useful in Emergency) बडे उद्योग केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। इस कारण जहाँ अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की सुरक्षा हो खतरे म पड सकती है। युद्ध की स्थिति मे शत्रु द्वारा ऐसे क्षेत्रो को निशाना बनाकर अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। इस कारण उद्योगो के विकेन्द्रीयकरण के इस कार्य में लघु एव कुटीर उद्योग सबसे अधिक सहायक सिद्ध हो सकते है। इस प्रकार जहाँ ये सुरक्षा के खतरे को समाप्त करते हैं वहीं दूसरी ओर आपातकाल मे अधिक उत्पादन करके राष्ट्र को अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

11 श्रम एव पूजी म मधुर सम्बन्ध (Cordial Relations Between Capital & Labour) आज के औद्योगिक युग म श्रम एव प्रबध के मध्य मधुरता न होना औद्योगिक अशान्ति का एक बहुत बडा कारण है। बडे उद्योगो म मजदूरो एव प्रबधको के मध्य सीधा सबध नहीं रह पाता। पूजीपतियो व मजदूरो के मध्य वर्ग सघर्ष की सभावना पनपने लगती है। इसी कारण हड़ताले व तालाबदी होती हैं। लघु एव कुटीर उद्योगो के साथ ऐसा नहीं है। यहा पर श्रम एव पूजी के मध्य लगभग कोई भेद ही नहीं है स्वामी व मजदूर की भावना नहीं पनप पाती इस कारण इस क्षेत्र म हडताल या तालाबदी की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। बड़े उद्योगो म श्रमिको की व्यक्तिगत स्वतत्रता एव अस्तित्व ही समाप्त प्राय हो जाते है। इस कारण इनको काम करने म कोई विशेष आनद भी नहीं आता लेकिन लघु एव कुटीर उद्योगो म उत्पादक स्वय ही गौरव का अनुभव करने हैं क्योंकि सारा उत्पादन भी स्वय उनके हाथ से ही होता जाता है। शोषण से मुक्त होने के कारण वे अधिक स्वतत्रता से कार्य करते हैं।

12 अर्थव्यवस्था का समग्र विकास (Overall Economic Development) लघु एव कुटीर उद्योग सभी विकासशील राष्ट्रो की अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी होते हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि राज्य अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रो मे लघु एव कुटीर उद्योगो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो अथवा निर्यात का देश की आर्थिक गतिविधियो के विकेन्द्रीयकरण का प्रश्न हो या राज्य की पूजी का अधिक कुशलता से उपयोग करने का लघु एव कुटीर उद्योग सभी मे अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए है। इस क्षेत्र ने जहा नगरीकरण की समस्या का काफी हद तक समाधान किया है वहीं कृषि जनसख्या का भार भी कम हुआ है। लघु एव कुटीर उद्योगो ने कुछ क्षेत्र म बडे उद्योगो से कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा की है। इन क्षेत्रो म घरेलू व कार्यालय फर्नीचर सिले सिलाए वस्त्र मंजुन इत्यादि बिस्कुट खाद्य तेल प्लास्टिक का सामान टेलीविजन रेडियो असम्बली काच का सामान रबड की वस्तुए व बेल्ट आभूषण बनाना आदि प्रमुख हैं।

लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास मे सहायक सस्थाए

INSTITUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL & COTTAGE INDUSTRIES

(अ) राष्ट्रीय सस्थाए

National Institutions

1 लघु उद्योग तथा कृषि एव ग्रामीण उद्योग विभाग (Department of Small Industry and Agriculture & Village Industries) लघु उद्योग तथा कृषि एव ग्रामीण उद्योग विभाग की स्थापना उद्योग मत्रालय के अन्तर्गत की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास इनसे सबधित कार्यक्रमो एव नीतियो का निर्माण विभिन्न कार्यों मे समन्वय और निरीक्षण करता है। यह अन्य मत्रालयो से भी सम्बन्ध बनाए रखता है। लघु एव कुटीर उद्योगो म सबधित अनेक सस्थाए हैं। इनम योजना विभाग राज्य सरकार वित्तीय सस्थाए स्वैच्छिक सस्थाए और अन्य सबधित सस्थाए प्रमुख है विभाग द्वारा लघु एव कुटीर उद्योगो को अनेक सुविधाए प्रदान की जाती हैं। यह विभाग तकनीकी तथा प्रबन्धकीय विभिन्न बाजार सम्बन्धी और साख व उपकरणो के सबध म जानकारी देने का कार्य करता है। यह

सहायता 27 छोटे उद्योग सेवा सस्थानो द्वारा 31 शाखा कार्यालयो द्वारा 37 विस्तार केन्द्रो द्वारा एव 4 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रो द्वारा प्रदान की जाती है। इस विभाग के अतर्गत एक उत्पाद विधायन विकास केन्द (राची) दो केन्द्रीय फुट-वियर टेनिंग सेन्टर 4 उत्पादन केन्द्र और 19 फील्ड टैस्टिग स्टेशन्स कार्यरत हैं।

2 राष्ट्रीय उद्यम विकास बोर्ड और राष्ट्रीय उद्यमशीलता व लघु व्यापार विकास सस्थान [National Board for Entrepreneurial Development and National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)]
1983 मे सरकार ने राष्ट्रीय उद्यम विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यापार विकास सस्थान का गठन किया। यह नीति निर्धारित करने का कार्य करता है। यह इस क्षेत्र मे कार्यरत विभिन्न एजेन्सियो की गतिविधियो और कार्यक्रमो की समीक्षा करके उनमे सामजस्य स्थापित करने की चेष्टा करता है। इस सस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यह देश के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमो के लिए आदर्श पाठ्यक्रमो का निर्माण करता है एव परीक्षाए आयोजित करता है। इस क्षेत्र से सबधित आकडे एकत्र करता है तथा अनुसधान के माध्यम से लाभ पहुँचान की चेष्टा करता है। सक्षेप मे यह राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष सस्थान विभिन्न एजेन्सियो और उद्यमो के मध्य परस्पर विचार विमर्श के लिए मच प्रदान करता है।

3 लघु उद्योग विकास सगठन (Small Industries Development Organisation) यह सगठन लघु उद्योगो को प्रबधकीय तकनीक व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। लघु उद्योगो की समस्याओ के सबध मे परामर्श सेवा देने के साथ ही उनके उत्पादित माल के विपणन मे भी मदद करता है। इस सगठन ने लघु उद्योगो को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य मे नई तकनीकी सबधी कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। यह मुख्य रूप से लघु उद्योगो की उत्पादन प्रक्रिया प्रशिक्षण डिजाइन व अनुसधान के सबध मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उत्पाद विकास केन्द्र आजार कक्ष प्रशिक्षण केन्द्र आदि स्थापित कर सहायता कर रहा है।

4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corp) इसकी स्थापना 1955 मे हुई। यह लघु उद्योग इकाइयो को किराया खरीद योजना के अतर्गत मशीने उपलब्ध कराता है और सरकारी आर्डर प्राप्त करने मे सहयोग करता है। यह लघु उद्योगो को महत्वपूर्ण आयातित सामग्री खरीदने और उनके उत्पादो को विदेशो मे बेचने मे भी मदद करता है। यह विश्व के राष्ट्रो मे पूर्णत तैयार परियोजना निर्यात करने का प्रयास भी करता है तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। इस सस्थान द्वारा लघु उद्योगो के अतर्गत काम आने वाली मशीनो और आजारो के नमूने भी तैयार किए जाते हैं और उन्हे परिष्कृत करने के पश्चात् उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

5 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [Small Industries Development Bank of India (SIDBI)] भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के अतर्गत भारतीय विकास बैंक की एक सहायक सस्था के रूप मे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। इस बैंक का प्रमुख कार्य लघु व ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगो को सहायता प्रदान करना उनके कार्यों मे समन्वय स्थापित करना और लघु उद्योगो का विकास करना है। इस बैंक ने 2 अप्रैल 1990 से अपना कार्य प्रारभ किया। बैंक द्वारा राज्य वित्त निगमो व्यापारिक बैंको और राज्यो के औद्योगिक निगमो के माध्यम से कुटीर एव लघु उद्योगो को सहायता प्रदान की जाती है। बैंक की प्रदत्त पूजी 125 करोड रुपये है जो पूर्णत भारतीय औद्योगिक विकास द्वारा प्रदान की गई है।

(ब) राजस्थान मे लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक संस्थाए
Institution for Development of Small & Cottage Industries in Rajasthan

1 उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) उद्योग निदेशालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राज्य का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निदेशालय द्वारा छोटे छोटे ग्रामीण उद्योगो व लघु उद्योग को सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय दस्तकारी क्षेत्र के विकास हेतु सहायता प्रदान करता है। इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु निदेशालय द्वारा जिला उद्योग केन्द्रो के लिए वार्षिक योजनाए बनाई जाती हैं। यह लघु एव शिल्पकार औद्योगिक इकाइयो का पजीकरण करता है। यह रोजगार मे वृद्धि के प्रयास करता है और स्थानीय साधनो के उपयोग पर बल देता है। इस प्रकार निदेशालय प्रादेशिक सतुलन स्थापित करने मे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक अभियान औद्योगिक सर्वेक्षण तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने मे सहयोग प्रदान करता है। जन जाति व मरु प्रदेश मे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देता है। निर्यात सवर्द्धन के लिए प्रयत्न करता है। रुग्ण औद्योगिक इकाइयो को पुन चालू कराने मे सहयोग प्रदान करता है।

2 जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centers) यह एक जिला स्तरीय केन्द्र है जो उद्योगो की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाए उपलब्ध करता है। राज्य के प्राय सभी जिलो मे जिला उद्योग केन्द्रो की

स्थापना की गई है। राज्य के जिला उद्योग केन्द्रो को 4 श्रेणियो मे विभक्त किया गया है। (अ) स्पेशल श्रेणी–जयपुर (ब) 'ए' श्रेणी–अलवर अजमेर कोटा पाली उदयपुर जोधपुर भीलवाडा (स) 'बी' श्रेणी–बासवाडा भरतपुर झुझुनू, नागौर बीकानेर चित्तौडगढ टोक गगानगर सीकर और सवाईमाधोपुर (द) 'सी' श्रेणी–चूरू सिरोही धौलपुर झालावाड बूदी बाडमेर जालोर जैसलमेर और डूगरपुर। इसके अतिरिक्त भिवाडी ब्यावर आबूरोड हनुमानगढ फालना बालोतरा तथा मकराना में उपकेन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। राज्य मे जिला उद्योग केन्द्रो की स्थापना भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अतर्गत की गई है लेकिन इनका सचालन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्रो की स्थापना में केन्द्र सरकार भी आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

3 लघु उद्योग सेवा सस्थान (Small Industries Service Institute) इस सस्थान की स्थापना राज्य के उद्यमियो को विभिन्न उद्योगो के सम्बन्ध मे जानकारी प्रदान करने के लिए की गई। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सस्थान के पास विभिन्न उद्योगो सम्बन्धी परियोजनाओ की परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध है। इन परियोजना रिपोर्टों के आधार पर यह ज्ञात हो जाता है कि किसी उद्योग विशेष मे कितनी पूजी विनियोजित की जानी चाहिए किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होगी और वह कहा से प्राप्त किया जा सकेगा उत्पाद वस्तु का बाजार किन किन स्थानो पर उपलब्ध है प्रशिक्षित श्रमिक कहा से प्राप्त किए जाए आदि। इन तथ्यो की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमो के भी अतर्गत प्रदान की जाती है।

4 राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (Rajasthan State Handloom Development Corporation) निगम की स्थापना 1984 मे की गई। इस निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हथकरघा उद्योग का विकास करना है। इसके निगम द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। निगम विपणन व्यवस्था मे सहयोग प्रदान करता है। निगम अपने विभिन्न केन्द्रो के माध्यम से हथकरघा वस्त्रो के उत्पादन का रजिस्ट्रेशन प्रदान करता है। निगम ने जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र म विधायन गृह की स्थापना की है। यह जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम के सहयोग म अनुसूचित जाति के व्यक्तियो को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है। ये प्रशिक्षण निगम बासवाडा डूगरपुर और उदयपुर केन्द्रो द्वारा सचालित किए जाते है।

5 राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम (RAJSICO) राजस्थान म लघु उद्योगो व हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1961 में राजस्थान लघु उद्योग की स्थापना की। इसका विस्तृत विवेचन अन्य अध्याय म किया गया है।

6 राजस्थान खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड[1] राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अपेक्षाकृत कम पूजी विनियोजन से अधिकाधिक रोजगार अवसरो के सृजन मे विशेष रूप से सहायक है। बोर्ड की देखरेख म इस प्रकार की इकाइयो के सवर्द्धन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1996 97 के दौरान खादी उद्योग म 45.85 करोड रुपये कीमत का उत्पादन किया गया। इसी प्रकार ग्रामोद्योग के उत्पादन वर्ष 1996 97 मे 324.60 करोड रुपये का था। खादी एव ग्रामोद्योग इकाइयो मे वर्ष 1994 95 मे 4.25 लाख व्यक्तियो को रोजगार उपलब्ध कराया गया था 1995 96 मे 30,000 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर 95 तक 12042 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 1996 1997 मे 32631 अतिरिक्त व्यक्तियो को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

7 राजस्थान वित्त निगम (RFC) इसका विस्तृत विवेचन अन्य अध्याय मे किया गया है।

8 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एव विनियोजन निगम (RIICO) इसका विस्तृत विवेचन अन्य अध्याय मे किया गया है।

राजस्थान के प्रमुख लघु एव कुटीर उद्योग
IMPORTANT SMALL & COTTAGE INDUSTRIES OF RAJASTHAN

(अ) कृषि पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग (Agriculture Based)

1 खादी उद्योग (Khadi Industry)
2 तेल घाणी उद्योग (Ghani Oil Industry)
3 गुड खाडसारी उद्योग (Gur Khandsari Industry)
4 फल व सब्जियों का सरक्षण (Fruit & Vegetable Preservation)
5 रेशा उद्योग (Fibre Industry)
6 धान कूटने का उद्योग (Hand Pounding Rice Industry)
7 मधुमक्खी पालन (Bee Keeping)
8 अखाद्य तेल मे बना साबुन उद्योग (Non edible Oil Soap Industry)
9 दाल बनाने का उद्योग (Pulse Making)
10 पिसाई उद्योग (Grinding)
11 ग्वार गम उद्योग (Guar Gum Industry)
12 हथकरघा उद्योग (Handloom Industry)

(ब) खनिजो पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग (Mineral Based)

1 चूना उद्योग (Lime Industry)

1 Economic Review 1995-96 & 1997 Rajasthan.
2 Economic Review 1997 98 Rajasthan

2 एल्यूमीनियम उद्योग (Alum nium Industry)
3 पॉल्ट्री उद्योग (Poultry Industry)

(स) वनो पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग (Forest Based)

1 लोहे व लकड़ी के कार्य (B ack Sm th & Carpentry)
2 बैंत व बास उद्योग (Cane & Bamboo Industry)
3 ताड गुड उद्योग (Palm Gur Industry)
4 माचिस व अगरबत्ती उद्योग (Cottage Match & Agarbatti Industry)
5 हाथ से बना कागज उद्योग (Handmade Paper Industry)
6 रेशम उद्योग (Sericulture)
7 बीड़ी उद्योग (Bidi Industry)

(द) पशुओ पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग

1 चमडा उद्योग (Leather Industry)
2 ऊनी वस्त्र उद्योग (Wool Garments Industry)
3 हड्डी पीसना (Bone Crushing Industry)

(अ) कृषि पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग Agriculture Based Small & Cottage Industnes

खादी उद्योग (Khadi Industry)

खादी के अन्तर्गत मुख्यत सूती ऊनी व सिल्क आदि का कार्य किया जाता है। यह कार्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सचालित होता है। हजारो व्यक्ति हाथ करघे पर कार्य करते हैं। हाथ करघे के द्वारा मोटा कपडा खादी व तौलिये आदि अनेक प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जुलाहे खादी के कपडे अपने घरो पर ही तैयार करते है। खादी ग्रामोद्योग में अनेक व्यक्तियो को अशकालिक एव पूर्णकालिक रोजगार की प्राप्ति होती है। यह कार्य स्त्रियो द्वारा भी किया जाता है। ऊनी खादी के अन्तर्गत जैसलमेर की बरडी व रेजी बीकानेर के ऊनी कम्बल चूरू के खेस आदि प्रसिद्ध हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों मे मेरिनो नस्ल की भेडो से प्राप्त ऊन से खादी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं जिनकी सपूर्ण भारत म माग रहती है। निम्न तालिका में राजस्थान के खादी उद्योग को दर्शाया गया है

राजस्थान मे खादी उद्योग उत्पादन व कीमत

	मद	इकाई	1984 85	1987 88	1992 93	1995 96
1	खादी उत्पाद	लाख वर्ग मीटर	63.71	न न	18 94	92 19
		लाख रुपये	1696.34	217 34	1160 13	3941.64
	1 1 सूती	लाख वर्ग मीटर	35 34	उ न	8.67	39 04
		लाख रुपये	507 96	675 01	250 17	1531.58
	1.2 ऊनी	लाख वर्ग मीटर	28.37	न न	10 17	48 12
		लाख रुपये	1778.38	1500.33	9 9 96	2133.63
2	खादी की बिक्री	लाख रुपये	3205.43	4023 17	1998.02	8905.83
	2 1 थोक	लाख रुपये	2084.64	2472.64	1051 12	5132 19
	2 2 फुटकर	लाख रुपये	1120 79	1550 53	946.53	3773.64

स्रोत S atis ca Abs ra 1998 1996 Ra & Economic Review 995 96 R a han

तेल घाणी उद्योग (Ghani Oil)

वनस्पति घी उद्योग की भाति यह उद्योग भी तिलहनो के उत्पादन पर निर्भर है। राजस्थान के जयपुर भरतपुर कोटा धौलपुर गगानगर पाली आदि में अलसी मूगफली सरसों तिल आदि का उत्पादन होता है। अत जयपुर कोटा गगानगर पाली आदि मे ही तेल घाणी उद्योग का विकास अधिक हुआ है। तेल मुख्यत कोल्हू एव घाणी के द्वारा निकाला जाता है। लघु एव मध्यम उद्योग के रूप मे यह राजस्थान मे काफी विस्तृत है। इस व्यवसाय से राज्य के लगभग 37 हजार परिवारों को रोजगार की प्राप्ति होती है। निम्न तालिका में तेल घाणी उद्योग के उत्पादन मूल्य एव बिक्री मूल्य को दर्शाया गया है

राजस्थान मे तेल घाणी उद्योग का उत्पादन व मूल्य

(लाख रुपये मे)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983 [redacted]	1559 55	1722 17
1984 85	2336 40	2571 45
1985 86	2780 75	3041 05
1986 87	3150 00	3360 [redacted]
1987 88	3501 18	3736 71
1991 92	2439 30	2666 93
1993 94	6 6 23	2932 05
1994 95	2 74 77	3352 79
1995 96	3124 [redacted]	872 64

स्रोत S atistical Ab ra Raj 1985 1993, 994 & 1996

विगत् वर्षों मे राज्य के तेल-घाणी उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण विद्युत चालित तेल-घाणियों का प्रचलन होना है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत चालित तेल घाणियों की तेजी से स्थापना हुई।

गुड़-खाडसारी उद्योग (Gur-Khandsari)

राजस्थान में गन्ने से गुड़ व खाडसारी बनाने का कार्य प्राचीनकाल से हो रहा है। कुटीर उद्योग के रूप में यह कार्य छोटे पैमाने पर किया जाता है। राज्य मे गन्ने का उत्पादन मुख्यतः बासवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूगरपुर, गगानगर, जयपुर, झालावाड, कोटा, सवाई माधोपुर व उदयपुर में होता है। अतः इन जिलों मे गुड़ व खाडसारी उद्योग भी विकसित है। इस उद्योग मे राज्य के लगभग 55,000 व्यक्ति कार्यरत हैं। निम्न तालिका में राजस्थान में गुड-खाडसारी उद्योग के उत्पादन एवं मूल्य को दर्शाया गया है

राजस्थान का गुड़-खांडसारी उद्योग का उत्पादन तथा बिक्री मूल्य

(लाख रुपये मे)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	371.00	450.00
1984-85	380.58	471.82
1985-86	419.47	527.12
1986-87	297.16	397.12
1987-88	30.43	35.39
1992-93	47.39	610.12
1993-94	108.7	160.91
1994-95	133.75	173.51
1995-96	230.69	342.56

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1988, 1993 & 1994

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि गुड़ व खाडसारी के उत्पादन में अत्यधिक उतार-चढ़ाव हुए हैं। वास्तव में राजस्थान मे वर्षा के अपर्याप्तता के कारण गन्ने का उत्पादन कम-ज्यादा होता रहता है। अतः इससे चीनी उद्योग के साथ गुड़ व खाडसारी उद्योग भी प्रभावित होते रहे हैं।

फलो व सब्जियो का सरक्षण (Fruit & Vegetable Preservation)

राजस्थान मे सभी प्रकार की सब्जिया उत्पन्न की जाती हैं। उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान मे सब्जियों का अपेक्षाकृत कम उत्पादन होता है। राज्य में विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन भी होता है। विगत् कुछ वर्षों से राजस्थान के विभिन्न भागों में अंगूर का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। राज्य में फलों का सरक्षण मुख्यतः कोटा, जयपुर व गगानगर में किया जाता है। अग्र तालिका में सरक्षित फल एवं उसके मूल्य को दर्शाया गया है

फलों का संरक्षण : उत्पादन व बिक्री मूल्य[2]

(लाख रुपये मे)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	1.23	1.62
1984-85	2.26	2.88
1985-86	4.20	5.03
1986-87	4.47	6.12
1987-88	2.12	2.95
1992-93	13.39	17.63
1993-94	19.67	25.96
1994-95	27.04	34.83
1995-96	16.71	25.20

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1988, 1993, 1994 & 1996

रेशा उद्योग (Fibre)

राजस्थान में अनेक प्रकार की कृषि फसलों से रेशे की प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग मुख्यतः रस्सियाँ बनाने मे किया जाता है। ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रो मे यह कार्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्न तालिका मे विगत् कुछ वर्षों के रेशा उत्पादन को दर्शाया गया है।

रेशा उद्योग : उत्पादन व बिक्री मूल्य[1]

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	169.66	225.69
1984-85	158.39	243.14
1985-86	244.39	237.92
1986-87	286.49	398.77
1987-88	440.53	547.81
1992-93	1667.59	2036.50
1993-94	1670.21	2041.41
1994-95	1774.13	2154.77
1995-96	1865.50	2353.25

Source Statistical Abstract Rajasthan 1988, 1993, 1994 & 1996

धान कूटने का उद्योग (Hand Pounding Rice)

यह उद्योग राजस्थान के मुख्यतः बासवाड़ा, डूगरपुर, गगानगर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भरतपुर व झालावाड आदि जिलों मे विकसित हुआ है। प्रदेश के विभिन्न भागों मे यह उद्योग लघु इकाइयों द्वारा असगठित उद्योग के रूप में चलाया जाता है। धान उत्पादक क्षेत्रों में अनेक लघु इकाइयाँ कार्यरत हैं। गगानगर जिले में धान की भूसी से तेल निकालने का कार्य भी किया जाता है। अग्र तालिका में इस उद्योग के उत्पादन व मूल्य को दर्शाया गया है।

धान कूटने का उद्योग : उत्पादन व बिक्री मूल्य[2]

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	78.60	91.50
1984-85	107.57	122.53
1985-86	125.38	145.31
1986-87	132.66	164.88

1987-88	97.62	116.06
1990-91	207.11	274.30

Source Statistical Abstract Rajasthan 1988 1993 1994

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि धान के उत्पादन मूल्य मे 1983-84 से 1986-87 तक निरन्तर वृद्धि हुई है, लेकिन 1987-88 मे उत्पादन मे कमी आयी है। तत्पश्चात् उत्पादन बढा है।

मधुमक्खी पालन (Bee Keeping Or Honey)

राजस्थान में मधुमक्खी पालन का कार्य प्राचीनकाल से किया जाता रहा है। मधुमक्खियो से मुख्यत शहद एव मोम की प्राप्ति होती है। शहद शक्तिवर्द्धक पदार्थ है। इसका उपयोग अनेक प्रकार की औषधियो मे भी किया जाता है, वर्तमान में कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन को उपयोगी माना जाता है। निम्न तालिका मे शहद के उत्पादन एव उसके मूल्य को दर्शाया गया है

शहद का उत्पादन व विक्री मूल्य[3]

(लाख रुपये म)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	0.23	0.22
1984	0.17	0.37
1985-86	0.08	0.32
1986-87	0.09	0.14
1987-88	0.12	0.16
1989-90	0.54	0.38

Source Statistical Abstract Rajasthan 1988 1993 1994

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि शहद के उत्पादन मूल्य मे अत्यधिक उतार-चढाव आया है। 1983-84 मे शहद का उत्पादन 0.23 लाख रुपये का था जो बढकर 1989-90 में 0.38 लाख रुपये का हो गया।

अखाद्य तेल से बना साबुन उद्योग (Non-edible Oil Soap)

अखाद्य तेल का उपयोग मुख्यत साबुन बनाने मे लिया जाता है। इस कार्य मे राज्य के अनेक व्यक्ति सलग्न हैं। राज्य मे शिक्षा प्रसार के साथ-साथ स्वास्थ्य एव सफाई के प्रति बढती जागरुकता के कारण इस उद्योग के विकास की अच्छी सम्भावनाए विद्यमान हैं। निम्नतालिका में अखाद्य तेल से बने साबुन उत्पादन एव उसके मूल्य को दर्शाया गया है

साबुन का उत्पादन एव विक्री मूल्य[1]

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	123.28	117.92
1984-85	155.72	138.15
1985-86	188.48	186.13
1986-87	256.31	259.00
1987-88	303.98	299.40
1992-93	236.73	230.43
1993-94	329.28	278.80
1994-95	400.01	459.02
1995-96	511.89	543.32

Source Statistical Abstract Rajasthan, 1988 1993, 1994 & 1998

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत् वर्षों में अखाद्य तेल से बने साबुन के उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि हुई है। उत्पादन मे वृद्धि की इस प्रवृत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि भविष्य में इस उद्देश्य का तेजी से विकास होगा।

पिसाई उद्योग (Grinding Industry)

राजस्थान मे गगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा सवाई माधोपुर, उदयपुर, बूदी, पाली, टोक अजमेर भीलवाडा आदि जिलो मे पिसाई उद्योग विकसित है। राज्य मे प्रत्येक नगर मे गेहू पर आधारित आटा मिले हैं जिनमे गेहू से आटा सूजी व मैदा तैयार किए जाते हैं। कुटीर, गृह उद्योग तथा लघु स्तरीय उद्योग के रूप मे प्रत्येक गाव मे आटा चक्किया गेहू पीसने का कार्य कर रही हैं। इस प्रकार गेहू पीसने के उद्योग मे करोडो रुपये की पूजी लगी है जो हजारो लोगो को आजीविका उपलब्ध कराती है।

दाल बनाने का उद्योग (Pulses making Industry)

राजस्थान मे अरहर, मूग, उडद व मोठ की दाल बनाने का कार्य काफी प्राचीन समय से होता चला आ रहा है। यह कार्य स्त्रियो द्वारा घरो पर किया जाता था, लेकिन अब इसने उद्योग का रूप ले लिया है। राजस्थान मे दाल मिल उद्योग अजमेर, कोटा, उदयपुर, गगानगर, चित्तौडगढ, पाली, भीलवाडा, अलवर, भरतपुर व टोक जिलो मे बहुत विकसित हुआ है क्योकि इस उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल दलहन इन जिलों के आसपास के कृषि क्षेत्रो मे बडे पैमाने पर उत्पादित किया जाता है।

ग्वार गम उद्योग (Guar-Gum Industry)

राजस्थान में ग्वार गम उद्योग का विगत् कुछ वर्षों से तेजी से विकास हुआ है। जयपुर व अजमेर आदि स्थानों पर इस उद्योग के कारखाने स्थापित किए गए हैं। राज्य मे ग्वार का पर्याप्त उत्पादन होता है। अत उद्योग के कच्चे माल सबधी आवश्यकता स्थानीय स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है।

हथकरघा उद्योग (Handloom)

राजस्थान हथकरघा उद्योग द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इनमें चादर, खादी, साडिया, तौलिये, धोती व पगडिया आदि प्रमुख हैं। यह उद्योग मुख्यत जयपुर, जोधपुर कोटा, उदयपुर, जालोर व

करौली आदि स्थानों पर केंद्रित है। जयपुर व जोधपुर की चुनरिया और कोटा की मसूरिया साडी प्रसिद्ध हैं। करौली, गोविन्दगढ व जालोर का बना हुआ कपडा भी प्रसिद्ध है। बालोतरा, गुढ्ढा, सुमेरपुर और फालना मे धोती व खेसले बनाए जाते हैं। जयपुर व उदयपुर की पगडिया व खेस प्रसिद्ध हैं। बधाई, छपाई व रगाई राजस्थान की प्राचीन कलाएं हैं। इस उद्योग ने राज्य में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। बधेज के लिए जयपुर, जोधपुर व कोटा तथा छपाई के लिए जयपुर, जोधपुर, चित्तौडगढ, भरतपुर व पाली आदि प्रमुख है। यह उद्योग राज्य के प्राय सभी बडे गावो व नगरो तक विस्तृत है। बधाई का कार्य प्राय स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रगाई का कार्य प्रायः पुरुष करते हैं।

(ब) खनिजों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग
Minerals based Small Scale & Cottage Industries

चूना उद्योग (Lime Industry)

चूने का उपयोग मुख्यत निर्माण कार्य मे किया जाता है। राज्य में सीमेंट की तुलना में निर्माण कार्यों हेतु चूने का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पदार्थ सीमेंट की अपेक्षा अधिक सस्ता पडता है तथा इसकी प्राप्ति स्थानीय स्तर पर आसानी से हो जाती है। चूना पकाने के लिए चूना भट्टों का प्रयोग किया जाता है। इसमे हजारो लोगो को रोजगार उपलब्ध होता है। निम्न तालिका में विगत् कुछ वर्षों के चूना उत्पादन व उसके विक्रय को दर्शाया गया है

चूना उद्योग का उत्पादन व विक्री मूल्य[1]

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	414.76	555.60
1984-85	301.76	419.00
1985-86	524.18	731.95
1986-87	753.72	940.75
1987-88	882.43	1053.09
1992-93	1237.61	1570.37
1993-94	1833.29	2295.18
1994-95	2026.84	2542.75
1995-96	2256.05	2712.11

Source Statistical Abstract Rajasthan 1988 1993 1994 1996

तालिका से स्पष्ट है कि चूने के उत्पादन व बिक्री मूल्य में 1983-84 से निरन्तर वृद्धि हो रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि चूना उद्योग प्रगति पथ पर चल रहा है।

एल्यूमीनियम उद्योग (Allumınıum)

राज्य में एल्युमीनियम से बर्तन व खिलौने आदि वस्तुएं बनाने का कार्य भी किया जाता है। यह मुख्यत जयपुर, उदयपुर व जोधपुर मे तेजी से विकसित हुआ है। इससे अनेक व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होती है। अग्र तालिका में एल्यूमीनियम उद्योग के उत्पादन व उसके बिक्री को दर्शाया गया है :

एल्यूमीनियम उद्योग का उत्पादन व विक्री मूल्य[1]

(लाख रुपये मे)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983	-	-
1984-85	0.45	0.28
1985-86	5.18	5.69
1986-87	6.53	7.05
1987-88	8.69	8.73
1992-93	1.72	1.82
1993-94	1.80	2.03
1994-95	2.82	3.30
1995-96	2.18	2.40

Source Statistical Abstract Rajasthan 1988 1993 1994 1996

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि एल्यूमीनियम से बनी वस्तुओ के उत्पादन मूल्य म तेजी स वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति विकास की सभावनाओ को भी व्यक्त करती है।

पॉट्री उद्योग (Pottery)

राजस्थान मे पॉट्री बनाने का कार्य भी छोटे पैमाने पर किया जाता है। विगत् वर्षों मे इस उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। शिक्षा प्रसार के साथ साथ ग्रामीण एवम् शहरी क्षेत्रो मे पॉट्री उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओ का प्रचलन बढा है। अग्र तालिका में पॉट्री के उत्पादन एव उसके मूल्य दर्शाए गए हैं

पॉट्री उद्योग का उत्पादन व विक्री मूल्य[2]

(लाख रुपये मे)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	295.43	[illegible]
1984-85	400.97	[illegible]
1985-86	436.34	609.24
1986-87	558.30	[illegible]
1987-88	[illegible]	[illegible]
1992-93	[illegible]	[illegible]
1993-94	1310.44	[illegible]
1994-95	1426.3	1950.11
1995-96	1531.53	2111.83

Source Statistical Abstract Rajasthan 1988 1993 1994 1996

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत् वर्षों मे पॉट्रीज के उत्पादन मूल्य में निरन्तर वृद्धि हुई है। इस उद्योग सबधी कच्चा माल व आवश्यक सामग्री राजस्थान में उपलब्ध है। अत इस उद्योग के विकास की पर्याप्त सभावनाएं विद्यमान हैं।

(स) वनों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग
Small Scale & Cottage Industries Based on Forests

लोहे व लकड़ी का कार्य (Blacksmith & Carpentry)

राज्य के प्राय प्रत्येक नगर व गांव में लोहे का कार्य किया जाता है। चकू, कैंची, उस्तरा, [illegible] कुल्हाडी आदि

अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। गाडिया लुहार यह कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। राज्य में लकड़ी व इससे बने उत्पादों के निर्माण में हजारों व्यक्ति कार्यरत हैं। यह उद्योग शहरी क्षेत्र के फर्नीचर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में बैलगाड़ी तक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उदयपुर के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है। सवाईमाधोपुर व जोधपुर में भी लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। अग्र तालिका में लोहे एवं लकड़ी से बनी वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री मूल्य को दर्शाया गया है

लोहे व लकड़ी की वस्तुओं का उत्पादन व बिक्री मूल्य[1]

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983 84	513 90	715 30
1984 85	624 79	642 15
1985 86	694 25	775 22
1986 87	785 50	841 40
1987 88	892 87	932 24
1992 93	2121 59	2869 98
1993 94	2433 97	3313 59
1994 95	2809 97	3713 19
1995 96	3164 41	3918 87

Source Statistical Abstract Rajasthan 1988 1993 1994 & 1996

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोहे एवं लकड़ी से बनी वस्तुओं के उत्पादन मूल्य में निरन्तर वृद्धि हुई है।

बेंत व बांस उद्योग (Cane & Bamboo)

बांस से मुख्यतः टोकरियां, कुर्सियां, मेज तथा अनेक रचनात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। राज्य के जयपुर, जोधपुर व अजमेर जिले में यह कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बांस का सामान बनाने का कार्य किया जाता है। अग्र तालिका में उत्पादन व बिक्री के आंकड़े हैं

बेंत व बांस उद्योग का उत्पादन व बिक्री मूल्य[1]

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983 84	77 57	113 32
1984 85	129 86	176 38
1985 86	160 94	1-0 00
1986 87	214 60	247 90
1987 88	281 09	331 22
1992 93	966 00	1597 79
1993 94	1027 00	1686 00
1994 95	1101 90	1774 35
1995 96	1150 70	1763 90

Source Statistical Abstract Rajasthan 1984 1933 1994 & 1996

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में बेंत व बांस के उत्पादन मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है। बेंत के फर्नीचर व रचनात्मक वस्तुएं अत्यधिक पसंद की जाती हैं। अतः इस उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

ताड़-गुड़ उद्योग (Palm-Gur)

राजस्थान में ताड़ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ताड़ के वृक्षों से प्राप्त फलों से गुड़ का निर्माण किया जाता है। इस व्यवसाय से भी राज्य के अनेक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। निम्न तालिका में विगत् कुछ वर्षों के ताड़-गुड़ उत्पादन एवं उसके मूल्यों को दर्शाया गया है

ताड़-गुड़ उद्योग का उत्पादन व बिक्री[1]

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983 84	3 37	7 60
1984 85	5 92	9 74
1985 86	6 31	10 78
1986 87	9 54	17 59
1987 88	12 33	18 70
1992 93	79 34	106 03
1993 94	103 39	154 73
1994 95	128 44	189 78
1995 96	188 97	258 20

Source Statistical Abstract Rajasthan 1988 1993 1994 & 1996

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि ताड़-गुड़ उद्योग निरंतर प्रगति कर रहा है क्योंकि ताड़ गुड़ के उत्पादन मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है।

माचिस व अगरबत्ती उद्योग (Cottage Match & Agarbatti)

अजमेर व अलवर में माचिस बनाने के छोटे-छोटे कारखाने हैं। अलवर जिले में माचिस बनाने हेतु 'मालर वुड' पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है। राजस्थान में अगरबत्ती उद्योग का भी कुटीर उद्योग के रूप में तेजी से विकास हुआ है। इस उद्योग की दृष्टि से अजमेर व जयपुर आदि जिले अग्रणी रहे हैं। राज्य में अगरबत्तियों का निर्यात भी किया जाता है। निम्न तालिका में माचिस व अगरबत्तियों के उत्पादन व उनके मूल्य को दर्शाया गया है

राजस्थान का माचिस व अगरबत्ती उद्योग उत्पादन व बिक्री

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983 84	1 11	0 98
1984 85	0 01	0 02
1985 86	1 06	1 00
1986 87	0 52	[illegible] 44
1987 88	0 73	0 56
1992 93	14 71	17 26
1993 94	4 85	6 65
1994 95	6 20	9 90
1995 96	9 34	12 91

Source Statistical Abstract Rajasthan 1988 1993 1994 & 1996

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि माचिस व अगरबत्ती के उत्पादन मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही है।

हाथ से बना कागज (Hand made Paper)

राजस्थान म अनेक स्थानो पर हाथ से कागज बनाने का कार्य किया जाता है। जयपुर के सागानेर कस्बे म हाथ म कागज बनाने का कार्य लबे समय से किया जा रहा है। वहा का कागज सम्पूर्ण विश्व म प्रसिद्ध हैं। इस व्यवसाय से अनेक लोगो को रोजगार का प्राप्ति होती है। निम्न तालिका मे हाथ से बन कागज का उत्पादन एव उसके मूल्यों का दर्शाया गया है

उत्पादन व बिक्री मूल्य[2] (लाख रुपये म)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983	39 91	46 42
9 4 85	38 31	45.31
985 86	41 70	47 49
1 96 87	44 49	45 15
987 88	44 82	49 51
992 93	105 13	120.50
1993 94	66 88	76 74
1994 95	94 39	117.30
199 96	95 02	125.30

Source Statistical Abstract Rajasthan 993, 993 994 & 95

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट ह कि हाथ से बने कागज क उत्पादन मूल्य मे कुछ उतार चढाव होता रहा ह। लेकिन कागज के उत्पादन म वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होना हैं।

रेशम उद्योग (Sericulture)

रेशम उद्योग कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। राज्य म पर्याप्त माग ह। अत राज्य सरकार ने कोटा और उदयपुर सभाग म रेशम उत्पादन की एक योजना प्रारभ की राज्य के लगभग 6000 बुनकर कोटा डोरिया व मसूरिया साडियो का निर्माण करते हैं इनम लगभग 16 20 मीटिक टन धागे का प्रयोग किया जाता है। यह धागा देश के विभिन्न राज्यो स आयात किया जाता है। राज्य मे हा धागे क उत्पादन म वृद्धि करने क लिए उद्योग विभाग जनजाति क्षत्राय विकास विभाग और केद्रीय रेशम बोर्ड सयुक्त रूप म प्रयास कर रहे हैं। रेशम के उत्पादन क अतगत रेशम के कीडो के लिए शहतूत का खेती रेशम के कीडो को पालकर कोया का उत्पादन तथा कोया स धागा बनाना और धागा स रेशम तैयार करना आदि सम्मिलित हैं। इस उद्योग से कृषक क परिवार के सभी सदस्यो का नियमित रूप से रोजगार की प्राप्ति होती है। इस उद्योग म अपेक्षाकृत कम पूजी निवेश का आवश्यकता होती है। अत ग्रामीण क्षेत्रो क व्यक्ति इस व्यवसाय का आसानी मे सचालित कर सकते हैं। राजस्थान क दक्षिण पूर्वी क्षेत्र उदयपुर एव कोटा सभाग का भूमि और जलवायु रेशम उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इन स्थाना पर वर्ष म कोया की तीन फसल आसानी स प्राप्त की जा सकती ह।

बीडी उद्योग (Bidi Industry)

राजस्थान मे बीडी उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। राज्य म तदु पत्ते का पर्याप्त उत्पादन होता है लेकिन इन तेदु पत्तो मे सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी नहा हो पाती है। अत तदु पत्तो का देश के अन्य राज्यो से आयात भी किया जाता है। बीडी बनाने का कार्य मुख्यत स्त्रिया द्वारा किया जाता हैं। नसीराबाद अजमेर ब्यावर चित्तोडगढ भीलवाडा जोधपुर व कोटा आदि स्थाना पर बीडी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। बीडी बनाने के अनेक छोटे छोटे कारखाने स्थापित किए गए हैं।

(द) पशुओ पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग
Small Scale & Cottage Industries based on Animals

चमडा उद्योग (Leather)

राजस्थान मे पशुओ की सख्या अधिक है अत राज्य म चमडा पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध रहता है। चमडे से जूते अटैचिया थैले मशक व चरस आदि वस्तुए बनाई जाती हैं। यह उद्योग राज्य के जयपुर जोधपुर व बीकानेर आदि क्षेत्र म पूर्णत विकसित हैं। चमडा पकाने के पदार्थ राज्य म उपलब्ध हैं। चमडे को साफ करके मुख्यत कानपुर आगरा व मद्रास भेजा जाता है। चमडा उद्योगो मे जूतिया का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जयपुर व जोधपुर इसके प्रमुख केन्द्र हैं। निम्नाकित तालिका म चमडे के उत्पादन एव उसके मूल्या को दर्शाया गया है

चमडा उद्योग का उत्पादन व विक्रय मूल्य (लाख रुपय म)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्रय मूल्य
1991 85	2770	3432 83
9 9 9	7276 8	1034 73
1993 94	1 342 99	20670.33
1994 95	9369 33	14350 51
1995 96	10744 09	16120 4

Source Statistical Abstract Rajasthan 988 994 & 5

उपर्युक्त तालिका स स्पष्ट ह कि विगत् वर्षों म चमडे क उत्पादन मूल्य म निरतर वृद्धि हुई। वस्तुत राज्य म पशु पालन व्यवसाय विकसित होने क कारण चमडा उद्योगो का तेजी म विकास हुआ ह। राज्य क चमडा उद्योग से बनी वस्तुओं की अन्य राज्यो क विभिन्न भागो मे अत्यधिक माग ह अत इस उद्योग के विकास की पर्याप्त सभावनाए विद्यमान हैं।

ऊनी वस्त्र उद्योग (Wool Garments Industry)

राजस्थान के शुष्क व अद्धशुष्क क्षेत्र म भेडो की सख्या अधिक ह। अत ऊन की प्राप्ति आसानी से हो जाती है और इन क्षेत्रो की जलवायु भी ऊन उद्योग क अनुकूल है।

ऊन से नमदे, कम्बल, आसन, घोड़े व ऊंट की जीनें व मोटा कपड़ा बनाया जाता है। यह उद्योग मुख्य रूप से बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व जयपुर में विकसित हुआ है।

हड्डी पीसना (Bone Crushing)

हड्डियों को पीसकर उनका विभिन्न कार्यों की दृष्टि से उपयोग किया जाता है। पशु अधिक होने के कारण राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में हड्डियां उपलब्ध हो जाती हैं। हड्डी पीसने से मुख्यतः बोन मिल प्राप्त होता है। जोधपुर, जयपुर, गेगल, कोटा, पलाना आदि में इसके कारखाने हैं।

हाथी दांत का कार्य (Ivory Work)

हाथी दांत से अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। विगत् वर्षों में हाथी दांत पर चित्रकारी का कार्य भी किया जाता है। हाथी दांत का काम मुख्यतः जयपुर, पाली, जोधपुर व अजमेर जिले में किया जाता है। हाथी दांत से बनी वस्तुओं का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है।

राजस्थान में हस्तशिल्प
HANDICRAFTS IN RAJASTHAN

राज्य के कारीगरों व कलाकारों द्वारा अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। मिट्टी, पत्थर, पीतल, हाथी दांत, सूती व रेशमी कपड़े, लकड़ी व चमड़े आदि पदार्थों पर हाथ से काम करके अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। पाली, बगरू व सांगानेर में हाथ से वस्तुओं की रंगाई व छपाई का कार्य किया जाता है। नाथद्वारा की पिछवाइयां और बाड़मेर की अजरक प्रिंट सम्पूर्ण राज्य एवं अनेक राज्यों में प्रसिद्ध है। जयपुर व जोधपुर की बन्धेज की चुनरियां, ओढ़नियां व लहरिये अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। राज्य की राजधानी जयपुर में अनेक प्रकार की विश्व प्रसिद्ध वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। 250 ग्राम रूई से बनी रजाई, स्वर्ण व चांदी के आभूषण, विभिन्न प्रकार के रत्न, पीतल के बर्तनों पर पुताई व रंगाई, लाख से बनी चुड़ियां, मीनाकारी के बर्तन, सलमा सितारों की कारीगरी से बनी जूतियां, संगमरमर की मूर्तियां, मिट्टी व लकड़ी के आकर्षक खिलौने, ब्ल्यू पॉटरी से बनी वस्तुएँ, ऊनी गलीचे, चन्दन व हाथी दाँत से बनी वस्तुएं, खस के पानदान, ऊँट की खाल से बनी वस्तुएं आदि राज्य के विभिन्न भागों में कलाकारों व कारीगरों द्वारा निर्मित की जाती हैं। राज्य के कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ व बून्दी जिलों में रेशम उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। उदयपुर, कोटा व बांसवाड़ा जिलों में कृत्रिम रेशम (टसर) का भी विकास हो रहा है। कृत्रिम रेशम के उत्पादन हेतु अर्जुन के वृक्ष लगाए जाते हैं। इसमें न केवल पर्यावरण सन्तुलित रहता है वरन् रासायनिक विधि से कृत्रिम रेशम का निर्माण भी किया जाता है। राज्य से विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता है। अतः राज्य का हस्तशिल्प व्यवसाय विदेशी मुद्रा प्राप्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। हस्तकलाएं सभ्यता व संस्कृति को प्रभावित करती हैं। अनेक प्रकार की हस्तशिल्प कलाएं प्राचीनकाल से लेकर अब तक प्रचलित हैं। अनेक कलात्मक कृतियाँ सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। राज्य सरकार ने हस्तशिल्प के उद्योग के लिए अनेक प्रयास किए हैं। प्रमुख प्रयास हैं

1 हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना (Handicrafts Board) हस्तशिल्प उद्योग रोजगार, उत्पादन एवं निर्यात की दृष्टि से राज्य अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस उद्योग का तेजी से विकास करने के लिए 1990 की औद्योगिक नीति में विशेष बल दिया गया। इस नीति के अन्तर्गत हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गयी। 27 फरवरी, 1991 को राज्य विधानसभा ने हस्तशिल्प बोर्ड विधेयक को पारित कर दिया।

2 आठवीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प (Handicrafts and Eighth Plan) हस्तशिल्प के क्षेत्र में कम पूंजी विनियोजित करके बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प का विकास किया जा रहा है। हस्तशिल्प की यह इकाइयाँ पूरे प्रदेश में फैली हुयी हैं और ये अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। इन शिल्पकारों को अपनी उत्पाद का उचित बाजार उपलब्ध नहीं होता, साथ ही उनमें बाजार में विक्रय करने की योग्यता की कमी भी पाई जाती है। इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एवं शिल्पकारों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत चयनित वस्तुओं के बाजार का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उनकी दक्षता में सुधार लाया जाएगा तथा प्रचार एवं प्रदर्शन के माध्यम से उनकी वस्तुओं के विक्रय की चेष्टा की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 10 हजार कारीगरों व शिल्पकारों को लाभ पहुँचाने की सम्भावना है। इस कार्य हेतु आठवीं योजना में 1.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आठवीं योजना में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिए 1.42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत कला विकास केन्द्र, कार्यशालामय निवास 'शिल्प कुटीर', एवं हस्तशिल्प की बिक्री पर छूट आदि योजनाएं सम्मिलित हैं। शिल्पकारों को विपणन में सहायता करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर एक विपणन समिति बनाने की भी योजना है। इस हेतु 3.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया

है। आठवीं योजना के अन्तर्गत हर वर्ष छ जिलो मे ओर इस प्रकार योजना क पाँच वर्षो मे सभी 30 जिलो मे यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

3 हस्तनिर्मित कागज के लिए सागानेर मे राष्ट्रीय संस्थान' (National Institute of Handmade Paper in Sanganer) यह राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान हस्तनिर्मित कागज के देश मे उत्पादन के विकास मे सहयोग दगा। इस संस्थान मे हाथ से बने कागजो के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरह के कागज के निर्माण मे प्रौद्योगिकी परामर्श व्यापारिक सहायता प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास का कार्य यह संस्थान करेगा। उल्लेखनीय है कि सागानेर देशभर मे हाथ से बने कागज का प्रमुख उत्पादन केन्द्र है और इस संस्थान का स्थापना सागानेर मे इसीलिए का गयी ह। संस्थान को संयुक्त राष्ट्रसघ विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) की ओर से दो करोड रुपये और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से 1.30 करोड रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई है। संस्थान के लिए इंग्लण्ड जर्मनी जापान स्वीडन स्विटजरलैण्ड और अमेरिका से मशीने और उपकरण मगाए गए हैं। सागानेर म निर्मित कागज की विदेशो मे बडी साख ह और गत वर्ष जून मे न्यूयार्क मे कागजो की एक प्रदर्शनी म सागानेर के कागज को श्रेष्ठ कागज का पुरस्कार भी मिल चुका है।

4 राजस्थान लघु उद्योग निगम एव हस्तशिल्प (Handicrafts and Rajasthan Small Industries Corporation) राजस्थान म लघु उद्योग इकाइयो तथा हस्तशिल्पियो के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम विभिन्न कल्याणकारी एव प्रोत्साहनात्मक गतिविधिया चला रहा ह। भारतीय कपनी अधिनियम 1956 के अधीन 3 जून 1961 को स्थापित निगम को 1 फरवरी 1975 को पब्लिक लिमिटेड कपनी बना दिया गया था। निगम की वर्तमान अधिकृत पूजी सात करोड तथा प्रदत्त पूजी 4 90 करोड रुपये हैं। निगम का सचालन निदेशक मडल द्वारा किया जाता है जिसम अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एव 9 अन्य निदेशक हैं। प्रबंध निदेशक मुख्य अधिशासी है। इनके अधीन कार्यकारी निदेशक महाप्रबधक वित्त सलाहकार उप महाप्रबन्धक वाणिज्य प्रबधक एव प्रबधक कार्यरत है। निगम कोई एक दशक तक घाटे म रहने के बाद वर्ष 1991 92 मे लाभान्वित कर सका।

राजस्थान म हस्तकलाओं का अपनी ही विशेषता है इन परम्परागत कलाओ को पीढी दर पीढी कायम रखने और विकासमान बनाने म राजस्थान के हस्तशिल्पियो का अभूतपूर्व योगदान रहा है। परम्परागत हस्तशिल्प के समुचित विकास एव प्रचार प्रसार की दिशा म यह निगम सतत् प्रयासरत है। हस्तशिल्प की वस्तुओ के विपणन हेतु निगम द्वारा प्रदेश मे व अन्य राज्यो मे प्रमुख नगरों में राजस्थली एम्पोरियम जयपुर आमेर (जयपुर) उदयपुर जैसलमेर माउट आबू, नई दिल्ली मुबई कलकत्ता गरियाहट (कलकत्ता) आगरा अशोक होटल नई दिल्ली प्रगति मैदान नई दिल्ली एव होटल ओबेराय टावर्स मुबई मे सचालित हैं। प्रदेश के दर दराज क्षेत्रो म हस्तशिल्पिया से निरन्तर सम्पर्क बनाए रख ने तथा उन्हे आवश्यक जानकारी डिजाइन विकास मार्गदर्शन तथा विपणन सहयोग प्रदान किया जाता ह।

विपणन के अतिरिक्त निगम द्वारा समय समय पर विभिन्न स्थानो पर देश के कोने कोने मे एव विदेशो म भी विक्रय एव प्रदर्शनियो का आयोजन किया जाता रहा है। इनम स्वय कलाकारो व उत्पादको की सक्रिय भागीदारी रहती है। निगम हस्तशिल्पियो के साथ सीधा सपर्क रखता है तथा माल की खरीद उत्पादको व हस्तशिल्पियो से सीधी का जाती ह। निगम द्वारा कतिपय लुप्त प्राय हस्तशिल्पियो को पुनर्जीवित करने के भी विशेष प्रयास किए गए हैं। जोधपुर बाडमेर उदयपुर एव कोटा व अजमेर मे हस्तशिल्प उपार्जन एव प्रोत्साहन केन्द्रो की स्थापना की गई है। इन केन्द्रो द्वारा हस्तशिल्पियो को बाजार में लोगों की अभिरुचि और आवश्यकता के अनुरूप कार्य हेतु प्रेरणा मार्गदर्शन एव सहयोग दिया जाता है। निगम के जयपुर स्थित हस्तशिल्प डिजाइन विकास एव शोध केन्द्र की गतिविधि को अधिक प्रभावी बनाते हुए इसके माध्यम से विशिष्ट कलाओं को समुन्नत आधार पर विकासमान बनाया जा रहा है।

हस्तशिल्प के प्रति मुख्यत पर्यटको मे प्रमुख आकर्षण रहता है। इसी दृष्टि से हाल ही मे दिल्ली तथा जयपुर स्थित राजस्थली एम्पोरियमो का नवीनीकरण किया गया है। निगम के जयपुर स्थित राजस्थली शोरूम को प्रथम मानक प्रदर्शनी स्थल के रूप म उपयोग करते हुए वहा समय समय पर विशिष्ट प्रकार की हस्तशिल्प वस्तुओ की विशेष प्रदर्शनिया समयबद्ध रूप मे आयोजित करने की व्यवस्था है। विगत् अवधि मे टेराकोटा ब्ल्यू पॉटी हाथ की छपाई के कपडे व साडियाँ कलात्मक फर्नीचर गलीचे व फर्श आदि की प्रदर्शन किया गया।

राज्य स्तरीय पुरस्कार उत्कृष्ट कलात्मक कार्य एव हस्तशिल्प के क्षेत्र म अपने योगदान के लिए अब तक राजस्थान को 53 दक्ष शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान स विभूषित हुए ह। निगम द्वारा हस्तशिल्पियो को राष्ट्रीय पुरस्कार की तरह राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा दक्षता प्रमाण पत्र देने की योजना वर्ष 1984 से प्रारभ की गई। इस योजना के अतर्गत राज्य के श्रेष्ठ शिल्पियो को ताम्रपत्र अग वस्त्र तथा 5 हजार रुपय का नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है तथा अन्य

हस्तशिल्पियो को दशता पुरस्कार स्वरूप एक हजार रुपये अग वस्त्र तथा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

पैशन योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पियो को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के हस्तशिल्पियो मे से अधिकाश व्यक्तियो को ये लाभ नहीं मिल पाता अत भारत सरकार की योजना की भाति ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष मे 10 राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पियो को वृद्धवस्था पैंशन देने की योजना प्रारभ की गई है।

सामूहिक बीमा योजना राजस्थान मे हस्तशिल्पी प्रदेशभर मे सुदूर अचलो मे बसे हुए हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी सतोषप्रद नही है। भारत सरकार की नीति के अनुसार ऐसे हस्तशिल्पियो के लिए सामूहिक बीमा योजना प्रारभ की गई जिसके अनुसार सामान्य मृत्यु होने पर रुपये तीन हजार तथा दुर्घटना मे मृत्यु होने पर छह हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम द्वारा परिवार के सदस्य को देने का इस योजना मे प्रावधान है।

डिजाइन विकास एव शोध केन्द्र हस्तशिल्प मे डिजाइन विकास तकनीक को ध्यान मे रखते हुए निगम के डिजाइन विकास केन्द्र मे पुराने डिजाइनो को नए रगो के साथ तालमेल कर नए डिजाइनो का विकास किया जा रहा है। इन केन्द्रो पर प्रसिद्ध जयपुरी रजाइयाँ बधेज का कार्य ब्लाक प्रिंटिंग आदि नये डिजाइनो मे उत्पादन विकास पर बल दिया जाता है। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध हस्तशिल्प ब्ल्यू पाट्री माडना साडियो टेराकोटा के कलात्मक सृजन मे नए तकनीक से डिजाइन विकास एव उत्पादन का कार्य शुरू किया गया है। राज्य मे ऊनी गलीचा उद्योग के विकास की विपुल सभावनाओ को ध्यान मे रखते हुए निगम द्वारा 28 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे है। प्रशिक्षणार्थियो को 250 रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता दिया जाता है। निगम द्वारा बीकानेर मे उस्ता कमिरा हाइड प्रशिक्षण केन्द्र यथावत् चालू रखा गया जहाँ पर प्रशिक्षणार्थी ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के अतर्गत जनजाति क्षेत्र मे निगम द्वारा दरी बुनाई एव फर्नीचर बनाने के प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाए जा रहे है।

निर्यात राज्य मे निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने बाबत् निगम द्वारा आयात निर्यात की प्रक्रिया विपणन तथा अन्य उपलब्ध सुविधा की जानकारी देने के साथ साथ वर्ष 1979 मे सागानेर (जयपुर) मे स्थापित एयर कारगो काम्पलेक्स के माध्यम से सीधे ही निर्यात की सुविधा प्रदान की जा रही है जिसका लाभ राजस्थान के हस्तशिल्प की वस्तुओ सिले सिलाए वस्त्र गलीचे मूल्यवान एव अर्द्धमूल्यवान जवाहरात आदि के निर्यातक प्राप्त कर रहे हैं।

5 प्रमुख राजस्थानी हस्तशिल्प (Important Handicrafts in Rajasthan) प्राचीन काल से ही राजस्थानी हस्तशिल्प का देश विदेश मे महत्व रहा है। राजस्थान हस्तशिल्प की दृष्टि से एक धनी राज्य है। राजस्थान मे हाथ से बनाई गई अनेक वस्तुए विश्व भर मे प्रसिद्ध है। राजस्थानी हस्तशिल्प की प्रसिद्ध वस्तुओ मे मूल्यवान रत्नो की कटाई जडाई सोने चादी के कलात्मक आभूषण पीतल पर खुदाई भराई पत्थर व लकडी पर खुदाई ब्ल्यू पॉट्री लाख व हाथीदात का सामान चन्दन की वस्तुए सागानेरी प्रिंट के कपडे पाली व मारवाड के रगाई छपाई के वस्त्र कोटा की डोरिया साडिया बीकानेर के कालीन व कम्बल जयपुर की मूर्तिया उदयपुर सवाईमाधोपुर व डूगरपुर के लकडी के खिलौने शाहपुरा की फड पेन्टिग्स जैसलमेर व बाडमेर मे जाजम के कपडे पर हाथ की छपाई नाथद्वारा जोधपुर जयपुर व जोधपुर की बधेज की साडिया उदयपुर की हाथीदात की वस्तुए सलमा सितारो व गोटे किनारी के काम से युक्त परिधान नागौर के लोहे के औजार आदि प्रमुख हैं।

राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाए निम्नलिखित हैं

(i) *हाथी दात का काम* हाथी दात से कई प्रकार की कलात्मक वस्तुए बनाई जाती हैं। राज्य मे उदयपुर जयपुर तथा भरतपुर मे हाथी दात पर खुदाई व कटाई करके कलात्मक वस्तुए बनाई जाती है। जोधपुर मे हाथीदात से कलात्मक चूडिया बनाई जाती है जिन पर लाल काली व हरी धारिया होती है। हाथी दात के खिलौने शतरज की मोहर कघे मूर्तिया महिलाओ के चूड मणिया पहुँचिया अगूठिया व कर्णाभूषण बनाए जाते है।

इनके अतिरिक्त गिलास इत्रदानी पौराणिक व ऐतिहासिक प्रसगो पखिया पशु पक्षी पुष्प पत्तिया बारीक जालीदार कटाई से युक्त कलात्मक वस्तुए भी हाथी दात से बनाई जाती है।

(ii) *चमडे का काम* पशुधन की दृष्टि से राजस्थान एक सम्पन्न राज्य है। हस्तशिल्पी पशुओ की खाल पर अनेक प्रकार की कलात्मक एव उपयोगी वस्तुए तैयार करते है। जयपुर मे चमडे की कलात्मक जूतिया तथा जूते बनाए जाते हैं। जयपुरी जूतिया (मोजडी) कलात्मक व सजावटी होने के साथ साथ हल्केपन के कारण लोकप्रिय हैं। पर्स बैल्ट बैग आसन आदि भी चमडे से बनाए जाते हैं।

ऊट की खाल से तेल व घी रखने की कुप्पिया बोतलनमा सुराहिया कलात्मकतापूर्ण लैम्प शेड व आसन बनाए जाते हैं।

(iii) *वस्त्रो पर रगाई छपाई का कार्य* वस्त्रो पर रगाई

बस्तियो से मिले प्रमाण इस तथ्य के स्पष्ट प्रमाण है। राजस्थान में मूर्तिकला कालान्तर में भी फलती फूलती रही लेकिन उसका वह व्यापक स्वरूप नहीं रहा जो ईसा की चौथी शती तक था। आधुनिक राजस्थान में भी मूर्तिया बनाने का कार्य विशाल पैमाने पर किया जाता है। अधिकाश मूर्तिया पत्थर विशेषत सगमरमर के पत्थर से निर्मित की जाती है। सगमरमर से सजावटी मूर्तिया *कलात्मक निर्माण की वस्तुए महापुरूषो की प्रतिमाए फव्वारे* आदि बनाए जाते है। विभिन्न धर्मो के देवी देवताओं महापुरूषों सतो महात्माओ आदि की सगमरमर की मूर्तिया बनाई जाती है। यहा की सगमरमर के पत्थर से बनी मूर्तियों का देश एव विदेश मे *निर्यात किया जाता है। इस व्यवसाय मे हजारों कारीगर कार्यरत* है। वर्तमान में जयपुर मूर्तिकला का सबसे बडा केन्द्र बन चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न स्थानों पर धातुओं एव लकडियों से भी मूर्तिया बनाई जाती है। मूर्तिया बनाने में अत्यधिक समय *धन एव शक्ति खर्च होता है जबकि कारीगर को उतनी मजदूरी* प्राप्त नही होती है। अत कारीगर हतोत्साहित होता है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थों द्वारा कारीगरों का शोषण भी किया जाता है। इसलिये अनेक कारीगर इस उद्योग के स्थान पर अन्य व्यवसाय *अपना रहे है। सरकार को राज्य में इस उद्योग के विकास हेतु आर्थिक* एव तकनीकी सहयोग प्रदान करना चाहिये।

राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की समस्यायें

1 कच्चे माल का अभाव - राज्य के लघु एव कुटीर उद्योगों को *उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा मे कच्चा माल नही मिल पाता है।* अत वान्छित माल उत्पन्न करना कठिन होता है। इन उद्योगों को एक ही किस्म का कच्चा माल प्राप्त न होने के कारण उत्पादित माल का किस्म मे भिन्नता होती है।

2 शक्ति की कमी विद्युत की अपर्याप्त पूर्ति के कारण न केवल उत्पादन पर विपरित प्रभाव पडता है वरन् इसमे श्रमिक भी प्रभावित होते है। अत उद्यमियों को आर्थिक हानि होती है। नवीन इकाइयो को विद्युत कनेक्शन देरी से मिलने के कारण इन उद्योगो का तीव्र विकास नही हो पाता है।

3 वित्त का अभाव राज्य के बैंक लघु एव कुटीर उद्योगो की कार्यशील पूजी सम्बधी आवश्यकता को पूर्ण नही कर पाते है। अत वित्तीय अभाव के कारण इन उद्योगों के उत्पादन एव विकास पर विपरित प्रभाव पडता है

4 नवीन तकनीक का समस्या लघु एव कुटीर उद्योगो नवीनतम तकनीक अपनाना कठिन होता है क्योकि नई तकनीक की लागत बहुत अधिक होती है। अत पुरानी तकनीक से उत्पादित माल की कीमतें ऊची लागतो के कारण अधिक रहती है। अत उत्पादित माल का बेचना कठिन होता है।

5 बडे उद्योगों से प्रतिस्पर्धा लघु व कुटिर उद्योगो को कच्चे माल की खरीद एव निर्मित माल की बिक्री में बडे उद्योगो से प्रतिस्पर्धा मे लघु व कुटिर उद्योग नही टिक पाते है फलत उन्हें हानि होती है।

6 *कुशल प्रबन्ध का अभाव* इन उद्योगों मे प्रशिक्षित प्रबन्धकों के अभाव के कारण कुशल प्रबन्ध का अभाव बना रहता है। अत साधनों का अपव्यय एव आर्थिक हानि की स्थिति उत्पन्न होने की सभावना रहती है।

7 *निर्मित माल की बिक्री की समस्या* इन उद्योगों को सदैव बडे उद्योगो से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है अत निर्मित माल को बेचना कठिन होता है।

8 औद्योगिक रूग्णता वित्तीय सस्थाओं से प्राप्त धन का दुरूपयोग *प्रबन्धकीय अकुशलता आदि कारणो से अनेक* औद्योगिक इकाइया बन्द हो जाती है। इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल की माग में कमी के कारण भी औद्योगिक रूग्णता में वृद्धि हुई।

(viii) *पीतल की कलात्मक वस्तुए* जयपुर व अलवर मे पीतल पर फूल पत्तियो व प्राकृतिक दृश्यो की खुदाई व जडाई का काम किया जाता है। राज्य मे पीतल की घिसाई तथा पॉलिश करके अनेक प्रकार की सजावटी चीजे तैयार की जाती हैं। पीतल से देवी देवताओ के सिहासन पशु पक्षी दीपदान फूलदान जालीदार झाड फानूस गुलदस्ते लैम्पस्टैण्ड तथा अन्य विविध प्रकार के खिलौने बनाए जाते है।

पीतल की कटाई करके मीनाकारी का कार्य भी *किया जाता है।* पीतल पर पेड पौधो बेल बूटो पशु पक्षी युक्त बाग तथा राजा की महफिल आदि को चित्राकित किया जाता है।

(ix) *ब्ल्यू पाट्री* राजस्थान मे बीकानेर जयपुर तथा *अलवर मे काच गोद मुल्तानी मिट्टी व चीनी मिट्टी के बर्तन* बनाए जाते है। नीले सफेद हरे व काले रग मे चित्रित बेलबूटो से युक्त डिजाइनदार बर्तन फूलदान एश ट्रे सुराही व कलात्मक खिलौने भी बनाए जाते है। अलवर मे बहुत पतले परतदार कागजी बर्तन बनाए जाते है। बीकानेर मे सुनहरी पेन्टिंग वाले चीनी मिट्टी के कलात्मक व सजावटी बर्तन व अन्य वस्तुए बनाई जाती हैं। कलात्मक स्मृति चिन्ह भी ब्ल्यू पॉट्री से बनाए जाते हैं।

(x) *कागज* सागानेर (जयपुर) मे मजबूत व टिकाऊ कागज बनाया जाता है। यह कागज प्राचीनकाल से ही बहुतायत रूप से महत्त्वपूर्ण कार्यों मे प्रयोग किया जाता रहा है। सवाई माधोपुर मे भी हाथ से कागज बनाया जाता है।

(xi) *लाख व कांच का काम* राज्य मे जयपुर व जोधपुर मे लाख का काम अधिक किया जाता है। लाख से खिलौने चाबियां लगाने के छल्ले पेपर वेट गुलदस्ते ईयर रिंग गले का हार अगूठी व विभिन्न मूर्तिया फूलदान आदि बनाए जाते है। लाख की चूडियां व कडे तथा पाटले महिलाओ मे [illegible]

है। महिलाओं की रुचि के अनुसार लाख से बनाए जाने वाला बहुरंगी चूड़ियां व चूड़ों पर काच के गोल चाकोर तथा विविध आकार के हार चिपकाए जाते हैं। जिससे इनके स्वरूप में आकर्षक बदलाव आता है। लकड़ी पर लाख का लेपन करके बहुत ही कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। लाख के स्थान पर काच व प्लास्टिक की चूड़ियों के प्रति बढ़ते आकर्षण के कारण विभिन्न प्रकार की कलात्मक चूड़ियां भी बनाई जाने लगी हैं।

(xii) *आभूषण* सोने चांदी के आभूषण बनाने के लिए जयपुर जोधपुर अजमेर व उदयपुर राज्य में प्रसिद्ध हैं। जयपुर में रत्नों की कटाई व जड़ाई का काम बहुत सुन्दर होता है। वर्तमान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम रत्नों की कलात्मक कटाई व पॉलिश करने का काम बढ़ रहा है। सोने चांदी तथा प्लेटिनम के खूबसूरत आभूषण भी बनाए जाते हैं।

(xiii) *ओढनियां एवं चूनड़ियां* महिलाओं के परिधान की चूनड़ियां ओढनियां तथा लहरिये आदि भी सुन्दर ढंग से बनाए जाते हैं। राज्य में बंधेज की ओढनियों का विशेष प्रचलन है जिन्हें चूनड़ियां के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में उत्कृष्ट किस्म की ओढनियां व चूनड़ियां बनाई जाती हैं। राज्य में पाली बीकानेर बाड़मेर जयपुर उदयपुर व नाथद्वारा में भी बंधेज साड़ियों का काम होता है। घूघट की डूंगरशाही ओढनियां का विशेष प्रचलन गांवों में हैं। सावन भादों व गणगौर पर्वों पर 'लहरिये' पहने जाते हैं।

प्राचीनकाल से ही राजस्थान में हस्तकलाओं की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम राज्य में हस्तशिल्प वस्तुओं को प्रोत्साहन देने में अहम् भूमिका निभा रहा है।

राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की समस्याएं

1 कच्चे माल का अभाव राज्य के लघु एवं कुटीर उद्योगों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः वांछित माल उत्पन्न करना कठिन होता है। इन उद्योगों को एक ही किस्म का कच्चा माल प्राप्त न होने के कारण उत्पादित माल की किस्म में भिन्नता होती है।

2 शक्ति की कमी विद्युत की उत्पत्ति पूर्ति के कारण न केवल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वरन इससे श्रमिक भी प्रभावित होते हैं अतः उद्यमियों को अधिक हानि होती है। नवीन इकाइयों को विद्युत कनेक्शन देरी से मिलने के कारण इन उद्योगों का तीव्र विकास नहीं हो पाता है।

3 वित्त का अभाव राज्य के अनेक लघु एवं कुटीर उद्योगों की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः वित्तीय अभाव के कारण इन उद्योगों के उत्पादन एवं विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

4 नवीन तकनीक की समस्या लघु एवं कुटीर उद्योगों को नवीनतम तकनीक अपनाना कठिन होता है क्योंकि नई तकनीक की लागत बहुत अधिक होती है। अतः पुरानी तकनीक से उत्पादित माल की कीमतें ऊंची लागतों के कारण अधिक रहती है। अतः उत्पादित माल को बेचना कठिन होता है।

5 बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा लघु व कुटीर उद्योगों को कच्चे माल की खरीद एवं निर्मित माल की बिक्री में बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में लघु व कुटीर उद्योग नहीं टिक पाते हैं। फलतः उन्हें हानि होती है।

6 कुशल प्रबन्ध का अभाव इन उद्योगों में प्रशिक्षित प्रबन्धकों के अभाव के कारण कुशल प्रबन्ध का अभाव बना रहता है। अतः साधनों का अपव्यय एवं आर्थिक हानि की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है।

7 निर्मित माल की बिक्री की समस्या इन उद्योगों को सदैव बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अतः निर्मित माल को बेचना कठिन होता है।

8 औद्योगिक रुग्णता वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त धन का दुरुपयोग प्रबन्धकीय अकुशलता आदि कारणों से अनेक औद्योगिक इकाइयां बन्द हो जाती हैं। इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल की मांग में कमी के कारण भी औद्योगिक रुग्णता में वृद्धि हुई।

लघु व कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सुझाव

इन उद्योगों के विकास हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्न हैं

1 सरकार द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति समय पर की जानी चाहिए।

2 इन उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3 विद्युत की पर्याप्त पूर्ति हेतु राज्य की विद्युत क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।

4 लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल की बिक्री हेतु देश एवं विदेशों में बाजारों की खोज की जानी चाहिए।

5 नवीन तकनीक अपनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

6 एक विशिष्ट योजना के द्वारा औद्योगिक रुग्णता की समस्या का हल किया जाना चाहिए।

7 इन उद्योगों में प्रशिक्षित प्रबन्धकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

8 इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल की किस्म में सुधार किया जाना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 राजस्थान के लघु उद्योगों पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the Small Scale Industries in Rajasthan

2 SIDBI ने राजस्थान में लघु उद्योगों की इकाइयों की कैसे मदद की है?
How SIDBI has helped SSI units in Rajasthan?

3 राजस्थान के गांवों में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना कैसे हो सकती है? इनका विकास कैसे किया जा सकता है?
What village industries may be set up in villages of Rajasthan? How they may be developed?

4 राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में लिखिए।
Write about hand crafts of Rajasthan

5 लघु एवं कुटीर उद्योग के उपक्षेत्र बताईए।
Mention the sub sectors of Small Scale and Cottage Industry

6 लघु एवं कुटीर उद्योग में क्या अन्तर है?
What is the difference between Small Scale & Cottage Industry?

7 राजस्थान में [illegible] उद्योग पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on [illegible] industry in Rajasthan?

8 राजस्थान के मिट्टी उद्योग की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए।
Mention the present position of Pottery industry in Rajasthan

9 "राजस्थान का बीड़ी उद्योग रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत है।" व्याख्या कीजिए।
"Bidi Industry of Rajasthan is an important source of employment." Discuss

10 राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प कौनसे है?
What are the main handicrafts of Rajasthan?

(B) निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 राजस्थान में लघु उद्योग एवं दस्तकारी के महत्व को समझाईए। लघु उद्योगों की समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा उन्हें दूर करने के उपाय [illegible]
Explain the importance of Small Scale Industries and Hand crafts in Rajasthan. Analyse the problem of Small Scale Industries and also suggest the measures to improve them

2 [illegible] एवं कुटीर उद्योगों से आप क्या समझते है? लघु एवं कुटीर उद्योगों का अर्थव्यवस्था में महत्व बताईए।
What do you understand by cottage and small scale industries? Describe the importance of cottage [illegible] small scale industries in the economy

3 राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में सम्बन्धित संस्थाओं का वर्णन कीजिए।
Discuss the different institutions involved in the development of small and cottage industries in Rajasthan

4 राजस्थान के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योगों का वर्णन कीजिए।
Explain the main small scale & cottage industries of Rajasthan

5 राजस्थान के हस्तशिल्प पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on Hand crafts of Rajasthan

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(University Examination s Questions)

राजस्थान में लघु उद्योग व हस्तशिल्प पर [illegible] टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Small Scale Industries and Hand crafts in Rajasthan

2 लघु एवं कुटीर उद्योग [illegible] आप क्या समझते है? लघु एवं [illegible] उद्योगों में अन्तर बताईए।
What do you understand by cottage and small scale industries? Differentiate between cottage [illegible] scale industries

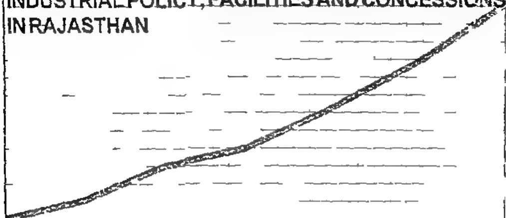
3 राज्य की अर्थव्यवस्था में [illegible] लघु एवं कुटीर [illegible]
Explain in brief the different cottage and small scale industries developing in the state economy
[illegible]
Explain the problems of cottage and small [illegible] industries [illegible] suggest the measures [illegible] them

□□□

अध्याय – 16

राजस्थान की औद्योगिक नीति, सुविधाएं व रियायतें

INDUSTRIAL POLICY, FACILITIES AND CONCESSIONS IN RAJASTHAN



*एक औद्योगिक नीति ही किसी राज्य के [illegible]

ओद्योगिक नीति का अर्थ व महत्व

NING &

किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास मे औद्योगिक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्र के विभिन्न ससाधनो को एकत्रित करना, उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग करके औद्योगिक विकास को गति देने सम्बन्धी कार्य प्राय सरकार द्वारा ही किया जाता है। महत्वपूर्ण कार्यों का सचालन सरकार स्वय करती है और शेष कार्य निजी उद्योगपतियों के लिए छोड दिये जाते है। कुछ कार्यो को प्राथमिकता देना आवश्यक होता है। अत सरकार स्वय के साधनों के द्वारा ऐसे कार्यो का सम्पन्न करती है। औद्योगिक विकास की प्राथमिक अवस्था में औद्योगिक ढाचे का निर्माण किया जाता है। विभिन्न सरचनात्मक सुविधाओ के विकास हेतु पर्याप्त पूजी की आवश्यकता होती है। अत निजी व्यक्ति ये कार्य कुशलतापूर्वक नही कर सकते। ये कार्य प्राय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही सम्पन्न किये जाते है। इसी प्रकार विदेशी सहायता विदेशी ऋण एव सरक्षण सम्बन्धी गतिविधिया भी सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत ही सम्पन्न की जाती है किन्तु खुली अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रो मे भी निजी क्षेत्र का योगदान बढता चला जाता है।

राजस्थान की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध मे यह महत्वपूर्ण है कि राज्य की कोई स्वतत्र औद्योगिक नीति नही होती है। औद्योगिक नीति का प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जाता है और राज्य सरकार उसी के अनुरूप औद्योगिक नीति का सचालन करती है। केन्द्र सरकार के प्रारूप के अनुसार ही राज्य सरकार उसी के अनुरूप औद्योगिक नीति का सचलान करती है। केन्द्र सरकार के प्रारूप के अनुसार ही राज्य सरकार औद्योगिक विकास को बढावा देने के लिये एक व्यूह रचना बनाती है। इसे ही राज्य की औद्योगिक नीति कहा जाता है। इस प्रकार राज्य केन्द्रीय विचारधारा का ही अनुसरण करता है।

1985-86 की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of 1985-86) इस नीति में रोजगार मे वृद्धि करने वाले उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता क्रम के अन्तर्गत खादी व ग्रामीण उद्योग हस्तकरघा हस्तशिल्प लघु मध्यम एव बड़े उद्योगो व विकास का निश्चय किया गया। विनियोग सब्सिडी को जारी रखा गया और ब्याजमुक्त कर की योजना को अधिक आकर्षक बनाया गया। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र, दस्तकारियो एयर कार्गो कॉम्पलेक्स और विभिन्न वस्तुओ के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है। राजस्थान हस्तकरघा विकास निगम (1984) के कार्यक्षेत्र मे वृद्धि का निश्चय किया गया। रेशम व टसर के विकास हेतु पौध लगाने पर विशेष बल दिया गया। रीको की क्षमताओ का विस्तार करके और रीको द्वारा तकनीकी पिछडेपन को दूर करने का प्रयास किया गया। राजस्थान वित्त निगम के कार्यों के विस्तार करने का निश्चय किया गया और पूजी विनियोग को बढावा देने के लिये अनेक रियायतों की घोषणा की गई। राज्य में छोटी रेल लाइन को बदल कर बडी रेल लाइन के निर्माण हेतु रेल मत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया।

1986-87 की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of 1986-87) . 1987 में राज्य के औद्योगिक विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम अथवा औद्योगिक नीति में रीको के अधीन वन विण्डो सर्विस चालू करने की घोषणा की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य उद्यमकर्ताओ को सभी सुविधाऐ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। उद्योग विभाग, राजस्थान वित्त निगम एव रीको के सयुक्त सहयोग से उद्योगो के विकास का निश्चय किया गया। उद्योगो के विकास हेतु 1987 88 की वार्षिक योजना मे राजस्थान वित्त निगम व रीको द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणो के लिये 100 करोड रुपये की व्यवस्था की गई। यह ऋण लघु एव मध्यम श्रेणियो के उद्योगो को प्रदान करने का निश्चय किया गया। नाबार्ड के सहयोग से 1987 88 मे 10 000 लघु उद्योग इकाइयो की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। खनिज आधारित उद्योग के विकास हेतु खनन पट्टे स्वीकृत करने का कार्यक्रम तैयार किया गया। कृषि व पशु सम्पदा पर आधारित उद्योगो को प्रोत्साहन देने के लिये विद्युत शक्ति भूमि और ऋण की सुविधाए प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने का निश्चय किया गया। डीजल जेनरेटिंग सैट्स के लिये एन ओ सी की प्रणाली को सरल बनाने तथा नवीन इलेक्ट्रानिक्स इकाइयों के लिए अनुदान में वृद्धि करने पर बल दिया गया। रुग्ण औद्योगिक इकाइयो को करो मे रियायत करने और ब्याज की दर नीति का विस्तार करने का निश्चय किया गया और उद्यमशीलता विकास केन्द्रो की स्थापना पर भी बल दिया गया

राजस्थान की औद्योगिक नीति, 1990 एवं उद्योगों को रियायते व सुविधाए

INDUSTRIAL POLICY OF RAJASTHAN, 1990 & CONCESSIONS AND FACILITIES TO INDUSTRIES

1. उद्देश्य (Objectives) राजस्थान मे [illegible] नीति की घोषणा 1977 मे हुई [illegible] वर्षो मे राज्य का औद्योगिक [illegible] गया तथा राज्य सरकार भी औद्योगिक [illegible]

अ राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ यह संघ सहकारी क्षेत्र से सम्बंधित है।

ब राजस्थान हाथकरघा विकास निगम यह निगम व्यक्तिगत बुनकरों का है और राज्य में हैण्डलूम क्षेत्र का विकास करता है।

राजस्थान में हैण्डलूम क्षेत्र का विकास व्यावसायिक एवं सहकारी आधारों पर किया जायेगा। बुनकरों को उचित कीमत पर कच्चे माल व धागा उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की जायेगी। नवीन डिजाइनों की खोज तथा हैण्डलूम क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जायेगा। हैण्डलूम उत्पादों की बिक्री हेतु विपणन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ किया जायेगा। कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बुनकरों की आय में वृद्धि करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जायेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना मे दस हजार नये हैण्डलूम स्थापित किए जायेंगे जिनसे लगभग 30 हजार व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होगी। उद्योग निदेशालय में हैण्डलूम प्रकोष्ठ को और अधिक सुदृढ किया जायेगा।

7. हस्तकलाएं (Handicrafts) राजस्थान की हस्तकलाएं सम्पूर्ण विश्व मे प्रसिद्ध है यह क्षेत्र विभिन्न वस्तुओं व उत्पादन निर्यात एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के विकास हेतु अभी तक कोई व्यवस्थित प्रयास नही किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान मे हस्तकलाओं के विकास हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जायेंगे

(अ) हस्तकलाओं का वैज्ञानिक आधार पर विकास करने हेतु एक डिजाइन एवं विकास केन्द्र की स्थापना की जाएगी राज्य के कलाकारों को कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा हस्तकलाओं से सम्बन्धित वस्तुओं पर विपणन व्यवस्था को सुदृढ करने के उद्देश्य से राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा विशेष प्रयास किए जायेंगे हैण्डलूम विकास केन्द्रो की स्थापना उन क्षेत्रों में की जायेगी जहा कलाकारो की अधिकता है। ये विकास केन्द्र कलाकारों को कच्चे माल विपणन एव कार्यशील पूजी अर्जन की सुविधाएं प्रदान करेंगे राजस्थान लघु उद्योग निगम हस्तकलाओं के निर्यात हेतु विशेष प्रयास करेगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम निर्यातकों को आवश्यक सूचनाए व निर्यात सम्बन्धी आवश्यक आकडे उपलब्ध करायेगा। राज्य मे परम्परागत कलाओं व हस्तकलाओं का विकास करने के उद्देश्य से हस्तकला संग्रहालय की स्थापना की जावेगी। शिल्पवाडी योजना (राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर नवीन शिल्पवाडियों की स्थापना की जायेगी। कलाकारों के लाभार्थ चलाये जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमो को सुदृढ किया जायेगा और उनमे सुधार किया जाएगा। राजस्थान में हस्तकलाओं के विकास हेतु एक हस्तकला बोर्ड की स्थापना की जायेगी। यह एक सलाहकारी संस्था होगी। वर्तमान में "चमडा" व खालें विधायन हेतु देश के अन्य राज्यों को भेजी जाती है। राज्य में ही चमडे व खालो के विधायन हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जायेगा। राज्य एव राष्ट्रीय स्तरों पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी। उन क्षेत्रों में जहा कलाकारों की संख्या अधिक है समूह बीमा योजना व स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करने की योजना विचाराधीन है। राजस्थान में कलाओं एव हस्तकलाओ का पूर्णत सर्वेक्षण किया जायेगा।

8 औद्योगिक क्षेत्रो का रख रखाव व संरचनात्मक सुविधाएं (Infra Structure facilities and Maintenance of Industrial Areas) औद्योगिक क्षेत्रों मे संरचनात्मक सुविधाए उपलब्ध करने हेतु विशेष बल दिया जायेगा। विकास केन्द्रों के समन्वित विकास पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि आगामी दशक में इन केन्द्रों का तेजी से औद्योगिक विकास हो सके। जिन क्षेत्रों का पर्याप्त औद्योगिक विकास हो चुका है वहा सलाहकारी समितियों की स्थापना की जायेगी इन समितियों में विभिन्न उद्यमियों के प्रतिनिधि भी होंगे। ये समितिया औद्योगिक क्षेत्र के रख रखाव एव विकास हेतु अपने सुझाव देंगी। राज्य सरकार मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्राड गेज रेलवे लाइन मे परिवर्तित करने हेतु केन्द्र सरकार से बराबर अनुरोध करती रहेगी। नीरो विकास केन्द्रों पर संचार व परिवहन की सुविधाओ में वृद्धि करने हेतु एक दीर्घकालीन योजना बनायेगी। राज्य सरकार औद्योगिक केन्द्रो के विकास हेतु विशेष स्कीमो का निर्माण करके केन्द्र सरकार को भेजेगी। भारत सरकार ने आबू रोड झालावाड भीलवाडा बीकानेर व धौलपुर का विकास केन्द्रों के लिए चयन किया है आठवीं योजना में प्रत्येक विकास केन्द्र पर संरचनात्मक सुविधाओं के विकास एव विस्तार हेतु 30 करोड रुपये खर्च किए जायेंगे। राज्य सरकार कृषि और विकास केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की जायगी जो राज्य के विभिन्न विकास केन्द्रों का संरचनात्मक सुविधाओं का अध्ययन करेगी यह समिति स्थानीय उद्योगपतियों व उद्यमियों म प्रति तीन माह के पश्चात मिलती रहेगी ताकि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना म आने वाली विभिन्न कठिनाइयों व समस्याओं का समाधान किया जा सके।

इसे उपभोक्ताओं को इस अवधि के लिए न्यूनतम निर्धारण व्ययों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। औद्योगिक इकाइयों से गत तीन माह के अधिकतम उपभोक्ता पर आधारित 15 दिन के उपभोग के बराबर कैश सिक्यूरिटी वसूल की जायेगी। जनरेटिंग सैटस लगाने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को नकद सब्सिडी दी जायेगी। यह सब्सिडी डीजल सैट्स की लागत के 25 प्रतिशत अथवा 50 000 रुपये जो भी कम होगी तक स्वीकृत की जायेगी।

11. भौतिक स्रोतों व मानवीय संसाधनों का सर्वेक्षण एवं विकास (Survey & Development of Human & Physical Resources)

(अ) भौतिक स्रोतों का सर्वेक्षण (Survey of physical Resources) राजस्थान में भौतिक स्रोतों का जिलानुसार सर्वेक्षण 1986 में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया गया था। राज्य सरकार एक नया सर्वे करेगी जिसके अन्तर्गत जिलानुसार औद्योगिक सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करके नवीन कार्य-योजना तैयार की जायेगी। प्रत्येक जिले के लिए उद्योग की स्थिति व अनुसार सूचनाएं एकत्रित की जायेंगी। राज्य के विभिन्न उद्यमों कमिश्नर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रोजेक्ट जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त कर सकेंगे। उद्यमियों को खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान वित्त निगम स्माल इण्डस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट, राजस्थान कन्सल्टेंसी और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रकाशित प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जायेंगी। रीको के द्वारा भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जायेगी और विभिन्न उद्यमियों को उपलब्ध कराई जायेंगी।

(ब) मानवीय संसाधनों का विकास (Development of Human Resources) औद्योगिक इकाई को ध्यान में रखते हुए इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूटस और पॉलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट्स के द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जायेगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम, गलीचा निर्माण तथा ब्लाक प्रिंटिंग के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। *यह निगम अन्य हस्तकलाओं के लिए भी नये प्रशिक्षण* केन्द्रों की स्थापना करेगा। राज्य के जनजाति क्षेत्रों में छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जायेगी और नये प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए जायेंगे। हैण्डलूम बुनकरों के लिए जयपुर में बुनकर सेवा संघ की स्थापना की गई है। यह संघ बुनकरों को समय-समय पर प्रशिक्षण एवं तकनीकी सलाह प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी फैडरेशन, राजस्थान राज्य हैण्डलूम विकास निगम द्वारा भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। हाऊसहोल्ड इण्डस्ट्रीज प्रोग्राम के अन्तर्गत विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा निर्धन स्त्रियों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से 22 प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार इनकी संख्या में वृद्धि की जायेगी। राजस्थान खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, राज्य के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण केन्द्र चलाता है। यह बोर्ड अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार करेगा। राज्य सरकार उन कलाकारों एवं कारीगरों को सहायता प्रदान करेगी जो प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य से बाहर भेजे जाते है। वर्तमान में कुछ बुनकर हैण्डलूम के प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजे जाते है। इन्हें स्टाइपण्ड दिया जाता है। राज्य में उद्यमशीलता विकास करने हेतु एक उद्यमशीलता का विकास संस्थान की स्थापना की जायेगी। नागौर में परम्परागत तरीकों से हाथ के औजार तैयार किये जाते है। नागौर में हैण्डटूल डिजाइन डवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। यह संस्था शीघ्र ही अपना कार्य प्रारम्भ करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने ऐसी ही अन्य संस्था की स्थापना *के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे है।* इसी प्रकार यह प्रस्ताव भी भेजा गया है कि ट्रेनिंग फॉर प्लास्टिक एण्ड इंजीनियरिंग टूल्स, मद्रास की एक शाखा कार्यालय राजस्थान में खोला जावें। रीको ने भी एक टूलरूम स्थापित करने का प्रयास किया है। अजमेर में एक सेरेमिक ट्रेनिंग सेन्टर तथा जयपुर में आभूषण डिजाइन सेन्टर की स्थापना की जायेगी। राज्य में निर्मित परिधानों के निर्यात की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने परिधान डिजाइन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का निर्णय किया है।

12. सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र (Public & Joint Sectors)

राज्य सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि केन्द्र सरकार, राज्य में स्थित केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अधिक पूंजी का विनियोजन करे। राज्य सरकार उपलब्ध साधनों, के अनुसार राज्य के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में पूंजी विनियोजित करेगी। रीको, अंशपूंजी के माध्यम से संयुक्त क्षेत्र में विनियोग करता है। इसके अतिरिक्त, रीको, बड़े उद्योगों में अंशपूंजी के माध्यम से विनियोग करने का प्रयास करेगा। विभागीय आधार पर राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में किसी उद्योग की स्थापना नहीं की जायेगी। घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में लाभ की स्थिति लाने के प्रयास किए जायेंगे। यदि इस कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो

ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द करने पर विचार किया जायेगा।

13 एन्सीलरी इण्डस्ट्रीज़ (Ancillary Industries)- वर्तमान में राजस्थान राज्य में 69 एन्सीलरी इकाइयां कार्यरत है इनमें से 42 इकाइयां इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा 14 इकाइयां हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, अजमेर, 8 इकाइयां हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतडी और 6 इकाइयां हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर पर आधारित है। एन्सीलरी उद्योगों के विकास हेतु राज्यस्तर पर एक समिति विद्यमान है। राज्य में एन्सीलरी उद्योगों का सर्वेक्षण किया जायेगा और इन उद्योगों के विकास हेतु प्रयास किये जायेंगे। राज्य सरकार निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र में और अधिक एन्सीलरी इण्डस्ट्रीज की स्थापना का प्रयास करेगी।

14. प्रक्रिया का सरलीकरण एवं सिंगल विण्डो सिस्टम (Simplification of Procedure and Single Window system) - प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्रयास किए जायेंगे। जिलास्तर पर उद्यमियों को सिंगल विण्डो सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से चयनित केन्द्रों पर नवीन योजना चालू की जायगी। यदि यह योजना सफल रही तो इसे सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया जायेगा। रीको में राज्यस्तर पर सिंगल विण्डो सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रीयल प्रमोशन नामक एक पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ अपनी वर्तमान स्थिति में सिंगल विण्डो सेवा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। अतः राज्य स्तर पर एक पृथक ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रीयल प्रमोशन स्थापित किया जाएगा। इसके द्वारा मध्यम बडे उद्योगों के उद्यमियों को सिंगल विण्डो सेवा की सुविधा प्रदान करने के प्रयास किये जायेंगे। विभिन्न सुविधाएं एवं रियायतें ब्यूरो के अन्तर्गत बनाई गई समिति के माध्यम से उद्यमियों को प्रदान की जायेंगी ताकि उद्यमियों को विभिन्न विभागों, निगमों व बोर्ड्स में नहीं जाना पडे। इस ब्यूरो में एक डाटा बैंक की स्थापना भी की जायगी जहां विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स, साख्यकी, भूमि, जल व शक्ति की उपलब्धता आदि की जानकारी हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य व जिला स्तरीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जायेगा और उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये प्रयास किए जायेंगे।

15 ऋण सुविधाएं (Loan Facilities)

(अ) राजस्थान वित्त निगम 2 हजार रुपये से 90 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत कर सकता है। इन ऋणों पर ब्याज की दर 10 से 14 प्रतिशत के मध्य रहती है जबकि डीजल जनरेटिंग सैट्स पर यह 17 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को एक लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज दरों में 2 प्रतिशत की छूट दी जाती है। उन्हें 5 प्रतिशत के मार्जिन पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान वित्त निगम ने ऋण स्वीकृत करने की शक्तियों को विकेन्द्रित कर दिया है एवं और सरल बना दिया है। 7.50 लाख रुपये तक के ऋण जिला एवं क्षेत्रीय स्तरों पर स्वीकृत किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त, 40 लाख रुपये तक के ऋण अब जिला एवं क्षेत्रीय स्तरों पर वितरित किये जा सकते है। भूतपूर्व सैनिकों और विकलांगों को निगम द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ब) रीको भारत के औद्योगिक विकास बैंक की नीतियों के अनुरूप मध्यम स्तर के उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। निगम 150 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करता है। विशेष परिस्थितियों में राजस्थान वित्त निगम एवं रीको संयुक्त रूप से भी उद्योगों को ऋण प्रदान करते है। इस प्रकार राज्य में ही 2.4 करोड रुपये तक के ऋण उद्योगों को उपलब्ध कराये जा सकते है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में बैंक भी 50 लाख रुपये तक के ऋण अतिरिक्त प्रदान कर सकता है। इस प्रकार उद्यमियों को लगभग 3 करोड रुपए तक का ऋण उपलब्ध हो जाता है।

(स) कभी-कभी नये उद्यमी के लिये मार्जिन मनी जुटाना मुश्किल हो जाता है। कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए भारत का औद्योगिक विकास बैंक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड और राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से बीजपूंजी योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक इकाई को परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक बीजपूंजी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जिसकी राशि अधिकतम 15 लाख रुपये तक हो सकती है।

(द) रीको के माध्यम से कुछ चुने हुए मध्यम व बडे आकारों के उद्योगों में राज्य सरकार भी पूंजी विनियोजित कर सकती है, कुछ मामलों में निगम अंशों के अभिगोपन की भी सुविधा प्रदान करता है तथा वाणिज्यिक बैंक से भी इस हेतु प्रार्थना की जा सकती है।

(य) बैंक मुख्यतः कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करते है। राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि उद्योगों को समय पर एवं पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो सके। राजस्थान वित्त निगम ने कम्पोजिट लोन की योजना आरम्भ की है जिसमें 7.50 लाख रुपये तक ऋण स्वीकृत किये जा सकते है। उनमें से 5 लाख रुपये स्थायी पूंजी विनियोग और 2.5 लाख रुपये कार्यशील पूंजी के लिये हो सकते है। इस योजना को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है भारत सरकार ने हाल ही में कम्पोजिट लोन

की राशि को 10 लाख रुपये तक बढा दिया है।

(ग) राजस्थान वित्त निगम द्वारा 50 हजार रुपये तक के ऋण अब जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा स्वीकृत एवं वितरित किए जायेंगे।

16. पूंजी विनियोग अनुदान (Capital Investment Subsidy) :

(अ) राज्य में स्थापित किये जाने वाले नयें मध्यम वृहद् आकार के उद्योगों को उनके स्थायी पूंजी विनियोग का 15 प्रतिशत भाग पूंजी विनियोग अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा, जिसकी अधिकतम राशि 15 लाख रुपये होगी।

(ब) लघु एवं सहायक उद्योगों, राज्य के स्रोतों पर आधारित कुछ चयनित उद्योगों, अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगों तथा शत-प्रतिशत निर्यात वाले उद्योगों को नये उद्योग की स्थापना करने पर उनके स्थायी पूंजी विनियोग का 20 प्रतिशत पूंजी विनियोग अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम राशि 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(स) ऐसे उद्योगों को स्थायी पूंजी विनियोग का 2 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा जो 1948 के फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड एवं नये श्रमप्रधान उद्योग होंगे। इन उद्योगों का प्रति श्रमिक पूंजी विनियोजन 35 हजार रुपये से कम होना चाहिये। इनको उपलब्ध होने वाले अनुदान की अधिकतम राशि 2 लाख रुपये हो सकती है।

(द) पूंजी विनियोग अनुदान राज्य में सभी जगह उपलब्ध होगा किन्तु जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाडा, जयपुर, कोटा की शहरी सीमा में उपलब्ध नहीं होगा। कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों, जैसे इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार आदि को पूंजी विनियोग अनुदान पूरे राज्य में उपलब्ध होगा।

(य) जब भी केन्द्रीय विनियोग अनुदान योजना लागू होगी, उसी के अनुरूप राज्य पूंजी विनियोग अनुदान योजना को परिवर्तित किया जायेगा। जिस सीमा तक केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध हो रहा है, उस सीमा तक राज्य अनुदान उपलब्ध नहीं होगा।

17. बिक्री कर की रियायतें (Sales Tax Concessions) . राजस्थान की बिक्री कर प्रोत्साहन और 'डेफरमेन्ट' योजनाएं 1987 व 1989, जो नई इकाइयों और स्थापक विस्तार एवं विविधीकरण करने वाली इकाइयों के लिए लागू थीं तथा 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली थी, उन्हें 31 मार्च, 1995 तक बढा दिया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का निश्चय किया गया। इस प्रकार की योजनाएं भी बनाई गई जिसमें शत-प्रतिशत विस्तार और विविधीकरण करने, अपने उत्पादन को शत-प्रतिशत या उससे अधिक बढाने पर भी बिक्री कर रियायतों की घोषणा की गई। इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1986, 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो गई थी। अतः 1987 और 1989 की योजना में आवश्यक सुधार कर उसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर लागू किया गया। बीमार इकाई के पुनरूद्धार के लिए भी रियायत प्रदान की गई। आठवीं योजना के अन्तर्गत सीमेन्ट, तम्बाकू, टैक्सटाईल्स, चीनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य विधायन एवं खनिजों पर आधारित इकाइयों को मशीनरी क्रय करने पर बिक्री कर नहीं देना होगा। उद्योगों की एक अतिरिक्त 'वैरी प्रेस्टिजियम इण्डस्ट्रीज' को बिक्री कर में रियायत देने के लिए चुना गया है। ऐसे उद्योग जिसमें 100 करोड रुपये या उससे अधिक की स्थायी पूंजी लगी हो उन्हें 'अधिक सम्मानित उद्योग' श्रेणी में रखा गया है। हीरे एवं जवाहरात उद्योगों को भी करों में छूट प्रदान की गयी है। आठवीं योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए 'बिक्री के बदले में ब्याजमुक्त ऋण' की एक नई योजना आरम्भ की जा रही है इसमें इकाई द्वारा दिये गये बिक्री कर के बदले में उसे 7 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इसका लाभ वे ही इकाइयां उठा सकेंगी जो अन्यत्र बिक्री कर रियायतों का लाभ नहीं ले पा रही है।

18. चुंगी से मुक्ति (Octrol EXemption) . आठवीं योजना के अन्तर्गत स्थापित होने वाले नये उद्योगों को व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिये कच्चे माल पर चुंगी नहीं देनी होगी। इन नई औद्योगिक इकाइयों को आयातित प्लांट एण्ड मशीनरी पर भी चुंगी नहीं देनी होगी। पहले से ही विद्यमान उद्योगों द्वारा, आठवीं योजना के अंतर्गत विस्तार के उद्देश्य से, आयात की गई प्लांट एण्ड मशीनरी पर भी चुंगी देय नहीं होगी।

19. मण्डी कर से मुक्ति (Exempption from Mandi Tax) कृषि पर आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये मण्डी कर से मुक्ति देने का निश्चय किया गया बशर्ते वे अपनी आवश्यकता का सामान सीधे कृषक से क्रय करें। यह सुविधा उन्हें व्यापारिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए उपलब्ध होगी।

20. अन्य वित्तीय रियायतें (Other Financial Concessions) राज्य में स्थापित होने वाली औद्योगिक

रहेगा। यह सुविधा भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जारी रहेगी। राज्य में ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडर्ड्स (बी आई एस) की कोई परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। इससे उद्योगों विशेषकर लघु उद्योगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार ब्यूरो से राज्य में परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का आग्रह करेगी तो राज्य सरकार उसे हरसम्भव सहायता प्रदान करेगी। इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड डवलपमेन्ट सेन्टर जयपुर में एक प्रयोगशाला चला रहा है। राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि इंजीनियरिंग कॉलेज व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अभिकृत परीक्षण केन्द्रों में परिवर्तित कर दे। जिन विभाग जो बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं उन्हें परीक्षण उपकरण कराये जायेंगे। राज्य सरकार उन कारीगरों और युवकों को परामर्श अनुदान देने पर विचार करेगी जो किसी अधिकृत संस्थान से अपनी उत्पादन के डिजाइन और किस्म को सुधारने के लिए परामर्श करेंगे।

24. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को विशेष सहायता (Special Assistance to S C & S T Enterpreneurs) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही है। इन उद्यमियों को रीको के औद्योगिक क्षेत्र 4000 वर्ग मीटर भूखण्ड क्रय करने के लिए 50 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। इन उद्यमियों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त एक लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इन्हें 25 प्रतिशत के स्थान पर केवल 5 प्रतिशत मार्जिन मनी की ही आवश्यकता होती है। इन उद्यमियों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेन्ट टू एजूकेटेड यूथ योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध है। इस श्रेणी के उद्यमियों को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करायेगा। ट्राईबल सब प्लान क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को भी अनेक सुविधाएं प्रदान की गई है।

25 महिला उद्यमी (Women Enterpernours) 'महिला शक्ति एवं महिला उद्यमी कोष योजना' एवं 'हाऊसहोल्ड इण्डस्ट्री स्कीम' का इस प्रकार से विस्तार किया जायेगा कि इसमें अधिक से अधिक महिला उद्यमी आ पायें। उद्यमी विकास कार्यक्रम महिला उद्यमियों के लिए अलग से चलाया जाएगा और उन्हें ऋण एवं भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। उद्यमी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को विशेष ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। रीको इन महिला उद्यमियों को भूमि आवंटन में छूट देने के प्रस्ताव पर विचार करेगा।

26. औद्योगिक रूग्णता (Industrial Sickness) राज्य सरकार रूग्ण इकाइयों के पुनरुत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे है

(अ) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रूग्ण इकाइयों को न्यूनतम शुल्क और पावर कट से मुक्ति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार तथा राज्य वित्त निगम या रीको एवं आर बी आई द्वारा स्वीकृत पैकेज के आधार पर उद्योग को रूग्णता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब यह सुविधा बैंकों और केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत पैकेज के आधार भी उपलब्ध होगा। राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार करेगी कि रूग्ण लघु उद्योग इकाई इस प्रकार का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से भी प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त रूग्ण इकाई को पावर कट से 2 वर्ष के लिए छूट भी प्रदान की जायेगी

(ब) राज्य में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण कराया जायेगा और उसके परिणामों के आधार पर सभी इकाइयों के पुनरुद्धार के प्रयास किये जायेंगे। रूग्णता के कारणों का पता लगाया जायेगा और उन्हें दूर करने के प्रयास किये जायेंगे।

(स) जिला स्तर पर एक समिति बनाई जायेगी जो रूग्ण उद्योग इकाइयों के पुनरुत्थान की योजनाएं बनायेगी एवं उन्हें क्रियान्वित करेगी। यह समिति त्रिसदस्यीय आर्थिक सलाहकार समिति की उपसमिति के रूप में कार्य करेगी। उद्योग निदेशालय में एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा जो रूग्ण इकाइयों की समस्याओं का पता लगायेगा और उन समस्याओं को दूर करने के सुझाव देगा

(द) ऐसी रूग्ण इकाइयां जिनके मामले बी आई एफ आर के समक्ष विचाराधीन हैं, उनके मामलों की प्रकृति एवं पुनरुद्धार पैकेज के आधार पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी -

(i) पुनरुद्धार के चार वर्षों के लिए विद्युत ड्यूटी की स्थगन तथा स्थगित राशि पर ब्याज, जुर्माना आदि से मुक्ति प्रदान की जायेगी।

(ii) बिक्री कर, क्रय कर, विद्युत ड्यूटी आदि की बकाया राशि की पुनः समय पूर्ति स्थगन एवं ब्याज, जुर्माना आदि से मुक्ति प्रदान करना। पुनरुद्धार के समय में स्थगित राशि के ब्याज के भुगतान से मुक्ति।

(iii) रूग्ण इकाई को स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज के आधार पर व्यावसायिक मार्जिन उपलब्ध कराये जायेंगे। 4 रीको द्वारा ... की अतिरिक्त भूमि को विक्रय करने की ... उपलब्ध कराये जायेंगे। यह विक्रय राज्य सरकार द्वारा

31 उद्यमियों से अपेक्षा (Expectation from Enterpreneurs) राज्य सरकार उद्यमियों से आशा करती है कि उद्यमी बिक्री कर आयकर एवं राज्य में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग कर राज्य के संसाधनों में वृद्धि करेंगे। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे अधिक से अधिक कुशल एवं अकुशल श्रम राज्य से ही प्राप्त करेंगे उद्यमियों से आशा की जाती है कि वे प्रदूषण नहीं फैलायेंगे उद्यमियों से यह भी आशा है कि वे उनके औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

राजस्थान की औद्योगिक नीति की समीक्षा
EVALUATION OF INDUSTRIAL POLICY OF RAJASTHAN

राज्य के औद्योगिक इतिहास में 1990 की औद्योगिक नीति अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। राज्य सरकार ने भारत सरकार की औद्योगिक नीति 1991 को ध्यान में रखकर इस को सरल एवं उदार बनाया है पचास लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत करने के अधिकार जिलास्तर पर दिये गये है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इकाई स्थापित करने के लिए राज्यस्तरीय समिति से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भू-आवटन व लिए लीज डीड जारी करने के अधिकार जिला उद्योग केन्द्र को दिये गये। राज्य एवं राज्य के बाहर के उद्यमियों को आकर्षित करने में राजस्थान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्ष 1991 92 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। अकेले एक वर्ष में सर्वाधिक संख्या में उद्यमियों एवं औद्योगिक घरानों ने राजस्थान आकार छोटे एवं मध्यम श्रेणी उद्योग लगाये है राज्य सरकार ने विभिन्न सुविधाए रियायतें देकर राज्य के औद्योगीकरण के लिए उद्यमियों को आकर्षित किया है राज्य में अधिक विनियोजन के लिए सरकार ने उद्योगों को उदार वित्तीय सुविधाएं सुलभ कराई है। नये उद्योगों को पूजी विनियोग अनुदान में 15 से 35 लाख रुपये की छूट दी है बिक्री कर स्थगित करने की सुविधा डीजल जनरेटिंग सेट पर 50 हजार तक अनुदान तथा जाच यंत्रों पर 20 हजार रुपये अनुदान जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है। करघागार व शिल्पग्राम योजना के तहत राज्य सरकार करघों के आधुनिकीकरण के लिए अनुदान देती है यह अनुदान भारतीय मानक ब्यूरो में पजीकृत इकाइयों को सुलभ कराया जा रहा है। इसी प्रकार नई औद्योगिक इकाइयों को भी यह सुलभ कराया जा रहा है। इसी प्रकार नई औद्योगिक इकाइयों का उनके माल की खरीद व नई परियोजना के लिए मशीनरी क्रय करने पर पाच वर्षों के चुगी से मुक्ति देने जैसी सुविधाए राज्य में उपलब्ध कराई जा रही है। लघु उद्योगों में उत्पादित माल पर सरकारी खरीद में 15 प्रतिशत की विपणन सहायता उपलब्ध कराना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने उद्योगविहीन जिलों एवं आदिवासी क्षेत्रों में लगने वाली सभी वृहद, मध्यम एवं लघु इकाइयों को विनियोजन अनुदान देने की योजना शुरू की है। इस योजना में दिया जाने वाला अनुदान अन्य योजनाओं में मिलने वाले अनुदान से अधिक है।

वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा कुछ क्षेत्रों में 15 लाख से बढ़ा कर 20 लाख रुपये हो गई है। लघु उद्योगों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा भी 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। शेष पूरे राज्य में पूर्व घोषित 15 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। अप्रवासी भारतीयों तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा राज्य में उद्योग लगाए जाने पर 20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 35 लाख रुपये के अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को विशेष मामलों में रियायतें एवं सुविधाएं दी जा रही है। राज्य के बाहर के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए रीको वित्त निगम तथा उद्योग विभाग की ओर से आयोजित किये जाने वाले सयुक्त अभियान नियमित रूप से जारी है। राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन ब्यूरों की स्थापना की गई है जो मध्यम एवं वृहद् श्रेणी उद्योगों की स्थापना के लिए प्रवासी राजस्थानियों से निरन्तर सम्पर्क में है। उद्योग विभाग में रूग्ण इकाइयों को दुबारा शुरू कराने के लिए पृथक से प्रकोष्ठ बनाया गया है जिलास्तर पर भी ऐसे ही प्रकोष्ठ बनाये गये है रीको ने अप्रैल 91 तक 36 रुग्ण इकाइयों का पजीयन किया। इनमें से 16 औद्योगिक इकाइयों में पुन उत्पादन शुरू हो गया है इन इकाइयों में उत्पादन शुरू कराने के लिए 25 करोड के लक्ष्य के मुकाबले में 36 8 करोड रुपए का ऋण सुलभ कराया गया है। ऋण के अलावा इन इकाइयों को अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है। आठवी पचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनिज के लिए 536 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामोद्योग में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली 50 औद्योगिक इकाइयों में 1 लाख 25 हजार लोगों को रोजगार सुलभ हो सकेगा। अनुसूचित जाति जनजाति एव अल्पसंख्यकों के लिये योजना में विशेष व्यवस्थाए की गई है इसके अतिरिक्त आठवीं योजना में 10 हजार करघा लगाये जायेंगे जिनसे 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। नई बिक्री कर तथा ब्याजमुक्त योजना शुरू की जायगी भारत सरकार ने अपनी विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत आबू रोड बीकानेर झालावाड एवं भीलवाडा का चयन किया है। धौलपुर में भी विकास केन्द्र स्थापित करने की

स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। रीको व राजस्थान वित्त निगम राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। रीको ने 185 औद्योगिक क्षेत्रो मे 18679 औद्योगिक भूखण्ड आवटित किये है। इसी प्रकार रीको ने वर्ष 1992-93 में 64 बडे उद्योगों की स्थापना मे भूमिका निभाई। राजस्थान लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों की इकाई को सस्थागत प्रोत्साहन देने में सलग्न है। निगम ने ग्रामीण दस्तकारों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने की एक योजना प्रारम्भ की है। मद्रास में 'राजस्थली' की स्थापना के लिये 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है

औद्योगीकरण की प्रगति को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियो ने भी राजस्थान में अपनी परियोजनाए लगाने में काफी रुचि दिखाई है। कुछ परियोजनाए विदेशी मदद से सचालित हो रही है। प्राप्त आकडों के अनुसार रीको की मदद से 16 नई परियोजनाए राज्य में लगाई जायेंगी। इनमें लगभग 1400 करोड रुपये का विनियोग होगा। इनमें से सात परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है। राज्य की अधिकाश रेलवे लाइनें मीटर-गेज है, जो अब बदली जा रही है। ब्रॉड-गेज हो जाने के बाद रेलवे लाईन के समीपवर्ती शहरों व कस्बों मे औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधिया बढ जायेंगी। वर्ष 1995-96 के अन्त तक दो हजार किलोमीटर रेलवे लाइन ब्रॉड गेज में बदली जानी थीं। वर्ष 1991-92 में 1 58 252 लघु उद्योग राज्य में स्थापित हो चुके थे जिनमें 1,00 182 करोड रुपये का विनियोजन हो चुका है। ये लघु उद्योग 5,94 005 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ करा रहे है। बडे व मध्यम श्रेणी के उद्योगों की सख्या बढकर 287 हो गई है जिनमें 1 31 110 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 72 औद्योगिक इकाइया निर्माणाधीन है।

अलवर भीलवाडा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और पाली जिले औद्योगिक केन्द्रों के रूप में विकसित हो गये है जबकि भिवाडी क्षेत्र देश के मानचित्र पर महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है जहा हर उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है क्योंकि यह दिल्ली के नजदीक है और यहा पर सभी आधारभूत सुविधाए मौजूद है। इस प्रकार राजस्थान जो पूर्व में मरूस्थलीय राज्य के रूप में जाना जाता था अब औद्योगिक परियोजनाओं का केन्द्र बन गया है। अत राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों की सख्या बढती जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य में उद्योगों की भरमार हो जायेगी।

राजस्थान सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास की गति को बढाने के उद्देश्य से उदारीकरण के सदेश का खण्ड स्तर पर पहुचाने का निश्चय किया है ताकि औद्योगिक विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। राजस्थान सरकार ने 115 प्रकार की लघु व अतिलघु स्तर की इकाइयों को प्रदूषण नियत्रण के दायरे से बाहर निकालने का निर्णय किया है। इन इकाइयों को अब [illegible] नियत्रण अधिकारियो से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने उन उद्योगों के लिये भी कुछ कदम उठाये है। जिनमें अधिक प्रदूषण होने की सभावना रहती है। इस प्रकार के उद्योगों को वर्गीकरण किया जायेगा। नियत्रण अधिकारियों द्वारा त्वरित गति से नियत्रण कराने के उद्देश्य से उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की गई है। वर्तमान प्रणाली को भी सरल बनाया जा रहा है। जिलास्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों को उद्यमियो से प्रभावी सम्पर्क बनाने के लिये क्रियाशील बनाया जा रहा है। राज्यस्तर पर अन्तर-सस्थागत समिति (आइ आई सी) जिसमे सभी सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधि होते है, अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाया जायेगा। भूमि रूपान्तरण के नियमों को ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक सरल बनाया जा रहा है ताकि उद्यमियो को अधिक परेशानी व देरी न हो। राजस्थान सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि स्थानीय ससाधनों पर आधारित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जायेंगे।[2]

राजस्थान की नवीन औद्योगिक नीति- 1994[3]

नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 15 जून, 1994 को की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति 1991 के अनुरूप राज्य की नीति में परिवर्तन करना था। राजस्थान सरकार ने भी केन्द्र की औद्योगिक उदारीकरण नीति का अनुसरण किया। राज्य की नवीन औद्योगिक नीति, 1994 के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है

उद्देश्य
Objectives

राजस्थान की औद्योगिक नीति, 1994 का मुख्य उद्देश्य कार्यविधि में सरलीकरण, शीघ्रता से प्रकरणों का निस्तारण आर्थिक प्रोत्साहन एव विभिन्न उपायों द्वारा राज्य में शीघ्र औद्योगिक विकास करना है। नवीन औद्योगिक नीति मे राज्य के लघु एव ग्रामीण उद्योग, रोजगारोन्मुख उद्योग एव महिला उद्यमियों हेतु पर्याप्त सहयोग दिये जाने की व्यवस्था की गई है। निर्यातवर्धन की राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए निर्यात वृद्धि पर विशेष महत्व दिया गया है। इस औद्योगिक नीति से नये उद्योगों को प्रोत्साहन एव रियायतें उपलब्ध होंगी।

1 औद्योगिक दर्पण, सूचना एव जनसम्पर्क निदेशालय राजस्थान
2. Financial Express 25 May 1993 3 Industrial Policy 1994 Govt. of Rajasthan

(i) राजस्थान का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना।

(ii) राजस्थान के विभिन्न ससाधनों के अधिकतम उपभोग को बढ़ावा देना।

(iii) रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि करना ताकि अतिरिक्त अवसरों का सृजन हो सके।

(iv) प्रादेशिक असन्तुलनों को समाप्त करना।

(v) निर्यातों में वृद्धि करना।

(vi) खादी, हथकरघा ग्रामीण उद्योग दस्तकारी लघु उद्योग तथा अतिलघु उद्योगों का विकास करने हेतु सहायता प्रदान करना ।

व्यूह-रचना
Strategy

(i) विनियोगों में वृद्धि के लिए प्रयास करना।

(ii) औद्योगिक आदानों की तेजी से पूर्ति करना।

(iii) स्वीकृतियों के मामलों को शीघ्र निपटाना।

(iv) भौतिक एव सामाजिक आधार-ढाचे को सुदृढ करना एव इसका विस्तार करना।

(v) नियमों एव प्रक्रियाओ का सरलीकरण करना।

(vi) सरचनात्मक विकास मे निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि करना।

(vii) रोजगार वृद्धि की दृष्टि से विनियोग करना तथा ग्रामीण एव लघु उद्योगों को बढावा देना।

(viii) दक्षता एव गुणवत्ता में सुधार करना।

(ix) अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।

व्यूह रचना एव नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये है

(अ) आधार-ढांचा (Infra-structure)

1 सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी लेकिन ऐसा औद्योगिक क्षेत्र रीको के क्षेत्र से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए।

2 औद्योगिक कार्यों के लिए भूमि का रूपान्तरण किया जायेगा। 5 हैक्टेयर तक के भू-क्षेत्र का रूपान्तरण सम्बन्धित अधिकारी आवेदन प्राप्ति के 30 दिन की अवधि में कर देगा अन्यथा स्वत स्वीकृति मानी जायगी। 5 से 20 हैक्टेयर भू-क्षेत्र के रूपान्तरण का अधिकार खण्ड कमिश्नर को होगा नमक क्षेत्रों के आवन्टन हेतु सरल नियम बनाये जायगे। सरकार नमक वाले भू-क्षेत्रों की लीज की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर रही है।

3 शक्ति-क्षमता मे वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक पृथक समिति गठित की गई है। औद्योगिक इकाइया अब शक्ति सयत्रो की स्थापना कर सकेंगी।

4 यमुना जल समझौते से राज्य के पूर्वी भाग को 111 9 करोड घनमीटर जल उपलब्ध होगा इन्दिरा गाधी नहर चम्बल एव माही परियोजनाओ से राज्य के अनेक क्षेत्रों को जल प्राप्त होगा।

5 1995 96 तक लगभग 2000 किलोमीटर लम्बे मीटरगेज रेलमार्ग को ब्राडगेज मे बदल दिया जायगा। इससे विकास को बढावा मिलेगा। सडक निर्माण कार्य मे निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

6 रीको ने मर्चेन्ट बैंकिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया है अत योजनाओ के लिये अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे। निजी उद्यमियो को इक्विटी के रूप मे अधिक सहायता दी जायेगी।

7 सरकार आधार सरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देगी। सरकारी स्वामित्व के प्राचीन भवनों को होटल का रूप देने हेतु सरकार निजी क्षेत्र को आमन्त्रित करेगी।

(ब) शीघ्र स्वीकृतिया एव प्रणाली का सरलीकरण (Speedy clearances and simplified systems)

1 115 उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से मुक्त किया गया 26 उद्योगों को लाल श्रेणी (सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग) मे रखा गया तथा 32 उद्योग को नारगी श्रेणी (कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग) मे रखा गया। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड 15 वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान करेगा लेकिन लाल श्रेणी व नारगी श्रेणी के लिये यह अवधि क्रमश 3 वर्ष व 5 वर्ष होगी स्वीकृति के नवीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा।

2 उद्योगों के निरीक्षण की व्यवस्था मे सुधार किया जायगा वर्तमान मे 14 श्रम कानूनो के अन्तर्गत उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है। अब पृथक-पृथक निरीक्षण की व्यवस्था को समाप्त करके एक सामान्य व्यवस्था लागू की जायेगी। 20 व्यक्तियो से कम व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाली अति लघु औद्योगिक इकाइयों [illegible] रैन्डम आधार पर [illegible] प्रतिशत इकाइयों का निरीक्षण किया जायगा। औद्योगिक इकाई व सामान्य निरीक्षण हेतु नियुक्त अधिकारी [illegible] लिखित मे पूर्व [illegible] [illegible] हेतु [illegible]

महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाइयों को विक्रीकर में शत प्रतिशत छूट (13 वर्षों के लिये) दी जायेगी।

गलव माइडिंग, गम गलिंग स्टाक तथा गेल इजनो को स्थिर परिसम्पत्तियों में सम्मिलित कर लिया गया।

गारमेन्ट्स इकाइया (10 करोड से अधिक विनियोग वाली) को इस योजना की नकारात्मक सूची से निकाल दिया गया।

आस्थगन योजना में बिक्री कर की एकत्रित राशि सुविधा प्राप्त होने के 5 वर्ष बाद देय होगी।

श्रमगहन इकाइयों को स्थिर पूजी विनियोजन के आधार 20% तक लाभ दिया जायगा।

आर्थिक अकालग्रस्त तथा पिछड़े क्षेत्रों को यह सुविधा प्रदान की जायगी।

गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में स्थापित नयी इकाइयों (100 करोड़ रुपये या अधिक विनियोग वाली) को आस्थगन योजना में लाभ 25 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत किया जायगा।

ईसगोल पर क्रय कर 2.5 प्रतिशत से कम करके 1 प्रतिशत किया जायगा।

कच्चा माल 3 प्रतिशत रियायती दर पर प्राप्त किया जा सकेगा।

मशीनरी की खरीद पर बिक्री कर में छूट दी गई है।

(iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ता को विशेष सहायता प्रदान की गई है

रीको-औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाटो (4000 मीटर तक) के आवटन पर 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी

राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों (5 लाख रुपये तक) पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जायगी

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में ब्याज में 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देय होगी। इन ऋणों पर मार्जिन मनी 25 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत होगा

राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण की प्रासंगिक फीस पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

पृथक उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जायगा।

(iv) महिला उद्यमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए

2000 वर्गमीटर औद्योगिक भूमि पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जायगी। युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं (War widows) को 25 प्रतिशत छूट दी जायगी।

महिला उद्यम निधि योजना के अन्तर्गत नई परियोजनाओं (15 लाख रुपये की लागत तक) के लिए 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर इक्विटी सहायता प्रदान की जायेगी।

शहरी निर्धन महिलाओं को घरेलू उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अति लघु उद्योगों को बढ़ी हुई दरों में बिक्री कर में छूट दी जायगी।

उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रमों का लाभ महिला उद्यमियों को भी प्राप्त होगा।

6 विशेष उद्योगों के विकास हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये

(i) चमडा आधारित उद्योगों के लिये प्राचीन विधियों के स्थान पर आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के कार्यक्रम बनाये जायेंगे इस उद्योग की नवीन इकाइयों के लिए बिक्री दर की देयताओं की सीमा 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तथा पुरानी इकाइयों के विस्तार हेतु 60 प्रतिशत 75 प्रतिशत कर दी जायगी कच्चे माल पर क्रय कर 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जायगा

(ii) चीनी मिट्टी व कांच उद्योग वाली औद्योगिक इकाइयों (5 से 25 करोड रुपये विनियोजन वाली) को बिक्री कर लाभ 7 वर्ष से बढा कर 9 वर्ष किया जायगा। 25 से 100 करोड रुपये विनियोग वाली इकाइयों को बिक्री कर लाभ 9 वर्ष से बढ़ाकर 11 वर्ष कर दिया जायगा इन दोनों श्रेणियों के लिये करदेयता में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत से बढाकर 90 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत से बढाकर 100 प्रतिशत कर दी जायगी।

(iii) ऊनी उद्योग को गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण ऊन की ग्रेडिंग वस्तु विविधिकरण तथा क्रय कर में छूट आदि सुविधायें प्रदान की जायगी

(iv) इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को कांच उद्योग के समान सुविधायें प्रदान की जायगी। क्रय कर 2 प्रतिशत देय होगा। ब्याज दरों पर की सुविधा दी जायगी।

(v) खनिज आधारित उद्योग खनन पट्टे को वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर सकेंगे इस नीति पर 2 वर्ष पश्चात् पुनः विचार किया जायगा। प्रासंगिक इकाई लगाने वाले उद्यमियों को लीज स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जायगी।

(vi) कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कोल्ड स्टोरेज तथा ग्रेन हाउस के लिए सब्सिडी प्रदान की जायगी निजी क्षेत्र एवं पूजी की सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जायगा इन

भविष्य के लिए छोड दिये गये है। ऐसे औद्योगिक उपक्रम राज्यों के औद्योगिक विकास में अनेक बाधाएं उत्पन्न करते है अत राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास को ध्यान मे रखते हुये ऐसी इकाइयों के सम्बन्ध में अविलम्ब निर्णय लिया जाना चाहिये।

निष्कर्षत राजस्थान की औद्योगिक नीति एव प्रयास उद्योगों को आकर्षित करने मे सक्षम प्रतीत होते है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि औद्योगिक विकास को अवरूद्ध करने वाले तत्वों यथा अनावश्यक देरी लालफीताशाही व भ्रष्टाचार स मुक्ति पाई जाये।

नई औद्योगिक नीति, 1998

राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषणा 4 जून, 1998 में की गई। इस नीति के अन्तर्गत अगले पाच वर्षों (1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2003) म 20 हजार करोड रुपये का विनियोग किया जायेगा ताकि औद्योगिक उत्पादन की दर का 12 प्रतिशत किया जा सके।

उद्देश्य -

1 राजस्थान म औद्योगिक विकास की गति को तेज करना इसका प्रमुख लक्ष्य है।

2 1994 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत जो कमिया अनुभव की गई उन्हे नई औद्योगिक नीति में दूर करने का प्रयास किया गया है।

विशेषताए -

1 आधारभूत सुविधाओ के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी।

2 निजी क्षेत्र की सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

3 बडी परियोजनाओं के लिये आधार भूत एव विनियोजन मडल का विकास किया जायेगा।

4 परियोजना विकास निगम की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि रूपान्तरण प्रक्रिया को सरल बनाना है।

5 चिन्हित भूमि को उद्योगों के उपयोग में न लेने के लिए अकृषि भूमि की नियम म परिवर्तन किया जायगा।

7 उर्जा की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये चालू विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण किया जायगा।

7 कैप्टिव पावर प्लाट नीति की घोषणा की जायेगी।

8 निर्यातोन्मुखी इकाइयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (एन) के अन्तर्गत 'पब्लिक यूटिलिटी स्टेटस' प्रदान किया जायगा।

9 31 मार्च, 2003 तक लगाने वाले उद्योगों को 5 साल के लिये बिक्री कर मुक्ति दी जायेगी।

10 बिक्री कर सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

11 निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (365 एकड) जयपुर (सीतापुरा) के समान एक पार्क की स्थापना भिवाडी में की जायगी। इसके लिये केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

12 जयपुर जोधपुर कोटा और उदयपुर के समान भीलवाडा भिवाडी और श्रीगंगानगर में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की जा रही है

13 गलीचा एव दस्तकारी की निर्यातक इकाइयों के लिए जयपुर में 'कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सेन्टर' "बुडनवेयर सर्विस सेन्टर" स्थापित किये जायेंगे।

14 लघु उद्योगो का 70 प्रतिशत माल सरकार खरीदेगी।

15 150 उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण मन्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में छूट दी जायेगी।

16 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना राजमार्गों म 150 मीटर की दूरी पर करने का प्रावधान किया गया ।

17 प्रशिक्षण एव विशिष्ट पर बल देने के लिये चार नये संस्थानो की स्थापना की जा रही है।

18 पूजी विनियोजन अनुदान योजना के स्थान पर पाच वर्ष की अवधि के लिये ब्याज अनुदान योजना आरम्भ की गई। ब्याज पर २ प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जायेगा।

19 नई इकाइयो को प्लाट एव मशीनरी एव कच्चे माल पर शहरी क्षेत्र मे 5 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्र मे 7 वर्ष के लिए चुगी मुक्ति प्रदान की जायगी।

20 रीको द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्रों को मार्च 2003 तक नगर पालिका सीमा से बाहर रखा जायगा।

21 डी.जी. सेट खरीदने पर 25 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 2 5 लाख रुपये) अनुदान दिया जायेगा।

22 भूमि एव भवन कर से उद्योगों की मुक्ति की सीमा को 5 लाख रुपये से बढाकर 20 लाख रुपये किया गया।

23 कस्टम ब्राड पर स्टाम्प ड्यूटी 25 हजार रुपये से घटाकर एक हजार रुपय कर दी गइ।

24 राख व पत्थर - चारे पर आधारित परियोजनाओं को 100 प्रतिशत बिक्री कर व चुगी मुक्ति दस वर्ष के लिए प्रदान की जायगी।

25 बीमार औद्योगिक इकाइयों के लिये एक राजस्तरीय संस्था की स्थापना की जायगी।

अधिकांश उद्योग इसी जिले में विद्यमान है। इसी प्रकार राज्य के पंजीकृत उद्योगो मे विनियोजित पूजी का लगभग आधा भाग जयपुर जिले मे विनियोजित है। क्षेत्रीय असतुलन की ऐसी स्थिति शायद ही देश के किसी राज्य में विद्यमान हो। क्षेत्रीय असतुलन के कारण अन्य क्षेत्रो में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान के लिए कम विकसित क्षेत्रों मे पर्याप्त पूजी विनियोजन की आवश्यकता है।

7 परिवहन की कठिनाई (Difficulty in Transportation) - राजस्थान में परिवहन के साधनों का भी बहुत कम विकास हुआ है। राज्य के आकार की तुलना मे रेलों का बहुत कम विकास हुआ है। बडी रेल लाईनों का विकास एक सीमित क्षेत्र में हो पाया है। राज्य के सभी भागो मे पर्याप्त सडकें भी नही है। अत माल के आवागमन में न केवल अनेक कठिनाईया आती है वरन् परिवहन लागत भी ऊँची रहती है। राज्य मे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिवहन के विभिन्न साधनों का विस्तार करने हेतु अनेक योजनाए कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ का सहयोग भी प्राप्त हुआ है लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान परिवहन की दृष्टि से अत्यधिक पिछडा हुआ है। यही कारण है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नगण्य हो रहा है। अत औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सडक व परिवहन का विशेष रूप से विकास एव विस्तार किया जाना चाहिए।

8 कृषि का पिछडापन (Backwardness of Agriculture) वर्षा के अभाव में राजस्थान की कृषि अत्यधिक पिछडी हुई है। अत राज्य मे कृषि जन्य कच्चे माल का सदैव अभाव बना रहता है। राज्य के कृषि पर आधारित अनेक उद्योगों जैसे सूती वस्त्र तथा वनस्पति घी आदि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नही मिल पाता है। अत राजस्थान मे कृषि आधारित उद्योगो का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। कृषि विकास को बढावा देने के लिए 'हरित क्रांति' का मार्ग अपनाया गया लेकिन पर्याप्त जल के अभाव में इसका पूरा लाभ सम्पूर्ण राज्य मे प्राप्त नहीं किया जा सका। अत राज्य में सिंचाई के साधनों का तेजी से विस्तार करके ही कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इससे औद्योगिक विकास की गति स्वत बढ जाएगी।

9 अकाल व सूखा (Famines & Draughts) - राजस्थान में प्राय अकाल की स्थिति बना रहती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में बाधक है। राज्य में अकाल की स्थिति बने रहने का प्रमुख कारण मानसून की अनिश्चित प्रकृति व राज्य के एक बहुत बडे भाग में रेगिस्तान का होना है। इंदिरा गाधी नहर परियोजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अकाल एव बढते हुए रेगिस्तान पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अकाल व सूखे की समस्या के समाधान हेतु ऐसी परियोजनाओं का शीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। ऐसी परियोजनाओं के कारण कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी तेजी से विकास होता है।

10 प्रणाली सबधी समस्याए (Problems realting to the System) - एक उद्यमी को पजीकरण अनुज्ञा पत्र भूमि जल बिजली वित्त कच्चा माल एव विपणन इत्यादि सुविधाए प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विभागों या सस्थाओ से सम्पर्क करना पडता है। ये प्रणालिया अत्यन्त जटिल है जिनमे अनावश्यक विलम्ब होता है। अत विभिन्न रियायतों सबधी व्यवस्थाओं को सरल रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

11 शक्ति की अपर्याप्तता (Insufficient Energy Sources) - राजस्थान में पर्याप्त शक्ति के साधन न होने के कारण ही औद्योगिक विकास की गति धीमी रही। राज्य मे कोयले व खनिज तेल का नितान्त अभाव है और विद्युत का उत्पादन भी राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। राज्य मे शक्ति के गैर परम्परागत साधनों के विकास की पर्याप्त सभावनाए विद्यमान है लेकिन पूजी के अभाव के कारण इन साधनों का विकास नही हो पाया है। अत पर्याप्त पूजी विनियोजन के द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाना चाहिए।

12 प्रति व्यक्ति कम आय (Low Per Capita Income) राज्य में प्रतिव्यक्ति आय भी कम है इसके अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि राज्य की प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है अत राजस्थान में पूजीनिर्माण की गति भी धीमी बनी रहती है। जिससे सदैव पूजी का अभाव बना रहता है। पूजी के अभाव के कारण राज्य का तेजी से औद्योगीकरण नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य में बैंकिंग एव वित्तीय सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और लोगो में विशेषत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की आदत विकसित की जानी चाहिए इससे पूजी निर्माण की गति में वृद्धि होना प्रारम्भ हो जाएगा ।

13 उद्योगपतियो की उदासीनता (Indifferent Attitude of Industrialists) - राज्य के औद्योगीकरण के प्रति उद्योगपति प्राय उदासीन बने रहे है इसका प्रमुख कारण यह है कि राज्य मे नवीन उद्योगो की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण न होने के कारण वे अपनी पूजी को देश के अन्य भागों में विनियोजित करना अधिक लाभदायक समझते है । राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए

विशेष योजनाओं के अन्तर्गत रियायतों व सुविधाओं की घोषणा करनी चाहिए।

14. *अन्य समस्याए (Other Problems)* - उपर्युक्त समस्याओं क अतिरिक्त भी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में अनेक समस्याए विद्यमान है श्रम सम्बन्धी समस्याओं के अन्तर्गत कुशल श्रमिकों का अभाव तथा मधुर औद्योगिक सम्बन्धों का अभाव है इससे उत्पादन कार्य में अवरोध बना रहता है। राज्य का अभी तक पूर्णत औद्योगिक सर्वेक्षण नही हो पाया । उत्पादित वस्तुओं की पर्याप्त रूप से जाच नही हो पाती हैं अत 5 राज्य में अपेक्षाकृत घटिया वस्तुओं की पर्याप्त रूप से जाच नही हो पाती है अत राज्य में अपेक्षाकृत घटिया वस्तुओ का उत्पादन होता है । राज्य के अनेक उद्योग रुग्णता की समस्या से ग्रस्त हें । इन सभी समस्याओं का समाधान करके राजय में औद्योगीकरण की गति को तीव्र किया जा सकता है।

राजस्थान में तीव्र विकास के सुझाव

राज्य अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से आर्थिक विकास हतु निम्न सुझाव दिये जा सके है

1 वित्तीय साधनों में वृद्धि राज्य की प्रथम सात योजनाओ का आकार बहुत छोटा थ अत राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में अर्थव्यवस्था के विकास का गति बहुत धीमी रही । राजय की 8 वी व 9 वीं योजना का आकार पहले की योजनाओं की तुलना में अधिक है लेकिन राज्य की समस्याओं और बढता हुई आवश्यकताओं को ध्यान मेरखते हुये वित्तीय स्रोतों में वृद्धि की जानी चाहियस ।

2 आर्थिक सर्वेक्षण - राजस्थान मे आर्थिक सर्वेक्षणों की गति धीमी है अत राज्य यकी आर्थिक क्षमताओं का ज्ञान नहीं है अत राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में की जानी चाहिये ताकि कृषि उद्योग परिवहन और खनिज विकास की भावी सम्भवनाओं काअनुमान लगाया जा सके।

3 *सिचाई के साधनो का विकास* - *राजस्थान में प्राय* अकाल एँव सूखें की स्थिति बनी रहती है । इस समस्या का समाधान केवल सिचाई के साधनों में वृद्धि करके ही किया जा सकता है । राज्य में सिचाई के वर्तमान साधन अपर्याप्त है अत अर्थव्यवस्था के तीव्रगति आर्थिक विकासके लिये सिचाई के साधनों में तेजा से विकास करना आवश्यक है

4 राज्य के शुष्क प्रदेश का उपयोग - राज्य का एक बृहद भू भाग मरूस्थल है अन्तर्गत आता है। प्रदेश में वर्ष का अभाव रहता है तथा भूक्षरण की प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसी स्थिति में शुष्क प्रदेश का उपयोग करने के नवीन तकनीकों की खोज पर बल दिया जाना चाहिये। भू क्षरण को रोकने के लियेपेड पौधे लगाये जाने चाहिये और म वर्षा की अवश्यकता वाली फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिये।

5 अरावली क्षेत्र का विकास - राज्य का अरावली क्षेत्र रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढने से रोकता है लेकिन विगत दशक में इन क्षेत्र का पर्यावरण एव पारिस्थिति की अत्यधिक कमजोर हो गई है । अत अरावली क्षेत्र के विकास पर *विशेष बल दिया जाना चाहिये ।*

6 पेयजल की व्यवस्था - आर्थिक विकास की लम्बी यात्रा के पश्चात भी राज्य में पेयजल का सकट विद्मान है । यह विचित्र विडम्बना है कि कुछ स्थानों पर पेयजल उपलब्ध ही नही है और अनेक स्थानों पर पेयजल का स्वाद क्षारीय और पीने योग्य नहा है अत राजय में पेयजल की व्यवस्था के लिये क्रन्तिकारी प्रयासों की आवश्यकता है

7 लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास - राजस्थान में कृषि आधारित परम्परागत कुटीर व लघु उद्योगो का तेजी से विकास हुआ है। लेकिन राज्य में खनिज आधारित आधुनिक उद्योगो का अभाव है अत राज्य में खनिज आधारित उद्योग एव इलेक्ट्रोनिक उद्योगो के विकास पर बल दिया जा रहा है।

8 इदिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र विकास - इस क्षेत्र में कृषि उद्योग नगर निर्माण बैकिंग विकास रोजगार वृद्धि आदि की विपुल सम्भावनाए विद्यमान है । अत आर्थिक ससाधनों में वृद्धि करके इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये । ताकि राज्य की विकास की दर बढ सको इदिरा गाधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी से पूर्ण किया जाना चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) सक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by Industrial Policy?

2 औद्योगिक नीति का महत्व बताईए।
Explain the importance of Industrial Policy

3 राजस्थान की 1990 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन कीजिए।
Evaluate the Industrial Policy 1990 of Rajasthan

अधिकांश उद्योग इसी जिले में विद्यमान है। इसी प्रकार राज्य के पंजीकृत उद्योगों में विनियोजित पूंजी का लगभग आधा भाग जयपुर जिले में विनियोजित है। क्षेत्रीय असंतुलन की ऐसी स्थिति शायद ही देश के किसी राज्य में विद्यमान हो। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। इस समस्या के समाधान के लिए कम विकसित क्षेत्रों में पर्याप्त पूंजी विनियोजन की आवश्यकता है।

7 परिवहन की कठिनाई (Difficulty in Transportation) राजस्थान में परिवहन के साधनों का भी बहुत कम विकास हुआ है। राज्य के आकार की तुलना में रेलों का बहुत कम विकास हुआ है। बड़ी रेल लाईनों का विकास एक सीमित क्षेत्र में हो पाया है। राज्य के सभी भागों में पर्याप्त सड़कें भी नहीं है। अतः माल के आवागमन में न केवल अनेक कठिनाईयां आती है वरन् परिवहन लागत भी ऊंची रहती है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिवहन के विभिन्न साधनों का विस्तार करने हेतु अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ है लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान परिवहन की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नगण्य ही रहा है। अतः औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सड़क व परिवहन का विशेष रूप से विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए।

8 कृषि का पिछड़ापन (Backwardness of Agriculture) वर्षा के अभाव में राजस्थान की कृषि अत्यधिक पिछड़ी हुई है। अतः राज्य में कृषि जन्य कच्चे माल का सदैव अभाव बना रहता है। राज्य के कृषि पर आधारित अनेक उद्योगों जैसे सूती वस्त्र तथा वनस्पति घी आदि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का मार्ग अपनाया गया लेकिन पर्याप्त जल के अभाव में इसका पूरा लाभ सम्पूर्ण राज्य में प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः राज्य में सिंचाई के साधनों का तेजी से विस्तार करके ही कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इससे औद्योगिक विकास की गति स्वतः बढ़ जाएगी।

9 अकाल व सूखा (Famines & Draughts) राजस्थान में प्रायः अकाल की स्थिति बनी रहती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में बाधक है। राज्य में अकाल की स्थिति बने रहने का प्रमुख कारण मानसून की अनिश्चित प्रकृति व राज्य के एक बहुत बड़े भाग में रेगिस्तान का होना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अकाल एवं बढ़ते हुए रेगिस्तान पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अकाल व सूखे की समस्या के समाधान हेतु ऐसी परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। ऐसी परियोजनाओं के कारण कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी तेजी से विकास होता है।

10 प्रणाली सबंधी समस्याएं (Problems realting to the System) एक उद्यमी को पंजीकरण, अनुज्ञा पत्र, भूमि, जल, बिजली, वित्त, कच्चा माल एवं विपणन इत्यादि सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विभागों या संस्थाओं से सम्पर्क करना पड़ता है। ये प्रणालियां अत्यन्त जटिल है जिससे अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः विभिन्न रियायतों संबंधी व्यवस्थाओं को सरल रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

11 शक्ति की अपर्याप्तता (Insufficient Energy Sources) राजस्थान में पर्याप्त शक्ति के साधन न होने के कारण ही औद्योगिक विकास की गति धीमी रही। राज्य में कोयले व खनिज तेल का नितान्त अभाव है और विद्युत का उत्पादन भी राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। राज्य में शक्ति के गैर परम्परागत साधनों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं विद्यमान है लेकिन पूंजी के अभाव के कारण इन साधनों का विकास नहीं हो पाया है। अतः पर्याप्त पूंजी विनियोजन के द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाना चाहिए।

12 प्रति व्यक्ति कम आय (Low Per Capita Income) राज्य में प्रतिव्यक्ति आय भी कम है इसके अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि राज्य की प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है अतः राजस्थान में पूंजीनिर्माण की गति भी धीमी बनी रहती है। जिससे सदैव पूंजी का अभाव बना रहता है। पूंजी के अभाव के कारण राज्य का तेजी से औद्योगीकरण नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और लोगों में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की आदत विकसित की जानी चाहिए इससे पूंजी निर्माण की गति में वृद्धि होना प्रारम्भ हो जाएगा।

13 उद्योगपतियों की उदासीनता (Indifferent Attitude of Industrialists) राज्य के औद्योगीकरण के प्रति उद्योगपति प्रायः उदासीन रहे हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण न होने के कारण वे अपनी पूंजी को देश के अन्य भागों में विनियोजित करना अधिक लाभदायक समझते है राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लि

विशेष योजनाओं के अन्तर्गत रियायतों व सुविधाओं की घोषणा करनी चाहिए।

14. अन्य समस्याए (Other Problems) - उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में अनेक समस्याए विद्यमान है श्रम सम्बन्धी समस्याओं के अन्तर्गत कुशल श्रमिकों का अभाव तथा मधुर औद्योगिक सम्बन्धों का अभाव है इसमे उत्पादन कार्य मे अवरोध बना रहता है। राज्य का अभी तक पूर्णत औद्योगिक सर्वेक्षण नही हो पाया। उत्पादित वस्तुओं की पर्याप्त रूप से जाच नही हो पाती है अत 5 राज्य में अपेक्षाकृत घटिया वस्तुओं की पर्याप्त रूप मे जाच नही हो पाती है अत राज्य में अपेक्षाकृत घटिया वस्तुओं का उत्पादन होता है। राज्य के अनेक उद्योग रूग्णता की समस्या से ग्रस्त हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान करके राजय में औद्योगीकरण की गति को तीव्र किया जा सकता है।

राजस्थान में तीव्र विकास के सुझाव

राज्य अर्थव्यवमी के तीव्र गति से आर्थिक विकास हतु निम्न सुझाव दिये जा सके है

1 वित्तीय साधनों में वृद्धि राज्य की प्रथम सात याजनाओं का आकार बहुत छोटा थ अत राज्य में अन्य राज्यों को तुलना में अर्थव्यवस्था के विकास की गति बहुत धीमी रही। राजय की। 8 वी व 9 वी योजना का आकार पहले की योजनाओं की तुलना में अधिक है लेकिन राज्य की समस्यओं और बढती हुई आवश्यकताओ को ध्यान मेरखतें हुये वित्तीय स्रोतों में वृद्धि की जानी चाहियस।

2 आर्थिक सर्वेक्षण - राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षणों की गति धीमी है अत राज्य यकी आर्थिक क्षमताओं का ज्ञान नही है अत राज्य में आर्थिक सर्वेखण अधिक मात्रा में की जानी चाहिये ताकि कृषि उद्योग, परिवहन और खनिल विकास की भावी सम्भवनाओं काअनुमान लगाया जा सके।

3 सिंचाई के साधनों का विकास - राजस्थान में प्राय अकाल एवं सूखें की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या का समाधान केवल सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके ही किया जा सकता है। राज्य मे सिंचाई के वर्तमान साधन अपर्याप्त है अत अर्थव्यवस्था के तीव्रगामी आर्थिक विकासके लिये सिंचाई के साधनों म तेजा से विकास करना आवश्यक है

4 राज्य के शुष्क प्रदेश का उपयोग - राज्य का एक बहुत बढा भू भाग मरुस्थल है अन्तर्गत आता है। प्रदेश में वर्षा का अभव रहता है और भूशरण की प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसी स्थिति में शुष्क प्रदेश का उपयोग करने के नवीन तकनीकों की खोज पर बल दिया जाना चाहिये। भू शरण को रोकने के लियेपेड पौधे लगाये जाने चाहिये और म वर्षा की अवश्यकता वाली फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिये।

5 अरावली क्षेत्र का विकास राज्य का अरावली क्षेत्र रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढने से रोकता है लेकिन विगत दशक में इन क्षत्र का पर्यावरण एव परिस्थिति की अत्यधिक कमजोर हो गई है। अत अरावली क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।

6 पेयजल की व्यवस्था - आर्थिक विकास की लम्बी यात्रा के पश्चात भी राज्य में पेयजल का सकट विद्यमान है। यह विचित्र विडम्बना है कि कुछ स्थानों पर पेयजल उपलब्ध ही नही है और अनेक स्थानों पर पेयजल का स्वाद क्षारीय और पाने योग्य नही है अत राजय में पेयजल की व्यवस्था के लिये क्रान्तिकारी प्रयासों की आवश्यकता है

7 लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास - राजस्थान में कृषि आधारित परम्परागत कुटीर व लघु उद्योगो का तेजी से विकास हुआ है। लेकिन राज्य में खनिज आधारित आधुनिक उद्योगे का अभाव है अत राज्य में खनिज आधारित उद्योग एव इलेक्ट्रानिक उद्योगो के विकास पर बल दिया जा रहा है।

8 इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र विकास - इस क्षेत्र में कृषि उद्योग नगर निमार्ण बैंकिंग विकास रोजगार वृद्धि आदि की विपुल सम्भावनाए विद्यमान है। अत आर्थिक ससाधनों में वृद्धि करके इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये। ताकि राज्य की विकास की दर बढ़ सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी मे पूर्ण किया जाना चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) सक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 औद्योगिक नीति से आप क्या समझते है?
What do you mean by Industrial Policy?

2 औद्योगिक नीति का महत्व बताईए।
Explain the importance of Industrial Policy

3 राजस्थान की 1990 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन कीजिए।
Evaluate the Industrial Policy 1990 of Rajasthan

4 राजस्थान की नवीन औद्योगिक नीति 1998 के उद्देश्य बताईए।
Mention the objectives of New Industrial Policy 1998 of Rajasthan

5 राजस्थान में औद्योगिक उदारीकरण की प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए।
Mention the trend of industrial liberalisation in Rajasthan

(B) निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 राजस्थान की नवीन औद्योगिक नीति 1994 का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।
Discuss in detail the New Industrial Policy 1994 of Rajasthan

2 राजस्थान की 1998 की औद्योगिक नीति पर एक लेख लिखिए
Write an essay on Industrial Policy 1998 of Rajasthan

3 औद्योगिक नीति से आप क्या समझते है। 1994 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताए बताईए।
What do you mean by Industrial Policy? Explain the main characteristics of Industrial Policy 1994

4 राजस्थान के औद्योगिक विकास में औद्योगिक नीति की भूमिका सिद्ध कीजिए।
Prove the Role of Industrial Policy in the industrial development of Rajasthan

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(University Examination s Questions)

1 राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत की नवीन औद्योगिक नीति 1994 का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।
Discuss in detail the New Industrial Policy 1994 of Chief Minister Shri Bharoan Singh Shekhawat of Rajasthan

2 राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं एवम् रियायतों का वर्णन कीजिए।
Describe the various incentives and facilities provided by the Government of Rajasthan for Industrial Development

3 *औद्योगिक नीति से आप क्या समझते है? औद्योगिक नीति का महत्व बताईए।*
What do you mean by Industrial Policy? Describe the importance of Industrial Policy?



अध्याय – 17

राजस्थान में औद्योगिक वित्त एवं विकास में संस्थागत योगदान

ROLE OF VARIOUS INSTITUTIONS IN INDUSTRIAL FINANCE AND DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

"वित्त उद्योगों का जीवन रक्त है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान राज्य वित्त निगम
- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम
- राजस्थान लघु उद्योग निगम
- राजस्थान में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले अन्य विभाग/निगम
- भारत की औद्योगिक वित्त से सम्बन्धित राष्ट्रीय संस्थाएं
- राजस्थान में औद्योगिक वित्त की समस्याएं व सुझाव
- अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है फिर भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। अतः एक विकासशील राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार राजस्थान को भी आवश्यक औद्योगिक संस्थानों का तेजी से निर्माण करना होगा ताकि राजस्थानवासियों का जीवनस्तर ऊँचा उठ सके, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके और सरकारी आय में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त राज्य का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विकास करना भी आवश्यक होगा। राज्य के सकल उत्पादन की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र बहुत कम सहयोग दे रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात् राजस्थान का औद्योगिक विकास प्रारम्भ हुआ। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनेक उद्योगों की स्थापना की गई। राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है ताकि अधिक से अधिक उद्यमी राज्य में नये उद्योग स्थापित कर सकें। इस नीति के अन्तर्गत अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नालॉजी, एग्रो व फूड प्रोसेसिंग तथा राज्य में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देगी। विद्युत व जल का कम खपत वाले तथा रोजगार को बढ़ावा देने वाले उद्योग की स्थापना

को प्रोत्साहन दिया जायेगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया है अत इसे भी अन्य उद्योगो के समान सुविधाय एव रियायत प्रदान की जायेगी। राज्य मे अनेक प्रकार की वित्तीय सस्थाए कार्यरत हैं। औद्योगिक वित्त प्रदान करने म निम्नलिखित सस्थाओ का महत्वपूर्ण स्थान है

(1) राजस्थान राज्य वित्त निगम (RFC)
(2) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एव विनियोग निगम (RIICO)
(3) राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO)
(4) राज्य का उद्योग विभाग
(5) अन्य (i) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया (ii) भारतीय जीवन बीमा निगम (iii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (iv) केन्द्र व राज्य सरकारे एव (v) व्यापारिक बैंक।

इनका विवेचन निम्नवत् है

राजस्थान राज्य वित्त निगम
RAJASTHAN STATE FINANCE CORPORATION

निगम की स्थापना
Establishment

राजस्थान राज्य वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अनुसार 17 जनवरी 1955 को की गई। इस निगम ने 8 अप्रेल 1955 से कार्य प्रारम्भ किया। राजस्थान राज्य वित्त निगम का केन्द्रीय कार्यालय जयपुर मे है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर बीकानेर जोधपुर उदयपुर व कोटा में स्थित हैं। निगम के 37 शाखा कार्यालय भी हैं।

उद्देश्य
Objects

राजस्थान राज्य वित्त निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राज्य म उद्योगो को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि राज्य का तीव्र गति से औद्योगिक विकास हो सके। निगम न केवल कार्यरत उद्योगो को आर्थिक सहायता प्रदान करता है वरन् नवीन उद्योगो की स्थापना म भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है।

पूंजी सरचना
Capital Structure

ससाधनो की गतिशीलता हेतु निगम ने अपने व्यापार नियोजन एव ससाधन पूर्वानुमान' के अनुसार प्रयत्न किये हैं। निगम की अधिकृत पूजी 100 करोड रुपए है जो 100 रुपये मूल्य के एक करोड अशो म विभक्त है।

निगम का प्रबन्ध
Management

निगम का प्रबन्ध सचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। सचालक मण्डल म 13 सदस्य होते हैं। सचालक की सहायता के लिए 6-सदस्याय कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है। यह समिति प्रबन्ध सचालक की अध्यक्षता म कार्य करती है। सचालक मण्डल म निम्नलिखित सदस्य होते हैं

एक अध्यक्ष	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
एक प्रबन्ध सचालक	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
एक जनरल मैनेजर	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
एक सचालक	रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत
दो सचालक	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मनोनीत
एक सचालक	अनुसूचित बैंकों द्वारा मनोनीत
एक सचालक	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मनोनीत
एक सचालक	सहकारी बैंको द्वारा मनोनीत
एक सचालक	जनप्रतिनिधि

निगम के कार्य
Functions

राजस्थान राज्य वित्त निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

(I) राज्य की विभिन्न औद्योगिक इकाइयो को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।

(II) विभिन्न औद्योगिक इकाइयो द्वारा यदि अन्य सस्थाओ से ऋण लिये जाते हैं तो निगम से ऋणो की गारन्टी देने का कार्य करता है।

(III) निगम औद्योगिक इकाइयो के अशो व ऋणपत्रो मे प्रत्यक्ष अभिदान भी करता है।

(IV) यह केन्द्र व राज्य सरकारो के प्रतिनिधि के रूप म कार्य करता है।

(V) निगम द्वारा अशो व ऋणपत्रों के अभिगोपन का कार्य भी किया जाता है।

राजस्थान वित्त निगम वर्तमान में इन योजनाओं के तहत सहायता प्रदान कर रहा है :

(1) *सिंगल विन्डो स्कीम* चल व अचल दोनो प्रकार की सम्पत्तियो पर निगम ऋण उपलब्ध कराता है।

(2) *इक्यूपमेंट रिफाईनेंस* वर्तमान में चार वर्ष से लाभ

मे चल रही इकाइयो को यत्र व सयत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(3) लघु उद्योग इकाइयो मे निर्मित उत्पादो को विक्रय करने हेतु दुकानो एव शोरूम पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(4) रिसोर्ट होटल पर्यटन एव मेरिज हाल पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(5) छोटे अस्पताल एव नर्सिंग होम पर ऋण दिया जाता है।

(6) खनन एव उससे सम्बन्धित उपकरणो पर ऋण दिया जाता है।

(7) महिला उद्यम निधि योजना मे महिलाओ को ऋण दिया जाता है।

(8) अनुसूचित जाति एव जनजाति के व्यक्तियो को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(9) व्यावसायिक योग्यता वाले व्यक्तियो को कम्प्यूटर एव अन्य उपकरणों पर ऋण दिया जाता है।

(10) फ्लोरी-कल्चर फिश कल्चर, पॉल्ट्री-फॉर्म आदि पर ऋण दिया जाता है।

राजस्थान राज्य वित्त निगम की प्रगति

Progress of R F C

राजस्थान राज्य वित्त निगम के कारण राज्य मे औद्योगिक वातावरण का सृजन हुआ है। राज्य मे लघु एव कुटीर उद्योगो के साथ-साथ बडे उद्योग भी विकसित हो चुके हैं। निगम ने अपनी नीतियों और प्राथमिकताओ का निर्धारण करते समय केन्द्र एव राज्य की औद्योगिक नीतियो को ध्यान मे रखा है। केन्द्र व राज्य सरकारो द्वारा नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई है, जिनके अन्तर्गत उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। सरकार द्वारा इसमे अनेक सशोधन भी किये गए हैं। निगम इस नीति के अनुरूप एव नवीन दिशा अपना चुका है। निगम की प्रगति का विवेचन निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत किया जा सकता है

कार्य व्यापार एव प्रगति

निगम द्वारा अपनी स्थापना से माह जनवरी, 98 तक लगभग 65825 औद्योगिक इकाइयो को 2017.89 करोड रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं एव 50251 औद्योगिक इकाइयो को 1361 98 करोड रुपये के ऋण वितरित किये जा चुके हैं। निगम ने अपने कार्य व्यापार मे जो महत्वपूर्ण उपलब्धिया अर्जित की हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है -

(राशि करोडो मे)

उपलब्धि वर्ष	ऋण स्वीकृतिया	ऋण वितरण
1955 56 (प्रथम वर्ष)	0 97	0 02
1946 65 (दसवा वर्ष)	0 73	0.63
1974-75 (बीसवा वर्ष)	7 06	2.83
1979-80 (पच्चीसवा वर्ष)	31.54	17 94
1984-85 (तीसवा वर्ष)	54 19	39.39
1989 90 (पैंतीसवा वर्ष)	110.25	64 96
1994-95 (चालीसवा वर्ष)	177.55	120.72
1995-96 (इकतालीसवा वर्ष)	163 44	131.66
1996-97 (बयालीसवा वर्ष)	167 45	122 09
1997 98 (जनवरी 1998 तक)	98.75	95.68

स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997 98

निगम द्वारा उद्यमियों को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 1997-98 मे क्रियान्वित किये गये प्रशासनिक निर्णयों का विवरण

1 वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृति की शक्तियो का और अधिक विकेन्द्रीकरण किया गया है जिसके अतर्गत अब शाखा प्रबधक द्वारा 5 लाख रुपये के ऋण एव उप महाप्रबन्धक (क्षेत्रीय) द्वारा 20 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत किये जा सकेंगे। इसके साथ ही ये अधिकारी निगम की गुड बोरोअर्स योजना के तहत इतनी ही राशि के ऋण अतिरिक्त में स्वीकृत कर सकेगे। परियोजना को शीघ्र उत्पादन में लाने की दृष्टि से निगम मे स्वीकृत ऋण के 20 प्रतिशत तक उचित कोस्ट ओवर रन के लिए अतिरिक्त ऋण देने के लिए भी शाखा प्रबन्धकों को अधिकृत किया है।

2 निगम द्वारा ऋण स्वीकृति एव वितरण की प्रक्रिया का और अधिक सरलीकरण किया गया है। ऋण वितरण को सरलीकृत करने के लिए सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत तक का वितरण निगम द्वारा किया जा सकेगा। परिवहन ऋण योजना के तहत बॉडी बनाने के लिए ऋण वितरण चेसिस लाने के पश्चात् एडवास मे किया जा सकेगा।

3 वित्त निगम द्वारा सर्वेक्षण के दौरान चिह्नित उन ऋण इकाइयो जिनमे 10 अथवा 10 से अधिक व्यक्ति रोजगार मे हैं के पुनर्वास हेतु प्रत्येक इकाई की फिजिबलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इकाई के उद्यमी से विचार विमर्श के पश्चात् पुनर्वास पैकेज बनाया जाएगा जिसमे विभिन्न प्रकार की छूटे एव भविष्य में दी जाने वाली वित्तीय सहायता आदि का समावेश होगा।

1 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997 98

4 निगम द्वारा महिला उद्यमियो समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियो के लिए दो योजनाए हाथ में ली जाएगी महिला उद्यमियो को शाघ्र ऋण उपलब्ध कराने के लिए निगम मे अलग से महिला उद्यम निजी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसके द्वारा महिलाओ को उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निगम द्वारा महिला उद्यमियो को परियोजना लागत की जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है 15 प्रतिशत बीज पूजी सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

5 इसी प्रकार राजस्थान वित्त निगम एव राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम के सयुक्त तत्वाधन मे अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमिया को उद्योग स्थापित करने हेतु 50 000 रु तक की ऋण सहायता दी जाएगी। इसमे 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम 10 000 रु की राशि ■ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी एव अधिकतम 6 000 रु तक का ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

6 निगम ने राज्य के दस्तकारो अतिलघु उद्यमियो तथा हैण्डलूम उद्योग क्षेत्र को बढावा देने के उद्देश्य से मुख्यालय स्तर पर हैण्डलूम एव हैण्डीक्राफ्ट प्रकोष्ठ की स्थापना की है। जिसके अन्तर्गत परियोजना के चयन परियोजना का प्रतिवेदन बनाने एव ऋण सुविधा हेतु आवेदन पत्र सबधी जानकारी प्रदान की जाएगी।

7 निगम द्वारा पर्यटन उद्योग को और बढावा देने के उद्देश्य से पर्यटन उद्योग (उद्योग मोटल हैरीटेज होटल पेईंग गेस्ट आदि) लगाने वाले उद्यमियो को प्रचलित ब्याज दर में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार निगम द्वारा सचालित गुड बोरोअर्स योजना के अतगत ऋण लेने वाले उद्यमियो से प्रचलित ब्याज दर से दो प्रतिशत कम ब्याज दर ली जाएगी।

8 निगम द्वारा नियमित भुगतान करने वाले उद्यमियो को वर्तमान मे दी जा रही आधा प्रतिशत ब्याज मे छूट को बढाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। यह छूट आरम्भ मे एक वर्ष के लिए दी जाएगी।

9 शाखा स्तर पर ऋण प्राप्तकर्ताओ को उनके खाता के विवरण देने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा धीरे धीरे सभी शाखा कार्यालयो पर कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओ अथवा अधिकृत व्यक्ति को खातो के विवरण की प्रति प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।

वर्ष 1997–98 की उपलब्धिया

निगम द्वारा वर्ष 1997 98 मे माह जनवरी 98 तक 98 75 करोड रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये एव 95.68 करोड रुपये के ऋण वितरित किये गये। वर्ष के दौरान खनिज आधारित उद्योगो वस्त्र उद्योग एव सूक्ष्म तकनीकी आधारित उद्योगो को विशेष बढावा दिया गया। पर्यटन विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न भागो मे होटल/हैरीटेज पेईंग गेस्ट आवास हेतु ऋण सहायता प्रदान की गई। अनुसूचित जाति एव जनजाति के व्यक्तियो को उद्योग लगाने के लिए सामान्य से 2 प्रतिशत कम ब्याज पर 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

लघु उद्योगो का विस्तार

वर्ष 1996 97 की अवधि मे छोटे पैमाने के उद्योगो को जो कि कुल ऋण स्वीकृतियो के मुख्य अश थे सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई। कुल ऋण स्वीकृतियो का 96.36 प्रतिशत इस क्षेत्र के उद्यमियो को स्वीकृत किया गया। वर्ष 1997 98 मे भी लघु उद्योगो को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है जो कि निम्न सारणी से परिलक्षित होती है

(राशि करोड़ों में)

		1996 97		1997 98 (जनवरी, 98 तक)	
क्र स		प्रकृति	राशि	सख्या	राशि
1	लघु परिवहन	1383	149.38	791	91 11
2	अन्य	23	18 07	11	7.64

स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997 98

सहायता की परियोजनाए

निगम द्वारा दस्तकारो समाज के कमजोर वर्गों जिनमे अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग भी शामिल हैं तथा बहुत कम पूजी वाले उद्यमियो और इकाईयो को ग्रामीण एव लघु उद्योगो को बढावा देने की दृष्टि से विशेष योजनाओ का क्रियान्वयन किया गया। विभिन्न सहायता परियोजना के अतर्गत वर्ष 1997 98 मे माह जनवरी 98 तक अर्जित की गई उपलब्धियो का विवरण निम्न प्रकार है

(राशि करोड़ में)

क्र स	योजना का नाम	सख्या	राशि
1	कम्पोजिट ऋण योजना	53	11 99
2	अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए योजना	40	115 45
3	भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैम्फेक्स योजना	13	44.42
4	महिला उद्यम निधि योजना	6	22 50
5	सिगल विण्डो स्कीम	37	223 76
6	होटल उद्योग	23	418 94
7	हास्टल उद्योग	4	42.50
8	परिवहन ऋण	27	99 98
9	मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधियों के तहत लघु दीर्घकालीन ऋण	34	805 11

स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 1997 98

राज्य सरकार के अभिकर्त्ता की भूमिका

राज्य मे स्थित औद्योगिक इकाइयो को ब्याज मुक्त ऋण एव पूजी विनियोजन अनुदान स्वीकृत करने की दिशा मे वित्त निगम राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका निर्वाहित करता है। राज्य सरकार द्वारा घोषित पूजी विनियोजन अनुदान योजना के अतर्गत निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयो को वर्ष 1996 97 मे 804 इकाइयो को 27 37 करोड रुपये स्वीकृत किये गये एव 1130 इकाइयों को 23 91 करोड रुपये वितरित किये गये।

ऋण वसूली एव अनुसरण प्रयास

वित्त निगम ने वित्तीय वर्ष 1996 97 मे 194 78 करोड रुपये की वसूली कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उपलब्धि गत वर्ष की तुलना मे 10 31 प्रतिशत अधिक रही।

वर्ष 1997-98 मे वसूली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एव उद्यमियो से अधिक से अधिक वसूली के लिए निगम द्वारा विशेष नीतिगत निर्णय लेकर उद्यमियो द्वारा अपनी बकाया राशि एक मुश्त कराने पर विशेष रियायत देने का निर्णय लिया गया। अधिग्रहित इकाइयो के मामले शीघ्रातिशीघ्र निबटाने एव अधिक से अधिक पुनर्जीवन हेतु नीतिगत निर्णय लेकर क्षेत्रीय एव शाखा कार्यालय स्तर पर और अधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इन सभी प्रयासो के फलस्वरूप निगम द्वारा आलोच्य वर्ष मे माह जनवरी 98 तक 139 16 करोड रुपये की वसूली की गई है जो कि आलोच्य वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 61.85 प्रतिशत है एव गत वर्ष की इसी अवधि से 7 65 प्रतिशत अधिक है।

ऋण इकाइयों का पुनर्जीवन

निगम द्वारा 1996 97 मे रुग्ण इकाइयो को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये। इन प्रयासो के अतर्गत 44 इकाइयों के मामलों मे किश्तो का पुन निर्धारण किया गया 173 इकाइयो को 6.51 करोड रुपये की दण्डनीय ब्याज मे छूट दी गई 160 अधिग्रहित इकाइयो को बेचकर इकाई के प्रबन्ध मे परिवर्तन कर पुनर्जीवित किया गया। इसके अलावा 10 रुग्ण इकाइयो को भारतीय पैकेज तय कर पुनर्जीवित किया गया। इनको 0.57 करोड रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

वर्ष 1997-98 मे माह जनवरी 1998 तक 155 अधिग्रहित इकाइयो का जिनमे निगम का 10 01 करोड रुपया बकाया था मूल ऋणो को लौटाकर, परिसम्पत्तियो का विक्रय कर प्रबन्ध म परिवतन कर पुनर्जीवित किया गया। इसी प्रकार पुनर्वास योजना के अतर्गत जनवरी, 98 तक 9 इकाइयो का पुनरुद्धार किया गया।

वित्तीय संसाधन एवं लेखा-जोखा

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अनुसार वतमान मे वित्त निगम की अधिकृत पूजी (अश पूजी) 100 करोड रुपये है एव प्रदत्त पूजी 65 52 करोड रुपये है। राज्य सरकार तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जो पूर्वगत ऋण और अग्रिम दिये गये थे वे विभिन्न चरणो मे पूजी के रूप मे परिवर्तित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अश पूजी, ऋण एव वित्तीय सहायता आदि के लिए वार्षिक योजना 1997 98 में 2000 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1997-98 मे निगम द्वारा माह जनवरी 98 तक 10.50 करोड रुपये के बाण्ड्स निर्गमित किये गये हैं। वर्ष के दौरान 90.00 करोड रुपये का पुनर्वित्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एव भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से प्राप्त किया जाएगा।

गत पाच वर्षों मे निगम की उपलब्धियो का लेखा-जोखा सलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

गत पाच वर्षो की उपलब्धियां का लेखा-जोखा निम्न प्रकार है :

(राशि करोड़ो मे)

क्र स	विवरण	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93
1	ऋण स्वीकृति	165 45	163 44	177 5	165 77	168 00
		(1406)	(1770)	(1794)	(2169)	(2830)
2	ऋण वितरण	122.09	131 66	120 72	106 32	107 45
		(1266)	(1411)	(1534)	(1804)	(2306)
3	वसूली	194 78	176 58	156 17	131 47	110.95
4	अश पूजी					
	(क) (1) अधिकृत	110 00	100 00	100 00	100 00	100 00
	(2) प्रदत्त	67 52	67 52	67 52	64 02	60 17
	(ख) वर्षान्त में रिजर्व	40 76	34.26	27.26	25 41	24 62
	(ग) बाण्ड शेष	244 82	232.37	227 17	208 17	191 17
	(घ) भा औ वि बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	3 73	3 74	4 49	3.00	4 00
	(ङ) भा ल उ वि बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	54.09	72.74	60 67	53 90	53 73

5	सकल लाभ	43 61	45 04	34 08	27 06	20 98
6	कार्य परिचालन व्यय	29 37	26 43	22 95	17 67	13 37
7	लाभ	13 54	15 70	1 90	0 61	0 79
8	शुद्ध लाभ	9 88	11 58	1 90	0 61	0 79

स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997 98

व्यापार प्रोन्नति

निगम द्वारा राज्य मे उद्योग लगाने हेतु विभिन्न कदम उठाये गये है निगम द्वारा राज्य एव राज्य के बाहर व्यापार प्रोत्साहन शिविरो का आयोजन किया गया है। वर्ष 1997 98 के दौरान राज्य के ग्रामीण एव सभावित उन्नत क्षेत्रो मे समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु निगम की विभिन्न योजनाओ के अतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर अधिक से अधिक लोगो को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से अच्छा प्रदेश है। पर्यटको को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए वित्त निगम द्वारा होटल मोटल हैरीटेज होटल आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है। निगम द्वारा मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधियो के अतर्गत निगम से वित्त पोषित इकाइयो के गुड बॉरोअर्स को कार्यशील पूजी एव अतिरिक्त परिसम्पत्तियो के अर्जन हेतु अल्पावधि ऋण त्वरित गति से स्वीकृत किये जाते हैं। निगम ने अभी हाल ही मे गोल्ड कार्ड योजना आरम्भ की है जिसके अतर्गत निगम द्वारा ऋणो का नियमित भुगतान करने वाले उद्यमियो को 38 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता कार्यशील पूजी अतिरिक्त परिसम्पत्तियो के अर्जन हेतु प्रदान की जाती है। निगम की सभी योजनाओ का अधिक से अधिक लाभ पहुचाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

वर्ष 1998-99 के कार्यक्रम

वर्ष 1998-99 मे वित्त निगम द्वारा 210 करोड रुपये के ऋण स्वीकृत करने एव 165 करोड रुपए के ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऋण एव बद इकाइया केपुनर्जीवित हेतु विशेष प्रयास किये जायेगे।

निगम द्वारा सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित उन रूग्ण इकाइया जिनमे 10 अथवा 10 से अधिक व्यक्ति रोजगार मे हैं के पुनर्वास हेतु प्रत्येक इकाई का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इकाई के उद्यमो से विचार विमर्श के पश्चात् पुनर्वास पैकेज बनाया जाएगा। जिसमे विभिन्न प्रकार की छूटे एव भविष्य मे दी जाने वाली वित्तीय सहायता आदि का समावेश होगा।

शाखा स्तर पर ऋण प्रासकर्ताओं को उनके खाता का विवरण देने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा धीरे धीरे सभी शाखा कार्यालयो पर कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओ अथवा अधिकृत व्यक्ति को खातो के विवरण की प्रति प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।

हैण्डलूम क्षेत्र मे बुनकरो को रोजगार मे वृद्धि के उद्देश्य से करीब 10 000 बुनकरो को हैण्डलूम कारपोरेशन के सहयोग से कार्यशील पूजी के लिए ऋण प्रदान करने के विशेष प्रयास किये जायेगे।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम (रीको)

RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL & INVESTMENT CORPORATION

निगम की स्थापना
Establishment

28 मार्च, 1969 को राजस्थान राज्य उद्योग एव खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। 1979 मे इस निगम के खनिज साधनो से सम्बन्धित कार्यो को एक नवगठित सस्था 'राजस्थान राज्य खनिज व्यापार निगम' को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा जनवरी 1980 से राजस्थान राज्य उद्योग एव खनिज विकास निगम का नाम 'राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम' (रीको) कर दिया गया। अत औद्योगिक ऋण उपलब्ध कराने मे रीको की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई।

रीको राज्य सरकार व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ओर से एक विकास बैंक के रूप मे कार्यरत है। इस रूप मे यह सस्था अनेक योजनाओ को सचालित करती है और उन योजनाओ के अन्तर्गत राज्य के उद्यमियो को पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। रीको द्वारा इस क्षेत्र मे निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं

(i) रीको उन योजनाओ मे सहयोग करती है जिनकी निर्माण लागत 10 करोड रुपये तक होती है। इन योजनाओ मे रीको अशो के माध्यम से धन का विनियोजन करती है।

(ii) यह 150 लाख रुपए तक के अवधि ऋण स्वीकृत करती है। रीको राजस्थान मे कहीं भी औद्योगिक परियोजनाओं को विकसित करने हेतु अन्य वित्तीय सस्थाओ/ बैंको के साथ मिलकर भी कार्य करती है।

(iii) रीको उपकरण पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत प्रति औद्योगिक इकाई को 2 करोड रुपये तक का ऋण स्वीकृत करता है। ऐसे ऋणो की स्वीकृति मे 7 दिन का समय लग जाता है।

(iv) रीको द्वारा ब्याज मुक्त विक्री कर ऋण तथा राज्य पूजी विनियोग अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

(v) रीको द्वारा राज्य की विभिन्न औद्योगिक इकाइयो की अशपूजी मे सहयोग प्रदान किया जाता है। रीको प्राय सयुक्त क्षेत्र एव निजी क्षेत्र की परियोजनाओ को वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय सहयोग प्रदान करते समय रीको इस बात का पर्याप्त ध्यान रखती है कि कोई औद्योगिक इकाई वित्तीय समाधनो के अभाव के कारण तो अपना उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं कर पा रही है।

(vi) रीको द्वारा बीज पूजी की भी व्यवस्था की जाती है। *बीज पूजी की व्यवस्था प्राय उन अतिभावान एव तकनीकी* क्षमता वाले उद्यमियो के लिए की जाती है जो वित्तीय ससाधनों के अभाव मे उद्योग की स्थापना करने मे कठिनाई अनुभव करते हैं।

निगम के उद्देश्य
Objects

रीको के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है

(i) ***तीव्र आद्योगिक विकास*** निगम का प्रमुख उद्देश्य राज्य का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निगम उन संस्थाओ की स्थापना मे सहयोग करती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकें। निगम प्राय औद्योगिक उपकरण व मशीनो का निर्माण करने वाली संस्थाओ का सहयोग प्रदान करता है।

(ii) *प्रवर्तन म योगदान* निगम का दूसरा प्रमुख उद्देश्य कम्पनियो फर्म तथा नवीन स्थापित संस्थाओ के प्रवतन म योगदान देना है। इससे राज्य मे आद्योगिक वातावरण के सृजन को बढावा मिलता है।

(iii) *वित्तीय सहायता* निगम द्वारा निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता अश का अभिगोपन अवधि ऋण बीज पूजी तथा ब्याजमुक्त ऋण के रूप म दी जाती है।

(iv) *नवीन योजनाओ का निर्माण व सचालन* निगम राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास के लिये नवीन योजनाओ का तैयार करता है और उनका सचालन करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निगम विभिन्न योजनाओ सम्बन्धी आकडे एकत्रित करता है और इन योजनाओ की रिपोर्ट तैयार करता है।

(v) ***सयुक्त क्षेत्र मे औद्योगिक परियोजनाये स्थापित करना*** निगम का प्रमुख उद्देश्य सयुक्त क्षेत्र मे औद्योगिक परियोजनाये स्थापित करना भी है। इस औद्योगिक क्षेत्र को नवीन प्रवृत्ति कहा जा सकता है। निगम सयुक्त क्षेत्र के *विकास एव विस्तार मे पूर्ण सहयोग प्रदान करता है।*

रीको का प्रबन्ध एव संगठन
Management & Organisation

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एव विनियोग निगम लिमिटेड जयपुर (रीको) भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत समामेलित एव सार्वजनिक संस्था है। राजस्थान सरकार इसकी मुख्य अशधारी है। रीको के कार्य *का नियत्रण एव निर्देशन बोर्ड आफ डायरेक्टर्स मे निहित* है जिसकी वर्तमान सख्या सभापति एव प्रबन्ध निदेशक को सम्मिलित करते हुए 14 है। बार्ड मे निदेशक शासन सचिव की समता वाले वरिष्ठ प्रशासक एव अनुभवी उद्योगपति हैं। *निगम का उच्चतम दक्षता के साथ सचालन करने हेतु प्रबन्ध निदेशक को पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये है।*

वर्तमान युग मे प्रजातन्त्र का युग है जिसमे सभी कार्यों को परस्पर परामर्श द्वारा किया जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विशिष्ट गतिविधियो मे सम्बन्धित निर्णयो को गति प्रदान करने के लिये निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा समितियो का गठन किया जाता है। इन समितियो को सम्बन्धित मामलो मे निर्णय लेने हेतु पर्याप्त अधिकार एव दायित्व सौंपे जाते हैं। समिति व्यक्तियो का समूह होते हैं जिन्हे इस शर्त पर कुछ कार्य सौंपे जाते हैं कि वे उन कार्यों को मिलाकर तथा सम्मिलित रूप से करें। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा तीन समितियों का गठन किया जाता है (1) कार्यकारिणी समिति कार्यकारिणी समिति जो कि स्थायी प्रकृति की होती है तथा निरन्तर उत्तरदायित्व का भार वहन करती है। इस प्रकार इस समिति को रीको के सामान्य प्रशासन एव कार्मिक सम्बन्धी मामलो पर निर्णय लेने एव उनके अनुसार कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। (2) औद्योगिक समिति औद्योगिक समिति का कार्य क्षेत्र केवल उद्योगों को वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृति प्रदान करना एव विनियोग सम्बन्धी निर्णय लेने तक ही सीमित है। (3) आधारभूत विकास समिति औद्योगिक क्षेत्रो का विकास करना भूमि आवंटित करना उद्योगो के सफल सचालन करने हेतु आधारभूत सुविधाए (जल विद्युत यातायात डाक एव तार) उपलब्ध करवाना इसी समिति के कार्यक्षेत्र मे आता है।

निगम के कार्य
Functions

निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना है। औद्योगिक विकास को बढावा देने के लिये निगम निम्नांकित कार्य करता है

(1) औद्योगिक क्षेत्रो का विकास करना फैक्ट्री सडकों का निर्माण करना एव इस हेतु आधारभूत सुविधाए उपलब्ध करवाना निगम के मुख्य कार्य है।

(2) राज्य मे उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित सभावित व्यवसायो का पता लगाना एव उन पर शोध करना तथा साध्यता विवरण तैयार करना।

(3) सयुक्त एव सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योगो की स्थापना करना जिसमे तकनीकी योग्यता प्राप्त अनुभवी उद्योगपतियो को विशेष रूप से उत्साहित करना शामिल है।

(4) वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। निगम निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है

(i) अशपूजी मे हिस्सा एव अशो का अभिगोपन करना
(ii) अवधि ऋण
(iii) बीज पूजी
(iv) ब्याजमुक्त ऋण (राज्य सरकार की बिक्री कर योजना के अन्तर्गत)

रीको के वित्तीय स्रोत
Financial Resources

(अ) अशपूजी (Equity) 31 मार्च 1996 को निगम की प्रदत्त पूजी 140 40 करोड रुपये तथा अधिकृत पूजी 150 करोड रुपये थी।

(ब) बाण्ड (Bonds) निगम समय समय पर बॉड जारी करके भी आवश्यक धनराशि प्राप्त करती है।

(स) *भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एव लघु भारतीय उद्योग विकास बैंक से पुनर्वित्त* (Refinance) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एव भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक रीको के लिए वित्तीय ससाधन प्राप्ति का प्रमुख स्रोत हैं। रीको ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की पुनर्वित योजना के अन्तर्गत राशि प्राप्त की है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने रीको को अवधि के द्वारा भी वित्तीय सहयोग प्रदान करना प्रारभ कर दिया है। रीको द्वारा पुनर्वित्त सहायता के अतिरिक्त उपकरण पुनर्वित योजना के अन्तर्गत भी वित्तीय सहायता प्लान्ट व उपकरणो हेतु प्रदान की जाती है। यह सहायता सुदृढ आर्थिक स्थिति वाली औद्योगिक इकाइयो को ही प्रदान की जाती है। ऐसे ऋण प्राय 7 दिन में स्वीकृत कर दिए जाते हैं।

निगम की प्रगति[1]
Progress of RIICO

राजस्थान मे पूजी का अपेक्षाकृत अभाव है। अत आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी सस्थाए ऐसी नीतियो का अनुसरण करें कि उद्योगो मे पूजी के विनियोजन को प्रेरणा मिल सके। इस दृष्टि से रीको महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। नवीन औद्योगिक नीति के पश्चात् राज्य सरकार की नीतियो में भी अनेक सशोधन किए गए हैं। इन सशोधनों के फलस्वरूप पहले की तुलना मे अधिक वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। रीको बीजपूजी प्रदान करके प्रभावशाली व तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियो को उद्योगरूपी वृक्ष का बीज बोने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह औद्योगिक इकाइयो की अशपूजी मे हिस्सा लेता है और उनके अशो का अभिगोपन करता है। यह निगम औद्योगिक इकाईयों को आसान शर्तों पर ऋण भी प्रदान करता है।

1 आयोजना बजट - आवटन एव प्राप्तिया

निगम को योजना मद मे वर्ष 1996 97 मे प्रावधानिक एव स्वीकृत/प्राप्त राशि 3060 लाख रुपये रही जबकि वर्ष 97 98 मे बजट प्रावधान 3500 लाख रुपये का रखा गया था जिसमे से जनवरी 98 तक 3300 लाख रुपये प्राप्त हुए। ग्रोथ सेन्टर हेतु अश पूँजी के 200 लाख रुपये प्राप्त होने शेष हैं। विस्तृत सूचना निम्न तालिका में उपलब्ध है।

1 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997 98

राज्य सरकार द्वारा आवटित एव प्राप्त राशि

(राशि लाख रु में)

शीर्षक / विकास योजना	1996 97 वास्तविक प्राप्ति	1997 98 बजट प्रावधान	1997 98 जनवरी 98 तक प्राप्तिया	1997 98 हेतु सशोधित सशोधित अनुमान
राज्य योजनान्तर्गत				
1 शेयर पूजी अशदान महत्व स्थान				
अ सा मान्य	1427 00	1220 00	1220,00	1220 00
ब जनजाति उपयोजना	208 00	280 00	280 00	280 00

2 ग्रोथ सेन्टर हेतु विकास अंश पूंजी		200 00		
3 ब्याज रहित बिक्री कर ऋण	200 00	100 00	100.00	100 00
4 सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रावधान	30 00	30 00	30 00	30.00
5 उद्योग श्री योजना	100 00			
6 हार्डवेयर टैक्नोलाजी पार्क	65 00			
7 सॉफ्टवेयर टैक्नोलाजी पार्क	50 00			
8 आधारभूत संरचना विकास		975.00	975 00	315.00
9 अन्य आधारभूत सुविधा विकास		100 00	100.00	
10 औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम जल संसाधन विकास		175 00	125.00	25 00
11 स्थानान्तरित औद्यो क्षेत्रों के विकास हेतु अनुदान	200 00	150 00	150.00	150 00
12 औद्यो क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु अनुदान	500 00			
13 औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान	30 00	20 00	20 00	10 00
14 उद्योग रहित जिला में आधारभूत संरचना विकास	50 00			
15 निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क भिवाड़ी	200 00	100 00	100 00	100 00
16 भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण		100 00	100 00	100 00*
17 धारूहेड़ा भिवाड़ी लिंक रोड				60 00
18 टेलीकाम की मद सुविधा विकास हेतु		50 00	50 00	50 00
19 अर्ध स्टेशन हेतु अनुदान				100.00
20 समन्वित आधारभूत विकास केन्द्र (आई आई डी)		50 00	50 00	50 00
योग	3060 00	3500 00	3300 00	3300 00

* भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 100 लाख रु साथ हा पी डी खाते में स्थानान्तरित

स्रोत रीको वार्षिक प्रतिवेदन 1997 98

विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निगम ने वर्ष 1997 98 के लिए 3300 लाख रुपये की वार्षिक योजना के अन्तर्गत हो संशोधित बजट प्रस्ताव भेजे है। मुख्यतः धारूहेड़ा भिवाड़ी लिंक रोड एवं अर्थ स्टेशन के लिये हाल ही में स्वीकृत 860 लाख रुपये का अनुदान औद्योगिक संरचना विकास हेतु स्वीकृत मोकप्र ऋण से परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त निगम के आन्तरिक स्त्रोतों से वर्ष 1997 98 की आयोजना सीमा में 3700 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल किए हुए हैं। इसी प्रकार वर्ष 1998 9 के लिये 7200 लाख रुपये की वार्षिक योजना सामान्य निगम को गई है।

2 वार्षिक लेखे एवं कार्य परिणाम

रीको के अच्छे कार्य परिणामों के फलस्वरूप लाभार्जन हुआ है तथा वर्ष 96 97 में कर पश्चात 1182 लाख रुपये का लाभ हुआ है। राज्य सरकार को 221.36 लाख रुपये का लाभांश वर्ष 1996 97 के लिए दिया गया।

3 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

राज्य में मार्च 97 तक स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 225 थी जो जनवरी 98 तक बढ़कर 245 हो गई। वर्ष 96 97 में औद्योगिक क्षेत्रों हेतु कुल 4827 एकड़ भूमि अवाप्त की गई थी जबकि 97 [redacted] में 4000 एकड़ भूमि के लक्ष्य के मुकाबले जनवरी 98 के अन्त तक 3214 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है जो कि लक्ष्यों के मुकाबले 80 35 प्रतिशत है। इस प्रकार इन औद्योगिक क्षेत्रों में अब तक कुल 48260 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है।

वर्ष 96 97 को रीको द्वारा उत्तम आधारभूत सुविधा वर्ष के रूप में मनाया गया तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं रखरखाव आदि कार्यों पर वर्ष 96 97 में निगम द्वारा 14212 लाख रुपये खर्च किये गये जबकि चालू वर्ष में जनवरी 98 तक इस मद पर 9977 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। आलोच्य वर्ष 97 98 में लगभग 200 करोड़ रु व्यय किये जाने की योजना है।

वर्ष 96 97 में 3140 एकड़ भूमि विकसित की गई तथा 1339 भूखण्ड आवंटित किए गए और उत्पादरत इकाइयों की संख्या 688 रही जबकि चालू वर्ष में 2180 एकड़ भूमि विकसित की गई 693 भूखण्ड आवंटित किए गए तथा 359 और इकाईयां उत्पादन में आई। विवरण निम्न तालिका में उपलब्ध है।

आधारभूत सुविधाए (साराश)

(राशि लाख रु मे)

	विवरण	वास्तविक प्रगति 1996-97	प्रस्तावित लक्ष्य 1997-98	वर्ष 19 -९९ मे प्रगति (जनवरी [illegible] तक)
1	अवाप्त भूमि (एकड)	4827 47	4000.00	3213.68
2	विकसित भूमि (एकड)	3139.35	2000 00	2180.33
3	विकसित भूखण्ड (सख्या)	1338	–	3290
4	शुद्ध आवटित भूखण्ड (सख्या)	1339	3000	68९
5	उत्पादन म इकाइया (सख्या)	688	–	359

स्रोत रीको वार्षिक प्रतिवेदन 1997 98

मुख्य औद्योगिक क्षेत्रो मे और उनके आसपास सामाजिक आधारभूत सुविधाओ यथा आवास विद्यालय, अस्पताल आदि का सुदृढीकरण किया जा रहा है। इससे औद्योगिक क्षेत्र उद्यमियो के लिये आकर्षक एव रहने योग्य हो सकेगे। रीको का अनुभव रहा है कि अधिकाधिक विनियोजन एव रोजगार के अवसर बढाने के लिये उत्तम एव एकीकृत आधारभूत सरचना की आवश्यकता है। तदनुसार सभी सामाजिक आधारभूत सुविधाओ से युक्त समेकित औद्योगिक शहरो (इण्डस्ट्रियल टाउनशिप) को बढावा दिया जा रहा है जिसमे निजी क्षेत्र का भी सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है।

उद्योग विशेष समूह के विकास की सम्भावनाओ को ध्यान म रखते हुए रीको द्वारा अनेकानेक विशिष्ट औद्योगिक पार्क्स एव थीम पार्कस के सृजन पर ध्यान दिया गया है। राज्य मे एक ओर राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 8 पर विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रो (शाहजहापुर, नीमराना बहरोड, सोतानाला, कोटपुतली, कूकस, बगरू, किशनगढ ब्यावर राजसमन्द उदयपुर) पर निगम द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र म भिवाडी औद्योगिक क्षेत्रो मे सिरमोर के रूप मे उभरा है जहा कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियो ने भी अपने उद्योग स्थापित किए हैं। यातायात सुधार हेतु धारूहेडा-भिवाडी सडक को चार लेन का बनाया जा रहा है। सोफ्टवयर के निर्यात को बढावा देने हेतु ई पी आई पी, सीतापुर (जयपुर) म एक अर्थ स्टेशन स्थापित किया जा रहा है।

4 विकास केन्द्रो (ग्रोथ सेन्टर) की स्थापना

औद्योगिक विकास मे क्षेत्रीय असमानता को दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा (केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत) स्वीकृत चार ग्रोथ सेन्टर (बीकानेर, आबूरोड, झालावाड एव धौलपुर) परियोजनाओं पर वर्ष 96-97 मे कार्य विभिन्न चरणो मे प्रगति पर रहा और प्रारम्भ से मार्च, 97 तक कुल विनियोजन 2245 92 लाख रुपये का हुआ था। चालू वर्ष मे अब तक ग्रोथ सेन्टरो के विकास पर 178 41 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। पाचवें ग्रोथ सेन्टर भीलवाडा की स्वीकृत भारत सरकार से प्राप्त हो गई है, जिसे वस्त्र नगरी के रूप मे विकसित किए जाने की योजना है।

5. मिनी ग्रोथ सेन्टर्स

ग्रामीण एव पिछडे क्षेत्रो मे लघु उद्योगो को एकीकृत आधारभूत सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पाच-पाच करोड रुपये की लागत से जोधपुर एव नागौर मे लघु विकास केन्द्रो की स्थापना की जा रही है। इसमे से जोधपुर मिनी ग्रोथ सेन्टर हेतु सागरिया मे कुल 88.31 एकड भूमि अवाप्त की गई है। मार्च, 97 तक इसके क्रियान्वयन पर 193 लाख रुपये व्यय किए गए तथा अप्रेल से जनवरी, 98 तक 150 लाख रुपये ओर व्यय किये जा चुके हैं। इसमे नियोजित 574 प्लाटस् मे से 567 प्लाट आवटित किए जा चुके हैं।

नागौर जिले के गोगेलाव ग्राम मे मिनी ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने का निर्णय दिनाक 18.3 97 को हुआ है। इस हेतु 78 8 एकड भूमि अवाप्त कर ली गई है एव विकास कार्य प्रारम्भ किये जा चुके है। इस पर जनवरी 98 तक 83 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

राज्य मे तीसरे एव चौथे मिनी ग्रोथ सन्टर निवाई (टोक), कलडवास (उदयपुर) की परियोजना पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्ति हेतु भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैक द्वारा अप्रेजल किया जा रहा है।

6 औद्योगिक परियोजनाओ को वित्तीय सहायता

सावधि ऋण एव अशपूजी की स्वीकृति तथा वितरण निगम की महत्वपूर्ण विकास बैंकिग गतिविधि है, परन्तु

विश्वव्यापी औद्योगिक मदी के चलते हुए देश मे औद्योगिक विकास की दर गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष घटकर लगभग आधी रह गइ है। निगम द्वारा वर्ष 96-97 मे 86 औद्योगिक परियोजनाओ को 8924 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये गए हैं। वर्ष 96-97 में उद्योगों को 5591 लाख रुपये के सावधि ऋण वितरण किए गए जबकि चालू वर्ष मे जनवरी, 98 तक 3660 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार अशपूजी सहायता मद मे वर्ष 96-97 मे 451 लाख रुपये की स्वीकृतिया तथा 189 लाख रुपये का वितरण किया गया जबकि वर्ष 97-98 मे माह जनवरी, 98 तक 85 लाख रुपये की स्वीकृतिया और 35 लाख रुपये का ही वितरण हुआ है।

ब्याज रहित बिक्री कर ऋण के मद मे वर्ष 96-97 मे 85 लाख रुपये की स्वीकृति तथा 92 लाख रुपये का वितरण किया गया, जबकि चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 98 तक इस मद में 500 लाख रुपये की स्वीकृतिया एव 43 लाख रुपये का वितरण किया गया है। राज्य सरकार की ओर से उद्यमियों को वर्ष 96-97 मे पूजी विनियोजन अनुदान के रूप मे 711 लाख रुपये की स्वीकृति एव 507 लाख रुपये का वितरण किया गया। इस मद मे चालू वर्ष मे जनवरी, 98 तक 1[redacted] लाख रुपये की स्वीकृति एव 289 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है। विस्तृत विवरण निम्न तालिका मे उपलब्ध है।

उद्योगो को वित्तीय सहायता

(राशि लाख रु में)

विवरण	वास्तविक प्रगति	लक्ष्य 97-98	वर्ष 1997-98 में प्रगति (जनवरी, 98 तक)
1 सावधि ऋण / बिज ऋण			
स्वीकृत	8924 18	6500.00	4175.62
वितरित	5591 12	5000.00	3659.96
2 अश पूजी			
स्वीकृत	451 15	400.00	85.00
वितरित	189.33	150.00	35.00
3 ब्याज रहित बिक्रीकर ऋण			
स्वीकृत	85.04	550.00	500 19
वितरित	91.51	550 00	42.56
4 केन्द्रीय / राज्य अनुदान			
स्वीकृत	710.85	150.00	189.35
वितरित	507.00	150 00	288.82

स्रोत टैक्स वार्षिक प्रतिवेदन, 1997

वर्ष 96-97 मे 5864 लाख रुपये के सावधि ऋण की वसूली की गइ है। ब्याज मुक्त बिक्री कर ऋण की वसूली भी वर्ष 96-97 मे 46 लाख रुपये हुइ जो एक कीर्तिमान है। चालू वर्ष मे जनवरी, 98 तक 4046 लाख रुपये के सावधि ऋण तथा 217 लाख रुपये के ब्याज रहित बिक्री कर ऋण की वसूलिया की गइ हैं।

निगम द्वारा वर्ष 1996-97 मे 232 लाख रुपये अश पूजी के अप-विनियोजन के रूप मे प्राप्त किए गए, जबकि वर्तमान बाजार स्थिति मे भी चालू वर्ष मे अब तक 96 लाख रुपये की अश पूजी का अप विनियोजन किया जा चुका है।

7. निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क (ई पी आई.पी.)

राज्य के निर्यातोन्मुखी औद्योगिक विकास हेतु जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र मे निर्यात सवर्द्धन पार्क विकसित किया जा चुका है। इस पार्क की कुल लागत 47 17 करोड रुपये होने का अनुमान है। इस पार्क के लिये 10 करोड रुपये केन्द्र सरकार तथा 3.33 करोड रुपये राज्य सरकार से अनुदान के रुप मे प्राप्त हो चुके हैं।

इस पार्क हेतु 365 एकड भूमि विकसित की गइ जिसमे 385 भूखण्ड प्लान किए गए हैं। अब तक 122 उद्यमियो को 154 भूखण्ड आवटित किए जा चुके हैं जिनमे 12 यूनिटो मे निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा 3 यूनिटो ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। जनवरी, 1998 तक पार्क पर लगभग 36.23 करोड रुपये का विनियोजन हो चुका है।

इसकी प्रगति से प्रभावित होकर केन्द्र सरकार ने राज्य मे भिवाडी के समीप दूसरा निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान

की है जिसकी लागत लगभग 55 34 करोड रुपये होगी तथा इसके लिये 472 एकड भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इसको विकसित करने हेतु एन सी आर पी बी से 24 लाख रुपय ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये हैं।

8 रगाई छपाई उद्योग-सागानेर

रगाई छपाई उद्योग के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से सागानेर के निकट ही एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये लगभग 800 एकड भूमि का चयन किया गया है। इस भूमि की अवाप्ति हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 के तहत विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। भूमि अवाप्ति के बाद इस क्षेत्र के विकास की कार्यवाही की जायगी आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की विस्तृत तकनीकी/वित्तीय परियोजना बनाने के लिये आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ की सेवाओ के रूप म मसर्स चाणक्य कन्सल्टेंटस से विस्तृत प्रतिवेदन तयार करवाया जा रहा है ताकि प्रदूषण निवारण हेतु सयुक्त उपचार सयत्र की स्थापना म नवीनतम उपलब्ध तकनीकी का उपयोग किया जा सके।

9 मार्बल मण्डी किशनगढ

किशनगढ म राज्य का प्रथम मार्बल मण्डी विकसित की गई है। यह मण्डी 16 बीघा भूमि पर स्थापित की गई है तथा इसम 109 मार्बल गोदाम 34 दुकाने एक होटल पेट्रोल पम्प बैंक भवन आदि की सुविधाए प्रदान की गई है।

10 इन्फारमेशन टेक्नालॉजी पार्क

जयपुर के निकट सीतापुरा म इन्फोर्मेशन टैक्नालोजी पार्क हेतु 41 एकड भूमि आरक्षित कर दी गई है। इस पार्क म फ्लेटेड फैक्ट्री काम्पलेक्स व उच्च गति की डैटा सचार सुविधा रीको द्वारा स्थापित की जायगी जिस पर कुल 3 96 करोड रुपये की लागत का अनुमान है। इस हेतु राज्य सरकार व भारत सरकार के इलक्ट्रानिक विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराय जाने की आशा है। इन्फोरमेशन टेक्नालाजी पार्क म अभी तक चार उद्योगपतियो को अपनी इकाईया लगाने हेतु भूमि आवटित की जा चुकी है। इसे श्रखला म 64 के बी पी एस इटरनेट लीज लाइन उद्योग भवन के सामने तिलक भवन म लगा दी गई है तथा कार्यरत है। उक्त योजना पर अभी तक लगभग रुये 0 15 करोड रुपय व्यय किये जा चुके हैं। भवन निर्माण की योजना पर कार्य चल रहा है। इस दिशा म आर्कीटेक्ट से नक्शा बनवाकर भवन निर्माण स्वीकृति दे दी गई है। उक्त पार्क मे अर्थ स्टेशन स्थापित करने के लिये साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क ऑफ इण्डिया मे एम ओ यू (*Memorandum of Understand ng*) किया जा रहा है।

11 भिवाडी औद्योगिक विकास प्राधिकरण – (बीडा)

औद्योगिक विकास प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत भिवाडी औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन दिनाक 11 3 97 को अधिसूचित कर अध्यक्ष की दिनाक 21 3 97 को नियुक्ति की गई। राज्य सरकार ने जून 97 म इसके पी डी खाते मे एक करोड रुपय की राशि हस्तान्तरित कर दी है। प्राधिकरण के कार्यकलापो को मूर्त रूप देने के लिए प्राधिकरण की प्रथम बैठक दिनाक 14 5 97 को तथा द्वितीय बैठक 18 11 97 को सम्पन्न हुई बैठक के लिए गए निर्णयो की अनुपालना मे भिवाडी की मुख्य सडक की सफाई व्यवस्था एव भिवाडी क्षेत्र मे अग्नि शमन सेवाय उपलब्ध कराई जा रही हैं। भिवाडी क्षेत्र मे राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी की नियमित सफाई व्यवस्था नालियो की मरम्मत का कार्य मलवा इत्यादि हटाने के कार्य कलापो की व्यवस्था हेतु निविदाये प्राप्त कर स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। भिवाडी क्षेत्र मे नगरीय परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय मार्ग का निधारण राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मार्ग पर वाहन चलाने हेतु एक अनुज्ञापत्र भी स्वीकृत हो गया है। भिवाडी औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्यो पर जनवरी 98 तक 9 27 लाख रुपय खर्च किये जा चुके हैं।

12 औद्योगिक प्रोत्साहन गतिविधिया

निगम द्वारा वित्त निगम औद्योगिक प्रोत्साहन ब्यूरो एव उद्योग विभाग के सहयोग से राज्य म औद्योगीकरण के प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाए जाते हैं। वर्ष 1996 97 म 13 एम ओ यू हस्ताक्षरित हुए। चालू वर्ष म जनवरी 98 तक एम ओ यू हस्ताक्षरित किया गया है। इस वर्ष अब तक 4 वृहद एव मध्यम उद्योगो का ट्राई आप किया गया है जिससे राज्य म 1939 करोड रुपये विनियोजन की सभावनाए और बनी हैं।

13 नियोजन (रोजगार)

निगम म 31 मार्च 1997 को कुल 1508 अधिकारियो एव कर्मचारियो के स्वीकृत पद पर 1366 कार्यरत थे। निगम म सहायता प्राप्त इकाईयो म रोज

96-97 मे 814.27 करोड रुपये के अतिरिक्त विनियोजन के फलस्वरूप 4372 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। चालू वर्ष मे जनवरी, 98 तक 87.55 करोड रुपये के अतिरिक्त विनियोजन से 1361 व्यक्तियो को और रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त रीको के ओद्योगिक प्रोत्साहन से टाई-अप उद्योगो तथा औद्योगिक क्षेत्रो मे स्थापित औद्योगिक इकाइयो मे सृजित रोजगार के अन्तर्गत वर्ष 96-97 मे क्रमश 5948 तथा 14800 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये तथा अलोच्य वर्ष में जनवरी, 98 तक औद्योगिक प्रोत्साहन से टाई-अप उद्योगो तथा औद्योगिक क्षेत्रो मे स्थापित औद्योगिक इकाइयो मे करीब 6000 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये।

14 जनजाति उपयोजना क्षेत्र

जनजाति उपयोजना क्षेत्र मे निगम द्वारा 96-97 मे सावधि ऋण पर मार्जिन राशि के रूप मे 8.20 लाख रुपये की अश पूजी का भुगतान किया गया। चालू वर्ष मे जनवरी, 98 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र मे 25 76 लाख रुपये सावधि ऋण मार्जिन के रूप मे वितरण किये गये।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र मे आबू रोड विकास केन्द्र के विकास पर वर्ष 96-97 मे 85.27 लाख रुपये व्यय किए गए, जबकि चालू वर्ष मे जनवरी, 98 तक इस मद पर 98 75 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

15. अनुसूचित जाति संगठक योजना

इस योजनान्तर्गत निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रो मे अनुसूचित जाति के उद्यमियो को 50 प्रतिशत रियायती दर पर भूखण्ड आवटित किए जाते हैं। वर्ष 96-97 मे 260 व्यक्तियो को भूखण्ड आवटित किए गए जबकि चालू वर्ष मे सशोधित लक्ष्य 100 उद्यमियो मे से जनवरी 98 तक 91 उद्यमियो को भूखण्ड आवटित कर 104.60 लाख रुपय की रियायत दी गइ हैं।

16 वॉच फैक्ट्री की गतिविधिया

रीको की अजमेर स्थित वाच फैक्ट्री म वष 96-97 म 149260 घडिया असेम्बल की गइ थी जबकि चालू वष मे जनवरी, 98 तक 56870 घडिया असेम्बल की गई हैं। कमी का कारण एच एम टी की घडी के कम्पोनेन्ट (कलपुर्जो) की आपूर्ति कम होना रहा है।

17. रूग्ण इकाइयो का पुनरूद्धार

ओद्योगीकरण के बढते हुए दौर पर कुछ उद्योग रूग्ण होते ही हैं। रीको द्वारा अब तक कुल 708 इकाइयो को सावधि ऋण/अशपूजी सहायता स्वीकृत की गई है, इनमे से वर्तमान मे 58 इकाइया रूग्ण हैं जिनके सम्बन्ध म बिन्दूवार सूचना इस प्रकार है -

अ. रूग्ण इकाइयों का वर्गवार विवरण :

रूग्ण इकाइयो का वर्गवार विवरण	इकाइयो की सख्या
बी आई एफ आर मे पजीकृत इकाइया	8
ए ए आई एफ आर में पजीकृत इकाइया	3
रीको आर एफ सी द्वारा सैक्शन 29 के अतर्गत अधिग्रहित इकाइया	35
समापन हेतु निर्णित/डी आर आई के अधीन इकाइया की सख्या	12
कुल	58

स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997 98

बी आई एफ आर सम्बन्धी इकाइयो मे से एक की ड्राफ्ट पुनर्जीवन योजना तैयार कर ली गई है तथा 7 कम्पनियो के प्रस्ताव ओपरेटिग एजन्सी/बी आई एफ आर के पास विचाराधीन हैं।

ब अधिगृहीत इकाइयां :

एस एफ सी एक्ट की धारा 29/30 क अन्तर्गत कुल 35 इकाइया अधिगृहीत की गई है, इनमे से 7 इकाइया इसी वर्ष 1997-98 मे अधिगृहीत की गई हैं। इन इकाइयो का परिसम्पत्तियो के बेचान के सम्बन्ध मे रीको प्रयत्नशील है।

वर्ष 96-97 मे रीको ने 4 इकाइयो का पूर्ण बेचान एक इकाई की मशीनरी एव दो इकाइयो की भूमि व भवन का बेचान कर दिया है तथा कुछ अन्य इकाइयो का बेचान वष 1997-98 में होने की सभावना है।

एस एफ सी एक्ट की धारा 29/30 के अन्तगत अधिगृहीत इकाइयो की परिसम्पत्तियो की सुरक्षा के सम्बन्ध म रीको पूणत सजग है। सुरक्षा व्यवस्था के लिये रीको द्वारा चोकीदार नियुक्त किए जाते हैं यदा कदा आवश्यकतानुसार प्राईवेट एजेन्सिया की मदद भी ली जाती है।

दो अन्य सहायता प्राप्त इकाइया - सजीवनी फोडर्स प्रा लि की परिसम्पत्तियो का डाइरेक्टर रवेन्यू इन्टेलीजन्स, भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया गया

हे। इनमे रीको की बकाया राशि 856 50 लाख रुपये हैं। इन इकाईयो के सम्बध मे मामला चैन्नई उच्च न्यायालय मे लम्बित है।

स वसूली के लिये एक बारीय समझौते के प्रयास

कुछ ऐसी इकाइया जो रूग्णता की स्थिति मे हैं व जिनमे बकाया ऋण एव ब्याज की वसूली करने मे कठिनाईया हो रही हैं से भी एव बारीय समझौता करके वसूली के प्रयास किए जाते हैं। यह समझौता करते समय यह प्रयास किये जाते हैं कि ऋण की मूल राशि के साथ-साथ अधिकतम ब्याज की राशि भी वसूल कर ली जाए एव कुछ ही छूट दी जाए जिससे प्रलोभित होकर प्रवर्तक एक बारीय समझौता कर ले व निगम को अधिग्रहण एव बेचान मे होने वाले नुकसान स बचाया जा सके।

वर्ष 95-96 मे 10 व 96-97 मे 8 इकाइयो से इस प्रकार से वसूली के प्रयास सफल भी हुए हैं तथा कुछ अन्य इकाईयों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

द उद्योगो मे रूग्णता रोकने के प्रयास

उद्योगो मे रूग्णता विभिन्न कारणवश नैसर्गिक रूप से होती है। जहा तक रीको द्वारा सहायता प्रदत्त इकाइयो मे रूग्णता के प्रश्न हैं उसका एक प्रमुख कारण यह है कि रीको द्वारा वित्त पोषित इकाइया अधिकतर फर्स्ट जेनरेशन के उद्यमियो द्वारा लगाई गई हैं। इन उद्यमियो क ससाधन सामान्यतया सीमित ही होते हैं एव कार्यशील पूजी क लिए भी वे पूरी तरह से बैको पर ही निर्भर होते हैं और समय पर यदि कार्यशील पूजी उपलब्ध नहीं हो पाती है तो इस कारण स भी य उद्योग रूग्ण हो जाते हे। रीको प्रयासरत है कि कार्यशील पूजी के लिए परियोजना अप्रेजल करते समय बैंको से विचार-विमर्श कर लिया जाए तथा पर्याप्त कार्यशील पूजी उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाए जिससे इस कारणवश होने वाली रूग्णता को यथाशक्ति रोका जा सके।

सुधार के विशेष प्रयास एव अभिनव योजनाये

1 राज्य मे पत्थर उद्योग को बढावा देने हेतु तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार म इसका आकर्षण बढाने हेतु सी डास (सेन्टर फार डेवलपमेन्ट आफ स्टोन्स) के नाम से एक विशिष्ट सस्था बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इस पर कुल 20 करोड रु की लागत आने की सम्भावना है। रीको ने इसके लिए 30 एकड भूमि सीतापुरा जयपुर म आरक्षित कर दी है।

2 राजस्थान मे पहली बार राजस्थान पजाब हरियाणा तथा दिल्ली सरकार ने मिलकर काडला मे बन्दरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसे भारत सरकार द्वारा भी स्वीकार किया जा चुका है तथा इस बन्दरगाह की स्थापना से राजस्थान के निर्यातको को सामान आयात निर्यात करने मे बहुत-बडी सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

3 राज्य मे प्रथम बार ग्रामीण सुविधा विकास कोष एव कौशल विकास कोष की स्थापना की गई है। कौशल विकास कोष की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि उद्योगो हेतु भूमि अधिगृहित करने के उपरान्त वहा के बेरोजगार युवको को ट्रेनिंग देकर रोजगार हेतु तैयार किया जाए। ग्रामीण विकास कोष के माध्यम से जिन ग्रामो की भूमि अधिगृहित की जाती है उनके विकास कार्य को करवाया जाता है। इन दोनो कोषो म अधिगृहित भूमि की कीमत की एक एक प्रतिशत राशि जमा करवाई जाती है। रीको द्वारा भिवाडी एव जयपुर के आस-पास कई ग्रामो मे विकास योजना को हाथो मे लिया जा चुका है।

4 भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र को रेल से जोडने हेतु रेवाडी मे भिवाडी रेल लिंक का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया गया है। इस पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति भी दी जा चुकी है तथा आश्वासन दिया गया है कि इसे शीघ्र लागू किया जाएगा। इस प 40 करोड रु की लागत आने की सम्भावना है।

5 कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात की प्रबल सभावनाओ को देखते हुए रीको द्वारा साफ्टवेयर पार्क की स्थापना की गई है। पार्क मे भारत सरकार की मदद से एक अर्थ स्टेशन लगाए जाने की योजना भी स्वीकृत की गई है जिसकी लागत करीब साढे चार करोड रु होगी। इसके लगने स सोफ्टवेयर के निर्यात को अत्यन्त बढावा मिलेगा।

6 प्रथम बार राज्य मे प्रदूषण सलाहकार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। जिसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियो को प्रदूषण सम्बन्धी सलाह देना तथा इसके रोकथाम हेतु मदद करना है।

7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र म उद्योगो की सभावना को देखते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से योजना का विकास किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा 70 करोड रु की राशि स्वीकृत की गई है तथा अतिरिक्त राशि के प्रस्ताव उनके पास भिजवाए जा चुके हैं। इस प्रकार करीब 100 करोड रु की सहायता केन्द्र से प्राप्त हो सकेगी जो कि किसी अन्य प्रदेश के मुकाबले औद्योगिक विकास हेतु प्राप्त की गई सर्वाधिक राशि है।

8 औद्योगिक क्षेत्रो के समीप मामाजिक आधारभूत सुविधाओ क विकास हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं तथा आवासीय एव अन्य सुविधाओ को विकसित किया गया है।

9 उद्यमियो को सहायतार्थ रीको के विभिन्न नियमो का सरलीकरण किया गया है। जैसे कि –

- 40000 वर्ग मीटर भूमि तक के नक्शे स्वीकृत कराने की अनिवार्यता समाप्त।
- भूखण्ड के ट्रासफर को सरल बनाना।
- आवटन समितियो में उद्यमियो की भागीदारी।
- प्रत्येक क्षेत्र के सर्विस चार्जेज को वहीं खर्च करना।

राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको)

RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION

स्थापना एवं उद्देश्य

Establishment & Objects

भारतीय कम्पनी अधिनियम 1965 के अनुसार राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 3 जून 1961 को की गई। इसे फरवरी 1975 मे पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का रूप प्रदान कर दिया गया। राजस्थान लघु उद्योग निगम का प्रमुख उद्देश्य राज्य का लघु इकाइयो एव छोटे छोटे कारीगरो को पर्याप्त सहायता व प्रोत्साहन देना है ताकि लघु उद्योगो की दृष्टि मे राज्य का तीव्र गति से औद्योगिक विकास हो सके।

कार्य

Functions

राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

(1) राज्य म निगम क पास कई कच्चे माल के भडार हैं। इन भडारो से लघु उद्योगो को कच्चा माल वितरित किया जाता है।

(2) निगम हस्तशिल्प की बिक्री अपने एम्पोरियमो के द्वारा करता है।

(3) निगम चूरू व लाडनू की ऊन मिलो तथा जयपुर स्थित फर्नीचर उत्पादन केन्द्र का सचालन करता है।

(4) निगम द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। ऊट की खाल पर मनोवत के काम की विशिष्ट कला को जीवित रखने के लिये बीकानेर मे एक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है।

(5) जयपुर स्थित हस्तशिल्प डिजाइन विकास एव शोध केन्द्र का सचालन निगम द्वारा ही किया जाता है।

(6) सागानेर एयरपोर्ट पर स्थापित एयर कारगो कॉम्पलेक्स के माध्यम से निर्यातको को सुविधायें सुलभ कराई जाती हैं।

(7) हाथकरघा उद्योग क विकास हेतु निगम अनेक कार्य करता है।

(8) निगम मयूर नामक बीडी का उत्पादन करता है। यह बीडो फैक्टरी टाक म स्थित है।

(9) निगम राज्य की हस्तकला का प्रचार करता है।

निगम की पूंजी

Capital

राजस्थान लघु उद्योग निगम की अधिकृत पूजी 5 लाख रुपये है जो 100 रुपये के अंशों में विभक्त है। 31 मार्च 1992 को निगम की प्रदत्त पूजी 4 69 करोड रुपये के बराबर थी

निगम की वित्तीय स्थिति[1]

Financial Position

राजस्थान लघु उद्योग निगम की वित्तीय स्थिति का ज्ञान निम्नलिखित तालिका से प्राप्त किया जा सकता है

(राशि 5 लाख ₹ मे)

क्र	वर्ष	व्यापारावर्त	लाभ हानि
1	1993-94	2688 52	( )14 00
2	1994 95	3803 40	( )22 73
3	1995-96	5001 11	(+)219 49
4	1996-97	7130 43	(+)349 65
5	1997 98 दिसम्बर 97 तक	4473 87	(+)347 31

स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997 98

प्रगति 1997-98

हस्त शिल्प हस्तशिल्पियो को प्रोत्साहन देने के लिय उन्हे कच्चे माल, प्रशिक्षण सुविधा एव विपणन सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा मे सन्दर्भित अवधि मे अनेक कदम उठाये गये हैं। हस्तशिल्पियो स सीधे माल खरीदन की प्रणाली भी प्रारम्भ की गयी है।

1 हस्तशिल्प – हस्तशिल्प वस्तुओ को उचित बाजार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से गत वर्ष शिल्पग्राम सजावट मेले व अन्य प्रदर्शनिया देश क प्रमुख शहरो म आयोजित की गयी हैं जो हस्तशिल्पियो के लिये सार्थक सिद्ध हुई हैं।

1 प्रगति प्रतिवेदन 1997 98

हस्त शिल्प वस्तुओ के विक्रय को बढाने में प्रदर्शनियो के साथ ही एम्पोरियम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हस्तशिल्प की कलात्मक वस्तुओ की अभिव्यक्ति के लिये पर्याप्त एव उचित स्थान के साथ ही सुरूचिपूर्ण एव सुविधा सम्पन्न स्थान होना भी आवश्यक है। इस दृष्टि से राजस्थलियो के नवीनीकरण की योजनाए बनायी जा रही हैं तथा इस हेतु प्रशिक्षित आर्कीअेक्ट का पैनल भीअपनाया गया है। इन नवीनीकरण प्रोजैक्ट मे राजस्थली, नई दिल्ली, आमेर व उदयपुर स्थित एम्पोरियम का नवीनीकरण सम्मिलित हैं ।

उत्तरोत्तर बढती हस्तशिल्प वस्तुओ की बिक्री के क्रम मे 1996-97 मे रूपये 749 54 लाख की बिक्री की गयी जबकि चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 की जनवरी, 1998 तक रूपये 613 12 लाख की बिक्री हुई है ।

बिक्री की भाति ही निगम द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओ के क्रय में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1996 97 मे रुपये 165 30 लाख की वस्तुओ का क्रय किया गया, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 मे जनवरी, 98 तक रूपये 192 95 लाख की हस्तशिल्प वस्तुओ का क्रय किया गया है ।

एम्पोरियम के माध्यम से निगम द्वारा क्रय किये समान का विक्रय करने के साथ ही न्यूनतम विक्रय गारन्टी के साथ कन्साइनमेन्ट सेल के अन्तर्गत वर्ष 1996 97 मे रूपये 433 45 लाख की न्यूनतम गारन्टी प्राप्त की है। इस स्त्रोत से निगम की आय मे वृद्धि हुई है। चालू वर्ष म दिल्ली, आगरा उदयपुर के एम्पोरियमो के नवीनीकरण के कारण कन्साइनमेन्ट सेल के अन्तर्गत रूपये 172 43 लाख की न्यूनतम गारन्टी जनवरी, 98 तक प्राप्त हुई है।

हस्तशिल्प का विपणन (रूपये लाख मे)		
वर्ष	क्रय	विक्रय
1992 93	187 69	540 06
1993 94	140 45	661 22
1995-95	223 02	662 87
1995-96	213 56	781 14
1996-97	165 30	749 54
1997-98 (जनवरी 98 तक)	192 25	613 12

स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997 98

राजस्थान मे हस्तशिल्प विकास की दिशा मे राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन निर्यातोन्मुखी गतिविधियो को सबल देने व समृद्ध आधारभूत सरचना उपलब्ध कराकर निर्यात सवर्द्धन की गतिविधि मे प्रमुख भूमिका निभाई है।

जयपुर मे एयर कारगो कॉम्पलेक्स व आई सी डी को स्थापना व जोधपुर मे आई सी डी की स्थान से हस्तशिल्प निर्यात को काफी प्रोत्साहन मिला है।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात, गलीचो सहित (राशि लाख रूपयें)			
वर्ष	एयर कारगो कॉम्पलेक्स	आई सी डी जयपुर	आई सी डी जोधपुर
1993 94	557 58	2281 42	-
1994-95	671 58	3307 72	-
1995-96	956 58	5719 98	2691 40
1996-97	1002 36	5715 41	10149 83

स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 1997 98

2. कच्चे माल का उपार्जन एवं वितरण -

राज्य में लघु उद्योग इकाइयो के लिये विभिन्न प्रकार का कच्चा माल जैसे लोहा-इस्पात, पिग आइरन, कोक/कोल, मोम आदि का उपार्जन व वितरण, निगम की स्थापना से ही एक प्रमुख गतिविधि रही हैं ।

जनवरी, 1992 से विनियत्रण एव भारत-सरकार की उदारीकरण नीति के कारण लोहा-इस्पात के व्यापार मे काफी मन्दी का दौर आ गया था। वर्ष 1993-94 व 1994-95 मे तो ठहराव-सा आ गया था। परन्तु निगम द्वारा अथवा प्रयास कर इस व्यवसाय को पुनर्जीवन प्रदान किया गया। वर्तमान मे लोहा-इस्पात के व्यवसाय मे वृद्धि करने एव अधिक से अधिक मात्रा का उपार्जन एव वितरण करने बाबत निगम के समस्त कच्चा माल आगारो पर माल की वितरण नीति के अनुसार राज्य मे सभी लघु औद्योगिक इकाइयो को लाभान्वित करने की मशा है। इसके तहत इकाइयाँ राज्य मे सम्बद्ध आगारो पर सिक्यूरिटी राशि जमा करवाकर इच्छुक माग की बुकिग करवा सकती हैं ताकि अधिकतम अवधि एक माह में माल को पूरी राशि जमा करवाकर माल प्राप्त कर सकती हैं। इसमे निगम के व्यवसाय में अधिक से अधिक बढोतरी होने की सभावना है।

पिछले वर्षो में कच्चे माल का व्यापारावर्त निम्न प्रकार रहा -

उपार्जन					
वर्ष	लोहा-इस्पात	पिग आयरन	पैराफिन वैक्स	कोल/कोक मै टन मे	कुल व्यापारवर्तन रू लाखो मे
1993-94	474	2308	600	16827	1050 68
1994-95	2116	7833	547	8490	3547 10
1995-96	8912	4246	610	8863	2526 04
1996-97	12252	1454	583	12830	3164.22
1997 98	12469	-	427 5	6258	2695 95

स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98

3 निर्यात प्रोत्साहन हेतु आधारभूत सुविधाऐ-

राज्य मे निर्यातोन्मुखी गतिविधि को सबल देने व समृद्ध आधारभूत सरचना उपलब्ध कराने मे राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहा है। निगम द्वारा जयपुर व जोधपुर मे सचालित इनलेण्ड कन्टेनर डिपो, (शुष्क बन्दरगाह) एव जयपुर स्थित एयर कारगो कॉम्पलैक्स की राज्य मे निर्यात सवर्द्धन की गतिविधिमे प्रमुख भूमिका रही है। जयपुर व जोधपुर मे इनलण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना के पश्चात राज्य से किये जा रहे निर्यात मे निरन्तर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी है। पिछले वर्षो मे आई सी डी व जोधपुर एव एयर कारगो कॉम्पलक्स की परिलब्धियाँ तालिका मे दशायी गयी हैं।

एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, जयपुर (AIR CARGO COMPLEX JAIPUR)

(Qty in Mt/Value Rs in Lacs)

Year	Export Quantity	Value	Import Quantity	Value	Total Quantity	Value
1980-81		700				700
1981-82		1132.05				1132.1
1982-83		993 47	-	524		1517 5
1983-84		1421	-	1054	-	2475
1984-85		1634		1568		3202
1985-86		2107		2044		4151
1986-87	-	2986	-	3026	-	6012
1987-88		4742	-	3369		8111
1988-89	518 2	11685 1	-	4615	518 2	16300
1989-90	644	16874		-	644	16874
1990-91	618	16520 5			618	16521
1991 92	621 6	15175 1	151 1	7656	772 7	22831
1992 93	321 2	15058 3	120	7646 59	441 2	22705
1993-94	410 9	16803 5	92 6	6357 04	503 5	23161
1994-95	361 8	27122.2	152 8	8852 3	514 6	35975
1995-96	441 2	35868 5	210 6	13996 65	651 8	49863
1996-97	368 2	41725	269	16301 21	638 2	58026
1997 98 (Jan 98)	682 5	36919 4	216 9	13363 71	899 4	50288

इनलैंड कन्टेनर डिपोज (INLAND CONTAINER DEPOTS)

Year	Jaipur Export Teus	Value	Import Teus	Value	Total Teus	Value	Jodhpur Export Teus	Value	Import Teus	Value	Total Teus	Value
1989-90	[illegible]	222 42	-		69	222 42						
1990-91	295	-	11		306	-		-	-	-		-
1991-92	589	2628 65	87	124 22	676	2752 87	-	-	-		-	
1992 93	743	4015 79	32	186 44	775	4202 23			-		-	-
1993-94	820	8666 85	69	443 07	889	5109 92	-		-		-	-
1994-95	1714	11430 73	80	361 01	1794	11691 74	-				-	-
1995-96	3077	19572 81	197	1079 36	3274	20651 17	815	2788 02	24	340 9	939	3129 92
1996-97	3672	22981 64	313	2005 2	3985	24986 84	3014	10407 05	31	233 3	3045	10640 3
1997 98 (Jan 98)	3263	21827 75	177	1150 69	3440	22978 44	4035	15033	28	214	4063	15248

स्रोत राजसीको, वार्षिक प्रतिवेदन, 1997-98

कमियाँ एवं इन्हें दूर करने की दिशा में प्रयास

1 सागानर हवाई अडडे पर स्थित निगम के एयर कारगो काम्पलैक्स की गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलाने व सुविधा विस्तार की प्रक्रिया मे यथेष्ठ स्थान की कमी दृष्टिगत हुई है। हवाई अडडे पर एयर कारगो की काम्पलैक्स के लिये अतिरक्त स्थान उपलब्ध कराने के विषय मे माह सित्म्बर 1997 में जयपुर में आयोजित ' स्कोप एयर ' की बैठक के दौरान समस्या से अवगत करवाने पर अतिरिक्त वाणिज्य सचिव, भारत- सरकार एव निदेशक केन्द्रीय उत्पादन एव सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा स्थानीय हवाई अडडा अधिकारियो के साथ एयर कारगो कॉम्पलैक्स का सयुक्त निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के पश्चात यह सुनिश्चित किया गया है कि केन्द्रीय विमानपत्तन अधिकरण द्वारा अतिरिक्त स्थान का आवटन करने पर स्थानाभाव की समस्या का निदान हो सकता है। निगम ने भावी आवश्यकताओ का दृष्टिगत रखकर अतिरिक्त स्थान हेतु एक मानचित्र भी तैयार करवाया है जिसे केन्द्रीय विमानपत्तन अधिकरण को भिजवाया जा चुका है।

2 इण्डियन एयर लाईन्स के विमानो की सीमित भार क्षमता के परिणामस्वरूप जयपुर के इन्दिरा गाधी अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन दिल्ली तक बोण्डेड ट्रक के जरिय निर्यातित सामान भेजने की सुविधा प्रारम्भ की गयी। वर्तमान मे समस्त प्रकार की वस्तुए बोण्डेड ट्रकिग सेवा के माध्यम से भिजवाया जाना सभव नहीं है परन्तु निगम समस्त वस्तुओ को बोण्डेड ट्रकिग सेवा के माध्यम से भेजे जाने हेतु अधिसूचित किये जाने के लिये वाणिज्य मत्रालय व सीमा शुल्क विभाग से सम्पर्क रत है तथा शीघ्र निर्णय की आशा है।

3 सुरक्षात्मक प्रावधान के अन्तर्गत एयर कारगो कॉम्पलैक्स के नियात किये जा रहे सामान का विमान मे लदान से पूर्व 24 घण्टे का ' कूलिग पीरियड ' निर्धारित है। इस कारण निर्यात मे विलम्ब एव निर्यातको की परेशानी को दृष्टिगत रखकर क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत एयर कारगो कॉम्पलैक्स मे एक्सरे मशीन स्थापित करने हेतु एक योजना निगम ने तैयार की है, जिसे राज्य-सरकार स्तर से भारत सरकार को भिजवायी गयी है। एक्सरे मशीन स्थापित होने पर कूलिग पीरियड के कारण हो रही समस्या से निर्यातको को राहत मिलेगी।

4 आई सी डी से बन्दरगाह तक कन्टेनर्स का परिवहन सडक यातायात के माध्यम से हो रहा है। प्राकृतिक विपदा, वाहन मे खराबी व कतिपय अन्य कारणो से मार्गीय विलम्ब के फलस्वरूप वाहन की मार्गीय स्थिति का पता करना अभी सभव नहीं है। इस समस्या के निदान के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक अपनाये जाने की औचित्यता की सभावना पर निगम ने मालवीय रीजनल इजीनियरिग कॉलेज से कम्प्यूटराइज्ड ऑटोमोबाइल ट्रेकिग सिस्टम की योजना पर प्राथमिक अध्ययन भी करवाया है। इस योजना का क्रियान्वयन निगम के विचाराधीन है।

5 आयात-निर्यात नीति में आई सी डी , जयपुर व जोधपुर का नाम ' पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ' के रूप मे उल्लेखित न होने के कारण डी ई ई सी स्कीम के प्रावधानो के अन्तर्गत आयात/निर्यात मे व्यवसायियो को अनावश्यक कार्य प्रक्रिया के फलस्वरूप असुविधा होती है क्योकि ऐसे मामलो मे पृथक से सीमा शुल्क विभाग से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। निगम द्वारा यह प्रकरण हाल ही ' स्कोप शीपिग ' की बैठक मे उठाया गया है तथा आयात-निर्यात नीति मे आई सी डी जयपुर व जोधपुर सहित नये आई सी डी खुलने पर स्वमेव उनका नाम अधिसूचित हो इसकी माग की गयी है। इस माग पर शीघ्र निर्णय की आशा है।

अन्य प्रमुख प्रयास

1 निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से निगम ने आई सी डी जयपुर व जोधपुर के माध्यम से निर्यात पर निर्यातको हेतु वोल्यूम बेस्ड इन्सेन्टिव स्कीम लागू की है।

2 आई सी डी के सचालन मे सुझाव एव समस्याओ पर विचार एव समुचित निदान के उद्देश्य से एक एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया है। इस ग्रुप मे विभिन्न क्षेत्रो मे कार्यरत निर्यातक एव कस्टम हाउस एजेन्ट के प्रतिनिधि भी सदस्य मनोनीत किए गए हैं।

3 जोधपुर मे एयर कारगो की स्थापना की सभावना पर अध्ययन करवाया जा रहा है। निगम ने राजस्थान कन्सलटेन्सी ऑर्गनाइजेशन को इसकी सम्भाव्यता पर अध्ययन का कार्य सौंपा है। अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।

इन्टरनेट पर ऑन लाईन ट्रेडिंग सुविधा

निगम ने 2 फरवरी 1998 को इन्टरनेट इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर ' इण्डियाबाजार कॉम ' से ऑन लाईन ट्रेडिग जान का शुभारम्भ किया है, जिससे भारतीय

निर्यातको से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे क्रेताओ को भारतीय उत्पादो के बारे मे विस्तृत सूचना व जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। यही नहीं, इन्टरनेट पर ही विचार-विमर्श की सुविधा तथा अन्य व्यापारिक जानकारियो यथा सहायता, सुविधाए, शिपिंग, होटल, हवाई यात्रा सम्बन्धी जानकारी भी इस पर उपलब्ध हो सकेगी। भारत मे यह सुविधा सर्वप्रथम उपलब्ध कराने का श्रेय निगम को प्राप्त हुआ है।

नवीन योजनाएँ

1. आई सी डी भीलवाडा - भीलवाडा मे आई सी डी की स्थापना हेतु निगम द्वारा नगर विकास न्यास से आजाद नगर योजना में 25,000 वर्ग गज भूमि क्रय की जा चुकी है। उक्त भूमि पर भवन, शेड, चार-दीवारी व अन्य आवश्यक निर्माण कार्य राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम को आवटित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष मे निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है।

2 आई सी डी भिवाडी - भिवाडी मे आई सी डी की स्थापना हेतु निगम द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर से 15,000 वर्ग मीटर भूमि क्रय की जा चुकी है तथा दिनाक 6 नवम्बर, 97 को इसका शिलान्यास कर आवश्यक निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष म पूर्ण करवाये जाने के प्रयास जारी हैं।

3 रेल मार्ग से कन्टेनर परिवहन - निगम ने आई सी डी , जयपुर से मुम्बई स्थित बन्दरगाह तक रेल मार्ग से कन्टेनर परिवहन की योजना का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र की सहभागिता मे करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से निगम द्वारा आमन्त्रित निविदाएँ विचाराधीन हैं। इस कार्य मे रेल्वे का भी अपेक्षित सहयोग आवश्यक है, अत निगम ने रेल्वे से भी अधिसूचित दरो पर रेक आवटन की माग की है।

अन्य राज्यो से तुलनात्मक स्थिति देश के विभिन्न स्थानो पर आई सी डी का सचालन पृथक पृथक सस्थानों द्वारा किया जा रहा है। इसमे निजी क्षेत्र भी सम्मिलित है। अत आकडा के अभाव मे तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना सभव नही है। देश म राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य कोई लघु उद्योग निगम आई सी डी सचालन की गतिविधि मे सलग्न नहीं है। एयर कारगो कॉम्पलैक्स के बारे में वाणिज्य मत्रालय से प्राप्त देश के विभिन्न 9 एयर कारगो कॉम्पलैक्स के आकडो की तुलनात्मक स्थिति की विवेचना करने पर यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष 1995 मे निर्यातित वस्तुओ के मूल्य की दृष्टि म एयर कारगो कॉम्पलैक्स जयपुर का स्थान बैंगलोर के पश्चात् दूसरा था। मात्रा की दृष्टि से इसका स्थान चौथा था।

3. विपणन सहायता - राज्य की विभिन्न लघु औद्योगिक इकाइयो को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के सबध मे वर्ष 1996-97 मे दो मेले ' कन्जुमैक्स-96 ' एव ' सजावट मेला-96 ' प्रगति मैदान, नई दिल्ली मे आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त ' अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-96 ' का आयोजन भी प्रगति मैदान नई दिल्ली मे किया गया। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-96 मे राजस्थान मण्डप को रजत पदक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह उपलब्धि 17 वर्षो पश्चात् अर्जित की गयी है। माह जनवरी, 1997 व मार्च 1997, में राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट्स फेयर, 1997 प्रगति मैदान, नई दिल्ली एव आई एस ओ 9000 तथा टोटल क्वालिटी मैनेजमेन्ट कार्यशाला आयोजित की गई। वर्ष 1997-98 के अगस्त माह मे पैकेजिंग पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला को जयपुर मे आयोजित किया गया।

राज्य सरकार ने निगम को अपने विभिन्न विभागो को काटेदार तार पौलिथीन थैलिया, टेन्टस-त्रिपाल, चिप्स, टाईल्स, पी वी सी वायर्स और केबल, आर सी सी पाइप्स, डेजर्ट कूलर्स, उन्नत किस्म के औजारो के किट आदि की पूर्ति करने के लिए एक मात्र स्त्रोत माना है।

वर्ष 1996-97 मे रु 804 करोड का व्यापारावर्त किया गया, जबकि चालू वित्तीय वर्ष की माह जनवरी, 98 तक रु 5 06 करोड का व्यापारावर्त किया गया है।

विपणन सहायता अन्तर्गत विगत 5 वर्षों का व्यापारावर्त निम्र प्रकार है -

					राशि · लाख रु में
वर्ष	93 94	94 95	95-96	96-97	97-98 Jan 98 तक
व्यापारावर्त	635.58	854.82	941.57	803.81	506.00

स्त्रोत राजसीको, प्रगति प्रतिवेदन 1997-98

प्रोत्साहन गतिविधियाँ

1 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र - राजस्थान मे ऊनी गलीचों के विकास की सभावना को मध्यनजर रखते हुए इस उद्योग को कुशल कारीगर उपलब्ध करवाने की दिशा में वर्ष 1976-77 मे निगम द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। वर्ष 1996-97 में आयोजना मद से

10 केन्द्र चलाए गए जिनमे 224 प्रशिक्षणार्थियो ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। वर्ष 1997 98 मे 180 प्रशिक्षणार्थियो के लक्ष्य के विरूद्ध जनवरी 98 तक 156 प्रशिक्षणार्थियो ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा 112 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996 97 मे इस मद मे 13 00 लाख का प्रावधान किया गया था जबकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए रु 15 00 लाख ही स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्ध माह जनवरी 98 तक र 21 86 लाख व्यय किये जा चुके है।

वर्ष 1996 97 मे केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर की वित्तीय सहायता से 8 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किये गए जिनमे कुल 165 प्रशिक्षणार्थी चयनित हुए। इन केन्द्रो पर माह मार्च 97 तक 131 प्रशिक्षणार्थियो ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया।

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की वित्तीय सहायता से वर्ष 1996 97 मे 8 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किए गए जिनमे 240 प्रशिक्षणार्थियो का चयन किया गया जिनमे 190 प्रशिक्षणार्थियो ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 1997 98 के लिए दोनो ही योजनाओ मे किसी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

2 हैण्ड ब्लॉक प्रिंटिंग कार्यक्रम हाथ छपाई उद्योग को बढावा देने के उद्देश्य से निगम द्वारा 10 माह का हाथ छपाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत वर्ष 1996 97 मे तीन प्रशिक्षण केन्द्र 25 प्रशिक्षणार्थियो की क्षमता वाले ग्राम रूपनगढ मसूदा एव श्रीनगर (अजमेर) मे चलाए गए।

3 ऊट की खाल पर सुनहरी पेंटिंग ऊट की खाल पर सुनहरी पेंटिंग की कला के विकास हेतु वर्ष 1976 से बीकानेर मे एक प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है। वर्ष 1996 97 मे 8 बच्चे प्रशिक्षण हेतु चयन किए गए तथा इस मद हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि रु 1 00 लाख का लगभग पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 1997 98 हेतु इस मद मे र 100 लाख स्वीकृत किए गए है जिसके विरूद्ध माह जनवरी 98 तक र 0 76 लाख व्यय किए जा चुके है।

4 हस्तशिल्पियो को पुरस्कार हस्तशिल्पियो को पुरस्कार व सम्मानित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा वर्ष 1983 से जिला एव राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995 96 से राज्य स्तरीय विजेताओ को दी जाने वाली राशि रु 5000 00 व दक्षता पुरस्कार विजेताओ को रु 1000 00 से बढाकर रु 3000 00 कर दी गयी है।

वर्ष 1995 96 मे 1991 92 व 1992 93 के 17 राज्य स्तरीय व 28 दक्षता पुरस्कार इस प्रकार कुल 45 व्यक्तियो को पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 1996 97 मे 1993 94 के लिए 30 हस्तशिल्पियो का चयन किया गया है। वर्ष 1997 98 मे इस हेतु राज्य सरकार द्वारा रु 8 00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

5 डिजाइन विकास समय के अनुसार प्रत्येक कला को परिवर्तन की आवश्यकता रहती है जिसके अनुरूप ही कला को आगे विकसित कर जन साधारण मे प्रचार प्रसार किया जा सकता है। हस्तशिल्प क्षेत्र मे डिजाइन विकास तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है एव इसी लक्ष्य को मध्यनजर रखते हुए डिजाइन विकास केन्द्र द्वारा पुराने डिजाइनो को नए रगो एव तकनीक के साथ मेल कर नए डिजाइनो का विकास किया जा रहा है। केन्द्र पर प्रसिद्ध रजाईयाँ बन्धेज का कार्य ब्लाक प्रिंटिंग आदि का उत्पादन के साथ साथ नये प्रिंटिंग डिजाइन भी तैयार किये जाते है। हैण्ड ब्लाक प्रिंटेड सिल्क की रजाइयाँ तैयार की जा रही है तथा जयपुर रजाइयो को उत्कृष्ट बनाने की दिशा मे एक सफल प्रयास है। वर्ष 1996 97 मे टेरा कोटा एव पेपरमेशी हेतु 20 तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। वर्ष 1997 98 के लिए इस मद मे रु 5 00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध जनवरी 98 तक रु 4 16 लाख व्यय हुआ।

6 हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम हस्तशिल्पियो के समुचित विकास हेतु 1991 92 मे हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के नाम से एक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम मे हस्तशिल्पियों को विभिन्न विधाओ मे प्रशिक्षण प्रदान कर कला को सरक्षण प्रदान करना कला के क्षेत्र मे नवीनतम जानकारियो से हस्तशिल्पियो को अवगत करवाना हस्तशिल्पियों को कच्चा माल उपलब्ध करवा कर उन्हे आर्थिक सरक्षण देना एव उन्हे विपणन सुविधा देने के लिए प्रदर्शनिया मेले व हाट बाजारो का आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 1996 97 मे टेराकोटा एव चित्रकारी प्रशिक्षण केन्द्रो के माध्यम से 23 व्यक्तियो को लाभान्वित किया गया। इन समस्त सुविधाओ के साथ हस्तशिल्पियो की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके सीमित ससाधनों की पूर्ति हेतु उन्हे कच्चा माल भी उपलब्ध करवाया जाता है। निगम द्वारा वर्ष 1996 97 मे हस्तशिल्पियों को छपाई हेतु र 15 46 लाख का मलमल कोटा

डोरिया, ग्रे-क्लाथ आदि का कपडा उपलब्ध करवाया गया तथा तैयार माल पुनः उनके उनको मेहनत की उचित कीमत प्रदान करते हुए प्राप्त किया गया। चालू वर्ष 1997-98 के जनवरी, 98 तक हस्तशिल्पियो को छपाई हेतु रु 6.36 लाख का मलमल व कोटा डोरिया आदि कपडा उपलब्ध करवाया गया।

हस्तशिल्पियो को सामाजिक सुरक्षा

1 *वृद्धावस्था पेन्शन* - वर्ष 1991-92 मे राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियो को वृद्धावस्था पेन्शन कार्यक्रम के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 तक 24 व्यक्तियो को वृद्धावस्था पेन्शन दी गयी। वर्ष 1996-97 मे इस कार्यक्रम हेतु रु 1.50 लाख की राशि स्वीकृत की गयी, इसके विरूद्ध रु 1 44 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। वर्ष 1997 98 के लिए इस मद मे रु 2 00 लाख का प्रावधान किया गया है तथा 26 हस्तशिल्पियो को लाभान्वित किया गया है।

2 सामूहिक बीमा योजना - निगम द्वारा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियो के अतिरिक्त सामूहिक बीमा कार्यक्रम के तहत दस्तकारो को लाभान्वित किया जा रहा है जिससे आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह योजना वर्ष 1991 92 से चलायी जा रही है। इसके तहत वर्ष 1996-97 तक 10687 व्यक्तियो को लाभान्वित किया गया है। इस हेतु चालू वर्ष मे भी रु 2 00 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। इस वर्ष 10683 दस्तकारो को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 1997-98 के कार्यक्रम

1 हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्पलैक्स - जयपुर मे हस्तशिल्प एव पर्यटन कॉम्पलैक्स स्थापित करने हेतु राजस्थली जयपुर के पीछे स्थित भूमि नगर निगम जयपुर से रु 3 00 करोड मे क्रय की गयी है। अब तक इस हेतु रु 2.50 करोड का भुगतान नगर निगम जयपुर को कर दिया गया है। प्रस्तावित हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्पलैक्स का डिजाइन तैयार करवाने का कार्य प्रगति पर है।

2 वुडसिजनिंग प्लान्ट की स्थापना - वुडन फर्नीचर को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से यह आवश्यकता है कि लकडियों की पहले सिजनिंग की जावे अन्यथा या तो वह क्रेक हो जाती है या सिकुड जाती हैं जिससे फर्नीचर की साख बाजार मे कम हो जाती है। इस हेतु जोधपुर में वुड सिजनिंग प्लान्ट व कॉमन फेसीलिटी सेन्टर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस प्लान्ट की ऊंची लागत होने के कारण निजी इकाइयाँ इसको स्थापित करने मे असमर्थ होती हैं।

उक्त प्लान्ट को स्थापित करने हेतु नेशनल इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है, जिसके अनुसार इस प्लान्ट की स्थापना पर पूजीगत व्यय रु 85 81 लाख व्यय होने की सभावना है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 मे इस हेतु रु 20 00 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है।

3 भीलवाडा व भिवाड़ी मे आई सी डी की *स्थापना*- जयपुर एव जोधपुर स्थित आई सी डी की सफलता को देखते हुए वर्ष 1997-98 मे भीलवाडा व भिवाडी मे आई सी डी की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु भीलवाडा मे आई सी डी की स्थापना के लिए निगम द्वारा नगर विकास न्यास भीलवाडा से 25,000 वर्ग गज भूमि क्रय की जा चुकी है। उक्त भूमि पर भवन, शेड, चार दीवारी व अन्य आवश्यक निर्माण हेतु राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम को कार्य आवटित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष मे निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है।

आई सी डी भिवाडी की स्थापना हेतु भी निगम ने नगर विकास न्यास, अलवर से 15,000 वर्गमीटर भूमि क्रय की जा चुकी है तथा दिनाक 6 नवम्बर, 97 को शिलान्यास कर आवश्यक निमाण कार्य राजस्थान राज्य पुल निमाण निगम को आवटित कर दिया गया है। निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष मे पूर्ण होने की आशा है।

विशिष्ट गतिविधियाँ

1 निगम ने पिछले 2 वर्षो मे रिकॉर्ड लाभ कमाया। वर्ष 1995-96 में रु 219 49 लाख का लाभ अर्जित किया था वही 1996 97 म यह बढकर रु 349 65 लाख हो गया।

2 निगम ने वर्ष 1996-97 के लिए राज्य सरकार को रु 25 72 लाख का लाभाश प्रदान किया।

3 सरकार के आर्थिक उदारीकरण व विनियत्रण नीति के फलस्वरूप कच्चे माल के उपार्जन व वितरण मे जो ठहराव आ गया था वह वर्ष 1996-97 से पुनः इस गतिविधि को तीव्रता से सम्पादित किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 मे 14067 मै टन लोहा-इस्पात व 12830 मै टन कोयले का विक्रय किया गया। इस वर्ष अब तक (जनवरी 98 तक) 14237 मै टन लोहा-इस्पात

व 6258 मै टन कोयले का विक्रय किया गया।

4 रेल द्वारा कन्टेनर्स का बन्दरगाह तक परिवहन की योजना का कार्य प्रगति पर है।

5 *आई सी डी भवाडी व भीलवाडा हेतु कार्य प्रगति* पर है तथा वर्ष 1997 98 मे ही प्रारम्भ होने की आशा है।

6 जयपुर में अजमेरी गेट स्थित राजस्थली के पीछे की भूमि का अधिग्रहण कर उस पर आधुनिक हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्पलैक्स हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

7 दिल्ली स्थित राजस्थली एम्पोरियम का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है।

8 देश के महानगरो मे राजस्थली प्रदर्शनियों के अतिरिक्त फ्रेन्चाईस स्कीम के माध्यम से हस्तशिल्प वस्तुओ की बिक्री के प्रयास जारी हैं। प्रयोग के रूप मे जैसलमेर म इसे प्रारम्भ किया गया है। अन्य प्रमुख नगरो मे इस सबध में प्रस्ताव विचाराधीन है।

9 कार्य की सरलता व तीव्र गति लाने की दृष्टि से निगम मुख्यालय व अन्य इकाइयो को कम्प्यूटराइजेशन किए जाने का कार्य वर्ष 1997 98 मे ही पूर्ण कर लिया जावेगा।

10 इन्टरनेट पर आन लाइन ट्रेडिंग सुविधा निगम ने 2 फरवरी 1998 को इन्टरनेट इलक्ट्रोनिक मीडिया पर इण्डोबाजार काम से आन लाइन ट्रेडिंग जोन का शुभारम्भ किया है जिससे भारतीय निर्यातको से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार म क्रेताओ का भारतीय उत्पादो क बारे म विस्तृत सूचना व जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा यही नहीं इन्टरनट पर ही विचार विमर्श की सुविधा तथा अन्य व्यापारिक जानकारियाँ यथा सहायता सुविधाएँ शिपिंग होटल हवाई यात्रा सबधी जानकारी भी इस पर उपलब्ध हो सकेगी। भारत मे यह सुविधा सर्वप्रथम उपलब्ध कराने का श्रेय निगम को प्राप्त हुआ है।

राजस्थान मे आद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले अन्य विभाग/सगठन/निगम

1 उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) राज्य मे उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न रियायत व सुविधायें प्रदत्त करने वाली यह प्रमुख संस्था है। यह लघु उद्योगो समस्त क्षेत्रो हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास व प्रोत्साहन के लिए भी उत्तरदायी है।

2 औद्योगिक प्रोत्साहन ब्यूरो (Bureau of Industrial Promotion Policy) 1991 से घरेलू विनियोग बहुराष्ट्रीय निगमो अप्रवासी भारतीयो के विनियोगो को राज्य मे आकर्षित करने क उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। यह राज्य की विनियोग प्रोत्साहन एजेन्सी कही जा सकती है। यह सूचना प्रदान करके व्यापार व मेलो मे भाग लेकर औद्योगिक *सगठनो तथा दूतावासो से सम्पर्क करके अपन लक्ष्य* प्राप्त करने की चेष्टा करती है। यह निर्यात प्रोत्साहन *गतिविधियो के लिए भी उत्तरदायी है।*

3 जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centre) जिला स्तर पर केन्द्र सचालित यह जिला उद्योग केन्द्र लघु कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहित कर रोजगार क अवसर उपलब्ध कराता है। ये वित्तीय सस्थाओ औद्योगिक विकास मे सलग्न विभिन्न निगमो/सगठन आदि मे समन्वय व सम्पर्क कडी का कार्य भी करती है।

4 सार्वजनिक उपक्रमो का ब्यूरो (Bureau of PUblic Enterprises) यह ब्यूरो सार्वजनिक उपक्रमो के कार्यों की समीक्षा कर सझाव देता है। विभिन्न उपक्रमो की नीतियों मे समरूपता लाने का प्रयास करना है। प्रशिक्षण और कल्याणकारी सुविधाओ की व्यवस्था करता है तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सदर्भ मे सूचनाये एकत्र कर प्रसारित करता है। मुख्य सचिव इस ब्यूरो का अध्यक्ष तथा सदस्यो के रूप में वित्त सचिव उद्योग सचिव राजकीय उपक्रमो के दो अधिकारी व दो अन्य विशेषज्ञ होते हैं।

5 *राजस्थान खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड (Khadi & Village Industries)* 1955 में स्थापित यह *बोर्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो म खादी व ग्रामीण उद्योगो* के विकास मे सलग्र है। इस हेतु यह वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

6 राजस्थान हथकरघा विकास निगम (*Rajasthan Handloom Develoment* Corporation) 1984 में स्थापित यह निगम विशेषत समाज के कमजोर वर्ग से सबधित हथकरघा बुनकरो को रोजगार प्रदान करता है। यह बुनकरो को प्रशिक्षण आधुनिकीकरण उत्पादन व विपणन म भी सहायता करता है।

7 क्राफ्ट सस्थान (Institute of Craft) 20 अप्रेल 1995 को स्वायत्त सस्था के रूप मे इसकी स्थापना की गई। सस्था का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के प्रोफेसनलस का विकास करना है जो अपनी कुशलता ज्ञान व व्यवहार से क्राफ्टसमैन और समाज का इस

क्षेत्र के विकास के माध्यम से लाभ पहुचायेंगे।

8 ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेन्सी (Rural Non-Farm Development Agency RUDA) ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार की वृहद सभावनाओ को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने जून, 1995 मे ग्रामीण गैर-कृषि विकास क्षेत्र के लिए नई नीति की घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस प्रकार की नीति देश मे प्रथम बार बनाई गई। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नवम्बर, 1995 को राज्य सरकार ने RUDA की स्थापना की। इस नीति के अनुसार, चयनित 10 क्षेत्रो के विकास के माध्यम से रोजगार में वृद्धि करने हेतु RUDA द्वारा विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी सगठनो के माध्यम से आधारभूत सुविधाओ के विस्तार, प्रशिक्षण व विपणन की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा।

भारत की औद्योगिक वित्त से संबंधित राष्ट्रीय संस्थाएं

National Institutes for Industrial Development

(1) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) देश के औद्योगिक क्षेत्र म मध्यम एव दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति हेतु 30 जून, 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। निगम 25 वर्ष की अवधि तक के लिये ऋण दे सकता है। यह ऋणो की गारण्टी भी देता है और अभिगोपन का कार्य भी करता है। निगम का प्रबध सचालक मण्डल द्वारा किया जा सकता है। निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र म पर्याप्त सुविधाए उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके द्वारा प्रदत्त सहायता को तीन भागो मे विभक्त किया जा सकता है–

(अ) परियोजना वित्त (ब) वित्तीय सेवा (स) विकासात्मक सेवाए।

(2) भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम (ICICI) इसकी स्थापना 1955 ई॰ में एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप मे की गई थी। इसका प्रमुख कार्य भारतीय औद्योगिक सस्थाओ को वित्तीय सहायता प्रदान करना और औद्योगिक विकास को बढावा देना है। यह भारतीय एव विदेशी मुद्राओं मे अवधि ऋण प्रदान करता है, अशो व ऋण-पत्रो का अभिगोपन करता है अशो व ऋण पत्रो में प्रत्यक्ष रूप से विनियोजन करता है।

(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) इस बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अतर्गत की गई थी। बैंक का प्रमुख कार्य भारतीय उद्योगो को साख उपलब्ध करना और अन्य सेवाए प्रदान करना है। यह बैंक वित्तीय कार्यो म सलग्न विभिन्न सस्थाओ के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है। यह देश के बडे एव मध्यम उद्योगो को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करता है और कुटीर व लघु उद्योगो को बैंकों तथा राज्य-स्तरीय सस्थाओ के माध्यम से ऋण प्रदान करता है।

(4) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI) छोटी-छोटी बचतो को बढावा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1964 को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इडिया की स्थापना की गई। इसका प्रमुख कार्य छोटी छोटी बचतो को एकत्रित करके उन्हे उत्पादक कार्यों म लगाना है। ट्रस्ट के द्वारा 10 रुपये स लेकर 100 रुपये तक की यूनिट्स बेची जाती हैं। यूनिटो के माध्यम से एकत्रित धन का प्रयोग मुख्यत देश के औद्योगिक विकास हेतु किया जाता है।

(5) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) जीवन बीमा अधिनियम, 1956 के द्वारा जीवन बीमा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। जीवन बीमा निगम देश के नागरिको के जीवन पर पोलिसिया जारी करके धन एकत्रित करता है। निगम द्वारा इस धन का विनियोग देश के औद्योगिक विकास हेतु किया जाता है। निगम देश के विभिन्न उद्योगो को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत की वित्तीय सस्थाओ द्वारा स्वीकृत और वितरित सहायता

(करोड़ रुपये मे)

सस्था	स्वीकृत सहायता		वितरित सहायता	
	1980-81	1997-98	1980-81	1997-98
1 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	206.6	10882.6	109.9	5650.1
2 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड	314.1	25532.0	185.3	15606.9
3 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1277.0	94198.5	101.1	15165.3
4 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	19.4	2061.0	16.9	1149.6
5 राज्य वित्त निगम	370.5	3304.6	248.0	2678.4
6 भारतीय यूनिट ट्रस्ट	40.4	4229.1	51.0	3449.1
7 भारतीय जीवन बीमा निगम	70.0	3563.1	65.6	3971.4
8 भारतीय साधारण बीमा निगम	30.8	634.6	44.0	587.9
9 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक		7492.8		5239.4
10 भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि०		310.1		186.8

Source. Economic Survey 1998 99

(6) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI) भारतीय आद्योगिक पुनर्निमाण बैंक की स्थापना एक वैधानिक निगम के रूप मे मार्च 1985 मे की गई। इस बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक इकाइयो को सहायता प्रदान करके उन्हे उत्पादन योग्य बनाना था।

(7) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) इस बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास की सहायक सस्था के रूप मे की गई। इस बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य देश के लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास एव उन्हे सहायता प्रदान करना है। बैंक ने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से प्रारभ किया। बैंक मुख्यत राज्य वित्त निगमो व्यापारिक बैंको और राज्य औद्योगिक विकास निगमो के द्वारा लघु एव कुटीर उद्योगो को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसकी प्रदत्त पूजी पूर्णत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई है।

(8) भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड (TFCI) इस निगम की स्थापना एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप म 1989 मे की गई। इस निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओ को आर्थिक सहायता एव समुचित कोषो की व्यवस्था करना है। इसकी प्रदत्त पूजी देश की वित्तीय सस्थाओ और सार्वजनिक बैंको द्वारा प्रदान की गइ है।

(9) राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation) राज्य वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्त अधिनियम 1951 क अन्तर्गत की गई। यह देश की विभिन्न औद्योगिक वित्त प्रदान करन वाली सस्थाओं मे समन्वय स्थापित करन का कार्य करती है। वर्तमान मे 18 राज्य वित्त निगम कायरत हैं जो अवधि ऋणो के माध्यम से छोटे व मध्यम उद्यमकर्ताओ का सहायता प्रदान करत है। निगम विशिष्ट पूजी एव बीज पूजी की व्यवस्था म सहयोग प्रदान करता है।

(10) सामान्य बीमा निगम (GIC) भारत मे 1971 मे सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। केन्द्र सरकार ने 1972 मे सामान्य बीमा व्यवसाय के लिय एक सरकारी कम्पनी की स्थापना की। यह कम्पनी भारतीय सामान्य बीमा निगम के नाम से जाना जाती है। राष्ट्रीयकरण क पूर्व देश म अनेक देशी एवं विदेशी बीमा कम्पनिया थी जिन्ह वर्तमान म क्रियाशील 4 कम्पनिया म सम्मिलित कर लिया गया। (i) नशनल इश्योरेस कम्पनी लिमिटड (ii) न्यू इंडिया इश्यारन्स कम्पनी लिमिटड (iii) ओरियण्टल इश्योरेस कम्पनी लिमिटेड (iv) यूनाइटेड इडिया इश्यारेस कम्पनी लिमिटेड। ये चारो कम्पनिया भारतीय सामान्य बीमा निगम की सहायक कम्पनिया हैं।

(11) केन्द्र व राज्य सरकारे (Centre & State Governments) केन्द्र व राज्य सरकार औद्योगिक विकास हेतु प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करती हैं। सरकारी प्रोत्साहन के कारण राज्य का सतुलित औद्योगिक विकास सम्भव हुआ है। राज्य व केन्द्र सरकारे मुख्यत ऋण व अनुदान प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढावा देती हैं।

अग्र तालिका मे केन्द्र व राज्य सरकारो द्वारा राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिये स्वीकृत किये गये ऋण व अनुदान को दर्शाया गया है

केन्द्र व राज्य सरकारो द्वारा ग्रामीण उद्योगों को सहायता (हजार रु म)

		वर्ष 1995 96	
		ऋण	अनुदान
1	खाद्य तेल	333	
2	गुड़ खाडसारी	130	
3	हाथ से बना कागज	50	
4	चावल अन्न व दालें (हाथ से साफ करना)		
5	चमड़ा	588	
6	अखाद्य तेल	700	
7	मिट्टी के बर्तन	1235	21
8	धागे	1109	
9	एल्यूमिनियम के बर्तन		
10	चूना	130	
11	फल सरक्षण		
12	माचिस व अगरबत्ती (कुटीर)	30	
13	पाम गुड	123	
14	बेंत बास	265	
15	लुहार सबधी कार्य	865	
योग अन्य सहित		6490	177

स्रोत : Statistical Abstract 1996 Raj

राज्य व केन्द्र सरकारो द्वारा लघु उद्योगो को भी सहायता प्रदान की जाती है। अग्र तालिका मे विगत कुछ वर्षों की वित्तीय सहायता को दर्शाया गया है

केन्द्र सरकार द्वारा लघु उद्योगो को सहायता

(लाख रु म)

विवरण	1983 84	1995 96
(अ) ऋण		
जिला उद्योग केन्द्र द्वारा	54 13	
(i) भेदभावक ब्याज दर ऋण	94 17	25 05
(ii) ब्याज मुक्त ऋण	12 91	7 60
(ब) अनुदान		
(i) डाउन जनरेटिंग सेट		201 87
(i) केन्द्रीय विनियोग अनुदान	387 20	

(iii) राज्य विनियोग		
अनुदान	9.75	4809.60
जाँच उपकरण	5.25	19.10
आई एस आई मार्क		
अनुदान	0.15	1.25

Source Statistical Abstract 1996 Raj

राजस्थान मे औद्योगिक वित्त की समस्याये व सुझाव

(1) पूजी का अभाव राज्य में औद्योगिक वित्त की माग अधिक है जबकि राज्य की वित्तीय सस्थाओं का चुकता पूजी बहुत कम है। अत ये सस्थाये सभी उद्यमियो की माग को पूर्ण करने मे असमर्थ रहती हैं। इस समस्या के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि वित्तीय सस्थाओं की पूजी म आवश्यक वृद्धि की जाये।

(2) विशेषज्ञो का अभाव राज्य की वित्तीय सस्थाओं में तकनीकी विशेषज्ञो का अभाव है अत ऋणों का उचित रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। अनेक परियोजनाये केवल इसी कारण चालू नहीं हो पाती हैं। अत राज्य में तकनीकी ज्ञान का विस्तार किया जाना चाहिए तथा इसके लिये समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिये।

(3) परम्परागत उद्योगो को अधिक सहायता राज्य की वित्तीय सस्थाओं द्वारा प्राय परम्परागत उद्योगो जैसे चीनी व कपडा मिलो को ही अधिक ऋण प्रदान किये जाते हैं। अत आधुनिक उद्योगों को भी पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिये ताकि राज्य म सभी प्रकार के उद्योगो का तेजी से विकास हो सकें।

(4) उदार दृष्टिकोण का अभाव वित्तीय सस्थाओ की ऋण नीतियां व जमानत आदि के नियम अत्यधिक कठोर हैं अत अनेक उद्यमियो को वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पात है। अत यह आवश्यक है कि ऋण देने में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाये।

(5) लोच का अभाव राज्य की वित्तीय सस्थाओ मे लोच का अभाव है। अनेक आवश्यक क्षेत्रो का पर्याप्त विकास नह हो पाया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय सस्थाअ की नीतियो व कार्यविधि का पुन निर्धारण किया जाये।

(6) ख्यातिप्राप्त सस्थाओं का अधिक ऋण राज्य क वित्तीय सस्थाओ द्वारा प्राय ख्याति प्राप्त व्यक्तियो सस्थाओ को अधिक ऋण प्रदान किया जाता है। अत अन्य उद्यमी सहायता मे वचित रह जाते हैं। वित्तीय सस्थाओ क ऋणो का वितरण समान रूप से करना चाहिए।

(7) पिछड़े जिलो को कम सहायता वित्तीय सस्थाअ द्वारा राज्य के पिछडे जिलो म बहुत कम सहायता वितरित क जाती है जिससे अन्य जिलो की तुलना मे वे पिछडे हुए ह बने रहते हैं। अत सभी जिलों म समान रूप से सहायता प्रदा की जानी चाहिये।

(8) स्वीकृति की तुलना मे कम वितरण राज्य क वित्तीय सस्थाओ द्वारा ऋणो की स्वीकृति तो पर्याप्त मात्रा म कर दी जाती है लेकिन ऋणो का वास्तविक वितरण कम होत है। अत ऋणो की स्वीकृति एव वितरण म समानता लाई जान चाहिए।

(9) लालफीताशाही राज्य की वित्तीय सस्थाओ म अफसरशाही भाई भतीजावाद घूसखोरी व लालफीताशाह का बोलबाला है अत ऋणो की शीघ्र स्वीकृति नहीं हो पात है। इसके लिये प्रशासनिक कुशलता म वृद्धि की जानी चाहिए

(10) कर्मचारियो म असतोष राज्य की वित्तीय सस्थाअ के कर्मचारियो मे असतोष पाया जाता है अत उनक कार्यक्षमता कम होता है। कर्मचारियो मे व्याप्त असतोष क समाप्त किया जाना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A सक्षिप्त प्रश्न

(Short type Questions)

1 रीको (RIICO) की चार प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए।
Name four of the outstanding achievements of the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporat oon (RIICO)

2 RFC RIICO व उद्योग विभाग के कार्यालय अब तहसील स्तर पर स्थानान्तरित कर दिये जाने चाहिये। क्यों?
RFC RIICO and Industnes Development Off ces Should now be sh fted to Tehsil Level Why?

3 राजस्थान के वित्त विभाग तथा राजस्थान वित्त निगम का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
What is d fferenre between the f nance Department of Govt of Rajasthan and Rajasthan Finance Corporation?

4 निम्नलिखित सस्थाओ के मुख्यालय कहा स्थित है
(i) रीको (ii) आर एफ सी

Where are the headquarters of following institutions located -
(i) CAZRI (ii) R F C

B निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 राजस्थान के औद्योगिक विकास में आर एफ सी तथा रीको का योगदान समझाईए।
Discuss the role of R F C and RIICO in the Industrial Development in Rajasthan

2 राजस्थान में औद्योगिक विकास में लगी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the different financial institutions involved in the industrial development of Rajasthan

3 रीको क्या अपने उद्देश्य में सफल रहा है? इस सन्दर्भ में उसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
Is RIICO successful in its operations? Describe the working performance of RIICO in this context.

4 राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Describe in brief the different type of loans granted by Rajasthan Financial Corporation

5 राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन के क्रियाकलापों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
State Briefly the function of Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

1 राजस्थान के औद्योगिक विकास में RFC RIICO एवं RAJSICO की भूमिका की विवेचना करें।
Discuss the role of RFC RIICO and RAJSICO in the industrial development in Rajasthan

2 राजस्थान के औद्योगिक विकास में 'राजस्थान राज्य वित्त निगम' तथा 'राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम' की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
Explain the role of Rajasthan State finance Corporation and Rajasthan State Industrial and Investment Corporation in the Industrial Development of Rajasthan

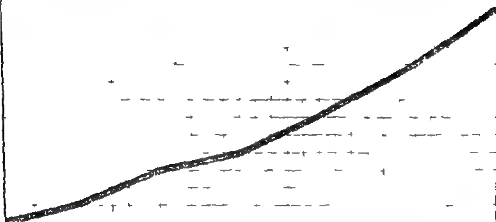
3 राजस्थान में औद्योगिक विकास में लगी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the different financial institutions involved in the Industrial Development of Rajasthan



अध्याय – 18

राजस्थान में पर्यटन विकास

TOURISM DEVELOPMENT IN RAJASTHAN



"पर्यटन भविष्य का महत्वपूर्ण उद्योग है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- पर्यटन का महत्व
- राजस्थान में पर्यटन की वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास
- आठवीं योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास
- नवीं योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास
- राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाए
- राजस्थान मे पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याए व समाधान
- राजस्थान की पर्यटन नीति
- राजस्थान पर्यटन विकास निगम
- राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल
- अभ्यासार्थ प्रश्न

पर्यटन का महत्व

IMPORTANCE OF TOURISM

विकसित एव विकासशील राष्ट्रों मे धीरे-धीरे पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग का रूप लेता आ रहा है। इसका प्रभाव मात्र आर्थिक ही नहीं वरन् सामाजिक, सास्कृतिक एव राजनैतिक क्षेत्रों पर भी देखा जा सकता है। स्विट्जरलैण्ड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान से भी किसी राज्य अथवा राष्ट्र के विकास की सम्भावना का पता चलता है। राजस्थान में पर्यटन की भूमिका का अध्ययन निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है :

(1) पर्यटकों से आय (Income From Tourists) : राजस्थान अपनी विभिन्नताओं, प्राकृतिक ससाधनों, सास्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों व वन्य जीवों के लिये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मेले और उत्सवों में भाग लेने भी लोग राजस्थान में आते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख पर्यटक राज्य में आते हैं, उनमें से लगभग 9 प्रतिशत विदेशी पर्यटक होते हैं।[1] एक विदेशी पर्यटक औसतन 800 रुपये और देशी पर्यटक 400 रुपये प्रतिदिन व्यय करते हैं।[1] 1996-97 में 62.87 लाख लोग राजस्थान आये जिनमें से 5.61 लाख विदेशी पर्यटक थे।[1] 1973-74 में केवल 20 लाख पर्यटक ही राज्य में आये

1 3. Draft Ninth Five Year Plan, 1997 2002, Govt. of Raj.

थे।' नई दिल्ली के टाटा सलाहकार सेवा के सहयोग से राज्य सरकार ने 2005 तक पर्यटन विकास हेतु 1991 8 करोड रुपये का एक मास्टर प्लान भी निर्मित किया है।' मास्टर पलान के अनुसार 2002 मे राजस्थान मे 86 लाख पर्यटक आने की सभावना है जिसमे से 11 लाख विदेशी पर्यटक होगे।' वर्तमान मे राजस्थान मे घरेलू व विदेशी पर्यटकों की वार्षिक वृद्धि दर क्रमश 7 व 5 प्रतिशत है।' पर्यटन के महत्त्व व सभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने नवीं योजना (1997 2002) मे 303 10 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान किया है।' राजस्थान के विभिन्न जिलो म सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर तत्पश्चात् क्रमश उदयपुर जोधपुर रणथम्पुर भरतपुर जैसलमेर माउट आबू, पुष्कर झुझुनू, बीकानेर सवाई माधोपुर व अजमेर मे आये। अन्य पर्यटक स्थलों पर आने वाले विदेशी पर्यटको की सख्या कम रहा।

(2) व्यापारिक केन्द्रो के रूप मे विकास (Development as Trade Centre) राजस्थान में जैसे जैसे पर्यटन स्थलो का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे उन स्थलों पर व्यापारिक गतिविधिया बढती जा रही हैं। धीरे धीरे ये क्षेत्र आस पास के क्षेत्रो के आकर्षण का केन्द्र भी बनते जा रहे हैं। इससे इनकी व्यापारिक गतिविधिया पुन बढी हैं। कालान्तर मे इन पर्यटन स्थलो के अच्छे व्यापारिक केन्द्रो के रूप मे विकसित होने की सभावनाए हैं।

(3) निर्यात की सभावनाए (Export Possibilities) विदेशो से आने वाले पर्यटक पर्यटन के साथ साथ अन्य व्यापारिक गतिविधियो स भी जुडे होत हैं। राजस्थान के उद्योगपति व व्यापारियो को उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिलता है। इस कारण विदेशो मे राजस्थान की वस्तुओं की माग बढने की सभावना से निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही अनेक उद्योग विदेशो की नवीनतम तकनीक प्राप्त करने के लिये भी इन पर्यटको स सपर्कों का उपयोग करते हैं।

(4) परिवहन का विकास (Development of Transportation) राजस्थान मे लाखो पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। इतने लोगो को परिवहन सुविधाए उपलब्ध कराने के लिय सार्वजनिक एव निजी क्षेत्रो को कार्य करना पडता है। इस प्रक्रिया मे परिवहन व्यवसाय का विकास होता है। राजस्थान मे इसी कारण पर्यटन क्षेत्रो मे विशेषत निजी क्षेत्र मे परिवहन व्यवसाय तेजी स पनप रहा है।

(5) रोजगार (Employment) पर्यटन उद्योग के विकास के साथ साथ राजस्थान मे एक नये क्षेत्र में रोजगार को सम्भावनाए बनी हैं। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों व व्यापारिक गतिविधियो मे वृद्धि होने, परिवहन सुविधाओं के विस्तार आदि के कारण नये रोजगार के अवसर बनने लगे हैं। पर्यटन उद्योग में नये कर्मचारियों की आवश्यकता के कारण रोजगार के अवसर भी बढने की सभावना है।

(6) राज्य के प्रति आकर्षण (Attraction Towards State) पर्यटन के विकास के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों मे राजस्थान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है और पूर्व मे फैली अनेक भ्रातिया दूर हुई हैं। इस प्रवृत्ति के कारण राज्य के बाहर के लोग भी अपने व्यवसाय और सगठनो की स्थापना राजस्थान मे करने के लिए प्रेरित होगे। इससे राज्य के विकास के अवसर और बढेगे।

(7) निर्माण कार्यों द्वारा सम्पत्ति मे अभिवृद्धि (Increase in Assets by Construction Activities) विभिन्न पर्यटन स्थलो के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओ का विस्तार करना होगा। इस हेतु मुख्य रूप से आवास सुविधाए जुटानी होगी और परिवहन के साधनों के विकास के लिए सडको रेलमार्गों आदि का विकास करना होगा। इस प्रकार के निर्माण कार्यों द्वारा राज्य की सम्पत्ति में भी वृद्धि होगी। ये निर्माण कार्य आस पास के क्षेत्रों के विकास को भी गति प्रदान करेगे।

(8) पर्यटन-एक उद्योग (Tourism—An Industry) राजस्थान सरकार ने राज्य म पर्यटन को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए 1988 89 के अत मे (मार्च 1989 मे) पर्यटन को उद्योग घोषित किया। सरकार क इस निर्णय से पर्यटन के क्षेत्र मे सलग्न सभी इकाइयो व व्यक्तियो को लाभ पहुचेगा। एक उद्योग के रूप मे व्यापक सुविधाए जुटाना सम्भव हो सकेगा। इस कारण पर्यटन उद्योग का विकास तेजी से होगा। यह विकास राज्य के अन्य क्षेत्रो पर भी व्यापक अनुकूल प्रभाव डालेगा। ऐसा अनुमान है कि यदि पर्यटन उद्योग का विवेकयुक्त प्रयोग किया जाये तो राज्य की आय का एक बडा हिस्सा इस क्षेत्र से प्राप्त हो सकता है

राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु किये जा रहे सरकारी प्रयास

RAJASTHAN GOVERNMENT'S EFFORTS FOR TOURISM DEVELOPMENT

राजस्थान मे पर्यटन विभाग मुख्य रूप से दो भागों मे विभाजित है। प्रथम-पर्यटन स्थलो का विकास नये पर्यटन स्थलो की खोज प्रचार-प्रसार क माध्यम से पर्यटकों को राजस्थान की ओर आकर्षित करना राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलो मे मेलों एव त्यौहारों के माध्यम से लोकसगीत

1 5 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002 Govt. of Raj

और लोककला को पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य, पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। द्वितीय–पयटकों को आवास एवं परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के विकास के लिये किये जा रहे प्रयासों को निम्नलिखित बिन्दुओ के अन्तर्गत रखा जा सकता है :

(1) पर्यटन प्रचार-प्रसार साहित्य (Tourism Publicity Literature) राज्य के पर्यटन आकर्षण केन्द्रो के माध्यम से पर्यटको को राज्य की यात्रा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष आकर्षक एवं रंगीन पर्यटन साहित्य प्रकाशित करता है जिससे पर्यटकों को राज्य के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। यह साहित्य पर्यटन स्थलो, राज्य के मेला व त्यौहारों, राज्य की लोक एवं हस्तकलाओ तथा वन्य-जीवों के सम्बन्ध में होता है।

(2) विज्ञापन द्वारा प्रचार (Publicity by Advertisements) · पर्यटन साहित्य के अतिरिक्त पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष आकर्षक विज्ञापन देकर लोगों को राज्य की ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। इन विज्ञापनों में विभिन्न पर्यटक स्थलों, सुविधाओ, पैकेज टूरों आदि की जानकारी दी जाती है। विज्ञापनों के माध्यम से पर्यटकों को विभाग से सम्पर्क करने हेतु भी प्रेरित किया जाता है।

(3) फिल्म प्रदर्शन (Film Show) . पर्यटन विभाग विशेष अवसरो पर तथा विभिन्न होटलों या अन्य स्थानो पर, माग किये जाने पर अपने द्वारा राज्य के पयटन पर बनाई गई फिल्मे उपलब्ध कराता है। राज्य पर्यटन विभाग ने इस सम्बन्ध मे 24 फिल्मों का निर्माण किया है जो राज्य के पर्यटन स्थलो रीति-रिवाजो, वन्य-जीवो एवं मेले-त्यौहारों आदि से सम्बन्धित हैं।

(4) पर्यटन स्थलो का विकास (Development of Tourist Places) ऐसे पर्यटन स्थल जहा पर्यटक अधिक सख्या में आते हैं अथवा जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं वहा पर्यटन विभाग पयटकों को सुविधा के लिये आवास एवं परिवहन सुविधाओं के अलावा उस स्थान के पर्यावरण विकास पर भी पर्याप्त ध्यान देना है। यद्यपि पर्यावरण विकास का कार्य अन्य विभाग भी करते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ कार्य पयटन विभाग द्वारा विशेष रूप से किये जाते हैं। राज्य के अविकसित पर्यटन स्थलों के विकास, उनके सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार ऐतिहासिक स्थलो की मरम्मत आदि की योजनाएं भी पर्यटन विभाग तैयार करता है।

पर्यटन स्थलों के विकास के अन्तर्गत ये कार्य हाथ में लिये गये–पुष्कर घाटों का विकास, आनासागर, अजमेर हेतु चार सीट एवं दो सीट की एक-एक पैडल नौकाओं का क्रय, जिला कारागार, बून्दी के समीप कुण्ड का विकास , आमेर टाउन का सौन्दर्यीकरण व विद्युतीकरण, केसर क्यारी, आमेर का विकास, आमेर दुर्ग की चारदीवारी की मरम्मत, जयपुर एवं आमेर के विभिन्न पर्यटन स्थानों का सौन्दर्यीकरण, मीरा मंदिर, जैतारण (पाली) का सुधार, गणेश्वर एवं बालेश्वर (जिला सीकर) का पर्यटन स्थलो के रूप में विकास एवं सौन्दर्यीकरण, दूधतलाई, उदयपुर का विकास, गुलाब बाग, उदयपुर का विकास, रकतलाई बादशाही बाग, चेतक समाधि, चावण्ड, गोगुन्दा व कुम्भलगढ में विकास कार्य। केन्द्र सरकार ने अनेक योजनाओ को स्वीकृत किया, जैसे कैमल सफारी, गोगुन्दा (जिला उदयपुर) में कैफेटेरिया का निर्माण, बरोली (जिला चित्तौडगढ) मे कियोस्क का निर्माण, झालावाड में एक पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण, ओसिया (जिला जोधपुर) में कैफेटेरिया का निर्माण, मैनाल (जिला चित्तौडगढ) मे पर्यटक कॉम्पलेक्स का निर्माण।

(5) सास्कृतिक गतिविधिया व कार्यक्रम (Cultural Activities & Programmes)· राज्य की समृद्ध सास्कृतिक धरोहर के माध्यम से पर्यटकों को राज्य में आकर्षित करने हेतु तथा उन्हें कला एवं संस्कृति का दिग्दर्शन कराने के लिये पर्यटन विभाग मेले एवं त्यौहारों का आयोजन करता है। पर्यटन विभाग द्वारा '*राजस्थान आमंत्रित कर रहा है*' समारोह का भी आयोजन किया जाता है। पर्यटकों के लिये मनोरजक सास्कृतिक कार्यक्रम व प्रदर्शनिया आयोजित की जा रही हैं। इनमें परम्परागत लोकसगीत एवं लोक नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। इन मेलों व त्यौहारों मे ख्यातिप्राप्त पत्रकारों, छायाकारो, लेखकों एवं यात्रा अभिकर्ताओं को विभागीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इन मेलों व त्यौहारों में जयपुर का गणगौर उत्सव, तीज मेला एवं हाथी समारोह, पुष्कर मेला तथा जैसलमेर का मरु मेला काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त मेवाड समारोह (उदयपुर) ग्रीष्म समारोह (माउण्ट आबू), कजरी मेला (बून्दी), मारवाड समारोह (जोधपुर), चन्द्रभागा मेला (झालावाड), बीकानेर समारोह (बीकानेर), नागौर मेला (नागौर) बेणेश्वर मेला (बेणेश्वर, डूगरपुर), ब्रज समारोह (भरतपुर) भी धीरे-धीरे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। देश के अन्य प्रदेशों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये '*राजस्थान आमंत्रित कर रहा है*' नामक सास्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाता है।

इस प्रकार पर्यटन आकर्षण के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रदर्शनियो के अन्तर्गत राज्य के स्मारक मेले एव त्यौहार लोककला एव सस्कृति लोक जीवन एव रीति रिवाजों से सम्बन्धित चित्र मॉडल आदि का प्रदर्शन किया जाता है।

(6) परिचयात्मक भ्रमण (Introductory Travelling) राज्य के पर्यटन विकास हेतु पर्यटन प्रचार प्रसार को अधिक सशक्त बनाने के लिये विभाग देश विदेश के ख्यातिप्राप्त पर्यटन लेखको छायाकारों दूरदर्शन दलो यात्रा अभिकर्त्ताओ ख्यातिप्राप्त कलाकारो एव पर्यटन से सम्बन्धित अन्य लोगो को परिचयात्मक भ्रमण हेतु आमत्रित करता है तथा इन्हे विभागीय आतिथ्य प्रदान कर अपने व्यय पर राज्य के पर्यटन स्थलो एव मेले त्यौहारो का भ्रमण करवाता है ताकि इन्हे राज्य के पर्यटन आकर्षणो की विस्तृत जानकारी हो सके और इनके लेखो चित्रो एव भ्रमण अनुभवो के माध्यम से राज्य के पर्यटन के व्यापक प्रचार प्रसार से अधिकाधिक लोगो को राज्य के बारे मे जानकारी मिल सके और इसके माध्यम से अधिकाधिक पर्यटक राज्य के प्रति आकर्षित हो सके।

(7) हाथी रोटेशन (Elephant Rotation) जयपुर आने वाला प्राय प्रत्येक विदेशी पर्यटक आमेर मे हाथी की सवारी का आनन्द लेना चाहता है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए हाथी रोटेशन की व्यवस्था की गई है। पहले यह व्यवस्था पुरातत्व विभाग द्वारा सचालित की जाती थी किन्तु इसका सचालन पर्यटन विभाग ही कर रहा है। इस कार्य के सम्पादन हेतु आमेर में पर्यटन सूचना केन्द्र कार्यरत है जहा पर्यटन अधिकारी इस व्यवस्था का सचालन करते हैं।

(8) होटलो का वर्गीकरण व दुकानो का पजीयन (Classification of Hotels and Registration of Shops) राजस्थान मे होटलो को एक व दो सितारा होटलो मे वर्गीकृत करने का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इस कार्य के लिये पर्यटन सचिव की अध्यक्षता मे राज्यस्तरीय वर्गीकरण समिति बनी हुई है जो इस कार्य को सम्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग से सम्बन्धित दुकानो का पजीकरण भी पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है ताकि पर्यटको मे इन सस्थाओ की विश्वसनीयता बनी रह सके और उन्हे उचित मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध हो सके।

(9) होटल निर्माण को प्रोत्साहन (Promotion to Hotel Construction) पर्यटकों की बढती हुई सख्या के अनुपात मे सार्वजनिक क्षेत्र मे आवास सुविधाए नहीं बढ पा रही हैं। इस हेतु निजी क्षेत्र द्वारा होटल निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र मे काफी होटलों का निर्माण भी हुआ है। पर्यटन विभाग निजी क्षेत्र में होटल निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हे भूमि चयन एव नक्शो की स्वीकृति आदि मे सहयोग देने के अलावा उन्हे वित्तीय सस्थाओ से ऋण दिलाने तथा आबकारी विभाग से बार लाइसेन्स दिलाने मे सहयोग प्रदान करता है। इसके लिये विभाग इन्हे अनापत्ति प्रमाण पत्र देता है।

(10) आवास सुविधाए (Housing Facilities) पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटको के लिए आवास सुविधाए बढाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। 1989 90 मे निगम के अधीन 36 इकाइया कार्यरत थीं। इस वर्ष दो इकाइया-भिडवे देवगढ तथा पर्यटन ग्राम पुष्कर मे पर्यटक रिसोर्ट आर आरम्भ किए गए। इस वर्ष रतनगढ पोकरण सिलीसेड जैसलमेर जोधपुर एव चित्तौडगढ स्थित पर्यटक विश्राम गृहो में नये कमरों के निर्माण करवाए जाने एव दो नई इकाइयो के प्रारम्भ होने से वर्ष के अन्त मे पर्यटन विभाग द्वारा सचालित इकाइयो मे कुल क्षमता जो 1988 89 के अत मे 1861 थी बढकर 1989 90 मे 1983 तक पहुच गई।

(11) परिवहन सुविधाए एव पैकेज टूर (Transport Facilities and Package Tours) पर्यटन विभाग इस बात की चेष्टा करता है कि पर्यटकों को सस्ती दर पर आरामदेय परिवहन सुविधाए उपलब्ध हो। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने जयपुर उदयपुर माऊण्ट आबू, सरिस्का चित्तौडगढ जैसलमेर जोधपुर व सवाई माधोपुर मे दृश्यावलोकन की सुविधाए उपलब्ध करवाई हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधीन जयपुर मे पृथक से एक यातायात इकाई सचालित की जा रही है। दिल्ली स्थित कार्यालय द्वारा भी परिवहन व्यवस्था सचालित की जाती है। पर्यटन मौसम (अक्टूबर से मार्च) के दौरान दिल्ली से विभिन्न पैकेज टूर प्रारम्भ किए जाते हैं। निगम द्वारा जयपुर दिल्ली जोधपुर एव उदयपुर से अवकाश यात्रा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा सचालित निम्न पैकेज टूर काफी लोकप्रिय हो गए हैं

दिल्ली से सचालित

- गोल्डन ट्राईएंगिल (3 दिवसीय)
- हवामहल टूर (3 दिवसीय)
- मेवाड पैकेज टूर (6 दिवसीय)
- डेजर्ट पैकेज टूर (6 दिवसीय)
- राजस्थान पैकेज टूर (15 दिवसीय)
- वन्य जीव अभयारण्य टूर (4 दिवसीय)

उदयपुर से सचालित -

उदयपुर माऊट आबू-उदयपुर

उदयपुर हल्दीघाटी-कुम्भलगढ-रणकपुर-उदयपुर

(12) पर्यटक सूचना केन्द्र (Tourists Information Centre) राजस्थान और राजस्थान से बाहर पर्यटक सूचना केन्द्रो की स्थापना की गई है ताकि पर्यटको को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने में कठिनाई न हो। वर्तमान में राज्य के बाहर आगरा, अहमदाबाद, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास मे ये पर्यटक सूचना केन्द्र स्थित हैं। राजस्थान मे ये जयपुर, अजमेर, चित्तौडगढ, उदयपुर, माऊण्ट आबू, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा-बून्दी, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, आमेर, बीकानेर, बासवाडा और झुझुनू में कार्यरत हैं।

(13) हाऊस बोट (House Boat) • राजस्थान की झीलों में कश्मीर की भाति हाउस बोट की सुविधा उपलब्ध कराने की चेष्टा की जायेगी। यह हाउस बोट राजस्थान की अपनी शैली और शिल्प मे तैयार कराये जायेंगे। झीलों में हाऊस बोट पर्यटको के लिये अच्छे व आरामदायक सिद्ध होने की सभावना है। झीलों में ही 'वाटर-स्पोर्ट्स' की गतिविधिया आरम्भ करने की चेष्टा की जा रही है।

(14) स्वागत केन्द्र (Reception Centre) • राजस्थान में पर्यटक स्वागत केन्द्रों के माध्यम से पर्यटको को विशेष सुविधाए उपलब्ध कराने की योजना है। इन पर्यटक स्वागत केन्द्रो की स्थापना के पीछे मुख्य अवधारणा यह है कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाए एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जायें, जैसे पर्यटन स्थलों की जानकारी, होटलों का आरक्षण यात्रा के लिये आरक्षण, टूरिस्ट टैक्सी गाइड, विदेशी मुद्रा आदि। इन केन्द्रो पर आरक्षण की व्यवस्था कम्प्यूटर से की गयी है और टेलेक्स फैक्स, एस टी डी, आई एस डी आदि की सुविधाए भी इन केन्द्रों पर उपलब्ध रहगी। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली सहित राजस्थान के ९ प्रमुख पर्यटन स्थलो पर पर्यटक स्वागत केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। दिल्ली के बीकानेर हाऊस के अतिरिक्त जयपुर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, माउण्ट आबू, कोटा, चित्तौडगढ व जैसलमेर मे यह केन्द्र खोले जा रहे हैं।

(15) पेईंग गैस्ट योजना (*Paying Guest Project*) • पर्यटक स्थानीय लोगों की जीवन शैली एव उनके जीवनस्तर के बारे मे जानने हेतु उत्साह रखते हैं। साथ ही, कुछ पर्यटक घरेलू वातावरण में रहना पसन्द करते हैं। इन उद्देश्यो की पूर्ति हेतु राजस्थन में पेईंग गेस्ट योजना जयपुर, उदयपुर एव जोधपुर में प्रारभ की गई है। अब यह योजना अजमेर, पुष्कर, चित्तौडगढ, जैसलमेर एव भरतपुर मे भी आरम्भ की गई है। राजस्थान की पेईंग गेस्ट योजना को भारत सरकार ने भी सराहा है। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पेईंग गेस्ट निर्देशिका को पूरे देश के पर्यटन कार्यालयों और विदेशों मे स्थित भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों मे भिजवाया गया है।

(16) निजी उद्यमियो को प्रोत्साहन (Incentives to Private Enterprenuer) • राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के किलों, हवेलियों आदि को, जो पर्यटको के आकर्षण का केन्द्र रहे हैं, होटलो मे परिवर्तित करने हेतु एक नई श्रेणी 'हेरिटेज होटल' का नाम दिया गया है। इससे इन किलो, दुर्गों एव हवेलियों का रख-रखाव होने के साथ-साथ राज्य की धरोहर को सुरक्षित किया जा सकेगा। इसके लिये निजी उद्यमियो को इनमें विनियोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(17) हॉर्स सफारी (Horse Safari) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त पुष्कर मेला हमेशा पर्यटको के आकर्षण का केन्द्र रहा है। यहा के लोकजीवन की जीती-जागती झाकी पर्यटकों को मोह लेती है। प्रतिवर्ष कार्तिक में हजारो लाखों की सख्या मे दूर-दूर से लोग पवित्र सरोवर मे स्नान करने हेतु आते हैं। पुष्कर मेले के इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के मनोरजन एव आकर्षण हेतु घुडसवारी (हॉर्स सफारी) आयोजित की जाती है। 7 दिन एव 6 रात्रियो की यह घुडसवारी प्रतिदिन औसतन 35 कि मी सफर तय करती है।

(18) शाही रेलगाडी (Royal Train-Shahi Rail) • पर्यटको को आकर्षित करने के लिये शाही रेलगाडी का भी सचालन किया जाता है। पर्यटन विकास निगम की ओर से चलायी जा रही शाही रेल 'पैलेस ऑन व्हील' ने विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की है। लन्दन से प्रकाशित समाचार पत्र सण्डे टाइम्स ने पेलेस ऑन व्हील को ससार की 10 सर्वश्रेष्ठ रेलयात्राओ मे से एक माना है।

(19) कैनाल बोटिंग (Canal Boating) • राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य के 5 जलाशयों-जमवा रामगढ, आमेर, फतेहसागर, जयसमद व सिलिसेढ-में पर्यटकों के मनोरजन के लिये नौकायन सुविधाए उपलब्ध कराई जा रही हैं। मरुस्थली क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इंदिरा गाधी नहर मे कैनाल बोटिंग को प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके अन्तर्गत छोटी नावों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है जिससे राजस्थान नहर के किनारो को नुकसान न हो।

(20) डैजर्ट ट्राईएंगिल या मरु त्रिकोण (Desert Triangale) राजस्थान मे पर्यटकों के लिए मरु त्रिकोण विशेष आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है। इस त्रिकोण के अतर्गत जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर के पर्यटन स्थलों को सम्मिलित किया गया है। जैसलमेर में फरवरी महीने में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मरु मेले मे बडी सख्या मे पर्यटको का आगमन होता है। विश्व पर्यटन सगठन के सलाहकार रॉड हेमिल्टन के अनुसार मरु त्रिकोण की पर्यटन योजना के अतर्गत आने वाले क्षेत्रो में पर्यटन विकास की वृहद् सभावनाए विद्यमान हैं। राजस्थान सरकार ने मरु त्रिकोण योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भिजवाई है। केन्द्र सरकार ने इस योजना को विश्व पर्यटन सगठन को भेजा है। बीकानेर डैजर्ट ट्राईएंगिल योजना का प्रवेशद्वार होगा। ओ ई सी एफ की सहायता से मरु त्रिकोण परियोजना 1996 97 मे क्रियान्वित करना प्रस्तावित था।

(21) राजस्थान पर्यटन कानून (Rajasthan Tourism Regulation of Travel Trade Act) राजस्थान टयूरिज्म एक्ट के प्रारूप को राज्य के विधि विभाग द्वारा निर्मित कर केन्द्रीय पर्यटन मत्रालय के पास भिजवा दिया गया है। वहा से पारित होने के बाद गृह व विधि विभागो से पारित होकर 6 माह के भीतर इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस अधिनियम का पूरा नाम राजस्थान टूरिज्म रेग्यूलेशन ऑफ ट्रैवल ट्रेड एक्ट है। इसके प्रभाव म आने से देशी व विदेशी पर्यटको के मध्यस्था के चगुल मे फसने का डर समाप्त हो जायेगा। नियमो को तोडने वाले ट्रैवल एजेन्ट टैक्सी चालक होटल तथा पर्यटन व्यवसाय से जुडे लोगो पर कानून के प्रावधानो के अतर्गत अकुश लगेगा। इससे राजस्थान पर्यटन व्यवसाय मे वृद्धि के साथ साथ गुणवत्ता भी आयेगा।

(22) भूमि बैंक (Land Bank) पर्यटन इकाइया/परियोजनाओं के सरचनात्मक विकास हेतु एक भूमि बैंक की स्थापना की गई है जो नवीं योजना में राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) को 450 लाख रुपये का ऋण प्रदान करेगा।

(23) खाद्य कला सस्थान (Food Craft Industry) पर्यटन मे खाद्य कला में प्रशिक्षित व्यक्तियो की माग निरन्तर बढने के कारण अजमेर और जोधपुर में दो नये खाद्य कला सस्थान आरम्भ किये गये हैं। उदयपुर और जयपुर में इस प्रकार के सस्थान आरम्भ किये गये हैं। बीकानेर और माउन्ट आबू में एक एक होटल खोलने का प्रस्ताव है। पर्यटन प्रबन्ध हेतु जोधपुर मे एक केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इन कार्यों के लिये नवीं पचवर्षीय योजना में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(24) जयपुर हवाई अड्डे का विकास जयपुर हवाई अड्डे का विकास एक आदर्श हवाई अड्डे के रूप में किया गया। इस हवाई अड्डे के रन वे (Runway) का विस्तार 7000 फीट से बढाकर 9000 फीट किया जायेगा।

राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं एवं समाधान

MAJOR PROBLEMS AND SOLUTIONS OF TOURISM INDUSTRY IN RAJASTHAN

राजस्थान मे पर्यटन उद्योग अभी परिपक्व अवस्था में नहीं आ पाया है। यह विकास के प्रारम्भिक चरणो में है। इस कारण इस उद्योग को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इन समस्याओ को मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है

(1) अपर्याप्त प्रचार-प्रसार (Lack of Sufficient Publicity) पर्यटन स्थलों की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए उन क्षेत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इस ओर अनेक प्रयास किए हैं किन्तु फिर भी पूरे देश में राजस्थान के सम्बन्ध में बहुत अधिक उत्सुकता पैदा नहीं की जा सकी है। विदेशों में तो अधिकाश लोगों को राजस्थान के सदर्भ मे जानकारी ही नहीं है। राजस्थान के पर्यटन विभाग को पर्याप्त वित्तीय साधन और सुविधाए प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

(2) नये पर्यटन स्थलो का विकास (Development of New Tourist Places) राजस्थान के गौरवमयी इतिहास और प्राकृतिक भिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए सोचा जाये तो यहा पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि विभाग को इन स्थलो के सदर्भ में पूर्ण जानकारी जुटानी होगी तथा ऐसे स्थल जिन पर देशी व विदेशी पर्यटकों की सख्या अपेक्षाकृत कम रहती है उन पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष बल देना होगा। नये पर्यटन स्थलों के विकास के लिये पुरातत्व विभाग को तथा इस क्षेत्र में शोधकार्य कर रहे लोगो की सहायता ली जानी चाहिये। विभाग को स्वय ही व्यापक सर्वेक्षण कर इन स्थानों का पता लगाना चाहिये।

(3) पर्यटन स्थलो की देख रेख व विकास कार्य (Maintenance & Development of Tourist

1 Budget at a Glance 1996-97 Rajasthan

Places) पर्यटकों को प्रेरित करने के लिये यह भी आवश्यक है कि पर्यटन स्थल आकर्षक लगें। इस हेतु उनकी पर्याप्त देखभाल किया जाना आवश्यक है। ऐसे स्थलों पर लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए विकास कार्य भी करने होंगे। नये पर्यटन स्थलो के सदर्भ मे जहा देख रेख की सुविधाओ का अभाव है तथा अधिक विकास कार्य भी नहीं हो पाए हैं वहा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(4) भोजन व आवास सुविधाओ का अभाव (Lack of Lodging & Boarding Facilities) राजस्थान मे सभी पर्यटन स्थलों पर भोजन व आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है। आवास सुविधाएं प्रमुख रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। निजी उद्यमी भी अब धीरे धीरे इस क्षेत्र मे प्रवेश करने लगे हैं। अत विभिन्न सुविधाए प्रदान कर निजी क्षेत्र को आवास सुविधाओं के विस्तार के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए। विदेशी पर्यटकों को उनकी इच्छा के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराने के लिये भी निजी उद्यमियों को प्रेरित किया जाना चाहिये।

(5) अपर्याप्त परिवहन सुविधाए (Lack of Sufficient Transport Facilities) राजस्थान मे पर्यटन के विकास मे एक महत्वपूर्ण बाधा वायु परिवहन के विकास का न होना भी है। विदेशी पर्यटक समय अभाव के कारण उन क्षेत्रो मे नहीं जा पाते जहा उन्हें परिवहन के साधनों के कारण अधिक समय लगता हो। इस स्थिति को सुधारने के लिये राज्य के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रो को वायुसेवाओ तथा अन्य उपयुक्त तीव्रगामी परिवहन सुविधाओ से युक्त किया जाना चाहिए। इस हेतु सडक मार्गों का निर्माण भी किया जा सकता है।

(6) आकर्षक पैकेज टूर का अभाव (Lack of Attractive Package Tours) राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पैकेज टूर का सचालन मुख्य रूप से दिल्ली से किया जाता है। ये पैकेज टूर राज्य के सभी जिलों से आरम्भ किये जाने चाहिए साथ ही ये पैकेज टूर इस प्रकार के होने चाहिए ताकि वे राजस्थान के निवासियों को भी आकर्षक प्रतीत हों। ऐसा तभी सम्भव है जबकि एक उपयुक्त अवधि मे राज्य के लगभग सभी प्रमुख व गौण पर्यटन स्थलो को इस पैकेज टूर मे सम्मिलित किया जाए।

(7) अधिक लागत (High Cost) वित्तीय बाधाओं के कारण भी पर्यटन के विकास मे बाधा उत्पन्न होती है। विभिन्न पर्यटन स्थलो पर प्रदान की जाने वाली आवास व भोजन सुविधाओ की लागतें इतनी कम होनी चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति भी पर्यटन पर जाने की सोच सके। पर्यटन विभाग द्वारा पैकेज टूरों की ओर लोगो को आकर्षित करने के लिए भी अपनी लागतों को कम करना होगा। ये पैकेज टूर विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्थिति के लोगो को दृष्टिगत रखते हुए भी बनाए जा सकते हैं।

(8) पर्यटन उद्योग मे निजी क्षेत्र का कम योगदान (Low Contribution of Private Sector) पर्यटन उद्योग पर मुख्यत सरकारी प्रभुत्व ही प्रतीत होता है। निजी उद्यमी अनेक कारणों से पूरी तरह इस क्षेत्र में नहीं आ पाये हैं। राजस्थान मे पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिए जाने के पश्चात् इस क्षेत्र को मिलने वाली सुविधाओ से प्रेरित होकर निजी क्षेत्र के उद्यमी अब इस व्यवसाय की ओर आने लगे हैं लेकिन उनका योगदान अभी भी अपर्याप्त है। निजी क्षेत्र को उन योजनाओ का भी हाथ मे लेना चाहिए जिनमे अधिक पूजी विनियोजन आवश्यक है।

(9) भूमि की व्यवस्था (Arrangement of Land) पर्यटन क्षेत्रो मे होटल व अन्य पर्यटन सुविधाए जुटाने के लिए भूमि मिलना कठिन हो गया है। नगर पालिकाओ व स्थानीय निकायो के कारण भी भूमि के विकास मे अनेक बाधाए आती हैं। सरकार को इस समस्या के हल के लिए पर्यटन स्थलो व सम्भावित पर्यटन स्थलो मे इन सुविधाओ के लिए पर्याप्त भूमि उस क्षेत्र के मास्टर प्लान में पहले से ही निर्धारित कर देनी चाहिए व इस क्षेत्र मे आने वाले उद्यमियो को कम लागत पर विकसित भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(10) वित्तीय सहायता (Financial Assistance) वित्तीय संस्थाओं द्वारा पर्यटन के क्षेत्र मे दिये जाने वाले ऋण अन्य उद्योगों की भाति ही हैं। इस सदर्भ मे विभिन्न प्रकार की औपचारिकताए पूरी करनी होती हैं। उद्यमियो मे ली जाने वाली मार्जिन राशि भी अपेक्षाकृत अधिक है। इस क्षेत्र मे आने वाले उद्यमियो के लिए वित्तीय संस्थाओ की अंशपूजी मे भागीदारी भी निश्चित की जानी चाहिये ताकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण पर्यटन का विकास नहीं रुके। पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए अनुदान व सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है और कम ब्याजदर पर पूजी उपलब्ध कराई जा सकती है। ऋणो के पुनर्भुगतान की अवधि को लम्बा किया जा सकता है।

(11) विपणन की व्यवस्था (Marketing Arrangements) बाहर से आने वाले पर्यटक स्थानीय वस्तुओ को खरीदने मे प्राय रुचि रखते हैं किन्तु उनको अच्छे बिक्री केन्द्रो का ज्ञान नहीं होता अथवा अच्छे बिक्री केन्द्र उपलब्ध ही नहीं होते। ऐसी स्थिति मे सरकार का यह दायित्व है कि वह पर्यटकों की रुचि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी वस्तुओं को जुटाए और उचित माध्यम से उचित मूल्य पर पर्यटकों को उपलब्ध कराए। समुचित विपणन व्यवस्था

होने पर पर्यटक सतुष्ट रहते हैं व पर्यटकों की सख्या मे वृद्धि होने की सम्भावना रहती है।

राजस्थान की पर्यटन नीति[1]
TOURISM POLICY OF RAJASTHAN

'पर्यटन' आधुनिक विश्व में तेजी से बढता उद्योग है। विश्व के पर्यटको की कुल सख्या लगभग 520 बिलियन प्रतिवर्ष है जो लगभग 321 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। विश्व का प्रत्येक नवा व्यक्ति यात्रा एव पर्यटन मे व्यस्त है। इस उद्योग से विश्व के लगभग 112 मिलियन व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त होता है। भारत सरकार ने मई 1992 मे पर्यटन नीति की घोषणा की थी। इस नीति मे निर्धारित किया गया कि सन् 2000 तक भारत विश्व पर्यटन मे लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि कर लेगा। पर्यटन उद्योग विदेशी विनिमय प्राप्ति का प्रमुख साधन है। 1994-95 मे पर्यटन उद्योग से भारत को लगभग 7400 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। इस शताब्दी के अन्त तक पर्यटन उद्योग 10 000 करोड रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत में भी पर्यटन की पर्याप्त सम्भावनाये विद्यमान हैं। यहा प्रतिवर्ष पर्यटको की सख्या लगभग 63 मिलियन है।

पर्यटन नीति के उद्देश्य

राजस्थान की पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं-

(1) देशी और विदेशी पर्यटको को आकर्षित करने के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों का अनुकूलतम उपयोग करना।

(2) रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करने के लिए राज्य के पर्यटन उद्योग का विकास करना।

(3) दस्तकारी एव कुटीर उद्योग के लिए एक विकसित बाजार का विकास करना।

(4) राजस्थान की प्राकृतिक ऐतिहासिक, साहित्यिक और सास्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना।

(5) निजी क्षेत्र के सहयोग से पर्यटन उद्योग का विकास करना।

(6) धार्मिक पर्यटन के माध्यम से विभिन्न सस्कृतियो में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करना।

(7) पर्यटक को सतुष्ट करना।

(8) पर्यटन उद्योग को 'जनसाधारण का उद्योग' का रूप देना।

(9) पर्यटन उद्योग की समस्याओं को समाप्त करना।

(10) पर्यटन उत्पादों मे विविधता लाना।

पर्यटन नीति की विशेषताएं

(1) **पर्यटन सरचना**-राजस्थान भारत का दूसरा बडा राज्य है और यहा पर्यटन उद्योग के विकास की पर्याप्त सम्भावनाए विद्यमान हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु आवास, यातायात सुविधाए, सचार के साधन तथा अन्य सुविधाओ का होना आवश्यक है। अत राज्य में सरचनात्मक विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर प्रयास करेगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार और विदेशी स्रोतो से वित्तीय साधन प्राप्त किए जायेगे। राज्य में पर्यटन उद्योग के लिए सरचनात्मक विकास हेतु सरकार ने एक 'मास्टर प्लान' तैयार किया है। सभी व्यक्तियों एव सस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त प्रशासनिक तन्त्र का विकास किया जाएगा। राजस्थान में पर्यटकों के आवास की समस्या है। राज्य के 772 होटलों में लगभग 15,280 कमरे हैं। राज्य के पर्यटन विभाग ने 20 000 कमरो की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। शताब्दी के अन्त तक लगभग 45 000 कमरों की आवश्यकता होगी। सरकार होटल उद्योग के विकास हेतु निजी विनियोग को प्रोत्साहन देगी। राज्य के महलो एव हवेलियो को होटल का रूप देने के लिए भारतीय पर्यटन वित्त निगम 50 लाख रुपय तक का ऋण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र व राज्य सरकारे होटल उद्योग के विकास हेतु सब्सिडी, करों में कमी आदि सुविधाए प्रदान करती हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रो मे पर्यटकों के लिए कैम्पो की व्यवस्था की जाती है। राज्य के पर्यटन विभाग ने 27 सितम्बर, 1991 से "पेइग गैस्ट स्कीम" (Paying Guest Scheme) चालू की है। यह योजना राज्य के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर उदयपुर, चित्तौड, कोटा बून्दी, अजमेर, पुष्कर, माउण्ट आबू, अलवर तथा भरतपुर मे प्रारम्भ की गई है। राज्य में रास्ते की सुविधाए (Mid way Hotels) कम हैं अत इनमे वृद्धि की जाएगी। सरकारी स्वामित्व वाले प्राचीन स्मारकों, हवेलियो आदि को पर्यटन होटल अथवा पर्यटन कॉम्पलेक्स का रूप दिया जाएगा। होटलों के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा उचित दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) **पर्यटन सरचना मे विनियोग**-राजस्थान में होटल उद्योग के विकास हेतु सस्थागत वित्त प्रदान करने के प्रयास किए जाएगे। होटलों के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक 'प्रभावी तन्त्र' (Effective Mechanism) विकसित

1 *Tourism Policy of Rajasthan Deptt of Tourism, Art & Culture, Rajasthan*

किया जाएगा। अनेक सरकारी इमारतो का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। इन इमारतो का होटल के रूप मे उपयोग सयुक्त उपक्रमों (सरकार एव निजी क्षेत्र) के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार ने 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया है। सरकार ने 1993 मे नवीन पर्यटन इकाइयो के लिए अनेक सुविधाओ एव रियायतों की घोषणा की थी। सरकार ने इस उद्योग के विकास हेतु समय-समय पर अन्य सुविधाए उपलब्ध करने का निश्चय किया। राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग के विकास हेतु 1993 94 मे 6 करोड रुपये तथा 1994-95 में 12 करोड रुपये व्यय किए थे। वर्ष 1995-96 में 15 करोड रुपये व्यय का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त पर्यटन उद्योग की सरचना मे सुधार हेतु केन्द्र सरकार से भी सहायता प्राप्त की जाती है।

(3) पर्यटन परिवहन—राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण नगर रेल परिवहन से जुडे हुए हैं। 'शताब्दी' और अन्य रेलो के माध्यम से जयपुर, जोधपुर और अजमेर नगरो को दिल्ली से जोड दिया गया है। बडी लाइन पर ''Palace on Wheels'' 1995 में चालू की गई। राजस्थान मे पर्यटन की दृष्टि से सडक परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य से गुजरने वाले राजमार्गों का सुधार किया जाएगा तथा लिक रोड बनाने हेतु बाह्य सहायता प्राप्त की जाएगी। अच्छे मार्ग बनाने की वर्तमान व्यवस्था को चालू रखा जाएगा। उत्तम किस्म की बसों को प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा मार्गो के राष्ट्रीयकरण की नीति का अनुसरण किया जाएगा। घरेलू एव विदेशी पर्यटको से समुचित किराया वसूल किया जाएगा। स्थानीय परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा ताकि पर्यटन स्थलो तक आसानी से पहुचा जा सके। एयर टैक्सी और हैलीकॉप्टर सेवाओ को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि कम से कम समय मे पर्यटक अधिक पर्यटन स्थलो मे भ्रमण कर सके। राज्य के अनेक स्थानो पर हैलीपेड और हवाई पट्टिया विद्यमान हैं। इनका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। राज्य मे हवाई अड्डों के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए अनेक रियायतो की घोषणा की गई है।

(4) पर्यटन सूचना एवं प्रचार—पर्यटन उद्योग के विकास मे सूचना एव प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए राज्य के सभी प्रवेश बिन्दुओं पर पर्यटक स्वागत केन्द्रो का होना आवश्यक है। जोधपुर और बीकानेर मे पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा राज्य के जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौडगढ, कोटा, झुझुनू, माऊण्ट आबू, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर मे पर्यटक स्वागत केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटको के आगमन काल मे दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और माऊण्ट आबू के पर्यटक स्वागत केन्द्र 24 घण्टे सेवाए प्रदान करेगे। साहित्य, फिल्म, वीडियो तथा अन्य साधनो के माध्यम से पर्यटन उद्योग का प्रचार किया जाएगा। राजस्थान में पर्यटन पर जवाहर कला केन्द्र द्वारा एक फिल्म बनाई जाएगी। राजस्थान में पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए प्रचार माध्यमो का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। पर्यटन साहित्य फ्रेन्च, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, इटेलियन, अरेबिक तथा अग्रेजी भाषाओ मे सभी पर्यटन स्वागत केन्द्रो पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रकाशन विभाग के प्रकाशन 'अतिथि' को अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जाएगा।

(5) राजस्थान के पर्यटन उत्पादो को बढावा—राजस्थान मे दस्तकारी, हैंडलूम तथा विभिन्न कारीगरों द्वारा अनेक प्रकार की आकर्षक और सुन्दर वस्तुओ का निर्माण किया जाता है। इन वस्तुओ के विपणन को प्रभावशाली बनाने के प्रयास किए जाएगे। कारीगरों को अपनी वस्तुओ को प्रदर्शित करने के लिए बाजार मे स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। पर्यटन केन्द्रो पर विभिन्न सस्थाओं के सहयोग से शिल्पग्राम बनाने के प्रयास किए जाएगे। एक दस्तकारी म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। किलों, महलो तथा प्राचीन इमारतो को सुधारा जाएगा और निजी क्षेत्र के सहयोग से इनमें होटल बनाए जाएगे। राजस्थान के मेले और उत्सव पर्यटको को अत्यधिक आकर्षित करते हैं। पुष्कर मेला और रेगिस्तानी उत्सव, जोधपुर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अत राज्य के विभिन्न मेलों एव उत्सवो को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। जिलाधीशो को ऐसे मेलो एव उत्सवो की व्यवस्था हेतु विशेष धनराशि प्रदान की जाएगी। राजस्थान मे सरिस्का, घना और रणथम्भोर जैसे स्थानो को नियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा तथा वन्य जीव स्थलो का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। राजस्थान के रेगिस्तानी फ्लोरा (वनस्पति) और फना (जीव-जन्तु) पर्यटको को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। अत राज्य के विभिन्न केन्द्रो पर सार्वजनिक एव निजी क्षेत्रो मे पर्यटक म्यूजियम स्थापित किए जाएगे। कुशल एव प्रशिक्षित गाइडो की सख्या मे वृद्धि की जाएगी। घरेलू पर्यटकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। बगाली और गुजराती पर्यटको मे राजस्थान अत्यधिक लोकप्रिय है। अत पर्यटन साहित्य बगाली एव गुजराती भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर खेल कूद, घुडसवारी, ऊट सवारी, तैराकी, बोटिंग आदि की

व्यवस्था की जाएगी। चम्बल और इन्दिरा गांधी नहर में जल परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटक स्थलों की पहचान बनाए रखने एवं उनको सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए जाएंगे। राज्य मे पर्यटन का विकास करने हेतु राज्य सरकार पड़ौसी राज्य मे भी सहयोग प्राप्त करेगी। पर्यटन स्थलो पर सायंकाल मनोरंजन की व्यवस्था भी की जाएगी। पर्यटन सम्बन्धी सलाहकारी सेवाओ मे सुधार तथा विस्तार किया जाएगा।

(6) **पर्यटन म सहायक सेवाओ का विकास करना**– पर्यटन मे मानवीय सेवाओ का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इस क्षेत्र मे बुद्धिमान एव प्रशिक्षित व्यक्तियो की आवश्यकता होती है। भारत मे होटल प्रबन्ध की 18 संस्थाए और भोजन व्यवस्था सम्बन्धी 14 संस्थाए कार्यरत हैं जिनमे से केवल दो संस्थाए (Institute of Hotel Management Jaipur Food Crafts Institute Udaipur) ही राज्य मे है। अत सरकार निजी क्षेत्र मे ऐसी संस्थाओ की स्थापना का प्रयास कर रही है। World Tourism Organisation (W T O) के सहयोग से उदयपुर मे होटल प्रबन्ध की एक संस्था स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। राज्य मे केवल जोधपुर विश्वविद्यालय पर्यटन एव होटल प्रबन्ध मे डिप्लोमा प्रदान करता है। सरकार ने पर्यटन विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो राज्य मे पर्यटन शिक्षा के विस्तार पर सुझाव देगी। आमेर और जैसलमेर मे एक पृथक पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की गई है। अन्य स्थलो पर भी पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। जल गैस और विद्युत कनेक्शनो मे पर्यटन इकाइयो को प्राथमिकता दी जाएगी। होटलो मे शराब की व्यवस्था हेतु आबकारी नीति को सरल बनाया गया है। पर्यटन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्कूलो एव कॉलेजो में पर्यटन विषय भी पढाया जाएगा।

(7) **प्रशासनिक सहयोग**–प्रशासनिक सहयोग के उद्देश्य से राज्य पर्यटन सलाहकारी बोर्ड की स्थापना की गई है। मुख्यमन्त्री इसके अध्यक्ष हैं। राज्य मे पर्यटन उद्योग के विकास हेतु एक अधिकृत समिति (Empowered Committee) का गठन किया गया है। प्रत्येक डिविजनल कमिश्नर के अधीन ऐसी समितियो का गठन किया गया है जो पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती हैं। प्रत्येक जिलाधीश की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली समिति कार्य करती है।

(8) **पर्यटन के प्रतिकूल प्रभावो से निपटना**–पर्यटन विभाग द्वारा माउण्ट आबू, पुष्कर जैसलमेर तथा आमेर जैसे स्थलों की पर्यटन क्षमता की विशेष जाच की जाएगी। इन क्षेत्रो मे पर्यटन ट्रैफिक को नियमित किया जाएगा तथा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उद्योग के अनियन्त्रित विकास के कारण इन स्थानो पर सांस्कृतिक प्रदूषण न बढ पाए।

राजस्थान में पर्यटन की वर्तमान स्थिति[1]

PRESENT POSITION OF TOURISM IN RAJASTHAN

इस शताब्दी के अत तक अनुमान है कि राजस्थान में हर वर्ष लगभग एक करोड पर्यटक आने लगेंगे। एक अध्ययन के अनुसार राज्य मे आने वाला एक विदेशी पर्यटक प्रतिदिन 800 रुपये तथा भारतीय पर्यटक औसतन 400 रुपये व्यय करता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सन् 2000 तक हर वर्ष राजस्थान मे आने वाले एक करोड पर्यटक अनुमानत प्रतिवर्ष एक हजार करोड रुपये से अधिक राशि व्यय करेंगे। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे परिवर्तन आने की सभावना है। आज विश्व में तेल उद्योग के पश्चात् पर्यटन दूसरा सबसे बडा उद्योग है और विश्व का हर सोलहवा व्यक्ति किसी न किसी रूप मे इससे जुड़ा हुआ है। भारत को 1992 93 मे पर्यटन से लगभग 4000 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई जो इस शताब्दी के अंत तक 10 000 करोड रुपये होने की सम्भावना है। वर्तमान में विश्व पर्यटन बाजार के अन्तर्गत भारत का भाग केवल 0 9% है। राजस्थान में पर्यटन के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन के आधारभूत ढाचे तथा प्रशिक्षित कर्मचारियो पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान इस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल मैनेजमेन्ट की स्थापना की है और इसके लिये 1993 94 म 5 लाख रुपये की राशि आवटित की गई। पर्यटन से जुडी हुई विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावी नियत्रण करने हेतु राजस्थान पर्यटन अधिनियम मे परिवर्तन भी किया जा रहा है। राजस्थान मे पर्यटन से जुडे राजस्थान पर्यटन विकास निगम' का वार्षिक व्यवसाय बढा है और इसने लाभ अर्जित किया। राजस्थान की भौगोलिक एव ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यहा पर्यटन विकास का वृहद् सभावनाए विद्यमान हैं।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम

RAJASTHAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD

1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना राजस्थान मे आने वाले पर्यटकों को आवास परिवहन भोजन आदि की व्यवस्था करने के उद्देश्य से की गई। निगम राजस्थान मे पर्यटन को

1 नवभारत टाईम्स 11 मई 1993

विकसित करने के उद्देश्य से योजनाएं निर्मित करता है व उन्हें प्रभावी ढंग से पूर्ण करने की चेष्टा करता है। निगम द्वारा पर्यटकों को सुविधा के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था की जाती है। इस हेतु निगम द्वारा टूरिस्ट बंगले, होटल, युवा होस्टल आदि चलाये जाते हैं। सडकों के किनारे यह मिडवे आदि की व्यवस्था भी करता है। पर्यटन स्थलों मे भ्रमण के लिए यह परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराता है तथा पैकेज टूर्स भी आयोजित करता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नौकायन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शाही रेलगाडी का संचालन भी यह भारतीय रेलवे से मिलकर करता है। पर्यटकों के मनोरंजन व उनके लिये वस्तुओं के क्रय की व्यवस्था करता है। पर्यटन स्थलों को सुन्दर बनाए रखने के लिए उनकी उचित देखभाल की व्यवस्था करता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार-सामग्री प्रकाशित कर उसे वितरित करता है।

आठवीं योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास

TOURISM DEVELOPMENT IN EIGHTH PLAN , 1992-97

राजस्थान अपनी भूमि एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं, ऐतिहासिक गौरव एवं दुर्लभ वन्य-पशुओं के कारण पर्यटन के विश्व मानचित्र में अपना स्थान बनाता जा रहा है। राजस्थान सरकार ने पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास किये हैं। साथ ही पर्यटन को उद्योगों का दर्जा भी प्रदान कर दिया है। राजस्थान में पर्यटन की विशाल संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान की आठवीं योजना के अंतर्गत 38.89 करोड रुपये का प्रावधान किया गया। इस योजना मे पर्यटन के बढते हुए भार को दृष्टिगत रखते हुए सम्भाग मुख्यालयों पर पर्यटक सूचना ब्यूरो को सुदृढ किया गया। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व उदयपुर में स्थित पर्यटक सूचना ब्यूरो को भी और सुदृढ किया गया। आठवीं योजना के अंतर्गत पर्यटकों को अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से राजसमन्द तथा जोधपुर के रेलवे स्टेशनों और जयपुर के हवाई अड्डे पर नये पर्यटक कार्यालय खोले गये। राजस्थान का पर्यटन विभाग ने आठवीं योजना के अंतर्गत मेलों एवं उत्सवों में भाग लेकर राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहित किया। राजस्थान मे पर्यटकों की रुचि को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन स्थलों के विकास के लिये 'सर्किट एप्रोच' अपनाई गई। राज्य को निम्नलिखित 9 पर्यटक सर्किटों में बांटा गया .

राजस्थान के पर्यटक सर्किट

	पर्यटक सर्किट	जिले/पर्यटक स्थल
1	शेखावाटी सर्किट	सीकर, झुन्झुनू व चूरू
2	हाडौती सर्किट	बूंदी, कोटा झालावाड
3	मेवाड सर्किट	हल्दीघाटी, गोगून्दा, चावण्ड, कुम्भलगढ एवं समीप के क्षेत्र
4	रेगिस्तानी सर्किट	जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर
5	अलवर, भरतपुर, धौलपुर सर्किट	अलवर, भरतपुर, धौलपुर
6	जयपुर टोंक, सवाई-माधोपुर सर्किट	जयपुर टोंक, सवाईमाधोपुर
7	माउण्ट आबू सर्किट	माउण्ट आबू
8	जयपुर, अजमेर सर्किट	जयपुर, अजमेर
9	जयपुर जैसलमेर, बीकानेर सर्किट	जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर

स्रोत *Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt. of Raj.*

राजस्थान के पर्यटन स्थलों में 'मरुत्रिकोण' (जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर) विशेष आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न पर्यटन योजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना थी। ये विभिन्न योजनायें मेवाड सर्किट, शेखावाटी सर्किट, अलवर, भरतपुर सर्किट जयपुर-टोंक सवाईमाधोपुर सर्किट जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर सर्किट, माउण्ट आबू सर्किट तथा जयपुर-अजमेर सर्किट से सम्बन्धित हैं। आठवीं योजना में भी एक करोड रुपये की अंशपूंजी से राजस्थान होटल निगम बनाने की योजना थी जो कि होटल आनन्द भवन, उदयपुर का पर्यटकों की मांग के अनुरूप विस्तार करेगा।

नवीं योजना (1997-2002)के अंतर्गत पर्यटन विकास

TOURISM DEVELOPMENT IN NINTH PLAN 1997-2002

पर्यटन विभाग ने नई दिल्ली की टाटा सलाहकार सेवा के माध्यम से एक मास्टर प्लान 2005 की अवधि तक का निर्मित किया है। मास्टर प्लान के अनुसार राज्य में पर्यटन के प्रस्तावित विनियोग 1991.8 करोड रुपये का है। प्लान के अनुसार नवीं योजना के अंत तक राज्य में 86 लाख पर्यटक आयेंगे जिनमें 11 लाख विदेशी पर्यटक होंगे। नवीं योजना (1997-2002) में पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु 303.10 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाएं

PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान का इतिहास अत्यन्त गौरवमयी है। इस इतिहास से जुड़े हुए राजस्थान के ऐतिहासिक किले, विद्यमान प्राचीन हवेलियो एव मंदिरो के वास्तुशिल्प, राजस्थान के इतिहास से सम्बन्धित शौर्य एव वीरता की गाथाओ के केन्द्र, कला एव सस्कृति की उच्च परम्पराए, राजस्थान के रग-बिरगे मेले व त्यौहार तथा राजस्थान की हस्त तथा लोककलाए, पर्यटको को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। इस अथाह सम्पदा का पूरा लाभ उठाने मे ही राजस्थान के पर्यटन विकास या पर्यटन का भविष्य छिपा हुआ है। राजस्थान मे एक बड़ा भू-भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है तो एक ओर अरावली पर्वत शृखलाए अपना आकर्षण समेटे हुए हैं। राजस्थान में प्राकृतिक सरचना की विविधता भी पर्यटन के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पशु एव पक्षियो की अथाह सम्पदा और विविधताओ के कारण भी राज्य में पर्यटन की विपुल सम्भावनाए विद्यमान हैं। राजस्थान का इतिहास उसकी सस्कृति एव कला, विदेशी पर्यटको को निरन्तर आकर्षित कर रहे हैं। राज्य मे पर्यटन विकास की विपुल सम्भावनाओ का प्रयोग करने के लिए पर्यटको को पर्याप्त आवास एव यातायात सुविधाए उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। इस हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र को भी सामने आना होगा। इसके साथ ही ऐसे पर्यटन स्थल जो अब तक देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए अज्ञात रहे हैं, उन्हे उपयुक्त प्रचार एव प्रसार के माध्यम से लोगो के समक्ष लाना होगा। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिये जाने से भी राजस्थान मे पर्यटन की सम्भावनाओ को बल मिला है।

भारतीय एव विदेशी पर्यटको को आकर्षित करने के लिए राजस्थान भारत मे एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र बनता जा रहा है। राज्य मे अगले पाच वर्षों मे पर्यटन विकास हेतु 1700 करोड रुपये के विनियोजन की एक महत्वाकाक्षी योजना बनाई गई है।[1] इस योजना की मुख्य विशेषताओ मे पर्यटन विकास का मूल ढाँचा तैयार करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा राज्य के सभी बडे पर्यटक स्थलो सहित सात बडे पर्यटन केन्द्रो का विकास करना आदि हैं। इन सभी पर्यटन केन्द्रो का विकास जयपुर आगरा और दिल्ली के 'स्वर्णिम पर्यटन त्रिकोण' के समान ही होगा।

निष्कर्ष रूप मे, वर्तमान परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान मे सास्कृतिक पर्यटन, सभा या सम्मेलन पर्यटन, खेलकूद से सम्बन्धित पर्यटन तथा वन्य-जीव पर्यटन की वृहद् सभावनाए विद्यमान हैं। सास्कृतिक पर्यटन के विकास की तो यहा अथाह सम्भावनाए विद्यमान हैं क्योकि राजस्थान ऐतिहासिक वास्तुशिल्प, कला एव सस्कृति की उच्च परम्पराओ के लिए विख्यात है। इस अथाह सम्पदा को उजागर करके देशी व विदेशी पर्यटकों को राजस्थान मे आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आजकल अच्छे स्थानो पर सभा व सम्मेलन करने की परम्परा-सी आरम्भ हो गयी है। इस प्रवृत्ति का लाभ उठाया जा सकता है। राजस्थान मे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर आदि को इन सभा व सम्मेलन पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। राजस्थान मे खेल-कूद तथा साहसिक कार्यो से सम्बन्धित पर्यटन के विकास की भी अच्छी सभावनाए विद्यमान हैं। राजस्थान का एक बहुत बडा भू-भाग अरावली पर्वत-शृखला से जुडा है। इस क्षेत्र मे पर्वतारोहण की सुविधाए उपलब्ध कराई जा सकती हैं। राजस्थान का एक बडा भू-भाग रेगिस्तान है। इसके किसी क्षेत्र को मरुयात्रा के लिए विकसित किया जा सकता है। हाथी व ऊँट आदि की सवारी भी इन साहसिक अभियानो मे सम्मिलित की जा सकती है। पहाडी क्षेत्रो मे हैण्ड ग्लाईडिंग आदि के विकास की सभावनाओ का भी पता लगाया जाना चाहिए। राजस्थान मे विभिन्न प्रकार के वन्य-जीव उपलब्ध हैं। अत इन क्षेत्रो में वन्य-जीव पर्यटन विकास की सभावनाए हैं। सक्षेप मे, राजस्थान मे विद्यमान विभिन्न अभयारण्य इस दृष्टि से उपयुक्त कहे जा सकते हैं। अत राजस्थान मे विद्यमान पर्यटन विकास की सभावनाओ का विदोहन करने की आवश्यकता है।

राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन-स्थल

IMPORTANT TOURIST CENTRES OF RAJASTHAN

जयपुर-आमेर (Jaipur-Amer) • जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। इसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है। यह एक नियोजित नगर है। यह नगर कर्थियों शिल्पियो तथा अपने गौरवमयी इतिहास के कारण सम्पूर्ण विश्व मे प्रसिद्ध है। सी वी रमण ने इसे 'आयलैण्ड ऑफ ग्लोरी' की सज्ञा प्रदान की है। यहा के पर्यटन स्थलों में हवामहल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस, गलता का पवित्र कुण्ड, नाहरगढ का विशाल दुर्ग, जयगढ का दुर्ग, आमेर, राजस्थान विश्वविद्यालय, बिरला मंदिर, सागानेर के प्राचीन जैन मंदिर, सिसोदिया रानी का महल आदि प्रमुख हैं। ये

1 Economic Review 1995-96 Rajasthan

पर्यटन स्थल पर्यटको को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि नगर के विभिन्न पर्यटन स्थलो पर सदैव भीड दृष्टिगोचर होती है।

अजमेर-पुष्कर (Ajmer-Pushkar) अजमेर शहर को हिन्दू मुस्लिम तीर्थों का सगम कहा जा सकता है। यह शहर राज्य की राजधानी से 135 किलोमीटर दूर है। यह अरावली पर्वत की घाटी मे स्थित है। यहाँ के पर्यटन स्थलों मे ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, पुष्कर का हिन्दू तीर्थस्थान, तारागढ का किला, ढाई दिन का झोंपडा, आनासागर झील, सोनीजी की नसिया आदि प्रमुख हैं। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर एव अजमेर म ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगने वाले मेले देशी व विदेशी पर्यटको को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन मेलो में अत्यधिक सख्या मे व्यक्ति भाग लेते हैं।

जोधपुर (Jodhpur) - यह शहर राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी भाग मे स्थित है। जोधपुर का निर्माण 1469 मे राव जोधाजी ने करवाया था। यह नगर अपने गौरवपूर्ण इतिहास, भव्य महलो की वास्तुकला के कारण प्रसिद्ध है। यहा जसवत मेमोरियल उम्मेद भवन महल, मण्डौर के उद्यान, जसवत थडा, बालसमद झील जैन मदिर हरिहर के मदिर तथा सूर्य मदिर आदि पर्यटन स्थल हैं। यहा के पर्यटन स्थल वास्तुकला व शिल्पकला, दोनो ही दृष्टियो से प्रसिद्ध हैं।

उदयपुर (Udaipur) इस शहर की स्थापना 1559 मे मेवाड के महाराणा उदयसिह द्वारा की गई थी। यह नगर झीलो की नगरी पर्यटको का स्वर्ग, प्राकृतिक सौन्दर्य का प्रतीक झीलो का जादू, वेनिस ऑफ दी ईस्ट और राजस्थान का कश्मीर आदि नामो से जाना जाता है। यह नगर पिछौला झील के किनारे बसा हुआ है। यहा के पर्यटन स्थलो मे लेक पैलेस, पिछौला झील, फतहसागर झील, लेक गार्डन पैलेस उदयपुर का सिटी पैलेस, सहेलियो की बाडी, जगदीशजी का मदिर महाराणा प्रताप का स्मारक, गुलाबबाग, मानोंनगरी नेहरू पार्क, सुजान निवास आदि प्रमुख हैं। उदयपुर स 48 किलोमीटर दूर बनास नदी पर श्रीनाथजी का मदिर एकलिंगजी का मदिर प्रसिद्ध हैं। उदयपुर व नाथद्वारा के मध्य अनेक मदिर हैं। नाथद्वारा से 11 किमी दूर रणकपुर का जैन मदिर, हल्दीघाटी और चेतक घोडे की समाधि है। कुम्भलगढ का किला भी दर्शनीय स्थल है।

बीकानेर (Bikaner) बीकानेर शहर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग मे स्थित है। यहा एक विशाल दुर्ग है जिसका निर्माण राजा जयसिह ने करवाया था। आधुनिक बीकानेर की स्थापना महाराजा गगासिह द्वारा की गई। उन्होने गगनहर का भी निर्माण करवाया। यहा के दर्शनीय स्थलो मे बीकानेर का किला, प्राचीन महल, मदिर, मस्जिद, शस्त्रगृह चन्द्रमहल, शूर महल, कर्ण महल, शीश महल, छत्तर महल, लालगढ, करणीमाता का मदिर, कोलायत तालाब तथा कपिलमुनि का आश्रम प्रमुख हैं।

अलवर (Alwar) - अलवर शहर की स्थापना 1775 मे राव प्रतापसिह द्वारा की गई। यह शहर दिल्ली के दक्षिण में तथा जयपुर के उत्तर-पूर्व में पहाडियो के मध्य स्थित है। यहा के पर्यटन स्थलों मे विजयसागर झील, निकुम्भ महल, सलीमसागर, मधुराधीश का मदिर, सूरजमहल, सूरजकुण्ड, अलवर का विशाल किला, महारानी की छतरी तथा विनयविलास महल में स्थित अजायबघर आदि प्रमुख हैं। सिलीसेढ झील, सरिस्का अभयारण्य, पाण्डुपोल, राजा भृतहरी का समाधि स्थल तथा नीलकण्ठ महादेव भी दर्शनीय स्थल हैं।

भरतपुर (Bharatpur) . यह नगर राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग मे स्थित है। इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। यहा का किला मिट्टी से बना हुआ है। यहा के पर्यटन स्थलो मे, घना पक्षी विहार प्रमुख है। भरतपुर से 35 किलोमीटर दूर डीग शहर है। डीग मुख्यत- उद्यानों, महलो, ऐतिहासिक दुर्ग व रगीन फव्वारो के लिये प्रसिद्ध है। भरतपुर के दक्षिण में बयाना भी प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है।

बूदी (Bundi) इस शहर की स्थापना राव देव द्वारा की गई। यहा का महल एक पहाडी पर स्थित है। यह महल अपनी सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है। यह शहर प्रसिद्ध कवि सूरजमल की जन्मस्थली है। यहा के दर्शनीय स्थलों में दीवाने-आम, छत्र महल, नवलसागर, फूलसागर, सुखमहल तथा चौरासी स्तम्भों की छतरी आदि प्रमुख हैं।

माऊण्ट आबू (Mount Abu) यह नगर अरावली श्रृखला की लगभग 1200 मीटर ऊची चोटी पर स्थित है। यह राज्य का एकमात्र 'हिल स्टेशन' है। इसे राजस्थान का शिमला कहा जा सकता है। यहा के दर्शनीय स्थलो मे नक्की झील, दिलवाडा के जैन मदिर, बुलरॉक टॉडरॉक, ननरॉक कैम्पल, सनसैट् पॉइट, गौमुख, हनीमून पॉइंट तथा अचलगढ के जैन मदिर आदि प्रमुख हैं।

चित्तौडगढ (Chittorgarh) : यह एक ऐतिहासिक नगर है। यह राजपूतों के शौर्य और मीरा की भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहा एक विशाल दुर्ग है जो भारत के विभिन्न किलों में अत्यधिक प्राचीन एवं भव्य है। यहा के दर्शनीय स्थलों में कीर्ति स्तम्भ, विजय स्तम्भ, महारानी पद्मिनी का जलमहल, महाराणा कुम्भा के महल, जौहर

कुण्ड गौ मुख नौलखा खजाना तोपखाना काली का मंदिर बनवीर की दीवार भीमतल मीरा मंदिर तथा जैन मंदिर प्रमुख हैं।

जैसलमेर (Jaisalmer) यह नगर राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1156 में जैसलसिंह द्वारा की गई। यहां का किला पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। यह किला 85 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यहां के पर्यटन स्थलों में मोतीमहल विलासमहल, रंगमहल पटुओं की हवेली, राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख हैं।

कोटा (Kota) यह नगर चम्बल नदी के किनारे पर स्थित है। यह राज्य का प्रमुख औद्योगिक नगर है। पर्यटन स्थलों में छतर निवास जग मंदिर आधारशिला अमर निवास भिटारिया कुण्ड छत्र निवास बाग चम्बल गार्डन आदि प्रमुख हैं। कोटा से लगभग 80 किलोमीटर दूर दरा गेम्स सैन्च्युरी है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए (i) पैलेस ऑन व्हील्स (ii) कम लागत के होटल तथा घरेलू पर्यटन
Write short notes on (i) Palace on Wheels (ii) Low Cost Hotels and Domestic Tourism

2 'पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन का भविष्य उज्ज्वल है' समझाईए।
'Tourism in Western Rajasthan has a bright future' Explain

3 निम्नलिखित के बारे में आप क्या जानते हैं जैसलमेर एक पर्यटन स्थल।
What do you know about the following Jaisalmer as a tourist place

4 निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां लिखिए
राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल।
Write explanatory notes on
Important tourist places in Rajasthan

B निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 'राजस्थान में पर्यटन विकास' पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on the *Development of tourism in Rajasthan*

2 राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका सम्भावनायें व समस्याओं का वर्णन कीजिए
Discuss the role prospects and problems of Tourism Industry in the economy of the State

3 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग के महत्व को बतलाईए। इस उद्योग के विकास की भावी सम्भावनायें एवं समस्यायें क्या हैं?
Discuss the importance of Tourism Industry in the economy of Rajasthan What are the prospects and problems of this industry

4 राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफी सम्भावनाएं हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? विवेचना कीजिए।
Rajasthan has immense potentials for tourism development Do you agree with it? Analyse

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग के महत्व को बताईए। इस उद्योग के विकास की भावी सम्भावनाएं एवं समस्यायें क्या हैं?
Discuss the importance of Tourism Industrty in the economy of Rajasthan What are the prospects and problems of this industry?

2 'राजस्थान में पर्यटन उद्योग' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on 'Tourism Industry in Rajasthan

3 राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका स्पष्ट कीजिए राज्य में पर्यटन के विकास की समस्याओं पर प्रकाश डालिए और निकट भविष्य में इस उद्योग के विकास के लिए सुझाव भी दीजिए।
Describe the Tourism development under planning in Rajasthan

4 राजस्थान में योजनाकाल में पर्यटन विकास का वर्णन कीजिए।
Describe the Tourism development under planning in Rajasthan

5 राज्य में पर्यटन के विकास की समस्याओं पर प्रकाश डालिए और आगामी वर्षों में इसके विकास के लिए उपयोगी सुझाव दीजिए।
Mention the problems of tourism in Rajasthan and also make suggestions for its development in near future

□□□

अध्याय – 19

विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम

SPECIAL AREA PROGRAMMES



"क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से ही सम्भव है।"

<u>अध्याय एक दृष्टि में</u>

- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP
- सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP
- मरु विकास कार्यक्रम DDP
- जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम TADP
- अरावली विकास कार्यक्रम ADP
- अन्य कार्यक्रम
- अभ्यास प्रश्न

रा राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन रोजगार के अवसरों मे वृद्धि व विकास के उद्देश्य से संचालित प्रमुख कार्यक्रम अग्रानुसार हैं

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I R D P)
(2) ग्रामीण युवाओ को स्व रोजगार हेतु प्रशिक्षण (TRYSEM)
(3) ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एव बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA)
(4) जवाहर रोजगार योजना (J R Y)
(5) जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (T.A D P)
(6) मरु विकास कार्यक्रम (D D P)
(7) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (D P.A P)
(8) अन्त्योदय योजना
(9) बीस सूत्री कार्यक्रम
(10) अरावली विकास कार्यक्रम (Aravalli Development Programme)
(11) मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना (Mewat Regional Development Project)
(12) कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Command Area Development Programme)
(13) न्यूनतम विकास कार्यक्रम (M n mum Needs Programme)

(14) महिला विकास कार्यक्रम (Women Development Programme)
(15) दस्युग्रस्त क्षेत्रों में बीहड सुधार कार्यक्रम (Decoit Prone Revine Improvement Programme)
(16) सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)

INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME

यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1978 79 मे देश के चुने हुए 2300 विकास खण्डो मे आरम्भ किया गया था। वर्तमान मे इसको सम्पूर्ण भारत मे विस्तृत कर दिया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारो को वित्तीय सहायता प्रदान कर गरीबी के स्तर स ऊपर उठाने के लिए बनाया गया है ताकि वे परिवार बेरोजगारी एव निर्धनता के अभिशाप से मुक्त हो सके। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्र सरकार की योजना है जिसमे केन्द्र एव राज्य दोनो आधी आधी धनराशि प्रदान करते हैं।

उद्देश्य

Objects

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत उन्हे आय प्रदान करने वाली परिसम्पत्तिया जुटाने का अवसर दिया जाता है। जिसमें कार्यशील पूजी भी सम्मिलित है। चयनित परिवारों को एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सस्थागत ऋण अथवा अनुदान के रूप में होती है।

मुख्य अवधारणाए

Main Concepts

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अन्तर्गत अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अत कार्यक्रम को स्पष्टत समझने के लिए इससे सम्बन्धित शब्दावली को भी समझना होगा।

गरीबी की रेखा (Poverty Line) गरीबी की रेखा को परिवार की वार्षिक आय के सदर्भ में परिभाषित किया गया है। एक परिवार जिसकी वार्षिक आय 11060 रुपये या इससे कम है उसे गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक चयनित परिवार को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह 11060 रुपये वार्षिक आय के स्तर तक पहुँच जाए। इसमे भी सबसे पहले कम आय वाले परिवारो को सहायता प्रदान की जाती है। जब ऐसे परिवारों को सहायता दी जा चुकी होती है और उन्हे गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए सफल चेष्टा हो चुकी होती है तो उसके पश्चात् उससे अधिक आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है।

लक्ष्य समूह (Aimed Group) इस कार्यक्रम का लक्ष्य लघु कृषको सीमान्त कृषको कृषि श्रमिको ग्रामीण कारीगरो एव अन्य व्यक्तियो को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। लघु कृषक से आशय उस कृषक से है जिसके पास दो हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। यदि किसान के पास प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि है तो यह सीमा एक हैक्टेयर या उससे कम होती है। जहा पर भूमि सिंचित हो किन्तु वह प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि न हो तो राज्य सरकार यह सीमा निर्धारित करती है लेकिन यह दो हैक्टेयर से अधिक नहीं हो सकती। कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमान्त कृषक उस व्यक्ति को माना गया है जिसके पास एक हैक्टेयर या उससे कम भूमि हो। जिस कृषक के पास प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि है वहा सीमान्त कृषको की भू सीमा अलग से निर्धारित की जाती है। कृषि श्रमिको से आशय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन व्यक्तियो से है जिनके पास कोई भूमि नहीं है और जो अपनी आय का 50 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि मजदूरी से कृषि श्रमिक के रूप मे प्राप्त कर रहे हो।

विशेष लक्ष्य समूह (Specially Aimed Group) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति महिलाओं आदि पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कहा गया है कि अधिकाश गरीबी अनुसूचित जाति एव जनजाति के समूहों में विद्यमान है। अत यह निर्धारित किया गया है कि सहायता प्राप्त परिवारों में से कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति और जनजाति से हों। यह न्यूनतम प्रतिशत किसी जिले अथवा राज्य में औसत रूप मे प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियो मे कम से कम 30 प्रतिशत महिलाए होना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में उन महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अपने परिवारों की मुखिया हैं।

भौतिक लक्ष्य (Physical Targets) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य 1995 तक गरीबी रेखा के नीचे रह रहे ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों का प्रतिशत 10

प्रतिशत तक लाना है। भारत में गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहे लोगो के वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। इस कारण सातवीं योजना में राज्यों मे गरीबी के आधार पर परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इस सदर्भ में अधिक गरीब राज्यो को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सख्या में वृद्धि के कारण कार्यक्रम की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पडे।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया
Process of Implementation of Programme

आय के समूह के आधार पर चयनित परिवारो की एक सूची विकास खण्ड अथवा ग्रामीण स्तर पर बनाई जाती है। यह सूची विकास खण्ड अधिकारी द्वारा बुलाई गई ग्राम सभा में रखी जाती है। इस ग्राम सभा में स्थानीय प्रतिनिधि, गैर सरकारी व्यक्ति, विकास अधिकारी एव बैंक अधिकारी उपस्थित होते हैं। यदि कोई स्वैच्छिक सक्रिय समूह हो तो उसे भी इस बैठक में बुलाया जाता है। ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का अतिम रूप से चयन किया जाता है। यदि किसी नाम पर कोई विवाद होता है तो इस विवाद को ग्रामीण विकास अभिकरण का परियोजना अधिकारी विकास खण्ड अधिकारी से विचार-विमर्श कर निर्णय लेता है। ग्रामसभा का उपयोग इस हेतु भी किया जाता है जिससे लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता का स्वरूप भी लाभार्थी की प्राथमिकता, उसकी इच्छा और योग्यता के अनुसार निर्धारित किया जा सके। अन्य बातो को समान रखते हुए उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनको भू-सीमा से अधिक अधिग्रहण की हुई भूमि आवटित की गई हो, साथ ही मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूर और आर्थिक क्रियाओं को करने योग्य विकलाग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा महिला लाभार्थियों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पडे।

योजना का चयन
Selection of Scheme

चयनित परिवार को, उस परिवार की मानसिकता, आवश्यकता और स्थानीय ससाधनो को दृष्टिगत रखते हुए योजना प्रदान की जाती है। इसमें, परिवार में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान अथवा प्राप्त किए जा सकने वाले तकनीकी ज्ञान तथा जिस आर्थिक योजना व क्रिया को हाथ में लिया जा रहा है, उसकी स्थापना के पूर्व एव पश्चात् की सुविधाओं एव स्थितियों का भी ध्यान रखना पडता है। कोई भी सम्पति परिवार को एक इकाई मानते हुए प्रदान की जाती है। इसका आशय यह है कि परिवार के एक से अधिक सदस्यो का सहायता दी जा सकती है लेकिन इसमें यह देखना पडता है कि गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए क्या यह आवश्यक और अनिवार्य है। जहा तक अनुदान की अधिकतम सीमा का प्रश्न है, यह परिवार पर एक इकाई की भाति तय की जाती है। इसी प्रकार आय के अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए चयनित परिवारों को एक या एक से अधिक योजनाए या आर्थिक क्रियाए प्रदान की जा सकती हैं। यदि गरीबी की रेखा से उस परिवार को ऊपर लाने का लक्ष्य एक से अधिक योजनाओं से पूरा होता है तो कम लागत की विभिन्न योजनाओ को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उपलब्ध ससाधनों का अधिकतम प्रयोग हो सके।

कार्यक्रम की मुख्य आर्थिक क्रियाएं व योजनाएं
Main Economic Activities & Schemes of the Programme

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र से सबधित कोई भी आर्थिक क्रिया हाथ में ली जा सकती है जो आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त हो और जिसमें पूजी-उत्पाद अनुपात अनुकूल हो। कृषि क्षेत्र पर जो अत्यधिक भार आ गया है, उसे दृष्टिगत रखते हुए इस बात के प्रयास किए जाते हैं कि चुनी हुई आर्थिक क्रियाए कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त उद्योगों, सेवाओं व व्यावसायिक क्रियाओं की ओर विकेन्द्रित हों किन्तु ऐसा करने से पूर्व स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान मे रखा जाता है। योजना का चयन करते समय उपलब्ध ससाधनों का ध्यान रखा जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक क्रिया के लिए जो आधारभूत सरचना का निर्माण करने के लिए सहायता दी जाती है वह इस क्षेत्र में बहुत थोडे से विद्यमान अन्तर को पाटने के लिए होती है न कि पूरा का पूरा आधारभूत ढाचा निर्मित करने के लिए होती है। इस कारण यदि किसी आर्थिक क्रिया के सबध में आधारभूत ढाचा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी आर्थिक क्रिया को हाथ मे नहीं लिया जाता है। आधारभूत सरचना विकसित करने के लिए समूह की क्रियाओं की नीति को प्राथमिकता दी जाती है। समूह की क्रियाओं की सफलता के अधिक अवसर होते हैं क्योंकि समूह के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाए जुटाना अधिक सरल होता है। साथ ही समूह को सौदेबाजी करने की क्षमता बढ जाती है। इस कारण ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक सूची प्रदान की गई है जो कि लाभार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है। इस सूची में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एव तृतीयक क्षेत्र से सम्बन्धित आर्थिक क्रियाओं को

दर्शाया गया है

प्राथमिक क्षेत्र की सूची (List of Primary Sector) इस क्षेत्र के अंतर्गत जिन क्रियाओं का उल्लेख किया गया है उनमे बीज उत्पादन एव विपणन फल नर्सरी व उत्पादन बागवानी एव फूलो की खेती खुम्भी का उत्पादन मत्स्य पालन मछलियो के बीज का उत्पादन शहद उत्पादन जडी बूटियो की खेती मुर्गी पालन सूअर पालन भेड व बकरी पालन कृषि सिचाई योजनाए आदि प्रमुख हैं।

द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) इस क्षेत्र के अंतर्गत जो गतिविधिया आती है उनमे निम्न प्रमुख हैं माचिस का निर्माण पटाखो आदि का निर्माण अगरबत्ती का निर्माण अखाद्य पदार्थों और साबुन उद्योग चमडे से सम्बन्धित उद्योग तेल घाणी उद्योग हाथ से बने कागज से सम्बन्धित उद्योग गुड और खाण्डसारी निर्माण खाद्यान्नो और दालों का विधायन फलों एव सब्जियो का विधायन एव सरक्षण बेकरी हैण्डलूम हस्तकला खादी जूट के सामान रेशम की बुनाई चूना उद्योग एल्यूमीनियम के बर्तन का निर्माण लकडी और लोहे से बने घरेलू सामान बास से सम्बन्धित उद्योग आदि।

तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) इस क्षेत्र मे कृषि पशुपालन आदि से सम्बन्धित सहायक सेवाए उपलब्ध कराई जाती हैं जैसे कृषि के अतर्गत बीज खाद औजार व कीटनाशको की पूर्ति कृषि उपकरणो की पूर्ति एव मरम्मत कुओ की खुदाई और ट्यूबवेल खोदना जल प्रबन्ध एव कृषिगत उत्पादनो का सग्रहण भण्डारण एव विपणन आदि। इसी प्रकार पशु सम्पदा के लिए चारा एव बाटे की पूर्ति उन्नत नस्ल के पशुओ की पूर्ति रेशम के कीडों के अडो की पूर्ति रेशम से सम्बन्धित उत्पाद का सग्रहण भण्डारण और विपणन। दूध एव दूध के सामान की बिक्री अण्डे मास चमडे हड्डियो आदि का सग्रहण भण्डारण और विपणन ग्रामीण उद्योगों मे प्रमुख आर्थिक क्रियाए निम्न से सम्बन्धित हो सकती हैं - ग्रामीण उद्योगो के लिए आवश्यक आदानो की पूर्ति उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओ का सग्रहण भण्डारण एव विपणन इनमे सबधित रखरखाव एव मरम्मत के कार्य घरेलू उपकरणो की मरम्मत और रख रखाव जैसे टी वी रेडियो घडिया बिजली के उपकरण साईकिल वाहन स्टोव सिलाई मशीन आदि। बायो गैस सयत्रो की स्थापना मरम्मत व रख रखाव बायो गैस सयत्रो के लिए गोबर एव अन्य कच्चा माल एकत्रित करना आदि। इसी प्रकार निर्माण कार्यों के अतर्गत भवनो का निर्माण मरम्मत और रख रखाव यातायात के अतर्गत पशुओ द्वारा चलाए जाने वाले वाहन साईकिल रिक्शा हाँथ के ठेले ऑटो रिक्शा सहकारिता के आधार पर मेटाडोर टेम्पो आदि वाहन ड्राईविग का कार्य आदि। फुटकर व्यापार के अतर्गत कोई भी फुटकर व्यापार जिसकी वार्षिक बिक्री 50 000 रुपये से अधिक न हो कोई भी लघु व्यवसाय जिसमे 10 000 रुपये से अधिक का विनियोग न हो राशन की दुकान आदि बैंकिग एव बीमा के क्षेत्र में बैंक के कलेक्शन एजेन्ट जीवन बीमा एव सामान्य बीमा के ग्रामीण एजेन्ट आदि। अन्य के अन्तर्गत चलता फिरता पुस्तकालय लाउड स्पीकर किराए पर देना गैस बत्ती उपलब्ध कराना आदि कार्य सम्मिलित हैं। उपरोक्त सूची केवल मार्गदर्शन के लिए है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक कार्य हाथ मे लिए जा सकते हैं।

कार्यक्रम का नियोजन एव परियोजना का निर्माण

Programme Planning & Project Preparation

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर उसे पूरा करने तक अनेक कठिनाइयो का सामना करना स्वाभाविक है। इस कारण स्थानीय ससाधनो के विश्लेषण एव नियोजन के लिए गहन कार्य किया जाता है। जिले एव विकास खण्ड स्तर पर दो तरह की योजनाए बनाई जाती हैं ताकि कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सम्भव हो सके। प्रथम योजना मार्गदर्शी योजना होती है एव द्वितीय योजना वार्षिक योजना कहलाती है। मार्गदर्शी योजना स्थानीय ससाधनो से परिचित कराती है। इसके आधार पर वार्षिक कार्य हाथ मे लिए जाते हैं।

मार्गदर्शी योजना (Pilot Projects) सर्वप्रथम विकास खण्ड स्तर पर यह योजना बनाई जाती है और इसके पश्चात् इसे समन्वित करके जिला योजना का निर्माण होता है। मार्गदर्शी योजना मे स्थानीय ससाधनों का लेखा जोखा होती है जिसमे विशेष रूप से जनसख्या की प्रवृत्तिया ससाधनो का क्षेत्र एव स्थिति इस क्षेत्र मे कार्य कर रही सस्थाओ की आर्थिक क्रियाए क्षेत्र में उपलब्ध सामाजिक और सस्थागत ढाचे का उल्लेख होता है। इसमे योजना और गैर योजना मदो मे चल रही योजनाओ व कार्यक्रमो का भी उल्लेख होता है। साथ ही आगामी पाच वर्षों मे विकास विभाग द्वारा हाथ मे ली जाने वाली सम्भावित क्रियाओ की भी समीक्षा होती है। इस योजना के अतर्गत रोजगार उत्पन्न करने वाले अवसरो का विशेष उल्लेख होता है। इस मार्गदर्शी योजना को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा समीक्षा व स्वीकृत कर अपनाया जाता है।

वार्षिक योजना (Annual Plan) मार्गदर्शी योजना के पश्चात् वार्षिक योजना अपनाई जाती है। यह वार्षिक योजना ससाधनो की स्थिति और लाभार्थियो की

आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए निर्मित की जाती है। वार्षिक योजना में विकास खण्ड व जिले मे अपनाए जाने वाले क्षेत्रो का आर्थिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार लाभार्थी परिवारो का उनकी आवश्यकताओं व मानसिकताओं आदि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और उनके लिए चयनित योजनाओं का उल्लेख होता है। इसमे यह भी उल्लेख किया जाता है कि अन्य विभागो के साथ कैसे व किस सीमा तक समन्वय किया जायेगा। साथ ही कच्चे माल प्राप्त करने के स्रोत एव तरीके तथा निर्मित माल के विपणन सम्बन्धी जानकारी भी होती है। इस वार्षिक योजना में प्रस्तावित गतिविधियों के लाभार्थी परिवारों की आय पर तथा क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पडेगा इसकी भी समीक्षा की जाती है। वार्षिक योजना मे माडल प्रोजेक्ट का भी उल्लेख होता है, साथ ही निर्धारित वर्ष में किन लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है उसकी भी एक सूची दी जाती है। खण्डीय जिला स्तर पर बनाई गई वार्षिक योजना को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाता है तत्पश्चात् ही इसका क्रियान्वयन आरम्भ होता है। स्वीकृत की गई जिला योजना को राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाता है जहा वह इसकी समीक्षा करती है।

वार्षिक कार्य योजना (Annual Work Schedule) राज्य सरकार और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मिलकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए एक वार्षिक काय योजना का निर्माण करते हैं। यह एक विस्तृत कार्य योजना होती है। जिसमें एक पखवाडे अथवा माह के आधार पर ली जाने वाली क्रियाओं एव उन्हे पूर्ण किए जाने का उल्लेख होता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की वार्षिक कार्य योजना में निधारित किए गए लक्ष्यो के आधार पर ही अभिकरण के अतर्गत कार्यरत सगठनों की कुशलता को मापा जाता है।

योजनाओ की स्वीकृति (Acceptance of Projects) लाभार्थियों का ऋण के लिए प्रार्थना पत्र एक कैम्प में पूर्ण किया जाता है। इस कैम्प में विकास खण्ड के अधिकारी एव अन्य सम्बन्धित विभाग जैसे राजस्व विभाग और बैंक आदि भाग लेते हैं। कैम्प के आयोजन को इस कारण उपयुक्त माना जाता है कि इससे लाभार्थी के समय एव शक्ति की बचत होती है और उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र एव अन्य प्रमाण पत्रो के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पडते। आवेदन पत्र पूर्ण होने के पश्चात् उन्हें बैंक को भेजा जाता है। बैंक को भेजने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सारे आवेदन पत्र एक साथ न भेज जाए बल्कि वे कुछ समान अतर पर निरन्तर भेजे जाते रहें। खण्ड स्तर के कार्यालय म इन आवेदन पत्रो का पूरा विवरण रखा जाता है। इस विवरण में योजना की प्रकृति के अतिरिक्त वह धनराशि भी उल्लेखित होती है जिसके लिए आवेदन किया गया है एव बैंक से ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् इसका विवरण भी रखा जाता है। बैंक को भेजे जाने वाले प्रार्थना-पत्र वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप होते हैं। लाभार्थियो को वर्तमान में आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र लगाने होते हैं प्रथम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋण का आवेदन एव समीक्षा पत्र। द्वितीय, परिसम्पत्ति को गिरवी रखने एव समझौता पत्र। तृतीय धनराशि की टिकट लगी रसीद। चतुर्थ, प्रोनोट। पाचवा, समूह जीवन बीमा योजना का प्रपत्र। बैंक मैनेजर का यह दायित्व है कि वह खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भेजे गए ऋण आवेदन पत्रों को बिना किसी देरी के देखे एव निर्णय ले। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्रों का निपटारा एक पखवाडे के भीतर कर दिया जाना चाहिए। इस ऋण से जो परिसम्पत्ति क्रय की जाती है वह एक अच्छे स्तर की और उचित कीमतों पर दी जानी चाहिए। यह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का दायित्व है कि वह लाभार्थी को इन आधारो पर परिसम्पत्ति उपलब्ध कराए। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए एक क्रय समिति का गठन किया जा सकता है। जिसमें लाभार्थी, वित्तीय सस्था सम्बन्धित विभाग तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति का एक प्रतिनिधि हो सकता है। जहा तक सम्भव हो इस समिति द्वारा ही सभी परिसम्पत्तिया क्रय की जानी चाहिए। इन परिसम्पत्तियो को भलीभाति चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि उस सम्पत्ति का दुरुपयोग न हो सके और न ही उसे हस्तान्तरित किया जा सके। यह बीमा के उद्देश्य के लिए भी उचित रहता है।

वित्त
Finance

छठी पचवर्षीय योजना के अतर्गत राज्य मे विद्यमान विकास खण्डों की सख्या के अनुसार कोष आवटित किए गए थे किन्तु सातवीं पचवर्षीय योजना मे ये कोष राज्य मे गरीबी की स्थिति के अनुसार आवटित किए गए। इस कार्यक्रम के अतर्गत आर्थिक क्रियाओं को साख एव अनुदान के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि आधी आधी केन्द्र एव राज्य सरकारें द्वारा प्रदान की जाती है। 1986 से भारत सरकार द्वारा त्रैमासिक बजट बनाना आरम्भ किया गया है। त्रैमासिक बजट के अनुसार आवटित राशि का 15 प्रतिशत वर्ष को प्रथम तिमाही में प्रयुक्त हो जाना चाहिए तथा द्वितीय तिमाही में आवटित राशि का 20 प्रतिशत काम में ले लिया जाना चाहिए (इस प्रकार 6 माह में 35 प्रतिशत राशि का प्रयोग हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो आनुपातिक रूप में आवटित राशि को कम कर दिया

जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आवंटित धनराशि का 15 प्रतिशत जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में प्रशासकीय संरचना बनाने पर व्यय किया जा सकता है। यदि अभिकरण में 5 से 7 विकास खण्ड हैं तो साढ़े 12 प्रतिशत और यदि 8 या 8 से अधिक खण्ड होने पर आवंटित राशि का 10 प्रतिशत तक काम में लिया जा सकता है। लाभार्थी को जो अनुदान दिया जाता है उसके दुरुपयोग को रोकने और सम्पत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाभार्थी से एक बॉण्ड अथवा प्रोनोट लिखाया जाता है। यदि दुरुपयोग की कोई शिकायत होती है तो कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

खाते रखना

Accounts

यह ज्ञात करने के लिए कि कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप धनराशि व्यय की जाती है अथवा नहीं, खाते रखना आवश्यक है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रजिस्टर्ड सोसायटीज होने के कारण दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार खाते रखती है। अभिकरण का परियोजना अधिकारी 30 जून तक खाते तैयार कर लेता है। इन खातों को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अंकेक्षक से इनका अंकेक्षण कराया जाता है। इस अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति भारत सरकार को और राज्य सरकार को 30 सितम्बर तक भेज दी जाती है। भारत सरकार का कन्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल अभिकरण के खातों की जांच करने का पूरा अधिकार रखता है।

प्रशासकीय व्यवस्था

Administrative System

इस कार्यक्रम में नीति निर्धारण, नियंत्रण और मूल्यांकन का कार्य भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विकास विभाग करता है। केन्द्रीय स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके सहायक कार्यक्रम (ट्राईसम एवं महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम) के लिए एक केन्द्रीय समिति गठित की गई है। इस समिति का अध्यक्ष, ग्रामीण विकास विभाग का सचिव होता है। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग या अन्य कोई विभाग जिसे ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है, वह इस कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का कार्य करता है। इस हेतु राज्य स्तरीय एक समन्वय समिति बनाई गई है जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव अथवा कृषि उत्पादन कमिश्नर या विकास कमिश्नर होता है। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है। यह अभिकरण सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसायटीज होती हैं। इनका अध्यक्ष प्रायः जिले का कलेक्टर होता है। जिला समिति का सदस्य सचिव, अभिकरण का परियोजना अधिकारी अथवा निदेशक होता है। विकास खण्ड स्तर पर मार्गदर्शी और वार्षिक कार्य योजना बनाई जाती है। साथ ही स्वीकृत योजना के अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। साथ ही कार्यक्रम के प्रभावों की जानकारी भी इसी स्तर से प्राप्त होती है। खण्ड स्तर पर विकास खण्ड अधिकारी (बी डी ओ) मुख्य समन्वयक का कार्य करता है और यह देखता है कि योजना समय पर बनाई जाए और समय पर प्रभावपूर्ण तरीके से क्रियान्वित की जाए।

निरीक्षण एवं मूल्यांकन

Monitoring & Evaluation

इस हेतु एक प्रपत्र (विकास पत्रिका) भरा जाता है। इसकी दो प्रतियां होती हैं। एक प्रति लाभार्थी के परिवार को दी जाती है तथा दूसरी विकास खण्ड मुख्यालय पर रखी जाती है। इस प्रति को पूर्णतः पूर्ण रखने का प्रयास किया जाता है ताकि परियोजना की पूर्ण जानकारी सदैव उपलब्ध रह सके। राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस हेतु कोई नयी विधि भी अपना सकती हैं। प्रतिवर्ष परिसम्पत्ति का निरीक्षण होता है और इस निरीक्षण के परिणाम आगामी वार्षिक योजना में सम्मिलित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति को मासिक मुख्य सूचकों, मासिक एवं त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों से परखा जाता है। कार्यक्रम के मूल्यांकन का कार्य प्रतिष्ठा प्राप्त संस्थानों और संगठनों द्वारा कराया जाता है। ये मूल्यांकन केन्द्र और राज्य दोनों के द्वारा कराए जा सकते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इस प्रकार के मूल्यांकन अध्ययन के लिए 40 हजार रुपये प्रति वर्ष तक व्यय कर सकता है किन्तु इस प्रकार के मूल्यांकन अध्ययनों को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है।

कार्यक्रम के लिए संस्थागत वित्त

Institutional Finance for the Programme

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता ऋण व अनुदान के रूप में होती है। इसमें ऋण का भाग बड़ा होता है। यह राशि साख-संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। यह ऋण लाभार्थी की किसी परियोजना पर प्रदान किया जा सकता है। परियोजना के लिए ऋण, स्थाई पूंजी या कार्यशील पूंजी के रूप में अथवा संयुक्त रूप में हो सकता है। कार्यशील पूंजी परियोजना की प्रकृति के आधार पर निर्धारित की जाती है।

यदि कोई परियोजना केवल कार्यशील पूंजी के आधार पर ही बनाई जाती है तो ऐसी दशा मे अनुदान को सम्मिलित करते हुए यह राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सहायता लाभार्थियों को रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। जो वित्तीय संस्थाएं इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त प्रदान करती हैं उन्हें नाबार्ड से अपने आप पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त होती है। लाभार्थी से कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र मे 10 000 रुपये तक के विनियोजित ऋण पर कोई सहायक प्रतिभूति नहीं मांगी जाती है। केवल उन्हें ऋण से प्राप्त की गई परिसम्पत्ति को रखना होता है। उद्योग, सेवा और व्यवसाय के क्षेत्र में 25,000 रुपये की सीमा तक कोई प्रतिभूति नहीं ली जाती। ऋण के लिए आवेदन-पत्रों का प्रारूप लाभार्थियों की सुविधा के लिए एक जैसा बना दिया गया है। ऋण के वितरण के लिए बैंक में एक विशिष्ट दिन भी निर्धारित कर दिया जाता है।

पुनर्भुगतान
Repayment

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए ऋणों को मध्यकालीन ऋण माना जाता है। इन ऋणों का पुनर्भुगतान तीन वर्ष से पांच वर्ष के मध्य सामान्यतः हो जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऋणों का पुनर्भुगतान निर्धारित समयावधि मे हो जाए। इस हेतु राज्य सरकार, बैंक अधिकारियों को कार्यक्रम के लाभार्थियों से पुनर्भुगतान के लिए यथासम्भव सहायता प्रदान करती है। इस हेतु समय समय पर कैम्प भी आयोजित किए जाते हैं। बैंक मैनेजर, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकास खण्ड अधिकारी को प्रतिमाह इस बात की सूचना प्रदान करते हैं कि कार्यक्रम में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए कितने स्वीकृत किए और कितने अस्वीकृत हुए। साख से संबंधित सलाह देने के लिए केन्द्रीय, राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर सलाहकार समितियों का निर्माण किया गया है।

पूरक सहायता
Supplementary Assistance

कार्यक्रम के अन्तर्गत जो लोग लाभान्वित हुए हैं, उन्हें पूरक सहायता देने का प्रावधान भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है, बशर्ते वे अपने पूर्ण प्रयासों के बाद भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए हों। दैविक प्रकोप अथवा ऐसे ही अन्य कारणों से जिनमें सम्बन्धित परिवार का कोई दोष नहीं है, के कारण यदि वह परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाया है तो उसे पूरक सहायता देकर इस रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है।

प्रगति[1]

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना एवं चिन्हित लक्षित समूहों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। वर्ष 1996-97 तक 27 [illegible] लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। 1997-2002 मे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 184.5 करोड़ रुपया राज्य द्वारा व्यय किया जायेगा। इतनी ही राशि केन्द्र से भी प्राप्त होगी।

ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राईसम)
TRAINING OF RURAL YOUTH FOR SELF EMPLOYMENT

यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 15 अगस्त, 1979 मे आरंभ की गई थी। ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राईसम) योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक सहायक घटक है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कुशलता प्रदान करना है ताकि वे कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के व्यापक क्षेत्रों, उद्योगों, सेवाओं तथा व्यापार कार्यकलापों में स्व-रोजगार अथवा मजदूरी रोजगार शुरू कर सकें। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व रोजगार/मजदूरी/रोजगार उपलब्ध कराना है। केवल प्रशिक्षण दिया जाना ही कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है।

उद्देश्य
Objects

जैसा कि अभी बताया गया है कि ट्राईसम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवकों को तकनीकी योग्यता प्रदान करना है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। ये रोजगार कृषि और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों, उद्योगों, सेवाओं अथवा व्यापारिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस योजना में 18 से 35 वर्ष के मध्य के ग्रामीण युवकों को लिया जाता है। कार्पेट बुनने की गतिविधियों में यह आयु 14 से 35 वर्ष तक रखी गई है। इस योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत प्रशिक्षित युवक अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्बन्धित होने चाहिए। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं का एक-तिहाई भाग महिलाओं का होना चाहिए। ट्राईसम के उद्देश्यों को मजदूरी रोजगार तक विस्तृत कर दिया गया है। मजदूरी रोजगार की

1 Draft Ninth Five Year Plan, 1997-2002, Govt. of Rajasthan

परियोजनाओं को राज्य स्तरीय समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। इस योजना मे चयनित युवकों को एक अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थी को अनुदान और सस्थागत साख समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

चयन
Selection

ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के चयन के मापदण्डो मे वे युवा ही चयन के पात्र होते हैं जो समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारो के सदस्य हैं। सामान्यत 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओ का चयन किया जाता है। इस आयु मे गलीचा बुनाई डायमण्ड कटिंग एव पॉलिशिंग के लिए आयु सीमा 14 से 35 वर्ष रखी गई है। विधवाओं बधक श्रमिको विस्थापितो उपचारित कोढ के बीमारों के लिए आयु की ऊपरी सीमा 45 वर्ष तक है। अनाथो के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष है। चयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम विकास अधिकारी क्षेत्र के ग्राम सेवकों अथवा ग्रुप सचिवो को जिले क विभिन्न प्रशिक्षण सस्थानों म कौन कौनसे व्यवसाया में प्रशिक्षण चल रहे हैं इस बात की जानकारी दी जाती है। इसके पश्चात् ग्राम सेवक अथवा ग्रुप सचिवो के माध्यम से प्रशिक्षण के इच्छुक युवाओं के प्रार्थना पत्र विकास अधिकारियो द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तदुपरान्त निर्दिष्ट मापदण्डो के अनुसार पात्रता की जाच की जाती है। इसके बाद एक प्राथमिक सूची ब्लॉक स्तरीय समिति के विचारार्थ रखी जाती है। ब्लॉक स्तरीय ट्राईसम कमेटी में पचायत समिति का प्रधान अध्यक्ष तथा विकास अधिकारी सदस्य सचिव होता है। इसके अतिरिक्त लीड बैंक अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत बैंक का प्रतिनिधि औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान का प्रतिनिधि जिला उद्योग केन्द्र का प्रतिनिधि पचायत समिति म कार्यरत उद्योग प्रसार अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रतिनिधि तथा जिला नियोजन अधिकारी इस समिति के सदस्य होते हैं। प्राथमिक सूची म जिन युवाओं के नाम हाते हैं उन्हें साक्षात्कार हेतु इस समिति के समक्ष बुलाया जाता है। प्रशिक्षण के योग्य युवाओ का चयन तथा किस व्यवसाय अथवा किस प्रशिक्षण सस्थान में किस किस युवा को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना है इसका निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है। व्यवसाय के निर्धारण में क्षेत्र की आवश्यकता युवा की अभिरुचि प्रशिक्षण सस्थान म स्थान की उपलब्धता और प्रशिक्षण के पश्चात् स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार की सुनिश्चितता का ध्यान समिति द्वारा रखा जाता है। समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् योग्य अभ्यर्थियो की अतिम सूची बनाई जाती है।

प्रशिक्षण सस्थाओ मे प्रशिक्षणार्थी
Trainees in Training Institutions

1 अप्रैल 1990 के पूर्व मास्टर क्राफट्स मैन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना बद कर दिया गया है। इस कारण अब चयनित युवाओ को राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त सस्थाओ से ही प्रशिक्षण दिलाया जाता है। एक व्यवसाय मे 15 से 20 युवाओ को प्रशिक्षण दिलाया जाता है। जिला राज्य या राज्य के बाहर के प्रशिक्षण सस्थान मे कौन कौनसे व्यवसाय मे प्रशिक्षण सत्र कब कब से आरम्भ हो रहे हैं इस बात की जानकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पचायत समितियो को दी जाती है। प्रशिक्षण हेतु भेजे गए प्रशिक्षणार्थियो का विवरण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एव पचायत समिति स्तर पर रखे जाने वाले रजिस्टरो में किया जाता है। ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्यत प्रशिक्षण अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती। यदि यह अवधि 6 माह से अधिक होना आवश्यक हो तो इसकी स्वीकृति राज्य स्तरीय समन्वय समिति से ली जानी आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न व्यवसायो के लिए प्रशिक्षण अवधि अधिकतम 6 माह तक का निर्धारण ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अभिकरण स्तर पर किया जाता है। काष्ठ सिल्क व्यवसाय की प्रशिक्षण अवधि 9 माह की निर्धारित की जाती है।

प्रशिक्षण हेतु देय वृतिका एव मानदेय
Stipend in Training

यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियो के गाव मे ही दिया जाना है तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रति माह 100 रुपये दिए जाते हैं। यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियो के गाव के अलावा अन्य स्थान पर दिया जाता है और मुफ्त आवास की व्यवस्था की जाती है तो प्रतिमाह 200 रुपये दिए जाते हैं। यदि प्रशिक्षण अवधि एक माह से कम हो तो 8 रुपये दैनिक या अधिक से अधिक 125 रुपये तक देय होते हैं। यदि प्रशिक्षणार्थियो को गाव के अलावा अन्य स्थानों मे प्रशिक्षण दिया जाता है और मुफ्त आवास की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो प्रतिमाह 250 रुपये दिए जाते हैं। यदि प्रशिक्षण की अवधि ऐसी स्थिति में एक माह से कम हो तो 9 रुपये दैनिक या अधिकतम 125 रुपये तक देय होते हैं।

प्रशिक्षण अवधि के लिए प्रशिक्षण देने वाली सस्था

को प्रशिक्षण देने हेतु मानदेय के रूप मे 75 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी, प्रति माह की दर से देय होते हैं। इसके अतिरिक्त कच्चा माल, बिजली, पानी, भवन, किराया, कार्यालय व्यय आदि के लिए 50 रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रशिक्षण सस्थान को राशि दी जाती है। प्रशिक्षणार्थियो को प्रशिक्षण के मध्य अधिक से अधिक 500 रुपये की सीमा तक मुफ्त औजार किट दिया जाता है। यह किट प्रशिक्षार्थियो द्वारा कुछ निपुणता प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण मे रुचि दिखाने पर दिया जाता है। प्रशिक्षण देने हेतु अनुदेशक की तथा कच्चे माल आदि की व्यवस्था करने का दायित्व प्रशिक्षण सस्था का ही होता है।

टूल किट
Tool Kit

विभिन्न व्यवसायों के लिए 500 रुपये तक की सीमा का औजार किट प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। किस व्यवसाय हेतु औजार किट के अन्तर्गत क्या-क्या सामान दिया जाना है, इसका निर्धारण ट्राईसम कार्यक्रम हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। उक्त सामान की अनुमानित कीमत के आधार पर, प्रत्येक व्यवसाय के लिए औजार किट के राशि, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। कुछ व्यवसायों के लिए औजार किट की आवश्यकता नहीं होती। वहा औजार किट नहीं दिए जाते। औजार किट प्रशिक्षण सस्था द्वारा क्रय किए जाते हैं। इस हेतु राशि अभिकरण द्वारा प्रदान की जाती है। क्रय करते समय सस्था के समिति में एक सदस्य अभिकरण या पचायत समिति का अधिकारी होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियो को औजार किट का वितरण अधिकारियों या कम से कम एक अधिकारी की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण
Implementation & Supervision

जिला ग्रामीर्ण विकास अभिकरण द्वारा सस्था को सीधे ही अथवा पचायत समिति के माध्यम से प्रशिक्षण आरम्भ होने से पूर्व के उपस्थिति पत्रक उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस उपस्थिति पत्रक में प्रशिक्षणार्थियो की उपस्थिति नियमित रूप से अकित की जाती है। इस उपस्थिति पत्रक के आधार पर ही भुगतान किया जाता है। यदि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण मे अवकाश के दिनो के अतिरिक्त अनुपस्थित रहते हैं तो अनुपस्थित दिनों की वृत्तिका ■ रुपये प्रतिदिन की दर से काट ली जाती है। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी माह में 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसे उस माह की वृतिका नहीं दी जाती है। अवकाश के दिनों के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियो मे प्रशिक्षणार्थियो को एक माह मे अधिकतम दो आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं। ऐसे अवकाशो पर भुगतान भी किया जाता है।

मजदूरी रोजगार हेतु प्रशिक्षण
Training for Wage Employment

मजदूरी रोजगार के लिए भी ट्राईसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है लेकिन इसे सीमित रखा गया है। ट्राईसम योजना के अन्तर्गत कुल लाभार्थियो मे से 50 प्रतिशत से कम को, केवल द्वितीय एव तृतीय कार्यकलापो मे ही मजदूरी रोजगार दिलाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मजदूरी रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि पहले उन औद्योगिक इकाइयो या परियोजनाओ का पता लगाया जाए जहा मजदूरी रोजगार उपलब्ध होना सुनिश्चित है। इसके पश्चात ही औद्योगिक इकाइयों या परियोजनाओ की माग के अनुसार व्यवसाय मे प्रशिक्षण दिलाया जाता है। बिना औद्योगिक इकाइयों अथवा परियोजनाओ से जुडे जो युवा प्रशिक्षण के पश्चात् स्वय के स्तर पर मजदूरी रोजगार प्राप्त करते हैं, उन्हे रोजगार से लाभान्वित नहीं माना जाता है। इस कारण जहा पहले से ही मजदूरी रोजगार मिलना सुनिश्चित होता है, तभी मजदूरी रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है अन्यथा नहीं।

अन्य बाते (Other Things)

सामान्यत एक परिवार के एक सदस्य को ट्राईसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि परिवार के एक सदस्य को इस योजना मे लाभान्वित करने के बाद भी वह परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रहता है तो एक और सदस्य को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार द्वारा लाभान्वित किया जा सकता है। इस योजना मे प्रशिक्षण समाप्त करने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण सस्था द्वारा प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। किन्तु ये प्रमाण-पत्र आवश्यकतानुसार अभिकरण द्वारा छपवाए जाते हैं। ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तगत प्रशिक्षण सस्थाओ द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण एव अवलोकन समय-समय पर पचायत समिति अथवा अभिकरण अथवा एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियो द्वारा किया जाता है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण के दौरान ही ऋण आवेदन पत्र तैयार करा लिए जाते हैं तथा सम्बन्धित बैंकों से ऋण स्वीकृति की कार्यवाही पूरी करा दी जाती है। ताकि प्रशिक्षण पूरा होने के तुरन्त पश्चात् प्रशिक्षणार्थी को स्वरोजगार हेतु ऋण मिल सके तथा वह अपना कार्य आरम्भ कर सके। ऋण

आवेदन पत्र तैयार करवाने व ऋण वितरण कराने का दायित्व अभिकरण व पचायत समिति के अधिकारियो का होता है। योजना के अन्तर्गत ऋण व अनुदान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मापदण्डों के अनुसार ही देय होते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर पर जिन जिलो मे सहायक परियोजना अधिकारी (उद्योग)का पद है, वहा वही ट्राईसम कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी होते हैं। जहा यह पद नहीं है वहा अभिकरणों मे जिला आयोजना अधिकारी को ट्राईसम कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाता है। ये अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक के अधीन एव मार्गदर्शन मे कार्यों का निष्पादन एव दायित्वो का निर्वहन करते हैं।

प्रगति[1]

ट्राइसम योजना के अन्तर्गत, जो कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ही एक अग है, बेरोजगार ग्रामीण युवको को मजदूरी एव स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1997-98 में दिसम्बर 1997 तक 2397 युवकों को प्रशिक्षित किया गया तथा 3536 युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। 1988-99 मे ट्राइसम के अन्तर्गत लाभान्वितो की सख्या 10500 होने का अनुमान है।[2]

ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (ड्राकरा)
DEVELOPMENT OF WOMEN & CHILDREN IN RURAL AREAS

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने पर यह तथ्य सामने आया कि सहायता का प्रवाह महिलाओ की ओर लगभग नगण्य है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखने हुए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारो की दशा को सुधारने के लिए महिलाओं पर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया गया। इस कारण एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सहायक योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चो का विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय किया गया। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि महिलाओं की आय का परिवार के पोषाहार और शिक्षा की स्थिति में सुधार से सीधा सम्बन्ध है। इस कारण महिला की आय में वृद्धि होने से परिवार की स्थिति में सुधार होने के अधिक अवसर होते हैं। इस कारण महिलाओं को अधिक आय प्राप्त करने के अवसर देने का निर्णय लिया गया।

उद्देश्य
Objects

ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एव बाल विकास कार्यक्रम का प्रमुख ध्येय जिला स्तर पर महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उनकी आय बढाने वाले कार्यों के अवसर उत्पन्न करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य समूह वही है जो कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत है अर्थात् वे परिवार जिनकी वास्तविक आय 4,800 रुपये प्रति वर्ष से कम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्तियों को सहायता एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तरीके से एव उसी के बजट में से की जाती है। इस कार्यक्रम को 1982-83 मे भारत के 50 चुने हुए जिलो मे पायलेट परियोजना के रूप मे आरम्भ किया गया था। 31 मार्च, 1992 तक यह 241 जिलो में विस्तृत हो चुका था।

समूह का निर्माण
Formation of Group

इस कार्यक्रम में 15 से 20 ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाने की चेष्टा की जाती है जो कि पारस्परिक हित की क्रियाओं में सलग्न होती हैं। आरम्भ मे हो सकता है कि यह समूह की आय प्राप्त करने से सम्बन्धित क्रियाओं में न लगा हो किन्तु यह इसका एक आवश्यक तत्व है। ऐसे समूह के निर्माण में काफी समय लग सकता है। इस हेतु लोगों से सम्पर्क करना होता है। उन्हें इसका महत्व समझाना होता है। इस समूह का निर्माण ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भर होता है। ऐसे समूह को 15,000 रुपये की सहायता भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ के द्वारा बराबर-बराबर मात्रा में दी जाती है। केन्द्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है और शेष यूनिसेफ प्रदान करता है। इस धनराशि को एक कार्यशील कोष के रूप में कच्चा माल खरीदने और विपणन आदि में काम में लिया जा सकता है। समूह के सगठक को अधिकतम 50 रुपया प्रति माह एक वर्ष तक के लिए दिया जा सकता है। इसी प्रकार यह धनराशि आय प्राप्त करने के गतिविधियों के सरचनात्मक ढाचे को विकसित करने में प्रयुक्त की जा सकती है। इस राशि का उपयोग बच्चों की देखभाल से सम्बन्धित सुविधाओं पर एक बार किए जाने वाले व्यय के रूप में भी किया जा सकता है। 15,000 रुपये के अतिरिक्त समूह के सगठक को 200 रुपये प्रति वर्ष का यात्रा भत्ता दिया जाता है।

1 Economic Review 1997 98 Rajasthan • 2 Budget at a Glance 1998-99 Govt. of Raj

आय प्रदान करने वाली क्रियाएं
Income Generating Activities

सभी सम्भव्य आर्थिक गतिविधियों को इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत गतिविधियों को चिन्हित करने का कार्य समूह द्वारा किया जाता है और इस कार्य में ग्राम सेविका आदि उसकी सहायता कर सकते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आर्थिक क्रिया के पूर्व और उसके पश्चात् की गतिविधियों से सम्बन्धित तारतम्य उस क्षेत्र में उपलब्ध हो ताकि उन क्रियाओं को आरम्भ करने से पूर्व तथा आरम्भ करने के पश्चात् सभी प्रकार की संस्थागत सहायता और सहयोग मिल सके। भारत सरकार द्वारा प्रति ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ब्लॉक में प्रति ब्लॉक की दर से सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने की योजना है। यह केन्द्र अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त प्रशिक्षण व उत्पादन आदि में भी सहयोग करेगा। इसके अन्तर्गत ग्राम सेविका के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था होगी। इस प्रकार के सामुदायिक विकास केन्द्र को उपयुक्त तकनीकी के विकास हेतु भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के सामुदायिक केन्द्रों पर 1.90 लाख रुपये से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। पहाड़ी और काली कपास की मिट्टी वाले क्षेत्रों में यह धनराशि 2.30 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रशिक्षण
Training

इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया जाता है ताकि मानसिक दृष्टिकोण में तथा जागरूकता में परिवर्तन लाया जा सके और प्रेरणा प्राप्त हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम उन संस्थाओं या निकायों का उत्तरदायित्व है जो इस कार्यक्रम के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य सरकारें ऐसे व्यक्तियों की एक सूची बना सकती हैं जो एक निर्धारित समय एवं स्थान पर प्रशिक्षण दे सकें। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इस कार्यक्रम के प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी के स्तर तक के व्यक्ति साल में एक बार अवश्य प्रशिक्षण प्राप्त करें।

कर्मचारी
Employees

राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के संचालन का उत्तरदायित्व उप सचिव स्तर के एक अधिकारी के पास होता है जो यदि महिला हो तो अधिक उपयुक्त रहेगा। जिला स्तर पर एक महिला अधिकारी को सहायक परियोजना अधिकारी, महिला विकास नियुक्त किया जा सकता है जो कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी की सहायता कर सके और कार्यक्रम के क्रियान्वयन को निकट से देख व समझ सके। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्य, फिल्म आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि मांगने पर वह धनराशि यूनिसेफ द्वारा प्रदान की जाती है।

वित्त
Finance

यदि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बना समूह सोसायटीज एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड है तो यह आर्थिक क्रियाओं के लिए बैंक से एक समूह के रूप में ऋण प्राप्त कर सकता है। व्यक्तिगत महिला सदस्य समूह, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यदि समूह अनौपचारिक है और यह बैंक से एक समूह के रूप में ऋण लेने की स्थिति में नहीं है तो एक सामूहिक ऋण को व्यक्तिगत ऋण एवं अनुदान में बदला जा सकता है। ऐसी स्थिति में समूह को ऋण की समस्त राशि को गारंटी देनी होगी। आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों, बच्चों से सम्बन्धित सुविधाओं आदि के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ समान अनुपात में धनराशि प्रदान करते हैं। केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में भारत सरकार और यूनिसेफ के वित्त प्रदान करने का अनुपात 2:1 का होता है। समूह के संगठक को जो यात्रा भत्ता दिया जाता है वह भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आधा-आधा प्रदान किया जाता है। केन्द्र शासित प्रदेशों में यात्रा भत्ते की समस्त राशि केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्तरों पर कार्य करने वाले कर्मचारी की लागत हेतु यूनिसेफ कोष उपलब्ध होता है। बहुउद्देशीय केन्द्रों के उपकरण एवं अन्य पूर्ति के लिए पचास हजार रुपये प्रति केन्द्र तक की राशि यूनिसेफ प्रदान करता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण वर्कशॉप और सेमीनार आदि के लिए यूनिसेफ के कोष उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिस प्रशिक्षण या योग्यता की आवश्यकता है उसे ट्राइसम द्वारा उपलब्ध कराने की चेष्टा की जाती है। इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण की अवधि और प्रशिक्षण देने वालों से, प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान की दरें, ट्राईसम योजना के मानदण्डों के अनुसार ही होती हैं।

नियंत्रण एवं मूल्यांकन
Monitoring & Evalution

इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहायक सेवाओं के लिए सरकार के अन्य कार्यक्रमों का भी

सहयोग लिया जा सकता है जो कि दूसरे सगठनो और दूसरे विभागों द्वारा चलाए जा रहे हैं जैसे प्रौढ शिक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रम, बालवाडी, बच्चो का टीकाकरण आदि। इस हेतु प्रशासकीय अधिकारियो का परस्पर सम्पर्क मे रहना होगा। इस ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एव बाल विकास कार्यक्रम का परस्पर सहयोग से मूल्याकन करने के लिए ग्राम सेविका, मुख्य सेविका और समूह के सदस्यो का सहयोग लिया जाना आवश्यक है। अर्द्ध वार्षिक अवधि मे यह कार्य किया जा सकता है। इससे यह ज्ञात हो सकता है कि वे अपने लक्ष्यो को कहा तक प्राप्त कर सके हैं और उनके समक्ष कौनसी समस्याए आ रही हैं। इन सब का लेखा-जोखा ग्राम सेविका द्वारा रखा जाना चाहिए जिसे समय समय पर उच्चाधिकारियो द्वारा देखा जाना चाहिए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और राज्य सरकारे तथा केन्द्र शासित प्रदेशो को भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को इस कार्यक्रम पर व्यय से सम्बन्धित विवरण भेजा जाता है।

1997-98 मे दिसम्बर 1997 तक द्वाकरा योजना के अन्तर्गत 51 महिला समूहो का गठन किया गया।[1]

अपना गांव-अपना काम ' योजना
'APNA GAON-APNA KAM' YOJNA

परिचय
Introduction

राजस्थान सरकार ने इस योजना का शुभारम्भ 1 जनवरी 1991 से किया है। विशिष्ट योजना सगठन व एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग इस योजना का प्रशासनिक विभाग है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य करवाते हैं। राज्य के ग्रामो मे बसे गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊचा उठाने और उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 'अपना गाव-अपना काम' योजना आरम्भ की है।

अभी तक ग्रामीण क्षेत्रो मे सामुदायिक सुविधाओ के निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यों के रूप मे जवाहर रोजगार या अन्य विभागीय योजनाओ के अन्तर्गत होते रहे हैं। वित्तीय साधनों की कमी के कारण गावो में सामुदायिक सुविधाओ के निर्माण कार्य तेजी से नहीं हो पा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए यह अनुभव किया गया कि सरकारी प्रयासो के साथ-साथ ग्रामीण जनता को भी विकास कार्य मे सहभागी बनाया जाए। यह तभी सम्भव है जबकि जनता की इच्छा से विकास की प्राथमिकताओ का चयन हो तथा उसके द्वारा भी विकास कार्यों में आर्थिक योगदान दिया जाए। पूर्व अनुभवों से भी यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण जनता के योगदान से कई स्थानों पर स्थानीय जनता द्वारा धनराशि एकत्रित कर विद्यालयो, औषधालयो, पचायत घरो, पुलियाओ, नालियो, वाचनालयो के भवनों, पेयजल कूपो, खेलियो, आदि का निर्माण किया गया। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने जनसहयोग की इस योजना को आरम्भ किया।

कार्यक्रम
Programme

राज्य सरकार की इस योजना के अन्तर्गत जनसमुदाय की सहायता से किए जाने वाले कार्यों से बेरोजगारी की समस्या का कुछ हल निकलेगा तथा नियोजन के नये अवसर उपलब्ध होगे। इस योजना मे जलसमुदाय की सुविधा के लिए सडक निर्माण शाला भवन निर्माण, औषधालय, पुलिया, पक्की नालियो का निर्माण, बालबाडी भवन, आगनबाडी भवन का निर्माण, महिला मडल भवन, पचायत भवन वाचनालय भवन, सामुदायिक केन्द्र भवन, पीने के पानी के कुए, टकी, खेली, गाव का तालाब, एनीकट सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास, शौचालय, बस स्टैण्ड आदि निर्माण कार्यों के लिए तत्परता से सरकार द्वारा वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। कार्य के चयन मे उन गावो को प्राथमिकता दी जाती है जहा पहले राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अथवा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई निर्माण नहीं हुआ हो तथा सम्बन्धित ग्रामवासी अपने स्तर पर निर्धारित राशि का योगदान उपलब्ध कराने को तैयार हो।

माध्यम
Medium

इस योजना के निर्माण कार्यों के लिए 30 प्रतिशत राशि स्थानीय समुदाय, ग्रामीण पचायत या पचायत समिति उपलब्ध कराएगी तथा शेष 70 प्रतिशत राशि राज्य सरकार सम्बन्धित ग्राम पचायत समिति को उपलब्ध कराएगी। ग्राम पचायत या पचायत समिति तथा सरकार द्वारा उपलब्ध राशि का समुचित उपयोग हो, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक चयनित कार्य ग्राम पचायत द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा। यदि पचायत समिति स्वय किसी कार्य को कराना चाहे और उसके लिए निर्धारित योगदान राशि उपलब्ध कराए तो पचायत समिति को भी चयनित करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

योजनान्तर्गत यह भी प्रावधान रखा गया है कि यदि ग्राम पचायत प्रस्ताव करती है कि उसके द्वारा पारित प्रस्ताव

1 Economic Review Rajasthan 1997 98

को मनोनीत 5 सदस्यो की भवन निर्माण समिति द्वारा करवाया जाए तो निर्माण कार्य इस प्रकार गठित पाच सदस्यीय भवन निर्माण समिति से भी करवाया जा सकेगा। भवन निर्माण समिति को व्यय का लेखा-जोखा पचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राजकीय वित्तीय अनुदान की राशि पचायत के माध्यम से भवन निर्माण समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।

योजनान्तर्गत प्रावधानुसार सर्वप्रथम ग्राम पचायत द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अपने हिस्से को 10 प्रतिशत योगदान राशि जमा करानी होगी और लिखित में देना होगा कि शेष 20 प्रतिशत राशि उसके द्वारा सामग्री या नकद द्वितीय या तृतीय किस्त लेने से पूर्व जमा करा दी जाएगी। सामुदायिक निर्माण मे व्यय होने वाली कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मे जमा होने पर ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्य के लिए स्वीकृति जारी करेगा और ग्राम पचायत द्वारा निक्षेपित 10 प्रतिशत राशि सहित कुल लागत की 30 प्रतिशत राशि स्वीकृति के साथ ही कार्य सम्पन्न करने वाली ग्राम पचायत या पचायत समिति को सुलभ करा दी जाएगी। द्वितीय व तृतीय किस्त लेने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पचायत या पचायत समिति को 10 प्रतिशत राशि दो किस्तो मे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मे जमा करानी होगी और उसी के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल लागत की 30 प्रतिशत राशि द्वितीय एव तृतीय किस्त के रूप मे उन्हे उपलब्ध कराएगा तथा शेष 10 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य की समाप्ति पर उपयोगिता पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि कोई धर्मार्थ ट्रस्ट या पजीकृत समिति किसी निर्माण कार्य को कराना चाहे तो 30 प्रतिशत वाछित राशि का योगदान उसे देना होगा। ऐसी सस्था या ट्रस्ट को निर्माण की लागत पुनर्भरण के आधार पर जैसे-जैसे काम सम्पादित होगा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी पजीकृत समिति या धर्मार्थ ट्रस्ट को नियमानुसार कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि स्वीकृति कार्य के पूर्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मे जमा करानी होगी। अन्तिम किस्त को अनुदान राशि देते समय सस्था द्वारा जमा कराई गई 10 प्रतिशत राशि लौटा दी जाएगी। किसी भी स्थिति में धर्मार्थ ट्रस्ट या पजीकृत समिति को रकम अग्रिम रूप से नहीं दी जाएगी। उसे राज्य के हिस्से की राशि उसके द्वारा सम्पादित किए जाने वाले काय के आधार पर 3 किस्तो मे दी जाएगी।

स्वीकृति
Acceptance

कार्य की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दी जाएगी। यदि किसी कारण से 15 दिन की अवधि मे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण वाछित कार्य की स्वीकृति जारी नहीं कर पाता है तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर निजी तौर पर सतुष्ट होकर ग्रामीण विकास अभिकरण, ग्राम पचायत, पचायत समिति, धर्मार्थ ट्रस्ट, पजीकृत समिति अथवा सगठन को सीधे ही कार्य की स्वीकृति जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

प्रगति[1]

ग्रामीण क्षेत्रो मे जनोपयोगी सम्पदा के निर्माण के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के सृजन हेतु एक जनवरी, 1991 से 'अपना गाव अपना काम योजना' लागू की गई थी। वर्ष 1997-98 के दौरान दिसम्बर, 1997 तक 1350 आधारभूत जनोपयोगी कार्य पूर्ण किए गए। इनके अतिरिक्त 2728 कार्य प्रगति पर थे।

जवाहर रोजगार योजना
JAWAHAR ROZGAR YOJNA

भारत मे रोजगार से सम्बन्धित दो कार्यक्रम क्रमश: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कायक्रम (RLEGP) पूर्व में ही चल रहे थे। इन दोनो कार्यक्रमों को समाप्त करके भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1989 से जवाहर रोजगार योजना आरम्भ की। इस योजना के मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषो और महिलाओ को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियो को रोजगार उपलब्ध कराने मे प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इस कायक्रम के अन्तर्गत कुल आवटित धनराशि का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

उद्देश्य
Objects

जवाहर रोजगार योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एव महिलाओं दोनो के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है।

(2) कार्यक्रम मे रोजगार जुटाने के साथ-साथ ऐसी परिसम्पत्तिया बनाने की चेष्टा की जाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो के जीवन स्तर म सुधार लाए और उससे निर्धन लोगो को लाभ हो।

[1] Economic Review 1997 98 Rajasthan.

(3) योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के लोगो जो रोजगार चाहते हैं, प्राथमिकता दी जाती है। योजना मे रोजगार देते समय अनुसूचित जाति एव जनजाति के लोगों को पहले अवसर दिए जाने की चेष्टा की जाती है। यह चेष्टा होती है कि योजना मे जो रोजगार उपलब्ध कराया जाए उसमें 100 मे से कम से कम 30 महिलाए होनी चाहिए।

(4) योजना के अन्तर्गत जब भी आवश्यकता हो उस समय लोगो को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। इस कारण योजना के अन्तर्गत कभी भी काम शुरू किए जा सकते हैं लेकिन उन दिनो मे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है जब खेतो मे काम कम होता है। ये कार्य खेती के दिनो के पश्चात् पुन जारी रखे जा सकते हैं।

योजना में किए जाने वाले कार्य
Works in the Plan

इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पचायत, किसी भी ऐसे काम को चुन सकती है जो ग्राम सभा से सलाह करके निर्धारित किया गया हो और गाव के हित मे हो। सामान्यत ऐसे कार्य पहले आरम्भ किए जाते हैं जिससे टिकाऊ आर्थिक स्वरूप की उत्पादक परिसम्पत्तिया बन सकें। इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों मे निम्न कार्य प्रमुख हैं

(1) भूमि विकास (Land Development) इसके अन्तर्गत ऐसे छोटे तथा सीमान्त कृषक, जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं और जिनके नाम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रजिस्टर मे दर्ज हैं, उनकी अपनी भूमि का विकास जवाहर रोजगार योजना की धनराशि से किया जा सकता है। भूमि विकास के कार्यों मे भूमि को समतल करना, जल निकासी हेतु नालो का निर्माण करना, खेत की नालिया बनाना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। भूमि विकास पर किए जाने वाले व्यय, जिसमें भूमि सुधार की लागत (जैसे जिप्सम और सिचाई के साधन आदि) जवाहर रोजगार योजना की धनराशि में से दी जा सकेगी बशर्ते भूमि विकास के खर्चे का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा अकुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के रूप में दिया जाए। भूमि विकास पर यदि सामान का खर्च 60 प्रतिशत से ज्यादा है तो इसके लिए अन्य साधनों से पैसा जुटाया जा सकता है। भूमि विकास परियोजना में बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइया, जैसी मदों पर बार-बार आने वाली लागत पर व्यय की अनुमति नहीं दी जाती चाहे यह उस परियोजना का हिस्सा ही क्यो न हो। जवाहर रोजगार योजना मे केवल वही भूखण्ड आने चाहिए जिनमे कम से कम 10 किसान हों या कम से कम 50 प्रतिशत भूमि-धारक छोटे तथा सीमान्त कृषक हों या कम से कम 25 प्रतिशत भूमि छोटे तथा सीमान्त कृषको से हो। इस प्रकार ऐसी कोई भी परियोजना भूमि विकास परियोजना कही जा सकती है जिससे जल विभाजक अथवा आवश्यकता वाले क्षेत्रो में भूमि के उपजाऊपन मे वृद्धि हो। छोटे तथा सीमान्त कृषकों से भूमि विकास की लागत वसूल नहीं की जाती। ग्राम पचायत बडे किसानो से उस दर पर वसूली करती है जो राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है।

(2) सामाजिक वानिकी (Social Forestry) इस योजना के अन्तर्गत वानिकी के केवल वही कार्य हाथ मे लिए जाते हैं जिनसे ग्रामीण लोगो और खास तौर पर गाव के निर्धन लोगो को लाभ मिले। भूमि तथा जल सरक्षण उपायो में ऐसे कार्य जिनसे पौधों की सुरक्षा हो सके, सामाजिक वानिकी के कार्य माने जाते हैं। जवाहर रोजगार योजना में सामाजिक वानिकी कार्य सरकारी और सामुदायिक भूमि, सडकों, नहरों तथा रेलवे लाइनों के दोनों ओर किए जा सकते हैं बशर्ते कि अच्छी सामुदायिक भूमि उपलब्ध न हो तथा गाव के लोगो को उन पेडो के लाभ उठाने का अधिकार हो। ग्राम पचायतें क्षेत्र विशेष की आवश्यकता तथा भौगोलिक स्थिति एव जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए पौधों का चुनाव करती है। ईंधन-चारा, छोटी इमारती लकडी के तेजी से बढने वाले पौधे तथा दूसरे पेडो की तुलना मे स्थानीय किस्म के फलो के पेडो को प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक वानिकी मे, पौधा लगाने से तीन वर्ष की अवधि तक सामुदायिक भूमि पर और सामुदायिक लाभ के लिए लगाए गए वृक्षों के रख-रखाव की लागत का जवाहर रोजगार योजना के पैसे से पूरा किया जा सकता है।

(3) फार्म वानिकी (Farm Forestry) फार्म वानिकी के कार्य केवल उन ग्रामीण निर्धनों की भूमि पर ही किए जा सकते हैं जिनके नाम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सर्वे रजिस्टर मे लिखे हुए हों। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग, मुक्त बधुआ मजदूर तथा अधिकतम सीमा से अतिरिक्त भूमि, भूदान की भूमि, बजर भूमि, सरकारी भूमि के वे सभी भू-स्वामी सम्मिलित हैं जिनकी भूमि जाति छोटे किसानो से अधिक न हों तथा उस भूमि पर जिसके लिए वृक्ष-पट्टा दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार निम्नलिखित श्रेणियों के सभी चुने हुए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगो को लाभ पहुचाने के कार्य किए जा सकते हैं•

–अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग

–मुक्त बन्धुआ मजदूर

–अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, भूदान भूमि, बजर भूमि, सरकारी भूमि के सभी आवटियों को चाहे वे अनुसूचित जाति या जनजाति के हों अथवा न हों।

फार्म वानिकी के अन्तर्गत बुनियादी चीजों को

सुविधाओ के विकास के साथ साथ अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए मकान बनाना उन्हें दी गई भूमि पर विकास निजी भूमि पर इधन की लकडा तथा चारा उगाने जैसे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम लघु सिचाई कुए तथा सामुदायिक कुए पाने के पानी के कुए आदि कार्य भी सम्मिलित हैं।

(4) इन्दिरा आवास योजना (Indra Housing Plan) इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरो को आवास उपलब्ध कराए जाए जो गरीबा की रेखा से नीचे निवास कर रहे हैं। इन्दिरा आवास योजना का उद्देश्य इन वर्गों के सदस्यो को नि शुल्क मकान देना है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान के निमाण पर 8000 रुपये स्वच्छ शौचालय और धुआ रहित चूल्हे के निर्माण पर 1400 रुपये और आधारभूत ढाचा तथा सामान्य सुविधाए उपलब्ध कराने की लागत 3300 रुपये तक हो सकती है। पहाडों जैसे दुर्गम क्षेत्रों मे मकानो के निर्माण की लागत 8000 रुपये के स्थान पर 9800 रुपये तक हो सकती है। इन्दिरा आवास योजना में मकानो का कोई डिजाइन निर्धारित नहीं किया है। किन्तु यह निधारित किया गया है कि इन्दिरा आवास योजना मे मकानो का कुर्सी क्षेत्र 17 20 वर्ग मीटर होना चाहिए। मकान का डिजाइन जलवायु की परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए बनाया जा सकता है। बने हुए मकानों के डिजाइन में लोगों की सहमति से सुधार किए जा सकते है। मकानों मे रसोई धुआ रहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालय होने चाहिए। इन्दिरा आवास योजना में जहा तक सम्भव हो छोटी छोटी बसावटो अथवा समूहो म मकान बनाने की नीति अपनाई जाती है जिससे बस्तियो को सामुदायिक सुविधाए दी जा सकें। यदि भूमि के न मिल पाने अथवा लाभार्थियों के भूखण्ड पूरे गाव मे बिखरे होने अथवा किसी कारण से समूहों की नीति का पालन न हो पाए तो भी इस योजना के अन्तर्गत मकान बनाए जा सकते हैं।

(5) दस लाख कुआ की योजना (*Project of Ten Lakh Wells*) इस योजना को 1988 89 अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब छोटे तथा सीमान्त कृषको तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों को नि शुल्क खुले सिचाई कुए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। दस लाख कुओ का योजना के वित्त से केवल खुले कुए बनाए जा सकते हैं और ट्यूबवेल और बोर वाले कुए इस योजना में नहीं आते। जहा जमीन की बनावट के कारण कुए नहीं खोदे जा सकते हैं वहा इस योजना के अन्तर्गत दिया गया वित्त सिचाई तालाबों जल इकट्ठा करने के ढाचो जैसे लघु सिचाई कार्यो को अन्य योजनाओ पर व्यय किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति और मुक्त बन्धुआ मजदूरों को भूमि जिनमें अधिकतम सीमा से फालतू भूमि और भूदान की भूमि आदि सम्मिलित हैं के विकास की योजनाओ के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। इस धनराशि को अन्य योजनाओं अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और मुक्त बन्धुआ मजदूरो के अतिरिक्त अन्य वर्गों के कार्यों पर व्यय नहीं किया जा सकता। योजना का लाभ उठाने वालो म अनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे तथा सीमान्त कृषक व मुक्त बन्धुआ मजदूर होने हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और जिनके नाम गाव के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रजिस्टर में दर्ज हैं।

इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसर जुटाना है और उसके पश्चात् योजना के लाभार्थियो के लिए नि शुल्क खुले सिचाई कुए बनाना है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य/सघ शासित क्षेत्र को दी गई धनराशि म से 20 प्रतिशत धनराशि इस योजना के लिए रखा गई है जवाहर रोजगार योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्यों पर व्यय किए जाने के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत धनराशि को भी इस योजना के काम मे लाया जा सकता है। योजना मे बनाया गया प्रत्येक कुआ या सिचाई का साधन लाभार्थी के हित मे होना चाहिए और इसका ब्यौरा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना चाहिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लाभार्थियो को लघु सिचाई के लिए पहले ही सहायता प्राप्त हो चुकी है उन्हे इस कार्यक्रम मे सहायता नहीं दी जाती है। लाभार्थियों को स्वय अपने श्रम और स्थानीय श्रम से कुए खोदने को प्रेरित किया जाता है। जिसके लिए उन्हें मजदूरी भी दी जाती है। इस कार्य मे ठेकेदारो को सम्मिलित नहा किया जाता है। पानी कम निकलने के कारण अथवा घटिया किस्म के पानी के कारण अथवा कुओं की बनावट सम्बन्धी खराबी के कारण यदि कुआ असफल रहता है तो उसकी जानकारी डा आर डी ए या जिला परिषद् को दी जाती है और यदि यह एजेन्सिया इस निष्कर्ष पर पहुचती हैं कि कुआ असफल हो गया है तो कृषक द्वारा कुआ खोदन के लिए जो खर्च किया गया है उसका शत प्रतिशत मुआवजा दिया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्य टिकाऊ होने चाहिए और सरकार द्वारा निर्दिष्ट उचित तकनीकी मानकों के अनुसार होने चाहिए।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी Wages

इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पचायत द्वारा किसी वर्ष में किए गए व्यय का कम से कम 60 प्रतिशत भाग अकुशल मजदूरो की मजदूरी पर खर्च किया जाना चाहिए। अकुशल

मजदूरों के अतिरिक्त दूसरे मजदूरों को दी गई मजदूरी को मजदूरी के मद मे नहीं गिना जाता है उसे गैर मजदूरी (सामान) मद मे गिना जाता है। रोजगार की प्रत्येक श्रेणी के लिए वही मजदूरी दी जाती है जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई है। मजदूरी का कुछ भाग नकद और कुछ भाग अनाज के रूप मे दिया जा सकता है। अनाज के वितरण की दर 1 5 किलोग्राम प्रति मानव दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए। जवाहर रोजगार योजना मे श्रमिकों को जो 1 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है इसकी वितरण दर गेहूँ के लिए 2 09 रुपये साधारण चावल के लिए 2 64 रुपये अच्छी किस्म के चावल के लिए 3 24 रुपये और सबसे अच्छी किस्म के चावल के लिए 3 45 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। जवाहर रोजगार योजना मे मजदूरी मे अनाज का हिस्सा यथासभव काम के स्थान पर ही उपलब्ध कराया जाता है।

निर्माण कार्य की योजना और क्रियान्वयन
Planning & Implementation

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के कार्य हाथ मे लिए जाते हैं तथा उनका आकार लागत तथा स्वरूप ऐसा निर्धारित किया जाता है कि उनको स्थानीय स्तर पर पूर्ण किया जा सके और उनमे उच्च स्तर की तकनीकी की आवश्यकता न पडे। इसमे बडे और अधिक लागत वाले कार्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जिनमे बडी मात्रा मे कुशल मजदूर तथा सामग्री की आवश्यकता हो नये कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व ऐसे कार्यों को पूर्ण करने की चेष्टा की जाती है जो अधूरे पडे हो। इस योजना मे प्राय ऐसे कोई कार्य आरम्भ नहीं किए जाते जिनको दो वर्ष मे पूरा न किया जा सके। शुरू किए जाने वाले कार्यों पर ग्राम पचायत की बैठको मे गहराई से विचार विमर्श होता है तथा उसके आधार पर कार्य की योजना बनाई जाती है। योजना निर्मित करते समय गाव के कमजोर वर्ग के हितो का ध्यान मे रखा जाता है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओ तथा ग्रामीण समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लाभ के कार्यों को सबसे पहले आरम्भ किया जाता है। कार्यक्रम मे किए जाने वाले कार्यों के सदर्भ मे ग्राम सभा मे कम से कम दो बार कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। ग्राम सभा से ऊपर स्थित जिला परिषद् आदि द्वारा ग्रामीण कार्य योजना की तकनीकी जाच की जाती है। तकनीकी आधार पर सरल कार्यों को ग्राम पचायते स्वय आसानी से पूरा कर सकती हैं। तकनीकी स्टाफ की कमी तथा अन्य स्थिति मे ग्राम अधिकारियो को यह अनुमति होती है कि वे परियोजनाओ का तकनीकी मूल्याकन निजी व्यक्तियो से भी करा सके। ऐसे व्यक्तियो की नियुक्ति राज्य सरकार की निर्धारित शर्तों के अनुसार होती है। इस प्रकार ग्राम पचायते ग्राम स्तर पर योजनाए बनाने और उन्हे पूरा करने के लिए उत्तरदायी होती है। तकनीकी देख रेख का उत्तरदायित्व ब्लाक एजेन्सियो और जिला स्तर के निकायो पर होता है। इस कार्यक्रम मे किए जाने वाले कार्यों के निरीक्षण देख रेख तथा निगरानी के लिए ग्राम पचायते हर गाव के लिए एक समिति बनाती है। इस समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य रखा जाता है।

जवाहर रोजगार योजना से सम्बन्धित अन्य तथ्य
Other Facts

जवाहर रोजगार योजना की भौतिक तथा वित्तीय लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से होती है। यह कार्य राज्य सरकार के निर्देशो के अनुसार होता है। पचायत द्वारा इस कार्यक्रम मे बनाई गई परिसम्पत्तियो को राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागो को सौंप दिया जाता है और उनकी देख रेख उसी विभाग द्वारा की जाती है। ऐसी परिस्थिति मे जहा परिसम्पत्तियो की देख रेख का कार्य राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा नहीं किया जाता हो वहा पचायतों को उसकी देख रेख के लिए योजना मे से खर्च करने की अनुमति दी जाती है। योजना पर सामाजिक नियत्रण रखने के लिए ग्राम पचायत की बैठक हर माह एक निर्धारित दिन समय तथा स्थान पर होती है जिसमे योजना का मूल्याकन किया जाता है। इन बैठको मे गाव का कोई भी व्यक्ति आ सकता है और अपने विचार रख सकता है। ग्राम सभा मे भी जिसकी बैठक वर्ष मे कम से कम दो बार होनी चाहिए को भी जवाहर रोजगार योजना के कार्यों की प्रगति के बारे मे बताया जाता है। प्रत्येक ग्राम पचायत कार्यक्रम मे बनाई गई परिसम्पत्तियो का पूरा विवरण रखती है। ग्राम पचायते योजना के विस्तार अथवा परिसम्पत्तियो के टिकाऊपन के लिए एव गैर मजदूरी खर्च के लिए धन की आवश्यकता होने पर दान स्वीकार कर सकती है। ऐसे कार्यों मे ग्राम समुदाय से सहायता ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त बाजार समिति सहकारी समितियो गन्ना समितियो अथवा अन्य धर्मार्थ संस्थाओ व व्यक्तियो जैसे अन्य माध्यमो से मिलने वाली धनराशि को भी जवाहर रोजगार योजना के कार्यों मे सम्मिलित किया जा सकता है। ग्राम पचायते उन्हें दिए गए पैसे और उनके द्वारा चुने हुए कार्यों के बारे मे स्वय निर्णय लेती हैं। पचायतो द्वारा लिया गया निर्णय किसी वरिष्ठ प्राधिकारी के निर्देश पर बदला नहीं जाता। ग्राम पचायतो को नियमावली मे दी गई कार्य की स्वतत्रता मे भी किसी

अधिकारी का हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। योजना में श्रमिकों के पीने के पानी, आराम करने के शैड और काम पर आने वाली महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए शिशु गृह जैसी सुविधाए देने की चेष्टा भी की जाती है। इन सुविधाओं पर किया जाने वाला व्यय योजना के गैर-मजदूरी मद मे से पूरा किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना मे चल रहे कार्यो मे पचायत क्षेत्र मे रहने वाले श्रमिको को पहले काम दिया जाता है। यदि उस गाव मे श्रमिक नहीं मिलते हैं तब साथ वाले दूसरे गावो के श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है। रोजगार मे अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन एव महिला श्रमिको को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पचायत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्षेत्र के प्रत्येक गाव मे एक प्रमुख दीवार चुनकर उस पर ग्रामवासियों के लिए वह सब बाते लिखवा दे जो गाव के निवासी जवाहर रोजगार योजना के बारे मे जानना चाहते हैं। इससे योजना को ठीक प्रकार से चलाने मे मदद तो मिलती ही है, ग्रामीणो के मन मे किसी प्रकार की कोई गलतफहमी भी उत्पन्न नहीं होती।

प्रगति[1]

जवाहर योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र मे बेरोजगार एव अर्द्ध-बेरोजगार पुरुष एव महिलाओं हेतु रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना है। वर्ष 1997-98 के दौरान माह दिसम्बर, 1997 तक 109 77 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया।

जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम
TRIBAL AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

जनजाति विकास के लिए भारतीय सविधान में विशेष प्रावधान रखा गया है। इसी सदर्भ मे पाचवीं पचवर्षीय योजना मे जनजातीय क्षेत्र एकीकृत विकास के लिए एक नवीन मापदण्ड अपनाया गया जिससे जनजातियों के जीवन स्तर म सुधार लाने के लिए और उनकी सास्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किए जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जन जाति क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। ये क्षेत्र निम्न प्रकार हैं

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र
(2) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)
(3) माडा कलस्टर योजना
(4) बिखरी हुई जनजाति जनसख्या
(5) सहरिया आदिम जाति क्षेत्र

जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए निम्न सस्थाए भी कार्यरत हैं

(1) जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी सघ
(2) माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एव प्रशिक्षण सस्थान
(3) स्वच्छ परियोजना (समन्वित नारू रोग उन्मूलन परियोजना)
(4) विभागीय प्रशासन

(अ) जनजाति उपयोजना क्षेत्र
Tribal Subplan Area

राज्य के दक्षिण-पूर्व मे स्थित पाच जिलों मे जनजातियों का सघन आवास है। इस क्षेत्र में कुल 4409 गावों का 19770 14 वर्ग कि मी क्षेत्र सम्मिलित है। 1981 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसख्या 27 57 लाख थी जिसमें जनजाति सख्या 18.30 लाख थी जो इस क्षेत्र की कुल जनसख्या का 66 39 प्रतिशत थी। उपयोजना क्षेत्र मे सम्मिलित पाच जिलो मे से इसमे बासवाडा व डूगरपुर सपूर्ण जिले सम्मिलित थे। उदयपुर की 6 पूर्ण तहसीलें व उसकी एक तहसील गिरवा के 91 गाव सम्मिलित थे। चित्तौडगढ जिले की अरनोद व प्रतापगढ तहसील इसके अतर्गत आती हैं। इसी प्रकार सिरोही जिले का आबू रोड खण्ड इस मे सम्मिलित है। इस प्रकार इस क्षेत्र में पाच जिलों की 19 तहसील व 23 पचायत समितिया सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र मे आवासित जनजातियो मे भील मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख हैं। यह योजना राजस्थान मे 1974 75 से क्रियान्वित की जा रही है।

कार्यक्रम (Programmes) जनजाति उपयोजना क्षेत्र म मुख्य रूप से निम्न कार्य किए जा रहे हैं -

(1) कृषि (Agriculture) कृषि विस्तार कार्यक्रम के अतिरिक्त राष्ट्रीय तिलहन एव दलहन योजनाओ मे नवीनतम तकनीकी एव प्रति यूनिट अधिक पैदावार बढाने के लिए इस कार्यक्रम पर व्यापक प्रदर्शनो का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के अतर्गत फल विकास सब्जी की उन्नत किस्म के बीजो का वितरण, बेर बडिंग, विभिन्न फसलों के प्रदर्शन, शुष्क खती प्रदर्शन, कल्चर वितरण आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आदिवासी कृषको के यहा फल विकास कार्यक्रम के अतर्गत फलदार पौधो के बगीचे लगाए गए। इस हेतु नि शुल्क पौधे वितरित किए गए तथा उन्नत बीज के पैकेट्स का वितरण किया गया।

(2) पशुपालन तथा दुग्ध विकास (Animal Husbandry)- इन कार्यक्रमो मे भेड विकास एव प्रजनन,

1 Economic Review 1997 98 Rajasthan.

जा रहा है। बासवाडा मे एक नर्स प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। आयुर्वेद पद्धति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कम्पाउडस प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर मे आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आयुर्वेद डिस्पेंसरियो के विस्तार का लक्ष्य है और समय समय पर आयुर्वेद कैम्पो का आयोजन किया जाता है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र मे गाव पेयजल की समस्या से ग्रसित थे। इन क्षेत्रों मे पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लोगो का नियोजन कार्यालयो मे पजीयन किया गया है। जनजाति उपयोजना के क्षेत्र मे कार्यरत विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रो में आदिवासियो को भर्ती कराने की चेष्टा का गई है। इस दृष्टिकोण से आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर पशु धन सहायक प्रशिक्षण केन्द व एक महिला नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र बासवाडा तथा उदयपुर (गढी) बासवाडा माउण्ट आबू व डूगरपुर म एस टा सी केन्द्र तथा बा एड प्रशिक्षण केन्द्र डबोक उदयपुर प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त उपयोजना क्षेत्र के पाचो जिलो मे छ आई टी आई केन्द्र भी कायरत हैं। इस क्षेत्र क छात्र एव छात्राओ को विभिन्न प्रकार का शैक्षणिक एव व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है तथा उन्हे नियोजन उपलब्ध कराने की चेष्टा की जाती है।

(12) वित्त आयोग (Finance Commission) आठव वित्त आयोग के अन्तगत 1985 86 मे 1988 89 तक की चार वर्षो की अवधि मे आधारभूत सुविधाए जुटाने इस क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों हतु गृह निर्माण आदि का चेष्टा की गई। आधारभूत सुविधाए जुटाने के लिए इस अवधि में स्वास्थ्य शिक्षा सचार एव अन्य कार्य करवाए गए। जनजाति उपयोजना क्षेत्र मे राजकीय कमचारियों को राजकीय आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास गृह निर्माण कराए जाने का प्रावधान किया गया। आवास गृह निर्माण कार्य को अकाल राहत कार्यों से जोडकर रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अतगत राज्य कर्मचारियो का क्षतिपूर्ति भत्ते का भी प्रावधान रखा गया।

1997-98 के कार्यक्रम जनजाति उपयोजना क्षेत्र

1997 98 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र का विकास करने के लिय निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं

1 1997 98 में जनजातियो के विकास पर 283 9 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इस राशि मे स जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना पर 38.6 करोड रुपये व्यय किये जायेंगे।

2 इस अवधि में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 14 नये आश्रम छात्रावासो का निर्माण किया जायेगा।

3 15 छात्रावासो की क्षमता को दुगुना किया जायेगा।

4 छात्रावासो मे छात्रों (कक्षा 11 मे 12) को पोशाक पुस्तके एव स्टेशनरी आदि पर प्रत्येक के लिये 1000 रुपये वार्षिक व्यय किये जायेगे। विज्ञान सकाय के छात्रा के लिये यह राशि 1200 रुपये होगी।

5 1997 98 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र मे 13 जनजाति बस्तियो का विद्युतीकरण 1456 कुआ को गहरा कराने 250 डाजल पम्प सेटो का वितरण 25 एनीकट और 30 जलोत्थान सिचाई योजनाओ के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

6 अनुसूचित जनजाति के होशियार छात्रो के लिये औद्योगिक व प्रबन्धशास्त्र म उच्च शिक्षा के लिये योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने पर प्रति छात्र 5000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

7 पहल परियोजना (डूगरपुर जिला) पर 8 9 करोड रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ब) परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा) कार्यक्रम

Modified Area Development Approach

इस योजना के अतगत 16 जिलो अलवर धौलपुर भीलवाडा बूदी चित्तौडगढ जयपुर झालावाड कोटा पाली सवाई माधोपुर सिरोही टोंक तथा उदयपुर आदि म 44 माडा खण्डो का गठन किया गया है। यह योजना 1978 79 स क्रियान्वित की जा रही है। इस क्षेत्र मे मीणा जनजाति का बाहुल्य है। माडा कार्यक्रमो हेतु नवीं योजना मे 30.50 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है

इस कायक्रम के लिए जो धनराशि उपलब्ध करवाइ जाती है वह सामान्य कायक्रमों के अतिरिक्त है। इस कायक्रम के अन्तगत व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के कार्यक्रम हाथ म लिए जाते ह। इस योजना का उद्देश्य माडा क्षेत्र म विद्यमान जनजाति परिवारो के आर्थिक स्तर को इसी क्षेत्र मे निवास करने वाले गैर जनजाति परिवारो क समकक्ष लाना ह। आदिवासियो के विकास के लिए अपनाई गई रणनीति म व्यक्ति से सम्बन्धित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना म निम्न कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जा रहा है

(1) शिक्षा (Education) शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए माडा योजना म उपयोजना के साथ साथ मुफ्त पोशाके पुस्तके व स्टेशनरी वितरण एव बुक बैंक कायक्रम चल रहा है। माडा क्षेत्र मे अब तक कुल 54 आश्रम स्कूल

1 2 Draft Ninth Five Year Plan, 1997 2002 Govt. of Rajasthan

या छात्रावास भी स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें से 30 पूरे भी हो चुके हैं। माडा क्षेत्र के जिन गांवों में प्राथमिक शालाओं के भवन नहीं थे उनमें प्राथमिक शाला भवन बनवाए गए हैं।

(2) पेयजल एवं सिंचाई (Drinking Water & Irrigation) माडा कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नए कुओं का निर्माण किया गया है। अनेक हैण्डपम्प इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जा चुके हैं। लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत 308 एनीकटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष अनेक स्थानों पर कार्य चल रहा है। जलोत्थान सिंचाई योजनाएं और सिंचाई कुओं को गहरा करने के भी प्रयास किए गए हैं।

(3) चिकित्सा (Medical) जनजाति के लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं। ये शिविर एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक दोनों प्रकार की चिकित्सा से सम्बन्धित हैं।

(4) फलदार पौधे (Fruit Trees) माडा योजना के अंतर्गत आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जनजाति के कृषकों को 25 पौधों की इकाई पर 5 रुपया प्रति जीवित पौधा तीन वर्ष तक अनुदान दिया जाता है। इन फलदार पौधों के माध्यम से ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकते हैं।

(5) सामुदायिक पम्प सैट (Community Pump Set) माडा योजना के अंतर्गत कृषकों के समूह को सिंचाई कार्य के लिए डीजल पम्प सैट दो वर्ष के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाता है। दो वर्ष बाद समूह द्वारा उसको सफलतापूर्वक चलाए जाने के पश्चात सदैव के लिए यह पम्प सैट उक्त समूह को दे दिया जाता है। इस कार्य के लिए योजना में अलग से व्यय का प्रावधान रखा गया है।

(6) व्यक्तिगत लाभ योजनाएं (Individual Benefit Schemes) माडा क्षेत्र में जनजाति व्यक्तियों की निर्धनता को दूर करने के लिए व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में पुराने कुओं को गहरा करना, सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाने के लिए हिस्सा पूंजी अनुदान आदि कार्यक्रमों में अनुदान किया जा रहा है। माडा क्षेत्र में ग्रामीण गृह निर्माण योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। इन क्षेत्रों में जो आदिवासी छोटी-छोटी परचूनी की दुकान लगाना चाहते हैं उन्हें 2000 रुपये तक का सामान दिलाने हेतु अनुदान देने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। जनजाति के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 10 मिनी आई टी आई अलग-अलग जिलों में स्थापित की गई है जिसके अंतर्गत 1200 युवकों को प्रतिवर्ष 6 माह की अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें स्वनियोजन के लिए प्रेरित किया जाता है।

(7) माडा कलस्टर (MADA Cluster) ऐसे कलस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति की है उनमें माडा कलस्टर योजना लागू की गई है।[1] राज्य के नौ जिलों में 11 माडा कलस्टर स्वीकृत हैं। नवीं योजना में कलस्टर कार्यक्रमों हेतु 1.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।[1]

(8) बिखरी जनजाति (Scattered Tribal Population) जनजाति उपयोजना माडा खण्डों एवं माडा कलस्टरों के अतिरिक्त जनजाति 30 जिलों में बिखरी हुई है।

(स) सहरिया आदिम जनजाति क्षेत्र
Sahariya-The Most Primitive Tribal Area

राज्य की एकमात्र आदिम जाति सहरिया है जो कोटा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित करके सहरिया वर्ग के विकास के लिए सहरिया विकास समिति का गठन किया गया। इस क्षेत्र की जनजाति संख्या सहरिया वर्ग को सम्मिलित करते हुए 1981 की जनगणना के अनुसार 40,000 है जो वहां की कुल जनसंख्या का 32.84 प्रतिशत है। सहरिया जनजाति की जनसंख्या 31,000 है जो परियोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 23.52 प्रतिशत है। सहरिया विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में योजना निर्माण, क्रियान्वयन, दिशा-निर्देश व समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए सहरिया विकास समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष कोटा के जिलाधीश हैं और क्षेत्र के विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, सहरिया जाति के प्रतिनिधि एवं अन्य सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य हैं। सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, वानिकी, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण गृह निर्माण, पेयजल, राजस्व रिकार्ड में सुधार कार्यक्रम, पुनर्वास सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता आदि सम्मिलित हैं। इस संदर्भ में कृषि प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सहरिया कृषकों को कृषि आदान हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई। एनीकट के निर्माण और जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। समूह डीजल पम्प सैट द्वारा कृषकों को लाभान्वित किया गया है। कृषि कुओं को गहरा कराया गया है। मुर्गीपालन को प्रोत्साहित किया गया है। आश्रम छात्रावास की व्यवस्था की गई है। सहरिया विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक वितरित की जाती है। समय-समय पर सहरिया रोगियों को लाभान्वित करने के लिए चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता

1 2 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002 Govt of Rajasthan

है। आवश्यकता पडने पर उन्हें गृह निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। गर्मी के मौसम में समस्याग्रस्त ग्रामों में डीप वैल हैण्डपम्प स्वीकृत किए गए। अनेक गावों मे राजस्व रिकार्ड में सुधार का कार्य पूरा किया जा चुका है। सहरिया विकास क्षेत्र पर 1997 से 2002 तक 5.62 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

(द) जनजाति क्षेत्र में रेशम कीटपालन कार्यक्रम

Sericulture

जनजाति क्षेत्र में लाभ के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं के साथ साथ रेशम कीटपालन कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जिसका महत्व निरन्तर बढ रहा है। क्षेत्र के आदिवासी कृषक जिनके पास भूमि है एव सिचाई के साधन भी सीमित हैं तो ऐसी स्थिति में उपलब्ध साधनों द्वारा पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती। ऐसे आदिवासी कृषक रेशम कीटपालन कार्यक्रम को अपनाकर अपने खाली समय में अतिरिक्त स्थाई आय प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण महिलाए जिनके पास काफी समय रहता है घर पर रहते हुए भी इस कार्यक्रम को अपना सकती हैं। राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर द्वारा कई वर्षों तक परीक्षण के बाद इस कृषि आधारित उद्योग के लिए उदयपुर बासवाडा डूगरपुर व चित्तौडगढ के जिलों की मिट्टी और जलवायु को उपयुक्त पाया गया और इन क्षेत्रो के यहा व्यापक रूप से आरम्भ करवाने की सिफारिश की। उपरोक्त सफल प्रशिक्षणो के आधार पर राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सयुक्त राष्ट्र महिला कल्याण कोष एव विशेष केन्द्रीय सहायता के आर्थिक सहयोग द्वारा रेशम कीटपालन कार्यक्रम को लघु अवधि 3 वर्षीय परियोजना के रूप में अगस्त 1983 मे आरम्भ किया था और इसका कार्यक्षेत्र उदयपुर जिले की गिर्वा एव झाडोल पचायत समितियो को रखा गया था। शहतूत की फसल रेशम के कीड़े को पालने के लिए आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियो का शहतूत की उन्नत किस्म उपलब्ध कराइ जाती है। उन्हें नर्सरी लगाने में सहयाग दिया जाता है। आदिवासियों को तकनीकी स्टाफ की देख रेख मे 10 12 दिन तक शिशु रेशम कीटपालन का व्यापारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

उसके पश्चात् कृषको को उनके खेतो में उपलब्ध शहतूत की पत्तियों के अनुसार इन शिशु कीटो का वितरण कर दिया जाता है। इनका पालन कर कृषक रेशम के कोये प्राप्त करते हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इनके रेशम के कोयों को उचित दर पर खरीद लेता है। कृषकों को स्वच्छ वातावरण मे रेशम कीटपालन करने के लिए व्यक्तिगत रेशम कीटपालन गृह बनाने हेतु 1500 रुपये का अनुदान भी विभाग द्वारा दिया जाता है। विभाग द्वारा सिसारमा में एक रीलिंग केन्द्र भी स्थापित किया गया है जो रेशम के कोये से धागा तैयार करता है। गिर्वा पचायत समिति में स्थापित यह केन्द्र गावों की प्रशिक्षित महिलाओ द्वारा धागा तैयार करवाता है। प्रत्येक महिला को उसके कार्य के आधार पर धागे का मूल्य दिया जाता है। रेशम कीटपालन के कार्य मे बास के उपकरणों का प्रयोग होता है। इनमें टूट फूट भी बहुत होती है। इनको बाजार से क्रय करने और ठीक करवाने में काफी धन व्यय होता है। इस कारण इस मामले में आदिवासी कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपकरण निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन्हीं लोगो की सहकारी समिति बनाकर इन उपकरणो का निर्माण करवाया जाता है और इसे विभाग क्रय कर लेता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक कृषक को शहतूत की खेती रेशम कीटपालन ककून (कोया) उत्पादन एव बास उपकरण निर्माण आदि कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण एक माह का अवधि का हाता है। प्रशिक्षण अवधि मे प्रत्येक कृषक को 200 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

(य) स्वच्छ परियोजना (समन्वित नारू रोग उन्मूलन परियोजना)

Clean Project

स्वच्छ परियोजना राजस्थान सरकार व यूनिसेफ का एक सम्मिलित प्रयास है। इस परियोजना हेतु स्वीडन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा आर्थिक सहायता यूनिसेफ के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना हेतु राजस्थान सरकार व यूनिसेफ के सहयोग से 30 करोड रुपया का प्रावधान रखा गया है। यह परियोजना उपयोजना क्षेत्र के 3 जिला उदयपुर बासवाडा और डूगरपुर में चल रही है। इस परियाजना का मुख्यालय उदयपुर में है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त इस परियोजना के समन्वयक हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के प्रभावित क्षेत्र डूगरपुर व बासवाडा जिलो के लिए 12 करोड रुपये की एक पचवर्षीय योजना 1986 से आरम्भ की गई। उदयपुर जिले को 18 करोड रुपये की परियोजना को भी परियोजना क्षेत्र मे 5 वर्ष की अवधि के लिए 1987 से सम्मिलित कर लिया गया। इस स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत भाग यूनिसेफ के माध्यम से स्वीडन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा एव शेष 40 प्रतिशत भाग राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य आदिवासी महिलाओ एव बालकों के स्तर में सुधार पेयजल के सभाधनो के विकास म सामुदायिक भागीदारी का विकास स्वच्छता

1 Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan

का नाम संशोधित कर वर्तमान में राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम रखा गया है। निगम द्वारा इस समय मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण के रूप में दो तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं।

जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति

संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य सरकार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों के उत्थान हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजाति क्षेत्र के विकास एवं जनजाति परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु आधारभूत रूपरेखा तय की गई थी। क्षेत्रीय आधार पर जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों का मूल आधारभूत रूपरेखाएं वर्ष 1974 75 में जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना बनाते समय निर्धारित की गई थी। जनजातियों में मुख्य रूप से भील मीणा गरासिया डामोर एवं कथोडी राजस्थान में निवास करते हैं। घोषित उपयोजना क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर एवं सिरोही की कुल 23 पंचायतें हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनजातियों की संख्या 54 75 लाख है जिसमें से 24 01 लाख व्यक्ति जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवास करते हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं अन्य विभागों द्वारा जनजातियों के विकास आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान से सम्बन्धित विभिन्न विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रमों हेतु नवीं पंचवर्षीय योजना (1997 2002) में 167 92 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वनपाल सिपाही कनिष्ठ लिपिक अध्यापक एवं वाहन चालक के पदों पर भर्ती हेतु 45% पदों का आरक्षण किया गया है। 'नारू उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले को पूर्ण रूप से नारू रोगमुक्त घोषित किया जा चुका है तथा यह आशा की जाती है कि डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले को भी इस रोग से शीघ्र मुक्ति मिल सकेगी।

मरु विकास कार्यक्रम

DESERT DEVELOPMENT PROGRAMME

पृष्ठभूमि व उद्देश्य

Background & Objects

राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 197 78 से आरम्भ किया गया। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर आरम्भ हुआ। 1979 80 में इस वित्तीय सहायता का आधार बदलकर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर की राशि देने का प्रावधान रखा गया। 1985 86 से केन्द्र सरकार द्वारा पुनः इस शत प्रतिशत सहायता दी जाने लगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थलीय क्षेत्र के पर्यावरण का सुधार तथा उपलब्ध संसाधनों का आर्थिक विकास के लिए अधिकतम उपयोग कराना तथा रोजगार के सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। यह कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान के 16 रेगिस्तानी जिले अजमेर जयपुर सिरोही राजसमंद उदयपुर जोधपुर जैसलमेर जालोर झुंझुनू बीकानेर बाड़मेर चुरू पाली सीकर नागौर तथा गंगानगर जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है।[1]

राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू भाग मरुस्थल है। संसार में ऐसा कोई दूसरा मरुस्थल नहीं है जहां राजस्थान के थार मरुस्थल जितनी संख्या में मनुष्य व पशु रहते हों। इस मरुस्थल के विकास को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना बनाई गई है। 1974 75 में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के नाम से राज्य के 9 जिलों में यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। ये 9 जिले थे–जोधपुर नागौर पाली जालौर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर चूरू व झुंझुनू। 1977 78 में इस क्षेत्र में विकास की गति को तीव्र करना आवश्यक समझा गया। अतः 1977 78 में मरु विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ जिसमें उपरोक्त 9 जिलों के अतिरिक्त गंगानगर व सीकर जिले को भी सम्मिलित कर लिया गया। यह कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

मरु जिलों पर व्यय

[आरम्भ (1974 75 से 1996 97 तक)]

(करोड़ रुपये में)

(अ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना		
(i) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	1974 75 से 1979 80	37.27
(ii) मरु विकास कार्यक्रम	1978 79 से 1979 80	17.31
(ब) छठी पंचवर्षीय योजना		
(i) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	1980 81 से 1981 82	15 97
(ii) मरु विकास कार्यक्रम	1980 81 से 1984 85	55.33
(स) सातवीं योजना		
मरु विकास कार्यक्रम	1985 86 से 1989 90	145 45
(द) वार्षिक योजनाएं		
मरु विकास कार्यक्रम	1990 91	45.20
मरु विकास कार्यक्रम	1991 92	36.58

1 Economic Review 1995-96 Rajasthan 2 3 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt. of Raj.

(य) आठवीं योजना		
मरु विकास कार्यक्रम	1992–93	36.47
मरु विकास कार्यक्रम	1996–97 (दिसम्बर 1996)	14.46
(र) नवीं योजना		
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	1997–2002 (प्रावधान)	46.50
मरु विकास कार्यक्रम	1997–2002 (प्रावधान)	669.75

स्रोत Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002, Govt. of Raj

मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 मे तक हुई भौतिक उपलब्धियो का मदवार विवरण

क्र स	मद	इकाई	प्राप्ति
1	भू संरक्षण	हैक्टेयर	12283
2	जल संसाधन–(अ) सिंचाई	हैक्टेयर	1597
3	वृक्षारोपण एव चरागाह विकास–(अ) वृक्षारोपण	हैक्टेयर	10666
4	अन्य कार्य–(अ) खेली–कोठे/ पौण्ड/टैंक निर्माण संख्या		752+1032

स्रोत Desert Development Programme Annual Plan 1993-94 & 1994-95

विभिन्न कार्यक्रम

Various Programmes

मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-संरक्षण, भू-गर्भ जलदोहन विद्युतीकरण, सिचाई भेड एव चरागाह विकास, मरु क्षेत्र में वृक्षारोपण, पशु एव दुग्ध मार्गों का सुधार, पशु स्वास्थ्य आदि कार्यक्रम हाथ म लिए गए। इन कार्यक्रमो का सक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है ·

(1) **कृषि (Agriculture)** इस मरस्थलीय क्षेत्र मे 80 प्रतिशत लोग गावो मे बसे हुए हैं। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि एव पशुपालन है। इस मरुप्रदेश मे सामान्यत एक फसल ली जाती है जो पूर्णत वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा कम होने के कारण यह आवश्यक है कि उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग किया जाए। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये भू सरक्षण का कार्य तथा भू-सर्वेक्षण का कार्य हाथ मे लिया गया। पानी का सदुपयोग करने के लिए फव्वारे सेट वितरित किए गए। मिट्टी की जाच करने के लिए परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए जो कृषको को उनकी कृषि भूमि में उपयोग मे आने वाले उर्वरको का ज्ञान कराते हैं और लवणीय तथा क्षारीय भूमि के दोषो को दूर करने का उपाय बताते हैं।

(2) **भू जल दोहन (Use of Ground Water)** इस मरु प्रदेश मे जल की समस्या एक प्रमुख समस्या है। यदि इस क्षेत्र में जल उपलब्ध हो जाए तो अधिकाश समस्याओ का निराकरण अपने आप ही हो जाएगा। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, पेयजल और कृषि के लिए भू-गर्भ में छिपी जल सम्पदा का पता लगाने का कार्यक्रम बडे पैमाने पर हाथ मे लिया गया। इस हेतु आवश्यकतानुसार नलकूपों का निर्माण भी किया गया। ये नलकूप सिचाई के साथ-साथ पेयजल भी उपलब्ध कराते हैं। भू-गर्भ मे छिपे जल का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। मरुप्रदेश की एकमात्र नदी लूनी के सहारे-सहारे परीक्षण और सर्वेक्षण कार्य हाथ मे लिए गए हैं।

(3) **वन सम्पदा का विकास (Development of Forest)** मरु प्रदेश के खेतो पर खेजडी, जाल, बबूल, रोहिडा, बेर आदि के वृक्ष लगाने की परम्परा रही है। दुर्भाग्य से उनो के 1 5 प्रतिशत भाग पर ही वन रह गए हैं। अत बडे पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए वन विभाग क्रियाशील है। इन जिलो मे स्थान-स्थान पर वन व चरागाह विकास के कार्य हाथ में लिए गए हैं। मुख्य रूप से गावो के जगल, जलाऊ लकडी, वन पौधशालाये, टीलो का स्थिरीकरण, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना आदि कार्य हाथ मे लिए गए हैं। कृषको को उनकी निजी भूमि पर छायादार एव फलदार पेड लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(4) **दुग्ध विकास (Dairy Development)** राजस्थान के मरु क्षेत्र मे पशुधन के रख-रखाव को वैज्ञानिक रूप देने और व्यावसायिक दृष्टि से दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करने के लिए दुग्ध विकास कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इसके अन्तर्गत अच्छी नस्ल के पशु खरीदना, सन्तुलित पशु आहार उपलब्ध करवाना, दुग्ध सग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध सहकारी सघों को प्रोत्साहित करना, आदि प्रमुख कार्य हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों में दुग्ध विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(5) **भेड़ विकास (Sheep Development)** भेड व चरागाह विकास, इस कार्यक्रम की एक प्रमुख योजना है। इस मरु क्षेत्र मे भेडें काफी अधिक मात्रा में हैं जो कि कुल पशुओ का लगभग 30 प्रतिशत हैं। इसलिए भेड विकास कार्यक्रम को समुचित महत्व दिया गया। इस कार्यक्रम में भेड़ों के रख-रखाव, चारे की व्यवस्था, नस्ल सुधार आदि कार्य हाथ में लिए गए हैं। भेड व चरागाह विकास खण्ड स्थापित किए गए हैं। सहकारी समिति इन खण्डों की देखभाल करती है। इन खण्डों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भेडों का रख-रखाव किया जा रहा है। भेड-पालकों को यह प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि वे भेडों को किस प्रकार से रखें तथा इसी को व्यवसाय के रूप में अपनाए।

(6) **पशु स्वास्थ्य (Animal Health)** मरु क्षेत्र में

पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है। प्रत्येक परिवार मे जितने सदस्य हैं प्राय उतनी ही सख्या मे पशुधन भी है। इस पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल को आवश्यक मानते हुए इसे कार्यक्रम मे सम्मिलित किया गया। इसमे यह लक्ष्य रखा गया कि प्रति 20,000 पशुओ पर एक स्वास्थ्य केन्द्र हो। इस हेतु नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं। पशु चिकित्सालय इकाइया आरम्भ की गई हैं। रेगिस्तान मे ऊट का विशेष महत्व है। अत इसकी देखभाल एव रोग नियन्त्रण के लिए इकाइया स्थापित की गई हैं। गौ-शालाओं को पशु क्रय करने चारे व पानी की उत्तम व्यवस्था करने, आदि के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

(7) सिचाई (Irrigation) रेगिस्तान मे सिचाई की कल्पना करना एक अद्भुत बात है। इस कार्यक्रम में तालाबों और जल साधनो के अभाव के कारण वर्षा के जल का पूर्ण उपयोग करने के लिए छोटे-छोटे तालाब बाध व एनीकट बनाकर जल का पूरा उपयोग करने और कृषि उत्पादन बढाने के लिए छोटी एव मध्यम श्रेणी की योजनाए पूरी की गई।

(8) विद्युतीकरण (Electrification) जब भूगर्भ के जल का पता लगा लिया जाता है तो उस जल को प्राप्त करना अपने आप मे एक कठिन कार्य है। सामान्यत एक नलकूप की गहराई 200 मीटर होती है। परम्परागत कुए भी 100 से 200 मीटर गहरे होते हैं। इन कुओं से पानी निकालना अत्यन्त कठिन कार्य है किन्तु मनुष्य को इसे सुलभ कराना भी नितान्त आवश्यक है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये मरु विकास कायक्रम के अन्तगत विद्युतीकरण का योजना को हाथ मे लिया गया। इस क्षेत्र में विद्युत की स्थिति दयनीय थी। इसलिए अब गावा मे बिजली पहुचाई जा रही है ताकि विकास की गति तीव्र हो घरेलू उद्योग धन्धो को बिजली मिल सके और साथ ही पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

(9) ग्रामीण जलप्रदाय योजना (Rural Water Supply Projects) मरु जिलों में बहुत कम गावों मे पेयजल उपलब्ध था। शष गाव समस्याग्रस्त गाव थे। इन क्षेत्रो मे वर्षा आने पर ही पेयजल उपलब्ध हो पाता था और वर्षा न आने पर नलकूप खोदे जाते थे तथा टैंकरो से पानी भिजवाया जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण पेयजल योजना आरम्भ की गई है।

(10) दुग्ध मार्गो का सुधार (Improvement of Dairy Routes) - ग्रामीण क्षेत्रों को शहरो से जोडने का एकमात्र साधन सडक है किन्तु इस मरप्रदेश मे सडके भी बहुत कम हैं। दूध को एकत्रित करके अवशीतन केन्द्रो तक पहुचाने के लिए सडक के छोटे-छोटे टुकडे बनाए गए हैं ताकि दूध बिना खराब हुए अवशीतन केन्द्र तक पहुच जाए। यह कार्यक्रम अभी भी जारी है।

(11) राष्ट्रीय मरु उद्यान (National Desert Garden) राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना जैसलमेर और बाडमेर जिलों में 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे करने की योजना है। इसमे नैसर्गिक वनस्पति को सुरक्षित रखना, वन्य प्राणियो को सरक्षण प्रदान करना और करोडा वर्षों से पृथ्वी के भूगर्भ में दबे हुये जीवाष्म अवशेषो को सरक्षण प्रदान करने के लिए 2 47 करोड रुपये का प्रावधान करते हुए योजना बनाई गई है।

कार्यक्रम की प्रगति
PROGRESS

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से वन विकास, भू-जल विकास लघु सिंचाई पशु स्वास्थ्य, भेड विकास, जल प्रदाय एव ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया जाता था। लेकिन सातवीं योजनावधि के वर्ष 1987-88 से केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि विकास एव आर्द्रता सरक्षण, जल ससाधनों का विकास वन व चरागाह विकास एव पशु जल प्रदाय योजनाए भी स्वीकृत की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का 15 प्रतिशत भू-सरक्षण कार्यों पर व्यय किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा 10 प्रतिशत राशि सस्थापन व्यय हेतु दी जाती है। कार्यक्रम के आरम्भ से छठी योजना तक, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 125 90 करोड रुपये की धनराशि व्यय की गई। सातवीं पचवर्षीय योजना में 147 06 करोड रुपए आवटित किए गए जिसमें से 146 48 करोड रुपए व्यय किए गए। सातवीं योजनावधि में 42 637 हैक्टेयर क्षेत्र में भू-सरक्षण का कार्य 10,367 हैक्टेयर क्षेत्र में सिचाई क्षमता का सृजन, 68,443 हैक्टेयर क्षेत्र में वन एव चरागाह विकास आदि तथा 4926 अन्य कार्य करवाए गए। मरु विकास कार्यक्रम जो शत-प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है, के अन्तर्गत नवीं योजना 1997 2002 के लिए 66975 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।[1]

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम
DROUGHT PRONE AREA PROGRAMME

राजस्थान में सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 से आरभ किया गया। प्रारभ में यह कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान के आठ जिलों जोधपुर, नागौर, पाली जालौर बाडमेर जैसलमेर, बीकानेर चुरू तथा दक्षिणी राजस्थान के डूगरपुर तथा बासवाडा क्षेत्रों में आरभ किया गया। इस

1 Economic Review 1996-97 Rajasthan.

कार्यक्रम को धीरे धीरे 13 जिलों के 79 विकास खण्डों में विस्तृत कर दिया गया। जिन तीन जिलों को इस कार्यक्रम मे और सम्मिलित किया गया वे है - अजमेर, झुझुनु व जयपुर। 1982-83 में भारत सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिश के आधार पर रेगिस्तानी क्षेत्र मे 9 जिला के 61 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। राज्य के पहाडी क्षेत्र के 4 जिलों - बासवाडा, डूगरपुर, उदयपुर तथा अजमेर के 18 विकास खण्डों में ही यह कार्यक्रम जारी है। सातवीं पचवर्षीय योजनावधि मे 1985-86 से राजस्थान के चार नये जिलों के 12 विकास खण्डो में इस कार्यक्रम को आरभ करने की केन्द्रीय स्वीकृति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1985-86 से यह कार्यक्रम राजस्थान के आठ जिलों क्रमश अजमेर बासवाडा उदयपुर कोटा, डूगरपुर, टोंक, सवाई माधोपुर व झालावाड मे 30 विकास खण्डो में क्रियान्वित किया जा रहा था। 1995-96 से यह कार्यक्रम 10 जिलों के 32 विकास खण्डों में चल रहा है।[1]

सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे इस प्रकार से विकास कार्य करना है जिसमे सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के आरभ में मुख्य रूप से कृषि वन विकास भू जल विकास, लघु सिचाई, पशुस्वास्थ्य भेड विकास पशु जलप्रदाय एव ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो को क्रियान्वित किया जाता था। 1987-88 के केन्द्र सरकार ने भूमि विकास तथा आर्द्रता सरक्षण, जल ससाधनो का विकास वन एव चरागाह विकास तथा पशु जलप्रदाय कार्यो के क्रियान्वयन की ही स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न कार्यक्रम हाथ में लिए गए है -

1 भू-सरक्षण कार्य (Land Conservation Work)- सातवी योजना में 21471 हैक्टेयर क्षेत्र में भू-सरक्षण का कार्य किया गया।

1991 92 में इस कार्यक्रम के अतर्गत राज्य के विभिन्न जिलो में 4755 हैक्टेयर क्षेत्र मे भू-सरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन वास्तव में दिसम्बर 1991 तक 3104 हैक्टेयर क्षेत्र में ही भू सरक्षण कार्य सम्पन्न किये गये। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सके।

2 सिचाई क्षमता सृजन (Generating Irrigation)- सातवीं पचवर्षीय योजना में 2398 हैक्टेयर क्षेत्र में लघु सिचाई क्षमता सृजित की गई।

1991-92 में इस कार्यक्रम के अतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 1681 हैक्टेयर क्षेत्र में सिचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन वास्तव में दिसम्बर 1991 तक 465 हैक्टेयर क्षेत्र में ही सिचाई कार्य सम्पन्न किये गये।

3 वृक्षारोपण (Plantation) - सातवीं पचवर्षीय योजनावधि में 10918 हैक्टेयर क्षेत्र में वन एव चरागाह विकास का कार्य किया गया।

1991-92 में राज्य के विभिन्न जिलों में 4196 हैक्टयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया लेकिन वास्तव में दिसम्बर, 1991 तक 3466 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किये गये।

4 अन्य कार्यक्रम (Other Programmes) - सातवीं पचवर्षीय योजनावधि में 1516 अन्य कार्य भी सम्पन्न किये गये जिसमें गावों का विद्युतीकरण, खेलियों का निर्माण, कुओं का विद्युतीकरण आदि कार्य सम्मिलित है।

1997-98 में सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अतर्गत निम्न योजनाओं को सम्मिलित किया गया

- भूमि के मानचित्र बनाने की योजनाए और मिट्टी के सरक्षण की योजनाए
- जल स्रोतों का विकास
- वनीकरण
- पशुओं के लिये जल की व्यवस्था मत्स्य एव चारा विकास

प्रोफेसर हनुमन्त राव की अध्यक्षता मे नियुक्त तकनीकी समिति की सिफारिशो के अनुसार जलग्रहण विकास के लिये अप्रैल 1995 मे प्रत्येक ग्राम की लगभग 500 हैक्टेयर भूमि के लिये चरणबद्ध रूप मे कोषों की व्यवस्था की जायेगी।

5 वित्तीय प्रावधान (Financial Provisions) - सातवी योजनावधि में सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिये 22 88 करोड रुपए आवटित किये गये थे किन्तु वास्तव में 23 78 करोड रुपए व्यय हुये। सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना में दिसम्बर, 1996 तक नये कार्यो पर 1 35 करोड रुपए व्यय किये गये। यह कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जो 50 प्रतिशत केन्द्र एव 50 प्रतिशत राज्य की सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है।[2] 1997 से 2002 तक के लिये राज्य द्वारा 46 5 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है।[3]

अन्त्योदय योजना
ANTYODAYA YOJNA

राज्य के साधन और स्रोतों का लाभ निर्धनता के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्तियों को देने के लिये 'अन्त्योदय' योजना का शुभारम्भ राष्ट्रपिता महात्मा गाधी की जयन्ती 2 अक्टूबर 1990 से राज्य भर में पुन शुरू किया गया है।

1 3 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002 Govt. of Raj
2 Economic Review 1996-97 Raj

अन्त्योदय योजना राजस्थान में पूर्व में वर्ष 1977 से 1980 में भी क्रियान्वित की गई थी। पूर्व में योजना के आशातीत परिणामों को ध्यान में रखते हुये इस बार पुन सरकार ने इस योजना को परिष्कृत और परिमार्जित रूप से लागू किया है।

उद्देश्य
Objects

अन्त्योदय कार्यक्रम का मुख्य ध्येय निर्धनों में भी निर्धनतम व्यक्ति को रोजी-रोटी का साधन उपलब्ध करवा कर उसे अपने स्वय के पैरों पर खडा होने योग्य बनाना है। इस योजना की सफल क्रियान्विति के लिये सरकार ने निर्णय लिया है कि वे सभी सरकारी विभाग जिनकी योजनाओं का लाभ ग्रामीण परिवारों को मिलता है, वे यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनकी योजनाओं का लाभ अन्त्योदयी परिवारों को प्रथम प्राथमिकता मे मिले। अन्त्योदय कार्यक्रम का लाभ चयनित अन्त्योदयी परिवारों को ही मिल रहा है यह देखने के लिए सभी विभाग नोडल अधिकारी भी मनोनीत करते है।

चयन के मानदण्ड
Standards of Selection

अन्त्योदय परिवारो का चयन पाच श्रेणियों में किया जायेगा

प्रथम श्रेणी

- भूमिहीन परिवार जिनके पास पशु व अन्य आय के कोई साधन न हों।
- परिवार में 15 से 59 वर्ष की आयु का कमाने वाला कोई व्यक्ति न हो एव
- अशक्त, अपग अथवा वृद्धावस्था के कारण जो परिवार जीवनयापन की स्थिति में नहीं है।

द्वितीय श्रेणी

- भूमिहीन परिवार जिनके पास पशु व अन्य आय के कोई साधन न हों, एव
- परिवार में एक या अधिक कमाने योग्य व्यक्ति है किन्तु वार्षिक आय सभी स्रोतो से 2 250 रूपय से कम है।

तृतीय श्रेणी

- ऐसे परिवार जो लघु कृषक के लिए निर्धारित जोत की सीमा तक भूमिधारक है किन्तु उनकी कुल वार्षिक आय 3 500 रुपए से कम है।

चतुर्थ श्रेणी

- ऐसे परिवार जिन्हें पूर्व में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) के तहत् लाभान्वित किया जा चुका है एव जो ससाधन इन्हें दिलाये गये है, से खुर्द-बुर्द नहीं किये गये है व परिवार की कुल वार्षिक आय 3 500 रुपए से कम है।

पचम श्रेणी.

- ऐसे परिवार जो लघु कृषक के लिए निर्धारित जोत की सीमा तक भूमिधारक है किन्तु उनकी कुल वार्षिक आय 3 500 से 4,800 रुपए के बीच है।

चयन की प्राथमिकता व संख्या
Preference in Selection & Number

परिवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। प्रथम श्रेणी के परिवार चयनित होंगे एव स्थान उपलब्ध होने पर ही क्रमश द्वितीय तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के परिवार चुने जायेंगे। साधारणतया पाचवी श्रेणी के परिवार चुनने से पहले यह विशेष रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रथम चार श्रेणियों का कोई परिवार नहीं बचा है।

ऊपर बताई गई श्रेणियो में विधवा परित्यक्ता एव बेसहारा लोगों को प्राथमिकता क आधार पर चयनित एव लाभान्वित किया जायगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव महिलाओं क हितों का विशेष ध्यान रखा जाये।

चयनित परिवारों की सख्या ग्राम की जनसख्या पर आधारित होगी।

जनसख्या	चयनित परिवारों की सख्या	आरक्षित सूची मे परिवार की सख्या
500 से कम	3	2
501 से 1000	5	2
1001 से 2000	7	3
2001 से ऊपर	10	5

प्रथम चरण मे केवल चयनित परिवारों को ही लाभान्वित किया जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से चयनित परिवार लाभान्वित नहीं हो सके तो आरक्षित सूची क परिवार को चयनित परिवार के स्थान पर लाभान्वित किया जायेगा।

परिवारों का प्राथमिक चयन
Primary Selection of Families

सबसे पहले सर्वाधिक पटवारी राजस्व रिकार्ड क आधार पर गाव के लोगों मे अन्त्योदयी प्रकार का चयनित होने योग्य परिवारों की श्रेणीवार प्राथमिक सूची बनायेंगे। इस प्राथमिक सूची में सम्मिलित परिवारों का सख्या चयनित आरक्षित सूची के परिवारों से दुगुनी होगी। उदाहरणार्थ 500 की जनसख्या

वाले ग्राम के लिये प्राथमिक सूची दस परिवारों की होगी। किन्तु दस परिवार यदि उपलब्ध न हो तो सूची कम सख्या की होगी। प्राथमिक सूची ग्राम सभा की बैठक के दस दिन पहले पटवारी द्वारा विकास अधिकारी एव सरपच को उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम सभा की बैठक
Meetings of Gram Sabha

ग्राम सभा की बैठक जिला कलेक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुलाई जायेगी। निश्चित तिथि की सूचना 15 दिन पूर्व गाव में डोंडी पिटवाकर करा दी जायेगी एव ग्राम पचायत के नोटिस बोर्ड व मुख्य स्थानों पर भी नोटिस लगवाये जायेंगे। ग्राम सभा में सबधित सासद, विधायक, प्रमुख व सरपच भी आमत्रित किये जायेंगे। इन्हें भी 15 दिन पूर्व सूचित किया जायेगा।

बैठक बुलाने के समय से दो घटे पहले भी गाव में डोडी पिटवाकर गाव वालों को बैठक में भाग लेने के लिये निमत्रण दिया जायेगा।

ग्राम सभा की बैठक में ग्रामवासियों व जन-प्रतिनिधियों के अलावा विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी, तहसीलदार नायब तहसीलदार आदि अधिकारियों में से कम से कम एक अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सबधित उपखण्ड अधिकारी इस व्यवस्था के लिय जिम्मेदार होंगे।

ग्राम सभा द्वारा चयन
Selection by Gram Sabha

ग्राम सभा की बैठक में गाव के पटवारी चयन के लिये निर्धारित मापदण्डों को पढकर सुनायेंगे। पटवारी द्वारा तैयार की गई प्राथमिक सूचीन की पूर्ण जानकारी भी ग्राम सभा में पढकर सुनाई जायेगी। ग्राम सभा में प्राथमिक सूचना पर चर्चा के बाद निर्धारित सख्या में अन्त्योदय परिवारों व आरक्षित सूची का चयन किया जायेगा।

यदि ग्राम सभा का यह मत है कि कोई परिवार चयन के लिए पूर्ण रूप से योग्य है किन्तु प्राथमिक सूची में उसका नाम छूट गया है तो ऐसे परिवार का चयन भी किया जा सकेगा। इस प्रकार ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची को अन्तिम माना जायेगा।

अन्त्योदय परिवारो के विकल्प
Alternatives

अन्त्योदय परिवारो के चयन के पश्चात् ग्राम सभा की बैठक में पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा अन्त्योदय योजना में दिये जाने वाली सहायता का विवरण दिया जायेगा। चयनित परिवारों के मुखियाओं से सलाह करने के बाद उनके विकल्प प्राप्त कर लिये जायेंगे एव इसी आधार पर अग्रिम योजना बनाई जायेगी। बाद में यदि विकल्प के अनुसार परिवार को लाभान्वित करना सभव न हो तो परिवार की राय से विकास अधिकारी द्वारा विकल्प में उपयुक्त परिवर्तन किया जायेगा।

ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण
Minutes of Gram Sabha

ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण सबधित पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा मौके पर मौजूद सभी लोगों के सामने लिखा जायेगा और ग्राम सभा में मौजूद सभी ग्रामवासियों, जन प्रतिनिधियों व प्रभारी अधिकारियों के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। ग्राम सभा की कार्यवाही के विवरण को विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जायेगा और उसकी सही प्रति को साथ रसीद लेकर उसे ग्राम पचायत के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जायेगा। पटवारी द्वारा ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही के साथ गाव के सबध में परिशिष्ट -2 में वर्णित सूचनाए और चयनित परिवारों की परिशिष्ट -3 में वर्णित सूचनाए तैयार कर विकास अधिकारियों को बैठक की तारीख से 7 दिन में भेजी जायेंगी।

विकास अधिकारी द्वारा सूचना का सकलन
Collection of Information by B D.O

चयनित परिवारों की सूचना के आधार पर परिशिष्ट-4 (क) व (ख) के अनुसार रजिस्टर पचायत समिति द्वारा सधारित किया जायेगा और उसको पूरा रखने की जिम्मेदारी सबधित विकास अधिकारी की होगी। इस रजिस्टर में चयनित परिवारों के सबध में दी गई आर्थिक सहायता और उसके बाद प्रगति के सबध में जानकारी होगी। परिवारों की सहायता के लिये जो विकल्प प्राप्त हुये है उनके आधार पर परिशिष्ट-5 (क) व (ख) के अनुसार योजना तैयार की जायेगी और चयन की तारीख के एक माह के भीतर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेजनी होगी। विकास अधिकारी द्वारा चयनित परिवारों की सूचिया (परिशिष्ट-6) के अनुसार तैयार कर सबधित बैंकों, विभागों एव जि ग्रा वि अभिकरण को भेजी जायेगी।

परिचय-पत्र
Idenity Card

सभी चयनित परिवारों को एक परिचय-पत्र दिया जायेगा। यह परिचय-पत्र ग्राम सभा में चयन का कार्य पूर्ण होने के दो माह के अदर वितरित करने की जिम्मेदारी सबधित विकास अधिकारी की होगी। इस कार्य के लिये ग्राम सेवक और

पटवारी की सहायता ली जायेगी।

चयन की जिम्मेदारी
Responsibility of Selection

अन्त्योदय परिवारों के चयन की जिम्मेदारी राजस्व विभाग, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की होगी। सभी गावों में चयन के लिए विस्तृत कार्यक्रम कलेक्टर बनायेंगे एवं उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, प्रसार अधिकारी, गिरदावर, पटवारी व ग्राम सेवक इस कार्यक्रम को सम्पादित करवायेंगे। यह समस्त व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

साथ ही जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं अन्य समकक्ष अधिकारीगण ग्राम सभा की कम से कम 5 प्रतिशत बैठकों में स्वयं भाग लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि चयन सही रूप से हो रहा है। जिला कलेक्टर एवं उपरोक्त प्रत्येक अधिकारी कम से कम 10 ग्राम सभा की बैठकों में इस प्रकार भाग लेंगे।

प्रत्येक अधिकारी के कर्त्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 7 पर उपलब्ध है।

उपसंहार
Conclusion

अन्त्योदय योजना के मुख्य बिन्दुओं का ऊपर उल्लेख किया गया है। जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसकी क्रियान्विति निश्चित तिथि तक हो, यह दायित्व नीचे से लेकर ऊपर तक उन सबका है, जो इस योजना का लाभ निर्धन वर्गों तक पहुचाने के लिए इनसे जुडे है। यह कार्यक्रम सामाजिक प्रतिबद्धता का कार्यक्रम है। इसकी सफल क्रियान्विति प्रशासन की संवेदनशीलता का प्रतिबिम्ब होगी इसकी प्रगति हर स्तर पर गंभीरता से होनी चाहिये।

अन्त्योदय चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के कर्त्तव्य
Duties of Officials

I कलेक्टर (Collector)

1 चयन प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित निर्देशानुसार अपने जिले में यह कार्य समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करने हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना।

2 चयन दौर के प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजस्व / विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर क्षेत्रों का विभाजन करना।

3 क्षेत्रीय पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के सम्पन्न पटवारी/ग्राम सेवकों की चयन तिथि से 10 दिन पूर्व बुलाई जाने वाली बैठकों का पर्यवेक्षण करना।

4 चयन प्रक्रिया के दौरान समस्त जिले में कार्यरत अधिकारियों द्वारा पूर्व निश्चित कार्यक्रमानुसार ग्राम सभाओं की बैठकों की चयन कार्य सम्पन्न कराये जाने की पूर्णरूपेण देख-रेख करना।

5 चयनोपरान्त सम्मत सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारियों/ विकास अधिकारियों से चयनित परिवारों की पूर्ण सूची मय खण्ड-स्तरीय प्रयोजनवार योजनाओं के लिए एकत्रित करना।

6 एकत्रित सूचियों व खण्डस्तरीय प्रयोजनवार योजनाओं के आधार पर जिलास्तरीय योजना बनाकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से अनुमोदित करवाना एवं विशिष्ट योजना संगठन को समय पर प्रेषित करना।

II उपखण्ड अधिकारी (Sub Divisional Officer)

1 अपने क्षेत्र के समस्त ग्रामों के निर्धारित कार्यक्रमानुसार ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित करवाने एवं अधीनस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं जिलाधीश के निर्देशानुसार विकास प्रसार अधिकारियों के बीच एवं ग्राम सभाओं की बैठकों में भाग लेने हेतु उपक्षेत्र आवंटित करना।

2 ग्राम सभाओं की बैठकों की तिथियां तय करवाकर संबंधित विकास अधिकारी से विधिवत् नोटिस जारी करवाना।

3 ग्राम सभाओं के निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजन का पूर्ण पर्यवेक्षण करना एवं सभी बैठकें निश्चित समय पर सम्पन्न कराना।

4 ग्राम सभाओं की बैठकों का स्वयं भी मौके पर निरीक्षण करना।

5 बैठकों में चयनित व्यक्तियों की सूचियां, मय निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं एकत्रित करवाकर विकास अधिकारियों को निर्धारित समय में भेजने के लिए अधीनस्थ स्टाफ के पाबंद लगाना।

III विकास अधिकारी (B D O)

1 जिलाधीश के निर्देशानुसार आवंटित क्षेत्र के चयन का पर्यवेक्षण/संचालन करवाना एवं अधीनस्थ प्रसार अधिकारियों को उन्हें आवंटित क्षेत्र में चयन कार्य सम्पन्न करने हेतु पाबंद करना।

2 उप खण्ड अधिकारी/ तहसीलदार के परामर्श से नोटिस जारी कर अपने अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त ग्रामों की ग्राम सभाएं आयोजित करना।

3 ग्राम सभाओं में चयनित परिवारों की सूचियां एवं विकल्पों

रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। इन जातियों के लोगों को आवंटित जमीन पर उन्हें कब्जा दिलाने का प्रयत्न। इंतजाम किया जायेगा तथा भूमि आवंटन के कार्यक्रम को अधिक गतिशील बनाया जायेगा। उनके शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का गठन किया जायेगा तथा ऐसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उचित सहायता दी जायेगी। सिर पर मैला उठाने की प्रथा को समाप्त किया जायेगा तथा सफाई कर्मचारियों के पुनर्स्थापन के लिए विशेष कार्यक्रम अमल में लाये जायेंगे। विशेष अंश कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन और बेहतर निर्देशन की व्यवस्था की जायेगी। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के समाज के अन्य वर्गों के साथ और अधिक एकीकरण के लिए आवश्यक कार्यक्रम जारी रखे जायेंगे तथा विस्थापित आदिवासियों को फिर से बसाने की व्यवस्था की जायेगी।

12 महिलाओं की समानता नारी की गरिमा और मर्यादा को ऊंचा उठाने के प्रयत्न किये जायेंगे तथा उनकी समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाई जायेगी। महिलाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के कार्यक्रम लागू किये जायेंगे तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरण पैदा करने के प्रयत्न किये जायेंगे। राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास में महिलाएं समानता के आधार पर हिस्सा ले सकें, ऐसी व्यवस्था की जायेगी। दहेज प्रथा के खिलाफ जनमत को उभारने तथा दहेज विरोधी कानून को लागू करने की कारगर व्यवस्था की जायेगी।

13 युवा वर्ग के लिए अवसर युवाओं के खेल कूद साहसिक कार्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार किया जायेगा और उनके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के प्रयत्न भी किये जायेंगे। राज्य के विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं तथा भूमि सुधार कार्यक्रम, पर्यावरण का संरक्षण तथा साक्षरता को अभियानों में सम्मिलित करने के प्रयत्न किये जायेंगे। हर क्षेत्र में अत्यन्त प्रभावशाली युवकों को चुन कर उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देने और विकसित करने के लिए व्यवस्था की जायेगी। आम जनता की राष्ट्रीय अखण्डता सांस्कृतिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टि बढ़ाने के कार्य में युवा वर्ग को शामिल किया जायेगा। नेहरू युवक केन्द्रों का विस्तार किया जायेगा तथा राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर को सुदृढ़ बनाया जायेगा। ग्रामीण युवकों के कल्याण में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

14 सबके लिए मकान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जायेगी तथा घर बनाने के कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों के लिए घरों के निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा तथा घरों को बनाने की सस्ती सामग्री का विकास किया जायेगा।

15 तंग बस्तियों का सुधार - तंग बस्तियों की संख्या को बढ़ने से रोका जायेगा तथा वर्तमान तंग बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अलावा शहरी इलाकों में सुनियोजित गृह निर्माण कार्य को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

16 वन विस्तार - अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा। नये वन लगाये जायेंगे और नये वनों को लगाने में जनता को भी शामिल किया जायेगा। आदिवासियों और स्थानीय समुदाय के उन अधिकारों की रक्षा की जायेगी जिनके अधीन वे ईंधन, लकड़ी और जंगलों की अन्य उपज प्राप्त करते हैं परती जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया जायेगा और पर्वतों तथा रेगिस्तानी इलाकों को हरा भरा बनाया जायेगा।

17 पर्यावरण की रक्षा पर्यावरण के प्रदूषण से होने वाले खतरों के प्रति जनता को और ज्यादा सजग बनाया जायेगा तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए आम जनता का सहयोग और समर्थन प्राप्त किया जायेगा। सभी नागरिकों में इस मान्यता को पनपाया जायेगा कि स्थायी विकास का अर्थ प्राकृतिक संतुलन को कायम रखना है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक परियोजनाओं के लिए उपयुक्त तकनीक का चयन किया जायेगा।

18 उपभोक्ता कल्याण - गरीब वर्ग के लिए आवश्यक उपयोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए सहज और सरल व्यवस्था की जायेगी। उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा वितरण व्यवस्था को ऐसा रूप दिया जायेगा जिससे आर्थिक सहायता का सबसे अधिक लाभ जरूरतमंदों को प्राप्त हो सके। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

19 गांवों के लिए ऊर्जा खेतों में उत्पादन कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई का विस्तार किया जायेगा। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों, विशेषकर गोबर गैस का विकास किया जायेगा और विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के विकास के एकीकृत कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

20 संवेदनशील प्रशासन प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जायेगा तथा हर स्तर पर अधिकारियों को समुचित अधिकार सौंपे जायेंगे। हर स्तर पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा तथा राज्य स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक योजनाओं के परिवीक्षण की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा जनता की शिकायतों पर तुरन्त एवं सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही की जायेगी।

बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान ने उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की है और राजस्थान का स्थान देश के अग्रणी देशों में रहा है।

अरावली विकास
ARAVALI DEVELOPMENT

भारत की पाचवीं पचवर्षीय योजना में पहाडी क्षेत्र के विकास की एक योजना केन्द्रीय क्षेत्र के अतर्गत आरभ की गई। इस योजना का उद्देश्य पहाडी क्षेत्रों में पर्यावरण का विकास, सरक्षण एव पुर्नस्थापना था। यह कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि लोगों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताए पूरी हो सकें।

वर्तमान में यह योजना 3 क्षेत्रों में सम्मिलित करती है-

(1) हिमालय व अन्य पहाडी क्षेत्र (2) पश्चिमी घाट (3) नीलगिरी

राजस्थान सरकार, अरावली पहाडी क्षेत्र को भी इस योजना में सम्मिलित करने का आग्रह करती रही। 1986 में योजना आयोग ने भारत के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। इस दल के प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान में अरावली पर्वत क्षेत्र के कुछ भागों को पहाडी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित करने योग्य माना गया। अरावली पर्वत श्रृखला का राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, गुजरात एव उत्तरप्रदेश के लिए विशेष महत्व है। यह जल के वितरण व रेगिस्तान के प्रसार को रोकने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत श्रृखला में पहले काफी घने जगल थे। उसमें बडे-बडे पेडों के साथ वन्य जीवन भी बहुतायत में पाये जाते थे। इस क्षेत्र में वनों के विनाश ने पयावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। पिछले कुछ दशकों मे मानव एव पशुओ के बढते दबाव, वन विनाश, खनन कार्य वातावरण की लागत पर कराये जा रहे विभिन्न निर्माण का [illegible] के प्रसार से पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक एव सास्कृतिक क्षेत्र में ह्रास, अरावली क्षेत्र में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार थार के रेगिस्तान को उत्तर-पूर्व में गगा के मैदान की ओर बढने से रोकने, राष्ट्रीय वन नीति के अतर्गत पहाडियों पर पुन लगाकर राजस्थान के वन क्षेत्र को बढाने के लिए, वन विनाश और भूमि के कटाव को रोककर अरावली क्षेत्र में पहाडियों के चट्टानी क्षेत्र को बाहर निकलने से रोकने, पहाडी क्षेत्र में परिस्थितिकी स्थिरता को कायम करने एव दक्षिणी अरावली जनजाति क्षेत्र में रह रही जनजातियों को सरक्षण देने हेतु अरावली क्षेत्र का विकास आवश्यक हो गया है। पर्वतीय क्षेत्र के राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अतर्गत अरावली पर्वत क्षेत्र के 41447 वर्ग किलोमीटर भाग को सम्मिलित किया गया है। यह क्षेत्र 16 जिलों के 120 खण्डों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 1178 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, उन अन्य पहाडी क्षेत्रों से सबधित है, जिनका ढाल 30% से कम है। इस प्रकार अरावली पर्वत का मुख्य क्षेत्र तो लगभग 29661 वर्ग किलोमीटर है। आठवीं पचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिये निम्नांकित सुझावों के आधार पर कदम उठाये गये -

1. समस्त परिस्थितिकी क्षेत्र के समन्वित विकास के प्रयास करना। इसमें स्थानीय स्रोत और विकास सभावनाओं को भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

2 यह विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के सदर्भ को दृष्टिगत रखते हुये किया जाना चाहिये।

3 इस क्षेत्र के विकास के लिए वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इससे स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

4 भू एव जल सरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

5 ईंधन व चारे की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे पेड लगाने चाहिये जो इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग दें।

6 वनों पर बढते हुए दबाव को दृष्टिगत रखते हुये ईंधन के वैकल्पिक साधनों का विकास किया जाना चाहिये।

7 उद्यान के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

8 क्षेत्र में चारे की उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुये पशु पालन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

9 अरावली पर्वत क्षेत्र में विद्यमान कम ऊँचे क्षेत्रों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों की ओर बढ रहे रेगिस्तान को रोका जाना चाहिये।

10 बजर एव बेकार भूमि विकास कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिये।

11 जिन समुदायों के लाभ के लिये यह कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है, उनका सक्रिय सहयोग इस कार्यक्रम में प्राप्त किया जाना चाहिये। अरावली पर्वत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, भिन्न कृषि जलवायु दशाओं, आधारभूत सुविधाएं जुटाने की ऊची लागत एव इस क्षेत्र में निवास कर रहे विभिन्न समुदायों के भिन्न-भिन्न सामाजिक, सास्कृतिक विशेषताओं के कारण राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अनुरूप अरावली विकास के कार्यक्रमों का सुझाव दिया है। योजना-आयोग के कार्यवाले दल ने राज्य सरकार का यह सुझाव

मान लिया है कि अरावली क्षेत्र को राष्ट्रीय पहाडी विकास कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाये। दल ने यह सिफारिश भी की है कि वृक्षारोपण भूमि एवं जलसंरक्षण आदि कार्यक्रमों पर अरावली क्षेत्र में जो भी व्यय होगा उसे राज्य एवं केन्द्र सरकारें 1 3 में वहन करेंगी। व्यय के इस भार के लिए योजना आयोग और राजस्थान सरकार विचार कर रही है। अरावली पर्वत विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए वन विभाग मुख्य भूमिका निभायेगा। आठवीं योजना में राजस्थान सरकार ने अरावली क्षेत्र विकास हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था ताकि राज्य सरकार का व्यय का अंश लिया जा सके। परियोजना को सशोधित कर इसकी समयावधि 1999 तक कर दी गई है। 1998 99 में 26600 हैक्टेयर अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।[2]

मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना
MEWAT REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT

राजस्थान सरकार ने फरवरी 1987 में अलवर और भरतपुर जिला के मेवात क्षेत्रो के सामाजिक व आर्थिक विकास के उद्देश्य से मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की। इन मेवात क्षेत्रो में अलवर जिले की सात पंचायत समितियां तिजारा रामगढ़ किशनगढ़बास लक्ष्मणगढ़ मंडावर उमरैन कठूमर और भरतपुर जिले की तीन पंचायत समितियां कामा नगर डीग सम्मिलित है। यह कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इन मेवात क्षेत्रो में मेवा समुदाय के लोगों के विकास हेतु आठवीं योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था

मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना पर आठवीं योजना में व्यय	
मद	प्रावधान(लाख रुपए में)
सड़क निर्माण	188 70
सिंचाई	87 10
पेयजल	66 75
कृषि	14 00
पशुपालन	12 70
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	32 00
शिक्षा	11 90
स्व रोजगार	17 45
सहकारी विभाग	4 40
प्रशासन	35 00
योग	400 00

स्रोत Eighth Five Year Plan 1992 97 Raj

इस योजना में मिनीकीट का वितरण उद्यान का विकास दवाईयों आदि का वितरण हाथ में लिया गया। पशुपालन हेतु शिविरों का आयोजन किया गया। सार्वजनिक चिकित्सा केन्द्रो में अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया। विद्यार्थियों को पुस्तकें व वर्दी निःशुल्क वितरित की गई। स्व रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान था। साथ ही एक लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी प्रस्तावित थी। मेवात विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मेव बहुल क्षेत्रों पर लगभग 1997 तक 2 59 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई।

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम
COMMAND AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सृजित क्षमता और उसके उपयोग के अंतर को कम करना है। ऐसा सिंचित क्षेत्रों में समन्वित विकास के माध्यम से ही संभव है। इसके अंतर्गत मिट्टी भू-उपयोग जल प्रबंध आदि को नियोजित कर उत्पादकता में वृद्धि करना है। राजस्थान में 1974 में चम्बल एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र के विकास के लिये कार्य आरंभ किया गया था। उसके पश्चात् गंगनहर और भाखड़ा के कमाण्ड क्षेत्रों को भी विकसित करने की व्यवस्था की गई लेकिन पर्याप्त धन के अभाव में यह जारी नहीं रह पाई। 1983 84 में माही परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है। कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जल प्रबंध सड़क निर्माण वृक्षारोपण कृषि विस्तार कार्यक्रम आबादी का नियोजन मत्स्य पालन पशुपालन सहकारिता आदि के कार्य हाथ में लिए जाते है। कमाण्ड क्षेत्र में मानवीय साधनों का विकास नियोजन के विभिन्न बिन्दुओं का अध्ययन कृषि स्रोत कृषकों का प्रशिक्षण मंडियों का विकास एवं राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 के अंतर्गत कोलोनाईजेशन का महत्वपूर्ण कार्य भी किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में कमाण्ड क्षेत्र विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों पर 580 55 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
MINIMUM NEEDS PROGRAMME

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारम्भ पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमित साधनों से विकास के लिये आवश्यक

1 3 Economic Review 1997 98 Raj 2 Budget at a glance 1998 99 Raj

आधारभूत सुविधाएं जुटाने की चेष्टा की गई। इस कार्यक्रम में वर्तमान में निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है सामाजिक वानिकी ग्रामीण विद्युतीकरण ग्रामीण सडकें सामान्य शिक्षा ग्रामीण स्वास्थ्य ग्रामीण जलापूर्ति ग्रामीण सफाई आवास भूमिहीन श्रमिकों का आवास सहायता शहरी कच्ची बस्तियों में पर्यावरण सुधार पोषाहार एवं खाद्य एवं नागरिक पूर्ति। आठवीं पचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये 1217 17 करोड रुपए का आयोजन किया गया था इससे सबधित विभिन्न कार्यक्रम पर निम्न प्रकार के व्यय किये जाने का प्रावधान था।

आठवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र/ कार्यक्रम	प्रस्तावित प्रावधान
सामाजिक वानिकी	15 00
ग्रामीण विद्युतीकरण	93 50
ग्रामीण सडकें	182 00
सामान्य शिक्षा	386 63
प्रौढ शिक्षा	12 00
ग्रामीण स्वास्थ्य	134 62
ग्रामीण जलपूर्ति	296 50
ग्रामीण सफाई	2 00
आवास सहायता	20 16
पर्यावरण सुधार	20.40
पोषाहार	47 21
खाद्य एवं नागरिक पूर्ति	7 15
योग	1217 17

स्रोत Eighth Five Year Plan, 1992-97 Raj

आधारभूत न्यूनतम सेवायें कार्यक्रम
BASIC MINIMUM SERVICES PROGRAMME

के कार्यक्रम प्रधानमंत्री की प्रेरणा पर आरम्भ किये गये हैं और सात आधारभूत न्यूनतम सेवाओं को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। ये सेवाये है

1 सभी निवासियों को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।

2 5000 तक के समूह को कुशल प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना।

3 बेकार गरीब व्यक्तियों को सार्वजनिक आवास सहायता उपलब्ध कराना।

4. हर गाव को बाजार अथवा बजार से जोडने वाली और वर्ष पर्यन्त आवागमन वाली सडक से जोडना।

5 विद्यालय से पूर्व और प्राथमिक शिक्षा स्तर पर निर्धन परिवारों के बच्चों को पोषाहार सहायता देना।

6 प्रत्येक ग्राम पचायत में आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु सार्वजनिक वितरण की दुकान खोलना।

7 सभी के लिये शिक्षा की व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक गाव में विशेषकर महिलाओं व लडकियों को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना।

सन् 1996-97 में इस कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार से 87 63 करोड रूपये राज्य सरकार को प्राप्त हुए । इस कार्यक्रम पर जून 1997 तक 95 24 करोड रुपए व्यय किये गये।

महिला विकास कार्यक्रम
WOMEN DEVELOPMENT PROGRAMMES

1984 में राजस्थान में महिला विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया इसके अतर्गत मुख्यत ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार का ध्येय रखा गया यह अनुभव किया गया कि विकास कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका होनी चाहिये। ऐसा उनकी शिक्षा प्रशिक्षण और सूचनाओं के सवहन एव सामूहिक प्रयासों से ही सभव है। महिला विकास परियोजना राजस्थान के 10 जिलों जयपुर जोधपुर अजमेर उदयपुर बासवाडा झालावाडा कोटा डूगरपुर सीकर बीकानेर में क्रियान्वित की जा रही है। विभिन्न चरणों के अतर्गत इस परियोजना का विकास राजस्थान के सभी जिलों में किये जाने की योजना है। आठवीं योजना में इसके अतर्गत चार और जिलो को सम्मिलित किया जाना था आठवीं योजना में महिला विकास परियोजना के लिए 11 33 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।

दस्यु ग्रस्त क्षेत्रों में बीहड सुधार कार्यक्रम
DACOIT PRONE REVINE IMPROVEMENT PROGRAMME

राजस्थान में कन्दरा सुधार कार्यक्रम 1987-88 में आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि डाकूग्रस्त इन क्षेत्रों में ये कन्दरायें अपने आस-पास की उपजाऊ कृषि भूमि में विस्तृत नहीं हो पाये साथ ही इन कन्दरा क्षेत्रों को पुन सुधार कर उनकी उत्पादक क्षमता बढाना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। राजस्थान में ये कार्यक्रम 5 डाकूग्रस्त जिला कोटा बूंदी सवाईमाधोपुर भरतपुर एव धौलपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राशि दी जा रही है। आठवीं पचवर्षीय योजना के अतर्गत 54 07 करोड रुपए व्यय करके

1 Economic Review 1997-98 Govt. of Raj

24100 हैक्टेयर क्षेत्र में वन लगाने एवं अन्य विकास कार्यक्रम हाथ में लिये जाने की योजना थी।

वंजर भूमि विकास कार्यक्रम
BARREN LAND DEVELOPMENT PROGRAMME

पर्यावरण सुधार तथा ईंधन, चारा, फल एवं इमारती लकड़ी की उपलब्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर बंजड भूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान में बंजड भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल, राष्ट्रीय बंजड भूमि विकास बोर्ड के अनुसार 1 करोड़ हैक्टेयर है। अतः राजस्थान में भी बंजड भूमि विकास कार्यक्रम के माध्यम से विशाल क्षेत्र में विस्तृत बंजड भूमि पर वृक्षारोपण व घास के उत्पादन द्वारा पर्यावरण सुधार के साथ आर्थिक आय बढाने के प्रयत्न किये जा रहे है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित भूमियों का वृक्षारोपण द्वारा विकास किया जा सकता है -

1 कृषि के अयोग्य भूमि जो पहले से ही पंचायती राज संस्थाओं में निहित है, जैसे चरागाह भूमि व गवई भूमि

2 राजकीय विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं के पास कृषि के अयोग्य भूमि

3 कृषि के अयोग्य पड़त भूमि, जिनका वृक्षारोपण हेतु व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को आवंटन हो सके तथा

4 खातेदारी भूमि जो कृषि के अयोग्य या कम योग्य हो और जिस पर वृक्षारोपण द्वारा अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

राजस्थान में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग 'कर्ता विभाग' बनाया गया है, जो वन, राजस्व, विशिष्ट योजना संगठन, कृषि, सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण आदि विभागों के समन्वय एवं सहयोग से कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है तथा कार्यक्रम के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता राज्य, जिला, खण्ड एवं ग्राम स्तरों पर वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

इस कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास, सामाजिक वानिकी, अनुसूचित जाति सघटक योजना आदि पहले से चली आ रही योजनाओं के अंतर्गत तथा बैंक व वित्तीय संस्थाओं से ऋण द्वारा प्राप्त किये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत बंजर भूमि विकास के लिए 1986-87 से एक 'कार्यकारी योजना' बनाई गई, जिसके अनुसार प्रत्येक गाँव पंचायत समिति द्वारा कम से कम 25 से 40 हैक्टेयर बंजड भूमि को ग्राम्य वन के रूप में विकसित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम दस ग्राम पंचायतें 10-10 हैक्टेयर भूमि पर ग्राम्य वनों के विकास की योजना हाथ में लेगी। पंचायत समिति स्तर पर कम से कम एक पौधशाला की स्थापना की जाएगी जिसमें एक लाख पौध तैयार किए जायेंगे इसके अलावा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों, विद्यालयों आदि में कम से कम 20 पौधशालाएं तैयार की जायेंगी।

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम
BORDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिये पूर्णतः केन्द्र की सहायता से एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिमी सीमान्त क्षेत्रों के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करके स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान, पंजाब, गुजरात को सम्मिलित किया गया है। बाद में जम्मू कश्मीर को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस पर 200.00 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान रखा गया था। इस कार्यक्रम का वास्तविक क्रियान्वयन 1986-87 से आरंभ हुआ। प्रारंभ में इस कार्यक्रम की देखभाल गृह मंत्रालय को करनी थी, बाद में इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दे दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय, तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि पर बल दिया जाता है। इसके अंतिम स्वरूप के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 मुख्य बिन्दु सम्मिलित हैं। प्रथम, इन क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को फोटो परिचय-पत्र निर्गमित करना। द्वितीय शिक्षा, तृतीय सिंचाई एवं चतुर्थ सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना। 1990-91 एवं 1991-92 में सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम के लिए क्रमशः 86 एवं 85 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यह कार्यक्रम आठवीं योजना में भी जारी रहा और इसके अंतर्गत पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया। आठवीं योजना में इन समस्त कार्यों पर केन्द्र ने 640 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।

1993-94 में यह कार्यक्रम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के चार जिलों (बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर) में चलाया जा रहा है। 1997-98 में दिसम्बर 1997 तक इस कार्यक्रम पर 16.79 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई।

1 Economic Review 1997-98 Govt of Raj

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाए गए मरु-विकास कार्यक्रम को स्पष्ट कीजिए।
Explain the Desert Development Programme adopted in Seventh Five-Year Plan of Rajasthan

2 राजस्थान में मरु-विकास कार्यक्रम के क्या विशिष्ट उद्देश्य हैं?
What are the specific objective of the Desert Development Programme in Rajasthan

3 जवाहर रोजगार योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
Expla n the main features of Jawahar Rojgar Yojna

4 राजस्थान के विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए।
Point out the Special Schemes andProgrammes for development of Special Areas in Rajasthan

5 'ट्राइसम' क्या है?
What is 'TRYSEM'?

6 'DWCRA' पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on DWCRA

7 'माडा' क्या है?
What is MADA'?

8 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Minimum Need Programme

B निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 राजस्थान में विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनायें एवं कार्यक्रमों की विवेचना करें। यह कार्यक्रम किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुए हैं?
Point out the special schemes and programmes for development c special areas in Rajasthan To what extent these have been proved beneficial?

2 राज्य में जनजातीय विकास कार्यक्रम का वर्णन समझाइए। इस कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये।
Mention the government's efforts to deve op the tribes ir Rajasthan Specify the role of sub-trial plain in the context.

3 अरावली विकास का क्या महत्व है? इसके सम्भावित लाभों पर प्रकाश डालिए।
What is the importane of Aravalli Development? Analyse the possible gains of this programme

4 राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
Analyse in brief the Tribal Area Development Programme (TADP) in Rajasthan

5 जवाहर रोजगार योजना पर एक निबंध लिखिए।
Write an essay on Jawahar Rojgar Yojna (JRY)

6 निम्नलिखित पर 100 शब्दों (प्रत्येक) में टिप्पणी कीजिए
(i) राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका (ii) मरु-विकास कार्यक्रम
Write short notes on the following in 100 words for each -
(i) Role of National Development Council (ii) Desert Development Programme

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

1 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए
(i) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (ii) मरु-विकास कार्यक्रम
(iii) जनजाति क्षेत्र तथा अरावली विकास (iv) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
(v) जवाहर रोजगार योजना
Write short notes on the following
(i) Drought Prone Area Programme (ii) Desert Development Programme
(iii) Tribal Area and Aravalli Development (iv) Integrated Rural Development Programme
(v) Jawahar Rojgar Yojna

2 राजस्थान में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। भविष्य में इसको कैसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है?

Describe the Drought Prone Area Programme (DPAP) in Rajasthan How it can be more effective in future?

3 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -

(i) राज्य में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (ii) अरावली विकास कार्यक्रम

(iii) राज्य में मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम

Write short notes on -

(i) Drought Prone Area Programme in the State (ii) Aravalli Development Programme

(iii) Desert Development Programme in the State

4 राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रम के रूप में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा कीजिए।

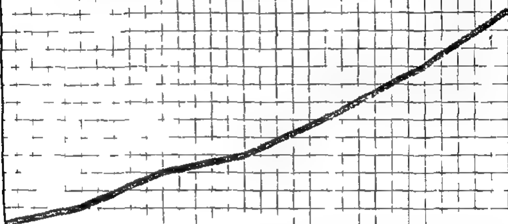
Review the Integrated Rural Development Programme as a specific progreamme to eradicate the poverty in Rajasthan



अध्याय – 20

राजस्थान में आर्थिक नियोजन

ECONOMIC PLANNING IN RAJASTHAN



"राजस्थान में जिला नियोजन 1988 89 से आरम्भ हुआ।"

<u>अध्याय एक दृष्टि में</u>

- राजस्थान का नियोजन तंत्र
- विकेन्द्रित नियोजन
- राजस्थान में आर्थिक नियोजन
- राजस्थान की नवीं पंचवर्षीय योजना
- अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान का नियोजन तंत्र

PLANNING MACHINERY IN RAJASTHAN

राजस्थान में प्रभावपूर्ण नियोजन के लिए जो तंत्र विकसित किया गया है उसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाएं और विभाग महत्वपूर्ण है

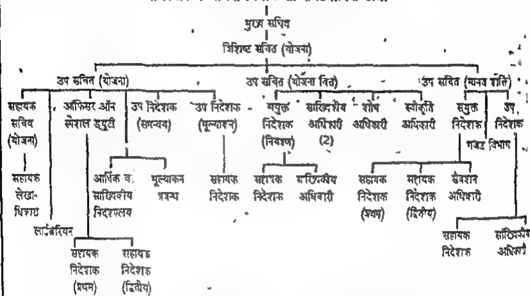
1 योजना आयोग (Planning Commission) - योजना आयोग भारत में योजना के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। इसका गठन सन् 1950 में किया गया था। आयोग संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विकास की रूपरेखा बनाता है। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है।

2 राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) - राज्य स्तर पर सभी राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन किया गया है। इस परिषद् में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना के सभी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं व कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। प्रधानमंत्री इस परिषद् का अध्यक्ष होता है।

3 राज्य नियोजन बोर्ड (State Planning Board) योजना के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए यह एक उच्चस्तरीय

अनुभव वाला बोर्ड है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार को योजनाओं के निर्माण और उनके क्रियान्वयन के लिए सलाह देने हेतु विभिन क्षेत्रों के विशेषज्ञ विद्यमान होते है।

4 योजना विभाग (Planning Department) - राजस्थान में योजना विभाग राजस्थान की योजना के निर्माण एव क्रियान्वयन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अन्तर्गत योजनागत वित्त, जनशक्ति आदि के नियोजन, समन्वय, निरीक्षण और मूल्याकन की व्यवस्था होती है। इसके प्रभावी सचालन से राजस्थान में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सभव है। राजस्थान में योजना विभाग का सगठन अग्राकित चित्र में समझा जा सकता है -



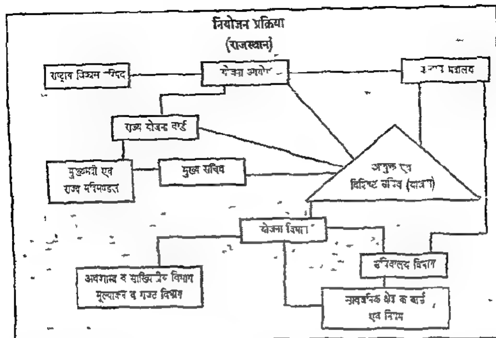
5 जिला योजना प्रकोष्ठ (District Planning Cells)- प्रत्येक जिले में जिला विकास अधिकारी को सहयोग देने के लिए जिला प्रकोष्ठ बनाए गए है ताकि योजना के क्रियान्वयन के वास्तविक स्तर पर नियोजन को सुदृढ बनाया जा सके। यह 'नीचे से नियोजन' प्रोत्साहित करता है। जिला योजनाओ क माध्यम से राज्य के लिए प्रभावी और वास्तविक योजना का निर्माण सभव है।

6 निरीक्षण एव मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) - राज्य योजना विभाग के अन्तर्गत निरीक्षण एव मूल्याकन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है ताकि समय रहते योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी हो सके और आगामी योजनाओं में सुधार किया जा सके। योजना के मूल्याकन के लिए पर्याप्त कुशलता लाने की चेष्टा की गई है। योजनाओं को लागत लाभ की दृष्टि से भी देखा जाता है ताकि विभिन्न परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सुविधा हो सके।

7 विशिष्ट योजना संगठन (Special Scheme Organisation) - राजस्थान सरकार ने इस सगठन की स्थापना लघु सिचाई, भूमि विकास और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों मे सस्थागत वित्त को आकर्षित करने के लिए की थी क्योंकि इसकी स्थापना से पूर्व ऐसा कोई सगठन नही था जो विभिन्न वित्तीय सस्थाओं की आवश्यकता के अनुसार परियोजनाओं का निर्माण कर सके। इस सगठन ने डेयरी, पशुपालन, विपणन आदि में विशेषज्ञता प्राप्त की है। इस सगठन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर, उन क्षेत्रों का समन्वित विकास करना है। इस सगठन के अन्तर्गत अनेक विशेष योजनाओं का निर्माण किया गया है।

8 निर्बन्ध जिला योजना (Untied District Plan Fund) - राजस्थान सरकार ने सभी जिलों को निर्बन्ध जिला योजना के अन्तर्गत राशि उपलब्ध करवाई है। यह जिलास्तर पर योजना निर्माण की ओर एक कदम है। इनके अन्तर्गत निर्धारित राशि को जिले द्वारा भेजी गई योजनाओं के अनुमोदन के पश्चात् उनके क्रियान्वयन पर व्यय किया जाता है।

इस प्रकार राजस्थान में समग्र रूप से देखा जाए तो नियोजन की प्रक्रिया को इस चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है



विकेन्द्रित नियोजन
DECENTRALISED PLANNING

राजस्थान में नियोजन के अंतर्गत राज्य की केन्द्रीय भूमिका रही है। जिला स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के उद्देश्य से स्थानीय साधनों एवं प्रतिभाओं को उपयोग करने के लिए जिला स्तर एवं उससे नीचे नियोजन अपरिहार्य हो जाता है। इससे लोगों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं का सही आकलन किया जा सकता है एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। निर्धनता निवारण और रोजगार के कार्यक्रमों को गत कुछ वर्षों से जिला स्तर पर क्रियान्वित भी किया जा रहा है। इससे ऐसा अनुभव हुआ कि नियोजन के कुछ कार्यों को राज्य स्तर से जिला स्तर पर हस्तान्तरित किया जा सकता है ताकि नियोजन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता एवं सक्रिय सहयोग मिल सके। राज्य सरकार ने ट्रायबल सब-प्लान, कमाण्ड एरिया डवलपमेन्ट, सूखा सम्भावित कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से क्षेत्रीय नियोजन से सम्बन्धित कुछ कदम भी उठाये। जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्य कर रहे है। इन अभिकरणों का यह दायित्व है कि वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भावित कार्यक्रम आदि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें। इन अभिकरणों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाती है और उसका क्रियान्वयन किया जाता है। जिले में जिला नियोजन समिति का गठन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उस समय किया गया था जब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। उस समय इन समितियों को केवल सलाह और समीक्षा का कार्य दिया गया था किन्तु इन्हें कोई क्रियात्मक एवं वित्तीय शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है। सरकारी क्रियाओं में जिले का विशेष प्रशासनिक महत्व है। इसका भविष्य में भी बने रहने की संभावना है। इसमें एक सुसंगठित एवं समन्वित प्रशासनिक तंत्र विद्यमान होता है जिसमें जिलाधीश के अतिरिक्त ग्राम पंचायत, पंचायत समितियाँ, जिला परिषदें, म्यूनिसिपल कौंसिल एवं बोर्ड आदि चयनित संस्थाएं होती है। विधानसभा की सभी सीटें भी जिले की सीमा के भीतर होती है। ऐसी स्थिति में जिला विकेन्द्रित नियोजन के लिए एक उचित माध्यम व आधार है।

राजस्थान में जिला नियोजन का आरंभ 1988-89 से हुआ जबकि झालावाड़ जिले की व्यापक जिला योजना निर्मित की गई। ऐसी योजनाएं पाली, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर आदि में भी निर्मित हो रही है। इन सबका मुख्य उद्देश्य नियोजन की क्रियाविधि को कुशल बनाने से है। राजस्थान में राज्य स्तर पर नियोजन विभाग के अन्तर्गत एक अलग जिला नियोजन प्रकोष्ठ बनाया गया है जो राजस्थान में जिला नियोजन से सम्बन्धित है। जिला स्तर पर भी नियोजन प्रकोष्ठ बनाये गए है। ये प्रकोष्ठ जिला नियोजन में तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करेंगे। जयपुर के राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जिला नियोजन के विभिन्न पक्षों से

परिचित कराने के लिए सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। इन प्रकोष्ठों को जिले की ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित योजनाओं के दीर्घावधि एव अल्पावधि योजना बनाने के लिए उत्तरदायी बनाया जा रहा है। इन प्रकोष्ठों द्वारा निर्मित योजनाओं को राज्य योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा। ये प्रकोष्ठ जिलाधीश के अन्तर्गत कार्य करेंगे। ये प्रकोष्ठ जिला नियोजन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भी सहयोग देंगे। इन प्रकोष्ठों का कार्य मुख्य नियोजन अधिकारी के नाम से निर्मित पद के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। राज्य का नियोजन विभाग राज्य स्तर पर, जिला नियोजन का मुख्य विभाग होगा। जिला नियोजन प्रकोष्ठों को ग्राम स्तर के आकडे इकट्ठे करने का कार्य भी सौपा जायेगा। इन आकडों का प्रयोग जिला नियोजन के अतर्गत किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के आकडे इकट्ठा करने का कार्य एव इस सूचना को कम्प्यूटर में भरने का कार्य प्रगति पर है। ये प्रकोष्ठ प्रत्येक जिले के समाधनों का विवरण भी निर्मित करेंगे। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही जिलों को निर्बन्ध कोष *(Untied Funds)* भी उपलब्ध कराए गए है ताकि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एव आकाक्षाओं को उचित महत्व दिया जा सके। इन कोषों का उपयोग पेयजल, विद्यालय भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लड बैक, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण में, ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रों में [illegible] या जा सकता है बशर्ते इन कार्यों के कारण भविष्य में [illegible] दायित्व उत्पन्न न हो। आठवीं योजना के अतर्गत इन कोषों के लिए 225 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। 1991-92 के वर्ष से 30 जिले 30 काम नाम की एक नई योजना प्रारम्भ की गई। इसके अतर्गत 20 करोड रुपये जिलों को निर्बन्ध कोषों की भाति एव उसी आधार पर आवटित 30 जिले 30 काम का उद्देश्य यही है कि जिले द्वारा अल्प अवधि में स्थानीय संस्थानों का कुशलता उपयोग कर सके। साथ ही यह राशि इस प्रकार से विनियोजित की जाये कि स्थानीय समाधनों के उपयोग के साथ साथ जिले का विकास भी सभव हो सके। इस हेतु जिले की इस गतिविधियो में से एक को चुनना होता है लिफ्ट सिचाई, स्प्रिकलर, एनीकट, लघु सिचाई, पर्यटन विकास, पशुपालन विकास, विद्यालय भवन का निर्माण अस्पताल के भवन का निर्माण चरागाह एव वन विकास, क्षारीय भूमि विकास, विद्युत पयजल, सडक हस्तकला, परिवार कल्याण साक्षरता, कमजोर वर्ग का कल्याण। उपरोक्त में से किसी एक क्रिया का चयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है जिसमें जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होते है। इसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय नियोजन की प्रक्रिया एव विकास में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सक्रिय भागीदारी हो सके। कार्यक्रम का क्रियान्वयन एव नियत्रण मुख्य नियोजन अधिकारी द्वारा जिलाधीश के अधीन किया जाता है। 30 जिला 30 काम के लिए आठवीं योजना में 190 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है। राज्यस्तरीय नियोजन विभाग ने अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, हनुमन्त राव समिति की सिफारिशों एव झालावाड जिला योजना के निर्माण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर राज्य में विकेन्द्रित नियोजन की क्रियाविधि निर्धारित कर ली है।

राजस्थान में आर्थिक नियोजन
ECONOMIC PLANNING IN RAJASTHAN

राजस्थान में योजनाबद्ध विकास 1951 में आरम्भ हुआ। सन् 1950 में देश में योजना आयोग की स्थापना की गई। राज्य स्तर पर सभी राज्यों के अन्तर्गत समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन किया गया। राजस्थान में अब तक पूरे देश की भाति सात पचवर्षीय योजनाए पूरी हो चुकी है। 1990 में सातवीं पचवर्षीय योजना समाप्त होने के पश्चात् 1990-91 और 1991-92 के लिए दो वार्षिक योजनाए बनाई गई है क्योंकि आठवी योजना 1 अप्रेल, 1992 से आरम्भ हुई। राजस्थान में विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रकार है

प्रथम पंचवर्षीय योजना
(First Five-Year Plan (1951-56))

राजस्थान में प्रथम पचवर्षीय योजना 1 अप्रेल, 1951 से 31 मार्च, 1956 तक क्रियान्वित की गई। इस योजना के अतर्गत विभिन्न मदों पर 6450 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु योजना के अन्त तक केवल 54 14 करोड रुपये ही व्यय हो पाए।

योजना के उद्देश्य
Objectives

इस योजना के अतर्गत सबसे कठिन कार्य राजस्थान के जनमानस का नियोजन के लिए तैयार करना था क्योंकि इस प्रकार के आयोजन के लिए जनता में आवश्यक जानकारी का बिल्कुल अभाव था। इसी प्रकार न तो अलग-अलग टुकडों में बटे हुए रजवाडों की सभावनाओं और समस्याओं की पूरी जानकारी उपलब्ध थी तथा न ही रजवाडों की अर्थव्यवस्था का साख्यिकीय विश्लेषण उपलब्ध था। इस

विभाग / योजना			कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	ग्रामीण विकास	सहकारिता	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	शक्ति	उद्योग एवं खनिज	यातायात	वैज्ञानिक सेवाएं व अनुसंधान	सामाजिक एवम् सामुदायिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	सामान्य सेवाएं	कुल योग
प्रथम योजना	1951-56	①	3 24	3 12	0 28	29 83	9 58	0 55	6 27		11 07	0 56	-	64 50
		②	2 62	3 04	0 26	31 31	1 24	0 46	5 55	-	9 11	0 55	-	54 14
द्वितीय योजना	1956-61	①	6 70	7 27	1 64	29 56	19 99	5 57	9 57	-	24 67	0 10	-	105 27
		②	6 32	12 52	1 94	27 [illegible]	15 15	3 37	10 17		25 05	0 11	0 25	102 74
तृतीय योजना	1961-66	①	16 30	1780	4 00	92 70	35 00	8 95	13 20		47 75	0 30	-	236 00
		②	12 40	14 48	2 43	87 88	39 36	3 31	9 75	-	42 66	0 23	-	212 70
वार्षिक योजना	1966-69	①	11 01	4 27	0 85	39 65	47 29	2 35	3 74		23 43	0 13	-	132 72
		②	10 02	4 15	0 93	46 59	46 82	2 06	4 41		21 67	0 11	-	136 7o
चतुर्थ योजना	1969-74	①	10 95	3 19	5 00	102 84	90 37	7 85	9 78	-	73 77	0 51	1 85	306 21
		②	10 28	3 00	5 32	105 28	93 98	8 55	9 99		72 07	0 34		308 79
पांचवी योजना	1974-79	①	32 83	18 06	14 18	276 45	242 30	33 67	79 59	-	146 19	0 94	2 95	847 16
		②	31 44	19 24	1. 41	271 17	246 97	34 53	6 20		149 05	0 83	0 83	857 62
वार्षिक योजना	1979-80	①	12 67	9 30	4 50	81 25	90 00	12 54	24 50	-	38 59	0 21	1 44	275 00
		②	15 60	18 12	4 75	76 31	100 00	11 67	22 57	-	39 74	0 18	1 07	290 19
छठी योजना	1980-85	①	82 33	112 26	24 38	539 98	650 61	83 50	136 50		386 13	1 31	8 00	2025 00
		②	98 55	124 51	26 53	547 08	568 14	83 6o	243 95	0 15	420 10	1 50	10 28	2120 45
सातवी योजना	1985-90	①	159 24	130 07	46 20	682 07	927 48	190 69	140 36	8 40	674 71	17 54	23 24	3000 00
		②	161 90	209 42	41 51	690 51	921 77	145 57	142 47	2 41	736 26	15 17	39 19	3106 18
वार्षिक योजना	1990-91	①	71 10	57 91	12 57	181 73	238 41	86 61	46 65	1 90	237 70	16 63	10 32	961 53
		②	67 93	64 39	11 63	177 49	275 13	88 72	42 40	1 76	222 31	15 49	8 32	975 57
वार्षिक योजना	1991-92	①	82 03	75 59	15 00	232 57	317 51	61 77	60 75	2 60	288 14	24 30	5 74	1166 00
		③	80 19	67 74	15 08	218 14	347 11	62 22	60 30	2 46	278 44	43 18	9 55	1184 41
आठवी योजना	1992-97	①	1288 92	1021 75	84 00	1919 98	3255 48	538 01	783 96	19 96	2461 61	71 72	58 55	11500 00
		②	1124 48	871 59	38 98	1840 48	3099 11	649 94	870 90	16 63	3093 [illegible]	72 40	186 63	11865 06

① या [illegible] ② या वास्तविक व्यय ① सं सम्भावित व्यय

स्रोत Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt of Rajasthan & Ninth Five Year Plan 1997 2002 Govt. of Raj

कारण साधन जुटाने के साथ-साथ साधनों की गणना करना भी कठिन था। इसलिए विभिन्न रियासतों से सम्बन्धित जानकारी अनुमान के रूप में ही तैयार की गई। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केवल वे ही कार्यक्रम हाथ में लिए गए जो तत्कालीन प्रशासनिक स्तर पर अनुभवों के आधार पर उचित समझे गए। जब यह योजना आरम्भ हुई तो राजस्थान में वर्षा के अभाव के कारण सूखे एवं अकाल की स्थिति बनी हुई थी। कृषक की हालत दयनीय थी और कृषि जोतों का आकार छोटा और बिखरा हुआ था। किसान को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इस कारण वह अपनी पैदावार से भी वंचित था। सिंचाई के साधन लगभग नहीं के बराबर थे। इस कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस हेतु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, पर विशेष प्रयास किया गया। इसके पश्चात् सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया गया।

उपलब्धियां
Achievements

राजस्थान में विकासशील अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना इसी योजनाकाल में आरम्भ की गई। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए भाखड़ा एवं अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से कार्य आरम्भ किया गया। कृषि विस्तार के कार्यक्रमों पर सम्पूर्ण योजना व्यय का 65 प्रतिशत व्यय किया गया। सिंचाई साधनों में वृद्धि एवं सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3.35 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकी। योजना के अंत में खाद्यान्न का उत्पादन 42.42 लाख टन हुआ। इसी प्रकार 1950-51 में जो सिंचित क्षेत्र 11.71 लाख हैक्टेयर था,योजना के अंत में बढ़कर 15.93 लाख हैक्टेयर हो गया। इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा राजस्थान में भविष्य की योजना के लिए सुदृढ़ आधार बना। यहां के आयोजकों ने राजस्थान की छिपी हुई संभावनाओं का पता लगाया। विद्युत के विकास के लिए प्रयास आरम्भ किए गए। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय राज्य में केवल सामन्ती शासकों की राजधानियों में ही विद्युत थी। उद्योग-धन्धे कम होने के कारण राज्य में विद्युत की मांग कम थी। प्रथम योजना के आरम्भ में 42 बस्तियों में विद्युत उपलब्ध थी। विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या 1955-56 के अन्त में 1242 हो गई। इसी प्रकार विद्युत की क्षमता इसी मध्य 8 मेगावाट से बढ़कर 96 मेगावाट हो गई। प्रथम योजनाकाल तक कुओं पर विद्युतचलित पम्पसेट लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम से यह संभव हो सका। इस योजना में शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व दिया गया जिससे 1951 में साक्षरता की दर बढ़ी। प्रथम योजनाकाल में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रयत्न किए गए और इस हेतु एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई। चम्बल नदी से सिंचाई के लिए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप में चम्बल नदी पर एक बहु-उद्देशीय नदी घाटी योजना क्रियान्वित की गई जो कि आगे चलकर तीन चरणों में पूरी हुई। भाखड़ा-नांगल तथा चम्बल की दो बहु-उद्देशीय योजनाओं के अतिरिक्त, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 111 वृहद् एवं मध्यम परियोजना और 244 लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्य भी आरम्भ किए गए। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजनाकाल में राजस्थान में दो चीनी मिलें, दो सीमेंट फैक्ट्रियां, एक कांच फैक्ट्री, 10 सूती कपड़ा मिलें, एक बॉल बियरिंग फैक्ट्री और एक इलेक्ट्रिकल एवं एक मैटल फैक्ट्री मुख्य रूप से क्रियाशील थीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना
SECOND FIVE-YEAR PLAN - 1956-61

राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रेल, 1956 में आरम्भ हुई और 31 मार्च 1961 को पूरी हुई। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर 105.27 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु वास्तव में 102.74 करोड़ रुपये ही व्यय किए गए।

योजना के उद्देश्य
Objectives

राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और विद्युत का सामूहिक एवं पृथक विकास इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को भी पर्याप्त महत्त्व दिया गया। इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों के द्वारा विकास का वातावरण बनाने का प्रयास भी किया गया। एक प्रकार से यह योजना पुनः कृषिप्रधान योजना थी।

उपलब्धियां
Achievements

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में जमींदारी, जागीरदारी एवं बिस्वेदारी व्यवस्थाओं का उन्मूलन हुआ। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य था जिससे कृषकों को विशेष राहत मिली। जागीरदारी उन्मूलन से एक सामाजिक क्रांति का भी सूत्रपात हुआ। भूमि जोतने वालों को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गए और लम्बे समय से चला आ रहा भूमिपतियों का आधिपत्य समाप्त हो गया। इस व्यवस्था से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। योजनाकाल में 48 प्रतिशत भाग, कृषि एवं सिंचाई कार्यक्रम पर व्यय हुआ। इसमें मुख्यत राजस्थान नहर पर केन्द्र द्वारा किया गया 13 करोड रुपये का व्यय भी सम्मिलित है। इस योजना में 10 30 लाख टन खाद्यान्न की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का विकास हुआ। प्रथम योजना में यह क्षमता केवल 3 35 लाख टन ही थी। इस योजना में पर्याप्त वर्षा के अभाव में भी 3 11 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। इस योजना से सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया। कृषि में उन्नत विधियों के बारे में सोचा जाने लगा। सिंचित क्षेत्र का विस्तार हुआ। विद्युत व्यवस्था सुदृढ और उद्योग एवं व्यवसाय के नये अवसर उपलब्ध हुए। इस योजनाकाल में चम्बल परियोजना के अंतर्गत कोटा बैराज का निर्माण-कार्य किया गया। इससे कोटा के विकास के लिए महत्वपूर्ण मदद मिली। कोटा का औद्योगिक विकास राजस्थान से बहकर जाने वाली इसी एक-मात्र नदी के कारण सम्भव हो सका। इस योजनाकाल में भारत सरकार ने कोटा में नायलॉन फैक्ट्री, उदयपुर, भवानीमण्डी किशनगढ तथा भीलवाड़ा में सूती मिलें और देबारी में जिंक स्मेल्टर सयत्र आदि अनेक महत्वपूर्ण उद्यमों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान किए। कुटीर एवं लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसी अवधि में राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, राजस्थान कृषि मण्डल, राजस्थान हस्तकला मण्डल, राजस्थान लघु उद्योग मण्डल, राजस्थान वित्त निगम आदि की स्थापना की गई। इस योजना के अन्त तक विद्युत उत्पादन क्षमता 109 हजार किलोवाट तक पहुच गई जबकि पहली योजना के अंत में यह केवल 35 हजार किलोवाट तक ही थी। खेतड़ी में ताम्र और जावर खानों के जस्ते का व्यवस्थित रूप से खनन, इसी योजना में आरम्भ हुआ। मरूस्थल क्षेत्र में बदलाव लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण कार्य भी इसी योजना में आरम्भ हुआ। इनके अतिरिक्त पोंग बांध, माही बजाज सागर, जाखम बैराज, बनास, रावी आदि परियोजनाओं पर भी कार्य किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राज्य की सपूर्ण ग्रामीण जनता को 232 विकास खण्डों में बांटा गया। पंचायती राज की स्थापना से ग्रामीण विकास को गति मिली।

तृतीय पंचवर्षीय योजना
THIRD FIVE-YEAR PLAN - 1961-66

राजस्थान में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1966 के मध्य क्रियान्वित की गई। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर 236 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु वास्तविक व्यय 212 70 करोड रुपये का रहा।

योजना के उद्देश्य
Objectives

इस योजना में विगत योजनाओं की भांति सर्वाधिक महत्व कृषि को ही प्रदान किया गया। साधन कृषि के अन्तर्गत उन्नत बीज, यान्त्रिक खेती और सिंचाई पर विशेष बल दिया गया। कृषि, सिंचाई तथा विद्युत व्यवस्था पर समस्त योजना व्यय के 66 प्रतिशत व्यय का प्रावधान किया गया।

उपलब्धियां
Achievements

इस योजना में 1962 में चीन के आक्रमण के बाद कृषि के उत्पादन कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाने लगा। कृषि का एक महत्वपूर्ण पहलू कुछ चुने हुए कृषि क्षेत्रों में अधिक विकास पर ध्यान दिया गया ताकि उतने ही व्यय से सर्वाधिक कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सके। जिला स्तर पर सघन कृषि कार्यक्रम जैसे कार्य आरम्भ किए गए। चीन के आक्रमण के पश्चात् देश की विचारधारा में परिवर्तन हुआ और सभी राज्य अधिक से अधिक वित्तीय साधन जुटाने के लिए प्रयत्नशील हो गए। लेकिन दोनों आक्रमण के साथ-साथ ही प्रकृति की प्रतिकूलता भी बनी रही। राजस्थान में सूखे और अकाल के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पडा। इस योजनावधि में अधिकांशत अकाल व सूखे की स्थिति रही। इन कारण मारे वित्तीय साधन इन प्राकृतिक प्रकोप पर काबू पाने के लिए प्रयुक्त किए गए। विकास कार्यों की जगह राहत कार्यों को प्राथमिकता दी गई। योजना के अन्त में खाद्यान्न का उत्पादन 38 39 लाख टन ही रह गया। तीसरी योजना के अन्त में विद्युत क्षमता 65 मेगावाट से बढकर 96 मेगावाट हो गई। इस योजना में सामाजिक

सेवाओं में काफी कार्य किया गया। इसी योजना में दो नये विश्वविद्यालय राज्य में खोले गए। शिक्षा के प्रसार, तकनीकी शिक्षा में गति स्वास्थ्य एव चिकित्सा की नई सुविधाए और नये उद्योगों के विकास से राज्य म आर्थिक विकास का वातावरण बना।

वार्षिक योजनाएं
ANNUAL PLANS - 1966-69

तीसरी पचवर्षीय योजना के पश्चात् चौथी योजना वर्ष 1966 में आरम्भ नहीं हो पाई। इस कारण 1966 67, 1967 68 और 1968 69 के लिए वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया गया। इन वार्षिक योजनाओ मे कुल 132 72 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया किन्तु वास्तविक व्यय 136 76 करोड रुपये हो गया।

योजना के उद्देश्य
Objectives

तीन वार्षिक योजनाओं ने चौथी पचवर्षीय योजना के लए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इस योजना में सर्वाधिक महत्व पुन कृषि एव सिचाई को ही प्रदान किया गया। शक्ति के साधनों के विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी गइ। राजस्थान के अधिकाश भागों में तृतीय पचवर्षीय योजनाकाल से ही सूखे की ही स्थिति बनी हुई थी। अत इन योजनाओं में चेष्टा की गई कि अधूरे पडे कार्यों को पहले पूरा किया जाए।

उपलब्धियां
Achievements

वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत सूती धागा, सीमेन्ट आदि औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि हुई। कल्याणकारी कार्यों के फलस्वरूप समाज में नई चेतना का आभास हुआ। औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप पजीकृत इकाइयों की सख्या 1509 से बढकर 1968 में 1753 हो गई। इस योजनाकाल में कई प्रमुख कारखाने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए, जैसे जस्ता परिष्कक (जिक समेल्टर), उदयपुर कॉपर स्मेल्टर खेतडी, इस्ट्रूमेंटेशन लि , कोटा, फर्टीलाइजर एण्ड फाइबर प्लाट कोटा, वूलन स्पिनिंग मिल बीकानेर, वर्स्टेड वूलन मिल्स, चूरू वर्स्टेड वूलन मिल्स, लाडनू, फ्लोराइट बेनिफिकेशन प्लाण्ट माण्डो की पाल, हिटेची प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर सोडियम सल्फेट प्लाण्ट डीडवाना सीमेंट फैक्ट्री चित्तौडगढ, कॉपर एलाय ट्यूब्स फैक्ट्री, कोटा, कोका-कोला फक्ट्री, जयपुर, ट्रान्समीशन हाईड्रोजिनेटिड आइल्स फैक्ट्री, भीलवाडा आदि। इस योजना के अन्त में विद्युत उत्पादन क्षमता 96 मेगावाट से बढकर 174 मेगावाट हो गई। राज्य में खाद्यान्न की विषम स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन का सघन कार्यक्रम भी इन्हीं वार्षिक योजनाओ में आरम्भ किया गया। इस योजनाकाल मे 300 या इससे अधिक जनसख्या के सभी गावों मे प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी थी। कुछ पर्वतीय या मरुस्थली क्षेत्रों को छोडकर राज्यभर में हर ढाई किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध थी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना
FOURTH FIVE-YEAR PLAN - 1969-74

राजस्थान की चौथी पचवर्षीय योजना 1 अप्रेल, 1969 से 31 मार्च, 1974 तक क्रियान्वित की गई। इस योजना के अन्तर्गत 306 21 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया था किन्तु वास्तविक व्यय 308 79 करोड रुपये का हुआ।

योजना के उद्देश्य
Objectives

इस योजना में विगत योजनाओं की भाति कृषि व सिचाई पर सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, शक्ति के साधनों के विकास के लिए विशेष प्रयास करने का उद्देश्य रखा गया। सामाजिक एव सामुदायिक सेवाओं का विस्तार करने की योजना भी बनाई गई।

उपलब्धिया
Achievements

इस योजना में तीन बडी एव मध्यम परियोजनाए पूरी की गई। साथ ही 1 63 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की गई। चतुर्थ योजना में राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में विशेष प्रगति हुई। विद्युत उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने से विद्युत उत्पादन 174 मेगावाट से बढकर 400 मेगावाट हो गया। अनेक ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया और अधिक कुओं को बिजली प्रदान की गई। उन्नत कृषि प्रणाली के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में वनस्पति तेल, सीमेंट पावर केबिल्स, उन्नत सूती धागे, मशीन टूल्स, चीनी एव नायलोन के धागे आदि के उत्पादन मे

सम्बन्धित महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए। तिलहन एव उर्वरकों का उत्पादन बढा। सामाजिक सेवाओं और सुविधाओं में वृद्धि की दृष्टि से लगभग 2500 किलोमीटर लम्बी सडकें, 2100 से अधिक प्राथमिक शालाए आदि स्थापित किए गए।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

FIFTH FIVE-YEAR PLAN - 1974-79

राजस्थान में पांचवी पचवर्षीय योजना 1 अप्रेल, 1974 से 31 मार्च 1979 तक लागू की गई। इस योजना में 847 16 करोड रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु वास्तविक व्यय इससे कुछ अधिक 857 62 करोड रुपये हुआ।

उद्देश्य

Objectives

पांचवी पचवर्षीय योजना में सरचनात्मक ढाचे को विकसित एव सुदृढ करने पर सर्वाधिक बल दिया गया। इसी कारण योजना में सर्वाधिक व्यय सिचाई और शक्ति के क्षेत्रों में किया गया। इससे कृषि एव अन्य सम्बन्धित व्यवसाय भी स्वत ही प्राथमिकता की श्रेणी मे आते है। सामाजिक एव सामुदायिक सेवाओं को पुन महत्व प्रदान किया गया। यातायात, उद्योग एव खनिज को विकसित करने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

उपलब्धियां

Achievements

इस योजनावधि में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। खाद्यान्न का उत्पादन 67.21 लाख टन से बढकर 77 80 लाख टन तक पहुच गया इसी प्रकार तिलहन का उत्पादन 3 39 लाख टन से बढकर 5 5 लाख टन तक पहुच गया। इस योजनावधि में उन्नत कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि अकित की गई। सिचाई के क्षेत्र में 4 54 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता निर्मित की गई। इस योजना में लघु उद्योगों, हस्तकला तथा खादी एव ग्रामोद्योग के विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कारण ग्रामोद्योगों का उत्पादन 8 14 करोड रुपये से बढकर 10 00 करोड रुपये तक पहुच गया। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना कर दी गई।

वार्षिक योजना

ANNUAL PLAN - 1979-80

पांचवी योजना के पश्चात् छठी योजना समय पर आरम्भ नहीं हो पाई। इस कारण वार्षिक योजना बनाई गई। इस योजना में 275 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया किन्तु वास्तव में व्यय 290 19 करोड रुपये हुआ।

योजना के उद्देश्य

Objectives

इस वार्षिक योजना का उद्देश्य छठी पचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि तैयार करना था व इस हेतु सरचनात्मक ढाचे को मजबूत करने की चेष्टा की गई। इसी कारण इस योजना में सबसे अधिक व्यय सिचाई और शक्ति के साधनों पर किया गया जो कि राज्य के योजनागत व्यय का 54 76 प्रतिशत था। इसके साथ ही कृषि को भी महत्व दिया गया तथा सामाजिक एव सामुदायिक सेवाए और अधिक विकसित की गईं।

उपलब्धियां

Achievements

इस वार्षिक योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का उत्पादन 1978-79 की अपेक्षा अकाल की स्थिति के कारण कम हुआ। यही स्थिति तिलहन और अन्य कृषि उत्पादनों की रही। ऐसा होने पर भी उन्नत कृषि के अन्तर्गत भूमि 15 77 लाख हैक्टेयर से बढकर 16 63 हैक्टेयर हो गई। सिंचित क्षेत्र में अकाल के कारण कुछ कमी आई। ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन बढा और वह 1978-79 में 10 करोड रुपये की अपेक्षा 1979-80 में 12 करोड रुपये हो गया। राजस्थान में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सडकों प्राथमिक शिक्षा व स्वास्थ्य, ग्रामीण पेयजल, पोषाहार आदि, पर भी ध्यान दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना

SIXTH FIVE-YEAR PLAN - 1980-85

छठी पचवर्षीय योजना राजस्थान में 1 अप्रेल, 1980 से आरम्भ हुई और 31 मार्च, 1935 का पूरी हुई। इस योजना में विभिन्न मदों पर 2025 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया किन्तु वास्तविक व्यय 2120 45 करोड रुपये हुआ।

उद्देश्य
Objectives

छठी योजना में तीव्र ग्रामीण विकास के माध्यम से निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य रखा गया। निर्धनता निवारण के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और रोजगार सृजित करने वाले कार्यक्रम आरम्भ किए गए। इस योजना के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए साधनों की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने की चेष्टा की गई। शक्ति के साधनों के विकास एवं संरक्षण पर बल दिया गया। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की चेष्टा भी की गई।

उपलब्धियां
Achievements

मूलभूत संरचना, उत्पादन और सामाजिक सेवाओं से सम्बन्धित नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। गरीबों में, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों की उन्नति के विशेष प्रयास किए गए। सिंचाई के क्षेत्र में भाखड़ा व चम्बल व्यवस्था तथा इन्दिरा गांधी नहर व माही परियोजनाओं का विकास किया गया। शक्ति के साधन के दृष्टिकोण से भाखड़ा व चम्बल परियोजनाओं में अधिक विद्युत के लिए जल विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया। छठी योजना के अन्तर्गत 2120 करोड़ रुपये व्यय किए गए जबकि इससे पूर्व की प्रथम योजना से पांचवी योजना तक राजस्थान में केवल 1963 करोड़ रुपए विनियोजित किए गए थे। इस प्रकार छठी योजना में जो विनियोग किया गया वह विगत 30 वर्षों के विनियोग से अधिक था। इस पंचवर्षीय योजना में 2 24 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की गई खाद्यान्नों में वृद्धि हुई। विभिन्न फसलों के प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ी। संरचनात्मक ढांचा अधिक सुदृढ़ हुआ। सड़कों की लम्बाई योजना के अन्त में 48811 किलोमीटर हो गई। विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ी। ताप से उत्पन्न विद्युत उत्पादन 1105 1 मिलियन किलोवाट हो गया। विद्युत का उपभोग भी बढ़ा। योजना के अर्न्तगत में यह 4386 5 मिलियन किलोवाट तक पहुंच गया। योजना के अन्त तक 201 कस्बे और 20287 गांव विद्युतीकृत हो चुके थे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना
SEVENTH FIVE-YEAR PLAN - 1985-90

यह योजना 1 अप्रेल 1985 से 31 मार्च 1990 तक क्रियान्वित की गई। इस योजना में 3000 00 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया जबकि वास्तविक व्यय 3106 18 करोड़ रुपये हुआ।

योजना के उद्देश्य
Objectives

सातवीं योजना में भोजन, कार्य व उत्पादकता को विशेष प्राथमिकता दी गई। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन को अधिकतम करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। गरीबी दूर करने के उद्देश्य से रोजगार से सम्बन्धित कार्यक्रमों, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। इस प्रकार सातवीं योजना में राजस्थान के विकास के लिए नई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। विद्युत, जल, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण, अकाल की समस्या का निवारण, पिछड़े वर्गों का उत्थान एवं तीव्रगति से औद्योगिकरण करने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया। इस प्रकार से योजना बनाई गई कि संतुलित विकास को बल मिले।

उपलब्धियां
Achievements

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मरुस्थल की रोकथाम के लिए सघन प्रयास किया गया तथा 182 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास और उनमें सिंचाई, पेयजल, बिजली, लघु उद्योग शिक्षा आदि के कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक संचालित किए गए। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में वनों की कमी और भूमि के कटाव को देखते हुए अरावली पर्वतीय क्षेत्र को पुन विकसित करने का निश्चय किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की भी चेष्टा की गई। 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन एवं सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किए गए। २०-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान सम्पूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर रहा। इस योजनाकाल में कृषि उत्पादन का सूचकांक 1984-85 में 127 27 से बढ़कर योजना के अंत में 165 87 हो गया। इसी प्रकार सिंचित क्षेत्रफल जो 1984-85 में 3204 हजार हैक्टेयर था, बढ़कर 3481 हजार हैक्टेयर हो गया। रबी एवं खरीफ, दोनों फसलों में अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 27 27 लाख हैक्टेयर हो गया। इस योजनाकाल के अन्त में विद्युत का उत्पादन 6102 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया। सड़कों की लम्बाई भी 56956 किलोमीटर हो गई।

वार्षिक योजनाएं
ANNUAL PLANS - 1990-91 & 1991-92

31 मार्च 1990 को सातवीं योजना अवधि पूर्ण

हुई। इसके पश्चात् आठवीं योजना तुरन्त आरम्भ नहीं की जा सकी। आठवीं योजना को 1 अप्रेल '92 से आरम्भ किया गया। इस कारण राजस्थान में 1990-91 व 1991-92 की दो वार्षिक योजनाए बनाई गई। 1990-91 की योजना में 961 53 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया था जबकि वास्तविक व्यय 975 57 करोड रुपये हुआ। 1991-92 को योजना में 1166 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान था। इस योजना में सम्भावित वास्तविक व्यय 1184 41 करोड रुपये था।

वार्षिक योजनाओं के उद्देश्य
Objectives

ये वार्षिक योजनाए आठवी पचवर्षीय योजना के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई थी। इन योजनाओं में शक्ति के साधनों को विकसित करने पर सर्वाधिक बल दिया गया। इसी के साथ कृषि एव सिचाई के साधनों को विकसित करने की चेष्टा की गई। सामाजिक एव सामुदायिक सेवाओं पर एक बडी राशि खर्च करके उनका विस्तार करने का लक्ष्य भी रख गया। उद्योग एव खनिजों के विकास के लए सरचनात्मक ढाचे के विवास हेतु यातायात, शक्ति एव सिचाई पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

उपलब्धियां
Achievements

1990-91 में खाद्यान्नों का उत्पादन 109 लाख टन तक पहुच गया। 1991-92 में तिलहन का उत्पादन 27 लाख टन हो गया। विद्युत की स्थापित क्षमता 1991-92 में 2775 30 मेगावाट तक पहुच गई व विद्युतीकृत गावों की सख्या 28564 हो गई। सडकों की लम्बाई 1991-92 में बढकर 59913 किमी हो गई और 11536 गावों का सडकों के माध्यम से सम्पर्क सभव हो गया।

आठवी पंचवर्षीय योजना - 1992-97
EIGHTH FIVE-YEAR PLAN - 1992-97

राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना 1 अप्रेल, 1990 मे आरम्भ होनी थी किन्तु विभिन्न कारणों से यह 1 अप्रेल, 1992 से आरम्भ हो पाई।

उद्देश्य
Objectives

(i) आठवीं पचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए शक्ति के साधनों के विकास एव ग्रामीण विद्युतीकरण पर विशेष बल दिया गया। इस उद्देश्य से परिवहन एव सचार साधनों को विकसित किया गया। आर्थिक विकास के लिए खाद्यान्न दालों आदि के उत्पादन को बढाने का प्रयास किया गया, जिससे कि न केवल राज्य की आवश्यकताए पूरी हो पाए वरन् उनका निर्यात भी किया जाये।

(ii) मानवीय ससाधन के विकास के लिए रोजगार के सृजन के विशेष प्रयास किए गये। जनसख्या को प्रभावी तरीकों से नियत्रित करने की चेष्टा की गई। साक्षरता का प्रयास किया गया। न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाए एव प्रत्येक गाव को पेयजल उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई।

(iii) कृषि के विकास के लिए सिचाई साधनों पर विशेष बल दिया गया। अकाल एव सूखाग्रस्त तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल प्रबन्ध को विशेष महत्व दिया गया, कृषि विविधिकरण की चेष्टा की गई तथा जल प्रबन्ध के साथ ही बजर भूमि के विकास का कार्य भी किया गया।

व्यूहरचना
Strategy

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आठवीं पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न कदम उठाये गये

(i) प्रतिव्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत और राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय में विद्यमान अतर को कम करने का प्रयास किया गया। इस हेतु ऊंची विकास दर अपनानी थी। ऊंची विकास दर प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादन, जल प्रबन्ध और विद्यमान क्षमता का पूरा प्रयोग किया गया। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे पर्यटन, हस्तकला, हस्तकरघा आदि पर विशेष बल दिया गया। इसके साथ ही खनिज एव कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया गया।

(ii) सामाजिक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्धनता निवारण के कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। इस सदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष ध्यान दिया गया।

(iii) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिनमें अधिक रोजगार की सम्भावना विद्यमान है, जैसे कृषि एव ग्रामीण कार्यक्रम, छोटी सिचाई योजनाए, वन विकास, पशुपालन का विकास, हस्तकला, ग्रामीण एव लघु उद्योग आदि।

(iv) जनसख्या की विकास दर को कम करने की चेष्टा की गई।

(v) विभिन्न परियोजनाओं में निर्धारित समयावधि से ज्यादा समय लगने पर परियोजना लागत बढ जाती है। इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर सिचाई के क्षेत्र में क्षमता के पूरे उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।

(iv) कृषि में विविधिकरण लाने की चेष्टा की गई। इस हेतु पशुपालन, मत्स्यपालन कृषि विधायन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। आठवीं पचवर्षीय योजना के अतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार ही विभिन्न योजनाए बनाई गई।

(vii) राजस्थान मे जल की कमी है अत इस सीमित साधन के सर्वाधिक कुशल उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।

(viii) सूखा एव अकाल राजस्थान की प्रमुख समस्या रहे है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उन्हे सामान्य योजना कार्यक्रमो मे स्थान दिया गया।

(ix) शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण एव तकनीकी ज्ञान की स्थिति में सुधार के साथ ही लोगो के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया जिससे वे राज्य के विकास मे अधिक योगदान कर सके।

(x) समाज के एक पिछडा वर्ग-अनुसुचित जाति एव जनजाति को निर्धनता निवारण और रोजगार कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी गई।

(xi) आधारभूत सुविधाए जुटाने के उद्देश्य से प्रत्येक गाव को पेयजल उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई। छूत की बीमारियों को नियत्रित करने की कोशिश की गई। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया ताकि 'सन् 2000 में सबके स्वास्थ्य' का लक्ष्य पूरा किया जा सके। मानव एव पशु की निरन्तर बढती जनसख्या के कारण वातावरण पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने तथा अनेक क्षेत्रों में मरुस्थल प्रसार की स्थिति को नियत्रित करने के प्रयास किये गये।

(xii) विज्ञान एव प्रौद्योगिकी को राज्य की आवश्यकताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओ पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

(xiii) सरकार की गैर विकास मदों पर किए जाने वाले व्यय को नियत्रित करने की चेष्टा की गई।

(xiv) आठवीं योजना में जिला नियोजन पर विशेष बल दिया गया।

योजना का आकार
Size of the Plan

राजस्थान की आठवीं योजना के अतर्गत 11500 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। विभिन्न मदों पर किया जाने वाला व्यय के आधार पर ज्ञात होता है कि -

(1) योजनाकाल मे शक्ति के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई

(2) व्यय के प्राथमिकताक्रम के अतर्गत द्वितीय व तृतीय स्थान सामाजिक एव सामुदायिक सेवाओं तथा सिचाई एव बाढ-नियत्रण को दिया गया। कृषि एव सहायक सेवाओं और ग्रामीण विकास हेतु भी पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई।

(3) आठवीं पचवर्षीय योजना का आकार अन्य पूर्ववर्ती पचवर्षीय योजनाओं की तुलना में अधिक है।

(4) राज्य की अन्य पचवर्षीय योजनाओं के समान आठवीं पचवर्षीय योजना मे भी उद्योग एव खनिज विकास हेतु अन्य मदों की अपेक्षा कम धन का निर्धारण किया गया।

(5) परिव्यय के आवटन से ज्ञात होता है कि राज्य में सरचनात्मक ढाचे के निर्माण हेतु सर्वाधिक धन व्यय किया गया।

आठवीं पचवर्षीय योजना का मूल्याकन
Review of 8th five Year Plan

आठवीं पचवर्षीय योजना में जनसख्या नियत्रण चालू परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने और कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुधन, मत्स्यपालन, व कृषि विधायन (Agro-processing) आदि से प्राथमिकता प्रदान की गई। राज्य की आठवीं पचवर्षीय योजना (1992 97) का परिव्यय 11500 00 करोड रुपये था। यह आठवीं पचवर्षीय योजना की तुलना में 283 प्रतिशत अधिक था। आठवीं योजना का वास्तविक व्यय 11865 06 करोड रुपये रहा। ऐसा करना राज्य के तुलनात्मक पिछडेपन की दृष्टि से भी उपयुक्त था। क्षेत्रानुसार सर्वाधिक प्राथमिकता शक्ति क्षेत्र को प्रदान की गई जिसके लिये योजना के कुल परिव्यय का 28 31 प्रतिशत भाग निश्चित किया गया। सामाजिक व सेवाओ के लिये 21 41 प्रतिशत, सिचाई और बाढ नियत्रण के लिये 16 70 प्रतिशत, कृषि और सहायक गतिविधियों के लिये 11 19 प्रतिशत, यातायात के लिये 6 82 प्रतिशत, उद्योग एव खनिज के लिये 4 66 प्रतिशत विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये 0 73 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं, सामान्य सेवाओं व वैज्ञानिक सेवाओं के लिये 1 30 प्रतिशत भाग निश्चित किया गया था।

आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम
Basic Minimum Services programme

आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, आवास सुविधा, सडको का निर्माण पोषाहार,

उचित मूल्य की दुकानें, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता तथा साक्षरता में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम के लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर व्यय करेंगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां एवं असफलतायें निम्न है।

(1) कृषि और सम्बद्ध सेवायें (Agriculture & Allied Services) - राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। 1996-97 तक खाद्यान्न का कुल उत्पादन 130 19 लाख टन के स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन मानसून की स्थिति पर निर्भर करता है। राजस्थान देश एक बड़े तेल उत्पादक के रूप में उभरा है। 1991 92 में तेल का कुल उत्पादन 27 08 लाख टन था जो बढ़कर 1996-97 में 40 49 लाख टन हो गया। कृषि विकास परियोजनाएं (Agriculture Development Project) विश्व बैंक की सहायता से 1992-93 में प्रारम्भ की गई। यह परियोजना कृषि और सम्बद्ध सेवाओं में क्रियान्वित की जा रही है। 1996-97 में 7 01 लाख टन रासायनिक खाद का वितरण किया गया जो ■ 25 लाख टन वितरण लक्ष्य से अधिक है। इसलिये वितरण लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। आठवी योजना में 'गोपाल' योजना को सुदृढ़ किया गया। यह राज्य के 12 जिलों की 40 पंचायत समितियों में चल रही है। आठवी योजना में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) द्वारा 72 2 लाख लीटर दूध का संग्रह किया गया जब दूध संग्रह का लक्ष्य 12476 लाख लीटर था। इसका प्रमुख कारण दुग्ध व्यवसाय में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा है। योजना काल में अल्प-कालीन, मध्यम-कालीन तथा दीर्घ-कालीन साख वितरण के लक्ष्य क्रमश 250 करोड रु , 10 करोड रुपये तथा 50 करोड रु थे जबकि साख वितरण की वास्तविक रकम क्रमश 508 करोड रुपये, 151 करोड रुपये तथा 185 90 करोड रुपये रही। राज्य के 10 जिलों में जापान के सहयोग से 1992-93 में अरावली वनीकरण परियोजना *(Aravalli Afforestation Project)* प्रारम्भ की गई। इसी प्रकार राज्य के 14 जिलों में जापान के सहयोग से ही वन विकास परियोजना (Forestry Development Project) 1994-95 में प्रारम्भ की गई।

(2) ग्रामीण विकास (*Rural Development*) - गरीबी निवारण कार्यक्रम तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाकाल में 4 89 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया जबकि लक्ष्य 7 45 लाख परिवारों को लाभान्वित करना था। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना काल में 1819.20 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना राज्य के 237 ब्लॉक्स में अप्रेल 1997 में प्रारम्भ की गई। 1996-97 में यह योजना 204 ब्लॉक्स में लागू थी। योजनाकाल में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 148871 आवासों तथा जीवन धारा योजना के अन्तर्गत 22734 कुओं का निर्माण किया।

(3) सिंचाई (*Irrigation*) - 1992-93 में कुल सिंचित क्षेत्र 52 64 लाख हैक्टेयर ■ जो बढ़कर 1995-96 में 63 61 लाख हैक्टेयर हो गया। योजनाकाल में 3 05 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया जबकि लक्ष्य 4 35 लाख हैक्टेयर था।

(4) शक्ति (Power) - योजना के अन्त में शक्ति सृजन क्षमता 3049 56 मेगावाट तक पहुंच गई। योजनावधि में 3703 गावों को विद्युतीकृत किया गया जबकि लक्ष्य 3750 गावों को विद्युतीकृत करना था। योजना में 125278 कुओं/पम्पसेटों को विद्युतीकृत किया गया जबकि लक्ष्य 1,25,000 कुओं को विद्युतीकृत करना था। राज्य के निजी क्षेत्र ने 7230 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

(5) उद्योग एवं खनिज (Industries & Mineral) - योजनाकाल में 13594 लघु उद्योग इकाइयां तथा 13874 दस्तकारी इकाइयों का पंजीकरण किया गया जबकि दोनों का लक्ष्य 10,000 इकाइयों का पंजीकरण करना था। राज्य वित्त निगम ने योजनाकाल में 10005 इकाइयों को 842.27 करोड रुपये का ऋण वितरित किया। राज्य सरकार द्वारा 1994 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास करना है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये एक स्वायतशासी संगठन की स्थापना की गई है। खनिज आधारित उद्योगों का विकास करने के लिये नवीन खनिज नीति का घोषणा की गई है।

(6) यातायात (Transport) - योजनाकाल में 4022 गावों को सडक से जोडा गया जबकि योजनाकाल में 6600 किलोमीटर सडकों का निर्माण और 1089 गावों को सडकों से जोड़ने का लक्ष्य था।

(7) सामाजिक एवं समुदाय सेवायें (Social & Community Services) - योजनाकाल में 5730 प्राथमिक स्कूलें, 2649 उच्च प्राथमिक स्कूलें, 442 सेकन्डरी स्कूलें, 340 सीनियर सैकन्डरी स्कूलें खोली गई जबकि लक्ष्य क्रमश 3498, 1400, 300 और 200 स्कूलें खोलने का था। योजनाकाल में 15 नवीन महाविद्यालय खोले गये जबकि लक्ष्य केवल 3 महाविद्यालय खोलने का था। राज्य के सभी जिलों को साक्षरता अभियान में सम्मिलित कर लिया गया है। योजनाकाल में 505 स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य था जबकि वास्तव में 288 स्वास्थ्य 'केन्द्र' खोले गये। राज्य में एक महत्वपूर्ण

विकास यह है कि 1995-96 से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना "विकल्प" (Vikalp) के नाम से आरम्भ की गई। सरकार चिकित्सालयों के निर्माण में निजी विनियोग को बढ़ावा दे रही है। योजनाकाल में 143068 ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिये आवासों की व्यवस्था की है जबकि लक्ष्य 1,34,000 आवासों का निर्माण था। योजना काल में 88 8 हजार अनुसूचित जाति के छात्रों, 68 7 हजार अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा 5 6 पिछडी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 1990-91 तक 34818 गावों मे पेयजल की व्यवस्था की गई थी जो बढकर मार्च, 1997 में 37414 हो गई। इस प्रकार आठवीं योजना में 3668 गावों में पेयजल की व्यवस्था की गई। 1995 तक राज्य में 52 49 लाख घरेलू और 5 35 लाख विदेशी पर्यटक आना प्रारम्भ हो गए। सितम्बर 1995 मे "पहियों पर राजमहल" नामक रेलगाडी प्रारम्भ की गई।

राजस्थान में पचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्य

GENERAL OBJECTIVES OF FIVE-YEAR PLANS IN RAJASTHAN

राजस्थान में भी भारत के समान पचवर्षीय योजनाए सचालित की जाती है। वस्तुत राज्य सरकारें केन्द्र सरकार का अनुसरण करती है। अत राजस्थान की पचवर्षीय योजनाओं और भारत की पचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों में समानता दृष्टिगोचर होती है। राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में अत्यधिक पिछडा हुआ है। अत राज्य की पचवर्षीय योजनाओं में कुछ क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यह उद्देश्य राज्य की प्राय सभी योजनाओं पर अपनाया गया है। राजस्थान में पचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्यों का विवेचन निम्न बिन्दुओं के अतर्गत किया जा सकता है।

(1) शक्ति के साधनों का तीव्र गति से विकास (Development of Power Resources) - राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक सरचना का अभाव था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की प्रथम पचवर्षीय योजना से ही सरचनात्मक ढाचे के निर्माण पर विशेष बल दिया जाता रहा है। राज्य की प्राय सभी पचवर्षीय योजनाओं में शक्ति के साधनों, विशेष रूप से विद्युत शक्ति के विकास एव विस्तार का उद्देश्य रहा है। राज्य में शक्ति के साधनों का अभाव दूर करने के लिए दीर्घकालीन नीति का अनुसरण किया गया है। फलत शक्ति के साधनों का समुचित विकास हुआ है।

(2) औद्योगिक विकास (Industrial Development) - राज्य की विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में राज्य के औद्योगिकीकरण पर भी विशेष बल दिया गया है। इस क्षेत्र के विकास हेतु खनिज उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य निर्धारित किए गए। यही कारण है कि राज्य में सीमेंट, सगमरमर, इमारती पत्थर, ताबा, सीसा व जस्ता आदि खनिज आधारित उद्योगों पर तेजी से विकास हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य के औद्योगिकीकरण का स्तर भी पहले की तुलना में ऊँचा हुआ है। राज्य में रासायनिक उद्योग, इजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग और अन्य उपभोक्ता उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं के अतर्गत राज्य में लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास का उद्देश्य भी निश्चित किया जाता है। फलत इन उद्योगों का भी तेजी से विस्तार हुआ है। लघु एव कुटीर उद्योगों की बेरोजगारी एव निर्धनता निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

(3) कृषि विकास (Agricultural Development)- राज्य की विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। कृषि क्षेत्र का विकास क्रांति के रूप में किया गया और इस क्रांति को भारत के समाज में हरित क्रांति के नाम से ही सबोधित किया जाता है। हरित क्रांति के अतर्गत राज्य में कृषि सबधी विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु नवीनतम कृषि तकनीक के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, सिचाई के साधनों मे तीव्र गति से विस्तार करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। फलत राज्य में सिचाई के साधन विशेष रूप से नहरों व बहु-उद्देशीय परियोजनाओं का तेजी से विकास एव विस्तार हुआ। इंदिरा गाधी नहर जैसी विशाल नहर परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लक्ष्य का ही परिणाम है कि राज्य के इस क्षेत्र में सिचाई सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में अनेक सिचाई परियोजनाओं के लक्ष्य भी पूर्ण कर लिए गए है।

(4) पशु सम्पदा का विकास (Develpment of Animal Wealth) - राज्य के पशुधन को रोजगार एव दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। अत विभिन्न योजनाओं के अतर्गत पशु सम्पदा का विकास एव डेयरी व्यवसाय को भी उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इन क्षेत्रों के विकास एव विस्तार हेतु महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किए जाते रहे है। डेयरी उद्योग के विकास एव विस्तार हेतु

ऑपरेशन फ्लड प्रथम व द्वितीय सबंधी उद्देश्य पूर्ण कर लिए गए है और ऑपरेशन फ्लड तृतीय चालू है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में टेक्नोलॉजी मिशन कार्यक्रम के द्वारा डेयरी विकास किया जा रहा है।

(5) परिवहन व संचार के साधनों का विकास (Development of Transport & Communication) - संरचनात्मक ढांचे को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से परिवहन व संचार के साधनों का भी विकास करना आवश्यक होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता रहा है। इसके साथ-साथ संचार के साधनों पर भी तेजी से विकास हुआ है। इन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में परिवहन व संचार सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। संचार के साधनों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। राज्य के पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सेवाओं का विस्तार एवं जनकल्याण कार्यों में वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे है। विभिन्न योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु अनेक प्रयास किए गए है। विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के द्वारा सामाजिक सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।

(6) क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करने के प्रयास (Efforts to Lessen the Regional Desparities) - राज्य में अत्यधिक क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान है, इन असमानताओं में कमी करके ही आर्थिक विकास की दर को बढाया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय विषमताओं में कमी करने के उद्देश्य निर्धारित किए जाते रहे है। क्षेत्रीय विषमताओं में कमी करने हेतु सरकार ने योजनाओं के अंतर्गत अनेक प्रयास किए है। फलत राज्य के प्राय सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेजी से प्रारम्भ हो रही है।

(7) अकाल एवं सूखे की समस्या का समाधान (Solution of Famine & Draught) - राजस्थान में प्राय अकाल एवं सूखे की स्थिति बनी रहती है अत राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस समस्या के समाधान सम्बन्धी उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता रहा है। योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रयासो के फलस्वरूप इस समस्या की गम्भीरता में कमी आयी है। राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया है और पेयजल की व्यवस्था हेतु अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए है।

(8) बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण (Eradication of Poverty & Unemployment) - राज्य की प्राय सभी पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। राज्य में जनसख्या तेजी से बढ रही है। इसके विपरीत, आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत कम है। फलत निर्धनों व बेरोजगारों की सख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार ने बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं प्रयोजनाओं का संचालन किया। समय-समय पर इन कार्यक्रमों सम्बन्धी लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते है। राज्य की छठी, सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता एवं बेरोजगारी सबंधी विभिन्न कार्यक्रमों को विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पर्याप्त धन के प्रावधान सबंधी लक्ष्य निर्धारित किए गए है। आठवीं योजना की व्यूह-रचना इस प्रकार निर्धारित की गई है कि सन् 2000 तक लगभग सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

योजनाओं का आकार

SIZE OF PLANS

व्यय की दृष्टि से राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं के आकार में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का क्रम प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में राज्यीय अर्थव्यवस्था पूर्णत कृषि पर आधारित थी। योजनाओं के अंतर्गत कृषि के साथ-साथ उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। अत उत्तरोत्तर अधिक धनराशि की आवश्यकता अनुभव की गई। यही कारण है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के परिव्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के पश्चात् तो योजना परिव्यय में भारी वृद्धि हुई है। निम्न तालिका में राजस्थान की विभिन्न योजनाओं के परिव्यय एवं वास्तविक व्यय को दर्शाया गया है -

राजस्थान की विभिन्न योजनाओं का परिव्यय व वास्तविक व्यय (करोड रूपये)

योजना-योजनाएं	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय में वृद्धि (प्रतिशत)
प्रथम पंचवर्षीय (1951-56)	64.50	54.15	63.2
द्वितीय पंचवर्षीय (1956-61)	105.27	102.74	63.2
तृतीय पंचवर्षीय (1961-66)	236.00	212.70	124.1
वार्षिक योजनाएं (1966-69)	132.72	136.76	-
चतुर्थ पंचवर्षीय (1969-74)	306.21	308.79	29.7

पांचवी पंचवर्षीय (1974 79)	849 16	857 62	176 6
वार्षिक योजना (1979-80)	275 00	290 19	-
छठी पंचवर्षीय (1980-85)	2025 00	2120 45	139 0
सातवीं पंचवर्षीय (1985 90)	3000 00	3106 18	48 1
वार्षिक योजना (1990-91)	961 53	975 57	-
वार्षिक योजना (1991-92)	1160 00	1178 46	-
आठवीं पंचवर्षीय (1992 97)	11500 00	11865 06	283 3

स्रोत : Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt of Rajasthan; Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002 Govt of Rajasthan

उपर्युक्त तालिका के परीक्षण से ज्ञात होता है कि-

(1) राज्य की विभिन्न योजनाओं के आकार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

(2) प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक व्यय केवल 54 15 करोड़ रुपये था जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11865 06 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

(3) राज्यीय योजनाओं के आकार में वृद्धि का आभास इस तथ्य से भी होता है कि प्रारम्भिक पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में वार्षिक योजनाओं में भी तुलनात्मक रूप से अधिक व्यय किया गया।

(4) राज्यीय योजनाओं के आकार में वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि के साथ-साथ उद्योग परिवहन एवं व्यापार आदि क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना है। योजनाओं के आकार में वृद्धि से यह भी ज्ञात होता है कि राज्य के आर्थिक विकास की दर में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

योजनाकाल में क्षेत्रवार वास्तविक व्यय

SECTOR WISE EXPENDITURE IN PLANNING PERIOD

राज्य की विभिन्न योजनाओं में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु धनराशि का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता-क्रम का निर्धारण किया जाता है। प्राथमिकताओं का निर्धारण राज्य की तत्कालीन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उदाहरण के लिए राज्य में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। इन समस्याओं के निवारण हेतु लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इसी प्रकार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करने हेतु सिंचाई शक्ति एवं परिवहन के साधनों के विकास पर विशेष बल दिया जाता है। इस तथ्य का ज्ञान राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजना में किए गए क्षेत्रवार वास्तविक व्यय से किया जा सकता है। क्षेत्रवार वास्तविक व्यय को अग्रांकित तालिका में दर्शाया गया है

राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रवार वास्तविक व्यय (प्रतिशत में)

मद	पंचवर्षीय योजनाएं							
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	छठी	सातवीं	आठवीं
कृषि एवं सहायक सेवाएं	4 84	6 15	5 83	3 33	3 67	4 55	5 21	11 24
ग्रामीण विकास	5 61	12 19	6 81	0 97	2 24	5 87	6 74	8 71
सहकारिता	0 48	1 89	1 14	1 72	1 80	1.25	1 34	0 38
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	57 82	27 12	41 31	34 09	31 62	25 80	22 23	18 40
शक्ति	2 29	14 75	18 50	30 43	29 03	25 70	29 68	30 99
उद्योग एवं खनिज	0 85	3 28	1 56	2.77	4 03	3 95	4 69	6 49
परिवहन	10 25	9 90	4 53	3 24	9 82	11 50	4 59	8 70
वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध		-	-	-	-	0 01	0 07	0 15
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	16 84	24 35	20 15	23 34	17 39	19 81	23 70	30 93
आर्थिक सेवाएं	[illegible]	0 11	0 11	0 11	0 10	0 07	0 49	0 72
सामान्य सेवाएं		0 24	-		0 32	0 48	1 20	1 85
कुल वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए में)	54 15	102 74	212 70	308 79	857 62	2120 45	3106 18	11865 06
कुल प्रतिशत	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00

स्रोत : Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt of Rajasthan Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan.

तालिका के परीक्षण से स्पष्ट है कि -

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इस मद पर योजना के कुल व्यय का 57 82 प्रतिशत व्यय किया गया। सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं एवं परिवहन पर व्यय क्रमशः 16 84 प्रतिशत एवं 10 25 प्रतिशत रहा।

योजनाकाल में वैज्ञानिक शोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उद्योग एवं खनिज विकास सहकारिता व आर्थिक सेवाओं पर बहुत कम धनराशि व्यय की गई।

(2) द्वितीय योजना में पुनः सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्थान क्रमशः सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं, शक्ति एवं ग्रामीण विकास का रहा। परिवहन के विकास हेतु भी पर्याप्त धन व्यय किया गया। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के विकास हेतु संरचनात्मक ढांचे के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं तथा शक्ति का रहा। शक्ति के विकास हेतु प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं की तुलना में अधिक धनराशि का निर्धारण किया गया। सहकारिता, उद्योग एवं खनिज पर अपेक्षाकृत बहुत कम धन व्यय किया गया।

(4) चौथी पंचवर्षीय योजना में भी सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः शक्ति और सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का रहा। योजनाकाल में अन्य योजना की तुलना में ग्रामीण विकास पर बहुत कम धन व्यय किया गया। इसी प्रकार कृषि और सहायक क्रियाओं तथा परिवहन पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया।

(5) पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर भी सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान शक्ति एवं सामाजिक सेवाओं का रहा। शक्ति के साधनों पर तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं की अपेक्षा अधिक व्यय किया गया। उद्योग एवं खनिज विकास पर विगत योजनाओं की तुलना में अधिक धन व्यय किया गया।

(6) छठी पंचवर्षीय योजना में शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का रहा। कृषि एवं सहायक सेवाओं तथा ग्रामीण विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। इस योजना में सर्वप्रथम वैज्ञानिक सेवाओं एवं शोध कार्यों के लिए कुछ धन व्यय किया गया।

(7) सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी सर्वोच्च प्राथमिकता शक्ति को प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के रहे। कृषि, ग्रामीण विकास तथा उद्योगों के विकास पर समुचित ध्यान दिया गया।

(8) राजस्थान की आठवीं योजना का व्यय सातवीं योजना के व्यय से लगभग 4 गुना है। निम्न 7 क्षेत्रों में यह व्यय किया गया कृषि एवं सहायक क्षेत्र, ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण, शक्ति, उद्योग एवं खनन, यातायात तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं। कुल व्यय का मात्र 2.65 प्रतिशत विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम, वैज्ञानिक शोधन सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय किया गया। आठवीं योजना में सर्वाधिक व्यय 26.12 प्रतिशत शक्ति के क्षेत्र में किया गया। यह व्यय सातवीं योजना में किए गए व्यय का लगभग नौ गुना है लेकिन प्रतिशत-व्यय की दृष्टि से इसका भाग लगभग 3.2 प्रतिशत कम हुआ है। आठवीं योजना में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय (26.08 प्रतिशत) सातवीं योजना की तुलना में राशि की दृष्टि से ग्यारह गुना से अधिक हो गया। सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण पर सातवीं योजना की तुलना में लगभग नौ गुना राशि व्यय की गई है लेकिन कुल व्यय के प्रतिशत में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट आई है। आठवीं योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सातवीं योजना की तुलना में इस पर आठ गुना से अधिक राशि व्यय की गई है।

(9) राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वाधिक धन सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण शक्ति तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय किया गया। योजनाकाल में उद्योग एवं खनिजों के विकास हेतु व्यय किए गए धन में उतार-चढ़ाव रहा। पांचवीं और सातवीं योजनाओं में अन्य योजनाओं की तुलना में उद्योग एवं खनिज पर अधिक ध्यान दिया गया।

योजनाओं में प्रतिव्यक्ति व्यय
PER CAPITA EXPENDITURE IN PLANS

भारत व राजस्थान का विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति व्यय की स्थिति को भी अग्रांकित तालिका से समझा जा सकता है -

प्रतिव्यक्ति योजना व्यय			
योजना	भारत (रुपये)	राजस्थान (रुपये)	राष्ट्रीय औसत की तुलना (रुपये)
प्रथम योजना	38	34	4 से कम
द्वितीय योजना	51	65	14 से अधिक
तृतीय योजना	92	97	5 से अधिक
चतुर्थ योजना	142	120	22 से कम
पांचवीं योजना	362	332	30 से कम
छठी योजना	718	622	96 से कम

सातवीं योजना	1157	875	· 282 से कम
आठवीं योजना*	5129	2614**	2516 से कम

*आठवीं योजना में परिव्यय मे 1991 की जनगणना का भाग दिया गया है। अप्रैल, 1992 की अनुमानित जनसख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति व्यय कम हो जायेगा।

* Economic Review 1995-96 Rajasthan

Source Eight Five Year Plan 1992 97 Govt of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राजस्थान की प्रथम योजना से लेकर अब तक आठवीं पचवर्षीय योजना के परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत (283 3%) की वृद्धि हुई है। द्वितीय व तृतीय पचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय औसत की तुलना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय अधिक रहा है किन्तु इसके पश्चात् अर्थात् चतुर्थ योजना से लेकर सातवीं योजना तक यह निरन्तर राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। साथ ही राष्ट्रीय औसत की तुलना राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय तेजी से पिछडता जा रहा है। यह चतुर्थ योजना मे राष्ट्रीय औसत से 22 रुपये कम था किन्तु सातवीं योजना मे यह इस औसत से 282 रुपये कम था। राजस्थान की आठवीं योजना का प्रतिव्यक्ति परिव्यय राष्ट्रीय औसत से 2516 रुपये कम प्रतीत होता है।

राष्ट्रीय योजना परिव्यय में राजस्थान का भाग
SHARE OF RAJASTHAN IN NATIONAL PLAN EXPENDITURE

राष्ट्रीय योजना परिव्यय में राजस्थान का भाग भी परिवर्तित होता रहा है। इस परिवर्तन का आभास इस तालिका से होता है -

योजना	राष्ट्रीय योजना परिव्यय में राजस्थान का प्रतिशत भाग
प्रथम योजना	3 29
द्वितीय योजना	2 25
तृतीय योजना	2 75
चतुर्थ योजना	1 94
पाचवीं योजना	2 15
छठी योजना	2 07
सातवीं योजना	1 67
आठवीं योजना	2 65

Source Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt of Raj

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसख्या के आकार की दृष्टि से नवा व क्षेत्रफल के आकार की दृष्टि से दूसरा स्थान है किन्तु राष्ट्रीय योजना परिव्यय में इसका भाग कभी भी 3% (प्रथम योजना को छोडकर) से अधिक नहीं रहा। राजस्थान की सातवीं योजना के परिव्यय (1 67%) की तुलना में आठवी योजना के अन्तर्गत (2 65%) लगभग 1% की वृद्धि अंकित की गई है।

प्रमुख विकास कार्य[1]
IMPORTANT DEVELOPMENT WORK

योजनाकाल के आरम्भ से अब तक किए गए विकास कार्यो की सक्षिप्त समीक्षा निम्न प्रकार है-

(1) राजस्थान ने खाद्यान्नों में लगभग आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 1950-51 मे 33 8 लाख टन खाद्यान्नो का उत्पादन होता था जो 1998-99 में बढकर 112 25 लाख टन हो गया। कृषि क्षेत्र में विशेष प्रयास के बावजूद भी कृषि उत्पादन में मानसून की अनुकूलता का गहरा प्रभाव पडता है। कृषि क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सफलता तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। विशेष रूप से सरसों के उत्पादन में तो राजस्थान अग्रणी राज्य हो गया है। राजस्थान में सिंचित क्षेत्र 1951-52 मे 11 7 लाख हैक्टेयर था जो 1996-97 मे 67 43 लाख हैक्टेयर हो गया। राजस्थान में आज भी आधे से अधिक भाग कुओं से सींचा जाता है यद्यपि नहरों का भी पर्याप्त विकास हुआ है। बोई गई कृषि भूमि का लगभग एक-तिहाई (32 6%)[2] भाग ही सिंचित है जो कि चिंता का विषय है।

(2) शक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की गई है। 1951-52 में विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 13 मेगावाट थी जिसमे असाधारण वृद्धि हो चुकी है। यह क्षमता आठवी योजना के अत में 258 65 मेगावाट हो गई।

(3) राजस्थान के औद्योगीकरण के परिवेश में परिवर्तन हो रहा है। औद्योगिक उत्पादों का विविधीकरण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। राजस्थान में 1949 में 207 पजीकृत फैक्ट्रिया थीं जो 1994 मे बढकर 13395 तथा 1996 में बढकर 13665 हो गई।[2]

(4) योजनाकाल में राजस्थान मे विभिन्न प्रकार के खनिजों की खोज की गई है और उनके विशाल भण्डार खोजे गए है। इस सदर्भ में रॉक फास्फेट, इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला चूना-पत्थर, लिग्नाईट, मार्बल, ग्रेनाइट, जस्ता-सीसा, सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त होने वला चूना-पत्थर , जिप्सम आदि विशेष उल्लेखनीय है।

(5) परिवहन की दृष्टि से सडकों की लम्बाई 1951-52 में 17339 किलोमीटर थी। 1998 99 में बढकर 84958 किलोमीटर हो गई है।[3]

(6) शिक्षा एव स्वास्थ्य सुविधाओं मे वृद्धि हुई है। 1950-51

1 Data From Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt of Raj & Draft Ninth Year Plan, 1997 2 Economic Review, 1998 99, Rajasthan
3. Statistical Abstract, 1996

में 4436 ग्राईमरी विद्यालय थे ये आठवीं योजना के अंत में बढ़कर 33829 तथा 1998 99 में 34098 हो गये हैं। सरकार के प्रयासों से आठवीं योजना के अंतर्गत 37889 गावों में से 37540 गावों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी।[1]

(7) विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सबसे अधिक ध्यान सुदृढ सरचनात्मक आधार बनाने पर दिया गया। इसीलिए सिचाई एव शक्ति के साथ सामाजिक एव सामुदायिक सेवाओ पर ध्यान केन्द्रित किया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना मे सिचाई एव शक्ति पर धन केन्द्रित किया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना में सिचाई एव शक्ति पर कुल योजना परिव्यय का 60% से भी अधिक व्यय करने का प्रावधान किया गया था। आठवीं योजना में यह प्रतिशत कम होकर 41 6 रह गया है। दूसरी ओर, सामाजिक एव सामुदायिक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय प्रथम पचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का 16 84% था जो कि आठवीं पचवर्षीय योजना में बढकर 26 08 प्रतिशत हो गया। दूसरे क्षेत्रों पर प्रतिशत व्यय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। मूलभूत सरचना के विकास के लिए सिचाई, शक्ति यातायात पर किया जाने वाला व्यय प्रथम योजना के परिव्यय का 70 63% था जो आठवीं योजन में कम होकर 48 97% रह गया।

(8) योजनाकाल के अतर्गत किए गए विभिन्न प्रयासों के बाद भी राज्य का घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत से नीचे है। 1980-81 की कीमतों पर 1980-81 में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय (1222 रुपये) राष्ट्रीय औसत (1630 रुपये) से लगभग 400 रुपये से कम थी। 1995-96 में भी राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय (2051 रुपय) राष्ट्रीय औसत (2573 रुपये) में लगभग 500 रुपये कम थी। 1998 99 में भी राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2275 रुपये थी।[1] सक्षेप में, राजस्थान ने विगत चार दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन फिर भी राज्य के विकास की अथाह विकास की सम्भावनाए अभी विद्यमान है जिनका उपयोग किया जाना चाहिए।

राजस्थान की नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)
NINTH FIVE YEAR PLAN OF RAJASTHAN

आजादी की 50वीं स्वर्ण-जयन्ती के सुनहरे अवसर पर राजस्थान में नवीं पचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से प्रारम्भ की गई जो 31 मार्च सन् 2002 में पूर्ण होगी। इस योजना के लिये 27,443 80 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है जो आठवीं पचवर्षीय योजना में व्यय की गई राशि के दुगुने से भी अधिक है। अत योजनाकाल में राज्य की आर्थिक विकास की दर में तेजी से वृद्धि होने की सम्भावना है। नवीं पचवर्षीय योजना के प्रमुख तत्वों का विवेचन निम्न बिन्दुओं के अतर्गत किया जा रहा है

A. नवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य
Objects of Ninth Five Year Plan

नवीं योजना के लिये निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये -

1 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय औसत के अन्तर को कम करने के लिये उच्च विकास दर को प्राप्त करना।

2 सेवा क्षेत्र (ग्रामीण) तथा जन ससाधनों के प्रबन्ध में जनसहभागिता को बढावा देना।

3 सरचनात्मक विकास की चालू योजनाओं को पूर्ण करना तथा जल व शक्ति के लिये आधारभूत सरचना का निर्माण करना।

4 कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन तथा कृषि-विपणन को प्राथमिकता प्रदान करना।

5 जल के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जल उपयोग नीति का निर्माण करना।

6 सिचाई सरचना को सुदृढ करने के लिये एक नीति का निर्माण करना।

7 किसी परियोजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही उसके विस्तार पर विचार करना ताकि समय व लागत में बचत हो सके।

8 औद्योगिक विकास पर विशेष बल देना।

9 पर्यटन, हेन्डलूम और दस्तकारी का तीव्र विकास करना।

10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु प्रभावी प्रयास करना।

11 राज्य की जनसख्या यदि वर्तमान दर से बढती रही तो यह 2045 ई में स्थिर होकर लगभग 11 करोड हो जायेगा। अत जनसख्या नियोजन के ऐसे प्रयास किये जायेंगे ताकि जनसख्या 2021 ई में ही स्थिर हो जाये।

12 सामाजिक न्याय की दृष्टि से निर्धनता निवारण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा।

13 रोजगार अवसरों में वृद्धि करने क लिये कृषि ग्रामीण कार्यक्रम, छोटी सिचाई योजनाओं, वन, पशुधन, दस्तकारी तथा ग्रामीण उद्योगों का तेजी स विकास करना।

14 समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों को बढावा देना।

15 महिला विकास कार्यक्रमों को प्रभाव ढग से लागू करना।

1 *Economic Review 1998-99 (Raj)*

16 ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

17 मरूस्थल प्रसार पर रोक लगान के प्रभावपूर्ण प्रयास करना।

18 ग्रामीण विकास के लिये राज्य में विज्ञान एव तकनीकी विकास को सुदृढ किया जायेगा।

19 सतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए कमी वाले क्षेत्रों में आधारभृत सरचना का निर्माण किया जायेगा।

20 कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व मूल्याकन प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जायेगा।

योजना का आकार
Size of Ninth Plan

यह योजना 27 44380 रुपये की है। इस राशि का आवन्टन निम्न प्रकार किया गया है -

नवी पचवर्षीय योजना मे व्यय (करोड़ रुपए)

क्र सं	क्षेत्र	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
1	कृषि एव सम्बद्ध क्रियाएं	1880 04	6 86
2	ग्रामीण विकास	1979 68	7 21
3	विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	140 60	0 51
4	सिचाई	2876 67	10 48
5	शक्ति	6534 88	23 82
6	उद्योग एव खनिज	2127 59	7 75
7	परिवहन (यातायात)	2689 18	9 80
8	वैज्ञानिक सेवाए	38 40	0 14
9	सामाजिक एव सामुदायिक सेवाए	7452 31	27 15
10	आर्थिक सेवाए	349 72	1 27
11	सामान्य सेवाए	674 73	2 46
12	केन्द्र प्रायोजित योजनाये	700 00	2 55
योग		27443 80	100 00

स्रोत Ninth Five Year Plan 1997 2002 Govt. of Raj

कृषि
Agriculture

योजनाकाल में कृषि उत्पादन की दर में वृद्धि करने, अधिक स्थिर एव समान विकास को बढावा देने, कृषि तकनीक का विकास करन तथा कृषि विपणन के द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये। योजना में निम्न फसलो के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये -

नवी योजना में कृषि उत्पादन (लक्ष्य)

फसल	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन (लाख टन)
खाद्यान्न	124.25	134 65
तिलहन	39 00	39 50
गन्ना	0 20	10 00
कपास (लाख गांठे)	6 00	15.25

स्रोत Ninth Five Year Plan, 1997 2002, Govt. of Raj

इस योजना में कृषि एव सम्बद्ध क्रियाओं के लिये 1880 4 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

पशुधन
Animal Husbandry

नवीं योजना में पशुधन के विकास हेतु उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी। पशु आधारित उद्योगों का विकास किया जायेगा। दुग्ध व्यवसाय में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा। पशुओं के लिये चारा उत्पादन में वृद्धि की जायेगी। योजनाकाल में पशुओं से प्राप्त वस्तुओं के निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये-

नवी योजना में पशु आधारित उत्पादों के उत्पादन लक्ष्य

उत्पाद	लक्ष्य (2001-2002)
ऊन (लाख किलोग्राम)	200
अण्डे (मिलियन)	600
दूध ('000 टन)	6200
मास (000 टन)	60

स्रोत Ninth Five Year Plan, 1997-2002 Govt. of Raj

योजनाकाल में पशु विकास पर 12429 92 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

मत्स्य पालन
Fisheries

राजस्थान में मत्स्य पालन की पर्याप्त सम्भावनायें उपलब्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए नवीं योजना में 3 30 लाख हैक्टेयर में मत्स्य पालन का कार्य किया जायेगा। 1 2 लाख हैक्टेयर में बाधो से 1 [illegible] लाख हैक्टेयर में तालाबों से तथा 0 30 लाख हैक्टेयर में नदियों से मछलियाँ पकडी जायेगी। योजनावधि में मत्स्य पालन पर 944 40 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

वन
Forests

नवीं योजना में वन विकास हेतु निम्न कार्यों पर बल दिया जायेगा -

(i) वन प्रबन्ध को सुदृढ किया जायेगा।

(ii) वन सुरक्षा के विशेष प्रयास किये जायेंगे।

(iii) पारिस्थितिकी सन्तुलन बनाये रखने के लिये विशेष

प्रबन्ध किये जायेंगे।

(iv) परम्परागत तरीकों एव नवीन तकनीक के आधार पर वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी।

(v) वन विस्तार की योजना बनाई जायेगी।

जल संसाधन
Water Resources

नवीं योजना में भी सिचाई सुविधाओं के विस्तार एव सुधार का कार्य जारी रखा जायेगा। अकालग्रस्त क्षेत्रों में सिचाई साधन का विस्तार किया जायेगा। जल प्रबन्ध को सुदृढ किया जायेगा। राज्य की 29 13 लाख हैक्टेयर सम्भावित सिचाई क्षमता का उपयोग किया जायेगा। भूगर्भीय जल के अत्यधिक विदोहन को नियन्त्रित करने के लिये कानून बनाया जायेगा। बाढ के पानी को रोकने लिये छोटे तालाबों का निर्माण किया जायेगा। जल विकास कार्यक्रमों मे विनियोग के लिये निजी-क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

शक्ति
Energy

राज्य में शक्ति की माग एव पूर्ति में अन्तर बना हुआ है। सन् 2001-02 तक राज्य में शक्ति की माग लगभग 5606 मेगावाट होगी। इस माग को पूर्ण करने के लिये 8000 मेगावाट शक्ति विकसित करनी होगी। राज्य की वर्तमान शक्ति क्षमता 3050 मेगावाट है। अत 4900 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी। वर्तमान में सूरतगढ व रामगढ-गैस आधारित शक्ति परियोजनायें निर्माणाधीन है जिनकी शक्ति क्षमता लगभग 600 मेगावाट होगी। शेष 4300 मेगावाट शक्ति क्षमता का सृजन करने के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा। निजी क्षेत्र में 6184 50 मेगावाट शक्ति क्षमता के लिये प्रयास प्रारम्भ किये जा चुके है। इस कार्य की वर्तमान मूल्य पर लागत लगभग 18845 करोड रुपये होगी। नवीं योजनावधि में निजी क्षेत्र में 2265 मेगावाट शक्ति क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाकाल में राज्य के ग्रामों को विद्युतीकृत करने का कार्य किया जायेगा। नवीं योजना में 300 मेगावाट क्षमता की सौर-ऊर्जा विकसित की जायेगी। योजनाकाल मे शक्ति के विकास पर 6534 88 करोड रुपये व्यय किये जायेंगे।

उद्योग एवं खनिज विकास
Industry & Mineral Development

आय एव आर्थिक सामाजिक सूचकों के राज्य-एव राष्ट्रीय स्तरों में विद्यमान अन्तरों को समाप्त करने के लिये नवीं योजना में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। नवीन औद्योगिक नीति का शीघ्र निर्माण किया जायेगा। निर्धनता निवारण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पर बल दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी। इसके लिये प्रशिक्षित श्रम शक्ति विकसित की जायेगी। ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिये नवीन प्रौद्योगिकी विकसित की जायेगी।

नवीं योजना मे उन खनिजों के विदोहन पर विशेष बल दिया जायेगा जिनका देश में अभाव है और जिनका निर्यात बढाया जा सकता है। योजना में आधारभूत धातुओं, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट सीमेन्ट बनाने का पत्थर, मार्बल ग्रेनाइट, फायर क्ले, फ्लोराइट, पोटाश, रॉक फास्फेट स्वर्ण, टगस्टन आदि की खोज एव विदोहन पर बल दिया जायेगा। इस योजना में उद्योग एव खनिजों के विकास हेतु 2127 59 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है।

परिवहन के साधनों का विकास
Development of Communication Network

राज्य के ग्रामों को ग्रामीण सडकों के द्वारा जोडा जायेगा। सडक नीति 1994 के अनुसार राज्य में सडकों का तेजी से विकास किया जायेगा। सडक सरचना के विकास में निजी विनियोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। रेल-विकास में भी निजी क्षेत्र को बढावा दिया जायेगा। राज्य में परिवहन प्रबन्ध को सुदृढ किया जायेगा। योजनाकाल में परिवहन के साधनों के विकास में 2689 18 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

अन्य क्षेत्र

(1) नवी योजना में निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को प्रभावी ढग से लागू किया जायेगा।

(2) शिक्षा-सस्थानों (तकनीकी शिक्षा सहित) का तेजी से विस्तार किया जायेगा।

(3) योजना में 'सभी के लिये स्वास्थ्य' के उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।

(4) सम्पूर्ण राज्य में पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।

(5) शहरी क्षेत्र के विकास पर बल दिया जायेगा।

प्रस्तावित नवीं पचवर्षीय योजना राजस्थान की आर्थिक प्रगति में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी क्योंकि (i) यह योजना विगत पचवर्षीय योजना की तुलना में बडे आकार की है। (ii) योजना कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया गया है। (iii) राज्य के सूचकों की राष्ट्रीय स्तरों से तुलना करके विकास का प्रयास किया गया है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 राजस्थान की छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताएं बताईए।
Point out the main priorities of the Sixth and Seventh Five-Year Plans of Rajasthan

2 *राजस्थान की विकास योजनाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।*
Write a short note on development plans of Rajasthan

3 आठवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा कीजिए।
Evaluate the 8th Five Year Plan of Rajasthan

4 राजस्थान की नवीं योजना के क्या उद्देश्य है?
What are the objects of 9th Five Year Plan of Rajasthan?

5 *राजस्थान की वर्तमान नियोजन तन्त्र क्या है?*
What is the present Planning Machinery in Rajasthan?

6 विकेन्द्रित नियोजन क्या है?
What is Decentralised Planning?

B निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 *राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है? नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।*
What are the objectives of Economic Planning in Rajasthan? Review the economic progress made during the planning period

2 *राजस्थान में नियोजन के उद्देश्य क्या रहे है? उनको व्यवहार में कहाँ तक प्राप्त किया जा सका है? विवेचना कीजिए।*
What are the main objectives of Economic Planning in Rajasthan? How far have these been achieved in practice? Analyse

3 *राजस्थान राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य एवं लक्ष्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।*
Critically examine the objectives and targets of Eighth Five Year Plan of Rajasthan State

4 राजस्थान में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये और नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।
Discuss the main achievements of Planning in Rajasthan and review the economic progress under the planning period

5 '45 वर्ष के नियमित नियोजन के बाद राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है।' व्याख्या कीजिए।
'Rajasthan is a backward state despite of its regular planning of 45 years.' Discuss

C *विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न*
(Questions of University Examinations)

1 राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है? नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन कीजिए।
What are the objectives *of Economic Planning in Rajasthan? Review the economic progress under the planning period*

2 राजस्थान में नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।
Review the economic progress during the planning period in Rajasthan

3 राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
Critically explaing the Draft of Eighth Five Year Plan of Rajasthan

4 *आर्थिक नियोजन किसे कहते है? आधुनिक युग में इसके महत्व को समझाईए।*
What is Economic Planning? Explain its importance in present age

5 *नियोजन काल में राजस्थान के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिये।*
Analyse the main trends in economic development during plan period in Rajasthan

6 राजस्थान में नियोजन तन्त्र का वर्णन करिए।
Discuss the Planning Machinery in Rajasthan

❑ ❑ ❑

अध्याय – 21

राजस्थान का आर्थिक विकास : विशेषताएं एवं बाधाएं

ECONOMIC DEVELOPMENT IN RAJASTHAN CHARACTERISTICS & CONTRAINTS

'बाधाओं का ज्ञान, उनके निराकरण हेतु आवश्यक है।'

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं
- राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएं व समाधान
- राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं व समाधान
- राजस्थान के तीव्र विकास हेतु सुझाव
- अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं

MAIN CHARACTERISTICS OF ECONOMY OF RAJASTHAN

राजस्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। भौगोलिक दृष्टि से इस राज्य की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर है यही कारण है कि देश अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अपेक्षाकृत धीमी गति से विकास हुआ। वस्तुतः राजस्थान निर्माण का कार्य 1956 में पूर्ण हुआ। अतः विकास प्रक्रिया में विलम्ब होना स्वाभाविक था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों, पशु सम्पदा और मानवीय श्रम की विशेष भूमिका रही है। राज्य व केन्द्र सरकारों के प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भी नियोजित ढंग से विकास किया जा रहा है। भारत के समान राजस्थान में भी नियोजन प्रक्रिया का प्रभाव निरन्तर बना हुआ है। राज्य सरकार वर्तमान में नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 2002 का संचालन व निर्देशन कर रही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है।

(1) कृषि की प्रधानता एवं कृषि का आधुनिकीकरण (Dominance of Agriculture & Modernisation of Agriculture) - *राजस्थान की अर्थव्यवस्था* एक कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था है। यह राज्य-आय का प्रमुख स्रोत है और राज्य की अधिकांश जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराती है। कृषि के अंतर्गत विभिन्न फसलों के उत्पादन, पशुपालन व डेयरी विकास, वन विकास तथा मत्स्य व्यवसाय आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्रारम्भ में राजस्थान में कृषि मुख्यत परम्परागत तरीके से की जाती थी लेकिन हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति के फलस्वरूप राज्य की कृषि में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। इन क्रांतिकारी उपायों के माध्यम से उत्पादन विधियों में सुधार किया गया, वैज्ञानिक आविष्कारों का लाभ उठाया गया और कृषि क्षेत्र में पहले की तुलना में अधिक धन व्यय किया गया। राज्य में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण का क्रम आज भी जारी है। इन प्रयासों के फलस्वरूप कृषि से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कृषि क्षेत्र का विकास अन्य राज्यों की तुलना में कम हुआ है लेकिन कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में सिंचाई एवं शक्ति के साधनों के विकास पर विशेष बल दिया गया है। राजस्थान नहर जैसी सिंचाई परियोजनाओं को राज्य की ही नहीं वरन सम्पूर्ण भारत के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि कहा जा सकता है।

2 अपर्याप्त औद्योगिकीकरण एवं खनिज विकास (Insufficient Industrialisation & Mineral Development) - किसी भी क्षेत्र, राज्य अथवा देश के औद्योगिक विकास हेतु एक आधारभूत ढांचे के निर्माण की पूर्व शर्त होती है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान की अर्थव्यवस्था अत्यधिक छिन्न-छिन्न अवस्था में थी। राज्य में औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव था। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य योजनाओं में संरचनात्मक ढाचे के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। यह क्रम वर्तमान में भी जारी है। अब तो भारत सरकार ने भी राजस्थान की इस समस्या को अनुभव करते हुए राज्य के कुछ औद्योगिक केन्द्रों में संरचनात्मक सुविधाओं के विकास पर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है। राज्य में संरचनात्मक ढाचे सम्बन्धी समस्या के विद्यमान होते हुए भी योजनाकाल में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ। राज्य के जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, पाली, अलवर, गंगानगर बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। इससे राज्य में औद्योगिक एवं आर्थिक विषमताओं में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार राज्य में औद्योगीकरण की गति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम रही। राज्य में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी एवं आर्थिक विषमताओं के आधार पर भी कहा जा सकता है कि राज्य में औद्योगिक विकास अपर्याप्त है।

(3) जनसंख्या वृद्धि एवं पर्याप्त श्रमशक्ति (Growth of Population & Sufficient Labour Force)
राजस्थान में भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। यहाँ की वर्तमान जनसंख्या विश्व के अनेक छोटे राष्ट्रों की तुलना में अधिक है। राज्य की जनसंख्या का एक उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि यहां का जनसंख्या घनत्व केवल 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो भारत के जनसंख्या घनत्व के औसत से बहुत कम है। राज्य की जनसंख्या पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध कराने में सक्षम है लेकिन राज्य की संपूर्ण जनशक्ति का नियोजित ढग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। मानवीय श्रमशक्ति का पर्याप्त उपयोग न हो पाने का एक प्रमुख कारण यह है कि राज्य में पूंजी का अभाव है। राज्य के जनसंख्या घनत्व का वितरण अत्यधिक असमान है। रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं अरावली पर्वत-श्रृंखलाओं वाले क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। अत इससे राज्य के आर्थिक विकास में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। राज्य में जनसंख्या बढ़ने की गति तीव्र है, जबकि आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत कम है।

(4) कम वर्षा व सीमित जल संसाधन **(*Less Rain & Scarce Water Resources*)** - राजस्थान में भी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। राज्य में वन अत्यधिक सीमित क्षेत्र में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, राज्य में ऊँचे पहाड़ों का भी अभाव है। अत मानसून से राज्य में बहुत कम वर्षा होती है। राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो वर्षा का प्राय अभाव ही बना रहता है। इस स्थिति से राज्य के कृषि क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु सिंचाई के साधनों का विस्तार करने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी इसे राज्य की संपूर्ण आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। राज्य के अनेक क्षेत्रों में पेयजल की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। राज्य में वर्ष पर्यन्त बहने वाली नदियों का अभाव है। राजस्थान के आन्तरिक सतही जलस्रोतों से उपलब्ध जल देश के सतही जलस्रोतों का 1 16 प्रतिशत ही है। वर्षा की कमी और मरूस्थलीय प्रदेश होने के कारण यहा लगभग 75 लाख एकड़ फीट भूगर्भीय जल और 158 60 लाख एकड़ फीट सतही जल की क्षमता है। इस स्थिति में राज्य में सिंचाई के लिए जितने पानी और साधनों की जरूरत है उसमें हम काफी पीछे है।

(5) सामाजिक संरचना (Social Structure) राज्य में सामाजिक सुविधाओं का स्तर निम्न है अतः योजनाकाल में आधारभूत सामाजिक सुविधाओं की वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है। आधारभूत सामाजिक सुविधाओं के विस्तार हेतु राज्य की पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति परिवारों को समाज के अन्य वर्गों के समान आगे लाने के लिए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की रचनात्मक योजनाएं प्रारम्भ की गई। इसी प्रकार बाल कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण कार्यक्रम, वृद्धों एवं अशक्त व्यक्तियों की सेवा, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन और शोषण को समाप्त करने के लिए व्यापक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं घुमक्कड जातियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार अविवाहित माताओं के बच्चों की देख रेख हेतु जयपुर और जोधपुर में शिशु गृहों की स्थापना की गई है। पिछड़े वर्गों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने एवं सामाजिक न्याय दिलाने सम्बन्धी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को 30 जनवरी, 1990 से लागू कर दिया गया है। निर्धनता निवारण के लिए एक विशिष्ट योजना लागू की गई है। अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम अनुसूचित जाति के परिवारों के व्यक्तिगत लाभ व आय वृद्धि की योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इसी प्रकार, विकलांगों के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु राज्य में अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है।

(6) राजनैतिक विचारधाराओं का प्रभाव (Effect of Political Ideologies) राज्य अर्थव्यवस्था विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं से भी प्रभावित होती रही है। राजनैतिक विचारधारा के साथ-साथ योजनाओं के निर्माण और उनकी प्राथमिकताओं में परिवर्तन हो जाता है। सरकारें बदलने पर कभी आवर्ती योजनाएं अपनाई जाती है तो कभी पंचवर्षीय योजनाएं। राजनीति के कारण ही प्रायः राज्य और केन्द्र में विवाद उत्पन्न होते है। राजनैतिक विचारधाराओं में भिन्नता के कारण आर्थिक विकास के कार्य में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। जब केन्द्र एवं राज्य में विभिन्न विचारधारा वाली सरकारें होती है तो प्रायः राज्य में आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। मत विभिन्नता के कारण अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रमों का संचालन नहीं हो पाता है। अतः राज्य अर्थव्यवस्था भी राजनीति के प्रभावों से मुक्त नहीं है।

(7) प्रदूषण के प्रति निश्चेष्ट अर्थव्यवस्था (Irresponsive Economy Towards Pollution) - योजनाकाल के पश्चात् राजस्थान में पर्याप्त औद्योगिक एवं कृषि विकास हुआ है किन्तु आर्थिक विकास के साथ- साथ प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं किए गए। यह मान लिया गया कि आर्थिक विकास और प्रदूषण साथ- साथ चलते है। प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास भी किए गए है किन्तु वे किसी प्रकार से पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। इस कारण आर्थिक विकास एवं प्रदूषण के साथ-साथ चलने की संभावना है। विगत कुछ वर्षों से राज्य के पाली, जोधपुर, कोटा, जयपुर आदि शहरों में प्रदूषण की समस्या गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। पाली में तो प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने न केवल अनेक कारखानों को बंद कर दिया वरन् नवीन कारखानों की स्थापना पर रोक लगा दी है। यह प्रवृत्ति राज्य के औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो सकती है।

(8) भ्रष्टाचार व लालफीताशाही (Corruption & Red Tapism) - राजस्थान में ही नहीं वरन सम्पूर्ण भारत में यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गई है। भ्रष्टाचार व लालफीताशाही इस हद तक बढ़ गई है कि इसके मानवीकरण की मांग की जाने लगी है। गुन्नार मिर्डल ने भी इस संदर्भ में कहा कि भारत में भ्रष्टाचार की अनदेखी की जाती रही है। राजस्थान में किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। दुर्भाग्य से, इसमें संलग्न विभाग, अधिकारी व कर्मचारी पूर्ण कर्मठता व लगन से कार्य नहीं करते।

(9) व्यापक निर्धनता, बेरोजगारी व क्षेत्रीय विषमता (Poverty, Unemployment & Regional Disparities) - राजस्थान की अर्थव्यवस्था इन तीनो ही समस्याओं से ग्रसित है। राजस्थान में प्रतिव्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में कम है। बेरोजगारी एक आम समस्या है और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास अत्यन्त ही धीमा है। राजस्थान का एक बहुत बडा भू-भाग रेगिस्तानी होने के कारण यहां का विकास आरम्भ से ही अवरूद्ध सा रहा है। इस क्षेत्र में राजस्थान नहर के कारण स्थिति के बदलने की संभावना है। साथ ही रेगिस्तानी क्षेत्र में खनिज तेल की संभावना के कारण सम्पूर्ण राजस्थान का आर्थिक विकास तीव्र हो सकता है।

(10) परिवहन व संचार (*Transport Communication*) - राजस्थान में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए परिवहन व संचार के साधनों का विकास

करना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए राज्य की विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ में परिवहन व सचार के साधनों के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाती रही है अत राज्य के अधिकाश भागों में परिवहन व सचार सुविधाओ का विस्तार हुआ है। लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र एव पहाडी क्षेत्र अभी भी इन सुविधाओं मे बहुत अधिक लाभान्वित नहीं हो पाये है। इन सुविधाओ के अभाव के कारण पहाडी व रेगिस्तानी क्षेत्र का औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत नगण्य रहा है। यह स्थिति राज्य के पिछडेपन की ओर सकेत करती है।

(11) निजी क्षेत्र की बढती हुई भूमिका (Increasing Role of Private Sector) स्वतत्रता के पश्चात् राजस्थान की अर्थव्यवस्था का विकास भी सार्वजनिक क्षेत्र एव निजी क्षेत्र के अतर्गत प्रारम्भ हुआ। जुलाई 1991 के पूर्व तक इसी नीति का अनुसरण किया गया लेकिन जुलाई 1991 की नवीन औद्योगिक नीति में अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी खुली एव उदार अर्थव्यवस्था के विचार को सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया। भारत सरकार की इस नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार राजस्थान मे भी सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आठवी पचवर्षीय योजना का निर्माण एव क्रियान्वयन इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए किया जा रहा है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से विकास की सम्भावना है।

(12) पर्यटन का बढता महत्व (Increasing role of tourism) राजस्थान मे भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है यह उद्योग राज्य-आय में वृद्धि का प्रमुख स्रोत बन सकता है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए राज्य के ऐतिहासिक स्थलो और अन्य पर्यटन स्थलो के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जैसलमेर दुर्ग और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए जोधपुर के सभागीय आयुक्त की अध्यक्षता मे एक बारह सदस्यी समिति गठित की गई। अजमेर मे दरगाह क्षेत्र के विकास के लिए योजना स्वीकृत की गई। भारत सरकार के माध्यम से जोधपुर बाडमेर जैसलमेर और बीकानेर जिलों में पर्यटन विकास के लिए विश्व वित्त सस्थाओ से सहायता प्राप्त करने तथा अजमेर को वायुसेवा से जोडने के प्रयास जारी है।

(13) अकाल एव सूखा (Famines & Droughts) राजस्थान में वर्षा के अभाव के कारण अकाल एव सूखे की स्थिति बनी रहती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव राज्य की निर्धन जनता पर पडता है। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु सिंचाई साधनों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया है लेकिन यह व्यवस्था राज्य की आवश्यकताओं से बहुत कम है। अकाल एव सूखे के कारण राज्य के अनेक भागों में पेयजल का अभाव उत्पन्न हो जाता है। राज्य में ग्रीष्मकाल मे पेयजल आपूर्ति की स्थिति ठीक रहे तथा लोगों को सकट का सामना न करना पडे इस दृष्टि से समुचित प्रबन्ध किये जाते है। पेयजल आपूर्ति मे सुधार के लिए सभी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध किया जाता है। जर्मन सरकार के सहयोग से राज्य के गगानगर चूरू और झुझुनू जिलों के खारे पानी वाले क्षेत्रों के गावों को पेयजल सुलभ कराने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण को 75 लीटर पेयजल सुलभ करवाया जायेगा। योजना अन्तर्गत पेयजल के लिए पानी इन्दिरा गाधी नहर परियोजना से उपलब्ध करवाया जायेगा। वर्तमान में साहवा व पाण्डूसर में जल शोधन सयत्र लगे हुए है। तीन और जल शोधन सयत्र चरणासर करमसाणा और तारानगर में बनाए जायेगे। यूनिसेफ के सहयोग से भूमिगत जल विकास के लिए योजना बनाई जा रही है। बीसलपुर जयपुर परियोजना के लिए सहायता जुटाने की एक योजना विश्व बैंक को भेजी गई है।

(14) सम्पन्नता मे दरिद्रता (Poverty in Plenty) राजस्थान प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से एक धनी प्रदेश है लेकिन फिर भी यहा के निवासियों की प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्राकृतिक ससाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। राज्य में अनेक प्रकार की विषमताए विद्यमान है। राज्य के कुछ व्यक्तियों की आय मे बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत राज्य की अधिकाश जनसख्या प्राय निर्धन है। राज्य के शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ है जबकि ग्रामीण क्षेत्र विकास का इतजार कर रहे है। ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं और भव्य इमारतों की तुलना में झोपडियों की बाहुल्यता राज्य में सम्पन्नता के मध्य दरिद्रता को दर्शाती है। राज्य सरकार इस समस्या के समाधान हेतु निरन्तर प्रयास कर रही है लेकिन राज्य की तेज गति से बढती जनसख्या इन सरकारी प्रयासों को असफल कर देती है।

(15) राजस्थान मे बढता विदेशी पूंजी निवेश[1] (Increasing Foreign Capital Investment in Rajasthan) आर्थिक विषमताओं के चलते राजस्थान का विकास अब केवल बाह्य सहायता पर निर्भर है। इसके लिए राज्य सरकार की उम्मीदें विदेशी आर्थिक सहयोग पर टिकी है। सरकार ने अभी विश्व बैंक सहित विभिन्न विदेशी वित्तीय सस्थाओ से जो तारतम्य बिठाया है उसके मुताबिक

1 दैनिक नवज्योति 21 नवम्बर 1997

करीब सवा छह हजार करोड रुपए की विदेशी सहायता और ऋण मिलने की सभावना है। अगले पाच वर्षों में यह सहायता कृषि, भूमि सधारण, वनीकरण, ग्रामीण विकास सिंचाई, ऊर्जा, सडक, शिक्षा तथा समाज कल्याण के कार्यों के लिए मिलेगी। इनमें से कुछ के लिए विदेशी वित्तीय सस्थाओं से समझौते कर लिए गए है तथा अन्य के लिए बातचीत अतिम दौर में है। उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार 1992-97 के 1055 करोड रुपए विश्व बैंक और अन्य वित्तीय एजेंसियो से लिए गए है। विदेश से आने वाला यह ऋण भारत सरकार के जरिए आता है, जिसमें 70 प्रतिशत ऋण और तीस प्रतिशत अनुदान होता है। ऋण की अदायगी की अवधि बीस वर्ष है। राजस्थान को आम तौर पर विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, जापान की ओइसीएफ, जर्मनी के के डब्ल्यू एफ , स्वीडन की सीडा और कनाडा की सीआईडीए वित्तीय सस्थाओं से ऋण प्राप्त हो रहा है। इनमें कुछ वित्तीय सस्थाओं की परियोजनाए इस वर्ष पूर्ण होने वाली है आध्र प्रदेश के पश्चात राजस्थान ऐसा राज्य है जहा इन वित्तीय सस्थाओं ने अपना रुपया लगाना स्वीकार किया है। उधर गैर सरकारी सूत्रों का मानना है कि अतर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं से प्राप्त ऋण से हालात सुधरने की बजाय बिगडे। राज्य सरकार पर फिलहाल जितने ऋण है उन पर 1665 करोड रुपये इनका ब्याज चुकाने में ही चले जाते है, जबकि राज्य की बिक्री से आमदनी ही 2050 करोड है। यानी जितनी राजस्व प्राप्तिया है उसका तीन-चौथाई ब्याज के चुकाने में ही जा रहा है। कर्ज इस तरह बढते रहे तो भावी स्वरूप क्या होगा यह सोचा जा सकता है। राजस्थान ने अभी तक कर्ज चुकाने के लिए पूरे साधन तलाश नहीं किए है। सरकार जुटी अवश्य है, पर रास्ते सूझे नही है। राज्य सरकार ने नौवी पचवर्षीय योजना में बाह्य सहायता की जो परियोजनाए तैयार की हैं उनसे उसे 6327 करोड रुपए मिलने की सभावना है। इसमें सर्वाधिक 16965 करोड रुपये ऊर्जा के क्षेत्र में है, जिसमे 660 करोड रुपये बिजली सुधार, पारेषण और वितरण पर और 980 करोड रुपये मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना के भी शामिल है। इसी तरह कृषि विकास परियोजनाओं के लिए 203 करोड, भूमि एव जल सधारण के लिए 145 करोड 88 लाख की परियोजनाए है। वनीकरण के लिए 547 करोड, 91 लाख की योजना में अरावली पौधरोपण परियोजना के लिए 367 करोड और ओसीएफ की 180 करोड की वन विकास परियोजना है। इसी तरह ग्रामीण विकास की 401 करोड की तथा सिचाई की 402 करोड की परियोजनाए है। इसमें 198 करोड का राजस्थान वाटर कमोलिडेशन प्रोजेक्ट है। कमाड एरिया डवलपमेंट की 76 करोड की परियोजनाए है। सडकों के लिए 353 करोड का राजस्थान स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट है, जबकि शिक्षा के लिए डीपीईपी परियोजना भी 880 करोड की है। पाच सालाना इस परियोजना में चिकित्सा एव स्वास्थ्य की 211 करोड की परियोजना है, जबकि जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग की 601 करोड की परियोजनाए है। इनमें बीसलपुर से जयपुर को पेयजल उपलब्ध कराने की 243 करोड की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने की 164 करोड की परियोजनाए भी शामिल है।

(16) विकास के लिये विदेशी सहायता पर बढती निर्भरता[1] (Increasing dependence on foreign Assistance for development) - राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी कपनियों एव अनिवासी भारतीयों द्वारा पूजी विनियोजन में 10 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 तक राज्य मे सीधे व अनिवासी भारतीयों में 10 इकाइयों में कुल 15 करोड 16 लाख रुपय की विदेशी पूजी निवेशित थी। वर्ष 1990-97 की अवधि में 54 इकाइयों में सीधे अनिवासी भारतीयों के माध्यम से कुल 159 करोड 85 लाख रुपये की विदेशी पूजी का विनियोजन हुआ जो 1990 तक हुए विदेशी पूजी निवेश की तुलना में 10 गुना से भी अधिक है। राज्य में वृहद एव मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए भारत सरकार को अगस्त, 1991 से जुलाई, 97 तक 1638 औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन प्रस्तुत किए गए जिनमें 25 हजार 700 करोड रुपये का पूजी विनियोजन प्रस्तावित है तथा जिनसे 3 लाख 3 हजार 698 व्यक्तियो को रोजगार सुलभ हो सकेगा।

लघु उद्योगों के क्षेत्र में वर्ष 1990-97 की अवधि में 35 हजार 764 लघु एव कुटीर उद्योग इकाइयाँ स्थापित हुई। इनमें 13 अरब 81 करोड रुपये से अधिक का पूजी विनियोजन हुआ। इसके विपरीत वर्ष 1985-90 के मध्य 35 हजार 112 लघु एव कुटीर उद्योग इकाइयों की स्थापना हुई जिनमें 3 अरब 29 करोड 71 लाख रुपय का पूजी विनियोजन हुआ।

राज्य में इस वर्ष सितबर तक एक लाख 89 हजार लघु एव कुटीर उद्योग स्थापित हो चुके है जिनमें 21 अरब 42 करोड 61 लाख रुपय का पूजी विनियोजन हुआ है।

वृहद एव मध्यम उद्योग स्थापित करने के क्षेत्र में भी राजस्थान में पिछले वर्षो में सराहनीय प्रगति हुई है। मार्च, 1990 तक राज्य में वृहद एव मध्यम स्तर की इकाइयो की सख्या 225 थी तथा उनमें 22 अरब 23 करोड 37 लाख रुपये का पूजी विनियोजन हुआ था। आर्थिक उदारीकरण एव राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषणा के उपरान्त वर्ष

1 दैनिक भास्कर 17 नवम्बर 1997

1990 मे 1997 के मध्य 290 वृहद एव मध्यम स्थापित हुए। जिनमे 99 अरब 84 करोड 38 लाख रुपये का पूजी विनियोजन हुआ।

राज्य म वर्ष 1985 90 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र म एक लाख 33 हजार 968 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ जबकि 1990-97 की अवधि में इस क्षेत्र मे 2 लाख 33 हजार 930 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ है।

राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याए MAJOR PROBLEMS OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

राज्य मे कृषि की समस्याओं का अध्ययन निम्न शार्षको के अनतर्गत किया जा सकता है।

(a) प्राकृतिक बाधाए (Natural constraints)

1 राजस्थान में वर्षा अत्यधिक अपर्याप्त और अनिश्चित प्रकृति की है।

2 राज्य का 61 प्रतिशत भाग मरूस्थलीय आर अर्द्ध मरूस्थलीय है।

3 इस क्षेत्र की मिट्टी उत्पादकता की दृष्टि से कमजोर है। इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता कम हाती है और यह अपना स्थान बदलता रहती है।

4 वर्षा की कमी क कारण भूगर्भीय जल की उपलब्धता सीमित है।

5 उच्च तापमान और वायु की तीव्र गति फसलो को नुकसान पहुचाता है।

(b) सामाजिक बाधाए (Social Constraints)

1 राजस्थान म जनसख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत स अधिक है।

2 जोतो क उपविभाजन म वृद्धि हुई है। 1980 81 म जोतो की सख्या 44 87 लाख था जो बढकर 1990 91 म 51 07 लाख हो गई।

3 साक्षरता का स्तर *(38%) विशेषत महिला साक्षरता* (20%) कम है।

4 महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा कम है।

5 महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि कृषि कार्यो म स्त्रियों की भूमिका प्रमुख हाता है।

6 जनसख्या का अधिकाश भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (30%) से सम्बन्धित है। इनम से अधिकाश व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। एस व्यक्तियों की जोखिम उठाने की क्षमता कम होती है और ये लोग नवीन प्रौद्योगिकी को जल्दी नही समझ पाते है।

(c) शोध सम्बन्धी बाधाए (Research Constraints)

1 अकाल से लडने के उपयुक्त तरीको का अभाव।

2 कृषि विधायन, बागवानी और चारा फसलों के विशेषज्ञ सीमित है।

3 फसल काटने के पश्चात की क्रियाओं के प्रबन्ध सम्बन्धी साहित्य और जानकारी सीमित मात्रा में उपलब्ध है।

4 बायो टेक्नोलोजी और टीशू कल्चर शोध सुविधाओं का अभाव है।

5 *विभिन्न प्रकार की जलवायु मे कृषि करने सबधी जानकारी* कम है।

6 ओरगेनिक फार्मिंग सबधी शोध का नितान्त अभाव है।

7 अनेक फसलों के लिए समन्वित रोग प्रबन्ध का अभाव है।

8 जल की बचत करने वाले प्राचीन उपायों जैसे - बूद बूद कृषि फव्वारा सिचाई आदि के क्षेत्र में शोध का अभाव है।

9 समस्या ग्रस्त मिट्टियों के प्रभावी प्रबन्ध की व्यूह रचना का अभाव है।

(d) सरचनात्मक बाधाएं (Research Constraints)

1 कृषि पदार्थों सबधी फुटकर दुकानें अपर्याप्त (2450 व्यक्तियों पर एक) है।

2 बैंकिंग सुविधाओं (सितम्बर, 1993 तक एक लाख जनसख्या पर 6 5 बैंक) का अभाव है।

3 शक्ति की पूर्ति अपर्याप्त है।

4 कृषि विपणन और विधायन सरचना का अभाव है।

5 कृषि में यत्रीकरण की गति धीमी है।

6 राजस्थान में सडको की लम्बाई प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में उपलब्ध राष्ट्रीय औसत का 55 प्रतिशत है।

7 बागवानी और सब्जियों सम्बन्धी फसलों के विपणन की *सरचना का अभाव है।*

8 पशु चिकित्सको की माग और पूर्ति के मध्य अन्तराल बहुत अधिक है साथ ही पशु बाजार असगठित है। इससे पशु पालकों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पडता है।

(e) कृषक की अशिक्षा एव अज्ञानता (Illiteracy & Lack of Knowledge) - यदि भारत के सदर्भ में राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान का कृषक अधिक अशिक्षित प्रतीत होता है। इसी कारण राजस्थान मे कृषि के अन्तर्गत नवीन विधियों का अधिक प्रयोग नहीं हो पाया है। अशिक्षा के कारण कृषक साहूकारों के चगुल में फसे हुए है। अशिक्षा के कारण ही राजस्थान मे सहकारी आदोलन अधिक गति प्राप्त नहीं कर पाया है। अशिक्षित कृषक अधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों क आसानी से शिकार हो जाते है। सामाजिक रीति रिवाजो को निभाने के लिए उन्हें वित्तीय कठिनाईया का सामना करना पडता है जिससे कृषि विकास

1 Draft Ninth Five Year Plan 1997 2002 Govt of Raj

अवरूद्ध हो जाता है। इस समस्या का समाधान कृषकों में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना है। इस प्रक्रिया में प्रौढ शिक्षा का विशेष महत्व हो सकता है।

(f) अपर्याप्त वित्त एवं ऋणग्रस्तता (Lack of Finance & Indebtness) - राजस्थान का कृषक अशिक्षित होने के साथ-साथ निर्धन भी है। इस कारण वह अपने स्वयं के साधनों के कृषि विकास के लिए पर्याप्त वित्त नहीं जुटा पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। इस कारण उसे साहूकारों द्वारा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण पडता है। ये ऋण भी मुख्यत अनुत्पादक ऋण होते है और इन अनुत्पादक ऋणों के कारण कृषक पर पीढी-दर-पीढी इस ऋण का बोझ बढता चला जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पलता बढता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वह अपना ऋण आने वाली पीढी के लिए छोड जाता है। राजस्थान में कृषकों में असतोष का एक बडा कारण उनकी ऋणग्रस्तता है। डॉ टॉमस ने ऋणग्रस्तता के सदर्भ में उपयुक्त ही कहा है, "ऋणग्रस्त समाज अनिवार्य रूप से एक सामाजिक ज्वालामुखी होता है। इस प्रकार के समाज में विभिन्न वर्गों में असतोष उत्पन्न होना अनिवार्य है और भीतर ही भीतर बढता हुआ असतोष सदैव खतरनाक होता है।" वित्तीय साधनों की कमी के सदर्भ में सहकारिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ठीक ही कहा है कि "सहकारिता असफल हो चुकी है लेकिन सहकारिता सफल होनी चाहिए।" ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा, आवश्यकता पडने पर अनुत्पादक ऋण भी प्रदान किए जाने चाहिए।

(g) सिंचाई साधनों की अपर्याप्तता (Lack of Irrigation Facilities) - राजस्थान में जल ससाधनों का अभाव है। नदियां कम है और लगभग सभी नदियां मानसूनी है। मानसून के अभाव में इनमें भी पानी नहीं रहता है। अनेक स्थानों पर भू-जल का स्तर बहुत नीचा होने के कारण भी कृषि कार्यों में उसका अधिक उपयोग नहीं हो पाता। इस कारण जल के अभाव में राजस्थान में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत में कृषि उत्पादन लगभग 6 गुना बढ जाएगा। रेगिस्तानी भूमि मे जल की और भी आवश्यकता होती है। अत जल के अभाव में प्राय ऐसे क्षेत्रों में खेती नहीं की जाती है। सिंचाई साधनों के अभाव को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जल समझौते अधिक महत्वपूर्ण हो सकते है। राजस्थान नहर ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास है।

(h) कुटीर व लघु उद्योगों का अभाव (Lack of Cottage & Small Industries) - राजस्थान का कृषक सामान्यत एक फसल लेता है और इस प्रकार वर्ष के लगभग 4 माह कार्य करता है। शेष अवधि में वह बेकार बैठा रहता है। ऐसा इस कारण से है कि राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में कुटीर एव लघु उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, "यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होती है तो भारत ही नष्ट हो जाएगा। ग्रामीण उद्योगों का विनाश भारत के सात लाख ग्रामों को नष्ट कर देगा।" कुटीर व लघु उद्योग न होने के कारण बहुत बडी मात्रा में श्रम-शक्ति नष्ट हो जाती है। इसका उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि सरकारी एव निजी प्रयासों से कुटीर एव लघु उद्योगों का विकास हो। इस हेतु सरकार को आकर्षक औद्योगिक नीति बनाकर लोगों को इस ओर आकर्षित करना होगा।

(i) कृषि श्रमिकों की समस्याएं (Problems of Agricultural Labour) - राजस्थान में जनसख्या का एक बहुत बडा भाग कृषि में लगा हुआ है। इनमें से भी बहुत बडी सख्या उन लोगों की है जिनके पास स्वय की भूमि नहीं है। इस कारण वे दूसरों की भूमि पर कार्य करते है। ये लोग कृषि कार्य में निपुण होते हुए भी अत्यन्त दीन-हीन स्थिति में जीवन-यापन कर रहे है। इस कारण इनसे सबधित समस्याओं के समाधान से ही कृषि का विकास सम्भव हो सकता है। कृषि सुधार समिति 1950 ने कहा था, "कृषि सुधार सबधी किसी योजना में से कृषि श्रमिकों की समस्या को छोड देना देश की समस्या को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। राजस्थान में बेकार पडी भूमि को आर्थिक जोतों के अतर्गत कृषि श्रमिकों में बाट दिया जाना चाहिए।

(j) आदानों का बढता मूल्य (Increasing Prices of Agricultural Inputs) - कृषि में काम आने वाले सभी साधनों का मूल्य तेजी से बढ रहा है। कृषि में प्रयुक्त होने वाले खाद बीज, औजार आदि की कीमतें निरन्तर बढी है। सरकारी प्रयासों के बाद भी यह प्रवृत्ति बनी हुई है। रासायनिक खाद के मूल्य में तेजी से वृद्धि होने के कारण उपभोग की गति तीव्र नहीं हो पाई है। कृषि आदानों के बढते मूल्यों के कारण एक ओर साधनों की लागत तो बढ गई है किन्तु दूसरी ओर उसकी तुलना में कृषि उपजों का मूल्य नहीं बढ पाया है। कृषि उपजों के मूल्यों में अनुपातिक वृद्धि न हो पाने के कारण कृषि को हानि वहन करनी पडती है। इस कारण कृषक प्राय घाटे में रहते है। यह सरकार का दायित्व है कि वह साधनों की कीमत को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करे।

(k) अपर्याप्त भूमि सुधार (Lack of Sufficient Land Reforms) - राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी अनेक कानून बनाए है। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा

सकता कि सभी समस्याए हल हो गई है। वर्षों से खेती करते आ रहे किसान आज भी भूमिहीन किसानों की तरह खातेदारी के अधिकारों से वंचित है। व्यवस्था के दोषपूर्ण होने के कारण ही कृषकों में भूमि का वितरण अत्यन्त असमान है। भूमि का उप विभाजन और उप खण्डन अनेक प्रकार की समस्याए उत्पन्न करता है। जनसख्या बढने के साथ साथ जोत का आकार छोटा होता चला जाता है और एक समय के बाद वह अनार्थिक जोत म बदल जाती है। ऐसी भूमि पर अन्तत कृषि करना भी बन्द कर दिया जाता है। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए यही कहा जा सकता है कि समस्याओं का व्यावहारिक हल निकाला जाना चाहिए और उन्हें वास्तव म क्रियान्वित किया जाना चाहिए। चकबन्दी के माध्यम से भी अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में बदला जा सकता है।

राजस्थान में कृषि की समस्याओं का समाधान

राजस्थान मे कृषि की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते है

1 सतह एव भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने के लिए बाधा का निर्माण किया जाना चाहिए।

2 भागीय भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

3 भूमि पर बढते हुए भार को कम करने के लिए जनसख्या नियत्रण के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।

4 कृषि जोतों के उपविभाजन की प्रक्रिया को रोकने के लिए कानून का निर्माण करके उसे प्रभावी ढग से लागू किया जाना चाहिए।

5 कृषि कार्य में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए।

6 निर्धन निरक्षर एव पिछड वर्गों के कृषकों को कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी से अवगत कराना चाहिए।

7 कृषि विशेषज्ञों की सख्या में वृद्धि करने के लिए कृषि शिक्षा का तेजी से प्रसार किया जाना चाहिए।

8 कृषि सम्बन्धी साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

9 कृषि शोध कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए।

10 कृषि विकास के लिए सिंचाई के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए

11 समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रभावी प्रबन्ध की व्यवस्था की जानी चाहिए।

12 ग्रामीण क्षेत्रों म बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

13 कृषि कार्यों के लिए शक्ति की पर्याप्त पूर्ति की जानी चाहिए।

14 ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि विपणन एव विधायन सरचना का निर्माण किया जाना चाहिए।

15 ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

16 कृषि क्षेत्र में यत्रीकरण को बढावा दिया जाना चाहिए

17 ग्रामीण क्षेत्रों मे पशु चिकित्सालयों का विस्तार किया जाना चाहिए।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की बाधाए व इनके निराकरण हेतु सुझाव

CONSTRAINTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN & SUGGESTIONS TO OVERCOME THEM

राजस्थान में विभिन्न उद्योगों के विकास की पर्याप्त सभावनाए विद्यमान है फिर भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से देश के अनेक राज्यों की तुलना म अत्यधिक पिछडा हुआ है। राज्य के कुछ ही क्षेत्रों में औद्योगिक विकास प्रारम्भ हुआ है एव राज्य के अधिकाश क्षेत्र औद्योगीकरण की दृष्टि से पिछडे हुए है। 1969 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पाडे समिति ने सम्पूर्ण राजस्थान को ही आर्थिक दृष्टि से पिछडा घोषित किया था आज भी पिछडेपन की स्थिति बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण औद्योगीकरण सम्बन्धी विभिन्न कठिनाइयों अथवा बाधाओं का उपस्थित होना है राजस्थान के औद्योगीकरण की विभिन्न बाधाओं का विवेचन अग्र बिंदुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है

1 आधारभूत सुविधाओं का अभाव (Lack of Infra structure) विकसित औद्योगिक भूमि बिजली पानी सडक रेल इत्यादि से सबधित आधारभूत समस्याए उद्योगों के समक्ष है। राजस्थान के 38 हजार से अधिक गावों और शहरों में से रीको द्वारा केवल कुछ स्थानों पर ही औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा सके है। कृषि भूमि का औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करने बिजली व पानी के सबध म लाईनें डालने व ट्रान्सफार्मर लगाने म अत्यधिक असुविधाए है। रेलवे की अधिकाश लाईनें मीटर गेज की है। राजस्थान में प्रति एक सौ वर्ग किलोमीटर पर सडकों की लम्बाई राष्ट्रीय औसत से कम है इसी प्रकार 1000 किलोमीटर म मात्र 17 02 किलोमीटर रेलमार्ग है। इसी प्रकार यहा प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत राष्ट्रीय औसत से कम है।

2 कच्चे माल की कमी (Lack of Raw Material) राजस्थान में कुछ विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल का

अभाव है। लोहा, कोयला, अलौह धातु, रसायन, पी वी सी आदि वस्तुए राज्य के उद्यमियों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। अत इन वस्तुओं से सबधित उद्योगों का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। इन कच्चे पदार्थों का राजस्थान में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र में अभाव है। ऐसी स्थिति में आयातों के द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

3 वित्तीय कठिनाईया (Financial Difficulties) - राजस्थान में वित्त सबधी अनेक कठिनाईया विद्यमान है। अत अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का औद्योगिक विकास कम हुआ है। बैकों ने इन औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं कराया है। वित्त सबधी दूसरी समस्या अश पूजी जुटाने की है। देश की विनियोजन सस्थाओं का इस क्षेत्र में बहुत कम योगदान है। उन्होंने विनियोजित पूजी का 2 3 प्रतिशत भाग ही राजस्थान में विनियोजित किया है। छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय सस्थाओं द्वारा जो ऋण मार्जिन निर्धारित किया जाता है, वह भी उद्यमी कई बार नहीं जुटा पाते है। केन्द्र सरकार ने भी अपने कुल विनियोगों का अल्पभाग ही राजस्थान में विनियोजित किया है।

4 विपणन समस्या (Marketing Problem) - राजस्थान स्वय में एक बहुत बडा विपणन क्षेत्र नहीं है। यहा विशाल बाजारों व विकसित मडियों का अभाव है। इसके अतिरिक्त यह बदरगाह व अन्य केन्द्रों, जैसे कलकत्ता, बबई, मद्रास, कानपुर इत्यादि से बहुत दूर है। अत कच्चा माल मगाना व निर्मित माल भेजना महगा पडता है। राज्य की विभिन्न सस्थाओं द्वारा भी स्थानीय उद्योगों से अपेक्षित खरीद नहीं होती। बिक्री कर की भी समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य के कुछ स्थानों पर विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करके मण्डियों की स्थापना की जा सकती है।

5 सुविधाओ मे अतर (Difference in Facilities)- नवीन उद्योगों की स्थापना मुख्यत अधिक सुविधा वाले क्षेत्रों में की जाती है। सरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त जिन स्थानों पर बीमा, बैंकिंग व तकनीक सबधी सामान्य सुविधाए उपलब्ध होती है, उन क्षेत्रों की ओर नए उद्योगपति सहज आकर्षित होते है। कच्चे माल का अभाव व विपणन समस्या उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित करती है। यही कारण है कि अन्य राज्यों में राजस्थान की अपेक्षा अधिक उद्योग स्थापित किए गए है। इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने अपनी विकास योजना के अतर्गत राजस्थान में कुछ स्थानों पर सरचनात्मक सुविधाए विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य के आबू रोड, बीकानेर, झालावाड, भीलवाडा और धौलपुर का चयन विकास केंद्र योजना के अतर्गत किया गया है। राज्य सरकार भी इसी तरह की अन्य योजनाओं के माध्यम से राज्य में सुविधाओं का विस्तार कर सकती है।

6 क्षेत्रीय असतुलन (Regional Imbalance) - सामाजिक, आर्थिक एव ऐतिहासिक कारणों से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में सतुलन नहीं रहा है। कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त ध्यान दिया गया है जबकि अधिकाश क्षेत्रों की अवहेलना की गई है। फलत क्षेत्रीय असतुलन की समस्या निरन्तर बढ रही है। राज्य के अन्य सभी जिलों की अपेक्षा जयपुर जिले का सर्वाधिक विकास हुआ है। राज्य के अधिकाश उद्योग इसी जिले में विद्यमान है। इसी प्रकार राज्य के पजीकृत उद्योगों में विनियोजित पूजी का लगभग आधा भाग जयपुर जिले में विनियोजित है। क्षेत्रीय असतुलन की ऐसी स्थिति शायद ही देश के किसी राज्य में विद्यमान हो। क्षेत्रीय असतुलन के कारण अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान के लिए कम विकसित क्षेत्रों में पर्याप्त पूजी विनियोजन की आवश्यकता है।

7 परिवहन की कठिनाई (Difficulty in Transportation) - राजस्थान में परिवहन के साधनों का भी बहुत कम विकास हुआ है। राज्य के आकार की तुलना में रेलों का बहुत कम विकास हुआ है। बडी रेल लाइनों का विकास एक सीमित क्षेत्र में हो पाया है। राज्य के सभी भागों में पर्याप्त सडकें भी नहीं है। अत माल के आवागमन में न केवल अनेक कठिनाईया आती है वरन् परिवहन लागत भी ऊँची रहती है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिवहन के विभिन्न साधनों का विस्तार करने हेतु अनेक योजनाए कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ है लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान परिवहन की दृष्टि से अत्यधिक पिछडा हुआ है। यही कारण है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नगण्य हो रहा है। अत औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सडक व परिवहन का विशेष रूप से विकास एव विस्तार किया जाना चाहिए।

8 कृषि का पिछडापन (Backwardness of Agriculture) - वर्षा के अभाव में राजस्थान की कृषि अत्यधिक पिछडी हुई है। अत राज्य में कृषि जन्य कच्चे माल का सदैव अभाव बना रहता है। राज्य के कृषि पर आधारित अनेक उद्योगों, जैसे सूती वस्त्र तथा वनस्पति घी आदि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अत राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। कृषि विकास को बढावा देने के लिए 'हरित क्रांति' का मार्ग अपनाया गया लेकिन पर्याप्त जल के अभाव में इसका पूरा लाभ सम्पूर्ण

राज्य में प्राप्त नहीं किया जा सका। अत राज्य में सिंचाई के साधनों का तेजा स विस्तार करके ही कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इससे औद्योगिक विकास की गति स्वत बढ जाएगी।

9 अकाल व सूखा (Famines & Draughts) राजस्थान में प्राय अकाल की स्थिति बनी रहती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में बाधक है। राज्य में अकाल की स्थिति बने रहने का प्रमुख कारण मानसून की अनिश्चित प्रकृति व राज्य के एक बहुत बडे भाग में रेगिस्तान का होना है। इंदिरा गाधी नहर परियोजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अकाल एव बढते हुए रेगिस्तान पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अकाल व सूखे की समस्या व समाधान हेतु ऐसी परियोजनाओ का शीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। ऐसी परियोजनाओं के कारण कृषि के साथ साथ उद्योगो का भी तजी से विकास होता है।

10 प्रणाली संबंधी समस्याए (Problems realting to the System) एक उद्यमी को पंजीकरण अनुज्ञा पत्र भूमि जल बिजली वित्त कच्चा माल एव विपणन इत्यादि सुविधाए प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विभागो या संस्थाओं से सम्पर्क करना पडता है। ये प्रणालिया अत्यन्त जटिल है जिससे अनावश्यक विलम्ब होता है अत विभिन्न रियायतों सभी व्यवस्थाओं को सरल रूप प्रदान किया जाना चाहिए

11 शक्ति की अपर्याप्तता (Insufficient Energy Sources) राजस्थान म पर्याप्त शक्ति के साधन न होने के कारण ही औद्योगिक विकास की गति धीमी रही। राज्य में कोयला व खनिज तेल का नितान्त अभाव है और विद्युत का उत्पादन भी राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है राज्य म शक्ति के गैर परम्परागत साधनो के विकास की पर्याप्त सभावनाए विद्यमान है लेकिन पूजी के अभाव के कारण इन साधनो का विकास नही हो पाया है। अत पर्याप्त पूजी विनियोजन के द्वारा शक्ति के साधनो का विकास किया जाना चाहिए।

12 प्रति व्यक्ति कम आय (Low Per Cap ta Income) राज्य म प्रतिव्यक्ति आय भी कम है इसके अतिरिक्त देश के अन्य राज्यो से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि राज्य का प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है अत राजस्थान म पूजीनिर्माण की गति भी धीमी बनी रहता है जिससे सदैव पूजी का अभाव बना रहता है। पूजी के अभाव के कारण राज्य का तजी से औद्योगीकरण नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य मे बैंकिग एव बिमाय सुविधाओ का विस्तार किया जाना चाहिए और खासा म विशेषत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की आदत विकसित की जानी चाहिए इससे पूजी निर्माण की गति में वृद्धि होना प्रारम्भ हो जाएगा।

13 उद्योगपतियों की उदासीनता (Indifferent Atti tude of Industrialists) राज्य के औद्योगीकरण के प्रति उद्योगपति प्राय उदासीन बन रहे है इसका प्रमुख कारण यह है कि राज यम नवीन उद्योगो की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण न होने के कारण वे अपनी पूजी को देश के अन्य भागों में विनियोजित करना अधिक लाभदायक समझते है राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाओं के अन्तर्गत रियायतो व सुविधाओं की घोषणा करनी चाहिए।

14 अन्य समस्याए (Other Problems) - उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में अनेक समस्याए विद्यमान है। श्रम सम्बन्धी समस्याओं के अन्तर्गत कुशल श्रमिकों का अभाव तथा मधुर औद्योगिक सम्बन्धो का अभाव है इससे उत्पादन कार्य में अवरोध बना रहता है। राज्य का अभी तक पूर्णत औद्योगिक सर्वेक्षण ही नहीं हो पाया। उत्पादित वस्तुओ की पर्याप्त रूप से जान नहीं हो पाती है अत 5 राज्य में अप्रमाणित घटिया वस्तुओं का पर्याप्त रूप से ज्ञान नही हो पाती है अत राज्य में अप्रमाणित घटिया वस्तुओ का उत्पादन होता है। राज्य के अनेक उद्योग रुग्णता की समस्या से ग्रस्त है इन सभी समस्याओं का समाधान करके राज्य म औद्योगीकरण की गति को तीव्र किया जा सकता है।

राजस्थान में तीव्र विकास के सुझाव

राज्य अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से आर्थिक विकास हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते है

1 वित्तीय साधनो में वृद्धि राज्य की प्रथम सात योजनाओ का आकार बहुत छोटा था अत राज्य म अन्य राज्यो की तुलना म अर्थव्यवस्था के विकास की गति बहुत धीमी रही। राज्य की 8वीं व 19वी योजना का आकार पहले की योजनाओ की तुलना म अधिक है लेकिन राज्य की समस्याओं और बढती हुई आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्रोतो में वृद्धि की जानी चाहिए ।

2 आर्थिक सर्वेक्षण राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षणों की गति धीमी है अत राज्य की आर्थिक क्षमताओ का ज्ञान नहीं है अत राज्य म आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए ताकि कृषि उद्योग परिवहन और खनिज विकास की

भावी सम्भावनाओं का अनुमान लगाया जा सके।

3 सिंचाई के साधनों का विकास राजस्थान में प्राय अकाल एव सूखे की स्थिति बनी रहती है । इस समस्या का समाधान केवल सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके ही किया जा सकता है। राज्य में सिंचाई के वर्तमान साधन अपर्याप्त है। अत अर्थव्यवस्था के तीव्रगामी आर्थिक विकास के लिये सिंचाई के साधनों में तेजी से विकास करना आवश्यक है।

4 राज्य के शुष्क प्रदेश का उपयोग - राज्य का एक बहुत बडा भू भाग मरूस्थल है अन्तर्गत आता है। प्रदेश में वर्षा का अभाव रहता है और भू-क्षरण की प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसी स्थिति में शुष्क प्रदेश का उपयोग करने के लिये कृषि की नवीन तकनीकों की खोज पर बल दिया जाना चाहिये। भू-क्षरण को रोकने के लिये पेड पौधे लगाये जाने चाहियें और वर्षा की अवश्यकता वाली फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिये।

5 अरावली क्षेत्र का विकास - राज्य का अरावली क्षेत्र रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढने से रोकता है लेकिन विगत दशक में इन क्षेत्र का पर्यावरण एव पारिस्थिति की अत्यधिक कमजोर हो गई है। अत अरावली क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिये ।

6 पेयजल की व्यवस्था - आर्थिक विकास की लम्बी यात्रा के पश्चात भी राज्य में पेयजल का सकट विद्यमान है। यह विचित्र विडम्बना है कि कुछ स्थानों पर पेयजल उपलब्ध ही नहीं है और अनेक स्थानों पर पेयजल का स्वाद क्षारीय और पीने योग्य नही है अत राजय में पेयजल की व्यवस्था के लिये क्रान्तिकारी प्रयासों की आवश्यकता है।

7 लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास - राजस्थान में कृषि आधारित परम्परागत कुटीर व लघु उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। लेकिन राज्य में खनिज आधारित आधुनिक उद्योगो का अभाव है अत राज्य में खनिज आधारित उद्योग एव इलेक्ट्रानिक उद्योगो के विकास पर बल दिया जा रहा है।

8 इंदिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र विकास - इस क्षेत्र में कृषि उद्योग नगर निमार्ण बैंकिग विकास रोजगार वृद्धि आदि की विपुल सम्भावनाए विद्यमान है। अत आर्थिक ससाधनों में वृद्धि करके इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये। ताकि राज्य की विकास की दर बढ सके। इंदिरा गाधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी से पूर्ण किया जाना चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. सक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 राजस्थान राज्य के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाए क्या है? उनको दूर करने के सरकार ने क्या उपाय किए है। स्पष्ट कीजिए।
What are the constraints in the Econom sc development of Rajasthan State? Explain the steps which have been taken by the Govt of Rajasthan to remove the constraints

2 राजस्थान के आर्थिक पिछडपन का स्थापित करने के लिए आर्थिक सूचकों का उल्लेख करिए।
Identify to imprortant economic indicators to estab'ish the economic backwardness of Rajasthan

3 राजस्थान के विकास की प्रमुख बाधाए क्या है?
What are the main constraints in the economic deve'opment of Rajasthan?

4 उन पाच प्रमुख विषयों/क्षेत्रों का उल्लेख कारण सहित कीजिए जो 21वीं सदी में राजस्थान के विकास में अति महत्वपूर्ण होंगे।
Mention five major sectors/areas which would be crucial in the development of Rajasthan in 21st Century Explain why?

5 राजस्थान अब भी आर्थिक दृष्टि से एक पिछडा राज्य है। इसके पिछडेपन के क्या कारण हैं?
Rajasthan continues to be an economically backward state What are the reasons for it?

6 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान में हुए विकास का मूल्याकन करते हुए पाच प्रमुख नकारात्मक एव सकारात्मक बिन्दु उल्लेखित करें।
Write five main positive and negative points in assessing the development of Rajasthan after independence

B निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 राजस्थान राज्य के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाए क्या है? उनको दूर करने के सरकार ने क्या-क्या उपाय किए है? स्पष्ट कीजिए।
What are the constrains in the economic development of Rajasthan state? Explain the steps which have been taken by the Govt of Rajasthan ■ remove the consitraints

2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
Critically describe the economic development of Economy of Rajasthan after Independence

3 पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान के आर्थिक विकास का वर्णन कीजिए।
Describe economic development of Rajasthan during five year plans

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

1 राजस्थान में अर्थव्यवस्था की धीमी गति के क्या कारण है? भविष्य में राज्य में तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए सुझाव दीजिए।
What are the causes of slow growth of the Economy of Rajasthan? Give Suggestions for rapid economic growth in future in the State

2 "राजस्थान के आर्थिक विकास में अवरोध" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Constraints in the Economic Developmint of Rajasthan

3 राजस्थान के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएं क्या है? इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है?
What are the main constraints in the economic development of Rajasthan How can these constraints be removed?

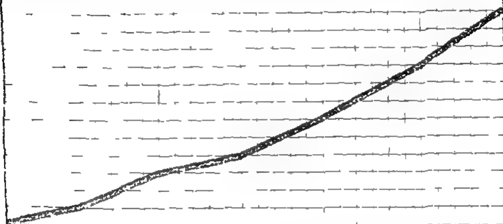
4 स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान की अर्थव्यवस्था व आर्थिक विकास का आलोचनात्मक विवेचन दीजिए।
Critically explain the economic development of Economy of Rajasthan prior to Independence and post Independence



अध्याय – 22

राजस्थान में अकाल एवं सूखा

FAMINE & DRAUGHT IN RAJASTHAN



अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में अकाल व सूखे के अध्ययन का महत्व
- राजस्थान में अकाल व सूखे का इतिहास
- अकाल व सूखा प्रबन्ध की अल्पकालीन व दीर्घकालीन व्यूह रचना
- राजस्थान में अकाल व सूखे की स्थिति के कारण व निवारण के उपाय
- अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान सदियों से अकाल एव सूखे की समस्या से जूझता चला आ रहा है। मानव ने प्रकृति पर नियन्त्रण करने के हर सम्भव प्रयास किए है किन्तु वह इसमें पूर्ण रूप मे अभी तक सफल नहीं हो पाया है। अकाल एव सूखे की समस्या वैसे तो सम्पूर्ण राजस्थान की समस्या है किन्तु विशेषकर उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र इस समस्या से अधिक ग्रसित है। यह क्षेत्र आरम्भ से ही रेगिस्तानी नहीं है। इस क्षेत्र में हजारों वर्ष पूर्व टैथिस महासागर हुआ करता था, जो धीरे धीरे लुप्त हो गया। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में आज जो खारे पानी की झीलें विद्यमान है वे उसी सागर का अवशेष मानी जाती है। अति प्राचीनकाल में यह क्षेत्र काफी हरा भरा और समृद्ध था। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में मिले वनों के अवशेषों से भी इस बात की पुष्टि होती है। मानव जैसे जैसे इस क्षेत्र के वनों को नष्ट करता गया, वैसे वैसे इस क्षेत्र में समृद्धि लुप्त होने लगी। इस क्षेत्र में पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। वह भी भौगोलिक उथल पुथल के कारण लुप्त हो गई। इस कारण यह क्षेत्र धीरे धीरे हरियाली खोता चला गया और कालान्तर में रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। रेगिस्तान के दुष्प्रभावों के कारण सम्पूर्ण राजस्थान की जलवायु अत्यधिक विषम हो गई व वर्षा की मात्रा भी कम होती चली गई। फलस्वरूप अकाल एव सूखे की समस्या अपनी जडे जमाती चली गई। आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि

अकाल एव सूखे की समस्या राजस्थान मे सदैव से विद्यमान है।

राजस्थान में अकाल एव सूखे के अध्ययन का महत्व

IMPORTANCE OF THE STUDY OF DRAUGHTS & FAMINES IN RAJASTHAN

राजस्थान में प्राय अकाल एव सूखे की स्थिति, स्वरूप व विस्तार आदि का अध्ययन करना विभिन्न प्रभावो एव निम्न कारणो से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है -

1 रेगिस्तानी क्षेत्र (Desert Area) - राजस्थान के समस्त क्षेत्र को मोटे तौर पर अरावली पर्वत श्रृखला ने दो भागों मे बाट दिया है। उत्तरी पश्चिमी भाग रेगिस्तानी है और यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60 प्रतिशत है। इस क्षेत्र म जलवायु अत्यन्त विषम है तथा वर्षा की मात्रा बहुत कम है। साथ ही जनसख्या का घनत्व राज्य के औसत से कम है। जनसख्या काफी बिखरी हुई है। ऐसी स्थिति म जब यह प्राय अकाल एव सूखे से जूझता रहता है तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के लगभग 60 प्रतिशत भाग का उचित उपयोग नही हो पा रहा है। इससे राज्य की आर्थिक प्रगति भी प्रतिकूल रूप मे प्रभावित होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र को इस समस्या से मुक्त कराने के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र म अकाल एव सूखे की समस्या का प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण अध्ययन किया जाए और अध्ययन से निकले निष्कर्षो को क्रियान्वित करके इस समस्या की गम्भीरता को यथासम्भव कम किया जाए।

2 कृषि प्रधान राज्य (Agriculturally dominated State) - राजस्थान म अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि का विशेष महत्व है। राजस्थान की अधिकाश जनसख्या कृषि मे लगी हुई है। कृषि क्षेत्र म अधिकाश भूमि असिंचित है तथा जो भूमि सिंचित है उसमे भी मुख्यत कुए की सिंचाई के प्रमुख साधन है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में रबी और खरीफ की दो फसले ली जाती है उनमे से खरीफ की फसल तो प्राय पूर्णत वर्षा पर आश्रित रहती है। रबी की फसलो मे बहुत कम क्षेत्र में फसल उगाई जाती है। रबी की फसलो की सिंचाई भी मुख्यत कुओं के माध्यम से की जाती है। जब अकाल एव सूखे की स्थिति होती है तो इन कुओ का जल स्तर भी बहुत नीचा चला जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह स्तर तीन सौ फीट स पाच सौ फीट तक गहरा हो जाता है। ऐसी स्थिति म कुओं से भी पर्याप्त जल नहीं मिल पाता। इस प्रकार राज्य के कृषि प्रधान होने के कारण एव सूखे का प्रभाव राज्य के बहुत बडे हिस्से और जनसख्या पर पडता है। इस कारण इस समस्या का अध्ययन अनिवार्य प्रतीत होता है।

3 पशुपालन (Animal Husbandry) - राजस्थान की अधिकाश जनसख्या कृषि कार्यो मे लगी हुई है। साथ ही पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन चुका है। विशेषकर उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र मे पशुपालन काफी महत्वपूर्ण है। 1983 की जनगणना के अनुसार राज्य मे लगभग 4 करोड पशु है जो कि एक बडी सख्या मानी जा सकती है। इन पशुओ को अकाल एव सूखे के कारण पर्याप्त चरागाह उपलब्ध नहीं हो पाते है। इस कारण राजस्थान से पशुओं का अन्य राज्यों व क्षेत्रो की ओर भारी मात्रा मे पलायन होता है। इस पलायन के कारण अनेक समस्याए उत्पन्न हो जाती है। यदि अकाल एव सूखे के स्वरूप को समझा जा सके तो पशुओ के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।

4 ग्रामीण जनसख्या (Rural Population) - राजस्थान की अधिकाश जनसख्या ग्रामीण है। 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत लोग गावों में रहते है। गावो मे प्रमुख व्यवसाय कृषि एव पशुपालन है। अकाल एव सूखे का सर्वाधिक प्रभाव कृषि एव पशुपालन पर ही होता है। इस कारण राज्य की बहुत बडी जनसख्या सूखे एव अकाल से प्रभावित हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र पहले ही विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से वचित है। विभिन्न अध्ययनो से यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत एव राज्य की अधिकाश निर्धन जनसख्या गावों मे निवास करती है। अत ये निर्धन ग्रामीण लोग ही अकाल एव सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होते है। शहरी जनसख्या पर इसका अपेक्षाकृत कम प्रभाव पडता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रो को मुख्य केन्द्र मानते हुए अकाल एव सूखे की समस्या का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

5 आर्थिक भार (Economic Burden) - राजस्थान मे अकाल एव सूखे की समस्या प्राय बनी रहती है। राजस्थान के लोगों को किसी न किसी रूप मे इस समस्या का सामना करना पडता है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात 1995-96 तक केवल 7 वर्षो को छोड दिया जाए तो शेष सभी वर्षो मे राजस्थान इस समस्या से पीडित रहा है। जिन वर्षो मे इस समस्या का सामना नहीं करना पडा वे वर्ष है 1959-60 1973-74, 1975-76 1976-77, 1983-84, 1990-91 और 1994 95। इस प्रकार सदैव

इस समस्या के निवारण एवं राहत कार्यो पर व्यय करना होता है। 1987-88 में तो इस शताब्दी का सबसे भयकर अकाल रहा है। इस कारण विकास के लिए उपलब्ध धन-राशि ऐसे कार्यों में भी व्यय हो जाती है जो अपेक्षाकृत कम उत्पादक या अनुत्पादक होते है। इससे राज्य की आर्थिक प्रगति धीमी होती है। स्वतत्रता के बाद अब तक 2200 करोड रुपए व्यय करने के बाद भी राज्य के एक भी जिले को अकाल से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकी है।

6 रोजगार (Employment) - सूखे एव अकाल के कारण राज्य में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कि यह तो स्पष्ट ही है कि अधिकाश लोग कृषि में लगे है लेकिन साथ ही राज्य के विभिन्न रोजगार अवसरों का विश्लेषण किया जाए तो वे सभी प्रत्यक्ष रूप से कृषि से सम्बद्ध प्रतीत होते है। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार बीमा, बैंकिंग आदि सभी क्रियाए एक दूसरे से जुडी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पन्नता से शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ जाते है। अकाल एव सूखे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तो रोजगार के अवसर प्राय समाप्त से हो जाते है। यह एक गम्भीर स्थिति है। सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने मानवीय साधनो का कुशलतम उपयोग करे किन्तु सूखे एव अकाल के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पाता। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सूखे एव अकाल की समस्या पर विचार किया जाना आवश्यक है।

7 पेयजल (Drinking Water) - राजस्थान के ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रों में स्वतत्रता प्राप्ति के बाद काफी वर्ष बीत जाने के बाद भी पेयजल की समस्या का निदान नहीं हो पाया है। पेयजल मनुष्य को जीवित रखने के लिए एक अनिवार्यता है। यह पेयजल शुद्ध होना भी आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में मनुष्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। यह पूर्णत सत्य है कि जितने लोग शराब पीने से नहीं मरते, उससे भी अधिक लोग दूषित जल के कारण मृत्यु को प्राप्त होते है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कुए व तालाब पेयजल के प्रमुख साधन है। तालाबों में तो पशु और मनुष्य सभी उसका उपयोग करते है। सूखे एव अकाल के कारण कुओं का पानी सूख जाता है। इससे लोगों को पेयजल के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पडती है। शहरी क्षेत्रों में जो पानी उपलब्ध कराया जाता है वह भी वर्षा से ही प्राप्त होता है चाहे वह बाध बनाकर रोका गया पानी हो या भूमिगत जल। दोनों ही दशाओं में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य की इस मूलभूत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अकाल एव सूखे की समस्या का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है।

8 मूल्यवृद्धि (Inflation) - अकाल एव सूखे के समय प्राय मूल्य वृद्धि का सामना करना पडता है क्योंकि कृषिगत उत्पादन कम हो जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त कच्चा माल महगा हो जाता है, व्यापारियो व उत्पादकों में जमाखोरी की प्रवृत्ति पनपने लगती है तथा ऐसे ही विभिन्न कारणों से लगभग सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मूल्य सूचकाकों से इस प्रवृत्ति की पुष्टि की जा सकती है। मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव राज्य में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं पर भी पडता है क्योंकि उन विकास परियोजनाओं की लागत बढ जाती है। इससे और अधिक वित्तीय प्रावधान करने होते है जो कि राज्य के आर्थिक भार में वृद्धि कर देते है। मूल्य वृद्धि से जनता भी पीडित रहती है। इसके राजनैतिक दुष्परिणाम भी सरकार को भुगतने पडते है। इस कारण अकाल एव सूखे की समस्या का उचित अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

राजस्थान में अकाल व सूखे का इतिहास

HISTORY OF FAMINES & DRAUGHTS IN RAJASTHAN

राजस्थान के पर्यावरण पर अकाल एव सूखे की समस्या का गहरा प्रभाव रहा है। राजस्थान में जलवायु की विषमता, वर्षा की स्थिति, वनों का स्वरूप, धरातल की स्थिति, पर्वत श्रृखलाओं की दिशा आदि का अकाल एव सूखे की समस्या से आदिकाल से सम्बध रहा है। राजस्थान में अकाल एव सूखे की स्थिति अन्न का अभाव, चारे का अभाव या जल का अभाव होने के कारण या अन्न, जल व चारे के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। जिस अकाल में अन्न, जल व चारे तीनो का अभाव रहता है वह अकाल अत्यन्त भीषण माना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के सन्दर्भ में लिखते हुए 11वीं शताब्दी के एक अकाल का वर्णन किया है जो लगातार 12 वर्ष तक चला। इसी प्रकार सन् 1291 (वि स 1348) में राजस्थान में भयकर अकाल का उल्लेख मिलता है। 1309 से 1313 के मध्य मारवाड क्षेत्र में भयकर अकाल का सामना करना पडा। 1335 1485 1570 1577 1578 1694, 1695 1696, 1755 1796 1811 1843 1844 1848 ,1851 1860 1868 1877, 1891 1895, 1899 1917 1939 आदि वर्षों में राजस्थान भयकर अकालों से ग्रस्त था। इनमें से 1899 (वि स 1956) जो कि "छप्पनेकाल" के नाम से

विख्यात है अपनी भयकर विभीषिका के लिए आज भी याद किया जाता है। लगभग ऐसी ही स्थिति 1939 (वि स 1996) के छिनवेंकाल के सन्दर्भ में रही है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात केवल 5 वर्षों को छोडकर यहा हमेशा अकाल एव सूखे की स्थिति देखने में आई है। इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण वर्षा का कम होना है। राजस्थान में पिछले दो दशकों में अकाल एव सूखे से प्रभावित जिलों की सख्या राज्य की अधिकांश जनसख्या पर पड़ने वाले प्रभाव व राज्य की आर्थिक क्षति को निम्न तालिका में दर्शाने की चेष्टा की गई है।

राजस्थान में अकाल की स्थिति

अ प्रभावित ग्रामों की सख्या की दृष्टि से भयकर प्रभाव के वर्ष

1	1987 88	36252 गाव
2	1986 87	31936 "
3	19 9 80	31095 "
4	1991 92	30041 "

ब अकालो से प्रभावित सर्वाधिक जनसख्या वाले वर्ष

1	1987 88	3 17 करोड
2	1991 92	2 89 करोड
3	1995 96	2 73 करोड
4	1986 87	2 52 करोड

स राजस्थान के निर्माण के पश्चात् 1996 97 के वे वर्ष जिनमें अकाल व सूखा नहीं रहा

1	1959 60
2	1973 74
3	1975 76
4	1976 77
5	1983 84
6	1990 91
7	1994 95

द शताब्दी का सबसे भयकर अकाल का वर्ष 1987 88

1 Economic Review 1987-88 1998-99 and Annual Reports of the Department

जैसा कि पहले बताया गया है कि राजस्थान में अकाल का प्रमुख कारण वर्षा का कम होना है। वर्षा के अध्ययन के लिए राजस्थान में 1901 से 1950 तक जो वर्षा हुई उसी के आधार पर राजस्थान के विभिन्न जिलों व क्षेत्रों के लिए औसत सामान्य वर्षा निर्धारित की गई है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में औसत वर्षा और विगत् वर्षों में हुई वर्षा की स्थिति से अकाल एव सूखे का समग्र अध्ययन में सुविधा होगी।

राजस्थान में वर्षा का वितरण

अ राजस्थान के औसत (57 51 से मी) से अधिक सामान्य वार्षिक वर्षा वाले प्रमुख जिले

1	बासवाड़ा	95 03 से मी
2	बारा	87 38 से मी
3	सवाईमाधोपुर	87 34 से मी
4	झालावाड	84 43 से मी
5	चित्तौड़गढ	84 15 से मी

ब राजस्थान के औसत (57 51 से मी) के लगभग बराबर सामान्य वार्षिक वर्षा वाले जिले

1	अजमेर	60 18 से मी
2	सिरोही	59 12 से मी
3	राजसमन्द	56 78 से मी
4	जयपुर	56 38 से मी
5	दौसा	56 10 से मी

स राजस्थान के औसत (57-51 से मी) से कम सामान्य वार्षिक वर्षा वाले प्रमुख जिले

1	जैसलमेर	18 55 से मी
2	गगानगर	22 64 से मी
3	बीकानेर	24 30 से मी
4	बाड़मेर	26 57 से मी
5	नागौर	31 17 से मी
6	जोधपुर	31 37 से मी

स्रोत (Statistical Abstract Raj 1996)

अकाल के प्रमुख क्षेत्र अथवा जिले -

राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्राय अकाल की स्थिति बना रहती है। इस क्षेत्र में राज्य के जिले सम्मिलित है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत है और इसमें राज्य की लगभग 40 प्रतिशत जनसख्या निवास करती है। राज्य में अकाल से प्रभावित जिलों के नाम इस प्रकार है बाडमेर जैसलमेर जोधपुर जालौर नागौर चूरू पाली श्रीगगानगर बीकानेर सीकर और झुझुनू। इन जिलों में वर्षा बहुत कम होती है तथा तेज आधियों के कारण मिट्टी का कटाव होता रहता है।

अकाल एव सूखे के राज्य अर्थव्यवस्था पर पडने वाले प्रभाव -

1 अकाल एव सूखे से राज्य अर्थव्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित होती है। आय एव रोजगार का स्तर निम्न है और राज्य में बेकारी भुखमरी एव निर्धनता की स्थिति बनी रहती है। अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिन तक अभाव की स्थिति बना

राजस्थान में रेलमार्ग			
गेज		रेलमार्ग की लम्बाई (किलोमीटर)	
		1990-91	1995-96
1	ब्रॉड गेज	1235.37	2288.03
2	मीटर गेज	4505.52	3551.22
3	नैरो गेज	86.51	84.45

स्रोत : Statistical Abstract, Rajasthan 1996

(2) भरतपुर सिमको लिमिटेड - यह कम्पनी 31 जनवरी, 1957 को भरतपुर में प्रारम्भ की गई। यह कम्पनी प्रतिवर्ष लगभग 3000 माल वाहन डिब्बों का निर्माण करती है यह मालवाहक डिब्बों की लगभग एक-तिहाई माग पूरी करती है।

(3) रेल बस - राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच 12 अक्टूबर, 1994 को देश की पहली ब्रॉड गेज रेल-बस सेवा प्रारम्भ हुई। इस रेल बस में 71 यात्री बैठकर तथा 15 खड़े होकर यात्रा कर सकते है। इस रेल बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घण्टा है।

(4) जयपुर-सियालदाह एक्सप्रेस - 3 जुलाई, 1994 को जयपुर -सियालदाह एक्सप्रेस का शुभारम्भ किया गया। यह प्रतिदिन दुर्गापुरा, सवाईमाधोपुर, आगरा-किला, टुडला, कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय और पटना होते हुई 36 घण्टों में अपनी यात्रा पूरी करती है।

इससे राजस्थान के प्रवासी उद्यमियों का राज्य में उद्योग लगाने के प्रति रूझान बढ़ेगा और परिवहन की सुविधा के विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी।

(5) आठवी पंचवर्षीय योजना में परिवहन विकास - बांदीकुई-आगरा तक बड़ी लाईन का कार्य आठवी योजना में पूरा कर लिया जायेगा। वर्ष 1994-95 में मीटर गेज को बड़ी लाईन में बदलने के कार्यक्रम में जोधपुर-जैसलमेर के लिए 109 करोड़ रुपए, फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद- मेहसाणा के लिए 92 करोड़ रुपए, लूनी-मारवाड़ के लिए 30 करोड़ रुपए, सवाई-माधोपुर-जयपुर-फुलेरा के लिए 26 करोड़ रुपए, जोधपुर- बीकानेर-मेड़ता के लिए 8 करोड़ रुपए तथा मथुरा-अलवर नई बड़ी रेल लाइन के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

राजस्थान में मीटर रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन मे परिवर्तन	
1991-92	1994-95
सूरतगढ़-भटिंडा 81 कि.मी.	फुलेरा-अजमेर [illegible] कि.मी.
सूरतगढ़-अनूपगढ़ 78 कि.मी.	[illegible]-जयपुर 225 कि.मी.
सूरतगढ़-बीकानेर 178 कि.मी.	जोधपुर-जैसलमेर 295 कि.मी.
1992-94	1995-96
[illegible]-मेड़ता रोड 177 कि.मी.	अजमेर-मारवाड़ 140 कि.मी.
[illegible] 45 कि.मी.	मारवाड़-[illegible] 203 कि.मी.
सवाईमाधोपुर-जयपुर 125 कि.मी.	आगरा-बांदीकुई 113 कि.मी.
जयपुर-फुलेरा 55 कि.मी.	नौवीं पंचवर्षीय योजना
फुलेरा-जोधपुर 254 कि.मी.	लूनी-मुनाबाव 297 कि.मी.
मेड़ता रोड, 14 कि.मी.	[illegible] (श्रीगंगानगर) 205 कि.मी.
मेड़ता सिटी	

स्रोत : राजस्थान सुजस

(6) राजस्थान में नई रेल लाइनें - स्वतन्त्रता के पश्चात् राजस्थान राज्य मे नवीन रेलमार्गों के निर्माण का कार्य निरन्तर जारी रहा। राज्य में 1947 की अवधि मे मावली खेरदा (1947-48) खेरदा-कानोड (1948-49), सांगानेर-फागी (1949-50) , कानोड-बड़ी सादड़ी (1949 50), फागी-डिग्गी (1950-51), डिग्गी-टोडा रायसिंह (1953-54), फतेहपुर-चुरू (1956-57), रानीवाड़ा- भीलड़ी (1957-58), उदयपुर-उदयपुर सिटी (1961-62), उदयपुर- हिम्मतनगर (1965-66), पोकरन-जैसलमेर (1966-67) हिन्दूमलकोट -श्रीगंगानगर (1969-70), डाबला-सिंघाना (1974-75), कोटा-चन्देरिया (1988-89), चन्देरिया-चित्तौडगढ (1989-90), चित्तौडगढ -नीमच (1990-91), मथुरा-डीग (1992-93), तथा डीग-अलवर (1993-94) नवीन रेलमार्ग बनाये गये।

(7) अजमेर का रेल्वे वर्कशाप - इस वर्कशाप का निर्माण 1877 में प्रारम्भ हुआ जो सन् 1879 के अन्त तक पूरा हो गया। यह इंजनों,माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की सभी प्रकार की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य किया जाने लगा। 1881 में भण्डार विभाग तथा 1884 में माल-डिब्बों और सवारी डिब्बों को अलग किया गया। 1885 में लुहारी कार्य, चक्का (Wheel) तथा बॉयलर शाप को अलग से कार्यशालाएं स्थापित की गई। यह भारत का एक मात्र रेल्वे वर्कशॉप है जहा इजन बनते थे। 1937 तक यहा 375 रेल इंजनों का निर्माण किया गया। वर्तमान में भी रेल मरम्मत एवं नवीनीकरण की दृष्टि से रेल्वे वर्कशाप, अजमेर का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

(8) रेल्वे ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर - इस स्कूल का शिलान्यास 25 मार्च, 1955 को महाराणा भूपाल सिंह ने किया तथा 9 अक्तूबर, 1956 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने इसका उद्‌घाटन किया। यह स्कूल न केवल पश्चिम रेल्वे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है वरन् अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों और विदेशी रेल कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। 1993-94 में 5713 देशी तथा 246 विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(9) बच्चों की रेल - यह रेल उदयपुर में है इसका संचालन नगर परिषद, उदयपुर द्वारा किया जाता है। इस रेल

का पूर्ण विकास हुआ व नये पद सृजित करके व्यापक स्तर पर राहत कार्य की व्यवस्था की गई।

सहायता विभाग राजस्थान प्रशासन का एक स्थायी विभाग है जो सहायता आयुक्त एवं शासन सचिव के अन्तर्गत कार्य करता है। इस विभाग का मुख्यालय राज्य स्तरीय है तथा इसके अधीन कोई कार्यालय या शाखा नहीं है। प्रारम्भ में राहत कार्य राजस्व अभिकरण के माध्यम से सम्पन्न कराए जाते थे। अब ये कार्य विभिन्न अभिकरणों जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग वन विभाग भू संरक्षण विभाग जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग पंचायत राजस्व आदि के माध्यम से सम्पन्न कराए जाते है जिलाधीश एवं तहसीलदार तथा जिला स्तरीय अन्य विभागीय अधिकारी अपने-अपने जिलों में सहायता विभाग के प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों का नियंत्रण प्रतिपादन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते है।

विभाग ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के आकड़ों को यथाशीघ्र आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से संचालित करने एवं सूचनाओं को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से माह दिसम्बर 1987 में एक कम्प्यूटर यूनिट की स्थापना की वर्तमान रोजगार की व्यवस्था सिंचाई व्यवस्था पशु संरक्षण एवं चारा व्यवस्था इत्यादि अनेक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रहण सम्पादन एवं विश्लेषण कर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। पूर्व में यह सब कार्य मानव श्रम शक्ति द्वारा किया जाता था जिसमें अधिक श्रम व समय लगने के उपरांत भी अपेक्षित कार्य नहीं हो पाते थे। भविष्य में इस यूनिट के द्वारा अंकेक्षण आक्षेप राहत कार्यों में संबंधित विभिन्न शिकायतों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान व सेवा संबंधी विभिन्न सूचनाओं का कम्प्यूटरीकरण करने की योजना है

4 प्राकृतिक आपदा सहायता निधि कोष (Fund for Natural Calamity) वर्ष 1990 91 में दैवी विपत्तियों में राहत प्रदान करने के संबंध में केन्द्रीय सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु नवे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य में एक प्राकृतिक आपदा सहायता निधि की स्थापना की गई इस निधि में हर वर्ष 93 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा एवं 31 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाएगा यह व्यवस्था 5 वर्षों तक जारी रहेगा। राज्य में इस व्यवस्था के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव है इस प्रकार इस व्यवस्था के बाद प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले समस्त व्यय का वहन करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। यदि एक वर्ष में इस कोष से कम अथवा अधिक राशि का व्यय किया जाता है तो उसका सामंजस्य बाद के वर्षों में किया जाएगा।

5 रोजगार व्यवस्था (Employment Generation) राज्य सरकार द्वारा 25 जिलों के अभावग्रस्त लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य विभागों की योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया गया। रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु विशिष्ट योजना संगठन को प्राकृतिक आपदा सहायता निधि से उपलब्ध करवाई गई।

6 पेयजल व्यवस्था (Arrangement of Drinking Water) अभाव स्थिति में पेयजल की समस्या से निपटने हेतु समस्त जिला कलेक्टरों को पेयजल परिवहन एवं सिंचाई व्यवस्था करने हेतु अधिकृत किया गया। प्राकृतिक आपदा सहायता निधि पेयजल परिवहन व्यवस्था हेतु सिंचाई व्यवस्था हेतु तथा टैंकरों की मरम्मत हेतु प्रभावित जिलों को उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल समस्या से निपटने हेतु राशि आवंटित की गई।

7 सिंचाई व्यवस्था (Irrigation Facility) राज्य के पश्चिमी जिलो में क्रमश बाड़मेर जैसलमेर जालौर चूरू बीकानेर गंगानगर नागौर एवं जोधपुर में सिंचाई द्वारा पेयजल व्यवस्था करने हेतु राशि का आवंटन किया गया

सिंचाई हेतु अनुदान की 150 फीट से 200 फीट जल स्तर वाले कुओं के लिए 50 रुपये प्रति कुआ प्रतिदिन तथा 200 फीट से अधिक नीचे जल स्तर वाले कुओं के लिए राशि 75 रुपये प्रति कुआ प्रतिदिन रखी गई

8 पशु संरक्षण एवं चारा व्यवस्था (Animal Protection & Fodder Arrangement) राज्य के विभिन्न जिलों में मानसून पूर्व की वर्षा होने के कारण चारे की स्थिति सामान्य रहने एवं पशुपालकों को कठिनाई नही होने पर वन विभाग की घास सुरक्षित रखने एवं हरे चारे का उत्पादन करने की कोई योजना शुरू करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है इसके अलावा पशु शिविर योजना पशु पोषण केन्द्र योजना तथा भाड़ा का अनुदान देने संबंधी कोई योजना भी आरम्भ नहीं की जाती है। अन्यथा ये कार्य किए जाते है।

राजस्थान में अकाल एवं सूखे की स्थिति के कारण

FACTORS RESPONSIBLE FOR DRAUGHT & FAMINES IN RAJASTHAN

राजस्थान में अकाल व सूखे की स्थिति के लिए मुख्य रूप से प्राकृतिक कारण उत्तरदायी है। साथ ही मानवीय प्रयासों में भी कमी रहती है। राजस्थान में अकाल व सूखे के लिए उत्तरदायी कारण इस प्रकार है

1 अरावली पर्वत की स्थिति (Situation of Aravali Range) - अरावली पर्वत राजस्थान को लगभग दो भागों में विभक्त करता है। इसके एक ओर मरूस्थलीय क्षेत्र है तथा दूसरी ओर मैदानी और पठारी क्षेत्र है। अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढता हुआ है और यही दिशा दक्षिणी पश्चिम मानसूनों की है। इस कारण मानसूनी हवाए इस पर्वत के सहारे सहारे बिना कोई विशेष वर्षा किए आगे की ओर निकल जाती है। दूसरी ओर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बगाल की खाडी की शाखा जब तक राजस्थान मे पहुँचती है तो उसमे विशेष पानी नहीं रह जाता। इस समय अरावली पर्वत इन हवाओं को रोकते है। इस प्रकार कम वर्षा के कारण प्राय राजस्थान को अकाल व सूखे का सामना करना पडता है।

2 रेगिस्तानी क्षेत्र (Desert Area) - राजस्थान का एक बहुत बडा भू भाग रेगिस्तानी है। इस क्षेत्र की जलवायु अत्यन्त विषम है इस क्षेत्र मे वन लगभग नहीं के बराबर है। इस कारण यह क्षेत्र मानसूनों को आकर्षित नहीं कर पाता। इस क्षेत्र में गर्मी के कारण जो निम्न वायु भार की स्थिति बन जाती है, उसमे आकर्षित होकर जो मानसून यहा पहुचते है उनके मार्ग मे कोई ऐसा अवरोध नहीं है जो इस क्षेत्र मे वर्षा करान में सहायक हो सके। इस कारण राजस्थान में सबसे कम वर्षा रेगिस्तानी क्षेत्र में होती है। साथ ही अकाल एव सूखे की स्थिति का सर्वाधिक सामना भी इस रेगिस्तानी क्षेत्र को ही करना पडता है।

3 वनो का अभाव (Lack of Forest) - सम्पूर्ण राजस्थान मे वनों की मात्रा बहुत कम है। यह भारत के औसत वनों की मात्रा की भी लगभग आधी है। विभिन्न अध्ययनो से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि वन वर्षा को आकर्षित करते है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में वनो के अभाव के कारण एक ओर तो वर्षा कम होती है दूसरी ओर वन कम होने के कारण जलवायु विषम होती चली जाती है।

4 फसलो मे रोग (Crop Diseases) - वैसे तो सम्पूर्ण भारत के कृषकों में निरक्षरता का साम्राज्य है किन्तु राजस्थान में यह अपेक्षाकृत अधिक ही है। आज भी कृषक प्राचीन विधियों को ही अपनाता है। वह फसल को रोगो से बचाने के लिए कीटनाशक औषधियों के प्रयोग का बहुत आदी नहीं है। इस कारण अनेक बार फसलें रोगों से नष्ट हो जाती है। राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र के कारण टिड्डियों का प्रकोप भी होता रहता है। इस कारण फसलों के नष्ट होने से भी अकाल की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

5 अतिवृष्टि व अनावृष्टि (Deluge & Draught) - राजस्थान मुख्यत अनावृष्टि से पीडित रहता है किन्तु अनेक बार अच्छी वर्षा बाढ का कारण बन जाती है। इस कारण फसलें उगाना सम्भव नहीं हो पाता और कई बार खडी फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुचता है इस प्रकार अतिवृष्टि व अनावृष्टि दोनों ही अकाल की स्थिति उत्पन्न कर देती है।

6 जल का समुचित उपयोग न होना (Lack of Full utilisation of Water) - अनावृष्टि की स्थिति में फसलें सिचाई द्वारा ही ली जा सकती है। राजस्थान में जल का समुचित उपयोग न हो पाने के कारण सिचाई का पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता। राजस्थान में नदियों पर तो बाध आदि बनाने के प्रयास किए गए है किन्तु छोटे छोटे नालों और सिचाई साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। अधिकाश जल बह जाता है और जो जल भूमिगत जल म परिवर्तित होता है वह भी अनावृष्टि के कारण सूख जाता है।

7 मिट्टी का कटाव (Soil Erosion) - राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में हवा द्वारा मिट्टी का कटाव एक आम बात है। इस कटाव के कारण उपजाऊ भूमि बजर भूमि में बदल जाती है। रेगिस्तान के प्रसार के साथ साथ यह स्थिति अनुभव की जाने लगी है। वर्षा के कारण भी कटाव उत्पन्न होता है। चम्बल के बीहड इसका एक उदाहरण है। मिट्टी के कटाव के कारण फसलों का क्षेत्र कम होता है वन नष्ट होते है। तथा वर्षा कम होती है और फलस्वरूप अकाल एव सूखे की सम्भावना बढ जाती है।

8 कुटीर व लघु उद्योगों की कमी (Lack of Cottage & Small Scale Industries) - कुटीर व लघु उद्योग वैकल्पिक रोजगार व आय के स्रोत माने जाते है। कृषि कार्य मौसमी प्रवृत्ति का होता है। अत कृषक वर्ग कुटीर व लघु उद्योगों के द्वारा अपनी आय में वृद्धि कर सकते है। राजस्थान में स्वतत्रता के पश्चात् बडे उद्योगो के विकास पर विशेष बल दिया गया अत राज्य के लघु व कुटीर उद्योगों का लगभग पतन हो चुका है। रोजगार के इस वैकल्पिक स्रोत के समाप्त हो जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों की आय में कमी हुई है। यह स्थिति अकाल व सूखे की समस्या को अधिक गभीर बनाएगी।

9 विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याए (Various Social & Economic Problems) - राजस्थान में निर्धनता की समस्या अत्यधिक व्यापक है। निर्धन वर्ग अकाल व सूखे से उत्पन्न आर्थिक भार को वहन नहीं कर सकता है। बेरोजगारी की समस्या ने भी लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया है। अत वे अकाल का सामना नहीं कर पाते है। राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वित्तीय स्रोतों के

Describe the main causes for famine and drought in Rajasthan. Discuss the short term and long term famine & drought management stategies of Govt. of Rajasthan.

4 राजस्थान में अकाल व समाधान पर एक संक्षिप्त व आलोचनात्मक लेख लिखिए।

Write a short critical essay on the famines in Rajasthan "Causes and Remedies."

5 अकाल के कारण राज्य को होने वाली क्षति का बताते हुए इन अकालों के कारणों को भी समझाइए।

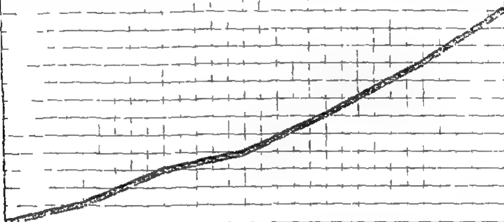
While giving an account of losses due to famine and explain the reasons for droughts/famines in Rajasthan.



अध्याय - 23

राज्य बजट की प्रवृत्तियां

STATE BUDGETARY TRENDS



"राज्य बजट से राज्य की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।"

<u>अध्याय एक दृष्टि में</u>

- बजट का अर्थ
- राज्य बजट की प्रवृत्तियाँ
- राजस्थान की वित्तीय स्थिति में सुधार के सुझाव
- केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध
- राज्य योजना की वित्तीय व्यवस्था
- परिवर्तित आय-व्ययक 1998 99
- अभ्यास प्रश्न

बजट का अर्थ

MEANING OF BUDGET

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय व व्यय का विवरण राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करे। आय-व्यय के इस विवरण को ही बजट अथवा आय-व्यय कहा जाता है। राज्य द्वारा बजट प्रस्तुत करने पर यह "राज्य सरकार का बजट" व केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत करने पर "केन्द्र सरकार का बजट" कहलाता है। बजट का सम्बन्ध एक वित्तीय वर्ष से होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और राज्य का वित्तमन्त्री ही प्राय इसे *राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है।* 'बजट' को 'बजट विवरण' का नाम भी दिया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट आकड़े 'बजट अनुमान' (Budget Estimates) होते है। गत वर्ष के बजट के आंकड़े 'संशोधित अनुमान' (Revised Estimates) और इसके पूर्व के वर्षों के आंकड़े 'वास्तविक' (Actual) होते है। लोक सभा नियम के विनियम 204 मे यह प्रावधान किया गया है कि संविधान मे अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के रूप में जाना जाता है संसद मे उस दिन पेश किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। केन्द्र सरकार का बजट दो भागों रेल और सामान्य बजटों के रूप मे पेश किया जाता है सामान्य बजट मे

लगभग एक सप्ताह पूर्व रेल बजट पेश किया जाता है। सामान्य बजट सामान्यतया फरवरी के महीने के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। जो राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है उन राज्यों का राज्य बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि बजट लोकसभा में उस समय पेश किया जाता है जब रेल तथा वित्तीय कार्यभारी मंत्री अपने बजट भाषण पढ़ते है। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत लोकसभा में मंत्रियों के भाषणों की समाप्ति पर सभा पटल पर रखा जाता है दोनों सदनों में सरकारी कार्य के आयोजन के अंश के रूप में संसदीय कार्य मंत्रालय सामान्य बजट पर और कोई राज्य बजट हो तो उस सहित उन पर सामान्य चर्चा अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान तथा वित्त विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए अस्थाई तारीख नियत करता है। सामान्य बजट की प्रस्तुति के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उन मंत्रालयों का चयन करने के लिए जिनकी अनुदान मांगों पर चर्चा की जानी है राज्यसभा में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं की बैठक बुलाई जाती है।

राजस्व तथा पूंजीगत कुल प्राप्तियां एवं व्यय का अंतर बजट घाटा (Budget Deficit) कहलाता है। राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का अंतर राजस्व घाटा (Revenue Deficit) दर्शाता है। मौद्रिकृत घाटा (Monetary Deficit) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार को दिए गए ऋण में सकल वृद्धि का प्रतीक है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी बिलों तथा सरकार के बाजार उधार में इसके योगदान का जोड़ होता है। उधार दी गई राशि सहित कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां अनुदानों और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों के योग से जितना अधिक होता है वह राशि राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) कहलाता है। इस राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगी के बाद बची राशि मूल घाटा है।

राज्य बजट की प्रवृत्तियां
STATE BUDGETARY TRENDS

राज्य बजट का विश्लेषण करने पर राज्य बजट की अनेक प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती है। राजस्थान के बजट विश्लेषण से निम्न प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है

1. राजस्व खाते में आय की प्रवृत्ति
Trend in Revenue Receipts in Revenue Account

राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार की कर राजस्व अकर राजस्व एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त होने वाली आय को दर्शाया जाता है। राजस्थान के बजट में विगत वर्षों में राजस्व प्राप्तियों की स्थिति निम्न प्रकार रही है

राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रु)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां
1994-95	6321 7
1995-96	7629 6
1996-97	7559 7
1997 98 (संशोधित अनुमान)	8713 7
1998 99 (बजट अनुमान)	10189 4

स्रोत परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998 99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्व प्राप्तियां में निरन्तर वृद्धि होती रही है। राजस्व प्राप्तियां 3 स्रोतों से होती है। इनका विवेचन निम्नानुसार है

(i) कर राजस्व (Tax Revenue) - राजस्व प्राप्तियों के समान राज्य के कर राजस्व से प्राप्तियां भी विगत वर्षों से निरन्तर बढ़ रही है। कर राजस्व को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है केन्द्रीय करों का अंश एवं राज्य कर राजस्व। केन्द्रीय करों के अंशों में सार्वाधिक योगदान संघीय आबकारी करों का रहा है। तत्पश्चात दूसरा स्तर आयकर का है। राज्य के कर राजस्वों में भू राजस्व मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क राज्य आबकारी बिक्री कर वाहनों पर कर सामान और यात्रियों पर कर बिजली पर कर और शुल्क आदि सम्मिलित है।

निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों में कर राजस्व को दर्शाया गया है।

कर राजस्व

वर्ष	कर राजस्व (करोड़ रु)	कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का प्रतिशत भाग
1994-95	3598 85	56 93
1995-96	4213 81	55 23
1996-97	4889 60	64 68
1997 98 (संशोधित अनु)	5794 51	66 50
1998-99 (बजट अनु)	7212 80	70 79

स्रोत परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998 99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कर राजस्व में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का भाग आधे से अधिक रहा। निम्नलिखित तालिका में राजस्व प्राप्तियों को राज्य के कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों के अंश के रूप में व्यक्त किया गया है

वर्ष	कुल कर राजस्व	राज्य कर राजस्व	केन्द्रीय करों का अंश
1994 95	3598 85	2307 16	1291 68
1995-96	4266.78	2783 56	1483.22
1996-97	4983 35	3276 56	1706 79
1997 98 (संशोधित अनु)	5794 51	3768 78	2025 73
1998-99 (बजट अनु)	7212.80	4440 87	2771 93

स्रोत परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

तालिका से निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होता है

(1) कुल कर राजस्व में केन्द्रीय करों का अंश राज्य कर राजस्व से कम है।

(2) केन्द्रीय करों के अंश में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(3) राज्य कर राजस्व भी निरन्तर बढ़ रहा है और कुल कर राजस्व में राज्य कर राजस्व का भाग केन्द्रीय करों के अंश की तुलना में अधिक है।

(4) केन्द्रीय करों के अंश के अंतर्गत आयकर भू-सम्पत्ति कर तथा संघीय आबकारी कर से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है।

(5) राज्य कर राजस्व में मुख्यत भू राजस्व मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क राज्य आबकारी बिक्री कर वाहनों पर कर सामान व यात्रियों पर कर बिजली पर कर व शुल्क तथा अन्य करों व महसूलों आदि से प्राप्त होता है।

(6) राज्य के कर राजस्व को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों की दृष्टि से बांटा जा सकता है

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय की दृष्टि से ज्ञात होता है कि

(1) राज्य को प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों से अधिक आय प्राप्त होती है।

(2) प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों दोनों से प्राप्त आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(i) अ कर राजस्व (Non Tax Revenue) राज्य सरकार के अ-कर राजस्वों में ब्याज की प्राप्तियां लाभांश एवं लाभ सामान्य सेवाओं सामाजिक सेवाओं (शिक्षा कला एवं संस्कृति चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जलापूर्ति सफाई आवास और शहरी विकास आदि) आर्थिक सेवाएं (लघु सिंचाई वानिकी और वन्य जीव उद्योग ग्रामोद्योग व लघुउद्योग वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, खनन आदि) व सहायतार्थ अनुदान की राशि सम्मिलित होती है। इसके अन्तर्गत सर्वाधिक राजस्व सहायतार्थ अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। तत्पश्चात् सामान्य सेवाओं आर्थिक सेवाओं व ब्याज की प्राप्तियां लाभांश लाभ आदि का स्थान है। इस प्रकार कुल अ-कर राजस्व एवं सहायतार्थ अनुदान मिलकर अ-कर राजस्व के रूप में कुल राजस्व प्राप्तियों का एक बड़ा भाग बन जाता है। अग्र तालिका में विगत कुछ वर्षों के अ-कर राजस्व एवं कुल राजस्व में अ-कर राजस्व के प्रतिशत भाग को दर्शाया गया है

अ कर राजस्व (करोड़ रुपए में)

वर्ष	अ-कर राजस्व	कुल राजस्व में अ कर राजस्व का प्रतिशत भाग
1994-95	1295 56	20 49
1995-96	2250 74	29 58
1996-97	1361 11	18 00
1997 98 (संशोधित अनु)	1437 99	16 50
1998-99 (बजट अनु)	1444.84	14 18

स्रोत परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 199 9 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुल राजस्व प्राप्तियों में अ-कर राजस्व से भी एक बड़ा राशि प्राप्त होता है।

अ कर राजस्व के सम्बन्ध में निम्न तथ्य विचारणीय है

(1) ब्याज की प्राप्तियां लाभांश एवं लाभ से प्राप्त आय में उतार चढ़ाव होता रहा है।

(2) सामाजिक सेवाओं से प्राप्त आय का मुख्यत चार भागों में बांटा जाता है।

(i) शिक्षा कला एवं संस्कृति इससे प्राप्त आय विगत कुछ वर्षों से बढ़ रही है (ii) चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्राप्ति से आय भी बढ़ रहा है (iii) जलापूर्ति

सफाई आवास और शहरी विकास इनसे प्राप्त आय भी विगत वर्षों म निरन्तर बढ रही है (iv) अन्य इस शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त आय के खाते में कमी हुई है।

(3) आर्थिक सेवाओ के अंतर्गत निम्न का समावेश किया जाता है।

(i) लघु सिचाई (ii) वानिकी एव वन्य जीवन (iii) उद्योग ग्रामोद्योग एव लघु उद्योग (iv) वृहद एव सिंचाई परियोजना (v) अलौह धातु खनन एव धातु कर्म उद्योग (vi) अन्य।

सहायतार्थ अनुदान (करोड़ रु)		
वर्ष	सहायतार्थ अनुदान	कुल राजस्व प्राप्ति म % भाग
1994 95	1427 30	22 58
1995 96	1257 54	16 22
1996-97	1337 05	17 79
1997 98 (संशोधित अनु)	1481.28	17 00
1998 99 (बजट अनु)	1531 81	15 03

स्रोत परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998 9 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

तालिका से स्पष्ट है कि सहायतार्थ अनुदान की राशि में 1994 95 के पश्चात कमी हुई लेकिन इसके पश्चात इस राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1992 93 म कुल राजस्व प्राप्तियों म सहायतार्थ अनुदान का भाग 21 99 प्रतिशत था जो घटकर 1995 96 मे 16 22 प्रतिशत हो गया।

2 राजस्व खाते मे व्यय की प्रवृत्ति

Trends in Revenue Expenditure in Revenue Account

सरकार द्वारा राजस्व व्यय भी निरन्तर बढ रहा है कुल राजस्व व्यय को राज्य के बजट में 3 शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाया जाता है ये शीर्षक हैं (i) सामान्य सेवाओ पर व्यय (ii) सामाजिक सेवाओं पर व्यय तथा (iii) आर्थिक सेवाओं पर व्यय। राजस्थान के बजट म विगत वर्षों म कुल राजस्व व्यय की स्थिति निम्न प्रकार रही है

कुल राजस्व व्यय (करोड़ रुपये)	
वर्ष	कुल राजस्व व्यय
1994 95	6746 47
1995-96	8331 55
1996-97	8425 67
1997 98 (संशोधित अनुमान)	9209 72
1998-99 (बजट अनुमान)	11521 56

स्रोत परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

तालिका से स्पष्ट है कि कुल राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि हो रही है। सूचकाक की प्रवृत्ति भी राजस्व व्यय में वृद्धि को दर्शाती है राजस्व व्यय का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है।

(i) **सामान्य सेवाओं पर व्यय (Expenditure on General Services)** सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा कुल राजस्व मे सामान्य सेवाओं पर व्यय के प्रतिशत भाग को निम्न तालिका म दर्शाया गया है

सामान्य सेवाओं पर व्यय (करोड़ रुपये)		
वर्ष	व्यय	प्रतिशत
1994 95	2502 57	37 09
1995 96	3465 82	41 60
1996-97	3064 09	36 37
1997 98(संशोधित बजट)	4558 93	36 37
1998 99(बजट अनुमान)		

स्रोत परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998 99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य सेवाओ पर होने वाले व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है। सामान्य सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय को छ भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(अ) राज्य के अंग इसके अंतर्गत विधानसभा मंत्री परिषद न्यायिक प्रशासन एव निर्वाचन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस शीर्षक के अन्तर्गत किए गए व्यय में उतार चढाव होता रहा है। **(ब) राजकोषीय सेवाए** राजकोषीय सेवाओं को मुख्यत सम्पत्ति एव पूजीगत लेनदेनों और वस्तुओं एव सेवाओं पर करो के सग्रहण अन्य शीर्षकों म बाटा जाता है। राजकोषीय सेवाओं के व्यय म भी निरन्तर वृद्धि हो रही है **(स) ब्याज का भुगतान और ऋण परिशोधन** इस शीर्षक के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय भी तेजी स बढ रहे है। **(द) प्रशासनिक सेवाए** प्रशासनिक सेवाओ के अंतर्गत लोक सेवा आयोग सचिवालय जिला प्रशासन कार्यालय पुलिस जेल मुद्रण आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत किए गए व्यय भी विगत वर्षो में तेजी से बढे है। **(य) पेंशन विविध सामान्य सेवाए** इस शीर्षक के अन्तर्गत किए गए व्यय भी तेजी से बढे है। **(र) सहायता अनुदान और अशदान** इस शीर्षक के अंतर्गत किए गए व्यय में विगत कुछ वर्षो से प्राय स्थिरता रही है।

(ii) **सामाजिक सेवाओं पर व्यय (Expenditure on Social Services)** सामाजिक सेवाओ के अंतर्गत शिक्षा खेल कूद एव संस्कृति स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण जल पूर्ति सफाई आवास व शहरी विकास श्रमिक और श्रमिक कल्याण अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ वर्गो का कल्याण तथा सामाजिक

कल्याण व पोषाहार आदि को सम्मिलित किया गया।

सामाजिक सेवाओं पर विगत वर्षों में किए गए व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

वर्ष	सामाजिक सेवा व्यय	सामाजिक सेवाओं के कुल व्यय का प्रतिशत
1994-95	2525 84	37 44
1995-96	3024 38	36 30
1996-97	3467 73	41 15
1997-98(संशोधित बजट)	3840 25	41 70
1998-99(बजट अनुमान)	4972.74	42.29

स्रोत - वार्षिक आय व्ययक अध्ययन 1998-99, राजस्थान सरकार जुलाई, 1998

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि

(1) सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि होती रही है।

(2) सामाजिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत 1994-95 में 37 44 प्रतिशत था जो बढकर 1998-99 में 42 29 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(3) शिक्षा कला व संस्कृति पर किया गया राजस्व व्यय चार भागों में विभक्त किया जा सकता है (अ) सामान्य शिक्षा पर किया गया व्यय विगत वर्षों में तेजी से बढा है। (ब) तकनीकी शिक्षा पर किए गए व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। (स) खेल और युवा सेवाओं पर किए गए व्यय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। (द) कला एवं संस्कृति पर किए गए व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(4) चिकित्सा व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किए गए व्यय को निम्न भागों में बाटा जा सकता है - (अ) ऐलोपैथी इसके अंतर्गत निर्देशन एवं प्रशासन और चिकित्सा सहायता, जनजाति क्षेत्र उपयोजना चिकित्सा, शिक्षा व प्रशिक्षण कर्मचारी राज्य बीमा योजना चिकित्सा भण्डार डिपो और विभागीय औसत निर्माण आदि को सम्मिलित किया जाता है। ऐलोपैथी पर विगत वर्षों में किया गया व्यय निरन्तर बढ रहा है। (ब) अन्य चिकित्सा प्रणालियों के अन्तर्गत आयुर्वेदिक जनजाति क्षेत्र उपयोजना होम्योपैथी, यूनानी और अन्य पद्धतियों को सम्मिलित किया जाता है। विगत वर्षों में इन विकित्सा पद्धतियों पर किए गए व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन चिकित्सा प्रणालियों में सर्वाधिक व्यय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर किया गया है। (स) जन स्वास्थ्य पर किया गया व्यय भी निरन्तर बढ रहा है। परिवार कल्याण पर किया गया व्यय प्रारम्भ में तेजी से बढा लेकिन विगत वर्षों में इसमें स्थिरता की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है।

(iii) आर्थिक सेवाओं पर व्यय (Expenditure on Economic Services) - आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप ग्रामीण विकास एवं विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, उद्योग एवं खनिज सिंचाई एवं बाढ नियन्त्रण, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है।

निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों में आर्थिक सेवाओं पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है।

वर्ष	आर्थिक सेवाओं पर व्यय (करोड रुपए)	आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय में प्रतिशत
1994-95	1718 06	25 47
1995-96	1641 34	22.10
1996-97	1893 83	22.48
1997-98(संशोधित बजट)	1813 63	19 69
1998-99(बजट अनुमान)	2083 88	18 14

स्रोत - वार्षिक आय व्ययक अध्ययन 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि -

(1) विगत वर्षों में आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय लगभग स्थिर बना हुआ है।

(2) आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत घटा है।

(3) कृषि और सम्बद्ध कार्यों में कृषि कार्य भू-जल सरक्षण, पशुपालन, मत्स्य उद्योग वानिकी और वन्य जीवन, खाद्य व भण्डारण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा सहकारिता तथा अन्य कृषि कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है।

(4) उद्योग पर राजस्व व्यय को दो भागों में बाटा जा सकता है प्रथम सामान्य व्यय - इसके अन्तर्गत निदेशन व प्रशासन औद्योगिक उत्पादकता औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण जनजाति क्षेत्र उपयोजना तथा अन्य व्ययों को सम्मिलित किया जाता है द्वितीय उपभोक्ता उद्योग - इसके अन्तर्गत नमक के व्यापार की योजना, सोडियम सल्फेट के व्यापार की योजना, राजकीय ऊन मिल, बीकानेर तथा नवीन सेवा आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(iv) विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय (Development & Non&Development Expenditure) - राजस्व व्यय को विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय में भी विभक्त किया जा सकता है। निम्न तालिका में विकास व्यय एवं अविकास व्यय को दर्शाया गया है।

लेखे का शीर्षक	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
कुल राजस्व व्यय	6746 47	8331 55	8425 67	9209 72	11521 56
(1) विकास व्यय	4243 90	4865 73	5361 57	5653 88	6962 63
(2) गैर विकास व्यय	2502.57	3465 82	3064 09	3555 83	4558 [redacted]
कुल व्यय से विकास व्यय का प्रतिशत	62.91	58 40	63 63	61 39	60 43
सूचकांक (आधार 1980-81=100)					
(क) विकास व्यय	883	1012	1115	1176	1448
(ख) गैर विकास व्यय	1210	1676	1482	1720	2206

स्रोत - परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998 99, राजस्थान सरकार जुलाई, 1998

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि-

(1) विकास व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(2) गैर विकास व्यय तीव्र गति से बढ रहा है ।

(3) कुल व्यय से विकास व्यय का प्रतिशत जो 1994-95 में 62 91% था जो 1997-98 में 61 39 प्रतिशत रहा।

(4) गैर विकास व्यय के सूचकांक गैर-विकास व्यय में वृद्धि को दर्शाते है। इसी प्रकार विकास व्यय के सूचकांक विकास व्यय में वृद्धि को बताते है ।

(v) राजस्व व्यय का उद्देश्यानुसार वर्गीकरण (Objectove wise Revenue Expenditure) - राजस्व व्यय को उद्देश्य के अनुसार ही वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतर्गत राजस्व व्यय को मजदूरी एव वेतन, यात्रा एव चिकित्सा व्यय, किराया रॉयल्टी, प्रकाशन , विज्ञापन, कार्यालय व्यय, सहायतार्थ अनुदान, छात्रवृत्ति एव निर्वाह भत्ता वृहद एव लघु निर्माण कार्य, मशीन एव सयत्र मोटर गाडिया एव ह्रास विनियोग/ऋण/ब्याज लाभाश, पेंशन और ग्रेच्युटी आदि भागो में विभक्त किया जा सकता है। विगत वर्षो में मजदूरी एव वेतन सम्बन्धी व्ययों में तेजी से वृद्धि हुई है इसी प्रकार यात्रा एव चिकित्सा व्यय किराया व रॉयल्टी, छात्रवृत्ति एव निर्वाह भत्ता, वृहद एव लघु निर्माण कार्य मशीन एव सयत्र ओर पेंशन व ग्रेच्युटी सम्बन्धी व्ययों मे निरन्तर वृद्धि हुई।

3 राजस्व खाते में बचत(+) अथवा घाटा (-) निम्न तालिका मे विगत कुछ वर्षो के राजस्व खाते में बचत अथवा घाटा दर्शाया गया है -

(करोड रुपए)

वर्ष	बचत (+) अथवा घाटा (-)
1994-95	( )109 49
1995-96	(-)300 68
1996-97	(-)424 75
1997-98 (सशोधित अनुमान)	(-)546 90
1998-99 (बजट अनुमान)	(-)462 41

स्रोत - परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्व खाते में सभी वर्षो में घाटे की प्रवृत्ति रही है ।

4. राजस्व खाते के अतिरिक्त लेनदेन

Transaction outside the Revenue Account

(i) प्राप्तिया (Receipts) : राजस्व खाते के अतिरिक्त प्राप्तियों में निम्नलिखित तत्वों का समावेश किया जा सकता है। (1) स्थाई ऋण निम्न तालिका में प्राप्त स्थाई ऋण, स्थाई ऋणों का भुगतान एव शुद्ध प्राप्तियों को दर्शाया गया है -

(करोड रुपए)

वर्ष	स्थाई ऋण
1994-95	314 27
1995-96	394.27
1996-97	433 69
1997 98 (सशोधित अनुमान)	522 18
1998-99 (बजट अनुमान)	649 02

स्रोत परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998 [redacted] राजस्थान सरकार जुलाई 1998

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1994 95 में सथाई ऋण 314 27 करोड रुपए था जो बढकर 1997-98 में 522 18 करोड रुपए हो गया। राज्य सरकार द्वारा स्थाई ऋणों का भुगतान भी किया जाता रहा है। भुगतान किए गए ऋणों की राशि में कमी वृद्धि होती रही है।

(ii) अल्पकालीन ऋण (Floating debt) - राज्य सरकार प्राय अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्राप्त करती है निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षो में अल्पकालीन ऋणो की स्थिति को दर्शाया गया है।

	(करोड़ रुपए)
वर्ष	अल्पकालीन ऋण
1994-95	1343.00
1995-96	2478.90
1996-97	4657.81
1997-98 (संशोधित अनुमान)	3335.83
1998-99 (बजट अनुमान)	1200.00

स्रोत : परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा प्राप्त की गई अल्पकालीन ऋणों की मात्रा में कमी-वृद्धि होती रहा है। सरकार अल्पकालीन ऋणों का भुगतान भी करती रहते है। भविष्य में भी यह प्रवृत्ति बनी रहने की सम्भावना है।

(iii) केन्द्र सरकार का ऋण (Loans From Central Government) राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से भी ऋण प्राप्त करती है। अग्र तालिका में विगत कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण को दर्शाया गया है

	(करोड़ रुपए)
वर्ष	प्राप्त ऋण
1994-95	887.46
1995-96	1140.22
1996-97	1489.88
1997-98 (संशोधित अनुमान)	2033.58
1998-99 (बजट अनुमान)	1866.91

स्रोत :- परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार से प्राप्त किए गए ऋण की मात्रा में वृद्धि होती रहा है। राज्य सरकार द्वारा समुचित मात्रा में केन्द्र से धन प्राप्त किया जाता है। ऋणों के भुगतान में भी निरन्तर वृद्धि दृष्टिगोचर होती है।

(iv) सार्वजनिक लेखा (Public Account) इस शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त की गई राशि को अग्र तालिका में दर्शाया गया है

	(करोड़ रुपए)
वर्ष	सार्वजनिक लेखा
1994-95	13942.14
1995-96	16179.96
1996-97	15632.49
1997-98 (संशोधित अनुमान)	19765.19
1998-99 (बजट अनुमान)	20817.61

स्रोत : परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

तालिका से स्पष्ट है कि सार्वजनिक लेखें के अन्तर्गत प्राप्तियां बढ़ रही हैं।

(v) ऋण एवं अग्रिम (Loan & Advances) इस शीर्षक में प्राप्त आय में कमी वृद्धि होती रही है। सरकार द्वारा भविष्य निधियों के सम्बन्ध में लेन-देन, अल्प-बचत संग्रह एवं ऐसी ही अन्य जमाओं की प्राप्तियों को लोक खातें में दिखाया जाता है और सम्बन्धित खर्च इसी खाते में से रकम निकाल कर किया जाता है। सरकार इन लेन-देनों के सम्बन्ध में मोटे तौर पर एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। यदि देखा जाए तो लोक खातें में दिखाई जाने वाली रकम सरकार की आय नहीं होती क्योंकि इस धनराशि को किसी न किसी समय उन लोगों को लौटाना होता है जो इसे जमा कराते है। कभी कभी एसे अवसर भी आ जाते है जब सरकार को विधानसभा की स्वीकृति मिलने से पूर्व भी कुछ ऐसा व्यय करना पड जाता है जिसका पहले से पूर्वाभास नहीं होता। इस तरह का व्यय आकस्मिकता निधि से किया जाता है। इस निधि में से जो राशि व्यय की जाती है उसके बारे में विधानसभा से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है। स्वीकृति मिलने पर उतनी ही राशि पुन आकस्मिकता निधि में डाल दी जाती है। पूंजी गत व्ययों में स्थापना मशीनरी संयत्र व अन्य उपकरण निर्माण विनियोग प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों का क्रय आदि को सम्मिलित किया जाता है। पूंजीगत व्यय का सबसे अधिक भाग निर्माण कार्यों पर व्यय होता है। इसके पश्चात् राज्य सरकार निगमों और अन्य संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम पर व्यय करती है।

राजस्व खाते के अतिरिक्त बचत (+) अथवा घाटा (-) को अग्र तालिका में दर्शाया गया है

राजस्व खाते के अतिरिक्त बचत (+) बचत अथवा घाटा (-) करोड़ रुपए में			
विवरण	(संशोधित अनुमान)		बजट का अनुमान
	1996-97	1995-96	1997-98
राजस्व खाते के अतिरिक्त बचत (+) या घाटा (-)	(+)987.33	(+)976.34	(+) 560.29

स्रोत : परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

5. बचत अथवा घाटा
Surplus or Deficit

राज्य सरकार की अनेक प्रकार की प्राप्तियों और व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान के बजट का घाटा अथवा बचत ज्ञात की जाती सकती है। इस सन्दर्भ में विगत

कुछ वर्षों की स्थिति इस प्रकार रही है।

लेखे का शीर्षक	1996-97	(संशोधित अनुमान) 1997-98	(बजट का अनुमान) 1998-99
(i) राजस्व लेखे की प्राप्तियां एवं व्यय बचत(+) या घाटा(-)	-865 94	-495 93	-1332 09
(ii) राजस्व खाते के अतिरिक्त लेनदेन बचत(+) या घाटा(-)	+987 33	+976 34	+1560 29
(iii) सर्वोपरि शुद्ध	+121 38	+480 41	+228 20

स्रोत : परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई, 1998

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस शीर्षक के अंतर्गत शुद्ध बचत व शुद्ध घाटे का प्रभाव विभिन्न वर्षों में अलग-अलग रहा है।

राजस्थान की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सुझाव
SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT IN FINANCIAL POSITION OF RAJASTHAN

राजस्थान की वित्तीय स्थिति देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा कमजोर है। राज्य अर्थव्यवस्था आज भी कृषि प्रधान बनी हुई है। राज्य आय का लगभग आधा हिस्सा कृषि एवं कृषि संबंधी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। मानसून अनिश्चित प्रवृति के है। अतः मानसून की प्रवृत्ति के अनुसार ही राज्य की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। राज्यों में औद्योगिक विकास के स्तर में परिवर्तन हो रहा है लेकिन विकास स्तर बहुत धीमा है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्य में अनेक प्रकार की विषमताएं विद्यमान है। राज्य में विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 1990 91 में 183 यूनिट था जो वर्ष 1991-92 में लगभग 215 यूनिट प्रतिव्यक्ति हो गया। लेकिन यह देश की विकसित राज्यों की तुलना में बहुत कम है। अतः राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को विद्युत शक्ति के अभाव के कारण भारी क्षति उठानी पडती है। राजस्थान में विभिन्न वस्तुओं के बढते मूल्यों की समस्या लम्बे समय से बनी हुई है। अतः राज्य के उपभोक्ता बढती हुई महगाई के कारण परेशान है। 1989 90 तथा 1990-91 के मध्य प्रति व्यक्ति राजकीय आय (1980 81 की स्थिर कीमतों के अनुसार) में 12 72% की वृद्धि हुई लेकिन 1991-92 में प्रतिव्यक्ति आय में 1990 91 की तुलना में 7 09% की कमी हो गई। 1991-92 के लिए चालू कीमतों पर प्रतिव्यक्ति आय 3983 रुपए थी।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन राज्य की आर्थिक स्थिति मापने का एक प्रमुख पैमाना है। स्थिर कीमतों (1980 81) पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1989-90 के 7104 करोड रुपए की तुलना में वर्ष 1990-91 में 8213 करोड रुपए अनुमानित किया गया। इस प्रकार इसमें 1[illegible] 61 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई, जो कि मुख्यतः कुल राज्य आय के कृषि अनुभाग में तीव्र वृद्धि के कारण है। कृषि मे वृद्धि वर्ष 1990 91 मे अनुकूल मौसम तथा समय पर वर्षा के कारण हुई हैं। वर्ष 1991-92 के त्वरित अनुमान इंगित करते है कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 7825 करोड रुपए होंगे जो कि गत वर्ष की तुलना मे 4 73 प्रतिशत कम है। वर्ष 1991-92 के राज्य घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमानों में 1990 91 वर्ष के विपरीत कमी का कारण कृषि उत्पादन में गिरावट रही है अधिकांश जिलो में विलम्ब से एवं औसत से कम वर्षा होने के कारण कृषि उत्पादन मे गिरावट हुई। प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1989-90 में 13848 करोड रुपए अनुमानित किया गया था जो 1990 [illegible]1 में 26 94 प्रतिशत से बढकर 17578 करोड रुपए हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसमें 18 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 92 के त्वरित अनुमानों के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 19151 करोड रुपए था जो 1990-91 की अपेक्षा 8 [illegible] प्रतिशत अधिक है।

राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों, औद्योगिक क्षमताओं और श्रमशक्ति आदि की दृष्टि से एक धनी राज्य है। अतः कुछ सक्रिय प्रयासों के माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ किया जा सकता है। इसके लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते है -

(1) कृषि क्षेत्र का विकास (Development of Agriculture) - राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार एवं विकास करके राज्य आय में वृद्धि की जा सकती है। विगत कुछ वर्षों में राज्य में भू राजस्व का महत्व निरन्तर कम हो रहा है। सरकार भू-जोत कर अथवा कृषि पर आयकर और सिंचाई की दरों में वृद्धि करके राज्य की आय में वृद्धि कर सकती है। इस कार्य में सरकार को जन विरोध का सामना करना पड सकता है लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति मे सुधार का यह एक अच्छा माध्यम हो सकता है क्योंकि राज्य का कृषि क्षेत्र बहुत बडा है।

(2) कर वसुली में सुधार (Improvement in tax Collection) - राज्य की कर वसूली व्यवस्था अत्यधिक दोषपूर्ण है। इस व्यवस्था मे भ्रष्टाचार एवं कर चोरी को बढावा मिला। समय पर कर वसूल नहीं किया जाता है। अतः बकाया

करों की राशि में निरन्तर वृद्धि होती रहती है। अत बिक्री कर एव अन्य करों की वसूली व्यवस्था में सुधार करके राज्य की आय में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ किया जाना चाहिए और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार की समस्या के निवारण हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस कार्य हेतु निरीक्षण व्यवस्था को भी सुदृढ किया जाना आवश्यक है। कर वसूली में सुधार करके राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। इस तथ्य का सकेत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न बजट प्रस्तावों से भी होता है। बिक्री कर की दरों में वृद्धि करके भी राज्य आय में वृद्धि की जा सकती है। बिक्री करों में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक उपयुक्त प्रणाली लागू की जा सकती है।

(3) उद्योगो का तीव्र गति से विकास (Rapid Development of Industries) - राज्य सरकार उद्योगों का तीव्र गति से विकास करके राज्य आय में पर्याप्त वृद्धि कर सकती है। राज्य में खनिज सम्पदा एव पशु सम्पदा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अत खनिज आधारित उद्योगो, पशु सम्पदा पर आधारित उद्योगो एव कृषि पर आधारित उद्योगों का तेजी से विकास किया जाना चाहिए। इन उद्योगो के विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है इस कार्यक्रम के अतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का इन उद्योगो की स्थापना की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और चयनित स्थानों पर सरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अत औद्योगिक विकास के साथ-साथ राज्य आय एव रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना प्रारभ हो गया।

(4) राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों में सुधार (Improvement in Govt Undertaking) - राजस्थान में परिवहन, विद्युत एव सिचाई सबधी सस्थाओं/राजकीय उपक्रमों को प्रबध व्यवस्था म सुधार करके भी राज्य आय में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में इन उपक्रमों की प्रबध व्यवस्था में अनेक दोष विद्यमान है। इनमें मितव्ययता का अभाव है। इनकी दरा मे निरन्तर वृद्धि हो रही है। अत राज्य में महगाई की समस्या बढ रही है। इसके विपरीत ये उपक्रम प्राय घाटे की स्थिति दर्शाते रहे है। इसका प्रमुख कारण प्रशासनिक अकुशलता एव भ्रष्टाचार है। अत राज्य सरकार के इन उपक्रमों की प्रबध व्यवस्था में किसी विशिष्ट योजना के अतर्गत सुधार करके राज्य की वित्तीय स्थिति में भी सुधार किया जा सकता है। इन उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना भी आवश्यक है।

(5) ऋण भार में कमी (To lessen the burden of Loans) - राज्य सरकार अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से सचालित करने के लिए समय-समय पर केन्द्र सरकार से ऋण प्राप्त करती है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। स्वतत्रता के पश्चात् राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से भारी मात्रा में ऋण प्राप्त किए है। अत राज्य सरकार अपनी आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए केन्द्र सरकार से ऋण माफी का अनुरोध कर सकती है लेकिन यह राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करने का केवल सामयिक उपाय है।

(6) अल्प बचत कार्यक्रमों का विस्तार (Extension of Small Saving Programmes) राज्य सरकार अल्प बचतों को बढावा देकर राज्य की आर्थिक स्थिति का सुधार कर सकती है। विभिन्न आकर्षक योजनाओं के माध्यम से राज्यों में बचत की जाती है। अल्प बचत में जमा राशि का 3 चौथाई भाग राज्य को वापस लम्बी अवधि के ऋण के रूप में प्राप्त होता है। अत अल्प बचत कार्यक्रमों से राज्य की आय म वृद्धि होगी।

केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध

CENTRE-STATE FINANCIAL RELATIONS

सघीय प्रकृति द्वि-स्तरीय सरकार की प्रतीक है इस प्रकार के राष्ट्र में सत्ता केन्द्र व राज्यों में बटी हुई होती है। इस व्यवस्था के अतर्गत केन्द्र राज्यों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। वस्तुत किसी भी सघीय सरकार में केन्द्र व राज्यों के कार्य, करारोपण के अधिकार तथा व्यय करने के अधिकार देश के सविधान में स्पष्ट रूप से दिए हुये होते है। भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैण्ड आदि में यह प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली के अतर्गत केन्द्र व राज्यों में सौहार्दपूर्ण तथ सुदृढ सम्बन्ध होने पर देश का आर्थिक विकास तेजी से होने लगता है। इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य सहयोग को बढाया जाए। प्रो वी एन गुप्ता के अनुसार "सघ को एक सयुक्त परिवार की भाति कार्य करना चाहिए व केन्द्र को परिवार के मुखिया की भाँति कार्य करना चाहिए जिसका कार्य अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।" इसी प्रकार प्रो आर एन भार्गव के अनुसार "सघीय वित्तीय सम्बन्धों का आशय देश व राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों तथा उन दोनों के मध्य समन्वय से लगाया जाता है।"

सघीय वित्त की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित है -

केन्द्र व राज्य सरकारें सविधान के अनुसार निर्धारित क्षेत्र मे कर लगाकर आय प्राप्त कर सकती है।

- केन्द्र सरकार द्वारा वसूल किए गए कुछ करों में राज्यों के हिस्से का भी निर्धारण किया जाता है।
- केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को विकास कार्य हेतु अनुदान देती है।

भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों की विशेषताएं
CHARACTERISTICS OF CENTRE & STATE FINANCIAL RELATIONS IN INDIA

भारतीय संविधान (26 नवम्बर 1949) में केन्द्र व राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों का वर्णन किया गया है इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात वित्तीय आयोग की नियुक्ति की जाती है जो केन्द्र व राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के बारे में सुझाव देता है। भारतीय संघ व राज्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 245 से 300 के अंतर्गत समाविष्ट है। अनुसूची 7 में केन्द्र, राज्य तथा दोनों के सम्मिलित अधिकारों से संबंधित तीन तालिकाएं दी गई हैं। केन्द्र व राज्यों के बीच भी वित्तीय सम्बन्ध सदैव *विवाद का विषय रहे हैं। आधुनिक समय में कल्याणकारी* राज्यों के दायित्वों में निरन्तर होने वाली वृद्धि की पूर्ति वित्त के बिना संभव नहीं लगती। संविधान निर्माताओं को भी भविष्य में उठने वाले विवादों का आभास था। अतः संविधान के अनु. 280 के तहत राष्ट्रपति को प्रति पाँच वर्ष पश्चात एक वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं

(अ) आय के साधनों का वितरण
Distribution of Sources of Income

भारतीय संविधान के अंतर्गत आय के विभिन्न साधनों के वितरण की व्यवस्था इस प्रकार की गई है

(i) केन्द्र के आय स्रोत (Centre's Sources of *Income*) *आय के प्रमुख संघीय साधन इस प्रकार है* (1) निगम कर (2) मुद्रा, सिक्के और वैधानिक मुद्रा, विदेशी विनिमय (3) चुंगी, निर्यात कर सहित (4) तम्बाकू एवं अन्य वस्तुओं पर उत्पादन कर (5) सम्पत्तियों पर लगने वाला कर (कृषि भूमि को छोड़कर) (6) फीस (केन्द्रीय सूची के अनुसार) (7) विदेशी ऋण (8) लाटरी (9) डाक घर बचत बैंक (10) डाक, तार, टेलिफोन व संचार के अन्य साधन (11) केन्द्र सरकार की सम्पत्तियां (12) केन्द्र सरकार के सार्वजनिक ऋण (13) रेल्वे (14) विनिमय बिल, चेक तथा प्रतिज्ञा पत्रों पर मुद्रांक कर (15) भारतीय रिजर्व बैंक से आय (16) आयकर (कृषि आय के अतिरिक्त) (17) सम्पत्ति कर (18) *विनिमय बाजार के कर (19) समाचार पत्रों के क्रय विक्रय* एवं उनमें दिए गए विज्ञापनों पर कर (20) जल, स्थल एवं *वायु मार्ग द्वारा ढोए गए माल व यात्रियों पर कर।*

(ii) राज्यों के आय स्रोत (State's Sources of Income) राज्य सरकारों के आय स्रोत इस प्रकार हैं (1) भूमि पर लगान (2) कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर (3) भूमि तथा मकानों पर कर (4) राज्यों में निर्मित मादक द्रव्यों पर उत्पादन कर (5) माल के क्रय विक्रय पर कर (6) स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के आने पर कर (7) गाड़ियों *पर कर (8) आन्तरिक जल तथा स्थल मार्गों के यात्रियों एवं* माल पर कर (9) स्टाम्प शुल्क (मुद्रांक कर) (10) कृषि *आय पर कर (11) कृषि भूमि पर सम्पदा कर (12) खनिजों* पर कर (13) विद्युत उत्पादन एवं उपयोग पर कर (14) *विज्ञापनों पर कर (समाचार पत्रों के अतिरिक्त) (15) मनोरंजन* कर, शर्त एवं जुए पर कर (16) जानवरों पर कर तथा नावों पर कर (17) व्यापार व व्यवसाय पर कर (18) कोर्ट शुल्क के अतिरिक्त राज्य सूची में सम्मिलित किसी विषय पर शुल्क आदि।

(iii) केन्द्र द्वारा लगाए गए तथा एकत्र किए गए कर *जो राज्य सरकारों के मध्य वितरित किए जाते हैं* (Taxes levied & collected by the centre and distributed among state) (1) कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर लगने वाला उत्तराधिकार कर (2) रेल किराए तथा भाड़े पर कर (3) समाचार पत्र तथा विज्ञापन पर लगने वाला कर (4) यात्रियों व सामान पर लगने वाला टर्मिनल टैक्स (5) सट्टा बाजार में *किए गए सौदों पर कर (6) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित* वस्तुओं पर बिक्री कर।

(iv) केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र व उपयोग किए जाने वाले कर (Taxes levied *by the centre but coollected & used by* States) स्टाम्प शुल्क, दवाइयों व सौन्दर्य प्रसाधनों की वस्तुओं पर केन्द्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है लेकिन ऐसे कर राज्य सरकारें वसूल करती हैंऔर इन करों से प्राप्त आय का वितरण उन्हीं के मध्य कर दिया जाता है।

(v) केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए एवं एकत्रित किए *गए कर, जिनसे प्राप्त आय का वितरण केन्द्र व राज्य* सरकारों के मध्य किया जाता है (Taxes levied and collected by the centre but income is distributed among centre by states) ऐसे करों में दो कर प्रमुख हैं, प्रथम कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर तथा द्वितीय कुछ वस्तुओं पर लगाए गए उत्पादन कर। ये दोनों कर केन्द्र द्वारा लगाए व एकत्रित किए जाते हैं। इन करों से प्राप्त आय को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकारों में बांट दिया जाता है।

(ब) अनुदान
Grants-in Aid

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी करों तथा ऋणों की राशि एक भारतीय संचित निधि में तथा राज्यों द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण करों व ऋणों की राशि संचित निधि में जमा होती हैं। आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्र राज्यों को प्रतिवर्ष कुछ राशि अनुदान के रूप मे देता है क्योंकि उनके विकास के लिए वांछित वित्त करों द्वारा वसूल नही हो पाता है। केन्द्र अपनी आय के लिए अधिभार द्वारा राज्यों में विभाजित होन वाले करो में वृद्धि कर सकता है क्योंकि अधिभार की आय पर केन्द्र का अधिकार होता है। धारा 282 के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकारें अनुदान दे सकती है। ऐसे अनुदान उन कार्यों के लिए दिए जाते है जो केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

(स) ऋण
Loan

संविधा के अनु 293 (2) के अनुसार केन्द्र किसी भी राज्य सरकार को ऋण अथवा उनके द्वारा लिए गए ऋणों की गारन्टी दे सकता है। केन्द्र से ऋण लेने वाली राज्य सरकार पर यह नियंत्रण होता है कि केन्द्र की पूर्वानुमति के बिना वह अन्यत्र ऋण का उपयोग नही कर सकती तथा केन्द्र यह अनुमति कुछ शर्तो के अधीन देता है। राज्यो को प्राय योजनाओं कीपूर्ति के लिए ऋण दिए जाते हैं।

(द) वित्तीय समायोजन
Financial Adjustment

केन्द्र तथा राज्य सरकारों को आय व आवश्यकताओं में सन्तुलन बनाए रखने के लिए संविधान में "वित्तीय समायोजन" का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार कर लगाती है और उनको वसूली भी करती है लेकिन करों से प्राप्त आय का राज्य सरकारों में वितरण कर दिया जाता है।

(य) संचित निधि
Reserve Fund

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त करों व ऋणों की राशि भारतीय संचित निधि में जमा करा दी जाती है तथा राज्यों द्वारा प्राप्त करों व ऋणों की राशि राज्य संचित निधि में जमा करा दी जाती है। इन निधियों की राशि को लोकसभा अथवा विधानसभा की स्वीकृति के पश्चात ही खर्च किया जा सकता है।

(र) वित्तीय आपातकाल का प्रावधान
Provision of Financial Emergency

संविधान के अनु 360 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश में वित्तीय कारणों से संकट उपस्थित हो सकता है तो वह देश में वित्तीय आपात काल की घोषणा कर सकता है।

(ल) सम्पत्ति कर
Property Tax

संविधान के अनु 285 व 289 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारे उनके राज्यो में स्थित केन्द्रीय सरकार की किसी भी सम्पत्ति पर कर नही लगाएगी। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों की सम्पत्ति पर कर नहीं लगाएगी।

(व) अन्य प्रावधान
Other Provisions

कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है। केन्द्र सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत राज्य सरकारों के कर से मुक्त रहती हैं। 2 केन्द्र सरकार द्वारा उत्पन्न जल एव विद्युत (नदी घाटी योजनाओं द्वारा अथवा अन्य योजनाओं द्वारा) पर कोई भी राज्य सरकार कर नही लगा सकती है।

(श) वित्त आयोग
Finance Commisssion

संविधान के अनु 280 व 281 के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक पाच वर्ष पश्चात एक वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कभी भी वित्त आयोग की स्थापना कर सकता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते है। आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं - (1) केन्द्र व राज्या सरकारों में विभाजित करों से प्राप्त आयक के सम्बन्ध में सुझाव देना कि उस आय का विभाजन किस अनुपात में किया जाए (2) देश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ करने के लिए सुझाव देना (3) भारत सरकार की संचित निधि मे से राज्य सरकारों को अनुदान देने की नीति का सुझाव देना (4) राष्ट्रपति द्वारा चाहे गये विषयों पर सुझाव देना। वित्त आयोग के सदस्य प्राय अर्थशास्त्री, न्याय शास्त्री,

प्रशासक तथा राजनैतिक होते है। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्पति को प्रस्तुत करता है राष्ट्पति उसका ससद द्वारा अनुमोदन करवाता है।

राज्य योजना की वित्तीय व्यवस्था
STATE PLAN FINANCING

राज्य की योजनाओं के लिए वित्त दो माध्यमों से प्राप्त होता है

(अ) राज्य को केन्द्र से प्राप्त ससाधन या राज्य को केन्द्रीय हस्तातरण द्वारा

1 वैधानिक हस्तान्तरण (वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा)

■ योजना हस्तातरण (गाडगिल फार्मूले के आधार पर योजना आयोग द्वारा)

3 एच्छिक हस्तान्तरण द्वारा

(ब) राज्य के स्वय के स्रोत अथवा राजस्थान का योजना ससाधनो में भाग।

(अ) राज्य को केन्द्र से प्राप्त ससाधन या राज्य को केन्द्रीय हस्तातरण
Central Resources to States of Central Transfers to State

वे राज्य जो वित्तीय दृष्टि से कमजोर होते है उनके लिए केन्द्र द्वारा राज्य को हस्तान्तरित वित्तीय ससाधनों का विशेष महत्व होता है राजस्थान की वित्तीय स्थिति भी बहुत सुदृढ नही है। अत केन्द्र से प्राप्त अधिक ससाधन राज्य के आर्थिक विकास की गति दे सकते है। केन्द्र द्वारा राज्य वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण तीन प्रकार से किया है

1 वैधानिक हस्तान्तरण (वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा) (Statutory Transfers By Central Govt on the recommendation of Finance commission) वित्त आयोग द्वारा राज्यो को ओर किए गए हस्तान्तरण को वैधानिक हस्तान्तरण का नाम दिया जाता है। इनके अतर्गत केन्द्रीय करो मे राज्य का भाग तथा उसे दिए जाने वाले सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित है। वैधानिक हस्तान्तरण वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा किए जाते है

विभिन्न वित्त आयोग एव राजस्थान को किए गए वैधानिक हस्तान्तरण

राष्ट्रपति द्वारा प्रति पाच वर्ष पश्चात या आवश्यकता पडने पर इससे पूर्व वित्त आयोग का गठन किया जाता है यह एक सवैधानिक अनिवार्यता है। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अब तक दस वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। वित्त आयोग केन्द्रीय करो का कितना अश केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य वितरित हो यह निर्धारित करता है साथ ही यह भी देखता है कि विभिन्न राज्यों में इस अश या राशि का वितरण किस प्रकार हो। यह राज्यों को दिए जाने वाले केन्द्रीय अनुदानों के सिद्धान्त निर्धारित करता है इसके अतिरिक्त वित्त आयोग उन मामलों मे भी सिफारिश करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे जाते है

इस प्रकार वित्त आयोग राज्य को वित्तीय ससाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। राज्य के आय स्रोत सीमित होते है अत वे वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर अधिक से अधिक धन राशि प्राप्त करने की चेष्टा करते है। इसी कारण विभिन्न वित्त आयोगो की सिफारिशें प्राय अलग-अलग होती है क्योंकि परिस्थितियों मे भी निरन्तर बदलाव आता रहता है। भारत में अब तक 10 वित्तीय आयोगों की स्थापना की जा चुकी है। इनसे सम्बन्धित प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार है

1 प्रथम वित्तआयोग नवम्बर 1951 (First Finance Commission November 1951)

इस आयोग की स्थापना श्री के सी नियोगी की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने दिसम्बर 1952 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

आयकर का वितरण (Distr bution of Income tax) आयकर से प्राप्त राशि मे राज्य सरकार के हिस्से को 50 प्रतिशत से बढाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया आयकर की विभाज्य राशि मे से 20 प्रतिशत राज्यों की वसूली के आधार पर और 80 प्रतिशत जनसख्या के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। वित्त आयोग ने "क" वर्ग के राज्यों के लिए 3 25 प्रतिशत से 17 50 प्रतिशत तथा ख"वर्ग के राज्यो के लिए 0 75 प्रतिशत से 4 50 प्रतिशत और "ग" वर्ग के राज्यो के लिए 2 75 प्रतिशत भाग निश्चित किया।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (D stnbut on of Central Exc se Duty) इस आयोग ने तम्बाकू वनस्पति तेल और दियासलाई पर लगाए गए उत्पादन कर से प्राप्त रकम के 40 प्रतिशत भाग को राज्यो मे उनकी जनसख्या के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की

अनुदान (Grants-in-Aid) आयोग ने बजट आवश्यकताओं व सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए सात राज्यों को सामान्य अनुदान देने का सुझाव दिया। आठ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का विकास तथा तीन राज्यों को उनकी आय में कमी को पूर्ण करने के लिए अनुदान दिए जाने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त जूट उत्पन्न करने वाले राज्यों के अनुदान में वृद्धि करने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1950-51 से 1955-56 के अन्तर्गत राजस्थान को 18 6 करोड रुपयों का हस्तान्तरण किया गया जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 2 8 प्रतिशत था।

2 द्वितीय वित्त आयोग . जून 1956 (Second Finance Commission June,1956) - इस आयोग की स्थापना श्री के सन्थानम की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1957 में प्रस्तुत की। आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्नानुसार है -

आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax)- इस आयोग ने आयकर से प्राप्त रकम में से राज्य सरकारों को 55 प्रतिशत राज्यों की जनसख्या और 10 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। आयकर से प्राप्त एक प्रतिशत भाग केन्द्रशासित प्रदेशों को देने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - इस आयोग ने उत्पादन कर से प्राप्त रकम के 25 प्रतिशत भाग को राज्य सरकारों के मध्य उनकी जनसख्या के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। उत्पादन कर में और अधिक वस्तुओं को सम्मिलित किया गया।

अनुदान (Grants-in-Aid)- द्वितीय वित्त आयोग ने 11 राज्य सरकारों को उनकी विकासशील आवश्यकताओं के अनुसार अनुदान देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1957-58 से 1960 61 के मध्य राजस्थान को 55 करोड रुपए का हस्तान्तरण किया गया जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित की गई कुल राशि का 4 57 प्रतिशत था।

3 तृतीय वित्त आयोग दिसम्बर, 1960 (Third Finance Commission Dec, 1960) - तृतीय वित्त आयोग की स्थापना श्री ए के चदा की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने दिसम्बर, 1961 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्न प्रकार है -

आयकर का विभाजन (Distribution of Income tax) - तृतीय वित्त आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि में राज्यों के हिस्से को 60 प्रतिशत से बढाकर 66 67 प्रतिशत कर दिया। आयकर की विभाज्य राशि में से 80 प्रतिशत राज्यों की जनसख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। इस आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि में से 2 5 प्रतिशत केन्द्रशासित प्रदेशों को देने की सिफारिश की।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पादन करों से प्राप्त रकम में राज्य सरकारों का हिस्सा 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया लेकिन उत्पादन कर वाली वस्तुओं की सख्या बढाकर 35 कर दी गई।

अनुदान (Grants- In -Aid) - इस आयोग ने दस राज्यों को 110 25 करोड रुपयों का अनुदान देने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, दस राज्यों को सडक परिवहन के विकास के लिए 9 करोड रुपए का विशेष अनुदान देने का सुझाव दिया गया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1961-62 से 1965-66 के मध्य राजस्थान को 123 करोड रुपए का हस्तातरण किया गया।

4 चतुर्थ वित्त आयोग मई, 1964 (Fourth Finance Commission May, 1964) - इस आयोग की स्थापना श्री पी वी राजमन्नार की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1965 में प्रस्तुत कर दी इस आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्नाकित थे -

आय कर का विभाजन (Distrubution of Income Tax) - इस आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि में राज्यों का हिस्सा 66 67 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत कर दिया। आयकर की विभाज्य रकम में से 80 प्रतिशत राज्यों की जनसख्या और 20 प्रतिशत राज्यों में आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की। आयकर की विभाज्य राशि में से 2 5 प्रतिशत केन्द्रशासित प्रदेशों को देने का सुझाव दिया गया।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) इस आयोग ने उत्पादन करो से प्राप्त रकम में राज्य सरकारो का हिस्सा 20 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया। अतिरिक्त उत्पादन कर की राशि में से एक प्रतिशत केन्द्रशासित प्रदेशों, 0 05 प्रतिशत नागालैण्ड, 1 5 प्रतिशत जम्मू एव कश्मीर तथा शेष 3254 लाख रुपए विभिन्न राज्य सरकारों में वितरित करने का सुझाव दिया।

अनुदान (Grant InAid) - आयोग ने दस राज्यों को 121 89 करोड रुपए अनुदान देने का सुझाव दिया। इस आयोग ने अन्य पूर्व आयोगो की तुलना में राज्यो को अधिक अनुदान देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1966-67 से 1970-71 के मध्य राजस्थान का 130 4 करोड रुपऐ का हस्तान्तरण हुआ जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4 52 प्रतिशत था।

5 पाचवा वित्त आयोग · अक्टूबर, 1968(Fifth Finance Commission Oct 1968) - इस आयोग की स्थापना श्री महावीर की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर, 1969 में प्रस्तुत कर दिया। पाचवे वित्त आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं -

आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) इस आयोग ने आयकर से प्राप्त रकम में राज्यो के हिस्से को 75 प्रतिशत के पूर्व स्तर पर ही रखा लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशा के हिस्से को बढाकर 2 60 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। आयकर की विभाज्य राशि में से 90 प्रतिशत राज्यों की जनसख्या तथा 10 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार परिवर्तित करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पाद करों से प्राप्त राशि म राज्यों का हिस्सा 20 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया। इस राशि को राज्यों की जनसख्या आर्थिक विकास के स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुसार वितरित करने का सुझाव दिया गया।

अनुदान (Grants-in-Aid) इस आयोग ने दस राज्यो को 637 85 करोड रुपए की रकम अनुदान के रूप में देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1969 70 से 1973 74 के मध्य राजस्थान को 265 करोड रुपए की राशि हस्तान्तरित की गई जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4 99 प्रतिशत थी।

6 छठा वित्त आयोग जून, 1972 (Sixth Finance Commission June, 1972) - इस आयोग की स्थापना श्री के ब्रह्मानद रेडडी की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन अक्टूबर 1973 में प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे -

आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) - आयोग ने आयकर से प्राप्त रकम में से राज्यों के हिस्से को 75 प्रतिशत से बढाकर 80 प्रतिशत कर देने का सुझाव दिया। आयकर की रकम में से 1 79 प्रतिशत केन्द्र शासित प्रदेशों को देने का सुझाव दिया तथा आयकर की विभाज्य राशि में से 90 प्रतिशत राज्यों की जनसख्या एव 10 प्रतिशत राज्यों की आयकर वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of central Excise Duty) इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पाद करों से प्राप्त रकम मे राज्यों का हिस्सा 20 प्रतिशत निर्धारित किया और इसका 75 प्रतिशत भाग जनसख्या के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। उत्पादन कर से प्राप्त शुद्ध आय में से 1 41 प्रतिशत केन्द्र शासित प्रदेशों व शेष राशि को राज्यों के मध्य वितरित करने का सुझाव दिया।

अनुदान (Grants-in-Aid) - इस आयोग ने कुछ राज्यों को 2509 61 करोड रुपए अनुदान के रूप में देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) - 1974-75 से 1978-79 के मध्य राजस्थान को 536 9 करोड रुपए की राशि का हस्तान्तरण किया गयार जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 5 87 प्रतिशत था।

7 सातवा वित्त अयोग जून, 1977 (Seventh Finance Commission June, 1977) - इस आयोग की स्थापना श्री जे एम शैलट की अध्यक्षता म की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, 1978 में प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के प्रमुख सुझाव निम्लिखित थे -

आयकर का विभाजन (Distribution of Income Tax) - इस आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि मे से राज्यों के हिस्से को 80 प्रतिशत से बढाकर 85 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। आयकर की रकम में से केन्द्रशासित प्रदेशो को ■ 19 प्रतिशत देने की सिफारिश की। आयकर की विभाज्य रकम में से 90 प्रतिशत राज्यों की जनसख्या और 10 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - केन्द्रीय उत्पाद करो से प्राप्त राशि में से राज्यों का हिस्सा 20 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया। आयोग ने 1 मार्च

1979 से बिजली के उत्पादन पर लगाए गये करों की राशि राज्यों को देने का सुझाव दिया।

अनुदान (Grants In Aid)– इस आयोग ने 2156 करोड रुपए ऋणें में राहत एव 437 करोड रुपए पिछडे हुए राज्यों के विकास के लिए अनुदान के रूप मे देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) - 1974-75 से 1983-84 के मध्य राजस्थान को 902 करोड रुपए का हस्तान्तरण हुआ जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4 33 प्रतिशत था।

8- आठवा वित्त आयोग : जून, 1982 (Eighth Finance Commission June, 1982) - *इस आयोग की स्थापना श्री वाई वी चह्वाण की अध्यक्षता में की* गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन अप्रैल, 1984 में प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के प्रमुख निम्नलिखित है

आयकर का वितरण (Distribution of Incme) - इस आयोग ने राज्यों के लिए आयकर के हिस्से को 85 प्रतिशत ही रखा। *केन्द्र शासित प्रदेशों का हिस्सा* 1 79 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। आयकर की विभाज्य राशि में से 10 प्रतिशत आयकर वसूली के आधार पर तथा शेष 90 प्रतिशत एक नवीन प्रावधान के अनुसार वितरित करने का सुझाव दिया। इस नवीन प्रावधान के अनुसार 25 *प्रतिशत राशि का आवटन जनसख्या के आधार पर और 25* प्रतिशत का आवटन प्रति व्यक्ति के व्युत्क्रम का जनसख्या के गुणनफल (1प्रतिव्यक्ति x जनसख्या) के आधार पर तथा 50 प्रतिशत का आवटन अधिकतम प्रति व्यक्ति आय वाले *राज्यों व सम्बन्धित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के अतर के* गुणनफल के आधार पर करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - *इस आयोग ने केन्द्रीय* उत्पाद करों में राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत से बढाकर 45 *प्रतिशत करने का सुझाव दिया। एक अक्टूबर, 1984 से* बिजली पर लगाए गए उत्पादन कर का 5 प्रतिशत भाग घाटे वाले राज्यों को देने का सुझाव दिया गया।

अनुदान (Grants in Aids) - इस आयोग ने गैर योजनागत राजस्व घाट की पूर्ति के लिए सन 1985 से *1989 तक की अवधि के लिए 1555 83 करोड रुपए देने* का सुझाव दिया। राज्यों की विशेष समस्याओं का समाधान करने व प्रशासनिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 17 राज्य सरकारों को 800 करोड रुपए का अनुदान देने का सुझाव दिया गया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) - *1984-85 से 1988-89 के मध्य राजस्थान* को 1676 2 करोड रुपए का हस्तान्तरण किया गया जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4 25 प्रतिशत था।

9 नवा वित्त आयोग - जून, 1987 (Ninth Finance Commission June, 1987) - इस आयोग की स्थापना 17 जून 1987 को सासद श्री एन के पी साल्वे की अध्यक्षता में की गई। न्यायमूर्ति श्री अब्दुल सत्तार कुरैशी डॉ राजा जे चेलया, लालथन्हावला व महेश प्रसाद इसके अन्य 4 सदस्य थे। आयोग ने अपना प्रथम प्रतिवेदन सितम्बर, 1988 में प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन 1989 90 के लिए था। इस समिति ने अपना दूसरा प्रतिवेदन समिति ने अपना दूसरा प्रतिवेदन 1990-95 की अवधि के लिए प्रस्तुत किया।

प्रथम प्रतिवेदन, सितम्बर, 1988 (First Report] *Sept, 1988)*

(अ) आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) *आयकर में राज्यों का हिस्सा 85 प्रतिशत ही रखा* गया और राज्यों को जो अधिक रकम मिलेगी वह अधिक करारोपण अथवा कर वसूली के कारण होगी। आयकर की रकम मे से केंद्रशासित प्रदेशों को 1 004 प्रतिशत देने का सुझाव दिया। *आयकर की राशि मे से राज्यों का कुल हिस्सा* 2990 38 करोड रुपए होगा।

(ब) *केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of* Central Excise Duty) - राज्यों को केन्द्रीय उत्पाद कर का 40 प्रतिशत तथा उत्पाद कर की कुल राशि का 5 प्रतिशत घाटे वाले राज्यों को देने का सुझाव दिया गया है। *इस आयोग ने राज्यों को रेल यात्री भाडों में कुल 95 करोड* रुपए देने का सुझाव दिया गया। अत केंद्रीय उत्पाद करों से राज्य सरकारों को 11785 64 करोड रुपए देने का *सुझाव दिया गया।*

(स) अनुदान (Grants-in Aid) इस आयोग ने राजस्व व्यय में घाटे की पूर्ति के लिए 13 राज्यों को 984 06 करोड रुपए देने का सुझाव दिया। *1986-87 व 1987-* 88 के लिए देय मूलधन व ब्याज की राशि को माफ करने का सुझाव दिया गया। राहत कार्यों की राशि 240 75 करोड रुपए से बढाकर 330 करोड कर दी गई। इस आयोग ने *राज्यों की विशेष आवश्यकताओं के लिए* 551 55 करोड रुपए अनुदान देने का सुझाव दिया।

(द) राजस्थान की स्थिति *(Position of Rajasthan)* नवें वित्त आयोग ने देश के सभी राज्यों को 13662 करोड

रुपए स्थानान्तरित किए। इसमें से राजस्थान 651 3 करोड रुपए प्राप्त हुए। यह राशि सभी राज्यों को हस्तांतरित होने वाली राशि का 4 77 प्रतिशत रही। इस राशि में से 143 करोड रुपए आयकर के हिस्से के रूप में, 326 करोड रुपए उत्पाद शुल्क के भाग के रूप में, 32 करोड रुपए घाटे में चल रहे राज्यों को उत्पाद शुल्क की राशि में से दिए जाने वाले हिस्से के रूप में, 69 करोड रुपए बिक्री कर के बदले में उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त राशि में से प्राप्त हुए। शेष राशि रेल यात्री किराये के निरस्त की गई राशि के बदले, राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु राहत व्यय की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त हुई।

द्वितीय प्रतिवेदन, दिसम्बर, 1989 (Second Report, Dec 1989)

नवे वित्त आयोग ने 1990-95 के लिए द्वितीय प्रतिवेदन दिसम्बर, 1989 में प्रस्तुत किया।

(अ) आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) - इस प्रतिवेदन में भी आयकर में राज्यों का हिस्सा 85 प्रतिशत ही रखा गया किन्तु राज्यों के मध्य उनके वितरण का आधार परिवर्तित कर दिया गया। अब यह आधार निम्न प्रकार निर्धारित किया गया।

- 10 प्रतिशत 1985-86 से 1987-88 की अवधियों में आयकर निर्धारण द्वारा तय अंशदान के आधार पर
- 11 25 प्रतिशत पिछड़ेपन के मिश्रित निर्देशाक के आधार पर
- 11 25 प्रतिशत राज्य की 1971 मे जनसख्या को प्रति व्यक्ति आय के प्रतिलोम से गुणा करने के आधार पर
- 22 5 प्रतिशत - 1971 में राज्य की जनसख्या की आधार पर
- 45 प्रतिशत - प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाले राज्य और राज्य विशेष की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर की तुलना के आधार पर

(ब) केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distributionof Central Excise Duty) राज्यों में केन्द्रीय उत्पाद कर की शुद्ध प्राप्तियों का 45 प्रतिशत वितरित करने का सुझाव दिया गया। इस वितरण का निम्नलिखित आधार निश्चित किया गया

- 12 5 प्रतिशत आय समायोजित कुल जनसख्या के आधार पर
- 12 57 प्रतिशत पिछड़ेपन के निर्देशाक के आधार पर
- 16 5 प्रतिशत घाटे वाले राज्यों के अतर्गत
- 25 0 प्रतिशत राज्य की 1971 की जनसख्या के आधार पर
- 33 5 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय (1982-83 से 1984-85 तक प्रति व्यक्ति आय की नई श्रृखला के आधार पर) एव प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाले राज्य से उसके अतर को ज्ञात करके उससे राज्य की 1971 की जनसख्या को गुणा करने के आधार पर।

(स) अनुदान (Grants in-Aid) आयोग ने सविधान के अनु 275(1) के अन्तर्गत सहायता अनुदान की सिफारिश की है। भोपाल गैस रिसाव काड के पीडितों को राहत पहुचाने के लिए भी अनुदान देने की सिफारिश की है।

(द) राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) नवें वित्त आयोग ने राज्यों को 106036 4 करोड रुपए की राशि हस्तान्तरित करने का सुझाव दिया। इसमें से राजस्थान सरकार को 6525 6 करोड देने की सिफारिश की गई। यह राशि राज्यों को हस्तान्तरित होने वाली कुल राशि का 6 15 प्रतिशत है। नवें वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान को केन्द्र से प्रतिवर्ष लगभग 1300 करोड रुपए की राशि प्राप्त होगी।

नवे वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा

EVALUATION OF RECOMMENDATIONS OF IX FINANCE COMMISSION

केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध पिछले दो दशकों से गहन विवाद के विषय रहे है। इस विवाद को सतोषजनक रूप मे हल करने में सरकारिया आयोग भी विफल रहा है। वर्तमान ढाचे के अदर केन्द्र आर्थिक रूप से अत्यन्त शक्तिशाली है जबकि राज्यों के पास ससाधन प्राप्त करने के साधन सीमित है। अत केन्द्र पर उनकी निर्भरता अपरिहार्य है। वित्त आयोग इसी निर्भरता को परिभाषित करने का सवैधानिक प्रयास है लेकिन आयोग की भी अपनी सीमा है। वह अपनी इच्छानुसार सभी करों से राज्य को हिस्सा नहीं दिला सकता। आयकर ही एक ऐसी मद है जो अनिवार्यत राज्यों तथा केन्द्र में बाटी जा सकती है। भारत तेजी से विकास कर रहा है परन्तु आयकर उस अनुपात में नही बढ रहा है। विकास को हम कार्पोरेट या निगम उन्मुख विकास कह सकते है। कपनियों की आमदनी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अत उनके शेयरों तथ ऋण पत्रों में निवेशकों की आस्था भी बढ रही है। परन्तु उनकी बढती आमदनी से दुर्भाग्यवश राज्य सरकारों के खजाने को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। कारण, कपनियों की आमदनी पर जो कर लगाया जाता है वह आयकर नहीं कहलाता,

बल्कि कार्पोरेशन टैक्स, (निगम कर) कहलाता है और वित्त आयोग को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह निगम कर को भी राज्यों तथा केन्द्र के बीच बांटे। केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों के संदर्भ में जब भी वित्त आयोग की चर्चा होती है तो सिद्धान्त यह माना जाता है कि आयोग का मूल उद्देश्य राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा करना है लेकिन व्यवहार इसका ठीक उल्टा होता है। वित्त आयोग पहले केन्द्र के खर्चों में अनेक खर्च अनुत्पादक है लेकिन उन पर अंकुश लगाने की सलाह वित्त आयोग नहीं दे सकता। दूसरी ओर वित्त आयोग राज्यों के खर्चों की प्रत्येक मद की गहरी छानबीन करता है। आयोग को यह शक्ति दी जानी चाहिए कि वह केन्द्र के खर्चे पर भी ऐसी ही निगाह रखें क्योंकि राज्यों को अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए केन्द्र के अनावश्यक खर्चों में कटौती आवश्यक है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने से वित्त आयोग की राज्यों के हितों की रक्षा करने वाले एक निकाय के रूप में विश्वसनीयता बढ़ जायेगी।

10 दसवां वित्त आयोग : जून, 1992 (Tenth Finance Commission June, 1992) - पूर्व रक्षा मंत्री के सी पंत की अध्यक्षता में दसवें वित्त आयोग का गठन 15 जून, 1992 में किया गया। आयोग के अन्य चार सदस्य है - डॉ देवीप्रसाद पाल बी पी आर विट्ठल, डॉ सी रंगराजन और एम सी गुप्ता। आयोग केन्द्र तथ राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का निर्धारण करने और विभिन्न राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के मापदंड तय करेगा। दसवां वित्त आयोग विभिन्न राज्यों को दिए जाने वाले केन्द्रीय अनुदानों के बारे में भी नीति निर्देश तय करेगा। आयोग अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के आवंटन फार्मूले में परिवर्तन के सुझाव दे सकता है। 1957 के रेल्वे यात्री भाड़ा कानून का रद्द किए जाने के एवज में राज्यों को दी जाने वाली सहायता के बारे में भी यह सुझाव देगा। जिन राज्यों के बारे में अनुदान और आवंटन जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है उनके मामले में 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाएगा। वित्त आयोग प्राकृतिक आपदा निधि योजना में परिवर्तन और 31 मार्च 1994 को राज्यों के ऋणों के संदर्भ में निदान सुझा सकता है। अधिसूचना के मुताबिक राजस्व संबंधी सिफारिशें करते हुए आयोग राजस्व प्राप्ति और खर्चों के बीच संतुलन पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जन तथा वित्त में कमी करने की आवश्यकता ध्यान में रखेगा। सिफारिशों का आधार यह भी होगा कि किसी राज्य ने अपना राजस्व बढ़ाने की कितनी कोशिश की है तथा सिंचाई ऊर्जा परिवहन एवं सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक उपक्रमों में पूंजी निवेश व राजस्व अर्जन का क्या अनुपात है। आयोग बहुत किन प्रमुख अनावश्यक सरकारी खर्चे में कटौती राजस्व बढ़ाने के उपायों और बजट घाटे पर नियंत्रण के बारे में भी सुझाव देगा। दसवें वित्त आयोग ने सन् 1995 से 2000 तक के लिए अपना प्रतिवेदन 26 नवम्बर, 1994 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दिया था। इस प्रतिवेदन को 14 मार्च 1995 को संसद के दोनों सदनों में रखा गया।

दसवें वित्त आयोग की मुख्य बातें निम्न है -

1 राजकोषीय संतुलन स्थापित करने के लिये पूंजीगत विनियोगों में वृद्धि तथा राजस्व खाते में सन्तुलन स्थापित करना होगा।

2 उत्पादन शुल्क का 47 5% तथा आय कर का 77 5% भाग राज्यों में बांटा जायेगा।

3 कर नीति को एकीकृत रूप में लागू करने के लिये समस्त केन्द्रीय करों का एक निश्चित अनुपात राज्यों में वितरित करना उचित होगा।

4 भविष्य में चालू परिसम्पत्तियों के रख रखाव व्यय को भी महत्व देना होगा।

5 पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकों को वित्ती साधन उपलब्ध कराने के लिये अनुदान की व्यवस्था करनी होगी।

6 सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग पुराने ऋणों का भुगतान करने में करना उचित होगा।

7 वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिये राजस्व व्यय का राजस्व साधनों से समायोजन करना होगा।

8 राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये अनुत्पादक व्ययों में कमी करनी होगी।

9 गैर योजना राजस्व व्यय के साथ-साथ योजना राजस्व व्यय पर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा।

10 खाद्यान्नों एवं उर्वरकों के अनुदान की राशियों को सकल घरेलु उत्पाद के अनुपात में कम करना होगा। राज्यों को विशिष्ट समस्याओं के लिये अनुदान दिये जायेंगे।

राष्ट्रपति के ... ने प्रो ए एम खुसरो की अध्यक्षता में 11वां वित्त आयोग गठित कर दिया है।[1] श्री टी एन श्रीवास्तव इसके सदस्य सचिव होंगे। वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने आज लोकसभा में यह घोषणा करते हुए बताया कि आयोग के अन्य सदस्यों में सर्व श्री एन सी जैन, जे सी जेटली और डॉ अमरेश बागची शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दसवें वित्त आयोग द्वारा नवम्बर 1994 में प्रस्तुत की गई सिफारिशें मार्च 2000 तक वैध है। ग्यारहवें वित्त आयोग को 31 दिसम्बर 1999 तक अपनी रिपोर्ट दे देने के लिए कहा गया है ताकि उसकी सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को पहली अप्रैल 2000 से लागू किया जा सके। श्री सिन्हा

1 इंडिया टुडे 12 अगस्त 1998 दैनिक नवज्योति 7 जुलाई 1998

ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुरूप आयोग के विचारार्थ विषयों में केन्द्रीय करों की प्राप्तियों की भागीदारी और राज्यों को अनुदान सहायता शामिल है वित्त आयोग को पहली बार संविधान के 73वें और 74 वें संशोधन के सदर्भ में राज्यों में पचायतों और नगरपालिकाओं के ससाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय को सुझाने का भी दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा राज्यों ऋण ग्रस्तता आपदा राहत मानकों के उन्नयन की आवश्यकताओं और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन सशोधन आदि जैसे राज्यों के वित्त में सवर्धित आर्थिक मुद्दों को जाच करने के लिए आयोग को कहा गया है

प्रो खुसरो देश के जाने माने कृषि अर्थशास्त्री है और ग्रामीण भारत से विशेष रूप से परिचित है। वे देश के स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में विशेष योगदान दे सकते है। यहा इस तथ्य को उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि संविधान के नवें खण्ड के प्रावधान पाच वर्ष से अस्तित्व मे आये है और इन पाच वर्षो में लगभग सभी राज्यो मे निर्वाचित स्थानिय निकाय बन गये है।

इस कारण पहले जहा केवल 5000 सासद और विधायक सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते थे वहा अब निकायों के चुनावो के कारण जनप्रतिनिधियो की सख्या 30 लाख हो गई है जिनमे 10 लाख महिलाए है।

योजना हस्तान्तरण (गाडगिल फार्मूले के आधार पर योजना आयोग द्वारा)

PLAN TRANSFERS (BY PLANNING COMMISSION ON THE BASIS OF GADGIL FORMULA)

योजना हस्तान्तरण योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डो के आधार पर तथा उसके द्वारा निर्धारित परियोजनाओं के लिए होता है। योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले हस्तान्तरण का वर्तमान आधार गाडगिल फार्मूला है। अत इसे स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

गाडगिल फार्मूला (Gadgil Formula) - केन्द्र द्वारा राज्यो को दी जाने वाली सहायता तीसरी पचवर्षीय योजना तक योजना आयोग के निर्णयो पर आधारित होती थी और इस निर्णय का कोई ठोस आधार नहीं हुआ करता था। चौथी पचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यो का वितरित किए जाने वाले वित्तीय ससाधनो का गाडगिल फार्मूले के माध्यम से वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की गई। इस फार्मूले के अंतर्गत केन्द्र के ससाधनों का 60 प्रतिशत राज्य की जनसख्या 10 प्रतिशत राज्य के पिछड़ेपन की स्थिति (जिसका ज्ञान राज्य की प्रति व्यक्ति आय से हो जाता है) 10 प्रतिशत राज्य के लोगों द्वारा दिए गए प्रति व्यक्ति कर, 10 प्रतिशत चालू सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने और शेष 10 प्रतिशत राज्य की विभिन्न सामाजिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य को सहायता प्रदान की गई। इस फार्मूले में भी धीरे -धीरे अनेक दोष दृष्टिगोचर होने लगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि यह सब ससाधनो के वितरण की बात तो करता है किन्तु उसका आकार के बारे में कुछ नहीं कहता। इस सूत्र में दोष होने पर भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का अभी भी यह महत्वपूर्ण आधार है। यद्यपि छठी योजना से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का नया आधार विकसित किया गया। इसे आय समायोजित कुल जनसख्या (Income Adjusted Total Population) सूत्र कहा गया। इसके अंतर्गत 10 प्रतिशत के स्थान पर राज्य के पिछड़ेपन के आधार पर 20 प्रतिशत सहायता दी गई। यह अतिरिक्त 10 प्रतिशत भार विद्यमान सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए दी जाने वाली सहायता को बद करके प्राप्त किया गया। जिन राज्यो की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम थी उन्हें 1000 करोड़ रुपए सार्वजनिक ऋणो में से वितरित करने का निश्चय किया गया। निष्कर्षत कहा जाता सकता है कि राज्यों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए और विशेषत राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों के विकास के लिए अधिक धन राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

1969 का मूल गाडगिल सूत्र (Original Gadgil Formula of 1969) योजना के आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रो डी आर गाडगिल के नाम से यह सूत्र प्रसिद्ध है यह सूत्र 1969 में लागू किया गया। इस सूत्र का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के मध्य सतुलन लाना था। इसी सूत्र के आधार पर योजना आयोग ने चौथी व पाचवी योजनाओं में राज्यों को राशि का हस्तान्तरण किया था। मूल गाडगिल सूत्र के अंतर्गत राज्यों की 1971 में जनसख्या को 60 प्रतिशत भार प्रदान किया गया प्रति व्यक्ति आय चालू सिंचाई व शक्ति परियोजनाए कर प्रयास तथा विशेष समस्याओं के सभी आधारों को 10 10 प्रतिशत भार प्रदान किया गया।

1980 का संशोधित गाडगिल सूत्र (Revised Gadgil Formula of 1980) इसके अंतर्गत 1971 की जनगणना को ही आधार कायम रखा गया और इसका भार भी 60 प्रतिशत ही कायम रखा। प्रति व्यक्ति आय को मूल सूत्र की अपेक्षा अधिक भार प्रदान किया गया। इसको

भार पूर्व के 10 प्रतिशत की अपेक्षा 20 प्रतिशत कर दिया गया। कर प्रयासों व विशेष समस्याओं का भाग 10-10 प्रतिशत पहले का ही भांति बने रहने दिया गया। चालू सिंचाई व शक्ति परियोजनाओं को संशोधित सूत्र में कोई भार प्रदान नहीं किया गया।

1990 का परिवर्तित गाडगिल सूत्र (Modified Gadgil Formula of 1990) इस सूत्र के अंतर्गत भी 1971 की जनगणना को ही आधार बनाए रखा गया। इस आधार बनाए रखे जाने का प्रमुख कारण यह रहा है कि जिन राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है वे इसका अनुचित लाभ न उठाएं। यदि यही आधार बनाए रखा गया तो राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास करने का प्रेरणा प्राप्त होगी। परिवर्तित सूत्र अनुसार 1971 की जनसंख्या को पहले के 60 प्रतिशत की अपेक्षा केवल 55 प्रतिशत भार प्रदान किया गया। प्रति व्यक्ति आय को 1980 के 20 प्रतिशत की अपेक्षा 25 प्रतिशत भार प्रदान किया गया। इसमें कर प्रयासों को कोई भार नहीं दिया गया। विशेष समस्याओं का भाग 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। 1990 में कर प्रयासों के स्थान पर राजकोषीय प्रबंध का विचार लागू किया गया। इसके अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाएगा कि राज्य विशेष ने योजना आयोग से स्वीकृत कराए गए साधन संग्रह के लक्ष्य के संदर्भ में वास्तव में कितने साधन संग्रह किया है। इस सूत्र में तटीय क्षेत्र, विशेष पर्यावरणीय प्रश्नों, बाढ़ व सूखा संभावित क्षेत्र, विशेष रूप में कम या अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मरुस्थलीय समस्याओं, शहरों की गंदी बस्तियां व न्यूनतम वांछित योजना आकार प्राप्त करने में आने वाली विशेष वित्तीय समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

राजस्थान व गाडगिल सूत्र (Rajasthan & Gadgil Formula) भारत के राज्यों को विशिष्ट व गैर विशिष्ट राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा व सिक्किम को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में से एक है। अतः राजस्थान को अन्य गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों की भांति योजना हस्तान्तरण की राशि का 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होता है। विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में यह अंश क्रमशः 90 व 10 प्रतिशत है। 1990 के सूत्र में प्रति व्यक्ति आय को जो 25 प्रतिशत भार प्रदान किया गया है उसमें से 20 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय व राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अंतर (विचलन विधि Deviation method) के आधार पर व 5 प्रतिशत राशि में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य से उस विशेष राज्य की आय का अंतर (दूरी विधि Distance method) के आधार पर वितरित होगी। गाडगिल सूत्र में यदि राज्य के क्षेत्रफल को भी उचित भार प्रदान किया जाता है तो राजस्थान लाभ की स्थिति में रहेगा।

(ब) राज्य के स्वयं के स्त्रोत अथवा राजस्थान का योजना संसाधनों में भाग

State s Own Resources or Rajasthan s contribution in Plan Resources

राज्य को तेजी से विकास करने के लिए स्वयं के वित्तीय साधनों का विकास करना होता है। राज्य के वित्तीय साधनों के अन्तर्गत बजट में बचत व सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा बचत प्रमुख है। बजट में बचत की दृष्टि से दो बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम विद्यमान राजस्व का शेष कितना है? राज्य सरकार के कर व अकर राजस्व तथा सरकार के गैर योजना राजस्व व्ययों का अंतर विद्यमान राजस्व का शेष होता है। द्वितीय, बजट उपायों से अतिरिक्त संसाधनों का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। नये बजट उपायों के अन्तर्गत नये कर लगाना, विद्यमान करों में वृद्धि करना प्रमुख है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य विद्युत मण्डल, राज्य परिवहन निगम आदि बड़े निगमों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये निगम विद्यमान दरों या किराये आदि से ही संसाधन जुटाते हैं। इसका विशेष महत्व है। ये निगम संसाधन जुटाने के लिए अपनी दरों या किराये आदि में वृद्धि कर सकते हैं।

निजी बचतों को भी सार्वजनिक ऋणों, भविष्य निधियों में अंशदान, लघु बचत और अन्य शुद्ध पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से ... किया जाता है। नये उपाय अपनाकर इन राशियों में ... भी की जा सकती है।

राज्य सरकार भू राजस्व, मुद्रा एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी, बिक्रीकर, वाहनों पर कर, मनोरंजन और यात्रियों पर कर, बिजली पर कर और शुल्क आदि के रूप में कर राजस्व प्राप्त करता है। इसमें बिक्रीकर एक महत्वपूर्ण ... है। ... प्रतीत होता है कि वस्तुओं पर कर लगाने का ... एक ... है और वह सभी लाभ ... उठा ... है। अतः विभिन्न करों का ... उनका कुशल एवं मितव्ययी संग्रहण ... आवश्यक है। इस हेतु प्रशासन को चुस्त करना ... मनमानी क्षेत्र को ... उत्पादन क्षमता ... कर ... को कम करके अधिक ... देना ... मामले के संदर्भ में ... स्थान पर ... व ... का ... करना होगा ... के अधिक ... अधिक धन संचित करना ... योजनाओं को समय पर पूरा करना ... कि ...

राज्य सरकार को ... विकास के लिए

अधिक वित्तीय समाधान जुटाना आवश्यक है। इस संदर्भ में राज्य सरकार का कर राजस्व निरन्तर बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने अल्प बचत के माध्यम से भी अधिक से अधिक धनराशि एकत्रित करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार ने अल्प बचत योजना 100 रुपए की राशि विनियोजन पर एक नि शुल्क उपहार कूपन लाटरी द्वारा इन कूपनों पर पुरस्कार दिए है। इस योजना से जनता की बचतों को आकर्षित किया जा सका और सरकार की आय में वृद्धि हुई बचत घाटा कम करने का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय व्यय में कटौती किया जाना है राजस्थान सरकार ने राजस्व के पुनरीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है समिति उन क्षेत्रों का निर्धारण करेगी जहां मितव्ययिता सम्भव हो। यह मितव्ययिता इस प्रकार लाना होगा कि राज्य के विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो राज्य के वित्तीय साधनों के बढ़ाने के लिए विश्व बैंक व अन्य संस्थाओं से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। कई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं को भेजी गई है इसी प्रकार अधिक साधन प्राप्त करने के लिए कुछ परियोजनाएं केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई है इन सब प्रयासों से ऐसा लगता है कि राज्य के आगामी वर्षों में विकास की गति को और तीव्र कर पाएगा।

परिवर्तित आय-व्यय 1998 99

MODIFIED BUDGET 1998 99

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा ने 9 जुलाई 1998 को विधानसभा में राजस्थान का 1998 99 का संशोधित या परिवर्तित बजट प्रस्तुत किया इस बजट की प्रमुख बातें व प्रावधान निम्न प्रकार हैं

(A) राजस्थान आय व्ययक 1998 99

संक्षेप में राजस्थान का बजट निम्न प्रकार है

राजस्थान आय व्ययक का सिंहावलोकन

विवरण	लेखे 1994 95	लेखे 1995 96	लेखा 1996 97	संशोधित अनुमान 1997 98	आय व्ययक अनुमान 1998 99
1	2	3	4	5	6
(अ) राजस्व लेखे की प्राप्तियां एवं व्यय					
(i) राजस्व प्राप्तियां	632172 57	762968 94	755972 16	871379 26	1018046 87
(ii) राजस्व व्यय	674647 91	833155 62	842567 02	920972 44	1152156 28
( ) बचत ( ) अथवा घाटा ( )	( )42475 34	( )70186 68	( )86594 86	( )49593 18	( )133209 41
(ब) राजस्व खाते के अतिरिक्त लेनदेन					
1 प्राप्तियां					
( ) स्थायी ऋण	31427 09	39427 00	43369 11	52218 00	64902 00
( ) अल्पकालीन ऋण	134300 54	247690 23	465781 22	333593 00	120000 00
(i) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण	88746 81	114022 31	148988 12	202358 40	186691 95
(iv) अन्य ऋण	5927 07	8866 60	11365 95	17149 79	17535 85
(v) सार्वजनिक लेखा	1394214 04	1617996 18	1563249 62	1976519 50	2081761 62
(vi) ऋण एवं अग्रिम	12843 97	40212 84	31513 15	87477 42	7403 12
(v) आकस्मिता निधि					
2 वितरण					
( ) पूंजीगत व्यय(शुद्ध)	106065 05	175746 60	165788 21	260131 99	212480 35
(i) स्थायी ऋण	12 56	9 80		4511 51	11383 66
(i i)अल्पकालीन ऋण	134300 54	232414 18	431386 82	333593 00	120000 00
(v) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण	19326 40	28408 10	56358 84	69713 85	31671 40
(v) अन्य ऋण	1506 13	1736 93	1929 15	3213 91	4276 79
(v) सार्वजनिक लेखा	1317590 55	1528496 65	1480202 01	1865044 01	19024 3 18
(vi) ऋण एवं अग्रिम	40576 81	51707 83	29777 47	35470 55	35993 60
(v) आकस्मिता निधि विनियोग					
(x) आकस्मिकता निधि		15 97			
कुल वितरण	1619378 04	2018516 46	2165533 50	2571681 87	2322264 [illegible]
3 राजस्व खाते के अतिरिक्त बचत (+)					
अथवा घाटा ( )	48081 48	49898 70	98733 67	97634 8	150029 56
4 सर्वोपरि शुद्ध	5606 14	20287 88	12138 81	4801 20	22820 15

स्रोत परिवर्तित आय व्ययक अध्ययन 1998 99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

(B) विभिन्न क्षेत्रों हेतु प्रावधान (Provisions in Different Sectors)

1998 99 के इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के सदर्भ मे प्रमुख बातें व प्रावधान निम्न है -

1 शिक्षा (Education) - इसी वर्ष प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लगभग 400 करोड रुपए की लागत से आरम्भ किया जा रहा है। 5 वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले मे लगभग 35 से 40 करोड रुपए का निवेश होगा। 1998-99 में 11 नवीन जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम व एक जिले में सतत शिक्षा कार्यक्रम आरभ होगा।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोटा व बीकानेर में सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में दो नये विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। करौली नाथद्वारा व जैसलमेर में महाविद्यालय आरभ किये जायेंगे। तकनीकी शिक्षा के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए बीकानेर में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय आरभ करने का निश्चय किया गया। [illegible] अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान (ITI) भी खोलने का विचार व्यक्त किया गया है।

2 कृषि (Agriculture) - 750 कृषि उत्पादन वितरण केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है ताकि किसान को अपनी उपज बेचने के लिये अधिक दूर न जाना पडे। कमजोर मण्डियों के विकास हेतु 'मण्डी विकास निधि' का गठन होगा। दस हजार हैक्टेयर समस्या ग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। खाद्यान्न व तिलहन उत्पादन हेतु क्रमश 120 व 35 लाख टन का लक्ष्य रखा गया।

3 पशुपालन (Animal Husbandry) इस वर्ष पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। कम से कम 2 डेयरी सयंत्रों को 150 9002 के अन्तर्गत पंजीकृत कराने का प्रस्ताव है।

4 सहकारिता (Co-operation) जयपुर शहर की दूरस्थ कालोनियों में डेयरी दुग्ध व्यवस्था की भांति सहकारी फल व सब्जी वितरण व्यवस्था आरम्भ की जा रही है।

5 विद्युत (Electricity) 550 गांवों के विद्युतीकरण व 25 हजार कुओं के ऊर्जीकरण का प्रस्ताव है।

6 सिंचाई व बाढ नियंत्रण (Irrigation & Flood Control) इस वर्ष 21200 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित करने का लक्ष्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 50 हजार हैक्टयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की जायेगी। पानी के उचित उपयोग और नहरों के रखरखाव हेतु किसानों की जन-सहभागिता प्रबन्ध हेतु 1 94 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

7 सहायता - केन्द्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा राहत कोष से केवल लघु एव सीमान्त किसानों को सहायता देने का प्रावधान था। सरकार ने इसे सशोधित कर सभी प्रभावित किसानों को सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

8 सडक निर्माण (Road Construction) 1998-99 में 257 करोड रुपए के प्रावधान से 3400 कि मी नवीन सडकों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इनके निर्माण से 1050 गांव सडकों से जुड जायेंगे। कृषक को सडक निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का शीघ्र भुगतान किया जायेगा।

9 विशिष्ट योजनाएं व ग्रामीण विकास (Special schemes & Rural Development) ग्राम स्वराज की परिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विशिष्ट योजनाओं हेतु राज्य सरकार ने जन सामान्य को विकास कार्यों में व्यय के निरीक्षण का अधिकार दिया है।

10 आवास (Housing) - इस वर्ष एक लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एव जन जाति के भूमिहीन परिवारों व ग्रामीण कारीगरों व दस्तकारों की आवास समस्या के हल हेतु 1[illegible] करोड रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है।

11 वन (Forest) - इस वर्ष 63500 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है मरुस्थल के विस्तार की रोकथाम हेतु एक नवीन परियोजना प्रारम्भ करने हेतु 1 13 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है।

12 पेयजल (Drinking water) - पश्चिमी राजस्थान के 24 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना हाथ में ली गई है। चूरू रतनगढ तथा डिमाऊ शहर तथा चूरू झुंझुनू जिलों के 168 छोटे गांव से प्रभावित गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु व्यय का प्रावधान किया गया है।

13 चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा परिवार कल्याण (Medical [illegible] Health Services and family welfare) - मौसमी बीमारियों व प्राकृतिक आपदाओं के लिये विशेष प्रावधान किया गया है कोटा शहर में एक 'सेटेलाइट अस्पताल' सहित राज्य में 10 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 67 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है कटेरेक्ट ब्लाइंडनस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अन्धता निवारण के प्रयास किये जायेंगे। इस वर्ष प्रजनन व बाल स्वास्थ्य परियोजना के नाम से परिवार कल्याण व बाल स्वास्थ्य की एक योजना 18 जिलों में आरम्भ करने का निश्चित किया गया है।

14 महिला एव बाल विकास (Women & child Development) - किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य, सफाई, पोषण और व्यक्ति विकास की योजना 'लाडली' का राज्य के

सभी जिलो मे विस्तार किया जायेगा। सरकार ने सामूहिक विवाहो को प्रोत्साहित करनेके उद्देश्य से दिये जाने वाले आर्थिक अनुदान प्राप्त करने हेतु 25 जोडों की सीमा को घटाकर 10 जोडे कर दिया है

15 जनजाति क्षेत्रीय विकास (Tribal Area Development) इन क्षेत्रो मे स्थानीय आशार्थियो को अधिक प्रतिनिधित्व व रोजगार देने के उद्देश्य से सभी विभागो के 1 से 6 तक की वेतन श्रृंखला के पदो तथा ग्राम सेवको के पदो मे आरक्षण बढाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है।

16 उद्योग (Industry) राज्य मे निर्यात की दीर्घकालीन वृद्धि के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए मस्थागत वित्त के माध्यम मे 35 करोड रुपए लागत के कन्टेनरो के शीघ्र परिवहन हेतु रोड रेल परियोजना आरम्भ करने का लक्ष्य है। भिवाडी मे निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है महिला उद्यमियो को शीघ्र ऋण सुविधा उपलब्ध कराने व परियोजना मजूरी देने हेतु राजस्थान वित्त निगम मे 'महिला उद्यम निधि प्रकोष्ठ' की स्थापना की गई है। महिलाओं के 'गृह उद्योग योजना' का प्रारम्भ कीगई है।

17 खनिज (Minerals) राज्य मे प्राकृतिक गैस एव तेल की खोज को प्रगति देने हेतु एक पृथक पेटोलियम निदेशालय की स्थापना की गई है बीकानेर नागौर और चूरू जिला मे खोज का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा जबकि बाडमेर एव सांचौर क्षेत्र मे यह कार्य पूर्व मे ही चल रहा है।

18 पर्यटन (Tourism) पर्यटन उद्योग व विकास हेतु इस वर्ष मे नई पर्यटन नीति घोषित किया जाना प्रस्तावित है

19 नगरीय विकास (Urban Development) 1998 99 मे राज्य के आठ शहरो का चिन्हित कर इनके नियोजित विकास के प्रयास होंगे।

20 चुंगी (Octroi) राज्य ने 1 अगस्त 1998 से प्रदेश मे चुगी समाप्त करने की घोषणा की है

21 786 वा उर्स (Urs 786) उर्स के सुचारू आयोजन हेतु सरकार ने विभिन्न कार्यो हेतु 16 करोड रुपए उपलब्ध कराये है।

22 राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) ग्रामीण जनता की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु 20 अगस्त से 20 सितम्बर 1998 की अवधि मे अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। राज्य मे विभिन्न नगरीय क्षेत्रो मे कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोग हुआ। इस सदर्भ मे दीपावली से पूर्व सरल भूमि रूपान्तरण नियम बनाये जायेगे

23 कानून व्यवस्था (Land & Order) पुलिस बल को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने एव पुलिस स्टेशनो के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने आवास एव नगर विकास लिमिटेड के सहयोग मे 600 करोड रुपए की परियोजना बनाना है जिसका प्रथम चरण इसी वर्ष आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

24 अन्य (Other) सरकार ने स्वतत्रता सेनानियों की पेशन 700 रुपये से बढाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है कोष प्रशासन के विकेन्द्रीकरण व आधुनिकीकरण के प्रयास किये गये है। कर्मचारी कल्याण के अनेक कदम उठाये गये है और वेतन विसगतियो के प्रकरणो के सबध मे राज्य सरकार एक आयोग के गठन का विचार रखती है

(C) कर प्रस्ताव (Tax Proposals)

निम्न तालिका मे बजट 1998 99 का स्पष्ट विवरण दिया गया है

क्र स	वस्तु	रियायते
1	2	3
I — कृषि		
1	[illegible]	12 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत
2	10 [illegible]	कर मुक्त
3	[illegible]	4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत
4	[illegible]	कर मुक्त
5	[illegible]	12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत
II — उद्योग		
1	[illegible] 200 या अधिक [illegible]	12 [illegible] 7 वर्ष तक कर मुक्त
2	औद्योगिक [illegible]	12 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
3	[illegible]	4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत
4	मार्बल	10 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
5	[illegible]	10 प्रतिशत से [illegible] 12 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
6	[illegible]	[illegible] 31 मार्च 2006 तक [illegible]
7	[illegible]	[illegible] 2 प्रतिशत से [illegible] 5 प्रतिशत

1	2	3
[redacted]	सूती धागा की नई इकाई को कर मुक्त कपास क्रय करने की सुविधा	पूजी निवेश सीमा 50 करोड से घटाकर दस करोड पाने हेतु उत्पादन तिथि एक वर्ष बढाकर 31 मार्च 1999 की गई
9	नई शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी ग्वार गम इकाई को कच्चा माल कर मुक्त खरीदन की सुविधा	लाभ हेतु उत्पादन की तिथि 31 मार्च 1999 की गई
10	प्लास्टिक स्क्रैप	4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत
	प्लास्टिक कम्पाउन्ड	12 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत
11	कर प्रदत्त ग्वार से निर्मित ग्वार स्प्लिट चूरा	कर मुक्त
12	औद्योगिक गैस	रियायती कर दर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)
13	वेल्डिंग इलक्ट्रोड व राड	8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
14	एच डी पी ई फैब्रिक्स	रियायती कर दर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
15	स्टेनलैस स्टील शीट व पट्टा की इकाइयां	कर मुक्त कच्चा माल क्रय करने की सुविधा 31 मार्च 2000 तक बढाई गई
16	बर्तन निर्माण हेतु स्टेनलैस स्टील शीट एवं सर्किल को कच्चे माल के के रूप में खरीद	रियायती कर दर 1 प्रतिशत 31 मार्च 2000 तक बढाई गई
17	एल्युमिनियम फाइन	अन्तर्राज्यीय विक्रय पर भी 1 प्रतिशत की दर 31 मार्च 1999 तक
18	खाल व चमडा	4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत
III — व्यापार		
1	सभी प्रकार के बिस्किट्स	6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)
2	मानव पाउच व एसेंस	[redacted] प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)
3	एल ई डी लाइनेंस व एक्जिम क्रिप	8 जुलाई 1998 तक कर मुक्त अब 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर देयता
4	लिनोलियम लेमीनेटेड शीट सनमाईका आदि	रियायती कर दर 12 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
5	पुराने बारदाना	अन्तर्राज्यीय विक्रय भी कर मुक्त
IV — जनसामान्य		
1	बधाई संदेश वैवाहिक निमंत्रण एवं सभी प्रकार के मुद्रित कार्ड	12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत
2	चावल का पोहा	12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत
3	सौंठ इलायची लौंग दालचीनी इमली तथा औषध के काम आने वाली वनस्पति	12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
4	मिर्च धनिया मैथी हल्दी चैक अजवाइन मुआआमचूर व केवडी	6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
5	कपडे धोने के साबुन की टिकिया	रियायती दर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
6	पानी व बिजली के मीटर	12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत
7	आई एस आई मार्का सभी प्रकार के केरोसीन स्टोव	कर मुक्त
[redacted]	कुल दस्ते	10 प्रतिशत से घटाकर [redacted] प्रतिशत
9	रेडीमेड वस्त्र व होजरी उत्पाद	4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत
10	पुस्तकें	कर मुक्त (31 मार्च 1999)
11	लोबान धूप शहद दीपक राखी व मेंहदी	कर मुक्त
12	मेंहदी	अब अन्तर्राज्यीय विक्रय भी कर मुक्त
13	कुछ प्रकार को छोडकर अन्य सभी प्रकार की बिजली का सामान	12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत
V — जनस्वास्थ्य		
1	आयुर्वेदिक यूनानी व होम्योपैथिक औषधियां	8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)
2	जीवन रक्षक दवाएं तथा एस एम आर डी पी टी वाला अप टेटनस टोक्साइड	कर मुक्त
3	डिस्पोजेबल सीरिंज व निडल्स	12 प्रतिशत से घटाकर [redacted] प्रतिशत
4	बच्चा घुट्टी	कर मुक्त
5	आमा हल्दी और काला जीरा	कर मुक्त
VI — कर में बढोतरी		बढी हुई दरें
1	आयातित तेल परफ्यूम व प्रसाधन सामग्री	12 प्रतिशत से बढाकर 20 प्रतिशत
2	आग्नेय अस्त्र व कारतूस	16 प्रतिशत से बढाकर 20 प्रतिशत
3	अगरबत्ती	4 प्रतिशत से बढाकर 8 प्रतिशत
4	एल्युमिनियम	4 प्रतिशत से कर दर
5	अफीम भांग व डोडा पोस्त	36 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत
6	आयातित विदेशी मदिरा व डायनेमोर बीयर	36 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत

स्रोत: राजस्थान पत्रिका

(D) समग्र बजटीय स्थिति (Overall Budgetary Position)

राज्य बजट की राशि किन स्रोतों से प्राप्त होगी इसका अनुमान निम्न तालिका - 1 से होता है -

तालिका - 1

मद	प्रतिशत राशि
आन्तरिक उधार व शुद्ध सार्वजनिक ऋण	24
केन्द्रीय करों में हिस्सा	17
बिक्रीकर	14
केन्द्रीय ऋण	12
सहायतार्थ अनुदान	10
कर भिन्न राजस्व	9
राज्य आबकारी शुल्क	7
वाहनों पर कर	3
अन्य कर	4
कुल योग	100

स्रोत राजस्थान पत्रिका

राज्य बजट की राशि किन मदों पर व्यय होगी इसका अनुमान निम्न तालिका - 2 से होता है

तालिका - 2

मद	प्रतिशत राशि
आयोजना भिन्न व्यय (ऋणों, लोक ऋणों और ब्याज के अतिरिक्त)	50
आयोजना व्यय	18
ब्याज भुगतान	14
आन्तरिक व केन्द्रीय ऋण	13
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं	5
कुल योग	100

स्रोत राजस्थान पत्रिका

बजट की समीक्षा
APPRAISAL OF BUDGET

चुंगी हटाने की घोषणा एक साहसिक कदम है। व्यापारी वर्ग और जनता को इससे राहत मिलेगी। चुंगी हटाने से जो राजस्व हानि होगी उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा इस बात के निर्णय के पश्चात ही वास्तविक प्रभावों की समीक्षा संभव है। बजट के किये गये प्रावधानों से राज्य में निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी। महिला उद्यमियों को भी राहत मिलेगी। प्राकृतिक गैस तेल की खोज के दूरगामी परिणाम संभव है। यदि खोज सफल होती है तो राजस्थान आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सकेगा शक्ति के साधनों का नया स्रोत भी उपलब्ध होगा। नई पर्यटन नीति की घोषणा का प्रस्ताव सराहनीय है लेकिन इस नीति का मूल्यांकन इसकी घोषणा के पश्चात ही संभव है नगरीय क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके विकास का प्रयास करना सराहनीय कदम है राजस्व नियमों में ढीलपोलनता को राहत मिलेगी। मण्डी विकास निधि का गठन किसानों को राहत देने वाला सिद्ध होगा। डेयरी सयंत्रों के आधुनिकीकरण से डेयरी उत्पादों के निर्यात की संभावना बढ़ेगी। सड़क निर्माण व कुओं के विद्युतीकरण की योजना से ग्रामीण क्षेत्र को राहत मिलेगी। एक लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण लक्ष्य कमजोर वर्ग के लिये लाभदायी होगा। वन विकास व पेयजल सुविधा का विस्तार सराहनीय प्रयास है 'प्रजनन व बाल स्वास्थ्य योजना' का शुभारंभ एक अच्छा कदम है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य का आरंभ और उत्तर साक्षरता व सतत शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार समय की आवश्यकता थी अतः सराहनीय है बजट के प्रावधानों से बजट को विकासोन्मुखी कहा जा सकता है। लेकिन बजट अवधि की समाप्ति तक इन प्रावधानों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है। इसी पर बजट की सफलता व असफलता निर्भर करेगी।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 राजस्थान में कुल व्यय में से विकास व्यय का प्रतिशत क्या है?
What is the percentage of development expenditure to total expenditure in Rajasthan?

2 यह कहा जाता है कि नवें वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र में पिछले आयोग की तुलना में दृष्टिकोण का परिवर्तन विद्यमान है। स्पष्ट कीजिए।
It is said that the terms of reference given to the Ninth Finance Commission involve some changes in approach compared to those of the previous Commissions Explain

3 केन्द्र तथा राज्य सरकारों के परस्पर वित्तीय संबंधों के बारे में संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या है? इस संबंध में दसवें वित्त आयोग की क्या सिफारिशें है?
What are the constitutional provisions for financial relations between the Central and State Governments? What are the recommendations of the Tenth Finance Commission in this respect?

4 बजट से आप क्या समझते है?

What do you mean by Budget.

5 राजस्थान के वर्तमान बजट की नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।

Explain the recent trends of pesent Budget of Rajasthan

6 ग्यारहवें वित्त आयोग का गठन कब व किस उद्देश्य से किया गया है?

Why & when the Eleventh Finance Commission was constituted?

B निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

1 राजस्थान की राजस्व-आय के प्रमुख स्रोतों का विवेचन कीजिए। राज्य में करों की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान किन दो करों का है?

Discuss the various sources of revenue receipt in Rajasthan. Analysis two major taxes of Rajasthan

2. राजस्थान की योजना स्रोतों का हिस्सा कैसे निर्धारित होता है? नवें वित्त आयोग की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में विवरण दीजिए।

How the Share of Rajasthan in plan resources in finalised? Explain it in the context of 9th Finance Commission

3 संघ और राज्यों के बीच साधनों का बंटवारा कैसे होता है? समझाईए।

How resources are distributed between centre and state? Explain

4 वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यह राज्यों का हस्तान्तरण किस आधार पर करता है?

What are the main functions of Finance Commission? How resources are transfered to the State?

5 राजस्थान में बजटीय प्रवृत्तियाँ बताईए तथा राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के सुझाव दीजिए।

Mention the budgetary trends in Rajasthan and also suggest the measures for the improvement in the financial conditions of the state

6 राज्य के राजस्व व्यय की प्रमुख मदें बतलाइए। किन मदों पर सरकारी व्यय सर्वाधिक है?

Mention the main heads of revenue expanditure in Rajasthan. On what items state government spends the most?

7 राज्य योजनाओं के लिए सूत्र-आधारित केन्द्रीय सहायता के वितरण की व्याख्या कीजिए। इसे राजस्थान के पक्ष में करने के लिए सुझाव यदि कोई हैं तो सुझाईए।

Discuss the distribution of formula -based central assistance for state plans. Suggest modifications if any to make it favourable to Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

1 राजस्थान राज्य के बजट की मुख्य प्रवृत्तियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write a short note on "State Budgetary Trends in Rajasthan

2 राजस्थान के बजट में राजस्व आय एवं राजस्व व्यय की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए तथा राजस्व घाटे को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए।

Analyse the trend of revenue receipts and revenue expanditure in the Budget of Rajasthan and also suggest the measures to bridge the revenue deficit.

3 राज्य योजना की वित्त व्यवस्था कैसे होती है? वित्त आयोग का इसमें क्या भूमिका है?

How the state plan finance resources are decided? Explain the role of Finance commission in this field

4 गाडगिल सूत्र क्या है? राजस्थान को इस सूत्र से अब तक योजना हस्तान्तरण की दृष्टि से क्या लाभ मिला है? क्या अक्टूबर 1990 का संशोधित गाडगिल सूत्र राज्य के हितों की अवहेलना करता है? इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दीजिए।

What is gadgil formula? What gains have been derived by this formula through plan transfer to the state of Rajasthan till today? Does the modified form of Gadgil Formula of oct. 1990 ignores the state interests? Comment on it.

5 विभिन्न वित्त आयोगों ने राजस्थान को करों व शुल्कों का विभाजन व सहायता अनुदान के रूप में जो धनराशि हस्तान्तरित की है, उसके स्वरूप व मात्रा को दर्शाईए। क्या इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है? विश्लेषण कीजिए।

Show the nature and uqantum of the amount transfered to Rajasthan in the form of taxes fees and grants-in-aid by the different finance commissions. Is it increasing regularly? Analyse

6 योजना आयोग द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता किन सिद्धान्तों पर आधारित है?

On what basis the financial aid is made available to states by planning Commission?

7 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए (i) राजस्थान के प्रमुख कर (ii) राज्य के व्यय की प्रमुख मदें
(iii) राज्य के बजट में राजस्व घाटा (iv) राज्य के बजट में कुल घाटा

Write short notes on (i) Main Taxes of Rajasthan (ii) Main items of expenditure of Rajasthan Govt.
(iii) Revenue deficit in state budget (iv) Overall budget deficit in state budget

❑ ❑ ❑

अध्याय – 24

राजस्थान में पंचायती राज

PANCHAYATI RAJ IN RAJASTHAN

"पंचायती राज से सत्ता में लोगों की भागीदारी बनी है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की विशेषताएं अथवा प्रावधान
- राजस्थान में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति ढांचा
- राजस्थान में पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा
- राजस्थान में पंचायती समितियां
- राजस्थान में पंचायती राज की कमियां व असफलताएं
- राजस्थान में पंचायती राज की कमियों को दूर करने के उपाय
- राजस्थान में पंचायती राज का मूल्यांकन
- अभ्यासार्थ प्रश्न

"राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उनको स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।" भारत के संविधान की धारा 40 में राज्य नीति निदेशक तत्त्व में पंचायती राज की इसी धारणा के अनुसार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुभारम्भ किया। वर्ष 1960 में पंचायतों के प्रथम चुनाव हुये। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 एवं पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम 1959 तथा 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये राजस्थान विधानसभा ने नया पंचायती राज अधिनियम 1994 को पारित किया जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के पश्चात 23 अप्रैल 1994 को सम्पूर्ण राज्य में लागू हो गया।

विभिन्न समस्याओं एवं प्रशासनिक बाधाओं के कारण पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों को तत्काल लागू नहीं किया जा सका। इस अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए पंचायती राज नियम

1996 जारी किये गये है। ये नियम 30 दिसम्बर, 1996 से सम्पूर्ण राज्य में विधिवत लागू कर दिये गये। नये नियम के अनुसार आवश्यक व्यवस्थायें की गई। वर्ष 1997 को जन अभियोजन निराकरण वर्ष के रूप मे मनाये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके अनुसरण में जिलाधीश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके है। राज्य के सभी जिलो में जिला आयोजना समितियो का गठन किया जा चुका है जो जिले में नव निर्माण कार्य विभागो में समन्वय ग्रामीण स्वास्थ्य विकास, पर्यावरण व्यवस्था एव उपलब्ध संसाधनों का सुचित उपयोग का विभागो का कार्य संचालित करेगी।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की विशेषतायें अथवा प्रावधान

CHARACTERISTICS OR PROVISIONS OF PANCHAYAT RAJ ACT 1994 IN RAJASTHAN

राजस्थान पचायत राज अधिनियम 1994 की विशेषतायें अथवा प्रावधान निम्न है -

(1) त्रिस्तरीय पद्धति - राज्य में पूर्व की भाति पचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति कायम रहेगी -ग्राम स्तर पर ग्राम पचायत ब्लॉक स्तर पर पचायत समिति एव जिला स्तर पर जिला परिषदें रहेंगी। लोकसभा एव विधानसभा के चुनावो की भाति राज्य की पचायती राज सस्थाओं के चुनाव भी प्रत्येक पाच वर्ष मे होगे।

(2) महिलाओं की सहभागिता - राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में साक्षरता के कम प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गो और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरपच के पद के लिये साक्षरता होने की जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की हुई थी उसे निरस्त कर दिया है, जिससे कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति या स्त्री चाहे वे निरक्षर हो, पचायती राज सस्थाओं में चुनाव लड सकें।

(3) ग्राम सभा - पचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार सरपच/उप सरपच को वर्ष में दो बार ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से बुलानी होगी। ग्राम सभा को पहली बार सवैधानिक दर्जा दिया गया है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून और वित्तीय वर्ष की अतिम तिमाही जनवरी से मार्च के लिए यदि ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई गई तो सरपच का पद स्वत ही रिक्त घोषित माना जायेगा। ग्राम सभा में 1/10 मतदाता उपस्थिति होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक में आय- व्यय का लेखा, बजट, आगामी वर्ष में प्रस्तावित विकास कार्य ऑडिट एतराज एव उनके उत्तर तथा गाव की अन्य सार्वजनिक समस्याओं पर विचार विमर्श होगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन भी ग्राम सभा द्वारा ही किया जायेगा। ग्राम सभा के द्वारा विचार - विमर्श एव सुझावों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पचायत द्वारा योजनाओं की क्रियान्विति होगी। बजट के अनुसार व्यय किये जाने का प्रावधान है। यदि बजट अथवा योजना में किसी प्रकार सशोधन आवश्यक है तो दूसरी ग्राम सभा की बैठक में उसको पारित कराना होगा। विकास अधिकारी या उसके द्वारा नामांकित प्रसार अधिकारी ग्रामसभा की बैठक में भाग लेगे और उसकी सही कार्यवाही बैठक रजिस्टर मे अंकित कर जिम्मेदार होगे।

(4) उम्मीदवारों की आयु - नये अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाला कोई भी पुरुष या महिला पचायत चुनावों में किसी पद के लिए उम्मीदवार बन सकता/सकती है। जबकि पूर्व में आयु की न्यूनतम सीमा 25 वर्ष थी।

(5) सतर्कता समिति - पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पचायत के लिए ग्राम सभा सतर्कता समिति का गठन करेगी, जिसम ऐसे चुने हुए व्यक्ति होंगे जिनमें जनता का विश्वास हो। उनकी यह जिम्मेदारी होगी कि ग्राम सभा के निर्देशों के अनुसार देखें कि ग्राम पचायत योजनाओ की एव नये कार्यक्रमों की क्रियान्विति ठीक प्रकार के करती है अथवा नहीं। इसकी समीक्षा रिपोर्ट आगामी ग्राम सभा के समक्ष पेश की जायेगी। इस प्रकार सतर्कता समितिया ग्राम पचायत के कार्यो पर ग्राम सभा के माध्यम से नियत्रण रख सकेगी।

(6) पचायत चुनाव - लोकसभा एव विधानसभा की तरह धारा 17 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से पचायत/पचायत समिति एव जिला परिषद के भी चुनाव हुआ करेंगे। जिस प्रकार लोकसभा एव विधान सभा के चुनाव कराने हेतु स्वतत्र चुनाव आयोग है इसी प्रकार पचायती राज सस्थाओं के भी हर 5 वर्ष में नियमित रूप से चुनाव कराने के लिए एक स्वतत्र राज्य चुनाव आयोग स्थापित होगा। इस सदर्भ में लेख है कि राज्य सरकार ने पचायती राज्य सस्थाओं एव नगरपालिकाओं के स्वतत्र एव निष्पक्ष नियमित रूप से चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का श्री अमरसिंह राठौड की अध्यक्षता में गठन किया है तथा आयोग ने अपना कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी होगी कि 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही चुनाव की तैयारिया शुरू कर दे ताकि निर्धारित समय पर नई

पचायती राज सस्थाए गठित हो सकें। यदि किसी कारणवश पचायत भग हो तो अधिकतम 6 माह की अवधि में नई पचायत आवश्यक रूप से चुनाव धारा 17(3) के अनुसार गठित करनी होगी।

(7) प्रत्यक्ष चुनाव - राज्य मे अब तक केवल पच और सरपचों के ही सीधे चुनाव होते थे। लेकिन पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 एव 14 के अनुसार पचायत समिति एव जिला परिषद के सदस्य भी विधायक की तरह सीधे मतदाताओं के द्वारा चुने जायेगे। नई व्यवस्था मे पचायती राज के प्रत्येक जन प्रतिनिधि को सीधे रूप से जनता मे निर्वाचित होकर आना पडेगा। ग्राम पचायत के सरपच और पच का चुनाव पूर्व की भाति सीधी मतदान प्रणाली से होगा। पचायत समितियो के सदस्यों का चुनाव भी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होगा तथा पचायत समिति के लिए सीधे रूप से निर्वाचित सदस्यो मे ही प्रधान और उपप्रधान का चुनाव किया जायेगा। जिला परिषद के सदस्यो का चुनाव भी मतदाताओ द्वारा सीधा मतदान प्रणाली से होगा और इन सीधे रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही जिला परिषद के प्रमुख और उपप्रमुख का चुनाव किया जायेगा। धारा 19 के अनुसार पचायती राज सस्थाओं मे 25 वर्ष की बजाय 21 वर्ष की आयु वाले भी चुनाव लड सकेंगे। नई पचायती राज व्यवस्था में अब सरपच पचायत समिति के सदस्य नहीं होंगे। पचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य नहीं होगे। विधायक भी पचायत समिति के निर्णयों में तो हिस्सा लेंगे परन्तु वे प्रधान व उप प्रधान के चुनाव म वोट नहीं दे सकेंगे। विधायक एव सासद सदस्य जिला परिषद की बैठको में भाग लेंगे, लेकिन जिला परिषद के प्रमुख एव उप प्रमुख या अविश्वास प्रस्ताव में भाग नही लेगे।

(8) ग्राम पचायत की सरचना - पचायत राज अधिनियम 994 की धारा 12 के अनुसार सरपच के अलावा 3000 तक की जनसख्या वाली ग्राम पचायत म कम से कम 9 वार्ड मेम्बर निर्वाचित होंगे। 3000 से अधिक जनसख्या वाली पचायतों मे प्रत्येक 1000 की जनसख्या उसके किसी भाग पर 2-2 अतिरिक्त सदस्य चुने जायेंगे। यदि किसी पचायत की जनसख्या 4200 है तो प्रथम 3000 पर 9 दूसरे 1000 पर अतिरिक्त 2 तथा शेष 200 पर भी अतिरिक्त 2 पच अर्थात कुल 13 वार्ड पच व एक सरपच उस पचायत मे चुने जायेंगे।

(9) पचायत समिति की सरचना - पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार एक लाख की जनसख्या वाली पचायत समिति म कम से कम 15 सदस्य चुने जायेंगे। प्रत्येक 15 हजार या उसके किसी भाग पर 2-2 अतिरिक्त सदस्य निर्वाचित होंगे। यदि किसी पचायत समिति की जनसख्या 1,35,000 है तो प्रथम एक लाख पर 15 सदस्य, दूसरे और तीसरे 15-15 हजार पर 2-2 सदस्य तथा शेष 4 हजार पर भी 2 सदस्य कुल 21 सदस्य उस पचायत समिति मे होंगे। एक या दो उसके क्षेत्र के विधायक भी उस पचायत समिति के एक्स ऑफिशियो के सदस्य होंगे। सरपच न तो पचायत समिति के सदस्य होगे और न ही प्रधान/उपप्रधान के चुनाव में भाग लेंगे।

(10) जिला परिषद की सरचना - पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख तक ग्रामीण जनसख्या हेतु 17 सदस्य निर्वाचित होगे। प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख या उसमे किसी भाग पर 2-2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। यदि किसी जिला परिषद के क्षेत्र की जनसख्या 5 20,000 है तो प्रथम 4 लाख पर 17 सदस्य होगे दूसरी एक लाख पर 2 सदस्य और शेष 20 000 पर भी दो सदस्य होगे। इस प्रकार कुल 21 सदस्य उस जिला परिषद के होंगे। प्रमुख एव उप प्रमुख इन्ही निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्ही में से चुने जायेंगे। जिले के विधायक एव सासद सदस्य तथा राज्यसभा सदस्य, जिस जिले के मतदाता हो, सबधित जिला परिषद के सदस्य तो होगे लेकिन प्रमुख एव उप प्रमुख के चुनाव या होने वाली बैठक मे भाग नहीं ले सकेंगे। धारा 20 मे प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दो पचायती राज सस्थाओं का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकेगा। दो पचायती राज सस्थाओं में निर्वाचित होने पर पूर्व की सीट रिक्त समझी जायगी। धारा 21 के अनुसार विधानसभा सदस्य अथवा सासद सदस्य यदि सरपच, प्रधान या प्रमुख निर्वाचित हो ता 14 दिन मे विधानसभा / लोकसभा आदि से त्याग पत्र देना होगा अन्यथा, प्रधान या प्रमुख का स्थान रिक्त माना जायेगा।

(11) आरक्षण - (अ) महिलाओं के लिए पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अनुसार राज्य की पचायती राज सस्थाओं में पहली बार महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित किये गये है। एक तिहाई पच प्रत्येक गाव पचायत म एक तिहाई सरपच पचायत समिति में एक तिहाई प्रधान प्रत्येक जिले मे तथा एक तिहाई जिला प्रमुख पूरे राज्य मे महिलाए होंगी। राज्य सरकार द्वारा लाटरी पद्धति म महिला वार्ड/महिलाए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कर दिए गये है। महिला वार्ड या महिला निर्वाचन क्षेत्र से केवल महिलाए चुनाव लड सकेंगी। परन्तु पुरुष वार्ड में भी महिलाए चाहे तो चुनाव लड सकती है। इस प्रकार राज्य में 3058 महिला सरपच 79 महिला प्रधान, 10 महिला प्रमुख एव लगभग 1150 पचायत समिति एव जिला परिषद की सदस्य महिलाए होगी। लगभग 3000 से अधिक महिला

राजस्थान में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति, सफलतायें अथवा उपलब्धियां
PRESENT POSITION & ACHIEVEMENT OF PANCHAYATI RAJ IN RAJASTHAN

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 30 दिसम्बर 1996 से पंचायती राज विधिवत रूप से लागू किया गया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है -

(1) राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं - राजस्थान राज्य में 32 जिले, 32 जिला परिषदें, 229 तहसीलें, 100 उपखण्ड, 237 पंचायत समितियां, 9184 ग्राम पंचायतें, कार्यरत है। राज्य में पंचायती राज के 3 प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है। इन केन्द्रों की वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 250 व्यक्ति है।

(2) राजस्थान में पंचायती राज का जिले वार स्वरूप - राजस्थान में 237 पंचायत समितियाँ कार्यरत है। सर्वाधिक पंचायत समितियां अलवर (14) और चित्तौड़गढ (14) में है। सबसे कम पंचायत समितियाँ हनुमानगढ (3) और जैसलमेर (3) मे है। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें उदयपुर जिले में है और जैसलमेर मे सबसे कम ग्राम पंचायते है। राज्य में पंचायती राज का वर्तमान जिलेवार स्वरूप निम्न तालिका में दिया गया है -

पंचायती राज का जिलेवार स्वरूप

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत (नवगठित) 1991	ग्राम 1991	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	ग्रामीण जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	8	276	1001	8156 33	1034536	174950	31378
2	अलवर	14	476	1991	8220 66	1999569	364936	177913
3	बारां	7	215	1599	612 55	700740	130631	168446
4	बांसवाड़ा	8	325	1462	5011 41	1065883	52029	841820
5	बाड़मेर	8	380	1634	28327 71	1319485	208417	81290
6	भरतपुर	9	372	1454	4935 44	1331981	279971	34916
7	[illegible]	11	378	1620	10101 91	1308134	229342	134076
8	[illegible]	4	189	650	27059 16	745602	171561	1384
9	[illegible]	4	181	841	5384 95	635744	121847	151139
10	चित्तौड़गढ़	14	391	2379	10703 43	1281463	190302	294424
11	चूरू	7	279	965	16636 77	1097172	254774	5277
12	[illegible]	5	225	1052	3345 08	900098	197754	259797
	[illegible]	4	153	569	2909 70	620654	129185	33923
14	[illegible]	5	237	850	3742 73	815628	35811	567122
15	[illegible]	7	320	2998	12643 02	1046579	394047	2115
16	[illegible]	3	251	1992	8053 02	1002256	273205	1486
17	[illegible]	13	488	2187	10404 79	2053393	353653	240236
18	जैसलमेर	3	129	578	38266 73	290917	44784	14854
19	[illegible]	7	264	676	10592 31	1059355	187691	91704
20	झालावाड़	[illegible]	251	1585	6136 62	841409	148223	106532
21	झुन्झुनूं	[illegible]	288	827	5786 30	1280842	193093	29006
22	जोधपुर	9	333	853	22641 40	1386933	235670	43292
23	[illegible]	[illegible]	224	729	4981 64	800262	168816	208709
24	कोटा	5	161	502	4923.23	630816	151852	98595
25	नागौर	11	461	1396	17448 72	1816239	382472	4244
26	[illegible]	10	320	919	12074 47	1187375	222516	73544
27	राजसमंद	7	205	904	4256 48	704790	90624	94215
28	सवाई माधोपुर	5	197	858	5378 57	729176	49804	187487
29	सीकर	[illegible]	329	946	7540 31	1455393	213948	44919
30	सिरोही	5	151	461	5056 63	535466	103739	143480
31	टोंक	6	231	1099	7027 98	784566	163721	113972
32	उदयपुर	11	498	2303	11527 43	1699429	98335	941456
	योग	237	9'184	39810	329345 53	34102305	6142702	5224751

स्रोत - कृषि विभाग 1997-98 [illegible] एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान

1 कृषि विभाग 1997 98 [illegible] एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान

(3) राजस्थान मे पचायती राज का प्रशासनिक ढाचा

राजस्थान में पचायती राज का नवीन स्वरूप सुदृढ है। नवीन व्यवस्था में सगठन एव प्रबन्ध व्यवस्था को मजबूत बनने का प्रयास किया गया है। राजस्थान में वर्तमान प्रशासनिक सगठन को निम्न तालिका में बताया गया है

राज्य स्तर

ग्रामीण विकास एव पचायती राज विभाग प्रशासनिक सगठन

मंत्री ग्रामीण विकास एव पचायती राज विभाग

प्रमुख शासन सचिव एव विकास आयुक्त ग्रामीण विकास एव पचायती राज विभाग

निदेशक एव विशिष्ट शासन सचिव
ग्रामीण विकास एव पचायती राज विभाग

उप शासन सचिव एव पदेन उप विकास आयुक्त (3) विधि प्रशिक्षण प्रशासन उप विधि परामर्शी विधि सहायक

उप विकास आयुक्त (2) प्रशासन-II जांच

वित्तीय सलाहकार लेखाधिकारी (2) सहायक लेखाधिकारी

उपनिदेशक (प्रशि) (1) उपनिदेशक (प्रशि)

सांख्यिकी अधिकारी (1)

सम्पादक (1) सह सम्पादक (1)

वरिष्ठ नगर नियोजक
अधिशाषी अभियन्ता (1)
ट्रेनिंग कार्डिनेटर ( )
सहायक अभियन्ता (1)

जिला परिषद् स्तर

प्रमुख/उप प्रमुख/निर्वाचित सदस्य/स्थाई समितिया

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एव पदेन सचिव जिला परिषद्

सहायक अभियन्ता (ग्रामीण विकास) | लेखाधिकारी सहायक लेखाधिकारी | अतिरिक्त उप जिला शिक्षा अधिकारी | सहायक सचिव

पचायत समिति स्तर

प्रधान/उप प्रधान निर्वाचित सदस्य/स्थाई समितियाँ
विकास अधिकारी

प्रसार अधिकारी (सहकारिता शिक्षा प्रगति खादी एव कनिष्ठ अभियंता)

ग्राम पचायत स्तर

सरपंच/उप सरपंच/निर्वाचित पंच
ग्राम सेवक एव पदेन सचिव ग्राम पचायत

(4) विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास एव पचायती राज विभाग के माध्यम से सचालित कार्यक्रमों मे आवासीय भू खण्ड आवटन आवासीय अनुदान सहायता ग्रामीण शौचालय एव स्वच्छता कार्यक्रम प्रमुख सडकों पर सेवा सुविधाओं का कार्यक्रम उपग्रह गावों का विकास कार्यक्रम एव हैण्ड पम्प सुधारण कार्यक्रम आदि प्रमुख है। पचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 50 के अनुसार ग्राम पचायतें आर्थिक दृष्टि से पिछडे वर्ग के व्यक्तियों का 150

वर्ग गज क्षेत्रफल का आवासीय भू खण्ड आवंटन करने के लिए अधिकृत है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के भूमिहीन परिवार ग्रामीण कारीगर लघु एवं सीमान्त कृषक गाडिया लुहार घुमक्कड जाति के परिवार तथा विकलांग जो ग्राम में स्थाई निवास कर रहे हों तथा ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों ऐसे व्यक्ति भू खण्ड प्राप्त करने के पात्र है। वर्ष 1996-97 तक आवासीय भू-खण्ड नि शुल्क दिये जाते रहे है। तथा वर्ष 1997 98 से आवासीय भूखण्ड राजस्थान पंचायती राज नियम 158 (1) व 158(2) के प्रावधानों के अनुसार रियायती दरों पर आवंटित किये जा रहे है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974 75 से मार्च 97 तक 16 90 863 परिवारों को भू खण्ड आवंटित कर लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1997 98 के दौरान 30 000 रियायती दर पर आवासीय भू खण्डों के लक्ष्यों के विरूद्ध जनवरी 1998 तक 22 986 परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटित कर लाभान्वित किया जा चुका है जिसमें अनुसूचित जाति के 9270 परिवारों को व अनुसूचित जन जाति के 4202 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(5) पंचायती राज संस्थाओं की भवन व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं जैसे जिला परिषद / पंचायत समितियों के भवन की व्यवस्था एवं दुरूस्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997 98 में 50 00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया हैं जिसमें 3 जिला परिषदों एवं 7 पंचायत समितियों के उनके कार्यालय भवन निर्माण/ परिवर्तन/ परिवर्धन एवं मरम्मत हेतु 15 00 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा नव गठित जिला हनुमानगढ़ में जिला परिषद् कार्यालय के भवन के निर्माण हेतु 25 00 लाख व अन्य जिला परिषद व पंचायत समितियों को 10 00 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में जारी कर दी जावेगी।

(6) चौपाल (पंचायत विश्रान्ति ग्रह) पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के जयपुर प्रवास के दौरान उनके ठहरने के लिये चौपाल (पंचायत विश्रान्ति ग्रह) का निर्माण कराया गया है । इस भवन में 24 कमरे 5 डोरमेन्ट्री कान्फ्रेन्स हाल एवं आगन्तुकों के ठहरने के लिये चौपाल में चाय नाश्ता एवं भोजन हेतु कैन्टीन की व्यवस्था इस वर्ष से की गई है। चौपाल भवन के लिये 9 0 लाख रुपये का बजट में प्रावधान इस वर्ष किया गया है । माह दिसम्बर तक 5 42 लाख रुपये की राशि स्टाफ के वेतन आदि एवं अन्य कार्यों में खर्च किये जा चुके है तथा शेष राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जावेगा। इस वर्ष चौपाल में आगन्तुकों के ठहरने पर दिसम्बर 97 तक 0 90 लाख की आय हुई है।

(7) जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण - पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंचायती राज का कार्य प्रणाली नियमों अधिनियमों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की जा रही ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं की जानकारी राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों पर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों द्वारा दी जाती है। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर एवं उदयपुर ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर एवं डूंगरपुर में आयोजित किये जाते है। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक संभाग में पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र हेतु शेष संभागों (जयपुर कोटा व बीकानेर) में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

इस वर्ष 307 पदाधिकारियों एवं 407 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त नव चयनित ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिवों में से 643 ग्राम सेवक पदेन पंचायत सचिवों को उनके कार्य से सम्बन्धित नियमित प्रशिक्षण 3 माह की अवधि का आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया है।

विभाग के अधीनस्थ प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये 74 62 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया हैं।

(8) संस्थाओं का निरीक्षण एवं जांच विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण एवं जांच का कार्य सम्पादित किया जाता है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण रखा जाता है एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पर अंकुश रहता है।

(9) वित्तीय प्रबन्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अन्तर्गत विकास कार्यों के क्रियान्वयन प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तैण्ड पम्पों के रखरखाव परिवार कल्याण तथा फसल वृद्धि आदि हेतु वित्तीय प्रबन्ध आयोजना आयोजना भिन्न तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत किया जाता है। वर्ष 1997 98 में विभाग की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

(करोड़ रुपए में)

मद	वर्ष 1997-98 बजट प्रावधान आयोजना	आयोजना भिन्न	के प यो	योग
1 ग्रामीण विकास एव पचायती राज पचायती राज का नवजीवीकरण प्रशिक्षण पचायती राज सस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान उन्नत चूल्हा ग्रामीण स्वच्छता एव ग्रामीण आवासीय योजनाये राज्य वित्त आयोग दसवा वित्त आयोग	148 52	56 35	3 39	208.06
2. शिक्षा (सामान्य कमाण्ड व जनजातीय क्षेत्र आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना एव अनौपचारिक शिक्षा)	31 86	430 80	48 95	511 61
3 हैण्ड पम्पों के रख रखाव हेतु जिला परिषद व पचायत समितियो को सहायता		8.63		8 63
4 परिवार कल्याण फसल वृद्धि इत्यादि		0.15	0.27	0 42
कुल	180 18	496 13	52.61	728.92

स्रोत प्रगति विवरण 1997-98 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान

10 विकेन्द्रीकृत वित्तीय नियोजन राज्य मुख्यालय जिला परिषद व पचायत समिति स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आवश्यकतानुसार एव वित्तीय उपलब्धता के आधार पर बजट अनुमान बनाये जाते है ।

वित्तीय उपलब्धता जिला परिषद व पचायत समिति स्तर पर केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार के आयोजना व आयजना भिन्न मद के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि तथा इन सस्थाओं की निजी आय से होती है। मुख्यालय स्तर पर सभी अनुमानों का इकजाई कर राज्य सरकार के आयोजना एव वित्त विभाग के साथ बजट अन्तिमिकरण बैठकों में तय की जाती है जिसे राज्य विधानसभा में पारित होने के पश्चात राज्य सरकार के बजट में दर्शाया जाता है। पचायती राज अधिनियम पचायती राज नियमों व समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशा परिपत्रा द्वारा पचायती राज सस्थाओं द्वारा धनराशि के स सवरण, ससाधनों के समुचित उपयोग लेखों के सही सधारण और वित्ताय प्रतवेदन सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्थायें की गई है।

(11) राज्य वित्त आयोग राज्य के नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 के अनुसार राज्यपाल महोदय द्वारा पूव केन्द्रीय मत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता म राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग मे पूर्व वित्त मत्री एव कांग्रेसी विधायक श्री चदनमल वैद्य एव पूर्व निदेशक ग्रामीण विकास एव पचायती राज विभाग श्री देवेन्द्र सिह शक्तावत का सदस्य मनानित किये गये है। श्री टी श्रीनिवासन इस आयोग के सदस्य सचिव के रूप म मनानित किये गये है।

राज्य वित्त आयोग राज्य को सभी स्तरों की पचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार को अग्रलिखित बिन्दुओं पर सिफारिश करेगा

1 पचायत पचायत समिति व जिला परिषद के बीच राज्य सरकार के करों शुल्कों अन्य करों एव फीस शुद्ध प्राप्तियों का वितरण करना एव उनके मध्य अशों का आवटन।

2 ऐसे कर शुल्क पथ कर फीस जो पचायती राज सस्थाओं द्वारा समानुदेशित अथवा विनियोजित किये जा सकेंगे।

3 राज्य सचित निधि में से पचायत पचायत समिति व जिला परिषद को सहायता अनुदान।

4 पचायतीराज सस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के आवश्यक उपाय।

पचायती राज सस्थाओं को सुदृढ करने के उद्देश्य से गठित राज्य वित्त आयोग ने राज्य की जिला परिषदों पचायत समितियों व ग्राम पचायतों की वित्तीय व्यवस्था स्टाफ की स्थिति व कार्य प्रणाली आदि के सभी आयामों की विस्तृत विवेचना कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिन्हें राज्य सरकार ने वर्ष 1995-96 से मान लिया है। चालू वित्तीय वर्ष में भू-राजस्व के विरूद्ध मद 3604 में ग्राम पचायतों को 5 00 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान एव राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत सामान्य अनुदान रुपये 7 20 प्रति व्यक्ति पचायत समितियो को 0 25 रुपये मद 3604 से एव राज्य वित्त आयोग मद से रुपये 1 00 प्रति व्यक्ति अनुदान देय हैं। (यह राशि एम एफ सी के अवार्ड के अनुसार पिछले वर्ष 1995-96 से देय अनुदान में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर तय हुई है) व प्रत्येक जिला परिषद को 30 000 रुपया दिया जा रहा है।

आयोग की सस्थापन अनुदान सम्बन्धी अभिशषा को मानते हुये वर्ष 1997-98 में प्रत्येक ग्राम पचायत में एक पद ग्राम सेवक करने हेतु शेष 3992 पदो में से इस वर्ष 800 पद सृजित किये गये है। नये पद सृजित किये गये है तथा 237 कनिष्ठ अभियन्ता व 237 कनिष्ठ लिपिकों के भी पद स्वीकृत कर दिये गये है वर्ष 1997-98 के लिये इस मद में राशि रु 5950 00 लाख का प्रावधान है। ।

(12) विभागीय प्रकाशन (Department of Publication) - ग्रामीण विकास एव पचायती राज विभाग द्वारा "राजस्थान विकास" पत्रिका का प्रकाशन माह अगस्त 1993 से नियमित रूप से किया जा रहा है यह पत्रिका द्वै मासिक है। इस पत्रिका में राज्य सरकार क आदेश परिपत्रों, ग्रामीण विकास एव पचायती राज तथा ग्रामीण जनता के उत्थान की विविध योजनाओं एव कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

राजस्थान विकास पत्रिका की प्रतिया राज्य की समस्त पचायती राज सस्थाओं को नियमित रूप से प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका के अन्य भी ग्राहक है, जिन्हें सशुल्क यह पत्रिका भिजवाई जाती है।

"राजस्थान विकास" पत्रिका के अलावा विभाग के अन्य प्रकाशन भी प्रकाशन शाखा द्वारा सम्पादित किये जाते है।

(13) पचायती राज एव शिक्षा (Panchayati Raj & Education) - ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व पचायती राज सस्थाओं का है। नए पचायती राज अधिनियम के अनुसार उच्च प्राथमिक शालाए भी पचायती राज को सुपुर्द हो सकती है। शाला व्यवस्था हेतु ग्राम स्तर पर शिक्षा समिति का गठित होना चाहिए। सन् 2000 तक "सबके लिए शिक्षा" का लक्ष्य रखा गया है। गाव, पचायत, पचायत समिति व जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठकें होती है। समस्याए दूर की जाती है। नव साक्षरों की परीक्षा लेकर यदि 80 प्रतिशत निरक्षर साक्षर हो जाते है तो जिले को सम्पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाता है।

(14) पचायती राज में महिलाओंका प्रतिनिधित्व (Women Representation In Panchayati Raj) - पचायती राज का पहलू पचायत सस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण है। सविधान सशोधन की व्यवस्थाओं के अनुसार पचायत समितियों के तीनों स्तरों में कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए है। साथ ही तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के एक-तिहाई पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओ के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

पचायतों को मुख्य रूप से विकास कार्यों का दायित्व सौंपा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, खेती, लघु उद्योग, आर्थिक आधार को मजबूत बनाएगे और राजस्व प्रशासन, न्याय व्यवस्था, नागरिक आपूर्ति और अपराध नियत्रण विषयों से स्थानीय लोगों के सामाजिक परिवेश को सुधारने में मदद मिलेगी। महिलाए स्वभावत इसमें सशक्त भूमिका निभाएगी, इसमें किसी प्रकार का सदेह नहीं होना चाहिए।

(15) राजस्थान की पचायत समितियां (Panchayat Samitis of Rajasthan) - राजस्थान राज्य में 237 पचायत समितिया है इन समितियों का जिलेवार वितरण निम्न है -

राज्य की पचायत समितिया

1 अजमेर (Ajmer)

श्री नगर (Srinagar)	पीसागन (Pisangan)	जवाजा (Jawaja)	मसूदा (Masuda)
केकडी (Kekri)	भिनाय (Bhinai)	सिलोरा (Silora)	अराई (Arain)

2 अलवर (Alwar)

किशनगढ बास (Kishangarh Bas)		कोट कासीम (Cot Qasim)	राजगढ (Rajgarh)
उमरैण (Umrain)	लक्ष्मणगढ (Laxmangarh)	तिजारा (Tijara)	कठूमर (Kathumar)
मुण्डावर (Mandawar)	रामगढ (Ramgarh)	बहरोड (Bahror)	नीमराना (Nimrana)
बानसुर (Bansur)	थानागाजी (Thana Gazi)	रेणी (Reni)	

3 बारा (Baran)

बारां (Baran) अन्ता (Anta) अटरू (Atru) शाहबाद (Shahbad)
छीपाबड़ोद (Chhipa Barod) छबड़ा (Chhabra) किशनगढ (Kishangarh)

4 बासवाडा (Banswara)

गढी (Garhi) कुशलगढ (Kushalgarh) सज्जनगढ (Sajjangarh) बागीडोरा (Bagidora)
भूखिया (Bhukha) घाटोल (Ghatol) पिपलखूंट (Peepal Khoont) आनन्दपुरी (Anandpuri)

5 बाडमेर (Barmer)

सिवाना (Siwana) शिव (Shiv) बालोतरा (Balotra) चौहटन (Chohtan)
धौरामन्ना (Dhonmanna) बायतू (Baytu) बाडमेर (Barmer) सिणधरी (Sindari)

6 भरतपुर (Bharatpur)

डीग (Deeg) नगरपहाडी (Nagarphan) कामा (Kaman) बैर (Wer) बयाना (Bayana)
रूपवास (Rupvas) नदबई (Nadbai) सेवर Sewar) कुम्हेर (Kumher)

7 भीलवाडा (Bhilwara)

माण्डलगढ (Mandalgarh) शाहपुरा (Shahapura) सुवाना (Suwana) माण्डल (Mandal)
आसीन्द (Asind) हुरडा (Hurda) बनेडा (Banera) जहाजपुरा (Jahazpur)
रायपुर (Raipur) कोटडी (Kotri) सहाडा (Sahara)

8 बीकानेर (Bikaner)

नोखा (Nokha) लूणकरणसर (Lunkaransar) कोलायात (Kolayat) बीकानेर (Bikaner)

9 बूंदी (Bundi)

तालेडा (Talera) हिण्डोली (Hindoli) नैनवा (Naenwa) केशोरायपाटन (Keshorai patan)

10 चित्तौडगढ (Chittaurgarh)

बेगूं (Begun) चित्तौडगढ Chittaurgarh) राशमी (Rashmi) कपासन (Kapasan)
प्रतापगढ (Pratap garh) निम्बाहेडा (Nimbahera) भदेसर (Bhadesar) डूंगला (Dungla)
छोटी सादडी (Chhotisadri) अरनोद (Arnaud) भैंसरोडगढ (Bhainsrorgarh)
बडी सादरी (Bari Sadri) भोपालसागर (Bhopal sagar) गंगरार (Gangrar)

11 चुरू (Churu)

चुरू (Churu) रतनगढ (Ratangarh) सरदारशहर (Sardarshahar)
राजगढ (Rajgarh) तारानगर (Taranagar) सुजानगढ (Sujangarh) डूंगरगढ (Dungargarh)

12 दौसा (Dausa)

महुवा (Mahuwa) बांदीकुई (Bandikui) लालसोट (Lalsot) दौसा (Dausa) सिकराय (Sikrai)

13 धौलपुर (Dhaulpur)

धौलपुर (Dhaulpur) बसेडी (Baseri) बाडी (Bari) राजखेडा (Rajakhera)

14 डूंगरपुर (Dungarpur)

सागवाडा (Sagwara) सिमलवाडा (Simalwara) बिछीवाडा (Bichhiwara) डूंगरपुर (Dungarpur)
आसपुर (Aspur)

15 हनुमानगढ (Hanumangarh)

हनुमानगढ (Hanumangarh) नोहर (Nohar) भादरा (Bhadra)

16 गंगानगर (Ganganagar)

रायसिंह नगर (Raisingh nagar) करणपुर (Karanpur)
सादुलशहर (Sadulshahar) श्रीगंगानगर (Shri Ganganagar)
सूरतगढ (Suratgarh) पदमपुर (Padampur) अनुपगढ (Anupgarh)

17 जयपुर (Jaipur)

बस्सी (Bassi) सांगानेर (Sanganer) झोटवाडा (Jhotwara) फागी (Phagi)
साभर (Sambhar) दूदू (Dudu) गोविन्दगढ (Govindgarh) आमेर (Amer)
जमवा रामगढ (Jamwa Ramgarh) विराटनगर (Viratnatgar) कोटपुतली (KotPutli
चाकसू (Chaksu) शाहपुरा Shahpura)

18 जैसलमेर (Jaisalmer)

साकडा (Sankra) जैसलमेर (Jaisalmer) सम (Sam)

19 जालौर (Jalore)

आहोर (Ahore) जालौर (Jalore) सायला (Saila) भीनमाल (Bhinmal)
जसवन्तपुरा (Jaswantpura) साचौर (Sanchor) रानीवाडा (Raniwara)

20 झालावाड (Jhalawar)

झालरापाटन (Jhalrapatan) खानपुर (Khanpur) डग (Dag) पिडावा (Pirawa)
बकानी (Bakani) मनोहरथाना (Manohar Thana)

21 झुझुनू (Jhunjhunu)

झुझुनू (Jhunjhunu) अलसीसर (Alsisar) बुहाना (Buhana) खेतडी (Khetri)
उदयपुरवाटी (Udaipurwati) नवलगढ (Nawalgarh) चिडावा (Chirawa) सूरजगढ (Surajgarh)

22 जोधपुर (Jhodhpur)

ओसियां (Osian) बिलाडा (Bilara) भोपालगढ Bhopalgarh) मण्डोर (Mandore)
लूनी (Luni) शेरगढ (Shergarh) बालेसर (Balesar) फलोदी (Phalodi) बाप (Bap)

23 करोली (Karauli)

हिण्डोन (Hindaun) करोली (Karauli) सपोटरा (Sapotra) टोडाभीम (Todabhim) नादोती (Nadoti)

24 कोटा (Kota)

लाडपुरा (Ladpura) चेचट (खैराबाद) (Chechar) सागोद (Sangod) सुल्तानपुर (Sultanpur) इटावा (Itawa)

25 नागौर (Nagaur)

डीडवाना (Didwana) लाडनू (Ladnun) कुचामन सिटी (Kuchaman City)
नागौर (Nagaur) मुण्डवा Mundwa) जायल (Jayal) मकराना (Makrana)
परबतसर (Parvatsar) डेगाना (Degana) मेडता (Merta) रियां (Riyan)

26 पाली (Pali)

बाली (Bali) सुमेरपुर (Sumerpur) खारची (Kharchi) रानी स्टेशन (Rani) देसूरी (Desuri)
जैतारण (Jaitaran) रायपुर (Raipur) सोजत (Sojat City) पाली (Pali) रोहट (Rohit)

27 राजसमन्द (Rajsamand)

राजसमन्द (Rajsamand) कुम्भलगढ (Kumbhalgarh) रेलमगरा (Railmagra) आमेट (Amet)
देवगढ (Deogarh) खमनौर (Khamnor) भीम (Bhim)

28 सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur)

गगापुर (Gangapur) स माधोपुर (Sawai Madhopur) खण्डार (Khandar)
बौली (Bonli) वामनवास (Bamanwas)

29 सीकर (Sikar)

लक्ष्मणगढ (Lachmangarh) फतेहपुर (Fatehpur) पिपराली (Piprali)
धोद (Dhaod) दाता रामगढ (Danta Ramgarh) श्री माधोपुर (Sri Madhopur)
खण्डेला (Khandela) नीम का थाना (Neem ka Thana)

30 सिरोही (Sirohi)

पिण्डवाडा (Pindwara) शिवगज (Shivganj) रेवदर (Revdar) आबूरोड (Abu Road) सिरोही (Sirohi)

31. टोंक (Tonk)

टोंक (Tonk) मालपुरा (Malpura) निवाई (Niwai) देवली (Devali)
उनियारा (Uniara) टोडारायसिंह (Toda Rai Singh)

32. उदयपुर (Udaipur)

गिर्वा (Girwa) बडगाव (Bargaon) कोटडा (Kotra) धरियावद (Dhariawad)
सलुम्बर (Salumber) सराडा (Sarada) मावली (Mavli) खैरवाडा (Khairwara)
भीण्डर (Bhinder) गोगुन्दा (Gogunda) झाडोल (Jhadol)

राजस्थान में पंचायती राज की कमियाँ अथवा असफलतायें
SHORTCOMINGS/FAILURES OF PANCHAYATI RAJ IN RAJASTHAN

आज स्थिति यह है कि गोचर तथा ओरण भूमि पर अतिक्रमण के मामले बढ रहे है, वन क्षेत्रों से जगली लकडी की अवैध कटाई तथा निकासी हो रही है, ग्राम जलाशयों के जल-ससाधन का मनमाना उपयोग हो रहा है और पटवारी, फारेस्ट गार्ड तथा सिचाई विभाग के स्थानीय कर्मचारी या तो मूक दर्शक और असहाय है या फिर स्वय भी इन ससाधनों के दुरुपयोग में लिप्त है। इन सगठनों को पचायत के प्रबधाधीन किए जाने से न केवल इनका बेहतर प्रबधन होगा वरन पचायत की आय में वृद्धि भी होगी।

राजस्थान में पचायती राज की प्रमुख कमिया निम्न है-

1 नवीन पचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों की सगठनात्मक सरचना में परस्परिक सम्बन्ध एव समन्वय का अभाव है। अत पचायती राज सस्थाये कुशलतापूर्वक अपने दायित्व को पूर्ण नही कर पाती है।

2 गाव के साधनों पर पचायत के स्वामित्व का अभाव होने के कारण गाव के ससाधनों का दुरुपयोग होता है।

3 योजना प्रबधन एव तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव होने के कारण पचायती राज सम्बन्धी याजनाओं एव कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक सचालन नही हो पाता है।

4 पर्याप्त धन के अभाव के कारण विकास कार्य समय पर पूर्ण नही हो पाते है।

5 ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा एव अज्ञानता के कारण राज्य की ग्रामीण जनता को पचायती राज का पूर्ण लाभ नही मिल रहा है।

6 पचायती राज सस्थाओं में हिसाब-किताब की अनियमिततायें विद्यमान है और इन सस्थाओं पर नौकरशाही का दबाव है।

7 प्रशिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्त के कारण पचायती राज सस्थाओं में अनेक स्थान रिक्त है।

पंचायती राज की कमियों को दूर करने के उपाय
SUGGESTIONS

1 विकास योजना पर पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान तथा उचित आवटन करना,

2 पचायतों को स्वय के ससाधनों में वृद्धि करने के लिए लगान

वसूलने एव कर लगाने का अधिकार

3 सबधित स्तर की पचायतों मे सबधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश देना जिससे समस्याओं का निराकरण प्रभावी ढग से किया जा सके

4 समय समय पर चुने हुए पदाधिकारियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना

5 हिसाब किताब का अकेक्षण कराना एव निरीक्षण व्यवस्था को सशक्त बनाने की बाबत कार्यवाही करना

6 वर्गभेद तथा भ्रष्टाचार की शिकायतो की जाच करके सम्बन्धित विभाग के विरूद्ध कार्यवाही करना।

राजस्थान में पचायती राज का मूल्याकन EVALUATION

राजस्थान में पचायती राज व्यवस्था के द्वारा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के नये युग का सूत्रपात हुआ है। राज्य में पचायती राज के प्रारम्भिक दौर में प्रबध सगठन तथा कुछ आर्थिक एव सामाजिक समस्याओं का उपस्थित होना स्वाभाविक है। इन समस्याओ का शीघ्र समाधान सम्भव है। पचायती राज सस्थाओं में, विशेष रूप से दलित पिछडे वर्गो तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान तो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह व्यवस्था महात्मा गाधी की कल्पना भारत की आत्मा गावों मे बसती है। जब तक गाव स्वतन्त्र नहीं होते देश पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नही होगा" का वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करती है इस सम्बन्ध में राजस्थान के मुख्यमत्री श्री भैरोसिह शेखावत ने ठीक ही कहा है कि "राजस्थान में एक नई सामाजिक एव आर्थिक व्यवस्था की रचना हो रही है। तीव्र गति से आर्थिक विकास के साथ विकेन्द्रीकृत सत्ता की सस्थाओं की सहायता से गरीबी उन्मूलन तथा वृहद सामाजिक कल्याण का महाअनुष्ठान चल रहा है। इसे देखकर मेरा दृढ विश्वास है कि राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है।"

अभ्यासार्थ प्रश्न

A सक्षिप्त प्रश्न
(Short Type Questions)

1 निम्नलिखित पर 100 शब्दो में सक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए राजस्थान में नया पचायती राज अधिनियम।
Wnte short notes on the following in 100 words New Panchayati Raj Act in Rajasthan

2 राजस्थान में पचायती समितियों की सरचना बताईए।
Explain the structure Panchayati Samitis in Rajasthan

3 पचायत समिति के प्रमुख कार्य क्या है?
What are the main functions of Panchayat Samiti?

4 पचायत समिति में सरपच की क्या भूमिका है?
What is the role of Sarpanch in Panchayat Samiti?

5 राजस्थान में पचायती राज पर एक टिप्पणी लिखिए।
Wnte a note on Panchayati Raj in Rajasthan

6 राजस्थान में पचायती राज की वर्तमान स्थिति का उल्लेख कीजिए।
Mention the present position of Panchayati Raj in Rajasthan

B निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions)

1 राजस्थान मे पचायती राज व्यवस्था की उपलब्धियों तथा कमियों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
Describe in detail the achievements and shortcomings of Panchayati Raj System in Rajasthan

2 राजस्थान मे पचायती राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the main characteristics of Panchayati Raj Act, 1994 in Rajasthan

3 राजस्थान में पचायती राज पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on Panchayati Raj in Rajasthan

4 पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद के कार्य एव शक्तियों का वर्णन कीजिए।
Explain the functions and powers of Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad

5 राजस्थान में पचायती राज की वर्तमान स्थिति एव उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
Explain the present position and achievements of Panchayati Raj in Rajasthan



प्रतियोगा परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न
(OBJECTIVE TYPE QUESTIONS OF COMPETITIVE EXAMS)

1 Energy-Cnsis is a major problem of Rajasthan Which one of the following sources would be of great help in Rural Rajasthan -
a Wind energy b Bio-Gas
c. Solar energy d Thermal energy

ऊर्जा सकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा?
a पवन उर्जा b बायो-गैस
c. सौर ऊर्जा d तापीय उर्जा

2 The second highest Peak of Aravalli Range is
a Kumbhalgarh b Nag Pahar
c. Ser d Achalgarh

अरावली श्रेणियों की दूसरे नम्बर की ऊची चोटी का नाम है
a कुम्भलगढ b नाग पहाड
c. सेर d अचलगढ

3 Which of the following pairs is correct -
a Banganga Banas b Kothari-Luni
c Sukri-Chambal d Jakham-Mahi

निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है
a बाणगगा-बनास b कोठारी-लूनी
c सूकड़ी-चम्बल d जाखम-माही

4 The soil of Hadoti Plateau is
a Alluvial b Red
c. Brown d Medium black

हाडौती पठार की मिट्टी है
a कछारी b लाल
c. भूरा d मध्यम काली

5 The Long term solution to the problem of soil salinity and alkalinity is the use of -
a Rock Phosphate b Gypsum
c. Manure d Urea

जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एव क्षारता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है
a रॉक फॉस्फेट b जिप्सम
c. खाद d यूरिया

6 The District with the highest growth of population during 1981 1991 is
a Jaipur b Bikaner
c. Ajmer d Banswara

1981 91 के दशक में जिस जिले में जनसख्या का विकास सर्वाधिक हुआ है वह है
a जयपुर b बीकानेर
c. अजमेर d बांसवाड़ा

7 According to the Census [1991] the percentage of the population of scheduled castes and scheduled tribes in Rajasthan is -
a 17 29 & 12 44 b 13 82 & 6 77
c 17.29 & 13 82 d 12 44 & 6 77

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है
a 17.29 एव 12 44 b 13 82 एव 6 77
c 17 29 एव 13 82 d 12 44 एव 6 77

8 The main cause for the occurrence of frequent drought and famines in Rajasthan is -
a Degradation of forests c. Erratic rainfall
b Irrational use of water d Soil erosion

राजस्थान में बारबार होने वाले सूखे एव अकाल का प्रमुख कारण है
a वनों का अतिक्रमण b जल का अविवेकपूर्ण उपयोग
c अनियमित वर्षा d भूमि का कटाव

9 The chief aim of Integrated Rural Development Programme (I R D P)
a To provide training to village youth
b To give employment to landless labourers
c To check desertification
d To give employment to families living below poverty line in rural areas

समन्वित ग्रामीण विकास योजना (I R D P) का मुख्य लक्ष्य है
a ग्रामीण युवकों को टनिंग देना
b भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार जुटाना
c. मरूस्थलीयकरण पर नियन्त्रण
d ग्रामीण क्षेत्रों म गरीबी रेखा स नीच रहने वाले परिवारो को रोजगार दिलाना

10 The famous cow-breeds for the production of milk are -
a Tharaparkar - Rathi b Rathi Nagori
c Malvi Tharparkar d Mewati Malvi

दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें है
a थारपारकर एव राठी b राठी एव नागौर
c. मालवी एव थारपारकर d मेवाती एव मालवी

11 Match the following -

Mineral	Region
A. Gypsum	I Jhamar Kotra
B Copper	II Rampura Agucha
C Phosphate Rock	III Kho Dariba
D Lead and Zinc	IV Jamsar

	A	B	C	D
(1)	III	II	IV	I
(2)	II	III	IV	
(3)	IV	III	I	
(4)	I	IV		

निम्नांकित को सुमेल कीजिए

खनिज		प्रदेश	
A जिप्सम		I झामर-कोटडा	
[redacted] तांबा		II रामपुरा-आगूंचा	
C फॉस्फेट रॉक		III खो-दरीबा	
[redacted] सीसा एवं जस्ता		IV जामसर	

	A	[redacted]	C	D
(1)	III	II	IV	I
(2)	II	III	IV	I
(3)	IV	III	I	II
(4)	I	IV	II	III

12 Som Kamla Amba Irrigation Project is situated in the District of -
a Dungarpur b Banswara
c Udaipur d Chittor

सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है
a डूंगरपुर [redacted] बांसवाड़ा
[redacted] उदयपुर [redacted] चित्तौड़

13 The two districts of Rajasthan where there is no river
a Jaisalmer & Barmer b Jaisalmer & Jalore
c Bikaner & Churu d Jodhpur & Jaisalmer

राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है
a जैसलमेर एवं बाड़मेर b जैसलमेर एवं जालोर
c बीकानेर एवं चुरू d जोधपुर एवं जैसलमेर

14 Per capita income in Rajasthan for the year 1996-97 at current prices [redacted] estimated at -
a Rs 8000 b Rs 7500
c Rs 7800 d Rs 7000

राजस्थान में 1996-97 वर्ष के लिए प्रति-व्यक्ति आय चालू कीमतों पर आंकी गई है
a 8000 रुपये b 7500 रुपये
c 7800 रुपये d 7000 रुपये

15 Two cities of Rajasthan which are included for determining of General consumer Price Index Number for Industrial workers are -
a Kota & Jaipur [redacted] Kota & Beawar
c Jaipur [redacted] Ajmer d Jaipur & Jodhpur

औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के दो शहर है
a कोटा एवं जयपुर b कोटा एवं ब्यावर
c जयपुर एवं अजमेर d जयपुर एवं जोधपुर

16 Out of total inhabited villages in Rajasthan the percentage of electrified villages is about -
a 90% [redacted] 80%
c 75% d 70%

राजस्थान के कुल आबाद गाँवों में विद्युतीकृत प्रतिशत है करीब
a 90% b 80%
[redacted] 75% d 70%

17 The Net SDP from agriculture for the Year 1996-97 (at constant prices) in Rajasthan is estimated at about -
a 40% b 42%
c 44% [redacted] 48%

राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सन् 1996-97 के अनुमानित शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा है -
a 40% b 42%
c 44% d 48%

18 Out of Rs 11500 Crores Plan outlay for the Eighth Plan of Rajasthan the provision for maximum amount has been made for -
a Agriculture and allied sector
b Power sector
c Social and community services
d Rural development

राजस्थान में आठवीं योजना में योजना उद्व्यय 11500 करोड़ रुपये में से अधिकतम राशि का प्रावधान किया गया है
a कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए
b ऊर्जा क्षेत्र के लिए
c सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए
d ग्रामीण विकास के लिए

19 From the tourism point of view there [redacted] a plan to divide Rajasthan into -
a 10 regions [redacted] 8 regions
c 6 regions d 4 regions

पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को बांटने की योजना है -
a 10 क्षेत्रों में [redacted] 8 क्षेत्रों में
c 6 क्षेत्रों में d 4 क्षेत्रों में

20 The search for gold in Rajasthan is under progress in the District of -
a Udaipur b Kota
c Jhalawaar d Banswara

राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वह है
a उदयपुर b कोटा
c झालावाड़ d बांसवाड़ा

21 The district in Rajasthan which is now famous for production of Isabgol Jeera (cumin seed) and Tomato is -
a Ganganagar [redacted] Bundi
c Jalore [redacted] Kota

राजस्थान का वह जिला जो अब ईसबगोल जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है
a गंगानगर b बून्दी
c जालोर d कोटा

22 Jeevan Dhara Yojna in Rajasthan [redacted] concerned with -
a Insurance scheme for the poor
b Construction of irrigation wells

b. Providing electricity in rural poor
d. Providing medical facilities

राजस्थान में जीवन धारा योजना का सम्बन्ध है
a. गरीबों के लिए बीमा योजना
b. सिंचाई कुओं का निर्माण
c. ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना
d. चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना

23. The district in Rajasthan which has the world's unique habitat for birds and which is also a *paradise for water birds* -
a. Alwar b. Bharatpur
c. Udaipur d. Jodhpur

राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जलपक्षियों का स्वर्ग है -
a. अलवर b. भरतपुर
c. उदयपुर d. जोधपुर

24. Central sheep and wool research institute is located at -
a. Bikaner b. Jasol
c. Avikanagar d. Jaisalmer

केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है
a. बीकानेर 2. जसोल
c. अविकानगर d. जैसलमेर

25. The district in Rajasthan located adjacent to the International Bboundary are -
(1) Ganganagar, Bikaner, Jaisalmer & Barmer
(2) Ganganagar, Jodhpur, Jaisalmer & Jalore
(3) Ganganagar, Bikaner, Jodhpur & Jalore
(4) Jalore, Jaisalmer, B rmer and Bikaner

राजस्थान के वे जिले जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है -
(1) गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर
(2) गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर एवं जालौर
(3) गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जालौर
(4) जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर

26. What is the percentage of *female literacy in Rajasthan as per censuses of year 1991* -
a. 20.84% b. 39.42%
c. 38.41% d. 52.11%

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है -
a. 20.84% b. 39.42%
c. 38.41% d. 52.11%

27. Assertion Rule (A.) The western desert district of Rajasthan have abundant food crops today Reason rule (R) The Indira Gandhi Cannal has provided means of irrigation in most parts of Jaisalmer and Barmer districts
Use If -
a. Assertion is right and reason is also right
b. Assertion is worng and Reason is also wrong
c. Assertion is right but reason is wrong
d. Assertion is worng but reason is right

कथन (अ) राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थली जिलों में आजकल भरपुर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती है।
कारण (ब) इन्दिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान कर दी है।
उपयोग कीजिये यदि -
a. कथन सही है और कारण भी सही है
b. कथन गलत है और कारण भी गलत है
c. कथन सही है परन्तु कारण गलत है
d. कथन गलत है परन्तु कारण सही है

28. Rajasthan has abundance of rock phosphate and gypsum but is poor in coal resources. In order to have chemical fertilizers it would be profitable to -
a. Import coal from other states of India
b. *Import electricity from other states of India*
c. Export rock phosphate and gypsum to other states of India
d. Establish benefication plants of rock phosphate and gypsum in Rajasthan

राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम खनिजों की प्रचुरता है परन्तु कोयला संसाधनों की कमी है। राज्य को रासायनिक खाद प्राप्त करने के लिये यह लाभदायक होगा कि -
a. भारत के अन्य राज्यों से कोयला आयात किया जाए
b. भारत के अन्य राज्यों से बिजली आयात कीजाए
c. भारत के अन्य राज्यो को रॉक फॉस्फेट और जिप्सम का निर्यात कर दिया जाए
d. राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम के परिशोधन कारखाने लगाए जाए

29. *The longest river which flows entirely in Rajasthan state is* -
a. Chambal b. *Luni*
c. Banas d. *Mahi*

राजस्थान में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लम्बी नदी का नाम है
a. चम्बल b. लूणी
c. बनास d. माही

30. The Most important cause of forest degradation in Rajasthan for timber -
a. Climatic changes
b. Felling of Trees for timber
c. Felling of trees for fuel wood
d. Cattle grazing

राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है -
a. जलवायु परिवर्तन
b. ईमारती लकड़ी के लिये वनों की कटाई
c. जलाने की लकड़ी के लिये वनों की कटाई
d. पशु चारण

31 The most important resources of lignite in Rajasthan are located at -
a Palana Agucha and Merta
b Palana Kapurdi and Sonu
c Kapurdi Merta and Sonu
■ Lapurdi Merta and Palana

राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट ससाधन है
a पलाना अगूचा और मेडता b पलाना कपूरडी और सोनू
c कपूरडी मेडता ओर सोनू d कपूरडी मेडता और पलाना

32 The highest percentage of livestock animals in Rajasthan is that of
a Goat b Sheep
c. Cattle d Camels

राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वो पशु है
a बकरियाँ b भेडे
c. दूधारू पशु ■ ऊँट

33 In 1991 census the lowest populat on growth rate in Rajasthan remained in the district of Pali Ajmer and Chittorgarh The main reason for Th s low growth rate is
a Low birth rates
b H gh death-rates
c Poo employment opportun ties
d Lack of Transport system

सन् 1991 की जनगणना में राजस्थान के पाली अजमेर और चित्तौड़गढ जिलों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही। कम वृद्धि दर का मुख्य कारण है
a कम जन्म दर b अधिक मृत्यु दर
c. रोजगार के कम अवसर d यातायात साधना की कमी

34 What is the percentage of outlay on power sector ■ the Rajasthan Annual Plan of 1991 92?
a 18 6% b 27 2%
c 30 0% d 38 6%

वर्ष 1991 92 की राजस्थान की वार्षिक योजना में शक्ति (ऊर्जा) क्षेत्र के लिए निर्धारित सद्व्यय का कितना प्रतिशत तय किया गया है?
■ 18 6 b 27 2
c 30 0 d 38 6

35 Which ■ the most crucial issue that affects the level of econom c activity in all the major sectors of economy in Rajasthan namely agriculture industries and qual ty of l fe of people?
a Scarcity of water b Lack of cap tal
c. Scarcity of power d Wide spread illiteracy

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों (कृषि उद्योग एव जनसाधारण के जीवन के गुणवत्ता से सम्बन्धित सर्वाधिक निर्णायक मुद्दा कौनसा है जो आर्थिक क्रियाओं के स्तर को प्रभावित करते है
a जल का अभाव b पूंजी की कमी
c. उर्जा की कमी d व्यापक निरक्षरता

36 The Organisat on which participates in large and medium scale industries through term loans and equity participation for industrial development in Rajasthan is -
a Rajasthan Agro-Industries Corporation
■ RAJSICO
c RFC
d RIICO

राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिये वृहद एव मध्य आकार के उद्योगो को अवधि ऋण एव अंश पूजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है
a राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन
b राजसीको
c. आर एफ सी
d रीको

37 Which is the mineral stone that fetches maximum total sale value in Rajasthan?
a Masonary stone b Lime stone
c Sand stone ■ Marble

वह कौनसा खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है
a चुनाई का पत्थर ■ चूने का पत्थर
c. बालू पत्थर d सगमरमर

38 What has been the percentage share of agriculture state income of Rajasthan (At current prices) by industrial origin in 1989-90?
a 40 8% b 52 6%
c 56 4% d 61 5%

राजस्थान राज्य में आय में औद्योगिक उत्पत्ति (प्रचलित कीमतों पर) के आधार पर वर्ष 1989-90 में कृषि का हिस्सा कितना था?
a 40 8% b 52 6%
c 56 4% d 61 4%

39 The annual per cap ta income at current prices in Rajasthan in 1990 91 was est mated to be
a Rs 1841 b Rs 2327
c Rs 3595 d Rs 4214

राजस्थान में वर्ष 1990-91 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय (चालू मूल्यों पर) का अनुमान निम्नांकित है
a रुपये 1841 b रुपये 2327
c. रुपये 3595 d रुपये 4214

40 Number of reg stered factories in Rajasthan in the year 1990 is approximately
a 5400 b 9900
c. 16500 d 28300

राजस्थान में पजीकृत कारखानो की सख्या वर्ष 1990 में लगभग कितनी है
a 5400 b 9900
c. 16500 ■ 28300

41 The female-male ratio in Rajasthan in 1991, when compared with 1981 -
[redacted] is the same
b has increased slightly
c. has decreased slightly
d has increased substantially

1991 में राजस्थान में स्त्री-अनुपात 1981 की तुलना -
a वही है　　b कुछ मात्रा में बढ़ा है
c कुछ मात्रा में घटा है　　[redacted] काफी मात्रा में बढ़ा है

42 The most important basis of Bhagirath Yojna initiated by the Government of Rajasthan is -
a Economic motivation
[redacted] Self motivation
c Co-operative spirit
d Centralized direction

राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई 'भागीरथ योजना' का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है -
a आर्थिक अभिप्रेरणा　　b स्व-अभिप्रेरणा
c. सहकारिता की भावना　　d केन्द्रीय निर्देशन

43 Mahi Bajaj Sagar Project covers the following areas -
a Only Rajashan
b Rajasthan and Gujarat
c. Rajasthan, Gujarat and Maharastra
d Rajasthan and [redacted] P

माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव निम्नांकित क्षेत्र में है -
a केवल राजस्थान
b राजस्थान एवं गुजरात
[redacted] राजस्थान गुजरात एवं महाराष्ट्र
d राजस्थान एवं मध्य प्रदेश

44 Gopal Yojana has been implemented by the Government of Rajasthan in ten districts of -
a South East Rajasthan
b South-West Rajasthan
c North-East Rajasthan
d Western Rajasthan

राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किस क्षेत्र के 10 जिलों में 'गोपाल योजना' को लागू किया है
a दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान　　b दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान
c. उत्तर-पूर्व राजस्थान　　d पश्चिमी राजस्थान

45 The Share of Rajasthan in net irrigated area of India is -
a 7 7%　　b 8 8%
c. 9 9%　　d 11 0%

भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है -
[redacted] 7 7%　　b 8 8%
c. 9 9%　　d 11 0%

46 Assertion (A) The second Zinc smelting plant of Rajasthan [redacted] now being established at Chandena (Chittorgarh)
Reason (R) Chittorgarh distict has abundant resources of Zinc ore
Use if -
a Assertion is right and reason is also right
b Assertion is wrong and Reason is also wrong
c Assertion is right but reason is worng
d Assertion [redacted] wrong but reason is right

कथन (अ) राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन संयन्त्र अब चन्देरिया (चित्तौड़गढ़) में स्थापित किया जा रहा है।
कारण (ब) चित्तौड़गढ़ जिले में जस्ता अयस्क भण्डार प्रचुर मात्रा में मौजूद है।
उपयोग कीजिये यदि -
a कथन सही है और कारण भी सही है
b कथन गलत है और कारण भी गलत है
c कथन सही है परन्तु कारण गलत है
d कथन गलत है परन्तु कारण सही है

47 The Indira Gandhi Canal Project (Stage-I) has been able to create upto 1991 91 an irrigation potential of -
a 20 3 Lakh ha　　[redacted] 15 6 Lakh ha
c. 5 7 Lakh ha　　d 1 5 Lakh ha

वर्ष 1990-91 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना (प्रथम चरण) द्वारा सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ -
a 20 3 लाख हेक्टेयर　　b 15 6 लाख हेक्टेयर
c 5 7 लाख हेक्टेयर　　d 1 5 लाख हेक्टेयर

48 During the Earth summit held at Rio-de-Janero in 1992 the pbolems discussed related to -
a Only environment
b Only development
c Only global warming and ozone hole
d Different aspects of environment and development

सन् 1992 में रियो डी-जनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जिन समस्याओं पर विचार किया गया वे थी -
a केवल पर्यावरण से संबंधित
b केवल विकास से संबंधित
c केवल विश्वतापन और ओजोन छिद्र से संबंधित
d पर्यावरण और विकास के विविध पक्षों से संबंधित

49 The highest increase in growth of population in the various districts of Rajasthan from 1901 to 1991 has been in the district -
a Bikaner　　b Jaisalmer
c Dungarpur　　d Jaippur

राजस्थान के विभिन्न जिलों में 1901 से 1991 तक जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि जिस जिले में हुई है वह जिला है
a बीकानेर　　b जैसलमेर
c. डूंगरपुर　　d जयपुर

50 The effective media of self-dependence of village of Rajasthan is -
a Formulation of village sponsored economic plans

b Extension of cities
c Extension of vilage education
d Services to village unemployees in cities

राजस्थान के गाँवों को स्वावलम्बी बनाने का प्रभावी माध्यम है -
a ग्रामोन्मुखी आर्थिक योजनाओं का निर्माण
b शहरीकरण का विस्तार
c ग्रामीण शिक्षा प्रसार
d ग्रामीण बेरोजगारों को नगरों में नौकरी

11066

51 The highest literacy district of Rajasthan is -

a Ajmer	b Bikaner
c Jaipur	d Pali

राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है

a अजमेर	b बीकानेर
c जयपुर	d पाली

52 The city of Rajasthan where there is no air base is -

a उदयपुर	b कोटा
c जोधपुर	d अजमेर

राजस्थान का वह नगर जहा हवाई अड्डा नही है

a अजमेर	b कोटा
c जोधपुर	d उदयपुर

53 The present formation of the State of Rajasthan exists from the date -

a 17-3 1948	b 15-5-1949
c 26-1-1950	d 1-11-1956

राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह है

a 17-3-1948	b 15-5-1949
c 26-1-1950	d 1-11-1956

54 The oldest organised industry of Rajasthan is
a Cement Industry
b Cotton Textile Industry
c Sugar Industry
d Vegetable Oil Industry

राजस्थान का सबसे प्राचीन सगठित उद्योग है

a सीमेन्ट उद्योग	b सूतीवस्त्र उद्योग
c चीनी उद्योग	d वनस्पति घी उद्योग

55 Rich deposits of Copper lie in Rajasthan at -

a Deedwana area	b Bikaner area
c Udaipur area	d Khetri area

राजस्थान में ताबे का विशाल भण्डार स्थित है

a डीडवाना क्षेत्र मे	b बीकानेर क्षेत्र
c उदयपुर क्षेत्र	d खेतडी क्षेत्र में

56 The factory which is run by Central Government in Rajasthan is
a Hindustan Zinc Limited Udaipur
b Salt works, Deedwana
c Ganganagar Sugar Mills, Ganganagar
d Aravali Automatic vehicle Limited Alwar

राजस्थान में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है
a हिन्दुस्तान जिंक लि
b साल्ट वर्क्स डीडवाना
c गगानगर शुगर मिल्स
d अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड अलवर

57 The total area of Rajasthan is about -

a 16% of India	b 13% of India
c 15% of India	d 11% of India

राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है

a भारत का 6%	b भारत का 13%
c भारत का 15%	d भारत का 11%

58 The river of Rajasthan which carries water to Bay of Bengal is -

a Mahi	b Banas
c Looni	d Sabarmati

राजस्थान की नदी जो बगाल की खाडी को जल ले जाती है वह है -

a माही	b बनास
c लूनी	d साबरमती

59 The river which orginates from Rajasthan and drops it's water into the Gulf of Khambhat is -

a The Luni	b The Mahi
c The Jawai	d The Parwati

नदी जिसका उदगम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खम्भात की खाडी में उडेलती है -

a लूनी	b माही
c जवाई	d पार्वती

60 The District having the highest percentage of variability in the annual rainfall is -

a Barmer	b Jaipur
c Jaisalmer	d Banswara

जिस जिले की वार्षिक वर्षा मे विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है -

a बाडमेर	b जयपुर
c जैसलमेर	d बासवाडा

61 The district of Rajasthan having a good potentiality of both oil and natural gas is -

a Barmer	b Jalore
c Jaisalmer	d Ganganagar

राजस्थान के जिस जिले मे तेल एवं प्रकृतिक गैस की सम्भावनायें अच्छी है वह है

a बाड़मेर	b जालोर
c जैसलमेर	d गगानगर

62 Which one of the following pairs is correct

Census, 1991

District	Sex Ratio
a Dholpur	796
b Dungarpur	942

c. Jaisalmer 997
d Jalore 810

निम्नांकित मे से कौनसा एक युग्म सही है

जनगणना 1991

जिला	लिंग अनुपात
a धौलपुर	796
b डूंगरपुर	942
c. जैसलमेर	997
d जालोर	810

63 The basic cause for frequent drought and famines in Rajasthan is
a Extension of Aravalli s from S W to N E
b Irregular Insufficient and erratic rainfall
c Degradation of soil and forest
d irrational and unscientific use of water

राजस्थान में बहुधा सूखा एव अकाल पडने का आधारभूत कारण है
a अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार
b अनियमित अपर्याप्त एव अनिश्चित वर्षा
c. मिट्टी एव वनों का अवक्रमण
d विवेकहीन एव अवैज्ञानिक ढग से पानी का उपयोग

64 The main objective of Aravalli Development Project is to
a Control soil-degradation
b Check the expansion of Thar-desert
c Arrest deforestation
d Restore ecological stability

अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है
a मिट्टी अवक्रमण को नियन्त्रित करना
b थार-मरुस्थल के प्रसार को रोकना
c. वनों को नष्ट होने से रोकना
d पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाये रखना

65 Which one of the following sectors have been provided the highest percentage of allocation in the 8th Fiver Year Plan of Rajasthan
a Agriculture
b Irrigation and flood control
c Power
d Social and community service

राजस्थान की आठवी पंचवर्षीय योजना में किस खण्ड (मद) मे सबसे अधिक प्रतिशत धन निर्धारित किया गया है
a कृषि   b सिंचाई एव बाढ नियन्त्रण
c. ऊर्जा   d सामाजिक सामुदायिक सेवायें

66 Rajasthan ranks first in India in the production of -
a Rock Phosphate Turgsten & Gypsum
b Granite Marble and Sandstone
c. Lead Zinc and Copper
d Mica Soapstone and Fluorite

जिनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान प्रथम है वे है
a रॉक फॉस्फेट एव जिप्सम
b ग्रेनाइट सगमरमर एव बलुआ-पत्थर
c. सीसा जस्ता एव ताबा
d अभ्रक सियापत्थर एव फ्ल्युओराइट

67 Most significant programe in the alleviation of poverty in the rural area of Rajasthan is -
a NREP   b SGV
c. IRDP   d RLEGP

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी उन्मुलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है
a राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम
b समग्र ग्रामीण विकास
c समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
d ग्रामीण भूमिहनों हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम

68 Match the following -

Dams	Places
a Jawahar Sagar Dam	Chittorgarh
b Rana Pratap Sagar Dam	Kota
c Ummed Sagar Dam	Banswara
d Bajaa Sagar Dam	Bhilwara

निम्नांकित को सुमेल कीजिए -

a जवाहर सागर	चित्तोडगढ
b राणाप्रताप सागर बाध	कोटा
c उम्मेद सागर बाँध	बासवाडा
d बजाज सागर बाध	भीलवाडा

69 Assertion Rule (A) The western desert district of Rajasthan have abundant food crops today
Reason rule (R) The Indira Gandhi Canal has provided means of irrigation in most parts of Jaisalmer and Barmer districts
use If
a Assertion is right and reason is also right
b Assertion is worng and Reason is also wrong
c Assertion is right but reason is worng
d Assertion is worng but reason is right

कथन (अ) राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थली जिलों में आजकल भरपुर खाद्यान्न फसल उत्पन्न होता है।
कारण (ब) इन्दिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों मे सिंचाई की सुविधाए प्रदान कर दी है।
उत्तर दीजिए यदि
a कथन सही है और कारण भी सही है
b कथन गलत है और कारण भी गलत है
c कथन सही है परन्तु कारण गलत है
d कथन गलत है परन्तु कारण सही है

70 On the basis of the nature and availability of natural resources the maximum potential ... in Rajasthan exist for the development of industries based on -

a Livestock b Agriculture
c Minerals d Forests

प्रकृति संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में इन उद्योगों के आधार है

a पशुधन
c खनिज

71 Which one of the following is correct?

District	Sex ratio
a Sirohi	952
b Jaisalmer	910
c Alwar	889
d Banswara	969

निम्न में से कौनसा युग्म सही नहीं है

जिला	लिंग-अनुपात
a सिरोही	952
b जैसलमेर	910
c अलवर	889
d बांसवाड़ा	969

72 Which one among the following pairs is correct

% desert Area (Raj)	% population (Raj)
a 60	40
b 55	45
c 50	50
d 40	60

निम्न में कौनसा युग्म सही है

प्रतिशत मरुस्थली क्षेत्र (राज)	प्रतिशत जनसंख्या (राज)
a 60	40
b 55	45
c 50	50
d 40	60

73 "Brown Revolution" in Rajasthan is concerned with
a Food processing
b Buffalo milk production
c Wool production
d Goat hair production

राजस्थान में भूरी क्रान्ति का सम्बन्ध है
a खाद्यान्न प्रसंस्करण b भैंस दुग्ध उत्पादन
c ऊन उत्पादन d बकरी के बालों का उत्पादन

74 Relatively speaking which one of the following physiographic parts of Rajasthan is an area of ill drained interior drainage
a South eastern
b North North Western
c South - South Western
d North Eastern

सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग में आन्तरिक अपवाह प्रवाह का क्षेत्र है
a दक्षिणी पूर्वी b उत्तर उत्तर पश्चिमी
c दक्षिण दक्षिणी पश्चिमी d उत्तर पूर्वी

75 Indira Gandhi Canal Project includes "Lift Canal" Schemes numberings -

... की संख्या है

b
c 6 d 5

76 The proposed Export Promotion Industrial Park in Rajasthan will be established with the assistance of
a Japan
b World Bank
c Government of India
d International Development Agency

राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को किस की सहायता से स्थापित किया जायेगा
a जापान b विश्व बैंक
c भारत सरकार d अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण

77 Which one of the following has the natural gas based power project -
a Dholpur b Jalipa
c Bhiwadi d Ramgarh

प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है
a धौलपुर b जालीपा
c भिवाड़ी d रामगढ़

78 White cement in Rajasthan is produced at
a Beawar b Cotan
c Nimbahera d Chittorgarh

राजस्थान में सफेद सीमेन्ट का उत्पादन कहां होता है
a ब्यावर b गोटन
c निम्बाहेड़ा d चित्तौड़गढ़

79 The Second highest peak of Aravalli range is
a Jarga b Ser
c Taragarh d Achalgarh

अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है
a जरगा b सेर
c तारागढ़ d अचलगढ़

80 Which one of the following pairs is correct?
a Kothari Luni b Sukdi Banas
c Jakham Mahi d Banganga Chambal

निम्न में से कौनसा युग्म सही है?
a कोठारी-लूनी b सूकड़ी बनास
c जाखम माही d बाणगंगा चम्बल